# निदेशक
# सहकारी समितियां एवं पंचायत
# लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

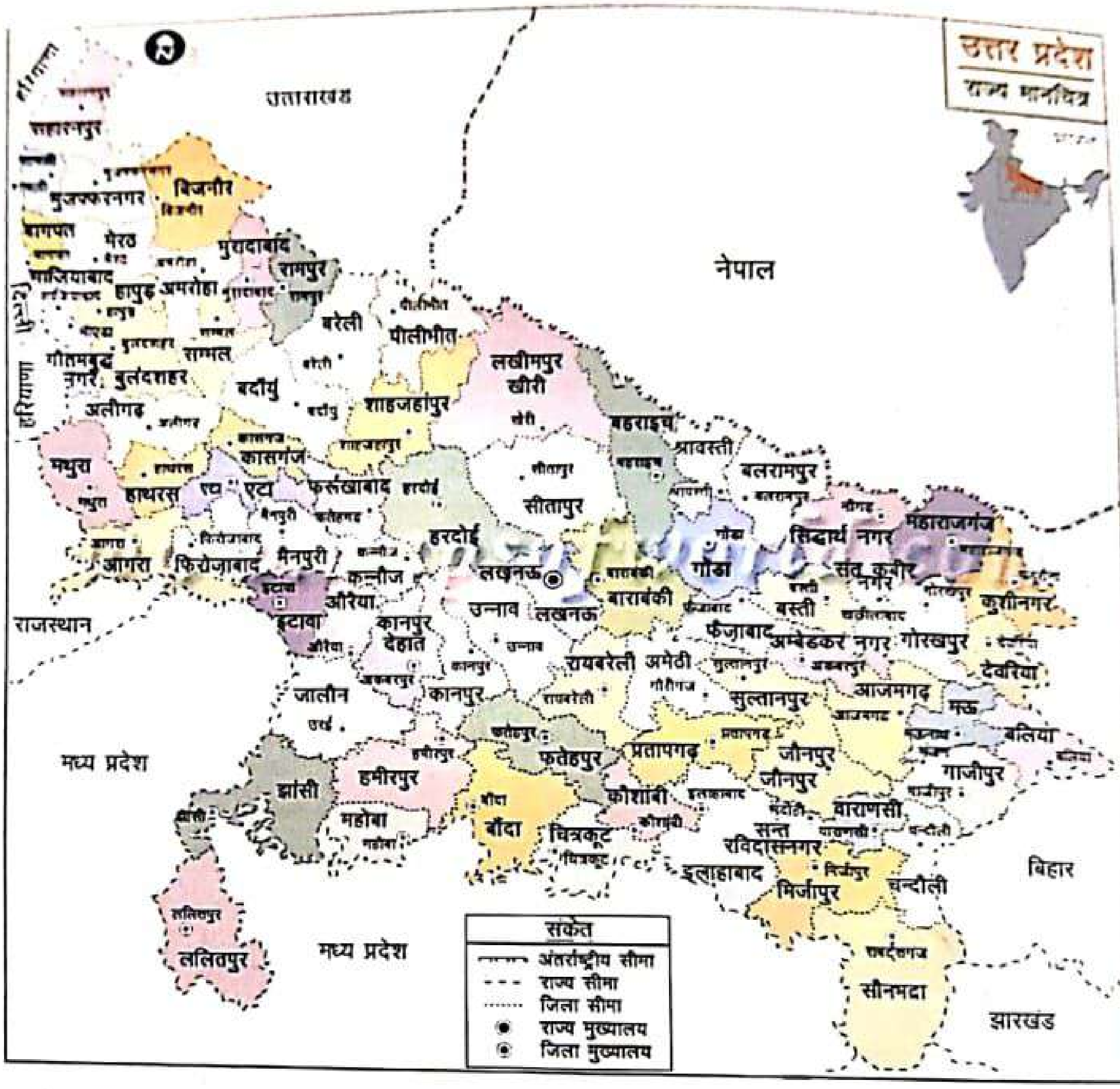


# त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का
## वार्षिक प्रतिवेदन
## वर्ष 2019–2020
## भाग–6

हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 एव 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1261154-00 | 556302-00 |
| 02 | 2016-17 | 1767338-00 | 1452485-00 |
| | योग | 3028492-00 | 2008787-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2008787-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री कैलाश एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कल्याणी महिंद्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - कचनार विकास खंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-283- ग्राम पंचायत कचनार की वर्ष 2015-16 एव 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 एव 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1959471-00 | 958458-00 |
| 02 | 2016-17 | 2299215-00 | 1819500-00 |
| | योग | 4258686-00 | 2777958-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2777958-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जाहिरा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कल्याणी महिंद्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - खागेसिया मऊ विकास खंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-284- ग्राम पंचायत खागेसिया मऊ की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 745093-00 | 425314-00 |
| 02 | 2016-17 | 597544-00 | 540996-00 |
| 03 | 2017-18 | 1179926-00 | 887106-00 |
| 04 | 2018-19 | 1998812-00 | 1174935-00 |
| | योग | 4521375-00 | 3028351-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 3028351-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश चन्द्र एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कल्याणी महिंद्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - भोगीपुर** **विकास खंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-285- ग्राम पंचायत भोगीपुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2018-१९ तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 96829-00 | 15000-00 |
| 02 | 2016-17 | 467737-00 | 194850-00 |
| 03 | 2017-18 | 715905-00 | 651206-00 |
| 04 | 2018-19 | 819930-00 | 416258-00 |
| | योग | 2100401-00 | 1277314-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1277314-00 की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हीरालाल एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती नीतू मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - कैनपुर** **विकास खंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-286- ग्राम पंचायत कैनपुर की वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 111277-00 | - |
| 02 | 2016-17 | 502829-00 | 282350-00 |
| | योग | 614106-00 | 282350-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 282350-00 एवं वर्ष 2015-16 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमला व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री हंसराज व उमाकांत से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - हरनी** **विकास खंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-287- ग्राम पंचायत हरनी की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01- | 2015-16 | 110376-00 | - |
| 02 | 2016-17 | 640924-00 | 373650-00 |
| 03 | 2017-18 | 596719-00 | 407370-00 |
| | योग | 1348019-00 | 781020-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 781020-00 एवं वर्ष 2015-16 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कल्याणी महिंद्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - बेलगवा** **विकास खंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-288- ग्राम पंचायत बेलगवा की वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01- | 2015-16 | 1155522-00 | 579860-00 |
| 02 | 2016-17 | 1514047-00 | 303892-00 |

| | योग | 2669569-00 | 883752-00 |
|---|---|---|---|

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 883752-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप चतुर्वेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - कौरया उदयपुर** **विकास खंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-289- ग्राम पंचायत कौरया उदयपुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01- | 2015-16 | 359760-00 | 277576-00 |
| 02 | 2016-17 | 1553692-00 | 369198-00 |
| 03 | 2017-18 | 1937477-00 | 939859-00 |
| 04 | 2018-19 | 2754933-00 | 1242000-00 |
| | योग | 6605862-00 | 2828633-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2828633-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरला देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप चतुर्वेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - महमूदपुर रोहिला** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-290- ग्राम पंचायत महमूदपुर रोहिला की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01- | 2015-16 | 741009-00 | 360062-00 |
| 02 | 2016-17 | 813356-00 | 548441-00 |
| 03 | 2017-18 | 872020-00 | 1023765-00 |
| | योग | 2426385-00 | 1932268-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1932268-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सहजाद बानो एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अनूप चतुर्वेदी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - चन्दनपारा** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-291- ग्राम पंचायत चन्दनपारा की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01- | 2015-16 | 797302-00 | 350740-00 |
| 02 | 2016-17 | 952706-00 | 413675-00 |
| 03 | 2017-18 | 1132195-00 | 1434404-00 |
| 04 | 2018-19 | 1753890-00 | 1250955-00 |
| | योग | 4636093-00 | 3449774-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है।इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 3449774-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नाज़िमा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री भिक्खूराम , हंसराज व राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - मथना** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-292- ग्राम पंचायत मथना की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01- | 2015-16 | 732950-00 | 470025-00 |
| 02 | 2016-17 | 1729794-00 | 552800-00 |
| 03 | 2017-18 | 1164836-00 | 1464063-00 |
| 04 | 2018-19 | 1849769-00 | 896575-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | योग | 5477349-00 | 3383463-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 3383463-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हेमराज एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कल्याणी महिंद्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - गोडवा साहबगंज** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-293- ग्राम पंचायत गोडवा साहब गंज की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01- | 2015-16 | 409918-00 | 217014-00 |
| 02 | 2016-17 | 468077-00 | 267500-00 |
| 03 | 2017-18 | 648736-00 | 321200-00 |
| 04 | 2018-19 | 1028528-00 | 1412405-00 |
| | योग | 2555259-00 | 2218119-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2218119-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामदयाल एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती शिखा शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - भेलावा** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-294- ग्राम पंचायत भेलावा की वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01- | 2015-16 | 882748-00 | 539812-00 |
| 02 | 2016-17 | 692518-00 | 838796-00 |
| | योग | 1575266-00 | 1378608-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1378608-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कल्याणी महिंद्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - गौरा** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-295- ग्राम पंचायत गौरा की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01- | 2015-16 | 840606-00 | 380300-00 |
| | योग | 840606-00 | 380300-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 380300-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - पिपरीकला** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-296- ग्राम पंचायत पिपरीकला की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 493798-00 | 231836-00 |
| | योग | 493798-00 | 231836-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 231836-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राकेश मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - बीबीपुर अलामपुर** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-297- ग्राम पंचायत बीबीपुर अलामपुर की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1452276-00 | 886984-00 |
| 2 | 2016-17 | 1676464-00 | 892444-00 |
| 3 | 2017-18 | 2026946-00 | 2187400-00 |
| | योग | 5155686-00 | 39668282-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 39668282-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामनरेश वर्मा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती शिखा शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - सेमौरा** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-298- ग्राम पंचायत सेमौरा की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 727636-00 | 340652-00 |
| 2 | 2016-17 | 971355-00 | 771784-00 |
| 3 | 2017-18 | 1172492-00 | 1499964-00 |
| 47 | 2018-19 | 1858905-00 | 890281-00 |
| | योग | 4730388-00 | 3502681-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 3502681-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान अल्पना राज वर्मा एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती शिखा शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - हथियामल्लपुर** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-299- ग्राम पंचायत हथियामल्लपुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 567387-00 | 295500-00 |
| 2 | 2016-17 | 742183-00 | 448647-00 |
| 3 | 2017-18 | 1106567-00 | 1272934-00 |
| 4 | 2018-19 | 1420306-00 | 1285720-00 |
| | योग | 3836443-00 | 3302801-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 3302801-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती शिखा शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - विक्टोरिया ग्रंट** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-300- ग्राम पंचायत विक्टोरिया ग्रंट की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 881610-00 | 717342-00 |
| 2 | 2016-17 | 982990-00 | 712548-00 |
| 3 | 2017-18 | 1168586-00 | 972179-00 |
| 4 | 2018-19 | 1862712-00 | 355000-00 |
| | योग | 4895898-00 | 2757069-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि  2757069-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहनलाल एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कल्याणी महिंद्रा से  ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - हेमपुर** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-301- ग्राम पंचायत हेमपुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1618621-00 | 863392-00 |
| 2 | 2016-17 | 2281637-00 | 976778-00 |
| 3 | 2017-18 | 2638208-00 | 1405254-00 |
| 4 | 2018-19 | 4182701-00 | 1557677-00 |
| | योग | 10721167-00 | 4803101-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि  4803101-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से  ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - अमीर नगर** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-302- ग्राम पंचायत अमीर नगर की वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 607312-00 | 281144-00 |
| | योग | 607312-00 | 281144-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 281144-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - रामनगर** **विकासखंड- एलिया**

प्रस्तर संख्या-303- ग्राम पंचायत रामनगर की वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1145537-00 | 544169-00 |
| 2 | 2019-20 | 1314041-00 | 521432-00 |
| | योग | 2459578-00 | 106560-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 106560-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम प्रसाद एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रवण कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - पगरोई** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-304- ग्राम पंचायत पगरोई की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही विभागीय अधिकारियों का घ्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अतः प्रिया साफ्ट के अधार पर डाटा प्राप्त कर अधिभार किया जा रहा हैं वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 2498948-00 | 682520-00 |
| 2 | 2016-17 | 1646825-00 | 1459324-00 |
| 3 | 2017-18 | 1946873-00 | 3698942-00 |
| 4 | 2018-19 | 3177789-00 | 3510240-00 |
| 2 | 2019-20 | 2955607-00 | 1609248-00 |
| | योग | | 10960274-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 10960274-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ओमकार सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - टप्पाखजुरिया** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-305- ग्राम पंचायत टप्पाखजुरिया की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अतः प्रिया साफ्ट के अधार पर डाटा प्राप्त कर अधिभार किया जा रहा हैं। वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 903970-00 | 569500-00 |
| 2 | 2016-17 | 1001548-00 | 380255-00 |
| 3 | 2017-18 | 2415602-00 | 1967285-200 |
| 4 | 2018-19 | 3030358-00 | 3422505-00 |
| 2 | 2019-20 | 4040036-00 | 2574920-00 |
| | योग | | 8914465-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 8914465-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सदाप्यारी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - उमरी शादीपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-306- ग्राम पंचायत उमरी शादीपुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव जितेन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अतः प्रिया साफ्ट के अधार पर डाटा प्राप्त कर अधिभार किया जा रहा हैं। वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1043117-00 | 437000-00 |
| 2 | 2016-17 | 1374553-00 | 1416621-00 |
| 3 | 2017-18 | 1998600-00 | 2142677-00 |
| 4 | 2018-19 | 2546455-00 | 2529805-00 |
| 2 | 2019-20 | 2841878-00 | 2202744-00 |
| | योग | | 8728847-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 8728847-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नीरज चौधरी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश चौधरी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - अंगरासी** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-307- ग्राम पंचायत अंगरासी की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव विवेक कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अतः प्रिया साफ्ट के अधार पर डाटा प्राप्त कर अधिभार किया जा रहा हैं। वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1144988-00 | 1060850-00 |
| 2 | 2016-17 | 1622947-00 | 1685616-00 |
| 3 | 2017-18 | 2024533-00 | 1365220-00 |
| 4 | 2018-19 | 3310704-00 | 3287733-00 |
| 2 | 2019-20 | 3692428-00 | 2178970-00 |
| | योग | | 9578389-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 9578389-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सलिमुन एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - नौवा महमूदपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-308- ग्राम पंचायत नौवा महमूदपुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव विवेक कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अतः प्रिया साफ्ट के अधार पर डाटा प्राप्त कर अधिभार किया जा रहा हैं। वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 949639-00 | 1046020-00 |
| 2 | 2016-17 | 1240696-00 | 1300586-00 |
| 3 | 2017-18 | 1501458-00 | 2162524-00 |
| 4 | 2018-19 | 5030247-00 | 2382838-00 |
| 2 | 2019-20 | 2339253-00 | 2942199-00 |
| | योग | | 9834167-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय

की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 9834167-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री विवेक कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - उदयमलपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-309- ग्राम पंचायत उदयमलपुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव विवेक कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही विभागीय अधिकारियों का घ्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अतः प्रिया साफ्ट के अधार पर डाटा प्राप्त कर अधिभार किया जा रहा हैं। वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 116786-00 | 00 |
| 2 | 2016-17 | 639696-00 | 267694-00 |
| 3 | 2017-18 | 642592-00 | 654825-00 |
| 4 | 2018-19 | 1017398-00 | 1287602-00 |
| | योग | | 2150121-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2150121-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री परमेन्द्र एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - मोह्ददीन पुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-310- ग्राम पंचायत मोह्ददीन पुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव विवेक कुमार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही विभागीय अधिकारियों का घ्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अतः प्रिया साफ्ट के अधार पर डाटा प्राप्त कर अधिभार किया जा रहा हैं।वर्ष 2015-16 एवं 2019-20 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 284333-00 | 717319-00 |
| 2 | 2016-17 | 1225963-00 | 683675-00 |
| 3 | 2017-18 | 1798352-00 | 2025468-00 |
| 4 | 2018-19 | 1941422-00 | 2249703-00 |
| | योग | | 5676165-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 5676165-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रुखसार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - धिमौरा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-311- ग्राम पंचायत धिमौरा की वर्ष 2015-16 से 2016-17 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही विभागीय अधिकारियों का घ्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अतः प्रिया साफ्ट के अधार पर डाटा प्राप्त कर अधिभार किया जा रहा हैं।वर्ष 2015-16 से 2016-17 के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 452863-00 | 306900-00 |
| 2 | 2016-17 | 631549-00 | 773509-00 |
| | योग | | 1080940-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1080940-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शशांक शुक्ला एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री दयाराम से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - कंजासरीफपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-312- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या 01 से रू0 20184.00 की धनराशि प्रशासनिक व्यय बाउचर संख्या 02 से रू0 55000.00 नल रिबोर तथा बाउचर संख्या 08 से हयूम पाइप के लिए रू0 49920.00 व्यय कियें गये। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही कियंे गयें। विवरण निम्नवत्-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 05.04.2019 | 20184.00 | प्रशासनिक व्यय |
| 02 | 02 | 09.04.2019 | 55000.00 | नल रिबोर |
| 03 | 08 | 25.06.2019 | 49920.0 | हयूम पाइप क्रय |
| | | योग | 125104.00 | |

लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक रहित धनराशि की वसूली सम्बन्धित सचिव व ग्राम प्रधान से की जायेगी। अतः व्यय रू0 125104.00 की वसूली ग्राम सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव व ग्राम प्रधान श्री इशरार से समान रूप् से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - अहमदपुरकंजा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-313- वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में रू0 4050.00की धनराशि सोलर लाइट हेतु व्यय दर्शित हैं। बाउचर संख्या 33 दिनांक 23.03.2018 परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहा। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन व्यय गबन माना जाता है जिसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी हैं। अतः रू0 40500.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री श्री अंजनी लाल मौर्या सचिव श्री व ग्राम प्रधान रोशन लाल मौया से समान रूप से की जान अपेक्षित हैं।

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | 23.03.2018 | 40500.00 | सोलर लाइट हेतु व्यय |
| | | योग | 40500.00 | |

प्रस्तर संख्या-314- वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि दिनांक 15.09.2018 को रू0 247666.00 से डस्टबिन क्रय कियें गयें परन्तु लेखा परीक्षा में बाउचर अप्राप्त रहें। अतः प्रमाणक विहिन धनराशि की वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। विवरण निम्नवत् हैं। डस्टबिन क्रय के सम्बन्ध में ग्ा्रम पंचायत का प्रस्ताव व टेंडर प्रक्रिया के प्रपत्र लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किये गये।

| क्रमांक | बाउचर संख्या व दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| | चेक संख्या 09473/15.09.2018 | 247666.00 | डस्टबिन क्रय |
| | बाउचर सं0कैशबुक में अंकित नही थी | योग 247666.00 | |

लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के धारा 8(क) के अनुसार बाउचर विहिन धनराशि को गबन मानतें हुये रू0 247666.00 की वसूली सचिव श्री मुमताज अहमद व ग्राम प्रधान श्री रोशन लाल मौर्या से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - मिरकिल्लीपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-315- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्ष में कैश बुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर सं0 11 से रू0 59400.00 से सामान क्रय, बाउचर सं0 12 से रू0 98000.00 सामग्री क्रय बाउचर सं0 07 से रू0 84200.00 सामग्री क्रय बाउचर सं0 13 से रू0 59400.00 सामग्री क्रय तथा पुनः बाउचर सं0 14 से रू0 657200.00 सामाग्री क्रय अर्थात कुल रू0 240000.00 व्यय किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें। विवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 14.08.2019 | 59400.00 | समाग्री भुगतान |
| 02 | 12 | 14.08.2019 | 64000.00 | मस्टररोल भुगतान |
| 03 | 13 | 14.08.2019 | 59400.00 | समाग्री भुगतान |
| 04 | 14 | 14.08.2019 | 57200.00 | समाग्री भुगतान |
| | | योग | 240000.00 | |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है। कि सामाग्री भुगतान व मस्टर रोल धनराशि का भुगतान दिनांक 14.08.2019 को एक ही तिथि में किया गया । जिससें व्यय धनराशि संदिग्ध प्रतीत होती है। लेखा परीक्षा में सम्बन्धित व्यय प्रमाणक मस्टररोल प्रस्तुत नही कियें गयें

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय(8)के 8(क) के अनुसार व्यय प्रमाणक विहिन धनराशि रू0 240000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री जफीरून व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से समान रूप् से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं

प्रस्तर संख्या-316- ग्राम पंचायत मिरकिल्लीपुर की वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही विभागीय अधिकारियों का घ्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है अतः प्रिया साफ्ट के अधार पर डाटा प्राप्त कर अधिभार किया जा रहा हैं।वर्ष 2015-16 एवं 2018-19के तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 978282-00 | 555637-00 |
| 2 | 2016-17 | 1057209-00 | 537885-00 |
| 3 | 2017-18 | 1279212-00 | 2046265-00 |
| 4 | 2018-19 | 20202620-00 | 2141064-00 |
| | योग | | 5280851-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 5280851-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जफीरून एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री श्री अनिलेश कुमार यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम -सैदापुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-317- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में प्रमणक संख्या 01 द्ववारा दिनांक 02.04.2019 को प्रताप वली टे॰डर्स को रू0 99194.00 का भुगतान किया गया परंन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें। विवरण निम्नवत् हैं।

| क्रमांक | कैश बुक बाउचर संख्या व दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 01 | 01 दिनांक 02.04.2019 | 99194.0 | प्रताप वली टे॰डर्स कों भुगतान खडेजा मरम्मत हेतु |
| | योग | 99194.00 | |

लेखा मैनुअल के अध्याय-08 के धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि को गबन मानते हुये। उसकी वसूल सबन्धित से की जानी अपेक्षित हैं। अतः रू0 99194.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हरिवंश कुमार व सचिव मुमताज अहमद से समान रूप् से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम -बम्हनापुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-318- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि वर्ष दौरान रू0 706555.00 व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक प्रस्तुत नही कियें गयें।विवरण निम्नवत् है-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02.04.2019 | 64560.00 | समाग्री क्रय |
| 02 | 02 | 02.04.2019 | 87200.00 | समाग्री क्रय |
| 03 | 03 | 02.04.2019 | 27500.00 | हैंडपंम्प रिबोर |
| 04 | 04 | 11.04.2019 | 14990.00 | हैंडपंम्प रिबोर |
| 05 | 05 | 19.04.2019 | 10000.00 | कुर्सी मेज क्रय |
| 06 | 06 | 02.05.2019 | 20300.00 | समाग्री क्रय |
| 07 | 08 | 21.05.2019 | 17600.00 | हैंडपम्प मरम्मरत |
| 08 | 09 | 21.05.2019 | 10000.00 | हैंडपंम्प मजदूरी |
| 09 | 10 | 24.05.2019 | 29130.00 | मजदूरी भुगतान |
| 10 | 15 | 25.07.2019 | 9828.00 | मजदूरी भुगतान |
| 11 | 16 | 07.08.2019 | 75600.00 | समाग्री भुगतान |
| 12 | 17 | 08.08.2019 | 20800.00 | मिट्ट्ी ढुलाई भुगतान |
| 13 | 18 | 08.08.2019 | 6552.00 | मजदूरी भुगतान |
| 14 | 23 | 24.12.2019 | 91516.00 | समाग्री भुगतान |
| 15 | 24 | 24.12.2019 | 83863.00 | समाग्री भुगतान |
| 16 | 25 | 31.12.2019 | 40200.00 | मजदूरी भुगतान |
| 17 | 27 | 24.05.2020 | 41510.00 | मजदूरी भुगतान |
| 18 | 28 | 03.03.2020 | 45456.00 | समाग्री भुगतान |
| | | योग | 706555.00 | |

**ग्राम पंचायत का नाम - ककरामऊ** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-319- लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया गया है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि के वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 706555.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पुतान सिंह व सचिव श्री अनिलेश यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की कैशबुक की लेखा परीक्षा से ज्ञात हुआ कि वर्ष के दौरान रू0 1332658.00 के व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही कियें गये। विवरण निम्नवत् है-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 06.04.2019 | 5000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 02 | 2 | 06.04.2019 | 22500.00 | मिटटी पटाई भुगतान |
| 03 | 3 | 06.04.2019 | 24500.00 | उपरोक्त |
| 04 | 4 | 06.04.2019 | 52284.00 | हैंडपम्प सामाग्री |
| 05 | 5 | 08.04.2019 | 32800.00 | तालाब में पानी भराई |
| 06 | 6 | 08.04.2019 | 20100.00 | शौचालय मरम्मत सामाग्री |
| 07 | 7 | 03.05.2019 | 27500.00 | हैंडपम्प रिबोर |
| 08 | 8 | 09.05.2019 | 19530.00 | हैंडपम्प मरम्मत सामाग्री |
| 09 | 9 | 22.05.2019 | 25000.00 | समाग्री क्रय |
| 10 | 10 | 01.06.2019 | 62123.00 | हयूम पाइप क्रय |
| 11 | 12 | 19.06.2019 | 15000.00 | प्रशासनिक व्यय |
| 12 | 13 | 25.06.2019 | 79296.00 | समाग्री भुगतान |
| 13 | 14 | 24.07.2019 | 83535.00 | समाग्री क्रय |
| 14 | 15 | 04.07.2019 | 81475.00 | समाग्री क्रय |
| 15 | 16 | 04.07.2019 | 37910.00 | समाग्री क्रय |
| 16 | 17 | 04.07.2019 | 46514.00 | मजदूरी भुगतान |
| 17 | 18 | 17.07.2019 | 37304.00 | मजदूरी भुगतान |
| 18 | 19 | 17.07.2019 | 84000.00 | ईट क्रय |
| 19 | 20 | 17.07.2019 | 84000.00 | ईट क्रय |
| 20 | 23 | 06.08.2019 | 23478.00 | समाग्री क्रय |
| 21 | 24 | 06.08.2019 | 23478.00 | समाग्री क्रय |
| 22 | 26 | 06.01.2020 | 5000.00 | प्रिया साफ्ट का भुगतान |
| 23 | 27 | 18.01.2020 | 15500.00 | हैंडपम्प मरम्मत सामाग्री |
| 24 | 28 | 18.01.2020 | 16550.00 | मजदूरी भुगतान |
| 25 | 30 | 12.03.2020 | 19690.00 | हैंडपम्प मरम्मत सामाग्री |
| 26 | 31 | 24.03.2020 | 33399.00 | समाग्री भुगतान |
| 27 | 32 | 24.03.2020 | 8260.00 | मजदूरी भुगतान |
| 28 | 33 | 24.03.2020 | 20500.00 | समाग्री भुगतान |
| 29 | 34 | 24.03.2020 | 5040.00 | मजदूरी भुगतान |
| 30 | 35 | 24.03.2020 | 28144.00 | समाग्री भुगतान |
| 31 | 36 | 24.03.2020 | 7000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 32 | 37 | 24.03.2020 | 40987.00 | समाग्री भुगतान |
| 33 | 38 | 24.03.2020 | 10234.00 | मजदूरी भुगतान |
| 34 | 39 | 24.03.2020 | 71322.00 | समाग्री भुगतान |
| 35 | 40 | 24.03.2020 | 20142.00 | मजदूरी भुगतान |
| 36 | 41 | 24.03.2020 | 112611.00 | समाग्री भुगतान |
| 37 | 42 | 24.03.2020 | 33950.00 | मजदूरी भुगतान |
| | | योग | 1332658.00 | |

**ग्राम पंचायत का नाम - केम्हरा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-320- लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 1332658.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री कमालदीन व सचिव श्री अनिलेश यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

वर्ष 2019-20 की कैशबुक की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि वर्ष दौरान व्यय धनराशि रू0 1075110.00 के प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। विवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02.04.2019 | 98000.00 | 20 स्ट्रीट लाइट क्रय |
| 02 | 02 | 25.06.2019 | 47315.00 | ह्यूम पाइप क्रय |
| 03 | 04 | 19.07.2019 | 27500.00 | एक हैंडपम्प रिबोर |
| 04 | 05 | 10.12.2019 | 222019.00 | समाग्री भुगतान |
| 05 | 06 | 10.12.2019 | 198722.00 | समाग्री भुगतान |
| 06 | 07 | 10.12.2019 | 41461.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07 | 09 | 19.12.2019 | 94935.00 | समाग्री भुगतान |
| 08 | 10 | 19.12.2019 | 113195.00 | समाग्री भुगतान |
| 09 | 11 | 31.12.2019 | 61880.00 | मजदूरी भुगतान |
| 10 | 12 | 31.12.2019 | 10738.00 | मजदूरी भुगतान |
| 11 | 13 | 23.03.2020 | 71380.00 | श्री बालाजी सपलयार को भुगतान |
| 12 | 14 | 23.03.2020 | 44995.00 | श्री बालाजी सपलयार को भुगतान |
| 13 | 15 | 24.03.2020 | 43470.00 | श्रीमती अमृता देवी भुगतान |
| | | योग | 1075110.00 | |

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 1075110.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमृता देवी व सचिव श्री अनिलेश यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - सरैयाऊँचा खेरा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-321- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक सख्या (1) व (2) से रू0 13224.00 और प्रमाणक 09,10,व 11 द्वारा रू0 218125.00 तथा प्रमाणक संख्या 19 से 24 तक धनराशि रू0 244805.00 कुल धनराशि रू 595164.00 व्यय की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। विवरण निम्नव्त हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 08.04.2019 | 32950.00 | हैंडपम्प समाग्री भुगतान |
| 02 | 02 | 10.04.2019 | 99284.00 | समाग्री भुगतान |
| 03 | 09 | 06.06.2019 | 62125.00 | ह्यूम पाइप कका भुगतान |
| 04 | 10 | 25.06.2019 | 9800.00 | स्ट्रीट लाइट भुगतान |
| 05 | 11 | 25.06.2019 | 55000.00 | दो हैण्डपम्प रिबोर |
| 06 | 19 | 02.08.2019 | 9500.00 | मिट्टी का भुगतान |
| 07 | 20 | 02.08.2019 | 6500.00 | मिट्टी का भुगतान |
| 08 | 21 | 05.08.2019 | 9828.00 | मजदूरी भुगतान |
| 09 | 22 | 06.08.2019 | 77280.00 | ईट क्रय |
| 10 | 23 | 13.08.2019 | 77280.00 | ईट क्रय |
| 11 | 24 | 13.08.2019 | 64417.00 | ईट क्रय |
| | | योग | 595164.00 | |

**ग्राम पंचायत का नाम - रौरापुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-322- लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 595164.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम कुमारी व सचिव श्री अनिलेश यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक सख्या 01 से 11 तक धनराशि रू0 895229.00 व्यय किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक उपलब्ध नही कराये गयें । विवरण निम्नव्त हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02.04.2019 | 99284.00 | समाग्री भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 05.04.2019 | 38850.00 | मजदूरी भुगतान |
| 03 | 03 | 05.04.2019 | 42875.00 | मजदूरी भुगतान |
| 04 | 04 | 06.04.2019 | 112710.00 | समाग्री भुगतान |
| 05 | 05 | 06.04.2019 | 161210.00 | समाग्री भुगतान |
| 06 | 06 | 06.04.2019 | 165604.00 | समाग्री भुगतान |
| 07 | 07 | 06.04.2019 | 44751.00 | समाग्री भुगतान |
| 08 | 08 | 04.04.2019 | 153820.00 | समाग्री भुगतान |
| 09 | 09 | 06.04.2019 | 6825.00 | मजदूरी भुगतान |
| 10 | 10 | 06.04.2019 | 34650.00 | मजदूरी भुगतान |
| 11 | 11 | 06.04.2019 | 34650.00 | मजदूरी भुगतान |
| | | योग | 895229.00 | |

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 895229.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया खातून व सचिव श्री अनिलेश यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - दनियालपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-323- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर सख्या 01 से 18 तक धनराशि रू0 830568.00 व्यय किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक आवश्यक फाइल व ए0एम बी उपलब्ध नही कराये गयें । विवरण निम्नव्त हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02.04.2019 | 23625.00 | मजदूरी भुगतान |
| 02 | 02 | 02.04.2019 | 22575.00 | मजदूरी भुगतान |
| 03 | 03 | 02.04.2019 | 36575.00 | मजदूरी भुगतान |
| 04 | 04 | 02.04.2019 | 32200.00 | मजदूरी भुगतान |
| 05 | 05 | 02.04.2019 | 26600.00 | हैंडपम्प मरम्मत भुगतान |
| 06 | 06 | 02.04.2019 | 99284.00 | समाग्री भुगतान |
| 07 | 07 | 05.04.2019 | 54000.00 | मिट्टी पटाई व्यय |
| 08 | 08 | 05.04.2019 | 58908.00 | समाग्री भुगतान |
| 09 | 09 | 05.04.2019 | 35806.00 | समाग्री भुगतान |
| 10 | 10 | 05.04.2019 | 96971.00 | समाग्री भुगतान |
| 11 | 11 | 05.04.2019 | 99284.00 | समाग्री भुगतान |
| 12 | 12 | 05.04.2019 | 13650.00 | मजदूरी भुगतान |
| 13 | 13 | 05.04.2019 | 8225.00 | मजदूरी भुगतान |
| 14 | 14 | 05.04.2019 | 9800.00 | मजदूरी भुगतान |
| 15 | 15 | 08.04.2019 | 106231.00 | समाग्री भुगतान |
| 16 | 16 | 08.04.2019 | 42498.00 | समाग्री भुगतान |
| 17 | 17 | 26.04.2019 | 54300.00 | डस्टबीन क्रय |
| 18 | 18 | 26.04.2019 | 10036.00 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| | | योग | 830568.00 | |

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 830568.00 को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तष्पुम निशा व सचिव श्री अनिलेश यादव से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्रामपंचायत का नाम -अमौराबेनीरामा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-324- ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या (11) से दिनांक 21.07.2016 को रू0 33860.00 ईट क्रय व बाउचर संख्या (12) से दिनांक 30.07.2016 को रू0 120940.00 ईट क्रय का भुगतान

मर्डन ब्रिक फिल्ड को किया गया पुनः बाउचर संख्या (13) दिनांक 10.08.2016 को रू0 10638.00 मजदूरी भुगतान व बाउचर संख्या (14) से दिनांक 10.08.2016 को रू0 9396.00 मजदूरी भुगतान किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमणक अप्राप्त रहे।
अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 174834.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती व सचिव श्री आर0के शुक्ल से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।
प्रस्तर संख्या-325- ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्ष में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या (27) से दिनांक 07.01.2017 को रू0 78000.00 का भुगतान ईट क्रय हेतु व बाउचर संख्या (28) दिनांक 09.01.2017 को रू0 76320.00 का भुगतान मार्डन ब्रिक फिल्ड को ईट क्रय हेतु व बाउचर संख्या (23) दिनांक 02.12.20.16 को मस्टर रोल भुगतान रू0 9942.00 व बाउचर संख्या (24) दिनांक 21.12.2016 को मस्टर रोल का भुगतान रू0 12370.00 किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 106432.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती व सचिव श्री आर0के शुक्ल से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।
प्रस्तर संख्या-326- ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या (10) दिनांक 17.10.2017 से रू0 28350.00 सामाग्री क्रय बाउचर संख्या (11) से दिनांक 17.10.2017 को रू0 13440.00 सामाग्री का बाउचर संख्या (12) से दिनांक 17.10.2017 की रू0 6120.00 सामाग्री क्रय बाउचर संख्या (16) दिनांक 18.10.2017 को रू0 483020.00 ईट क्रय तथा बाउचर संख्या (21) से दिनांक 24.10.2017 को रू0 68544.00 से ईट क्रय किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 164774.00.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती व सचिव श्री दयाराम से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।
वर्ष 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2018-19 | 2927115-00 | 4039651-00 |
| | | 2927115-00 | 4039651-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 4039651-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री दयाराम से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या-327- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्ष कैश बुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर स0 07 से दिनांक 06.06.2019 को रू0 49386.00 ईट बाउचर सं0 08 दिनांक 616119.00 से रू0 82390.00 ईट क्रय बा0 सं0 09 से दिनांक 07.06.2019 रू0 151615.00 सामाग्री क्रय बाउचर सं0 10 से दिनांक 07.06.2019 से रू0 137500 हैं हैंड पम्प 05 रिबोर बाउचर सं0 11 दिनांक 07.06.2019 को रू0 38402.00 मजदूरी भुगतान कुल धनराशि रू0 522629.00 परंन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें । लेखा मैनुअल के अघ्याय -8 के खंड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शाया गए व्यय के सापेक्षा कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है

तो सबन्धित धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी अतः धनराशि रू0 522629.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - अमौरामोती सिंह** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-328- ग्राम पंचायत अमौरामोती सिंह की लेखा परीक्षा वर्ष 2015-16 से 2018-19 के अभिलेख अप्राप्त रहे जिसका प्रिय साफ्ट से अधिभार किया जा रहा है

वर्ष 2015-16 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 770953-00 | 603475-00 |
| | 2016-17 | 1006834-00 | 652400-00 |
| | 2017-18 | 1222886-00 | 1339908-00 |
| | 2018-19 | 1920608-00 | 1573499-00 |
| | | | 4169282-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 4169282-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विमल सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिलेश कुमार सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-329- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा कैश बुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर स0 06 से दिनांक 26.02.2020 को रू0 19890.00 हैड पम्प मरम्मत सामाग्री बाउचर सं0 07 दिनांक 26.02.2020 से रू0 19525.00 हैड पम्प मरम्मत सामाग्री पर व्यय किये गये। अर्थात कुल धनराशि रू0 39415.00 व्यय किये गये । परंन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें । अतः लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शाया गए व्यय के सापेक्षा कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो सबन्धित धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी अतः धनराशि रू0 39415 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विमल सिंह व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - बिरैचा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-330- वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 962340-00 | 721812-00 |
| | | 962340-00 | 721812-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 721812-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चनादेवी एवं

तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री दयाराम से  ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-331- ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या (19) से (24) तक रू0 47200.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 283200.00 का व्यय सोलर क्रय हेतु किया गया परन्तु लेखा परीक्षा कोटेशन प्रस्तुत नही किये गये सरकारी शासनादेश के क्रम में रू0 20000.00 से ऊपर की सामाग्री क्रय पर कोटेशन किया जाना अनिवार्य हैं। अतः रू0 283200.00 के व्यय में गंम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी, जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व सचिव श्री आर के शुक्ल है। जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर संख्या-332-  ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैश बुक से ज्ञात हुआ कि माह सितम्बर 2017 से माह अक्टुबर 2017 तक प्रमाणक संख्या 11 से 72 तक कुल धनराशि रू0 1163054.00 का व्यय विभिन्न कार्यो व सामाग्री क्रय किया गया। जिसमें माह सितम्बर-2017 में रू. 552864.00 व माह अक्टुबर-2017 में रू0 610190.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 1163054.00 परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। विवरण निम्नवत्-

| क्रमांक | माह | प्रमाणक सं0 | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सितम्बर-2017 | 11 से 49 तक | 01.09.2017 से 27.09.2017 | 552864.00 | विभिन्न सामाग्री ईट क्रय मजदूरी भुगतान |
| 02 | अक्टुबर-2017 | 50 से 72 तक | 06.10.2017 से 31.10.2017 | 610190.00 | हैंडपम्प मरम्मत सोलर लाइट ईट क्रभुगतान |
| | | | योग | 1163054.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 1163054.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से समान रूप से  ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-333- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या (40) से दिनांक 29.09.2018 को रू0 46765.00 जय बाला जी ट्रेडर्स को डस्टबिन भुगतान हेतु व प्रमाणक संख्या (52) से दिनांक 10.10.2018 को रू0 144480.00 का भुगतान पी0के0 बैटरी को 30 स्ट्रीट लाइट हेतु किया गया अर्थात कुल रू0 291245.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 291245.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से समान रूप से  ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-334- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक सख्या 01-04 तक माह अप्रैल में रू0 508924.00 व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। विवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 02.04.2019 | 166656.00 | जय बाका जी को भुगतान सामाग्री |
| 02 | 02 | 02.04.2019 | 167328.00 | ठाकुर टे॰डर्स को भुगतान सामाग्री |
| 03 | 03 | 02.04.2019 | 168000.00 | म्गलय हैडिग कम्पनी को भुगतान |
| 04 | 04 | 20.04.2019 | 6940.00 | जिला उद्यान अधिकारी को भुगतान |
| | | योग | 508924.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 508924.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से समान रूप से  ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं

प्रस्तर संख्या-335-  ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि माह दिसम्बर-2019 से माह मार्च-2020 तक प्रमाणक संख्या 21 से 32 तक रू0 1902099.00 व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। विवरण निम्नवत् हैं। माह दिसम्बर-2019 में रू0 767109.00 व माह जनवरी-2020 में रू0 538110.00 माह फरवरी-2020 में

रू0 428355.00 व माह मार्च-2020 में रू0 168525.00 हैं लेखा मैनुअल के अध्याय 8के खण्ड (क) प्राविधान के अनुसार यदि दर्शयें गये व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक उपलब्ध न होतो दर्शयी।

| क्रमांक | प्रमाणक सं0 | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 12.12.2019 | 393234.00 | जय बालाजी को भुगतान |
| 02 | 22 | 12.12.2019 | 336000.00 | प्रसाद ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 03 | 23 | 16.12.2019 | 19900.00 | शकीय टेªडर्स को भुगतान |
| 04 | 24 | 16.12.2019 | 17795.00 | शकीय टेªडर्स को भुगतान |
| 05 | 25 | 04.01.2020 | 30940.00 | मजदूरी भुगतान |
| 06 | 26 | 04.01.2020 | 29848.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07 | 27 | 04.01.2020 | 34748.00 | मजदूरी भुगतान |
| 08 | 28 | 14.01.2020 | 69146.00 | जय बालाजी को भुगतान |
| 09 | 29 | 14.01.2020 | 112593.00 | जय बालाजी को भुगतान |
| 10 | 30 | 14.01.2020 | 136123.00 | जय बालाजी को भुगतान |
| 11 | 31 | 14.01.2020 | 95760.00 | जय बालाजी को भुगतान |
| 12 | 32 | 14.01.2020 | 28952.00 | मजदूरी भुगतान |
| 13 | 33 | 07.01.2020 | 428250.00 | जय बालाजी को भुगतान |
| 14 | 35 | 12.03.2020 | 35000.00 | मानदेय भुगतान |
| 15 | 36 | 24.03.2020 | 32375.00 | शकीय टेªडर्स को भुगतान |
| 16 | 37 | 24.03.2020 | 71302.00 | मजदूरी भुगतान |
| 17 | 38 | 24.03.2020 | 29848.00 | मजदूरी भुगतान |
| | | योग | 1902099.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पचायत सचिव से की जायेगी अतः उपरोक्त व्यय कुल धनराशि रू0 1902099.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना देवी व सचिव श्री अजय कुमार गौतम से समान रूप् से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - शेरपुरसरावा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-336- वर्ष 2015-16 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 2263982-00 | 825675-00 |
| 02 | 2016-17 | 1663660-00 | 1891145-00 |
| 03 | 2017-18 | 2214973-00 | 2086429-00 |
| 04 | 2018-19 | 3134643-00 | 3619032-00 |
| 05 | | योग | 8422281-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है।इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 8422281-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आशादेवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-337- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि दिसम्बर-2019 में रू0 937301.00 व्यय किये गये व फरवरी-2020 में रू0 290054.00 व्यय किये गये व मार्च-2020 में रू0 299872.00 व्यय किये गये कुल रू0 1527227.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा मे प्रमाणक अप्राप्त रहें व व्यय प्रमाणक सख्या 00 भी नही डाली गयी। विवरण निम्नवत् है-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | - | 06.12.2019 | 135135.00 | प्रताप वली टेªडर्स से सामाग्री |
| 02 | - | 06.12.2019 | 132405.00 | प्रताप वली टेªडर्स से सामाग्री |
| 03 | - | 06.12.2019 | 156293.00 | प्रताप वली टेªडर्स से सामाग्री |
| 04 | - | 07.12.2019 | 194285.00 | जय बाला जी को भुगतान सामाग्री |
| 05 | - | 07.12.2019 | 186323.00 | जय बाला जी को भुगतान सामाग्री |
| 06 | - | 13.12.2019 | 50960.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07 | - | 17.12.2019 | 45500.00 | मजदूरी भुगतान |
| 08 | - | 17.12.2019 | 36400.00 | मजदूरी भुगतान |
| 09 | - | 11.02.2019 | 82500.00 | एम0के मशीनरी को हैण्डपंम्प रिबोर |
| 10 | - | 12.02.2019 | 47684.00 | मजदूरी भुगतान |
| 11 | - | 18.02.2020 | 159870.00 | प्रताप वली टेªडर्स से सामाग्री |
| 12 | - | 07.03.2020 | 43830.00 | प्रताप वली टेªडर्स से सामाग्री |
| 13 | - | 07.03.2020 | 45167.00 | प्रताप वली टेªडर्स से सामाग्री |
| 14 | - | 12.03.2020 | 96915.00 | जय बाला जी को भुगतान सामाग्री |
| 15 | - | 12.03.2020 | 18200.00 | मजदूरी भुगतान |
| 16 | - | 24.03.2020 | 95760.00 | ह्यूम क्रय हेतु जय बाला जी को भुगतान |
| | | योग | 1527227-00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 1527227.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व सचिव श्री अजय कुमार गौतम से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - मजलिसपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-338- वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 773235-00 | 434768-00 |
| | | योग | 434768-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 434768-00का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती विमलादेवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री आर0के0 शुक्ला से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-339- ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कैश बुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक सं0 03 से दिनांक 09.05.2016 को रू0 28640.00 नल मरम्मत हेतु इम्तियाज इण्टर प्राइजेज को भुगगतान किया गया। पुनःप्रमाणक सं0 05 से दिनांक 08.07.2016 को रू0 15600.00 इम्तियाज इण्टर प्राइजेज को नल मरम्मत हेतु भुगतान किया गया व पुनः बाउचर सं0 24 से दिनांक 02.11.2016 को रू0 46500.00 मिश्रा में फर्टिलाइजर्स को भुगतान किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। जबकि कुल व्यय धनराशि रू0 90740.00 रही। । अतः लेखा मैनुअल के अध्याय -8 के खंड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शाया गए व्यय के सापेक्षा कोई प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो सबन्धित धनराशि को गबन मानते हुये इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी अतः धनराशि रू0 90740.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी व सचिव श्री मुमताज अहमद से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-340- ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 07 से दिनांक 26.09.2017 को रू0 175200.00 भारत सोलर हाउस बिसंवा को 08 सोलर लाइट हेतु व्यय दर्शित हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमणाक अप्राप्त रहा। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 175200.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी व सचिव श्री मुमताज अहमद से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-341- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 08 से दिनांक 20.08.2018 को रू0 247665.00 ठाकुर टेªडर्स को डस्टबिन क्रय हेतु दिया गया व प्रमाणक संख्या 10 से रू0 240800.00 दिनांक 20.08.2018 को स्ट्रीट लाइट हेतु व्यय किया गया, परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये। अतः लेेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 48846.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमार व सचिव श्री मुमताज अहमद से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-342- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 01 से 36 तक माह अप्रैल-2019से माह मार्च-2020 तक कुल धनराशि रू0 1225582.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया लेेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 1225582.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमार व सचिव श्री अजय कुमार गौतम से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - सोनारी** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-343- वर्ष 2015-16 व 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 956790-00 | 1625443-00 |
| 02 | 2016-17 | 1332756-00 | 585502-00 |
| 03 | | योग | 2210945-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2210945-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रेम एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अंजनी लाल मौर्या से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-344- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर सख्या 31 से 36 तक धनराशि रू0 व्यय किया गया। जिससे सामाग्री क्रय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। विवरण निम्नव्त हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 31 | 15.11.20218 | 125126.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| 02 | 32 | 15.11.20218 | 125596.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| 03 | 33 | 15.11.20218 | 47621.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| 04 | 34 | 15.11.20218 | 53760.00 | विजय ईट उद्योग |
| 05 | 35 | 16.11.20218 | 125624.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| 06 | 36 | 16.11.2018 | 11000.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| | | योग | 588727.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 588728.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान प्रेम व सचिव श्री मुमताज अहमद से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-345- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या 01-07 तक रू0 178190.00 व्यय किये गये जिससे बाला जी ट्रेडर्स से सामाग्री क्रय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा मे प्रमाणक अप्राप्त रहे। विवरण निम्नवत् है-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 03.04.2019 | 31301.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| 02 | 02 | 03.04.2019 | 31245.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| 03 | 03 | 03.04.2019 | 6584.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| 04 | 04 | 03.04.2019 | 14931.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| 05 | 05 | 03.04.2019 | 29775.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| 06 | 06 | 05.04.2019 | 20000.00 | सेठ ट्रेडस लाल चंन्द को भुगतान |
| 07 | 07 | 05.04.2019 | 44354.00 | जय बाला ट्रेडर्स का भुगतान |
| | | योग | 178190.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 178190.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान प्रेम व सचिव श्री मुमताज अहमद से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - रिखोना** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-346- ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या अंकित नही थी दिनांक 22.03.2016 को रू0 37600.00 हैण्ड पंम्प सामाग्री पर व्यय किये गये हैं। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 37600.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान ध्रुव कुमार व सचिव श्री दयाराम से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-347- ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक सख्या 03 दिनांक 27.04.2016 को रू0 12090.00 से सीमेन्ट क्रय व प्रमाणक संख्या 32 दिनांक 18.01.2017 को ईट क्रय रू0 50410.00 कुल धनराशि

रू0 62500.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः लेेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 62500.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुफिसा व सचिव श्री दयाराम से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-348- ग्राम पंचायत के वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संाख्या 64 दिनांक 15.03.2018 के रू0 86000.00 से 20 स्ट्रीट लाइट का भुगतान आर0 के0 एजेंसी व प्रमाणक संख्या 65 से दिनांक 1603.2018 को 10 स्ट्रीट लाइट का भुगतान आर0के0 एजेन्सी को धनराशि रू0 43000.00 अर्थात पुनः प्रमाणक संख्या 66 से दिनांक 17.03.2018 को रू0 43000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0 172000.00 किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः लेेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 172000.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुफिसा व सचिव श्री इफ्खिर से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-349- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में प्रमाणक संख्या 44 से दिनांक 22.06.2018 को रू0 98900.00 का भुगतान शिव इण्टर प्राइसेसे को 23 स्ट्रीट लाइट के लिए किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः लेेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 98900.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुफिसा व सचिव श्री इफ्खिर से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - बड़ागाव** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-350- ग्राम पंचायत बड़ागाव की वर्ष 2015-16 व 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 व 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1167231-00 | 1216740-00 |
| 02 | 2016-17 | 1546104-00 | 1548965-00 |
| 03 | 2017-18 | 1879152-00 | 364245-00 |
| 04 | 2018-19 | 3008477-00 | 2242065-00 |
| | | योग | 5372015-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 5372015-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लतिफ एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री ए0के० गोस्वामी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-351- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि माह मई-2019 से फरवरी-2020 तक बाउचर सं0 01 से 38 तक रू0 4854571.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में सभी प्रमाणक अप्राप्त रहें। निवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 08.05.20219 | 170841.00 | ठाकुर टेण्डर्स का भुगतान |
| 02 | 02 | 08.05.20219 | 159482.00 | ठाकुर टेण्डर्स का भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 03 | 08.05.20219 | 168101.00 | मंागलम टेªडर्स कम्पनी को भुगतान |
| 04 | 04 | 08.05.20219 | 170483.00 | जय बाला जी को भुगतान |
| 05 | 05 | 08.05.20219 | 162140.00 | जय बाला जी को भुगतान |
| 06 | 06 | 08.05.20219 | 186021.00 | जय बाला जी को भुगतान |
| 07 | 07 | 15.05.2019 | 1398.00 | जिला उद्यान अधिकारी को भुगतान |
| 08 | 08 | 20.05.2019 | 185178.00 | मंागलम टेªडर्स कम्पनी को भुगतान |
| 09 | 09 | 20.05.2019 | 161483.00 | मंागलम टेªडर्स कम्पनी को भुगतान |
| 10 | 10 | 20.05.2019 | 186111.00 | जय बाला जी को भुगतान |
| 11 | 11 | 27.05.2019 | 131410.00 | ठाकुर टेªडर्स का भुगतान |
| 12 | 12 | 27.05.2019 | 166362.00 | ठाकुर टेªडर्स का भुगतान |
| 13 | 13 | 27.05.2019 | 187445.00 | मंागलम टेªडर्स कम्पनी को भुगतान |
| 14 | 14 | 27.05.2019 | 188680.00 | ठाकुर टेªडर्स का भुगतान |
| 15 | 15 | 27.05.2019 | 49194.00 | प्रताप टेªडर्स का भुगतान |
| 16 | 16 | 27.05.2019 | 92575.00 | मजदूरी भुगतान |
| 17 | 17 | 27.05.2019 | 85175.00 | मजदूरी भुगतान |
| 18 | 18 | 31.05.2019 | 187075.00 | जय बाला जी को भुगतान |
| 19 | 19 | 31.05.2019 | 185940.00 | जय बाला जी को भुगतान |
| 20 | 20 | 31.05.2019 | 186985.00 | जय बाला जी को भुगतान |
| 21 | 21 | 05.07.2019 | 154110.00 | प्रताप टेªडर्स का भुगतान |
| 22 | 22 | 09.08.2019 | 59675.00 | मजदूरी भुगतान |
| 23 | 23 | 09.08.2019 | 61250.00 | मजदूरी भुगतान |
| 24 | 24 | 09.08.2019 | 61775.00 | मजदूरी भुगतान |
| 25 | 25 | 09.08.2019 | 63200.00 | मजदूरी भुगतान |
| 26 | 26 | 09.08.2019 | 60725.00 | मजदूरी भुगतान |
| 27 | 27 | 09.08.2019 | 61775.00 | मजदूरी भुगतान |
| 28 | 28 | 09.08.2019 | 8050.00 | मजदूरी भुगतान |
| 29 | 29 | 13.08.2019 | 81700.00 | मजदूरी भुगतान |
| 30 | 30 | 13.08.2019 | 53550.00 | मजदूरी भुगतान |
| 31 | 31 | 13.08.2019 | 55475.00 | मजदूरी भुगतान |
| 32 | 32 | 13.08.2019 | 125000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 33 | 33 | 13.08.2019 | 70000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 34 | 34 | 13.08.2019 | 238800.00 | मजदूरी भुगतान |
| 35 | 35 | 18.02.2020 | 22920.00 | हैण्डपंम्प मरम्मत सामाग्री क्रय इफ्तिाक |
| 36 | 36 | 18.02.2020 | 188933.00 | शुक्ला टेªडर्स का भुगतान |
| 37 | 37 | 18.02.2020 | 195902.00 | शुक्ला टेªडर्स का भुगतान |
| 38 | 38 | 18.02.2020 | 156667.00 | शुक्ला टेªडर्स का भुगतान |
| | | योग | 4854571.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 4854571.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान लतीफ व सचिव श्री अजय कुमार गौतम से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - मोहराईकला** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-352- ग्राम पंचायत मोहराईकला की वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।वर्ष 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2016-17 | 646995-00 | 453956-00 |
| | | योग | 453956-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 453956-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री निर्मल सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-353- ग्राम पंचायत वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैश बुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक सं0 06 से 24 तक रू0 573166.00 को कई कार्यो पर व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक पस्तुत नही किया गयां अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 573166.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।विवरण निम्नव्त हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06 | 10.10.2017 | 5000.00 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 02 | 07 | 10.10.2017 | 5000.00 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 03 | 08 | 10.10.2017 | 5000.00 | प्रशानिक व्यय |
| 04 | 09 | 10.10.2017 | 1925.00 | एम0के0 मशीनरी स्टोर का भुगतान |
| 05 | 10 | 10.10.2017 | 67000.00 | एम0के0 मशीनरी स्टोर का भुगतान |
| 06 | 11 | 10.10.2017 | 67000.00 | एम0के0 मशीनरी स्टोर का भुगतान |
| 07 | 12 | 10.10.2017 | 67000.00 | एम0के0 मशीनरी स्टोर का भुगतान |
| 08 | 13 | 10.10.2017 | 26500.00 | एम0के0 मशीनरी स्टोर का भुगतान |
| 09 | 14 | 10.10.2017 | 26500.00 | एम0के0 मशीनरी स्टोर का भुगतान |
| 10 | 15 | 10.10.2017 | 26500.00 | एम0के0 मशीनरी स्टोर का भुगतान |
| 11 | 16 | 10.10.2017 | 26500.00 | एम0के0 मशीनरी स्टोर का भुगतान |
| 12 | 17 | 10.10.2017 | 67000.00 | एम0के0 मशीनरी स्टोर का भुगतान |
| 13 | 18 | 10.10.2017 | 19700.00 | हैण्डपम्प मरम्मत सामाग्री क्रय |
| 14 | 19 | 11.10.2017 | 27000.00 | बाला जी टेªडर्स कम्पनी को भुगतान |
| 15 | 20 | 1 2.10.2017 | 30000.00 | बाला जी टेªडर्स कम्पनी को भुगतान |
| 16 | 21 | 12.10.2017 | 4900.00 | हैण्डपंम्प मिस्त्री को भुगतान |
| 17 | 22 | 12.10.2017 | 4900.00 | हैण्डपंम्प मिस्त्री को भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 23 | 13.10.2017 | 32640.00 | भारत ईट उद्योग को भुगतान |
| 19 | 24 | 13.10.2017 | 45696.00 | भारत ईट उद्योग को भुगतान |
| | | योग | 573166.00 | |

अतः उपरोक्त कुल व्यय धनराशि रू0 573166.00को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती निशा सिंह व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से समान रूप् से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-354- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक सख्या 04 से 07 तक दिनांक 26.09.2018को कुल धनराशि रू0 496300.00 स्ट्रीस लाइट पर व्यय की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। विवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्य | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04 | 26.09.2018 | 240800.00 | 50 स्ट्रीस लाइट क्रय मंगलम टे॰डर्स |
| 02 | 05 | 26.09.2018 | 240800.00 | 50 स्ट्रीस लाइट क्रय मंगलम टे॰डर्स |
| 03 | 06 | 26.09.2018 | 7350.00 | स्ट्रीस लाइट लगवायी मिस्त्री भुगतान |
| 04 | 07 | 26.09.2018 | 7350.00 | स्ट्रीस लाइट लगवायी मिस्त्री भुगतान |
| | | | 496300.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 496300.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान निशा सिंह व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - धोंधी** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-355- ग्राम पंचायत धोंधी की वर्ष 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2016-17 | 764306-00 | 774306-00 |
| | 2017-18 | 942569-00 | 728167-00 |
| | | योग | 1502473-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1502473-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधा सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-356- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक सं0 01 से दिनांक 03.04.2018 को रू0 5261.00 मिटटी ट्रोली का भुगतान प्रमाणक सं0 02 से 04.04.2018 को रू0 127591.00 ईट क्रय पर व्यय किया गया कुल धनराशि रू0 132852.00 व्यय कि गई परन्तु लेखा परीक्षा में कोई प्रमाणक पस्तुत नही किये गये। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 132852.00 को गबन

मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुधा सिंह व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-357- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 12 प्रमाणक 47 तक माह अगस्त-2018 से माह नवम्बर-2018 तक कुल धनराशि रू0 1064806.00 व्यय किए गये जिसमें कोई भी प्रमाणक प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये। विवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 18.08.2018 | 2000.00 | कुलदीप को भुगतान |
| 02 | 13 | 20.08.2018 | 9625.00 | हयूम पाइप का भुगतान |
| 03 | 14 | 23.08.2018 | 5000.00 | प्रिया साफ्ट फिडिग |
| 04 | 15 | 23.08.2018 | 70000.00 | श्री बालाजी ग्रामीण उद्योग को भुगतान |
| 05 | 16 | 30.08.2018 | 38500.00 | मजदूरी भुगतान |
| 06 | 17 | 30.08.2018 | 10247.00 | प्रेम को भुगतान |
| 07 | 18 | 30.08.2018 | 59136.00 | सोना ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 08 | 19 | 30.08.2018 | 33600.00 | सोना ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 09 | 20 | 30.08.2018 | 84000.00 | प्रसाद ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 10 | 21 | 26.09.2018 | 80640.00 | सोना ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 11 | 22 | 26.09.2018 | 67200.00 | सोना ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 12 | 23 | 26.09.2018 | 80640.00 | मंागलम टेªडिग कम्पनी को भुगतान |
| 13 | 24 | 26.09.2018 | 96300.00 | जय बाला जी को भुगतान |
| 14 | 25 | 26.09.2018 | 118591.00 | वर्मा टेªडिग कम्पनी को भुगतान |
| 15 | 26 | 08.10.2018 | 15000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 16 | 27 | 15.10.2018 | 4900.00 | मजदूरी भुगतान |
| 17 | 28 | 15.10.2018 | 4900.00 | मजदूरी भुगतान |
| 18 | 29 | 15.10.2018 | 4900.00 | मजदूरी भुगतान |
| 19 | 30 | 15.10.2018 | 4900.00 | मजदूरी भुगतान |
| 20 | 31 | 22.10.2018 | 24325.00 | मजदूरी भुगतान |
| 21 | 32 | 22.10.2018 | 35175.00 | मजदूरी भुगतान |
| 22 | 33 | 22.10.2018 | 29925.00 | मजदूरी भुगतान |
| 23 | 34 | 22.10.2018 | 15976.00 | प्रेम को भुगतान |
| 24 | 35 | 22.10.2018 | 6770.00 | प्रेम को भुगतान |
| 25 | 36 | 22.10.2018 | 5686.00 | मजदूरी भुगतान |
| 26 | 37 | 26.10.2018 | 9800.00 | मजदूरी भुगतान |
| 27 | 38 | 26.10.2018 | nil | nil |
| 28 | 39 | 29.10.2018 | 14784.00 | सोना ब्रिक फिल्ड को भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 40 | 29.10.2018 | 12096.00 | सोना ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 30 | 41 | 29.10.2018 | 13440.00 | सोना ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 31 | 42 | 05.11.2018 | 39200.00 | मजदूरी भुगतान |
| 32 | 43 | 05.11.2018 | nil | nil |
| 33 | 44 | 13.11.2018 | 4900.00 | मिस्त्री को भुगतान |
| 34 | 45 | 27.11.2018 | 9800.00 | मजदूरी भुगतान |
| 35 | 46 | 27.11.2018 | 9800.00 | मजदूरी भुगतान |
| 36 | 47 | 29.11.2019 | 14890.00 | वर्मा टे्डिग कम्पनी को भुगतान |
| | | योग | 1064806.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 1064806.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान सुधा सिंह व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - दूधरा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-358- ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 04 व 05 से दिनांक 02.06.2016 को क्रमशः रू0 21496.00 व रू0 23800.00 से ईट क्रय किया गया। अर्थात कुल धनराशि रू0 45496.00 व्यय की गयी। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाण्क अप्राप्त रहे। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 45496.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान राममिलन व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-359- ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 05 प्रमाणक 13 तक कुल धनराशि रू0 144460.00 को कई कार्यो पर व्यय किया गया प्रस्तुत लेखा परीक्षा में कोई भी प्रमाणक पस्तुत नही किये गये। विवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5 | 03.07.2017 | 8960.00 | तालाब पानी भरवाई |
| 02 | 6 | 03.07.2017 | 48000.00 | सोना ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 03 | 7 | 06.07.2017 | 210000.00 | सोना ब्रिक फिल्ड को भुगतान |
| 04 | 8 | 06.07.2017 | 20000.00 | - |
| 05 | 9 | 11.07.2017 | 5000.00 | हैण्डपंम्प मरम्मत भुगतान |
| 06 | 10 | 18.07.2017 | 13500.00 | उजेर आयरन स्टोर को भुगतान |
| 07 | 11 | 21.07.2017 | 3000.00 | राहुल शुक्ल को भुगतान |
| 08 | 12 | 21.07.2017 | 20000.00 | जकिर मशीनरी स्टोर को भुगतान |
| 09 | 13 | 25.07.2017 | 5000.00 | हैण्डपंम्प मरम्मत भुगतान |
| | | योग | 144460.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 144460.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान राममिलन व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-360- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 10 प्रमाणक 17 तक कुल धनराशि रू0 10250.00 को कई कार्यो पर व्यय किया गया है प्रस्तुत लेखा परीक्षा में कोई भी प्रमाणक पस्तुत नही किये गये। विवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10 | 02.06.2018 | 5000.00 | हैण्डपंम्प मरम्मत भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 11 | 02.06.2018 | 12050.00 | देवेदेवशर खाद्य भण्डार को भुगतान |
| 03 | 12 | 04.06.2018 | 15000.00 | देवेदेवशर खाद्य भण्डार को भुगतान |
| 04 | 13 | 15.06.2018 | 11500.00 | उजेर आयरन स्टोर को भुगतान |
| 05 | 14 | 15.06.2018 | 14900.00 | कूप मरम्मत मजदूरी भुगतान |
| 06 | 15 | 15.06.2018 | 15000.00 | देवेदेवशर खाद्य भण्डार को भुगतान |
| 07 | 16 | 15.06.2018 | 7000.00 | प्रधान जी का मानदेय |
| 08 | 17 | 19.06.2018 | 22050.00 | नवीन ईट उद्योग को भुगतान |
| | | योग | 102500.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 10250.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान राममिलन व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - परसेण्डी** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-361- ग्राम पंचायत **परसेण्डी** की वर्ष 2016-17 व 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 से 2017-18 के लेखा परीक्षा कराए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। वर्ष 2016-17 से 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01 | 2016-17 | 00 | 552520-00 |
| 02 | 2017-18 | 3749296-00 | 2884137-00 |
| | | योग | 3436657-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 3436657-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती आइशा खातून एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री कृपा शंकर राय से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-362- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 15 से दिनांक 14.12.2018 को कुल धनराशि रू0 72677.00 का भुगतानप नेशनल टेªडिगं कम्पनी को किया गया है प्रस्तुत लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः लेेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 72677.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आईसा खातून व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-363- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 42 से 55 तक कुल धनराशि रू0 5934425.00 कई कार्यो पर व्यय किया गया। प्रस्तुत नही किये गया। प्रस्तुत लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। विवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 42 | 01.03.2019 | 55125.00 | मजदूरी भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 43 | 01.03.2019 | 51625.00 | मजदूरी भुगतान |
| 03 | 44 | 01.03.2019 | 7000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 04 | 45 | 01.03.2019 | 9800.00 | मजदूरी भुगतान |
| 05 | 46 | 01.03.2019 | 14700.00 | मजदूरी भुगतान |
| 06 | 47 | 01.03.2019 | 55475.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07 | 48 | 01.03.2019 | 56175.00 | मजदूरी भुगतान |
| 08 | 49 | 01.03.2019 | 51275.00 | मजदूरी भुगतान |
| 09 | 50 | 01.03.2019 | 56875.00 | मजदूरी भुगतान |
| 10 | 51 | 01.03.2019 | 56875.00 | मजदूरी भुगतान |
| 11 | 52 | 01.03.2019 | 41125.00 | मजदूरी भुगतान |
| 12 | 53 | 01.03.2019 | 41650.00 | मजदूरी भुगतान |
| 13 | 54 | 01.03.2019 | 47950.00 | मजदूरी भुगतान |
| 14 | 55 | 01.03.2019 | 47775.00 | मजदूरी भुगतान |
| | | योग | 493425.00 | |

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 493425.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आईसा खातून व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से समान रूप से  ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-364-  ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 36 से 57 तक कुल धनराशि रू0 255500.00 कई कार्यो पर व्यय किया गया। प्रस्तुत नही किये गया। प्रस्तुत लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। विवरण निम्नवत् हैं

विवरण

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 36 | 01.06.2019 | 20902.00 | मजदूरी भुगतान |
| 02 | 37 | 01.06.2019 | 48356.00 | बाला जी को भुगतान |
| 03 | 38 | 01.06.2019 | 31976.00 | मजदूरी भुगतान |
| 04 | 39 | 01.06.2019 | 10850.00 | मजदूरी भुगतान |
| 05 | 40 | 01.06.2019 | 2450.00 | मजदूरी भुगतान |
| 06 | 41 | 01.06.2019 | 20020.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07 | 42 | 01.06.2019 | 13940.00 | मजदूरी भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 43 | 01.06.2019 | 9450.00 | मजदूरी भुगतान |
| 09 | 44 | 01.06.2019 | 3500.00 | मजदूरी भुगतान |
| 10 | 45 | 01.06.2019 | 3640.00 | मजदूरी भुगतान |
| 11 | 46 | 01.06.2019 | 2730.00 | मजदूरी भुगतान |
| 12 | 47 | 01.06.2019 | 8736.00 | मजदूरी भुगतान |
| 13 | 48 | 01.06.2019 | 5278.00 | मजदूरी भुगतान |
| 14 | 49 | 01.06.2019 | 4914.00 | मजदूरी भुगतान |
| 15 | 50 | 01.06.2019 | 5096.00 | मजदूरी भुगतान |
| 16 | 51 | 01.06.2019 | 8918.00 | मजदूरी भुगतान |
| 17 | 52 | 01.06.2019 | 12376.00 | मजदूरी भुगतान |
| 18 | 53 | 01.06.2019 | 8190.00 | मजदूरी भुगतान |
| 19 | 54 | 01.06.2019 | 6006.00 | मजदूरी भुगतान |
| 20 | 55 | 01.06.2019 | 6188.00 | मजदूरी भुगतान |
| 21 | 56 | 01.06.2019 | 6552.00 | मजदूरी भुगतान |
| 22 | 57 | 01.06.2019 | 15932.00 | प्रशासनिक व्यय |
| | | योग | 1255500.00 | |

अतः लेेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 255500.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आईसा खातून व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - गुजरा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-365- ग्राम पंचायत **गुजरा** की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 से 2017-18 के लेखा परीक्षा कराए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। वर्ष 2015-16 से 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1238015-00 | 903320-00 |
| 02 | 2016-17 | 1658499-00 | 1586760-00 |
| 03 | 2017-18 | 1975539-00 | 1818104-00 |
| | | योग | 4308184-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 4308184-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम कुमारी सिंह एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-366- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 29 से दिनांक 14-09-2018 को रू0 247666-00 डस्टबिन पर व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में कोई भी प्रमाणक पस्तुत नही किये गये।
अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 247666-00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्याम कुमारी व सचिव श्री मुमताज अहमद से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - रवासी** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-367- ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 36 से रू0 45000.00 व प्रमाणक संख्या 37 से रू0 45000.00 को भुगतान दिनांक 28.02.2018 को फिल्ड मार्मल एजेसी को तथा पुनः दिनांक 31.03.2018 को प्रमाणक संख्या 41 व प्रमाणक संख्या 42 से धनराशि रू0 39000.00 व रू0 39000.00 किया गया। अतः कुल व्यय धनराशि रू0 168000.00 से सापेक्ष कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 168000.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान सतीश कुमार व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।
प्रस्तर संख्या-368- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 08 से रू0 44470.00 व प्रमाणक संख्या 09 से रू0 57811.00 को भुगतान दिनांक 23.08.2018 को क्रमशः 10 व 09 स्ट्रीट लाइट हेतु दीपक इण्टर प्राइजेज को किया गया। परन्तु कुलय व्यय धनराशि रू0 102281.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 102281.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान सतीश कुमार व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - दसेलिया** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-369- ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 01 से दिनांक 08.04.2015 को रू0 99200.00 का भुगतान साई जी ब्रिक फिल्ड को ई के लिए किया गया किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 99200.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान मुन्ना लाल व सचिव श्री जे0पी0 शुक्ला से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (2) ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 17 से दिनांक 01.10.2016 को कृपिका कटियार को भुगतान सामाग्री हेतु रू0 71957.00 किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 71957.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान पुष्पा देवी व सचिव श्री अंजनी लाल मौर्या से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।
प्रस्तर संख्या-370- ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 01 से दिनांक 17.07.2017 को नीरज वर्मा को रू0 71957.00 का भुगतान अत्येष्ठि स्थल हेतु किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 60000.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान पुष्पा देवी व सचिव श्री अंजनी लाल मौर्या से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।
प्रस्तर संख्या-371- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या 06 सेरू0 78125.00 प्रमाणक संख्या 07 से रू0 76576.00 व प्रमाणक संख्या 08 से रू0 77687.00 का भुगतान दिनांक 25.09.2018 को जय बाला को किया गया। परन्तु कुल व्यय धनराशि रू0 232388.00 के सापेक्ष का प्रमाण लेखा परीक्षा में नही किये गये। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0

232388.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान पुष्पा देवी व सचिव श्री श्री इफ्तिखार खान से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - देना** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-372- ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या 01 से 10 तक रू0 255900.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें। विवरण निम्नवत् है-

| क्रमांक | बाउचर संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01 | 07.04.2015 | 7245.00 | मस्टररोल |
| 02 | 02 | 07.04.2015 | 28500.00 | समागी्री क्रय |
| 03 | 03 | 07.04.2015 | 17500.00 | इडिया मार्का नल मरम्मत |
| 04 | 04 | 09.04.2015 | 67500.00 | सामाग्री क्रय ईट क्रय |
| 05 | 05 | 10.04.2015 | 12618.00 | मस्टररोल |
| 06 | 06 | 10.04.2015 | 26600.00 | मिटटी मटाई भुगतान |
| 07 | 07 | 25.04.2015 | 70000.00 | ईट क्रय |
| 08 | 08 | 29.04.2015 | 24955.00 | मस्टररोल |
| 09 | 09 | 29.04.2015 | 800.00 | फ्यूचर विजन संस्थान को भुगतान |
| 10 | 10 | 29.04.2015 | 182.00 | स्टेशनरी भुगतान |
| | | योग | 255900.00 | |

उपरोक्त व्यय धनराशि रू0 255900.00 के प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः लेेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 255900.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री हनीफ व सचिव श्री श्री जे0पी0 शुक्ला से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-373- ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या 50 से दिनांक 18.01.2017 को रू0 23700.00 से सोलर लाइट पर व्यय किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में कोटेशन अप्राप्त रहे। जोकि सरकारी आदेश के विपरित रहा। अतः व्यय धनराशि गंम्भीर वितीय अनियमितिता की श्रेणी में आती हैं जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्री राम भरोसो व सचिव श्री रंगलाल हैं।

प्रस्तर संख्या-374- ग्राम पंचायत **देना** की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 के लेखा परीक्षा कराए जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

वर्ष 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2017-18 | 1514384-00 | 1518872-00 |
| | | योग | 1518872-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1518872-00 का व्यय की वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम भरोसे एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अंजनी लाल मौर्या से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-375- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या 08 से ज्ञात हुआ कि दिनांक 23.08.2018 को रू0 84000.00 हैडपम्प रिबोर पर व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्रापत रहें।
अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) में प्राविधान हैं कि यदि दर्शये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक प्रस्तुत नही कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 84000.00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान राम भरोसे व सचिव श्री श्री इफ्तिखार खान से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - गौरिया झाल** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-376- ग्राम पंचायत **गौरिया झाल** की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तककी लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है- वर्ष 2015-16 से 2017-18 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 642622-00 | 575865-00 |
| 02 | 2016-17 | 929824-00 | 367925-00 |
| 03 | 2017-18 | 1137541-00 | 427161-00 |
| | | योग | 1370951-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 575865.00 वर्ष 2015-16 प्रधान श्री मंजीत कौर व सचिव श्री अंजनी लाल मौर्या, रू0 367925.00 वर्ष 2016-17 प्रधान श्री मनोज कुमार व सचिव श्ी अजंनी लाल मौर्या, रू0 427161.00 वर्ष 2017-18 प्रधान श्री मनोज कुमार व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव कुल धनराशि 1370951-00 का व्यय की वसूली से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-377- ग्राम पंचायत वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में ज्ञात हुआ कि कैशबुक में बाउचर सं008 से दिनांक 10.10.2018 को रू0 54800.00 दो हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान व बाउचर सं0 09 से दिनांक 29.10.2018 को रू0 20000.00 मिटटी पटाई का भुगतान किया गया। परन्तु लेखा परीक्षा में सम्बन्धित प्रमाणक अप्राप्त रहे। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि को गबन मानतें हुये धनराशि रू0 74800.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-378- (3) ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या (10) दिनांक 20.07.2019 को रू0 35200.00 से हैंड पंम्प सामाग्री का भुगतान व बाउचर संख्या (11) से दिनांक 20.07.2019 को रू0 35000.00 हैंड पम्प सामाग्री का भुगतान किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में कोटेशन अप्राप्त रहें। सरकारी शासनादेश के क्रम में रू0 20000.00 के ऊपर की सामाग्री क्रय पर कोटेशन लिया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु लेखा परीक्षा में कोटेशन अप्राप्त रहें। अतः व्यय कुल धनराशि रू0 70200.00 वसूली ग्राम प्रधान श्री मनोज कुमार व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - तालगाव** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-379- ग्राम पंचायत **तालगाव** की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तककी लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण

आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

वर्ष 2015-16 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1979251-00 | 46210-00 |
| | 2016-17 | 2737731-00 | 3064556-00 |
| | | योग | 3110766-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 46210-00 वर्ष 2015-16 प्रधान श्री फारूक व सचिव श्री कृपा शंकर, रू0 3064556-00 वर्ष 2016-17 प्रधान श्री नज्मुदीन व सचिव कृपा शंकर, कुल धनराशि 3110766-00 का व्यय की वसूली से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-380- ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर सं0 01 से 06 तक 16 लाईट व 60 स्ट्रीट लाईट पर कुल धनराशि रू0 520800.00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि को गबन मानतें हुये धनराशि रू0 520800-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री नज्मुदीन व सचिव श्री इफ्तियार से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

| क्रमाक | बउचर संख्या व | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | (1) | दिनांक 14.09.2017 | 87600.00 | 4 सोलर लाइट क्रय |
| 02 | ( 2) | दिनांक 14.09.2017 | 87600.00 | 20 स्ट्रीट लाइट क्रय |
| 03 | (3) | दिनांक 14.09.2017 | 87600.00 | 20 स्ट्रीट लाइट क्रय |
| 04 | (4) | दिनांक 14.09.2017 | 87600.00 | 4 सोलर लाइट क्रय |
| 05 | (5) | दिनांक 15.09.2017 | 87600.00 | 20 स्ट्रीट लाइट क्रय |
| 06 | (6) | दिनांक 15.09.2017 | 87600.00 | 20 स्ट्रीट लाइट क्रय |
| | | योग | 520800.00 | |

प्रस्तर संख्या-381- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में सिर्फ स्टेटमेन्ट प्रस्तुत किये गयें जिसमें वर्ष में व्यय धनराशि रू07682236.00 पायी गयी। लेखा मैनुअल के क आध्यय-8 के धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि को गबन मानतें हुये उसकी वसूली सम्बन्धित से ब्याज सहित की जानी चाहिए।

अतः धनराशि रू0 7682236.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नज्मुददीन व सचिव श्री इफ्तिखार से समान रूप् से की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-382- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में दिनांक 04.04.2019 से 01.09.2019 तक कुल रू0 2709243.00 की धनराशि व्यय की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में स्टेटमैंन्ट प्रस्तुत किया गया। प्रमाणक अप्राप्त रहें।

अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार प्रमाण विहिन धनराशि को गबन मानतें हुये। उसकी वसूली सम्बन्धित से की जानी चाहिए। अतः धनराशि रू0 2709243.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री नज्मुददीन व सचिव श्री इफ्तिखार से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - पट्टीसवाई** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-383- ग्राम पंचायत **पट्टीसवाई** की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तककी लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के

कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

वर्ष 2015-16 से 2016-17 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 1106710-00 | 909750-00 |
| 02 | 2016-17 | 7800-00 | 743129-00 |
| | | योग | 1652879-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 909750-00 वर्ष 2015-16 प्रधान श्रीमती रामलली व सचिव श्री जे०पी० शुक्ला, रू0 743129-00 वर्ष 2016-17 प्रधान श्रीमती सुनीता व सचिव जे०पी० शुक्ला, कुल धनराशि 1652879-00 का व्यय की वसूली से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-384- ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर सख्या (1) से रू0 20000.00 हैंडपम्प मरम्मत बाउचर संख्या (10) से रू0 25500.00 सामाग्री क्रय बाउचर संख्या (25) से रू0 18000.00 हैडपम्प सामाग्री क्रय कियें गये कुल धनराशि रू0 111170.00 की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक अप्राप्त हैं तो धनराशि को गबन मानतें हुये उसकी वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से समान रूप् से की जानी चाहिए। अतः धनराशि रू0 111170.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता व सचिव श्री जे0पी0 शुक्ला से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-385- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक संख्या ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या (41) रू0 95760.00 हयूम पाइप बाउचर संख्या (43) से रू0 96300.00 डस्टबिन क्रय व बाउचर संख्या (44) से 96300.00 डस्टबिन क्रय तथा बाउचर संख्या (45) रू0 96320.00 स्ट्रीट लाइट क्रय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे। कुल धनराशि रू0 384680.00व्यय की गयी। लेखा मैअनुअल के अध्याय-8 के धारा 8(क) के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक अप्राप्त होते है। तो व्यय धनराशि को गबन मानते हुये उसकी वसूली सम्बन्धित सचिव व ग्राम प्रधान से की जायेगी। अतः व्यय धनराशि रू0 384680.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से समान रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

प्रस्तर संख्या-386- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर संख्या-01 से दिनांक 02.04.2019 को रू0 85344.00 ईट क्रय व बाउचर संख्या-02 से दिनांक 04.04.2019 कों रू0 40260.00 सामाग्री क्रय पर व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहा। कुल व्यय धनराशि रू0 125604.00 के सापेक्ष लेखा मैनुअल के अध्याय-08 की धारा-08(क) के अनुसार यदि व्यय धनराशि के सापेक्ष प्रमाणक अप्राप्त होते है। तो व्यय धनराशि को गबन मानतें हुये उसकी वसूली संम्बन्धित व ग्राम प्रधान व सचिव से की जायेगी।

अतः व्यय धनराशि रू0 125604.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता व सचिव श्री मनोज कुमार वर्मा से समान रूप् से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**ग्राम पंचायत का नाम - धरनाग** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-387- ग्राम पंचायत **धरनाग** की वर्ष 2016-17 से 2019-20 तककी लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

वर्ष 2016-17 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2016-17 | 726423-00 | 652230-00 |
| 02 | 2017-18 | 873572-00 | 1084484-00 |
| 03 | 2018-19 | 1536662-00 | 1310007-00 |
| | | योग | 3046721-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 652230-00 वर्ष 2016-17 प्रधान श्री बनवारी व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी, रू0 1084484-00- वर्ष 2017-18 प्रधान श्री बनवारी व सचिव मुमताज अहमद, रु0 131007-00 वर्ष 2018-19 प्रधान श्री बनवारी सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-388- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश्बुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर सं0 37 से दिनांक 13.08.2019 को शिवा इण्टर प्राईजेज से रू0 44285.00 से हयूम पाइप हेतु व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहें ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" । अतः धनराशि रु 44285=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री बनवारी व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित है |

**ग्राम पंचायत का नाम - भावाना** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-389- ग्राम पंचायत **भावाना** की वर्ष 2017-18 से 2018-19 तककी लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

वर्ष वर्ष 2017-18 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2017-18 | 927302-00 | 639530-00 |
| 2 | 2018-19 | 1897125-00 | 2490611-00 |
| | | योग | 3130141-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 3130141-00 प्रधान श्रीमती शान्ति देवी व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी, से वसूली ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-390- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश्बुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर सं0 9 से रु0 82500-00 हैण्डपम्प रिबोर हेतु व्ययकिये गए | ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" । अतः व्यय धनराशी रु0 82500-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शान्ति देवी तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री अजय कुमार गौतम से ब्याज सहित बराबर भाग से की जाएगी" ।

| क्रम सं. | /बाउचर स0 दिनाक | धनराशी | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 09/13-12-19 | 82500-00 | हैण्डपम्प रिबोर |
| 2 | योग | 82500-00 | |

**ग्राम पंचायत का नाम - सरावा** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-391- ग्राम पंचायत **सरावा** की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

वर्ष वर्ष 2015-16 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | 1476674-00 | 1970405-00 |
| 02 | 2016-17 | 1936542-00 | 2286573-00 |
| 03 | 2017-18 | 2844233-00 | 1877010-00 |
| 04 | 2018-19 | 3765340-00 | 3591562-00 |
| | | योग | 9725550-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 1970405-00 वर्ष 2015-16 सचिव श्री रंग लाल रु0 2286573-00 , वर्ष 2016-17 प्रधान श्रीमती रेखा देवी सचिव श्री रंग लाल' वर्ष 2017-18 व 2018-19 रु0 546572-00 की वसूली ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-392- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश्बुक से ज्ञात हुआ कि बाउचर सं0 73 दिनाक 14-03-2020 को शुक्ला ट्रेडर्स को रु 75553-00 का भुगतान किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक अप्राप्त रहे लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए

व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" । अतः व्यय धनराशी रु0 75553-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी व सचिव श्री अजय कुमार गौतम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - पकरिया धामपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-393- ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या-05 से रू0 23040.00 से हयूम पाइप व क्रय की परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि रू0 23040.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कुंती व सचिव श्री रंगलाल से समान रूप की जायेगी। विवरण निम्नवत् है-

| क्रमांक | बउचर संख्या व | दिनाक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | | 5 दिनांक 27.05.2016 | 23040.00 | हयूम पाइप क्रय |
| | | योग | 23040.00 | |

प्रस्तर संख्या-394- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक सख्या-10 से रू0 60200.00 से हयूम पाइप क्रय की गयी परन्तु लेखा परीक्षा में कोटेशन प्रस्तुत नही किया गया। नियमानुसार रू0 20000.00 से उपर के क्रय पर कोटेशन प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।

अतः यह एक गम्भीर वित्ीय अनियमितिता हैं। जिसके जिम्मेदार ग्राम प्रधान श्रीमती कुंती व सचिव श्री इक्तिखार अहमद हैं। उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रति आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है विवरण निम्नवत् हैं-

| क्रमांक | बउचर संख्या व | दिनाक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 10 | दिनांक 07.07.2018 | 60200.00 | हयूम पाइप क्रय |
| | | योग | 60200.00 | |

**ग्राम पंचायत का नाम - अढावल खुर्द** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-395- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या-07 से रू0 53776-00 व प्रमाणक संख्या-08 से रू0 53776-00 से गगन ब्रिक से दिनाक 08-04-2019 को ईट क्रय पर व्यय किया गया की परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि रू0 107552-00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामनारायण त्रिपाठी व सचिव श्री मुमताज अहमद से समान रूप की जायेगी।

प्रस्तर संख्या-396- ग्राम पंचायत **अढावल खुर्द** की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है- वर्ष 2015-16 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| सामाग्री | सामाग्री | सामाग्री | सामाग्री |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | 291609-00 | 162302-00 |
| 02 | 2016-17 | 810000-00 | 183360-00 |
| 03 | 2017-18 | 1121343-00 | 676170-00 |
| 04 | 2018-19 | 1687529-00 | 369400-00 |
| | | योग | 1391232-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय

की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 1391232-00 में से वर्ष 2015-16 से 2017-18 की धनराशि रु० 1081802-00 वसूली ग्राम प्रधान श्री राम नारायण त्रिपाठी व सचिव श्री रमेश भादौरिया, से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है। तथा वर्ष 2018-19 की धनराशी रु0 369400-00 वसूली ग्राम प्रधान श्री राम नारायण त्रिपाठी व सचिव श्री अजय कुमार गौतम व श्रीमती संध्या त्रिपाठी , से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - शाहद्लावलपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-397- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या-05 से रू0 98000-00 व प्रमाणक संख्या-06 से रू0 98000-00 से दिनाक 06-07-2019 को सामग्री क्रय पर व्यय किया गया पुनः प्रमाणक संख्या-07 से रू0 84200-00 व प्रमाणक संख्या-08 से रू0 84200-00 से दिनाक 06-07-2019 को सामग्री क्रय पर व्यय किया गया पुनः प्रमाणक संख्या-17 से रू0 40950-00 व प्रमाणक संख्या-18 से रू0 40586-00 से दिनाक 06-08-2019 को मजदूरी व मस्टर रोल पर व्यय किया गया की परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि रू0 445936-00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री पप्पू व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से मय व्याज सहित समान रूप की जायेगी।

प्रस्तर संख्या-398- ग्राम पंचायत की वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है- वर्ष 2015-16 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | 748739-00 | 736969-00 |
| 02 | 2016-17 | 1298136-00 | 844847-00 |
| 03 | 2017-18 | 1852574-00 | 2388677-00 |
| 04 | 2018-19 | 2445049-00 | 2722698-00 |
| | | योग | 6693191-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 6693191-00 में वसूली ग्राम प्रधान श्री पप्पू त्रिपाठी व सचिव श्री इफ्तखार, से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - कला बहदुरपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-399- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या-09 से रू0 29400-00 से ईट क्रय व प्रमाणक संख्या-10 से रू0 29400-00 से दिनाक 16-07-2019 को सामग्री क्रय पर व्यय किया गया पुनः प्रमाणक संख्या-14 से रू0 82500-00 से दिनाक 22-07-2019 को सामग्री क्रय पर व्यय किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि रू0 141300-00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से मय व्याज सहित समान रूप की जायेगी।

प्रस्तर संख्या-400- ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-

व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-वर्ष 2016-17 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01 | 2016-17 | 735151-00 | 867391-00 |
| 02 | 2017-18 | 856759-00 | 608651-00 |
| 03 | 2018-19 | 1477021-00 | 1849377-00 |
| | | योग | 3325419-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 3325419-00 में वसूली ग्राम प्रधान श्री श्रीमती नीलम देवी व सम्बन्धित सचिव, से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - गुराईपुर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-401- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या-09 से रू0 98000-00 से स्ट्रीट लाइट का भुगतान दिनाक 08-07-19 को किया गया पुनः प्रमाणक संख्या-13 को से रू0 49000-00 दिनाक 29-07-19 को 10 स्ट्रीट लाइट के लिए किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि रू0 147000-00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री अनूप कुमार यादव व सचिव श्री अनिलेश कुमार यादव से मय व्याज सहित समान रूप की जायेगी।

की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

वर्ष वर्ष 2015-16 से 2018-19 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 01 | 2015-16 | 551108-00 | 414672-00 |
| 02 | 2016-17 | 724387-00 | 698725-00 |
| 03 | 2017-18 | 868785-00 | 1064520-00 |
| 04 | 2018-19 | 1497025-00 | 1539388-00 |
| | | योग | 3717305-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 3717305-00 में वसूली ग्राम प्रधान श्री श्री अनूप कुमार यादव व सम्बन्धित सचिव, से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - मीरनगर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-402- ग्राम पंचायत की वर्ष 2013-14 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2015-16 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । ग्राम पंचायत की वर्ष 2015-16 तक के ई-ग्राम स्वराज पर उपास्थित आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है- वर्ष 2015-16 ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | 534066-00 | 291420-00 |
| | | योग | 291420-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 291420-00 में वसूली ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार जयसवाल व सचिव श्री दयाराम, से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-403- ग्राम पंचायत **मीरनगर** की वर्ष 2016-17 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक संख्या-12 से रू0 88000-00 से का भुगतान को पुनः प्रमाणक संख्या-13 से रू0 22000-00 का भुगतान के०पी० केमिकल को दिनाक 30-01-2017 को किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि रू0 110000-00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार जयसवाल व सचिव श्री दयाराम से मय व्याज सहित समान रूप की जायेगी।

प्रस्तर संख्या-404- ग्राम पंचायत **मीरनगर** की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2018-19 व 2019-20 के अभिलेख सचिव श्री राहुल सिंह लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की स्टेटमेंट प्राप्त हुआ कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 व 2019-20 अगस्त तक अधिभार किया जा रहा है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018-19 | 1359155-00 | 2305922-00 |
| 02 | 2019-20 अगस्त तक अधिभार | 509285-00 | 507265-00 |
| | योग | | 2813187-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 2813187-00 में वसूली ग्राम प्रधान श्री दिनेश कुमार जयसवाल व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी , से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - रामनगर** **विकासखंड- परसेण्डी**

प्रस्तर संख्या-405- ग्राम पंचायत **रामनगर** की वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की लेखा परीक्षा बाकी थी जिसमे वर्ष 2015-16 व 2017-18 के अभिलेख सचिव श्री राहुल सिंह लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की स्टेटमेंट प्राप्त हुआ कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । अतः ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 व 2017-18 तक अधिभार किया जा रहा है व 2015-16 प्रिया साफ्ट से अधिभार किया जा रहा है

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015-16 | 1139823-00 | 843293-00 |
| 02 | 2016-17 | 1567682-00 | 923042-00 |
| 03 | 2017-18 | 195365-00 | 887834-00 |
| 04 | योग | | 2654169-00 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि - ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय रू0 2654169-00 में वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन बेगम व सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी , से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-406- ग्राम पंचायत की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैशबुक से ज्ञात हुआ कि प्रमाणक स० 01 से 113 तक माह अप्रेल -2018 से मार्च-2019 तक रू0 3126844-00 व्यय किये गये परन्तु लेखा परीक्षा में सभी प्रमाणक अप्राप्त रहें। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय-8 की धारा 8(क) के अनुसार प्रमाणक विहिन धनराशि रू0 3126844-00 को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नसरीन बेगम व सचिव श्री मनोज कुमार शर्मा से मय व्याज सहित समान रूप की जायेगी।

**ग्राम पंचायत का नाम - तारापुर** **विकास खंड-गोदलामऊ**

प्रस्तर संख्या-407- ग्राम पंचायत तारापुर की वर्ष 2015-16 से 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2015-16 | 489361 | 369910 |
| 2- | 2016-17 | 677621 | 604964 |
| 3- | 2017-18 | 847549 | 1039145 |
| 4- | 2018-19 | 1204662 | 1191487 |
| 5- | 2019-20 | 1793921 | 941133 |
| | योग | 5013114 | 3896285 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक

उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 3896285=00 वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजबहादुर एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अमरेश कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - गंगापुर** **विकासखंड-गोदलामऊ**

प्रस्तर संख्या-408- ग्राम पंचायत गंगापुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2019-20 | 2139540 | 970433 |
| | योग | 2139540 | 970433 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 970433=00 वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजाराम एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम - मोहम्मदपुर झबरा** **विकास खंड-गोदलामऊ**

प्रस्तर संख्या-409- ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर झबरा की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2019-20 | 1697687 | 740308 |
| | योग | 1697687 | 740308 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन

एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 740308=00 वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अमरेश कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - तौकलपुर** **विकास खंड-गोदलामऊ**

प्रस्तर संख्या-410- ग्राम पंचायत तौकलपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2019-20 | 1659246 | 1263074 |
| | योग | 1659246 | 1263074 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 1263074=00 वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री अमरेश कुमार से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - असल** **विकास खंड-गोदलामऊ**

प्रस्तर संख्या-411- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा दिनांक 7/8/19 की कैश बुक में रु 85500=00 का ह्युम पाइप क्रय किया जाना दर्शित है जिसके इस्टीमेट व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, साथ ही यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ह्युम पाइप डालने का किसी प्रकार का व्यय अथवा मस्टर रोल भी आलोच्य वर्ष की कैश बुक में उल्लिखित नहीं है , अतः यह स्पष्ट न हो सका कि ह्युम पाइप ग्राम पंचायत में कहा कहा अथवा किन स्थानों पर प्रयोग में लाये गए , स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे , शासनादेश संख्या आर जी एफ ए/1972019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2मई,2019 के अंतर्गत तैयार कार्य योजना की प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु 3 में ऐसे कार्य स्थल विहीन और विवरणविहीन कार्यों को संदिग्ध माना गया है

वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानो के अनुसार व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिकाएं ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है जो उक्त प्राविधानो के अंतर्गत अधिभार योग्य है, अतः उपरोक्त कार्य पर व्यय की कुल धनराशी रुपया 85500=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उस्मान से ब्याज सहित बराबर बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है.

**ग्राम पंचायत का नाम - खालेगढ़ी** **विकास खंड-गोदलामऊ**

प्रस्तर संख्या-412- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा दिनांक 22/11/19 की कैश बुक में रु 90440=00 का ह्युम पाइप क्रय किया जाना दर्शित है जिसके इस्टीमेट व्यय प्रमाणक आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, साथ ही यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ह्युम पाइप डालने का किसी प्रकार का व्यय अथवा मस्टर रोल भी आलोच्य वर्ष की कैश बुक में उल्लिखित नहीं है , अतः यह स्पष्ट न हो सका कि ह्युम पाइप ग्राम पंचायत में कहा कहा अथवा किन स्थानों पर प्रयोग में लाये गए , स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे , शासनादेश संख्या आर जी एफ ए/1972019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2मई,2019 के अंतर्गत तैयार कार्य योजना की प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु 3 में ऐसे कार्य स्थल विहीन और विवरणविहीन कार्यों को संदिग्ध माना गया है

वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानो के अनुसार व्यय प्रमाणक, माप पुस्तिकाएं ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये है जो उक्त प्राविधानो के अंतर्गत अधिभार योग्य है, अतः उपरोक्त कार्य पर व्यय की कुल धनराशी रुपया 90440=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती महदेयी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक सिंह से ब्याज सहित बराबर बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है.

**ग्राम पंचायत का नाम - जैतीखेडा** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-413- ग्राम पंचायत जैतीखेडा की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही ।

वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2019-20 | 1868021 | 925327 |
| | योग | 1868021 | 925327 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 925327=00 वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अवधेश कुमार एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष कुमार यादव से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - भगौतीपुर** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-414- ग्राम पंचायत भगौतीपुर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़ें निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2019-20 | 2856969 | 1273760 |
| | योग | 2856969 | 1273760 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 925327=00 वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरोजनी देवी एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव कनक सुंदरी से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - दारानगर** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-415- ग्राम पंचायत दारानगर की वर्ष 2019-20 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2019-20 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2019-20 | 2856969 | 512750 |
| | योग | 2856969 | 512750 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 512750=00 वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामसेवक एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव दिनेश चन्द्र मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - पकरिया** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-416- ग्राम पंचायत पकरिया की वर्ष 2017-18 के अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मांगे जाने के उपरांत भी ग्राम पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे उक्त अवधि की अभिलेखों के आधार पर लेखा परीक्षा संभव नहीं हो सकी । उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की कैश बुक अप्राप्त होने के कारण आय-व्यय की स्थिति पूर्णतया अज्ञात रही । वर्ष 2017-18 तक ई-ग्राम स्वराज पर अंकित ग्राम पंचायत के आय-व्यय के आकड़े निम्नवत है-

| क्रम सं. | वर्ष | आय | व्यय |
|---|---|---|---|
| 1- | 2017-18 | 1715577 | 2081925 |
| | योग | 1715577 | 2081925 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया प्रतीत होता है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

उपरोक्त वर्णित प्राविधानों के अनुसार कोश बही,बैंक स्टेटमेन्ट,व्यय प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियाँ,मस्टररोल, माप पुस्तिकाएं, संपत्ति रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, तकनीकी रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की उपरोक्त समस्त धनराशि को गबन में आँकलित किया जाता है जो उपरोक्त प्राविधानों के अंतर्गत अधिभार योग्य है। अतः विवरणहीन एवं प्रमाणकविहीन किए गए व्यय कुल धनराशि 2081925=00 वसूली जिम्मेदार तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामसेवक एवं तत्कालीन व वर्तमान ग्राम पंचायत सचिव दिनेश चन्द्र मिश्रा से ब्याज सहित बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - इलसियाग्रंट** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-417- ग्राम पंचायत इलसियाग्रंट वर्ष 2015-16,16-17 एवं 2018-19 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 281085=00 की सामग्री क्रय का भुगतान किया गया, व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | वर्ष | धनराशि | फर्म | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | 9 , 18/06/15 | 2015-16 | 33635=00 | सीतापुर सेनेटरी एंड पेंट स्टोर, | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 2- | 26, 27/08/15 | 2015-16 | 24000=00 | सीतापुर सेनेटरी एंड पेंट स्टोर, | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 3- | 35, 29/03/15 | 2015-16 | 35000=00 | सीतापुर सेनेटरी एंड पेंट स्टोर, | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 4- | 14, 22/07/16 | 2016-17 | 22150=00, | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 5- | 21,29/08/16 | 2016-17 | 15000=00, | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 6- | 04, 24/01/17 | 2016-17 | 18700=00 | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 7- | 03, 10/05/18 | 2018-19 | 33500=00 | सीतापुर सेनेटरी एंड पेंट स्टोर, | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 8- | -, 30/06/18 | 2018-19 | 8500=00 | सीतापुर सेनेटरी एंड पेंट स्टोर, | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 9- | -, 05/08/18 | 2018-19 | 32400=00 | स्वास्तिक सेनेटरी एंड पेंट , | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 10- | - 05/10/18 | 2018-19 | 26550=00 | सीतापुर सेनेटरी एंड पेंट स्टोर, | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 11- | - 03/03/19 | 2018-19 | 31650=00 | सीतापुर सेनेटरी एंड पेंट स्टोर, | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| | | योग = | 281085=00 | | |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 281085=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री शराफत हुसैन व ग्राम पंचायत सचिव आर. सी यादव, आरती यादव, चन्द्र प्रकाश यादव व संजय प्रजापति से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है .

**ग्राम पंचायत का नाम - हुसैनपुर कैमहरा** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-418- ग्राम पंचायत हुसैनपुर कैमहरा वर्ष 16-17 17-18 एवं 2018-19 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 135136=00 की सामग्री क्रय का भुगतान किया गया, व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | वर्ष | धनराशि | फर्म | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | -, 20/03/17 | 2016-17 | 36270=00, | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 2- | -,23/03/18 | 2017-18 | 19500=00, | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 3- | -, 17/08/18 | 2018-19 | 19500=00 | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4- | -, 13/08/18 | 2018-19 | 10000=00, | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 5- | -, 01/01/19 | 2018-19 | 50366=00, | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| | | योग = | 135136=00 | | |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 135136=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार व ग्राम पंचायत सचिव दिनेश चन्द्र मिश्रा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है .

**ग्राम पंचायत का नाम - सरैयासानी** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-419- ग्राम पंचायत सरैयासानी वर्ष 15-16 से 17-18 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 236500=00 की सामग्री क्रय का भुगतान किया गया, व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी"

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | वर्ष | धनराशि | फर्म | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | 08 29/06/15 | 2015-16 | 22500=00, | अज्ञात | अली से तालाब तक नाली निर्माण पर सीमेंट क्रय |
| 2- | 13.,17/03/16 | 2015-16 | 25000=00, | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 3- | 14, 17/03/16 | 2015-16 | 14000=00 | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत स्थापना पर व्यय |
| 4- | 16, 09/09/16 | 2016-17 | 169000=00, | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत स्थापना पर व्यय |
| 5- | 25, 24/10/17 | 2017-18 | 6000=00, | अज्ञात | मस्टर रोल पर रु 33542=00 का भुगतान दर्शित है जबकि कैश बुक व स्टेटमेंट में रु 39542=00 दर्शित है इस प्रकार रु 6000=00 का अधिक भुगतान किया |
| | | योग = | 236500=00 | | |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 236500=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री आरती देवी व ग्राम पंचायत सचिव इकराम अली से की जानी अपेक्षित है .

**ग्राम पंचायत का नाम - गद्दीपुर चितहारी** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-420- ग्राम पंचायत गद्दीपुर चितहारी वर्ष 15-16 से 16-17 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 433400=00 की सामग्री क्रय का भुगतान किया गया, व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | वर्ष | धनराशि | फर्म | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | 25,04/09/15 | 2015-16 | 112000=00, | विष्णुब्रिक फिल्ड | ईट क्रय |
| 2- | 31.,17/03/16 | 2015-16 | 9500=00, | अज्ञात | ढेलिया क्रय |
| 3- | 34, 18/03/16 | 2015-16 | 24600=00 | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 4- | 37, 29/03/16 | 2015-16 | 64000=00, | विष्णुब्रिक फिल्ड | ईट क्रय |
| 5- | 04, 21/05/16 | 2016-17 | 94000=00, | दीक्षित ट्रेडिंग कंपनी | सोलर लाईट क्रय |
| 6- | 05, 21/05/16 | 2016-17 | 25800=00 | दीक्षित ट्रेडिंग कंपनी | ह्युम पाइप क्रय |
| 7- | 12, 17/08/17 | 2017-18 | 44000=00 | ऐ बी इलेक्ट्रिकल्स | हैण्ड पम्प रिबोर |
| 8- | 13, 19/08/17 | 2017-18 | 44000=00 | ऐ बी इलेक्ट्रिकल्स | हैण्ड पम्प रिबोर |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9- | 22, 27/09/17 | 2017-18 | 19500=00 | ऐ बी इलेक्ट्रिकल्स | हैण्ड पम्प रिबोर |
| | | योग = | 433400=00 | | |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 433400=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री सेवकराम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - जैनपुर सोहरिया** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-421- ग्राम पंचायत जैनपुर सोहरिया वर्ष 15-16 से 17-18 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 848277=00 की सामग्री क्रय का भुगतान किया गया, व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | वर्ष | धनराशि | फर्म | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | 31,17/03/16 | 2015-16 | 12874=00, | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय |
| 2- | 32.,18/03/16 | 2015-16 | 20000=00, | शेषनाग आयरन भण्डार | वाउचर आप्राप्त |
| 3- | 33, 19/03/16 | 2015-16 | 5000=00 | अज्ञात | ढेलिया मरम्मत व सफाई उपकरण |
| 4- | 23/03/16 | 2015-16 | 21500=00, | अखिल मोबाइल व गिफ्ट सेंटर | कुर्सी मेज व अलमारी क्रय |
| 5- | | 2016-17 | 701903=00, | | अभिलेख अप्राप्त |
| 6- | 12/02/18 | 2017-18 | 10000=00 | हर्षित आयरन स्टोर | सामग्री क्रय की पुष्टि नही |
| 7- | 05/01/18 | 2017-18 | 10000=00 | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 8- | 06/01/18 | 2017-18 | 10000=00 | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 9- | 12/01/18 | 2017-18 | 11000=00 | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 10- | 02/02/18 | 2017-18 | 10000=00 | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 11- | 06/02/18 | 2017-18 | 10000=00 | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 12- | 08/02/18 | 2017-18 | 10000=00 | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 13- | 23/02/18 | 2017-18 | 7500=00 | उपरोक्त | उपरोक्त |
| 14- | 19/03/18 | 2017-18 | 8500=00 | उपरोक्त | उपरोक्त |
| | | योग = | 848277=00 | | |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 848277=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री किशन व ग्राम पंचायत सचिव श्री इकराम अली, रणविजय सिंह व मसूद अहमद से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - परसेहरा** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-422- ग्राम पंचायत परसेहरा वर्ष 15-16 से 17-18 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 1568362=00 की सामग्री क्रय का भुगतान किया गया, व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | वर्ष | धनराशि | फर्म | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1- | | 2015-16 | 1253362=00, | | अभिलेख अप्राप्त |
| 2- | 3/3/5/16 | 2016-17 | 30800=00 | जय माता ट्रेडर्स | हैण्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त |
| 3- | 5/17/5/16 | 2016-17 | 12950=00 | जय माता ट्रेडर्स | हैण्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4- | 11/6/9/16 | 2016-17 | 15250=00 | जय माता ट्रेडर्स | हैण्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त |
| 5- | 14/6/9/16 | 2016-17 | 33800=00 | जय माता ट्रेडर्स | हैण्डपम्प मरम्मत वाउचर अप्राप्त |
| 6- | 24/15/1/18 | 2017-18 | 4000=00 | | वाउचर अप्राप्त |
| 7- | 49/14/3/18 | 2017-18 | 175200=00 | | वाउचर अप्राप्त |
| 8- | 50/14/3/18 | 2017-18 | 43000=00 | | वाउचर अप्राप्त |
| | | योग = | 1568362=00 | | |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 1568362=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री बिट्टू सिंह व ग्राम पंचायत सचिव श्री सत्य देव त्रिवेदी व सेवकराम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - रहीमाबाद** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-423- ग्राम पंचायत रहीमाबाद वर्ष 2019-20 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 1192864=00 की सामग्री क्रय का भुगतान किया गया, व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | वर्ष | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1- | अप्राप्त | 2019-20 | 1192864=00 | माह अप्रैल19 से अगस्त 19 तक रु 1192864=00 तक हुए ब्यय के बाउचर एवं प्रमाणक अप्राप्त |
| | | | योग 1192864=00 | |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 1192864=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती कमरुल निशा व ग्राम पंचायत सचिव श्री दिनेश मिश्रा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - भवानीपुर विलियम साहब** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-424- ग्राम पंचायत भवानीपुर विलियम साहब वर्ष 2019-20 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 258250=00 का भुगतान हैंडपंप मरम्मत, स्टेशनरी, डस्टबिन व स्ट्रीटलाइट क्रय किया गया, जिसके व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1- | 2/23-4-19 | 42750=00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री |
| 2- | 3/25/4/19 | 2500=00 | स्टेशनरी क्रय |
| 3- | 4/10/5/19 | 193500=00 | डस्टबिन क्रय |
| 4- | 5/14/5/19 | 19500=00 | स्ट्रीटलाइट क्रय |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 258250=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री कुलदीप श्रीवास्तव व ग्राम पंचायत सचिव श्री सेवकराम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - जयमैतपुर** **विकास खंड- खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-425- ग्राम पंचायत जयम्मतपुर वर्ष 2019-20 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 103642=00 का भुगतान हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय किया गया, जिसके व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त

दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1- | 02-01-20 | 27049=00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री, मिश्रा मशीनरी स्टोर |
| 2- | 12/3/20 | 37918=00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री, हर्षित मशीनरी स्टोर |
| 3- | 12/3/20 | 38675=00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री,हर्षित मशीनरी स्टोर |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 103642=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री बालकराम व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

**ग्राम पंचायत का नाम - उनशिया** **विकास खंड-खैराबाद**

प्रस्तर संख्या-426- ग्राम पंचायत उनशिया वर्ष 2019-20 की कोशबही में निम्न के अनुसार रु 108440=00 का भुगतान हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय किया गया, जिसके व्यय के प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे और पुष्टि न हो सकी ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खंड 7 में उल्लिखित है कि -" ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का यह सयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएं" एवं खंड 8 (क) में प्राविधान है कि "यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय की धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी" ।

| क्रमांक | वाउचर सं व दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1- | 27-09-19 | 36400=00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री, हर्षित आयरन स्टोर |
| 2- | 03/10/19 | 44350=00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री, हर्षित आयरन स्टोर |
| 3- | 11/02/20 | 22690=00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री,शेषनाग आयरन स्टोर |

लेखा मैनुअल की धारा 8क में प्राविधान के अनुसार उक्त व्यय धनराशी रु 103642=00 गबन की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली समान रूप से ब्याज सहित उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री श्रवण कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील कुमार यादव से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

## जनपद उन्नाव

विकास खण्ड-बिछिया

प्रस्तर संख्या-1

ग्राम पंचायत दुआ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत/रिबोर मद में व्यय रू0110000.00, सोलर लाईट मद मेंव्यय रू0 331500.00 खडंज मरम्मत ,इन्टर लाकिंग निर्माण मद में व्यय रू0 1251545.00, प्राथमिक विद्यालय निर्माण कार्य मे व्यय रू0 65915.00 एवं 46960.00 रू0 का व्यय किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1805920.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1805920.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-2

ग्राम पंचायत गंजौली में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में रू0 29900.00, सोलर लाईट मद में रू0 65180.00, प्रा0 विद्याालय राम बक्श खेड़ा शौचालय निर्माण में रू0 44674.00, खडंजा मरम्त निर्माण मद में 1648484.00,ग्राम प्रधान मानदेय विज्ञापद तालाब भराई पर व्यय रू051080.00, कूड़ा गाड़ी भुगतान में व्यय रू0 16128.00 का व्यय किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू01955419.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु

मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1955419.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-3
ग्राम पंचायत सिंधूपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में रू0 109925.00, सोलर लाईट मद में रू0 244425.00, वृक्षारोपण/वानिकी कार्यक्रम मद में व्यय रू0 228000.00, खडंजा मरम्त निर्माण मद में 619555.00,ग्राम प्रधान मानदेय विज्ञापद तालाब भराई पर व्यय रू064500.00, पशु स्थल चारागाह विकास कार्य मद में रू0 36130.00का व्यय किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू01302535.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1302535.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-4
ग्राम पंचायत रायपुर बुजुर्ग में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में रू0 34650.00, सोलर लाईट मद में रू0 171350.00, खडंजा मरम्त निर्माण मद में व्यय रू0 3758555.00, ग्राम प्रधान मानदेय विज्ञापद तालाब भराई पर व्यय 47670.00,कूड़ा गाड़ी भुगतान पर व्यय रू0 21600.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 4033825.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4033825.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-5
ग्राम पंचायत मझखोरिया में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में रू0 31365.00, सोलर लाईट मद में रू0 162950.00,वृक्षारोपण/वानिकी कार्यक्रम मद में व्यय रू0 29950.00 खडंजा मरम्त निर्माण मद में व्यय रू0 736098.00,प्राथमिक विद्यालय में कराये गये निर्माण मे व्यय रू0 231476.00,ग्राम प्रधान मानदेय पर व्यय रू0 28000.00,नाली निर्माण मद में व्ययरू0311530.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू01531369.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1531369.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-6
ग्राम पंचायत पोटरिहा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में रू0 256142.00, खडंजा मरम्तमद में रू0 3414496.00,अन्य विविध कार्यों पर व्यय ग्राम प्रधान मानदेय में व्यय रू0 99844.00,प्राथमिक विद्यालय/जूनियर हाई स्कुल मे मरम्मत में व्यय रू0 1331235.00,प्राथमिक विद्यालय/बारात घर में रगाई पुताई मे व्यय रू0 191130.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू05292847.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 5292847.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7

ग्राम पंचायत टिकरगढ़ी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में रू0 26000.00, सोलर लाईट मद में रू0 97770.00,खडंजा मरम्त मद में में व्यय रू0 3163049.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 470105.00 ,प्राथमिक विद्यालय मरम्मत मे व्यय रू0 362656.00,विविध कार्यो पर व्यय रू0 22570.00, स्थल व चबुतरा निर्माण में व्यय रू0 17284.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू04159434.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4159434.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-8

ग्राम पंचायत रामपुर खालसा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में रू0 341046.50, खड़न्जा सीसी0 रोड नाली निर्माण मद मे व्ययरू0 1401571.00,अन्य विविध कार्यो में व्यय रू0 145710.00, कुड़ा गाड़ी भुगतान मद में व्यय रू0 30888.00 ,आंगनबाड़ी निर्माण/पुलिया गौवंश आश्रयस्थल मे व्यय रू0 315329.79 ,विविध कार्यो फर्श निर्माण पर व्यय रू0 213928.89, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2448474.83 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2448474.83 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-हिलौली

प्रस्तर संख्या-9

ग्राम पंचायत पहवा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत/रिबोर मद में रू0 80500.00, हैण्ड पम्प रिबोर निर्माण मद मे व्ययरू0 76317.00,प्रशासनिक मद में व्यय रू0 63940.00, स्कूल मरम्मत मद में व्यय रू0 1262621.00 ,हैण्ड पम्प मरम्मत मे व्यय रू0 120555.00 ,गौआश्रय स्थल निर्माण पर व्यय रू0 144178.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 194100.00, इन्टर लाकिंग निर्माण मे व्यय रू0 716165.00, दर्शित खडंजा निर्माण मे व्यय रू0 203229.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2861605.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2861605.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10

ग्राम पंचायत हिलौली में वर्ष 2018-19 के दौरान कैशबुक,व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य की स्टीमेंट,परिमाप पुस्तिका,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर,ई0एम0एम0 मे व्यय रू0 8478188.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 8478188.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 8478188.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत हिलौलीमें वर्ष 2019-20 के दौरान कैशबुक,व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य की स्टीमेंट,परिमाप पुस्तिका,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर,ई0एम0एम0 मे व्यय रू0 4040610.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 4040610.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई

अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4040610.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-11

ग्राम पंचायत पिंडुरी में वर्ष के दौरान मानदेय पंजिका के अनुसार प्रधान मानदेय भुगतान मद में रू0 84000.00, हैण्ड पम्प रिबोर निर्माण मद मे व्ययरू0 163240.00,प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 54985.00, खडंज निर्माण कार्य मद मे व्यय रू0 323521.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 1029725.00,प्राथमिक विद्यालय पिण्डुरी मे टाईल्स/पुट्टी मे व्यय रू0 279638.00, ग्राम पंचायत पिण्डुरी मे सी0सी0 रोड निर्माण मद मे व्यय रू0 234075.00, कूडा गाड़ी मद मे व्यय रू0 17298.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू02186482.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2186482.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-12

ग्राम पंचायत नरीचक में वर्ष के दौरान मानदेय पंजिका के अनुसार प्रधान नोखेलाल रावत को देय मानदेय मद में रू0 31500.00, हैण्ड पम्प रिबोर निर्माण मद मे व्ययरू0 96163.00,स्टेश्नरी/प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 87638.00, साफ सफाई के लिए डस्टबिन मद मे व्यय रू0 110754.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 292392.00 ,प्राथमिक विद्यालय पिण्डुरी मे टाईल्स/पुट्टी मे व्यय रू0 86489.00, इन्टर लाकिंग निर्माण मद मे व्यय रू0 305338.00, जल प्रबन्धन मद मे व्यय रू0 135625.00, परिवार कल्याड़ एवं स्वस्थ मे व्यय रू0 42238.00, पंचायती राज कार्यक्रम व अन्य खर्च पर व्यय रू0 1278826.00,मेन्टीनेन्स आॅफ कम्यूनिटि एसेटस पर व्यय रू0 319125.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2786088.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2786088.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-13

ग्राम पंचायत बलिया में वर्ष के दौरान मानदेय पंजिका के अनुसार मद में रू0 35000.00, हैण्ड पम्प रिबोर निर्माण मद मे व्ययरू0 109819.00 ,स्टेश्नरी/प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 89461.00, साफ सफाई के लिए डस्टबिन मद मे व्यय रू0 83972.00,साफ सफाई कूड़ा गाड़ी क्रय मे  व्यय रू0 17298.00 ,स्ट्रीट लाईट  मे व्यय रू0 97050.00, खडंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 494209.00, जल प्रबन्धन मद मे व्यय रू0 135625.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1062434.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1062434.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-14

ग्राम पंचायत मिर्जापुर में वर्ष के दौरान मानदेय पंजिका के अनुसार मद में रू0 38500.00, हैण्ड पम्प रिबोर निर्माण मद मे व्ययरू0 36030.00 ,हैण्ड पम्प कैमरा क्रय तथ स्टेश्नरी मद मे व्यय रू0 55042.00, मेन्टीनेन्स आॅफ कम्यूनिटी पर व्यय रू0 293380.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 422952.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान

का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 422952.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-15

ग्राम पंचायत रजवाड़ा में वर्ष के दौरान प्राथमिक विद्यालय मरम्मत मे व्यय रू0 123059.00, गौअ आश्रय कार्य मद मे व्ययरू0 240520.00 ,हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 130434.00, हैण्ड पम्प रिबोर मद पर व्यय रू0 136333.00 , कुड़ा गाड़ी मद मे व्यय रू0 96571.00, मेन्ब्ीनेन्स आॅफ कम्यूनिटी पर व्यय रू0 134395.00, सम्पर्क मार्ग निर्माण पर व्यय रू0 271528.00, खडंज निर्माण मद व्यय रू0 341199.00, नाली निर्माण कार्य के सापेक्ष पर व्यय रू0 317137.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू02039532.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2039532.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-16

ग्राम पंचायत लोटना में वर्ष के दौरान प्राधान मानदेय मे व्यय रू0 42000.00, गौअ आश्रय कार्य मद मे व्ययरू0 222223.00 ,वाॅल निर्माण मद मे व्यय रू0 91430.00, प्रशासनिक मद मंे औचित्य विहीन मद पर व्यय रू0 62350.00 , हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 93130.00, हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय रू0 71935.00, नाली निर्माण मे व्यय रू0 1076109.00, डसटिबिन क्रय मे व्यय रू0 264792.00, सी0सी0 रोड निर्माण मे व्यय रू0 243122.00, फर्श मरम्मत/रंगाई पुताई मे व्यय रू0 234191.00, स्ट्रीट कार्य मे व्यय रू0 291150.00, जल प्रबन्धन कार्य के निर्माण मे व्यय रू0 56730.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2749162.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2749162.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-17

ग्राम पंचायत गंजौली में वर्ष के दौरान प्राधान मानदेय मे व्यय रू0 87500.00 , नाली निर्माण कार्य मद मे व्ययरू0 659473.00 ,सी0सी0 रोड निर्माण मद मे व्यय रू0 1796545.00, प्राथमिक विद्यालय मरम्मत मद मंे व्यय रू0 779402ा.00 , खडंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 856535.00, व्यय प्रमाणक/समस्त वांछित पर व्यय रू0 333924.00, प्रशासनिक मदक ार्य पर व्यय रू0 163699.00, गौशाला स्थल पर व्यय रू0 318467.00, साफ सफाई/कूड़ा गाड़ी पर व्यय रू0 17298.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 5012843.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 5012843.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-18

ग्राम पंचायत करदहा में वर्ष के दौरान स्टेश्नरी मद मे व्यय रू0 39189.00 , वाटर सप्लाई मद मे व्ययरू0 167162.00 ,पंचायत राज कार्यक्रम मद मे व्यय रू0 1682077.00, राजकीय चिकित्सालय मद मंे व्यय रू0 242778.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 463665.00, इन्टरलाॅकिंग कार्य मद मंे व्यय रू0 626881.00, खड़ंजा निर्माण मद कार्य पर व्यय रू0 902440.00, गौशाला स्थल पर व्यय रू0 185675.00, पंचायत मरम्मत कार्य पर व्यय रू0 239860.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू04549727.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4549727.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-19

ग्राम पंचायत सगौली में वर्ष 2018-19 के दौरान कैशबुक,व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य की स्टीमेंट,परिमाप पुस्तिका,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर,ई0एम0एम0 मे व्यय रू0 790987.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 8478188.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 790987.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सगौली में वर्ष 2019-20 के दौरान कैशबुक,व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य की स्टीमेंट,परिमाप पुस्तिका,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर,ई0एम0एम0 मे व्यय रू0 895968.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 895968.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 895968.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-20

ग्राम पंचायत महारानीखेड़ा में वर्ष 2018-19 के दौरान कैशबुक,व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य की स्टीमेंट,परिमाप पुस्तिका,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर,ई0एम0एम0 मे व्यय रू0 1960750.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1960750.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1960750.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत महारानीखेड़ा में वर्ष 2019-20 के दौरान कैशबुक,व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य की स्टीमेंट,परिमाप पुस्तिका,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर,ई0एम0एम0 मे व्यय रू0 1940016.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 1940016.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1940016.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-21

ग्राम पंचायत असरीखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 50713.00 , तकनीकि एवं प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 38617.00 ,गौवंश आश्रय स्थल कार्य मद मे व्यय रू0 248004.00, नाली निर्माण मद मंे व्यय रू0 364687.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 40720.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 742741.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 742741.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-22

ग्राम पंचायत गालिबपुर में वर्ष के दौरान प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 42000.00 , हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 67658.00, हैल्थ एवं फैमिली वेल्फेयर मद में व्यय रू0 161655.00,तकनीकि एवं प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 127261.00,जल निकासी मद में व्यय रू0 135625.00,डस्टिबिन मद में व्यय रू0 93456.00,कूड़ा गाड़ी मद में व्यय रू0 17298.00,नाली निर्माण मद मंे व्यय रू0 80585.00,पंचायती राज कार्यक्रम हेतु मद में व्यय रू0 502985.00,गौवंश आश्रय स्थल कार्य मद मे व्यय रू0 52699.00, मेन्टीनेन्स आॅफ कम्सूनिटी मद में व्यय रू0 1181210.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2462432.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2462432.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-23

ग्राम पंचायत चिलौली में वर्ष 2018-19 के दौरान कैशबुक,व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य की स्टीमेंट,परिमाप पुस्तिका,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर,ई0एम0एम0 मे व्यय रू0 1756848.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1756848.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1756848.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चिलौली में वर्ष 2019-20 के दौरान कैशबुक,व्यय प्रमाणक,निर्माण कार्य की स्टीमेंट,परिमाप पुस्तिका,निर्माण कार्य रजिस्टर,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर,ई0एम0एम0 मे व्यय रू0 673336.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 673336.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 673336.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-24

ग्राम पंचायत संदाना में वर्ष के दौरान प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 365834.00 , हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 316790.00, हैल्थ एवं फैमिली वेल्फेयर मद में व्यय रू0 23298.00,तकनीकि एवं प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 25976.00,जल निकासी मद में व्यय रू0 490731.00,डस्टिबिन मद में व्यय रू0 629683.00,कूड़ा गाड़ी मद में व्यय रू0 136590.00,नाली निर्माण मद मंे व्यय रू0 701904.00,पंचायती राज कार्यक्रम हेतु मद में व्यय रू0 389243.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट

के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3080049.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3080049.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास ख्ंाण्ड- पुरवा

प्रस्तर संख्या-25

ग्राम पंचायत मुरैता में वर्ष के दौरान खडंजा मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 25600.00,खडंजानिर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 168041.00 ,इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 242981.00, विभिन्न कार्यो पर प्रमाणक विहीन मे व्यय रू0 158754.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 595376.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 595376.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-26

ग्राम पंचायत फतेहगंज में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 101395.00,नाली निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 120361.00 ,खडंजा निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 204314.00, प्राथमिक विद्यालय मे कराये गये निर्माण मे व्यय रू0 44730.00, इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 638570.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 128524.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1237894.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1237894.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-27

ग्राम पंचायत धिरजीखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 326336.00 ,नाली निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 183193.00 ,खडंजा निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 63880.00, प्राथमिक विद्यालय मे कराये गये निर्माण मे व्यय रू0 99743.00, इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 357460.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 65060.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1300526.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1300526.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-28

ग्राम पंचायत चमियानी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 566591.00 ,नाली निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 1194025.00 ,खडंजा निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 1551358.00, इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 274162.00,, उपरोक्त के अतिरिक्त

विभिन्न कार्यों पर व्यय रू0 488441.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 4074577.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4074577.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-29

ग्राम पंचायत भूलेमऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 197426.00 ,कूड़ादान मद में व्यय रू0 337768.00 ,नाली निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 41380.00,प्राथमिक विद्यालय मे कराये गये निर्माण मे व्यय रू0 248531.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 330802.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर व्यय रू0 144619.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1300526.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1300526.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-30

ग्राम पंचायत भदनान में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 197346.00 ,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 198800.00 ,पंवायती भवन निर्माण मद में व्यय रू0 336485.00,हयूम पाईप मद मे व्यय रू0 55660.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो में व्यय रू0 307717.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर व्यय रू0 144619.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1096008.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1096008.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-31

ग्राम पंचायत भाटमऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 90089.00 ,स्ट्रीट लाईटनाली निर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 179547.00 , खड़ंजा निर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 102329.00,प्राथमिक विद्यालय मे कराये गये निर्माण मे व्यय रू0 107536.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 676945.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर व्यय रू0 52375.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1568829.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1568829.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-32

ग्राम पंचायत अटवट में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 47165.00,स्ट्रीट लाईटनाली निर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 97050.00 , नालीनिर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 424032.00,खड़ंजा निर्माण मे व्यय रू0 123298.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यों पर व्यय रू0 637410.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1328955.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में

अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1328955.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-33

ग्राम पंचायत भुपतपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 52579.00 ,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 161279.00 ,खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 189408.00,हयूम पाईप मद मे व्यय रू0 27629.00,प्राथमिक विद्यालय निर्माण में व्यय रू0 296631.00, इन्टरलाॅकिंग मद मे व्यय रू0 677219.00,भवन/आॅगनवाड़ी समुदाय केन्द्र रिपेयरिंग मद मे व्यय रू0 106000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो मे व्यय रू0 358258.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1869003.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1869003.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-34

ग्राम पंचायत लंगरपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 55220.00 , खड़ंजा निर्माण मद में व्यय रू0 77572.00,प्राथमिक विद्यालय निर्माण में व्यय रू0 886882.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो मे व्यय रू0 60295.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1079969.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1079969.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-35

ग्राम पंचायत लखमदेमउ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 194526.00,प्राथमिक विद्यालय निर्माण में व्यय रू0 46454.00,इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 711225.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 259902.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1212107.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1212107.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-36

ग्राम पंचायत कोडरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 58672.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 237916.00,प्रथमिक विद्यालय मे कराये गये निर्माण मे व्यय रू0 345949.00,भवन /आॅगनवाड़ी समुदायिक केन्द्र में व्यय रू0 116879.00 उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 562236.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के

अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1321652.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1321652.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-37

ग्राम पंचायत जमूरपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 52486.00 , खड़ंजा निर्माण मद में व्यय रू0 883578.00,प्राथमिक विद्यालय निर्माण में व्यय रू0 369000.00,इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 189428.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो मे व्यय रू0 74695.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1569187.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1569187.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-38

ग्राम पंचायत मिर्जापुर सुमारी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 107830.00,हयूम पाईपमद में व्यय रू0 75854.00,इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 290187.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो मे व्यय रू0 682909.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1156780.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1156780.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-39

ग्राम पंचायत बेहटा भवानी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 117739.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 908278.00,खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 639644.00, इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 1270267.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 1452033.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 4387961.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा मेंअपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4387961.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-40

ग्राम पंचायत बनिगांव में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 231772.00,स्ट्रीट लाईटा मद में व्यय रू0 124600.00,खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 198530.00, पंचायत भवन के निर्माण  मद मे व्यय रू0 222000.00,हयूप पाईप मद मे व्यय रू0 41745.00,प्राथमिक विद्यालय मे कराये गये निर्माण मे व्यय रू0 344785.00, भवन आंगनवाड़ी मद मे व्यय रू0 210708.00 उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 739262.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2113402.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर

8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2113402.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-41

ग्राम पंचायत अशेहरू में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 51734.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 131100,इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 111893.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 619054.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 913781.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 913781.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-42

ग्राम पंचायत कसरौर में वर्ष के दौरान चैदहवे वित्त अनुदान कार्यो में व्यय रू0 4053839.00,राज्य वित्त अनुदान के कराये गये कार्यो मे व्यय रू0 24500.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 4078339.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4078339.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-43

ग्राम पंचायत मझिगवासदकू में वर्ष के दौरान चैदहवे वित्त अनुदान कार्यो में व्यय रू0 714345.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 714345.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 714345.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-44

ग्राम पंचायत बहरौर बुजुर्ग में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 111459.00,,खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 607649.00, प्राथमिक विद्यालय निर्माण में व्यय रू0 65722.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो मे व्यय रू0 541778.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1326608.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1326608.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-45

ग्राम पंचायत टिकरकला में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 88024.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 81475.00, नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 202717.00,खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 152108.00, इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 860218.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो मे व्यय रू0 112400.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के

अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1496942.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1496942.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-46

ग्राम पंचायत छूलामऊ में वर्ष के दौरान चैदहवे वित्त अनुदान कार्यो में व्यय रू0 1530893.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1530893.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1530893.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-47

ग्राम पंचायत सिजनी सोहरामऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 173035.00,स्ट्रीट लाईटा मद में व्यय रू0 86000.00, नाली निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 158455.00, खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 296185.00,इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 795302.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 53815.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1562792.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1562792.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-48

ग्राम पंचायत सेमरीमऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 58000.00,नाली निर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 393466.00, खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 101833.00,इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 733433.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 57360.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1344092.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1344092.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-49

ग्राम पंचायत सलेथू में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 50000.00,नाली निर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 1025897.00, खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 232812.00,इन्टरलाकिंग उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 100368.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1409077.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने

के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1409077.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-50

ग्राम पंचायत रघुनाथपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 274798.00,नाली निर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 177730.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 28074.00,इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 543776.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 31500.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1055878.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1055878.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-51

ग्राम पंचायत पिंजरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 69513.00,नाली निर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 43000.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 97350.00,इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 391153.00, इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 894154.00 भवन आॅगनवाड़ी मद में व्यय रू0 106000.00 उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 626298.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2227468.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2227468.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-52

ग्राम पंचायत पलहरी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 793430.00,नाली निर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 150381.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 448344.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 45210.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 723278.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 723278.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-53

ग्राम पंचायत पकराबुजुर्ग में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 225543.00,नाली निर्माण/मरम्मतमद में व्यय रू0 274706.00, खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 119801.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 138293.00, इन्टरलॉकिंग मद मे व्यय रू0 349445.00 उरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 86120.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1193908.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के

अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1193908.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-54

ग्राम पंचायत नाथीखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 255781.00, खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 290358.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 260502.00, इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 882338.00 उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 229678.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1918657.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1918657.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-55

ग्राम पंचायत नवाब में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 18903.00, खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 132862.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 357878.00, भवन आॅगनवाड़ी  मद मे व्यय रू0 105908.00 उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 28000.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 643551.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 643551.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-56

ग्राम पंचायत अड़गाव पासाखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 285828.00, स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 150500.00 ,कूड़ादान मद मे व्यय रू0 48900.00, नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 59350.00,इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 1149060.00 उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 233959.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1927597.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1927597.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-57

ग्राम पंचायत तुसरौर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 232487.00, स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 198800.00 ,कूड़ादान मद मे व्यय रू0 170391.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 374600.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 976278.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 976278.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-58

ग्राम पंचायत पुरन्दरपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 40330.00, स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 109932.00 ,कूड़ादान मद मे व्यय रू0 42752.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 119594.00,इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 349668.00

उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 151217.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 813493.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 813493.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-59

ग्राम पंचायत जगतखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 90000.00 ,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 60370.00 ,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 912581.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 23822.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1086773.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1086773.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-60

ग्राम पंचायत बेवलमंशाखेड़ा में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 599103.00 ,इन्टरलाॅकिंग मद मे व्यय रू0 1328920.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 230847.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2158870.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2158870.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-61

ग्राम पंचायत बिसनूखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 287641.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 287641.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 287641.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-62

ग्राम पंचायत चद्रसेना में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में व्यय रू0 20420.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 31500.00, खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 99706.00, सी0सी0 रोड/इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 361279.00, विभ्न्नि कार्यो पर व्यय रू0 43214.00 का व्यय किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 556119.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 556119.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-63

ग्राम पंचायत धीनाखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में व्यय रू0 183642.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 64926.00,खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 20020.00, सी0सी0 रोड/इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 115032.00, विभ्न्नि कार्यो पर व्यय रू0 67138.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 1010859.00,अतिरिक्त विभिन्न कार्य में व्यय रू0 74520.00 का व्यय किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1516117.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1516117.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-64

ग्राम पंचायत रामाअमरापुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में व्यय रू0 80025.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 9260.00, खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 364099.00, सी0सी0 रोड/इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 70376.00, विभ्न्नि कार्यो पर व्यय रू0 564986.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 141674.00 का व्यय किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1230420.00रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1230420.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-65

ग्राम पंचायत ऊचगांवकिला में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में व्यय रू0 130719.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 24934.00, खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 217856.00, सी0सी0 रोड/इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 49137.00, विभ्न्नि कार्यो पर व्यय रू0 189625.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 462784.00,अतिरिक्त विभिन्न कार्य में व्यय रू0 469410.00 का व्यय किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1544465.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1544465.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-66

ग्राम पंचायत ित्रपुरारपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 366580.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 86000.00, खड़ंजा निर्माण मद में व्यय रू0 434982.00,इन्टर लॉकिंग मद मे व्यय रू0 1764246.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 102480.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2754288.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2754288.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-67

ग्राम पंचायत बैजुवामऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 41780.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 200367.00,खड़ंजा निर्माण मद में व्यय रू0 252726.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 130109.00,इन्टर लॉकिंग मद मे व्यय रू0 191447.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 70850.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 887279.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 887279.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-68

ग्राम पंचायत ऊचगांव सानी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 153790.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 197799.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 1650372.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 35448.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2037409.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2037409.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-69

ग्राम पंचायत सरसों में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 60000.00,खड़ंजा निर्माण मद में व्यय रू0 563950.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 996412.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 996412.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-70

ग्राम पंचायत तरागढ़ी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 51464.00,खड़ंजा निर्माण मद में व्यय रू0 541904.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 50430.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 643798.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 643798.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-71

ग्राम पंचायत टीकरखुर्द में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 141408.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 65290.00, पंचायत भवन मद में व्यय रू0 147529.00,इन्टर लॉकिंग मद मे व्यय रू0 300888.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 325195.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 980310.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन

है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 980310.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-72

ग्राम पंचायत महरामऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 108228.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 97050.00, कूड़ा दान मद में व्यय रू0 18368.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 197361.00,इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 498004.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 546231.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1465242.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1465242.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-73

ग्राम पंचायत ममरेजपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 64888.00,कूड़ा दान मद में व्यय रू0 18850.00,खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 105421.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 44808.00,इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 244195.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 93150.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 571312.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 571312.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड- असोहा

प्रस्तर संख्या-74

ग्राम पंचायत मदारपुर नरायनपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 89330.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 133722.00,इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 739844.00उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 220895.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 118379.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 118379.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-75

ग्राम पंचायत शाहबादग्रंट में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 266484.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 292320.00,कूड़ादान मद मे व्यय रू0 44304.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 78644.00,खड़ंजा निर्माण मद में व्यय रू0 285747.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 118144.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1085643.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1085643.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-76

ग्राम पंचायत उतरौरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 71690.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 96000.00,कूड़ादान मद मे व्यय रू0 33394.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 16100.00,खड़ंजा निर्माण मद में व्यय रू0 189305.00,प्रथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 42759.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 162350.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 630461.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 630461.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-77

ग्राम पंचायत तुरीक्षवीनाथ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 60120.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 130000.00, नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 125254.00, कूड़ादान मद मे व्यय रू0 896057.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 262468.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1473899.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1473899.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-78

ग्राम पंचायत मलिहागाढ़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 193764.00,कूड़ादान मद मद में व्यय रू0 33394.00, नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 256735.00, खड़ंजा निर्माणमद मे व्यय रू0 134914.00,पंचायत भवन मद में व्यय रू0 68255.00,प्रथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 35755.00,इन्टरलॉकिंग मउ में व्यय रू0 115338.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 901539.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1739694.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1739694.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-79

ग्राम पंचायत चैपई में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 319447.00, कूड़ादान मद मद में व्यय रू0 234200.00, नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 383327.00, खड़ंजा निर्माणमद मे व्यय रू0 1202176.00,हयूम पाईप मद में व्यय रू0 250189.00,प्रथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 189187.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 483977.00,भवन आॅगनवाड़ी मद में व्यय रू0 76315.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 1917139.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 5055957.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 5055957.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-80

ग्राम पंचायत पाठकपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 78163.00, कूड़ादान मद मद में व्यय रू0 33394.00, नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 243800.00, खड़ंजा निर्माणमद मे व्यय रू0 467898.00, प्रथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 370301.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 1002092.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 1983716.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 4179364.00 का व्यय किया गया

जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4179364.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-81

ग्राम पंचायत पिपरी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 155645.00, कूड़ादान मद मद में व्यय रू0 143000.00, नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 90480.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 1145200.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1534325.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1534325.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-82

ग्राम पंचायत दऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 699683.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 192000.00,कूड़ादान मद मद में व्यय रू0 11200.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 463913.00,खड़ंजा निर्माणमद मे व्यय रू0 2323170.00,हयूम पाईप मद में व्यय रू0 196432.00,प्रथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 35250.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 54249.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 2635842.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 6611739.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 6611739.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-83

ग्राम पंचायत जबरैला में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 144948.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 195000.00,नाली निर्माणमद में व्यय रू0 491303.00,खड़ंजा निर्माणमद मे व्यय रू0 456851.00, पंचायत भवनमद मे व्यय रू0 128936.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 150348.00,भवन मद में व्यय रू0 377009.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 1192736.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3137131.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3137131.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-84

ग्राम पंचायत नीमैचा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 19260.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 78000.00,नाली निर्माणमद में व्यय रू0 137000.00,खड़ंजा निर्माणमद मे व्यय रू0 65000.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 208274.00,भवन मद में

व्यय रू0 25200.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 333958.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 866692.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 866692.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-85

ग्राम पंचायत दसगवां में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 347304.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 141550.00,कूड़ागाड़ी मद में व्यय रू0 23300.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 361692.00,खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 856241.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 10178.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 682330.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2422595.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2422595.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-86

ग्राम पंचायत कंचनपुर में वर्ष 2014-15 के विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 575232.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 575232.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 575232.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कंचनपुर में वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 219032.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 219032.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 219032.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कंचनपुर में वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 500936.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 500936.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 500936.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कंचनपुर में वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 863233.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 863233.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 863233.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कंचनपुर में वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 1725086.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 1725086.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1725086.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कंचनपुर में वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 543936.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 543936.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 543936.00 इस प्रकारग्राम पंचायत कंचनपुर में वर्ष 2014-15 से 2019-20 में कुल व्यय रू0 4427455.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-87

ग्राम पंचायत मनिकापुर में वर्ष 2016-17 के विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 767593.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान कुल रू0 767593.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 767593.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मनिकापुर में वर्ष 2017-18 के विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 427115.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान कुल रू0 427115.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 427115.00इस प्रकारग्राम पंचायत मनिकापुर में वर्ष 2016-17 से 2019-20 में कुल रू0 1194708.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-88

ग्राम पंचायत बीकामऊ में वर्ष 2015-16 के विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 162689.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2015-16के दौरान कुल रू0 162689.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन

है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 162689.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बीकामऊ में वर्ष 2016-17 के विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 1071977.93 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान कुल रू0 1071977.93का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1071977.93को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बीकामऊ में वर्ष 2017-18 के विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 916146.70 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान कुल रू0 916146.70 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 916146.70इस प्रकारग्राम पंचायत बीकामऊ में वर्ष 2015-16 से 2019-20 में कुल रू0 2150814.61 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-89

ग्राम पंचायत बिलौरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 147700.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 337073.00,इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 1224111.00,सी0सी0रोड निर्माण मद में व्यय रू0 143327.00.00,प्राथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 154000.00,इन्टरलॉकिंग टाईल्स मद में व्यय रू0 323783.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 818829.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3148823.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3148823.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-90

ग्राम पंचायत सरेया न्यू में वर्ष 2013-14 के विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 919520.55 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान कुल रू0 919520.55 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 919520.55को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सरेया न्यू में वर्ष 2014-15 के विभिन्न कार्यो पर प्रमाण विहीन एवं विवरणहीन व्यय दर्शित कर धन का गबन व्यय रू0 706254.40 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान कुल रू0 706254.40 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 706254.40इस प्रकारग्राम पंचायत सरेया न्यू में वर्ष 2013-14 व 2019-20 में कुल व्यय रू0 1625774.95 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड- सिकन्दरपुर सिरोसी

प्रस्तर संख्या-91

ग्राम पंचायत सैयद अब्बासपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 230373.00, स्ट्रीट लाईटमद में व्यय रू0 19554.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 10500, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 93970.00,प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 11975.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो के मद में व्यय रू0 16800.00 किया गया, इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 862853.00, शौचालय मद में व्यय रू0 59590.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1305615.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1305615.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-92

ग्राम पंचायत अगेहरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 81884.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 1382605.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 45500.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 189051.00,विद्यालय टाईल्स मद मे व्यय रू0421337.00, इन्टरलॉकिंग निर्माणमद में व्यय रू0 776656.00 किया गया, इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 19824.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 19200.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 2936057.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2936057.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-93

ग्राम पंचायत कनिकामऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 58580.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 39314.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 49000.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 14103.00,विद्यालय टाईल्स मद मे व्यय रू0478029.00, इन्टरलॉकिंग निर्माण मद में व्यय रू0 81980.00 किया गया, इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 67827.00, प्रशासनिक मद में व्यय रू0 14035.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 157393.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 960261.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 960261.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-94

ग्राम पंचायत चिलौला में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 69895.00, सी0सी0रोड मद में व्यय रू0 2061991.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 54000.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 710754.00,विद्यालय टाईल्स मद मे व्यय रू0 461615.00, इन्टरलॉकिंग निर्माण मद में व्यय रू0 390288.00 किया गया, प्रशासनिक मद में व्यय रू0 5850.00, अन्य मद में व्यय रू0 297024.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 4051417.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम

पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4051417.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-95
ग्राम पंचायत सन्नी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 223717.00, सी0सी0रोड मद में व्यय रू0 131277.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 56000.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 483645.00,विद्यालय टाईल्स मद मे व्यय रू0 63705.00, इन्टरलाॅकिंग निर्माण मद में व्यय रू0 343744.00 किया गया, प्रशासनिक मद में व्यय रू0 190365.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1492453.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1492453.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-96
ग्राम पंचायत परमनी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 65480.00, सी0सी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू01401426.00,ग्राम प्रधान मद में व्यय रू0 66500.00,अन्य मद में व्यय रू0 19500.00, मरम्मत मद में व्यय रू0 87503.00,प्रशासनिक मद में व्यय रू0 42054.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1682463.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1682463.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड- सिकन्दरपुर करन
प्रस्तर संख्या-97
ग्राम पंचायत टिकौला में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 39550.00, सी0सी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 47200.00,प्राथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 496848.00,अन्य मद में व्यय रू0 510536.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 146230.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1240364.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1240364.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-98
ग्राम पंचायत बधिमाखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 194357.00, नाली निर्माण मद में व्यय रू0 135877.00,प्राथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 331935.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 248540.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 910709.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के

अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 910709.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-99
ग्राम पंचायत बैदरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 105009.00, नाली निर्माण मद में व्यय रू0 207000.00,खड़ंजा/निर्माण मद में व्यय रू0 224500.00,पंचायत भवन निर्माण मद में व्यय रू0 40000.00,प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 154303.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 161910.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 892722.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 892722.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-100
ग्राम पंचायत कठार में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 472039.00, नाली निर्माण मद में व्यय रू0 314940.00,खड़ंजा/निर्माण मद में व्यय रू0 168287.00,इन्टरलाॅकिंग निर्माण मद में व्यय रू0 1009824.00,प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 238000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 385580.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 2588670.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2588670.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-101
ग्राम पंचायत भैसयीकोयल में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 119121.00, नाली निर्माण मद में व्यय रू0 35000.00,हयूम पाईप मद में व्यय रू0 759025.00,प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 468373.00,इन्टरलाॅकिंग निर्माण मद में व्यय रू0 732859.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 34600.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 2148978.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2148978.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड- नवाबगंज
प्रस्तर संख्या-102
ग्राम पंचायत बहाउद्दीनपुर में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 124926.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 33835.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 472661.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 815478.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1092207.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बहाउद्दीनपुरमें वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 96300.00,नाली निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 211924.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 1518222.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 2146072.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2146072.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-103

ग्राम पंचायत कुंजनपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 19950.00 रू0 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 19950.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 19950.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-104

ग्राम पंचायत रैनापुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 34500.00, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 367832.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 31500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 433832.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 433832.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-105

ग्राम पंचायत पासाखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 27800.00, नाली निर्माण मद में व्यय रू0 509785.00,हयूम पाईप मद में व्यय रू0 1591692.00,प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय मद में व्यय रू0 188389.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 372080.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 2689746.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2689746.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-106

ग्राम पंचायत अजगैन में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 131553.00, नाली निर्माण मद में व्यय रू0 2845073.00,हयूम पाईप मद में व्यय रू0 799012.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 1481311.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 5256949.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 5256949.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-107

ग्राम पंचायत कटेहरू में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 162766.00, नाली निर्माण मद में व्यय रू0 195000.00,हयूम पाईप मद में व्यय रू0 19200.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 355239.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 739048.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1471253.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2148978.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-108

ग्राम पंचायत गौरीदेवरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में 83615.00, नाली निर्माण मद में व्यय रू0 462949.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 1122706.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1669270.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1669270.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-109

ग्राम पंचायत अजीजपुर में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 119480.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 2032489.00, विद्यालय मद में व्यय रू0 79000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 143534.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 2374503.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2374503.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अजीजपुर में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 565628.00.00,नाली निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 328610.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 695312.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 1589550.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1589550.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-110

ग्राम पंचायत रायपुर खैलामऊ में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 224740.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 95000.00, विद्यालय मद में व्यय रू0 571588.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 97883.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 989211.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का

प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2374503.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत रायपुर खैलामऊ में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 32150.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 207484.00, नाली निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 90088.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 129141.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 367864.00,सी0सी0रोड निर्माण मद में व्यय रू0 477573.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 1304300.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1304300.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-111

ग्राम पंचायत अर्जुनामऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 174682.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 331836.00, निर्माण खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 1281804.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 77000.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1865322.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1865322.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-112

ग्राम पंचायत ऐतबारपुर में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 233855.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 473255.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1456446.00, प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 35000.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 487428.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 9000.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 2694984.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2694984.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत ऐतबारपुर में वर्ष 2019-20के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 25400.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 127677.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 633579.00, प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 45500.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष2019-20 के दौरान कुल रू0 832156.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध

हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 832156.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-113

ग्राम पंचायत कुशहरी में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 296705.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 530431.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1654063.00, प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 52500.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 98450.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 17375.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 2649524.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2649524.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कुशहरी में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 163150.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 200000, प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 35000.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 25000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष2019-20 के दौरान कुल रू0 423150.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 423150.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-114

ग्राम पंचायत कुसुम्भी में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 223100.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 949997.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 2244916.00, प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 31500.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 215700.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 29500.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 3694713.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3694713.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कुसुम्भीमें वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 45000.00,मजदूरीमद मे व्यय रू0 252688.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 4272678.00 प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 66500.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 292400.00

इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 4929266.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4929266.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-115

ग्राम पंचायत केवाना में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 106865.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 407471.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1192928.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 74545.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1781809.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1781809.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।
ग्राम पंचायत केवानामें वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 54550.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 98695.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1660407.00 प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 21000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 248500.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 10000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 2093152.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2093152.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-116

ग्राम पंचायत अजैयाखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 148450.00, नाली निर्माण मद में व्यय रू0 292964.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 43175.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 38500.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मे व्यय रू0 29980.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 553069.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 553069.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-117

ग्राम पंचायत बजेहरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 112256.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 677229.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 2229542.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 4200000.00,एल0ई0डी0 लाईट मद मे व्यय रू0 98000.00, अन्य मद में व्यय रू0 20000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3179027.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3179027.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-118

ग्राम पंचायत पाली में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 207040.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 103286.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 877485.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 31500.00,लाईट मद मे व्यय रू0 292320.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1511631.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1511631.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-119

ग्राम पंचायत निबहरी कल्यानपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 89600.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1587666.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 42000.00, अन्य मद मे व्यय रू0 30000.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1728786.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1728786.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-120

ग्राम पंचायत गोकुलपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 47720.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 233725.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 823861.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 44768.00, अन्य मद में व्यय रू0 9600.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1159674.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1159674.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-121

ग्राम पंचायत लालपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 110900.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 415458.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 382161.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 28000.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 81250.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1017769.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1017769.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-122

ग्राम पंचायत मद्दूखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 55050.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 103398.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 811524.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 45500.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 15000.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1030472.00 का व्यय

किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1030472.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-123

ग्राम पंचायत सेरसा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 172000.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 337931.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 4709539.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 24500.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 32000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 5275970.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 5275970.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-124

ग्राम पंचायत सलेमपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 62900.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 376574.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1814262.00, स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 81250.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2334986.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2334986.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-125

ग्राम पंचायत सरोसा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 58900.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 58900.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 58900.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-126

ग्राम पंचायत सरोतीमें वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 31611.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 311396.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 471918.00, प्रधान मानदेयमद मे व्यय रू0 52500.00,अन्य मद में व्यय रू0 47163.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 914588.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित

एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 914588.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-127

ग्राम पंचायत सेरवा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 74600.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 242626.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 824191.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 31500.00,एल0ई0डी0 लाईट मद में व्यय रू0 98450.00,अन्य मद में व्यय रू0 221376.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1492743.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1492743.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-128

ग्राम पंचायत सोहरामऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 39715.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 105493.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 775490.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 920698.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 920698.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-129

ग्राम पंचायत हसनापुर में वर्ष के दौरान मजदूरी मद मे व्यय रू0 1196970.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1055314.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 42000.00,एल0ई0डी0 लाईट मद में व्यय रू0 98000.00,अन्य मद में व्यय रू0 6919.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2399203.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2399203.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-130

ग्राम पंचायत अमरेथा में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 51477.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 321950.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1241206.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 14000.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 13236.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 16418699.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 16418699.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अमरेथामें वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 78172.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 259070.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1831980.00, प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 42000.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 28050.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान

कुल रू0 2339272.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2339272.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-131

ग्राम पंचायत बरूवा में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 152931.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 180717.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 512459.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 45500.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 171600.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 29000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1092207.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1092207.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बरूवा में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 80000.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 39000.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 385013.00, प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 35000.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 47450.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 586463.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 586463.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-132

ग्राम पंचायत पिपरोसा में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 62421.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 673417.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1660712.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 63000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 97276.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 53120.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 2609946.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2609946.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत पिपरोसामें वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 19300.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 10000.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 29300.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 29300.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-133

ग्राम पंचायत नानाटीकुर में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 85200.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 472353.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 726121.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 21000.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 30000.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 30000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1334674.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1334674.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत नानाटीकुरमें वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 89600.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 355455.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1525428.00, प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 42000.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 30000.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 30000.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 2022483.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2022483.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-134

ग्राम पंचायत दिपवल में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 44252.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 246684.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 951807.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 42000.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 156354.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1436688.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1334674.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत दिपवल में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 38567.00,प्रधानमानदेय मद मे व्यय रू0 10500.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 20000.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 69067.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 69067.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-135

ग्राम पंचायत डहरौली में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 45450.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 413086.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 831298.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 38500.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 186150.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 80045.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1594529.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की

धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1594529.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत डहरौलीमें वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 173190.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 173190.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 173190.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-136

ग्राम पंचायत जन्सार में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 143239.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 514590.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 3837951.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 26700.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 4522480.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4522480.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जन्सार में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 118592.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 999049.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 2758679.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 42000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 3918320.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3918320.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-137

ग्राम पंचायत जगदीशपुर में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 240243.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 295920.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 919835.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 24500.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 192500.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू0 60575.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1733573.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1733573.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत जगदीशपुरमें वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 96250.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 247030.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1395152.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 8789.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 1747221.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध

हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1747221.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-138

ग्राम पंचायत चमरौली में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 327700.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 514267.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 17855058.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 45500.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 548900.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 3221425.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3221425.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत चमरौली में वर्ष 2019-20 के दौरानमजदूरी मद में व्यय रू0 530022.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 2865762.00,अन्य व्यय मद में व्यय रू0 123400.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 3519184.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3519184.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-139

ग्राम पंचायत गौराकठेरूआ में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 84720.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 328526.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1039435.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1487681.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1487681.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत गौराकठेरूआ में वर्ष 2019-20 के दौरानहैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 79750.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 738044.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 2579168.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 389760.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 3821722.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3821722.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-140

ग्राम पंचायत सधीरा में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 149828.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 281248.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1253343.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 28000.00, एल0ई0डी0 लाईट मद में व्यय रू0 96250.00 अन्य व्यय मद में व्यय रू0 57000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1865669.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1865669.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत सधीरा में वर्ष 2019-20 के दौरानहैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 143500.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 328563.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1936593.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 49000.00,अन्य मद में व्यय रू0 315972.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 2783628.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2783628.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-141

ग्राम पंचायत भौली में वर्ष के दौरान मजदूरी मद में व्यय रू0 2594950.00,निर्माण सामग्री ब्रिक इंटरलॉकिंग मद में व्यय रू0 6149824.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 8744774.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 8744774.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-142

ग्राम पंचायत बिचपरी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 114810.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 27968.00 ,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 107853.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 21000.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 10000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 281631.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 281631.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-143

ग्राम पंचायत शाहपुर में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 38158.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 280209.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1188739.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 28000.00, स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 97276.00 अन्य मद में व्यय रू0 46907.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत

द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1679289.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1679289.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।
ग्राम पंचायत शाहपुर में वर्ष 2019-20 के दौरानहैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 42771.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 261151.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 990350.00,अन्य मद में व्यय रू0 20000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 1314272.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1314272.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-144

ग्राम पंचायत रायपुरगढ़ी में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 64775.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 372600.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1599019.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 31500.00, स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 97276.00 अन्य मद में व्यय रू0 59163.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 2224333.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2224333.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।
ग्राम पंचायत रायपुरगढ़ी में वर्ष 2019-20 के दौरानहैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 111142.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 902393.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 543611.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 49000.00,अन्य मद में व्यय रू0 39000.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 1645146.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1645146.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-145

ग्राम पंचायत रसूलपुर में वर्ष 2018-19 के दौरान निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 72400.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 72400.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 72400.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।
ग्राम पंचायत रसूलपुर में वर्ष 2019-20 के दौरानहैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 149200.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 101818.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 290167.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 91000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 279500.00,अन्य मद में व्यय रू0 13562.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत

द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 911685.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 911685.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-146

ग्राम पंचायत माकुर में वर्ष 2018-19 के दौरान निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 75000.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 626072.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1960953.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 28000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 389400.00,अन्य मद में व्यय रू0 26700.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 3106125.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3106125.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत माकुरमें वर्ष 2019-20 के दौरान मजदूरी मद मे व्यय रू0 783176.00,निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 2476535.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 24500.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 196900.00,अन्य मद में व्यय रू0 25764.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 3506875.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3506875.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-147

ग्राम पंचायत महनौरा में वर्ष 2018-19 के हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 66800.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 648581.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 2529643.00, अन्य मद में व्यय रू0 7889.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 3252913.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3252913.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत महनौरा में वर्ष 2019-20 के दौरानहैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 11180.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 66288.00,निर्माण सामग्रीमद में व्यय रू0 308575.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 386043.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 386043.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-148

ग्राम पंचायत मलांव में वर्ष 2018-19 के हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 27472.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 766144.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 3254929.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 24500.00,अन्य मद में व्यय रू0 24150.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 4097191.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का

प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4097191.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मलांव में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 20000.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 434560.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 2190402.00,अन्य मद में व्यय रू0 20000.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 2664962.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2664962.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-149

ग्राम पंचायत बिरसिंघपुर में वर्ष 2018-19 के हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 93645.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 400125.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 2059545.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 63000.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 2616315.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2616315.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बिरसिंघपुर में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 175000.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 2730729.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 5984806.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 8890535.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 8890535.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-150

ग्राम पंचायत बिरसिंघी मलेथा में वर्ष 2018-19 के हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 44307.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 405443.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 1461596.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 38500.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान कुल रू0 1949846.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1949846.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत बिरसिंघी मलेथा में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 57530.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 181504.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 756898.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00, अन्य मद में व्यय रू0 20000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान कुल रू0 1050932.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1050932.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड- फतेहपुर चैरासी

प्रस्तर संख्या-151

ग्राम पंचायत सूसूमऊ में इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2028821.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2028821.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-152

ग्राम पंचायत इस्माइलपुर नौगवामें इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1508946.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1508946.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-153

ग्राम पंचायत हयासपुर में वर्ष के दौरान दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाण अनुपलब्ध रू01619413.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1619413.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1619413.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-154

ग्राम पंचायत पिथनहरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद मे व्यय रू0 55800,प्रशासनिक मद में व्यय रू0 50300.00,वाॅल पेन्टिंग मद में व्यय रू0 30000.00,मानदेय मद मे व्यय रू0 31500.00,सामग्री मद में व्यय रू0 375900.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 543500.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 543500.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-155

ग्राम पंचायत समसपुर अटिया कबूलपुर में वर्ष के दौरान कूड़ा गाड़ी मद मे व्यय रू0 48000.00,प्रशासनिक मद में व्यय रू0131948.00हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 152518.00,मानदेय मद मे व्यय रू0 63000.00,इन्टर लाॅकिंग मद मे व्यय रू0 1008956.00,प्रशासनिक मद पर व्यय रू0 49150.00,हैण्ड पम्प रिबोर मद में व्यय रू0 139300.00,मानदेय मद में व्यय रू0 38500.00,सामग्री मद में व्यय रू0 2570304.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 4201676.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न

कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4201676.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड- बीघापुर

प्रस्तर संख्या-156

ग्राम पंचायत धमनीखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 136454.00,कूड़ादान मद मे व्यय रू0 15600.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 57947.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 704619.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 121135.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1035755.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1035755.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-157

ग्राम पंचायत करनाईपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 234641.00 ,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 36000.00,कूड़ादान मद मे व्यय रू0 233321.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 804714.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 105950.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1414626.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1414626.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-158

ग्राम पंचायत अकवाबाद में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 136113.00 ,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 103719.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 329327.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 579963.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1149122.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1149122.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-159

ग्राम पंचायत भैरमपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 204991.00 ,कूड़ादान  निर्माण मद मे व्यय रू0 86450.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 440086.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 119815.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 851342.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 851342.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-160

ग्राम पंचायत परसण्डा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 246795.00 ,कूड़ादान निर्माण मद मे व्यय रू0 42771.00, नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 395069.00,खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 964309.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 191146.00, इन्टरलाकिंग मद मे व्यय रू0 457571.00 उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 620221.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2917882.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2917882.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-161

ग्राम पंचायत घाटमपुर खुर्द में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 281280.00 ,कूड़ादान निर्माण मद मे व्यय रू0 450435.00, नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 905120.00,खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 120228.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1757063.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1757063.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-गंजमुरादाबाद

प्रस्तर संख्या-162

ग्राम पंचायत चोरहा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 74883.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 19010.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 73500.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 365496.00, इन्टरलॉकिंग मद मे व्यय रू0 348982.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 1863783.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1863783.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1863783.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-163

ग्राम पंचायत हसनपुर माजरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 70587.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 16250.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 85005.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 211604.00, इन्टरलॉकिंग मद मे व्यय रू0 371015.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो पर व्यय रू0 45251.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1599427.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0

पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1599427.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-164

ग्राम पंचायत बेहटामुजावर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 176276.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 48750.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 15100.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 132474.00, पंचायत भवन मद मे व्यय रू0 302518.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 122140.00,इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 731422.00, अन्तेष्ठी मद में व्यय रू0 175714.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 43769.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3496332.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3496332.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-165

ग्राम पंचायत सहदानी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 50570.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 161040.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 148227.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 33529.50, पंचायत भवन मद मे व्यय रू0229244.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 19755.40इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1284733.80का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1284733.80को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-166

ग्राम पंचायत हरईपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 24800.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 387693.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 484413.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 93723.50,इन्टरलाॅकिंग मद मे व्यय रू0605129.50,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 76175.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3343869.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3343869.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-167

ग्राम पंचायत दारापुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 61696.50,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 95803.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 183991.50,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 170590.00, इन्टरलाॅकिंग मद मे व्यय रू048817.50,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 76190.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1197987.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय

लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1197987.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-168

ग्राम पंचायत लेहरापुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 102270.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 526424.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 128431.00,इन्टरलॉकिंग मद मे व्यय रू0 468510.00.,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 72877.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1378518.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1378518.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-169

ग्राम पंचायत रघुरामपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 21216.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0222920.50,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 62799.50इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 413872.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 413872.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-170

ग्राम पंचायत मटुकरी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 101221.50,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 152520.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 207032.50,हयूम पाईप मद मे व्यय रू0 48825.00, प्रथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू063002.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 343390.50,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 39300.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1910583.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1910583.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-171

ग्राम पंचायत भिखारीपुर पतसिया में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 29420.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 564632.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 452638.00, इन्टरलॉकिंग मद मे व्यय रू0268721.00,गौशाला निर्माण मद में व्यय रू0 214053.50,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 55409.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3169747.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3169747.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-172

ग्राम पंचायत देवरिया में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 27500.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 371049.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 333248.00, प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 22937.00 ,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 221466.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 50600.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1026800.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1026800.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियोसे अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-173

ग्राम पंचायत जसरापुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 10000.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 46991.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 182838.00, इन्टरलॉकिंग मद मे व्यय रू0 15500.00,अन्तेष्ठी मद में व्यय रू0 273734.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 63668.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1185462.00.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1185462.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-174

ग्राम पंचायत गोशा प्रयागपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 162905.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 19500.00, प्रथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 653845.00, इन्टरलॉकिंग मद मे व्यय रू0 27842.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 64240.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1856664.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1856664.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-175

ग्राम पंचायत गोशा कुतुब में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 53150.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 74297.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 138656.00, प्रथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 104427.50,सी0सी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 121753.00,गौशाला निर्माण मद में व्यय रू0 68620.50,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू01212514.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1856664.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1212514.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-176

ग्राम पंचायत कपूरपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 89453.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 77336.00, ह्यूम पाईप मद मे व्यय रू0 94996.00, प्रथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 210325.50.,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू01090025.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1856664.00

का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1090025.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-177

ग्राम पंचायत सिधरपुरगैर अहतमाली में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 19200.00.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 90762.00, ह्यूम पाईप मद मे व्यय रू0 98602.50, प्रथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 138830.00,इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 1167206.50 उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू068854.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3166922.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3166922.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-178

ग्राम पंचायत असायस में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 161177.50,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 240575.50, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 97075.50,ह्यूम पाईप मद में व्यय रू0 211095.00,प्रथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 551567.50, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू088958.50 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2500899.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2500899.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-179

ग्राम पंचायत इस्माइलपुर अबापारा में वर्ष के दौरान वृक्षा रोपण मद में व्यय रू0 29500.00,प्रथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 410136.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 40880.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 480516.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 480516.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-बांगरमऊ

प्रस्तर संख्या-180

ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद में वर्ष के दौरान वाॅटर सप्लाई एण्ड सेनिटेशन मद में व्यय रू0 199560.00 ,लेबर व मटेरियल आॅन मेंन्टीनेन्स मद मे व्यय रू0 143456.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 49000.00, कूड़ेदान क्रय मद मे व्यय रू0 194200.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1877320.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित

सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1877320.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-181

ग्राम पंचायत कमालपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 51200.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 181574.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 44380.00,ह्यूम पाईप मद में व्यय रू0 29126.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 306280.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 306280.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-182

ग्राम पंचायत मदारनगर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 122300.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 1065581.00, वॉल पेंटिंग मद मे व्यय रू0 15000.00,ह्यूम पाईप मद में व्यय रू0 139886.00,विविध कार्यो में व्यय रू0 36500.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1379267.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1379267.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-183

ग्राम पंचायत जगतनगर एहतमाली में वर्ष के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 258222.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 258222.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-184

ग्राम पंचायत सिन्धुपुर बरिया गाढ़ा में वर्ष के दौरान चतुर्थ राज्य वित्त मद में व्यय रू0 896147.00,चैदहवे केन्द्रीय वित्त मद मे व्यय रू0 1684549.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2580696.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः

ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2580696.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-सफीपुर

प्रस्तर संख्या-185

ग्राम पंचायत अटवा मोहाल ओशिया में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 72800.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 38500.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 17257.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 143034.00,प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 222570.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो के मद में व्यय रू0 458518.00 किया गया, इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 41299.00, शौचालय मद में व्यय रू0 227159.00,खड़ंजा मरम्मत मद में व्यय रू0 61450.00,प्राइमरी विद्यालय मद में व्यय रू0 62385.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1344972.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1344972.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-186

ग्राम पंचायत खरगौरा में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 254436.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 38500.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 58175.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 66750.00,प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 459894.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो के मद में व्यय रू0 32025.00 किया गया, इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 56850.00, शौचालय मद में व्यय रू0 98280.00,खड़ंजा मरम्मत मद में व्यय रू0 198555.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1279215.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1279215.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खरगौरा में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 236366.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 49000.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 140880.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 954022.00,प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 117725.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो के मद में व्यय रू0 125015.00 किया गया, इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 30250.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1653258.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1653258.00इस प्रकार ग्राम पंचायत खरगौरा में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कुल व्यय रू0 2932473.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-187

ग्राम पंचायत गुरधरी में वर्ष 2018-19 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 227740.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 59500.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 87690.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 24000.00,प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 40600.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 439530.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित

एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 439530.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत खरगौरा में वर्ष 2019-20 के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 143935.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 31500.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद मे व्यय रू0 110976.00,प्रशासनिक मद मे व्यय रू0 44800.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो के मद में व्यय रू0 36906.00 किया गया, इन्टरलाॅकिंग मद में व्यय रू0 229526.00, प्लैनटेशन मद में व्यय रू0 64450.00,कूड़ागाड़ी मद में व्यय रू0 33300.00,अन्य मद में व्यय रू0 200116.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 895509.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 895509.00इस प्रकार ग्राम पंचायत खरगौरा में वर्ष 2018-19 व 2019-20 में कुल व्यय रू0 1335039.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-188

ग्राम पंचायत जुझारपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 102935.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 52500.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 58312.00,ह्यूम पाईप मद में व्यय रू0 95014.00,प्रथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 10425.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 164253.00, प्रथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 145470.00,अन्य मद मे व्यय रू0 168944.00,विविध मद मे व्यय रू0 49819.00,कोष बाही मद मे व्यय रू0 13370.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 861042.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 861042.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-189

ग्राम पंचायत जमालनगर अहतमाली में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 177862.00.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 28000.00, खड़ंजा निर्माण मद मे व्यय रू0 48860.00,ह्यूम पाईप मद में व्यय रू0 3500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 258222.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 258222.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-हसनगंज

प्रस्तर संख्या-190

ग्राम पंचायत अमोइया में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत रिबोर मद में व्यय रू0 39725.00, मजदूरी व्यय मद में 186958.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद में व्यय रू0835168.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू031500.00,स्ट्रीट लाईटमद मे व्यय रू0 97500.00 किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1190851.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1190851.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-191

ग्राम पंचायत सन्दाना में वर्ष के दौरान मजदूरी मद मेंव्यय रू0347267.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद में व्यय रू01095293.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू031500.00, स्ट्रीट लाईटमद मे व्यय रू0 195000.00,सोलर लाईट मद मे व्यय रू0 44730.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो के मद में व्यय रू0 28755.00 किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1742545.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1742545.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-192

ग्राम पंचायत हसनगंज में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 179314.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 392222.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद में व्यय रू0 1584444.00, डस्टबिन क्रय मद में व्यय रू0 19200.00, सोलर लाईट मद मे व्यय रू0 175500.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 125700.00,वालॅ पेन्टिंग मद में व्यय रू0 19711.00, अन्य मद में व्यय रू0 73260.00 किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2569351.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2569351.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-193

ग्राम पंचायत हसनापुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 78510.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 169663.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद में व्यय रू0 449821.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 45500.00, कूड़ा गाड़ी मद मे व्यय रू0 16500.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 97500.00, अन्य मद में व्यय रू0 3500.00 किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0860994.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 860994.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-194

ग्राम पंचायत हरौनी शम्शुद्दीनपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 61318.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 76064.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद में व्यय रू0 501663.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 56000.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 97500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0792545.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 792545.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-195
ग्राम पंचायत हँसेवा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 223744.00, अन्य मद में व्यय रू0 12600.00 किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 236344.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 236344.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-196
ग्राम पंचायत रसूलपुर बकिया में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 135630.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 744054.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद में व्यय रू0 2926151.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 31500.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3837335.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3837335.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-197
ग्राम पंचायत रानीखेड़ा खालसा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 55000.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 72522.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद में व्यय रू0 484325.00, डस्टबिन क्रय मद में व्यय रू0 19200.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 631047.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 631047.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-198
ग्राम पंचायत समदपुर भावा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 120605.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 50752.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद में व्यय रू0 163609.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 56000.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 195000.00, सोलर लाईट मद मे व्यय रू0 84000.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 5700.00 किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 675666.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 675666.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-199
ग्राम पंचायत समदपुर हरदासपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 132349.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 119250.00, निर्माण इन्टर लाकिंग मद में व्यय रू0 576245.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 45500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 873344.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही

किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 873344.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-200

ग्राम पंचायत सरायमल कादिम में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 40000.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 98250.00,सोलर लाईट मद में व्यय रू0 92820.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 276578.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1197455.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 38500.00, अन्य मद में व्यय रू0 31559.00 किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1775162.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1775162.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-201

ग्राम पंचायत बाराबुजुर्ग में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 236225.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 198486.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 747691.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 19200.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 195400.00, अन्य मद में व्यय रू0 8244.00 किया गया इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1440246.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1440246.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-202

ग्राम पंचायत फरतपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 74500.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 241639.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1144672.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 42000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 92820.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1595631.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1595631.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-203

ग्राम पंचायत पिलखना रसीदपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 118855.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 215128.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1141923.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 24500.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 195200.00,सोलर लाईट मद में व्यय रू0 168000.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 40132.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1903738.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के

अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1903738.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-204

ग्राम पंचायत पिछवारा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 176342.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 196123.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 569579.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 70000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 162500.00,सोलर लाईट मद में व्यय रू0 394000.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 7700.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1576244.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1576244.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-205

ग्राम पंचायत नेवलगंज में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 273782.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 288063.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1595199.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 31500.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 97350.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 62394 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2348288.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2348288.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-206

ग्राम पंचायत धौरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 240348.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 855531.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 3306902.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 488294.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 9000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 4900075.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4900075.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-207

ग्राम पंचायत छरेहरा में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 203905.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 128826.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 221124.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 42000.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 595855.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 595855.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-208

ग्राम पंचायत धोपाजमुरिया में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 89980.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 158886.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 480332.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 42000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 65000.00,सोलर लाईट मद में व्यय

रू0 92820.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू07550.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 936568.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 936568.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-209

ग्राम पंचायत चाॅदपुर झलहई में वर्ष के दौरान मजदूरी मद मे व्यय रू0 252791.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1011968.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1264759.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1264759.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-210

ग्राम पंचायत चककुशहरी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 20725.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 109929.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 388750.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 31500.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 550904.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 550904.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-211

ग्राम पंचायत गजफरनगर में वर्ष के दौरान वाॅल पेंन्टिग मद में व्यय रू0 6740.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 63541.00,कूड़ादान क्रय मद में व्यय रू0 19200.00, निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 60191.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00,मजदूरी मद में व्यय रू0 11808.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 196480.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 196480.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-212

ग्राम पंचायत खैराबाद में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 195000.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 206377.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 707906.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 38500.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1147783.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर

8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1147783.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-213

ग्राम पंचायत खेरवा अलदादपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 64070.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 235208.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू01567491.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 28000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1894769.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1894769.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-214

ग्राम पंचायत खपरा मुस्लिम में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 230114.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 220788.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 572186.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 42000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 21000.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 171608.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1257696.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1257696.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-215

ग्राम पंचायत कोडरा लखौरा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 19500.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 348958.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1096111.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 38500.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 97770.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1600839.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 936568.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-216

ग्राम पंचायत कायमपुर नेवरवारा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 39500.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 192045.00,मजदूरी मद मे व्यय रू0 432796.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1601310.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 31500.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू05312.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2302463.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2302463.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-217

ग्राम पंचायत कमालपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 325767.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 154268.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1151305.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 31500.00,सोलर लाईट मद में व्यय रू0 19990.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू012253.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1695083.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1695083.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-218

ग्राम पंचायत कइया मदारपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 299462.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 46096.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 156721.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 49000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 194996.00,सोलर लाईट मद में व्यय रू0 189000.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू016218.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 951493.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 951493.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-219

ग्राम पंचायत ऊचाद्वारा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 127200.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 229722.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 845483.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 45500.00,सोलर लाईट मद में व्यय रू0 84904.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1332809.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1332809.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-220

ग्राम पंचायत सकटपुर में वर्ष के दौरान मजदूरी मद मे व्यय रू0 459870.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1681818.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 42000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2183688.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2183688.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-221

ग्राम पंचायत भोगला में वर्ष के दौरान मजदूरी मद में व्यय रू0 197020.00, निर्माण सामग्री मद मे व्यय रू0 821264.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 97350.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू011766.00 इस प्रकार पंचायती

राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1162400.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1162400.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-222
ग्राम पंचायत मटरिया में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 148668.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 594955.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 2215701.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 49000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू063426.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3071750.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 936568.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-223
ग्राम पंचायत मौलाबकीपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 100790.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 413294.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 1626749.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 14000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 8758.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2163591.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2163591.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-224
ग्राम पंचायत रफीगढ़ी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 19600.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 165452.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 334567.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 19200.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 38500.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू05800.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 583119.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 583119.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-225
ग्राम पंचायत बाराखेड़ा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मद में व्यय रू0 92960.00, मजदूरी मद मे व्यय रू0 40420.00,निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 171815.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00,सोलर लाईट मद में व्यय रू0 92820.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 433015.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 433015.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-226

ग्राम पंचायत बरौना नियामतपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 81410.00 ,मजदूरी मद में व्यय रू0 367569.00,खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 1176521.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 42000.00,सोलर लाईट मद मे व्यय रू0 158375.00,रंगाई पुताई मद मे व्यय रू0 57352.00, कूड़ा गाड़ी क्रय मद में व्यय रू0 16500.00, अन्य व्यय मद में व्यय रू08958.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1908685.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1908685.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-227

ग्राम पंचायत नसरतपुर जंगलामऊ में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 36950.00,प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 21000.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 84000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो मे व्यय रू0 10675.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 152625.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 152625.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-228

ग्राम पंचायत जसमदा बब्बन में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 19300.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 98250.00 ,प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 31500.00,नाली निर्माण मद मे व्यय रू0 422006.00,खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद में व्यय रू0 310355.00, गौशाला निर्माण मद में व्यय रू0 207910.00, सी0सी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 448318.00, आंगनवाड़ी केन्द्र रिपेयरिंग मद में व्यय रू0 249191.00,उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो मे व्यय रू0 3000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1789830.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1789830.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-229

ग्राम पंचायत दयालपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 79775.00, स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 403022.00 ,कूड़ादान मद व्यय रू0 19200.00,प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 70000.00,मजदूरी मद व्यय रू0 504811.00, निर्माण खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 1947934.00, उपरोक्त के अतिरिक्त विभिन्न कार्यो मे व्यय रू0 57715.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3082457.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3082457.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-230

ग्राम पंचायत शंकरपुर में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 115252.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 379242.00 , निर्माण खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 1120159.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 38500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1653153.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1653153.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-231

ग्राम पंचायत समदपुर जसमदा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 19300.00 मजदूरी मद में व्यय रू0 134876.00 , निर्माण खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 420765.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 31500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 606441.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 606441.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-232

ग्राम पंचायत बीबीपुर चिरयारी में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 283543.00 मजदूरी मद में व्यय रू0 309178.00 , निर्माण खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 1399640.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 35000.00, सोलर लाईट मद में व्यय रू0 178920.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मे व्यय रू0 30379.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2236660.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2236660.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-233

ग्राम पंचायत ऊचगांव में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 80473.00 मजदूरी मद में व्यय रू0 29050.00 , निर्माण खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 91914.00, सोलर लाईट मद में व्यय रू0 184820.00, उपरोक्त के अतिरिक्त मे व्यय रू0 30379.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 386257.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 386257.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-234

ग्राम पंचायत हाजीपुर त्रेहा में वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मरम्मत एवं रिबोर मद में व्यय रू0 360833.00, मजदूरी मद में व्यय रू0 317553.00 , निर्माण खड़ंजा निर्माण/मरम्मत मद मे व्यय रू0 1197432.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 17500.00,स्ट्रीट लाईट क्रय मद में व्यय रू0 341940.00,रंगाई-पुताई मद में व्यय रू0 8000.00,नाली निर्माण मद में व्यय रू0 88911.00, सी0सी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 676290.00, अन्य व्यय मे प्रमाणक मे रू0 6750.00,अन्य मद में व्यय रू0 14000.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की

अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3256709.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3256709.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-235

ग्राम पंचायत सुन्दरपुर में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावलीमद में व्यय रू0 1113660.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 470590.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1584250.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1584250.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-236

ग्राम पंचायत सैरपुर में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान मद में व्यय रू0 1200877.00, राज्य वित अनुदान मद में व्यय रू0 50650.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1251527.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1251527.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-237

ग्राम पंचायत रामपुर अखोली में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 705667.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 58000.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 763667.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 763667.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-238

ग्राम पंचायत पमेधिया में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 910790.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 165474.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1076264.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1076264.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-239

ग्राम पंचायत निमादपुर में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 2082064.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2082064.00का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2082064.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-240

ग्राम पंचायत नेवाजखेड़ा में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 726570.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 45500.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 772070.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 772070.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-241

ग्राम पंचायत मूसेपुर में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 1187303.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1187303.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1187303.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-242

ग्राम पंचायत लखनापुर में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 1296972.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 514299.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1811271.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की

मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1811271.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-243

ग्राम पंचायत करौर में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 1038752.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 110287.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1149039.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1149039.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-244

ग्राम पंचायत झालोतर में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 2075690.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 188338.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2264028.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2264028.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-245

ग्राम पंचायत घुरामू में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 1896858.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 150733.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2047591.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2047591.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-246

ग्राम पंचायत गदनखेड़ा में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 898315.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 182291.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1080606.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1080606.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-247

ग्राम पंचायत चंदौली बुजुर्ग में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 689589.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 120152.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 809741.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 809741.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-248

ग्राम पंचायत अजमतगढ़ी में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 18550.00, ईट,मौरंग,बालू व अन्य निर्माण सामग्री मद में व्यय रू0 858469.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 35000.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 912019.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 912019.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-249

ग्राम पंचायत आदमपुरवाडे में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 1285827.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 156790.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1442617.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1442617.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-250

ग्राम पंचायत आदमपुरभासी में वर्ष के दौरान चैदहवे वित अनुदान से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली मद में व्यय रू0 1036621.00, राज्य वित अनुदान मद से कराये गये कार्यो में हुए व्ययों से सम्बन्धित स्वीकृत कार्ययोजना,आई0डी0,स्टीमेंट,व्यय प्रमाणक,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,आदि पत्रावली में व्यय रू0 47200.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1083821.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1083821.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-सुमेरपुर

प्रस्तर संख्या-251

ग्राम पंचायत जपसरा में वर्ष के दौरान प्रधान मानदेय मद में 35000.00, प्रशासनिक मद में व्यय रू0 7000.00,खड़ंजा/निर्माण मद में व्यय रू0 255490.00,पंचायत भवन निर्माण मद में व्यय रू0 338892.00,कैमरा क्रय/अन्य सामग्री मद में व्यय रू0 116120.00,आॅगनवाड़ी में मरम्मत कार्य मद में व्यय रू0 310540.00,नाली मरम्मत मद में व्यय रू0 507208.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1570250.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1570250.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-252

ग्राम पंचायत दुलीखेड़ा में वर्ष के दौरान प्रधान मानदेय मद में 66000.00, प्रशासनिक मद में व्यय रू0 30500.00,खड़ंजा/निर्माण मद में व्यय रू0 168341.00,पंचायत भवन निर्माण मद में व्यय रू0 1351592.00,कैमरा क्रय/अन्य सामग्री मद में व्यय रू0 921950.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 2538383.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2538383.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-253

ग्राम पंचायत रावतपुर में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 152790.00, चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 783582.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 936372.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 936372.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-254

ग्राम पंचायत रामपुरखरही में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 121510.00, चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 991238.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1112748.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग

करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1112748.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-255

ग्राम पंचायत कुतुबपुर में वर्ष के दौरान प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 31500.00,स्ट्रीट लाईट मद मे व्यय रू0 765263.00, कूड़ा दान मद में व्यय रू0 102502.00,प्राथमिक विद्यालय मद मे व्यय रू0 12000.00,इन्टरलॉकिंग मद में व्यय रू0 20860.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 9321215.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 9321215.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-256

ग्राम पंचायत कोटवर में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 111782.00, चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1497982.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1609764.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1609764.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-257

ग्राम पंचायत जगतपुर में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 311788.00, चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1588433.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1900221.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1900221.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-258

ग्राम पंचायत पोरई में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 549288.00, चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1774531.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 2323819.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2323819.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-259

ग्राम पंचायत सिरियापुर में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 181098.00, चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 981019.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1162917.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम

पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1162917.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-260
ग्राम पंचायत बिहार में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 176200.00, चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 3423191.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 3599391.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3599391.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-261
ग्राम पंचायत सेठूपुर में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 126014.00, चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 952985.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1078999.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1078999.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-262
ग्राम पंचायत सहिला में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 299177.00, चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 3287195.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3586372.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3586372.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-263
ग्राम पंचायत पनई बुजुर्ग में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 288243.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 144589.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1732832.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1732832.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-264
ग्राम पंचायत पकरा खुर्द में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 94516.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1895226.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1989742.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1989742.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-265

ग्राम पंचायत भदेवरामें वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 62160.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 912866.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 975026.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 975026.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-266

ग्राम पंचायत भयाखेड़ा में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 62784.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1022299.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1085083.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1085083.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-267

ग्राम पंचायत बिसरामऊ में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 114104.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1083486.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू01197590.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1197590.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-268

ग्राम पंचायत संग्रामपुर में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 116220.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1959824.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू03276268.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3276268.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-269

ग्राम पंचायत पोखरी में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 129900.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 802225.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0932125.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 932125.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-270

ग्राम पंचायत कुन्दनपुर में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 156486.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1046722.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1203208.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1203208.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-271

ग्राम पंचायत अलावलपुर में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 52700.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1066714.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1119414.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1119414.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-272

ग्राम पंचायत खिजौली में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 89460.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 1738913.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू01828373.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1828373.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-273

ग्राम पंचायत हिश्यामपुर में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 230460.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 818430.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू01048890.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1048890.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-274

ग्राम पंचायत जंगलबुजुर्ग में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 48900.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 589300.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 638200.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 638200.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-275

ग्राम पंचायत कलानी में वर्ष के दौरान राज्य वित चतुर्थ मद में व्यय रू0 208164.00,चैदहवे केन्द्रीय वित मद में व्यय रू0 2307055.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 2515219.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2515219.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड-मियागंज

प्रस्तर संख्या-276

ग्राम पंचायत असीवनतरफ कादिरपुर में वर्ष के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1938385.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1938385.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-277

ग्राम पंचायत गौराकला में वर्ष के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1063114.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1063144.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-278

ग्राम पंचायत मल्हीमऊ में वर्ष के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1126508.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1126508.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-279

ग्राम पंचायत वीरमपुर में वर्ष के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1723751.72 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1723751.72 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-280

ग्राम पंचायत सरम्भा में वर्ष के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1582709.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में

अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1582709.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-281

ग्राम पंचायत असीवनतरफ लोकमन में वर्ष के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 4616011.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4616011.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-282

ग्राम पंचायत भड्डवा में वर्ष के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 56100.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 56100.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

विकास खण्ड- औरास

प्रस्तर संख्या-283

ग्राम पंचायत शाहपुर तोंदा में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0262642.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0431277.00,सी0सी0 रोड मद मेंव्यय रू0861864.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0500394.00 का व्यय किया गया,रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 14130.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 2105307.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2105307.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-284

ग्राम पंचायत मीठेपुर में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 279811.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 266327.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मेंव्यय रू0 131500.00, रंगाई पुताईमद मे व्यय रू013680.00 का व्यय किया गया,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 31500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 722818.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख

की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 722818.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-285

ग्राम पंचायत हाजीपुरगोंशा में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 183844.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 188609.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 182125.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 383252.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 150312.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 113204.00,रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 10440.00,रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 17500.00,कूप रिपेयर मद मेंव्यय रू0 37989.00,रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 233674.00,टाईल्स व फर्श निर्माण मद मेंव्यय रू0 470768.00.00,रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 21300.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1993017.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1993017.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-286

ग्राम पंचायत हसनपुर पश्चिमवाव में वर्ष के दौरान पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 236.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 236.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-287

ग्राम पंचायत सीमऊ में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 263949.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 206644.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 831760.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 123670.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 93750.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 9750.00,रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 21000.00,हयूम पाईप मद मेंव्यय रू0 6656.00,कूप रिपेयर मद मेंव्यय रू0 56950.00,बाऊडरी वाॅल मद मेंव्यय रू0 19838.00,टाईल्स व फर्श निर्माण मद मेंव्यय रू0 20500.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1654467.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1654467.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-288

ग्राम पंचायत सैदापुर में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 38419.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 140950.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 471842.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 368245.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 31500.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 109902..00,चबूतरा निर्माण मद मेंव्यय रू0 63000.00,हयूम पाईप मद मेंव्यय रू0 19000.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1242858.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1242858.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-289

ग्राम पंचायत सिंघुर नेवातीखेड़ा में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 234200.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 1008605.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 60988.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 33947.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद मेंव्यय रू0 31500.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 28800.00,चबूतरा निर्माण मद मेंव्यय रू0 33000.00,इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1431040.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1431040.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-290

ग्राम पंचायत जवन में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 1169246.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 74923.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 36512.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 38500.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद में व्यय रू0 61622.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 39000.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1419803.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1419803.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-291

ग्राम पंचायत शीशी में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 646579.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 39904.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 665286.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 68510.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद में व्यय रू0 48885.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 19950.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00,फर्श निर्माण मद में व्यय रू0 71250.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 16600.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1611964.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1611964.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-292

ग्राम पंचायत शरीफाबाद में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 135933.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 191781.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 62648.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 42000.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद में व्यय रू0 83736.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 9840.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 42000.00,फर्श निर्माण मद में व्यय रू0 351502.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 22800.00 व रू0 650.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 942890.00रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 942890.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-293

ग्राम पंचायत टिकरावाव में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 113902.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 395196.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 34242.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 14650.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद में व्यय रू0 28000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 585990.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 585990.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-294

ग्राम पंचायत लोधाटीकुर में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 245301.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 302960.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 95375.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 51800.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद में व्यय रू0 20000.00, वॉल पेंटिग मद में व्यय रू0 12360.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 28000.00,टाईल्स मद में व्यय रू0 144998.00,प्रशासनिक मद में व्यय रू0 10500.00,अन्य मद में व्यय रू0 31222.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 942516.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 942516.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-295

ग्राम पंचायत लोधई में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 167250.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 203827.00,सी0सी0 रोड मद में व्यय रू0 43770.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 414515.00 का व्यय किया गया, रंगाई पुताई मद में व्यय रू0 96041.00, वॉल पेंटिग मद में व्यय रू0 40400.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 7250.00,टाईल्स मद में व्यय रू0 10500.00,प्रशासनिक मद में व्यय रू0 106109.00,अन्य मद में व्यय रू0 6500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1096162.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1096162.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-296

ग्राम पंचायत रामपुर गढ़ौवा में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 382879.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 79446.00,खड़ंजा/निर्माण मद में व्यय रू0 249691.00, सीसी0 रोड निर्माण मद मे व्यय रू0 421271.00 का व्यय किया गया,हैण्ड पम्प मिस्त्री मद में व्यय रू0 176200.00, हैण्ड पम्प मिस्त्री मद में व्यय रू0 19292.00,वॉल पेन्टिग मद में व्यय रू0 21325.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 14000.00,गौशाला निर्माण मद में व्यय रू0 437098.00,गौशाला निर्माण मद में व्यय रू0 165131.00,सोलर लाईट क्रय मद में व्यय रू0 46000.00,कूप निर्माण/रिपेयर मद में व्यय रू0 192691.00, प्रशासनिक मद में व्यय रू0 20675.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 2225699.00रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2225699.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-297

ग्राम पंचायत रामपुर खंजड़ी में वर्ष के दौरान रोड निर्माण मद में व्यय रू0 453694.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 8750.00, खड़ंजा/निर्माण मद में व्यय रू0 6500.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 468944.00रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 468944.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-298

ग्राम पंचायत ब्यारीगांव में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 1452690.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 2250421.00, खड़ंजा/निर्माण मद में व्यय रू0 237019.00, सीसी0 रोड निर्माण मद मे व्यय रू0 84474.00 का व्यय किया गया, हैण्ड पम्प मिस्त्री मद में व्यय रू0 17600.00, हैण्ड पम्प मिस्त्री मद में व्यय रू0 38500.00,वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 33600.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 14700.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 4129004.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 4129004.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-299

ग्राम पंचायत बरादेव में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 412152.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 402900.00, खड़ंजा/निर्माण मद में व्यय रू0 987399.00, सीसी0 रोड निर्माण मद मे व्यय रू0 41860.00 का व्यय किया गया, हैण्ड पम्प मिस्त्री मद में व्यय रू0 307320.00, हैण्ड पम्प मिस्त्री मद में व्यय रू0 35000.00,वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 167387.00,प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 333230.00,गौशाला निर्माण मद में व्यय रू0 85000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 2772248.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 2772248.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-300

ग्राम पंचायत गोबरा में वर्ष के दौरान वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 10780.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00, खड़ंजा/निर्माण मद में व्यय रू0 5000.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 50780.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 50780.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-301

ग्राम पंचायत बधवाकोला में वर्ष के दौरान स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 160200.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 50489.00,सीसी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 179444.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 97446.00 का व्यय किया गया, वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 18728.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 31500.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 165200.00,उपरोक्त के अतिरिक्त

मद में व्यय रू0 14150.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 717157.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 717157.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-302

ग्राम पंचायत बछौली में वर्ष के दौरान स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 312484.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 696221.00,सीसी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 544723.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 503439.00 का व्यय किया गया, वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 374293.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 42000.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 581235.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 184000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 242060.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 110809इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 3591264.00रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3591264.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-303

ग्राम पंचायत पूराचांद में वर्ष के दौरान स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 545737.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 139530.00,सीसी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 2085147.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 143924.00 का व्यय किया गया, वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 118700.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 98000, कूड़ादान मद में व्यय रू0 70000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 46000.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 172784.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 45750.00इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 3465572.00रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3465572.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-304

ग्राम पंचायत फतेहपुर नरसा में वर्ष के दौरान स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 257335.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 811976.00,सीसी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 409753.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 188132.00 का व्यय किया गया, वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 119784.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 19559.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 28000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 127858.00,स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 4500.00, इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1966897.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अघ्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1966897.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-305

ग्राम पंचायत पुर्थियावां में वर्ष के दौरान स्ट्रीट लाईट मद में व्यय रू0 1214158.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 551729.00,सीसी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 633912.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 155550.00 का व्यय किया गया, वाॅल

पेन्टिग मद में व्यय रू0 49115.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 11250.00, कूड़ादान मद में व्यय रू0 1062614.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 8000.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 3686328.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3686328.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-306

ग्राम पंचायत परसहरा में वर्ष के दौरान टाईल्स निर्माण मद में व्यय रू0 341449.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 81286.00,सीसी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 340048.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 116230.00 का व्यय किया गया, वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 11560.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 52500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 943073.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 943073.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-307

ग्राम पंचायत ताला सराय में वर्ष के दौरान टाईल्स निर्माण मद में व्यय रू0 1209749.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 737940.00,सीसी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 627765.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 141761.00 का व्यय किया गया, वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 394505.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 35000.00, आॅगनवाड़ी केन्द्र मद में व्यय रू0 64386.00,कूड़ादान मद में व्यय रू0 70000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 9700.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 3290806.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3290806.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-308

ग्राम पंचायत गहरांवा में वर्ष के दौरान टाईल्स निर्माण मद में व्यय रू0 261081.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 384453.00,सीसी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 331179.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 113394.00 का व्यय किया गया, स्कूल निर्माण मद में व्यय रू0 209612.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 28000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 7820.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1335539.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1335539.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-309

ग्राम पंचायत करौंदी में वर्ष के दौरान नाली निर्माण मद में व्यय रू0 235594.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 196960.00,सीसी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 107921.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद मे व्यय रू0 185520.00 का व्यय किया गया, वाॅल पेन्टिग मद में व्यय रू0 13980.00, प्रधान मानदेय मद में व्यय रू0 38500.00, आॅगनवाड़ी केन्द्र मद में व्यय रू0 109008.00,उपरोक्त

के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 12500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 899983.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 899983.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-310

ग्राम पंचायत इनायतपुर बर्रा में वर्ष के दौरान सी0सी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 1615303.00, खड़ंजा/निर्माण खडंज मरम्मत मद में व्यय रू0 102200.00,पुताई मद में व्यय रू0 30910.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 31500.00 का व्यय किया गया, शौचालय मद में व्यय रू0 84280.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 10200.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1874393.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1874393.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-311

ग्राम पंचायत अहमदपुर कासिमपुर में वर्ष के दौरान सी0सी0 रोड निर्माण मद में व्यय रू0 1354721.00, हैण्ड पम्प मरम्मत मद में व्यय रू0 367140.00,पुताई मद में व्यय रू0 17000.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 59500.00 का व्यय किया गया,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 12500.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1810861.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1810861.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-312

ग्राम पंचायत अलदाव में वर्ष के दौरान शौचालय निर्माण मद में व्यय रू0 181256.00, खड़ंजा मरम्मत मद में व्यय रू0 151985.00,हेण्ड पम्प मद में व्यय रू0 127300.00, प्रधान मानदेय मद मे व्यय रू0 42000.00 का व्यय किया गया,अन्य मद में व्यय रू0 5000.00,उपरोक्त के अतिरिक्त मद में व्यय रू0 13100.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 520641.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 520641.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-313

ग्राम पंचायत उटरा डकौली में वर्ष के दौरान चैदहवे केन्द्र वित्त मद में व्यय रू0 1014753.00, राज्य वित्त मद में व्यय रू0 152437.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1167190.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1167190.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-314

ग्राम पंचायत नंदौली में वर्ष के दौरान इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 1614569.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1614569.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-315
ग्राम पंचायत खण्डवल में वर्ष के दौरान चैदहवे केन्द्र वित्त मद में व्यय रू0 1127328.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल 1127328.00 रू0 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 1127328.00 को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।
प्रस्तर संख्या-316
ग्राम पंचायत अलीपुर मिचलौला में वर्ष के दौरान चैदहवे केन्द्र वित्त मद में व्यय रू0 3590168.00,राज्य वित्त से करायें गये कार्य में व्यय रू0 162126.00 इस प्रकार पंचायती राज विभाग की अधिकत वेबसाइट प्रियासाफट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष के दौरान कुल रू0 3752294.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित अभिलेख आनलाईन लेखा परीक्षा हेतु इन्टीमेशन भेजने व अभिलेख की मांग करने के बाद सम्बन्धित सचिव द्वारा कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये अतः ससमय लेखा परीक्षा में अपेक्षित अभिलेख/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न कर अनुदान का प्रमाणीकरण न कराना उ0प्र0 पंचायती राज एक्ट 1947 की धारा 40 व नियम 186,187 का उल्लघन है।अतः ग्राम पंचायतों मे वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अधीन उपरोक्त धनराशि रू0 3752294.00को अधिभार योग्य माना जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली सम्बन्धित व्यक्तियो से अपेक्षित है।

## संस्था का नाम- ग्राम पंचायत वर्ष 2019-20
## जनपद-गाजियाबाद मण्डल का नाम-मेरठ।

ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियॉ
प्रस्तर संख्या-1 ग्राम पंचायत निस्तौली, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय प्रमाणक कार्यपूर्ति, एम0बी0 स्टाक पंजिका व कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अतः व्यय की गयी धनराशि रू0 11398086.00 का सचिव श्री संजय राणा व प्रधान श्री राजकुमार द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थिति में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। अतः इसके लिये उत्तरदायी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय राणा व ग्राम प्रधान श्री राजकुमार है।

प्रस्तर संख्य-02 ग्राम पंचायत जाफराबाद गनौली, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति, एम0बी0 स्टाक पंजिका व कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अतः व्यय की गयी धनराशि रू0 8549549.84 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थिति में बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है तथा इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार व ग्राम प्रधान श्री हातम सिंह उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्य-03 ग्राम पंचायत शरीफाबाद राजपुर, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति, एम0बी0 स्टाक पंजिका व कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अतः व्यय की गयी धनराशि रू0 6075561.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थिति में बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है तथा इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीमती आरती शुक्ला व ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्य-04 ग्राम पंचायत अफजलपुर, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति, एम0बी0 स्टाक पंजिका व कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-

101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अतः व्यय की गयी धनराशि रू0 7344379.64 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थिति में बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है तथा इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय राणा व ग्राम प्रधान श्रीमती बवीता उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-05 ग्राम पंचायत टीला शहबाजपुर, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति, एम0बी0 स्टाक पंजिका व कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया। जबकि शासनादेश संख्या- आडिट- 2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 07 अक्टूबर 2009 के अनुसार (त्रिस्तरीय पंचायती राज) ग्राम पंचायतों की आडिट हेतु अभिलेख उपलब्ध कराये जाने अपेक्षित है। अतः व्यय की गयी धनराशि रू0 18032027.00 का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थिति में बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है तथा इसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुभाष चन्द्र वर्मा व ग्राम प्रधान श्री ओमवीर उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-06 ग्राम पंचायत शकलपुरा, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 6629426.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्री रणवीर व सचिव श्री सुमित शर्मा उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-07 ग्राम पंचायत अफजलपुर, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 7344379.64 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्रीमती बबीता व सचिव श्री नवीन उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-08 ग्राम पंचायत शरीफाबाद राजपुर, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 10526939.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्री सरोज व सचिव श्री सुखपाल उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-09 ग्राम पंचायत मण्डौला, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 29141306.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्री सविता व सचिव श्री प्रेमशंकर शर्मा व हरीश कुमार उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-10 ग्राम पंचायत कोतवालपुर, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 2665477.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्रीमती संध्या व सचिव श्री सुखपाल सिंह उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-11 ग्राम पंचायत चिरौडी, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 22965028.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्रीमती सरला व सचिव श्री हरीश कुमार उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-12 ग्राम पंचायत निस्तौली, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 13515476.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्री राजकुमार व सचिव श्री सुभाष वर्मा उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-13 ग्राम पंचायत सिरौली, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 8876262.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की

गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्री उदयवीर व सचिव श्री हरीश कुमार उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-14 ग्राम पंचायत भनैडा खुर्द, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 4115775.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्रीमती राखी व सचिव श्री सुखपाल उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-15 ग्राम पंचायत गनौली, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 7393659.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्री हातम सिंह व सचिव श्री संजय राणा उत्तरदायी है।

प्रस्तर संख्या-16 ग्राम पंचायत टीला शहबाजपुर, विकास खण्ड लोनी, जनपद गाजियाबाद की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि सचिव द्वारा केवल बैंक स्टेटमेन्ट व कोषवही प्रस्तुत किया गया। जबकि सचिव द्वारा वर्ष दौरान रू0 19877308.00 बैंक से आहरण कर व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, स्टाक रजिस्टर और कार्यवाही पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी। जिसके अभाव में व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि नही की गयी। अतः व्यय की गयी धनराशि का सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण किये जाने से इंकार नही किया जा सकता। अपहरण की स्थितियों में ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। उक्त हेतु प्रधान श्री ओमवीर एवं सचिव श्री सुभाष चन्द्र वर्मा व श्री सुखपाल उत्तरदायी है।

<u>वर्ष 2019-20</u>

**प्रारुप**-04

**जनपद का नाम**-गौतमबुद्ध नगर। **सम्भाग**-मेरठ।

<u>ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियाँ</u>

**<u>प्रस्तर संख्या-01</u>** ग्राम पंचायत बील अकबरपुर विकास खण्ड दादरी वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में बैंक विवरण के अनुसार **रु0 12853986.00** व्यय किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई फाइल/अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण **रु0 12853986.00** के व्यय की पुष्टि न हो सकी जिसके लिए प्रधान व सचिव उत्तरदायी हैं। **अतः फाइल/अभिलेखों को प्रस्तुत कर व्यय की पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है**

**<u>प्रस्तर संख्या-02</u>** ग्राम पंचायत मेवला गोपाल गढ विकास खण्ड जेवर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोई भी अभिलेख तथा बैंक पासबुक या स्टेटमेंट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिस कारण ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय की धनराशि **रु0 14369191.00** के खर्चे की पुष्टि न की जा सकी। ज्ञात हो कि उक्त ग्राम सभा की विगत् वर्षों की लेखा परीक्षा भी नहीं कराई गई है जिसके लिए सचिव श्री विष्णु शर्मा पूर्ण रुप से उत्तरदायी हैं। **अतः उक्त व्यय की धनराशि के लिए अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति श्री विष्णु शर्मा सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है**

**<u>प्रस्तर संख्या-03</u>** ग्राम पंचायत लौदाना विकास खण्ड जेवर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में किए गए व्यय में से रु0 9532585.00 के व्यय की पुष्टि न हो सकी। उक्त धनराशि माह सितम्बर 2019 से मार्च 2020 तक व्यय की गई है। उक्त धनराशि से सम्बन्धित निर्माण कार्य पत्रावली व अभिलेख प्रस्तुत नहीं की गई, जिसके कारण व्यय की धनराशि रु0 9532585.00 अपुष्ट रही। **अतः उक्त व्यय की धनराशि के लिए अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति श्री विष्णु शर्मा सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है**

**<u>प्रस्तर संख्या-04</u>** ग्राम पंचायत कानी गढी विकास खण्ड जेवर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में सचिव द्वारा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। जिस कारण से ई-ग्राम स्वराज पर दर्शित व्यय की धनराशि रु0 9037630.00 व्यय की गई है। अतः **वास्तविक व्यय की**

**धनराशि के लिए अभिलेख प्रस्तुत कर, पुष्टि कराई जाए अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायी व्यक्ति श्री विष्णु शर्मा सचिव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है**

**प्रारूप-04**

**जनपद का नाम- बागपत**

**मण्डल का नाम- मेरठ**

**ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां**

**प्रस्तर संख्या-1–** ग्राम पंचायत खेडा इस्लामपुर विकास खंड बागपत वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण वर्ष में किये गये आय-व्यय की जांच नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत आंकडे ऑनलाइन प्रिया सॉफट पर उपलब्धता के आधार पर अंकित किये गये है। वर्ष के दौरान किये गये व्यय के सापेक्ष कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र स्टॉक बुक, डैड स्टॉक पंजिका, सम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पत्रावली सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जिस कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसको अपहरण मानते हुए उक्त व्यय धनराशि रू० 5893061.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित प्रधान एवं संबंधित सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ०संख्या- 01)**

**प्रस्तर संख्या-2–** ग्राम पंचायत खेडा इस्लामपुर विकास खंड बागपत वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण वर्ष में किये गये आय-व्यय की जांच नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत आंकडे ऑनलाइन प्रिया सॉफट पर उपलब्धता के आधार पर अंकित किये गये है। वर्ष के दौरान किये गये व्यय के सापेक्ष कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक बुक, डैड स्टॉक पंजिका, सम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पत्रावली सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जिस कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसको अपहरण मानते हुए उक्त व्यय धनराशि रू० 4125235.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित प्रधान एवं संबंधित सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० संख्या- 01)**

**प्रस्तर संख्या-3–** ग्राम पंचायत राजपुर खामपुर विकास खंड बागपत वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण वर्ष में किये गये आय-व्यय की जांच नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत आंकडे ऑनलाइन प्रिया सॉफट पर उपलब्धता के आधार पर अंकित किये गये है। वर्ष के दौरान किये गये व्यय के सापेक्ष कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक बुक, डैड स्टॉक पंजिका, सम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पत्रावली सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जिस कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसको अपहरण मानते हुए उक्त व्यय धनराशि रू० 2970929 की ब्याज सहित वसूली संबंधित प्रधान एवं संबंधित सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० संख्या- 01)**

**प्रस्तर संख्या-4–** ग्राम पंचायत बूढेढा विकास खंड बागपत वर्ष 2017-18 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण वर्ष में किये गये आय-व्यय की जांच नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत आंकडे ऑनलाइन प्रिया सॉफट पर उपलब्धता के आधार पर अंकित किये गये है। वर्ष के दौरान किये गये व्यय के सापेक्ष कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक बुक, डैड स्टॉक पंजिका, सम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पत्रावली सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जिस कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसको अपहरण मानते हुए उक्त व्यय धनराशि रू० 2858078 की ब्याज सहित वसूली संबंधित प्रधान एवं संबंधित सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० संख्या- 01)**

**प्रस्तर संख्या-5–** ग्राम पंचायत घिटौरा विकास खंड खेकडा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रूपये 9603925.00 का व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवा वित्त अयोग के व्यय से संबंधित समस्त मूल अभिलेख जैसे कि व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन, मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किय गये, जिससे स्पष्ट है कि किये गये कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने पर व्यय

धनराशि के गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमृता व ग्राम सचिव श्री के के तोमर से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० संख्या- 03)**

**प्रस्तर संख्या-6–** ग्राम पंचायत निरोजपुर एम्मा विकास खंड खेकडा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रूपये 864363.00 का व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवा वित्त अयोग के व्यय से संबंधित समस्त मूल अभिलेख जैसे कि व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन, मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किय गये, जिससे स्पष्ट है कि किये गये कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने पर व्यय धनराशि के गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश व ग्राम सचिव श्री सतीश कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० संख्या- 03)**

**प्रस्तर संख्या-7–** ग्राम पंचायत खैला विकास खंड खेकडा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रूपये 4640725.00 का व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवा वित्त अयोग के व्यय से संबंधित समस्त मूल अभिलेख जैसे कि व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन, मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किय गये, जिससे स्पष्ट है कि किये गये कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने पर व्यय धनराशि के गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मुकेश व ग्राम सचिव श्री सतेंद्र कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० संख्या- 03)**

**प्रस्तर संख्या-8–** ग्राम पंचायत माखर विकास खंड बिनौली वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रूपये 1913320.00 का व्यय किया गया, जिसके सापेक्ष चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवा वित्त अयोग के व्यय से संबंधित समस्त मूल अभिलेख जैसे कि व्यय प्रमाणक, निर्माण पत्रावली, कार्यों से संबंधित चरणबध फोटो, टेंडर पत्रावली, प्राक्कलन, मानचित्र एवं माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किय गये, जिससे स्पष्ट है कि किये गये कार्यों हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 157 एवं समय समय पर जारी निदेशक पंचायती राज के परिपत्रों एवं शासनादेशों के अनुसार बिना कार्य के माप-जोख के कोई भी भुगतान नहीं होगा। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 209 का पालन नहीं किया गया। उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256(1) के प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत के धन का अपव्यय या दुरूपयोग होने पर तथा वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 08 के प्रस्तर 8क के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाने पर व्यय धनराशि के गबन मानते हुए उसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री रामफल व ग्राम सचिव श्री सचिन कुमार से की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० संख्या- 03)**

**प्रस्तर संख्या-9–**ग्राम पंचायत राजपुर खामपुर विकास खंड बागपत वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण वर्ष में किये गये आय-व्यय की जांच नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत आंकडे ऑनलाइन प्रिया सॉफट पर उपलब्धता के आधार पर अंकित किये गये है। वर्ष के दौरान किये गये व्यय के सापेक्ष कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक बुक, डैड स्टॉक पंजिका, सम्पत्ति पंजिका, निर्माण कार्य पत्रावली सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जिस कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसको अपहरण मानते हुए उक्त व्यय धनराशि रू० 5871327.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित प्रधान एवं संबंधित सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० संख्या- 01)**

**प्रस्तर संख्या-10–**ग्राम पंचायत नांगल विकास खंड छपरौली वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिस कारण वर्ष में किये गये आय-व्यय की जांच नहीं की जा सकी। लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत आंकडे ऑनलाइन प्रिया सॉफट पर उपलब्धता के आधार पर अंकित किये गये है। वर्ष के दौरान किये गये व्यय के सापेक्ष कैशबुक, वाउचर, मस्टरोल, बैंक स्टेटमेंट/पासबुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक बुक, डैड स्टॉक पंजिका, सम्पत्ति पंजिका, निर्माण

कार्य पत्रावली सहित अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख अनुपलब्ध रहे। जिस कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा। जिसको अपहरण मानते हुए उक्त व्यय धनराशि रू० 4977599.00 की ब्याज सहित वसूली संबंधित प्रधान एवं संबंधित सचिव से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है। **(मूल आ० संख्या- 01)**

**जनपद- बुलन्दशहर की वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायतों की गम्भीर आपत्तियों का सारांश-**

प्रस्तर संख्या 1- ग्राम पंचायत रजवाना, वि0ख0- लखावटी की आलोच्य वर्ष 2019-20 में माह सितम्बर 2019 को प्रधान के पास रोकड़ शेष रू0 143.00 को अगले माह अक्टूबर 2019 में ग्राम प्रधान के पास रू0 शून्य दर्शाकर अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अकरम खां व ग्राम सचिव कु0अनुज दोनो से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0सं0-3)

प्रस्तर संख्या 2- ग्राम पंचायत रजवाना, वि0ख0- लखावटी की आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 26.03.2020 को प्रधान श्री अकरम खां को मानदेय रूपये 52500.00 दिया गया, जबकि दिनांक 08.01.2020 को प्रधान श्री अकरम खां को मानदेय माह अप्रैल 2019 से माह दिसम्बर 2019 तक रूपये 31500.00 का भुगतान किया है, इस प्रकार प्रधान श्री अकरम खां को मानदेय माह जनवरी 2020 से माह मार्च 2020 तक रूपये 3500*3=10500 का ही भुगतान किया जाना उचित था परन्तु ग्राम प्रधान श्री अकरम खां व ग्राम सचिव कु0अनुज ने मिली भगत कर प्रधान मानदेय के नाम पर रूपये 52500.00 की धनराशि का बैंक से आहरण कर रूपये 42000(52500-10500 = 42000) का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अकरम खां व ग्राम सचिव कु0अनुज दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(मूल आ0सं0-4)

प्रस्तर संख्या 3- ग्राम पंचायत दौलताबाद, वि0ख0-लखावटी में आलोच्य वर्ष में दिनांक 25.07.2019 को M.K. इलेक्ट्रोनिक्स को रूपये 10400.00 का भुगतान बाबत् अलमारी कुर्सी तथा मेज क्रय हेतु भुगतान चेक संख्या 114148 से किया गया किन्तु उक्त का व्यय प्रमाणक कुटेशन (तीन प्रतियों में) व कार्यवाही पंजिका तथा डेड स्टाक पंजिका आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, जिस कारण उक्त भुगतान पूर्णतया संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः उक्त धनराशि रूपये 10400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह व ग्राम सचिव कु0अनुज दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। (सा0आ0सं0-3)

प्रस्तर संख्या 4- उपरोक्त ग्राम पंचायत दौलताबाद में कोषबही में दर्शित व्यय के सापेक्ष सिर्फ भुगतान अंकित है, लेखा परीक्षा में इनसे सम्बन्धित बिलों/प्रमाणकें प्रस्तुत नहीं की गई, साथ ही कुलावा लगाई मजदूरी हेतु भी कोई भुगतान नहीं किया गया है, न ही कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और ना ही कार्यवाही पंजिका से इसकी पुष्टि करायी गई। निर्गत चेक बियरर भी हो सकते हैं। अतः भुगतानों की वास्तविकता अपुष्ट रही। दर्शित भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह व ग्राम सचिव श्री संतोष कुमार शर्मा से रूपये 98700.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

| क्रम सं0 | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | दर्शित व्यय का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.11.19 | 114159 | 98,700.00 | ग्राम पंचायत के विभिन्न चकरोड/ रास्तों में पानी निकासी हेतु कुलावे क्रय। |

(सा0आ0सं0-4)

प्रस्तर संख्या 5- ग्राम पंचायत दौलताबाद, वि0ख0-लखावटी में आलोच्य वर्ष में निम्न भुगतान बिना टेंडर प्रक्रिया का अनुपालन किये व स्वीकृत मानचित्र, व्यय प्रमाणक, एम0बी0, कार्यवाही पंजिका व स्वीकृत बजट के आभाव में मनमाने ढंग से दिखा कर धन का अपहरण किया गया है। अतः भुगतानों की वास्तविकता अपुष्ट रही। दर्शित भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार शर्मा से रू0 140000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है:-

| क्रम सं0 | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | दर्शित व्यय का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.11.19 | 114160 | 140000 | पुष्पा देवी के मकान से शमशान तक मार्ग में मिट्टी कार्य |

(सा0आ0सं0-5)

प्रस्तर संख्या 6- ग्राम नहचौली, वि0ख0 - स्याना में दि0 19.02.2020 में आरटीजीएस / **पीएफएमएस** न. आर0220010512280 046 ईएटी पेयर क्यू1 के द्वारा रूपये 14000 के भुगतान की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से होती है, परन्तु कोषबही में उपरोक्त आहरण व इसके विरूद्ध व्यय का कोई उल्लेख न कर सीधे धनराशि का व्यपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला व ग्राम सचिव श्री राजवीर सिंह दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0-3)

प्रस्तर संख्या 7- ग्राम पंचायत साहनपुर, वि0ख0- स्याना में कोषबही में दर्शित निम्नांकित व्यय के सापेक्ष सिर्फ बिल भुगतान अंकित है, लेखा परीक्षा में इनसे सम्बन्धित स्वीकृत मानचित्र, व्यय प्रमाणकों, माप पुस्तिकाएं व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई, और ना ही कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत की गयी, जिससे दर्शित भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी व ग्राम पंचायत

अधिकारी श्री अवधेश प्रताप सिंह से कुल रूपये 1708890.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

| क्रम सं0 | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | दर्शित व्यय का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2020 | पी0एफ0एम0एस0 | 354423 | बुन्दू के मकान से प्रा0स्कूल तक |
| 2 | 18.02.2020 | पी0एफ0एम0एस0 | 301693 | होली चैक से सुखपाल तक |
| 3 | 22.02.2020 | पी0एफ0एम0एस0 | 185962 | मनोज वाली गली में इ0ला0 कार्य |
| 4 | 22.02.2020 | पी0एफ0एम0एस0 | 201447 | रूबी वाली गली में इ0ला0 कार्य |
| 5 | 25.02.2020 | पी0एफ0एम0एस0 | 476520 | पथवारी से खुशीराम तक |
| 6 | 26.02.2020 | पी0एफ0एम0एस0 | 188845 | चरण सिंह उर्फ चरना वाली गली में इ0ला0 कार्य |
| | | योग | 1708890 | |

(सा0आ0सं0-3)

प्रस्तर संख्या 8- उपरोक्त ग्राम पंचायत साहनपुर में आलोच्य वर्ष में निम्नांकित कतिपय कार्य ठेके पर कराये गये हैं, परन्तु ले0प0 में सील्ड कवर में निविदा प्राप्त करने व स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराने का कोई प्रमाण सुलभ नहीं कराया गया (दिनांक 21.06.2019 को रूपये 8906.00 का भुगतान समाचार पत्र को भुगतान करना दर्शित है परन्तु पुष्टि हेतु उक्त समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। जिस कारण निविदा प्रकाशन अपुष्ट रहा।

अतः इस बात की पुष्टि न हो सकी कि दर्शित ठेकेदार को निविदा के माध्यम से कार्य आवंटित किया गया है अथवा मनमाने ढंग से अपने पसंदीदा ठेकेदार(जी0आर0एसोसिएट) को कार्य आवंटित कर दिया गया है। साथ ही ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यों से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच व परिपुष्टि भी नहीं करायी गयी। जिससे दर्शित भुगतानों रू0 1767466.00 की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। साक्ष्य प्रस्तुत कर परिपुष्टि करायी जानी अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में निम्न दर्शित समस्त भुगतानों (1767466+8906=1776372) की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती हितेश देवी व ग्राम सचिव श्री रोहताश सिंह दोनों से बराबर की जानी अपेक्षित है। (आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत को निविदा से होने वाली आय का भी उल्लेख कोषबही में अंकित नहीं है।)

| क्रम सं0 | भुगतान की विधि / पी0एफ0एम0एस0 | धनराशि | दर्शित व्यय का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | पी0एफ0एम0एस0/02.08.19 | 135212 | कलवा की दुकान से सम्मन के घर तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान (01.08.19) | 16556 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |
| 2 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 176150 | मेन रोड से प्रमोद के घर तक इ0ला0 निमार्ण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 26569 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |
| 3 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 216077 | नरेंन्द्र के मकान से गोपी चन्द वाली गली में के घर तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 26458 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |
| 4 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 161144 | श्योराज के प्लाट से अशोक के प्लाट तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 19732 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |
| 5 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 214917 | अमर सिंह के घर से बब्लू के घर तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 26316 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |
| 6 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 28123 | अशोक वाली गली में इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 3443 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |
| 7 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 100932 | अशोक के घर से हरीशचन्द्र के घर तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 12359 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 116124 | भान के घर से टी पॉइन्ट तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 14219 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |
| 9 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 94200 | चन्द्रपाल के घर से कलावा के घर तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 11304 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |
| 10 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 179660 | चन्द्रपाल के घर से पुरानी इ0ला0 तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| 11 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 167465 | गस्सी की डेयरी से किशनपाल तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 20506 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म |
| | योग | 1767466 | |

उपरोक्त अंकित समस्त कार्य जी0आर0एसोसिएट के माध्यम से कराये गये हैं। (सा0आ0सं0-4)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 9- ग्राम पंचायत थल इनायतपुर, वि0ख0- स्याना में वर्ष 2019-20 में कोषबही में दर्शित निम्नांकित व्ययों के सापेक्ष सिर्फ बिल भुगतान अंकित है, लेखा परीक्षा में इनसे संबंधित बिलों/व्यय प्रमाणकें, मस्टर रोल आदि प्रस्तुत नहीं की गयी, न ही कार्यपूर्ति प्रमाण - पत्र और न ही कार्यवाही पंजिका से इसकी पुष्टि कराई गई। निर्गत चैक बियरर भी हो सकते है। अतः भुगतानों की वास्तविकता अपुष्ट रही। दर्शित भुगतान फर्जी प्रतीत होता है। अतः प्रधान श्रीमती सविता देवी व ग्रा0प0अधि0 श्री अवधेश प्रताप सिंह से कुल रू0 92812.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित हैः-

| क्रम सं0 | दिनांक | चेक संख्या | 92812.00 | धनराशि दर्शित व्यय का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.20 | पी0एफ0एम0एस0 | 92812.00 | शमशान घाट में टीनशेड का निर्माण/मरम्मत कार्य |

(मू0आ0सं0 -3)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 10- ग्राम पंचायत थल इनायतपुर में आलोच्य वर्ष में निम्नांकित कतिपय कार्य ठेके पर कराये गये है, परन्तु ले0प0 में सील्ड कवर में निविदा प्राप्त करने व स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित कराने का कोई प्रमाण सुलभ नहीं कराया गया (दिनांक 21.06.2019 को रू0 7412.00 का समाचार पत्र को भुगतान करना दर्शित है, परन्तु पुष्टि हेतु उक्त समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी। अतः निविदा प्रकाशन अपुष्ट रहा)।

अतः इस बात की पुष्टि न हो सकी कि दर्शित् ठेकेदार को निविदा के माध्यम से कार्य आवंटित किया गया है अथवा मनमाने ढंग से अपने पंसदीदा ठेकेदार को कार्य आवंटित कर दिया गया है। साथ ही ठेकेदार द्वारा कराये गये कार्यो से संबंधित अभिलेखों की जांच व परिपुष्टि भी नहीं कराई गई। जिस से दर्शित भुगतानों रू0 1337861 व निविदा प्रकाशन की धनराशि रू0 7412 कुल धनराशि रू0 1345273.00 की प्रमाणिकता संदिग्ध प्रतीत होती है। अतः साक्ष्य प्रस्तुत कर परिपुष्टि कराया जाना अपेक्षित है। अन्यथा की स्थिति में निम्न दर्शित समस्त भुगतानों की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत को निविदा से होने वाली आय का भी उल्लेख नहीं है)।

| क्रम सं0 | भुगतान की विधि / पी0एफ0एम0एस0 | धनराशि | दर्शित व्यय का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 216144.00 | शशिकांत के घर से रामौतार के घर तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 26465.00 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म को करना दर्शाया गया |
| 2 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 217603.00 | शिव कमार के प्लाट से कान्ति प्रसाद के घर तक इ0ला0 निमार्ण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 26112.00 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म को करना दर्शाया गया |
| 3 | पी0एफ0एम0एस0 /02.08.19 | 216720.00 | वीरेन्द्र के घर से पवन के घर तक इ0ला0 निर्माण का भुगतान |
| | जी0एस0टी0 भुगतान | 26537.00 | उपरोक्त कार्य का जी0एस0टी0 भुगतान फर्म को करना दर्शाया |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | पी0एफ0एम0एस0 /10.01.2019 | 349011.00 | अशोक के मकान से अमर सिंह के मकान तक |
| 5 | पी0एफ0एम0एस0 /19.01.2019 | 259269.00 | धर्मवीर के मकान से पंकज के मकान तक |
| | योग | 1337861.00 | |

**उपरोक्त के संबंध में यह अवगत कराना है कि क्रमांक 01 से लेकर क्रमांक 03 तक के कार्यो में कहीं भी फर्म/ठेकेदार के नाम अंकित नहीं है, न ही पुष्टि अन्य अभिलेखों से होती है। क्रमांक 04 व क्रमांक 05 के कार्य मैसर्स करन सिंह कं0 से कराये जाने का उल्लेख कोषबही में अंकित है, परन्तु इसके सापेक्ष कोई जी0एस0टी0 व आयकर का भुगतान नहीं किया गया है और न ही कार्य की जांच व पुष्टि हेतु कोई अभिलेख ही उपलब्ध कराये गये।** (मू03आ0सं0 -4)

प्रस्तर संख्या 11- ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुर, वि0ख0- बी0बी0नगर की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत पोटा कबूलपुर की वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 18.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 18.03.21 से लेकर दिनांक 31.03.21 तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय व तत्कालीन प्रधान श्री सतीश कुमार द्वारा कभी कोई संपर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप से दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 2076214.11 को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गई है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सविच से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

अतः तत्कालीन कुल व्यय रू0 2076214.11 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री सतीश कुमार व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 2076214.11 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सतीश कुमार व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा03आ0सं0 -1)

प्रस्तर संख्या 12- ग्राम पंचायत चित्सोना अलीपुर, वि0ख0- बी0बी0नगर की वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 22.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 22.03.21 से लेकर दिनांक 31.03.21 तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है, और न ही वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय व तत्कालीन प्रधान श्री भीमसैन द्वारा कभी कोई संपर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप से दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 6315112.23 को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गई है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

अतः तत्कालीन कुल व्यय रू0 6315112.23 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री भीमसैन व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 6315112.23 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री भीमसैन व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।
(सा03आ0सं0 -1)

प्रस्तर संख्या 13- ग्राम पंचायत अलावास बातरी, वि0ख0- बी0बी0नगर की वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 19.03.21 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 19.03.21 से लेकर दिनांक 31.03.21 तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा

कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय व तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम देवी द्वारा कभी कोई संपर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप से दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 1534455.89 को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गई है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सविच से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

अतः तत्कालीन कुल व्यय रू0 1534455.89 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम देवी व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1534455.89 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पूनम देवी व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 14- ग्राम पंचायत हिंगवाड़ा वि0ख0- बी0बी0नगर की वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 20.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 20.03.21 से लेकर दिनांक 31.03.21 तक केवल बैंक

स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय व तत्कालीन प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा कभी कोई संपर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप से दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 2721367.00 को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गई है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेषण हेतु सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

अतः तत्कालीन कुल व्यय रू0 2721367.00 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 2721367.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सुरेन्द्र सिंह व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 15- ग्राम पंचायत बरकातपुर वि0ख0- बी0बी0नगर की वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 24.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 24.03.21 से लेकर दिनांक 31.03.21 तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री आदेश चौहान व तत्कालीन प्रधान श्रीमती बाला देवी द्वारा कभी कोई संपर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप से दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 695690.89 को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गई है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

अतः तत्कालीन कुल व्यय रू0 695690.89 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती बाला देवी व तत्कालीन सचिव श्री आदेश चौहान दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 695690.89 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन

प्रधान श्रीमती बाला देवी व तत्कालीन सचिव श्री आदेश चौहान से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 16- ग्राम पंचायत निखोब वि0ख0- बी0बी0नगर की वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 22.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 22.03.21 से लेकर दिनांक 31.03.21 तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री शुभम सिंह व तत्कालीन प्रधान श्रीमती पारूल देवी द्वारा कभी कोई संपर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप से दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 1121186.45 को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गई है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

अतः तत्कालीन कुल व्यय रू0 1121186.45 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती पारूल देवी व तत्कालीन सचिव श्री शुभम सिंह दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1121186.45 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती पारूल देवी व तत्कालीन सचिव श्री शुभम सिंह से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 17- ग्राम पंचायत बेनीपुर वि0ख0- बी0बी0नगर की वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 22.03.21 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन दिनांक 22.03.21 से लेकर दिनांक 31.03.21 तक केवल बैंक स्टेटमेंट ही उपलब्ध कराये गये। इसके अलावा कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय व तत्कालीन प्रधान श्री मुकेश कुमार द्वारा कभी कोई संपर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप से दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार व बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 1356542.32 को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गई है। उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे लेखा परीक्षा हेतु सम्प्रेषण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें, लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मेनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई बाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से कराई जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी। अतः तत्कालीन कुल व्यय रू0 1356542.32 को गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री मुकेश कुमार व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1356542.32 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मुकेश कुमार कुमार व तत्कालीन सचिव श्री अजय कुमार द्वितीय से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 18- ग्राम पंचायत जाहिदपुर कला वि0ख0 खुर्जा की वर्ष 2019-20 तक की लेखा परीक्षा दिनांक 17.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 17.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री आदेश कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री सुभाष द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासॉफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 1439285.19 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी। अतः

प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 1439285.19 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री सुभाष व तत्कालीन सचिव श्री आदेश कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1439285.19 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सुभाष व तत्कालीन सचिव श्री आदेश कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 -1)

प्रस्तर संख्या 19- ग्राम पंचायत सिरियाल वि0ख0 खुर्जा की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत सिरियाल वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दिनांक 16.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 16.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री नितिश मलिक व तत्कालीन प्रधान श्री संजय द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में आॅनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 922638.00 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तता सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा िकवे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते

हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी। अतः प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 922638.00 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री संजय व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 922638.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री संजय व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 -1)

प्रस्तर संख्या 20- ग्राम पंचायत भाईपुर वि0ख0 खुर्जा की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत भाईपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दिनांक 10.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 10.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री नितिश मलिक व तत्कालीन प्रधान श्रीमती रेखा देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 952159.00 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है। उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी। अतः प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 952159.00 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती रेखा देवी व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 952159.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती रेखा देवी व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 -1)

प्रस्तर संख्या 21- ग्राम पंचायत आसफपुर वि0ख0 खुर्जा की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत आसफपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दिनांक 15.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 15.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री नितिश मलिक व तत्कालीन प्रधान श्रीमती वृजेश देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 1862636.70 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है। उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी।

एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी। अतः प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 1862636.70 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती वृजेश देवी व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1862636.70 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती वृजेश देवी व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 22- ग्राम पंचायत नगला-रूमी वि0ख0 खुर्जा की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत नगला-रूमी वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दिनांक 16.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 16.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक व तत्कालीन प्रधान श्री अशोक कुमार द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 989979.07 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है। उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी। अतः प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 989979.07 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री अशोक कुमार व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 989979.07 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री अशोक कुमार व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 23- ग्राम पंचायत शहजादपुर कनैनी वि0ख0 खुर्जा की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत शहजादपुर कनैनी वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दिनांक 17.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 17.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक व तत्कालीन प्रधान श्रीमती कविता देवी द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 2218266.00 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 2218266.00 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती कविता देवी व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 2218266.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती कविता देवी व तत्कालीन सचिव श्री नितिश मलिक से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 24- ग्राम पंचायत रायपुर मौजपुर वि0ख0 अरनिया की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत रायपुर मौजपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दिनांक 05.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 05.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही तत्कालीन सचिव श्री रवनेश कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री श्योदान सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 2156991.00 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के

संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 2156991.00 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री श्योदान सिंह व तत्कालीन सचिव श्री रवनेश कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 2156991.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री श्योदान सिंह व तत्कालीन सचिव श्री रवनेश कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 25- ग्राम पंचायत देवराला वि0ख0 अरनिया की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत देवराला वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दिनांक 06.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 06.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री रवनेश कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजवती द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 3790242.00 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व

होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 3790242.00 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजवती व तत्कालीन सचिव श्री रवनेश कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 3790242.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजवती व तत्कालीन सचिव श्री रवनेश कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 26- ग्राम पंचायत हमीरपुर वि0ख0 अरनिया की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत हमीरपुर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दिनांक 04.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 04.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री रवनेश कुमार व तत्कालीन प्रधान श्री तेज सिंह द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 1460308.00 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी। एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।

अतः प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 1460308.00 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री तेज सिंह व तत्कालीन सचिव श्री रवनेश कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 1460308.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री तेज सिंह व तत्कालीन सचिव श्री रवनेश कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 27- ग्राम पंचायत बादशाहपुर पचगांई वि0ख0 अरनिया की वर्ष 2019-20 तक की ग्राम पंचायत बादशाहपुर पचगांई वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दिनांक 06.03.2021 को करना निर्धारित हुआ था। लेकिन 06.03.2021 से लेकर 31.03.2021 तक भी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान सचिव श्री रवनेश कुमार व तत्कालीन प्रधान श्रीमती सीमा द्वारा कभी कोई सम्पर्क कर अभिलेख देने का आश्वासन दिया गया। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की सूचना ए0डी0ओ0 पंचायत

को लिखित रूप में दी जा चुकी है। अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ऑनलाइन प्रियासाफ्ट फीडिंग के अनुसार वर्ष 2019-20 में रू0 2489584.00 कुल व्यय को आधार मानकर अधिभार की कार्यवाही की गयी है।

उक्त के क्रम में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में, वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें। लेकिन इसके विपरीत लेखा परीक्षा में अपेक्षित कोई भी अभिलेख उपलब्ध ही नहीं कराया गया है। इसी क्रम में उक्त लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर/प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता तो समस्त दर्शित व्ययों की धनराशि को अपहरण मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान व सचिव से करायी जायेगी एवं अन्य विभागीय कार्यवाही भी की जायेगी।
अतः प्रियासाफ्ट फीडिंग में दर्शित कुल व्यय रू0 2489584.00 को व्यय प्रमाणकों के अभाव में गबन माना जायेगा। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती सीमा व तत्कालीन सचिव श्री रवनेश कुमार, दोषी व उत्तरदायी हैं। अतः दर्शित कुल व्यय रू0 2489584.00 को अपुष्ट मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सीमा व तत्कालीन सचिव श्री रवनेश कुमार से कराते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 28- ग्राम पंचायत हाजीपुर भटौला वि0 ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यस्थलों पर इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण पर कुल रू0 2170023.00 वयय दर्शित है। परन्तु इन कार्यो हेतु न तो विधिवत पारित प्रस्ताव और न ही वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति लिये जाने की पुष्टि करायी गयी। इसके अतिरिक्त एस्टीमेट, स्वीकृत मानचित्र, माप-पुस्तिका, कार्यपूर्व व कार्योपरान्त कार्यस्थलों के फोटोग्राफ्स, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्रें, व्यय प्रमाणकें मस्टररोल्स व आवश्यकतानुसार तीन-तीन प्रतियों में कोटेशन्स/ निविदायें (सील्ड कवर में) आदि भी प्रस्तुत नहीं किये गए। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री हबीब व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल व्यपहृत धनराशि रू0 2170023.00 (रू0 इक्कीस लाख सत्तर हजार तेईस) ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है विवरण निम्नांकित है-

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 17301782 | इश्तियाक वाली गली में इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 70813.00 |
| 2 | 17301774 | जुल्फी वाली गली में इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 22947.00 |
| 3 | 17301776 | सलीम वाली गली में इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 17712.00 |
| 4 | 17301775 | रहीस वाली गली में इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 23425.00 |
| 5 | 19204596 | कय्यूम से आसिफ के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 169146.00 |
| 6 | 17301770 | हाशिम से सलीम के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 26565.00 |
| 7 | 17301778 | इरफान वाली गली में इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 155905.00 |
| 8 | 17301769 | रसीद से चैपाल तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 247436.00 |
| 9 | 17301785 | अब्दुला से रसीद के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 184567.00 |
| 10 | 17301771 | बाम्बे के पुल से डेरी तक नाला निर्माण | 144744.00 |
| 11 | 17301783 | हाशिम से सलीम के घर तक इन्टर लाकिंग कार्य | 213123.00 |
| 12 | 17301777 | शेरी वाली गली में इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 132614.00 |
| 13 | 17301786 | मौसिम वाली गली में इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 30454.00 |
| 14 | 19204595 | आसिफ से नूर मोहम्मद के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 96680.00 |
| 15 | 19204590 | सुग्नी से शमी दुधिया के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 159088.00 |
| 16 | 19204600 | तुफल से सुमानी के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 178444.00 |
| 17 | 17301788 | वशीक से रसीद के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 7160.00 |
| 18 | 17301780 | फारूक से अय्यूब के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण योग | 289200.00 |
| | | योग | 2170023.00 |

(सा0आ0सं0 -1)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 29- ग्राम पंचायत हाजीपुर भटौला वि0 ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 आलोच्य वर्ष में प्रा0पा0, आंगनवाड़ी केन्द्र व जू0हा0स्कूल में वाल पेंटिंग, पुटटी कार्य व टाइल्स लगाई पर कुल रू0 401095.00 व्यय दर्शित है। परन्तु इनसे संबंधित विधिवत पारित प्रस्ताव, एस्टीमेट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रों, स्वीकृत बजट, सामग्री क्रय हेतु कोटेशन्स, व्यय प्रमाणकें, उपभोग प्रमाण-पत्र, मजदूरी भुगतान प्राप्ति

स्वीकृति रसीद/मस्टररोल आदि प्रस्तुत न किये जाने से दर्शित कार्यो के सापेक्ष दर्शित व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री हबीब व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल व्यपह्रत धनराशि रू0 401095.00 (रू0 चार लाख एक हजार पिचानवे) ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | प्रयुक्त/व्यपह्रत धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 19206741 | प्राइमरी व जूनियर स्कूल में वाल पेन्टिंग व पुटटी कार्य | 116095.00 |
| 2 | 17301772 | प्रा0 पा0 व आंगनवाड़ी केन्द्र में वाल पैंटिग व टाइल्स लगाई कार्य | 285000.00 |
| | | योग | 401095.00 |

(सा0आ0सं0 -2)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 30- ग्राम पंचायत हाजीपुर भटौला, वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 आलोच्य वर्ष में रू0 28000.00 एल0ई0डी0 लाईट प्रतिस्थापना पर व्यय दर्शित। परन्तु पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश सं0 51/2018/1701/33-03-2018-40/2018 दिनांक 13.06.18 के बिन्दु-3 में क्रय हेतु दी गयी व्यवस्था का अनुपालन नहीं किया गया और न ही बिन्दु-6 में दिये गए निर्देशों जिसमें पुराने परम्परागत लाईटों के निस्तारण हेतु व्यवस्था दी गयी है उसका अनुपालन किया गया। साथ ही व्यय प्रमाणक, व्यय हेतु पारित प्रस्ताव व कार्यादेश भी अनुपलब्ध रहा। जिससे दर्शित व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। विवरण निम्नांकित है-

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 20553234 | एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट क्रय | 28000.00 |

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में ग्राम प्रधान श्री हबीब व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से रू0 28000.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। (सा0आ0सं0 -3)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 31- ग्राम पंचायत हाजीपुर भटौला वि0 ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर कार्य की दो अलग-अलग आई0डी0 जेनरेट कर रू0 207000.00 व्यय दर्शाया गया है जो आपत्तिजनक है। चूंकि इस मद हेतु कुल व्यय 2 लाख से अधिक है। अतः वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सहा0 विकास अधिकारी (पंचा) से लिये जाने का प्राविधान है। इससे बचने हेतु एक कार्य के लिये दो कार्य आई0डी0 जेनरेट कर शासनादेश का उल्लंघन किया गया साथ ही पंचायती राज अनुभाग -3 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-03-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में दी गई गाइडलाईन के अनुपालन की न तो पुष्टि करायी गयी और न ही हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई उपलब्ध है। हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन, स्वीकृति पत्र, विधिवत पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोटेशन, व्यय प्रमाणकें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहे। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री हबीब व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल व्ययह्रत धनराशि रू0 207000.00 (दो लाख सात हजार रूपये) ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

22

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 17301790 | हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत | 154600.00 |
| 2 | 19206740 | हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत | 52400.00 |
| | | योग | 207000.00 |

(सा0आ0सं0 -4)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 32- ग्राम पंचायत हाजीपुर भटौला वि0 ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 आलोच्य वर्ष में रू0 30829.00 कूड़ा रिक्शा मरम्मत व सफाई सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है। इस हेतु पारित प्रस्ताव, कार्यादेश व व्यय प्रमाणकें अनुपलब्ध रहने से दर्शित व्यय फर्जी दर्शाये जाने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री हबीब व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल रू0 30829.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 19206742 | कूड़ रिक्शा मरम्मत व सफाई सामग्री क्रय | 30829.00 |

(सा0आ0सं0 -5)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 33- ग्राम पंचायत मुर्तजाबाद भटवारा वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के विभिन्न मार्गो पर इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण पर कुल रू0 2015464.00 व्यय दर्शित है। परन्तु इन कार्यों हेतु न तो विधिवत पारित प्रस्ताव और न ही प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकि स्वीकृति प्राप्त करने की पुष्टि करायी गयी। इसके अतिरिक्त स्वीकृत प्राक्कलन, स्वीकृत मानचित्र, माप पुस्तिका, कार्यपूर्व व कार्योपरान्त कार्यस्थलों के फोटोग्राफस, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्रें, व्यय प्रमाणकें/मस्टररोल्स व निर्धारित मानक के अनुरूप

सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/निविदायें आदि भी जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे प्रमाणित होता है कि दर्शित समस्त व्यय फर्जी है। ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 2015464.00 (बीस लाख पन्द्रह हजार चार सौ चैंसठ रूपये) की ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 17192717 | चन्द्रावती से भीमा के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 143516.00 |
| 2 | 20781354 | नवीन से होशियार के घर तक इन्टर लाकिंग, खंडज्जा, सी0सी0रोड़ व नाली निर्माण | 39551.00 |
| 3 | 19958453 | बटेश्वर से ऋषिपाल के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 177635.00 |
| 4 | 19958454 | भूरा से चन्दर के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 120856.00 |
| 5 | 19958455 | जयप्रकाश शर्मा वाली गली मे इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 49322.00 |
| 6 | 17192734 | फतेहगढ़ी में मंदिर से प्रेमपाल के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 336309.00 |
| 7 | 17192731 | त्रिलोक से चन्दर के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 375480.00 |
| 8 | 17192714 | फतेहगढ़ी में चामण्ड से शीशपाल के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 152260.00 |
| 9 | 17192711 | मेन रोड़ से सुभाष के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 189286.00 |
| 10 | 17192735 | फतेहगढ़ में मंदिर से रमेश के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 366500.00 |
| 11 | 20781351 | मेन रोड़ से बादशाह के घर तक इन्टर लाकिंग, खंडज्जा, सी0सी0रोड़ व नाली निर्माण | 64749.00 |
| | | योग | 2015464.00 |

(सा0आ0सं0 -1)

23

प्रस्तर संख्या 34- ग्राम पंचायत मुर्तजाबाद भटवारा वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में सामुदायिक भवन मे बरामदा, बाउण्ड्रीवाल, इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य पर कुल रू0 362047.00 व्यय दर्शित है। ये कार्य ठेके पर कराया गया है। शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-02-2016 (एस0पी) 2010 दिनांक 01 अप्रैल 2016 के अनुसार कोई भी निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति, वित्तीय व तकनीकि स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। परन्तु उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन किये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी। निविदा आमंत्रण हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित करने का प्राविधान है। परन्तु इस हेतु किसी भी समाचार पत्र को आलोच्य वर्ष में कोई भुगतान दर्शित नहीं किया गया है। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि या तो किसी अपने पसंदीदा ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया है अथवा पी0एफ0एम0एस0 द्वारा किसी अन्य के खाते में भुगतान कर उपरोक्त दर्शित कार्य कराया ही नहीं गया है। उपरोक्त कार्यो से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, अन्य प्रमाणें व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा में अवलोकन व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । यहां तक कि ग्राम पंचायत को कोई निविदा शुल्क प्राप्त होने की पुष्टि भी ई ग्राम स्वराज से नही होती है और न ही ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त होने की पुष्टि होती है। अतः समस्त भुगतान फर्जी है। ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 362047.00 (तीन लाख बासठ हजार सैतालीस रूपये) ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 20781352 | ठेके पर सामुदायिक भवन में बरामदा, बाउण्ड्रीवाल, इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य | 362047.00 |

(सा0आ0सं0 -2)

प्रस्तर संख्या 35- ग्राम पंचायत मुर्तजाबाद भटवारा वि0 ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में सफाई रिक्शा क्रय पर रू0 15000.00 व्यय दर्शित है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से इस संबंध में पारित प्रस्ताव की पुष्टि न हो सकी। सफाई रिक्शा क्रय से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से दर्शित भुगतान के फर्जी होने की पुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दशिर्त भुगतान रू0 15000.00 मय ब्याज वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -3)

प्रस्तर संख्या 36- ग्राम पंचायत मुर्तजाबाद भटवारा वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में रू0 17496.00 सोख्ता गड़ढा निर्माण पर व्यय दर्शित है। इससे संबंधित पारित प्रस्ताव, कार्यादेश, मस्टररोल, व्यय प्रमाणक आदि प्रस्तुत नहीं किये गए। जिससे दर्शित व्यय के फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 17496.00

ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

(सा0आ0सं0 -4)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 37- ग्राम पंचायत मुर्तजाबाद भटवारा वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 मे रू0 115060.00 हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत पर व्यय दर्शित है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में दी गई गाइडलाईन के अनुपालन की न तो पुष्टि करायी गयी और न ही हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना उपलब्ध है। हैण्ड पम्प मरम्मत व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों के कोई आवेदन स्वीकृति पत्र, विधिवत पारित प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोटेशन, व्यय प्रमाणकें/मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहे। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर व श्री सतीश कुमार से समस्त दर्शित व्यय रु0 115060 (एक लाख पन्द्रह हजार साठ रूपये) ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 17192718 | हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत कार्य | 115060.00 |

(सा0आ0सं0 -5)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 38- ग्राम पंचायत मुर्तजाबाद भटवारा वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत व स्कूल में वाल पेंटिग व नारा लेखन पर रू0 133606.00 व्यय दर्शित है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से इस हेतु विधिवत पारित प्रस्ताव की पुष्टि न हो सकी। साथ ही इससे संबंधित व्यय प्रमाणक, मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहे। जिससे दर्शित समस्त व्यय अपुष्ट रहा। ग्राम प्रधान श्री सत्यवीर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 133606.00 (एक लाख तैंतीस हजार छः सौ छः रूपये) ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 17192719 | ग्राम पंचायत व स्कूल में वाल पेंटिग व नारा लेखन | 133606.00 |

(सा0आ0सं0 -5)

<u>प्रस्तर संख्या</u> 39- ग्राम पंचायत बसेन्दुआ वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में शमशान घाट निर्माण कार्य पर रू0 1259173.00 व्यय दर्शित है। जिस हेतु विधिवत पारित प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति लिये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी। इसके अतिरिक्त स्वीकृत प्राक्कलन, स्वीकृत मानचित्र, माप-पुस्तिका, सामग्री क्रय हेतु मानक के अनुरूप तीन प्रतियों में कोटेशन्स/सील्ड कवर में निविदायें, व्यय प्रमाणकें/ मस्टररोल्स व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दर्शित समस्त व्यय फर्जी दर्शाये जाने की पुष्टि होती है। अतः व्यपहृत कुल धनराशि रू0 1259173.00 मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है - 1- सामग्री क्रय पर दर्शित व्यय - 959233.00

2- मजदूरी पर दर्शित व्यय - 299940.00

योग - 1259173.00

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 19300838 | शमशान घाट पर निर्माण कार्य | 1259173.00 |

<u>प्रस्तर संख्या</u> 40- ग्राम पंचायत बसेन्दुआ वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के विभिन्न कार्यस्थलों पर इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण कार्य पर कुल रू0 714624.00 व्यय दर्शित है। जिस हेतु न तो विधिवत पारित प्रस्ताव, प्रशासनिक वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति लिये जाने की पुष्टि नहीं करायी गयी। इसके अतिरिक्त स्वीकृत प्राक्कलन, स्वीकृत मानचित्र, माप-पुस्तिका, सामग्री क्रय हेतु मानक के अनुरूप तीन प्रतियों में कोटेन्स/सील्ड कवर में निविदायें, व्यय प्रमाणकें/मस्टररेल्स व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे दर्शित समस्त व्यय फर्जी दर्शाये जाने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से व्ययहृत धनराशि रू0 714624.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 19115660 | शमीम से नजीर के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 384502.00 |
| 2 | 19300827 | अजीत से जाफर खा के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 165084.00 |
| 3 | 19300828 | जाफर से असलम के घर तक इन्टर लाकिंग व नाली निर्माण | 165038.00 |
| | | योग | 714624.00 |

<u>प्रस्तर संख्या</u> 41- ग्राम पंचायत बसेन्दुआ वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों व नाला सफाई कार्य पर कुल रू0 69700.00 व्यय दर्शित है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से समग्र सफाई कार्य प्रस्तावित/स्वीकृत होने की पुष्टि न हो सकी। इसके अतिरिक्त सफाई कार्यस्थलों के नाम, व्यय प्रमाणकें, भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदें आदि प्रस्तुत न किये जाने से कुल व्यय फर्जी दर्शाये जाने की पुष्टि होती है। अतः व्यपहृत कुल धनराशि रू0 69700.00 मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 19300829 | ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों व नाला सफाई कार्य | 69700.00 |

<u>प्रस्तर संख्या</u> 42- ग्राम पंचायत बसेन्दुआ वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट क्रय व स्थापना पर कुल रू0 123200.00 व्यय दर्शित है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 51/2018/1701/33-3-2018-40/40/2018 दिनांक 13.06.2018 में दी गयी व्यवस्थानुसार ग्राम पंचायत एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट की स्थापना हेतु पूर्व में संबधित विधुत वितरण निगम से वैध रूप में विधुत संयोजन लेगी। साथ ही एल0ई0डी0 लाईट के वाट तथा उसके सापेक्ष क्रय हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अनुशंसा का पालन करेगी। परन्तु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि करेगी। परन्तु उपरोक्त शासनादेश के अनुपालन की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं करायी गयी। साथ ही समस्त क्रय से संबंधित व्यय प्रामणक व मजदूरी भुगतान से संबंधित अन्य पत्रावालियां व अन्य कोई साक्ष्य सुलभ न कराये जाने से दर्शित समस्त भुगतान अपुष्ट रहा। दर्शित समस्त फर्जी भुगतान रू0 123200.00 मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी व ग्राम पंचायत अधिकारी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 20453509 | एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट क्रय व स्थापना | 123200.00 |

<u>प्रस्तर संख्या</u> 43- ग्राम पंचायत बसेन्दुआ वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों हेतु डस्टबीनों के क्रय पर रू0 28300.00 व्यय दर्शाया गया है। कार्यवाही पंजिका प्रस्तुत न किये जाने से इस हेतु विधिवत पारित प्रस्ताव की पुष्टि न हो सकी। डस्टबीनों की स्थापना स्थलों के नामो का उल्लेख ई ग्राम स्वराज पर नहीं है। लेखा परीक्षा में कोषबही व व्यय प्रमाणक भी सुलभ नहीं कराया गया। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रू0 28300.00 फर्जी दर्शाये जाने की पुष्टि होती है। अतः व्यपहृत कुल धनराशि रू0 28300.00 मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

26

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 20453511 | डस्टबीन्स क्रय | 28300.00 |

<u>प्रस्तर संख्या</u> 44- ग्राम पंचायत बसेन्दुआ वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में रु0 38769.00 हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित है। इस हेतु न तो पारित प्रस्ताव की पुष्टि कार्यवाही पंजिका से करायी गई न ही ग्राम सदस्यों से हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कोई आवेदन अवलोकित कराया गया और न ही कार्यस्थलों का कोई विवरण ही प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त मरम्मत सामग्री क्रय प्रमाणक व मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद प्रस्तुत की गयी। अतः दर्शित भुगतान फर्जी होने की पुष्टि होती की गयी। अतः व्यपहृत कुल धनराशि रू0 38769.00 मय ब्याज ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से वसूल किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 19115648 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य | 38769.00 |

<u>प्रस्तर संख्या</u> 45- ग्राम पंचायत कुराला वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत पर कुल रू0 104190.00 व्यय दर्शित है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 51/2017/1211 /33-3-2017-46-2015 दि0 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में दी गयी गाइडलाईन के अनुपालन की न तो पुष्टि करायी गयी और न ही हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत के कार्यस्थलों के संबंध में ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर कोई सूचना ही उपलब्ध है। हैण्ड पम्प परम्म्त व रिबोर से संबंधित ग्राम सदस्यों से कोई आवेदन प्राप्त न होने, स्वीकृति पत्र, प्रमाणकें/मजदूरी प्रस्ताव, सामग्री क्रय से संबंधित कोटेशन, व्यय प्रमाणकें/मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदें आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहें। अतः दर्शित समस्त व्यय के फर्जी होने की पुष्टि होती है। ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से समस्त दर्शित व्यय रू0 104190.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 18260793 | हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत | 104190.00 |

<u>प्रस्तर संख्या</u> 46- ग्राम पंचायत कुराला वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में गौशाला में टीन सेड निर्माण, पशुओं हेतु खाद्य सामग्री क्रय करना तथा जे0सी0बी0 से खुदाई आदि पर रू0 746457.00 व्यय दर्शित है। इस हेतु विधिवत पारित प्रस्ताव, प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु निर्धारित मानक के अनुरूप कोटेशन्स/निविदा प्रकिया आदि के बगैर अनुपालन किये तथा बिना किसी व्यय प्रमाणक, कार्यपूति प्रमाण-पत्र व खुदाई हेतु प्रयुक्त जे0सी0बी0 का नंबर व प्रयुक्त घंटे व दर आदि की पुष्टि कराये व्यय दर्शित है। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी होने की पुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से समस्त दर्शित व्यय रू0 746457.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 18260791 | गौशाला हेतु टीन शेड, खादय सामग्री क्रय, सीमेंट, बालू, मजदूरी, जे0सी0बी से खुदाई आदि कार्य | 702457.00 |
| | 18872452 | टीन सेड़ निर्माण (गौशाला) | 44000.00 |
| | | योग | 746457.00 |

27

<u>प्रस्तर संख्या</u> 47- ग्राम पंचायत कुराला वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 गौशाला में स्टोर/कमरा निर्माण पर कुल रू0 606264.00 व्यय दर्शित है। ये कार्य ठेके पर कराया गया है। शासनादेश संख्या 5-2016/253/18-02-2016 (एस0पी) 2010 दिनांक 01 अप्रैल 2016 के अनुसार कोई भी निविदा आमंत्रित करने के पूर्व प्रशासनिक अनुमति , वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है। परन्तु उपरोक्त शासनादेश का अनुपालन किये जाने की पुष्टि नही करायी गयी। निविदा आमंत्रण हेतु स्थानीय समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित करने का प्राविधान है। परन्तु इस हेतु किसी भी समाचार पत्र को आलोच्य वर्ष में कोई भुगतान दर्शित नहीं है। वर्ष में न तो निविदा शुल्क से कोई आय दर्शित है और न ही ग्राम पंचायत में ठेकेदार से कोई जमानत राशि प्राप्त हुई है। जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि फर्जी तौर पर किसी व्यक्ति को ठेकेदार दर्शाकर उसके खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान दर्शाकर समस्त धनराशि व्यपहृत कर ली गयी है। उपरोक्त कार्यो से संबंधित स्वीकृत प्राक्कलन, अन्य प्रमाणकें, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि भी अनुपलब्ध रहने से भारी फर्जीवाड़े की पुष्टि होती है/ अतः समस्त दर्शित व्यय रू0 606264.00 अतः ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से समस्त दर्शित व्यय रू0 606264.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 18674457 | ठेके पर गौशाला में स्टोर/कमरा निर्माण | 606264.00 |

प्रस्तर संख्या 48- ग्राम पंचायत कुराला वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रा0 पा0 व आगंनवाड़ी केन्द्र में फर्श निर्माण सी0सी0 व इन्टरलाकिंग कार्य पर रू0 198428.00 व्यय दर्शित है। इस हेतु विधिवत पारित प्रस्ताव, स्वीकृत एस्टीमेंट प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति, सामग्री क्रय हेतु कोटेशन्स, व्यय प्रमाणकें, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। जिससे समस्त दर्शित व्यय फर्जी दर्शाये जाने की पुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 198428.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 18674453 | प्रा0पा0 व आगंनवाडी केन्द्र में फर्श निर्माण सी0सी0 व इन्टरलाकिंग कार्य | 198428.00 |

<u>प्रस्तर संख्या</u> 49- ग्राम पंचायत कुराला वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर पुलिया निर्माण, लोहे का जाल लगाई व नाली मरम्मत पर रू0 42988.00 व्यय दर्शित है। इस हेतु न तो विधिवत प्रस्ताव पारित किये जाने की पुष्टि करायी गयी और न ही कार्यस्थलों के नामों को कहीं अंकित किया गया है। पुष्टि हेतु न तो कोई प्रमाणक उपलब्ध है और न ही मजदूरी भुगतान से संबंधित भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदें प्रस्तुत की गयी। अतः समस्त भुगतान फर्जी है। अतः ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 42988.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या</u> 50- ग्राम पंचायत कुराला वि0 ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रू0 42042.00 सोख्ता गडढ़ा निर्माण पर व्यय दर्शित है। इससे संबंधित पारित प्रस्ताव, कार्यादेश, मस्टररोल, व्यय प्रमाणकें आदि अप्राप्त रहे। जिससे दर्शित व्यय के फर्जी होने की पुष्टि होती है। अत: ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से दर्शित व्यय रू0 42042.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर संख्या</u> 51- ग्राम पंचायत कुराला वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में रू0 8000.00 पौधारोपण पर व्यय दर्शित है। परन्तु पौध क्रय प्रमाणक, ढुलाई भाड़ा, पौध लगाई मजदूरी व स्थल का विवरण के साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने से समस्त दर्शित व्यय फर्जी दर्शाये जाने की पुष्टि होती है। अत: ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से दर्शित व्यय रू0 8000.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 52- ग्राम पंचायत कुराला वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में रू0 15000.00 कूड़ा रिक्शा व सफाई सामग्री क्रय पर व्यय दर्शित है, इस हेतु पारित प्रस्ताव क्रय हेतु आदेश व व्यय प्रमाणकें सुलभ न कराये जाने से दर्शित व्यय के फर्जी होने की पुष्टि होती है। अत: ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से दर्शित व्यय रू0 15000.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 53- ग्राम पंचायत कुराला वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में रू0 8292.00 स्टेशनरी क्रय पर व्यय दर्शित है। जिसका व्यय प्रमाणक जांच व पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहा। ग्राम पंचायत में स्टेशनरी स्टॉक रजिस्टर भी नहीं रखा गया है। प्रमाणक विहिन दर्शित व्यय फर्जी प्रतीत होती है। अत: ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से दर्शित व्यय रू0 8292.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 54- ग्राम पंचायत कुराला वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में रू0 3220.00 सामग्री क्रय व्यय दर्शित है। जिसका न तो कोई उददेश्य अंकित है और न ही संबंधित कार्य स्पष्ट है। प्रमाणकविहिन दर्शित व्यय पूर्ण तथा फर्जी दर्शाया गया है। अत: ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से दर्शित व्यय रू0 3220.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 55- ग्राम पंचायत उटरावली वि0ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में खडंज्जा से सी0सी0 रोड निर्माण व नाली निर्माण पर कुल रू0 400423.00 व्यय दर्शित है। जिसमें सामग्री क्रय पर रू0 245402.00 व मजदूरी भुगतान पर कुल रू0 155021.00 व्यय शामिल है। लेखा परीक्षा में कोषबही कार्यवाही इसके अतिरिक्त स्वीकृत प्राक्कलन, स्वीकृत मानचित्र, माप-पुस्तिका, सामग्री क्रय हेतु अनुरूप तीन प्रतियों में कोटेसन्स/सील्ड कवर में निविदायें, व्यय प्रमाणकें/मस्टररोल्स व कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र जांच व पुष्टि हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही संबंधित कार्य हेतु न तो विधिवत पारित प्रस्ताव और न ही वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने की पुष्टि करायी गयी। कार्य वास्तव में किये जाने की पुष्टि में कार्यस्थल का कार्यपूर्व व कार्योपरान्त फोटोग्राफस भी प्रस्तुत नही की गई। अतः दर्शित कार्य पूर्णतया फर्जी प्रतीत होता है। ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 400423.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 16462434 | फतेह सिंह वाली गली में खडंजा से सी0सी0 रोड़ व नाली निर्माण | 400423.00 |

प्रस्तर संख्या 56- ग्राम पंचायत उटरावली वि0 ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत पर कुल रू0 76500.00 व्यय दर्शित है। पंचायती राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में दी गयी गाईडलाइन के अनुरूप प्रेषित प्रस्ताव की प्राप्ति स्वीकृति प्रति व तदोपरान्त जारी प्रतीक्षा सूची की पुष्टि नहीं करायी गयी। हैण्डपम्प रिबोर हेतु तकनीकी अनुश्रवण जेई (एम0आई0/आर0ई0डी0/मंडी परिषद/जिला पंचायत) द्वारा किये जाने की पुष्टि हेतु कोई पत्रावली/साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी। साथ ही हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत के कार्यस्थल संबंध में भी कोई उल्लेख ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध नहीं है। हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु कोई आवेदन, विधिवत पारित प्रस्ताव, कार्यादेश व क्रय प्रामणकें/मजदूरी भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीद आदि भी पुष्टि हेतु अनुपलब्ध रहे। अतः दर्शित समस्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है। ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 76500.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है -

| क्र0 स0 | कार्य आई0 डी0 | कार्य का विवरण | दर्शित व्यय |
|---|---|---|---|
| 1 | 16462427 | हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत कार्य | 76500.00 |

प्रस्तर संख्या 57- ग्राम पंचायत उटरावली वि0 ख0 बुलन्दशहर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम सफाई कार्य पर कुल रू0 25000.00 व्यय दर्शित है। बिना सफाई कार्य स्थलों के नामों का उल्लेख किये, विधिवत पारित प्रस्ताव की पुष्टि कराये बिना तथा व्यय प्रमाणकों, भुगतान प्राप्ति स्वीकृति रसीदों आदि के बगैर फर्जी व्यय दर्शाकर व्यपहरण किये जाने की परिपुष्टि होती है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सतीश कुमार से कुल दर्शित व्यय रू0 25000.00 ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या 58- ग्राम पंचायत ईस्माइलपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा दौरान आनलाइन कैशबुक में व्यय दर्ज निम्न प्रमाणक जांच हेतु मांगने पर भी नहीं मिले:-

| क्रम संख्या | दिनांक | व्यय धनराशि(रू0) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 14.01.2019 | 20290 | मजदूरी |
| 2 | 14.01.2019 | 28750 | मजदूरी |
| 3 | 14.01.2019 | 26830 | मजदूरी |
| 4 | 14.01.2019 | 14330 | मजदूरी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 14.01.2019 | 27500 | मजदूरी |
| 6 | 15.01.2019 | 43750 | मजदूरी |
| 7 | 16.01.2019 | 63971 | टाइल्स |
| 8 | 16.01.2019 | 111754 | टाइल्स |
| 9 | 16.01.2019 | 100500 | टाइल्स |
| 10 | 16.01.2019 | 155886 | टाइल्स |
| 11 | 16.01.2019 | 28084 | टाइल्स |
| 12 | 16.01.2019 | 96970 | टाइल्स |
| 13 | 22.01.2019 | 11769 | बिल्डिंग |
| 14 | 22.01.2019 | 8582 | बिल्डिंग |
| 15 | 22.01.2019 | 11506 | बिल्डिंग |
| 16 | 22.01.2019 | 16969 | बिल्डिंग |
| 17 | 22.01.2019 | 10943 | बिल्डिंग |
| 18 | 24.01.2019 | 15290 | बिल्डिंग |
| 19 | 24.01.2019 | 8750 | मजदूरी |
| 20 | 24.01.2019 | 27500 | मजदूरी |
| 21 | 24.01.2019 | 21540 | मजदूरी |
| 22 | 24.01.2019 | 25580 | मजदूरी |



| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 24.01.2019 | 22500 | मजदूरी |
| 24 | 24.01.2019 | 22210 | मजदूरी |
| | योग | 921754 | |

उक्त समस्त व्यय से सम्बन्धित योजनाओं के 1- स्वीकृत बजट प्रस्ताव 'रूपपत्र ग', 2- इस्टीमेटस, 3- मैप्स, 4- सी0आर0, 5- कोटेशन/टेन्डर, 6- मस्टर रोल, 7- बिल/ वाउचर, 8- क्रय स्टाक रजिस्टर, 9- स्टोर पंजिका बार-बार मांगने पर भी उपलब्ध नहीं हुए। इन तथ्यों के मद्देनजर दर्शित उपरोक्त व्यय, अवैध, फर्जी, वित्तीय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी दोषीगण से ब्याज सहित वसूली व कार्यवाही अपेक्षित है।

दोषीगण - 1. प्रधान - राजेन्द्र, 2. सचिव - सोमदेव, शीशपाल व बिजेन्द्र। (आपत्ति सं0 - 14)

प्रस्तर संख्या 59- ग्राम पंचायत ईस्माइलपुर की वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान आनलाइन कैशबुक में व्यय दर्ज निम्न प्रमाणक जांच हेतु मांगने पर भी नहीं मिले:-

| क्रम संख्या | दिनांक | व्यय धनराशि(रू0) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.01.2019 | 47782 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 2 | 25.01.2019 | 27422 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 3 | 25.01.2019 | 69156 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 4 | 25.01.2019 | 6923 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 5 | 25.01.2019 | 53640 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 6 | 25.01.2019 | 5240 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 7 | 25.01.2019 | 71373 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 8 | 25.01.2019 | 6898 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 9 | 25.01.2019 | 62988 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 10 | 25.01.2019 | 8512 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 11 | 25.01.2019 | 64272 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 12 | 25.01.2019 | 7125 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 13 | 30.01.2019 | 15238 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 14 | 30.01.2019 | 11416 | बिल्डिंग मैटेरियल |
| 15 | 30.01.2019 | 14100 | बिल्डिंग मैटेरियल |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 30.01.2019 | 15777 | बिल्डिंग मैटेरियल |
| 17 | 30.01.2019 | 15022 | बिल्डिंग मैटेरियल |
| 18 | 28.01.2019 | 13239 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 19 | 28.01.2019 | 18294 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| | योग | 534417 | |

उक्त समस्त व्यय से सम्बन्धित योजनाओं के 1- स्वीकृत बजट प्रस्ताव 'रूपपत्र ग', 2- इस्टीमेटस, 3- मैप्स, 4- सी0आर0, 5- कोटेशन/टेन्डर, 6- मस्टर रोल, 7- बिल/ वाउचर, 8- क्रय स्टाक रजिस्टर, 9- स्टोर पंजिका बार-बार मांगने पर भी उपलब्ध नहीं हुए। इन तथ्यों के मद्देनजर दर्शित उपरोक्त व्यय, अवैध, फर्जी, वित्तीय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी दोषीगण से ब्याज सहित वसूली व कार्यवाही अपेक्षित है।

दोषीगण - 1. प्रधान - राजेन्द्र, 2. सचिव - सोमदेव, शीशपाल व बिजेन्द्र। (आपत्ति सं0 - 15)

प्रस्तर संख्या 60- ग्राम पंचायत ईस्माइलपुर की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा दौरान आनलाइन कैशबुक में व्यय दर्ज निम्न प्रमाणक जांच हेतु मांगने पर भी नहीं मिले:-

| क्रम संख्या | दिनांक | व्यय धनराशि(रू0) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.03.2019 | 26540 | मजदूरी |

31

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 07.03.2019 | 29330 | मजदूरी |
| 3 | 08.03.2019 | 83409 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 4 | 08.03.2019 | 95385 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 5 | 11.03.2019 | 25005 | बिल्डिंग मैटेरियल |
| 6 | 11.03.2019 | 15307 | बिल्डिंग मैटेरियल |
| 7 | 11.03.2019 | 11261 | ईंट |
| 8 | 12.03.2019 | 147500 | अजार |
| 9 | 28.03.2019 | 101000 | सोलर लाइट |
| 10 | 29.03.2019 | 14098 | ईंट |
| 11 | 29.03.2019 | 21616 | इन्टर लाक्रिंग टाइल्स |
| 12 | 29.03.2019 | 26499 | ईंट |
| 13 | 29.03.2019 | 26639 | मरम्मत |
| 14 | 29.03.2019 | 10579 | मरम्मत |
| 15 | 29.03.2019 | 12000 | मरम्मत |
| | योग | 646162 | |

उक्त समस्त व्यय से सम्बन्धित योजनाओं के 1- स्वीकृत बजट प्रस्ताव 'रूपपत्र ग', 2- इस्टीमेटस, 3- मैप्स, 4- सी0आर0, 5- कोटेशन/टेन्डर, 6- मस्टर रोल, 7- बिल/ वाउचर, 8- क्रय स्टाक रजिस्टर, 9- स्टोर पंजिका बार-बार मांगने पर भी उपलब्ध नहीं हुए। इन तथ्यों के मद्देनजर दर्शित उपरोक्त व्यय, अवैध, फर्जी, वित्तीय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी दोषीगण से ब्याज सहित वसूली व कार्यवाही अपेक्षित है।

दोषीगण - 1. प्रधान - राजेन्द्र, 2. सचिव - सोमदेव, शीशपाल व बिजेन्द्र। (आपत्ति सं0 - 16)

प्रस्तर संख्या 61- ग्राम पंचायत ईस्माइलपुर की वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान आनलाइन कैशबुक में व्यय दर्ज निम्न प्रमाणक जांच हेतु मांगने पर भी नहीं मिले:-

| क्रम संख्या | दिनांक | व्यय धनराशि(रू0) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 07.05.2019 | 4575 | नल मरम्मत |
| 2 | 07.05.2019 | 3050 | नल मरम्मत |
| 3 | 18.07.2019 | 14960 | मिट्टी कार्य |
| 4 | 31.07.2019 | 75400 | नल रिबोर |
| 5 | 31.07.2019 | 35400 | नल रिबोर |
| 6 | 31.07.2019 | 50000 | मजदूरी |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 31.07.2019 | 71528 | मरम्मत सामग्री |
| 8 | 31.07.2019 | 56312 | नाली कार्य |
| 9 | 23.01.2019 | 16250 | मजदूरी |
| 10 | 23.01.2019 | 26083 | कृषि कार्य |
| 11 | 23.01.2019 | 25000 | मजदूरी |
| 12 | 23.01.2019 | 33576 | कलेक्ट्रेट |
| 13 | 19.02.2020 | 9036 | सामग्री |
| 14 | 19.02.2020 | 24433 | सामग्री |
| 15 | 19.02.2020 | 11250 | मजदूरी |
| 16 | 19.02.2020 | 31698 | सामग्री |
| 17 | 19.02.2020 | 122264 | सामग्री |
| 18 | 19.02.2020 | 48750 | सामग्री |
| 19 | 19.02.2020 | 29828 | मजदूरी |
| 20 | 19.02.2020 | 87260 | सामग्री |
| 21 | 19.02.2020 | 38750 | मजदूरी |
| 22 | 19.02.2020 | 15555 | सामग्री |
| 23 | 19.02.2020 | 31689 | सामग्री |
| 24 | 23.02.2020 | 16250 | मजदूरी |
| 25 | 23.02.2020 | 24239 | सामग्री |
| 26 | 23.02.2020 | 82932 | सामग्री |
| 27 | 23.02.2020 | 35000 | मजदूरी |
| 28 | 23.02.2020 | 6052 | समाचार पत्र |
| 29 | 23.02.2020 | 2970 | पेंटिग बिल |
| | योग | 9961401 | |

उक्त समस्त व्यय से सम्बन्धित योजनाओं के 1- स्वीकृत बजट प्रस्ताव 'रूपपत्र ग', 2- इस्टीमेटस, 3- मैप्स, 4- सी0आर0, 5- कोटेशन/टेन्डर, 6- मस्टर रोल, 7- बिल/ वाउचर, 8- क्रय स्टाक रजिस्टर, 9- स्टोर पंजिका बार-बार मांगने पर भी उपलब्ध नहीं हुई। इन तथ्यों के मद्देनजर दर्शित उपरोक्त व्यय, अवैध, फर्जी, वित्तीय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी दोषीगण से ब्याज सहित वसूली व कार्यवाही अपेक्षित है।

दोषीगण - 1. प्रधान - राजेन्द्र, 2. सचिव - सोमदेव, शीशपाल व बिजेन्द्र। (आपत्ति सं0 - 17)

प्रस्तर संख्या 62- ग्राम पंचायत ईस्माइलपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा दौरान आनलाइन कैशबुक में व्यय दर्ज निम्न प्रमाणक जांच हेतु मांगने पर भी नहीं मिले:-

| क्रम संख्या | दिनांक | व्यय धनराशि(रू0) | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2020 | 35271 | मैटेरियल |
| 2 | 09.03.2020 | 96701 | मैटेरियल |
| 3 | 09.03.2020 | 25000 | मजदूरी |
| 4 | 09.03.2020 | 26250 | मजदूरी |
| | योग | 183222 | |

उक्त समस्त व्यय से सम्बन्धित स्वीकृत बजट, प्रस्तुत इस्टीमेटस, सी0आर0, कोटेशन/टेन्डर मस्टर रोल, बिल/ वाउचर,, स्टोर पंजिका मांगने पर भी अप्राप्त रही। अतः समस्त व्यय गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी प्रधान - राजेन्द्र व सचिव बिजेन्द्र से 50-50 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

दोषीगण - 1. प्रधान - राजेन्द्र, 2. सचिव - सोमदेव, शीशपाल व बिजेन्द्र। (आपत्ति सं0 - 18)

## प्रारूप-4

**जनपद का नाम-मेरठ** **मण्डल का नाम-मेरठ।**

ग्राम पंचायत वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित आपत्तियाॅं-

प्रस्तर-01- ग्राम पंचायत रसूलपुर गांवडी विकास खण्ड परीक्षितगढ वर्ष 2018-19 में दिनांक 09.04.2018 को ग्राम सभा को रू0 40000.00 की धनराशि स्वच्छ भारत मिशन हेतु निधि-1 में प्राप्त हुई, जिसमें रू0 (दि0 15.05.2018 को रू0 4500.00, दि0 24.05.2018 को रू0 6000.00, दि0 15.06.2018 को रू0 20000.00 अनुज टेडर्स को, दिनांक 05.07.2018 को रू0 6000.00 की धनराशि व्यय दर्शायी है, जिससे संबंधित निम्न आपत्तियाॅं रही है-

1 लाभार्थियों के चयन एवं सूची संबंधी कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया।

2 लाभार्थियों के कार्यपूर्ण होने की पुष्टि में कार्यपूर्ति प्रमाण प्रस्तुत नही किये गये।

3 व्यय धनराशि की पुष्टि में कोई बिल/बाउचर प्रस्तुत नही किया गया।

4 यह भी अज्ञात रहा कि लाभार्थियों के खातें में धनराशि ट्रान्सफर (अन्तरित) की गयी अथवा प्रधान द्वारा ही कार्य कराये गये।

उपरोक्तानुसार व्यय दर्शायी गयी धनराशि साक्ष्यों के अभाव में अपुष्ट एवं संदिग्ध रही है, इस प्रकार दर्शाये गये भुगतान अपहरण की श्रेणी में आते है। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए रू0 36500.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री देवपाल से अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-10)

प्रस्तर-02- ग्राम पंचायत रसूलपुर गांवडी विकास खण्ड परीक्षितगढ वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.04.2018 से 04.08.2018 तक ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा (रू0 36500 भारत मिशन को छोडकर) रू0 770370.00 का भुगतान सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर दर्शाया गया है। उक्त से संबंधित निम्न आपत्तियाॅं रही-

1 दर्शाये गये भुगतानों की पुष्टि में दुकानों/फर्मो के जी0एस0टी0 वाले बिल तथा मस्ट्रोल प्रस्तुत नही किये गये।

2 यह कही अंकित नही कि कौन सी सामग्री किस कार्य हेतु क्रय की है।

3 कही भी कार्य का नाम तथा स्थान का नाम अंकित नही है।

4 सामग्री हेतु टेण्डर नही लिए गये है।

5 दिनांक 06.04.2018 को 24500ग3=73500 तथा दिनांक 19.04.2018 को रू0 24500.00 सी0सी0 टायल लगाई हेतु मजदूरी का भुगतान दर्शाया गया है, परन्तु इन्टरलाकिंग टायल क्रय ही नही की गयी, तो लगाने की मजदूरी का कोई औचित्य नही है यह सीधा अपहरण है।

6 दिनांक 09.05.2018 से 26.06.2018 तक क्रय दर्शायी गयी सी0सी0 टायल्स एवं सीमेन्ट आदि का दिनांक 04.08.2018 तक उपभोग नही किया गया है इनके बाद दूसरे पंचायत सचिव आये, उन्होने न तो उक्त सामग्री चार्ज में दी गयी, बल्कि उन्होने सामग्री क्रय कर कार्य कराये है। स्पष्ट है कि प्रधान एवं पंचायत सचिव द्वारा काल्पनिक रूप से सामग्री क्रय दर्शाकर एवं उपभोग न कर सरकारी धन का अपहरण किया गया है।

7 जब कार्य का नाम, पता ही नही तो इस्टीमेट, एम0बी0, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति का कोई औचित्य भी नही तथा न ही तैयार कराये गये।

उपरोक्त से यही निष्कर्ष निकलता है कि बिना सामग्री लेबर भुगतान दर्शाकर तथा बिना लेबर सामग्री क्रय दर्शाकर काल्पनिक रूप से कार्यो पर धनराशि व्यय दर्शाकर सरकारी धन का अपहरण किया गया है। जिसके लिए प्रधान एवं पंचायत सचिव पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। अतः प्रधान श्रीमती शर्मा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवपाल से धनराशि रू0 770370 (मानदेय एवं एस0बी0एम0 की धनराशि छोड दी गयी है) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
(आपत्ति सं0-11)

प्रस्तर -03-ग्राम पंचायत बली विकास खण्ड परीक्षितगढ वर्ष 2019-20 में दिनांक 24.0.2019 को ग्राम पंचायत को रूप पत्र-7 (कैश रशीद सं0 108006) से मत्स्य जीवी सहकारी समिति लि0, परीक्षितगढ से रू0 40000.00 की नकद धनराशि तालाब ठेके की नीलामी से प्राप्त हुई है, कैशबुक में इसकी आय प्रविष्टि तो दर्ज है परन्तु न तो यह धनराशि बैंक मूेें जमा की गयी और न ही व्यय की गयी तथा न ही कैश बैंलेश (31.03.2020 तक भी) दर्शायी गयी।

स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा रू0 40000.00 को अपहरण कर लिया गया है। इसी प्रकार दिनांक 12.10.2017 को भी रसीद सं0 108001 से उक्त समिति से रू0 50000.00 प्राप्त हुए थे। स्पष्ट है कि वर्ष 2018-19 में भी उक्त समिति से धनराशि प्राप्त हुई होगी, जिसकी पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया, जिस कारण उक्त धनराशियो की पुष्टि न हो सकी। उक्त समिति को ठेका किस आधार पर दिया जा रहा है? तथा धनराशियाॅं किस आधार पर निर्धारित की जा रही है? नीलामी प्रक्रिया के सम्बन्ध में भी कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किया गया। अतः उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए (वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में प्राप्त एवं व्यय के साक्ष्यों सहित) रू0 40000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुरेश देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री देवपाल से अपेक्षित है।

प्रस्तर-4-ग्राम पंचायत ढिढाला विकास खण्ड जानी वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं पासबुक के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख जांच में प्रस्तुत नही किये गये। उक्त ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 में अंकन रू0 2234669.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री तथा मजदूरी आदि पर दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाॅं पाई गयी है-

* सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।
* स्टाॅक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
* सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
* स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
* सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
* टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
* सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचानें का कोई भाडा नही दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
* निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
* मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
* माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
* श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
* निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की ब्याज सहित वसूली सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार विभागीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके अंकन रू0 2234669.00.00 का निर्माण एवं मजदूरी पर व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितताएं कर राजकीय धन की क्षतिकारित की गई है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री सुभाष कुमार उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

प्रस्तर-5- ग्राम पंचायत लहर्रा विकास खण्ड जानी की लेखा परीक्षा में वर्ष 2019-20 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही है। किन्तु प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध आकडों से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की आय रू0 2085765.00 प्राप्त हुई है और रू0 2043765.00 पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। चूंकि व्यय धनराशि अंकन रू0 2043765.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित है जो पंचायत लेखा मैनुवल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8(क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका, माप पुस्तिका, प्रस्ताव पुस्तिका, कैशबुक, बैंक पासबुक, निर्माण रजिस्टर, स्टाॅक रजिस्टर, कार्ययोजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि करायी जाये अन्यथा अभिलेख के अभाव में व्यय अंकन रू0 2043765.00 को अपहरण मानते हुए, उक्त धन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश कुमार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-6- ग्राम पंचायत टिकरी विकास खण्ड जानी की लेखा परीक्षा में वर्ष 2019-20 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही है। किन्तु प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध आकडों से ज्ञात हुआ है कि वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की आय रू0 2836581.00 प्राप्त हुई है और रू0 2707363.00 पंचायत द्वारा व्यय की गयी है। चूंकि व्यय धनराशि अंकन रू0 2665363.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये। जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित है जो पंचायत लेखा मैनुवल वित्त के अध्याय 8 बिन्दु 8(क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता है। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका, माप पुस्तिका, प्रस्ताव पुस्तिका, कैशबुक, बैंक पासबुक, निर्माण रजिस्टर, स्टाॅक रजिस्टर, कार्ययोजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि करायी जाये अन्यथा अभिलेख के अभाव में व्यय अंकन रू0 2665363 को अपहरण मानते हुए, उक्त धन की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री संदीप कुमार तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मुकेश कुमार से की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-7-ग्राम पंचायत जंधेडी विकास खण्ड मवाना द्वारा वर्ष 2019-20 में अंकन रू0 1650000.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री तथा मजदूरी आदि पर व्यय दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी-

* सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।
* स्टाॅक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
* सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
* स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
* सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
* टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
* सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचानें का कोई भाडा नही दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
* निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
* मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
* माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
* श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
* निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री रोहित कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की ब्याज सहित वसूली सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार विभागीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके अंकन रू0 1650000.00 का निर्माण एवं मजदूरी पर व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितताएं कर राजकीय धन की क्षतिकारित की गई है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री रोहित कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री प्रमोद कुमार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि रू0 1650000.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-8- ग्राम पंचायत कुण्डा विकास खण्ड मवाना द्वारा वर्ष 2019-20 में अंकन रू0 760000.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री तथा मजदूरी आदि पर व्यय दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी-

* सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।
* स्टाॅक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
* सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
* स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
* सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
* टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
* सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचानें का कोई भाडा नही दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
* निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
* मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
* माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
* श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
* निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री शक्ति सिंह द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की ब्याज सहित वसूली सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार विभागीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके अंकन रू0 760000.00 का निर्माण एवं मजदूरी पर व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितताएं कर राजकीय धन की क्षतिकारित की गई है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री शक्ति सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती बबली उत्तरदायी है। उक्त धनराशि रू0 760000.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-9- ग्राम पंचायत नागौरी विकास खण्ड मवाना द्वारा वर्ष 2019-20 में अंकन रू0 545000.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री तथा मजदूरी आदि पर व्यय दर्शाया गया है जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गम्भीर आपत्तियां पायी गयी-

* सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।
* स्टाॅक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
* सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
* स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
* सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
* टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
* सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचानें का कोई भाडा नही दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
* निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
* मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
* माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
* श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
* निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री शक्ति सिंह द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की ब्याज सहित वसूली सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार विभागीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके अंकन रू0 545000.00 का निर्माण एवं मजदूरी पर व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितताएं कर राजकीय धन की क्षतिकारित की गई है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री शक्ति सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री अरूण कुमार उत्तरदायी है। उक्त धनराशि रू0 545000.00 की ब्याज सहित वसूली दोनों से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर-10- ग्राम पंचायत एत्मादपुर विकास खण्ड माछरा वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यो पर रू0 2233266.71 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही है-

1. उक्त व्यय की पुष्टि में कैशबुक, बैंकपास बुक, बिल बाउचर/मस्टरोल, जी0एस0टी0 सहित प्रस्तुत नही किये गये।
2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस्टीमेट, प्रमाणित (बी0डी0ओ0, जे0ई, ए0डी0ओ0 (पंचा0) सी0आर0/एम0बी0 प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी।
4. टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी।

उपरोक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय दर्शायी गयी धनराशि की पुष्टि नही होती है। साथ ही इनके द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 199, 151 से 154, 207 व 209 का पालन नही किया गया है।

अतः या तो उक्त अभिलेख प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा प्रधान श्री जय सिंह एवं बी0डी0ओ0 श्री लोकेश कुमार से रू0 2233266.71 (मानदेय एवं बैंकचार्ज छोडकर) ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-11- ग्राम पंचायत भटीपुरा विकास खण्ड माछरा वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यो पर रू0 8568992.67 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही है-

1. उक्त व्यय की पुष्टि में कैशबुक, बैंकपास बुक, बिल बाउचर/मस्टरोल, जी0एस0टी0 सहित प्रस्तुत नही किये गये।
2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस्टीमेट, प्रमाणित (बी0डी0ओ0, जे0ई, ए0डी0ओ0 (पंचा0) सी0आर0/एम0बी0 प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी।
4. टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी।

उपरोक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय दर्शायी गयी धनराशि की पुष्टि नही होती है। साथ ही इनके द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 199, 151 से 154, 207 व 209 का पालन नही किया गया है।

अतः या तो उक्त अभिलेख प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा प्रधान श्रीमती मन्जू एवं बी0डी0ओ0 श्री लोकेश कुमार से रू0 8568992.67 (मानदेय एवं बैंकचार्ज छोडकर) ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-12- ग्राम पंचायत माछरा विकास खण्ड माछरा वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यो पर रू0 3725323.40 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही है-

1. उक्त व्यय की पुष्टि में कैशबुक, बैंकपास बुक, बिल बाउचर/मस्टरोल, जी0एस0टी0 सहित प्रस्तुत नही किये गये।
2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस्टीमेट, प्रमाणित (बी0डी0ओ0, जे0ई, ए0डी0ओ0 (पंचा0) सी0आर0/एम0बी0 प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी।
4. टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी।

उपरोक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय दर्शायी गयी धनराशि की पुष्टि नही होती है। साथ ही इनके द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 199, 151 से 154, 207 व 209 का पालन नही किया गया है।

अतः या तो उक्त अभिलेख प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा प्रधान श्री राकेश त्यागी एवं बी0डी0ओ0 श्री लोकेश कुमार से रू0 3725323.40 (मानदेय एवं बैंकचार्ज छोडकर) ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-13- ग्राम पंचायत मेघराजपुर विकास खण्ड माछरा वर्ष 2019-20 में प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यो पर रू0 2699292.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही है-

1. उक्त व्यय की पुष्टि में कैशबुक, बैंकपास बुक, बिल बाउचर/मस्टरोल, जी0एस0टी0 सहित प्रस्तुत नही किये गये।
2. प्रोजेक्ट रिपोर्ट, इस्टीमेट, प्रमाणित (बी0डी0ओ0, जे0ई, ए0डी0ओ0 (पंचा0) सी0आर0/एम0बी0 प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी।

4. टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी।

उपरोक्तानुसार ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा व्यय दर्शायी गयी धनराशि की पुष्टि नही होती है। साथ ही इनके द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 199, 151 से 154, 207 व 209 का पालन नही किया गया है।

अतः या तो उक्त अभिलेख प्रस्तुत कर भुगतान की पुष्टि करायी जाये अन्यथा प्रधान श्री प्रवीण कुमार एवं बी0डी0ओ0 श्री महिमा जाटव से रू0 2699292.00 (मानदेय एवं बैंकचार्ज छोडकर) ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-14- ग्राम पंचायत पसवाडा विकास खण्ड माछरा वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में प्रधान ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभिन्न कार्यो पर रू0 2998824.00 का व्यय दर्शाया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅं रही है-

1. वाॅल पेन्टिग तथा स्लोगन आदि लिखाई रू0 1086000.00 का भुगतान मनोज कुमार व सोनू आर्ट की विभिन्न तिथियों को किया गया है।
2. ग्राम की सफाई हेतु रू0 322009.00 का व्यय किया गया है।
3. मजदूरी रू0 204176.00 संजय को भुगतान किया गया है।
4. कान्ट्रेक्टर चतरसेन को रू0 583779.00 का भुगतान किया गया है।
5. 02 आर0ओ0 लगाने के लिए रू0 300000.00 तथा बेंच स्थापना रू0 110000.00 उदित इंटरप्राइजेज को भुगतान किया गया है।
6. स्ट्रीट लाईट रू0 269360.00 का भुगतान वैष्णवी इंटरप्राईजेज को किया गया है।
7. डस्टबिन रू0 84000.00 तथा ठेला खरीद रू0 29500 कैमरा रू0 6400, का भुगतान किया गया है।
8. वर्ष 2017-18 में किये गये शौचालय निर्माण का शेष भुगतान रू0 120000.00 किया गया है। कुल व्यय रू0 2998824.00

उक्त व्यय की पुष्टि हेतु कार्य स्वीकृति, बजट, बिल वाउचर, स्टाक/डेड स्टाक सम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नही किये गये है, जिसके अभाव में किये गये व्यय की पुष्टि नही होती है। इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीना एवं सचिव श्री प्रवीण कुमार से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-15-ग्राम पंचायत सिसौली विकास खण्ड रजपुरा वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं पासबुक के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख जांच में प्रस्तुत नही किये गये। उक्त ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 में अंकन रू0 4410813.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री तथा मजदूरी आदि पर दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाॅं पाई गयी है-

* सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।
* स्टाॅक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
* सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
* स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
* सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
* टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
* सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचानें का कोई भाडा नही दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
* निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
* मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
* माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
* श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
* निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की ब्याज सहित वसूली सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार विभागीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके अंकन रू0 4410813.00 का निर्माण एवं मजदूरी पर व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितताएं कर राजकीय धन की क्षतिकारित की गई है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक रस्तोगी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सोमवती उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-16-ग्राम पंचायत कमालपुर विकास खण्ड रजपुरा वर्ष 2019-20 में कैशबुक एवं पासबुक के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख जांच में प्रस्तुत नही किये गये। उक्त ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 में अंकन रू0 5049463.00 का विभिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री तथा मजदूरी आदि पर दर्शाया गया है, जिसके सम्बन्ध में निम्नांकित गंभीर आपत्तियाॅं पाई गयी है-

* सामग्री खरीदने हेतु दिया गया क्रय से सम्बन्धित कोई आदेश एवं सामग्री प्राप्ति प्रस्तुत नही की गयी।
* स्टाॅक पंजिका बार-बार कहने पर भी प्रस्तुत नही की गई जिससे सामग्री क्रय की पुष्टि संभव नही हो सकी।
* सामग्री का विवरण प्रस्तुत नही किया गया।
* स्वीकृत बजट, स्वीकृत प्रस्ताव, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त रही।
* सक्षम पदाधिकारी द्वारा तैयार एस्टीमेट सुलभ नही कराया गया।
* टेण्डर पत्रावली तथा विज्ञापन की प्रति उपलब्ध नही करायी गयी तथा नियमानुसार तीन कुटेशन भी नही ली गयी, जिससे न्यूनतम दर पर सामग्री क्रय की पुष्टि नही हो सकी।
* सामग्री ग्राम पंचायत तक पहुचानें का कोई भाडा नही दर्शाया गया है। जिससे सामग्री पंचायत में प्राप्त होने की पुष्टि नही हो सकी।
* निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र जांच कर पुष्टि हेतु प्रस्तुत नही किये गये।
* मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये जिससे श्रमिकों की संख्या, मजदूरी दर, मजदूरों के पते, उपस्थिति आदि की पुष्टि नही हो सकी।
* माप पुस्तिका जांच हेतु प्रस्तुत नही की गयी।
* श्रमिकों की उपस्थिति पंजिका तथा मस्टरोल एवं कार्य की फोटो आदि भी सुलभ नही कराये गये।
* निर्माण सामग्री क्रय पर नियमानुसार जी0एस0टी0 की कटौती न कराकर वस्तु सेवा कर की चोरी ग्राम विकास अधिकारी श्री दीपक कुमार द्वारा जानबूझकर की गयी तथा राजकीय राजस्व की क्षति की गई। जांच कर जी0एस0टी0 की ब्याज सहित वसूली सचिव से की जानी अपेक्षित है।

इस प्रकार विभागीय आदेशों एवं निर्देशों की अवहेलना करके अंकन रू0 5049463.00 का निर्माण एवं मजदूरी पर व्यय दर्शाकर गंभीर अनियमितताएं कर राजकीय धन की क्षतिकारित की गई है, जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक रस्तोगी एवं ग्राम प्रधान श्री अफनेन उत्तरदायी है। क्षतिपूर्ति की कार्यवाही अपेक्षित है

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-17-ग्राम पंचायत गेसूपुर बफावत विकास खण्ड दौराला वर्ष 2019-20 में आलोच्य वर्ष में श्री विकास चैधरी प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 2146038.38 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 2146038.38 प्रधान श्री विकास चैधरी एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 2146038.38 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 2146038.38 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री विकास चौधरी एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-18-ग्राम पंचायत इकलौता विकास खण्ड दौराला वर्ष 2019-20 में श्री राजपाल प्रधान एवं श्री रिषभ कनिक ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 1267929.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 1267929.00 श्री राजपाल प्रधान एवं श्री रिषभ कनिक ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 1267929.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 1267929.00 की ब्याज सहित वसूली श्री राजपाल प्रधान एवं श्री रिषभ कनिक ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-19-ग्राम पंचायत लोईया विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष वर्ष 2019-20 में श्रीमती भावना प्रधान एवं श्री प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 934743.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 934743.00 श्रीमती भावना प्रधान एवं श्री प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 934743.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 934743.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती भावना प्रधान एवं श्री प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-20-ग्राम पंचायत देदुवा विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री रोशन प्रधान एवं श्री अजय वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 5034778.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 5034778.00 श्री रोशन प्रधान एवं श्री अजय वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 5034778.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 5034778.00 की ब्याज सहित वसूली श्री रोशन प्रधान एवं श्री अजय वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-03)

प्रस्तर-21-ग्राम पंचायत पावली खास विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्रीमती विनीता प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 8683095.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही

होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 8683095.00 श्रीमती विनीता प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 8683095.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 8683095.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती विनीता प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-22-ग्राम पंचायत रसूलपुर मुरादनगर विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री अश्वथामा प्रधान एवं श्री अजय वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 1659051.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 1659051.00 श्री अश्वथामा प्रधान एवं श्री अजय वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 1659051.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 1659051.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अश्वथामा प्रधान एवं श्री अजय वर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-01)

प्रस्तर-23-ग्राम पंचायत सिवाया विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री जितेन्द्र कुमार प्रधान एवं श्री संदीप कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 5235522.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 5235522.00 श्री जितेन्द्र कुमार प्रधान एवं श्री संदीप कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 5235522.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 5235522.00 की ब्याज सहित वसूली श्री जितेन्द्र कुमार प्रधान एवं श्री संदीप कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-24-ग्राम पंचायत वलीदपुर विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री जितेन्द्र पाल प्रधान एवं श्री इशरत अली ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 2384388.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 2384388.00 श्री जितेन्द्र पाल प्रधान एवं श्री इशरत अली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 2384388.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 2384388.00 की ब्याज सहित वसूली श्री जितेन्द्र पाल प्रधान एवं श्री इशरत अली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-25-ग्राम पंचायत दुल्हैडा चैहान विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्रीमती विदुयत्मा प्रधान एवं कु0 पूजा रानी व प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 2804580.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।

3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 2804580.00 श्रीमती विदुयत्मा प्रधान एवं कु0 पूजा रानी व प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 2804580.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 2804580.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती विदुयत्मा प्रधान एवं कु0 पूजा रानी व प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-26-ग्राम पंचायत धन्जू विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री सीताराम प्रधान एवं श्री प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 953702.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 953702.00 श्री सीताराम प्रधान एवं श्री प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 953702.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 953702.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सीताराम प्रधान एवं श्री प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-27-ग्राम पंचायत चिरौडी विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्रीमती सोनम प्रधान एवं श्री इशरत अली ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 2088019.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 2088019.00 श्रीमती सोनम प्रधान एवं श्री इशरत अली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 2088019.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 2088019.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती सोनम प्रधान एवं श्री इशरत अली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-28-ग्राम पंचायत बपरसा विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री सुधीर प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 3034334.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 3034334.00 श्री सुधीर प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 3034334.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 3034334.00 की ब्याज सहित वसूली श्री सुधीर प्रधान एवं श्री अजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-29-ग्राम पंचायत भराला विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री उपेन्द्र कुमार प्रधान एवं श्री विजय बालियान व प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 2367516.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 2367516.00 श्री उपेन्द्र कुमार प्रधान एवं श्री विजय बालियान व प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 2367516.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 2367516.00 की ब्याज सहित वसूली श्री उपेन्द्र कुमार प्रधान एवं श्री विजय बालियान व प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-30-ग्राम पंचायत अख्त्यारपुर विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री यज्ञदीप प्रधान एवं श्री इशरत अली ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 2455753.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 2455753.00 श्री यज्ञदीप प्रधान एवं श्री इशरत अली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 2455753.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 2455753.00 की ब्याज सहित वसूली श्री यज्ञदीप प्रधान एवं श्री इशरत अली ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-31-ग्राम पंचायत अझौता विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री कुलदीप प्रधान एवं श्री नरेशपाल ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 495271.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅ यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 495271.00 श्री कुलदीप प्रधान एवं श्री नरेशपाल ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 495271.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 495271.00 की ब्याज सहित वसूली श्री कुलदीप प्रधान एवं श्री नरेशपाल ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-32-ग्राम पंचायत दुल्हैडा चैहान विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा राज्य वित्त/14 वे वित्त से प्राप्त धनराशि से रू0 3386594.00 का व्यय आलोच्य वर्ष में किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, जिसमें कराये गये कार्यो की संस्तुति ग्राम सभा द्वारा की गयी है, बिल बाउचर, कैश बुक, पास बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है, इसलिए उक्त धन को उ0प्र0 पचंायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत प्रधान श्रीमती विधुतमा तथा सचिव श्री प्रदीप शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-33-ग्राम पंचायत सरसावा विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा राज्य वित्त/14 वे वित्त से प्राप्त धनराशि से रू0 1509782.00 का व्यय आलोच्य वर्ष में किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, जिसमें कराये गये कार्यो की संस्तुति ग्राम सभा द्वारा की गयी है, बिल बाउचर, कैश बुक, पास बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है, इसलिए उक्त धन को उ0प्र0 पचंायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत प्रधान श्री पवन कुमार तथा सचिव श्री देवेन्द्र सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-34-ग्राम पंचायत धन्जू विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा राज्य वित्त/14 वे वित्त से प्राप्त धनराशि से रू0 2000033.00 का व्यय आलोच्य वर्ष में किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, जिसमें कराये गये कार्यो की संस्तुति ग्राम सभा द्वारा की गयी है, बिल बाउचर, कैश बुक, पास बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है, इसलिए उक्त धन को उ0प्र0 पचंायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत प्रधान श्री सीताराम तथा सचिव श्री प्रदीप शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-35-ग्राम पंचायत पावली खास विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा राज्य वित्त/14 वे वित्त से प्राप्त धनराशि से रू0 2108293.00 का व्यय आलोच्य वर्ष में किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, जिसमें कराये गये कार्यो की संस्तुति ग्राम सभा द्वारा की गयी है, बिल बाउचर, कैश बुक, पास बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है, इसलिए उक्त धन को उ0प्र0 पचंायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत प्रधान श्रीमती विनीता तथा सचिव श्री प्रदीप शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-36- ग्राम पंचायत महलका विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 8003410.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्माे के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्रीमती साजिदा तथा सचिव श्री देवेन्द्र सिंह से रू0 8003410.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-37-ग्राम पंचायत समोली सलेमपुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 6475755.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्मा े के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्री विनेश तथा सचिव श्री अंकुश कुमार से रू0 6475755.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-38-ग्राम पंचायत मटौर विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 5620208.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्मा े के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्रीमती रेखा तथा सचिव श्री देवेन्द्र सिंह से रू0 5620208.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-39-ग्राम पंचायत गेसूपुर बफावत विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 1954683.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्मा े के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्री विकास तथा सचिव श्री सुनील कुमार से रू0 1954683.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-40-ग्राम पंचायत मीठेपुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 3863019.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्मा े के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्री केला तथा सचिव श्री नरेश पाल से रू0 3863019.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-41-ग्राम पंचायत नंगली आजड सलेमपुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 3639437.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्मा े के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्रीमती शीला तथा सचिव श्री विजय बालियान से रू0 3639437.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-42- ग्राम पंचायत समसपुर सुरानी विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 2338932.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्माे के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्री आदेश तथा सचिव श्री देवेन्द्र सिंह से रू0 2338932.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-43-ग्राम पंचायत चिरौडी विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 2709280.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्माे के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्री सोनम तथा सचिव श्री इशरत अली से रू0 2709280.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-44- ग्राम पंचायत मामेपुर देदुवा विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 2162305.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्माे के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्री रोशन तथा सचिव श्री अजय वर्मा से रू0 2162305.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-45-ग्राम पंचायत टाण्डी विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा (प्रियासाफ्ट के अनुसार) कुल रू0 1831014.00 रू0 का व्यय दर्शा या गया है, जिससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियाॅ रही-

1-उक्त व्यय की पुष्टि में साम्रगी क्रय हेतु जी0एस0टी0 सहित बिल, मजदूरी भुगतान हेतु मस्टररोल प्रस्तुत नही किये गये। साथ ही कैश बुक, बैंक स्टेटमेन्ट प्रस्तुत नही किये गये, जिस कारण दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि नही होती है।

2-व्यय की पुष्टि में निर्माण कार्यो की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एस्टीमेट, एम0बी0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत नही की गयी, जिस कारण व्ययों की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री क्रय हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर कम से कम 3 फर्माे के टेण्डर नही किये गये।

4-निर्माण कार्यो के चयन की पुष्टि में ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नही किये गये। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम 151 से 159, 207 एवं 209 का पालन नही किया गया है। अतः या तो उक्त सभी अभिलेख प्रस्तुत कर व्यय धनराशि की पुष्टि करायी जाये। अन्यथा प्रधान श्री यशपाल तथा सचिव श्री विजय बालियान से रू0 1831014.00 (मानदेय एवं बैंक चार्ज छोडकर) की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-46-ग्राम पंचायत वलीदपुर विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा राज्य वित्त/14 वे वित्त से प्राप्त धनराशि से रू0 2958263.00 का व्यय आलोच्य वर्ष में किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, जिसमें कराये गये कार्यो की संस्तुति ग्राम सभा द्वारा की गयी है, बिल बाउचर, कैश बुक, पास बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है, इसलिए उक्त धन को उ0प्र0 पचंायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत प्रधान श्री जितेन्द्र पाल तथा सचिव श्री इशरत अली से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-47-ग्राम पंचायत भराला विकास खण्ड दौराला में वर्ष 2018-19 में पंचायत द्वारा राज्य वित्त/14 वे वित्त से प्राप्त धनराशि से रू0 1364535.00 का व्यय आलोच्य वर्ष में किया गया है, जिसकी पुष्टि हेतु स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यवाही रजिस्टर, जिसमें कराये गये कार्यो की संस्तुति ग्राम सभा द्वारा की गयी है, बिल बाउचर, कैश बुक, पास बुक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि कोई अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये है, इसलिए उक्त धन को उ0प्र0 पचंायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 के तहत प्रधान श्री उपेन्द्र तथा सचिव श्री प्रदीप शर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-02)

प्रस्तर-48-ग्राम पंचायत काक्केपुर विकास खण्ड दौराला में आलोच्य वर्ष 2019-20 में श्री संदीप कुमार प्रधान एवं श्री अजय त्यागी ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रिया साफ्ट की कैशबुक के आधार पर खाते से अंकन रू0 2858448.00 निकालकर व्यय किया गया है। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गये परन्तु उनके द्वारा आॅडिट में सहयोग नही करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नही किये गये। यहाॅं यह भी उल्लेखनीय है कि ब्याज सहित वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किये जाने की सम्भावना से भी इंकार नही किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत किये जाने अपेक्षित है-

1. निर्माण कार्याे से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही की गयी।
2. व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टरोल/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किये गये।
3. निर्माण कार्यो से सम्बन्धित एस्टीमेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी।

अंकन रू0 2858448.00 श्री संदीप कुमार प्रधान एवं श्री अजय त्यागी ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम सं0 151, 154, 207 व 209 का पालन नही करने के कारण अंकन रू0 2858448.00 की ब्याज सहित वसूली की पुष्टि में उक्त अभिलेख प्रस्तुत करे। उक्त अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण अंकन रू0 2858448.00 की ब्याज सहित वसूली श्रीमती भावना प्रधान एवं श्री प्रदीप शर्मा ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0-04)

प्रारूप 04

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-2020जनपद हापुड़ मण्डल मेरठ

ग्राम पंचायत सम्बन्धित आपत्तियां

प्रस्तर सं0 01- ग्राम पंचायत सादुल्लापुर लोदी विकासखण्ड गढमुक्तेश्वर वर्ष 2019-20 जनपद हापुड़ की लेखा परीक्षा के दौरान किये गये व्यय श्री बालाजी टाईलस को चक संख्या 496677 दिनांक 02.08.2019 द्वारा अंकन रू 97500.00 का अनियमित भुगतान किया गया जिसकी पुष्टि मे कोई भी साक्ष्य/ प्रमाणक लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही कराये गयें। जिस कारण भुगतान अपुष्ट एवं संदिग्ध रहा। जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्म्ेदार है। अतः प्रधान श्री कुंवर पाल एवं सचिव श्री गजेंद्र पाल से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 02- ग्राम पंचायत पोपाई हिरनपुरा विकासखण्ड गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान किये गये व्यय रू 27000.00 दिनांक 30.03.20 को सिल्ट सॅफाई कार्य पर अनियमित भुगतान किया गया।जबकि प्रत्येक पंचायत मे सफाई कर्मी नियुक्त है तो अलग से सफाई पर व्यय किया जाना अनियमित है।जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्म्ेदार है। अतः ग्राम प्रधान मासूम अली एवं सचिव श्यामसुंदर से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 03- ग्राम पंचायत लोदीपुर सोमन विकासखण्ड गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान किये गये व्यय हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू 19820.00 चैक सं0 744224 दिनांक 24.05.2019 को अनियमित भुगतान करना दर्शाया गया है परन्तु मरम्म्त से पूर्व विभागीय स्वीकृति ली गयी न ही लेखा परीक्षा मे ज्ञात हो सका तथा ग्राम पंचायत मे कुल कितने हैण्डपम्प है कौन-कौन से हैण्डपम्प की मरम्मत की गई न ही स्टाक पंजिका प्रस्तुत की गई।जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्म्ेदार है। अतः ग्राम प्रधान मनोज कुमार एवं सचिव श्यामसुंदर से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 04- ग्राम पंचायत लोदीपुर सोमन विकासखण्ड गढमुक्तेश्वर जनपद हापुड़ वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान किये गये व्यय रू 15045.00 चैक संख्या 744219 दिनांक 24.05.2019 के द्वारा मै0 ट्रेडर्स को भुगतान किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा जाॅच मे उक्त धन व्यय की पुष्टि नही कराई गयी। भुगतान अपुष्ट रहा जिसके लिए ग्राम प्रधान एवं सचिव जिम्म्ेदार है। अतः ग्राम प्रधान मनोज कुमार एवं सचिव श्यामसुंदर से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 05- ग्राम पंचायत हाबिसपुर बिगास विकासखण्ड सिम्भावली जनपद हापुड़ वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख की बार बार मांग करने के उपरान्त भी सचिव द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये जिसके अभाव मे ग्राम पंचायत की कुल आय व ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। जबकि ग्राम पंचायत को रू 6862205.00 आय तथा 6764872.00 का व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि प्रिया साफट से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर उपलब्ध न होने की स्थिति मे धनराशि अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम मे व्यय की गयी धनराशि रू 6764872.00 को सचिव श्री योगेंद्र सिंह व प्रधान श्री राजेंद्र द्वारा अपहरण से इंकार नही किया जा सकता। अतःग्राम प्रधान एवं सचिव से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 06- ग्राम पंचायत मुरादपुर निजामसर विकासखण्ड सिम्भावली जनपद हापुड़ वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख की बार बार मांग करने के उपरान्त भी सचिव द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये जिसके अभाव मे ग्राम पंचायत की कुल आय व ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। जबकि ग्राम पंचायत को रू 5532665.00 आय तथा 4308050.00 का व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि प्रिया साफट से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर उपलब्ध न होने की स्थिति मे धनराशि अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम मे व्यय की गयी धनराशि रू 4308050.00 को सचिव योगेंद्र सिंह व प्रधान श्री योगेंद्र सिंह द्वारा अपहरण से इंकार नही किया जा सकता। अतःग्राम प्रधान एवं सचिव से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 07- ग्राम पंचायत मो0पुर आजमपुर विकासखण्ड सिम्भावली जनपद हापुड़ वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख की बार बार मांग करने के उपरान्त भी सचिव द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये जिसके अभाव मे ग्राम पंचायत की कुल आय व ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। जबकि ग्राम पंचायत को रू 17362686.00 आय तथा 4402645.00 का व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि प्रिया साफट से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर उपलब्ध न होने की स्थिति मे धनराशि अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम मे व्यय की गयी धनराशि रू 4402645.00 को सचिव श्री योगेंद्र सिंह व प्रधान श्री आदेश द्वारा अपहरण से इंकार नही किया जा सकता। अतःग्राम प्रधान एवं सचिव से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 08- ग्राम पंचायत शौलाना विकासखण्ड धैलाना जनपद हापुड़ वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख की बार बार मांग करने के उपरान्त भी सचिव द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये जिसके अभाव मे ग्राम पंचायत की कुल आय व ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। जबकि ग्राम पंचायत को रू 5201721.00 आय तथा 5957593.00 का व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि प्रिया साफट से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर उपलब्ध न होने की स्थिति मे धनराशि अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम मे व्यय की गयी धनराशि रू 5957593.00 को सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण से इंकार नही किया जा सकता। अतःग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी एवं सचिव सुशील खारी से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 09- ग्राम पंचायत सपनावत विकासखण्ड धौलाना जनपद हापुड़ वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान अभिलेख की बार बार मांग करने के उपरान्त भी सचिव द्वारा लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये जिसके अभाव मे ग्राम पंचायत की कुल आय व ग्राम पंचायत द्वारा किये गये व्यय की पुष्टि न हो सकी। जबकि ग्राम पंचायत को रू 13827432.30 आय तथा 12487067.20 का व्यय किया गया। जिसकी पुष्टि प्रिया साफट से होती है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार व्यय के सापेक्ष व्यय वाउचर उपलब्ध न होने की स्थिति मे धनराशि अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम मे व्यय की गयी धनराशि रू 12487067.20 को सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण से इंकार नही किया जा सकता। अतःग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी एवं सचिव सुशील खारी से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

प्रस्तर सं0 10- ग्राम पंचायत दहपा कन्दैली विकासखण्ड घौलाना जनपद हापुड वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न विवरण अनुसार भुगतान से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नही कराये गये। जिसक अभाव मे कुल धनराशि रू 2261856.00 के व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।उत्तर प्रदेश पंचायत राज लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 8 क के अनुसार व्यय से सम्बन्धित वाउचर उपलब्ध न होने की स्थिति मे धनराशि अपहरण मानने की व्यवस्था/प्राविधान के क्रम मे व्यय की गयी धनराशि रू 2261856.00 को सचिव व प्रधान द्वारा अपहरण से इंकार नही किया जा सकता। अतःग्राम प्रधान श्री मुकेश एवं सचिव श्री संजय चौधरी से उक्त धनराशि की बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है

| क्र0सं0 | दिनांक | भुगतान का विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 05.10.2019 | **नेफ्ट बल्क अपलोड**.817415 | 190515.00 |
| 02 | 05.10.2019 | **नेफ्ट बल्क अपलोड** 817417 | 193509.00 |
| 03 | 05.10.2019 | **नेफ्ट बल्क अपलोड** 817435 | 105891.00 |
| 04 | 19.11.2019 | आर111900167204 **एनएसीएच**24800.00 | |
| 05 | 19.11.2019 | आर111900167244 **एनएसीएच** | 50900.00 |
| 06 | 28.11.2019 | आर111900475925 **एनएसीएच**479987.00 | |
| 07 | 08.12.2019 | आर121900269417 **एनएसीएच** | 51150.00 |
| 08 | 08.12.2019 | आर121900201543 **एनएसीएच**180000.00 | |
| 09 | 08.12.2019 | आर121900239477 **एनएसीएच**11200.00 | |
| 10 | 25.12.2019 | आर121901320992 **एनएसीएच**163622.00 | |
| 11 | 25.12.2019 | आर121901357323 **एनएसीएच**124678.00 | |
| 12 | 12.01.2020 | आर012000658897 **एनएसीएच**41200.00 | |
| 13 | 12.01.2020 | आर012000680190 **एनएसीएच**88208.00 | |
| 14 | 05.02.2020 | आर022000205181 **एनएसीएच**160000.00 | |
| 15 | 05.02.2020 | आर022000418450 **एनएसीएच**40000.00 | |
| 16 | 09.02.2020 | आर022000423665 **एनएसीएच**220000.00 | |
| 16 | 09.02.2020 | | 136196.00 |
| | **योग**--------------------------------- | | 2261856.00 |

# मुरादाबाद मण्डल

## प्रारूप - 4

## ग्राम पंचायतों से संबंधित आपत्तियां

## जनपद -अमरोहा  अनुभाग- पंचायत

**(1) ग्राम पंचायत का नाम- नगलिया मुंशी  वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 1** :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन कुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा द्वारा रूपया 1089121.00 का आहरण ग्राम निधि खाते से किया गया है. लेखा परीक्षा के दौरान उक्त आहरण से सम्बन्धित स्टीमेंट, एम बी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया बिना स्टीमेट एम बी एवं व्यय प्रमाणक के किया गया आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है अतः धनराशि 1089121-00 की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 1089121-00

**(2) ग्राम पंचायत का नाम- देहरा मिलक  वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 2**:- वर्क आईडी 16379068 द्वारा बिना टेन्डर की प्रक्रिया अपनाये रूपया 157500.00 ग्राम निधि खाते से स्ट्रीट लाईट के नाम पर आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त स्ट्रीट लाईट किन स्थानों पर लगाई गयी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 157500-00

**(3) ग्राम पंचायत का नाम - देहरी जट  वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 3**:-वर्क आईडी 14788474 एवं 14788469 द्वारा ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रीबोर के नाम पर रू 209849.00 एवं रू 150770.00 का व्यय दर्शाया गया है। लेखा परीक्षा में पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा इस व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं रीबोर का स्थान का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त व्यय की पुष्टि बैंक स्टेटमेंट से नहीं होती है व्यय प्रमाणक के बिना हैंडपम्प रीबोर के नाम पर धन आहरित करके पंचायत सचिव श्री धर्मपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री नेपाल द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 360619-00

**(4) ग्राम पंचायत का नाम- भदौरा  वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 4**:- वर्क आईडी 14701536 द्वारा रूपया 199800.00 ग्राम निधि खाते से सोलर लाईट के नाम पर एवं वर्क आईडी 19772386 के द्वारा स्ट्रीट लाईट के नाम पर रू 197500.00 आहरित किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित की भी व्यय प्रमाणक पंचायत सचिव एवं ग्राम

प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त स्ट्रीट लाईट एवं सोलर लाईट किन स्थानों पर लगाई गयी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 397300-00

**(5) ग्राम पंचायत का नाम - हैबतपुर बंजारा** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 5**:-01 वर्क आईड़ी 14177748 द्वारा स्टेशनरी क्रय के नाम पर रूपया 17600.00 एवं पुनः वर्क आईडी 21218971 द्वारा स्टेशनरी एवं टेन्डर के नाम पर रूपया 43482.00 (कुल रूपया 61082.00) आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 61082-00

**प्रस्तर संख्या 6**:- वर्क आईडी 17427915 द्वारा मिट्टी भराव के नाम पर रूपया 45500.00 एवं वर्क आईडी 17427912 द्वारा मिट्टी भराव के नाम पर रूपया 131300.00 तथा वर्क आईडी 17427921 द्वारा मिट्टी भराव के नाम पर रूपया 92300.00 (कुल रूपया 269100.00) आहरित किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित की भी मस्टर रोल एवं वाउचर पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नही किया गया इस प्रकार धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 269100-00

**(6) ग्राम पंचायत का नाम- पीठखेड़ा** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 7**:- वर्क आईडी 20273794 द्वारा रूपया 199800.00 ग्राम निधि खाते से सोलर लाईट के नाम पर एवं वर्क आईडी 17258821 के द्वारा स्ट्रीट लाईट के नाम पर रू 98750.00 आहरित किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया तथा उक्त स्ट्रीट लाईट एवं सोलर लाईट किन स्थानों पर लगाई गयी का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 298550-00

**(7) ग्राम पंचायत का नाम - खुरतिया** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 8**:-01 वर्क आईडी 17886326 द्वारा ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के नाम पर रू-60500.00 आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी मस्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया. उक्त धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव मौ. अयूब तथा ग्राम प्रधान श्री महेश द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 60500-00

**प्रस्तर संख्या 9**:-09 वर्क आईडी 17886313 द्वारा हैण्डपम्प रीबोर के नाम पर रू0- 168507.00 तथा वर्क आईडी 20519516 द्वारा पुनः हैण्डपम्प रीबोर के नाम पर रू0- 106410.00 (कुल योग 274917.00) आपगित किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान हैण्डपम्प रीबोर से सम्बन्धित फाईल एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं कि गयी। उक्त धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव मौ. अयूब तथा ग्राम प्रधान श्री महेश द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 274917-00

**(8) ग्राम पंचायत का नाम- तसिया** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 10**:- वर्क आईडी 14207953 द्वारा वाल पेन्टिंग के नाम पर रू0- 69743.00 आहरित किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान पंचायत सचिव द्वारा उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि किन किन स्थानों पर वाल पेन्टिंग कराई गयी तथा वाल पेन्टिंग में क्या कराया गया फाईल/ पत्रावली के अभाव में उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री राजकुमार एवं ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपाल से किया जाना अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 69743-00

**(9) ग्राम पंचायत का नाम - कुन्दरकी भूड़** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 11**:- वर्क आईडी 16379424 द्वारा ग्राम पंचायत में रास्तो की सफाई कार्य के नाम पर दिनांक 27-01-2020 को रू-30000.00 आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी मस्टर रोल के बिना रास्तो कि सफाई के नाम पर धन आहरित करके पंचायत सचिव श्री धर्मपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री हितेश कुमार द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 30000-00

**प्रस्तर संख्या 12**:- वर्क आईडी 16379420 द्वारा ग्राम पंचायत में मिट्टी भराव के नाम पर रू0- 33150.00 का आहरण दिनांक 27-01-2020 को किया गया है लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित वाउचर एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार पंचायत सचिव श्री धर्मपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री हितेश कुमार द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 33150-00

**(10) ग्राम पंचायत का नाम - सब्दलपुर शर्की** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 13** - पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के नाम पर रू0- 78185.00 व्यय किया गया है। जोकि लेखा परीक्षा में इससे संबन्धित कोई मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। मस्टर रोल के अभाव में किया गया भुगतान पूर्णतः फर्जी होता है इसलिए रू0- 78185.00 की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री धर्मपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री दीपक से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 78185-00

**(11) ग्राम पंचायत का नाम- कूबी वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 14** - वर्क आईडी 17452354 द्वारा दिनांक 07-01-2020 को परम सिंह के घर से विजयवीर के घर तक इंटरलाकिंग के नाम पर रू0-115479.00 का भुगतान किया गया। पुनः वर्क आईडी 17542353 दिनांक 07-01-2020 को विजयवीर के घर से परम सिंह के घर तक इंटर लाकिंग के नाम पर रू0- 109133.00 का भुगतान किया गया है। स्पष्ट है कि एक ही काम के नाम पर दो बार भुगतान लिया गया है। रू0-115979.00 का भुगतान फर्जी तरीके से पंचायत सचिव श्री धर्मपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मुकेश रानी द्वारा किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री धर्मपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मुकेश रानी से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 115979-00

**(12) ग्राम पंचायत का नाम - फूलपुर बीझलपुर वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 15** - वर्क आईडी 21124889 द्वारा मजदूरों के नाम पर रू0- 116298.00 का भुगतान दिनांक 21-03-2020 खुब्या सिंह 66430.00 रूपया तथा सोमपाल 49868.00 के नाम पर किया गया जबकि स्पष्ट निर्देश है कि गौशाला में साफ-सफाई के लिए सफाई कर्मी तैनात किया जाएगा तथा लेखा परीक्षा के दौरान उक्त मजदूरों के तैनाती से संबन्धित कोई भी आदेश निर्देश प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि पंचायत सचिव श्री विपिन कुमार एवं ग्राम प्रधान 8मती नेमवती द्वारा रूपया 116298.00 का भुगतान फर्जी तरीके से किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री विपिन कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री नेमवती से किया जाना अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 116298-00

**(13) ग्राम पंचायत का नाम -बेगपुर मुण्डा वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 16** - वर्क आईडी 14701521 द्वारा दिनांक 09-01-2020 को रू0- 130350.00 का भुगतान विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट स्थापना के नाम पर भुगतान किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त कार्य में न तो टेण्डर की प्रक्रिया अपनायी गयी, न ही कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र में उन स्थानों का उल्लेख पाया गया कि उक्त लाईटें किन स्थानों पर लगायी गयी। स्ट्रीट लाईट स्थापना के नाम पर ग्राम निधि से फर्जी आहरण करके ग्राम पंचायत सचिव श्री विपिन कुमार तथा ग्राम प्रधान श्री कुलदीप द्वारा 130350.00 रू. का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 130350-00

**(14) ग्राम पंचायत का नाम - जेवड़ा मु. वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 17**:- वर्क आईडी 19851302 द्वारा ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के नाम पर रू-83100.00 आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव मौ. अयूब तथा ग्राम प्रधान श्री सुरवेश द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 83100-00

**प्रस्तर संख्या 18:-** वर्क आईडी 172722266 द्वारा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर जाल/ पुलिया निर्माण के नाम पर रू0- 70410.00 आहरित किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान अपहरण पंचायत सचिव मौ. अयूब तथा ग्राम प्रधान श्री सुरवेश द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 70410-00

**(15) ग्राम पंचायत का नाम -गंगवार वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 19**:- वर्क आईडी 17586204 द्वारा ग्राम पंचायत में नाला सफाई कार्य के नाम पर रू-101900.00 आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव मौ. अयूब तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शहनाज द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 101900-00

**प्रस्तर संख्या 20**:- वर्क आईडी 20133970 द्वारा हैण्डपम्प रीबोर के नाम पर रू0- 60797.00 तथा वर्क आईडी 14468202 द्वारा पुनः हैण्डपम्प रीबोर के नाम पर रू0- 125326.00 (कुल योग 186123.00) आहरित किया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान हैण्डपम्प रीबोर से सम्बन्धित फाईल एवं पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी। उक्त धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव मौ. अयूब तथा ग्राम प्रधान श्रीमती शहनाज द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 186123-00

**(16) ग्राम पंचायत का नाम -सतेड़ा ऐतमाली वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 21**:- वर्क आईडी 14788229 एवं वर्क आईडी 1478823 से दिनांक 28-12-2019 को क्रमशः रू0- 198540.00 तथा रू0- 184700.00 पूठ मेले के खर्च के नाम पर गौरी सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर के नाम पर भुगतान किया गया। लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत

नहीं किया गया है। तथा प्रमाणक के बिना धन का आहरण करके पंचायत सचिव मनोज कुमार तथा ग्राम प्रधान श्रीमती महेन्द्री द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 383240-00

**(17) ग्राम पंचायत का नाम -गलसुआ** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 22:-** वर्क आईडी 20070589 द्वारा दिनांक 18-02-2020 को ग्राम पंचायत में नाला सफाई के नाम पर रू0-32500 धन निकाला गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथा मस्टररोल के बिना धन का आहरण करके पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान द्वारा उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 32500-00

**(18) ग्राम पंचायत का नाम -अलीपुर खादर** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 23:-** वर्क आईडी 18857151 द्वारा गौशाला में मिट्टी भराव के नाम पर रू0- 119275.00 का भुगतान विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर किया गया है। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित स्टीमेट एवं एमपी प्रस्तुत नहीं किया गया है। मस्टर रोल पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। इस फर्जी भुगतान की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री मनोज कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 119275-00

**(19) ग्राम पंचायत का नाम -ढबारसी** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 24:-** ग्राम पंचायत ढबारसी में हैण्डपम्प रीबोर के नाम पर रू0- 350313.00 का आहरण किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्दित कोई भी बिल वाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नही किया गया तथा यह हैण्डपम्प रीबोर किन स्थानों पर की गयी यह भी नहीं बताया गया। बिना बिल वाउचर एवं मस्टर रोल के धन का आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। इस लिए उक्त धन राशि की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री भूपेन्द्र कश्यप एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पारूल से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 350313-00

**प्रस्तर संख्या 25:-** वर्क आईडी 14474091 द्वारा वाल पेन्टिंग के नाम पर रू0- 128600.00 का आहरण किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल वाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया तथा यह वाल पेन्टिंग किन स्थानों पर की गयी यह भी नहीं बताया गया। बिना बिल वाउचर एवं मस्टररोल के धन का आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। इस लिए उक्त धन राशि की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री भूपेन्द्र कश्यप एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पारूल से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 128600-00

**(20) ग्राम पंचायत का नाम -बुरावली** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 26:-** वर्क आईडी 19675123 द्वारा रू0- 233856.00 एवं वर्क आईडी 14204874 द्वारा रू0-249984.00 का आहरण ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाईट लगवाने के नाम पर भूविका कान्ट्रेक्टर एण्ड सप्लाय के नाम पर किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी बिल वाउचर एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया तथा यह स्ट्रीट लाईट किन स्थानों पर लगाई गयी यह भी नहीं बताया गया। बिना बिल वाउचर एवं मस्टर रोल के धन का आहरण अपहरण की श्रेणी में आता है। इस लिए उक्त धन राशि की ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव श्री भूपेन्द्र कश्यप एवं ग्राम प्रधान श्रीमती पारूल से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 483840-00

**(21) ग्राम पंचायत का नाम -खरसौली** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 27:-** वर्क आईडी 17509385 द्वारा हैण्डपम्प रीबोर के नाम पर रूपया 108955.00 ग्राम निधि खाते से आहरित किया गयी लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 108955-00

**(22) ग्राम पंचायत का नाम -जैतोली** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 28:-** वर्क आईडी 17327182 द्वारा ग्राम पंचायत में सोलर लाईट मरम्मत कार्य के नाम पर रू0- 125625.00 आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान उक्त व्यय से सम्बन्धित कोई भी फाईल एवं पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया गया। उक्त धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव श्री अनस तथा ग्राम प्रधान श्रीमती आदेश बाला द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से कि जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 125625-00

**प्रस्तर संख्या 29:-** वर्क आईडी 17327181 द्वारा ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थानों पर डस्टबिन स्थापना कार्य के नाम परू रू0-249500.00 आहरित किया गया लेखा परीक्षा के दौरान डस्टबिन क्रय का वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा न तो उन स्थानों का उल्लेख मिला जहां पर यह डस्टबिन लगाये गये। उक्त धनराशि का अपहरण पंचायत सचिव श्री अनस तथा ग्राम प्रधान श्रीमती आदेश बाला द्वारा किया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान से कि जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 249500-00

**(23) ग्राम पंचायत का नाम -मलेशिया** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 30:-** वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम पंचायत में वाल पेटिंग व नारा लेखन से सम्बन्धित एवं 20188.00 का भुगतान किया गया है। परन्तु इस भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्र पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध न होने के कारण कार्य से सम्बन्धित वित्तीय एवं प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कार्य भुगतान से सम्बन्धित वाउचर एवं मस्टररोल अनुपलब्ध होने के कारण यह वित्तीय अनियमितता तथा गबन की श्रेणी में आता है।

इस संबंध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर संख्या 8(क) के अनुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त 20188.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री विदित यादव एवं ग्राम प्रधान श्री महावीर सिंह से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 20188-00

**(24) ग्राम पंचायत का नाम -श्योनाली** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 31**:- दिनांक 16-03-2020 को इंटरलार्किंग निर्माण कार्य का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वर्क आईडी 17814469 पर रू0- 217072.00 का किया गया है। जिसमें से रू0-129776.00 एवं रू0- 87296.00 का भुगतान साबरी एसोसिएट को किया गया है। परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान जांच में मस्टररोल के भुगतान से सम्बन्धित रू0- 34400.00 का भुगतान जो मजदूरों से सम्बन्धित है। इस मजदूरी का भुगतान श्रमिकों को न देकर साबरी एसोसियट के खाते में कर दिया गया है। जबकि मस्टररोल में 4 मिस्त्री एवं 8 मजदूरों को रू0- 34400.00 का भुगतान दर्शित है। तथा इस मस्टररोल पर मिस्त्री एवं मजदूरों के हस्ताक्षरध्अगूंठा निशान भी नहीं पाया गया। यह खर्च वित्तीय अनियमित्ता की श्रेणी में आता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर संख्या 8(क) के अनुसार विभागीय कार्यवाही करते हुए उक्त 34400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम सचिव श्री भोपाल सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती संजीदा से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 34400-00

**(25) ग्राम पंचायत का नाम -कूबी** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 32**:- ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 के कैशबुक के अनुसार एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार कुल व्यय 560132.00 रू0- दर्शित है। जबकि लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत कार्यों की फाईलों के अनुसार कुल व्यय रू0- 518132.00 दर्शित है। अतः फाईलों के अनुसार एवं कैशबुक के अनुसार व्यय में रू0- 42000.00 के व्यय कैशबुक में अधिक दर्शित है। अर्थात् 42000.00 रूपये के व्यय के सापेक्ष कोई भी कार्य की फाईल लेखा परीक्षा में दर्शित नहीं है। अतः यह गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। उक्त प्रकरण की विभागीय जांच करते हुए विभागीय कार्यवाही करते हुए रू0-42000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अंशु देवी एवं ग्राम सचिव श्री अशोक कुमार से ग्राम पंचायत मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर संख्या 8 के अनुसार अधिभार की कार्यवाही करते हुए की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 42000-00

**(26) ग्राम पंचायत का नाम -जग्गा नंगला** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 33**:- दिनांक 04-03-2020 को वर्क आईडी संख्या 17378070 कार्य का नाम मजार सिंह के घर से प्राईमरी स्कूल तक नाली एवं टाईल्स निर्माण कार्य पर कुल रूपया 116228 का व्यय किया गया है। जिसमें से रू0- 13825.00 का भुगतान एस. के. ट्रेडर्स को रू0- 7946.00 का भुगतान आर.एस. ट्रेडर्स को किया गया है। लेखा परीक्षा के जांच के दौरान इस स्टोर्स का वाउचर्स उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त रू0- 20330.00 का भुगतान मजदूर परिश्रमिक के रूप में किया गया है। परन्तु इस भुगतान से संबन्धित मस्टर रोल भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा उक्त कार्य की फाईल की जांच में यह पाया गया कि कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र पर ग्राम प्रधान ए.डी.ओ.(पं) एवं अभियन्ता के हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं थे। अतः उक्त भुगतान गबन/अनियमतता की श्रेणी में आता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर संख्या 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय धनराशि रू0- 116228.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ग्राम प्रधान श्रीमती सोनू कुमारी एवं ग्राम सचिव श्री भोपाल सिंह से विभागीय कार्यवाही करते हुए की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 116228-00

**(27) ग्राम पंचायत का नाम -देहरा चक** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 34**:- दिनांक 15-12-2019 को वर्क आईडी संख्या 21143962 के द्वारा ग्राम पंचायत में उ.प्रा.वि. में टाईल्स निर्माण कार्य किया गया है।उक्त कार्य से सम्बन्धित फाईल की जांच में कुल भुगतान से संबन्धित सामग्री भुगतान पर रू0- 90259.00 एवं श्रमांश पर रू0- 22765.00 का भुगतान किया गया है परन्तु उक्त भुगतान से सम्बन्धित फर्म के वाउचर्स एवं श्रमांश से संम्बन्धित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। इस कार्य से सम्बन्धित कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र पर ए.डी.ओ.(पं) या अभियन्ता के हस्ताक्षर भी मौजूद नहीं पाये गये। अतः उक्त भुगतान गबन तथा अनियमतता की श्रेणी में आता है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर संख्या 8(क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष अभिलेख उपलब्ध न होने की दशा में व्यय धनराशि रू0- 113024.00 को गबन मानते हुए ब्याज सहित वसूली की कार्यवाही ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र सिंह एवं ग्राम सचिव श्री इकबाल से विभागीय कार्यवाही करते हुए की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 113024-00

**(28) ग्राम पंचायत का नाम -कुम्हरिया** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 35**:- कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार संबन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती पायल देवी व सचिव श्री जयकिशोर द्वारा ग्राम पंचायत से 28255.00 की धनराशि का भुगतान 30-06-2019 को 14वें वित्त से हैण्डपम्प मरम्मत पर नीलम कुमार पाईप एण्ड हार्डवेयर को 19055.00 सामग्री पर एवं प्रधान को मजदूरी का भुगतान रूपया 9200.00 किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर संबन्धित वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया गया।

पंचायती राज उत्तरप्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से एक बराबर अनुपात में की जाएगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध ना कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया 28255.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है जो वसूली योग्य है।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है इस ब्याज सहित वसूली हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 28255-00

**(29) ग्राम पंचायत का नाम -पंजू सराय** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 36**:- कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार संम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री मुस्तकीम अहमद सचिव श्री मोहित चैधरी द्वारा ग्राम पंचायत से 38930.00 की धनराशि का भुगतान 14वें वित्त से सुरेश के मकान से साबिर के मकान तक दोनों साईड यू टाईप नाली के कार्य पर नीलम ब्रिक्स को भुगतान किया गया है, परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया।

पंचायती राज उत्तरप्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से एक बराबर अनुपात में की जाएगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध ना कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया 38930.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जो वसूली योग्य है।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है इस ब्याज सहित वसूली हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 38930-00

**(30) ग्राम पंचायत का नाम -मोहनपुर शुमाली** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 37**:- अतिरिक्त उर्जा स्रोत विभाग के शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि.(अति.ऊ.स्रो.वि.)/2017 दिनांक 29-08-2017 के द्वारा सौर उर्जा आधारित संयंत्रों की गुणवत्ता और क्रियाशीलता को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत विभिन्न विभागों की योजनाओं से कराये जाने वाले सौर ऊर्जा संबन्धी समस्त कार्य भारत सरकार की नोडल एजेन्सी यूपीनेडा से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जिसमें शासनादेश संख्या-38/2017/1378/45-वि.(अति.ऊ.स्रो.वि.)/2017 दिनांक 17-10-2017 के द्वारा संशोधन करते हुए मा. जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी क्षेत्र विकास निधियों ध्अन्य निधियों से कराये जाने वाले कार्यों में जिलाधिकारि के द्वारा यूपीनेडा के अतिरिक्त अन्य संस्था का नियमानुसार चयन किया जा सकता है किन्तु मानक यूपी नेडा के ही होने चाहिए। यूपी नेडा द्वारा वेबसाइट पर घोषित स्वीकृत दर को दृष्टिगत रखा जाना चाहिए और 5 वर्ष की वारंटी और वार्षिक रखरखाव भी इसमें सम्मिलित होगा। लेखा परीक्षा में पाया गया है कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार 4 सोलर लाइटों की स्थापना का कार्य कराया गया है जिसकी -2 पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, कैशबुक के अनुसार यह कार्य यूपीनेडा से न कराकर अन्य स्थानीय फर्म से कराना दर्शाया गया है। उक्त स्थानीय फर्म यूपीनेडा के निर्धारित मानकों, दर, वारंटी आदि का पालन करती है या नहीं, और फर्म के जिलाधिकारी के द्वारा चयन से सम्बन्धित कोई अभिलेख/प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा जिससे तत्सम्बन्धी जांच एवं टिप्पणी नहीं की जा सकी। गुणवत्ता और क्रियाशीलता को सुनिश्चित किये जाने के दृष्टिगत सोलर लाइट स्थापना का कार्य अधिकृत नोडल एजेन्सी यूपी नेडा से ही कराया जाना आवश्यक है। सोलर लाइट की स्थापना पर 78261.00 का व्यय 2 आई.डी. पर 2 तिथियों में किया गया है सोलर लाइट एक प्रोजेक्ट है जीपीडीपी कार्य योजना में अक कार्य है लेकिन इसे टुकड़ों में तोड़ कर सम्पादित किया जा रहा है इसके लिए अलग से टेंडर प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है लेकिन सक्षम अधिकारी से अनुमति नहीं ली गयी है। स्थान का चयन कार्ययोजना में कैसे और किस प्रकार किया गया है यह अस्पष्ट रहा।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए एवं इसी अध्याय के खंड-8क के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली प्रधान ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जाएगी। साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दंड संहिता के धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

अतः दर्शायी गयी धनराशि 78261.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से की जाए।

**सम्बन्धित धनराशि** - 78261-00

**(31) ग्राम पंचायत का नाम -दाऊ सराय** **वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 38**:- कैशबुक एवं बैंक पासबुक के अनुसार संम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा सचिव श्री आलोक कुमार द्वारा ग्राम पंचायत में 14वें वित्त से 215232.00 की धनराशि का भुगतान निम्न प्रकार किया गया है परन्तु लेखा परीक्षा निर्धारित तिथि पर सम्बन्धित वाउचर उपलब्ध नहीं कराया गया।

1-ओम टाईल्स को भुगतान (29-02-2020)- 74454.00

2-ओम टाईल्स को भुगतान(08-03-2020)- 117511.00

3-बाला जी ईंट उद्योग को भुगतान (27-02-2020)- 23267.00

**योग- 215232.00**

पंचायती राज उत्तरप्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार वित्त एवं लेखाप्रबंध हेतु जारी लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8क में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से एक बराबर अनुपात में की जाएगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जाएगा।

उक्त नियम के आलोक में एवं अन्य वांछनीय अभिलेखों की अनुपलब्धता एवं उक्त में दर्शित व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक उपलब्ध ना कराए जाने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा आहरित धनराशि रूपया 215232.00 को अपहरण की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, जो वसूली योग्य है।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है इस ब्याज सहित वसूली हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

**सम्बन्धित धनराशि** -   215232-00

**(32) ग्राम पंचायत का नाम -सिहाली नारायन                    वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या** -39

1- निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या आर जी एस ए 197-2019-4/379/2015-लखनऊ दिनांक 02-05-2019 के द्वारा प्रस्तर-2 में स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी 2 हैण्डपम्प रिबोर को एक आई.डी.-16417303 बनाकर रूपया 61302.00 का कार्य कराया किया गया है जिसकों गंभीर अनियमितताओं में वर्गीकृत किया जाता है। उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

2- निदेशक पंचायतीराज उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या आर जी एस ए 197-2019-4/379/2015-लखनऊ दिनांक 02-05-2019 के द्वारा प्रस्तर-1 में स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी निम्न कार्य को टुकड़ो में विभाजित करके दो अलग-अलग आई डी बनाकर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति से बचने के लिए कार्य को विभाजित कराया गया है जिसको गंभीर अनियमितताओं में वर्गीकृत किया जाता है-

1-मेन सड़क से सतपाल तक सी.सी.निर्माण कार्य- 192662.00    आई.डी. नबंर (20654324)

2-मेन सड़क से सतपाल तक नाली निर्माण कार्य- 84057.00    आई.डी. नबंर (20654325)

**योग-    276719.00**

3-राजपाल के घर से टीकम के घर तक सी.सी.निर्माण कार्य- 137958.00   आई.डी. नबंर (18202265)

4-राजपाल के घर से टीकम के घर तक नाली निर्माण कार्य- 72902.00    आई.डी. नबंर (18202264)

**योग-    210860.00**

इस प्रकार पंचायती राज के निर्देशों के विपरीत कार्य करने के कारण धनराशि रू- 487579.00 को गंभीर अनियमितताओं में वर्गीकृत किया जाता है। उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम संख्या-256 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है इस ब्याज सहित वसूली हेतु उच्च अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 548881-00

**(33) ग्राम पंचायत का नाम -घरौंट                    वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर संख्या 40**:- वर्क आई.डी. 20921404 के द्वारा दिनेश के घर से परशुराम के घर तक नाली एवं इंटरलार्किंग के नाम पर रू- 101287.00 सामग्री खरीद के नाम पर आहरित किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान सामग्री खरीद से सम्बन्धित कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। बिना व्यय प्रमाणक के व्यय धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान से की जानी अपेक्षित है।

**सम्बन्धित धनराशि** - 101287.00

प्रारूप-4

जपनदः- बिजनौर                    मण्डलः- मुरादाबाद

1.ग्राम पंचायतः-बेगमपुर शादी    विकास खण्डः- किरतपुर    वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-1- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 5.74 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 3.38 लाख का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित, प्रधान श्री गिरधर सचिव श्री राकेश कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित, ग्राम प्रधान श्री गिरधर सचिव श्री राकेश कुमार से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

2.ग्राम पंचायतः-ब्रहमजीतपुर चंदा    विकास खण्डः- किरतपुर    वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-2-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना

बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 999970.00 का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-3- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 4.67 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू04.67 लाख का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित, प्रधान श्री नरेश कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित, ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-4- आलोच्य वर्ष में मिट्टी भराव पर व्यय रूपया 20691.00 किया गया है कैशबुक मिट्टी कुल कितने घन फुट डाली गई का उल्लेख नहीं किया गया है, लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसे कारण व्यय की पुष्टि नही की जा सकी। पंचायती राज वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्ययाय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः 20691.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-5-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर में कुल रू0 114410.00 व्यय किया गया जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगिता है।

अ-ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में खराब हैंडपम्पों की सूची तथा जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

ब-ग्राम पंचायत सदस्यों के हैंडपम्प रिबोर खराब होने का प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा साथ ही हैंड पम्प खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट अप्राप्त रही।

स-हैंड पम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में नहीं पायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा हैंड पम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन नही किया गया है। अतः हैंड पम्प मरम्मत,रिबोर से सम्बन्धित कराये गये कार्य फर्जी एवं दुरूपयोग प्रतीत होते है।

द-हैंडपम्प रिबोर के खराब होने के सन्दर्भ में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित कमेटी जिसमें जल निगम अभियन्ता को रिबोरिंग जांच हेतु अधिकृत किया गया है जबकि हैंडपम्प रिबोर के लिए एम0वी0 मैनेजमेंट बुक, जे0ई0 लघु सिचाई द्वारा की गयी है। वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के अनुसार जे0ई0 को निर्माण कार्य हेतु अधिकृत किया गया है ना कि हैंड पम्प रिबोर हेतु।

उपरोक्त के अभाव में मरम्मत कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0114410.00 का अपहरण किया गया है उपरोक्त विवरण के अनुसार पंचायत राज वित्तीय लेखा एंव प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से जे0ई0 लघु सिचाई, ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-6- आलोच्य वर्ष में फर्नीचर क्रय पर रूपया 73544.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 73544.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-7- आलोच्य वर्ष में ठेली खरीद पर रूपया 18400.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 18400.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नरेश कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

3.ग्राम पंचायतः- पाडला विकास खण्डः- किरतपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-8- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 3.38 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 3.38 लाख का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित, प्रधान श्री संजीव कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार द्वारा किया गया है। उक्त

धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित, ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-9- आलोच्य वर्ष में रेनवाटर हार्वेस्टिंग पर रूपया 120446.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 120446.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-10-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर में कुल रू0 111186.00 व्यय किया गया है जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगित है।

अ-ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में खराब हैंडपम्पों की सूची तथा जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

ब-ग्राम पंचायत सदस्यों के हैंडपम्प रिबोर खराब होने का प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा साथ ही हैंड पम्प खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट अप्राप्त रही।

स-हैंड पम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में नहीं पायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा हैंड पम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन नही किया गया है। अतः हैंड पम्प मरम्मत,रिबोर से सम्बन्धित कराये गये कार्य फर्जी एवं दुरूपयोग प्रतीत होते है।

द-हैंडपम्प रिबोर के खराब होने के सन्दर्भ में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित कमेटी जिसमें जल निगम अभियन्ता को रिबोरिंग जांच हेतु अधिकृत किया गया है जबकि हैंडपम्प रिबोर के लिए एम0बी0 मेजरमैन्ट बुक, जे0ई0 लघु सिचाई द्वारा की गयी है। वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के अनुसार जे0ई0 को निर्माण कार्य हेतु अधिकृत किया गया है ना कि हैंड पम्प रिबोर हेतु।

उपरोक्त के अभाव में मरम्मत कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 111186.00 का अपहरण किया गया है उपरोक्त विवरण के अनुसार पंचायत राज वित्तीय लेखा एंव प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से जे0ई0 लघु सिचाई, ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार सचिव श्री मिथुन कुमार से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

4.ग्राम पंचायतः- किथौडा मु फती विकास खण्डः- किरतपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-11-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अघ्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 2565847.00 का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री मती फैमिदा सचिव श्री दिग्विजय सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री मती फैमिदा सचिव श्री दिग्विजय सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-12- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 164000.00 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 164000.00 लाख का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री मती फैमिदा सचिव श्री दिग्विजय सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री मती फैमिदा सचिव श्री दिग्विजय सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

5.ग्राम पंचायतः- दूधली विकास खण्डः- किरतपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-13-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अघ्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 726711.00 का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री मती शमीमा सचिव श्री मती ऊषा देवी द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री मती शमीमा सचिव श्री मती ऊषा से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-14- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्ययक विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 539000.00 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की

श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 539000.00 लाख का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री मती शमीमा सचिव श्री मती ऊषा देवी द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री मती शमीमा सचिव श्री मती ऊषा देवी से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-15-आलोच्य वर्ष में रूपये 45500.00 का प्रधान को मानदेय भुगतान किया गया है, से संबधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये है, पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 45500.00 का गबन, ग्राम प्रधान श्रीमती शमीमा सचिव श्री मती ऊषा देवी द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित, ग्राम प्रधान श्रीमती शमीमा सचिव श्री मती ऊषा देवी से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-16-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर में कुल रू0 36473.00 व्यय किया गया है जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगित है।

अ-ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में खराब हैंडपम्पों की सूची तथा जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

ब-ग्राम पंचायत सदस्यों के हैंडपम्प रिबोर खराब होने का प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा साथ ही हैंड पम्प खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट अप्राप्त रही।

स-हैंड पम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में नहीं पायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा हैंड पम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन नही किया गया है। अतः हैंड पम्प मरम्मत,रिबोर से सम्बन्धित कराये गये कार्य फर्जी एवं दुरूपयोग प्रतीत होते है।

द-हैंडपम्प रिबोर के खराब होने के सन्दर्भ में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित कमेटी जिसमें जल निगम अभियन्ता को रिबोरिंग जांच हेतु अधिकृत किया गया है जबकि हैंडपम्प रिबोर के लिए एम0वी0 मेजरमैन्ट बुक, जे0ई0 लघु सिचाई द्वारा की गयी है। वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के अनुसार जे0ई0 को निर्माण कार्य हेतु अधिकृत किया गया है ना कि हैंड पम्प रिबोर हेतु।

उपरोक्त के अभाव में मरम्मत कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 36473.00 का अपहरण किया गया है उपरोक्त विवरण के अनुसार पंचायत राज वित्तीय लेखा एंव प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से जे0ई0 लघु सिचाई, ग्राम प्रधान श्रीमती शमीमा सचिव श्री मती ऊषा देवी से से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-17- आलोच्य वर्ष में रूपये 20000.00 सफाई पर व्यय किया गया है, से संबधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये है, पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 20000.00 का गबन ग्राम प्रधान श्रीमती शमीमा सचिव श्री मती ऊषा देवी द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित, ग्राम प्रधान श्रीमती शमीमा सचिव श्री मती ऊषा देवी से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

6.ग्राम पंचायतः- बसेडा विकास खण्डः- किरतपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-18-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 608544.00 का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती ऊषा देवी द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती ऊषा से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-19- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 964000.00 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 964000.00 लाख का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती ऊषा देवी द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित,ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती ऊषा देवी से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-20-आलोच्य वर्ष में रूपये 186616.00 मिट्टी डलवाई गयी है, से संबधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये है, पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 186616.00 का गबन, ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती ऊषा देवी द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित, ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती ऊषा देवी से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-21-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर में कुल रू0 66083.00 व्यय किया गया है जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगित है।

अ-ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में खराब हैंडपम्पों की सूची तथा जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

ब-ग्राम पंचायत सदस्यों के हैंडपम्प रिबोर खराब होने का प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा साथ ही हैंड पम्प खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट अप्राप्त रही।

स-हैंड पम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में नहीं पायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा हैंड पम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन नही किया गया है। अतः हैंड पम्प मरम्मत,रिबोर से सम्बन्धित कराये गये कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगित प्रतीत होते है।

द-हैंडपम्प रिबोर के खराब होने के सन्दर्भ में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित कमेटी जिसमें जल निगम अभियन्ता को रिबोरिंग जांच हेतु अधिकृत किया गया है जबकि हैंडपम्प रिबोर के लिए एम0वी0 मेजरमैन्ट बुक, जे0ई0 लघु सिचाई द्वारा की गयी है। वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के अनुसार जे0ई0 को निर्माण कार्य हेतु अधिकृत किया गया है ना कि हैंड पम्प रिबोर हेतु।

उपरोक्त के अभाव में मरम्मत कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 66083.00 का अपहरण किया गया है उपरोक्त विवरण के अनुसार पंचायत राज वित्तीय लेखा एंव प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से जे0ई0 लघु सिचाई, ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मती ऊषा देवी से वैधानिक कार्यवाही करते हुए तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

7.ग्राम पंचायतः- कुरी बांगर विकास खण्डः- बुढनपुर(स्योहारा) वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-22-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में हैंडपम्प मरम्मत में कुल रू0 9550.00 व्यय किया गया है जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगित है।

अ-ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में खराब हैंडपम्पों की सूची तथा जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

ब-ग्राम पंचायत सदस्यों के हैंडपम्प रिबोर खराब होने का प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा साथ ही हैंड पम्प खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट अप्राप्त रही।

उपरोक्त के अभाव में मरम्मत कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 9550.00 का अपहरण किया गया है उपरोक्त विवरण के अनुसार पंचायत राज वित्तीय लेखा एंव प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से जे0ई0 लघु सिचाई, ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-23-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्धान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलाों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 1202000.00 का गबन अवर अभियंता श्री अनिल कुमार ,ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनिल कुमार,ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-24-आलोच्य वर्ष में रूपये 100300.00 मिट्टी डलवाई गयी है, से संबधित प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये है, पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8(क) के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 100300.00 का गबन, ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित, ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-25- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 13000.00 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 13000.00 लाख का गबन अवर अभियंता श्री श्री अनिल कुमार,ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनिल कुमार,ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-26-आलोच्य वर्ष में ग्रामनिधि प्रथम से रू0 655900.00 का आहरण किया गया है जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| दिनांक | धनराशि |
|---|---|
| 26.11.2019 | 225900.00 |

| | |
|---|---|
| 26.11.2019 | 197000.00 |
| 30.11.2019 | 191000.00 |
| 19.03.2020 | 42000.00 |
| कुल- | 655900.00 |

उक्त आहरण से संबंधित व्यय का विवरण कैश अंकित नहीं किया गया है और नाही आहरण से संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गये है, वित्तीय हस्तपुस्तिका आहरण भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम-422, 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगाा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0655900.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजेश सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री नत्थू सिंह एवं ग्राम अधिकारी श्री राजेश सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

8.ग्राम पंचायतः- आलमपुरी विकास खण्डः- स्योहारा वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-27-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अघ्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 801400.00 का गबन अवर अभियंता श्री अनिल कुमार ,ग्राम प्रधान श्री विजेन्दर कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित प्रताप द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनिल कुमार,ग्राम प्रधान श्री विजेन्दर कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित प्रताप से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-28- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 19000.00 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 19000.00 लाख का गबन अवर अभियंता श्री अनिल कुमार ,ग्राम प्रधान श्री विजेन्दर कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित प्रताप द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनिल कुमार ,ग्राम प्रधान श्री विजेन्दर कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित प्रताप से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-29- लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020 में फर्नीचर क्रय पर कुल रू0 134991.00 व्यय किया गया है परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में उक्त क्रय के बिल एवं वाउचरों नही रखे गये है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 134991.00 का गबन, ग्राम प्रधान श्री विजेन्दर कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित प्रताप द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विजेन्दर कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित प्रताप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-30- आलोच्य वर्ष में जी0एस0टी0 मद मे रूपये 37840.00 निमार्ण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदार को किया गया है। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में जी0 एस0 टी0 भुगतान से संबंधित प्रमाणक नही रखे गये है।पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 (क) के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 37840.00 का गबन ग्राम प्रधान श्री विजेन्दर कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित प्रताप द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित, ग्राम ग्राम प्रधान श्री विजेन्दर कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित प्रताप से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-31-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में हैंडपम्प मरम्मत में कुल रू0 16070.00 व्यय किया गया है जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगित है।

अ-ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में खराब हैंडपम्पों की सूची तथा जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

ब-ग्राम पंचायत सदस्यों के हैंडपम्प रिबोर खराब होने का प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा साथ ही हैंड पम्प खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट अप्राप्त रही।

उपरोक्त के अभाव में मरम्मत कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 16070.00 का अपहरण किया गया है उपरोक्त विवरण के अनुसार पंचायत राज वित्तीय लेखा एंव प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से जे0ई0 लघु सिचाई, ग्राम ग्राम प्रधान श्री विजेन्दर कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित प्रताप से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

9.ग्राम पंचायतः- पाडला विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-32-ग्राम पंचायत पाडला की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 446643.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनाये अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 446643.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अभिषेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री / गु डडी,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

10.ग्राम पंचायतः- नवादा विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-33-ग्राम पंचायत नवादा की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1077098.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनाये अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1077098.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अभिषेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री / खलील खां ,ग्राम प्रधान से समान

रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

11.ग्राम पंचायतः- जलीलपुर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-34-ग्राम पंचायत जलीलपुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 2264106.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 2264106.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अभिषेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री / हसीना ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

12.ग्राम पंचायतः- रवाना विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-35-ग्राम पंचायत रवाना की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 766721.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 766721.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अभिषेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री / रूपेश कुमार ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है

13.ग्राम पंचायतः- शाहपुर भसोडी विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-36-ग्राम पंचायत शाहपुर भसोडी की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 691175.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यो के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यो के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 691175.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अभिषेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री / राजेश्वरी ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

14.ग्राम पंचायतः- जुझारपुर उर्फ नाईपुरा विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-37-ग्राम पंचायत जुझारपुर उर्फ नाईपुरा की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 869555.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यो के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यो के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 869555.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अभिषेक कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री /सोनी ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

15.ग्राम पंचायतः- भगोडा विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20 ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-38-ग्राम पंचायत भगोडा की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1839882.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1839882.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री समरपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री /रणवीर ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है

16.ग्राम पंचायतः- रसूलपुर नंगला विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-39-ग्राम पंचायत रसूलपुर नंगला की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 4066183.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 4066183.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री समरपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री /गुलशन जहां ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

17.ग्राम पंचायतः- बुन्दरा खुर्द विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-40-ग्राम पंचायत बुन्दरा खुर्द की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 3055393.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यो के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यो के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यो/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 3055393.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री समरपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री / लेखराज ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

18.ग्राम पंचायतः- बाडीवाला विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-41-ग्राम पंचायत बाडीवाला की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1716867.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यो के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यो के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यो/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1716867.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री समरपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री /गजराज सिंह,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

19.ग्राम पंचायतः- दरबाडा विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-42-ग्राम पंचायत दरबड की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1564911.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यो/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाईल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1564911.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री समरपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री /राजपाल सिंह,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है

20.ग्राम पंचायतः- दत्तियाना विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-43-ग्राम पंचायत दत्तियाना की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 2587487.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि का कोई हिसाब-किताब लेखा परीक्षा के समय प्रस्तुत नही किया गया है। लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 2587487.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री /करन सिंह,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

21.ग्राम पंचायतः- हुसैनपुर खास विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-44-ग्राम पंचायत हुसैनपुर खारन की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 2249124.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।

2.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

4.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

5.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

6.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

7.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

10.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 2249124.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री /सरोज,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

22.ग्राम पंचायतः- शेखपुरी चौहड विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20 ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-45-ग्राम पंचायत शेखपुरी चौहड की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1578490.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।

2.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

4.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

5.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

6.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

7.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

10.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1578490.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री सुरेन्द्र सिंह,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

23.ग्राम पंचायतः- ठेठ विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-46-ग्राम पंचायत ठेठ की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 890956.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।

2.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

4.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

5.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

6.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

7.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

10.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 890956.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री कृपाल सिंह,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

24.ग्राम पंचायतः- कमालपुर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-47-ग्राम पंचायत कमालपुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 2166735.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।

2.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

4.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

5.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

6.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

7.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

10.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 2166735.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री वरीसा ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

25.ग्राम पंचायतः- मीरापुर खादर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-48-ग्राम पंचायत मीरापुर खादर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 933465.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।

2.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

4.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

5.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

6.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

7.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

10.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 933465.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री विजय ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

26.ग्राम पंचायतः- जमालुददीनपुर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20 ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-49-ग्राम पंचायत जमालुददीनपुर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1705995.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।

2.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

4.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

5.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

6.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

7.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

10.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1705995.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री लल्लू ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

27.ग्राम पंचायतः- औरंगपुर जोगीपुरा विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20 ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-50-ग्राम पंचायत औरंगपुर जोगीपुरा की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 748307.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।

2.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

4.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

5.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

6.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

7.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

10.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 748307.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री मेहर सिंह ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

28.ग्राम पंचायतः- नारनौर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-51-ग्राम पंचायत नारनौर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1336934.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।

2.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

4.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

5.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यो की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

6.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

7.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

10.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1336934.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री कौशल ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

29.ग्राम पंचायतः- सुजातपुर खादर विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-52-ग्राम पंचायत सुजातपुर खादर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 820156.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक।

2.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

3.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

4.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यो के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

5.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यों की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

6.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

7.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

8. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

9. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

10.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 820156.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री मनोज कुमार, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री उर्मिला देवी ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

30.ग्राम पंचायतः- माहू विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-53-ग्राम पंचायत माहू की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1647512.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1647512.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अनिल कुमार श्री अभिषेक ठाकुर, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री गुडडी देवी ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

31.ग्राम पंचायतः- सैन्दवार विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20 ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-54-ग्राम पंचायत सैन्दवार की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1389355.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1389355.00को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अनिल कुमार श्री अभिषेक ठाकुर, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री

मिथिलेश ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

32.ग्राम पंचायतः- सब्दलपुर तेली विकास खण्डः- जलीलपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-55-ग्राम पंचायत सब्दलपुर तेली की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1003869.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1003869.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्री अनिल कुमार श्री अभिषेक ठाकुर, ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री शहनाज ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

33.ग्राम पंचायतः- जाफ्रानगर विकास खण्डः- अफजलगढ वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-56-ग्राम पंचायत जाफ्रानगर की लेखा परीक्षा करते समय वर्ष 2019-20 का कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके कारण वर्ष 2019-20 की आहरण राशि प्रिया सॉफ्ट फीडिंग के आधार पर अंकित की गई है। वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के आधार पर रूपये 1238063.00 का आहरण सचिव एवं प्रधान द्वारा किया गया है। आहरण की गई धनराशि के सापेक्ष बैंक स्टेटमेण्ट में दर्शित विभिन्न व्ययों की जांच एवं पुष्टि नही करायी गयी है।

विभिन्न मदों जैसे निर्माण कार्यो,डेड स्टाक खरीद,प्रधान जी को मानदेय का भुगतान, हैण्डपम्प मरम्मत का सामान एवं मजदूरी,स्टेशनरी/फोटोस्टेट आदि किये गये व्ययों की जांच हेतु लेखा परीक्षा के समय मुख्य-मुख्य महत्वपूर्ण अभिलेख अप्राप्त रहे। जैसे-

1.वर्ष 2019-20 कैश बुक एवं खाता रजिस्टर (जर्नल लेजर)।

2.स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना।

3.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित टेन्डर विज्ञापन, टेन्डर की स्वीकृति, निर्माण कार्यों के व्यय अनुमान पत्र, निर्माण कार्यों के सक्षम तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र, माप पुस्तिका, निर्माण कार्यों की सामग्री की स्टाक पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि।

4.ग्राम सभा/ग्राम पंचायत/निर्माण कार्यो की समिति की कार्यवाही पंजिकाए जिसमें निर्माण कार्यों/ अन्य कार्यों की स्वीकृति का प्रस्ताव एवं भुगतान की स्वीकृति दी गयी है आदि।

5.व्यय धनराशि की जांच एवं पुष्टि हेतु सम्बन्धित बिल/ वाउचर/एडवाईज की गार्ड फाइल आदि।

6.मृत स्कन्ध पंजिका, प्रधान जी का मानदेय भुगतान देय पंजिका, हैण्डपम्प मरम्मत के सम्बन्ध मे सामग्री स्टाक बुक एवं रजिस्टर आदि।

7. अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर,अनुदान पत्रावली।

8. वर्ष 2019-20 से सम्बन्धित कैश रसीद बुक (रूप पत्र-7)

9.विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन नये प्रारूप पर निर्धारित कर दिया गया है। लेखा परीक्षा हेतु मांगी गई समस्त सूचनायें अप्राप्त के कारण प्राप्त के कारण प्रारूपों में सूचनाओं को अंकित किया जाना सम्भव नही हो सका। इस प्रति उचित कार्यवाही अपेक्षित है।

ग्राम निधि प्रथम के बैंक स्टेटमैन्ट को छोडकर अपेक्षित सूचनाएं एवं अन्य समस्त अभिलेख अप्रस्तुत रहे। इस प्रति समुचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0-256 के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध लेखा मैनुअल अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेकेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में कैश बुक, बिल/वाउचर आदि अप्राप्त के कारण वर्ष 2019-20 में दर्शित व्यय धनराशि रूपये 1238063.00 को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्तियों श्रीमती कंचन , ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्री/कुमारी/श्रीमती/श्री राजवीर ,ग्राम प्रधान से समान रूप से आधी-आधी धनराशि तातारीख ब्याज सहित वसूली कर शासकीय कोष में अविलम्ब जमा कराया जाना अपेक्षित है। इस सम्बन्ध में उचित प्रभावी कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु विभाग उच्च अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

34.ग्राम पंचायतः- रामठेरा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20 ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-57-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत रामठेरा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत रामठेरा की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1184974.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री मुन्ने ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री ऋषभ कुमार द्वारा रू0 1184974.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री मुन्ने एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री ऋषभ कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

35.ग्राम पंचायतः- नंगला गन्ना विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-58-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत नंगला गन्ना की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत नंगला गन्ना की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1535155.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमार ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री ऋषभ कुमार द्वारा रू0 1535155.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री संजीव कुमारएवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री ऋषभ कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

36.ग्राम पंचायतः- ठाठजट विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-59-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत ठाठजट की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत ठाठजट की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 3022450.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री हेमेन्द्र कुमार ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री बाबूराम द्वारा रू03022450.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री हेमेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री बाबूराम से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

37.ग्राम पंचायतः- नूरपुर छीपरी विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-60-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत नूरपुर छीपरी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत नूरपुर छीपरी की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1313710.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री बहादुर ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अनूप कुमार द्वारा रू0 1313710.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री बहादुर एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अनूप कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति की जा सके।

38.ग्राम पंचायतः- मुस्तफापुर तैयबा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

प्रस्तर संख्या-61-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत मुस्तफापुर तैयबा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत मुस्तफापुर तैययब की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1545398.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री मो0 फारूख ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अनूप कुमार द्वारा रू0 1545398.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री मो0 फारूख एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अनूप कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

39. ग्राम पंचायतः- गजुपुरा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2018-19

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-62-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत गजुपुरा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत गजुपुरा की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 664807.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सहदेव कुमार द्वारा रू0 664807 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री अवनीश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सहदेव कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

40.ग्राम पंचायतः- ढक्काकर्मचन्द विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2018-19

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-63-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत ढक्काकर्मचन्द की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत ढक्काकर्मचन्द की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 2387276.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री मनोहर सिंह ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सहदेव कुमार द्वारा रू0 2387276.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री मनोहर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सहदेव कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

41.ग्राम पंचायतः- अलाउददीनपुर मटपुरा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2018-19

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-64-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत अलाउददीनपुर मटपुरा की वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत अलाउददीन भटपुरा की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 652041.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री मती राजवती ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सहदेव कुमार द्वारा रू0652041.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री मती राजवती एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सहदेव कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

42.ग्राम पंचायतः- सलावा विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-65-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत सलावा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत सलावा की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1143964.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री भगीरथ सिंह ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा रू0 1143964.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री भगीरथ सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

43.ग्राम पंचायतः- अजीतपुर दासी विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-66-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत अजीतपुर दासी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत अजीतपुर दासी की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1398000.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री पुरूषोत्तम सिंह ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री विनेश यादव द्वारा रू0 1398000.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री पुरूषोत्तम सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री विनेश यादव से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

44.ग्राम पंचायतः- चकराजमल विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-67-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत चकराजमल की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत चकराजमल की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1196860.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री मती रिशु रानी ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री योगराज सिंह द्वारा रू0 1196860.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री मती रिशु रानी एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री योगराज सिंह से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

45.ग्राम पंचायतः- टपरौला विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-68-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत टपरौला की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत टपरौला की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1172028.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री मती रफतजहा ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अंकित कुमार द्वारा रू0 1172028.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री मती रफतजहा एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अंकित कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

46.ग्राम पंचायतः- रायपुर मलूक विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-69-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत रायपुर मलूक की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत रायपुर मलूक की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1014890.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अंकित कुमार द्वारा रू0 1014890.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री राजीव कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अंकित कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

47.ग्राम पंचायतः- वाजिदपुर विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-70-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत वाजिदपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत वाजिदपुर की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1343661.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री मती रफतजहा॑ ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा रू0 1343661.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री मती रफतजहा॑ एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके

48.ग्राम पंचायतः- हाफिजाबाद विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-71-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत हाफिजाबाद की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत हाफिजाबाद की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 2474130.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री सुरेश चैहान ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सहदेव कुमार द्वारा रू0 2474130.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री सुरेश चैहान एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री सहदेव कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

49.ग्राम पंचायतः- मो0 अलीपुर भिक्कन विकास खण्डः- धामपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-72-जनपद बिजनौर के वि0ख0 धामपुर ग्राम पंचायत मो0 अलीपुर भिक्कन की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत मो0 अलीपुर भिक्कन की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 1753747.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेवरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री मती शाहीन ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश कुमार द्वारा रू0 1753747.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री मती शाहीनएवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राकेश कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति की जा सके।

50.ग्राम पंचायतः- अमीपुर नारायणपुर विकास खण्डः- मो0 पुर देवमल वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-173-जनपद बिजनौर के वि0ख0 मो0 पुर देवमल ग्राम पंचायत अमीपुर नारायणपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत अमीपुर नारायणपुर की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 919108.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेबरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री रमेश ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अरविंद कुमार द्वारा रू0 919108.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री अरविंद कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

51.ग्राम पंचायतः- इलायचीपुर खडगू विकास खण्डः- मो0 पुर देवमल वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियां:-

प्रस्तर संख्या-74-जनपद बिजनौर के वि0ख0 मो0 पुर देवमल ग्राम पंचायत इलायचीपुर खडगू की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करने पर निम्नलिखित अपहरण,दुरूपयोग, गम्भीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये है जिनके प्रगति प्रकाश में आये है जिनके प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त/केन्द्रीय वित्त आयोग से ग्राम पंचायत इलायचीपुर खडगू की कैश बुक/बैंक स्टेटमैन्ट में दर्शित रू0 598996.00 व्यय भुगतान किया गया है

जिसकी निर्माण कार्य पत्रावलियां अप्राप्त रही। अतः निम्नलिखित लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण भुगतान की गयी धनराशि का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित है-

1-स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना अप्राप्त रही।

2-ग्राम पंचायत में कृत कार्य प्रयुक्त सामग्री के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। जिस कारण व्यय की पुष्टि नही होती है।

3-सामग्री के एम0एम0-11 एवं रॉयल्टी भुगतान तथा निर्माण कार्य से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी 12 प्रतिशत जी0एस0टी0,2 प्रतिशत इन्कम टैक्स एवं 1 प्रतिशत लेबरसैस के जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे।

4-14वे वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुसार कृत कार्य के प्रारम्भ, मध्य, अन्त के फोटोग्राफ नहीं पाये गये है।

5-सार्वजनिक निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपखनिजों, रॉयल्टी भुगतान सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में शासनादेश सं0 385/86-2015 दिनांक 15 अक्टूबर 2015 का ठेकेदार द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।

6-सामग्री क्रय के टेन्डर /कोटेशन आदि नहीं पाये गये है।

7-लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्टर,डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया है तथ अनुदान उपभोग प्रमाण पत्र, अनुदान रजिस्टर एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि अप्राप्त रहे।

उ0 प्र0 पंचायत राज वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर क के अनुसार बिना प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण होगी।अतः ग्राम प्रधान श्री पुष्पेन्द्र ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राजन कुमार द्वारा रू0 598996.00 का आहरण कर अपहरण किया गया है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्री पुष्पेन्द एवं ग्राम पंचायत सचिव/ग्रा0वि0 अधिकारी श्री राजन कुमार से बराबर अनुपात में नियमानुसार तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है, जिससे ग्राम पंचायत को पहुंचायी गयी आर्थिक क्षति की प्रति पूर्ति की जा सके।

52.ग्राम पंचायतः- कासमाबाद विकास खण्डः-बुढनपुर( स्योहारा) वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-75-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर में कुल रू0 250776.00 व्यय किया गया है जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगित है।

अ-ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में खराब हैंडपम्पों की सूची तथा जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

ब-ग्राम पंचायत सदस्यों के हैंडपम्प रिबोर खराब होने का प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा साथ ही हैंड पम्प खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट अप्राप्त रही।

स-हैंड पम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में नहीं पायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा हैंड पम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन नही किया गया है। अतः हैंड पम्प मरम्मत,रिबोर से सम्बन्धित कराये गये कार्य फर्जी एवं दुरूपयोग प्रतीत होते है।

द-हैंडपम्प रिबोर के खराब होने के सन्दर्भ में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गठित कमेटी जिसमें जल निगम अभियन्ता को रिबोरिंग जांच हेतु अधिकृत किया गया है जबकि हैंडपम्प रिबोर के लिए एम0बी0 मेजरमैन्ट बुक, जे0ई0 लघु सिचाई द्वारा की गयी है। वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के अनुसार जे0ई0 को निर्माण कार्य हेतु अधिकृत किया गया है ना कि हैंड पम्प रिबोर हेतु।

उपरोक्त के अभाव में मरम्मत कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 250776.00 का अपहरण किया गया है उपरोक्त विवरण के अनुसार पंचायत राज वित्तीय लेखा एंव प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से जे0ई0 लघु सिचाई, ग्राम प्रधान श्री नरगेश कुमारी सचिव श्री राजेश सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-76- आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट पर रूपया 274356.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 274356.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नरगेश कुमारी सचिव श्री राजेश सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-77- लेखा परीक्षा वर्ष2019-20 में प्रशासनिक मद में रूपया 29698.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 29698.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री नरगेश कुमारी सचिव श्री राजेश सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-78-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलाों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 506376.000 का गबन अवर अभियंता श्री अनिल कुमार,ग्राम प्रधान श्री नरगेश कुमारी सचिव श्री राजेश सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनिल कुमार,ग्राम प्रधान श्री नरगेश कुमारी सचिव श्री राजेश से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-79- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 6.75लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 6.75लाख का गबन अवर अभियंता श्री अनिल कुमार,ग्राम प्रधान श्री नरगेश कुमारी सचिव श्री राजेश द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनिल कुमार,ग्राम प्रधान श्री नरगेश कुमारी सचिव श्री राजेश से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

53.ग्राम पंचायतः- महमूदपुर विकास खण्डः- बुढनपुर( स्योहारा) वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-80-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलाों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना

बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 240700.00 का गबन अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती अमीना खातून सचिव श्री ललित प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री श्री मती अमीना खातून सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-81- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 1.55 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 1.55 लाख का गबन अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती अमीना खातून सचिव श्री ललित प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती अमीना खातून सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-82-आलोच्य वर्ष मे मिट्टी भरावपर व्यय रूपया 58500.00 किया गया है कैशबुक मिट्टी कुल कितने घन फुट डाली गई का उल्लेख नही किया गया है, लेखा परीक्षा मे उक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नही की जा सकी। पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी मे आती है। अतः रू0 58500.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित अवर अभियन्ता श्री अनिल कुमार, ग्राम प्रधान श्रीमती अमीना खातून एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री ललित सिंह से किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियो का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

54.ग्राम पंचायतः- मेवा नवादा विकास खण्डः- बुढनपुर( स्योहारा) वर्षः- 2019-20 ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-83-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अघ्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 1191700.00 का गबन अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती सादमा सचिव श्री ललित प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री श्री मती सादमा सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-84- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 3.85 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 3.85 लाख का गबन अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती सादमा सचिव श्री ललित प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती सादमा सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

55.ग्राम पंचायतः- रसूलपुर कस्बा विकास खण्डः- बुढनपुर( स्योहारा) वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-85-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अघ्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 958728.00 का गबन अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री साजिदहुसेन सचिव श्री ललित प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री श्री साजिदहुसेन सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-86- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 1.98 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 1.98 लाख का गबन अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री साजिदहुसेन सचिव श्री ललित प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री साजिदहुसेन सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-87- आलोच्य वर्ष मिट्टी भराव पर व्यय रूपया 69910.00 किया गया है कैश बुक मिट्टी कुल कितने घन फुट डाली गई का उल्लेख नहीं किया गया है, लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य

वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 69910.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री साजिदहुसेन सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-88- लेखा परीक्षा वर्ष2019-20 में प्रशासनिक मद में रूपया 37808.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 37808.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री साजिदहुसेन सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

56.ग्राम पंचायतः- सहसपुर देहात विकास खण्डः- बुढनपुर( स्योहारा) वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-89-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अघ्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलाें एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 19680.00 का गबन अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती जहिरा खान सचिव श्री ललित प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती जहिरा खान सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-90- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 1.38 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 1.38 लाख का गबन अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती जहिरा खान सचिव श्री ललित प्रताप सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री अनील कुमार,ग्राम प्रधान श्री मती जहिरा खान सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-91- आलोच्य वर्ष मिट्टी भराव पर व्यय रूपया 31430.00 किया गया है कैश बुक मिट्टी कुल कितने घन फुट डाली गई का उल्लेख नहीं किया गया है, लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 31430.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली अवर अभियंता श्री अनील कुमार ग्राम प्रधान श्री मती जहिरा खान सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-92- लेखा परीक्षा वर्ष2019-20 में प्रशासनिक मद में रूपया 8708.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 8708.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती जहिरा खान सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-93- आलोच्य वर्ष में फर्नीचर क्रय पर रूपया 29600.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 29600.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती जहिरा खान सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-94- आलोच्य वर्ष में टेली खरीद पर रूपया 17027.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 17027.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती जहिरा खान सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-95- आलोच्य वर्ष में व्हील चेयर पर रूपया 5900.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 5900.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती जहिरा खान सचिव श्री ललित प्रताप सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

57.ग्राम पंचायतः- नेकपुर विकास खण्डः- किरतपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-96- आलोच्य वर्ष में स्ट्रीट लाइट पर रूपया 99600.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के

अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 99600.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री मती चंद्रावली सचिव श्री महेश सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-97- लेखा परीक्षा वर्ष2019-20 में शौचालय निर्माण पर रूपया 102400.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 102400.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूलीअवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित ग्राम प्रधान श्री मती चंद्रावली सचिव श्री महेश सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-98- लेखा परीक्षा वर्ष2019-20 में बाउन्ड्रीवाल निर्माण एवं मरम्मत पर रूपया 312531.00 व्यय कैश बुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय से संबन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए गये है जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, पंचायती राज्य वित्तीय लेखा एवं प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 312531.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूलीअवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित ग्राम प्रधान श्री मती चंद्रावली सचिव श्री महेश सिंह से बराबर अनुपात में तातारीख ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर संख्या-99-वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के अध्याय-14 कार्य लेखा सामान्य सिद्वान्त के अन्तर्गत नियम 422ए 423 के अनुसार निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों के बिलों एवं वाउचरों का लेखा रखा जाएगा जिसकी प्रविष्टि पैमाइश पुस्तिका में की जाएगी। परन्तु आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ठेकेदार के बिल एवं वाउचरों का लेखा नहीं रखा जा रहा है। पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 976778.00 का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित ग्राम प्रधान श्री मती चंद्रावली सचिव श्री महेश सिंह सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली 2 प्रतिशत ब्याज मासिक व 12 प्रतिशत षटमासिक चक्रवृद्दि ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित ग्राम प्रधान श्री मती चंद्रावली सचिव श्री महेश सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-100-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर में कुल रू0 181353.00 व्यय किया गया है जिस पर निम्न लेखा परीक्षा टिप्पणी के कारण हैंडपम्प मरम्मत व रिबोर कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगित है।

अ-ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर में खराब हैंडपम्पों की सूची तथा जल प्रबन्धन समिति की रिपोर्ट एवं कार्य पूर्ण होने के पश्चात की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

ब-ग्राम पंचायत सदस्यों के हैंडपम्प रिबोर खराब होने का प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा साथ ही हैंड पम्प खराब होने की तकनीकी रिपोर्ट अप्राप्त रही।

स-हैंड पम्प रिबोरिंग से सम्बन्धित तकनीकी रिपोर्ट भी लेखा परीक्षा में नहीं पायी गयी है। इससे प्रतीत होता है कि आपके द्वारा हैंड पम्प रिबोरिंग के कार्य में जल निगम की मार्गदर्शिका का अनुपालन नही किया गया है। अतः हैंड पम्प मरम्मत,रिबोर से सम्बन्धित कराये गये कार्य फर्जी एवं दुरूपयोगित प्रतीत होते है।

उपरोक्त के अभाव में मरम्मत कराये गये कार्यो की पुष्टि नही होती है। अतः कैश बुक में फर्जी व्यय दर्शाकर रू0 181353.00 का अपहरण किया गया है उपरोक्त विवरण के अनुसार पंचायत राज वित्तीय लेखा एंव प्रबन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8क के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली संयुक्त रूप से जे0ई0 लघु सिचाई, ग्राम प्रधान श्री मती चंद्रावली सचिव श्री महेश सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-101- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 3.31 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 3.31 लाख का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित ग्राम प्रधान श्री मती चंद्रावली सचिव श्री महेश सिंह सिंह द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित ग्राम प्रधान श्री मती चंद्रावली सचिव श्री महेश सिंह सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

58. ग्राम पंचायतः- रायपुर मौज्जमपुर विकास खण्डः- किरतपुर वर्षः- 2019-20

ग्राम पंचायतो से सम्बन्धित आपत्तियांः-

प्रस्तर संख्या-102-लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में निर्माण कार्यो से सम्बन्धित ठेकेदारों को भुगतान की गयी जी0एस0टी0 12 प्रतिशत इन्कम टैक्स 2 प्रतिशत एवं लेवर सैस 1 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया है जबकि इनके जमा प्रमाणक अप्राप्त रहे जिससे एम0वी0पैमाइश पुस्तिका में काटा गया भुगतान जमा न कर धन का अपहरण किया गया है। अतः सम्बन्धित से लगभग धनराशि रू0 221650.00 की वसूली नियमानुसार टैक्स की धाराओं में विधिक कार्यवाही करते हुए वसूली किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रस्तर संख्या-103- मनरेगा योजना से संबंधित आय-व्यय विवरण यथा कैशबुक, डेबुक,प्राप्ति एवं भुगतान रजिस्टर, पत्रावलियां एवं रजिस्टर्स लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण इस योजना पर किए गए व्यय की आफलाइन मांगपत्र में मनरेगा से सम्बंधित अभिलेखों की मांग की गई थी। परन्तु सचिव द्वारा मनरेगा में मनरेगा से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए हैं, लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 0.73 लाख व्यय किया गया है पंचायती राज वित्तीय लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-8 क के अनुसार बिना बिल प्रमाणक के भुगतान की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। इस प्रकार रू0 0.73 लाख का गबन अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित ग्राम प्रधान श्री हेमराज सचिव श्री मिथुन कुमार द्वारा किया गया है। उक्त

धनराशि की वसूली ब्याज सहित अवर अभियंता श्री संजीव दीक्षित ग्राम प्रधान श्री हेमराज सचिव श्री मिथुन कुमार सिंह से तातारीख ब्याज सहित किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

प्रारूप -4

वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

जनपद का नाम-मुरादाबाद मण्डल का नाम - मुरादाबाद

ग्राम पंचायतों की आपत्तियों का विवरण -

1. ग्राम पंचायत-शेरूआ धर्मपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद।

**प्रस्तर-01**

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्नलिखित तिथियों में आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे -

| दिनांक | चेक संख्या | धनराशि |
|---|---|---|
| 02.04.2019 | 374110 | 12650.00 |
| 10.04.2019 | 374113 | 3500.00 |
| 10.04.2019 | 374115 | 10900.00 |
| 10.04.2019 | 374114 | 14170.00 |
| 10.04.2019 | 374112 | 83160.00 |
| योग - | | 124380.00 |

पंचायत राज विभाग उवप्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का हैं। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8 क में प्रावधान है कि दशा्रये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी तथा इसके साथ ही जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। इस प्रकार उक्त धनराशि रू0 124380.00 के का गबन ग्राम प्रधान श्री पतिराम और सचिव ग्राम पंचायत नीरज कुमार सिंह द्वारा किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री पतिराम और सचिव ग्राम पंचायत नीरज कुमार सिंह से की जानी अपेक्षित है।

2. ग्राम पंचायत-देवीपुरा वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-भगतपुर टांडा, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-02

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कि दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0 5712408.00 के खर्च सम्बन्धी कार्यवाही पुस्तिका, स्टेटमेंट , मस्टररोल, वाउचर पत्रावली, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मानदेय रजिस्टर, स्टाक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती सन्तरा देवी एवं सचिव श्री विनय आशीष से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

3. ग्राम पंचायत-राजपुर मिलक वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-03

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08.09.2019 को चैक संख्या-559018097738 द्वारा रूपया 84486.00 का भुगतान कमल ट्रेडर्स को सीमेन्ट हेतु किया गया। लेकिन उक्त के सन्दर्भ में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती यासीन जहाँ एवं सचिव श्रीमती कविता से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

4. ग्राम पंचायत- सोनकपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-04

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में व्यय की गई कुल धनराशि रू0 520371.00 के सापेक्ष कोई व्यय वाउचर एवं प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती एवं सचिव श्री रामप्रकाश से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

5. ग्राम पंचायत- मौहम्मदपुर बस्तौर, वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-05

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में व्यय की गई कुल धनराशि रू0 1793134.00 के सापेक्ष कोई व्यय वाउचर एवं प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्री इन्द्रपाल सिंह एवं सचिव श्री नित्यानन्द से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

6. ग्राम पंचायत- सोनकपुर देहात वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-मुरादाबाद, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-06

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 03.04.2019 को रू0 8486.00 आहरित किया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही रहा। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्री शौकत हुसैन एवं सचिव श्री नीरज कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

7. ग्राम पंचायत- रामपुर मैगन वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-07

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में व्यय की गई कुल धनराशि रू0 157025.00 के सापेक्ष कोई व्यय वाउचर एवं प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्री वेदप्रकाश एवं सचिव श्री कुलवीर यादव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

8. ग्राम पंचायत- अलीनगर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-08

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में व्यय की गई कुल धनराशि रू0 1269242.00 के सापेक्ष कोई व्यय वाउचर एवं प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह एवं सचिव श्री पंकज कुमार बग्गा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

9. ग्राम पंचायत- खानपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-09

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 31590949099 से दिनाँक 01.04.2019 से 03.07.2019 तक कुल धनराशि रू0 1953460.00 आहरित की गयी दर्शित है। लेखा परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, रोकड़ बही, कार्यवाही पुस्तिका, स्टेटमेंट , मस्टररोल, वाउचर पत्रावली, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री धर्मवीर सिंह एवं सचिव श्री धनेन्द्र पाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

10. ग्राम पंचायत- कुण्डेसरा वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-ठाकुरद्वारा, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-10

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि आॅनलाईन कैशबुक में प्रधान के पास नगद अवशेष रू0 403345.00 है। जबकि वास्तविक कैशबुक में प्रधान के पास नगद अवशेष रूपया शून्य है। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति मालती एवं सचिव श्री कपिल कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

11. ग्राम पंचायत- ढकिया नरू वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-11

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 31590549727 से दिनाँक 01.04.2019 से 31.10.2019 तक कुल धनराशि रू0 4188906.00 आहरित की गयी दर्शित है। लेखा परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, रोकड़ बही, कार्यवाही पुस्तिका, स्टेटमेंट , मस्टररोल, वाउचर पत्रावली, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति जगतवती एवं सचिव श्री जगदीश सिंह एवं श्री जगपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

12. ग्राम पंचायत- नंगला गूजर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 630002010000579 से विभिन्न तिथियों में कुल धनराशि रू0 1669623.00 आहरित की गयी दर्शित है। लेखा परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, रोकड़ बही, कार्यवाही पुस्तिका, स्टेटमेंट , मस्टररोल, वाउचर पत्रावली, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा, जिससे

दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री बलवीर एवं सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

13. ग्राम पंचायत- मुड़िया राजा वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-13

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 31589829991 से दिनाँक 01.04.2019 से 31.08.2019 तक कुल धनराशि रू0 1388740.50 आहरित की गयी दर्शित है। लेखा परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, रोकड़ बही, कार्यवाही पुस्तिका, स्टेटमेंट , मस्टररोल, वाउचर पत्रावली, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति नन्ही देवी एवं सचिव श्री श्याम सिंह गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

14. ग्राम पंचायत- बिचौला ढूकी वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-14

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 31592444032 से दिनाँक 01.04.2019 से 16.12.2019 तक कुल धनराशि रू0 917210.12 आहरित की गयी दर्शित है। लेखा परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, रोकड़ बही, कार्यवाही पुस्तिका, स्टेटमेंट , मस्टररोल, वाउचर पत्रावली, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री कय्यूम एवं सचिव श्री धनेन्द्र पाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

15. ग्राम पंचायत- ग्वार खेड़ा वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-15

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 86072200010479 से दिनाँक 01.04.2019 से 19.07.2019 तक कुल धनराशि रू0 426939.23 आहरित की गयी दर्शित है। लेखा परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, रोकड़ बही, कार्यवाही पुस्तिका, स्टेटमेंट , मस्टररोल, वाउचर पत्रावली, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति सन्तोष कुमारी एवं सचिव श्री श्याम सिंह गौतम से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

16. ग्राम पंचायत- चांदपुर गणेश वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-16

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 31559880056 से दिनाँक 13.01.2020 से 31.03.2020 तक कुल धनराशि रू0 619325.00 आहरित की गयी दर्शित है। लेखा परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, रोकड़ बही, कार्यवाही पुस्तिका, स्टेटमेंट , मस्टररोल, वाउचर पत्रावली, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति सिम्मी एवं सचिव श्री जयपाल सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

17. ग्राम पंचायत- बुढ़नपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-डिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-17

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में टेंडर की प्रकिया का पालन न कर कुल धनराशि रू0 751595.00 की सामग्री का क्रय किया गया। इस प्रकार शासनादेश/नियमों का पालन न करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। इस हेतु उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री इशरत अली एवं सचिव श्री सी .पी .सिंह के विरूद्व विभागीय कार्यवाही आपेक्षित है।

18. ग्राम पंचायत- बेगमपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-छजलैट, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-18

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 3038000300454114 से दिनाँक 01.04.2019 से 31.07.2019 तक कुल धनराशि रू0 784856.80 आहरित की गयी दर्शित है। जिसकी पुष्टि में कैशबुक व व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति अनीशा एवं सचिव श्री विजय बहादुर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

19. ग्राम पंचायत- सुलतानपुर फलैदा वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-छजलैट, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-19

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 5717034784 से आहरित एवं कैशबुक के अनुसार व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 87631.00 दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक व मस्टरोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति रामेश्री एवं सचिव श्री राजकुमार वर्मा से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

20. ग्राम पंचायत- चैदरी अकबरपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-छजलैट, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-20

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 3038000300454211 से आहरित एवं कैशबुक के अनुसार व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 551359.00 दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक व मस्टरोल लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री फकीरा एवं सचिव श्री दिग्गम्बर सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

21. ग्राम पंचायत- बिलारी देहात वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-21

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 31589450765 से दिनाँक 01.04.2019 से 31.08.2020 तक कुल धनराशि रू0 698773.00 आहरित की गयी दर्शित है। लेखा परीक्षा में स्वीकृत कार्ययोजना, रोकड़ बही, कार्यवाही पुस्तिका, स्टेटमेंट , मस्टररोल, वाउचर पत्रावली, एम.बी. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र मानदेय रजिस्टर, स्टॉक पंजिका परिसम्पत्ति रजि0, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि अप्राप्त रहा, जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्रीमति रिन्की सिंह एवं सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

22. ग्राम पंचायत- वाहपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-कुन्दरकी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-22

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में व्यय की गई कुल धनराशि रू0 78180.00 के सापेक्ष कोई व्यय वाउचर एवं प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमति नाया देवी एवं सचिव श्री सतीश सागर से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

23. ग्राम पंचायत- रौशनपुरा वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-डिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-23

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में व्यय की गई कुल धनराशि रू0 241990.00 के सापेक्ष कोई व्यय वाउचर एवं प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमति नूरमा एवं सचिव श्री केशव से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

24. ग्राम पंचायत- सादकपुर खिचड़ी वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-छजलैट, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-24

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि प्रथम की खाता संख्या 31574200256 से आहरित की गयी कुल धनराशि रू0 1010684.00 दर्शित है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक व कैशबुक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। इस प्रकार दर्शायी गई धनराशि का अपहरण मानते हुए उत्तरदायी व्यक्ति ग्राम प्रधान श्री विपिन कुमार एवं सचिव श्री अभिषेक चौहान से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

25. ग्राम पंचायत- कमालपुर चंदौरा वर्ष 2019-20 विकास खण्ड-बिलारी, जनपद मुरादाबाद।

प्रस्तर-25

ग्राम पंचायत कमालपुर चंदौरा विकास क्षेत्र बिलारी जनपद मुरादाबाद की आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि ई-ग्ा्रम स्वराज पर दर्शित व्यय रू0 1099997.00 है जो आलोच्य वर्ष 2019-20 मे विभिन्न तिथियो मे आहरित की गयी दर्शित है। लेखा परीक्षा मे स्वीकृत कार्ययोजना ,रोकड बही, स्टीमेट,एम0बी,कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ,कार्यवाही पंजिका ध्धान मानदेय पंजिका ,स्टॉक रजिस्टर तथा व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। इस सम्बन्ध मे अभिलेखो की मांग दिनांक 15.07.2020 को सहायक विकास अधिकारी(पं0) को सम्बोधित करते हुए की गयी। साथ ही इस सम्बन्ध मे मुख्य विकास अधिकारी महोदय तथा जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय मुरादाबाद एवं खण्ड विकास अधिकारी बिलारी को भी सादर सूचनार्थ किया गया था। इसके अतिरिक्त दिनांक 21.12.2020 को आडिट ऑनलाइन वेबसाइट द्वारा इंटीमेशन स्वीकार कराया गया तथा अनेक बार पंचायत सचिव को मौखिक रूप से भी अवगत कराया गया। इस सबके बावजूद पंचायत अभिलेखो से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया है।

इस प्रकार आहरित धनराशि रू0 1099997.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री कपिल प्रताप सिंह तथा पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया । इसलिए ग्राम पंचायतो मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के भाग -8 (क ) के अनुसार उक्त आहरित धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कपिल प्रताप सिंह तथा पंचायत सचिव श्री शैलेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित है।

प्रारूप-4

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- शाहबाद मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**1- ग्राम पंचायत- रायपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-1 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित (रू0 3171975.00) धनराशि को किया गया है। जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03-04-2019 | 387 | 15349.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 02 | 30-04-2019 | 392 | 28923.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 03 | 30-04-2019 | 395 | 25741.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 04 | 28-6-2019 | 426 | 42413.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 05 | 28-6-2019 | 422 | 28935.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 06 | 28-6-2019 | 402 | 16384.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 07 | 28-6-2019 | 429 | 18837.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 08 | 23-7-2019 | 408 | 21168.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 09 | 23-7-2019 | 412 | 24683.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 10 | 30-7-2019 | 420 | 13516.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 11 | 15-4-2019 | 391 | 144555.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 12 | 15-4-2019 | 399 | 137187.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 13 | 26-6-2019 | 421 | 63940.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 14 | 26-6-2019 | 425 | 18402.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 15 | 26-6-2019 | 432 | 1904.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 16 | 16-7-2019 | 411 | 131777.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 17 | 16-7-2019 | 407 | 153683.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 18 | 30-7-2019 | 419 | 96423.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 19 | 30-7-2019 | 436 | 78064.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 20 | 02-8-2019 | 440 | 15000.00 | जीत इलैक्ट्रोनिक |
| 21 | 21-6-2019 | 401 | 152000.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 22 | 06-7-2019 | 400 | 200000.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 23 | 15-7-2019 | 416 | 150000.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 24 | 22-11-2019 | - | 32000.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 25 | 02.01.2020 | - | 46774.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 26 | 02-1-2020 | - | 100308.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 27 | 01-8-2019 | 415 | 5000.00 | कुमार इन्फोटच |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 29-3-2020 | - | 5000.00 | कुमार इन्फोटच |
| 29 | 29-3-2020 | - | 64400.00 | आज़म ब्रिक |
| 30 | 29-3-2020 | - | 111031.00 | आज़म ब्रिक |
| 31 | 29-3-2020 | - | 25911.00 | आज़म ब्रिक |
| 32 | 22-11-2019 | - | 26784.00 | आज़म ब्रिक |
| 33 | 16.3.2020 | - | 90672.00 | आज़म ब्रिक |
| 34 | 05-11-2019 | - | 82474.00 | आज़म ब्रिक |
| 35 | 13-3-2020 | - | 41006.00 | आज़म ब्रिक |
| 36 | 11-2-2020 | - | 31062.00 | आज़म ब्रिक |
| 37 | 29-3-2020 | - | 72686.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 38 | 29-3-2020 | - | 72131.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 39 | 29-3-2020 | - | 130000.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 40 | 22-11-2019 | - | 100483.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 41 | 16-3-2020 | - | 106947.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 42 | 15-11-2019 | - | 30309.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 43 | 14-11-2019 | - | 105000.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 44 | 13-3-2020 | - | 13676.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 45 | 11-2-2020 | - | 144666.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 46 | 06-2-2020 | - | 18231.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 47 | 21-01-2020 | - | 10016.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 48 | 02-01-2020 | - | 42242.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 49 | 25-2-2020 | - | 5600.00 | भगवती इण्टरप्राइजेज |
| 50 | 25-2-2020 | - | 5000.00 | जागरण प्रकाशन |
| 51 | 06-2-2020 | - | 16310.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| 52 | 13-3-2020 | - | 41965.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| 53 | 13-3-2020 | - | 15377.00 | स्टोर एजेन्सी |
| | योग- | | **3171975.00** | |

**प्रस्तर-2** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती ऊषा रानी द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधनामंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04-04-2019 | 389 | 5900.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 02 | 18-04-2019 | 397 | 55825.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 03 | 18-04-2019 | 394 | 59875.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 04 | 21-6-2019 | 424 | 59000.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 05 | 21-6-2019 | 428 | 23600.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 06 | 21-6-2019 | 431 | 63700.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 07 | 21-6-2019 | 435 | 5850.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 08 | 19-7-2019 | 417 | 62510.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 09 | 19-7-2019 | 418 | 53596.00 | श्रीमती ऊषा रानी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 25-7-2019 | 403 | 38150.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 11 | 25-7-2019 | 404 | 31228.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 12 | 29-3-2020 | - | 60930.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 13 | 29-3-2020 | - | 8714.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 14 | 29-3-2020 | - | 10500.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 15 | 24-1-2020 | - | 17500.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 16 | 16-3-2020 | - | 50212.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 17 | 13-3-2020 | - | 14554.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 18 | 13-3-2020 | - | 13972.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 19 | 11-2-2020 | - | 62488.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 20 | 06-2-2020 | - | 27216.00 | श्रीमती ऊषा रानी |
| 21 | 06-2-2020 | - | 7159.00श्रीमती ऊषा रानी | |
| | योग- | | **762479.00** | |

**प्रस्तर-3** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित ( रू0 266804.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गये हैं उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04-04-2019 | 390 | 2500.00 | श्री विनोद कुमार शर्मा |
| 02 | 04-04-2019 | 388 | 1400.00 | श्री महावीर |
| 03 | 15-04-2019 | 393 | 6300.00 | श्री महावीर |
| 04 | 15-4-2019 | 396 | 5250.00 | श्री महावीर |
| 05 | 21-6-2019 | 427 | 6650.00 | श्री महावीर |
| 06 | 21-6-2019 | 430 | 5950.00 | श्री महावीर |
| 07 | 21-6-2019 | 434 | 1750.00 | श्री महावीर |
| 08 | 21-7-2019 | 423 | 5600.00 | श्री महावीर |
| 09 | 15-7-2019 | 409 | 5600.00 | श्री महावीर |
| 10 | 15-7-2019 | 413 | 5250.00 | श्री महावीर |
| 11 | 30-7-2019 | 439 | 5000.00 | श्री विजयपाल सिंह |
| 12 | 09-7-2019 | 406 | 6720.00 | प्रथमा बैंक |
| 13 | 26-7-2019 | 438 | 3529.00 | श्री इमरान अली |
| 14 | 29-7-2019 | 405 | 3765.00 | श्री इमरान हुसैन |
| 15 | 29-3-2020 | - | 7350.00 | श्री इमरान हुसैन |
| 16 | 24-12-2019 | - | 20454.00 | श्री इमरान हुसैन |
| 17 | 16-12-2019 | - | 5400.00 | श्री इमरान हुसैन |
| 18 | 16-12-2019 | - | 7350.00 | श्री इमरान हुसैन |
| 19 | 13-3-2020 | - | 4550.00 | श्री इमरान हुसैन |
| 20 | 02-1-2019 | - | 5600.00 | श्री इमरान हुसैन |
| 21 | 02-1-2020 | - | 10150.00 | श्री इमरान हुसैन |
| 22 | 05-2-2020 | - | 2500.00 | श्री अंकित गुप्ता |
| 23 | 22-11-2019 | - | 2800.00 | श्री हरमहेश |
| 24 | 22-11-2019 | - | 5200.00 | श्री हरमहेश |
| 25 | 02.01.2020 | - | 3600.00 | श्री हरमहेश |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 22-11-2019 | - | 2548.00 | श्री विजयपाल सिंह |
| 27 | 22-11-2019 | - | 4368.00 | श्री विजयपाल सिंह |
| 28 | 02-1-2020 | - | 5200.00 | श्री विजयपाल सिंह |
| 29 | 22-11-2019 | - | 2548.00 | श्री विनीत |
| 30 | 22-11-2019 | - | 4368.00 | श्री विनीत |
| 31 | 22-11-2019 | - | 2548.00 | श्री रामबहादुर |
| 32 | 22-11-2019 | - | 4368.00 | श्री रामबहादुर |
| 33 | 02-1-2020 | - | 3200.00 | श्री रामबहादुर |
| 34 | 02-1-2020 | - | 5200.00 | श्री रामबहादुर |
| 35 | 22-11-2019 | - | 2800.00 | श्री दिनेश |
| 36 | 22-11-2019 | - | 5200.00 | श्री दिनेश |
| 37 | 02-1-2020 | - | 6400.00 | श्री दिनेश |
| 38 | 02-1-2020 | - | 10000.00 | श्री दिनेश |
| 39 | 22-11-2019 | - | 2548.00 | श्रीमती शकुंतला |
| 40 | 22-11-2019 | - | 4368.00 | श्रीमती शकुंतला |
| 41 | 22-11-2019 | - | 2548.00 | श्री वंशीधर |
| 42 | 22-11-2019 | - | 4368.00 | श्री वंशीधर |
| 43 | 02-1-2020 | - | 3000.00 | श्री वंशीधर |
| 44 | 02-1-2020 | - | 5200.00 | श्री वंशीधर |
| 45 | 22-11-2019 | - | 7276.00 | श्री महीपाल |
| 46 | 22-11-2019 | - | 4368.00 | श्री महीपाल |
| 47 | 22-11-2019 | - | 5600.00 | श्री महीपाल |
| 48 | 02-01-2020 | - | 3200.00 | श्री महीपाल |
| 49 | 22-11-2019 | - | 2548.00 | श्रीमती ऊर्मीला |
| 50 | 22-11-2019 | - | 4368.00 | श्रीमती ऊर्मीला |
| 51 | 22-11-2019 | - | 2800.00 | श्री कैशो |
| 52 | 22-11-2019 | - | 546.00 | श्री कैशो |
| 53 | 22-11-2019 | - | 5200.00 | श्री कैशो |
| 54 | 02-1-2020 | - | 5000.00 | श्री महीपाल |
| 55 | 13-3-2020 | - | 4900.00 | श्री इमरान हुसैन |
| | योग- | | **266804.00** | |

प्रस्तर-4 दिनांक 03-01-2020 को ग्राम पंचायत से रू0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- शाहबाद मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**2- ग्राम पंचायत- किशनपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-5 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित (रू0 1374440.00) धनराशि को किया गया है। जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 04-04-2019 | 240 | 41429.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| 02 | 27-11-2019 | - | 22963.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| 03 | 26-7-2019 | 245 | 19500.00 | शमशाद इण्डरप्राईजेज |
| 04 | 02-4-2019 | 239 | 1750.00 | ओजस्वा |
| 05 | 04-6-2019 | 241 | 5600.00 | भगवती इण्डरप्राईजेज |
| 06 | 01-8-2019 | 219 | 5000.00 | कुमार इन्फोटच |
| 07 | 27-12-2019 | - | 482.00 | कुमार इन्फोटच |
| 08 | 27-12-2019 | - | 149.00 | कुमार इन्फोटच |
| 09 | 29-3-2020 | - | 5000.00 | कुमार इन्फोटच |
| 10 | 29-3-2020 | - | 3000.00 | कुमार इन्फोटच |
| 11 | 29-7-2019 | - | 6720.00 | शाह टाइम्स |
| 12 | 27-12-2019 | - | 120799.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 13 | 27-12-2019 | - | 91426.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 14 | 27-12-2019 | - | 151001.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 15 | 27-11-2019 | - | 100000.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 16 | 16-7-2019 | - | 71470.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 17 | 16-7-2019 | - | 158166.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 18 | 30-7-2019 | - | 72617.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 19 | 30-7-2019 | - | 94962.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 20 | 02-8-2019 | - | 172569.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |
| 21 | 21-6-2019 | - | 25199.00 | एग्रीकल्चर स्टोर |
| 22 | 06-7-2019 | - | 63493.00 | एग्रीकल्चर स्टो |
| 23 | 15-7-2019 | - | 30072.00 | मेहर अली सीमेन्ट स्टोर |
| 24 | 22-11-2019 | - | 105000.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 25 | 02.01.2020 | - | 6073.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| | योग- | | **1374440.00** | |

**प्रस्तर-6** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्री अनवार द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधनामंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। वसूली की त्वरित कार्यवाही करने हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 26-07-2019 | 220 | 5000.00 | श्री अनवार |
| 02 | 29-01-2020 | - | 17500.00 | श्री अनवार |
| 03 | 29-01-2020 | - | 12849.00 | श्री अनवार |
| 04 | 29-01-2020 | - | 15440.00 | श्री अनवार |
| 05 | 29-03-2020 | - | 10500.00 | श्री अनवार |
| 06 | 21-12-2019 | - | 20149.00 | श्री अनवार |
| 07 | 13-2-2020 | - | 52091.00 | श्री अनवार |
| 08 | 11-2-2020 | - | 23858.00 | श्री अनवार |
| 09 | 11-2-2020 | - | 55208.00 | श्री अनवार |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 06-2-2020 | - | 17502.00 | श्री अनवार |
| | योग- | | **2300979.00** | |

प्रस्तर-7 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित ( रू0 178847.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री अनवार स्वयं व मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गये हैं उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 30-04-2019 | 237 | 8353.00 | श्री मौ0 अन्सार अली |
| 02 | 27-11-2019 | - | 4025.00 | श्री मौ0 अन्सार अली |
| 03 | 24-12-2019 | - | 8800.00 | श्री मौ0 अन्सार अली |
| 04 | 27-11-2019 | - | 7434.00 | श्रीमती रिहाना |
| 05 | 27-11-2019 | - | 4760.00 | श्री रईस |
| 06 | 27-12-2019 | - | 7982.00 | श्री रईस |
| 07 | 27-12-2019 | - | 9600.00 | श्री रईस |
| 08 | 27-12-2019 | - | 5840.00 | श्री रईस |
| 09 | 27-12-2019 | - | 4480.00 | श्री रईस |
| 10 | 27-12-2019 | - | 4480.00 | श्री रईस |
| 11 | 27-11-2019 | - | 7371.00 | श्रीमती नूरजादी |
| 12 | 27-11-2019 | - | 9600.00 | श्री कमल हसन |
| 13 | 27-12-2019 | - | 4760.00 | श्री कमल हसन |
| 14 | 27-12-2019 | - | 2570.00 | श्री कमल हसन |
| 15 | 27-12-2019 | - | 5840.00 | श्री कमल हसन |
| 16 | 27-12-2019 | - | 5806.00 | श्री कमल हसन |
| 17 | 27-11-2019 | - | 2570.00 | श्री नजर हुसैन |
| 18 | 27-12-2019 | - | 5840.00 | श्री नजर हुसैन |
| 19 | 27-12-2019 | - | 5840.00 | श्री नजर हुसैन |
| 20 | 27-12-2019 | - | 7371.00 | श्री नजर हुसैन |
| 21 | 27-11-2019 | - | 10000.00 | श्री नजर हुसैन |
| 22 | 27-12-2019 | - | 4727.00 | श्री नजर हुसैन |
| 23 | 27-12-2019 | - | 6206.00 | श्री नजर हुसैन |
| 24 | 27-12-2019 | - | 4760.00 | श्री हसीन |
| 25 | 27-12-2019 | - | 2836.00 | श्री मौ0 अन्सार |
| 26 | 27-12-2019 | - | 5717.00 | श्री मौ0 अन्सार |
| 27 | 27-12-2019 | - | 3538.00 | श्री मौ0 अन्सार |
| 28 | 27-12-2019 | - | 2054.00 | श्री मौ0 अन्सार |
| 29 | 27-12-2019 | - | 4480.00 | श्री शरीफ अहमद |
| 30 | 27-12-2019 | - | 4727.00 | श्री अब्दुल सलाम |
| 31 | 27-12-2019 | - | 4480.00 | श्री अब्दुल सलाम |
| 32 | 27-12-2019 | - | 2000.00 | श्री जफर हुसैन |
| | योग- | | **178847.00** | |

**<u>प्रस्तर-8</u>** दिनांक 11-12-2019 को ग्राम पंचायत से रू0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**<u>प्रस्तर- 9</u>** ग्राम पंचायत द्वारा अन्य फुटकर व्यय रू0 15080.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारी लेखा परीक्षा के दौरान बार- बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- शाहबाद मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**3- ग्राम पंचायत- रवाना लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

**प्रस्तर-10** ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित (रू0 2242892.00) धनराशि को किया गया है। जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 08-04-2019 | 477 | 20257.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 02 | 08-04-2019 | 452 | 15709.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 03 | 08-04-2019 | 463 | 18063.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 04 | 31-7-2019 | 413 | 23832.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 05 | 05-8-2019 | 437 | 23621.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 06 | 15-10-2019 | - | 24207.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 07 | 16-12-2019 | - | 25179.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 08 | 18-12-2019 | - | 13305.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 09 | 19-12-2020 | - | 8139.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 10 | 20-3-2020 | - | 118405.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 11 | 20-3-2020 | - | 12051.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 12 | 20-1-2020 | - | 23058.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 13 | 25-12-2019 | - | 18464.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 14 | 28-3-2019 | - | 80306.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 15 | 04-1-2020 | - | 34595.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 16 | 06-2-2020 | - | 28775.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 17 | 08-3-2020 | - | 32408.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 18 | 15-2-2020 | - | 30129.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 19 | 15-2-2020 | - | 15803.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 20 | 15-2-2020 | - | 12798.00 | अमन ईंट उद्योग |
| 21 | 12-4-2019 | 465 | 6000.00 | भगवती इण्डरप्राईजेज |
| 22 | 24-12-2019 | - | 5600.00 | भगवती इण्डरप्राईजेज |
| 23 | 05-12-2019 | - | 55000.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राइजेज |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 03-4-2019 | 453 | 6300.00 | नान कस्टूमर इम्टर ब्रान्च |
| 25 | 03-4-2019 | 473 | 5950.00 | नान कस्टूमर इम्टर ब्रान्च |
| 26 | 03-4-2019 | 474 | 5950.00 | नान कस्टूमर इम्टर ब्रान्च |
| 27 | 25-12-2019 | - | 5000.00 | कुमार इन्फोटेक |
| 28 | 25-02.2020 | - | 3000.00 | कुमार इन्फोटेक |
| 29 | 28-3.2020 | - | 5000.00 | कुमार इन्फोटेक |
| 30 | 25-2.2020 | - | 5000.00 | जागरण प्रकाशन |
| 31 | 05-12-2019 | - | 50000.00 | एग्रीकल्चर एजेनसी |
| 32 | 06-2-2020 | - | 151159.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 33 | 08.01.2020 | - | 6686.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 34 | 08-4-2019 | - | 22018.00 | सैफनी |
| 35 | 29-7-2019 | 417 | 6720.00 | शाह टाईम्स |
| 36 | 15-2.2020 | - | 67771.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 37 | 24-7-2019 | - | 28148.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 38 | 03-8-2019 | 412 | 34398.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 39 | 15-10-2019 | 436 | 155789.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 40 | 16-12-2019 | - | 141219.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 41 | 18-12-2019 | - | 80867.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 42 | 19-12-2019 | - | 41411.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 43 | 20-3-2020 | - | 90477.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 44 | 21.01.2020 | - | 28161.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 45 | 20.01.2020 | - | 115265.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 46 | 28-3.2020 | - | 31885.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 47 | 04.01.2020 | - | 79925.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 48 | 08-3.2020 | - | 196575.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 49 | 15-2.2020 | - | 143131.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| 50 | 15-02.2020 | - | 89381.00 | यादव सीमेन्ट स्टोर |
| | योग- | | **2242892.00** | |

**प्रस्तर-11** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती सायदा द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधनामंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 21-6-2019 | 408 | 5000.00 | श्रीमती सायदा |
| 02 | 21-6-2019 | 407 | 42000.00 | श्रीमती सायदा |
| 03 | 24-6-2019 | 410 | 5000.00 | श्रीमती सायदा |
| 04 | 24-7-2019 | 419 | 5000.00 | श्रीमती सायदा |
| 05 | 24-7-2019 | 415 | 13950.00 | श्रीमती सायदा |
| 06 | 03-8-2019 | 438 | 15340.00 | श्रीमती सायदा |
| 07 | 20-3-2020 | - | 32632.00 | श्रीमती सायदा |
| 08 | 23-1-2020 | - | 31500.00 | श्रीमती सायदा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 28-3-2020 | - | 23614.00 | श्रीमती सायदा |
| 10 | 06-2-2020 | - | 58908.00 | श्रीमती सायदा |
| 11 | 08-3-2020 | - | 77070.00 | श्रीमती सायदा |
| 12 | 15-2-2020 | - | 55524.00 | श्रीमती सायदा |
| 13 | 15-2-2020 | - | 34166.00 | श्रीमती सायदा |
| 14 | 15-2-2020 | - | 260522.00 | श्रीमती सायदा |
| | योग- | | **425756.00** | |

**प्रस्तर-12** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित ( रू0 386019.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 25-2-2020 | - | 2500.00 | श्री अंकित गुप्ता |
| 02 | 19-12-2019 | - | 7500.00 | श्री सईद अहमद कान्ट्रेक्टर |
| 03 | 21-6-2019 | 409 | 5000.00 | श्री इमरान हुसैन |
| 04 | 21-1-2020 | - | 8000.00 | श्री विजयसिहं |
| 05 | 04-1-2020 | - | 4000.00 | श्री विजयसिहं |
| 06 | 21-1-2020 | - | 5600.00 | श्री सरीफ |
| 07 | 21-3-2020 | - | 13300.00 | श्री सरीफ |
| 08 | 25-12-2018 | - | 800.00 | श्री सरीफ |
| 09 | 28-3-2020 | - | 5772.00 | श्री सरीफ |
| 10 | 04-1-2020 | - | 2155.00 | श्री सरीफ |
| 11 | 06-2-2020 | - | 8050.00 | श्री सरीफ |
| 12 | 15-2-2020 | - | 6650.00 | श्री सरीफ |
| 13 | 15-2-2020 | - | 3850.00 | श्री सरीफ |
| 14 | 15-2-2020 | - | 3150.00 | श्री सरीफ |
| 15 | 25-12-2019 | - | 1102.00 | श्री गुलाब सिहँ |
| 16 | 04-1-2020 | - | 3800.00 | श्री गुलाब सिहँ |
| 17 | 25-12-2019 | - | 1820.00 | श्री फहीम |
| 18 | 21-1-2020 | - | 8000.00 | श्री मुन्ना सिहँ |
| 19 | 04-4--2019 | - | 2500.00 | श्री विनोद कुमार शर्मा |
| 20 | 02-7-2019 | - | 2000.00 | श्री शहनावाज |
| 21 | 23-7-2019 | - | 700.00 | श्री शानू |
| 22 | 26-7-2019 | - | 3000.00 | श्री हरपाल |
| 23 | 15-10-2019 | - | 12000.00 | श्री बाबू सिहँ |
| 24 | 16-12-2019 | - | 3276.00 | श्री बाबू सिहँ |
| 25 | 19-12-2019 | - | 1274.00 | श्री बाबू सिहँ |
| 26 | 21-01-2020 | - | 5000.00 | श्री बाबू सिहँ |
| 27 | 21-01-2020 | - | 1600.00 | श्री बाबू सिहँ |
| 28 | 04-1-2020 | - | 4000.00 | श्री बाबू सिहँ |
| 29 | 15-10-2019 | - | 11520.00 | श्री गुलाब सिहँ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 16-12-2019 | - | 3276.00 | श्री गुलाब सिहँ |
| 31 | 18-12-2019 | - | 718.00 | श्री गुलाब सिहँ |
| 32 | 19-12-2019 | - | 1274.00 | श्री गुलाब सिहँ |
| 33 | 21.01.2020 | - | 4000.00 | श्री गुलाब सिहँ |
| 34 | 15-10-2019 | - | 6300.00 | श्री शरीफ |
| 35 | 16-12-2019 | - | 3543.00 | श्री शरीफ |
| 36 | 18-12-2019 | - | 3050.00 | श्री शरीफ |
| 37 | 19-122019 | - | 2100.00 | श्री शरीफ |
| 38 | 21-01-2020 | - | 12950.00 | श्री शरीफ |
| 39 | 15-10-2019 | - | 4550.00 | श्री जुबीस |
| 40 | 16-12-2019 | - | 3276.00 | श्री जुबीस |
| 41 | 18-12-2019 | - | 1829.00 | श्री जुबीस |
| 42 | 21-01-2020 | - | 4000.00 | श्री जुबीस |
| 43 | 15-10-2019 | - | 4550.00 | श्री कड्डे |
| 44 | 16-12-2019 | - | 3276.00 | श्री कड्डे |
| 45 | 18-12-2019 | - | 1820.00 | श्री कड्डे |
| 46 | 21-01.2020 | - | 4000.00 | श्री कड्डे |
| 47 | 15-10-2019 | - | 4550.00 | श्री अतीक |
| 48 | 16-12-2019 | - | 3276.00 | श्री अतीक |
| 49 | 19-12-2019 | - | 1274.00 | श्री अतीक |
| 50 | 21-1.2020 | - | 5000.00 | श्री अतीक |
| 51 | 04-1.2020 | - | 4000.00 | श्री अतीक |
| 52 | 15-10-2019 | - | 4550.00 | श्री अमरपाल |
| 53 | 19-12-2019 | - | 1274.00 | श्री अमरपाल |
| 54 | 21-1.2020 | - | 5000.00 | श्री अमरपाल |
| 55 | 15-10-2019 | - | 4550.00 | श्री जयकेश |
| 56 | 16-12-2019 | - | 3276.00 | श्री जयकेश |
| 57 | 18-12-2019 | - | 1820.00 | श्री जयकेश |
| 58 | 04-1.2020 | - | 4000.00 | श्री जयकेश |
| 59 | 21-1.2020 | - | 4000.00 | श्री जयकेश |
| 60 | 15-10-2019 | - | 4550.00 | श्री भूरा खाँ |
| 61 | 16-12-2019 | - | 3276.00 | श्री भूरा खाँ |
| 62 | 19-12-2019 | - | 1274.00 | श्री भूरा खाँ |
| 63 | 21-1.2020 | - | 5000.00 | श्री भूरा खाँ |
| 64 | 04-1.2020 | - | 4000.00 | श्री भूरा खाँ |
| 65 | 15-10-2019 | - | 4550.00 | श्री फहीम |
| 66 | 16-12-2019 | - | 3276.00 | श्री फहीम |
| 67 | 19-12-2019 | - | 1274.00 | श्री फहीम |
| 68 | 21-1.2020 | - | 5000.00 | श्री फहीम |
| 69 | 15-10-2019 | - | 4368.00 | श्री मटरू |
| 70 | 18-12-2019 | - | 1820.00 | श्री मटरू |
| 71 | 21-1.2020 | - | 4000.00 | श्री मटरू |
| 72 | 21-1.2020 | - | 3276.00 | श्री ईश्वरदयाल |
| 73 | 21-1.2020 | - | 1274.00 | श्री ईश्वरदयाल |
| 74 | 21-1.2020 | - | 11600.00 | श्री विजयसिहँ |
| 75 | 21-1.2020 | - | 6000.00 | श्री विजयसिहँ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 21-1.2020 | - | 2800.00 | श्री विजयसिहँ |
| 77 | 21-1.2020 | - | 9600.00 | श्री विजयसिहँ |
| 78 | 21-1.2020 | - | 11600.00 | श्री मुन्ना सिहँ |
| 79 | 21-1.2020 | - | 6000.00 | श्री मुन्ना सिहँ |
| 80 | 21-1.2020 | - | 3200.00 | श्री मुन्ना सिहँ |
| 81 | 21-1.2020 | - | 10000.00 | श्री मुन्ना सिहँ |
| 82 | 21-1.2020 | - | 8000.00 | श्री मुन्ना सिहँ |
| 83 | 21-1.2020 | - | 1820.00 | श्री ईश्वरदयाल |
| 84 | 21-1.2020 | - | 4000.00 | श्री ईश्वरदयाल |
| 85 | 21-1.2020 | - | 4000.00 | श्री ईश्वरदयाल |
| 86 | 21-1.2020 | - | 1820.00 | श्री मेराज |
| 87 | 21-1.2020 | - | 4000.00 | श्री मेराज |
| 88 | 21-1.2020 | - | 1820.00 | श्री साजिद |
| 89 | 21-1.2020 | - | 2000.00 | श्री साजिद |
| 90 | 21-1.2020 | - | 1820.00 | श्री तौफीक |
| | योग- | | **386019.00** | |

**प्रस्तर-13** दिनांक 31-01-2020 को ग्राम पंचायत से रू0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- शाहबाद मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**4- ग्राम पंचायत- पट्टी फजीलाबाद लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

**प्रस्तर-14** ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित (रू0 1056390.00) धनराशि को किया गया है। जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 06-7-2019 | 300 | 36321.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज |
| 02 | 17-7-2019 | 311 | 16017.00 | ए0 आई0 इण्टरप्राईजेज |
| 03 | 15-7-2019 | 302 | 25921.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 04 | 15-7-2019 | 303 | 24907.00 | ख्वाजा ब्रिक बर्क्स |
| 05 | 09-7-2019 | 296 | 8526.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 06 | 09-7-2019 | 306 | 2318.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 07 | 02-7-2019 | 298 | 26500.00 | ट्रान्सफर अज्ञात |
| 08 | 02-7-2019 | 304 | 13148.00 | ट्रान्सफर अज्ञात |
| 09 | 02-7-2019 | 305 | 21000.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| 10 | 06-2-2020 | - | 27605.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| 11 | 08-1-2020 | - | 33773.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 27-2-2020 | - | 26117.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| 13 | 30-12-2019 | - | 13355.00 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| 14 | 29-2-2020 | - | 2753400 | आज़म ब्रिक बर्क्स |
| 15 | 29-2-2020 | - | 133663.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 16 | 30-12-2019 | - | 82985.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 17 | 04-1-2020 | - | 134053.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 18 | 06-2-2020 | - | 91214.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 19 | 14-11-2019 | - | 104900.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 20 | 21-2-2020 | - | 105387.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 21 | 04-1-2020 | - | 5000.00 | कुमार इन्फोटच |
| 22 | 25-2-2020 | - | 3000.00 | कुमार इन्फोटच |
| 23 | 29-3-2020 | - | 5000.00 | कुमार इन्फोटच |
| 24 | 24-12-2019 | - | 5600.00 | भगवती इण्टरप्राईजेज |
| 25 | 09-7-2019 | - | 6720.00 | ग्रामीण प्रथमा बैंक |
| 26 | 05-12-2019 | - | 37582.00 | शहीद अहमद कान्ट्रेक्टर |
| 27 | 05-12-2019 | - | 38244.00 | शहीद अहमद कान्ट्रेक्टर |
| | योग- | | **1056390.00** | |

**प्रस्तर-15** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित ( रू0 296896.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री नेकपाल सिहँ द्वारा स्वयं के नाम व मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से वसूल किया जाना अपेक्षित है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 09-7-2019 | 310 | 5500.00 | श्री नेकपाल सिहँ |
| 02 | 24-7-2019 | 312 | 5000.00 | श्री नेकपाल सिहँ |
| 03 | 29-7-2019 | 315 | 5000.00 | श्री नेकपाल सिहँ |
| 04 | 21-5-2019 | 301 | 1000.00 | श्री जफर हुसैन |
| 05 | 02-7-2019 | 297 | 4550.00 | श्री हरिशंकर |
| 06 | 10-7-2019 | 309 | 1400.00 | श्री जफर हुसैन |
| 07 | 04-1-2020 | - | 2000.00 | श्री नेकपाल सिहँ |
| 08 | 06-2-2020 | - | 36422.00 | श्री नेकपाल सिहँ |
| 09 | 21-1-2020 | - | 21000.00 | श्री नेकपाल सिहँ |
| 10 | 02-2-2020 | - | 39806.00 | श्री नेकपाल सिहँ |
| 11 | 29-2-2020 | - | 52468.00 | श्री नेकपाल सिहँ |
| 12 | 04-1-2020 | - | 5000.00 | श्री वीरपाल |
| 13 | 04-1-2020 | - | 4000.00 | श्री वीरपाल |
| 14 | 04-1-2020 | - | 7700.00 | श्री हरिशंकर |
| 15 | 06-2-2020 | - | 5950.00 | श्री हरिशंकर |
| 16 | 21-2-2020 | - | 5950.00 | श्री हरिशंकर |
| 17 | 04-1-2020 | - | 10000.00 | श्री सत्तु सिहँ |
| 18 | 04-1-2020 | - | 8000.00 | श्री सत्तु सिहँ |
| 19 | 04-1-2020 | - | 5000.00 | श्री बोबी |
| 20 | 04-1-2020 | - | 4000.00 | श्री बोबी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 04-1-2020 | - | 10000.00 | श्री सूबेदार |
| 22 | 04-1-2020 | - | 5200.00 | श्री सूबेदार |
| 23 | 04-1-2020 | - | 2000.00 | श्री अधिकारी |
| 24 | 08-1-2020 | - | 5200.00 | श्री आशाराम |
| 25 | 08-1-2020 | - | 3800.00 | श्री आशाराम |
| 26 | 08-1-2020 | - | 5000.00 | श्री सुनील |
| 27 | 08-1-2020 | - | 5000.00 | श्री अनील |
| 28 | 08-1-2020 | - | 4000.00 | श्री अनील |
| 29 | 08-1-2020 | - | 5000.00 | श्री अनुप |
| 30 | 08-1-2020 | - | 4000.00 | श्री अनूप |
| 31 | 29-2-2020 | - | 7700.00 | श्री हरिशंकर |
| 32 | 25-2-2020 | - | 5000.00 | श्री पत्रकार |
| 33 | 04-1-2020 | - | 5250.00 | श्री हरिशंकर |
| | योग- | | **296896.00** | |

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- शाहबाद मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**5- ग्राम पंचायत- विसौली लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-16 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित (रू0 434864.00) धनराशि को किया गया है। जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03-4-2019 | 224 | 20000.00 | डी0के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 02 | 29-7-2019 | 228 | 12812.00 | सरताज सीमेन्ट स्टोर |
| 03 | 02-8-2019 | 234 | 19800.00 | विनेश पाईप स्टोर |
| 04 | 02-4-2019 | 209 | 1750.00 | औजस्वा |
| 05 | 04-1-2020 | - | 23560.00 | सैफनी ब्रिक बर्क्स |
| 06 | 22-2-2020 | - | 33674.00 | सैफनी ब्रिक बर्क्स |
| 07 | 22-2-2020 | - | 41103.00 | सैफनी ब्रिक बर्क्स |
| 08 | 04-1-2020 | - | 126558.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 09 | 22-2-2020 | - | 143887.00 | स्टोर एजेन्सी |
| 10 | 04-2-2020 | - | 6720.00 | शाह टाईम्स |
| 11 | 29-3-2020 | - | 5000.00 | कुमार इन्फोटेक |
| | योग- | | **434864.00** | |

**प्रस्तर-17** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रू0 296896.00) ग्राम प्रधान श्रीमती राजकली द्वारा स्वयं के नाम व मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है। उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15-7-2019 | 227 | 5000.00 | श्रीमती राजकली |
| 02 | 16-7-2019 | 226 | 21000.00 | श्रीमती राजकली |
| 03 | 26-7-2019 | 233 | 2300.00 | श्रीमती राजकली |
| 04 | 31-7-2019 | 236 | 5000.00 | श्रीमती राजकली |
| 05 | 31-7-2019 | 235 | 5000.00 | श्रीमती राजकली |
| 06 | 04-2-2020 | - | 21000.00 | श्रीमती राजकली |
| 07 | 22-2-2020 | - | 58276.00 | श्रीमती राजकली |
| 08 | 22-2-2020 | - | 62774.00 | श्रीमती राजकली |
| 09 | 29-3-2020 | - | 10500.00 | श्रीमती राजकली |
| 10 | 04-1-2020 | - | 9600.00 | श्री किशनपाल |
| 11 | 04-1-2020 | - | 4800.00 | श्री सतीश |
| 12 | 04-1-2020 | - | 12150.00 | श्री स्वराज सिहँ |
| 13 | 04-1-2020 | - | 4800.00 | श्रीमती मुन्नी |
| 14 | 04-1-2020 | - | 4800.00 | श्री सुनील |
| 15 | 04-1-2020 | - | 9200.00 | श्री रामबाबू |
| 16 | 04-1-2020 | - | 4800.00 | श्री दुर्वेश यादव |
| 17 | 04-1-2020 | - | 4800.00 | श्री पुष्पेन्द्र |
| 18 | 04-1-2020 | - | 2000.00 | श्री जफर हुसैन |
| | योग- | | **247800.00** | |

**प्रस्तर-18** दिनांक 31-01-2020 को ग्राम पंचायत से रू0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- शाहबाद मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**6- ग्राम पंचायत- सैफनी लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-19 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में अलग-अलग क्रम से मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 279960.00) की गयी है। जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जी.एस.टी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विष्य में भी संलिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जी.एस.टी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ जी.एस.टी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाती है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 22-5-2019 | 477 | 20257.00 | शाह टाईम्स इण्टरप्राईजेज |
| 02 | 29-7-2019 | 452 | 15709.00 | शाह टाईम्स इण्टरप्राईजेज |
| 03 | 21-6-2019 | 463 | 18063.00 | सैफनी खाध भण्डार |
| 04 | 26-7-2019 | 413 | 23832.00 | शमशाद इण्टरप्राईजेज |
| 05 | 02-4-2019 | 437 | 23621.00 | औजस्वा |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 06 | 02-4-2019 | - | 24207.00 | औजस्वा |
| 07 | 25-7-2019 | - | 25179.00 | कुमार इन्फोटच |
| 08 | 04-2-2020 | - | 13305.00 | कुमार इन्फोटच |
| 09 | 03-4-2019 | - | 8139.00 | वारसी ट्रेडर्स |
| 10 | 03-4-2019 | - | 118405.00 | वारसी ट्रेडर्स |
| 11 | 19-7-2019 | - | 12051.00 | नेशनल पाईप एम्ड पाईप स्टोर |
| 12 | 26-12-2019 | - | 23058.00 | भगवती इण्टरप्राईजेज |
| 13 | 26-12-2019 | - | 18464.00 | स्टोर एजेन्सी |
| | योग- | | **279960.00** | |

**प्रस्तर-20** ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में एन0 को0 बिल्डिंग मटेरियल खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 9359418.00) की गयी है। जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जी.एस.टी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विष्य में भी संलिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जी.एस.टी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ जी.एस.टी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाती है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-11-2019 | - | 125560.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 02 | 02-2-2020 | - | 61542.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 03 | 02-2-2020 | - | 175003.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 04 | 03-11-2019 | - | 71865.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 05 | 04-1-2020 | - | 79171.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 06 | 04-1-2020 | - | 94681.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल 07 |
| | 04-11-2019 | - | 56445.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 08 | 06-2-2020 | - | 171196.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 09 | 06-2-2020 | - | 235932.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल 10 |
| | 06-3-2020 | - | 250985.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 11 | 06-3-2020 | - | 221801.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 12 | 06-3-2020 | - | 279285.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 13 | 06-3-2020 | - | 152010.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 14 | 06-3-2020 | - | 30004.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 15 | 08-1-2020 | - | 310353.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 16 | 09-12-2019 | - | 497596.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 17 | 09-12-2019 | - | 248078.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल 18 |
| | 12-2-2020 | - | 209118.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 19 | 12-2-2020 | - | 45402.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 20 | 13-1-2020 | - | 141551.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 21 | 13-1-2020 | - | 76907.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 22 | 13-1-2020 | - | 145830.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 23 | 13-1-2020 | - | 66805.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 24 | 13-1-2020 | - | 229851.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 25 | 16-1-2020 | - | 43995.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 26 | 16-1-2020 | - | 139512.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 27 | 16-1-2020 | - | 60306.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 17-12-2019 | - | 56717.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 29 | 18-9-2019 | - | 321603.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 30 | 19-11-2019 | - | 97436.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 31 | 19-11-2019 | - | 132595.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 32 | 19-11-2019 | - | 108578.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 33 | 19-12-2019 | - | 48064.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 34 | 20-1-2020 | - | 57057.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 35 | 20-1-2020 | - | 160034.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 36 | 20-1-2020 | - | 165650.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 37 | 20-1-2020 | - | 164173.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 38 | 20-1-2020 | - | 165832.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 39 | 22-1-2020 | - | 216241.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 40 | 22-1-2020 | - | 323225.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 41 | 22-1-2020 | - | 80963.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 42 | 22-1-2020 | - | 265988.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 43 | 22-10-2019 | - | 133055.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 44 | 25-11-2019 | - | 49682.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 45 | 25-11-2019 | - | 58514.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 46 | 25-11-2019 | - | 32174.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 47 | 26-1-2020 | - | 133050.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 48 | 26-1-2020 | - | 154428.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 49 | 26-1-2020 | - | 111434.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 50 | 26-11-2019 | - | 237370.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 51 | 26-12-2019 | - | 36570.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 52 | 28-1-2020 | - | 241700.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 53 | 28-1-2020 | - | 126615.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 54 | 29-3.2020 | - | 129745.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 55 | 30-1-2020 | - | 294898.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 56 | 30-1-2020 | - | 294718.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 57 | 30-1-2020 | - | 241224.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल 58 |
| | 30-12-2019 | - | 156099.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 59 | 30-12-2019 | - | 152200.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 60 | 30-12-2019 | - | 156073.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| 61 | 30-12-2019 | - | 34929.00 | एन0 के0 बिल्डिंग मटेरियल |
| | योग- | | **9359418.00** | |

<u>प्रस्तर</u>**-21** ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में नेशनल ब्रिक बर्क्स से ईंट खरीद हेतु भुगतानित धनराशि (रू0 2447437.00) की गयी है। जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानित धनराशि जो कि उक्त फर्म को की गयी है, के जी.एस.टी में उक्त कर का आरोपण किया गया है कि नहीं के विष्य में भी संलिग्धता प्रतीत होती है। अतः फर्म की जी.एस.टी विभाग द्वारा भी पुष्टि करायी जानी आवश्यक है। जिस प्रति विभागीय अधिकारियों के साथ-साथ जी.एस.टी विभाग का ध्यान भी विशेष रूप से आकर्षित किया जाती है। अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02-4-2019 | 989 | 15479.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 02-4-2019 | 985 | 16987.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 03 | 02-2-2020 | - | 13498.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 04 | 04-1-2020 | - | 23407.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 05 | 04-1-2020 | - | 15613.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 06 | 06-2-2020 | - | 32126.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 07 | 06-2-2020 | - | 41466.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 08 | 06-3-2020 | - | 48944.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 09 | 06-3-2020 | - | 42710.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 10 | 06-3-2020 | - | 54370.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 11 | 06-3-2020 | - | 13260.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 12 | 06-3-2020 | - | 56420.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 13 | 08-1-2020 | - | 52154.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 14 | 08-11-2019 | - | 39104.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 15 | 09-11-2019 | - | 27794.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 16 | 09-12-2019 | - | 75826.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 17 | 09-12-2019 | - | 96679.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 18 | 10-11-2019 | - | 22324.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 19 | 12-2-2020 | - | 44385.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 20 | 12-2-2020 | - | 40495.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 21 | 13-1-2020 | - | 43032.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 22 | 13-1-2020 | - | 8883.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 23 | 13-1-2020 | - | 35300.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 24 | 13-1-2020 | - | 16564.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 25 | 13-3-2020 | - | 42091.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 26 | 16-01-2020 | - | 7184.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 27 | 16-01-2020 | - | 47650.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 28 | 16-01-2020 | - | 17813.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 29 | 16-3-2020 | - | 72702.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 30 | 17-12-2019 | - | 26696.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 31 | 18-9--2019 | - | 43685.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 32 | 19-11-2019 | - | 20061.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 33 | 19-11-2019 | - | 40817.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 34 | 19-11-2019 | - | 27568.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 35 | 20-1-2020 | - | 12499.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 36 | 20-1-2020 | - | 23389.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 37 | 20-1-2020 | - | 19913.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 38 | 20-1-2020 | - | 22231.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 39 | 20-1-2020 | - | 23867.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 40 | 20-1-2020 | - | 25351.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 41 | 20-1-2020 | - | 23556.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 42 | 20-1-2020 | - | 288972.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 43 | 20-1-2020 | - | 77628.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 44 | 24-3-2020 | - | 90765.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 45 | 25-11-2019 | - | 11360.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 46 | 25-11-2019 | - | 15406.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 47 | 25-11-2019 | - | 9769.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 26-1-2020 | - | 18578.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 49 | 26-1-2020 | - | 30832.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 50 | 26-1-2020 | - | 21107.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 51 | 26-11-2019 | - | 72845.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 52 | 28-1-2020 | - | 35595.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 53 | 28-1-2020 | - | 70520.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 54 | 29-3-2020 | - | 18249.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 55 | 30-1-2020 | - | 76808.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 56 | 30-1-2020 | - | 81963.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 57 | 30-1-2020 | - | 61169.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 58 | 30-12-2019 | - | 27055.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 59 | 30-12-2019 | - | 29786.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 60 | 30-12-2019 | - | 26346.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 61 | 30-12-2019 | - | 8791.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| | योग- | | **2447437.00** | |

**प्रस्तर- 22** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानग्राम प्रधान श्रीमती फरीन खानम द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधनामंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03-4-2019 | 990 | 32725.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 02 | 03-4-2019 | 987 | 19575.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 03 | 15-4-2019 | 992 | 42000.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 04 | 21-6-2019 | 998 | 42075.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 05 | 20-7-2019 | 1012 | 34944.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 06 | 02-2-2020 | - | 24706.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 07 | 02-2-2020 | - | 93620.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 08 | 02-2-2020 | - | 115342.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 09 | 04-1-2020 | - | 31692.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 10 | 04-1-2020 | - | 35840.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 11 | 04-2-2020 | - | 114978.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 12 | 08-1-2020 | - | 122000.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 13 | 09-12-2019 | - | 96858.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 14 | 09-12-2019 | - | 197282.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 15 | 12-2-2020 | - | 116870.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 16 | 12-2-2020 | - | 90600.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 17 | 12-12-2019 | - | 23214.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 18 | 12-12-2019 | - | 93438.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 19 | 13-1-2020 | - | 57198.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 20 | 13-1-2020 | - | 29072.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 21 | 13-1-2020 | - | 57562.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 22 | 13-1-2020 | - | 28854.00 | श्रीमती फरीन खानम |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 13-3-2020 | - | 96458.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 24 | 16-1-2020 | - | 17538.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 25 | 16-1-2020 | - | 58690.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 26 | 16-1-2020 | - | 25106.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 27 | 16-03-2020 | - | 84196.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 28 | 16-03-2020 | - | 42644.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 29 | 16-03-2020 | - | 110248.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 30 | 16-03-2020 | - | 27036.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 31 | 17-12--2019 | - | 34166.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 32 | 17-12--2019 | - | 22082.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 33 | 17-12--2019 | - | 21904.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 34 | 20-1-2020 | - | 22814.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 35 | 20-1-2020 | - | 61164.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 36 | 24-3-2020 | - | 34712.00 | श्रीमती फरीन खानम |
| 37 | 24-3-2020 | - | 19913.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 38 | 24-3-2020 | - | 22231.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 39 | 24-3-2020 | - | 23867.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 40 | 25-2-2020 | - | 25351.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 41 | 25-2-2020 | - | 23556.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 42 | 26-1-2020 | - | 288972.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 43 | 26-1-2020 | - | 77628.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 44 | 26-1-2020 | - | 90765.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 45 | 26-12-2019 | - | 11360.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 46 | 28-1-2020 | - | 15406.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 47 | 28-1-2020 | - | 9769.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 48 | 28-1-2020 | - | 18578.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 49 | 28-3-2020 | - | 30832.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 50 | 29-3-2020 | - | 21107.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 51 | 30-12-2019 | - | 72845.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| | योग- | | **3108187.00** | |

**प्रस्तर-23** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित धनराशि (रू0 1178001.00) ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं के नाम व मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में एक ही व्यक्ति को कई बार-बार भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 11-4-2019 | 982 | 3605.00 | रईस |
| 02 | 11-4-2019 | 978 | 4513.00 | रईस |
| 03 | 11-4-2019 | 9974 | 4811.00 | रईस |
| 04 | 11-4-2019 | 970 | 3978.00 | रईस |
| 05 | 11-4-2019 | 962 | 1879.00 | रईस |
| 06 | 11-4-2019 | 966 | 4048.00 | रईस |
| 07 | 11-4-2019 | 991 | 2039.00 | रईस |
| 08 | 11-4-2019 | 986 | 1326.00 | रईस |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 09 | 02-2-2020 | - | 1282.00 | श्री हनीफ |
| 10 | 02-2-2020 | - | 4909.00 | श्री हनीफ |
| 11 | 02-2-2020 | - | 7839.00 | श्री हनीफ |
| 12 | 04-1-2020 | - | 2016.00 | श्री हनीफ |
| 13 | 04-1-2020 | - | 2435.00 | श्री हनीफ |
| 14 | 04-2-2020 | - | 7110.00 | श्री हनीफ |
| 15 | 02-2-2020 | - | 80000.00 | श्री रिजवान |
| 16 | 08-1-2020 | - | 7552.00 | श्री हनीफ |
| 17 | 09-12-2019 | - | 4792.00 | श्री हनीफ |
| 18 | 09-12-2019 | - | 18173.00 | श्री हनीफ |
| 19 | 12-2-2020 | - | 6207.00 | श्री हनीफ |
| 20 | 12-2-2020 | - | 5615.00 | श्री हनीफ |
| 21 | 12-11-2019 | - | 2002.00 | श्री मुनेश कुमार शर्मा |
| 22 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री मोहन लाल |
| 23 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री मोमीन शाह |
| 24 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री चन्द्रकेश |
| 25 | 12-11-2019 | - | 42091.00 | श्री बन्ने |
| 26 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री अतर सिहँ |
| 27 | 12-11-2019 | - | 12000.00 | श्री अफसर अली |
| 28 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री अंकित सैनी |
| 29 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री महबूब |
| 30 | 12-11-2019 | - | 800.00 | श्री सुन्दरलाल |
| 31 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री मेघसिहँ |
| 32 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री बाबू |
| 33 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री जयपाल सिहँ |
| 34 | 12-11-2019 | - | 12000.00 | श्री जाने आलम |
| 35 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री भानू केश |
| 36 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री महबूब आलम |
| 37 | 12-11-2019 | - | 12000.00 | श्री बादाम सिहँ |
| 38 | 12-11-2019 | - | 12000.00 | श्री सव्दर खाँ |
| 39 | 12-11-2019 | - | 5460.00 | श्री मौ0 सरीफ |
| 40 | 12-12-2019 | - | 3822.00 | श्री बादाम सिहँ |
| 41 | 12-12-2019 | - | 3822.00 | श्री अंकित सैनी |
| 42 | 12-12-2019 | - | 8400.00 | श्री अफसर अली |
| 43 | 12-12-2019 | - | 3822.00 | श्री बाबू |
| 44 | 24-3-2020 | - | 910.00 | श्री बन्ने |
| 45 | 12-12-2019 | - | 3276.00 | श्री महबूब आलम |
| 46 | 12-12-2019 | - | 3276.00 | श्री जयपाल सिहँ |
| 47 | 12-12-2019 | - | 3276.00 | श्री जाने आलम |
| 48 | 12-12-2019 | - | 2548.00 | श्री मोमीन शाह |
| 49 | 12-12-2019 | - | 3276.00 | श्री महबूब |
| 50 | 12-12-2019 | - | 3276.00 | श्री मोहनलाल |
| 51 | 12-12-2019 | - | 7200.00 | श्री चन्द्रकेश |
| 52 | 12-12-2019 | - | 7200.00 | श्री भानू केश |
| 53 | 12-12-2019 | - | 3276.00 | श्री मेघसिहं |
| 54 | 12-12-2019 | - | 4732.00 | श्री सुन्दरलाल |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 12-12-2019 | - | 4732.00 | श्री  सहजाद अली |
| 56 | 12-12-2019 | - | 4732.00 | श्री उमेश कुमार |
| 57 | 12-12-2019 | - | 4732.00 | श्री सज्जन |
| 58 | 12-12-2019 | - | 10000.00 | श्री नाजिम अली |
| 59 | 12-12-2019 | - | 4732.00 | श्री वासिम |
| 60 | 12-12-2019 | - | 4732.00 | श्री सबदर खां |
| 61 | 12-12-2019 | - | 2548.00 | श्री मो0  सरीफ |
| 62 | 12-12-2019 | - | 10400.00 | श्री मुनीस कुमार शर्मा |
| 63 | 12-12-2019 | - | 3822.00 | श्री भानू केश |
| 64 | 12-12-2019 | - | 8400.00 | श्री अफसर अली |
| 65 | 12-12-2019 | - | 3822.00 | श्री बन्ने |
| 66 | 12-12-2019 | - | 3822.00 | श्री बाबू |
| 67 | 12-12-2019 | - | 3094.00 | श्री जाने आलम |
| 68 | 12-12-2019 | - | 3822.00 | श्री अंकित सैनी |
| 69 | 12-12-2019 | - | 3822.00 | श्री चन्द्रकेश |
| 70 | 12-12-2019 | - | 3822.00 | श्री बादाम सिहँ |
| 71 | 12-12-2019 | - | 8400.00 | श्री उमेश कुमार |
| 72 | 13-1-2020 | - | 3002.00 | श्री मो0  हनीफ |
| 73 | 13-1-2020 | - | 1999.00 | श्री मो0  हनीफ |
| 74 | 13-1-2020 | - | 2494.00 | श्री मो0  हनीफ |
| 75 | 13-1-2020 | - | 1890.00 | श्री मो0  हनीफ |
| 76 | 13-3-2020 | - | 6538.00 | श्री मो0  हनीफ |
| 77 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री बाबू |
| 78 | 15-11-2019 | - | 11274.00 | श्री मुनीश कुमार शर्मा |
| 79 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री भानू केश |
| 80 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री अंकित सैनी |
| 81 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री महबूब आलम |
| 82 | 15-11-2019 | - | 2002.00 | श्री बादाम सिहं |
| 83 | 15-11-2019 | - | 6000.00 | श्री मोहन लाल |
| 84 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री बन्ने |
| 85 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री जाने आलम |
| 86 | 15-11-2019 | - | 6000.00 | श्री मोमीन शाह |
| 87 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री सुन्दरलाल |
| 88 | 15-11-2019 | - | 2000.00 | श्री मेघ सिहं |
| 89 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री महबूब |
| 90 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री अफसर अली |
| 91 | 15-11-2019 | - | 6000.00 | श्री अतर सिहँ |
| 92 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री जयपाल सिहँ |
| 93 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री जयपाल सिहँ |
| 94 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री अंकित सैनी |
| 95 | 15-11-2019 | - | 6000.00 | श्री अफसर अली |
| 96 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री महबूब आलम |
| 97 | 15-11-2019 | - | 6000.00 | श्री सुन्दरलाल |
| 98 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री अतर सिहँ |
| 99 | 15-11-2019 | - | 2548.00 | श्री मेघ सिहँ |
| 100 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री बाबू |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री महबूब |
| 102 | 15-11-2019 | - | 6000.00 | श्री बादाम सिहँ |
| 103 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री चन्द्रकेश |
| 104 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री मुनेश कुमार शर्मा |
| 105 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री बन्ने |
| 106 | 15-11-2019 | - | 2730.00 | श्री भानू केश |
| 107 | 15-11-2019 | - | 1500.00 | श्री जाने आलम |
| 108 | 16-1-2020 | - | 1381.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 109 | 16-1-2020 | - | 3134.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 110 | 16-1-2020 | - | 1615.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 111 | 16-3-2020 | - | 4424.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 112 | 16-3-2020 | - | 6891.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 113 | 16-3-2020 | - | 4299.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 114 | 16-11-2019 | - | 1619.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 115 | 16-11-2019 | - | 1777.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 116 | 16-11-2019 | - | 3397.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 117 | 17-12-2019 | - | 3397.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 118 | 18-9-2019 | - | 8750.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 119 | 19-11-2019 | - | 2231.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 120 | 19-11-2019 | - | 2857.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 121 | 19-11-2019 | - | 2779.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 122 | 20-1-2020 | - | 1600.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 123 | 20-1-2020 | - | 4797.00 | मौ0 हनीफ |
| 124 | 20-1-2020 | - | 2478.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 125 | 20-1-2020 | - | 10400.00 | श्री अफसर अली |
| 126 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री भानुकेश |
| 127 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री जाने आलम |
| 128 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री बादाम सिहं |
| 129 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री बाबू |
| 130 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री जयपाल सिहं |
| 131 | 20-1-2020 | - | 3458.00 | श्री महबूब |
| 132 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री चन्द्रकेश |
| 133 | 20-1-2020 | - | 10400.00 | श्री अंकित सैनी |
| 134 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री सज्जन |
| 135 | 20-1-2020 | - | 10400.00 | श्री महबूब आलम |
| 136 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री मुनीश कुमार शर्मा |
| 137 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री मौ0 सारीफ |
| 138 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री मोहन लाल |
| 139 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री नाजिम अली |
| 140 | 20-1-2020 | - | 2287.00 | श्री मौ0 हनीफ |
| 141 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री मोमीन शाह |
| 142 | 20-1-2020 | - | 10400.00 | श्री मेघसिहं |
| 143 | 20-1-2020 | - | 3640.00 | श्री सबदर खां |
| 144 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री बादाम सिहं |
| 145 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री जाने आलम |
| 146 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री जैपाल सिहं |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 20-1-2020 | - | 2184.00 | श्री महबूब |
| 148 | 20-1-2020 | - | 10400.00 | श्री अंकित सैनी |
| 149 | 20-1-2020 | - | 10000.00 | श्री अफसर अली |
| 150 | 20-1-2020 | - | 2223.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 151 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री भानू केश |
| 152 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री बाबू |
| 153 | 20-1-2020 | - | 4732.00 | श्री चन्द्रकेश |
| 154 | 22-10-2019 | - | 2104.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 155 | 24-3-2020 | - | 4022.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 156 | 24-3-2020 | - | 8152.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 157 | 24-3-2020 | - | 5860.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 158 | 24-3-2020 | - | 6059.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 159 | 25-2-2020 | - | 4225.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 160 | 25-11-2020 | - | 1489.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 161 | 25-11-2020 | - | 1526.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 162 | 25-11-2020 | - | 951.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 163 | 26-1-2020 | - | 3310.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 164 | 26-1-2020 | - | 3713.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 165 | 26-1-2020 | - | 2607.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 166 | 26-1-2020 | - | 14518.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 167 | 26-11-2019 | - | 5135.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 168 | 28-1-2020 | - | 5751.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 169 | 28-1-2020 | - | 6288.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 170 | 28-1-2020 | - | 4837.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 171 | 28-1-2020 | - | 2418.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 172 | 29-1-2020 | - | 8514.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 173 | 29-3-2020 | - | 4899.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 174 | 28-1-2020 | - | 14000.00 | श्री विजयकुमार |
| 175 | 28-1-2020 | - | 6370.00 | श्री शहजाद अली |
| 176 | 28-1-2020 | - | 2730.00 | श्री सज्जन |
| 177 | 28-1-2020 | - | 6370.00 | श्री सब्दर खां |
| 178 | 28-1-2020 | - | 6370.00 | श्री सहीद हुसैन |
| 179 | 28-1-2020 | - | 6370.00 | श्री उमेश कुमार |
| 180 | 28-1-2020 | - | 13200.00 | श्री वाशिम |
| 181 | 28-1-2020 | - | 6370.00 | श्री साहिद हुसैन |
| 182 | 28-1-2020 | - | 6370.00 | श्री सुंदरलाल |
| 183 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री मुनेश कुमार शर्मा |
| 184 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री रईस |
| 185 | 29-1-2020 | - | 12000.00 | श्री मोमिन शाह |
| 186 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री जाने आलम |
| 187 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री वासिम |
| 188 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री सहजाद अली |
| 189 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री नाजिम अली |
| 190 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री मेघ सिहं |
| 191 | 29-1-2020 | - | 3640.00 | श्री चन्द्रकेश |
| 192 | 29-1-2020 | - | 14400.00 | श्री सबदर खां |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 193 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री महबूब आलम |
| 194 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री महबूब |
| 195 | 29-1-2020 | - | 12000.00 | श्री सज्जन |
| 196 | 29-1-2020 | - | 5460.00 | श्री सुन्दरलाल |
| 197 | 30-12-2019 | - | 81963.00 | श्री जयपाल सिहं |
| 198 | 30-12-2019 | - | 61169.00 | श्री अफसर अली |
| 199 | 30-12-2019 | - | 27055.00 | श्री जाने आलम |
| 200 | 30-12-2019 | - | 29786.00 | श्री भानू केश |
| 201 | 30-12-2019 | - | 26346.00 | श्री अंकित सैनी |
| 202 | 30-12-2019 | - | 8791.00 | श्री बाबू |
| 203 | 30-12-2019 | - | 29786.00 | श्री चन्द्रकेश |
| 204 | 30-12-2019 | - | 26346.00 | श्री बन्ने |
| 205 | 30-12-2019 | - | 8791.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 206 | 30-12-2019 | - | 29786.00 | श्री बादाम सिहं |
| 207 | 30-12-2019 | - | 26346.00 | श्री मोहनलाल |
| 208 | 30-12-2019 | - | 8791.00 | श्री मोमिन शाह |
| 209 | 30-12-2019 | - | 29786.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 210 | 30-12-2019 | - | 26346.00 | श्री मुनेश कुमार शर्मा |
| 211 | 30-12-2019 | - | 8791.00 | श्री मो0 सरीफ |
| 212 | 30-12-2019 | - | 29786.00 | श्री महबूब आलम |
| 213 | 30-12-2019 | - | 26346.00 | श्री मेघ सिंह |
| 214 | 30-12-2019 | - | 8791.00 | श्री नाजिम अली |
| 215 | 30-12-2019 | - | 29786.00 | श्री महबूब |
| 216 | 30-12-2019 | - | 26346.00 | श्री सबदर अली |
| 217 | 30-12-2019 | - | 8791.00 | श्री मो0 हनीफ |
| 218 | 30-12-2019 | - | 29786.00 | श्री मो0 हनीफ |
| | योग- | | **1178001.00** | |

**प्रस्तर- 24** दिनांक 29-01-2020 को ग्राम पंचायत से रू0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- शाहबाद** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**7- ग्राम पंचायत- मधुपुरी** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-25 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतानित (रू0 1923202.00) धनराशि को किया गया है। जो व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03-04-2019 | 663 | 3000.00 | कुमार इन्फोटेक |
| 02 | 23-7-2019 | 674 | 6720.00 | शाह टाईम्स |
| 03 | 02-04-2019 | 627 | 1750.00 | ओजस्वा |
| 04 | 26-7-2019 | 675 | 19965.00 | शमशाद इम्टरप्राईजेज |
| 05 | 07-3-2020 | - | 153110.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 06 | 07-3-2020 | - | 149167.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 07 | 07-3-2020 | - | 143900.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 08 | 07-3-2020 | - | 153431.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 09 | 09-11-2019 | - | 6922.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 10 | 10-11-2019 | - | 38867.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 11 | 13-1-2020 | - | 143538.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 12 | 13-1-2020 | - | 155395.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 13 | 13-1-2020 | - | 129119.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 14 | 15-11-2019 | - | 18572.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 15 | 17-12-2019 | - | 12708.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 16 | 27-11-2019 | - | 25829.00 | भगवानदास सीमेन्ट स्टोर |
| 17 | 07-3-2020 | - | 36647.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 18 | 07-3-2020 | - | 29540.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 19 | 07-3-2020 | - | 29289.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 20 | 09-11-2019 | - | 33986.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 21 | 10-11-2019 | - | 94948.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 22 | 07-3-2020 | - | 30051.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 23 | 13-1-2020 | - | 25697.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 24 | 13-1-2020 | - | 32413.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 25 | 13-1-2020 | - | 24244.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 26 | 15-11-2019 | - | 74369.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 27 | 26-11-2019 | - | 195186.00 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 28 | 27-11-2019 | - | 149239 | नेशनल ब्रिक बर्क्स |
| 29 | 13-1-2020 | - | 5600.00 | भगवति इण्टरप्राईजेज |
| | योग- | | **1923202.00** | |

**प्रस्तर-26** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रकली द्वारा स्वयं के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक से आहरित किया गया है। निम्नांकित आहरण किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि ग्राम में मजदूरी करने वाले लगभग सभी मजदूरों के खाते मनरेगा योजना में अथवा जनधन योजना अथवा प्रधनामंत्री योजना में खोले जा चुके हैं फिर मजदूरों का भुगतान सीधे खातों में न करके स्वयं के नाम से आहरण किया गया है। जो कि लेखा नियमों के व पंचायत राज एक्ट के प्रतिकूल है। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03-04-2019 | 673 | 42050.00 | श्रीमती चन्द्रकली |
| 02 | 03-04-2019 | 669 | 48475.00 | श्रीमती चन्द्रकली |
| 03 | 06-12-2019 | - | 88526.00 | श्रीमती चन्द्रकली |
| 04 | 07-3-2020 | - | 62110.00 | श्रीमती चन्द्रकली |
| 05 | 07-3-2020 | - | 59272.00 | श्रीमती चन्द्रकली |
| 06 | 07-3-2020 | - | 59636.00 | श्रीमती चन्द्रकली |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 07 | 07-3-2020 | - | 56616.00 | श्रीमती चन्द्रकली |
| 08 | 13-1-2020 | - | 54360.00 | श्रीमती चन्द्रकली |
| 09 | 13-1-2020 | - | 58508.00 | श्रीमती चन्द्रकली |
| 10 | 29-1-2020 | - | 49084.00 | श्रीमती चन्द्रकली |
| | योग- | | **578637.00** | |

**प्रस्तर-27** ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतानित ( रू0 228874.00) धनराशि को ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान द्वारा मजदूरों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बनधी प्रमाणक मस्टररोल को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

| क्रम सं0 | दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10-04-2019 | 668 | 2496.00 | श्री फिरासत |
| 02 | 06-12-2019 | - | 3276.00 | श्री कोमिल |
| 03 | 06-12-2019 | - | 2912.00 | श्री कोमिल |
| 04 | 26-11-2019 | - | 1274.00 | श्री कोमिल |
| 05 | 27-11-2019 | - | 6800.00 | श्री कोमिल |
| 06 | 06-12-2019 | - | 7200.00 | श्री अंकुश |
| 07 | 06-12-2019 | - | 6400.00 | श्री अंकुश |
| 08 | 26-11-2019 | - | 2800.00 | श्री अंकुश |
| 09 | 27-11-2019 | - | 6800.00 | श्री अंकुश |
| 10 | 06-12-2019 | - | 3276.00 | श्री प्रेमसिहं |
| 11 | 06-12-2019 | - | 2912.00 | श्री प्रेमसिहं |
| 12 | 26-11-2019 | - | 1274.00 | श्री प्रेमसिहं |
| 13 | 27-11-2019 | - | 3458.00 | श्री प्रेमसिहं |
| 14 | 06-12-2019 | - | 3276.00 | श्री सरजीत |
| 15 | 06-12-2019 | - | 2912.00 | श्री सरजीत |
| 16 | 26-11-2019 | - | 1274.00 | श्री सरजीत |
| 17 | 27-11-2019 | - | 3458.00 | श्री सरजीत |
| 18 | 06-12-2019 | - | 3276.00 | श्री सुल्तान खान |
| 19 | 20-11-2019 | - | 7900.00 | श्री सुल्तान खान |
| 20 | 20-11-2019 | - | 4548.00 | श्री सुल्तान खान |
| 21 | 20-11-2019 | - | 10409.00 | श्री सुल्तान खान |
| 22 | 26-11-2019 | - | 28440.00 | श्री सुल्तान खान |
| 23 | 26-11-2019 | - | 182.00 | श्री सुल्तान खान |
| 24 | 27-11-2019 | - | 16928.00 | श्री सुल्तान खान |
| 25 | 06-12-2019 | - | 3276.00 | श्री रियासत |
| 26 | 07-3-2020 | - | 3269.00 | श्री रियासत |
| 27 | 07-3-2020 | - | 2789.00 | श्री रियासत |
| 28 | 07-3-2020 | - | 2960.00 | श्री रियासत |
| 29 | 06-12-2019 | - | 1456.00 | श्री रियासत |
| 30 | 07-3-2020 | - | 4033.00 | श्री रियासत |
| 31 | 13-1-2020 | - | 1722.00 | श्री रियासत |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 13-1-2020 | - | 2370.00 | श्री रियासत |
| 33 | 26-11-2019 | - | 1274.00 | श्री रियासत |
| 34 | 27-11-2019 | - | 3094.00 | श्री रियासत |
| 35 | 27-11-2019 | - | 3458.00 | श्री रियासत |
| 36 | 29-1-2020 | - | 2670.00 | श्री रियासत |
| 37 | 06-12-2019 | - | 3276.00 | श्री किशनपाल |
| 38 | 06-12-2019 | - | 2912.00 | श्री किशनपाल |
| 39 | 2611-2019 | - | 1274.00 | श्री किशनपाल |
| 40 | 27-11-2019 | - | 6800.00 | श्री किशनपाल |
| 41 | 06-12-2019 | - | 7200.00 | श्री सुखवीर |
| 42 | 06-12-2019 | - | 6000.00 | श्री सुखवीर |
| 43 | 26-11-2019 | - | 2800.00 | श्री सुखवीर |
| 44 | 27-11-2019 | - | 3458.00 | श्री सुखवीर |
| 45 | 06-12-2019 | - | 3276.00 | श्री सत्यपाल |
| 46 | 22-11-2019 | - | 3276.00 | श्री सत्यपाल |
| 47 | 26-11-2019 | - | 1274.00 | श्री सत्यपाल |
| 48 | 27-11-2019 | - | 3458.00 | श्री सत्यपाल |
| 49 | 06-12-2019 | - | 3276.00 | श्री मुनेश |
| 50 | 06-12-2019 | - | 2912.00 | श्री मुनेश |
| 51 | 26-11-2019 | - | 1274.00 | श्री मुनेश |
| 52 | 27-11-2019 | - | 3458.00 | श्री मुनेश |
| 53 | 27-11-2019 | - | 3640.00 | श्री मानवीर |
| 54 | 27-11-2019 | - | 3458.00 | श्री संजीव कुमार |
| | योग- | | **228874.00** | |

<u>प्रस्तर-28</u> दिनांक 31-01-2020 को ग्राम पंचायत से रू0 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरान्त भी प्रस्तुत नहीं किये गये व्यय प्रमाणक का न होना उपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया आहरण ग्राम प्रधान व सचिव से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**8- ग्राम पंचायत- बहादुरगंज लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

**प्रस्तर-29** ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार रू0 1686577.00 का भुगतान किया या है। जो निम्न प्रकार है।

| क्रम सं0 | ऑनलाईन फीडिंग विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | विकास एवं मरम्मत कार्य | 9000.00 |
| 02 | प्रशासनिक व्यय | 199060.00 |
| 03 | मजदूरी | 228070.00 |
| 04 | अन्य व्यय | 1250447.00 |
| | **योग-** | **1686577.00** |

उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 16-01-2021 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1686577.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**9- ग्राम पंचायत- भैंसियाज्वालापुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

**प्रस्तर-30** ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100000352 के अनुसार रू0 2630822.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 17-10-2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 2630822.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**10- ग्राम पंचायत- चकोनी लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

**प्रस्तर-31** ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100000351 के अनुसार रू0 1110307.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 16-10-2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1110307.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**11- ग्राम पंचायत- चन्देला लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-32 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100000396 के अनुसार रू0 1208538.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 23-02-2021 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1208538.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**12- ग्राम पंचायत- बिढऊ लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-33 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार रू0 2125858.00 का भुगतान किया या है। जो निम्न प्रकार है।

| क्रम सं0 | ऑनलाईन फीडिंग विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | मानदेय | 42000.00 |
| 02 | प्रशासनिक व्यय | 143064.00 |
| 03 | विकास एवं मरम्मत कार्य | 246457.00 |
| 04 | मजदूरी | 195672.00 |
| 05 | लेबर सेस | 16332.00 |
| 06 | अन्य व्यय | 1482333.00 |
| | **योग-** | **2125858.00** |

उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 29-10-2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 2125858.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 13)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**13- ग्राम पंचायत- देवीपुरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

**प्रस्तर-34** ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100000348 के अनुसार रू0 1667544.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 17-10-2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 11667544.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**14- ग्राम पंचायत- कुआँखेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-35 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100005433 के अनुसार रू0 1100980.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 23-02-2021 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1100980.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**15- ग्राम पंचायत- मुबारकपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-36 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100000345 के अनुसार रू0 1036997.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत

अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 31-10-2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1036997.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**16- ग्राम पंचायत- मनुनगर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-37 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100000393 के अनुसार रू0 2086466.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 30-01-2021 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 2086466.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**17- ग्राम पंचायत- मालनखेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-38 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100005422 के अनुसार रू0 835181.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 15-12-2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 835181.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**18- ग्राम पंचायत- नूरपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-39 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100000367 के अनुसार रू0 1211583.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 23-10-2020 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 1211583.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- बिलासपुर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**19- ग्राम पंचायत- पहाड़पुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-40 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट के खाता संख्या 336330100000366 के अनुसार रू0 915812.00 का भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान किस बाबत व किसे-किसे एवं किस कार्य के लिए किये गये से सम्बन्धित वाउचर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, वर्क फाइल, एम0बी0बुक, कैश बुक, तकनीकी स्वीकृति , प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेखों को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी दिनांक 24-02-2021 तक प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः समस्त व्यय वाउचर का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है। इस प्रकार समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है रहा। अतः उक्त धनराशि (रू0 915812.00) को ब्याज के साथ सम्बन्धित तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 19)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**20- ग्राम पंचायत- वाजिदपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-41 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100015152 से ग्राम प्रधान स्वयं को एवं अन्य व्यक्तियों को हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 58328) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 04)

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 04-5-2019 | 258 | 19848.00 | फैसल ब्रिक |
| 13-6-2019 | 261 | 5000.00 | नदीम |
| 29-7-2019 | 270 | 2500.00 | अजाहान अली |
| 21-6-2019 | 262 | 5000.00 | प्रेमशंकर |
| 06-7-2019 | 265 | 15000.00 | फरीद |
| 06-7-2019 | 263 | 10980.00 | फरीद |
| | **योग-** | **58328.00** | |

प्रस्तर-42 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 05850100015152 से रूपये 6720.00 शाह को भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 6720.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने अपेक्षित है।(आपत्ति संख्या 05)

प्रस्तर-43 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान पी एफ एम एस द्वारा कराये गये निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016216 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान के सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 980511.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 06)

प्रस्तर-44 ग्राम पंचायत में बैंक खाता सं0 05850100015152 से रू0 18200.00 एल0एम0ओ0 को भुगतान किया गया है। सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 18200.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं

ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 07)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**
**21- ग्राम पंचायत- सनैया सुख लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**
**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-45 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016218 से सीमेन्ट खरीद हेतु भग्राम भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 33900.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 04)

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 25-04-2019 | 411 | 33900.00 | लक्की सीमेन्ट |
| | **योग-** | **33900.00** | |

प्रस्तर-46 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016218 से ग्राम प्रधान स्वयं को एवं अन्य व्यक्तियों को हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 215638.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 05)

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-04-2019 | 414 | 11000.00 | नरेन्द्र | | |
| 05-7-2019 | 417 | 10000.00 | नरेन्द्र | | |
| 25-4-2019 | 412 | 500000.00 | हीना | | |
| 06-7-2019 | 416 | 40000.00 | अफरोज | | |
| 26-4-2019 | 410 | 19715.00 | नजीर | | |
| 10-5-2019 | 413 | 15523.00 | गगन जाट | | |
| 20-7-2019 | 419 | 7400.00 | फरीद | | |
| 01-8-2019 | 420 | 2000.00 | राजीव कुमार | | |
| 05-8-2019 | 421 | 50000.00 | विकास | | |
| 06-8-2019 | 425 | 5000.00 कुछ नही | | | |
| 06-8-2019 | 424 | 5000.00 | कुछ नही | **योग-** | **215638.00** |

प्रस्तर-47 ग्राम पंचायत द्वारा 01-08-2019 बैंक खाता सं0 05850100016218 से चैक सं0 422 के द्वारा रूपये 40000.00 रहमान ब्रिक को भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 40000.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 06)

प्रस्तर-48 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो का अधिकांशत भुगतान पी एफ एम एस द्वारा कराये गये निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016218 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान के सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम

पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है

अतः (रू0 2064977.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 07)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**22- ग्राम पंचायत- नवादा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-49 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016220 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 154116.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 04)

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 01-7-2019 | 229 | 27600.00 | ठाकुर दास सीमेन्ट स्टोर |
| 26-7-2019 | 235 | 122750.00 | ठाकुर दास सीमेन्ट स्टोर |
| | **योग-** | **150350.00** | |

प्रस्तर-50 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016220 से ग्राम प्रधान स्वयं को एवं अन्य व्यक्तियों को हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 126859.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 05)

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 16-07-2019 | 233 | 21000.00 | प्रधान |
| 03-8-2019 | 237 | 18189.00 | प्रधान |
| 04-4-2019 | 210 | 5000.00 | विमलेश सिंह |
| 10-5-2019 | 227 | 5000.00 | सुनील |
| 15-5-2019 | 226 | 5000.00 | सुनील |
| 30-7-2019 | 239 | 5670.00 | सुनील |
| 29-7-2019 | 238 | 15000.00 | अली अहमद |
| 13-5-2019 | 228 | 5000.00 | तौफीक |
| 29-7-2019 | 135 | 8000.00 | तौफीक |
| 27-6-2019 | 230 | 25000.00 | रामकमार |
| 03-7-2019 | 232 | 14000.00 | यासीन |
| | **योग-** | **126856.00** | |

प्रस्तर-51 ग्राम पंचायत द्वारा 05-08-2019 बैंक खाता सं0 05850100016220 से चैक सं0 236 के द्वारा रूपये 13490.00 न्यू भारत प्रा0 लि0 के द्वारा खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा

के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 13490.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 06)

प्रस्तर-52 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशत भुगतान पी एफ एम एस द्वारा कराये गये निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016220 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान के सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 1037471.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर-53 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का बैंक खाता सं0 05850100016220 से शाह को 6820.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 6720.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 08)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**23- ग्राम पंचायत- सनैया जट लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-54 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016219 से ईंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 58353.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 04)

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 08-7-2019 | 229 | 15421.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 26-7-2019 | 239 | 20000.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 26-7-2019 | 198 | 17869.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 26-7-2019 | 240 | 3460.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 01-8-2019 | 203 | 1603.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| | **योग-** | **58353.00** | |

प्रस्तर-55 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016219 से ग्राम प्रधान स्वयं को एवं अन्य व्यक्तियों को हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 383075.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 05)

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01-8-2019 | 204 | 4200.00 | प्रधान |
| 03-7-2019 | 227 | 5000.00 | चन्द्रपाल |
| 10-7-2019 | 228 | 45492.00 | सिद्दीकी |
| 29-7-2019 | 196 | 54087.00 | सिद्दीकी |
| 29-7-2019 | 197 | 20537.00 | सिद्दीकी |
| 02-8-2019 | 202 | 24323.00 | सिद्दीकी |
| 23-7-2019 | 232 | 5000.00 | रामकुमार |
| 06-7-2019 | 237 | 7400.00 | रामकुमार |
| 06-7-2019 | 233 | 10500.00 | रामकुमार |
| 25-7-2019 | 201 | 4000.00 | मौ0 अशरफ |
| 25-7-2019 | 200 | 4000.00 | मौ0 अशरफ |
| 30-7-2019 | 235 | 5670.00 | सुनील |
| 31-7-2019 | 236 | 2500.00 | अज़हर अली |
| | **योग-** | **192709.00** | |

प्रस्तर-56 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 05850100016219 से रूपये 25500.00 एल0अम0ओ0 को भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 25500.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 06)

प्रस्तर-57 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशत भुगतान पी एफ एम एस द्वारा कराये गये निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016219 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान के सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 434352.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर-58 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का बैंक खाता सं0 05850100016219 से शाह टाइम्स को 6720.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 6720.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 08)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**24- ग्राम पंचायत- भोट लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-59 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100015199 से सीमेन्ट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 150555.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 04)

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 04-7-2019 | 445 | 20000.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 30-7-2019 | 453 | 11140.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 30-7-2019 | 492 | 16140.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 30-7-2019 | 489 | 21531.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 30-7-2019 | 495 | 21886.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 30-7-2019 | 457 | 10630.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 19-7-2019 | 482 | 30000.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 16-7-2019 | 449 | 19228.00 | जापान ब्रिक |
| | **योग-** | **150555.00** | |

प्रस्तर-60 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100015199 से ग्राम प्रधान स्वयं को एवं अन्य व्यक्तियों को हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 383075.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 05)

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 05-07-2019 | 481 | 10000.00 | नरेन्द्र |
| 29-7-2019 | 484 | 10000.00 | नरेन्द्र |
| 09-7-2019 | 447 | 5000.00 | मुर्शीद |
| 16-7-2019 | 446 | 5000.00 | नरेश कुमार |
| 15-7-2019 | 450 | 65816.00 | हसीन जहां |
| 25-7-2019 | 486 | 10000.00 | फरीद |
| 31-7-2019 | 493 | 68951.00 | श्री |
| 31-7-2019 | 451 | 49111.00 | श्री |
| 31-7-2019 | 490 | 47843.00 | श्री |
| 31-7-2019 | 454 | 39088.00 | श्री |
| 31-7-2019 | 459 | 69266.00 | श्री |
| | **योग-** | **380075.00** | |

प्रस्तर-61 ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 05850100015199 से रूपये 652514.00 भारत ट्रेडिंग को भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 652514.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 06)

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 12-7-2019 | 448 | 89754.00 | भारत ट्रेडिंग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24-7-2019 | 483 | 50000.00 | भारत ट्रेडिंग |
| 29-7-2019 | 487 | 50000.00 | भारत ट्रेडिंग |
| 30-7-2019 | 452 | 86075.00 | भारत ट्रेडिंग |
| 30-7-2019 | 491 | 163355.00 | भारत ट्रेडिंग |
| 30-7-2019 | 494 | 105264.00 | भारत ट्रेडिंग |
| 30-7-2019 | 488 | 58066.00 | भारत ट्रेडिंग |
| 30-7-2019 | 455 | 50000.00 | भारत ट्रेडिंग |
| | **योग-** | **652514.00** | |

प्रस्तर-62 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशत भुगतान पी.एफ. एम. एस द्वारा कराये गये निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100015199 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान के सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 1492580.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 07)

प्रस्तर-63 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का बैंक खाता सं0 05850100015199 से जी0ए0जी0 को 70000.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 70000.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 08)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**
**25- ग्राम पंचायत- देवरनिया शर्की लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**
**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-64 ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्य बैंक खाता सं0 54380100001714 से रू0 421972.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 421972.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 04)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**
**26- ग्राम पंचायत- बांसनगली लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**
**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-65 ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्य बैंक खाता सं0 1409000100055012 से रू0 2845995.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 2845995.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी

से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 04)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**
**27- ग्राम पंचायत- कोयली लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**
**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-66 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016215 से ईंट खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 47049.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 08-7-2019 | 276 | 6049.00 | रहमान ब्रिक |
| 30-7-2019 | 285 | 41000.00 | रहमान ब्रिक |
| | **योग-** | **47049.00** | |

प्रस्तर-67 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016215 से ग्राम प्रधान स्वयं को एवं अन्य व्यक्तियों को हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 287865.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।
(आपत्ति संख्या 04)

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 09-07-2019 | 277 | 21000.00 | कृष्णपाल |
| 30-7-2019 | 286 | 15000.00 | कृष्णपाल |
| 30-7-2019 | 281 | 5000.00 | कृष्णपाल |
| 20-4-2019 | 274 | 15000.00 | नरेन्द्र |
| 31-7-2019 | 289 | 4000.00 | नरेन्द्र |
| 05-8-2019 | 283 | 5000.00 | नरेन्द्र |
| 05-7-2019 | 279 | 18900.00 | श्री |
| 31-7-2019 | 287 | 4800.00 | श्री |
| 05-7-2019 | 280 | 4920.00 | फरीद |
| 30-7-2019 | 292 | 104250.00 | फरीद |
| 30-7-2019 | 282 | 5000.00 | नरेश कुमार |
| 29-7-2019 | 291 | 84995.00 | गुलशन |
| | **योग-** | **287865.00** | |

प्रस्तर-68 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो का अधिकांशत भुगतान PFMS द्वारा कराये गये निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016216 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान के सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः
(रू0 1440697.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 06)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**28- ग्राम पंचायत- इंड्रा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-69 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016216 से ग्राम प्रधान स्वयं को एवं अन्य व्यक्तियों को हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 234900.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 04)

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 15-07-2019 | 408 | 5000.00 | जुल्फिकार |
| 31-7-2019 | 418 | 5000.00 | जुल्फिकार |
| 05-8-2019 | 416 | 30000.00 | जुल्फिकार |
| 01-7-2019 | 404 | 5000.00 | जुल्फिकार |
| 06-7-2019 | 407 | 5000.00 | जुल्फिकार |
| 17-7-2019 | 410 | 5000.00 | जुल्फिकार |
| 30-7-2019 | 411 | 5000.00 | जुल्फिकार |
| 06-7-2019 | 405 | 9900.00 | फरीद |
| 20-7-2019 | 412 | 5000.00 | फरीद |
| 20-7-2019 | 414 | 5000.00 | फरीद |
| 07-8-2019 | 415 | 105000.00 | बालिक |
| 07-8-2019 | 417 | 45000.00 | बालिक |
| 29-7-2019 | 413 | 5000.00 | नरेन्द्र |
| | **योग-** | **234900.00** | |

**प्रस्तर-70** ग्राम पंचायत द्वारा बैंक खाता सं0 05850100016216 से रूपये 6740.00 भारत को भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 6740.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही करने अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 05)

प्रस्तर-71 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशत भुगतान पी.एफ. एम. एस द्वारा कराये गये निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 05850100016216 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान के सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 1083804.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 06)

प्रस्तर-72 ग्राम पंचायत में दिनांक 23-7-2019 चैक सं0 409 का बैंक खाता सं0 05850100016216 से रूपये 10000.00 एल0एम0ओ0 को भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा

मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 10000.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या 07)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- चमरौआ मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**29- ग्राम पंचायत- बांसनगली लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-73 ग्राम पंचायत द्वारा कराये गये कार्यों में रू0 1313479.00 का भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 1313479.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या 04)

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**30-ग्राम पंचायत- टोडीपुरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-74 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 830100013851 से ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 337256.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 08-5-2019 | 129 | 1750.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 09-1-2019 | - | 25000.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 15-2-2020 | - | 132522.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 15-2-2020 | - | 74810.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| 15-2-2020 | - | 103174.00 | रहमान ब्रिक सेन्टर |
| | **योग-** | **337256.00** | |

प्रस्तर-75 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री सरीफ अहमद द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 830100013851 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 154896.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 03-6-2019 | 133 | 10500.00 | श्री सरीफ अहमद |
| 05-7-2019 | 134 | 3500.00 | श्री सरीफ अहमद |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09-5-2019 | 132 | 2000.00 | श्री जागेन्दर |
| 07-3-2020 | - | 1820.00 | श्री उस्मान अली |
| 25-2-2020 | - | 1456.00 | श्री उस्मान अली |
| 28-2-2020 | - | 2912.00 | श्री उस्मान अली |
| 28-2-2020 | - | 1820.00 | श्री उस्मान अली |
| 07-3-2020 | - | 4400.00 | श्री ऊदलसिहं |
| 25-2-2020 | - | 3200.00 | श्री ऊदलसिहं |
| 28-2-2020 | - | 6400.00 | श्री ऊदलसिहं |
| 07-3-2020 | - | 1820.00 | श्री नाजिम अली |
| 25-2-2020 | - | 1456.00 | श्री नाजिम अली |
| 28-2-2020 | - | 2912.00 | श्री नाजिम अली |
| 28-2-2020 | - | 1820.00 | श्री नाजिम अली |
| 07-3-2020 | - | 4400.00 | श्री चन्द्रपाल सिहं |
| 25-2-2020 | - | 3600.00 | श्री चन्द्रपाल सिहं |
| 07-3-2020 | - | 1820.00 | श्री मौ0 हसन |
| 25-2-2020 | - | 1456.00 | श्री मौ0 हसन |
| 28-2-2020 | - | 2912.00 | श्री मौ0 हसन |
| 28-2-2020 | - | 1820.00 | श्री मौ0 हसन |
| 07-3-2020 | - | 1820.00 | श्री राशिद खाँ |
| 25-2-2020 | - | 1456.00 | श्री राशिद खाँ |
| 28-2-2020 | - | 2912.00 | श्री राशिद खाँ |
| 28-2-2020 | - | 18206.00 | श्री राशिद खाँ |
| 07-3-2020 | - | 1820.00 | श्री अमवीर |
| 25-2-2020 | - | 1456.00 | श्री अमवीर |
| 28-2-2020 | - | 3094.00 | श्री अमवीर |
| 07-3-2020 | - | 1820.00 | श्री मुस्तफा रज़ा |
| 25-2-2020 | - | 1456.00 | श्री मुस्तफा रज़ा |
| 28-2-2020 | - | 2912.00 | श्री मुस्तफा रज़ा |
| 28-2-2020 | - | 1820.00 | श्री मुस्तफा रज़ा |
| 07-3-2020 | - | 1820.00 | श्री भगवानदास सिहं |
| 25-2-2020 | - | 1456.00 | श्री भगवानदास सिहं |
| 28-2-2020 | - | 3094.00 | श्री भगवानदास सिहं |
| 07-3-2020 | - | 4400.00 | श्री गोपाल सिहं |
| 25-2-2020 | - | 3200.00 | श्री गौपाल सिहं |
| 28-2-2020 | - | 6800.00 | श्री गौपाल सिहं |
| 28-2-2020 | - | 4000.00 | श्री गौपाल सिहं |
| 07-3-2020 | - | 1456.00 | श्री अमित पाल |
| 07-3-2020 | - | 4400.00 | श्री अंकितपाल |
| 25-2-2020 | - | 3200.00 | श्री अंकितपाल |
| 28-2-2020 | - | 6400.00 | श्री अंकितपाल |
| 28-2-2020 | - | 3600.00 | श्री अंकितपाल |
| 07-3-2020 | - | 1820.00 | श्री असगर अली |
| 25-2-2020 | - | 1456.00 | श्री असगर अली |
| 28-2-2020 | - | 2912.00 | श्री असगर अली |
| 28-2-2020 | - | 2002.00 | श्री असगर अली |
| 07-3-2020 | - | 1820.00 | श्री सूरजपाल सिंह |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25-2-2020 | - | 1456.00 | श्री सूरजपाल सिंह |
| 28-2-2020 | - | 3094.00 | श्री सूरजपाल सिंह |
| 21-3-2020 | - | 1700.00 | श्री दिनेश कुमार |
| 28-2-2020 | - | 6800.00 | श्री चन्द्रपाल सिहं |
| 28-2-2020 | - | 3600.00 | श्री बन्टी |
| | **योग-** | **154896.00** | |

**जनपद का नाम- रामपुर  वि0ख0- स्वार  मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**31-ग्राम पंचायत- देवीपुरा  लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-76 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 830100013829 से ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 299871.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 04-4-2019 | 215 | 64074.00 | प्रधान ट्रेडर्स |
| 08-5-2019 | 211 | 1750.00 | ओजस्वा |
| 03-8-2020 | 224 | 5670.00 | दैनिक आज |
| 31-12-2019 | - | 31300.00 | हाजी बहाब पाईप स्टोर |
| 22-1-2020 | - | 2000.00 र | रामपुर एजेन्सी |
| 12-1-2020 | - | 103054.00 | प्रधान ट्रेडर्स |
| 10-1-2020 | - | 92023.00 | प्रधान ट्रेडर्स |
| | **योग-** | **299871.00** | |

प्रस्तर-77 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री कल्लू द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 830100013829 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 131500.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 04-4-2019 | 133 | 32050.00 | श्री कल्लू |
| 05-4-2019 | 134 | 3500.00 | श्री कल्लू |
| 30-7-2019 | 132 | 5600.00 | श्री कल्लू |
| 02-8-2019 | - | 5000.00 | श्री कल्लू |
| 06-8-2019 | - | 5000.00 | श्री कल्लू |
| 06-7-2019 | - | 3000.00 | श्री शाहिल कुमार |
| 31-12-2019 | - | 31500.00 | श्री कल्लू |
| 28-3-2020 | - | 6000.00 | श्री कल्लू |
| 28-3-2020 | - | 3000.00 | श्री सचिन कुमार चन्द्रा |
| 10-1-2020 | - | 1456.00 | श्री खुर्शीद |
| 12-1-2020 | - | 1638.00 | श्री खुर्शीद |
| 10-1-2020 | - | 364.00 | श्री मौ0 जान |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12-1-2020 | - | 728.00 | श्री मौ0 जान |
| 10-1-2020 | - | 1456.00 | श्री मौ0 आरिफ |
| 12-1-2020 | - | 1638.00 | श्री मौ0 आरिफ |
| 10-1-2020 | - | 1456.00 | श्री कल्वे अली |
| 12-1-2020 | - | 1638.00 | श्री कल्वे अली |
| 10-1-2020 | - | 3200.00 | श्री अहमद सलाम |
| 12-1-2020 | - | 3600.00 | श्री अहमद सलाम |
| 10-1-2020 | - | 1456.00 | श्री अब्दुल रहमान |
| 12-1-2020 | - | 1638.00 | श्री अब्दुल रहमान |
| 10-1-2020 | - | 2800.00 | श्री महबूब |
| 12-1-2020 | - | 3200.00 | श्री महबूब |
| 10-1-2020 | - | 1674.00 | श्री मुस्तफा |
| 12-1-2020 | - | 2720.00 | श्री मुस्तफा |
| 10-1-2020 | - | 1456.00 | श्री मुनाजिर हुसैन |
| 12-1-2020 | - | 1638.00 | श्री मुनाजिर हुसैन |
| 10-1-2020 | - | 1456.00 | श्री अब्दुल वहीद |
| 12-1-2020 | - | 1638.00 | श्री अब्दुल वहीद |
| | **योग-** | **131500.00** | |

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**32-ग्राम पंचायत- मिलक ताज खाँ** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-78 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100009283 से ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 1024745.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 10-4-2019 | 80 | 3000.00 | भगवती इण्टरप्राईजेज |
| 02-7-2019 | 83 | 18924.00 | अली ट्रेडर्स |
| 23-7-2019 | 86 | 90245.00 | अली ट्रेडर्स |
| 23-7-2019 | 89 | 163325.00 | अली ट्रेडर्स |
| 23-7-2019 | 87 | 27067.00 | अली ट्रेडर्स |
| 31-7-2019 | 81 | 11553.00 | हाफिज जी सीमेन्ट स्टोर |
| 03-8-2019 | 90 | 6720.00 | शाह टाइम्स |
| 06-11-2019 | - | 106211.00 | अली ट्रेडर्स |
| 06-11-2019 | - | 119634.00 | अली ट्रेडर्स |
| 06-11-2019 | - | 24591.00 | अली ट्रेडर्स |
| 15-12-2019 | - | 36393.00 | अली ट्रेडर्स |
| 15-12-2019 | - | 186367.00 | अली ट्रेडर्स |
| 19-2-2020 | - | 172465.00 | अली ट्रेडर्स |
| | **योग-** | **1024745.00** | |

प्रस्तर-79 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती जमुना देई द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100009283 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक

(बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 233406.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 01-7-2019 | 85 | 2500.00 | श्री फईम खाँ |
| 19-1-2020 | - | 56000.00 | श्रीमती जमुना देई |
| 15-12-2019 | - | 4186.00 | श्री छोटेलाल |
| 15-12-2019 | - | 4368.00 | श्री छोटेलाल |
| 15-12-2019 | - | 4550.00 | श्री छोटेलाल |
| 15-12-2019 | - | 3640.00 | श्री छोटेलाल |
| 15-12-2019 | - | 4004.00 | श्री भूरेलाल |
| 15-12-2019 | - | 4368.00 | श्री भूरेलाल |
| 15-12-2019 | - | 4550.00 | श्री भूरेलाल |
| 15-12-2019 | - | 3640.00 | श्री भूरेलाल |
| 15-12-2019 | - | 7600.00 | श्री राजू |
| 15-12-2019 | - | 10000.00 | श्री राजू |
| 15-12-2019 | - | 10800.00 | श्री राजू |
| 15-12-2019 | - | 7200.00 | श्री राजू |
| 28-2-2020 | - | 4186.00 | श्री राजू |
| 15-12-2019 | - | 4550.00 | श्री सूरजपाल |
| 15-12-2019 | - | 5642.00 | श्री सूरजपाल |
| 15-12-2019 | - | 3640.00 | श्री सूरजपाल |
| 15-12-2019 | - | 4004.00 | श्री ई |
| 15-12-2019 | - | 4368.00 | श्री ई |
| 15-12-2019 | - | 4550.00 | श्री ई |
| 15-12-2019 | - | 3640.00 | श्री ई |
| 28-2-2020 | - | 4186.00 | श्री ई |
| 15-12-2019 | - | 4368.00 | श्री कुन्दन |
| 15-12-2019 | - | 10000.00 | श्री कुन्दन |
| 15-12-2019 | - | 4550.00 | श्री कुन्दन |
| 15-12-2019 | - | 10800.00 | श्री कुन्दन |
| 15-12-2019 | - | 3640.00 | श्री कुन्दन |
| 15-12-2019 | - | 7200.00 | श्री कुन्दन |
| 28-2-2020 | - | 5200.00 | श्री कुन्दन |
| 15-12-2019 | - | 4368.00 | श्री सोनू |
| 15-12-2019 | - | 4550.00 | श्री सोनू |
| 15-12-2019 | - | 4368.00 | श्री राजीब |
| 15-12-2019 | - | 4550.00 | श्री राजीब |
| 15-12-2019 | - | 3640.00 | श्री राजीब |
| | **योग-** | **233406.00** | |

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-80 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 830100020275 से ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 570445.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 12-4-2019 | 57 | 55585.00 | सकलैनी ट्रेडर्स |
| 30-5-2019 | 56 | 30000.00 | सकलैनी ट्रेडर्स |
| 08-7-2019 | 63 | 132999.00 | सकलैनी ट्रेडर्स |
| 18-4-2019 | 58 | 25000.00 | प्रधान ट्रेडर्स |
| 14-2-2020 | - | 140111.00 | सकलैनी ट्रेडर्स |
| 17-2-2020 | - | 140000.00 | सकलैनी ट्रेडर्स |
| 12-2-2020 | - | 25000.00 | अब्दुल्ला इण्टरप्राईजेज |
| 17-2-2020 | - | 20000.00 | अब्दुल्ला इण्टरप्राईजेज |
| 02-4-2019 | 52 | 1750.00 | ओजस्वा |
| | **योग-** | **570445.00** | |

प्रस्तर-81 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री अली आज़म द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 830100020275 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 185078.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 21-6-2019 | 61 | 10500.00 | श्री अली आज़म |
| 10-7-2019 | 65 | 3500.00 | श्री अली आज़म |
| 08-8-2019 | 66 | 15000.00 | श्री अली आज़म |
| 12-4-2019 | 53 | 5400.00 | श्री अख्तर अली |
| 08-7-2019 | 62 | 4940.00 | श्री अख्तर अली |
| 01-5-2019 | 59 | 2000.00 | श्री जगेन्दर |
| 28-5-2019 | 60 | 1500.00 | श्री जावेद |
| 01-3-2020 | - | 24500.00 | श्री अली आज़म |
| 12-4-2019 | 54 | 60570.00 | श्री अली आज़म |
| 08-7-2019 | 64 | 53668.00 | श्री अली आज़म |
| 08-8-2019 | 67 | 3500.00 | श्री अली आज़म |
| | **योग-** | **185078.00** | |

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**34-ग्राम पंचायत- खरदिया लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-82 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100033812 से ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 617270.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 01-7-2019 | 102 | 5600.00 | शान इण्टरप्राईजेज |
| 01-7-2019 | 104 | 5000.00 | शान इण्टरप्राईजेज |
| 05-7-2019 | 103 | 30000.00 | शान इण्टरप्राईजेज |
| 30-7-2019 | 50 | 30000.00 | गाजी इण्टरप्राईजेज |
| 30-7-2019 | 48 | 5670.00 | गाजी इण्टरप्राईजेज |
| 30-7-2019 | 46 | 10000.00 | गाजी इण्टरप्राईजेज |
| 30-7-2019 | 47 | 10000.00 | गाजी इण्टरप्राईजेज |
| 22-2-2020 | - | 45000.00 | भारत ट्रेडर्स |
| 14-11-2019 | - | 200000.00 | अब्दुल्ला इण्टरप्राईजेज |
| 14-11-2019 | - | 30000.00 | शान इण्टरप्राईजेज |
| 05-1-2019 | - | 66000.00 | शान इण्टरप्राईजेज |
| | **योग-** | **617270.00** | |

प्रस्तर-83 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यों का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री उमेश सरन द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100033812 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 99700.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 25-4-2019 | 101 | 2000.00 | श्री बाबूराम |
| 12-7-2019 | 105 | 5000.00 | श्री फरमान |
| 12-7-2019 | 92 | 20000.00 | श्री मो0 फरमान कान्ट्रेक्टर |
| 30-7-2019 | 51 | 2700.00 | श्री तेजपाल |
| 05-1-2020 | - | 70000.00 | श्री उमेश चरन |
| | **योग-** | **185078.00** | |

प्रस्तर-84 ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं0 15710100033812 से रूपये 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 2000.00 ) उक्त धनराशि का ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 06-8-2019 | 49 | 2000.00 | पंचायत राज अधिकारी |
| | **योग-** | **2000.00** | |

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**35-ग्राम पंचायत- गागननगली लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-85 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100033779 से ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 541956.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 01-8-2019 | 102 | 5600.00 | शाह टाइम्स इण्टरप्राईजेज |
| 01-8-2019 | 104 | 5000.00 | सलीम प्रधान एम्ड सन्स |
| 12-7-2019 | 103 | 30000.00 | श्री मो0 फरमान कान्ट्रेक्टर |
| 30-7-2019 | 50 | 30000.00 | श्री मो0 फरमान कान्ट्रेक्टर |
| 30-7-2019 | 48 | 5670.00 | श्री मो0 फरमान कान्ट्रेक्टर |
| 01-8-2019 | 46 | 10000.00 | इण्टरप्राईजेज |
| 28-1-2020 | - | 45000.00 | इण्टरप्राईजेज |
| 14-2-2020 | - | 200000.00 | इण्टरप्राईजेज |
| | **योग-** | **541956.00** | |

प्रस्तर-86 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्री तफज्जुल हुसैन द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100033779 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 158763.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| **दिनांक** | **चैक नं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| 20-01-2020 | - | 31500.00 | श्री तफज्जुल हुसैन |
| 29-3-2020 | - | 10500.00 | श्री तफज्जुल हुसैन |
| 28-1-2020 | - | 41147.00 | श्री मौ0 आदिल |
| 28-1-2020 | - | 9600.00 | श्री मौ0 आजम |
| 14-2-2020 | - | 10800.00 | श्री मौ0 आजम |
| 28-1-2020 | - | 5096.00 | श्री महेन्द्र सिहं |
| 14-2-2020 | - | 49140.00 | श्री महेन्द्र सिहं |
| 28-1-2020 | - | 4732.00 | श्री रिजवान अली |
| 14-2-2020 | - | 4914.00 | श्री रिजवान अली |
| 28-1-2020 | - | 9600.00 | श्री नाजिम अली |
| 14-2-2020 | - | 10800.00 | श्री नाजिम अली |
| 28-1-2020 | - | 4732.00 | श्री सद्दाम |
| 14-2-2020 | - | 4914.00 | श्री सद्दाम |
| 28-1-2020 | - | 4732.00 | श्री निसार |
| 14-2-2020 | - | 4914.00 | श्री निसार |
| 28-1-2020 | - | 4732.00 | श्री फरयाद |
| 14-2-2020 | - | 4914.00 | श्री फरयाद |
| 28-1-2020 | - | 4732.00 | श्री इवने हसन |
| 14-2-2020 | - | 4914.00 | श्री इवने हसन |
| 14-2-2020 | - | 3276.00 | श्री जाकिर |
| 07-1-2020 | - | 10300.00 | पेन्टर |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | योग- | **158763.00** | |

प्रस्तर-87 ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं0 15710100033779 से रूपये 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है

अतः (रू0 2000.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 06-8-2019 | 49 | 2000.00 | पंचायत राज अधिकारी |
| | योग- | **2000.00** | |

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- स्वार मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**36-ग्राम पंचायत- धनुपुरा शाहदरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-88 ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100009258 से ईंट/सीमेन्ट आदि खरीद हेतु भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक (भाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वरा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः (रू0 63574.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान/ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 15-4-2019 | 253 | 3000.00 | एस0 आर0 सीमेन्ट स्टोर |
| 02-8-2019 | 296 | 45324.00 | अली ट्रेडर्स |
| 05-3-2020 | - | 15250.00 | आदिल सेनेट्री स्टोर |
| | योग- | **63574.00** | |

प्रस्तर-89 ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो का अधिकांशतः भुगतान ग्राम सचिव/ग्राम प्रधान श्रीमती तस्कीम जहां द्वारा स्वयं के नाम से व अन्य व्यक्तियों के नाम से निम्नांकित दिनांकों में बैंक खाता सं0 15710100009258 से भुगतान किया गया है उपरोक्त भुगतान किस बाबत किये गये सम्बन्धी प्रमाणक (बाउचर) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है अतः ( रू0 150654.00 ) उक्त धनराशि की ब्याज के साथ सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 22-7-2019 | 292 | 10500.00 | श्रीमती तस्कीम जहां |
| 02-8-2019 | 300 | 5000.00 | श्रीमती तस्कीम जहां |
| 05-8-2019 | 298 | 46064.00 | श्रीमती तस्कीम जहां |
| 01-7-2019 | 286 | 3000.00 | श्री मुजफ्फर अली |
| 03-8-2019 | 291 | 3000.00 | श्री नवनीत |
| 06-8-2019 | 288 | 4000.00 | श्री जावेद |
| 05-8-2019 | 260 | 2500.00 | श्री फईम खां |
| 06-8-2019 | 290 | 4000.00 | श्री तीर्थ |
| 16-8-2019 | 287 | 5000.00 | श्री शाहिद |
| 20-2-2020 | - | 15250.00 | श्री सुभान अली |
| 20-3-2020 | - | 9540.00 | श्री सुभान अली |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 08-2-2020 | - | 5000.00 | श्री दिनेश कुमार |
| 07-1-2020 | - | 21000.00 | श्रीमती तस्लीम जहां |
| 03-8-2019 | - | 6000.00 | श्रीमती तस्लीम जहां |
| 03-8-2019 | - | 10800.00 | श्रीमती तस्लीम जहां |
| | **योग-** | **150654 .00** | |

प्रस्तर-90 ग्राम पंचायत के बैंक खाता सं0 15710100009258 से रूपये 2000.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी को किया गया है। व्यय प्रमाणक (बाउचर) को ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान बार-बार मांगने के उपरांत भी प्रस्तुत नहीं किये गये अतः समस्त भुगतान अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 एवं खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 204 वे 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य हैं। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट है

अतः (रू0 2000.00) उक्त धनराशि की ब्याज सहित सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारी से वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

| दिनांक | चैक नं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 06-8-2019 | 49 | 2000.00 | पंचायत राज अधिकारी |
| | **योग-** | **2000.00** | |

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**37-ग्राम पंचायत- मुतियापुरा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-91

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण<br>762990.00 | दुरुपयोग<br>- | अनियमित्ता<br>- | प्रधान- जाहिद अली<br>सचिव-श्री गुलाब अली |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत मुतिया पुरा की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-762990.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-762990.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा ।जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-761990.00 का गबन प्रधान जाहिद अली तथा सचिव - श्री गुलाब अली द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**38-ग्राम पंचायत- सराबा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-92

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण<br>188438.00 | दुरुपयोग<br>- | अनियमित्ता<br>- | प्रधान- श्रीमती कंचन<br>सचिव- श्री धनंजय सक्सेना |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत सरावा द्वारा खाता सं0 10990100011875 से दिनांक 18-12-2019 सरवन के घर से नवल के घर तक आर0 सी0सी0 निर्माण हेतु कार्तिक सीमेंट स्टोर के नाम से रूपया 161632 एवं चौधरी भट्टा के नाम से रूपया 26806 कुल मालकर रूपया 188438 सामग्री क्रय हेतु आरहित किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-188438.00 का गबन ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती कंचन एवं सचिव0 धनंजय सक्सेना **से बराबर-बराबर की जानी** अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**39-ग्राम पंचायत- अहमदाबाद** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-93

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 356643.00 | - | - | प्रधान- श्रीमती मसरूम जहां<br>सचिव- श्री बेग सिंह |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत अहमदाबाद द्वारा खाता सं0 10990100011879 से दिनांक 13-02-2020 को रूपया 157392 नरेश के घर से मंन रोड तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण हेतु फारूख आयरन एवं सीमेंट स्टोर के नाम से आहरित किया गया है और पुनः दिनींक 13-02-2020 को रूपया 199251 रिजवान के घर से असलम के घर तक सी0सी0 एवं नाली निर्माण हेतु फारूपख आयरन एवं सीमेंट स्टोर नाम से सामग्री यथा सीमेंट,बजरी,रेता क्रय हेतु आहरित किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-356643.00 का आहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती मसरूम जहां एवं सचिव बेग सिंह **से बराबर-बराबर की जानी** अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**40-ग्राम पंचायत- हकीमगंज** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-94

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 867527.00 | - | | प्रधान- हूरबानो<br>सचिव- श्रीमती रहमत जहां |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत हकीमगंज द्वारा खा0ता0सं0 14730100012369 से विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों हेतु निम्न धनराशियों का आहरण किया गया है।

1. असलम के घर से भूरा के घर तक आर0सी0सी0 निर्माण हेतु दिनांक 18-12-2019 को हुसैन सीमेंट स्टोरं से 179400 रूपया सामग्री क्रय हेतु तता मजदूरी भुगतान हेतु रूपया 49904 आहरित किया गया है किन्तु इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. भूरा के घर से नन्हे के घर आस सीसी निर्माण हेतु दिनांक 18-12-2019 को सामग्री क्रय हेतु किया गया है किन्तु स व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. प्राइमरी स्कूल टाईल्स लगवाने हेतु दिनांक 04-03-2020 को हुसैन सीमेंट स्टोर के नाम से 162096 रूपया आहरित किया गया किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. ग्राम पंचायत में हैंडपम्प रीबोर हेतु दिनांक 11-03-2020 को सामग्री हेतु 51090 रूपया तथा मजदूरी भुगतान हेतु 62790 रूपया कुल मिलाकर 113880 रूपया आहरित किया गया किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार विभिन्न तिथियों में विभन्न कार्यो में कुल मिलाकर 867527 रूपया व्यय किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-867527.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान हूरबानो एवं सचिव- रहमत जहां द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**41-ग्राम पंचायत- पहाडपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-95

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण<br>626196.00 | दुरुपयोग<br>- | अनियमित्ता<br>- | प्रधान- श्री आसिफ अली<br>सचिव-श्री संजय कुमार |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत पहाडपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-626196.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-626196.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-626196.00 का गबन प्रधान आसिफ अली तथा सचिव श्री संजय कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**42-ग्राम पंचायत- रतनपुर शुमाली लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-96

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण<br>424631.00 | दुरुपयोग<br>- | अनियमित्ता<br>- | प्रधान- अलकीम जहां<br>सचिव- श्रीमती रहमत जहां |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत रतनपुर शुमाली द्वारा खा0ता0 सं0 14730100011312 से विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों हेतु निम्न धनराशियों का आहरण किया गया है।

1. ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु दिनांक 15-07-2019 को रूपया 123000 आहरित किया गया है किन्तु इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. सत्तार के घर से वाहिद के घर तक नाला निर्माण हेतु दिनांक 10-07-2019 को सामग्री क्रय हेतु नसीम ब्रिक्स के नाम से रूपया 101631 आहरित किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. दिनांक 02-01-2020 को सामग्री क्रय हेतु शाहेज ट्रेडर्स के नाम से रूपया 12000 और सनाउल्लाह ब्रिक्स फिल्ड के नाम से 80000 रूपया कुल मिलाकर 200000 रूपया आहरित किया गया किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया इसके साथ ही साथ किस कार्य हेतु सामग्री क्रय की गयी है। इसका उल्लेख नहीं किया गया।

इस प्रकार उक्त कार्यों में कुल मिलाकर 424631 रूपया व्यय किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-230000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान अलकीम जहां एवं सचिव- रहमत जहां द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर     वि0ख0- सैदनगर     मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**43-ग्राम पंचायत- शाहदरा उर्फ थूनापुर     लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-97

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 443103.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता | प्रधान- बुद्धिया सचिव-श्रीमती रिजवाना शमीम |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत शहदरा उर्फ थूनापुर की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-443103.00 विभिन्न नये कार्यो, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-443103.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-443103.00 का गबन प्रधान बुद्धिया तथा सचिव - श्रीमती रिजवाना शमीम द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर     वि0ख0- सैदनगर     मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**44-ग्राम पंचायत- नौरंगपुर     लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-98

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 581232.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता | प्रधान- श्रीमती भूरी देवी सचिव- श्री सिद्धराज सिहं |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत नौरंगपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-581232.00 विभिन्न नये कार्यो, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-581232.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के

अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-581232.00 का गबन प्रधान श्रीमती भूरी देवी तथा सचिव - श्री सिद्धराज सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**
**45-ग्राम पंचायत- बैंदूखेड़ा** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**
**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**
प्रस्तर-99

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 402916.00 | - | - | प्रधान- श्री चिरंजीलाल<br>सचिव- श्री संजय कुमार |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत बैंदूखेड़ा द्वारा खा0ता0सं0 14730100021435 से विभिन्न तिथियों में यथा दिनांक 26-02-2020 को ग्राम पंचायत में सी0सी0 एवं नाली निर्माण हेतु अब्दुल्हा इंटर प्राईजेज के नाम पर समाग्री क्रय हेतु रूपया 201356 एवं पुनः उसी दिनांक को सीसी एवं नाली निर्माण हेतु अब्दुलहा इंटर प्राईजेज के नाम पर सामग्री क्रय हेतु रूपया 201560 आहरित किया गया हैए इन दोनों व्ययों के सापेक्ष कोई कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8(क) व (ख) के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय कि गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-402916.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री चिरंजीलाल एवं सचिव- संजय कुमार द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**
**46-ग्राम पंचायत- सरकड़ी** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**
**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**
प्रस्तर-100

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 1209671.00 | - | - | प्रधान- श्री चरण सिंह<br>सचिव- श्री बेग सिंह |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत सरकड़ी की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-1209671.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-1209671.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-1209671.00 का गबन प्रधान श्री चरण सिंह तथा सचिव - श्री बेग सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**
**47-ग्राम पंचायत- बैंजना** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**
**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**
प्रस्तर-101

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 2376032.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता - | प्रधान- श्रीमती अमीर जहां सचिव- श्री सिद्धराज सिहं |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत बैंजना की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-2376032.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-2376032.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यों का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-2376032.00 का गबन प्रधान श्रीमती अमीर जहां तथा सचिव - श्री सिद्धराज सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**48-ग्राम पंचायत- नगला गणेश लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-102

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 925222.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता - | प्रधान- श्री शहादत हुसैन सचिव- श्रीमती रिजवाना शमीम |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत नगला गणेश की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-925222.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-925222.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यों का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-925222.00 का गबन प्रधान श्री शहादत हुसैन तथा सचिव - श्रीमती रिजवाना शमीम द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**49-ग्राम पंचायत- दरियागढ़ लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-103

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 787194.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता | प्रधान- श्री गनपत सिंह सचिव- श्रीमती रिजवाना शमीम |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत दरियागढ़ की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-787194.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-787194.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यों का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये

गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-787194.00 का गबन प्रधान श्री गनपत सिंह तथा सचिव - श्रीमती रिजवाना शमीम द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**50-ग्राम पंचायत- झुरकझुन्डी लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-104

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 762451.00 | - | - | प्रधान- श्री अलकीम<br>सचिव- श्री गुलाब अली |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत झुरकझुन्डी की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-762451.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-762451.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यों का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-762451.00 का गबन प्रधान श्रीमती अलकीम तथा सचिव - श्री गुलाब अली द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**51-ग्राम पंचायत- जगतपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-105

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 2172462.00 | - | - | प्रधान- श्रीमती पूनम<br>सचिव- श्री सिद्धराज सिहं |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत जगतपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-2172462.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-2172462.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यों का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-2172462.00 का गबन प्रधान श्रीमती पूनम सैनी तथा सचिव - श्री सिद्धराज सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**52-ग्राम पंचायत- खिजरपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-106

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 1406560.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता | प्रधान- खैरुलनिशा सचिव- श्री सिद्धराज सिहं |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत खिजरपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-1406560.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-1406560.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-1406560.00 का गबन प्रधान श्रीमती खैरुलनिशा तथा सचिव - श्री सिद्धराज सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद

**53-ग्राम पंचायत- खौदपुरा** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-107

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 1994226.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता - | प्रधान- जालीसा बैगम सचिव- श्रीमती रिजवाना शमीम |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत खौदपुरा की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-1994226.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-1994226.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-1994226.00 का गबन प्रधान जालीसा बैगम तथा सचिव - श्रीमती रिजवाना शमीम द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद

**54-ग्राम पंचायत- रवन्ना** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-108

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 1183864.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता - | प्रधान- श्री कुरबान अली सचिव- श्री सिद्धराज सिहं |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत रबन्ना की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-1183864.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-1183864.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-1183864.00 का गबन प्रधान श्री कुरबान अली तथा सचिव - श्री सिद्धराज सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**55-ग्राम पंचायत- कुम्हरिया** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-109

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 1458672.00 | - | | प्रधान- दुख्तर जहां<br>सचिव- श्रीमती रिजवाना शमीम |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत कुम्हरिया की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-1458672.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-1458672.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-1458672.00 का गबन प्रधान दुख्तरजहां तथा सचिव - श्रीमती रिजवाना शमीम द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**56-ग्राम पंचायत- सूरत सिंह उर्फ नयागांव** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-110

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 379598.00 | - | | प्रधान- श्री महेश कुमार<br>सचिव- श्री वेग सिंह |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत बैंदूखेड़ा द्वारा खा0ता0सं0 14730100011513 से विभिन्न तिथियों में यथा दिनांक 27-03-2020 को प्राथमिक विद्यालय में आर सीसी स्लेप एवं मरम्मत कार्य हेतु कार्तिक सीमेंट स्टोर को रूपया 245338 सामग्री क्रय हेतु भुगतान किया गया इसके साथ ही साथ इस कार्य हेतु मजदूरी भुकतान हेतु रूपया 134260 रूपया आहरित किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर रूपया 379598 आहरित किया गया है। किन्तु इसके सापेक्षे कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया।

उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8(क) व (ख) के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय कि गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-379598.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री महेश कुमार एवं सचिव- वेग सिंह द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**57-ग्राम पंचायत- कुचैटा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-111

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण<br>700615.00 | दुरुपयोग<br>- | अनियमित्ता<br>- | प्रधान- नगमा<br>सचिव- श्रीमती रिजवाना शमीम |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत कुचैटा की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-700615.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-700615.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यों का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-700615.00 का गबन प्रधान नगमा तथा सचिव - श्रीमती रिजवाना शमीम द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**58-ग्राम पंचायत- कुकड़ी खेड़ा लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-112

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण<br>806274.00 | दुरुपयोग<br>- | अनियमित्ता<br>- | प्रधान- श्रीमती गीता<br>सचिव- दिनेश कुमार |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत कुकड़ी खेड़ा की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-806274.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-806274.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यों का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-806274.00 का गबन प्रधान श्रीमती गीता तथा सचिव - श्री दिनेश कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**59-ग्राम पंचायत- किशनपुर पनचक्की लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-113

**क्र0सं0 आपत्ति का संक्षिप्त विवरण धनराशि उत्तरदायी व्यक्ति का नाम**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 775578.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता - | प्रधान- श्री रईसदूल्हा सचिव- श्रीमती रिजवाना शमीम |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत किशनपुर पनचक्की की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-775578.00 विभिन्न नये कार्यो, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-775578.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-775578.00 का गबन प्रधान श्री रईसदूल्हा तथा सचिव - श्रीमती रिजवाना शमीम द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**60-ग्राम पंचायत- हमीरपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-114

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 614295.00 | दुरुपयोग - | अनियमित्ता - | प्रधान- रुखसाना सचिव- श्री संजय कुमार |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत हमीरपुर द्वारा खा0ता0 सं0 10990200000105 से विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यो हेतु निम्न धनराशियों का आहरण किया गया है।

1. ग्राम पंचायत में नाला निर्माण हेतु दिनांक 16-12-2019 को शैखाबत ब्रिक्श वर्क्स से 76000 रूपया अब्दुल्ला इंटर प्राईजेज के नाम से 175000.00 और कार्तिक सीमेंट स्टोर के नाम से 98000 रूपया इस परकार कुल मिलाकर 349000 सामग्री क्रय हेतु आहरित किया गया है किन्तु इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. ग्राम पंचायत में सफाई कार्य हेतु दिनांक 31-12-2019 को 154400 रुपया आहरित किया गाय है, किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3. जूनियर हाईस्कूल में टाईल्स मरम्मत कार्य हेतु दिनांक 20-01-2020 को अब्दुल्ला इंटर प्राईजेज के नाम से 110895 रूपया आहरित किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों में कुल मिलाकर 614295 रूपया आहरित किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8(क)व (ख) के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यक कि गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-614295.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान रुखसाना एवं सचिव- संजय कुमार द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**61-ग्राम पंचायत- रनुआ नगला** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-115

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | प्रधान- श्री याकूब खान |

करा कर धन का अपहरण 234000.00 - -सचिव- श्री संजय कुमार
किया जाना।

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत रनुआ नगला द्वारा खा0ता0सं0 10990200000117 से दिनांक 06-07-2019 को सीसी एवं नाली निर्माण हेतु कार्तिक सीमेंट स्टोर के नाम से चेक संख्या 312 द्वारा 119000 रुपया व चेक संख्या 315 द्वारा 115000 रूपया सामग्री सीमेंट,रेत,रेडी इत्यादी क्रय हेतु कुल मिलाकर 234000 रुपया आहरित किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्षे कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया। साथ ही साथ यह भी उल्लेख नहीं है कि सीसी एवं नाली का निर्माण किस जगह पर किया गया है उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8(क) व (ख) के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय कि गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-234000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री याकूब खान एवं सचिव- संजय कुमार द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**62-ग्राम पंचायत- मिलक मिर्जा फय्याज लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-116

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 436397.00 | दुरुपयोग -सचिव- श्री दिनेश कुमार | अनियमित्ता | प्रधान- श्रीमती नन्ही |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत मिलक मिर्जा फय्याज द्वारा खा0ता0 सं0 14730200000221 से विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों हेतु निम्न धनराशियों का आहरण किया गया है।

1. मैंन रोड से फुरसत के घर तक नाली मरम्मत हेतु दिनांक 07-11-2019 को सामग्री क्रय हेतु ठाकरदास सीमेंट स्टोर के नाम से 36288 रूपया तथा सिद्दकी कॉन्ट्रेक्टर के नाम से 77944 रूपया कुल मिलकर 114232 रूपया आहरति किया गया है किन्तु इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया।

2. ग्राम पंचायत में खडंजाज मरम्मत हेतु दिनांक 08-01-2020 को सामग्री क्रय हेतु सिद्दीकी कॉन्टेक्टर के नाम से रूपया 159725 तथा 91547 रूपया कुल मिलकर 251272 रूपया का सीमेन्ट,रेता,बजरी, के नाम से आहरण किया गया है, किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया साथ ही साथ यह भी उल्लेख नहीं है कि खडंजा का मरम्मत किस जगह किया गया।

3. खलील के घर से तालाब तक नाली कार्य हुत दिनांक 25-02--2020 को सामग्री क्रय हेतु सिद्दीकी कॉन्टेक्टर के नाम से रूपया 70893 रूपया आहरित किया गया है किन्तु इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार उक्त कार्यो में कुल मिलाकर 436397 रूपया व्यय किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8(क) व (ख) के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यक कि गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-436397.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती नन्ही एवं सचिव- दिनेश कुमार द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**63-ग्राम पंचायत- अजयपुर लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-117

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | अपहरण 523122.00- सचिव- श्री दिनेश कुमार | दुरुपयोग | अनियमित्ता | प्रधान- श्री गुले यासमीन |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत अजयपुर द्वारा खा0ता0सं0 14730100020064 से दिनांक 01-01-2020 को रूपया 177115 रहपुरा में अहमद के घर से नईम के घर तक सीसी एवं नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय हेतु प्रियांशु टेडर्स के नाम से 165227 रूपया एवं हिन्दुस्तान ईंट के नाम से 11888 रूपया आहरित किया गया है और उसी दिनांक 01-01-2020 को रूपया 226240 हरपुरा में मौहम्मद अली के घर से अलीरजा के घर से सीसी एवं नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय हेतु प्रियांशु टेडर्स के नाम से 163715 रूपया एवं हिंदुस्तान ईंट के नाम से 11975 रूपया और मजदूरी हेतु 50550 रूपया आहरित किया गया है और पुनः उसी दिनांक 01-01-2020 को रूपया 119767 हरपुरा में कब्रिसतान से मोहम्मद अली के घर तक सीसी एवं नाली निरिमाण हेतु सामग्री क्रय हेतु प्रियांशु टेडर्स के नाम से 91983 रूपया एवं मजदूरी हेतु 27784 रूपया आहरित किया गया हैए इस प्रकार इन तीनों कार्यों में सामग्री एवं मजदूरी हेतु 523122 रूपया व्यय किया गया है किन्तु इस तीनों कार्यों हेतु व्यय किये गये धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8(क) व (ख) के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय कि गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-523122.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री गुले यासमिन एवं सचिव- दिनेश कुमार द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**64-ग्राम पंचायत- अलीगंज बैनजीर** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-118

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 785570.00 | - | - | प्रधान- श्री सीताराम<br>सचिव- श्री कौशल कुमार |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत अलीगंज बैनजीर द्वारा खा0ता0 सं0 14730100012371 से दिनांक 09-12-2019 को रूपया 124214 सुंदर के घर से रमेश के घर तक सीसी एवं नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय हेतु सैनी सीमेंट स्टोर के नाम से आहरित किया गया व दिनांक 24-12-2019 को रूपया 139090 सामग्री क्रय हेतु सैनी सीमेंट स्टोर के नाम से आहरित किया गया है कोष वही में इस बात का उल्लेख नही है कि सामग्री किस कार्य हेतु खरीदी गयी है साथ साथ सामग्री क्रय हेतु सैनी सीमेंट स्टोर का कोई व्यय प्रमाणक भी नही प्राप्त हआ है। पुनः दिनांक 18-01-2020 को रूपया 14122 और 160160 सामग्री क्रय हेतु सैनी सीमेंट स्टोर के नाम से आहरित किया गया है कोषबही में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन सी सामग्री किस कार्य हेतु खरीदी गयी है साथ ही साथ सामग्री क्रय हेतु सैनी सीमेंट स्टोर का कोई व्यय प्रमाणक भी नही प्राप्त हुआ पुनः दिनांक 24-02-2020 क रूपया 123069 व दिनांक 06-03-2020 को रूपया 124914 सामग्री क्रय हेतु सैनी सीमेंट स्टोर के नाम से आहरित किया गया कोषबही में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन सी सामग्री किस कार्य हेतु खरीदी गयी है साथ ही साथ सामग्री क्रय हेतु सैनी सीमेंट स्टोर का कोई व्यय प्रमाणक भी नहीं प्राप्त हुआ इस प्रकार कुल धनराशि रूपया 785570 का इन कार्यों से संबंधित कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8(क) व (ख) के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय कि गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-785570.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री सीताराम एवं सचिव- कौशल कुमार द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**65-ग्राम पंचायत- ईश्वरपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-119

| क्र0सं0 | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | धनराशि | | | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 230000.00 | - | | प्रधान- श्री अनीस जहां<br>सचिव- श्री संजय कुमार |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत ईश्वरपुर द्वारा खा0ता0 सं0 10990200000121 से विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों हेतु निम्न धनराशियों का आहरण किया गया है।

1- ग्राम पंचायत में सीसी एवं नाली निर्माण के नाम हेतु दिनांक 18-12-2019 को सामग्री क्रय हेतु 100000 मोहम्मद सीमेंट स्टोर के नाम से आहरित किया गया है किन्तु इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2- प्राइमरी हाईस्कूल में फर्श मरम्मत इत्यादि कार्य हेतु दिनांक 28-01-2020 को रू0 130000 अब्दुला इंटर प्रईजेज के नाम से आहरित किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार दोनों कार्यों में कुल मिलकर 230000 रूपया व्यय किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8(क) व (ख) के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय कि गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-230000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान अनीस जहां एवं सचिव- संजय कुमार कुमार द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**66-ग्राम पंचायत- खौद लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-120

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 261479.00 | - | - | प्रधान- श्री राजपाल<br>सचिव- श्री रहमत जहां |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत खौद द्वारा खा0ता0 सं0 14730100012370 से विभिन्न तिथियों में विभिन्न कार्यों हेतु निम्न धनराशियों का आहरण किया गया है।

1- रततपरा रोड से शीशपाल के घर तक सीसी एवं नाली निर्माण हेतु दिनांक 20-11-2019 को सामग्री क्रय हेतु हिंदुस्तान ब्रिक उद्योग के 12943 रूपया तथा साहेज ट्रेड्रस के नाम से 134656 रूपया कुल मिलकर 147599 रूपया आहरित किया गया है किन्तु इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2- हैणड पम्प सामग्री एवं मजदूरी हेतु दिनांक 14-01-2020 को भारत ट्रेडर्स के नाम से रूपया 113880 का आहरण किया गाय है, किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इस प्रकार दोनों कार्यों में कुल मिलकर 261479 रूपया व्यय किया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 पंचायत राज लेखा मैनुअल के नियम 8(क) व (ख) के प्रावधान के अनुसार व्यय धनराशि के व्यय प्रमाणक न होने की दशा में व्यय कि गयी सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है।

व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी माना जाता है। अतः सम्पूर्ण धनराशि रू0-261479.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान राजपाल एवं सचिव- रहमत जहां द्वारा बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0- सैदनगर मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**67-ग्राम पंचायत- बैजनी लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-121

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 1180921.00 | - | - | प्रधान- श्री गामा<br>सचिव-श्री कौशल कुमार |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत बैजनी की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-1180921.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-1180921.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यो का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-1180921.00 का गबन प्रधान श्री गामा तथा सचिव - श्री कौशल कुमार द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

**जनपद का नाम- रामपुर** **वि0ख0- सैदनगर** **मण्डल का नाम- मुरादाबाद**

**68-ग्राम पंचायत- मिलक हाशम** **लेखा परीक्षा वर्ष- 2019-20**

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां-**

प्रस्तर-122

| **क्र0सं0** | **आपत्ति का संक्षिप्त विवरण** | **धनराशि** | | | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| | | अपहरण | दुरुपयोग | अनियमित्ता | |
| 1. | व्यय प्रमाणक न उपलब्ध करा कर धन का अपहरण किया जाना। | 658300.00 | - | - | प्रधान- श्री मौ0 जावेद<br>सचिव-श्री सिद्धराज सिंह |

**आपत्ति का विवरण-**

1. आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत मिलक हाशम की लेखा परीक्षा में पाया गया की दौराने वर्ष कैशबुक के अनुसार रू0-658300.00 विभिन्न नये कार्यों, परसम्पत्तियों के रखरखाव, ग्राम प्रधान मानदेय आदि के रूप में खर्च किया गया है। उक्त सम्पूर्ण धनराशि रू0-658300.00 के खर्च सम्बंधित कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, वर्क आई0डी0, बाउचर फाईल, मस्टर रोल, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान मानदेय रजिस्टर, कार्यों का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजिस्टर इत्यादि अप्राप्त रहा जिससे दर्शित व्यय कि पुष्टि नहीं की जा सकी।

उल्लेखनीय है कि पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्धन मेनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार सम्प्रेक्षक दल को व्यय के समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत का है। साथ ही इसी के अध्याय 8 के धारा 8(क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण की श्रेणी में माना जाता है। व्यय प्रमाणक के अभाव में किया गया व्यय फर्जी है। अतः रू0-658300.00 का गबन प्रधान श्री मौ0 जावेद तथा सचिव - श्री सिद्धराज सिंह द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली दोनों से बराबर-बराबर की जानी अपेक्षित है।

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0 मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

1-ग्राम पंचात का नाम- देवरी बुजुर्ग लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर-123

| क्र0सं0 | आपत्ति सं0 | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | अपहरण | दुरुपयोग | गंभीर अनियमित्ता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री राम रतन व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश कुमार गौतम | ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष 2019-20 में व्यय से सम्बन्धित अभिलेखएव्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से अपुष्ट धनराशि | | 1447997.00 | | |
| | योग | | | 1447997.00 | | |

1- ग्राम पंचायत- देवरी बुजुर्ग की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मिलक से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18/06/2020, 19/08/2020, 15/10/2020, 12/01/2021 तथा दिनांक 04/02/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्च्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि रू0

1447997.00 (चौदह लाख सैतालीस हजार नौ सौ सनतानवे मात्र) प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियां आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्टित रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा, उक्त की ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री राम रतन और ग्रा0पं0अधि0 श्री दिनेश कुमार गौतम से बराबर-बराबर भाग में वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0 मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

2-ग्राम पंचात का नाम- सेंडौली लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर-124

| क्र0सं0 | आपत्ति सं0 | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | अपहरण | दुरुपयोग | गंभीर अनियमित्ता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री महेश तिवारी व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश कुमार गौतम | ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष 2019-20 में व्यय से सम्बन्धित अभिलेखएव्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से अपुष्ट धनराशि | | 1372932.00 | | |
| | योग | | | 1372932.00 | | |

2- ग्राम पंचायत- सेडौली की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मिलक से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18/06/2020, 19/08/2020, 15/10/2020, 12/01/2021 तथा दिनांक 04/02/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्च्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि रू0 1372932.00 (तेरह लाख बहत्तर हजार नौ सौ बत्तीस मात्र) प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियां आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्टित रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा, उक्त की ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री महेश तिवारी और ग्रा0पं0अधि0 श्री दिनेश कुमार गौतम से बराबर-बराबर भाग में वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0 मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

3-ग्राम पंचात का नाम- तिरहा लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर-125

| क्र0सं0 | आपत्ति सं0 | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | अपहरण | दुरुपयोग | गंभीर अनियमिता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्री जिवेन्द्र सिहं व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश कुमार गौतम | ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष 2019-20 में व्यय से सम्बन्धित अभिलेखएव्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से अपुष्ट धनराशि | | 1999531.00 | | |
| | योग | | | 1999531.00 | | |

3- ग्राम पंचायत- तिरहा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मिलक से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18/06/2020, 19/08/2020, 15/10/2020, 12/01/2021 तथा दिनांक 04/02/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्च्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि रू0 1999531.00 (रुपये उन्नीस लाख निन्यान्वे हजार पांच सौ एकतीस मात्र) प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियां आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्टित रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा, उक्त की ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्री जिवेन्द्र सिहं और ग्रा0पं0अधि0 श्री दिनेश कुमार गौतम से बराबर-बराबर भाग में वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0 मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

4-ग्राम पंचात का नाम- खाता चिन्तामन लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर-126

| क्र0सं0 | आपत्ति सं0 | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | अपहरण | दुरुपयोग | गंभीर अनियमिता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती राठौर व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश कुमार गौतम | ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष 2019-20 में व्यय से सम्बन्धित अभिलेखएव्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से अपुष्ट धनराशि | | 1713765.00 | | |
| | योग | | | 1713765.00 | | |

4- ग्राम पंचायत- खाता चिन्तामन की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मिलक से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18/06/2020, 19/08/2020, 15/10/2020, 12/01/2021 तथा दिनांक 04/02/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्च्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि रू0 1713765.00 (रुपये सत्तराह लाख तेरह हजार सात सौ पैंसठ मात्र) प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में

व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियां आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्टित रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा, उक्त की ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती फूलवती राठौर और ग्रा0पं0अधि0 श्री दिनेश कुमार गौतम से बराबर-बराबर भाग में वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रारूप-4

जनपद का नाम- रामपुर वि0ख0 मिलक मण्डल का नाम- मुरादाबाद

5-ग्राम पंचात का नाम- आगापुर लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

ग्राम पंचायत से संबंधित आपत्तियां

प्रस्तर-127

| क्र0सं0 | आपत्ति सं0 | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का संक्षिप्त विवरण | अपहरण | दुरुपयोग | गंभीर अनियमित्ता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती बीना देवी व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश कुमार गौतम | ग्राम पंचायत के आलोच्य वर्ष 2019-20 में व्यय से सम्बन्धित अभिलेखएव्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न किये जाने से अपुष्ट धनराशि | | 2868199.00 | | |
| | योग | | | 2868199.00 | | |

5- ग्राम पंचायत- आगापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा हेतु ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) मिलक से अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 18/06/2020, 19/08/2020, 15/10/2020, 12/01/2021 तथा दिनांक 04/02/2021 को लिखित रूप से सूचित किया गया तथा दूरभाष एवं मौखिक रूप से अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए बार-बार कहा गया, किन्तु सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि प्रथम, मनरेगा, स्च्छ भारत मिशन इत्यादि योजनाओं में व्यय धनराशि रू0 2868199.00 (रुपये अट्ठाईस लाख अड़सठ हजार एक सौ निन्यानवे मात्र) प्रिया साफ्ट के अनुसार, के सापेक्ष लेखा परीक्षा हेतु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक तथा पत्रावलियां आदि उपलब्ध न कराने के कारण उक्त व्यय धनराशि अपुष्टित रहा। व्यय प्रमाणक का न होना अपहरण की श्रेणी में आता है तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल अध्याय 8 के खण्ड 7 खण्ड 8क तथा 8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम सं0 204 व 205 के विपरीत तथा अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत अपहरण है और अधिभार योग्य है। अतः समस्त किया गया व्यय अपुष्ट रहा, उक्त की ब्याज के साथ ग्राम प्रधान श्रीमती बीना देवी और ग्रा0पं0अधि0 श्री दिनेश कुमार गौतम से बराबर-बराबर भाग में वसूली की त्वरित कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रारूप-4**

## वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20

**जनपद का नाम-** सम्भल **मण्डल का नाम -** मुरादाबाद

ग्राम पंचायतों के अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

**1. ग्राम पंचायत- धनारीपट्टी बालूशंकर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद सम्भल।**

प्रस्तर-01

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 5153218.00 एवं रू0 5912391.00 कुल धनराशि रू0 11065609.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की

जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति शिवदेई एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मनोज कुमार गोस्वामी द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-11065609.00/-**

**2. ग्राम पंचायत - रसूलपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-02

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 3069093.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति गायत्री देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रामप्रकाश द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-3069093.00/-**

**3. ग्राम पंचायत- किशनपुर श्यामपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-03

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 2437045.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री हरि किशोर शर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रामप्रकाश द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2437045.00/-**

**4. ग्राम पंचायत- गुन्नौर दौलतखॉ वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-04

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 919099.00 एवं रू0 1342624.00 कुल धनराशि रू0 2261724.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति शकुंतला देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सत्येंद्र कुमार सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2261724.00/-**

**5. ग्राम पंचायत - खलीलपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-05

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 2746178.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति सुखलेश एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री इंद्रेश कुमार/मुरारीराम द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2746178.00/-**

**6. ग्राम पंचायत- छपरा वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-06

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1724267.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति भूरी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रामप्रकाश द्वारा किया

गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-1724267.00/-**

**7. ग्राम पंचायत - मखदूमपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-07

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 1450910.00 एवं रू0 1240067.00 कुल धनराशि रू0 2690977.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अतिराम एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सुधीर यादव द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2690977.00/-**

**8. ग्राम पंचायत - औरंगाबाद वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-08

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 726469.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति सोमवती एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-726469.00/-**

**9. ग्राम पंचायत - खजरा वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-9

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 607022.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ओमपाल सिंह एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रामप्रकाश द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-607022.00/-**

**10. ग्राम पंचायत- कैल वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-10

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 4520404.00 एवं रू0 3080226.00 कुल धनराशि रू0 7600630.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति चमेली देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अरविन्द कुमार शर्मा द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-7600630.00/-**

**11. ग्राम पंचायत- गढ़िया वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-11

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1677994.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री हरनाम सिंह एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सत्येन्द्र कुमार

द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-1677994.00/-**

**12. ग्राम पंचायत- पॅवारी वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 3714112.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री आकाश/अरबिन्द कुमार शर्मा द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-3714112.00/-**

**13. ग्राम पंचायत- फत्तेहपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-13

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1825010.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मूलचन्द्र एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रामप्रकाश द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-1825010.00/-**

**14. ग्राम पंचायत- जयरामनगर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-14

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1256003.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री वीरसिंह एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री इन्द्रेश कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-1256003.00/-**

**15. ग्राम पंचायत- महमूदपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-15

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 3384786.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति रामबेटी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सुधीर कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-3384786.00/-**

**16. ग्राम पंचायत- बहीपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-16

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 731200.00 एवं रू0 1217769.00 कुल धनराशि रू0 1948969.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नेत्रपाल एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री आकाश द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-1948969.00/-**

**17. ग्राम पंचायत- मेहुआ हसनगंज वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड-गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-17

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 3404429.00 एवं रू0 2627362.00 कुल धनराशि रू0 6031791.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति हरमाया देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री आकाश कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-6031791.00/-**

**18. ग्राम पंचायत- धनारी पट्टी लाल सिंह वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-18

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 3675631.00 एवं रू0 3919800.00 कुल धनराशि रू0 7595431.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मेहीलाल एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मनोज कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-7595431.00/-**

**19. ग्राम पंचायत- सिरौरा काजी वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-19

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 3016561.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजीव शर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री कमल सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-3016561.00/-**

**20. ग्राम पंचायत- जड़वार वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-20

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1424851.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति वीरवती एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रामप्रकाश द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-1424851.00/-**

**21. ग्राम पंचायत- कल्हा वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-21

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 1269808.00 एवं रू0 1636742.00 कुल धनराशि रू0 2906550.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री संजय एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री कपिल दयाल द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2906550.00/-**

**22. ग्राम पंचायत- मुड़ैना वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-22

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 3344231.00 एवं रू0 2149643.00 कुल धनराशि रू0 5593874.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति तारा देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री इन्द्रेश कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-5593874.00/-**

**23. ग्राम पंचायत- जगन्नाथपुर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-23

आलोच्य वर्ष 2018-19 कैशबुक में विभिन्न मदों में कुल धनराशि रू0 1673828.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री चन्द्रकिशोर एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-1673828.00/-**

**24. ग्राम पंचायत- सिकरोरा भूड़ वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-24

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 2314838.00 एवं रू0 2158490.00 कुल धनराशि रू0 4473328.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति मुनीशा देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सुखवीर पाल सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-4473328.00/-**

**25. ग्राम पंचायत- उधरनपुर/अजमतनगर वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-25

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 2525107.00 एवं रू0 4327994.00 कुल धनराशि रू0 6853101.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति दीपिका वर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मनोज कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-6853101.00/-**

**26. ग्राम पंचायत- भोना नगला वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-26

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 938307.00 एवं रू0 1811532.00 कुल धनराशि रू0 2749839.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति आशा देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र कुमार सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके

साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2749839.00/-**

**27. ग्राम पंचायत- कृतिया वर्ष 2018-19 व 2019-20 विकास खण्ड- गुन्नौर, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-27

आलोच्य वर्ष 2018-19 व 2019-20 कैशबुक में विभिन्न मदों में क्रमशः रू0 1207783.00 एवं रू0 1064177.00 कुल धनराशि रू0 2271960.00 व्यय किया गया है। खर्च की पुष्टि में वाउचर/पत्रावली नहीं पाए गए, जिसके कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति हरवेश देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री मनोज कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2271960.00/-**

**28. ग्राम पंचायत- फरीदपुर खुशहाल वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-28

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 1216109.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति लौंग श्री एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री इमरान द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-1216109.00/-**

**29. ग्राम पंचायत- ढकारी वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-29

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 4079678.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति सुशीला देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सत्येन्द्र सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-4079678.00/-**

**30. ग्राम पंचायत- बाहपुर पट्टी असालतपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-30

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 3636105.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई

वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रामचन्द्र एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-3636105.00/-**

**31. ग्राम पंचायत- खजरा खाखम वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-31

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 826499.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सोमपाल शर्मा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री चेतन कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-826499.00/-**

**32. ग्राम पंचायत- भरतपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-32

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 1366073.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री नन्द किशोर एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री चेतन कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-1366073.00/-**

**33. ग्राम पंचायत- आनन्दपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-33

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 2591947.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति गीता देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री चेतन कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2591947.00/-**

**34. ग्राम पंचायत- चितनपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-34

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 2275684.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति फरजाना एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री चेतन कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2275684.00/-**

**35. ग्राम पंचायत- मचखेड़ा वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-35

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 5317579.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति गुमानी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री जितेन्द्र प्रसाद द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-5317579.00/-**

**36. ग्राम पंचायत- मझोला वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-36

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 4182313.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति ज्योति रानी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-4182313.00/-**

**37. ग्राम पंचायत- परतापुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-37

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 2899244.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री हरिओम एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री चेतन कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-2899244.00/-**

**38. ग्राम पंचायत- फत्तेहपुर शमसोई वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-38

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 4292551.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री कमलेश एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री प्रेमपाल द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-4292551.00/-**

**39. ग्राम पंचायत- लहराबन वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- बहजोई, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-39

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार कुल रू0 3729051.00 धनराशि आहरण/व्यय की गयी है। जिससे सम्बन्धित कार्य योजना, प्राक्कलन, टेण्डर/कोटेशन, कार्य की आईडी, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री क्रय का आदेश, सामग्री क्रय का बिल/वाउचर/चालान व नियम 210 के अनुसार प्रारूप सं0 22 पर मजदूरी का मस्टरोल, स्टॉक रजिस्टर, कार्य की एम0बी0, मानदेय रजिस्टर, नियम 209 के अनुपालन में कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, भौतिक सत्यापन प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसे में रोकड़ बही में दर्शित व्यय ऑडिट में काल्पनिक व फर्जी है। वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) में प्रावधान है कि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/पत्रावली उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि अपहरण मानी जाती है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति सावित्री देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सतेन्द्र सिंह द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है।

**कुल योग-3729051.00/-**

**40. ग्राम पंचायत- मौ0 उर्फ विसनपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-40

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान प्रारम्भ में अवशेष धनराशि रू0 6421.40 वर्ष में प्राप्त रू0 1479418.00 तथा वर्ष में कुल रू0 1485839.40 वर्ष के दौरान व्यय रू0 1156980.30 व वर्षान्त में शेष रू0 328859.10 बिना उपयोग के खाते में पड़ी रही जिसको संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया। धनराशि का पूर्ण उपयोग न करना आपत्तिजनक रहा। धनराशि को अनियमित रूप से अवशेष रखना अनियमितता है। अतः उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-41

वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 1008603.00 के वाउचर नहीं पाए जाने पर आहरित धनराशि को अपहरण माना जाता है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति पूनम एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सतीश चन्द्रा द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑडिट करवाने जैसे राजकीय कार्य में रूचि नहीं लिया जाता है। ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो की भौतिक जांच विभागीय/अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**कुल योग-1337462.10/-**

**41. ग्राम पंचायत- सदीरनपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-42

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान प्रारम्भ में अवशेष धनराशि रू0 988470.00 वर्ष में प्राप्त रू0 3176308.00 तथा वर्ष में कुल रू0 4124778.00 वर्ष के दौरान व्यय रू0 3889222.50 व वर्षान्त में शेष रू0 235555.50 बिना उपयोग के खाते में पड़ी

रही जिसको संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया। धनराशि का पूर्ण उपयोग न करना आपत्तिजनक रहा। धनराशि को अनियमित रूप से अवशेष रखना अनियमितता है। अतः उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-43

वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 2599350.00 के वाउचर नहीं पाए जाने पर आहरित धनराशि को अपहरण माना जाता है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति रूकसाना एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सतीश चन्द्रा द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑडिट करवाने जैसे राजकीय कार्य में रूचि नहीं लिया जाता है। ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो की भौतिक जांच विभागीय/अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**कुल योग-2834905.50/-**

**42. ग्राम पंचायत- मौ0 मालनी वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-44

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान प्रारम्भ में अवशेष धनराशि रू0 591028.20 वर्ष में प्राप्त रू0 3037728.00 तथा वर्ष में कुल रू0 3628756.20 वर्ष के दौरान व्यय रू0 2916001.20 व वर्षान्त में शेष रू0 712755.00 बिना उपयोग के खाते में पड़ी रही जिसको संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया। धनराशि का पूर्ण उपयोग न करना आपत्तिजनक रहा। धनराशि को अनियमित रूप से अवशेष रखना अनियमितता है। अतः उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-45

वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 2047859.00 के वाउचर नहीं पाए जाने पर आहरित धनराशि को अपहरण माना जाता है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति रेशमा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री अजय कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑडिट करवाने जैसे राजकीय कार्य में रूचि नहीं लिया जाता है। ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो की भौतिक जांच विभागीय/अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**कुल योग-2760614.00/-**

**43. ग्राम पंचायत- चमरौआ वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-46

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान प्रारम्भ में अवशेष धनराशि रू0 19406.00 वर्ष में प्राप्त रू0 1997371.00 तथा वर्ष में कुल रू0 2016777.00 वर्ष के दौरान व्यय रू0 1431558.00 व वर्षान्त में शेष रू0 585219.00 बिना उपयोग के खाते में पड़ी रही जिसको संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया। धनराशि का पूर्ण उपयोग न करना आपत्तिजनक रहा। धनराशि को अनियमित रूप से अवशेष रखना अनियमितता है। अतः उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-47

वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 1314417.00 के वाउचर नहीं पाए जाने पर आहरित धनराशि को अपहरण माना जाता है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री दिग्विजय भाटी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रमेश चन्द्र द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑडिट करवाने जैसे राजकीय कार्य में रूचि नहीं लिया जाता है। ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो की भौतिक जांच विभागीय/अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**कुल योग-1899636.00/-**

**44. ग्राम पंचायत- धुधावली वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-48

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 1611902.00 के वाउचर नहीं पाए जाने पर आहरित धनराशि को अपहरण माना जाता है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति अफसरी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री सतीश चन्द्रा द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑडिट करवाने जैसे राजकीय कार्य में रूचि नहीं लिया जाता है। ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो की भौतिक जांच विभागीय/अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**कुल योग-1611902.00/-**

**45. ग्राम पंचायत- केशोपुर भण्डी वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-49

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान प्रारम्भ में अवशेष धनराशि रू0 18227.00 वर्ष में प्राप्त रू0 2254166.00 तथा वर्ष में कुल रू0 2272393.00 वर्ष के दौरान व्यय रू0 1637807.00 व वर्षान्त में शेष रू0 634586.00 बिना उपयोग के खाते में पड़ी रही जिसको संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया। धनराशि का पूर्ण उपयोग न करना आपत्तिजनक रहा। धनराशि को अनियमित रूप से अवशेष रखना अनियमितता है। अतः उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-50

वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 1336825.00 के वाउचर नहीं पाए जाने पर आहरित धनराशि को अपहरण माना जाता है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री दुर्गेश सैनी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रमेश कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑडिट करवाने जैसे राजकीय कार्य में रूचि नहीं लिया जाता है। ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो की भौतिक जांच विभागीय/अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**कुल योग-1971411.00/-**

**46. ग्राम पंचायत- हिसामपुर वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-51

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान प्रारम्भ में अवशेष धनराशि रू0 7844.30 वर्ष में प्राप्त रू0 2796272.00 तथा वर्ष में कुल रू0 2804116.30 वर्ष के दौरान व्यय रू0 1297219.00 व वर्षान्त में शेष रू0 1506897.30 बिना उपयोग के खाते में पड़ी रही जिसको संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया। धनराशि का पूर्ण उपयोग न करना आपत्तिजनक रहा। धनराशि को अनियमित रूप से अवशेष रखना अनियमितता है। अतः उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

प्रस्तर-52

वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 1176423.00 के वाउचर नहीं पाए जाने पर आहरित धनराशि को अपहरण माना जाता है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति अनीसा एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रमेश कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑडिट करवाने जैसे राजकीय कार्य में रूचि नहीं लिया जाता है। ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो की भौतिक जांच विभागीय/अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**कुल योग-2683320.30/-**

**47. ग्राम पंचायत- भारतल सिरसी वर्ष 2019-20 विकास खण्ड- सम्भल, जनपद- सम्भल।**

प्रस्तर-53

वित्तीय वर्ष 2019-20 में वर्ष के दौरान प्रारम्भ में अवशेष धनराशि रू0 987270.60 वर्ष में प्राप्त रू0 5521794.00 तथा वर्ष में कुल रू0 650964.60 वर्ष के दौरान व्यय रू0 5567920.00 व वर्षान्त में शेष रू0 941144.60 बिना उपयोग के खाते में पड़ी रही जिसको संबंधित विभाग को वापस नहीं किया गया। धनराशि का पूर्ण उपयोग न करना आपत्तिजनक रहा। धनराशि को अनियमित रूप से अवशेष रखना अनियमितता है। अतः उक्त के प्रति विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है

प्रस्तर-54

वित्त एवं पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय की गयी धनराशि रू0 3485884.00 के वाउचर नहीं पाए जाने पर आहरित धनराशि को अपहरण माना जाता है। इस प्रकार उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमति ऊषा देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री रमेश कुमार द्वारा किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। इसके साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जानी अपेक्षित है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑडिट करवाने जैसे राजकीय कार्य में रूचि नहीं लिया जाता है। ग्राम पंचायत में कराये गये कार्यो की भौतिक जांच विभागीय/अन्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**कुल योग-4427028.60/-**

## प्रयागराज मण्डल

## प्रारूप-4

## नाम संस्था-ग्राम पंचायत आलमपुर गेरिया लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20

**विकास खण्ड- धाता** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-1**

ग्राम पंचायत आलमपुर गेरिया की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

| क्र०सं० | दिनांक | चेक संख्या | व्यय धनराशि | व्यय पत्रावली/ प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-09-2019 | 001098 | 22300.00 | अप्राप्त |
| 2 | 13-08-2019 | 001099 | 25000.00 | अप्राप्त |
| | | योग:- | 47300.00 | |

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 47300.00 का व्यय प्रमाणक संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायिव्य होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय प्रमाणक उपलब्ध करायें |" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे | लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8क के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" | अतः व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है | व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि रुपया 47300.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धर्मेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह से समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत कोट** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- धाता** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-2**

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए |" लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपंप मरम्मत एवं रिबोर पर दर्शित व्यय का विवरण निम्नवत है | ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक, संबंधित पत्रावलियां अनुपलब्ध रही -

| क्र० सं० | दिनांक | भुगतान प्राप्तकर्ता फर्म/ मिस्त्री | व्यय धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.2019 | राजू मशीनरी स्टोर | 105220.00 |
| 2 | 17.12.2019 | फ़ातिमा प्रिंट एवं हार्डवेयर स्टोर | 65398.00 |
| 3 | 24.03.2020 | पटेल इन्टरप्राइजेज | 42500.00 |
| 4 | 24.03.2020 | फ़ातिमा प्रिंट एवं हार्डवेयर स्टोर | 85000.00 |
| 5 | 24.03.2020 | धर्मेन्द्र पेंट एवं मशीनरी स्टोर | 127500.00 |
| | | योग | 425618.00 |

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रु० 425618.00 का व्यय प्रमाणक संबंधित अभिलेख तथा संबंधित कार्य पत्रावलियां-ख़राब हैण्डपम्पों की स्थलवार सूची व प्रार्थना पत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, एम०बी०, तीनों स्तर के फोटोग्राफ्स व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा ख़राब व क्रय सामानों के लेखा रजिस्टर/डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए |

स्पष्ट है कि हैंडपंप कार्य मरम्मत एवं रिबोर के बिना प्राक्कलन तैयार किये तथा अनुमानित व्यय की बिना सक्षम स्तर से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कराया गया है तथा बिना कार्य की माप किये ही काल्पनिक आधार पर उक्त भुगतान किया गया है | उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 156 के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य को आरम्भ करने के पूर्व योजना मानचित्र व

अनुमानित व्यय की नियमानुसार स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है तथा नियम 157(ख) के अनुसार निर्माण कार्य कराये जाने के उपरांत भुगतान के लिए निर्धारित अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा कार्य की नाप जोख/माप किया जाना आवश्यक है तथा पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 (के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी |")

इस प्रकार स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करते हुए उक्त धनराशि रु० 425618.00 का ग्राम निधि प्रथम से भुगतान/अपहरण कर व्यय धनराशि दर्शित किया गया है | उक्त दर्शित व्यय धनराशि रु० 425618.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रबीउन निशा एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री मयंक सिंह से नियमानुसार ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत मवई** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- अमौली** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-3**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया(ए०डी०बी०) शाखा फतेहपुर के खाता संख्या 31595783253 से श्री विकास कुमार (ग्रा०वि०अ०) द्वारा रु० 623766.00 की धनराशि आहरित किया जाना दर्शित है | उक्त धनराशि के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख व्यय प्रमाणक, कोटेशन, एम०बी०, स्टीमेट, सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराये जाने से आहरित धनराशि की पुष्टि न हो सकी | इससे यह साबित होता है कि आहरित धनराशि रु० 623766.00 का अपहरण किया गया है | जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती वीरमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विकास कुमार उत्तरदायी रहे है | अतः उक्त धनराशि रु० 623766.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती वीरमती एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विकास कुमार से सामान रूप से करते हुए प्रत्येक से रु० 311883.00 ब्याज सहित वसूल करते हुए उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत चांदपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- अमौली** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-4**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में स्टेट बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा अमौली के खाता संख्या 34410100001424 से रु०3079801.00 की धनराशि का आहरण किया गया है जिसमें से रु० 2031240.00 का आहरण श्री जितेन्द्र सिंह पटेल द्वारा एवं रु० 1048561.00 का आहरण श्री विकास कुमार द्वारा किया गया है |श्री विकास कुमार सचिव द्वारा आहरित धनराशि रु०1048561.00 के व्यय की पुष्टि हेतु आवश्यक अभिलेख व्यय प्रमाणक, कोटेशन, एम०बी०, स्टीमेट, सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध न कराये जाने से आहरित धनराशि की पुष्टि न हो सकी | उक्त अभिलेखों की अनुपलब्धता से यह साबित होता है कि उक्त धनराशि विकास कार्यों पर व्यय न करके आहरित धनराशि रु० 1048561.00 के सापेक्ष काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया है जिसके लिए ग्राम प्रधान कान्ती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विकास कुमार उत्तरदायी रहे है | अतः उक्त आहरित धनराशि रु० 1048561.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान कान्ती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विकास कुमार से सामान रूप में करते हुए प्रत्येक से रु० 524280.50 ब्याज सहित वसूल करते हुए उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत कापिल** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- अमौली** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-5**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के खाता संख्या 54410100001421 से रु० 1954784.00 आहरित किया जाना दर्शित है किन्तु लेखा परीक्षा के समय व्यय प्रमाण पत्र , स्टीमेट, कार्य योजना, कोटेशन, निर्माण कार्य रजिस्टर,स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, सक्षम तकनीकी अधिकारी से प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध नही कराये गये जिससे आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि न हो सकी | इससे यह साबित होता है कि उक्त आहरित धनराशि रु०1954784.00 का अपहरण किया गया है | जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित सोनकर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विकास कुमार उत्तरदायी रहे है | ग्राम विकास अधिकारी श्री अमित सोनकर के कार्यकाल में रु०1158263.00 की निकासी की गयी है तथा श्री विकास कुमार के कार्यकाल में रुपया 796521.00 का आहरण किया गया है | अतः ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी से रु० 977392(1954784÷2) की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है | श्री अमित सोनकर से रु०579131.50 (1158263÷2) एवं श्री विकास कुमार से रु०398260.50 (796521÷2) धनराशि ब्याज सहित वसूल करते हुए प्रधान एवं दोनों ग्राम विकास अधिकारी के प्रति उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत सोहदमऊ** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- ऐरायां** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-6**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक 03-08-2019 को व्यय प्रमाणक 13 द्वारा प्राथमिक विद्यालय सोहदमऊ में मिट्टी पुराई का कार्य रुपया-81184.00 का भुगतान दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है | जिसके लिए प्रधान श्री गयासउद्दीन व चन्द्रभान ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है, ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ट संख्या 36 के पैरा 8(क) में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली श्री गयासउद्दीन प्रधान व चन्द्रभान ग्राम विकास अधिकारी से सामान रूप से रुपया 81184.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत खटौली** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- बहुआ** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-7**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक 13-03-2020 को व्यय प्रमाणक 26 द्वारा शिव इंटरप्राइजेज को वाल पेंटिंग का रुपया 121602.00 का भुगतान दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है | जिसके लिए प्रधान श्रीमती श्यामकली व राघवेन्द्र प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है, ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ट संख्या 36 के पैरा 8(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्यामकली प्रधान व राघवेन्द्र प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी से सामान रूप से रुपया 121602.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है|

**प्रस्तर-8**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक 13-03-2020 को व्यय प्रमाणक 35 द्वारा लक्ष्मी ट्रेडर्स को हैण्डपंप मरम्मत सामग्री व मजदूरी का रुपया 55000.00 का भुगतान दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती श्याम कली व राघवेन्द्र प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है | ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 8(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती श्याम कली प्रधान व श्री राघवेन्द्र प्रसाद ग्राम विकास अधिकारी से समान रूप से रुपया 55000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत श्यामपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- बहुआ** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-9**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक 20-04-2019 को व्यय प्रमाणक 6 द्वारा सफाई कर्मी किट क्रय का रुपया 21000.00 का भुगतान दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री सुरेश चन्द्र व राघवेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है | ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 8(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली श्री सुरेश चन्द्र प्रधान व श्री राघवेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी से सामान रूप से रुपया 21000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**प्रस्तर-10**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा कैशबुक के अनुसार दिनांक 14-08-2019 को व्यय प्रमाणक 11 द्वारा रुपया 6000.00 व दिनांक 15-08-2019 को व्यय प्रमाणक 12 द्वारा रुपया 4000.00 का प्रशासनिक व्यय का भुगतान दर्शित है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री सुरेश चन्द्र व श्री राघवेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है | ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 8(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली श्री सुरेश चन्द्र प्रधान व श्री राघवेन्द्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी से सामान रूप से रुपया 10000.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत परेठी** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- बहुआ** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-11**

ग्राम पंचायत परेठी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

| क्र०सं० | दिनांक | चेक संख्या | व्यय धनराशि | व्यय पत्रावली/ प्रमाणक |
|---|---|---|---|---|

| | | | | प्राप्त/अप्राप्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-04-2019 | 240197 | 51000.00 | अप्राप्त |
| 2 | 15-04-2019 | 240191 | 15000.00 | अप्राप्त |
| | | योग:- | 66000.00 | |

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 66000.00 का व्यय प्रमाणक संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायिव्य होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय प्रमाणक उपलब्ध करायें |" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे | लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8क के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" | अतः व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है | व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि 66000.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शिव कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री रमेश चन्द्र से समानुपात में किया जाना अपेक्षित है।

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत ब्योटी** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- विजयीपुर** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-12**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कोषबही/बैंक खातों एवं प्रियासाफ्ट के अनुसार दर्शित कुल प्राप्तियों एवं कुल व्ययों एवं अवशेषों में निम्नानुसार अंतर रहा :-

| क्र० | विवरण | प्रा. अवशेष | कुल प्राप्तियां | कुल व्यय | अंतिम अवशेष | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कोषबही/बैंक खातो के अनुसार | 53396.50 | 1182041.00 | 364231.00 | 871206.50 | नकद अवशेष-रुपया शून्य |
| 2 | प्रियासाफ्ट के अनुसार | 501630.00 | 974535.00 | 833046.00 | 643119.00 | नकद अवशेष-रुपया 20480.00 |
| | अंतर की धनराशि | 448233.50 | 207506.00 | 468815.00 | 269047.50 | कैश अंतर-रुपया 20480.00 |

कोषबही/बैंक खातों एवं प्रिया साफ्ट में उपरोक्तानुसार अन्तर-प्रियासाफ्ट फीडिंग कैशबुक के अनुसार न होने के कारण रहा | लेखों में इतनी बड़ी धनराशि का अंतर होना, किसी भी प्रकार की वितीय अनियमितता/गड़बड़ी होना भी संभावित है | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कोषबही के अनुसार दिनांक 01-04-2019 व 31-3-2020 को प्रा.व अंतिम अवशेषों में नकद अवशेष धनराशि-शून्य दर्शायी गयी है| जबकि प्रियासाफ्ट के अनुसार प्रा.व अंतिम अवशेषों में नकद अवशेष धनराशि रुपया 20480.00 दर्शित है| जो कि कोषबही के विगत वर्षो के नकद अवशेष से संबंधित है | जिसे कोषबही में कोषांकित न करके, नकद अवशेष धनराशि रुपया 20480.00 का अपहरण किया गया है | अतएव उक्त के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करते हुए, संबंधित से इसकी ब्याज सहित वसूली किए जाने के साथ ही, अंतर के सम्बन्ध में यथास्थिति लेखा-सुधार करते हुए समुचित कार्यवाही अपेक्षित है |

**प्रस्तर-13**

(अ) आलोच्य वर्ष में कोषबही ग्रा०नि०1 के अनुसार रा०वि० एवं 14वां वित्त आयोग मद में प्रा०अवशेष रुपया 53396.50, वर्ष में प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रु०1182041.00 इस प्रकार कुल प्राप्त अनुदान धनराशि रु०1235437.50 के सापेक्ष, समीक्ष्य वर्ष में कुल उपभोग/व्यय की गयी धनराशि रु०364231.00 के उपरांत वर्षांत में दिनांक 31.03.2020 को अंतिम अवशेष अनुदान धनराशि कुल रु० 871206.50 दर्शित रही | जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को रा०वि० एवं 14वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रु०1182041.00 के सापेक्ष कुल रुपया 364231.00 का ही उपभोग किया गया है | शेष अनुदान धनराशि कुल रुपया 817810.00 बैंकखाते में अवशेष रही | जिसका न तो उपभोग किया गया और न ही नियमानुसार शासन/ राज्य फण्ड में वापस की गयी | इस प्रकार इकाई स्तर पर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है | अतएव प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(ब) उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य वित्तीय नियम-2005 के नियम सं०-212(5) के अनुसार अनुदान किश्त के अवमुक्त होने के पूर्व स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है | जो कि नहीं किया गया | उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है |

**प्रस्तर-14**

आलोच्य वर्ष में कोषबही ग्रा०नि०-1 के अनुसार रा०वि०/14वां वित्त आयोग मद में निम्न विवरणानुसार कुल रुपया 203915.00 व्यय भुगतान दर्शित है:-

| क्र० | वाउ.सं/दिनांक | कार्य/व्यय-विवरण | धनराशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/09-04-19 | खडंजा नि०-जू०हाईस्कूल से राम मूर्ति के घर तक-ईट क्रय-शुक्ला ब्रिक | 34076.00 | केवल ईट क्रय, म०रोल नहीं \| |
| 2 | 06/14-08-19 | प्रा०/उ०प्रा०वि०-फर्श मरम्मत हेतु सीमेंट मोरंग आदि क्रय- विनीत ट्रेडर्स | 46962.00 | केवल सीमेंट-मोरंग क्रय, म०रोल नहीं \| |
| 3 | 07/14-08-19 | प्रा०वि०परिसर में खडंजा निर्माण-ईट क्रय-शुक्ला ब्रिक फील्ड | 51975.00 | केवल ईट क्रय, म०रोल नहीं \| |
| 4 | 08/14-08-19 | खडंजा मरम्मत- राजू के घर से छैला के घर तक-ईट क्रय- शुक्ला ब्रिक | 70902.00 | केवल ईट क्रय, म०रोल नहीं \| |
| | | सम्पूर्ण योग:- | 203915.00 | |

किन्तु कैशबुक में उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों एवं दर्शित व्यय-भुगतानों की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख- नि०कार्य-पत्रावलियां- यथा व्यय प्रमाणक- कैशमेमो/बिल-वाउचर्स, म.रोल, अनुमानित व्यय- प्राक्कलन, वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर, एम०बी०-फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा स्टाक-लेखा आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में जाँच-समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए | जबकि पं०राज नियम 152 से 156 तक की कार्यवाही की पुष्टि में इकाई द्वारा उक्त मद से उपरोक्तानुसार कराये गये कार्यों एवं किये गये व्यय-भुगतानों की पुष्टि हेतु उक्त वांछित अभिलेख आवश्यक व अपेक्षित है | यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि- आलोच्य वर्ष में कैशबुक में उक्त निर्माण कार्यों हेतु केवल ईट, मोरंग-सीमेंट आदि का क्रय / भुगतान दर्शित है | किसी भी निर्माण कार्य हेतु मजदूरी-भुगतान नहीं है | जिसके बिना निर्माण कार्य संभव नहीं है | ऐसी स्थिति में बिना मजदूरी-भुगतान के कैशबुक में उपरोक्तानुसार दर्शित निर्माण कार्य व व्यय भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि कुल रुपया 203915.00 संदिग्ध व फर्जी प्रतीत होती है | अतः "लेखा मैनुअल पृ०सं०-36 के पैरा8(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री मेवा लाल व् ग्रा०पं०वि०अधिकारी श्री सुभाष सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत खख्योरी** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- विजयीपुर** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-15**

(अ) आलोच्य वर्ष में कोषबही ग्रा०नि०1 के अनुसार रा०वि० एवं 14वां वित्त आयोग मद में प्रा०अवशेष रुपया 79733.50, वर्ष में प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रु०1904133.00 इस प्रकार कुल प्राप्त अनुदान धनराशि रु०1983866.50 के सापेक्ष, कुल उपभोग/व्यय की गयी धनराशि रु०132062.00 के उपरांत वर्षांत में दिनांक 31.03.2020 को अंतिम अवशेष अनुदान धनराशि कुल रु०1851804.50 दर्शित रही | जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को रा०वि० एवं 14वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रु०1904133.00 के सापेक्ष कुल रुपया 132062.00 का ही उपभोग किया गया है | शेष अनुदान धनराशि कुल रुपया 1772071.00 बैंकखाते में अवशेष रही | जिसका न तो उपभोग किया गया और न ही नियमानुसार शासन/ राज्य फण्ड में वापस की गयी | इस प्रकार इकाई स्तर पर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिए ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुभाष सिंह उत्तरदायी है | अतएव प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(ब) उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य वित्तीय नियम-2005 के नियम सं०-212(5) के अनुसार अनुदान किश्त के अवमुक्त होने के पूर्व स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है | जो कि नहीं किया गया | अतएव उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है ।

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत सुजानीपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- विजयीपुर** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-16**

आलोच्य वर्ष में कोषबही ग्रा०नि०-1 के अनुसार राजवित्त/14वां वित्त आयोग मद से हैण्डपंप मरम्मत/रेबोर आदि हेतु निम्न विवरणानुसार कुल रुपया 267700.00 व्यय भुगतान किया जाना दर्शाया गया है:-

| क्र० | वाउ.सं/दिनांक | कार्य/व्यय-विवरण | धनराशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/03-04-19 | हैण्डपंप मरम्मत सामग्री पर व्यय | 6000.00 | |
| 2 | 04/05-03-20 | हैण्डपंप रिबोर-बोरिंग एवं बोरकटिंग सामग्री व्यय | 199200.00 | |
| 3 | 05/16-03-20 | हैण्डपंप मरम्मत हेतु मजदूरी पर व्यय | 12500.00 | |
| 4 | 06/16-03-20 | हैण्डपंप मरम्मत हेतु पार्ट्स क्रय | 50000.00 | |
| | | सम्पूर्ण योग:- | 267700.00 | |

किन्तु कोषबही में उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय-भुगतान की पुष्टि में अपेक्षित अभिलेख- यथा व्यय प्रमाणक- कैशमेमो/बिल-वाउचर्स,खराब हैण्डपंपों की स्थलवार-सूची, व प्रार्थनापत्र, जल प्रबंधन समिति की स्वीकृति, जल निगम विभाग की प्रतीक्षा सूची एवं मार्गदर्शिका, अनुमानित व्यय - प्राक्लन, वित्तीय तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, स्थलवार एम०बी०-फोटोग्राफी व कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र तथा ख़राब व क्रय सामानों के लेखा सम्बन्धी डेड-स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गये | इसके अलावां उक्त के संदर्भ में शासनादेश सं०-आर०जी०एसअ०/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 के अनुसार- जी०पी०डी०पी० की तैयारकार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु-2 में स्पष्ट निर्देश है कि रु० 20000 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्पों की एक ग्रुप आई०डी० अथवा इससे अधिक की वर्क आई०डी० विकसित कर, अनियमित व मनमाने ढंग से व्यय से व्यय-भुगतान किये गए है | अतएव कैशबुक में दर्शित व्यय-भुगतान की सम्पूर्ण धनराशि कुल रु०267700.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी | अतएव, सम्यक अभिलेखों से उक्त की पुष्टि करायी जानी अपेक्षित है | अन्यथा स्थिति में "लेखा मैनुअल पृ०सं०-36 के पैरा(क)" में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, जांचोपरान्त इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री माता बदल सिंह व ग्रा०पं०वि०अधिकारी श्री सुमित सिंह से सामान रूप से की जानी अपेक्षित है |

**प्रस्तर-17**

(अ) आलोच्य वर्ष में कोषबही ग्रा०नि०1 के अनुसार रा०वि० एवं 14वां वित्त आयोग मद में प्रा०अवशेष रुपया 11814.75, वर्ष में प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रु०1281318.00 इस प्रकार कुल प्राप्त अनुदान धनराशि रु०1293132.75 के सापेक्ष, समीक्ष्य वर्ष में कुल उपभोग/व्यय की गयी धनराशि रु०365422.16 के उपरांत वर्षांत में दिनांक 31.03.2020 को अंतिम अवशेष अनुदान धनराशि कुल रु०927710.59 दर्शित रही | जिससे स्पष्ट है कि वर्ष आलोच्य में ग्राम पंचायत को रा०वि० एवं 14वां वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान धनराशि कुल रु० 1281318.00 के सापेक्ष कुल रुपया 365422.16 का ही उपभोग किया गया है | शेष अनुदान धनराशि कुल रुपया 915896.00 बैंकखाते में अवशेष रही | जिसका न तो उपभोग किया गया और न ही नियमानुसार शासन/ राज्य फण्ड में वापस की गयी | इस प्रकार इकाई स्तर पर गंभीर वित्तीय अनियमितता की गयी है | जिसके लिए तत्कालीन ग्रा०पं०/वि०अधिकारी श्री सुमित सिंह उत्तरदायी है। अतएव प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

(ब) उक्त के परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्य वित्तीय नियम-2005 के नियम सं०-212(5) के अनुसार अनुदान किश्त के अवमुक्त होने के पूर्व स्थानीय निकायों के द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है | जो कि नहीं किया गया | अतएव आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत धमिना** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- तेलियानी** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-18**

ग्राम पंचायत धमिना में ग्राम निधि खाते से दिनांक 20.08.2019 को बाउचर संख्या 26,27,28,29 व 30 द्वारा हैण्डपंप रिबोर व सामग्री पर क्रमशः रु०28825.00, 28825.00, 29480.00, 37250.00 व 29480.00 कुल रुपया 153860.00 का व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि हेतु क्रय बाउचर व अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः बाउचर में सन्निहित धनराशि रुपया 153860.00 प्रधान श्री जय सिंह पटेल व ग्रा०पं०अधि० श्री सुनील कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री जय सिंह पटेल (प्रधान) व श्री सुनील कुमार (ग्रा०पं०अधि०) से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत अलादातपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- तेलियानी** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-**19

ग्राम पंचायत अलादातपुर में ग्राम निधि खाते से दिनांक 09.08.2019 को हैण्डपंप रिबोर व सामग्री पर रु० 237927.00 व दिनांक 16.03.2020 को हैण्डपंप रिबोर सामग्री पर रु०148685.00 कुल धनराशि 386612.00 का व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि हेतु क्रय बाउचर व अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः बाउचर में सन्निहित धनराशि रुपया 386612.00 प्रधान श्रीमती कमला देवी व ग्रा०पं०अधि० सुश्री निशा द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्रीमती कमला देवी (प्रधान) व सुश्री निशा (ग्रा०पं०अधि०) से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत ओझी खरगसेनपुर कदवा** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- तेलियानी** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-**20

ग्राम पंचायत ओझी खरगसेनपुर कदवा में ग्राम निधि खाते से दिनांक 24.06.2019 को बाउचर संख्या 28,29,30 व 31 द्वारा हैण्डपंप सामग्री पर क्रमशः रु०17613.00, 13501.00, 19766.00, व 20131.00 एवं दिनांक 03.01.2020 को बाउचर संख्या 38 द्वारा रु०73233.00 कुल रुपया144244.00 का व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि हेतु क्रय बाउचर व अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः बाउचर में सन्निहित धनराशि रुपया 144244.00 प्रधान श्री अशोक कुमार व ग्रा०पं०अधि० श्री कृष्ण पाल यादव द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री अशोक कुमार (प्रधान) व श्री कृष्ण पाल यादव (ग्रा०पं०अधि०) से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत नसीरपुर बेलवारा** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- तेलियानी** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-**21

ग्राम पंचायत नसीरपुर बेलवारा में ग्राम निधि खाते से दिनांक 17.02.2020 को बाउचर संख्या 28 द्वारा ह्यूम पाइप पर व्यय की गयी धनराशि क्रमशः रु० 44638.00 व दिनांक 20.02.2020 को हैण्डपंप सामग्री व मजदूरी पर रु० 18592.00 कुल धनराशि रु० 63230.00 का व्यय दर्शाया गया है जिसकी पुष्टि हेतु क्रय बाउचर व अन्य अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः बाउचर में सन्निहित धनराशि रुपया 63230.00 प्रधान श्री प्रमोद कुमार व ग्रा०पं०अधि० श्री सुनील कुमार द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली श्री प्रमोद कुमार (प्रधान) व श्री सुनील कुमार (ग्रा०पं०अधि०) से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत आलमगंज** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- खजुहा** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-**22

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत आलमगंज की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथि में कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित है किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा | इस प्रकार व्यय/भुगतान दर्शित धनराशि रुपया 15321.00 का अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिए ग्राम प्रधान जन्नतुन निशा एवं ग्राम वि/पं अधिकारी विजय कुमार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है | उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान जन्नतुन निशा एवं ग्रा वि/पं अधिकारी विजय कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित है |
विवरण निम्न है-

1 दिनांक 20/05/2019- प्राथमिक विद्यालय नाथूखेड़ा में बाउंड्रीवाल उच्चीकरण हेतु सामग्री क्रय धनराशि रुपया 6984.00
2 दिनांक 18/06/2019 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक वि० आलमगंज में पुताई हेतु सामग्री क्रय धनराशि रुपया 8337.00

**प्रस्तर-**23

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत आलमगंज में शासन द्वारा प्राप्त अनुदान को सार्वजानिक विकास एवं जनसामान्य को लाभान्वित करने हेतु कार्य योजना बनाकर सम्पूर्ण धनराशि को व्यय किया जाना था किन्तु वर्षांत धनराशि रुपया 2008160.25 अवशेष रही| कार्य योजना के अभाव में सम्पूर्ण धनराशि का लाभ जनसामान्य को प्राप्त न हो सका | साथ ही साथ अनुदानित धनराशि का उपयोग अगले वित्तवर्ष में करने पर कार्यों में लागत बढ़ जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता | इस गंभीर अनियमितता के लिए तत्कालीन ग्राम वि/पं अधिकारी एवं तत्कालीन प्रधान जिम्मेदार है | अवशेष धनराशि को सार्वजनिक विकास कार्य योजना बनाकर व्यय किए जाने हेतु यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत परादान** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- खजुहा** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-**24

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत पारादान की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथि में कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित है किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा | इस प्रकार व्यय/भुगतान दर्शित धनराशि रुपया 17970.00 का अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिए ग्राम प्रधान रामसरन एवं ग्राम वि/पं अधिकारी अवध लाल सोनकर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है | उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान रामसरन एवं ग्रा वि/पं अधिकारी अवध लाल सोनकर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है |
विवरण निम्न है-

| **दिनांक** | **धनराशि** | **कार्य विवरण** |
|---|---|---|
| 26/03/20 | 17970.00 | क्रय सामग्री हैण्डपंप मरम्मत |

**प्रस्तर-25**

ग्राम पंचायत पारादान की 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम निधि-1 खाता संख्या (एस०बी०आई०) 31595075852 से दिनांक 13/01/20 को रुपया 10500.00 आहरित है किन्तु उक्त धनराशि के व्यय/उपयोगिता के पुष्टि में कैशबुक के आय एवं व्यय पक्ष में न तो कोई कोषांकन किया गया है न ही उक्त धनराशि को वर्षांत नकद रोकड़ अवशेष के रूप में दर्शित किया गया है | इस प्रकार उक्त धनराशि रुपया 10500.00 का अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिए प्रधान रामसरन एवं ग्राम वि/पं अधिकारी अवध लाल सोनकर पूर्ण रूप से जिम्मेदार है | उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान रामसरन एवं ग्रा वि/पं अधिकारी अवध लाल सोनकर से समान रूप से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत फरसी** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- भिटौरा** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-26**

**एक ही कार्य हेतु दो बार भुगतान कर रुपया 388133.00 का अपहरण |**

संस्था की कैशबुक/पासबुक - 13530100007563 के अनुसार ग्राम निधि-I से प्राथमिक विद्यालय सैबसी में टाइल्स लगवाने हेतु दिनांक 20.02.2020 को निम्न व्यय दर्शित है :-

| दिनांक | पी०एफ़०एम०एस० | प्राप्तकर्ता फर्म | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 20.02.2020 | 1392309 | शहजादे ट्रेडर्स | 30972.00 |
| 20.02.2020 | 1351414 | शहजादे ट्रेडर्स | 164068.00 |
| 20.02.2020 | 1329806 | अमित ट्रेडर्स | 3000.00 |
| 20.02.2020 | 1366498 | शहजादे ट्रेडर्स | 156878.00 |
| 20.02.2020 | 1397223 | अमित ट्रेडर्स | 3000.00 |
| 20.02.2020 | 1398767 | शहजादे ट्रेडर्स | 30215.00 |
| | | योग:- | 388133.00 |

पुनः दिनांक 24.02.2020 को रुपया 388133.00 इसी कार्य हेतु व्यय किया जाना दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है:-

| दिनांक | पी०एफ़०एम०एस० | प्राप्तकर्ता फर्म | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 24.02.2020 | 1726139 | शहजादे ट्रेडर्स | 30972.00 |
| 24.02.2020 | 1734480 | शहजादे ट्रेडर्स | 164068.00 |
| 24.02.2020 | 1721720 | अमित ट्रेडर्स | 3000.00 |
| 24.02.2020 | 1701442 | शहजादे ट्रेडर्स | 156878.00 |
| 24.02.2020 | 1744028 | अमित ट्रेडर्स | 3000.00 |
| 24.02.2020 | 1734370 | शहजादे ट्रेडर्स | 30215.00 |
| | | योग:- | 388133.00 |

ग्राम पंचायत सचिव श्री रणधीर सिंह के अनुसार दिनांक 24.02.2020 को रुपया 388133.00 का पुनः भुगतान तकनीकी गलती से हुआ है | किन्तु दिनांक 31.03.2020 तक उक्त धनराशि संबंधित फर्मों से वापस नहीं ली गयी है | जो आपत्तिजनक है | अतः रुपया 388133.00 संबंधित फर्मों से तत्काल ब्याज सहित वसूल किए जाने चाहिए | उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद असलम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रणधीर सिंह से समानुपात में की जानी चाहिए |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत लकड़ी बसावनपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**
**विकास खण्ड- भिटौरा** **जनपद-फतेहपुर**
**प्रस्तर-**27

आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत लकड़ी बसावनपुर के कैशबुक एवं पासबुक अकाउंट नंबर 13530100007591 के अवलोकनोपरान्त ज्ञात हुआ कि दिनांक 29.02.2020 को वृक्षारोपण हेतु मधुबन पौधशाला फतेहपुर से रुपया 14900.00 की पौध क्रय की गयी एवं दिनांक 18.03.2020 को पौधों की सुरक्षा हेतु मधुबन पौधशाला से ही रुपया 60000.00 के ट्री गार्ड क्रय किए गए | उक्त व्यय धनराशि 74900.00 के सापेक्ष व्यय वाउचर,स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत नहीं किए गए | स्पष्ट है कि रुपया 74900.00 का अपहरण किया गया है | उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शशिलता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री जीत बहादुर से समानुपात में की जानी अपेक्षित है|

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत टांडा** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**
**विकास खण्ड- भिटौरा** **जनपद-फतेहपुर**
**प्रस्तर-**28

आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत टांडा के कैशबुक एवं पासबुक A/C 13530100007556 के अवलोकनोपरान्त ज्ञात हुआ कि दिनांक 24.01.2020 को रुपया 28000.00 आहरित है, किन्तु कैशबुक में दर्शित है कि उक्त धनराशि त्रुटिवश ग्राम प्रधान ओझापुर के खाते में हस्तांतरित हो गयी है | उक्त धनराशि को दिनांक 31.03.2020 तक ग्राम पंचायत टांडा के बैंक खाते में वापस ट्रान्सफर नहीं कराया गया है, जोकि गलत भुगतान का गंभीर प्रकरण है | उक्त धनराशि को तत्काल ग्राम प्रधान ओझापुर के बैंक खाते से ग्राम पंचायत टांडा के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है | अन्यथा की स्थिति में उक्त धनराशि रुपया 28000.00 को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती प्रेमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री ऋषभ पटेल से समानुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत महोई** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**
**विकास खण्ड- भिटौरा** **जनपद-फतेहपुर**
**प्रस्तर-**29

संस्था की वर्ष 2019 -20 की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि हैन्डपंपों की मरम्मत का कार्य बिना जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है |विवरण निम्न है:-

| क्र०सं० | दिनाँक | व्यय का विवरण | भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम | चेक संख्या/ इंस्ड्रूमेंट अकाउंट नंबर 13530100007580 | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.05.19 | हैन्डपंप सामग्री | धीरज ऐग्रिकल्चर एम्पलीमेंट | 309 | 30000.00 |
| 2 | 11.06.19 | हैन्डपंप सामग्री | संदीप ट्रेडर्स भिटौरा | 312 | 14990.00 |
| 3 | 24.10.19 | हैन्डपंप सामग्री | अज्ञात | 272 | 24970.00 |
| 4 | 24.10.19 | हैन्डपंप सामग्री | अज्ञात | 271 | 24600.00 |
| | | | | योग:- | 94560.00 |

जल प्रबंध समिति की स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टीमेट, एम०बी० आदि के अभाव में स्पष्ट है कि रुपया 94560.00 का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रजिया बेगम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री राजेश कुमार चौधरी से समानुपात में की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत भैरवा** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**
**विकास खण्ड- हसवां** **जनपद-फतेहपुर**
**प्रस्तर-**30

ग्राम पंचायत भैरवा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

| क्र० सं० | दिनांक | चेक संख्या | व्यय धनराशि | व्यय पत्रावली/ प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02-04-2019 | 161 | 36500.00 | अप्राप्त |
| | | योग:- | 36500.00 | |

उपर्युक्त दर्शित व्यय (वृक्षारोपण हेतु ओम साई सप्लायर) धनराशि रुपया 36500.00 का व्यय प्रमाणक(वाउचर) संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय प्रमाणक/वाउचर उपलब्ध करायें |" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे | लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8क के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" | अतः व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है | व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि 36500.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राजेश्वरी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री आशीष कुमार से समानुपात में की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत अचिंतपुर पिटाई** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- हसवां** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-31**

ग्राम पंचायत अचिंतपुर पिटाई की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

| क्र० सं० | दिनांक | चेक संख्या | व्यय धनराशि | व्यय पत्रावली/ प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2019 | 227 | 54969.00 | अप्राप्त |
| | | योग:- | 54969.00 | |

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 54969.00 का व्यय प्रमाणक संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है-"ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय प्रमाणक उपलब्ध करायें |" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे | लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-8क के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" | अतः व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है | व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि 54969.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विपिन कुमार से समानुपात में की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत देवलान** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- असोथर** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-32**

आलोच्य वर्ष-2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि-1 राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग मद से विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशि के सापेक्ष हैण्डपम्पों और विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कुल रु०4832357.00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है, किन्तु उक्त की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक (कैश मेमों/बिल) एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों, अनुमानित व्यय, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वितीय स्वीकृति, प्राकलन, एम०बी०, फोटो ग्राफी एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पेज संख्या 36 के पैरा 8क में दी गयी व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण धनराशि रु०4832357.00 को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती राजकली तथा ग्रा०वि०अ० श्री रामकृपाल से समानुपात रूप से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत बहादुरपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- असोथर** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-33**

आलोच्य वर्ष-2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि-1 राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग मद से विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशि के सापेक्ष हैण्डपम्पों और विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कुल रु०485760.00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है, किन्तु उक्त की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक (कैश मेमों/बिल) एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों, अनुमानित व्यय, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राकलन, एम०बी०, फोटो ग्राफी एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पेज संख्या 36 के पैरा 8क में दी गयी व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण धनराशि रु०485760.00 को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री सुधाकर तथा ग्रा०वि०अ० श्री रामकृपाल से समानुपात रूप से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत लिलरा** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- असोथर** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-34**

आलोच्य वर्ष-2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि-1 राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग मद से विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशि के सापेक्ष हैण्डपम्पों और विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कुल रु०624199.00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है, किन्तु उक्त की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक (कैश मेमों/बिल) एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों, अनुमानित व्यय, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राकलन, एम०बी०, फोटो ग्राफी एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पेज संख्या 36 के पैरा 8क में दी गयी व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण धनराशि रु०624199.00 को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री रामबाबू तथा ग्रा०वि०अ० श्री रामकृपाल से समानुपात रूप से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत सेवरामऊ** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- असोथर** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-35**

आलोच्य वर्ष-2019-20 में कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम निधि-1 राज्य वित्त एवं 14वां वित्त आयोग मद से विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशि के सापेक्ष हैण्डपम्पों और विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कुल रु०1234677.00 भुगतान किया जाना दर्शाया गया है, किन्तु उक्त की पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक (कैश मेमों/बिल) एवं निर्माण कार्य पत्रावलियों, अनुमानित व्यय, प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, प्राकलन, एम०बी०, फोटो ग्राफी एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बावजूद लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, ऐसी स्थिति में लेखा मैनुअल पेज संख्या 36 के पैरा 8क में दी गयी व्यवस्था अनुसार सम्पूर्ण धनराशि रु०1234677.00 को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मुन्नी देवी तथा ग्रा०वि०अ० श्री प्रकाश तिवारी से समानुपात रूप से की जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत सरौली** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- हथगांव** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-36**

ग्राम पंचायत सरौली की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

| क्र० सं० | दिनांक | चेक संख्या | व्यय धनराशि | व्यय पत्रावली/ प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-03-2020 | R032001906112 | 49874.00 | अप्राप्त |
| | | योग:- | 49874.00 | |

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 49874.00 का व्यय प्रमाणक(वाउचर) संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय प्रमाणक उपलब्ध करायें

|" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे | लेखा मैनुअल के पृ०सं०36 के अनुच्छेद-8क के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" | अतः व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है | व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि 49874.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री चन्द्रपति एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री दिनेश श्रीवास्तव से समानुपात रूप से किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत बैंगांव** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- हथगांव** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-37**

ग्राम पंचायत बैगांव की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

| क्र० सं० | दिनांक | चेक संख्या | व्यय धनराशि | व्यय पत्रावली/ प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-07-2019 | 015424 | 70420.00 | अप्राप्त |
| | | योग:- | 70420.00 | |

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 70420.00 का व्यय प्रमाणक(वाउचर) संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय प्रमाणक उपलब्ध करायें |" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे | लेखा मैनुअल के पृ०सं०36 के अनुच्छेद-8क के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" | अतः व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है | व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि 70420.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गुरु प्रसाद एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री विद्या भूषण से समानुपात रूप से किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत मनमोहनपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- हथगांव** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-38**

ग्राम पंचायत मनमोहनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत द्वारा निम्नांकित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/पुष्टि प्रमाणक पत्रावलियां अनुपलब्ध रही-

| क्र० सं० | दिनांक | चेक संख्या | व्यय धनराशि | व्यय पत्रावली/ प्रमाणक प्राप्त/अप्राप्त |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-07-2019 | 036048790938 | 45304.00 | अप्राप्त |
| | | योग:- | 45304.00 | |

उपर्युक्त दर्शित व्यय धनराशि रुपया 45304.00 का व्यय प्रमाणक(वाउचर) संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद-7 में स्पष्ट प्रावधान है- "ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण हेतु संप्रेक्षण दल को व्यय प्रमाणक उपलब्ध करायें |" परन्तु लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में अपेक्षित वाउचर/व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे | लेखा मैनुअल के पृ०सं०36 के अनुच्छेद-8क के अनुसार "यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर/व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी" | अतः व्यय प्रमाणक प्रस्तुतकर दर्शित व्यय की पुष्टि कराया जाना अपेक्षित है | व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में दर्शित व्यय धनराशि 45304.00 की नियमानुसार ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मेघवती एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजीव कुमार से समानुपात रूप से किये जाने हेतु प्रकरण विभागीय उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत रजीपुर** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- मलवां** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-39**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रजीपुर की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथि में कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित है किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया| ऐसी स्थिति में लेखा मैन्युअल के पृष्ट संख्या 36 के पैरा 8(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण व्यय/भुगतान दर्शित धनराशि रुपया 14795.00 का अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिए ग्राम प्रधान शिवशंकर एवं ग्राम वि/पं अधिकारी नीलम सिंह पूर्ण रूप से जिम्मेदार है | उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान-शिव शंकर एवं ग्राम वि०/पं० अधिकारी नीलम सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है-

| दिनांक | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|
| 09-07-2019 | 9895.00 | आयरन गेट(प्रा०पा०मदनपुर) हेतु भुगतान | |
| 27-02-2020 | 4900.00 | साइन बोर्ड(सुमेर के घर से रामप्रताप के घर तक नाली निर्माण) |
| योग:- | 14795.00 | |

**नाम संस्था-ग्राम पंचायत बहरौली** **लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20**

**विकास खण्ड- मलवां** **जनपद-फतेहपुर**

**प्रस्तर-40**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत बहरौली की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न तिथि में कैशबुक में व्यय किया जाना दर्शित है किन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा | इस प्रकार लेखा मैन्युअल के पृष्ट संख्या 36 के पैरा 8 (क) में दी गयी व्यवस्थानुसार व्यय/भुगतान दर्शित धनराशि रुपया 26880.00 का अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिए ग्राम प्रधान आशुतोष श्रीवास्तव एवं ग्राम वि०/पं० अधिकारी अश्विनी कुमार पूर्ण रूप से जिम्मेदार है | उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान आशुतोष श्रीवास्तव एवं ग्राम वि०/पं० अधिकारी अश्विनी कुमार से सामान रूप से की जानी अपेक्षित है |

विवरण निम्न है-

| दिनांक | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|
| 27.05.2019 | 19880.00 | साफ़ सफाई पर व्यय | |
| 13.02.2020 | 7000.00 | पंचायत घर मरम्मत (इलेक्ट्रॉनिक कार्य) हेतु सामग्री |
| योग:- | 26880.00 | |

## प्रारूप-4

# ग्राम पंचायत- पन्सौर, वर्ष 2019-20, वि0ख0- मूरतगंज जनपद- कौशाम्बी।

**प्रस्तर 1 -** ग्राम पंचायत 'पन्सौर' के दिनांक 19/10/2019, पी0एफ0एम0एस0 सं0- सी101916060542 से कोषबही के अनुसार रु0 48,000=00 का व्यय "लैपटॉप कार्य हेतु सयैद ट्रेडर्स" को भुगतान दर्शित है, लैपटॉप कार्य हेतु भुगतान का तात्पर्य क्या रहा ? क्या लैपटॉप क्रय किया है? यदि क्रय किया गया है तो उसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। रु0 48,000=00 की धनराशि सयैद ट्रेडर्स को पी0एफ0एम0एस0 सं0 सी101916060542 से ट्रांसफर रही। रू0 48,000=00 का व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किया जाने से व्यय की गई धनराशि की पुष्टि न की जा सकी। लैपटॉप क्रय हेतु ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव, नियोजन एवं शिक्षा समिति की संस्तुति, स्टॉक रजि0, चल सम्पत्ति रजि0 एवं प्रिया साफ्ट कॉपी आदि अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से क्रय की पुष्टि न हो सकी।

"उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा, 256 के (क) से (ड़) तक की व्यवस्था अनुसार, एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी"।

अत: रु0 48,000=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानवती एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

***प्रस्तर 2 -*** ग्राम पंचायत 'पन्सौर' के आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 28/10/2019 रु0 20,000=00 को 'हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी' के नाम पर पी0एफ0एम0एस0 सं0 सी101930165991, से रंजीत सिंह नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर कर लिया गया है।

पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्थानुसार मजदूरी मजदूरों के खातों में स्थानान्तरित की जानी चाहिए। जो कि नहीं की गयी है। स्पष्ट है कि कोषबही में फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है। क्योंकि धनराशि किसी एक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर रही, रु0 20,000=00 का मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव, जल संसाधन समिति की संस्तुति आदि अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से व्यय की धनराशि की पुष्टि न की जा सकी, एवं कराये गये कार्य की पुष्टि न हो सकी।

"उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा, 25,(2) के (क) से (ड़) तक की व्यवस्था अनुसार, एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी"।

अत: रु0 20,000=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानवती एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 3-निम्न विवरण के अनुसार 'हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी का भुगतान किसी एक व्यक्ति की खाते में पी0एफ0एम0एस0 द्वारा ट्रांसफर दर्शित है। पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्थानुसार मजदूरी का भुगतान मजदूरों के खातों में स्थानान्तरण किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है।

विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र0सं0 | दिनांक | पी0एफ0एम0एस0 | धनराशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05/12/2019 | आर 121900174129 | 20,000=00 | निर्मला देवी के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी- रणजीत सिंह को भुगतान। |
| 2. | 05/12/2019 | आर 121900181019 | 20,000=00 | पद्दू के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर की मजदूर-रणजीत सिंह को भुगतान |
| 3. | 20/12/2019 | आर 121901038253 | 20,000=00 | अन्जुमा के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी-रणजीत सिंह को भुगतान। |
| 4. | 20/12/2019 | आर 121901096455 | 20,000=00 | भड़या लाल के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी- रणजीत सिंह को भुगतान। |
| 5. | 06/01/2020 | आर 012001108176 | 20,000=00 | संदीप कुमार के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी-रणजीत सिंह को भुगतान। |
| 6. | 06/01/2020 | आर 012001193513 | 20,000=00 | रामानन्द के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी- रणजीत सिंह को भुगतान। |
| 7. | 05/02/2020 | आर 022000218178 | 20,000=00 | अमर सिंह के दरवाजे हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी का रंजीत सिंह को भुगतान। |
| | | योग | 1,40,000=00 | |

उक्त विवरण के अनुसार कुल धनराशि 1,40,000=00 को भुगतान मजदूरी को रूप में किसी रंजीत सिंह नामक व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर किया गया है। स्पष्ट है कि कोषबही में फर्जी मजदूरी दर्शाया गया है क्योंकि धनराशि किसी एक व्यक्ति के खाते में स्थानान्तरित रही जिसके मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किये गये अत: व्यय की पुष्टि न की जा सकी लेखा परीक्षा में कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , जल संसाधन समिति की संस्तुति, ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव एवं खराब हैण्ड पम्पों के रिबोर हेतु ग्रामवासियों के प्रार्थना पुत्र आदि अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने से कराये गये कार्यों की पुष्टि नहीं होती है।

"उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा, 256 के (क) से (ड़) तक की व्यवस्था अनुसार, एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी"।

अत: रू0 1,40,000=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ज्ञानवती एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी की अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत- उमरछा, वर्ष 2019-20, वि0ख0- मूरतगंज जनपद- कौशाम्बी।**

**प्रस्तर** 4 - ग्राम पंचायत 'उमरछा' के आलोच्य वर्ष में दिनांक 09/01/2020, पी0एफ0एम0एस0 सं0 -आर 012000541973 के द्वारा "7 नग पुलिया निर्माण कार्य के क्रय के सामग्री का सयैद ट्रेडर्स" को रु0 1,45,537=00 का भुगतान किया, लेकिन उपरोक्त आहरित

धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, एम0बी0 बुक कार्य योजना की पत्रावली, ग्राम पंचायतों की खुली बैठक का प्रस्ताव, निर्माण कार्य समिति की संस्तुति, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र , स्टॉक रजि0 एवं प्रिया सॉफ्ट फिडिंग की हार्ड कॉपी आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से उपरोक्त भुगतान धाराशि की पुष्ट न हो सकी अर्थात् भुगतान धनराशि कोषबही में फर्जी खारिज की गई है।

"उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा, 256 के (क) से (ड़) तक की व्यवस्था अनुसार, एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी"।

अत: रु0 1,45,537=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 5 -** ग्राम पंचायत 'उमरछा' में दिनांक 18/12/2019 पी0एफ0एम0एस0 सं0 आर0 121900848049 से रु0 6,000=00 श्री महेन्द्र कुमार एवं दिनांक 22/01/2020 पी0एफ0एम0एस0 सं0 आर0 12001727279 से रु0 12,000=00 श्री सोहन लाल हैण्डपम्प मरम्मत कार्य मजदूरी एक ही व्यक्ति के नाम खाते में ट्रांसफर कर लिया गया है। पी0एफ0एम0एस0 की व्यवस्था के अनुसार मजदूरी मजदूरों के खातों में स्थानान्तरित की जानी चाहिये जो कि नहीं की गई है। स्पष्ट है कि कोषबही में फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है क्योंकि भुगतान धनराशि श्री महेन्द्र कुमार आदि के खाते में ट्रांसफर रही। और उपरोक्त धनराशियों के मस्टररोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पुत्र , ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव, जल संसाधन की समिति की संस्तुति आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने से व्यय की धनराशियों की पुष्टि नहीं होती और कराये गये कार्यो की पुष्टि भी उक्त अभिलेखों के अभाव में नहीं होती है।

"उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा, 256 के (क) से (ड़) तक की व्यवस्था अनुसार, एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी"।

अत: रु0 18,000=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत- पक्सराई, वर्ष 2019-20, वि0ख0- मूरतगंज जनपद- कौशाम्बी।**

**प्रस्तर 6 -** ग्राम पंचायत "पक्सराई" के आलोच्य वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में पाया गया निम्न विवरण के अनुसार धनराशियाँ आहरित दर्शाई गई हैं। कोषबही में दर्शित है कि धनराशियाँ गलत ढंग से आहरित की गई है। जाँच एवं मौखिक सूचनाओं के आधार पर पाया गया कि प्रधान श्री सुनील कुमार पाल द्वारा किसी को सहज जन सेवा केन्द्र से अपने आधार कार्ड को ग्राम निधि- 1, खाता सं0 13090100023600 लिंक कराकर प्रत्येक बार में 10,000=00 रुपये कुल रू0 50,000=00 वर्ष 2019-20 में सचिव की जानकारी के बिना आहरित कर लिया था। यह मामला प्रधान द्वारा विगत वर्ष 2018-19 से जारी था। सचिव तत्समय श्री अमर नाथ थे, जब सचिव श्री वेद प्रकाश चार्ज में आये तो इनकी जागरुकता के चलते वर्ष 2018-19 के रु0 30,000=00 एवं वर्ष 2019-20 के रु0 50,000=00 कुल रु0 80,000=00 वापस सहज जन सेवा केन्द्र के खाते से शाखा प्रबन्धक से मिल कर दिनांक 15 /04/2019 को रु0 80,000=00 ग्राम निधि-1 खाता सं0 13090100023600 में वापस कराया गया। इस प्रकार ग्राम निधि-1 के खाते में गलत ढंग से आहरित धनराशियों की क्षतिपूर्ति सचिव श्री वेद प्रकाश की जागरुकता से हो गई, फिर भी इस प्रकार की अनियमितता भविष्य में न होने पाये इस हेतु विभाग के उच्च अधिकारियों को ध्यान आकृष्ट किया जाता है एवं उत्तरदायी प्रधान के विरुद्ध उक्त प्रकार की अनियमितता हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाने की संस्तुति की जाती है।

विवरण इस प्रकार है:-

| क्र0 सं0 | दिनांक | ट्रांजेक्शन आई0डी0 | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 02/04/2019 | 909212761 / 761055 | 10,000=00 |
| 2. | 03/04/2019 | 909316176 / 176220 | 10,000=00 |
| 3. | 04/04/2019 | 909411946 / 946782 | 10,000=00 |
| 4. | 08/04/2019 | 909709966 / 966771 | 10,000=00 |
| 5. | 15/04/2019 | 910511343 / 343548 | 10,000=00 |
| | | योग | 50,000=00 |

**ग्राम पंचायत- बसेढ़ी, वर्ष 2019-20, वि0ख0- मूरतगंज जनपद- कौशाम्बी।**

**प्रस्तर 7 -** ग्राम पंचायत बसेढ़ी के आलोच्य वर्ष में दिनांक 28/10/2019, पी0एफ0एम0एस0 सं0 सी101930163541 से 'गुलाब के घर से जय सिंह सिहं के घर तक इन्टरलॉकिंग कार्य' हेतु अमन ट्रेडर्स को क्रय सामग्री का रु0 79,823=00 भुगतान किया। लेकिन उपरोक्त आहरित धनाराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, स्टीमेट, एम0बी0 बुक, कार्य योजना की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पुत्र , स्टॉक

रजि0 एवं प्रिया सॉफ्ट फीडिंग की हार्ड कॉपी आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से उपरोक्त भुगतान की पुष्टि न हो सकी अर्थात् भुगतान धनराशि को कोषबही में फर्जी खारिज किया गया है।

"उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा, 256 के (क) से (ड़) तक की व्यवस्था अनुसार, एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी"।

अत: रु0 79,823=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर सिंह एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 8 - ग्राम पंयाचत बसेढ़ी में दिनांक 7/11/2019 पी0एफ0एम0एस0 सं0 आर0 111900032431 से हैण्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु रु0 40,000=00 क्रय सामग्री का भुगतान धनराशि कोषबही में खारिज है हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कहाँ हुआ ? स्पष्ट नहीं है। और सामग्री क्रय के सापेक्ष कब कार्य हुआ स्पष्ट नहीं है । इससे स्वयं स्पष्ट है कि कार्य नहीं हुआ है और न ही व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पुत्र , ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव, जल संसाधन समिति की संस्तुति आदि/ अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे अर्थात् "उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा, 256 के (क) से (ड़) तक की व्यवस्था अनुसार, एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है, तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी"। अत: रु0 40,000=00 का वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर सिंह एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 9 - निम्न विवरण के अनुसार भुगतान धनराशियाँ कोषबही में खारिज है किन्तु कोषबही में व्यय विवरण अंकित नहीं है कि निम्न धनराशियाँ किस मद में व्यय रही ? और न ही निम्न धनराशियों के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहें।

| क्र0 सं0 | दिनांक | पी0एफ0एम0एस0 | धनराशि | कार्य का नाम कोषबही के अनुसार |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 21/12/2019 | आर0121901289702 | 12,000=00 | विवरण अंकित नहीं है। |
| 2. | 17/01/2020 | आर0 0012001170799 | 15,000=00 | विवरण अंकित नहीं है। |
| | | योग | 27,000=00 | |

"उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम-1947 की धारा, 256 के (क) से (ड़) तक की व्यवस्था अनुसार, एवं ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि व्यय की गई धनराशि के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को अपहरण मानते हुए पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से संयुक्त रूप से की जायेगी"।

अत: रु0 27,000=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर सिंह एवं सचिव श्री मुकेश कुमार गुप्ता से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत बारा तफरीक वर्ष 2019-20 वि0ख0- सिराथू जनपद- कौशाम्बी**

**प्रस्तर** 10 -क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका में प्रविस्ट न कर धन/सामग्री का अपहरणनिम्नाकित विवरण के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषांकित है। किन्तु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि न तो स्टॉक पंजीका में किया गया है और न ही हैंडपम्पों से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्राज डिस्पोजल स्टॉक रजि० में किया गया है। हैंडपम्पों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणन सीट /स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती / इस प्रकार स्टाक रजिस्टर में अंकन न होने से तथा आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवाकर के क्रय/स्टाक मूल रूपए 99205.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए श्री श्रवण कुमार, ग्राम प्रधान और श्री पुनीत कुमार ग्रा०वि०अ० उत्तरदायी रहे है। अतएव उक्त अपहरित धनराशि की आधी धनराशि रूपए 49602.00 श्री श्रवण कुमार ग्राम प्रधान से और आधी धनराशि रूपए 49602.00 श्री पुनीत कुमार ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्रमांक | विक्रेता फर्म का नाम | दिनांक | सामग्री मूल्य |
|---|---|---|---|
| 01 | अभय पारस समरसेबुल एंड टूल्स | 11.2.20 | 20890/- |
| 02 | अभय पारस समरसेबुल एंड टूल्स | 11.2.20 | 38315/- |
| 03 | अभय पारस समरसेबुल एंड टूल्स | 10.12.19 | 40000/- |
| | | योग | 99205/- |

**ग्राम पंचायत फतेहपुर बेला वर्ष 2019-20 वि0ख0- सिराथू  जनपद- कौशाम्बी**

**प्रस्तर** 11 -क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका  में प्रविस्ट न कर धन/सामग्री का अपहरणनिम्नाकित  विवरण के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषांकित है। किन्तु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविस्ट न तो स्टॉक पंजीका  में किया गया है और न ही हैंडपम्पों से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्राज डिस्पोजल स्टॉक रजि० में किया गया है। हैंडपम्पों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणन सीट /स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि  नहीं होती / इस प्रकार स्टाक रजिस्टर में अंकन न होने से तथा आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि  न करवाकर के क्रय/स्टाक मूल रूपए 69360.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए श्री ज्ञान चन्द्र, ग्राम प्रधान और श्री पुनीत कुमार ग्रा०वि०अ० उत्तरदायी रहे है। अतएव उक्त अपहरित धनराशि की आधी धनराशि रूपए 34680.00 श्री श्रवण कुमार ग्राम प्रधान से और आधी धनराशि रूपए 34680.00 श्री पुनीत कुमार  ग्रा०वि०अ० से  ब्याज   सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्रमांक | विक्रेता फर्म का नाम | दिनांक | सामग्री मूल्य |
|---|---|---|---|
| 01 | जय भवानी मिल स्टोर | 23.4.19/392 | 20780/- |
| 02 | आदर्श गुप्ता जलकल स्टोर | 15.6.19/40348580/- | |
| | | योग69360/- | |

**ग्राम पंचायत कोरो वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर** 12 -क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका  में प्रविस्ट न कर धन/सामग्री का अपहरणनिम्नाकित  विवरण के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषांकित है। किन्तु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविस्ट न तो स्टॉक पंजीका  में किया गया है और न ही हैंडपम्पों से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्राज डिस्पोजल स्टॉक रजि० में किया गया है। हैंडपम्पों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणन सीट /स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि  नहीं होती / इस प्रकार स्टाक रजिस्टर में अंकन न होने से तथा आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि  न करवाकर के क्रय/स्टाक मूल रूपए 110320.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए कुलदीप मिश्रा, ग्राम प्रधान और श्री मक्खन   राम ग्रा०वि०अ० उत्तरदायी रहे है। अतएव उक्त अपहरित धनराशि की आधी धनराशि रूपए 55160.00 श्री श्रवण कुमार ग्राम प्रधान से और आधी धनराशि रूपए 55160.00श्री मक्खन रामग्रा०वि०अ० से ब्याज   सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्रमांक | विक्रेता फर्म का नाम | दिनांक | सामग्री मूल्य |
|---|---|---|---|
| 01 | मैं० जय भवानी मिल स्टोर | 6.6.19 | 49260/- |
| 02 | मैं० जय भवानी मिल स्टोर | 18.6.19 | 41360/- |
| 03 | मैं० जय भवानी मिल स्टोर | 19.12.19 | 19700/- |
| | | योग | 110320/- |

**ग्राम पंचायत रामपुर धमावां  वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर** 13 --क्रय सामग्री का स्टॉक पंजिका  में प्रविस्ट न कर धन/सामग्री का अपहरणनिम्नाकित  विवरण के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषांकित है। किन्तु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविस्ट न तो स्टॉक पंजीका  में किया गया है और न ही हैंडपम्पों से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्राज डिस्पोजल स्टॉक रजि० में किया गया है। हैंडपम्पों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणन सीट /स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारी से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि  नहीं होती / इस प्रकार स्टाक रजिस्टर में अंकन न होने से तथा आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि  न करवाकर के क्रय/स्टाक मूल रूपए 84840.00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए श्री राधवेन्द्र सिंह, ग्राम प्रधान और विष्णु कुमार पांडेय ग्रा०वि०अ० उत्तरदायी रहे है। अतएव उक्त अपहरित धनराशि की आधी धनराशि रूपए 42420.00श्री राधवेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान से और आधी धनराशि रूपए 42420.00विष्णु कुमार पांडेय ग्रा०वि०अ० से ब्याज   सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्रमांक | विक्रेता फर्म का नाम | दिनांक | सामग्री मूल्य |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | पंकज मशीनरी स्टोर | 25.4.19/538 | 84840/- |
| | | योग84840/- | |

**ग्राम पंचायत अफजलपुरवारी वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर 14 -**बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरणग्राम निधि प्रधान के खाता संख्या - 32250100000975 से निम्नाकित विवरण के अनुसार दिनांक 23.12.2021 को रूपए 499118/- का भुगतानग्रा०वि०अ०श्री सतीश चौधरीद्वारा किया गया है किन्तु प्रिया साफ्ट मे उक्त भुगतान दिनांक 21.12.2021 को किया जाना दर्शित है। दोनों तिथियों में स्पस्ट है की प्रियासॉफ्ट में तीन दिन पूर्व भुगतान किया गया है।इस विरोधाभाष का कारण स्पस्ट किया जाना अपेक्षित है,और व्यय की गयी धनराशि के सापेक्ष दर्शित व्ययों की पुष्टि में वाउचर/पुष्टि प्रमाण अनुपलब्ध रहा, बिना पुष्टि प्रमाणक के व्यय की गयी धनराशि को अपहृत मानते हुए व्यय की गयी धनराशि का १/२ भाग रूपए 249559/- की वसूली श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान और १/२ भाग रूपए 249559/- की वसूली श्री सतीश चौधरी, ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

| दिनांक | धनराशि | फर्म का नाम |
|---|---|---|
| 23.12.21 | 166690.00 | टासन ब्रिक फील्ड |
| 23.12.21 | 109316.00 | मालवीय ट्रेडर्स |
| 23.12.21 | 103667.00 | माँ शांति ट्रेडर्स |
| 23.12.21 | 119445.00 | कुशवाहा ट्रेडर्स |
| योग | 499118.00 | |

**ग्राम पंचायत तुलसीपुर वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर 15 -**बिना बजटीय स्वीकृत के आहरित धनराशिव्यय करके की गयी वित्तीय अनियमितताउत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 41 और नियामवली के नियम संख्या 219 में ग्राम पंचायतो को बजट तैयार करने और पारित करने की प्रक्रिया निर्धारित है।उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धरा 32 के अनुसार ग्राम पंचायतो की पारित बजट में से निर्धारित सीमा तक ग्राम निधि से धनराशि उपभोग करने की अनुमति प्रदान करता है। किन्तु आलोच्य वर्ष में उक्त ग्राम पंचायत द्वारा बजट तैयार कर उसे पारित नहीं कराया गया है।

इस प्रकार बिना बजटीय प्राधिकार के और बिना वित्तीय सीमा को संज्ञान में लिए आलोच्य वर्ष में रूपए 352759.00 ग्राम निधि खाता से आहरित कर अनिवार्य प्रक्रिया का उलंधन करके वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके लिए श्री कृष्णा कान्त मिश्र,ग्राम प्रधान और श्री सतीश चौधरी ,ग्रा०वि०अ० संयुक्त रूप में उत्तरदायी रहे है। अतएव उक्त दोनों के प्रति आवश्यक कर्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

| क्रमांक | बिना बजटीय स्वीकृत के आहरित धनराशि |
|---|---|
| 01 | रूपए 352759.00 |
| | योग रूपए 352759.00 |

**ग्रामपंचायत-अलई उर्फ़ बक्सीपार वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर 16 -**बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण-ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या13690100009860से निम्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रु०846273/-का आलोच्य वर्ष में अपहरण किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक/ पुष्टि प्रमाणक ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया /अतः पुष्टि प्रमाणक के अभाव में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए धनराशि का १/२ भाग र०423136/-की वसूली श्रीमती इंद्रकली ग्राम प्रधान और १/२ भाग रूपए 423136/- की वसूली श्री सुरेंद्र कुमार ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहितवसूली अपेक्षित है।

| दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | फर्म का नाम |
|---|---|---|---|
| 9.5.2019 | 452 | 30000.00 | नान्हू प्रसाद |
| 18.5.2019 | 454 | 141880.00 | राहुल ट्रेडर्स |
| 28.5.2019 | 453 | 15000.00 | धरम राज |

| | | |
|---|---|---|
| 30.5.2019 | 406 | 24068.00 सुभम |
| 30.5.2019 | 417 | 87500.00 सुभम |
| 30.5.2019 | 418 | 102500.00 राहुल ट्रेडर्स |
| 30.5.2019 | 415 | 18531.00 राहुल ट्रेडर्स |
| 30.5.2019 | 410 | 25222.00 राहुल ट्रेडर्स |
| 30.5.2019 | 409 | 24450.00 राहुल ट्रेडर्स |
| 30.5.2019 | 414 | 34675.00 लवलेश |
| 30.5.2019 | 416 | 29250.00 लवलेश |
| 30.5.2019 | 420 | 50750.00 राम सुन्दर |
| 30.5.2019 | 419 | 20000.00 लवलेश |
| 30.5.2019 | 411 | 11425.00 लवलेश |
| 30.5.2019 | 407 | 11075.00 लवलेश |
| 30.5.2019 | 389 | 39250.00 सुभम |
| 30.5.2019 | 390 | 39500.00 सुभम |
| 06.06.2019 | 455 | 160922.00 सुभम |
| 06.06.2019 | 458 | 20000.00 सुभम |
| 06.06.2019 | 456 | 36425.00 लवलेश |
| 17.06.2019 | 460 | 15300.00 नान्हू प्रसाद |
| योग | 846273.00 | |

**ग्राम पंचायत गोराजू वर्ष 2018-19, 2019-20**

**प्रस्तर** 17 **-**बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण-ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या13690100009869 से निम्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रु०325541/- का आलोच्य वर्ष में अपहरण किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक/ पुष्टि प्रमाणक ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया /अतः पुष्टि प्रमाणक के अभाव में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए धनराशि का १/२ भाग र०162770.5/-की वसूली राजू लालग्राम प्रधान और १/२ भाग रूपए162770.5/- कीवसूली श्री सुरेंद्र कुमार ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहितवसूली अपेक्षित है।

| दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | फर्म का नाम |
|---|---|---|---|
| 7.5.2018 | 301 | 79700.00 | ओम प्रकाश एंड ब्रदर्श |
| 7.5.2018 | 345 | 123000.00 | ओम प्रकाश ब्रिक फील्ड |
| 8.5.2018 | 344 | 123000.0 | राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 5.6.20181 | 309 | 118670.00 | राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 14.6.2018 | 320 | 127920.00 | न्यू केसरवानी मिल फील्ड |
| 15.6.2018 | 318 | 127920.00 | ओम प्रकाश एंड ब्रदर्श |
| 26.7.2018 | ट्रांसफर | 147600.00 | राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 26.7.2018 | 323 | 274050.00 | राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 31.7.2018 | 327 | 110700.00 | राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 6.8.2018 | 313 | 110320.00 | ओम ब्रिक फील्ड |
| 13.8.2018 | 346 | 118560.00 | ओम ब्रिक फील्ड |
| 13.8.2018 | 347 | 116090.00 | राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 21.8.2018 | 349 | 111150.00 | ओम प्रकाश एंड ब्रदर्श |
| 21.8.2018 | 314 | 113620.00 | रेडियल एसोसिएट |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14.11.2018 | 359 | 123500.00 | दिलीप कुमार |
| 01.7.2019 | 402 | 195700.00 | दिलीप कुमार राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 01.7.2019 | 401 | 247900.00 | दिलीप कुमार राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 01.7.2019 | 392 | 160160.00 | दिलीप कुमार राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 01.7.2019 | 393 | 132500.00 | राहुल ट्रेडर्स |
| 02.07.2019 | 399 | 225500.00 | ओम ब्रिक फील्ड |
| 02.07.2019 | 404 | 110500.00 | राम नारायण एंड ब्रदर्श |
| 02.07.2019 | 408 | 125550.00 | राहुल ट्रेडर्स |
| 05.07.2019 | 409 | 140800.00 | ओम ब्रिक फील्ड ट्रांसफर |
| | | योग-3255410.00 | |

**ग्राम पंचायत पूरब सरीरा वर्ष 2018-19, 2019-20**

**प्रस्तर** 18 **-**बिना व्यय प्रमाणक के व्यय दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण-ग्राम निधि प्रथम के खाता संख्या13690100009867से निम्न विवरण के अनुसार कुल धनराशि रु०8062173/- का आलोच्य वर्ष में अपहरण किया गया है जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान किसी प्रकार का व्यय प्रमाणक/ पुष्टि प्रमाणक ग्राम विकास अधिकारीश्री सुरेंद्र कुमार के द्वारा नहीं प्रस्तुत किया गया /अतः पुष्टि प्रमाणक के अभाव में व्यय की गयी धनराशि को अपहरण मानते हुए धनराशि का १/२ भाग र० 4031086/-की वसूलीश्रीमती संगीता सरोजग्राम प्रधान और १/२ भाग रूपए 4031086/- की वसूली श्री सुरेंद्र कुमार ग्रा०वि०अ० से ब्याज सहितवसूली अपेक्षितहै।

| दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | फर्म का नाम |
|---|---|---|---|
| 9.4.2018 | 639 | 22500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 9.4.2018 | 641 | 22500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.4.2018 | 647 | 16000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 7.5.2018 | 650 | 20000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 7.5.2018 | 653 | 14000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 7.5.2018 | 652 | 11600.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 21.5.2018 | 664 | 19775.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 28.5.2018 | 668 | 49500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 1.6.2018 | 675 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 1.6.2018 | 673 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.6.2018 | 684 | 50400.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.6.2018 | 688 | 50400.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.6.2018 | 669 | 13332.50 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 21.6.2018 | 692 | 50400.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 21.6.2018 | 690 | 50400.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.6.2018 | 699 | 21210.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.6.2018 | 697 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.6.2018 | 691 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.6.2018 | 701 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.6.2018 | 702 | 21210.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7.2018 | 720 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 4.7.2018 | 717 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 4.7.2018 | 718 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 4.7.2018 | 715 | 21200.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 4.7.2018 | 711 | 12600.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 4.7.2018 | 706 | 22575.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 4.7.2018 | 709 | 13424.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 5.7.2018 | 730 | 16200.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 5.7.2018 | 724 | 8100.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 5.7.2018 | 732 | 6540.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 5.7.2018 | 728 | 28800.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 5.7.2018 | 726 | 30275.0 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 741 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 734 | 11850.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 736 | 10800.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 739 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 722 | 14400.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 737 | 288000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 733 | 62717.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 731 | 73212.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 740 | 21210.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 6.7.2018 | 738 | 21210.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 12.7.2018 | 744 | 55600.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 12.7.2018 | 747 | 131250.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.7.2018 | 750 | 24500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.7.2018 | 748 | 58500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.7.2018 | 749 | 48250.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.7.2018 | 771 | 16500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.7.2018 | 769 | 62125.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.7.2018 | 766 | 58800.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 14.8.2018 | 784 | 41825.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 14.8.2018 | 781 | 17850.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 14.8.2018 | 787 | 38500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 14.8.2018 | 777 | 5600.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 14.8.2018 | 776 | 198250.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 14.8.2018 | 778 | 11257.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 14.8.2018 | 782 | 28367.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 14.8.2018 | 785 | 56441.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 18.8.2018 | 792 | 21000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 18.8.2018 | 789 | 79300.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 18.8.2018 | 788 | 118950.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 30.8.2018 | 799 | 72800.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 30.8.2018 | 801 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 30.8.2018 | 803 | 15000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 30.8.2018 | 800 | 20395.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 31.8.2018 | 802 | 12500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 31.8.2018 | 803 | 15000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 31.8.2018 | 804 | 11800.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 31.8.2018 | 796 | 22250.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 10.9.2018 | 754 | 38675.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 10.9.2018 | 757 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 10.9.2018 | 756 | 20395.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 10.9.2018 | 758 | 20500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 10.9.2018 | 806 | 25872.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 10.9.2018 | 755 | 36663.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 10.9.2018 | 808 | 73325.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 15.9.2018 | 814 | 72275.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 15.9.2018 | 817 | 48475.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.9.2018 | 818 | 13650.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.9.2018 | 827 | 37450.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.9.2018 | 825 | 240000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.9.2018 | 822 | 240000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.9.2018 | 820 | 21294.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.9.2018 | 823 | 28315.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.9.2018 | 836 | 53025.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.9.2018 | 841 | 18755.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.9.2018 | 833 | 49350.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.9.2018 | 828 | 20395.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.9.2018 | 838 | 57671.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.9.2018 | 835 | 60547.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 29.9.2018 | 840 | 48650.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 16.10.2018 | 845 | 56265.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 16.10.2018 | 843 | 56265.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 16.10.2018 | 844 | 61185.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 16.10.2018 | 852 | 50100.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 16.10.2018 | 887 | 8243.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 16.10.2018 | 846 | 61185.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 16.10.2018 | 854 | 46240.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.10.2018 | 849 | 38150.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.10.2018 | 858 | 75327.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.10.2018 | 855 | 71572.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.10.2018 | 857 | 50100.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.10.2018 | 861 | 45325.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.10.2018 | 859 | 44625.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 17.10.2018 | 866 | 26950.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.10.2018 | 867 | 38325.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.10.2018 | 870 | 16800.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.10.2018 | 873 | 16800.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.10.2018 | 862 | 77369.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.10.2018 | 869 | 54529.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.10.2018 | 865 | 32931.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.10.2018 | 871 | 31956.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23.10.2018 | 875 | 31956.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 23.10.2018 | 882 | 176400.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 29.10.2018 | 877 | 419900.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 29.10.2018 | 886 | 272513.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 29.10.2018 | 883 | 178859.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 29.10.2018 | 881 | 113251.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 29.10.2018 | 879 | 70000.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 29.10.2018 | 878 | 98350.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 29.10.2018 | 889 | 20500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 29.10.2018 | 895 | 51450.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 19.11.2018 | 893 | 46375.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 19.11.2018 | 892 | 56350.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 19.11.2018 | 890 | 86388.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 20.11.2018 | 888 | 84750.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 20.11.2018 | 916 | 31850.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 28.01.2019 | 899 | 30625.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 28.01.2019 | 923 | 41125.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 01.02.2019 | 920 | 47250.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 01.02.2019 | 907 | 42300.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 28.02.2019 | 902 | 54208.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 28.02.2019 | 904 | 42350.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 28.02.2019 | 910 | 36150.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 01.03.2019 | 929 | 25025.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 01.03.2019 | 926 | 28175.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 01.03.2019 | 935 | 34600.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 07.03.2019 | 938 | 35175.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 07.03.2019 | 939 | 30227.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 07.03.2019 | 931 | 24675.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 07.03.2019 | 933 | 39900.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 08.03.2019 | 914 | 54750.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 08.03.2019 | 912 | 36500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 08.03.2019 | 940 | 44625.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 19.03.2019 | 955 | 32375.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 19.03.2019 | 968 | 40554.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 19.03.2019 | 974 | 92704.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.03.2019 | 975 | 60375.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.03.2019 | 972 | 41825.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.03.2019 | 959 | 30625.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.03.2019 | 951 | 64750.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.03.2019 | 952 | 61250.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.03.2019 | 950 | 79625.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.03.2019 | 947 | 44550.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.03.2019 | 977 | 78077.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 26.03.2019 | 954 | 80717.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.03.2019 | 965 | 28875.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 27.03.2019 | 969 | 32375.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27.03.2019 | 982 | 29304.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| 28.03.2019 | 962 | 31500.00 | संगीता सरोज ग्राम प्रधान |
| | योग- | 8062173.00 | |

**ग्राम पंचायत- बन्थरी विकास खण्ड- नेवादा, जनपद- कौशाम्बी लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020**

**प्रस्तर** 19 **-** ग्राम पंचायत बन्थरी की वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार सामग्री खरीद में खारिज है, जिनके व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे किये गये व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। सम्बन्धित कार्यो जिनके लिए सामग्री क्रय, कोषवही में दर्शाया गया है उनके इस्टीमेट, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही पुस्तिका, आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने से कराये गये कार्यो की पुष्टि न की जा सकी। व्यय की गई धनराशियों का विवरण निम्न प्रकार से है, जिनके व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत रहे-

| क्र0सं0 | दिनांक | कार्य का नाम | धनराशि | मोड ऑफ पेमेन्ट | भुगतान प्राप्तकर्ता बैंक स्टेटमेंट के अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.04.19 | चुनाव हेतु व्हील चेयर | 5539.00 | 128/04.04.19 | रॉयल स्टारएक्जिम |
| 2 | 15.04.19 | इण्टरलॉकिग सामग्री बलराम से पुलिया | 31501.00 | 137/15.04.19 | केशरवानी ट्रेडर्स |
| 3 | 15.04.19 | स्कूल शौचालय मरम्मत सामग्री | 60263.00 | 141/15.04.19 | केशरवानी ट्रेडर्स |
| 4 | 15.04.19 | बलराम के खेत से साधू पाल के घर तक इण्टरलॉकिग सामग्री | 30914.00 | 131/15.04.19 | केशरवानी ट्रेडर्स |
| 5 | 16.04.19 | पुलिया से बलराम हेतु इण्टर लॉकिग आदि का भुगतान | 91728.00 | 139/16.04.19 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 6 | 16.04.19 | बलराम से साधू पाल हेतु इण्टरलॉकिग आदि का भुगतान | 90552.00 | 133/16.04.19 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 7 | 18.04.19 | डिजिटल सिग्नेचर हेतु भुगतान | 1700.00 | 125/18.04.19 | अमितांश क्रिएटर |
| 8 | 18.04.19 | पुलिया से बलराम हेतु ईट गिट्टी का भुगतान | 27033.00 | 143/18.04.19 | ताहा ब्रिक फिल्ड |
| 9 | 22.04.19 | बलराम से साधू इण्टरलॉकिगहेतुईट व ईट गिट्टीका भुगतान | 26426.00 | 132/22.04.19 | ताहा ब्रिक फिल्ड |
| 10 | 24.04.19 | स्कूल शौचालय मरम्मत हेतु ईट व ईट गिट्टी | 6984.00 | 142/22.04.19 | ताहा ब्रिक फिल्ड |
| 11 | 29.04.19 | हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री | 14180.00 | 144/29.04.19 | चन्दन देवी प्रधान |
| 12 | 29.04.19 | हैण्ड पंप मरम्मत हेतु सामग्री | 13340.00 | 144/29.04.19 | चन्दन देवी प्रधान |
| 13 | 04.05.19 | चुनाव व्यवस्था पर जनरेटर कूलर का किराया | 10000.00 | 146/04.05.19 | चन्दन देवी प्रधान |
| 14 | 13.05.19 | निर्वाचन स्लोगन लिखवाई | 2000.00 | 147/13.05.19 | अशोक कुमार पाण्डेय |
| 15 | 09.07.19 | कल्लू राम के घर से मुन्ना तिवारी के खेत तक इण्टरलॉकिग , ईट व मिट्टी | 31473.00 | 99/09.07.19 | हिन्दुस्तान ईट उद्योग |
| 16 | 09.07.19 | मुग्गी के खेत से भैरव बाबा तक इण्टरलॉकिग हेत ईट व ईट गिट्टी का भुगतान | 32030.00 | 150/09.07.19 | हिन्दुस्तान ईट उद्योग |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16.11.19 | वाल पेन्टिग 2018-19 का भुगतान | 7200.00 | पी0एफ0एम0एस0/16.11.19 | हिन्दुस्तान ईट उद्योग |
| 18 | 28.11.19 | टेण्डर प्रकाशन का भुगतान | 2956.66 | पी0एफ0एम0एस0/28.11.19 | हिन्दुस्तान ईट उद्योग |
| 19 | 27.01.20 | टेण्डर प्रकाशन का भुगतान | 3500.00 | पी0एफ0एम0एस0/27.01.20 | हिन्दुस्तान ईट उद्योग |
| 20 | 27.01.20 | टेण्डर प्रकाशन का भुगतान | 3000.00 | पी0एफ0एम0एस0/27.01.20 | हिन्दुस्तान ईट उद्योग |
| 21 | 05.03.20 | टेण्डर प्रकाशन का भुगतान | 3200.00 | पी0एफ0एम0एस0/13.03.20 | हिन्दुस्तान ईट उद्योग |
| 22 | 13.03.20 | कूडा ट्राली का भुगतान | 15500.00 | पी0एफ0एम0एस0/13.03.20 | हिन्दुस्तान ईट उद्योग |
| | | योग | **511019.66** | | |

अतः धनराशि रूपया 511019.66 बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय रही। ग्राम पंचायतों हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्ध के मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्द 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किए व्यय की गई धनराशि रूपया 511019.66 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती चन्दन देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 20 **-**ग्राम पंचायत बन्थरी की लेखा परीक्षा 2019-2020 में निम्न विवरण के अनुसार "केशरवानी टेडर्स"के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे-

| क्र0स0 | दिनांक | वाऊचर्स क्रमांक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.12.2019 | 14/682 | 32758.00 |
| 2 | 26.12.2019 | 13/620 | 48892.00 |
| 3 | 16.01.2020 | 13/615 | 20353.00 |
| 4 | 06.02.2020 | 13/136 | 51435.00 |
| | | योग | 153438.00 |

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक और बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम है, जिससे स्पष्ट है कि फर्जी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किए गए है, क्योंकि यदि वाऊचर्स फर्म द्वारा जारी किए गए होते तो पहले की तिथि का वाऊचर्स क्रमांक कम और बाद की तिथि का वाऊचर्स क्रमांक अधिक होता एवं धनराशि के साथ 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 भी जोडी गयी होती। अतः फर्जी व्यय प्रमाणकों के आधार पर धनराशि रूपया 153438.00 का अपहरण सचिव प्रधान एवं फर्म की मिलीभगत से किया गया है। अतः धनराशि रूपया 153438.00 की वसूली प्रधान श्रीमती चन्दन देवी एवं सचिव श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 21 **-**ग्राम पंचायत बन्थरी की वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार 'उजमा ब्रिक फिल्ड' के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे-

| क्र0स0 | दिनांक | वाऊचर्स क्रमांक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 01 | 16.12.2019 | 113 | 68756.00 |
| 02 | 18.12.2019 | 142 | 97972.00 |
| 03 | 16.01.2020 | 107 | 25556.00 |
| 04 | 27.01.2020 | 147 | 118014.00 |
| | | योग | 310298.00 |

दिनांक 16-12-2019 एवं 18-12-2019 के वाऊचर्स क्रमांक क्रमशः 113 एवं 142 क्रम से है इसके पश्चात 16-01-2020 का वाऊचर्स क्रमांक 107 का देखा गया जो कि हो नहीं सकता क्योकि यदि वाऊचर्स फर्म द्वारा जारी किया गया होता तों पहले की तिथि का

वाऊचर्स क्रमांक कम और बाद की तिथि का वाऊचर्स क्रमांक अधिक कैसे होता एवं सभी व्यय प्रमाणकों में 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 जुड़ा होता।

स्पष्ट है कि फर्जी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर लेखा परीक्षा को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। अतः धनराशि रूपया 310298.00 का अपहरण सचिव, प्रधान एवं फर्म की मिलीभगत से किया गया है। अतः धनराशि रूपया 310298.00 की वसूली सचिव श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला एवं ग्राम प्रधान (तत्कालीन) श्रीमती चन्दन देवी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत- बसुहार विकास खण्ड- नेवादा, जनपद- कौशाम्बी लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020**

**प्रस्तर** 22 --ग्राम पंचायत बसुहार में दिनांक 03-04-19 को कोषवही के अनुसार धनराशि रूपया 9151.00 का भुगतान होलिका दहन सामग्री पर व्यय खारिज है, किन्तु बैंक स्टेटमेंट के अनुसार चैक संख्या 550 दिनांक 03-04-19 धनराशि रूपया 9151.00 गोलू ट्रेडर्स को भुगतान रहा। चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की गाईडलाईन्स के अन्तर्गत होलिका दहन सामग्री की कोई कार्य निर्धारित नहीं है। अतः रूपया 9151.00 का अनियमित व्यय रहा। होलिका दहन सामग्री पर क्या क्रय रहा अज्ञात रहा, क्योंकि 9151.00 के व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहे। अतः रूपया 9151.00 की वसूली अपेक्षित है। रूपया 9151.00 तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार सिंह से  ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 23 -हैण्ड पंप मरम्मत पर व्यय निम्न विवरण के अनुसार कोषवही से खारिज है। बैंक स्टेटमेंट के अनुसार निम्न समस्त भुगतान प्रधान श्रीमती सुनीता देवी द्वारा बैंक से नकद प्राप्त किए गए है, जिनके व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। स्पष्ट है कि हैण्ड पंप मरम्मत के नाम पर धनराशियों का अपहरण किया गया है। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

| क्र0स 0 | दिनांक | चैक संख्या | धनराशि | स्टेटमेन्ट के अनुसार धन प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.07.19 | 617 | 4694.00 | प्रधान सुनीता देवी |
| 2 | 11.07.19 | 622 | 7390.00 | प्रधान सुनीता देवी |
| 3 | 11.07.19 | 629 | 6651.00 | प्रधान सुनीता देवी |
| 4 | 11.07.19 | 604 | 6651.00 | प्रधान सुनीता देवी |
| 5 | 11.07.19 | 630 | 5912.00 | प्रधान सुनीता देवी |
| | | योग | 31298.00 | |

अतः रूपया 31298.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार सिंह से दण्डात्मक ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 24 -दिनांक 30-09-19 को कोषवही में रूपया 443.00 खारिज है। व्यय विवरण में अंकित है कि जियावन पासी के घर से भैया लाल पासी के घर तक इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण में सामग्री पर व्यय, जबकि बैंक स्टेटमेंट में दिनांक 30-09-19 को रूपया 443.00 का बैंक चार्ज (एल0एफ0सी0ई0वी0) काटा गया है। स्पष्ट है कि कोषवही में फर्जी व्यय डाला गया है, जैसी कि ग्राम पंचायत में फर्जी व्यय डालने की आदत है। इसके लिए तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार सिंह एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी जिम्मेदार है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 25 -ग्राम पंचायत बसुहार में निम्न विवरण के अनुसार मजदूरी भुगतान  प्रधान के व्यक्तिगतबैंक खाते में धनराशि ट्रासफर रही है, जबकि पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू होने के पश्चात धनराशियॉ मजदूरों के खाते में ट्रासफर की जानी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया है। पी0एफ0एम0एस0 से धनराशियों प्रधान श्रीमती सुनीता देवी के खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। कोषवही में कार्यो की मजदूरी फर्जी भुगतान दर्शाया दिया गया है। स्पष्ट है कि कोषवही में फर्जी भुगातन दर्शाया गया है, क्योकि धनराशियॉ तो प्रधान श्रीमती सुनीता देवी के खाते में ट्रांसफर रही है। अतः धनराशि रूपया 107916.00 का अपहरण कर लिया गया है।

| क्र0स 0 | दिनांक | कार्य का नाम जिसकी मजदूरी भुगतान कोषवही में दर्शाया गया है | धनराशि | स्टेटमेन्ट के अनुसार नामजिसके खाते मेंपी0एफ0एम0एस0 द्वारा धनराशि ट्रासफर की गयी है |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.10.19 | इण्टरलॉकिग मजदूरी टिण्डा टू प्रकाश पासी | 18784.00 | प्रधान श्रीमती सुनीता देवी |
| 2 | 25.10.19 | इण्टरलॉकिग मजदूरी कडेदीन टू दयाराम | 17134.00 | प्रधान श्रीमती सुनीता देवी |
| 3 | 25.10.19 | इण्टरलॉकिग मजदूरी ओझा टू मुरली | 16385.00 | प्रधान श्रीमती सुनीता देवी |
| 4 | 25.10.19 | इण्टरलॉकिग मजदूरी देशराजटू बच्ची लाल | 34805.00 | प्रधान श्रीमती सुनीता देवी |
| 5 | 25.10.19 | इण्टरलॉकिग मजदूरी बबलू टू श्रीराम | 9210.00 | प्रधान श्रीमती सुनीता देवी |
| 6 | 25.10.19 | इण्टरलॉकिग मजदूरी लोकिया टू सीता राम | 11598.00 | प्रधान श्रीमती सुनीता देवी |
| | | योग | 107916.00 | |

अतः रूपया 107916.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 26 -निम्न विवरण के अनुसार धनराशियॉ कोषवही से खारिज है किन्तु धनराशियॉ प्रधान श्रीमती सुनीता देवीके व्यक्तिगत बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 द्वारा स्थानान्तरित रही है, जबकिपी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू होने के पश्चात धनराशियॉ फर्मो/मजदूरों/लाभार्थियों के खाते में स्थानान्तरित की जानी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। स्पष्ट है कि कोषवही में दर्शित व्यय फर्जी है क्योंकि धनराशियां तो प्रधान श्रीमती सुनीता देवी के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। अतः कोषवही में दर्शाए गए कार्य फर्जी है। विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0स0 | दिनांक | कोषवही में दर्शाया गया कार्य का नाम | धनराशि | ई ग्राम स्वराज के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.01.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य | 7140.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 2 | 15.01.20 | कुआ से शिव बाबू के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 26272.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 3 | 15.01.20 | शिवबाबू के घर से रमेश बाबू के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | 28710.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 4 | 15.01.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्यपर व्यय | 7140.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 5 | 15.01.20 | कल्लू सिंह के घर से लल्ला सिंह के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 26636.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 6 | 15.01.20 | मुरली के घर से मंजू के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 15174.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 7 | 15.01.20 | बचन के घर से तालाब तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 12226.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 8 | 15.01.20 | तालाब से फूल सिंह के के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 19358.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 9 | 06.02.20 | प्राईमरी स्कूल कटैनी के पूरा मरम्मत कार्य पर व्यय | 56392.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 10 | 06.02.20 | प्राईमरी स्कूल कटैनी में टाईल्स स्थापना कार्य पर व्यय | 47054.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 11 | 06.02.20 | प्राईमरी स्कूल खरसैन का पूरा में इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 24962.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 12 | 06.02.20 | प्राईमरी स्कूल कटैनी में इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 24864.00 | श्रीमती सुनीता देवी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 06.02.20 | प्राईमरी स्कूल खरसैन का पूरा में मरम्मत कार्य पर व्य | 68964.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 14 | 06.02.20 | प्राईमरी स्कूल खरसैन का पूरा में टाईल्स स्थापना पर व्यय | 47796.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 15 | 24.03.20 | प्राईमरी स्कूल कटैनी में ऑगनबाडी केन्द्र के सामने टाईल्स स्थापना कार्य में मजदूरी पर व्यय | 8995.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| 16 | 27.03.20 | बंशी के घर से नन्दू मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिग व नाली कार्य में सामग्री पर व्यय | 41677.00 | श्रीमती सुनीता देवी |
| | | योग | 463360.00 | |

इस प्रकार धनराशि रूपया 463360.00 का अपहरण किया गया है। अतः रूपया 463360.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं सचिव श्री विनय कुमार सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 27 -कोषवही वर्ष 2019-20 में निम्न विवरण के अनुसार व्यय दर्शाये गए है। व्यय की गई धनराशियों के व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे किए गए व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव, इस्टीमेट, एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक पंजिका आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जाने से कराए गए कार्यो की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतु वितीय प्रबन्ध एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार व्यय की गई धनराशियों के व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत किए जाने की दशा में व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की जाएगी-

व्यय की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0स 0 | वाऊचर्स नं0 | दिनांक | कोषवही में दर्शितकार्य | धनराशि | ई ग्राम स्वराज के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 557 | 02.04.19 | राजकुमार के घर से चन्द्र बाबू के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण मजदूरी | 10417.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 2 | 552 | 03.04.19 | लल्लूटू भोंदल इण्टरलॉकिग मजदूरी | 7175.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 3 | 555 | 03.04.19 | कमलेश टू आभा इण्टरलॉकिग मजदूरी | 10168.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 4 | 558 | 03.04.19 | राम बाबू टू रोड इण्टरलॉकिग मजदूरी | 4486.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 5 | 551 | 03.04.19 | रामहित टू ललवा इण्टरलॉकिग मजदूरी | 7875.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 6 | 553 | 03.04.19 | कमलेशटू आभा इण्टरलॉकिग मजदूरी | 37975.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 7 | 376 | 04.04.19 | ह्वील चेयर का भुगतान | 22156.00 | रॉयल इक्जिम स्टार |
| 8 | 565 | 08.04.19 | राम बाबू टू रोड इण्टरलॉकिग सामग्री | 9683.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 9 | 568 | 08.04.19 | कमलेश टू आभा इण्टरलॉकिग सामग्री | 28325.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 10 | 559 | 08.04.19 | रामहित टू ललवा इण्टरलॉकिग सामग्री | 10632.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 11 | 571 | 08.04.19 | लल्लूटू भोंदल इण्टरलॉकिगकार्य पर व्यय | 10663.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 12 | 562 | 08.04.19 | राजकुमारटू चन्द्रभवन इण्टरलॉकिग सामग्री | 22008.00 | गोलूट्रेडर्स |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 569 | 08.04.19 | राजकुमारटू चन्द्रभवन इण्टरलॉकिग सामग्री | 27879.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 14 | 572 | 08.04.19 | लल्लूटू भोंदल इण्टरलॉकिगकार्य पर व्यय | 3994.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 15 | 566 | 08.04.19 | लल्लूटू भोंदल इण्टरलॉकिगकार्य पर व्यय | 19218.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 16 | 563 | 08.04.19 | राजकुमार के घर से चन्द्रभवन के घर तक इण्टरलॉकिग सामग्री पर व्यय | 36073.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 17 | 560 | 08.04.19 | राम हित टू ललवाइण्टरलॉकिग कार्य परसामग्री | 4912.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 18 | 561 | 08.04.19 | राम हित टू ललवाइण्टरलॉकिग कार्य परसामग्री | 22344.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 19 | 564 | 08.04.19 | राजकुमारटू चन्द्रभवन इण्टरलॉकिग सामग्री | 81144.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 20 | 567 | 08.04.19 | रामबाबू टू रोड इण्टरलॉकिग कार्य परसामग्री | 25872.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 21 | 570 | 08.04.19 | कमलेश टू आभादेवी इण्टरलॉकिग सामग्री | 82320.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 22 | 573 | 08.04.19 | लल्लूटू भोंदल इण्टरलॉकिगएवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय | 21168.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 23 | 576 | 10.04.19 | मैकूलालटू पक्की सडक इण्टरलॉकिग एवं नाली कार्य में मजदूरी व्यय | 16450.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 24 | 575 | 10.04.19 | फूलचन्द्रटू मैकूलाल इण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माण कार्य की मजदूरी | 16900.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 25 | 574 | 10.04.19 | रामलालटू रग्घु इण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माण मजदूरी पर व्यय | 23950.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 26 | 581 | 15.04.19 | रामलालटू रग्घु इण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माण सामग्री पर व्यय | 22776.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 27 | 578 | 15.04.19 | फूलचन्द्रटू फेंकू इण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री | 15467.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 28 | 584 | | मैकूके घर सेपक्की सडक तक इण्टरलॉकिगकार्य में सामग्री पर व्यय | 15021.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 29 | 577 | | मैकूके घर सेपक्की सडक तक इण्टरलॉकिगकार्य में सामग्री पर व्यय | 40294.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 30 | 580 | | रामलालटू रज्जू इण्टरलॉकिगसामग्री | 53136.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 31 | 583 | | मैकूटूपक्की सडक तक इण्टरलॉकिगसामग्री पर व्यय | 40147.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 32 | 582 | | रामलालटू रग्घु इण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री | 37224.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 33 | 579 | | फूलचन्द्र टू मैकू इण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री | 24805.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 34 | 585 | | मैकूटू पक्की सडक इण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री | 23620.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 35 | 616 | | राजेन्द्र के घर के पास हैण्डपंप रिबोर कार्य पर व्यय | 25000.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 618 | | सन्तोष के घर से मंत्री जीके घर तक मिट्टी पटाई | 24934.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 37 | 617 | | सन्तोष के घर से मंत्री जीके घर तक मिट्टी पटाई | 46228.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 38 | 622 | | संजीवटू नरेन्द्र इण्टरलॉकिग एवं नाली कार्य पर व्यय | 4694.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 39 | 629 | | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 7390.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 40 | 604 | | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 6651.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 41 | 630 | | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 6651.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 42 | 626 | | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 5912.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 43 | 625 | | शीतल प्रसादटू अवध नारायन इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 7204.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 44 | 602 | | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 13450.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 45 | 603 | | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 12975.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 46 | 627 | | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 13675.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 47 | 628 | | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 14020.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 48 | 624 | | शीतल प्रसादटू अवध नारायन इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 32928.00 | ओम इण्टरप्राईजेज |
| 49 | 620 | | संजीवटू नरेन्द्र इण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय | 11550.00 | ओम इण्टरप्राईजेज |
| 50 | 613 | | अनिल टू शत्रुधन इण्टरलॉकिगकार्य पर व्यय | 17648.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 51 | 609 | | पूरन सिंहटू बडका इण्टरलॉकिगकार्य पर व्यय | 22124.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 52 | 587 | | राजेश के घर के पास हैण्ड पंप रिबोर पर व्यय | 25113.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 53 | 615 | | राजेन्द्र के घर के पास हैण्डपंप रिबोर कार्य पर व्यय | 24416.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 54 | 621 | | संजीवटू नरेन्द्र इण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय | 4519.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 55 | 623 | | शीतल टू अवध नारायन इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 8726.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 56 | 606 | | पूरन सिंहटू बडका इण्टरलॉकिगकार्य पर व्यय | 28550.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 57 | 610 | | अनिल टू शत्रुधन इण्टरलॉकिगकार्य पर व्यय | 20922.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 58 | 619 | 23.07.19 | संजीव टू नरेन्द्र इण्टर लॉकिग व नाली निर्माण पर व्यय | 4914.00 | जय मॉ गौरी ब्रिक फिल्ड |
| 59 | 607 | 23.07.19 | पूरन सिंहटू बडका इण्टर लॉकिग कार्य पर व्यय | 31752.00 | जय मॉ गौरी ब्रिक फिल्ड |
| 60 | 611 | 23.07.19 | अनिल टू शत्रुधन इण्टरलॉकिग निर्माण पर व्यय | 22906.00 | जय मॉ गौरी ब्रिक फिल्ड |
| 61 | 608 | 23.07.19 | पूरन सिंहटू बडका इण्टर लॉकिग कार्य पर व्यय | 49280.00 | ओम इण्टर प्राईजेज |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 612 | 24.07.19 | अनिल टू शत्रुधन इण्टरलॉकिग निर्माण पर व्यय | 51744.00 | ओम इण्टर प्राईजेज |
| 63 | 638 | 29.07.19 | ज्ञानदत्त टू अम्बिका इण्टर लॉकिग कार्य पर व्यय | 42974.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 64 | 634 | 29.07.19 | बंटा लोहार टू चरन सिंह इण्टर लॉकिग कार्य पर व्यय | 32240.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 65 | 631 | 29.07.19 | बंटा लोहार टू चरन सिंह इण्टर लॉकिग कार्य पर व्यय | 26526.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 66 | 635 | 29.07.19 | ज्ञानदेव टू अम्बिका इण्टर लॉकिग कार्य पर व्यय | 31324.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 67 | 636 | 29.07.19 | ज्ञानदेवटू अम्बिका इण्टर लॉकिग कार्य पर व्यय | 50840.00 | जय मॉ गौरी ब्रिक .फिल्ड |
| 68 | 632 | 29.07.19 | बंटा लोहार टू चरन सिंह इण्टर लॉकिग निर्माण कार्य पर व्यय | 39447.00 | जय मॉ गौरी ब्रिक फिल्ड |
| 69 | 637 | 31.07.19 | ज्ञानदेव के घर से अम्बिका के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 95406.00 | ओम इण्टर प्राईजेज |
| 70 | 633 | 31.07.19 | बंटा लोहार टू चरन सिंह इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 37280.00 | ओम इण्टर प्राईजेज |
| 71 | 614 | 31.07.19 | राजेन्द्र के घर के पास हैण्ड पंप रिबोर | 24666.00 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 72 | 586 | 31.07.19 | राजेश के घर के पास हैण्ड पंप रिबोर | 26032.00 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 73 | 639 | 01.08.19 | राजेश के घर के पास हैण्ड पंप रिबोर | 25113.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 74 | 641 | 01.08.19 | कल्लू सिंह के पास हैण्ड पंप रिबोर | 25113.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 75 | 643 | 01.08.19 | कडेदीन के घर के पास हैण्ड पंप रिबोर | 24416.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 76 | 301 | 01.08.19 | शिव मन्दिर के पासहैण्ड पंप रिबोर | 25253.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 77 | 303 | 01.08.19 | आकाश के घर के पास हैण्ड पंप रिबोर | 24612.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 78 | 305 | 01.08.19 | जगपद के घर के पास हैण्ड पंप रिबोर | 24139.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 79 | 640 | 01.08.19 | कल्लू सिंह के घर के पासहैण्ड पंप रिबोर | 25400.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 80 | 302 | 01.08.19 | शिव मन्दिर के पासहैण्ड पंप रिबोर पर व्यय | 25400.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 81 | 645 | 03.08.19 | चरन सिंहटू कडेदीन इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 24198.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 82 | 310 | 03.08.19 | मन्दिरटू अम्बिका इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 31912.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 83 | 315 | 03.08.19 | जियावनटू भैया लाल इण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माण कार्य पर व्यय | 36024.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 84 | 658 | 03.08.19 | बृजेश के घर के पासहैण्ड पंप रिबोर कार्य पर व्यय | 25332.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 85 | 588 | 03.08.19 | कडेदीनटू बडका इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 29952.00 | श्रीमती सुनीता देवी (प्रधान) |
| 86 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.09.19 | जियावन टू भैयालाल इण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माण में सामग्री पर व्यय | 59604.00 | जय मॉ गंगे इण्टरलॉकिग ईट उद्योग |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.09.19 | मन्दिर से अम्बिका के पुराने घर तक इण्टरलॉकिगव नाली कार्य पर सामग्री | 30990.00 | रामईट उद्योग |
| 88 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.09.19 | जियावन पासी के घर से भैयालाल पासी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 45833.00 | रामईट उद्योग |
| 89 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.09.19 | मन्दिर टू अम्बिका के पुराने घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 65912.00 | जय मॉ गंगे इण्टरलॉकिग ईट उद्योग |
| 90 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.09.19 | चरन सिंह टू कडेदीन इण्टरलॉकिग व दोनों तरफ नाली कार्य पर व्यय | 39984.00 | जय मॉ गंगे इण्टरलॉकिग ईट उद्योग |
| 91 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.09.19 | चरन सिंह टू कडेदीन इण्टरलॉकिग व दोनों तरफ नाली कार्य पर व्यय | 40014.00 | रामईट उद्योग |
| 92 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.09.19 | चरन सिंह टू कडेदीन इण्टरलॉकिग व दोनों तरफ नाली कार्य पर व्यय | 26967.00 | कृष्णा ट्रेडर्स |
| 93 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.09.19 | मन्दिर टू अम्बिका के पुराने घर तक इण्टरलॉकिग कार्य की सामग्रीपर व्यय | 35647.00 | कृष्णा ट्रेडर्स |
| 94 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.09.19 | जियावन पासी टू भैयालाल पासी के घर तक इण्टरलॉकिग व नाली सामग्री | 37203.00 | कृष्णा ट्रेडर्स |
| 95 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 01.10.19 | ओझाजी टू मुरलीइण्टरलॉकिग व नाली निर्माण कार्य | 35482.00 | ओम इण्टर प्राईजेज |
| 96 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 01.10.19 | बबलू के घर से श्रीराम के घर तक इण्टरलॉकिग एवं नाली | 48984.00 | ओम इण्टर प्राईजेज |
| 97 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 01.10.19 | टिण्टा पण्डाटू प्रकाश पासी इण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माण | 24776.00 | रामईट उद्योग |
| 98 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 01.10.19 | ओझाजी टू मुरलीइण्टरलॉकिग एवं नाली निर्माणसीमेन्ट पर व्यय | 15487.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 99 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 01.10.19 | बबलूटू श्रीरामइण्टरलॉकिग व नाली निर्माणसीमेन्ट पर व्यय | 4563.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 100 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 01.10.19 | टिण्टा पण्डाटू प्रकाश पासी इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण | 16902.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 101 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 01.10.19 | टिण्टा पण्डाटू प्रकाश पासी इण्टरलॉकिग व नाली निर्माण | 24685.00 | रामईट उद्योग |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 01.10.19 | बबलूटू श्रीरामइण्टरलॉकिग व नाली निर्माण | 9181.00 | रामईट उद्योग |
| 103 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 01.10.19 | रामेश्वर के घर के पास हैण्डपंप रिबोर कार्य पर व्यय | 51005.00 | में0 न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 104 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 14.10.19 | चन्द्रभवन दुबे के घर के पास हैण्डपंप रिबोर में सामग्री | 49629.00 | में0 न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 105 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 14.10.19 | विमलेश के घर के पास हैण्डपंप रिबोर कार्य पर व्यय | 50261.00 | में0 न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 106 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 14.10.19 | देशराज पासी के घर के पास हैण्डपंप रिबोर कार्य पर व्यय | 49713.00 | में0 न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 107 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 14.10.19 | हैण्डपंप रिबोर कार्य में सामग्री (परन्तु किस हैण्डपंप में) | 25012.00 | में0 न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 108 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | लोनिया टू सीताराम इण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री | 17599.00 | रामईट उद्योग |
| 109 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | कडेदीन टू दयाराम कार्य में सामग्री | 35482.00 | ओम इण्टर प्राईजेज |
| 110 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | संजय मिश्रा के घर के पास हैण्डपंप रिबोर पर व्यय | 25399.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 111 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | मुन्ना सिंह के घर के पास हैण्डपंप रिबोर कार्य पर व्यय | 25864.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 112 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | कडेदीन टू दयाराम इण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री | 26686.00 | रामईट उद्योग |
| 113 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | लोनियाटू सीतारामइण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री | 10714.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 114 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | कडेदीन टू दयाराम इण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री | 16021.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 115 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | लोनियाटू सीतारामइण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री | 23654.00 | ओम इण्टर प्राईजेज |
| 116 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | गुलाब के घर के पास हैण्डपंप रिबोर कार्य पर व्यय | 47956.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | संजय मिश्रा के घर के पास हैण्डपंप रिबोर कार्य पर व्यय | 22257.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 118 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 19.11.19 | जगपत कोरी के घर के पासहैण्डपंप रिबोर कार्य पर व्यय | 25194.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 119 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 04.12.19 | देशराज पासीटू बच्ची लाल इण्टरलॉकिग कार्य में ईट पर व्यय | 78848.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 120 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.12.19 | स्वच्छता प्रचार प्रसार स्लोगन पर व्यय | 7200.00 | आदर्श इण्टरप्राईजेज |
| 121 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 16.12.19 | देशराज पासीटू बच्ची लाल इण्टरलॉकिग कार्य में सामग्री पर व्यय | 48124.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 122 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 14.01.20 | परमारमेंस ग्रांट हेतु सी0ए0 ऑडिट का भुगतान | 10000.00 | कृष्णा शर्मा एण्ड मालती शर्मा |
| 123 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | कुआ से शिवबाबू इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 87670.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 124 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | शिवबाबूटू रमेश इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 105977.00 | में0 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 125 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर व्यय (कौन सा हैण्डपंप) | 14375.00 | में0 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 126 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | बचन के घर से तालाब तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 9558.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 127 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | कल्लू सिंहटू लल्ला सिंह इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 20900.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 128 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर व्यय (कौन सा हैण्डपंप) | 7140.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 129 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | शिवबाबू के घर से रमेश के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 21705.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 130 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर व्यय (कौन सा हैण्डपंप) | 16285.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 131 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर व्यय (कौन सा हैण्डपंप) | 17180.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 132 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | तालाब टू फूल सिंह इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 72934.00 | मैं0 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 133 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | बचन टू तालाब इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 53001.00 | मैं0 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 134 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | मुरली टू मंजू इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 70963.00 | मैं0 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 135 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | तालाब टू फूल सिंह इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 17624.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 136 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | कल्लू सिंह टू लल्ला सिंह इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 23710.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 137 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | कल्लू सिंह टू लल्ला सिंह इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 110387.00 | मैं0 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 138 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | शिवबाबू टू रमेश इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 17850.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 139 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | कुंआ से बाबू के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य हेतु | 17496.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 140 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | मुरली टू मंजू इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 8206.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 141 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | तालाब टू फूल सिंह इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 20180.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 142 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | बचन टू तालाब इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 9434.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 143 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | कुंआ टू शिवबाबू इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 19200.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 144 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 15.01.20 | मुरली टू मंजू इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 17973.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 145 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 16.01.20 | पेयजल मरम्मत मोटर पर व्यय | 43660.00 | इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन |
| 146 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 16.01.20 | पेयजल मरम्मत मोटर पर व्यय | 34000.00 | इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 147 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 16.01.20 | पेयजल मरम्मत मोटर पर व्यय | 41300.00 | इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन |
| 148 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 16.01.20 | पेयजल मरम्मत मोटर पर व्यय | 44250.00 | इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन |
| 149 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय खरसेन का पुरा मरम्मत कार्य पर व्यय | 142542.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 150 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय कटैनी मेंमरम्मत कार्य पर व्यय | 25516.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 151 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय कटैनी मेंमरम्मत कार्य पर व्यय | 22002.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 152 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय कटैनी में टाईल्स स्थापना पर व्यय | 9406.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 153 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय खरसेन का पुरा टाईल्स स्थापना पर व्यय | 9944.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 154 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय खरसेन का पुरा टाईल्स स्थापना पर व्यय | 52154.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 155 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय खरसेन का पुरा मरम्म्त कार्य पर व्यय | 25631.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 156 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय खरसेन का पुरा टाईल्स स्थापना कार्य परव्यय | 55714.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 157 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय कटैनी पर मरम्म्त कार्य पर व्यय | 163551.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 158 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय कटैनी पर मरम्म्त कार्य पर व्यय | 94617.00 | मैं0 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 159 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय खरसेन का पुराइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 102034.00 | मैं0 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 160 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय कटैनी पर मरम्म्त कार्य पर व्यय | 12389.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 161 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय खरसेन का पुराइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 22347.00 | गोलूट्रेडर्स |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय खरसेन का पुरा टाईल्स स्थापना कार्य पर व्यय | 117600.00 | अम्बिका टाईल्स प्लेस |
| 163 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.02.20 | प्राथमिक विद्यालय कटैनी में टाईल्स स्थापना कार्य परव्यय | 111552.00 | अम्बिका टाईल्स प्लेस |
| 164 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 06.03.20 | सफाई उपकरण कार्य की सामग्री पर व्यय | 62000.00 | राजपूत ट्रेडर्स |
| 165 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 24.03.20 | ऑगन बाडी केन्द्र में टाईल्स स्पथापना में सामग्री पर व्यय | 13384.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 166 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 24.03.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर व्यय (किन्तु कौन सा हैण्डपंप) | 37305.00 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 167 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 24.03.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर व्यय (किन्तु कौन सा हैण्डपंप) | 29945.00 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 168 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 24.03.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर व्यय (किन्तु कौन सा हैण्डपंप) | 20165.00 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 169 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 27.03.20 | बंशी के घर से नन्हू मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिग व नाली कार्य में सामग्री | 125836.00 | ओम इण्टर प्राईजेज |
| 170 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 27.03.20 | बंशी के घर से नन्हू मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिग व नाली कार्य में सामग्री | 34977.00 | गोलूट्रेडर्स |
| 171 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 27.03.20 | बंशी के घर से नन्हू मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिग व नाली कार्य में सामग्री | 42671.00 | जय गौरी मॉ ब्रिक फिल्ड |
| 172 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.03.20 | प्राथमिक विद्यालय कटैनी में ऑगनबाडी केन्द्र रूम में टाईल्स स्थापना सामग्री परव्यय | 23990.00 | अम्बिका टाईल्स प्लेस |
| 173 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.03.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर व्यय (किन्तु कौन सा हैण्डपंप) | 20175.00 | में0 न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| 174 | पी0एफ0 एम0एस 0 | 30.03.20 | हैण्डपंप मरम्मत कार्य पर व्यय (किन्तु कौन सा हैण्डपंप) | 24245.00 | में0 न्यू किसान मशीनरी स्टोर |
| | | योग | | 5669234.00 | |

(रूपया छप्पन लाख उनहत्तर हजार दो सौ चौतीस मात्र।)

उक्त विवरण के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। अतः धनराशि रूपया 5669234.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। उक्त से यह भी स्पष्ट है कि प्रधान,सचिव एवं फर्मो की मिलीभगत से इन्कार नहीं है।

**ग्राम पंचायत- चिरारी विकास खण्ड- नेवादा, जनपद- कौशाम्बी लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020**

**प्रस्तर** 28 -ग्राम पंचायत चिरारी में वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार प्रस्तुत व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा की दृष्टि में फर्जी पाए गए, जिसका कारण यह रहा कि न्यू किसान मशीनरी स्टोर के व्यय प्रमाणकों का पहले की तिथि का क्रमांक अधिक है और बाद की तिथि का क्रमांक कम है, जिससे स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक स्वयं गड्डी प्राप्त कर बनाए गए है न कि दुकानदार द्वारा जारी किए गए है। अगर दुकानदार द्वारा जारी किए गए होते तो पहले कि तिथि का क्रमांक कम और बाद की तिथि का क्रमांक अधिक होता। इस प्रकार फर्जी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत कर लेखा परीक्षा को गुमराह करने एंव राजकीय धन का अपहरण प्रधान एवं सचिव द्वारा किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0स0 | फर्म का नाम | दिनांक | व्यय प्रमाणक का क्रमांक | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 18.04.19 | 205 | 21390.00 |
| 2 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 18.04.19 | 207 | 18521.00 |
| 3 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 28.07.19 | 216 | 50485.00 |
| 4 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 28.07.19 | 211 | 50429.00 |
| 5 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 28.07.19 | 217 | 50133.00 |
| 6 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 28.07.19 | 198 | 51061.00 |
| 7 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 27.11.19 | 195 | 95312.00 |
| 8 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 10.10.19 | 192 | 95312.00 |
| 9 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 10.10.19 | 190 | 95312.00 |
| 10 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 10.10.19 | 87 | 24810.00 |
| 11 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 10.10.19 | 79 | 23065.00 |
| 12 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 10.10.19 | 85 | 22495.00 |
| 13 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 10.10.19 | 90 | 21430.00 |
| 14 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 10.10.19 | 21 | 61824.00 |
| 15 | न्यू किसान मशीनरी स्टोर | 10.10.19 | 101 | 139104.00 |
| | योग | --- | --- | 820683.00 |

अतः रूपया 820683.00 की वसूली प्रधान श्री हेम कर्ण सिंह एवं सचिव श्री अजीत कुमार सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। व्यय प्रमाणकों में जी0एस0टी0 की धनराशि भी नहीं जोडे जाने से व्यय प्रमाणकों के फर्जी होने की पुष्टि होती है।

**प्रस्तर** 29 -निम्न विवरण के अनुसारलेखा परीक्षा मेंव्यय प्रमाणकनहींउपलब्ध कराये गये।ग्राम पंचायातों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसारधनराशि रूपया 309566.00 ग्राम प्रधान श्री हेम कर्ण सिंह एवं सचिव श्री अजित कुमार सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0स0 | दिनांक | धनराशि | मद का नाम जिसमें धनराशि व्यय दर्शाई गयी है | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.19 | 15748.00 | हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री | | न्यू किसान मशीनरी स्टोर को |
| 2 | 25.04.19 | 13938.00 | हैण्डपंप मरम्मत हेतु सामग्री | | भुगतान बिना मजदूरी हैण्डपंप मरम्मत कैसे सम्भव रहा |
| 3 | 14.10.19 | 20435.00 | हैण्डपंप मरम्मतकार्य | (सामग्री+मजदूरी) | न्यू किसान मशीनरी स्टोर को भुगतान |
| 4 | 14.10.19 | 18180.00 | हैण्डपंप मरम्मतकार्य | (सामग्री+मजदूरी) | न्यू किसान मशीनरी स्टोर को भुगतान |
| 5 | 14.10.19 | 20205.00 | हैण्डपंप मरम्मतकार्य | (सामग्री+मजदूरी) | न्यू किसान मशीनरी स्टोर को भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 26.12.19 | 51497.00 | मुन्नी लाल के घर से तालाब तक पी0वी0सी0 पाईप लाईन नाली निर्माण | पी0एफ0एम0एस0 रामजी ट्रेडर्स एs pe आर सी0बी0 |
| 7 | 26.12.19 | 154560.00 | उपरोक्त कार्य में सामग्री | पी0एफ0एम0एस0 रामजी ट्रेडर्स एs pe आर सी0बी0 |
| 8 | 25.04.19 | 15003.00 | हैण्डपंप मरम्मत में सामग्री | न्यू किसान मशीनरी स्टोर चैक नम्बर 273 से |
| | योग | 309566.00 | | |

उक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि हैण्डपंप मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान न्यू किसान मशीनरी स्टोर को किया गया है जो कि उचित नहीं है। मजदूरों का भुगतान मजदूरों को खातों मे एवं सामग्री का भुगतान फर्म को किया जाना चाहिए था।

**प्रस्तर** 30 -पक्की सडक से हनुमान मन्दिर तक इण्टर लॉकिग कार्य हेतु दिनांक 27.12.19को रूपया 146644.00 को सामग्री राम जी ट्रेडर्स के यहॉ से खरीद दर्शाने के बाद शेष वर्ष में दिनांक 31-03-2020 तक मजदूरी का भुगतान कोषवही में दर्शित नहीं है, जिससे सामग्री खरीद संदेहास्पद है। राम जी ट्रेडर्स का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किए जाने से स्पष्ट है कि रूपया 146644.00 का अपहरण किया गया है। अतः रूपया 146644.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हेम कर्ण सिंह एवं सचिव श्री अजीत कुमार सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 31 -निम्न विवरण के अनुसार चार जगहों पर हैण्ड पंप रिबोर का कार्य एक ही कार्य आई0 डी0 संख्या 17372170 से कराया गया है, जिसमें चारों हैण्ड पम्प रिबोर का व्यय रूपये 2.00 लाख से ऊपर का है, जिसके लिए सहायक विकास अधिकारी (पं0) से वित्तीय एवं प्राशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी, किन्तु ऐसा न कर ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा स्वयं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 05/10-12-18 प्रदान कर अनियमितता की गई है। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0स0 | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | मान सिंह के घर के पासे हैण्ड पम्प रिबोर | 50133.00 |
| 2 | तीरथ के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर | 50429.00 |
| 3 | नथईके घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर | 50485.00 |
| 4 | असर्फी लालके पास हैण्ड पम्प रिबोर | 51061.00 |
| | योग | 202108.00 |

अतः रूपया 202108.00 की अनियमितता की गई है। रूपया 202108.00 के व्यय प्रमाणक फर्जी पाए थे, जिसकी वसूली की आपत्ति प्र0सं0 28 की वसूली की धनराशि रूपया 820683.00 में शामिल है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 32 -निम्न विवरण के अनुसार सामग्री स्नेहा हार्डवेयर यहॉ से क्रय किया जाना दर्शाया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किये गए व्यय प्रमाणक फर्जी पाये गये। फर्जी पाए जाने का कारण यह रहा कि पहले की तिथि के व्यय प्रमाणकों का क्रमांक अधिक पाया गया और बाद की तिथि के व्यय प्रमाणकों का क्रमांक कम पाया गया। जी0एस0टी0 की धनराशि भी व्यय प्रमाणकों मे नहीं जोडी गयी है। अतः धनराशि रूपया 97210.00 की वसूली सचिव श्री अजीत कुमार सिंह एवं प्रधान श्री हेमकर्ण सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से हैः-

| क्र0स0 | तिथि | व्यय प्रमाणक का क्रमांक | धनराशि | दर्शित सामग्री का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.19 | 278 | 34839.00 | पेन्टिग सामग्री चेक संख्या 261/03.04.19 |
| 2 | 01.07.19 | 101 | 9559.00 | प्रा0वि0 में शौचालय मरम्मत रनिंग वाटर सप्लाई में 269/02.07.19 |
| 3 | 04.07.19 | 81 | 43812.00 | बिजली कार्य प्रा0वि0 कुश में 283/06.07.19 |
| 4 | 02.07.19 | 15 | 9000.00 | कूलर खरीद 278/02.07.19 |

| | योग | 97210.00 |
|---|---|---|

**प्रस्तर** 33 -निम्न विवरण के अनुसार सामग्री रामजी ट्रेडर्स के यहाँ से क्रय किया जाना दर्शाया गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किए गए व्यय प्रमाणक फर्जी पाए गए। फर्जी पाए जाने का कारण यह रहा कि पहले की तिथि के व्यय प्रमाणक का क्रमांक अधिक एवं बाद की तिथि के व्यय प्रमाणकों का क्रमांक कम पाया गया। व्यय प्रमाणकों में जी0एस0टी0 की धनराशि नहीं जोडी गयी है। अतः धनराशि रूपया 217523.00 की वसूली प्रधान श्री हेमकर्ण सिंह एवं सचिव श्री अजीत कुमार सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से हैः-

| क्र0स0 | तिथि | व्यय प्रमाणक का क्रमांक | धनराशि | दर्शितक्रय सामग्री का नाम | स्टेटमेट के अनुसार धन प्राप्तकर्ताचेक सं0/ PFM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.04.19 | 181 | 15910.00 | प्रा0वि0 चिरारी में शौचालय मरम्मत हेतु सामग्री | 270/22-04-19 |
| 2 | 26.07.19 | 208 | 24663.00 | प्रा0वि0 चिरारी में शौचालय मरम्मत हेतु सामग्री | 283/01-07-19 |
| 3 | 12.12.19 | 85 | 20396.00 | बच्चू के दरवाजे से प्रदीप के दरवाजे तक अण्डर ग्राउन्ड नाली में सामग्री | पी0एफ0एम0एस0 |
| 4 | 17.12.19 | 20 | 102419.00 | पक्की सडक से रमई के घर तक इण्टरलॉकिग | पी0एफ0एम0एस0 |
| 5 | 26.12.19 | 300 | 54135.00 | धनपति के घर से नहर तक पी0वी0सी0 पाईपलाईन निर्माण कार्य में सामग्री | पी0एफ0एम0एस0 |
| | | योग | 217523.00 | | |

**प्रस्तर** 34 -निम्न विवरण के अनुसार मजदूरी भुगतान के मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे भुगतान किए गए धनराशि के बदले कार्य कराया गया है अथवा नहीं की पुष्टि न की जा सकी। कार्यपूर्ती प्रमाण पुत्र प्रस्तुत नहीं रहा। अतः धनराशि रूपया 34660.00 की वसूली सचिव श्री अजीत कुमार सिंह एवं प्रधान श्री हेमकर्ण सिंह से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0स0 | तिथि | धनराशि | कराये गये कार्य का नाम | टूहूम पेड |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.04.19 | 16800.00 | ग्राम पंचायत में साफ-सफाई की मजदूरी | प्रधान श्री हेमकर्ण सिंह चेक नं0 262/05.04.19 |
| 2 | 01.07.19 | 5360.00 | लोक सभा चुनाव में चित्रकारी | अजय पेन्टर चेक नं0 276/01.07.19 |
| 3 | 01.07.19 | 6000.00 | लोकसभा चुनाव में बूथ खर्च पर व्यय | प्रधान श्री हेमकर्ण सिंह चेक नं0 279/01.07.19 |
| 4 | 02.08.19 | 3000.00 | अरूण कुमार तिवारी प्रिया शाफ्ट फीडिंग | निविदा प्रकाशनचेक नं0 124/02.08.19 |
| 5 | 02.07.19 | 3500.00 | | अरूण कुमारचेक नं0 280/02.07.19 |
| | योग | 34660.00 | | |

**प्रस्तर** 35 -निम्न विवरण के अनुसार कार्यो की अनुमानित लागत रूपया 2.00 लाख के ऊपर किन्तु 2.50 लाख से कम थी, जिसके लिए ए0डी0ओ0 (पं0) से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति ली जानी चाहिए थी, किन्तु नहीं ली गई बल्कि ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा स्वयं वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई जो कि अनियमित रहा, जिसके लिए प्रधान श्री हेमकर्ण सिंह एवं सचिव श्री अजीत कुमार सिंह उत्तरदायी है विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0स 0 | कार्य का नाम | अनुमानित लागत | सामग्री | व्यय धनराशि मजदूरी | योग | कार्य आई0डी0 संख्या | ग्राम पंचायत की बैठक की प्रस्ताव संख्या व दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पक्की सडक से रमई के घर तक इण्टरलॉकिग एवं बन्द नाली निर्माण | 2.15 लाख | 102419.00<br>70840.00 | 37446.00 | 210705.00 | 17372169 | 12/<br>10.12.18 |
| 2 | धनपति के घर से नहर तक पी0वी0सी0 पाईप लाईन एवं नाली निर्माण | 3.40 लाख | 54135.00<br>139104.00 | 37992.00 | 231231.00 | 17372198 | 14/<br>10.12.18 |
| 3 | मुन्नी लाल के घर से तालाब तक पी0वी0सी0 पाईप लाईन एवं नाली | 2.50 लाख | 51497.00<br>154560.00 | 40940.00 | 246997.00 | 19949013 | 11/<br>10.12.18 |
| | योग | | 572555.00 | **116378.00** | 688933.00 | | |

अतः धनराशि रूपया 688933.00 की अनियमितता की गई है, किन्तु धनराशि रूपया 102419.00, 54135.00 आपत्ति संख्या 51 में, एवं 139104.00 आपत्ति संख्या 46 में, रूपया 51497.00 एवं रूपया 154560.00 आपत्ति संख्या 47 में वसूली के रूप में दर्ज है। कुल धनराशि रूपया 501715.00 उक्त आपत्तियों में वसूली के रूप में दर्ज है। अतः रूपया 501715.00 की वसूली के साथ-साथ रूपया 187218.00 की अनियमितता रही। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत- चित्तापुर विकास खण्ड- नेवादा, जनपद- कौशाम्बी लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020**

**प्रस्तर** 36 **-** निम्न विवरणानुसार एक फर्म के एक ही क्रमांक के वाऊचर अलग-अलग कार्य में अलग-अलग तिथि में "फर्जी तैयार कर धनराशि का अपहरण किया गया है, क्योकि एक फर्म का एक क्रमांक का वाऊचर एक तिथि में एक बार ही जारी होगा न कि एक क्रमांक का वाऊचर बार-बार जारी होगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि फर्जी वाऊचर लगाकर धनराशि का अपहरण किया गया है।

| तिथि | कार्य का नाम | फर्म का नाम | भुगतान का तरीका | वाऊचर क्रमांक/तिथि | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 27-11-19 | तेजेन्द्र के घर से प्रहलाद के घर तक नवीन इण्टर लॉकिग | अर्पित कन्सट्रक्शन | पी0एफ0 एम0एस0 | 296/21-11-19 | 105952.00 |
| 19-02-20 | प्रताप के घर से सिकन्दर के घर तक इण्टर लॉकिग | अर्पित कन्सट्रक्शन | पी0एफ0 एम0एस0 | 296/15-02-20 | 56672.00 |
| 06-02-20 | प्राईमरी स्कूल शौचालय से हैण्डपंप तक इण्टर लॉकिग | अर्पित कन्सट्रक्शन | पी0एफ0 एम0एस0 | 296/20-02-20 | 59136.00 |
| 27-11-19 | अमर सिंह के घर से शिव भूषण के घर तक नाली इण्टर लॉकिग कार्य निर्माण | गंगा ब्रिक फिल्ड | पी0एफ0 एम0एस0 | 81/20-11-19 | 27459.00 |
| 20-02-20 | प्राईमरी स्कूल शौचालय से हैण्डपंप तक इण्टर लॉकिग | गंगा ब्रिक फिल्ड | पी0एफ0 एम0एस0 | 81/20-02-20 | 14982.00 |
| | | | | योग | 264201.00 |

एक फर्म के एक क्रमांक के वाऊचर एक से अधिक बार अलग-अलग कार्य एवं अलग-अलग तिथि में प्रयुक्त कर/फर्जी वाऊचर तैयार कर रूपया 264201 मात्र का अपहरण, प्रधान श्री धर्मवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत प्रताप सिंह द्वारा किया गया, जिनसे ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। उक्त अपहरण में सम्बन्धित फर्म अर्पित कन्सट्रक्शन एवं गंगा ब्रिक फिल्ड का भी सहयोग रहा है, क्योंकि धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से फर्म के खाते में स्थानान्तरित रही है।

**प्रस्तर** 37 - ग्राम पंचायत चित्तापुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार फर्मो के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे-

| क्र0 सं0 | फर्म का नाम | कार्य का नाम | वाऊचर तिथि | वाऊचर क्रमांक | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गंगा ब्रिक फिल्ड | प्रा0वि0चित्तापुर में शौचालय निर्माण कार्य | 10-04-19 | 266 | 46767.00 |
| 2 | गंगा ब्रिक फिल्ड | तेजेन्द्र के घर से प्रहलाद के घर तक नाली व इण्टर लॉकिग | 21-11-19 | 78 | 45776.00 |
| 3 | गंगा ब्रिक फिल्ड | बुधसेन के घर से घनश्याम के घर तक नाली व इण्टर लॉकिग का कार्य | 21-11-19 | 122 | 25588.00 |
| 4 | गंगा ब्रिक फिल्ड | अमरनाथ के घर से रामलौटन के घर तक इण्टरलॉकिग का कार्य | 21-11-19 | 215 | 38772.00 |
| 5 | गंगा ब्रिक फिल्ड | ज्ञानेन्द्र के घर से वीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग का कार्य | 22-11-19 | 196 | 2360.00 |
| 6 | गंगा ब्रिक फिल्ड | राम प्रताप के घर से दूध डेरी तक नाली इण्टरलॉकिग का कार्य | 22-11-19 | 199 | 47006.00 |
| 7 | गंगा ब्रिक फिल्ड | अमरावती के घर से शिवभूषण के घर तक इण्टरलॉकिग | 27-11-19 | 512 | 2824.00 |
| 8 | गंगा ब्रिक फिल्ड | कंधई के गोडा से दशरथ के गोडा तक इण्टरलॉकिग | 15-02-20 | 185 | 14048.00 |
| 9 | गंगा ब्रिक फिल्ड | प्रताप के घर से सिकन्दर के घर तक इण्टरलॉकिग | 15-02-20 | 315 | 17106.00 |
| 10 | प्रताप मशीनरी स्टोर | हैण्डपंप मरम्मत कार्य | 15-03-20 | 211 | 19540.00 |
| 11 | प्रताप मशीनरी स्टोर | हैण्डपंप मरम्मत कार्य | 15-03-20 | 225 | 20085.00 |
| 12 | प्रताप मशीनरी स्टोर | हैण्डपंप मरम्मत कार्य | 15-03-20 | 193 | 19370.00 |
| 13 | प्रताप मशीनरी स्टोर | हैण्डपंप मरम्मत कार्य | 15-03-20 | 215 | 19980.00 |
| 14 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | प्रा0वि0चित्तापुर में शौचालय निर्माण कार्य | 10-04-19 | 176 | 102118 |
| 15 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | अमर सिंह के घर से शिवभूषण के घर तक नाली इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य | 20-04-19 | 89 | 23848.00 |
| 16 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | तेजेन्द्र के घर से प्रहलाद के घर तक नाली व इण्टर लॉकिग कार्य | 21-11-19 | 38 | 40689.00 |
| 17 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | बुधसेन के घर से घनश्याम के घर तक नाली व इण्टर लॉकिग का कार्य | 21-11-19 | 82 | 15279.00 |
| 18 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | अमरनाथ के घर से रामलौटन के घर तक इण्टरलॉकिग का कार्य | 21-11-19 | 111 | 31195.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | अमरावती के घर से शिवभूषण के घर तक इण्टरलॉकिग | 21-11-19 | 211 | 2362.00 |
| 20 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | राम प्रताप के घर से दूध डेरी तक नाली इण्टरलॉकिग का कार्य | 21-11-19 | 222 | 42351.00 |
| 21 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | ज्ञानेन्द्र के घर से वीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग का कार्य | 22-11-19 | 279 | 2256.00 |
| 22 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | प्रताप के घर से सिकन्दर के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | 15-02-20 | 101 | 12834.00 |
| 23 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | कंधई के गोडा से दशरथ के गोडा तक इण्टरलॉकिग | 15-02-20 | 267 | 10534.00 |
| 24 | सिद्धार्थ ट्रेडर्स | प्रा0 स्कूल शौचालय से हैण्डपंप तक इण्टरलॉकिग | 20-02-20 | 96 | 11913.00 |
| | | योग | | | 614597.00 |

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक और बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम है, जिससे स्पष्ट है कि फर्जी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत किए गए है, क्योंकि यदि वाऊचर फर्म द्वारा जारी किए गए होते तो पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम और बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक होता एव धनराशि के साथ जी0एस0टी0 भी जोडी गई होती। अतः फर्जी व्यय प्रमाणकों के आधार पर धनराशि रूपया 614597.00 का अपहरण, सचिव, प्रधान द्वारा फर्म की मिलीभगत से किया गया है। अतः धनराशि रूपया 614597.00 की वसूली ब्याज सहित प्रधान श्री धर्मवीर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री अजीत प्रताप सिंह से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 38 - ग्राम पंचायत चित्तापुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में अर्पित कन्सट्रक्शन द्वारा निम्न विवरणानुसार व्यय प्रमाणक जारी किया जाना दर्शाया गया है, किन्तु निम्न व्यय प्रमाणक फर्म द्वारा जारी नहीं किए गए है। यदि वाऊचर फर्म द्वारा जारी किए गए होते तो पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम और बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक होता, जबकि इस प्रकरण में पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक और बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम पाया गया।

| क्र0सं0 | दिनांक | वाऊचर क्रमांक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 21-11-19 | 296 | 105952.00 |
| 2 | 22-11-19 | 289 | 8673.00 |
| 3 | 22-11-19 | 293 | 113344.00 |
| 4 | 22-11-19 | 345 | 7810.00 |
| 5 | 15-02-20 | 11 | 47308.00 |
| 6 | 15-02-20 | 296 | 56672.00 |
| 7 | 20-02-20 | 296 | 59136.00 |
| | | योग | **398895.00** |

अतः धनराशि रूपया 398895.00 का अपहरण,फर्म, सचिव और ग्राम प्रधान की मिलीभगत से किया गया है। क्रमांक 1,6,7 की धनराशि क्रमशः रूपया 105952.00 रूपया 56672.00 एवं रूपया 59136.00 कुल धनराशि 221760.00 की वसूली आपत्ति संख्या में दर्ज है। अतः रूपया 398895.00 रूपया 221760.00 = रूपया 177135.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री धर्मवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 39 - ग्राम पंचायत चित्तापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्नतथ्य प्रकाश में आया-

| क्र0सं0 | दिनांक | कोष पंजिका के अनुसार व्यय विवरण | धनराशि | ई-ग्राम-स्वराज के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-04-19 | प्रा0वि0 में शौचालय निर्माण कार्य में मजदूरी | 15000.00 | धर्मवीर |
| 2 | 07-02-20 | प्रताप के घर से सिकन्दर के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य मजदूरी (अनिकेत) | 15392.00 | अनिकेत कुमार |
| 3 | 19-02-20 | कंधई के गोडा से दशरथ से गोडा तक इण्टरलॉकिग में मजदूरी अनिकेत कुमार को भुगतान | 12736.00 | अनिकेत कुमार |
| 4 | 20-02-20 | प्राईमरी स्कूल शौचालय से हैण्डपंप तक इण्टरलॉकिग कार्य में मजदूरी (अनिकेत कुमार को भुगतान) | 14810.00 | अनिकेत कुमार |
| | | योग | 57930.00 | |

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार धनराशि रूपया 57930.00 मजदूरी के नाम से कोषवही में खारिज है और धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से एक व्यक्ति के बैंक खाते में स्थानान्तरित कर ली गई है। स्पष्ट है कि कोषवही में फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाकर धनराशियों का अपहरण किया गया है। मजदूरी की धनराशि मजदूरों के बैंक खाते मे स्थानान्तरित की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं किया गया है। अतः धनराशि रूपया 57930.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री धर्मवीर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अजीत प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 40 **-**ग्राम पंचायत चित्तापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्नविवरणानुसार स्ट्रीट लाईट पर व्यय दर्शित है-

| क्र0सं0 | दिनांक | व्यय विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 22-01-20 | ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट का निर्माण/ अधिष्ठान में (जय बजरंगी बली इण्टरप्राईजेज को भुगतान) | 126000.00 |
| 2 | 19-02-20 | 35 नग स्ट्रीट लाईट के क्रय हेतु मे0 जय बजरंगी बली इण्टरप्राईजेज को भुगतान | 147000.00 |
| | | योग | 273000.00 |

स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु टेण्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। स्ट्रीट लाईट लगवाने हेतु विद्युत विभाग से कनेक्शन नहीं लिया गया है और न ही विद्युत बिल का भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार स्ट्रीट लाईट लगवाने का कार्य एवं उसमें व्यय धनराशि 273000.00 अनियमित रही। इस अनियमितता हेतु प्रधान श्री धर्मवीर एवं सचिव श्री अजीत प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत- धारुपुर विकास खण्ड- नेवादा, जनपद- कौशाम्बी लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020**

**प्रस्तर** 41 **-** ग्राम पंचायत धारुपुरद्वारा वर्ष 2019-2020 में निम्न विवरण के अनुसार धनराशियॉ कोषवही से खारिज कर विभिन्न सामग्री क्रय हेतु ज्ञान ट्रेडर्स को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है, और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे। प्रस्तुत व्यय प्रमाणक फर्जी रहे, क्योंकि पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक और बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम पाया गया जो कि फर्म द्वारा जारी नहीं किए जा सकते। यदि फर्म द्वारा वाऊचर्स जारी किए गए होते तो पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम और बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक होता है। स्पष्ट है कि फर्जी वाऊचर प्रस्तुत कर धनराशि रूपया 131507.00 का अपहरण प्रधान, सचिव एवं फर्म की मिली भगत से किया गया है।

निम्न विवरण से यह तथ्य भी उद्घाटित होता है कि वाऊचर क्रमांक 2/61 का दो बार अलग-अलग तिथि में अलग-अलग धनराशि हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः धनराशि रूपया 131507.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं सचिव श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0सं0 | वाऊचर दिनांक/ कोषवही से खारिज दिनांक | वाऊचर दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 19-03-19/ 23-04-19 | 02/61 | 26982.00 |
| 2 | 28-03-19/ 23-04-19 | 02/58 | 14121.00 |
| 3 | 30-11-19/ 06-12-19 | 02/56 | 22890.00 |
| 4 | 30-11-19/ 06-12-19 | 02/57 | 16624.00 |
| 5 | 07-03-20/ 17-03-20 | 02/59 | 25869.00 |
| 6 | 05-03-20/ 07-03-20 | 02/61 | 25021.00 |
| | योग | | 131507.00 |

**प्रस्तर** 42 - ग्राम पंचायत धारुपुरद्वारा वर्ष 2019-2020 में निम्न विवरण के अनुसार धनराशियॉ कोषवही से खारिज कर विभिन्न सामग्री क्रय हेतु उजमा ब्रिक फिल्ड को भुगतान किया जाना दर्शाया गया है और व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहे, जिससे यह स्पष्ट रहा कि व्यय प्रमाणक फर्जी रहे क्योंकि पहले कि तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक और बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम पाया गया जो कि फर्म द्वारा जारी नहीं किये जा सकते। यदि फर्म द्वारा वाऊचर जारी किए गए होते तो पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम और बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक होता है। स्पष्ट है कि फर्जी वाऊचर प्रस्तुत कर धनराशि रूपया 170745.00 का अपहरण, प्रधान, सचिव एवं फर्म की मिली भगत से किया गया है।

अतः धनराशि रूपया 170745.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं सचिव श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0सं0 | वाऊचर दिनांक/ कोषवही से खारिज दिनांक | वाऊचर दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 19-03-19/ 02-04-19 | 134 | 24219.00 |
| 2 | 28-03-19/ 02-04-19 | 135 | 17401.00 |
| 3 | 30-11-19/ 06-12-19 | 132 | 32626.00 |
| 4 | 30-11-19/ 06-12-19 | 137 | 31971.00 |
| 5 | 07-03-19/ 17-03-19 | 304 | 32441.00 |
| 6 | 07-03-19/ 17-03-19 | 303 | 29087.00 |
| | योग | | 170745.00 |

**प्रस्तर** 43 -निम्न विवरणके अनुसार ग्राम पंचायत धारूपुर की वर्ष 2019-2020 की कोषवही से व्यय खारिज है, किन्तु व्यय दर्शाई गयी धनराशियों के व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करने की दशा में व्यय की गई। सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए सम्पूर्ण व्यय की गई धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव से की जाएगी।

अतः धनराशि रूपया 64139.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ल से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

| क्र0 सं0 | दिनांक | धनराशि | मद का नाम | बैंक स्टेटमेंट/ ई ग्रमा स्वराज के अनुसार धन प्राप्त कर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-04-19 | 5539.00 | व्हील चेयर | रायल स्टार इक्जिम |
| 2 | 11-04-19 | 1700.00 | डिजिटल सिग्नेचर हेतु | अमितांश क्रिएटर |
| 3 | 04-05-19 | 5000.00 | चुनाव व्यवस्था हेतु कूलर | श्री रमेश प्रधान |
| 4 | 13-05-19 | 2700.00 | वाल पेन्टिंग | श्री अशोक कुमार पाण्डेय |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 06-12-19 | 7200.00 | वाल पेन्टिंग | आदर्श इण्टर प्राइजेज |
| 6 | 18-01-19 | 3500.00 | टेण्डर प्रकाशन | श्री अजय नरायन तिवारी |
| 7 | 11-04-19 | 7000.00 | रनिंग वाटर की मजदूरी | श्री रमेश |
| 8 | 27-12-19 | 31500.00 | मानदेय 09 माहो का | श्री रमेश |
| | योग | 64139.00 | | |

**ग्राम पंचायत- जरैनी विकास खण्ड- नेवादा, , जनपद- कौशाम्बी लेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020**

**प्रस्तर** 44 -ग्राम पंचायत जरैनी में वर्ष 2019-2020 में निम्न विवरण के अनुसार धनराशियॉ मजदूरों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 द्वारा ट्रांसफर न कर किसी एक व्यक्ति के खाते में स्थानान्तरित की गई है।पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू होने के पश्चात मजदूरी की धनराशि मजदूरों के खाते में ट्रांसफर की जानी चाहिए थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया।पी0एफ0एम0एस0 व्यवस्था लागू होने के पूर्व मजदूरी की धनराशि प्रधान/ सचिव द्वारा बैंक से आहरित कर नकद मजदूरी भुगतान कर मस्टर रोल में मजदूरों के निशान अगूंठा/ हस्ताक्षर प्राप्त कर भुगतान किए जाने की व्यवस्था लागू थी, किन्तु आलोच्य वर्ष में नकद आहरण भी प्रधान/सचिव द्वारा नहीं किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति को बियरर चेक द्वारा भुगतान किया गया है। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0 स0 | दिनांक | कार्य का नाम | चैक संख्या/ पीएमFS | धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता (स्टेटमेन्ट के अनुसार) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.04.19 | जूनियर विद्यालय में शौचालय हेतु मजदूरी भुगतान | 186 | 6300.00 | श्री सुनील कुमार |
| 2 | 04.05.19 | प्रा0वि0 अहलादपुर में मरम्मत मजदूरी | 189 | 13500.00 | श्री सुनील कुमार |
| 3 | 27.05.19 | प्रा0वि0 अहलादपुर में मरम्मत मजदूरी | 191 | 8000.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 4 | 27.05.19 | प्रा0वि0 अहलादपुर में मरम्मत मजदूरी | 192 | 8500.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 5 | 17.10.19 | प्रा0वि0 अहलादपुर में मरम्मत मजदूरी | पी0एफ0एम0एस0 | 26110.00 | श्री सुनील कुमार |
| 6 | 17.10.19 | प्रा0वि0 अहलादपुर में मरम्मत मजदूरी | पी0एफ0एम0एस0 | 29700.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 7 | 23.12.19 | जूनियर विद्यालय मरम्मत मजदूरी | पी0एफ0एम0एस0 | 20000.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 8 | 23.12.19 | जूनियर विद्यालय टाईल्स हेतु | पी0एफ0एम0एस0 | 10000.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 9 | 23.12.19 | जूनियर विद्यालय टाईल्स हेतु | पी0एफ0एम0एस0 | 15000.00 | श्री सुनील कुमार |
| 10 | 04.01.20 | जूनियर विद्यालय में टाईल्स निर्माण मजदूरी | पी0एफ0एम0एस0 | 10000.00 | श्री सुनील कुमार |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 06.01.20 | जूनियर विद्यालय मरम्मत | पी0एफ 0एम0ए स0 | 5000.00 | श्री सुनील कुमार |
| 12 | 06.01.20 | जूनियर विद्यालय टाईल्स की मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 1000.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 13 | 20.01.20 | जूनियर विद्यालय टाईल्स की मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 14428.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 14 | 27.01.20 | जूनियर विद्यालय रंगाई पुताई मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 24000.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 15 | 06.01.20 | टुल्ले रैदास के घर से अशर्फी लाल के घर तक खडन्जा निर्माण में मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 10000.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 16 | 05.03.20 | टुल्ले रैदास के घर से अशर्फी लाल के घर तक खडन्जा निर्माण में मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 5300.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 17 | 10.01.20 | जूनियर विद्यालय से विनोद कोरी के घर तक नाली निर्माण में मजदूरी भुगतान | पी0एफ 0एम0ए स0 | 9500.00 | श्री सुनील कुमार |
| 18 | 10.01.20 | जूनियर विद्यालय से विनोद कोरी के घर तक नाली निर्माण में मजदूरी भुगतान | पी0एफ 0एम0ए स0 | 9500.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 19 | 16.01.20 | जूनियर विद्यालय से विनोद कोरी के घर तक नाली निर्माण में मजदूरी भुगतान | पी0एफ 0एम0ए स0 | 7000.00 | श्री सुनील कुमार |
| 20 | 28.01.20 | जूनियर विद्यालय से विनोद कोरी के घर तक नाली निर्माण में मजदूरी भुगतान | पी0एफ 0एम0ए स0 | 6050.00 | श्री सुनील कुमार |
| 21 | 21.01.20 | राजेन्द्र यादव के घर से सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिग की मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 9500.00 | श्री सुनील कुमार |
| 22 | 21.01.20 | राजेन्द्र यादव के घर से सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिग की मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 8500.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 23 | 27.01.20 | राजेन्द्र यादव के घर से सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिग की मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 10000.00 | श्री सुनील कुमार |
| 24 | 28.01.20 | राजेन्द्र यादव के घर से सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिग की मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 7000.00 | श्री सुनील कुमार |
| 25 | 11.02.20 | राजेन्द्र यादव के घर से सम्पर्क मार्ग तक इण्टरलॉकिग की मजदूरी | पी0एफ 0एम0ए स0 | 7000.00 | श्री सुनील कुमार |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 06.03.20 | बडे लाल के घर से नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान | पी0एफ 0एम0ए स0 | 15000.00 | श्री उदयभान सिंह |
| 27 | 05.03.20 | बडे लाल के घर से नाली निर्माण हेतु मजदूरी भुगतान | पी0एफ 0एम0ए स0 | 15000.00 | श्री उदयभान सिंह |
| | | योग | | 310888.00 | |

उक्त विवरण के अनुसार धनराशि रूपया 310888.00 को कुल दो व्यक्तियों श्री सुनील कुमार एवं श्री उदय भान सिंह के खाते में पी0एफ0एम0एस0 द्वारा ट्रांसफर रही, जबकि मजदूरों के खातों में ट्रांसफर की जानी थी, जो कि नहीं किया गया। स्पष्ट है कि धनराशियॉ समबन्धित मदों की मजदूरी में भुगतान नहीं की गई है, क्योंकि धनराशियॉ तो श्री सुनील कुमार एवं श्री उदय भान के खातों में स्थानान्तरित रही है। अतः स्पष्ट है कि कोषवही में फर्जी मजदूरी भुगतान दर्शाकर अपहरण किया है।
अतः धनराशि रूपया 310888.00 का अपहरण हुआ। अपहृत धनराशि रूपया 310888.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती आरती वर्मा एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती बृजकली देवी से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है। यहॉ यह उल्लेख करना समीचीन है कि श्री उदयभान प्रधान के देवर है एवं श्री सुनील कुमार ग्रामवासी है।

**प्रस्तर** 45 **-**ग्राम पंचायत जरैनी में वर्ष 2019-2020 में निम्न विवरण के अनुसार धनराशियॉ पी0एफ0एम0एस0 द्वारा श्री प्रतीक कुमार के बैंक खाते में ट्रांसफर रही, जबकि धनराशियॉ लाभार्थियों, फर्मो एवं मजदूरों के खातों में स्थानान्तरित की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं किया गया। विवरण निम्न प्रकार से है-

| **क्र0स0** | **दिनांक** | **मद का नाम जिस हेतु धनराशियों का भुगतान कोषवही में दर्शाया गया है** | **धनराशि** | **धनराशि जिसे**पी0एफ0एम0एस0**से स्थानान्तरित रही** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.12.20 | जनशक्ति अभियान हेतु बैनर | 5000.00 | श्री प्रतीक कुमार |
| 2 | 04.02.20 | प्रशासनिक भुगतान हेतु (किस मद में क्या क्रय रहा अज्ञात) | 5000.00 | श्री प्रतीक कुमार |
| 3 | 07.01.20 | स्टेशनरी भुगतान | 5000.00 | श्री प्रतीक कुमार |
| 4 | 23.03.20 | कोविड-19 बचाव हेतु सामग्री | 8200.00 | श्री प्रतीक कुमार |
| 5 | 17.10.19 | प्राथमिक विद्यालय अहलादपुर की मरम्मत की मजदूरी | 29700.00 | श्री प्रतीक कुमार |
| 6 | 06.01.20 | जूनियर विद्यालय मरम्मत की मजदूरी | 5000.00 | श्री प्रतीक कुमार |
| | | योग | **57900.00** | |

अतः उक्त विवरण के अनुसार धनराशि रूपया 57900.00 श्री प्रतीक कुमार के खाते में स्थानान्तरित रही। स्पष्ट है कि धनराशियॉ सम्बन्धित मदों में व्यय नहीं की गई, क्योंकि धनराशियॉ तो प्रतीक कुमार के खाते में स्थानान्तरित रही। अतः स्पष्ट है कि फर्जी व्यय कोषवही में दर्शाकर अपहरण किया गया है। यह उल्लेख करना समीचीन है कि श्री प्रतीक कुमार सचिव श्रीमती आरती वर्मा के पति है।
अतः अपहृत धनराशि रूपया 57900.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्रीमती आरती वर्मा एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती बृजकली देवी से की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत- पदुमनाथपुर सुरसैनी विकास खण्ड- नेवादा, जनपद- कौशाम्बीलेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020**

**प्रस्तर** 46 **-** ग्राम पंचायतपदुमनाथपुर सुरसैनी द्वारावर्ष2019-2020 की कोषवही दिनांक 01-04-2019 से 31-10-2019 तक प्रस्तुत रही। वर्तमान सचिव श्री अनुराग सिंह द्वारा बताया गया कि उन्हे जो अभिलेख चार्ज में मिले है उन्हे वह प्रस्तुत कर रहा है। दिनांक 01-11-2019 से 31-03-2020 तक की कैश बुक बनाई ही नहीं गई है। दिनांक 01-11-2019 से 31-03-2020 तक बैंक स्टेटमेन्ट के

अनुसार, धनराशि रूपया 1048162.00का आहरण हुआ है, जिसकी न तो कैश बुक प्रस्तुत रही, न ही कार्यवाही पुस्तिका, इस्टीमेट, परिसम्पत्ति रजि0, एम0बी0कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र , व्यय प्रमाणक एवं मस्टररोल आदि कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहे, इसके लिए तत्कालीन सचिव श्री अनिल त्रिपाठी उत्तरदायी है, जिससे धनराशि रूपया 1048162.00 के व्यय की एवं कराए गए कार्यो की पुष्टि न की जा सकी। ग्राम पंचायातों हेतु वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि व्यय की गयी धनराशि के व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किए जाते हे तो व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जाएगी।

दिनांक 25-01-19 से ग्राम प्रधान की जगह जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी द्वारा ग्राम पंचायत में एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष श्री चन्द्रकान्त द्विवेदीएवं सदस्य प्रेमा सिंह एवं विराना देवी नियुक्त किये गये थे।
अतः धनराशि रूपये 1048162.00 की वसूली अध्यक्ष श्री चन्द्रकान्त द्विवेदी एवं सचिव श्री अनिल त्रिपाठी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 47 -ग्राम पंचायतपदुमनाथपुर सुरसैनी द्वारावर्ष 2018-19 में निम्न विवरण के अनुसार किए गए व्ययों से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे किए गए व्ययों की पुष्टि नहीं हो सकी। लेखा परीक्षा में इन व्ययों से सम्बन्धित कार्यपूर्ती प्रमाण पुत्र ,परिसम्पत्ति रजि0,कार्यवाही पुस्तिका इस्टीमेट, एम0बी0 आदि नहीं प्रस्तुत रहें, जिससे कराये गये कार्यो की पुष्टि नहीं की जा सकी। ग्राम पंचायतों हेतुलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसारव्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित होगी-

| क्र0सं0 | दिनांक | कार्य का नाम | धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता बैंक स्टेटमेंट के अनुसार चेक नं0/दिनांक /नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.18 | पू0मा0वि0 सुरसैनी में रनिंग वाटर सप्लाई | 39000.00 | 169/07.04.18 मॉ गंगा ट्रेडिग कम्पनी |
| 2 | 07.04.18 | प्रा0वि0सुरसैनी में रनिंगवाटर सप्लाई | 39000.00 | 170/07.04.18 मॉ गंगा ट्रेडिग कम्पनी |
| 3(ए) | 12.04.18 | अवध नारायण शुक्ला के घर से शिव कुमार के घर तक नाली, सीसी | 51184.00(सामग्री) | 166/12.04.18 राम जी ट्रेडर्स |
| 3(b) | 18.05.18 | अवध नारायण शुक्ला के घर से शिव कुमार के घर तक नाली, ढक्कन | 25375.00 | 180/18.05.18 मीना कुमारी |
| 4 | 18.04.18 | प्रा0वि0 सुरसेना में फील्ड में इण्टरलॉकिग | 47950.00 | 173/18.04.18 मीना कुमारी |
| 5 | 25.04.18 | प्रा0वि0 सुरसेना में फील्ड में इण्टरलॉकिग | 25375.00(मजदूरी) | 174/25.04.18 मीना कुमारी |
| 6 | 27.04.18 | प्रा0वि0 सुरसेना में फील्ड में इण्टरलॉकिग | 42300.00(सामग्री) | 176/27.04.18 राम जी ट्रेडर्स |
| 7 | 04.05.18 | प्रा0वि0 सुरसेना में फील्ड में इण्टरलॉकिग | 24937.00 | 177/04.05.18 न्यू हिन्दुस्तान ब्रिक फिल्ड |
| 8 | 09.05.18 | प्रा0वि0 सुरसेना में फील्ड में इण्टरलॉकिग | 87600.00 | 175/09.05.18 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 9 | 05.05.18 | प्रा0वि0सुरसेना मेंसुन्दरीकरण | 49700.00 | 178/05.05.18 मीना कुमारी |
| 10 | 11.06.18 | प्रा0वि0सुरसेना मेंसुन्दरीकरण | 14250.00 | 137/11.06.18 ननका ब्रिक फिल्ड |
| 11 | 11.06.18 | प्रा0वि0सुरसेना मेंसुन्दरीकरण | 74269.00 | 136/11.06.18 राम जी ट्रेडर्स |
| 12 | 06.07.18 | अवध नारायण शुक्ला के घर से शिव कुमार के घर तक नाली, सीसी, ढक्कन | 13350.00(मजदूरी) | 138/06.07.18 मीना कुमारी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 06.07.18 | अवध नारायण शुक्ला के घर से शिव कुमार के घर तक नाली, सीसी, ढक्कन | 46655.00(सामग्री) | 139/06.07.18राम जी ट्रेडर्स |
| 14 | 07.07.18 | अवध नारायण शुक्ला के घर से शिव कुमार के घर तक नाली, सीसी, ढक्कन | 50350.00 | 140/07.07.18 न्यू हिन्दुस्तान ब्रिक फिल्ड |
| | | योग | 631295.00 | |

अतः बिना व्यय प्रमाणकों एवं मस्टर रोलों के व्यय की गई धनराशि रूपया 631295.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री सुरेश चौधरी एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना कुमारी से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 48 -ग्राम पंचायत सुरसैनी में शिवपूजन के घर के पास हैण्ड पंप रिबोर का व्यय निम्न विवरण के अनुसार खारिज है-

| क्र0स0 | दिनांक | धनराशि | मद | बैंक स्टेटमेट के अनुसार धन प्राप्तकर्ता नाम चेक सं0 दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.04.18 | 16000.00 | मजदूरी | 167/07-04-18 |
| 2 | 07.04.18 | 70905.00 | सामग्री | प्रीतम सिंह एण्ड संस 171/07-04-18 |
| 3 | 09.04.18 | 20000.00 | | हैण्डपंप रिबोर पर चटिया 172/09-04-18 |
| | योग | 106905.00 | | |

उक्त एक हैण्डपंप रिबोर का व्ययनिर्धारितइस्टीमेट रूपया 48000.00 से अधिक है। अन्तर रूपया 106905-48000=58905.00 का अधिक व्यय दर्शाकर धनराशि रूपया 58905.00 का अपहरण किया गया। उक्त विवरणानुसार व्यय की धनराशियों के व्यय प्रमाणक एवं मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः 106905.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना कुमारी एवं तत्कालीन सचिव श्री सुरेश चौधरी से  ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 49 -दिनांक 03-07-2018 को कोषवही के व्यय पक्ष में रूपया 105000.00 खारिज है। व्यय विवरण अंकित है कि ग्राम सभा बसुहार में स्ट्रीट लाईट की स्थापना। ग्राम पंचायत पदुमनाथपुर सुरसेनी द्वारा ग्राम पंचायत बसुहार में स्ट्रीट लाईट की स्थापना का व्यय खारिज कर धनराशि रूपया 105000.00 का अपहरण किया गया है। इस व्यय धनराशि का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। रूपया 105000.00 चैक संख्या 141 दिनांक 03-07-18 को मॉ गंगा ट्रेडिग कम्पनी के नाम भुगतान ग्राम पंचायत पदुमनाथपुर सुरसैनी के बैंक स्टेटमेट के अनुसार रहा। अतः रूपया 105000.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री सुरेश चोधरी एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना कुमारी से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 50 -ग्राम पंचायत पदुमनाथपुर सुरसैनी में वर्ष 2017-18 में निम्न विवरण के अनुसार धनराशियॉ व्यय रही, कोषवही के अनुसार किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय सम्बन्धी धनराशियों के व्यय प्रमाणक एवं मस्टररोल प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे व्ययों की पुष्टि न की जा सकी। व्यय धनराशियों के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, इस्टीमेट, कार्यपूर्ती प्रमाण  पुत्र ,परिसम्पत्ति रजि0,स्टाक रजि0, आदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने से कराये गए कार्यो की पुष्टि नहीं होती है।ग्राम पंचायतों हेतुलेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार व्यय की गई धनराशियों के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं करने से व्यय धनराशि को अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव श्री सुरेश चौधरी एवं प्रधान श्रीमती मीना कुमारी से अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0स0 | दिनांक | कार्य का नाम | व्यय धनराशि | बैंक स्टेटमेट के अनुसार धन प्राप्तकर्ता नाम चेक सं0 दिनांक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.04.17 | इसहाक के घर से चिम्मन के घर तक नाला मरम्मत (आर0सी0सी0) कार्य | 72800.00(सामग्री) | 73/05.04.17 केशरवानी ट्रेडर्स |
| 2 | 12.04.17 | ग्राम सभा में सोलर लाईट पर व्यय | 70500.00 | 74/12.04.17 मॉ गंगा ट्रेडिगकम्पनी |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 04.12.17 | ग्राम सभासुरसैनी में सफाई किट | 16000.00 | 196/04.12.17 टू ट्रसफर प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 4 | 06.12.17 | ग्राम सभासुरसैनी में राज्य वित्त/चौदहवॉ वित्त निविदा प्रकाशन | 3000.00 | 197/06.12.17 कमल नारायन |
| 5 | 30.01.18 | इसहाक के घर से चिम्मन के घर तक नाला मरम्मत (आर0सी0सी0) सामग्री पर व्यय | 31500.00 (सामग्री) | 202/30.01.18 रामजी ट्रेडर्स |
| 6 | 02.02.18 | हैण्डपंप रिबोर पर व्यय | 80000.00 (मजदूरी) | 75/05.02.18 हब्बीमियॉ |
| 7 | 08.02.18 | हैण्डपंप रिबोर पर व्यय | 47270.00 (सामग्री) | 204/08.02.18 टू ट्रसफर |
| 8 | 08.02.18 | हैण्डपंप रिबोर पर व्यय | 70905.00 (सामग्री) | 203/08.02.18 टू ट्रसफर प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 9 | 17.02.18 | हैण्डपंप रिबोर पर व्यय | 80000.00 (मजदूरी) | 207/17.02.18 टू ट्रसफर हब्बीमियॉ |
| 10 | 23.02.18 | हैण्डपंप रिबोर पर व्यय | 119055.00 (सामग्री) | 156/23.02.18 प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 11 | 03.03.18 | हैण्डपंप रिबोर पर व्यय | 16000.00 | 162/03.03.18 टू ट्रसफर |
| 12 | 05.03.18 | हैण्डपंप रिबोर पर व्यय | 37510.00 (सामग्री) | 160/05.03.18 होरी लाल केशरवानी |
| 13 | 23.02.18 | हैण्डपंप रिबोरचट्टा पर व्यय 05 नग | 20600.00 | 154/23.02.18 मीना कुमारी |
| 14 | 07.02.18 | प्रा0वि0 सुरसैनी में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्यपर व्यय | 60000.00 (सामग्री) | 205/07.02.18 रामजी ट्रेडर्स |
| 15 | 12.02.18 | प्रा0वि0 सुरसैनी में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्यपर व्यय | 14700.00 (मजदूरी) | 206/12.02.18 मीना कुमारी |
| 16 | 28.02.18 | प्रा0वि0 सुरसैनी में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्यपर व्यय | 30800.00 (मजदूरी) | 159/28.02.18 मीना कुमारी |
| 17 | 28.02.18 | प्रा0वि0 सुरसैनी में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्यपर व्यय | 30627.00 (सामग्री) | 157/28.02.18 रामजी ट्रेडर्स |
| 18 | 09.03.18 | प्रा0वि0 सुरसैनी में बाउन्ड्रीवाल निर्माण कार्यपर व्यय | 67520.00 (सामग्री) | 158/09.03.18 हिन्दुस्तान ब्रिक फिल्ड |
| 19 | 28.02.18 | प्रा0विद्यालय में रनिंग वाटर कार्य | 38000.00 | 163/28.02.18 गंगा ट्रेडिग कम्पनी |
| 20 | 28.02.18 | ग्राम सभा में हैण्डपंप मरम्मत | 9100.00 (मजदूरी) | 161/28.02.18 ज्ञानेन्द्र कुमार |
| 21 | 28.02.18 | प्रा0वि0सुरसैनी में सुन्दरीकरण | 40000.00 (ट्रैक्टर भाडा) | 152/28.02.18 सुनील कुमार कुशवाहा |
| 22 | 15.03.18 | प्रा0वि0सुरसैनी में सुन्दरीकरण | 26600.00 (बालू) | 153/15.03.18 मो0 अहमद |
| 23 | 19.03.18 | प्रा0वि0सुरसैनी में सुन्दरीकरण | 150000.00 (सामग्री) | 164/19.03.18 रामजी ट्रेडर्स |
| 24 | 21.03.18 | प्रा0वि0सुरसैनी में सुन्दरीकरण | 46200.00 (मजदूरी) | 209/21.03.18 मीना कुमारी |
| 25 | 26.03.18 | प्रा0वि0सुरसैनी में सुन्दरीकरण | 45000.00 (सामग्री) | 165/26.03.18 रामजी ट्रेडर्स |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 31.03.18 | प्रा0वि0फील्ड में इण्टरलॉकिग | 168000.00 (सामग्री) | 210/31.03.18 | टू ट्रसफर |
| | | योग | **1391687.00** | | |

धनराशि रूपया 1391687.00 के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करने के अतिरिक्त इसहाक के घर से चिम्मन के घर तक नाला मरम्मत (आर0सी0सी0 कार्य) में दो बार केवल सामग्री क्रय रही मजदूरी भुगतान नही रहा, जिससे प्रोजेक्ट पूर्ण होना स्वयं में संदिग्ध है।

अतः धनराशि रूपया 1391687.00 की वसूली तत्कालीन सचिव श्री सुरेश चौधरी एवं तत्कालीन प्रधान श्रीमती मीना कुमारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 51 **-**वर्ष 2016-17 की कोषवही, जिसमें प्रधान एवं सचिव के हस्ताक्षर भी पाए गए, में दिनांक 31-08-2016 को अन्तिम अवशेष रूपये 940.00 को दिनांक 01-09-2016 के प्रारम्भिक अवशेष के रूप में दर्ज किया गया है, किन्तु माह की आहरित धनराशियॉ के साथ योग में शामिल नहीं किया गया है। दिनांक 30-09-2016 का अन्तिम अवशेष रूपया 940.00 आता है, जिसके स्थान पर अन्तिम अवशेष दिनांक 30-09-2016 का शून्य अंकित किया गया है। दिनांक 30-09-16 के अन्तिम अवशेष को दिनांक 01-08-16 को भी नहीं अंकित किया गया है। इस प्रकार दिनांक 31-03-2017 को अन्तिम अवशेष रूपया 940.00 आता है, जिसके स्थान पर दिनांक 31-03-17 का अन्तिम अवशेष शून्य अंकित किया गया है। अतः रूपया 940.00 का अपहरण हुआ, जिसकी वसूली तत्कालीन सचिव श्री सुरेश चौधरी एवं प्रधान श्रीमती मीना कुमारी से संयुक्त रूप से दण्डात्मक  ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 52 **-**खाता संख्या 01/15327 से चैक संख्या 96 से नकद आहरित धनराशि रूपया 20000.00 के सापेक्ष व्यय, प्रशासनिक मद में मात्र रूपया 12000.00 खारिज है। शेष रूपया 8000.00 अन्तिम अवशेष के रूप में दर्ज नहीं किया गया है। अतः रूपया 8000.00 का अपहरण हुआ, जिसकी वसूली ततकालीन सचिव श्री सुरेश चौधरी एवं प्रधान श्रीमती मीना कुमारी से की जानी, संयुक्त रूप से ब्याज सहित अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 53 **-**कोषवही में निम्न विवरण के अनुसार व्यय खारिज है, किन्तु कोषवही में व्यय विवरण अंकित नहीं है, जिससे स्पष्ट नहीं हो सका कि किस मद में निम्न धनराशियॉ व्यय रही। अतः रूपया 92500.00 का अपहरण हुआ, जिसकी वसूली ततकालीन सचिव श्री सुरेश चौधरी एवं प्रधान श्रीमती मीना कुमारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित अपेक्षित है।

| क्र0स0 | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 27-10-16 | 19500.00 |
| 02 | 05-12-16 | 20000.00 |
| 03 | 05-12-16 | 53000.00 |
| | योग | 92500.00 |

**<u>ग्राम पंचायत- उमरवल विकास खण्ड- नेवादा, जनपद- कौशाम्बीलेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020</u>**

**प्रस्तर** 54-ग्राम पंचायत उमरवल में वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि बैंक स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार दिनांक 21-05-19 को चैक संख्या 173 से धनराशि रूपया 5000.00 श्री पंचम लाल को भुगतान किया गया है। इस धनराशि रूपया 5000.00 की प्रविष्टि कोषवही में की गई है, किन्तु कोषवही विवरण अंकित नहीं किया गया है। उक्त रूपया 5000.00 श्री पंचम लाल को क्यों भुगतान रही? रूपया 5000.00 का व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। स्पष्ट है कि धनराशि रूपया 5000.00 का अपहरण किया गया है। अतः रूपया 5000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री युवराज सिंह एवं सचिव श्री अनुराग सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 55 **-** दिनांक 15-11-19 को कोषवही से रूपया 60000.00 का भुगतान "ग्राम सभा में बेंच खरीद कार्य का दर्शित है। बैंक स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार (प्रिया साफ्ट/ ई-ग्राम स्वराज) के अनुसार रूपया 60000.00 का भुगतान " एनर्जी फर्स्ट" नाम की संस्था को भुगतान रहा है। लेखा परीक्षा के अनुसार एनर्जी फर्स्ट नाम की संस्था सोलर लाईट का कार्य करती है। रूपया 60000.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें खरीद की प्रविष्टि की जानी चाहिए। स्पष्ट है कि धनराशि रूपया 60000.00 का अपहरण सचिव, प्रधान एवं एनर्जी फर्स्ट  की मिलीभगत से किया गया है। अतः रूपया 60000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री युवराज सिंह एवं सचिव श्री अनुराग सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 56 **-** दिनांक 25-04-19 को चैक संख्या 166 से धनराशि रूपया 12150.00 का 02 नग बेंच स्थापना का कार्य कोषवही में दर्शित है।  बैंक स्टेटमेंट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार रूपया 12150.00 का भुगतान "एपिसिएन पावर विपिन(इपिक सन पावर विपिन)"  को

किया गया है। लेखा परीक्षा के अनुसार “एपिसिएन पावर सोल्युसन(इपिक सन पावर सॉल्यूशन)” सोलर एनर्जी का कार्य करती है।शासनादेश के क्रम में केवल नेडा से ही सोलर लाईट क्रय करने हेतु निर्देश है। रूपया 12150.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा स्टाक रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसमें खरीद की प्रविष्टि की जानी चाहिए। स्पष्ट है कि धनराशि रूपया 12150.00 का अपहरण सचिव, प्रधान एवं “एपिसिएन पावर (इपिक सन पावर)” की मिलीभगत से किया गया है। अतः रूपया 12150.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री युवराज सिंह एवं सचिव श्री अनुराग सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 57 -दिनांक 19-03-20 को धनराशि रूपया 7448.00 का व्यय ग्राम सभा में प्रशासनिक मद में व्यय दर्शाया गया है। रूपया 7448.00 का भुगतान किसी लक्ष्मीकान्त नाम के व्यक्ति के बैंक खाते में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से ट्रांसफर रही है। प्रशासनिक मद के अन्तर्गत क्या क्रय रहा अज्ञात रहा क्योकि रूपया 7448.00 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। धनराशि लक्ष्मीकान्त के बैंक खाते में ट्रांसफर रही है और कोषवही में फर्जी, अज्ञात क्रय प्रशासनिक मद में दर्शाई गई है। स्पष्ट है कि रूपया 7448.00 का अपहरण प्रधान, सचिव एवं लक्ष्मीकान्त की मिलीभगत से किया गया है। अतः धनराशि रूपया 7448.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री युवराज सिंह एवं सचिव श्री अनुराग सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 58 -दिनांक 23-10-19 को धनराशि रूपया 29967.00 का भुगतान अमर सिंह के घर से मोहन के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। रूपया 29967.00 का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से सौम्या ब्रिक फिल्ड को किया गया है। रूपया 29967.00 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। सामग्री खरीद दर्शाये जाने के बाद शेष वर्ष (दिनांक 31-03-2020तक) मजदूरी का भुगतान कोषवही से खारिज नहीं है, जो कि स्वयं विचारणीय है बिना मजदूरी के उक्त इण्टरलॉकिग का निर्माण कैसे सम्भव रहा? स्पष्ट है कि कोषवही से फर्जी खरीद दर्शाकर धनराशि रूपया 29967.00 का अपहरण, प्रधान, सचिव एवं सौम्या ब्रिक फील्ड की मिली भगत से किया गया है। अतः रूपया 29967.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री युवराज सिंह एवं सचिव श्री अनुराग सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 59 -दिनांक 24-04-19 को चैक संख्या 195 धनराशि रूपया 94730.00 का भुगतान प्रीतम सिंह एण्ड संस को ग्राम सभा में हैण्ड पंप रिबोर कार्य पर व्यय कोषवही में दर्शाया गया है। कोषवही में अंकित विवरण से स्पष्ट नहीं है। कितने हैण्ड पम्प रिबोर की सामग्री क्रय की गई है? कौन-कौन से हैण्डपंपों की रिबोर हुई? मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है। रूपया 94730.00 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। बिना मजदूरी भुगतान हैण्डपंप रिबोर कैसे सम्भव रहा? स्पष्ट है कि हैण्डपंप रिबोर के नाम पर धनराशि रूपया 94730.00 का अपहरण प्रधान, सचिव एवं प्रीतम सिंह एण्ड संस को मिलीभगत से किया गया है।

अतः रूपया 94730.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री युवराज सिंह एवं सचिव श्री अनुराग सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर** 60 -ग्राम पंचायत उमरवल द्वारा वर्ष 2019-2020 में निम्न विवरण के अनुसार धनराशियॉ कोषवही में व्यय की गयी दर्शाई गयी है, किन्तु व्यय दर्शायी गयी धनराशियों के व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। दर्शाए गए कार्यो के इस्टीमेट, एम0बी0कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र , परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं रहे, जिससे क्रय सामग्री एवं कराए गए कार्यो की पुष्टि नहीं की जा सकी। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0सं0 | दिनांक | कोषवही में दर्शित कार्य का नाम | चैक संख्या / पी0एफ0एम0एस0 | धनराशि | स्टेटमेट के अनुसार धन प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.04.19 | केदार सिंह के घर से नन्दलाल के घर तक इण्टरलॉकिग | 159 | 36400.00 | प्रीतम सिंह |
| 2 | 04.04.19 | केदार सिंह के घर से नन्दलाल के घर तक इण्टरलॉकिग | 161 | 10417.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 3 | 04.04.19 | केदार सिंह के घर से नन्दलाल के घर तक इण्टरलॉकिग | 163 | 83776.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 4 | 08.04.19 | केदार सिंह के घर से नन्दलाल के घर तक इण्टरलॉकिग | 160 | 17606.00 | शेरा ट्रेडर्स |
| 5 | 08.04.19 | केदार सिंह के घर से नन्दलाल के घर तक इण्टरलॉकिग | 162 | 37279.00 | उष्मा ब्रिक फिल्ड |
| 6 | 12.06.19 | केदार सिंह के घर से नन्दलाल के घर तक इण्टरलॉकिग | 177 | 10500.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 7 | 04.04.19 | ह्वील चेयर | 158 | 5539.00 | रॉयल एयर इक्जिम |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 04.04.19 | अर्जुन के घर से दीनानाथ के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 184 | 9619.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 9 | 04.04.19 | अर्जुन के घर से दीनानाथ के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 164 | 32200.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 10 | 04.04.19 | अर्जुन के घर से दीनानाथ के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 165 | 91168.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 11 | 08.04.19 | अर्जुन के घर से दीनानाथ के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 181 | 18193.00 | शेरा ट्रेडर्स |
| 12 | 12.04.19 | अर्जुन के घर से दीनानाथ के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 183 | 25724.00 | उष्मा ब्रिक फिल्ड |
| 13 | 18.04.19 | ओम प्रकाश के घर से मौनी के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 191 | 10815.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 14 | 18.04.19 | ओम प्रकाश के घर से मौनी के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 194 | 30275.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 15 | 20.04.19 | ओम प्रकाश के घर से मौनी के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 185 | 15258.00 | शेरा ट्रेडर्स |
| 16 | 20.04.19 | ओम प्रकाश के घर से मौनी के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 193 | 77616.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 17 | 22.04.19 | ओम प्रकाश के घर से मौनी के घर तक इण्टरलॉकिगकार्य | 192 | 27530.00 | उष्मा ब्रिक फिल्ड |
| 18 | 18.04.19 | शंकर भगवान मन्दिर से अंगद के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | 189 | 34650.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 19 | 20.04.19 | शंकर भगवान मन्दिर से अंगद के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | 186 | 9968.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 20 | 20.04.19 | शंकर भगवान मन्दिर से अंगद के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | 190 | 17019.00 | शेरा ट्रेडर्स |
| 21 | 20.04.19 | शंकर भगवान मन्दिर से अंगद के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | 188 | 84672.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 22 | 22.04.19 | शंकर भगवान मन्दिर से अंगद के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | 187 | 32412.00 | उष्मा ब्रिक फिल्ड |
| 23 | 09.05.19 | शंकर भगवान मन्दिर से अंगद के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | 168 | 10500.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 24 | 09.05.19 | ग्राम सभा में रंगाई-पोताई कार्य | 167 | 6680.00 | अजय कुमार |
| 25 | 13.05.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 171 | 6916.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 26 | 13.05.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 169 | 7980.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 27 | 15.05.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 170 | 29520.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 28 | 15.05.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 172 | 25584.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 29 | 25.06.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 178 | 9828.00 | पंचम लाल |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 29.06.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 180 | 19132.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 31 | 29.06.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 179 | 21210.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 32 | 25.07.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय | 196 | 4188.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 33 | 23.10.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्ययसामग्री | पी0एफ0एम0एस0 | 24545.00 | काव्या ट्रेडर्स |
| 34 | 23.10.19 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय मजदूरी | पी0एफ0एम0एस0 | 4256.00 | काव्या ट्रेडर्स |
| 35 | 12.06.19 | ग्राम सभा में तालाब भराई पर व्यय | 175 | 4800.00 | अनुराग सिंह |
| 36 | 12.06.19 | ग्राम सभा में तालाब भराई पर व्यय | 174 | 4800.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 37 | 13.06.19 | निविदा प्रकाशन पर व्यय | 176 | 3000.00 | अरूण कुमार मिश्रा |
| 38 | 02.08.19 | निविदा प्रकाशन पर व्यय | 197 | 3000.00 | राजेन्द्र प्रसाद |
| 39 | 03.08.19 | अमर सिंह के घर से राम बहोरी के घर तकइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 198 | 29656.00 | युवराजसिंह (प्रधान) |
| 40 | 03.08.19 | अमर सिंह के घर से राम बहोरी के घर तकइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 199 | 9121.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 41 | 03.08.19 | अमर सिंह के घर से राम बहोरी के घर तकइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 201 | 14085.00 | शेरा ट्रेडर्स |
| 42 | 03.08.19 | अमर सिंह के घर से राम बहोरी के घर तकइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 203 | 73920.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 43 | 03.08.19 | ह्रदय के घर से राम बहोरी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 208 | 18122.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 44 | 03.08.19 | ह्रदय के घर से राम बहोरी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 209 | 4984.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 45 | 03.08.19 | ह्रदय के घर से राम बहोरी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 206 | 11444.00 | शेरा ट्रेडर्स |
| 46 | 03.08.19 | ह्रदय के घर से राम बहोरी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 205 | 44105.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 47 | 07.03.19 | ह्रदय के घर से राम बहोरी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | पी0एफ0एम0एस0 | 11444.00 | काव्या ट्रेडर्स |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 07.03.19 | ह्रदय के घर से राम बहोरी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | पी0एफ0एम0एस0 | 44105.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 49 | 07.03.19 | ह्रदय के घर से राम बहोरी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | पी0एफ0एम0एस0 | 24105.00 | सौम्या ब्रिक फिल्ड |
| 50 | 03.08.19 | राजबहादुर के घर सेफूलसिंह के घर तकइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 210 | 29220.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 51 | 03.08.19 | राजबहादुर के घर सेफूलसिंह के घर तकइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 212 | 9270.00 | युवराज सिंह (प्रधान) |
| 52 | 03.08.19 | राजबहादुर के घर सेफूलसिंह के घर तकइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 213 | 21127.00 | शेरा ट्रेडर्स |
| 53 | 03.08.19 | राजबहादुर के घर सेफूलसिंह के घर तकइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | 215 | 95233.00 | प्रीतम सिंह एण्ड संस |
| 54 | 23.10.19 | राजबहादुर के घर सेफूलसिंह के घर तकइण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | पी0एफ0एम0एस0 | 41030.00 | सौम्या ब्रिक फिल्ड |
| 55 | 03.08.19 | स्टेशनरी पर व्यय | 217 | 2430.00 | लक्ष्मीकान्त |
| 56 | 03.08.19 | स्टेशनरी पर व्यय | 216 | 2650.00 | लक्ष्मीकान्त |
| 57 | 19.11.19 | सन्तलाल के घर से धीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | पी0एफ0एम0एस0 | 62257.00 | काव्या ट्रेडर्स |
| 58 | 19.11.19 | सन्तलाल के घर से धीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | पी0एफ0एम0एस0 | 93040.00 | शिव इण्टर प्राईजेज |
| 59 | 19.11.19 | सन्तलाल के घर से धीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | पी0एफ0एम0एस0 | 63677.00 | शिव इण्टर प्राईजेज |
| 60 | 19.11.19 | सन्तलाल के घर से धीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य | पी0एफ0एम0एस0 | 94617.00 | शिव इण्टर प्राईजेज |
| 61 | 25.11.19 | सन्तलाल के घर से धीरेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य (मजदूरी 18 मजदूरो की) | पी0एफ0एम0एस0 | 58620.00 | 18 मजदूर |
| 62 | 31.12.19 | शिवलाल के घर से डिप्टी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | पी0एफ0एम0एस0 | 19415.00 | काव्या ट्रेडर्स |
| 63 | 31.12.19 | शिवलाल के घर से डिप्टी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | पी0एफ0एम0एस0 | 74439.00 | शिव इण्टर प्राईजेज |
| 64 | 31.12.19 | शिवलाल के घर से डिप्टी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | पी0एफ0एम0एस0 | 23616.00 | काव्या ट्रेडर्स |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 31.12.19/ 01.01.20 एवं 02.01.20 | शिवलाल के घर से डिप्टी के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर व्यय | पी0एफ0एम0एस0 | 17066.00 | 10 मजदूरों को भुगतान |
| | | योग | | 1897373.00 | |

अतःबिना व्यय प्रमाणकों एवं मस्टर रोलों के धनराशि रूपया 1897373.00 दर्शाई गयी है। ग्राम पंचायतों हेतु वित एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल उपलब्ध नहीं कराए जाते तो सम्पूर्ण व्यय की गई धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली प्रधान एवं सचिव से की जाएगी।
अतः धनराशि रूपया 1897373.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्री युवराज सिंह एवं सचिव श्री अनुराग सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत- रसूलाबाद उर्फकोइलहा विकास खण्ड- चायल, जनपद- कौशाम्बीलेखा परीक्षा वर्ष 2019-2020**

**प्रस्तर 61-**ग्राम पंचायत रसूलाबाद उर्फ कोइलहा के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि निम्न धनराशियों को कोषवही के आय एव व्यय पक्ष में नहीं दर्ज किया गया है, जबकि धनराशियॉ बैंक स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट के अनुसार आहरित रही है। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0 स0 | दिनांक | चैक संख्या | धनराशि | बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार धन प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.04.19 | 272 | 30525.00 | प्रधान- श्रीमतीलक्ष्मीदेवी |
| 2 | 04.05.19 | 276 | 50000.00 | मैं0 अजीत कुमार |

इस प्रकार स्पष्ट नहीं हो सका कि धनराशियॉ किस मद मे व्यय रही। धनराशि रूपया 30525.00 का मस्टर रोल"वसीम के घर से असगरअली के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य"की मजदूरी भुगतान का प्रस्तुत रहा, किन्तु इस धनराशि की प्रविष्टि कोषवही के आय-व्यय पक्ष में दर्ज नहीं किया गया है, जिसे दर्ज किया जाना अपेक्षित है।
रूपया 50000.00 का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। स्पष्ट है कि रूपया 50000.00 का अपहरण प्रधान, सचिव एवं फर्म की मिलीभगत से किया गया है।
अतः रूपया 50000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं तत्कालीन सचिव कु0 शरद सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।
**प्रस्तर 62-**निम्न विवरण के अनुसार धनराशियॉ"मे0 अजीत कुमार"को भुगतान रही। भुगतान की गयी धनराशियों के व्यय प्रमाणक प्रस्तुत रहे। व्यय प्रमाणकों के अवलोकन से स्पष्ट रहा कि पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक एवं बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम पाया गया। स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक फर्जी प्रस्तुत रहे। विवरण निम्न प्रकार से है-

| क्र0 स0 | वाऊचर संख्या | दिनांक | धनराशि | उद्देश्य (जिस हेतु भुगतान दर्शाया गया है) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 226 | 15.04.19 | 161377.00 | वसीम के घर से असगर अली के घर तक इण्टरलॉकिग सामग्री। |
| 2 | 219 | 10.07.19 | 62397.00 | अमरनाथ यादव के घर से लखन के घर तक नाली निर्माण सामग्री। |
| 3 | 205 | 13.07.19 | 205769.00 | मनोज के घर से महेश के घर तक नाली निर्माण सामग्री। |
| 4 | 203 | 16.07.19 | 79972.00 | लाल बहादुर टू फलई इण्टरलॉकिग सामग्री। |
| 5 | 225 | 03.08.19 | 202331.00 | दाउल टू महावीर नाली एवं इण्टरलॉकिग सामग्री। |
| 6 | 13 | 21.01.20 | 172064.00 | फूलचन्द्र टू लालचन्द्र इण्टरलॉकिग सामग्री। |
| 7 | 14 | 21.01.20 | 153716.00 | लालचन्द्रटू मंजीत नाली एवं इण्टरलॉकिग सामग्री। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 218 | तिथि रहित | 182628.00 | सेंगर टू लालबहादुर इण्टरलॉकिग सामग्री। |
| | | योग | **1220254.00** | |

उक्त व्यय प्रमाणकों में फर्म द्वारा 12 प्रतिशत जी0एस0टी0 नहीं जोडा गया है। स्पष्ट है कि व्यय प्रमाणक फर्म द्वारा जारी नहीं किए गए है। यदि व्यय प्रमाणक फर्म द्वारा जारी किए गए होते तो पहले की तिथि का वाऊचर क्रमांक कम एवं बाद की तिथि का वाऊचर क्रमांक अधिक होता। भुगतान चूंकि फर्म को गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि धनराशियों का अपहरण प्रधान, सचिव एवं फर्म की मिलीभगत से किया गया है।

उक्त कार्यो के कार्यपूर्ति प्रमाण पुत्र , इस्टीमेट, एम0बी0, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर आदि अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने से कराए गए कार्यो की पुष्टि नहीं होती है।

अतः धनराशि रूपया 1220254.00 की वसूली संयुक्त रूप से तत्कालीन प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं तत्कालीन सचिव कु0 शरद सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 63 -** दिनांक 24.07.19 को रूपया 30000.00 का भुगतान तत्कालीन प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी को किया गया है। कोषवही में व्यय विवरण में अंकित है कि"लालम तालाब (गुलकैमापुर) में पानी भराई"। पानी भराई में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा। पानी भराई के मूल्य रूपया 30000.00 का भुगतान लाभार्थी को एकाउन्टपेयी चेक से किया जाना चाहिए था, किन्तु ऐसा नहीं किया है।

पानी भराई के मूल्य रूपया 30000.00 का भुगतान प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी को नकद किया गया है। शासनादेश संख्या ए-1/1450/दस-96-10-(II)-93 दिनांक 23-07-1996 के अनुसार निजी संस्थाओं, व्यक्तियों तथा पार्टियों को रूपया 2000.00 से अधिक नकद भुगतान नहीं किया जाना है। स्पष्ट है कि रूपया 30000.00 का अपहरण किया गया है।

अतः रूपया 30000.00 की वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं तत्कालीन सचिव कु0 शरद सिंह से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - कौशाम्बी ग्राम पंचायत - बंधूरी रसूलीपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 64 -**ग्राम पंचायत बंधूरी रसूलीपुर की 2019-20 वर्ष की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गई है। लेखा परीक्षा के दौरान अपहरण एवं भुगतान में गम्भीर अनियमितता प्रकाश में आई है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 01.8.2019 को सुनीता देवी को लोकसभा चुनाव खर्च हेतु भुगतान किया गया हैं धनराशि रू 28425.00 का कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक के अभाव में धनराशि का अपहरण किया गया है। अतः प्रधान श्रीमती सुनीता देवी एवं ग्रा0 वि0 अधि0 श्री धनंजय सिंह से रू 28425.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 65 -**आलोज्य वर्ष में ग्राम पंचायत बंधूरी रसूलीपुर द्वारा दिनांक 30.07.2019 को रू 11500.00 का भुगतान माँ जगदाम्बा मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय करने हेतु, दिनांक 30.7.2019 का रू. 51527.00 का भुगतान होरी लाल केशरवानी को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु दिनांक 10.12.2019 को रू. 35200.00 का भुगतान में न्यू किसान मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु दिनांक 16.1.2020 को रू. 34300.00 का भुगतान में न्यू किसान मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय हेतु एवम् दिनांक 03.3.2020 को रू. 28962.00 का भुगतान कुशवाहा ट्रेडर्स को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय हेतु किया गया है।

लेखा परीक्षा में क्रय को गई सामग्री का स्टाक रजिस्टर, निष्यप्रोज्य स्टाक का विवरण, मरम्मत स्थलों की सूची, ग्रामवासियों का आवेदन- पुत्र और कार्यपूर्ति प्रमाण पुत्र उपलब्ध नहीं करायें गयें हैं। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में क्रय हेतु भुगतान की गई धनराशि अनियमित रही, जिसके लिये प्रधान श्रीमती सुनीता देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री धनंजय सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - कौशाम्बी ग्राम पंचायत - भटवरिया वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 66 -**ग्राम पंचायत भटवरिया की 2019.20 वर्ष की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गई है। लेखा परीक्षा के दौरान अपहरण प्रकार की आपत्तियाँ पायी गई है, जिसका विवरण निम्नवत है-

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत भटवरिया द्वारा दिनांक 06.7.2019,26.12.2019 एवं 10.3.2020 को क्रमशः रू. 91590.00,29750.00 एवम् 23430.00 का भुगतान में दिनेश मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय करने हेतु किया गया है। लेखा परीक्षा के समय उक्त धनराशियों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किये गये हैं। यह धनराशि का अपहरण है और प्रधान श्रीमती कमला देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री निखिल सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी है जिसके लिये रू 144770.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - कौशाम्बी ग्राम पंचायत - मकदूमपुर ढोकसहा वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 67 -**ग्राम पंचायत मकदूमपुर ढोकसहा की 2019-20 वर्ष की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गई है। लेखा परीक्षा के दौरान अपहरण प्रकार की आपत्तियाँ पाई गई है, जिसका विवरण निम्नवत है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत मकदूमपुर ढोकसहा द्वारा दिनांक 03.04.2019 को क्रमशः रू 34155.00, रू 34155.00 एवम् रू 34155.00 का भुगतान होरी लाल केशरवानी को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय करने हेतु कैशबुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा के समय उक्त धनराशियों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक नहीं प्रस्तुत किये गये हैं और धनराशि का अपहरण किया गया है। प्रधान श्री पवन कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह संयुक्त रूप से इस कृत्य के लिये उत्तरदायी है और रू 102465.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - कौशाम्बी ग्राम पंचायत - घमसिरा बल्लोपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 68 -**ग्राम पंचायत घमसिरा बल्लोपुर की 2019-20 वर्ष की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गई है। लेखा परीक्षा के दौरान भुगतान की गई धनराशियों में गम्भीर अनियमियतता प्रकाश में आई है, जिसका विवरण निम्नवत है-

आलोच्य वर्ष में ग्राम प्रधान द्वारा दिनांक 06.04.2019 को व्यय प्रमाणक न0 152, द्वारा मे0 प्रीमियम इण्टरप्राइजेज को व्हील चेयर क्रय के लिये रू 5539.00 का भुगतान किया गया है, किन्तु उक्त क्रय की पुष्टी में क्रय से पूर्व लिये गये कोटेशन, प्रस्ताव एवं सत्यापन लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराई गई। उपरोक्त अभिलेख के अभाव में क्रय हेतु भुगतान की गई धनराशि अनियमित रही, जिसके लिये प्रधान श्री मुजीब अहमद व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार चैहान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु उक्त गम्भीर प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है और उपरोक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 69 -**आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 21.10.2019 को हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु रू 19980.00 का भुगतान मे0 हरी सिंह मशीनरी स्टोर को किया गया है। लेखा परीक्षा में क्रय की गई सामग्री का स्टाक रजिस्टर, मरम्मत स्थलों की सूची, ग्रामवासियों का आवेदन- पुत्र , कार्यपूर्ति प्रमाण पुत्र एवं निष्प्रयोज्य स्टाक का विवरण उपलब्ध नहीं कराये गये। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में क्रय हेतु भुगतान की गई धनराशि अनियमित रही, जिसके लिये प्रधान श्री मुजीब अहमद व ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रदीप कुमार चौहान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उपरोक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - कौशाम्बी ग्राम पंचायत -जाठी वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 70 -**ग्राम पंचायत जाठी की 2019-20 वर्ष की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गई है। लेखा परीक्षा के दौरान अपहरण प्रकार की आपत्तियाँ पाई गई हैं, जिसका विवरण निम्नवत है-

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत जाठी द्वारा दिनांक 03.04.2019 एवं दिनांक 01.01.2000 को क्रमशः रू 20000.00 एवं रू 12500.00 चेक सं0 389, एवं पी.ई.एम.एस.भुगतान किया गया है। जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही किया गया है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिये प्रधान श्रीमती पूजा देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह से समान रूप से रूपया 32500.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 71** -आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 17.5.2019 को चेक सं0 453 से रू 11078.00 का भुगतान प्रीमियय इण्टरप्राइजेज को किया गया है जिसे व्हील चेयर क्रय करने हेतु दर्शाया गया है। इसके सापेक्ष में लेखा परीक्षा के समय कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया जाना प्रतीत होता हैं जिसके लिये प्रधान श्रीमती पूजा देवी एवं ग्रा0 वि0 अधि0 श्री दिनेश सिंह समान रूप से उत्तरदायी हैं और इनसे रूपया 11078.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 72** -आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 30.03.2000 को 2 नग कूड़ा गाड़ी, फावड़ा आदि का व्यय रूपया 19500.00 दर्शित है परन्तु लेखा परीक्षा के समय उक्त वस्तुओं का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इस प्रकार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है जिसके लिये प्रधान श्रीमती पूजा देवी व ग्राम विकास अधिकारी श्री दिनेश सिंह समान रून से उत्तरदायी हैं औंर उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - कौशाम्बी ग्राम पंचायत -मढ़ी वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 73** -ग्राम पंचायत मढ़ी की 2019-20 वर्ष की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गई है। लेखा परीक्षा के दौरान अपहरण एवं गम्भीर अनियमियतता के प्रकार की आपत्तियाँ पाई गई हैं। जिसका विवरण निम्नवत है-

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत जाठी द्वारा दिनांक 17.05.2019 को चेक सं0 114 मे0 प्रीमियम इण्टरप्राइजेज को रू 11078.00 का भुगतान, लोकसभा चुनाव में विकलांगों के लिये क्रय ट्राईसाइकिल के लिये, कोष पंजिका में दर्शित है। उक्त धनराशि की पुष्टि हेतु आवश्यक व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार से उक्त धनराशि का अपहरण किया गया जिसके लिये प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शरद कुमार श्रीवास्तव उत्तरदायी है और रू 11078.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं

**प्रस्तर 74 -**आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत मढ़ी द्वारा दिनांक 03.8.2019 को क्रमशः रू 20000.00 एवं रू 15000.00 एवं दिनांक 31.12.2019 को रू 19730.00 का भुगतान चेक सं0 138 एवं 139 देय प्रताप मशीनरी स्टोर और एसडी सिंह मशीनरी स्टोर का किया गया है। लेखा परीक्षा में क्रय की गयी सामग्री का स्टाक रजिस्टर, निष्प्रयोज्य स्टाक विवरण, मरम्मत स्थलों की सूची और ग्रामवासियों का आवेदन पत्र तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पुत्र अनुपलब्ध रहे। उपरोक्त अभिलेख के अभाव में क्रय हेतु भुगतान की गई धनराशि अनियमित रही, जिसके लिये प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्रा0 वि0 अधि0 श्री शरद कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः उपरोक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - मंझनपुर ग्राम पंचायत - गुवारा तैयबपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 75 -**ग्राम पंचायत गुवारातैयबपुर की वर्ष 2019.20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में पायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है-

लोक सभा निर्वाचन पर बिना प्रमाणक, किसी भी विभागीय अधिकारी के आदेश के बिना फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है जिसका विवरण निम्नवत है-

| दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 24.04.19 | लोक सभा पोलिंग खर्च | 4520.00 |
| 04.05.19 | लोक सभा निर्वाचन मॉडल बूथ पर व्यय | 20000.00 |
| 13.05.19 | लोक सभा निर्वाचन हेतु सी.सी. कैमरा पर व्यय | 19600.00 |
| | **योग-** | **44120.00** |

अतः रु. 44120.00 की वसूली,में से ग्राम प्रधान श्री मो. नसीम से रु. 22060.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बुद्ध प्रकाश गौतम से रु. 22060.00 की वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - मंझनपुर ग्राम पंचायत - मीरापुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 76 -**ग्राम पंचायत मीरापुर की वर्ष 2019.20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ प्रकाश में पायी गयी जिसका विवरण निम्नवत है-

निम्नांकित तिथियों को हैण्ड पम्प मरम्मत की मजदूरी पर व्यय दर्शाया गया है, जबकि सामग्री क्रय ही नहीं की गयी है, जिससे स्पष्ट है कि फर्जी व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। उत्तरदायी व्यक्तियों से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

| दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 10.05.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी (विजय कुमार) | 6000.00 |
| 27.05.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी (राम नारायण) | 7400.00 |
| | योग- | 13400.00 |

**प्रस्तर 77 -**निम्नांकित तिथियों को हैण्ड पम्प सामग्री क्रय किया गया है किन्तु मजदूरी नहीं दर्शायी गयी है तथा लाभार्थियों का प्रार्थना पत्र , जल प्रबंधन समिति निर्माण समिति की कार्यवाही रजिस्टर भी अप्राप्त रहा तथा हैण्डपम्प सामग्री क्रय का स्टाक रजिस्टर, उपभोग रजिस्टर,एम.वी.कार्यपूर्ति प्रमाण पुत्र अप्राप्त रहा तथा व्यय प्रमाणक भी अप्राप्त रहा, जिससे स्पष्ट है कि राजकीय अनुदान का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी श्री बुद्ध प्रकाश गौतम द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है, विवरण निम्नवत है-

| दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 18.10.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कमल मशीनरी स्टोर) | 20,000.00 |
| 09.12.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कमल मशीनरी स्टोर) | 20,000.00 |
| 16.12.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कमल मशीनरी स्टोर) | 20,000.00 |
| 06.01.20 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कमल मशीनरी स्टोर) | 20,000.00 |
| 02.03.20 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री (कमल मशीनरी स्टोर) | 20,000.00 |
| | **योग-** | **100000.00** |

**प्रस्तर 78 -**दिनांक 15.05.2019 को लोक सभा चुनाव पर व्यय कैशबुक में 20,000.00 अंकित है किन्तु उक्त व्यय का प्रमाणक नहीं है तथा किसी विभागीय अधिकारी का कोई आदेश भी नहीं है जिससे स्पष्ट होता है कि कैश बुक में काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। अतः ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार, पंचायत अधिकारी श्री बुद्ध प्रकाश गौतम से क्रमशः रु.10,000-10,000 बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - मंझनपुर ग्राम पंचायत - छिमिरछा वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 79** -ग्राम पंचायत छिमिरछा की वर्ष 2019.20 की लेखा परीक्षक उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गई है। लेखा परीक्षक को दौरान गम्भीर अनियमितताँ पायी गयी हैं। अतः उपरोक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय एवं मरम्मत मजदूरी पर कुल रु.60165.00 का उपभोग किया जाना दर्शित है, किन्तु उपभोग की पुष्टि में ग्रामवासियों का आवेदन पत्र , मरम्मत सामग्री का स्टाक रजिस्टर हैण्ड पम्प मरम्मत कराये गये स्थलों की सूची तथा निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक रजिस्टर/विवरण व किसी समय जांच अधिकारी द्वारा प्रमाणित कार्य पूर्ति प्रमाण- पत्र लेखा परीक्षा में आप्राप्त रहा। इस प्रकार उपरोक्त अभिलेख प्रस्तुत न कर गम्भीर अनियमितताकी गई है, जिसके लिए ग्राम प्रधान- श्रीमती सलमा बीबी व ग्राम विकास अधिकारी श्री सोहन लाल समान रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः उपरोक्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**विकास खण्ड - मंझनपुर ग्राम पंचायत - चकहिगुई वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 80** -ग्राम पंचायत चकहिगुई की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गई है। लेखा परीक्षा में निम्न अपहरण के प्रकरण प्रकाश में आये, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक 13.05.2019 को लोकसभा निर्वाचन में बूथ में खाना, पानी, टेन्ट व अन्य सुविधा का प्रमाणक विहिन विभागीय अधिकारियों के आदेश के बिना फर्जी व काल्पनिक व्ययरु.15000.00 दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शकील एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री जीतेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया है, जिसकी वसूली ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 81** -निम्नांकित तिथियों को हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर प्रमाणक विहिन स्टाक रजिस्टर, उपभोग रजिस्टर, लाभार्थियों का आवेदन पत्र के बिना, एम.बी. व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के बिना हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर काल्पनिक व फर्जी व्यय कैश बुक में दर्शाकर राजकीय धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्री शकील व ग्राम विकास अधिकारी श्री जीतेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्नवत हैं-

| **दिनांक** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 30.05.19 | निसार अहमद के दरवाजे पर हैण्ड पम्प रिबोर की मजदूरी 20,000.00 मो. शकील को भुगतान | |
| 30.05.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत की मजदूरी भुगतान शकील को | 8,000.00 |
| 01.07.19 | सैयद अली के घर के पास हैण्डपम्प रिवोर सामग्री | 24,000.00 |
| 01.07.19 | निसार अहमद के दरवाजे पर हैण्डपम्प रिवोर सामग्री | 24,000.00 |
| 08.07.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान | 7,000.00 |
| 18.07.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान विश्वकर्मा टेªडर को | 35,000.00 |
| 28.10.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य में भुगतान | 6,000.00 |
| | **योग** | **124000.00** |

**विकास खण्ड - मंझनपुर ग्राम पंचायत - अम्बावां पश्चिम वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर 82** -ग्राम पंचायत अम्बावां पश्चिम की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर सम्पन्न की गयी। लेखा परीक्षा में निम्न प्रकरण प्रकाश में आये जिसका विवरण निम्नवत है-

निम्नांकित तिथियों को हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य कैश बुक में दर्शाया गया है, लाभार्थियों के प्रार्थना पुत्र के बिना, प्रमाणक विहिन व्यय, जल प्रबंधन समिति के स्वीकृति के बिना, स्टाॅक रजिस्टर एवं उपभोग रजिस्टर के बिना, हैण्ड पम्प मरम्मत कराकर राजकीय अनुदान का अपहरण ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मक्खन लाल द्वारा फर्जी व काल्पनिक व्यय दर्शाकर राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है। विवरण निम्नवत् है-

| दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 23.04.19 | आदर्श गुप्ता जलकल स्टोर से हैण्ड पम्प सामग्री व्यय | 18500.00 |
| 25.04.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 5000.00 |
| 27.05.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 5000.00 |
| 10.06.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 2000.00 |
| 15.06.19 | आदर्श गुप्ता जलकल स्टोर से हैण्ड पम्प सामग्री | 18500.00 |
| 20.06.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 6000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 04.07.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 2500.00 |
| 22.07.19 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 12000.00 |
| | **योग-** | **69500.00** |

अतः रु.69500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री संतोष कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मक्खन लाल से बराबर-बराबर ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**ग्राम पंचायत का नाम -कनवार विकास खंड - कड़ा जनपद -कौशाम्बी वर्ष -2019-20**

**प्रस्तर 83 -**आलोच्य वर्ष 2019-20 के कोष बही के अवलोकन मे पाया गया कि दिनांक 9-5-2019 को लोक सभा चुनाव हेतु रु 19845.00 का जनरेटर क्रय दर्शित है | जिसमे निम्न कमिया पायी गई |

1-जनरेटर क्रय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा |

2-जनरेटर खरीद हेतु किसी सक्षम अधिकारी का आदेश पत्र लेख परीक्षा मे अप्राप्त रहा |

3-जनरेटर खरीद को डेड स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर लेख परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया |

4- जनरेटर क्रय के पूर्व कोटेशन /टेन्डर लेना चाहिए ,जो नहीं किया गया |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि काल्पनिक जनरेटर खरीद दर्शाकर रु 19845.00 अपहरण किया गया है |

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेख मैन्युअल के अध्याय 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शाई गई धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशि रु 19845.00 कि ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डन तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रदीप प्रजापति से किया जाना अपेक्षित है |

**ग्राम पंचायत का नाम - दौलतपुर कसार विकास खंड कडा जनपद कौशांबी**

**प्रस्तर 84 -**आलोच्य वर्ष 2019-20 के कोषबही के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 28/6/19 को लोकसभा निर्वाचन हेतु रु 30210 का व्यय दर्शित है | जिसके सापेक्ष कोई शासनादेश / सक्षम अधिकारी का आदेश तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया |

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा की वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए " के विपरीत खंड 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उक्त धनराशि रु 30210 को गबन मानते हुए रु 30210 की ब्याज सहित वसूली ग्रामप्रधान भी अनिल कुमार तथा सचिव भी पूरणचंद से बराबर - बराबर किया जाना अपेक्षित है |

**नाम संस्था - ग्राम पंचायत - फराहिमपुर कालेसरमऊ , विकास खंड कड़ा , जनपद - कौशांबी**

**प्रस्तर 85 -**आलोच्य वर्ष 2019-20 के कोंषबही के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 10/5/2020 को हैण्डपंप मरम्मत हेतु ग्राम प्रधान को 10000 का भुगतान किया गया दर्शित है किन्तु भुगतान की पुष्टि में कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया |

उल्लेखनीय है की ग्राम पंचायत की वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की खंड - 7 के अनुसार " ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में आपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करे " के विपरीत खंड 8 के अनुसार यदि दशाए गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए उक्त धनराशी रूपए 10000 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती विटोला देवी तथा सचिव श्री मनोज त्रिपाठी से बराबर किया जाना आपेक्षित है |

**नाम ग्राम पंचायत - दरियापुर जीता विकास खंड - कड़ा जनपद -कौशांबी**

**प्रस्तर 86 -**आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम पंचायत दरियापुरजीता के कोष बही की जांच मे पाया गया कि दिनांक 2-04-2019 को रु 42000.00 प्रधान को मानदेय दिया जाना दर्शित है |किन्तु यह उल्लेख नहीं किया गया है कि किस माह /वर्ष का मानदेय दिया गया है | उक्त व्यय की पुष्टि मे मानदेय रजिस्टर तथा प्रधान से मानदेय प्राप्ति रसीद भी लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया |इस प्रकार बिना व्यय प्रमाणक कल्पित मानदेय भुगतान दर्शाकर रु 42000.00 का अपहरण किया गया |

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खंड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों मे अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध

कराए के विपरीत खंड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय धनराशि रु 42000.00 को गबन मानते हुए रु 42000.00 कि ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री गिरिजेश कुमार तथा सचिव श्री मनोज त्रिपाठी बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित रहा |

**ग्राम पंचायत -थुलगुला विकास खंड -कड़ा जनपद -कौशांबी**

**प्रस्तर 87** -आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत थुलगुला के कोष बही के अवलोकन में पाया गया कि दिनांक 05-04-2019 को खड़ंजा मरम्मत निम्नानुसार दर्शित है |

| दिनांक | धनराशि | मद |
|---|---|---|
| 05-04-2019 | 19800.00 | जगन के घर से तालाब तक खड़ंजा का भुगतान प्रधान को |
| 05-04-2019 | 19425.00 | उपरोक्त कार्य पर भुगतान प्रधान को| |
| 05-04-2019 | 10000.00 | उपरोक्त कार्य हेतु मिट्टी कारटेज हेतु रोहित को | |

उपरोक्त तिथि में भुगतान किए गए कार्य के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कार्य का प्रस्ताव ,प्रशासनिक स्वीकृति ,कार्य का स्टिमेट बिल वाउचर ,मस्टर रोल ,एम ० बी ० आदि प्रस्तुत न करने से उक्त भुगतान कि पुष्टि न हो सकी |

यह भी उल्लेखनीय है कि वित्त एवं लेखा मैन्युअल के अध्याय ८ के खंड ७ के अनुसार ग्रामप्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव का संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए के विपरीत खंड ८ क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय कि गई धनराशि को गबन मानते हुए रु 49225.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लवलेश कुमार तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री आशीष कुमार से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है |

**नाम संस्था - ग्राम पंचायत - कमालपुर , विकास खंड - कड़ा , जनपद - कौशांबी**

**प्रस्तर 88** -आलोच्य वर्ष 2019-20 के ग्राम पंचायत कमालपुर के कोंषबही के अवलोकन में पाया गया कि निम्न तिथि में हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रु 19600 अशोक ट्रेडर्स को किया गया दर्शित है | जिसमे निम्न कमिया पाई गई |

| दिनांक | धनराशि | मद |
|---|---|---|
| 19-2-2020 | 19600 | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री हेतु अशोक ट्रेडर्स को |
| 23-2-2020 | 14280 | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री |
| योग = | 33880 | |

1) व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया
2) हैण्डपम्प मरम्मत ल स्थान दर्शित नहीं किया
3) जल प्रबंधन समिति द्वारा ऊत हैण्डपम्प मरम्मत का प्रस्ताव करने का पुष्टि नहीं कराया गया
4) उक्त भुगतान कि पुष्टि निर्माण कार्य समिति से नहीं कराई गई
5) उक्त समगरी क्रय का भुगतान के पक्ष में मजदूरी भुगतान नहीं किया गया जिससे उक्त सामग्री के उपयोग कि पुष्टि न हो सकी

उपरोक्त तथ्यों से सपस्त है कि रु 33880 का काल्पनिक हैण्डपम्प मरम्मत दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री फुरकान अली तथा ग्राम पंचायत सचिव श्री बृजेश कुमार से कि जानी अपेक्षित है |

**नाम संस्था - ग्राम पंचायत सौराई बुजुर्ग , विकास खंड - कड़ा , जनपद - कौशांबी**

**प्रस्तर 89** -आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सौराई बुजुर्ग के कोंषबही अवलोकन में पाया गया कि हैण्डपम्प मरम्मत पर निम्न प्रकार व्यय दर्शित है जिसमे निम्न कमाई पाई गई |

| दिनांक | धनराशि | मद |
|---|---|---|
| 21-12-19 | 19775 | मिश्री मशीनरी को |
| 21-12-19 | 7640 | मजदूरी शिवलाल को |

| | | |
|---|---|---|
| 21-12-19 | 7640 | मजदूरी शिवलाल को |
| 21-12-19 | 19900 | मिश्री मशीनरी को |

योग = 54955

उपरोक्त व्यय कि पुष्टि में व्यय प्रमाणक के अतिरिक्त अन्य अभिलेख जैसे हैण्डपम्प मरम्मत कि सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा तैयार एस्टमेट , हैण्डपम्प मरम्मत हेतु ग्राम वासियों द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र , क्रय सामग्री कि सूची , जल प्रबंधन समिति का कार्यवाही रजिस्टर तथा निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे नियमानुसार उपरोक्त सभी अभिलेख तैयार कर पुष्टि हेतु लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए | इस प्रकार नियमों के विपरीत व्यय करके अनियमितता कि गई है जिसके लिए श्री मनोज त्रिपाठी ग्राम पंचायत अधिकारी तथा श्रीमती अर्चना पांडे ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी तथा प्रधान श्रीमती अर्चना पांडे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

## प्रारूप-4
## जनपद-प्रतापगढ़

**प्रस्तर-1- ग्राम पंचायत- राजापुर मुफरीद वर्ष – 2019-20 विकास खण्ड-बाबाबेलखरनाथ धाम**

ग्राम पंचायत- राजापुर मुफरीद में नाली निर्माण हेतु रू0 27588.00 व्यय किया गया है जिसमें व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक / अभिलेख अप्राप्त रहा।

1. आबादी वाले भाग में नाली/पुलिया निर्माण से पहले विस्तृत सर्वेक्षण कर ड्राइंग बनाकर अनुमोदनोपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया गया है या नही, अभिलेख अप्राप्त रहा।
2. निर्माण कार्य/आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता जॉच सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी है या नही प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा, निर्माण कार्य आपूर्ति सामग्री संतोषजनक पाये जाने पर भुगतान किया गया है या नही अभिलेख अप्राप्त रहा।
3. शा0 सं0-ए-1-864/दस-08-16(1)/86 दिसम्बर 28 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धी सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया गया है या नही अभिलेख अप्राप्त रहा।

उक्त आपत्तियों को दृष्टिगत करते हुए रू0 27588.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली 50 प्रतिशत ग्राम प्रधान-श्री नौशादशाह व 50 प्रतिशत सचिव-श्री फरीद अहमद से की जानी अपेक्षित है क्योंकि उक्त राशि व्यय के सापेक्ष उक्त अभिलेख का अप्राप्त रहना अपहरण श्रेणी में आता है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान- श्री नौशादशाह व सचिव- श्री फरीद अहमद है।

**प्रस्तर-2- ग्राम पंचायत-चौपाई (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-बाबाबेलखरनाथ धाम**

हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत-चौपाई द्वारा कराया गया है, जिसमें रू0 24350.00 का व्यय किया गया है परन्तु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाण/अभिलेख अप्राप्त रहा है जिससे यह ज्ञात होता है कि काल्पनिक व्यय या फर्जी भुगतान दर्शाकर उक्त राशि का अपहरण कर लिया है, जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान- श्री मनोज व सचिव- श्री फरीद अहमद है।

अतः रू0 24350.00 का 50- 50 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान- श्री मनोज व सचिव- श्री फरीद अहमद से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-3- ग्राम पंचायत- मीरनपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-बाबाबेलखरनाथ धाम**

मीरनपुर में सोलर लाइट स्थापना कार्य में रू0 32970.00 व्यय किया गया है परन्तु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/अभिलेख लेखापरीक्षा मे अप्राप्त रहा जिससे ज्ञात होता है कि काल्पनिक व्यय या फर्जी भुगतान दर्शित कर रू0 32970.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान-श्रीमती शहबुनिशा व सचिव- श्री फरीद अहमद उत्तरदायी है।

अतः रू0 32970.00 का 50- 50 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान-श्रीमती शहबुनिशा व सचिव- श्री फरीद अहमद से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-4- ग्राम पंचायत- पिपरी खालसा (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-बाबाबेलखरनाथ धाम**

पिपरी खालसा द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत का कार्य कराया गया है, जिसमें रू0 39458.00 का व्यय किया गया है परन्तु व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाण/अभिलेख अप्राप्त रहा है जिससे यह ज्ञात होता है कि काल्पनिक व्यय या फर्जी भुगतान दर्शाकर उक्त राशि का अपहरण कर लिया है, जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान- श्रीमती सीमा मिश्रा व सचिव- श्री फरीद अहमद है।

अतः रू0 39458.00 का 50- 50 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान-श्रीमती सीमा मिश्रा व सचिव- श्री फरीद अहमद से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-5- ग्राम पंचायत- सुवंसा (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- गौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा

वर्ष में प्राप्त धनराशि से रू0 1049662.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रिहाना बानों एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती शीला यादव से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 6- ग्राम पंचायत- रहेटुआ परसरामपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-गौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में प्राप्त धनराशि से रू0 1628259.40 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती बिन्दू देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामपूजन मिश्र से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 7- ग्राम पंचायत- कतरौली (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-गौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में प्राप्त धनराशि से रू0 638817.40 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सुमन यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय पाण्डेय से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 8- ग्राम पंचायत- सुरूआ मिश्रपुर(वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-गौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में प्राप्त धनराशि से रू0 1398862.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री कृपाशंकर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री रामपूजन मिश्र से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 9- ग्राम पंचायत- नरायनपुर खुर्द (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- गौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में प्राप्त धनराशि से रू0 774617.40 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री यादवेन्द्र यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय पाण्डेय से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 10- ग्राम पंचायत- बैरमपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-गौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा

वर्ष में प्राप्त धनराशि से रू0 1776035.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सीता देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय पाण्डेय से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 11- ग्राम पंचायत- गौरापूरे बदल (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-गौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में प्राप्त धनराशि से रू0 1898499.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती उषा मिश्रा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अभिजीत सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 12- ग्राम पंचायत- रामनगर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-गौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में प्राप्त धनराशि से रू0 1565089.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्य योजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कलावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय पाडेय से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 13- ग्राम पंचायत- संग्रामपुर किला(वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सदर**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 532425.50 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती शमा से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 14-ग्रामपंचायत-नौबस्ता(वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सदर**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 969341.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती गुडडी देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अविनाश कुमार मिश्र से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 15- ग्राम पंचायत- दहिलामऊ (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सदर**

12वॉ/13वॉ/14वॉ के राज्य वित्त से प्राप्त धनराशि का अनियमित व्यय।
ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा

वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 3596500.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती शाहजहॉ बेगम एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश द्विवेदी से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 16- ग्राम पंचायत- पूरे मोहन (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सदर**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 739300.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्री कमलेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती रूचि वर्मा से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 17- ग्राम पंचायत- रंजीतपुर चिलबिला (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सदर**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 3687670.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश द्विवेदी से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 18- ग्राम पंचायत- पूरे केशवराय (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सदर**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 2137889.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश द्विवेदी से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 19- ग्राम पंचायत- जोगापुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सदर**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 2786546.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती निभा मौर्या एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश द्विवेदी से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 20- ग्राम पंचायत- पूरे ईश्वरनाथ (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सदर**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 2256712.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती प्रियंका पाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उमेश द्विवेदी से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 21- ग्राम पंचायत- लौली पोख्ता खाम (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-मंगरौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 1399215.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान-श्रीमती राजकुमारी एवं ग्राम पंचायत सचिव-संजय यादव से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 22- ग्राम पंचायत- रायगढ़ (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-मंगरौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 556123.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान- श्री इरफान एवं ग्राम पंचायत सचिव-श्री अनुराग यादव से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 23- ग्राम पंचायत- औरंगाबाद (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-मंगरौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 1568582.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान- श्री मुनौवर एवं ग्राम पंचायत सचिव-श्री संजय यादव से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 24- ग्राम पंचायत- परसूपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-मंगरौरा**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 543500.00 व्यय किया गया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।

वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।

अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान- श्रीमती मीना देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव-श्री संजय यादव से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 25- ग्राम पंचायत- तौकलपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-शिवगढ़**

ग्राम पंचायत तौकलपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष माह-अप्रैल-2019 से जुलाई 2019 तक आहरित की गई धनराशि रू0 531498.60 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्राम पंचायत तौकलपुर के वर्ष-2019-20 मे अप्रैल-2019 से जुलाई-2019 तक आहरित की गई धनराशि रू0 531498.60 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री विकास कुमार तिवारी एवं प्रधान- मो0 नसीमउद्दीन से संयुक्त जिम्मेदारी के कारण पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 26- ग्राम पंचायत- तौकलपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-शिवगढ़**

ग्राम पंचायत तौकलपुर वर्ष-2019-20 की लेखा परीक्षा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष माह 01.08.19 से 04.03.20 तक आहरित धनराशि रू0 522993.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक एवं वाउचर लेखा परीक्षा के समय आडीटर द्वारा बार-बार मॉगे जाने के बावजूद भी टाल-मटोल करके बात को टाल दिया गया अतः वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दशार्ये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता

है तो आहरित की गयी धनराशि अपहरण की श्रेणी में आती है। अतः रू0 522993.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान-श्री मो0 नसीमउद्दीन एवं ग्राम विकास अधिकारी -श्री रितेश कुमार यादव से आधी-आधी रकम की ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 27- ग्राम पंचायत- तौकलपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-शिवगढ़**

ग्राम पंचायत तौकलपुर के वर्ष 2019-20 के कैशबुक में माह मार्च-2020 में 04.03.2020 से 31.03.2020 तक आहरित रू0 1652719.00के सापेक्ष कैशबुक के भुगतान पक्ष में विवरण ही अंकित नही है। केवल धनराशि लिखकर कैशबुक को खाली छोड़ दिया गया इससे यह प्रतीत होता है कि ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान की मिली-भगत से रू0 1652719.00 को निकालकर अपहरण कर लिया गया है। अतः अपहरण की गई धनराशि रू0 1652719.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री मो0 नसीमउद्दीन एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रितेश कुमार यादव से आधी-आधी रकम की ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 28- ग्राम पंचायत- संसरियापुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-शिवगढ़**

ग्राम पंचायत संसरियापुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि दिनांक 03.07.2019 को ग्राम पंचायत संसरियापुर के खाता सं0 14080100021879 से रू 27600.00 आहरित कर 10 नग हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य में दर्शित किया गया, इसी प्रकार दिनांक 22.07.2019 को उक्त खाता सं0 से 13500.00 आहरित कर 05 नग हैण्डपम्प मरम्मत दर्शित किया गया और दिनांक 19.03.2020 को भी इसी खाता से रू 18700.00 आहरित कर 07 नग हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कैशबुक में दर्शित किया गया किन्तु तीनों व्यय के सापेक्ष मांगोपरान्त कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कुल धनराशि रू0 59800.00 की पुष्टि नहीं हो सकी।

अतः ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणक के आहरित की गयी धनराशि का अपहरण किया गया। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शमशुल हुदा एवं ग्राम प्रधान श्री राधेश्याम से विभागीय जांचोपरांत नियमानुसार उक्त धनराशि का व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करने पर बराबर-बराबर संयुक्त जिम्मेदारी के साथ ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 29- ग्राम पंचायत- रॉकी (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सांगीपुर**

ग्राम पंचायत रॉकी के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष आहरित की गई धनराशि रू0 2214036.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत रॉकी के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू0 2214036.00 का अपहरण कर लिया गया है अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री समरजीत भारती एवं प्रधान श्रीमती मीरा देवी से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 30- ग्राम पंचायत- मुस्तफाबाद (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- सांगीपुर**

ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष आहरित की गई धनराशि रू0 1816739.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत मुस्तफाबाद के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू0 1816739 .00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मनोज सिंह एवं प्रधान श्री विजय बहादुर से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 31- ग्राम पंचायत- शेख मुहम्मदपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- कालाकांकर**

ग्राम पंचायत शेख मुहम्मदपुर में दिनांक 27.01.2020 को कैशबुक के अनुसार हिन्दुस्तान पाईप स्टोर को मुराईन का पुरवा में राकेश पासी के घर के सामने हैण्डपम्प रिबोर का भुगतान हेतु रू0 25529.00 का किया गया है किन्तु इस भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय-प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

व्यय प्रमाणक/उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली/और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। रू0 25529.00 (पच्चीस हजार पांच सौ उन्तीस रु. मात्र) की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री त्रिलोक सिंह एवं ग्राम पंचायत प्रधान श्री मनोज कुमार से किये जाने के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 32- ग्राम पंचायत- मनार (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- कालाकांकर**

पंचायत राज अनुभाग तीन के शा. सं. 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13.06.2018 के गाइड लाइन के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य कराया गया है। दिनांक 4.12.2019 को मेसर्स जीवा कंसट्रक्शन को रू0 98500.00 का 27 नग स्ट्रीट लाईट हेतु तथा दिनांक 17.12.2019 को दुबारा मेसर्स जीवा कंसट्रक्शन को 27 नग स्ट्रीट लाईट हेतु रू 98500.00 भुगतान किया गया है, किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।

व्यय प्रमाणक/उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली/और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि रू0 197000.00 को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है और ब्याज सहित वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत सचिव श्री अजीत कुमार पटेल एवं ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती साधना पर नियमानुसार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 33- ग्राम पंचायत- मोहमिदपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- कालाकांकर**

ग्राम पंचायत मोहमिदपुर में कैशबुक के अनुसार दिनांक 17.12.2019 को हिन्दुस्तान पाईप स्टोर को हैण्डपम्प रिबोर हेतु रू0 25529.00 का भुगतान एवं दिनांक 17.12.2019 को ही दुबारा हिन्दुस्तान पाईप स्टोर को हैण्डपम्प रिबोर हेतु रू0 25529.00 का भुगतान किया गया है किन्तु इन दोनों व्ययों रु. 51058.00 के सापेक्ष कोई व्यय-प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।

व्यय प्रमाणक उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः रू0 51058.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री अविनाश सिंह एवं ग्राम पंचायत प्रधान श्री अरूण सिंह से किये जाने के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 34 ग्राम पंचायत- मधवापुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-कालाकांकर**

ग्राम पंचायत मधवापुर में कैशबुक के अनुसार दिनांक 31.07.2019 को कमलेश ब्रिक फीड को प्रथम श्रेणी ईंट हेतु रू0 77426.00 (सत्तत्तर हजार चार सौ छब्बीस रू0 मात्र) का भुगतान दर्शित है किन्तु इस ईट का क्रय किस कार्य हेतु किया गया है इसका उल्लेख नहीं है और न र्हीं इंट क्रय का व्यय-प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया है।

व्यय प्रमाणक/उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली और व्यय-प्रमाणक विहीन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा वे संप्रेक्षण दल को व्यय समस्त वाउचर नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8 क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः 77426.00 (सत्तत्तर हजार चार सौ छब्बीस रूपये मात्र) की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री पंकज शुक्ला एवं ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सीतापति से किये जाने के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 35- ग्राम पंचायत- नौढ़िया (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-रामपुर संग्रामगढ़**

ग्राम पंचायत नौढ़िया में कैशबुक के अनुसार दिनांक 24.12.2019 को हैण्डपम्प रिबोर हेतु रु. 136780.00 का भुगतान हेतु दर्शित है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।

व्यय प्रमाणक/उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली/और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः रू0 136780.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री सुशील जायसवाल एवं ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती ज्योति से किये जाने के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 36- ग्राम पंचायत- खण्डवा (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-रामपुर संग्रामगढ़**

ग्राम पंचायत खण्डवा में कैशबुक के अनुसार दिनांक 20.03.2020 को परी मशीनरी स्टोर को हैण्डपम्प रिबोर मरम्मत का भुगतान हेतु रू0 99210.00 का भुगतान दर्शित है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।

व्यय प्रमाणक उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः रू0 99210.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत श्री सचिव लाल चन्द्र मिश्रा एवं ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजाराम से किये जाने के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 37- ग्राम पंचायत- ढिगवस (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- रामपुर संग्रामगढ़**

ग्राम पंचायत ढिगवस विकास खण्ड रामपुर संग्रामगढ में कैशबुक के अनुसार दिनांक 23.12.2019 को स्ट्रीट लाइट क्रय हेतु रू0 243600.00 का भुगतान दर्शित है किन्तु क्रय का व्यय-प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है।

व्यय प्रमाणक उचित व्यय प्रमाणक के बिना धन का आहरण, पत्रावली और व्यय प्रमाणक विहीन व्यय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये के विपरीत तथा यह भी कि खण्ड 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत से संयुक्त रूप से की जायेगी के अन्तर्गत अधिभार योग्य है अतः रू0 243600.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम पंचायत सचिव श्री रविशंकर सोनकर एवं ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती अरूण कुमारी से किये जाने के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 38- ग्राम पंचायत- केशवपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- कुण्डा**

हैण्डपम्प मरम्मत में रू0 77700.00 व्यय किया गया है जिसके सम्बन्ध में लेखा परीक्षा मे हैण्डपम्प खराब की सूचना एवं उसके मरम्मत मांग सम्बन्धी प्रपत्र अप्राप्त रहा है, जिसके अभाव में ज्ञात न हो सका कि किस स्थान पर हैण्ड पम्प खराब रहे है जिन पर उपरोक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया है प्रपत्र के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या-27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.4.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश का पालन किया गया है या नही जांच असंभव रही है, डेड

स्टाक की स्थिति अज्ञात रही स्टाक रजि0 अप्राप्त रहा है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5वे बिंन्दु 2 और विक्रेदीकृत शासन के लिए शा0सं0 4430/33-1-99/ एस0पी0आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धी योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धीत गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/संस्तुति करना कार्यवाही रजि0 अप्राप्त रहा है जिससे स्थिति ज्ञात न हो सका।

उक्त तथ्यों को संज्ञान में रखते हुए आहरित धनराशि हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु अपहरण की गयी है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मन्जू देवी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती सरिता पाण्डेय से अपेक्षित है।

**प्रस्तर 39- ग्राम पंचायत- बानेमऊ (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- कुण्डा**

ग्राम पंचायत बानेमऊ के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में गोपी के घर से नाला तक पक्की नाली निर्माण हेतु 21450 नग इेट बालू गिट्टी सीमेंट तथा 1 नग बोर्ड का भुगतान रु.199120.00 शुभम टेªडर्स को किया गया है।

उक्त कार्य में सापेक्ष आबादी वाले भाग में पक्की नाली निर्माण हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कर ड्राईग बनाकर अनुमोदन कराया गया है या नही तत्पश्चात कार्य प्रारम्भ किया गया है या नही प्रमाण पत्र/ पत्रावली अप्राप्त की वजह से पूर्ण जानकारी न हो सकी है।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण हेतु सामग्री क्रय करने में कोटेशन (रू बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक) एवं टेण्डर (रू0 एक लाख से ऊपर) की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रही जिससे यह ज्ञात हो रहा है कि उक्त प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।

निर्माण कार्य/आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता की जांच सक्षम अधिकारी द्वारा कराई गयी या नही क्या निर्माण कार्य/आपूति सामग्री सन्तोषजनक पाये जाने पर भुगतान किया गया है या नहीं उक्त के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख अप्राप्त रहे है जिससे उक्त धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है।

अपहरण धनराशि रू 199120.00 की ब्याज सहित आधी-आधी रकम ग्राम प्रधान- श्री रामकृपाल मिश्रा एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी- श्री अभिषेक शुक्ला से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 40- ग्राम पंचायत- गयासपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- कुण्डा**

हैण्डपम्प मरम्मत में रू0 116400.00 व्यय किया गया है जिसके साक्ष्य में लेखा परीक्षा मेे हैण्डपम्प खराब की सूचना एवं उसके मरम्मत मांग सम्बन्धी प्रपत्र अप्राप्त रहा है, जिसके अभाव में ज्ञात न हो सका कि किस स्थान पर हैण्ड पम्प खराब रहे है जिन पर उपरोक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया है प्रपत्र के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 3 के आदेश संख्या-27/2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.4.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी को तीन दिन के अन्दर दूर किया जाना अनिवार्य है अन्यथा दंडात्मक कार्यवाही के निर्देश का पालन किया गया है या नही जांच असंभव रही है, डेड स्टाक की स्थिति अज्ञात रही स्टाक रजि0 अप्राप्त रहा है। पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 5वे बिंन्दु 2 और विक्रेदीकृत शासन के लिए शा0सं0 4430/33-1-99/ एस0पी0आर/99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धी योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धीत गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन/संस्तुति करना कार्यवाही रजि0 अप्राप्त रहा है जिससे स्थिति का ज्ञान असंभव रहा है। हैण्ड पम्प रिबोर में रू0 275080.00 व्यय किया गया है। किन्तु पंचायत राज अनुभाग-3 के शा0सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर के गाइड लाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सम्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूचित और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही, तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जेई एमआई/आरईडी/मंडी परिषद/जिला पंचायत/डी एम के द्वारा नामित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित हेतु जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण पत्रावली अप्राप्त रही जिससे गाइड लाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही है।

उक्त तथ्यों केा दृष्टिगत करते हुए उक्त आहरित धनराशि रुपया 391480 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री मोदसिर फारूखी व ग्राम पंचायत अधिकारी-श्रीमती सरिता पाण्डेय से की जानी चाहिए क्योंकि कृत कार्य के सम्बन्ध में प्रपत्र अप्राप्त रहे है व धनराशि का अपहरण हो गया हैं।

**प्रस्तर 41- ग्राम पंचायत- मौली (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- कुण्डा**

ग्राम पंचायत मौली में पक्की नाली निर्माण कार्य कराया गया है जिसकी पुष्टि में निम्न अभिलेख /प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(क) कार्य का स्टीमेट तैयार किया गया है या नहीं, स्टीमेट स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली गयी है या नहीं सम्बन्धी प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा है।

(ख) आबादी वाले भाग में नाली/पुलिया निर्माण से पहले विस्तृत सर्वेक्षण कर ड्राइंग बनाकर अनुमोदनोपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया गया है या नही, प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(ग) शा0 सं0-ए-1-864/दस-08-16(1)/86 दिसम्बर 28 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धी सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया गया है या नही अभिलेख अप्राप्त रहा।

(घ) निर्माण कार्य/आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता की जॉच सक्षम अधिकारी से की गयी है या नही। क्या निर्माण कार्य/आपूर्ति सामग्री सन्तोषजनक पाये जाने पर भुगतान किया गया है उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली/प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा है।

(ङ) उ0 प्र0 शासन के पत्रांक सं0 1679/33-1-200-359/99 दिनांक 09.06.2000 के अनुसार निर्माण कार्य सम्बन्धी समस्त भुगतान को निर्माण कार्य समिति से प्रमाणित कराया गया है या नही प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए पक्की नाली निर्माण हेतु क्रय सामाग्री में कुल रु. 209527.00 व्यय किया गया है परन्तु व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व आवश्यक अभिलेख प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है जिससेे स्पष्ट होता है कि काल्पनिक व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र तिवारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती सरिता पाण्डेय है। अतः रू0 209527.00 की ब्याज सहित वसूली 50-50 प्रतिशत ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द्र तिवारी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती सरिता पाण्डेय से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 42- ग्राम पंचायत- बुलाकीपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-कुण्डा**

ग्राम पंचायत बुलाकीपुर की लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में पायी गयी गम्भीर आपत्तियों का विवरण निम्नवत रहा -

(क) शा0 सं0-ए-1-864/दस-08-16(1)/86 दिसम्बर 28 सितम्बर 2008 के अनुसार निर्माण कार्य से सम्बन्धी सामग्री क्रय हेतु नियमानुसार कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन किया गया है या नही अभिलेख अप्राप्त रहा।

(ख) निर्माण कार्य/आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता की जॉच सक्षम अधिकारी से की गयी है या नही। पत्रावली/प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा है।

आबादी वाले भाग में नाली/पुलिया निर्माण से पहले विस्तृत सर्वेक्षण कर ड्राइंग बनाकर अनुमोदनोपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया गया है या नही, प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा।

(ग) शा0 सं0-6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/15,दिसम्बर 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रॉयल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिये ठेकेदार/सामाग्री आपूर्तिकर्त्ता से रॉयल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरुप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित है अथवा उनसे रवन्ना (एम0 एम0) प्राप्त कर निर्माण पत्रावली में रखा जाना अपेक्षित है। ऐसा न किये जाने पर आपूर्ति किये गये निर्माण सामाग्री पर रखा जाना अपेक्षित है। ऐसा न किये जाने पर आपूर्ति किये गये निर्माण सामाग्री पर रॉयल्टी की गणना करते हुये ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।
(घ) कार्य का स्टीमेट तैयार किया गया है या नहीं, स्टीमेट स्वीकृति सक्षम अधिकारी से ली गयी है या नहीं सम्बन्धी प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा है।
(ङ) माप पुस्तिका अनुसार निर्माण कार्य पर प्रयुक्त सामाग्री की मात्रा का तथा स्टीमेटेड सामाग्री मात्र मिलान किया गया है या नहीं प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।
(च) निर्माण कार्य हेतु आपूर्ति प्राप्त सामाग्री की मात्रा का मिलान माप पुस्तिका में प्रयुक्त दर्शित सामाग्री मात्रा से किया गया है प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ं
उक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए ग्राम पंचायत बुलाकीपुर में खडंजा निर्माण कार्य व पक्की नाली निर्माण हेतु रू0 148378.00 व्यय किया गया है परन्तु व्यय की पुष्टि में प्रमाणपत्र/ अभिलेख अप्राप्त रहा है। स्पष्ट होता है कि उक्त राशि का अपहरण कर लिया गया है। जिसका उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मिथलेश मौर्या व सचिव श्री अभिषेक शुक्ला है। अतः उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली 50 प्रतिशत ग्राम प्रधान व 50 प्रतिशत ग्राम सचिव से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 43- ग्राम पंचायत- काशीपुर मोहन (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-कुण्डा**

ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य/आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता की जॉच सक्षम अधिकारी से की गयी है या नहीं। क्या निर्माण कार्य/ आपूर्ति सामग्री सन्तोषजनक पाये जाने पर भुगतान किया है उक्त के सम्बन्ध में पत्रावली/प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा है। पंचायती राज अनुभाग-1 उ0 प्र0 शासन के पत्रांक सं0-1679/33-1-200-359/99 दिनांक 09.06.2000 के असार निर्माण कार्य सम्बन्धित समस्त भुगतान को निर्माण कार्य समिति से प्रमाणित कराया गया है या नही सूचना पत्र अप्राप्त रहा है।
वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- ट भाग-1 के परिशिष्ट xviii में उल्लिखित नियम सं0 3 के अनुसार क्रय सामग्री का निरीक्षण किया गया है या नहीं प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा है।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शा0सं0-ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण हेतु कोई सामग्री क्रय के क्रम में कोटेशन (रू0 बीस हजार से अधिक व एक लाख तक ) एवं टेण्डर (रू0 100000.00) (रू0 एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है या नहीं टेण्डर पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही है। निविदाओं/कोटेशन दाताओं से अपेक्षित धरोहर धनराशि नगद/एफडीआर/एनएससी आदि के रूप में जमा करवायी गयी है या नहीं पत्रावली अप्राप्त रही है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए आहरित धनराशि रू0 123220.00 (व्यय राशि) अपहरण श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान **श्री प्रमोद कुमार पांडे** व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी **श्री अभिषेक शुक्ल** से अपेक्षित है।

**प्रस्तर 44- ग्राम पंचायत- साजा (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-कुण्डा**

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 एवं शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण हेतु कोई सामग्री क्रय के क्रम में कोटेशन (रू0 बीस हजार से अधिक एवं एक लाख तक ) एवं टेण्डर (रू एक लाख से अधिक) की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए टेण्डर पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही जिससे यह ज्ञात न हो सका कि उक्त नियम का पालन हो रहा है या नही।
प0रा0 अन0-3 के शासनादेश संख्या 2/2018/143/33-3-2018-10 जी0आई/ 2015 दिनांक 16.01.2018 में स्पष्ट निर्देश है कि समग्र कार्य विकास हेतु जी0डी0पी0पी0 कार्य योजना में कम लागत एवं बिना लागत के कार्यो को सम्मिलित किया जाना है लेकिन ग्राम पंचायत द्वरा अपनी कार्य योजना में मानव एवं सामाजिक विकास संबंधी विषयों की अपेक्षा निर्माण कार्याे को प्राथमिककता दी गयी है भविष्य में इसे सुनिश्चित किये जाना चाहिए। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- ट भाग-1 के परिशिष्ट Xviii में उल्लिखित नियम सं0 12(क) के अनुसार सामग्री की प्राप्ति एवं निरीक्षण के पूर्व अग्रिम भुगतान अनुमन्य नहीं होगा, उक्त के सम्बन्ध अभिलेख अप्राप्त रहा है।
निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली मिट्टी बालू आदि उपखनिज के दरो के प्राक्कलन में रायल्टी का प्रावधान किया गया है या नही यह भी अज्ञात रहा क्योंकि अभिलेख अप्राप्त रहा है। रायल्टी का प्रावधान न करने पर शा0सं0 495/2/77-5-2006-506/05 दिनांक 05.10.2006 के अनुसार व्यय राशि का अपहरण किया गया है। आबादी वाले भाग में नाली/पुलिया निर्माण से पहले विस्तृत सर्वेक्षण कर अनुमोदनोपरान्त कार्य प्रारम्भ किया गया है या नही।
व्यय धनराशि के सम्बन्ध अभिलेख/ प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे व्यय धनराशि रू 143115.00 का अपहरण किया गया है। उक्त व्यय राशि 143115.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान- श्री हीरालाल यादव व ग्राम विकास अधिकारी श्री अभिषेक शुक्ला से किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर 45- ग्राम पंचायत- शेखपुर आशिक (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-कुण्डा**

ग्राम पंचायत से शा0सं0ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण हेतु सम्बन्धित सामग्री क्रय हेतु कोटेशन/टेण्डर का नियम का पालन हो रहा है या नही लेखा परीक्षा मंे पत्रावली अप्राप्त रही है।
निर्माण कार्य/आपूर्ति सामग्री की गुणवत्ता जांच सक्षम अधिकारी द्वारा की गयी है या नही क्या निर्माण कार्य/आपूर्ति सामग्री संतोषजनक पाये जाने पर ही भुगतान किया गया है पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण जानकारी असंभव रही है।
आबादी वाले भाग में नाली निर्माण से पहले विस्तृत सर्वेक्षण कर ड्राइंव अनुमोदन प्राप्त किया गया है या नहीं प्रमाण अप्राप्त रहा है।
मिट्टी ढुलाई भाग हेतु एवालिसिस ऑफ कोर्टज तैयार किया गया अथवा नहीं प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा है। पंचायती राज अनुभाग-1उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या-1679/33-1-200-359/99 दिनांक 09.06.2000 के अनुसार निर्माण कार्य सम्बन्धित समस्त भुगतान को निर्माण कार्य समिति से प्रमाणित कराया गया है या नहीं पत्रावली/ प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है।
शासनादेश सं0 6714/7775-3004-200-77 लखनऊ/ दिसम्बर 15 2004 में निहित प्रावधान के अनुसार रायल्टी के पूर्व भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार/सामग्री आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किय जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति लिया जाना अपेक्षित है अथवा उनसे खान एम0एम011 प्राप्त कर निर्माण पत्रावली में रखा जाना अपेक्षित है ऐसा न किये जाने पर आपूर्ति किये गये निर्माण कार्य सामग्री पर रायल्टी गणना हेतु प्रक्रिया अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा में व्यय के सापेक्ष उक्त पत्रावली/प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा है जिससे व्यय धनराशि अपहरण कर ली गयी है। उक्त आहरित रू 134406.00 की ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जफर फारूखी व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्रीमती सरिता पाण्डेय से किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर 46- ग्राम पंचायत- - शुकुलपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- सण्डवा चन्द्रिका**

ग्राम पंचायत शुकुलपुर के वर्ष 2019-20 के कोषबही के अनुसार दिनांक 27.11.2019 को दर्शित 49500.00 की धनराशि प्रशासनिक व्यय के रूप में उल्लिखित । जब कि ऐसा कोई व्यय वाउचर उपलब्ध नही कराया गया।

अतः ग्राम पंचायत शुकुलपुर के वर्ष 2019-2020 में आहरित की गई धनराशि रू 49500.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव वित्त एवं लेखा मैन्युअल अध्याय 8 की धारा 8(क) के तहत खाता प्रथम से आहरित धनराशि 49500.00 को पूर्णतः अपहरण मानते हुये तत्कालीन सचिव श्रीमती नेहा शर्मा एवं प्रधान श्रीमती आशिया बानों से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 47- ग्राम पंचायत- महम्दापुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- सण्डवा चन्द्रिका**

ग्राम पंचायत महम्दापुर के वर्ष 2019-20 के कोषबही के अनुसार दिनांक 23.07.2019 को दर्शित 52000.00 की धनराशि पुलिया निर्माण के रूप में उल्लिखित । जब कि ऐसा कोई व्यय वाउचर उपलब्ध नही कराया गया।

अतः ग्राम पंचायत महम्दापुर के वर्ष 2019-2020 में आहरित की गई धनराशि रू 52000.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतएव वित्त एवं लेखा मैन्युअल अध्याय 8 की धारा 8(क) के तहत खाता प्रथम से आहरित धनराशि 52000.00 को पूर्णतः अपहरण मानते हुये तत्कालीन सचिव श्रीमती स्नेहा लता शर्मा एवं प्रधान श्रीमती कंचन मिश्रां से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर 48- ग्राम पंचायत- उदयपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-सांगीपुर**

ग्राम पंचायत उदयपुर के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष आहरित की गई धनराशि रू0 1622600.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धित काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत उदयपुर के वर्ष 2019-2020 में आहरित की गई धनराशि रू 1622600.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव श्री मनोज सिंह एवं प्रधान श्रीमती शान्तिं व टी0ए0 ए0पी0ओ0, तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं रोजगार सेवक से पूरी रकम की सामान अनुपात में धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 49- ग्राम पंचायत- मंगापुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- सांगीपुर**

ग्राम पंचायत मंगापुर के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष आहरित की गई धनराशि रू0 4881473.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धित काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत मंगापुर के वर्ष 2019-2020 में आहरित की गई धनराशि रू 4881473.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव श्री मनोज सिंह एवं प्रधान श्रीमती सीतापति व टी0ए0 ए0पी0ओ0, तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं रोजगार सेवक से पूरी रकम की सामान अनुपात में धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 50- ग्राम पंचायत- मुरैनी (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- सांगीपुर**

ग्राम पंचायत मुरैनी के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष आहरित की गई धनराशि रू0 5933657.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धित काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

अतः ग्राम पंचायत मुरैनी के वर्ष 2019-2020 में आहरित की गई धनराशि रू 5933657.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव श्री समरजीत भारती एवं प्रधान श्रीमती कमला व टी0ए0 ए0पी0ओ0, तत्कालीन बी0डी0ओ0 एवं रोजगार सेवक से पूरी रकम की सामान अनुपात में धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 51- ग्राम पंचायत- विनैका (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-आसपुर देवसरा**

ग्राम पंचायत विनैका के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट के अलावा काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये अतएव वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए अपहरण की श्रेणी में रखा जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत विनैका के खाता प्रथम 1657708.00 की धनराशि व्यय की गई जिसके सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः धारा 256 के तहत तत्कालीन सचिव श्री आलोक यादव एवं ग्राम प्रधान रामचन्द्र से 1657708.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

**प्रस्तर 52- ग्राम पंचायत- सपहाछात (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- आसपुर देवसरा**

ग्राम पंचायत सपहाछात के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट के अलावा काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये अतएव वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए अपहरण की श्रेणी में रखा जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत सपहाछात के खाता प्रथम 2189168.00 की धनराशि व्यय की गई जिसके सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः धारा 256 के तहत तत्कालीन सचिव श्री संजय शुक्ल एवं ग्राम प्रधान श्रीमती विजया देवी से 2189168.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

**प्रस्तर 53- ग्राम पंचायत- महुली (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- आसपुर देवसरा**

ग्राम पंचायत महुली के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट के अलावा काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये अतएव वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए अपहरण की श्रेणी में रखा जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत महुली के खाता प्रथम 2045312.00 की धनराशि व्यय की गई जिसके सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः धारा 256 के तहत तत्कालीन सचिव श्री शशिकान्त सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मन्जू देवी से 2045312.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

**प्रस्तर 54- ग्राम पंचायत- सेतापुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- आसपुर देवसरा**

ग्राम पंचायत सेतापुर के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट के अलावा काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये अतएव वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए अपहरण की श्रेणी में रखा जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत सेतापुर के खाता प्रथम 841510.00 की धनराशि व्यय की गई जिसके सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः धारा 256 के तहत तत्कालीन सचिव श्री शशिकान्त सोनकर एवं ग्राम प्रधान श्री सुरेशचन्द्र से 841510.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

**प्रस्तर 55- ग्राम पंचायत- उमरडीहा (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- आसपुर देवसरा**

ग्राम पंचायत उमरडीहा के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट के अलावा काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये अतएव वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए अपहरण की श्रेणी में रखा जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत उमरडीहा के खाता प्रथम 793355.00 की धनराशि व्यय की गई जिसके सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः धारा 256 के तहत तत्कालीन सचिव श्री राम अनुग्रह एवं ग्राम प्रधान श्री शिवराम से 793355.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

**प्रस्तर 56- ग्राम पंचायत- मेंहदिया (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- पट्टी**

ग्राम पंचायत मेंहदिया के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट के अलावा काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये अतएव वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए अपहरण की श्रेणी में रखा जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत मेंहदिया के खाता प्रथम 151327.00 की धनराशि व्यय की गई जिसके सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट के अलावा कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः धारा 256 के तहत तत्कालीन सचिव श्री राजू भारतीय एवं ग्राम प्रधान श्री रबिन्द्र मौर्य से 151327.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

**प्रस्तर 57- ग्राम पंचायत- कोहरॉव (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- पट्टी**

ग्राम पंचायत कोहरॉव के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान बैंक स्टेटमेंट के अलावा काई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये अतएव वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध मंे कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए अपहरण की श्रेणी में रखा जाएगा।

अतः ग्राम पंचायत कोहरॉव के खाता प्रथम 9000.00 की धनराशि व्यय की गई जिसके सापेक्ष बैंक स्टेटमेंट के मस्टर रोल उपलब्ध नहीं कराया जा सका। अतएव ऑडिट आनलाइन के नियम 210 और 204 के तहत आपत्ति की गयी है। अतः धारा 256 के तहत तत्कालीन सचिव श्री प्रद्युम्न कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री राजबली यादव से 9000.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है साथ ही साथ डी0पी0आर0ओ0 द्वारा आई0पी0सी0 की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

**प्रस्तर 58- ग्राम पंचायत- बेलहा (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लालगंज**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। गा्रम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 3555281.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान बेवी सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव कौशलेन्द्र शुक्ला से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 59- ग्राम पंचायत- बभनपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लालगंज**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। गा्रम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 1140321.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान रघुवीर एवं ग्राम पंचायत सचिव सूर्य प्रकाश पाण्डेय से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 60- ग्राम पंचायत- पूरेरूप (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- लालगंज**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। गा्रम पंचायत द्वारा

वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 660713.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान शिवराम एवं ग्राम पंचायत सचिव प्रवीण शुक्ला से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 61 - ग्राम पंचायत- पूरेवंशी (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लालगंज**

-
ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ारम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 354477.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान जगमोहन एवं ग्राम पंचायत सचिव राजेश तिवारी से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 62- ग्राम पंचायत- भोजपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लालगंज**

-
ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ारम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 851505.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान रेखा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव राजेश तिवारी से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 63- ग्राम पंचायत- कैथोला (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लालागंज**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ारम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 1793116.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान ब्रम्हजीत एवं ग्राम पंचायत सचिव राजेश तिवारी से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 64- ग्राम पंचायत- गहिरी (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ारम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 1502409.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान कृष्ण प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री दीपेन्द्र सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 65- ग्राम पंचायत- तिना (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ारम पंचायत द्वारा

वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 2023150.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान गिरिजा शंकर एवं ग्राम पंचायत सचिव दीपेन्द्र सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 66- ग्राम पंचायत- हण्डौर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर**

-
ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ाम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 2574619.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान मनोज ंिसह एवं ग्राम पंचायत सचिव दीपेन्द्र सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 67- ग्राम पंचायत- इटौरी (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर**

-
ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ाम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 464090.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान वृज किशोर मिश्र एवं ग्राम पंचायत सचिव अक्षय प्रताप सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 68 ग्राम पंचायत- बहलोलपुर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-लक्ष्मणपुर**

-
ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ाम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 2065246.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव दीपेन्द्र सिंह से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 69 ग्राम पंचायत-फूलपुर रामा (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-बिहार**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ाम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 373144.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान उमा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव लक्ष्मी नारायण तिवारी से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 70 ग्राम पंचायत- समसपुर दामू (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-बिहार**

ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली की जाएगी। ग्ाम पंचायत द्वारा

वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 602294.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक  माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन  में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान मायाराम एवं ग्राम पंचायत सचिव संतोष पाण्डेय से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली  की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 71 ग्राम पंचायत- छतार    (वर्ष – 2019-20)                                                   विकास खण्ड-बिहार**

-

ग्राम पंचायत में वित्त  एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली  की जाएगी। ग्ा्रम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 635305.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक  माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन  में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान गणेशचन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव संतोष पाण्डेय से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली  की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 72 ग्राम पंचायत- महराजपुर     (वर्ष – 2019-20)                                                   विकास खण्ड-बिहार**

-

ग्राम पंचायत में वित्त  एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली  की जाएगी। ग्ा्रम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 965667.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक  माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन  में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव राजकुमार मिश्रा से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली  की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 73 ग्राम पंचायत- बारौ   (वर्ष – 2019-20)                                                   विकास खण्ड-बिहार**

ग्राम पंचायत में वित्त  एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8-क के अनुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है को आहरित की गयी धनराशि को गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से ब्याज सहित वसूली  की जाएगी। ग्ा्रम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्राप्त धनराशि से रू0 3321711.00 व्यय कियागया। व्यय के सापेक्ष अभिलेख जैसे स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक, आगणक  माप पुस्तिकाएं वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन, कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाये गये।
वित्तीय नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आहरित धनराशि के समर्थन  में व्यय सम्बन्धी अभिलेख जैसे- स्वीकृत कार्ययोजना, कैश बुक आगणक , माप पुस्तिकाए, वाउचर, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, कोटेशन कार्यपूर्ति एवं अन्य पत्रावलियां आदि ग्राम पंचायत के पास नही पाया जाना अपहरण की श्रेणी में आता है।
अतः अपहरण में ग्राम पंचायत प्रधान आशा देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव राजकुमार मिश्रा से क्रमशः आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली  की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 74 ग्राम पंचायत- बहोरिकपुर  (वर्ष – 2019-20)                                                   विकास खण्ड- बाबागंज**

ग्राम पंचायत बहोरिकपुर विकास खण्ड- बाबागंज जनपद-प्रतापगढ के वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी  धनराशि 1702054.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त  एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर  उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली  की जाएगी।

इस प्रकार ग्राम पंचायत बहोरिकपुर के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू 1702054.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक प्रकाश कौलिक  एवं प्रधान श्री लाल जी से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली  की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 75 ग्राम पंचायत- चौरंग   (वर्ष – 2019-20)                                                   विकास खण्ड- बाबागंज**

ग्राम पंचायत चौरंग विकास खण्ड- बाबागंज जनपद-प्रतापगढ के वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी  धनराशि 1379061.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त  एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर  उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली  की जाएगी।

इस प्रकार ग्राम पंचायत चौरंग के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू 1379061.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक प्रकाश कौलिक  एवं प्रधान श्री अरविन्द से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 76 ग्राम पंचायत- रायगढ   (वर्ष – 2019-20)                                                   विकास खण्ड- बाबागंज**

ग्राम पंचायत रायगढ विकास खण्ड- बाबागंज जनपद-प्रतापगढ के वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी धनराशि 2966615.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

इस प्रकार ग्राम पंचायत रायगढ के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू 2966615.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक प्रकाश कौलिक एवं प्रधान श्री मती माधुरी देवी से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 77 ग्राम पंचायत- बदगवां (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-बाबागंज**

ग्राम पंचायत बदगवां विकास खण्ड- बाबागंज जनपद-प्रतापगढ के वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी धनराशि 1064001.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

इस प्रकार ग्राम पंचायत बदगवां के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू 1064001.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विवेक प्रकाश कौलिक एवं प्रधान श्री रमेश कुमार से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 78 ग्राम पंचायत- गोगहर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-बाबागंज**

ग्राम पंचायत गोगहर वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा कोषबही प्रथम के की गई। कोषबही के अनुसार व्यय का विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र0सं0 | दिनांक | वाउचर सं0 | कार्य का विवरण | व्यय की गयी धनराशि रू0 में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2019 | अज्ञात | हैण्डपम्प हेतु भुगतान | 36800.00 |
| 2 | 02.08.2019 | अज्ञात | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान | 10000.00 |
| 3 | 28.02.2020 | अज्ञात | रेवरी पक्की सड़क से बाबूलाल के खेत तक खण्डजा निर्माण हेतु ओम इण्टर प्राइजेज ह्यूम पाइप का भुगतान | 23940.00 |
| 4 | 28.02.2020 | अज्ञात | मुन्ना पाल के घर रामफल पाल के घर तक खण्डजा निर्माण हेतु ओम इण्टर प्राइजेज ह्यूम पाइप का भुगतान | 4289.00 |
| 5 | 28.02.2020 | अज्ञात | श्रीकृण्णा के घर भाई चारा के घर तक खण्डजा निर्माण हेतु ओम इण्टर प्राइजेज ह्यूम पाइप क्रय का भुगतान | 5719.00 |
| 6 | 28.02.2020 | अज्ञात | रेवरी पक्की सड़क से बाबूलाल के खेत तक खण्डजा निर्माण हेतु ईंट 17400 नग ग् 5355 महादेव ईंट उद्योग को भुगतान | 93177.00 |
| 7 | 28.02.2020 | अज्ञात | श्रीकृष्णा के घर भाई चारा के घर तक खण्डजा निर्माण हेतु ईंट 14500 नग ग् 5355 महादेव ईंट उद्योग को भुगतान | 77645.00 |
| 8 | 28.02.2020 | अज्ञात | मुन्ना पाल के घर रामफल पाल के घर तक खण्डजा निर्माण हेतु ईंट 13000 नग ग् 5355 महादेव ईंट उद्योग को भुगतान | 69615.00 |
| 9 | 28.02.2020 | अज्ञात | बैजनाथ सरोज के घर से नन्हे सरोज के घर तक खण्डजा निर्माण हेतु ईंट 5600 नग 5355 महादेव ईंट उद्योग को भुगतान | 29988.00 |
| 10 | तिथि रहित | अज्ञात | महादेव ईंट उद्योग को भुगतान | 167186.00 |
| 11 | तिथि रहित | अज्ञात | महादेव ईंट उद्योग को भुगतान | 167359.00 |
| | | | योग | 685718.00 |

कोषबही प्रथम की लेखा परीक्षा में पाया गया कि कराये गए कार्यो में दिए गए श्रमांश का विवरण अंकित नही है हैण्डपम्प मरम्मत कर किये गए व्यय में स्थलीय विवरण का अभाव है जो गंभीर आपत्ति है

इस प्रकार कोषबही प्रथम से कुल रू 685718.00 कराये गये कार्यो पर व्यय किया गया है। आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्मलिखित अभिलेखा प्रस्तुत नहीं किय गया है।

1. कराये गए कार्यों की मापन पुस्तिका (एम0बी0)
2. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र
3. व्यय प्रमाणक
4. मस्टर रोल आदि

अतः ज्येष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) में विहित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत गोगहर द्वारा व्यय की गयी धनराशि रू 685718.00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान-श्रीमती गीता देवी एवं ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री विवेक प्रकाश कौलिक से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर 79 ग्राम पंचायत- हालामई (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- मानधाता**

ग्राम पंचायत हालामई विकास खण्ड- मान्धाता जनपद-प्रतापगढ के वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी धनराशि 660661.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

इस प्रकार ग्राम पंचायत हालामई के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू 660661.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राशिद हनफी एवं प्रधान श्री सन्त कुमार से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 80 ग्राम पंचायत- नूरपूर (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- मानधाता**

ग्राम पंचायत नूरपूर विकास खण्ड- मान्धाता जनपद-प्रतापगढ के वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी धनराशि 1179878.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

इस प्रकार ग्राम पंचायत नूरपूर के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू 1179878.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राशिद हनफी एवं प्रधान श्री लल्लन से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 81 ग्राम पंचायत- बजहा (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड- मानधाता**

ग्राम पंचायत बजहा विकास खण्ड- मान्धाता जनपद-प्रतापगढ के वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी धनराशि 82700.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

इस प्रकार ग्राम पंचायत बजहा के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू 82700.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राशिद हनफी एवं प्रधान श्री मती नजमा से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर 82 ग्राम पंचायत- मझिगवां (वर्ष – 2019-20) विकास खण्ड-मानधाता**

ग्राम पंचायत मझिगवां विकास खण्ड- मान्धाता जनपद-प्रतापगढ के वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी धनराशि 604997.00 के सापेक्ष व्यय प्रमाणक से सम्बन्धी कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो आहरित की गई धनराशि का गबन मानते हुए ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूली की जाएगी।

इस प्रकार ग्राम पंचायत मझिगवां के वर्ष 2019-20 में आहरित की गई धनराशि रू 604997.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राशिद हनफी एवं प्रधान श्री राम सुन्दर से पूरी रकम की आधी-आधी धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

# प्रारूप–4 – **ग्राम पंचायते**

# जनपद -प्रयागराज

# <u>आपत्तियों का विवरण</u>

विकास खंड- कौड़िहार ग्राम सभा – बुदौना

प्रस्तर -01

आलोच्य वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में कैश बुक एवं स्टेटमेंट के अनुसार कुल रुपया- 1651116-00 का आहरण किया गया जिसमें रुपया 384 बैंक प्रभार शामिल है बैंक प्रभार के अतिरिक्त कुल भुगतान रुपया 1650732 विभिन्न फर्मों एवं भिन्न-भिन्न कार्यों हेतु किया गया है परंतु किसी भी कार्य के लिए क्रय सामग्री के वाउचर एवं मजदूरी भुगतान के मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराए गए हैं मजदूरी के समस्त भुगतान रोहित शुक्ला को किए गए हैं मानदेय प्रधान रुपया 93000 में रुपया 38500 आलोच्य वर्ष के लिए तथा रुपया 54500 विगत वर्ष के लिए भुगतान है विगत वर्ष की कोष वही एवं मानदेय पंजिका के अभाव में संपूर्ण धनराशि अपुष्ट रही आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में किसी भी कार्य के लिए कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में ग्राम पंचायत में कराए गए कार्यों के प्रस्ताव एवं एवं अनुमोदन की स्थिति अज्ञात रही है अतः वाउचर एवं मस्टरोल विहीन समस्त धनराशि से रुपए 1650732 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री उमाशंकर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दहाड़ी मौर्या से बराबर बराबर भाग में की जानी अपेक्षित है **समस्त** राशि का विवरण निम्न वत है।

| क्रय सामग्री | भुगतान | मजदूरी का विवरण |
|---|---|---|
| 198796 | 104482 | हैंडपंप रिबोर कार्य |
| 271473 | 48300 | प्राथमिक विद्यालय / पूर्व माध्यमिक विद्यालय शौचालय रनिंग वाटर समर्सिबल आदि |
| 1242 23 | 33450 | नाली निर्माण कार्य |
| 88 454 | 17850 | पुलिया निर्माण का |
| 1052 50 | 20650 | इंटरलॉकिंग प्राथमिक विद्यालय नारीवाद |
| 7000 | 3000 | गोपाल जी एंड ब्रदर्स आंगनवाड़ी केंद्र पुताई |
| 197100 | 0 | शिवांश इंटरप्राइजेज 9 नग सोलर लाइट |
| 18 6215 | 0 | शिवांश इंटरप्राइजेज 28 नग स्ट्रीट लाइट |
| 12 2000 | 0 | नारायण कंस्ट्रक्शन 10 नग कूड़ा दान |
| 14550 | 0 | पेंटिंग कार प्राथमिक विद्यालय बुदौना में ए0 के0 कंस्ट्रक्शन द्वारा |
| 5000 | 0 | दर वाजा आदि। |
| 93000 | 0 | मानदेय आलोच्य वर्ष रुपए 38500 एवं 54500 विगत वर्ष |

5939 0 ट्राली मरम्मत टेंडर डोंगल आदि

**1419000** **23 1732** = 1650732-00 (सोलह लाख पचास हजार सात सो बतीस मात्र )

**विकासखंड कौड़िहार ग्रामसभा- बुदौना**

**आपत्तियों का विस्तृत विवरण**

**प्रस्तर -02**

आलोच्य वर्ष 19-20 मे माह अप्रैल 19 से जुलाई 19 तक कुल रुपया- 129102-00 बैंक खाते से आहरित किया गया है। संबंधित कोष वही लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही । माह अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 तक ई0 ग्राम स्वराज फील्डिंग भी शून्य दर्शित रही। आहरित धनराशि रुपया- 129102-00 से संबंधित वाउचर मास्टर रोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः आधारित धनराशि बिना कोशबही मे व्यय विवरण दर्ज किए ही अपहरण कर ली गई है। उल्लेखनीय है कि कराए गए कार्यों से संबंधित प्रस्ताव एवं अनुमोदन कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में ज्ञात नहीं किया जा सका। संबंधित कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र भी अप्राप्त रहा। अतः रुपया- 129102-00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री दहाड़ी मौर्य एवं प्रधान श्री उमाशंकर से बराबर बराबर भाग में ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है समस्त धन राशि का विवरण निम्न वत है।

| दिनांक | चेक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 02-04- 2019 | 100 | 35250-00 | नारायण कंस्ट्रक्शन 09-7-2019 |
| | 103 | 10262-00 | रोहित शुक्ला |
| 09-7-2019 | 104 | 7190-00 | मनीष नारायण शुक्ला |
| 09-7-2019 | 102 | 3500-00 | रोहित शुक्ला |
| 26-07-2019 | 105 | 35000-00 | शिव हार्डवेयर |
| 26-07-2019 | 101 | 399900-00 | गोमती ब्रिक्स |
| | **योग** | **129102-00** | |

**( रुपया- एक लाख उनतीस हजार एक सो दो मात्र)**

**प्रस्तर - 03**

बैंक खाते से माह फरवरी 2020 एवं मार्च 2020 में कुल रुपया- 874365-00 आहरित किया गया है, सामग्री मद में रुपया- 685555-00 एवं मजदूरी मद में रुपया- 182910-00 तथा प्रशासनिक मद में रुपया- 5902-00 व्यय किया गया है। जो कैश बुक के अनुसार है। परंतु कैश बुक में व्यय विवरण के अनुसार कोई भी वाउचर एवं मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही संबंधित कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोक्ता प्रमाण पत्र तथा कार्यवाही पुस्तिका ही प्रस्तुत रही। जिससे यह ज्ञात हो सके कि कार्य संपन्न हो चुके हैं। अतः वाउचर एवं मस्टर रोल भी धनराशि रुपया- 874365-0000 की वसूली प्रधान श्री उमाशंकर एवं सचिव आरती पांडे से ब्याज सहित अपेक्षित है विवरण निम्न प्रकार है ।

1. खड़ंजा निर्माण सामग्री मजदूरी सहित रुपया- 334922-00
2. इंटरलॉकिंग कार्य रू00- 415694 -00
3. कूप मरम्मत कार्य रू0- 117849-00
4. प्रशासनिक मद रू0 – 5900-0000

योग- 874365-00 ( रूपया – आठ लाख चौहत्तर हजार तीन सो पैसठ मात्र )

कुल रूपया- 1003467-00 ( रूपया- दस लाख तीन हजार चार सौ सरसठ मात्र)

विकास खंड- कौड़िहार ग्राम सभा- मलाक हरहर उपरहार

**प्रस्तर -04**

ग्राम पंचायत मलाक हरहर उपरहार कि वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 18-10-2019 को चेक संख्या 369 से रुपया- 54600-00 का आहरण किया गया है, स्टेटमेंट में व्यक्ति/ फार्म के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, मात्र कुंडा पी आर 02/ 6986 कुंडा ही दर्ज है। उक्त धनराशि का अंकन का सही में आय पक्ष में नहीं दर्ज करके अपहरण कर लिया गया है संबंधित की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती अनीता उपाध्याय एवं सचिव आरती पांडे से किया जाना अपेक्षित है।

विकास खंड कौड़िहार ग्रामसभा-  फूलपुर उर्फ जगापुर

प्रस्तर  - 05

ग्राम पंचायत फूलपुर उर्फ जगापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में बैंक प्रभार रुपया 82.60  के अतिरिक्त कुल रू0- 1550198 किया गया है जिसके लिए लेखा परीक्षा में कोष वहीं नहीं प्रस्तुत की गई और ना ही संबंधित वाउचर फाइल ही लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराई गई, अतः वाउचर बिहीन एवं कैश बुक बिहीन  समस्त धन राशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री बलराम एवं सचिव श्रीमती पूनम शर्मा से  बराबर बराबर किया जाना  अपेक्षित है। यह भी उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष की समस्त धनराशि लक्ष्मी ट्रेडर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन विनीत कुमार लक्ष्मी ट्रेडर्स एक ही फर्म के भुगतान की गई है वह विवरण संक्षेप  में इस प्रकार हैं-

| | |
|---|---|
| चेक से भुगतान समस्त  धनराशि लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन रुपया- | 558033.00 |
| चेक से भुगतान विनीत कुमार लक्ष्मी ट्रेडर्स रुपया- | 130438.00 |
| चेक से भुगतान सुनील कुमार लक्ष्मी ट्रेडर्स रुपया- | 10000.00 |
| खाता संख्या 15250100033096 में ट्रांसफर रुपया- | 52000.00 |
| पी एफ एम एस द्वारा भुगतान लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन रुपया- | 644559.00 |
| पी एफ एम एस द्वारा भुगतान विनीत कुमार रुपया- | 151752.00 |
| पी एफ एम एस द्वारा भुगतान आर0 आर0  एसोसिएट  रुपया- | 3416.00 |
| कुल रुपया- | 1550198.00 |

विकास खंड कौड़िहार                ग्राम सभा-  ताजपुर उर्फ भीखनपुर

**प्रस्तर  - 06**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में बैंक खाते से आहरित  धनराशि को कैश बुक में दर्ज तो किया गया है परंतु संबंधित कोई भी वाउचर  एवं मस्टरोल लेखा परीक्षा मे  प्रस्तुत नहीं किया गया है और ना ही कराए गए कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किए गए कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में  एवं अनुमोदन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी अतः वाउचर एवं मस्टररोल विहीन समस्त धनराशि रुपया 300060.00  की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी चाहिए कैश बुक में दर्ज विवरण निम्न वत है

| | |
|---|---|
| प्राथमिक विद्यालय बाउंड्री वाल रुपया- | 48872 |
| हैंडपंप रिबोर रुपया- | 68788 |
| पुलिया निर्माण रुपया- | 75000.00 |
| खरंजा निर्माण रुपया- | 90000.00 |
| मानदेय प्रधान  रुपया- | 17500.00 |
| **योग-** | **300060.00** |

**प्रस्तर-07**

आलोच्य वर्ष 2019-20 की कैश बुक में मां अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 तक दर्ज व्यय  विवरण से संबंधित कोई भी वाउचर  मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया संबंधित कार्य के पूर्ण  होने संबंधित कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र एवं उपभोक्ता मांग पत्र सक्षम अधिकारी से प्रमाणित लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किया गया कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में कराए गए कार्यों के अनुमोदन एवं प्रस्ताव की जानकारी नहीं हो सकी अतः वाउचर विहीन धनराशि की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से की जानी अपेक्षित है कैश बुक में दर्ज में विवरण निम्न प्रकार हैं

| | |
|---|---|
| पूर्व माध्यमिक विद्यालय ताजपुर में इंटरलॉकिंग रुपया- | 202500.00.00 |
| खड़ंजा निर्माण क्रेशर रोड से प्रेमचंद के घर तक रुपया- | 98502.00 |
| बैनर प्रशासनिक मद रुपया- | 4000.00 |
| मानदेय प्रधान जून 2019 से अक्टूबर 2019 तक रुपया- | 17500.00 |
| **योग -** | **322502.00** |

विकास खंड कौड़िहार ग्रामसभा-  उठगी

प्रस्तर  - 08

ग्राम पंचायत  उठगी कि वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में बैंक स्टेटमेंट के अनुसार माह नवंबर 2019 से मार्च 2020 तक कुल रुपया- 837675.00आहरण किया गया है।  जिसमें 35.40 बैंक प्रभार है इस प्रकार रुपया- 837640.00 में 717192.00 अमोल डेवलपमेंट तथा रुपया- 120448.00  प्रधान द्वारा स्वयं आहरित किया गया है परंतु आहरण से संबंधित वाउचर एवं मस्टरोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा संबंधित कोष वही भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराई गई है उक्त  धनराशि से संबंधित कराए गए कार्यों की कार्य पूर्ति उपभोग प्रमाण पत्र तथा कार्यों के अनुमोदन एवं प्रस्ताव आदि की कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में जानकारी नहीं की जा सके अतः धनराशि रुपया- 837640.00  अपहरण कर ली गई है जिसके लिए प्रधान एवं सचिव बराबर बराबर भाग के लिए ब्याज सहित उत्तरदाई हैं प्रिया सॉफ्टवेयर ई ग्राम स्वराज के अनुसार व्यय विवरण निम्न प्रकार हैं।

| दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|
| 28 नवंबर 2019 | 85000 | कूड़ा दान अमूल डेवलपमेंट |
| 17  दिसंबर 2019 | 29600 | पशु आश्रय में चारा मशीन अमोल डेवलपमेंट |
| 17 दिसंबर 2019 | 39500 | पशु आश्रय में चारा मशीन अमोल डेवलपमेंट |
| 17 दिसंबर 2019 | 95732 | चार हैंडपंप रिबोर |

| | | |
|---|---|---|
| 26 दिसंबर 2019 | 43800 | पशु सेठ में सोलर लाइट डेवलपमेंट |
| 1 जनवरी 2020 | 10000 | प्रशासनिक व्यय |
| 1 जनवरी 2020 | 16400 | पशु शेड में सामग्री का भुगतान अमोल डेवलपमेंट |
| 14 जनवरी 2020 | 29600 | हैंडपंप मरम्मत अमूल डेवलपमेंट |
| 14 जनवरी 2020 | 23933 | हैंडपंप मरम्मत अमूल डेवलपमेंट |
| 14 जनवरी 2020 | 23933 | हैंडपंप रिबोर अमूल डेवलपमेंट |
| 14 जनवरी 2020 | 29600 | हैंडपंप रिबोर मजदूरी अमोल अमोल डेवलपमेंट |
| 18 जनवरी 2020 | 200094 | प्राथमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग अमोल डेवलपमेंट |
| 18 जनवरी 2020 | 44114 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय में इंटरलॉकिंग कार्य श्री राकेश प्रधान |
| 1 फरवरी 2020 | 38500 | मानदेय प्रधान |
| 13 मार्च 2020 | 29834 | राकेश प्रधान |
| 18 मार्च 2020 | 90000 | प्राथमिक इंटर इंटरलॉकिंग अमोल डेवलपमेंट |
| 19 मार्च 2020 | 8000 | श्री राकेश प्रधान |
| **कुल योग** | **837640.00.00** | |

विकास खंड कौड़िहार ग्रामसभा- सम्हई

**प्रस्तर - 09**

ग्राम पंचायत सम्हई की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में मात्र कैश बुक एवं बैंक स्टेटमेंट ही प्रस्तुत किया गया। आलोच्य वर्ष कुल प्राप्त अनुदान रुपया- 3680926-00 के सापेक्ष कुल रुपया- 3192607.00 किया गया है, जिसमें रुपया-295.00 बैंक प्रभार भी शामिल है। बैंक प्रभार के अतिरिक्त ₹- 3192312.00 होता है, जिसमें प्रधान का मानदेय रुपया- 42000.00 एवं 3416.00 डोंगल एवं 2454.00 विज्ञापन का कुल रुपया-43870.00 है तथा सामग्री एवं श्रमांश पर क्रमश रुपया-2557709.00 एवं रुपया- 586733.00 कुल योग रुपया- 13044442.00 किया गया है सामग्री की धनराशि धनराशियों विभिन्न फर्मो के माध्यम से भुगतान की गई है जबकि श्रामश की धनराशि रुपया- 397270.00 स्वयं प्रधान द्वारा आहरित की गई है एवं रुपया-189463.00 अन्य व्यक्तियों द्वारा भुगतान अकाउंट पेई चेक के माध्यम से किया गया है परंतु लेखा परीक्षा में कोई भी वाउचर एवं मस्टरोल प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः प्रधान द्वारा मजदूरी के धरना स्वयं आरित करना नियम विरुद्ध कार्य करना है एवं वाउचर तथा मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया है कि आ जाना धन के अपहरण की स्थिति के मजबूती प्रदान करता है अतः धन की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर बराबर आपेक्षित है जिस का विवरण निम्न प्रकार से है।

सामग्री

| | |
|---|---|
| नारायण कंस्ट्रक्शन बजहा रुपया- | 1210130.00 |
| जय शिव इंटरप्राइजेज रुपया- | 587748.00 |
| संजय सर्जरी ब्रिक फील्ड रुपया- | 217986.00 |
| सुभाष मशीनरी स्टोर्स रुपया- | 119187.00 |
| प्रिंस इंटरलॉकिंग रुपया- | 104672.00 |
| कुशल इंटरप्राइजेज रुपया- | 98031.0000 |
| शिवांश इंटरप्राइजेज रुपया- | 66469.00 |
| जय मां शारदा ब्रिक्स रुपया- | 62895.00 |
| मां वैष्णो मार्बल रुपया- | 44849.00 |

हैंडपंप रिबोर मटेरियल हेतु खाता संख्या 10250 5000 010 057 में ट्रांसफर रुपया- 45742.00

रुपया- 2557709.00

प्रधान द्वारा स्वयं आहरित मजदूरी रुपया- 397270.00

अन्य माध्यम से आहरित मजदूरी रुपया- 189463.00

मानदेय विज्ञापन एवं डोंगल भुगतान रुपया- 47870.00

**योग रुपया- 3192312.00**

विकास खण्ड कौड़िहार ग्राम सभा- मधेशा

**प्रस्तर - 10**

ग्राम पंचायत मधेशा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक एवं व प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष में बैंक प्रभार 64.90 के अतिरिक्त कुल रुपया- 799159.00 किया गया है अतः वाउचर विहीन एवं बिना कैश बुक विवरण के समस्त धन की ब्याज सहित वसूली प्रधान एवं सचिव से बराबर और भाग में की जानी अपेक्षित है कि ग्राम स्वराज एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार आराधना शिव की फीडींग भिन्न-2 पाई गई हैं स्टेटमेंट बैंक के अनुसार विवरण निम्न वत है।

| | |
|---|---|
| प्रधान श्री जगजीवन द्वारा आहरित रुपया- | 26000.00 |
| शिव हार्डवेयर हार्डवेयर एवं शिवकुमार रुपया- | 162014.00 |
| मिशन रायपुर रुपया- | 194175.00 |
| गुलजार अली रुपया- | 4800.00 |
| रोहित मशीनरी स्टोर रुपया- | 8350.00 |
| रवि इन्टर परिजेज रुपया- | 3000.00 |
| पी0 एफ0 एम 0 यस 0 का भुगतान रुपया | 400820.00 |

**कुल रुपया- 799159.00**

विकासखंड कौड़िहार ग्रामसभा- कूढा

**प्रस्तर - 11**

ग्राम पंचायतकूढा कि वर्ष 2019 20 की लेखा परीक्षा में कैश बुक माह जुलाई 19 तक प्रस्तुत की गई अगस्त 2019 से 31-3-20 तक बैंक प्रभार रुपया- 53. 10 के अतिरिक्त रुपया-542307-00 किया गया है जिसकी पुष्टि कैश बुक में नहीं की गई है तथा संबंधित व प्रमाणित भी लेखा परीक्षा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं अतः बिना व्यय प्रमाणक एवं बिना को सही में आए दर्ज किए ही धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी प्रधान एवं सचिव से बराबर भाग में ब्याज सहित वसूल किया जाना आपेक्षित है कि की ग्राम पंचायत सुराज के संज्ञान से मजदूरी की समस्त धनराशि ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं किया गया है जो नियम विरुद्ध है जिस का विवरण निम्न वत है।

| | |
|---|---|
| लक्ष्मी इंजीनियरिंग एंटरप्राइजेज रुपया- | 230970.00 |
| अमोल डेवलपमेंट रुपया- | 21000.000 |
| रोहित मशीनरी स्टोर रुपया- | 12000.00 |
| प्रधान श्रीमती शालिनी सिंह रुपया- | 152234.00 |
| विनीत कुमार पांडे रुपया- | 126103.00 |
| **कुल योग-** | **542307.00** |

विकासखंड -कौड़िहार ग्रामसभा- पबनाह

**प्रस्तर - 12**

बैंक स्टेटमेंट के अनुसार माह अप्रैल 2019 एवं जुलाई 2019 तथा सितंबर 2019 में बैंक खाते से विभिन्न चेकों के माध्यम से प्रधान द्वारा स्वयं एवं फ़र्मों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करके बिना कुछ वही बनाए तथा बिना व प्रमाण प्रस्तुत किए ही धन का अपहरण कर लिया गया है जिसकी प्रधान एवं सचिव से बराबर भाग ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है विवरण निम्न वत है।

| दिनांक | चेकसंख्या | धनराशि | विवरण भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|
| 11 अप्रैल 2019 | 91 | 1990 | पांडे इंटरप्राइजेज |
| 3 जुलाई 2019 | 121 | 14000 | प्रधान श्री कालूराम मौर्या |
| 16 जुलाई 2019 | 124 | 3000 | प्रधान श्री कालूराम मौर्य |
| 16 जुलाई 2019 | 123 | 2500 | प्रधानकल्लू राम मौर्य |
| 30 जुलाई 2019 | 122 | 10500 | रोहित मशीनरी स्टोर |
| 18 सितंबर 2009 | 125 | 2500 | प्रधान श्री कालूराम मौर्य |

**कुल योग- 60490 .00**

लेखा परीक्षा वर्ष – 2019–20 विकास खंड :– मऊ आइमा

ग्रामपंचायत – अबरपुर सरायदीना

5. प्रस्तर -13 आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के अनुसारधनराशियों का आहरणगौशाला निर्माण हेतु आहरित किया गया है ---

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2019 | गौशाला में चरही निर्माण | 66808.00 |
| 2 | 24.03.2020 | पक्की सड़क से गोशाला तक खणनजा निर्माण | 166778.00 |
| 3 | 18.06.2019 | गोशाला में कैटल शेड का निर्माण | 197048.00 |
| 4 | 10.07.2019 | गौशाला के चारों तरफ खाई एवं गेट निर्माण | 119464.00 |
| 5 | 12.07.2019 | गोशाला में भूसा घर एवं गोपालक घर का निर्माण | 35534.00 |
| 6 | 24.07.2019 | गोशाला में हैन्ड पंप एवं सबमेरसेबल की व्ययस्था | 32890.00 |
| 7 | 18.06.2019 | गोशाला में स्ट्रीट एवं सोलर लाइट | 87800.00 |
| 8 | 16.08.2019 | गोशाला में दो शेड का निर्माण | 182516.00 |
| | | | 888838.00 |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल वाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के

अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 888838.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती श्रेया देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री द्वारिका प्रसाद पटेल से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - कटरा दयारम लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20

विकास खंड - मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -14- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा दिनांक 21-03-2020 को रु.42000.00 एवं रु 27800.00 कुल रु. 69800.00का व्यय किया गया है | यह किस कार्य हेतु किया गया का उल्लेख अभिलेखों में नहीं किया गया जिस कारण भुगतान फर्जी पाया गया | व्यय से सम्बन्धित , कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 69800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीराजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री कौशल कुमारसे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 15- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की रु.161950.00 हैंडपंपरिबोर के लिए भुगतान किया गया है | भुगतान से सम्बन्धित स्थापना रजिस्टर, कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 161950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री कौशल कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 16- आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया प्राथमिक विद्यालय सुंदरी कारण के नाम पर रु. 198985.00 व्यय किया गया है | उक्त सुंदरी कारण में क्या कार्य कराया गया का विवरण अप्राप्त रहा एवं किसी भी प्रकार से उक्त की पुष्टि नहीं करायी गई जिससे कार्य होना संदिग्ध रहा, एवं भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न होने के कारण धनराशि रू. 198985.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री कौशल कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत का नाम - देवगलपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20

विकास खंड - मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -17

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि केवला देवी के घर से मोहन लाल के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण में रु. 310702.00 का व्यय किया गया है एवं एक अलग कार्य पक्की सड़क से मोहन लाल के घर तक इंटरलाकिंग निर्माण में रु.311030.00 का व्यय किया गया है| दोनों कार्य एक ही है जब की दो कार्यों के लिए कुल रु. 621472.00 भुगतान किया गया है क्यों की दोनों कार्यों से संबंधित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए जिससे कार्यों की अलग-अलग पुष्टि नहीं की जा सकी |कार्य एवं भुगतानसे सम्बन्धित , कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर संबंधित को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण

धनराशि रू. 621472.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री शंकर लाल एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीविनोद कुमार भारती से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

विकास खंड - मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

ग्राम पंचायत का नाम - इस्माइलपुर लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20

प्रस्तर -18

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा रु. 1013746.00 का व्यय किया गया है |परंतु व्यय से सम्बन्धित कैशबुक , बैंक पास बुक /स्टैट्मेन्ट, कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 1013746.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम ग्राम प्रधान श्री शिव पूजन एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारीश्रीमती सविता यादवसे किया जाना अपेक्षित है।

विकास खंड - मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

ग्राम पंचायत का नाम -पुरखीपुर

लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20

प्रस्तर-19

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा सोख्ता गड्ढा निर्माण हेतु रु.30200.00 का व्यय किया गया है |परंतु व्यय से सम्बन्धित , कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 30200.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारीश्रीमती सविता यादवसे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 20

निम्न लिखित धनराशियाँअनियमित रूप से आहरण की गई है -

| क्र. | दिनांक | चेकसंख्या | आहरित धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-04-2019 | 270851 | 25025.00 | कैशबुक एवं प्रिया सॉफ्ट में दर्शित नहीं |
| 2 | 09-08-2019 | 270863 | 30000.00 | कैशबुक एवं प्रिया सॉफ्ट में दर्शित नहीं |
| 3 | 03-08-2019 | 270858 | 20000.00 | बिना कार्य के भुगतान किया गया |
| 4 | 16-03-2020 | पी एफ एम एस | 21294.00 | बिना कार्य के भुगतान किया गया |
| 5 | 26-07-2019 | 270857 | 10000.00 | उक्त सर्वेश शुक्ला के नाम से बियरर चेक से भुगतान किया गया है जब की कैश बुक में कमाल सएकिलस्टोर को भुगतान दर्शाया |
| | | | 106319.00 | |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया उपरोक्त रु 106319.00 के सापेक्ष कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, प्रथम दो भूकतान को कैशबुक एवं प्रिया सॉफ्ट में भी दर्शित नहीं किया गया जिससे कार्य होना संदिग्ध रहा, एवं भुगतान से सम्बन्धित

कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 106319.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारीश्रीमती सविता यादवसे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 21

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की 13-12-2019 को डसटविन क्रय हेतु रु 105000.00 का एवं प्लास्टिक संग्रह केंद्र हेतु 17-12-2019 को 27800.00 काकुल रु 132800.00 व्यय किया गया हाँ जिसे बालाजी कंस्टरक्सन को भुगतान दर्शाया गया है | उपरोक्त रु 132800.00 के सापेक्ष सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 132800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कौशल्या देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारीश्रीमती सविता यादव से किया जाना अपेक्षित है।

विकास खंड - मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

नाम संस्था -सिसवाँ

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर-22

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की रु.144000.00 दिनांक 23-3-2020 को हैंडपंपरिबोर के लिए भुगतान किया गया है | भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 144000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र पाल से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-23

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की निम्न लिखित धनराशियाँको निम्न विवरण के अनुसार आहरण किया गया है जो आलोच्य वर्ष के कैश बुक एवं प्रिया सॉफ़्ट में दर्शित नहीं है-

| क्र. | दिनांक | चेक संख्या | आहरित धनराशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-8-2019 | 015221 | 23430 | कैश बुक एवं प्रिया सॉफ़्ट में दर्शित नहीं है |
| 2 | 7-8-2019 | 015222 | 18920 | कैश बुक एवं प्रिया सॉफ़्ट में दर्शित नहीं है |
| | | | 42350 | |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया उपरोक्त रु 42350.00 का भुगतानकिया गया है परंतु किस कार्य के लिए किया गया है ,कैश बुक एवं प्रिया सॉफ़्ट में दर्शित नहीं है अतः बिना कार्य के भुगतान कर धनराशि का अपहरण कर लिया गया है । पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 42350.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधानश्री विजय कुमारएवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वीरेंद्रपाल से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था -विशानी उर्फ शिकोहाबाद लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर-24

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा रु.323192.00 का व्यय किया गया है |परंतु व्यय से सम्बन्धित कैशबुक , बैंक पास बुक /स्टैट्मेन्ट, कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 323192.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आशीष मिश्राएवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारीश्री कौशल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

कार्यो का विवरण निम्न प्रकार है -

| क्र. | दिनांक | कराए गए कार्य का विवरण | धनराशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| | 7-6-2019 | कमलेश के घर से विनोद के घर तक इन्टरलॉकिंगमटेरियाल | 150173.00 | |
| | 7-6-2019 | कमलेश के घर से विनोद के घर तक मजदूरी | 33154.00 | |
| | 20-6-2019 | अन्य व्यय | 7000.00 | कार्य का विवरण नहीं दिया गया |
| | 19-03-2020 | हैंडपंप मरम्मत | 28200.00 | |
| | 21-03-2020 | अन्य व्यय | 34865.00 | कार्य का विवरण नहीं दिया गया |
| | 28-03-2020 | प्लास्टिक संग्रह केंद्र | 27800.00 | |
| | 28-03-2020 | अन्य व्यय | 42000.00 | कार्य का विवरण नहीं दिया गया |
| | | | 323192.00 | |

नाम संस्था - धरौता लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर-25

पंचायतराज अनुभाग के के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13-06-2018 एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट/सोलर लाइट, मरम्मत/खरीद पर रु। 184950.00 दिनांक 31-03-2020 कोव्यय दर्षित है। व्यय प्रमाणको पर लाईट से सम्बन्धित पूर्ण विवरण इस्टीमेट के अनुसार अंकित किया अपेक्षित है । पत्रावली में इनकी स्थापना से सम्बन्धित सूची प्राप्त नही रही। इनसे सम्बन्धितफोटोग्राफउपलब्ध नहीं रहा । राज्य वित्त/चौदहवां वित्त की गाइड लाइन्स के अनुरूप सार्वजनिक स्थानों पर ही इनकी स्थापना की गयी है अथवा नहींअज्ञात रहा । लाइटों की फोटो के साथ पूरा विवरण अंकित किया जाना तथा उसे ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। परंतु इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के

अनुसार  व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 184950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तीजाएवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरदेव पटेलसे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-26

आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के अनुसारआहरितधनराशियों के सापेक्ष को अभिलख लेखा परीक्षा में पस्तुत नहीं किया गया---

| क्र. | दिनांक | कार्य का विवरण | सन्निहित धनराशि | अन्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-01-2020 | राज बहादुर के घर से राम बहादुर के घर तक इंटरलाकिन्ग | 185113.00 | श्री हरदेव पटेल |
| 2 | 31-03-2020 | पक्की सड़क से मौर्या बस्ती तक खड़ंजा | 189830.00 | श्री हरदेव पटेल |
| 3 | 27-06-2019 | ए.एन.एम. सेंटर से बस्ती तक खड़ंजारिपेयर | 223475.00 | श्री भूपेन्द्र सिंह |
| | | | 598418.00 | |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल वाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों/एजेंसी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार  व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 598418.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तीजाएवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री हरदेव पटेल एवं श्री भूपेन्द्र सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था - ददौली　　　　लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -मऊआईमा　　　　जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -27

पंचायतराज अनुभाग के के शासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13-06-2018 एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट/सोलर लाइट, मरम्मत/खरीद पर रु। 87800.00 दिनांक 31-03-2020 कोव्यय दर्षित है। व्यय प्रमाणको पर लाईट से सम्बन्धित पूर्ण विवरण इस्टीमेट के अनुसार अंकित किया अपेक्षित है । पत्रावली में इनकी स्थापना से सम्बन्धित सूची प्राप्त नही रही। इनसे सम्बन्धितफोटोग्राफउपलब्ध नहीं रहा । राज्य वित्त/चौदहवां  वित्त की गाइड लाइन्स के अनुरूप सार्वजनिक स्थानों पर ही इनकी स्थापना की गयी है अथवा नहींअज्ञात रहा । लाइटों की फोटो के साथ पूरा विवरण अंकित किया जाना तथा उसे ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। परंतु इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार  व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 87800.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीराजेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शरद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर-28

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की रु. 96000.00 हैन्डपंपरिबोर में व्यय दर्शित किया गया है पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या 51 / 2017 / 2011 / 33 - 3 - 2017 / 46 / 2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार हैंडपंप रिबोर की अलग-अलग वर्क आईडी जनरेट कर कार्य किया जाना था परंतु ऐसा ना कर एक ही वर्क आईडी में समस्त रिबोर का कार्य किया गया है भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत

नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 96000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीराजेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शरद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -29

आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के अनुसारधनराशियों का आहरणगौशाला निर्माण हेतु आहरित किया गया है ---

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17.06.2019 | गोशाला में कैटल शेड का निर्माण | 41500.00 |
| 2 | 18.10.2019 | गोशाला में भूसा घर एवं गोपालक घर का निर्माण | 22050.00 |
| 3 | 01.04.2019 | गोशालामेंहैन्डपंपकीस्थापना | 42470.00 |
| | | | 106120.00 |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल वाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 106120.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीराजेन्द्र कुमार एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शरद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था - कठवर परवेजपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -30

पंचायतराज अनुभाग के केशासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13-06-2018 एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न तिथियोंदिनांक 19-06-2019, को रु. 87000.00, दिनांक 29-06-2019,को रु. 87000.00, दिनांक 10-07-2019,को रु. 87000.00, में सोलर लाइट, खरीद पर कुल रु. 263400.00 व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।सोलरलाईट से सम्बन्धित पूर्ण विवरण इस्टीमेट के अनुसार अंकित किया अपेक्षित है । पत्रावली में इनकी स्थापना से सम्बन्धित सूची प्राप्त नही रही। इनसे सम्बन्धितफोटोग्राफउपलब्ध नहीं रहा । राज्य वित्त/चौदहवां वित्त की गाइड लाइन्स के अनुरूप सार्वजनिक स्थानों पर ही इनकी स्थापना की गयी है अथवा नहींअज्ञात रहा । लाइटों की फोटो के साथ पूरा विवरण अंकित किया जाना तथा उसे ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। परंतु इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 263400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमातीपुष्पादेवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शरद कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -31

आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के अनुसारधनराशियों का आहरण किया गया है परंतु व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , मात्र दो तिथियों में धनराशि के आहरण का कारण प्रधान एवं सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ---

| क्र. | दिनांक | व्यय का विवरण | सन्निहित धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 27.03.2020 | पक्की सड़क से शंभू के घर तक खड़ंजा मरम्मत पर व्यय | 81158.00 |
| 2 | 27.03.2020 | पक्की सड़क से शंभू के घर तक खड़ंजा मजदूरी पर व्यय | 21196.00 |
| 3 | 27.03.2020 | पक्की सड़क से किशोरी यादव के घर तक इंटरलॉकिंगपर व्यय | 77893.00 |
| 4 | 27.03.2020 | पक्की सड़क से किशोरी यादव के घर तक इंटरलॉकिंगमजदूरी पर व्यय | 14728.00 |
| 5 | 27.03.2020 | पक्की सड़क से जीतलाल यादव के घर तक इंटरलॉकिंगपर व्यय | 74829.00 |
| 6 | 27.03.2020 | पक्की सड़क से जीतलाल यादव के घर तक इंटरलॉकिंगमजदूरी पर व्यय | 14026.00 |
| 7 | 27.03.2020 | हैन्डपंप मरम्मत पर व्यय | 90000.00 |
| 8 | 27.03.2020 | प्राथमिक विद्यालय शौचालय मरम्मत सामग्री पर व्यय | 61921.00 |
| 9 | 27.03.2020 | प्राथमिक विद्यालय शौचालय मरम्मतमजदूरी पर व्यय | 11000.00 |
| 10 | 30.03.2020 | जूनियर स्कूल बाउंड्री निर्माण सामग्री पर व्यय | 194673.00 |
| 11 | 30.03.2020 | जूनियर स्कूल बाउंड्री निर्माण मजदूरी पर व्यय | 54326.00 |
| 12 | 30.03.2020 | प्लास्टिक संग्रह केंद्र | 21800.00 |
| 13 | 30.03.2020 | अन्य व्यय | 25000.00 |
| | | योग | 742550.00 |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही जा सकी । धनराशि रू.742550.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शरद कुमार एवं श्री विनोद कुमार भारतीसे किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था - पसियापुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -32

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 28-6-2019 एवं 4-7-2019 को रु. 139000.00 हैन्डपंपरिबोर में व्यय दर्शित किया गया है पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या 51 / 2017 / 2011 / 33 - 3 - 2017 / 46 / 2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार हैंडपंपरिबोर की अलग-अलग वर्क आईडी जनरेट कर कार्य किया जाना था परंतु ऐसा ना कर एक ही वर्क आईडी में समस्त रिबोर का कार्य किया गया है भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही जा सकी । धनराशि रू. 139000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी मग्घे सरोज से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -33 आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के अनुसारधनराशियों का आहरण किया गया है परंतु व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा , मात्र एक तिथि में धनराशि के आहरण का कारण प्रधान एवं सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ---

| क्र. | दिनांक | व्यय का विवरण | सन्निहित धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.03.2020 | भारत के कूप से धोबियाँ बस्ती तक इंटरलॉकिंगपर व्यय | 161000.00 |
| 2 | 19.03.2020 | भारत के कूप से धोबियाँ बस्ती तकइंटरलॉकिंगपर व्यय | 36300.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | 19.03.2020 | पक्की सड़क से जग्गूके घर तक इंटरलॉकिंगपर व्यय | 161000.00 |
| 4 | 19.03.2020 | पक्की सड़क से जग्गूके घर तक इंटरलॉकिंगपर व्यय | 36300.00 |
| 5 | 19.03.2020 | पक्की सड़क से अस्तनरायनके घर तक इंटरलॉकिंगपर व्यय | 161000.00 |
| 6 | 19.03.2020 | पक्की सड़क से अस्तनरायनके घर तक इंटरलॉकिंगपर व्यय | 36300.00 |
| 7 | 19.03.2020 | रमाशंकर के घर से हरिओमके घर तक इंटरलॉकिंगपर व्यय | 161000.00 |
| 8 | 19.03.2020 | रमाशंकर के घर से हरिओमके घर तक इंटरलॉकिंगपर व्यय | 36300.00 |
| | | | 789200.00 |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू.789200.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहितग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी मग्घे सरोज से किया जाना
अपेक्षित है ।

नाम संस्था - रतनसेनपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर- 34 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08-08-2019 को रु. 115000.00 हैन्डपंपरिबोर में व्यय दर्शित किया गया है पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या 51 / 2017 / 2011 / 33 - 3 - 2017 / 46 / 2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार हैंडपंपरिबोर की अलग-अलग वर्क आईडी जनरेट कर कार्य किया जाना था परंतु ऐसा ना कर एक ही वर्क आईडी में समस्त रिबोर का कार्य किया गया है भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 115000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र कुमार एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती बंदना पटेल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 35

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 08-08-2019 डस्टबिन क्रय हेतु रु. 72500.00+72500.00कुल रु. 145000.00 का आहरण किया गया है, परंतु व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया एवं उक्त डस्टबिन के उपयोग का विवरण रखे जाने जगह डस्टबिन की संख्या आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, खरीद से संबंधित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू.145000.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहितग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र कुमार एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती बंदनापटेलसे ब्याज सहित किया जानाअपेक्षित है ।

नाम संस्था - सरायदीना लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -36

आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के अनुसारधनराशियों का आहरण किया गया है परंतु व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा -

| क्र. | दिनांक | व्यय का विवरण | सन्निहित धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.03.2020 | पंचायत भवन बॉउन्ड्रीवाल निर्माण सामग्री | 139656.00 |
| 2 | 26.03.2020 | पंचायत भवन बॉउन्ड्रीवाल निर्माण मजदूरी | 39600.00 |
| | | | 179256.00 |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू.179256.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमाती गीता सरोज एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री द्वारिका प्रसाद पटेल से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -37

पंचायतराज अनुभाग के केशासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13-06-2018 एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न तिथियोंदिनांक 16-07-2019, को रु. 108750.00, दिनांक 17-07-2019,को रु. 87800.00, में सोलर लाइट, खरीद पर कुल रु. 196550.00व्यय दर्शित है। व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।सोलरलाईट से सम्बन्धित पूर्ण विवरण इस्टीमेट के अनुसार अंकित किया अपेक्षित है । पत्रावली में इनकी स्थापना से सम्बन्धित सूची प्राप्त नही रही। इनसे सम्बन्धितफोटोग्राफउपलब्ध नहीं रहा । राज्य वित्त/चौदहवां वित्त की गाइड लाइन्स के अनुरूप सार्वजनिक स्थानों पर ही इनकी स्थापना की गयी है अथवा नहींअज्ञात रहा । लाइटों की फोटो के साथ पूरा विवरण अंकित किया जाना तथा उसे ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। परंतु इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 196550.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमातीगीता सरोज एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री द्वारिका प्रसाद पटेल से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था - सराय बादशाह कुली लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर-38

आलोच्य वर्ष मे निम्न लिखित धनराशियों का आहरण कर अपहरण किया गया-

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 10-04-2019 से दिनांक 04-07-2019 तक कुल रु.1530839.00 का व्यय किया गया है | व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। मौखिक रूप से यह अवगत कराया गया की यह धनराशि विगत वर्ष के मार्च 2019 का भुगतान है जो माह अप्रैल 2019 मे चेकों का क्लेयरेन्स हुआ है जो तर्कसंगत नहीं पाया गया क्यों की भुगतान प्राप्त व्यक्ति की कोई पहचान प्रस्तुत नही किया गया । सम्बन्धित व्यक्तियों को किस कार्य हेतु भुगतान किया गया है अज्ञात रहा। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्तियों की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी । व्ययों से टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 1530839.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री वीरेंद्रपाल से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था - मोहम्मदपुर सराय आली लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -39

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 12-07-2019 को रु. 248000.00 हैन्डपंपरिबोर में व्यय दर्शित किया गया है पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या 51 / 2017 / 2011 / 33 - 3 - 2017 / 46 / 2015 दिनांक 19 जून

2017 के अनुसार हैंडपंपरिबोर की अलग-अलग वर्क आईडी जनरेट कर कार्य किया जाना था परंतु ऐसा ना कर एक ही वर्क आईडी में समस्त रिबोर का कार्य किया गया है भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार  व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 248000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लियाकत आली  एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंहसे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -40

आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के अनुसारधनराशियों का आहरण किया गया है परंतु व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा -

| क्र. | दिनांक | व्यय का विवरण | सन्निहित धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 05-04-2019 | श्री केशव प्रसाद को भुगतान -----कार्य अज्ञात | 171000.00 |
| 2 | 05-04-2019 | श्री केशव प्रसाद को भुगतान -----कार्य अज्ञात | 227000.00 |
| | | | 398000.00 |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गयाएवं उक्त धनराशि का उल्लेख कैशबुक में नहीं किया गया । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार  व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 398000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लियाकत आली  एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंहसे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -41

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 12-07-2019 राजेन्द्र के घर से हनुमान मंदिर तक इंटरलॉकिंग हेतु रु. 172000.00 का आहरण किया गया है परंतु व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया एवं उक्त कार्य में किसी प्रकार की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं हुई, तथा भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार  व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 172000.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहितग्राम प्रधान श्री लियाकत आली  एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंहसे किया जानाअपेक्षित है ।

नाम संस्था - टी.टी. अबदालपुर      लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -मऊआईमा        जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -42

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु. 40000.00 का आहरण प्रसाशनिक व्यय के रूप में एवं रु 54924.00का आहरण कितचेनशेड निर्माण हेतु किया गया है परंतु व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं हुई, तथा भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया

एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी ।कुल धनराशि रू.94924.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहितग्रामप्रधानश्रीमतीसुषमा एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती बन्दना पटेल से किया जाना अपेक्षित है ।

प्रस्तर -43

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी भराई हेतु रु. 158770.00 का आहरण किया गया है परंतु व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं हुई, तथा भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू.158770.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहितग्राम प्रधान श्रीमतीसुषमा एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती बन्दना पटेलसे किया जानाअपेक्षित है ।

प्रस्तर -44

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 01-05-2019 को रु. 106735.00 हैन्डपंपरिबोर में व्यय दर्शित किया गया है पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या 51 / 2017 / 2011 / 33 - 3 - 2017 / 46 / 2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार हैंडपंपरिबोर की अलग-अलग वर्क आईडी जनरेट कर कार्य किया जाना था परंतु ऐसा ना कर एक ही वर्क आईडी में समस्त रिबोर का कार्य किया गया है भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 106735.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमतीसुषमा एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्रीमती बन्दना पटेलसे किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था - पिलखुआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -45

पंचायतराज अनुभाग के केशासनादेश संख्या 51/2018/1701/33-3-2018-40/2018 दिनांक 13-06-2018 एवं अतिरिक्त ऊर्जा विभाग के शासनादेश संख्या 33/2017/977/45-वि/2017 दिनांक 29 अगस्त 2017 के अनुसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा विभिन्न तिथियों दिनांक 03-08-2019, को रु. 43900.00, दिनांक 16-07-2019, को रु. 197550.00, दिनांक 18-07-2019,को रु. 87500.00, में सोलर लाइट, खरीद पर कुल रु. 328950.00व्यय दर्षित है। व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहा ।सोलरलाईट से सम्बन्धित पूर्ण विवरण इस्टीमेट के अनुसार अंकित किया अपेक्षित है । पत्रावली में इनकी स्थापना से सम्बन्धित सूची प्राप्त नही रही। इनसे सम्बन्धितफोटोग्राफउपलब्ध नहीं रहा । राज्य वित्त/चौदहवां वित्त की गाइड लाइन्स के अनुरूप सार्वजनिक स्थानों पर ही इनकी स्थापना की गयी है अथवा नहींअज्ञात रहा । लाइटों की फोटो के साथ पूरा विवरण अंकित किया जाना तथा उसे ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य है। परंतु इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के

अनुसार  व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 328950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमातीबरइन देवीएवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कौशल कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -46

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में निम्न विवरण के अनुसार हैन्डपंपरिबोर में व्यय दर्शित किया गया है-

| क्रमांक | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 11.04.2019 | 34000 |
| 2 | 29.06.2019 | 34000 |
| 3 | 01.08.2019 | 98850 |
| 4 | 01.08.2019 | 32560 |
| 5 | 21.03.2020 | 32900 |
| | कुल योग | 232310 |

पंचायत राज विभाग के शासनादेश संख्या 51 / 2017 / 2011 / 33 - 3 - 2017 / 46 / 2015 दिनांक 19 जून 2017 के अनुसार हैंडपंपरिबोर की अलग-अलग वर्क आईडी जनरेट कर कार्य किया जाना था परंतु ऐसा ना कर एक ही वर्क आईडी में समस्त रिबोर का कार्य किया गया है, किन-किन स्थानों पर रेबोरे कराया गया का विवरण उपलब्ध नहीं रहा भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार  व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू. 232310.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमातीबरइन देवीएवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कौशल कुमारसे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -47

आलोच्य वर्ष मे निम्न विवरण के अनुसारधनराशियों का आहरण किया गया है परंतु व्यय से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा -

| क्र. | दिनांक | व्यय का विवरण | सन्निहित धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.04.2019 | प्रहमीक पाठशाला सराय लालू में बाउंड्री निर्माण | 248000.00 |
| 2 | 05-04-2019 | प्लास्टिक संग्रह केंद्र | 41700.00 |
| 3 | 30.05.2019 | तालाब खुदाइ एवं समतलिकरण | 43500.00 |
| 4 | 02.08.2019 | मटीरीअलपर्चेज (कार्य अज्ञात) | 195000.00 |
| 5 | 05.08.2019 | मटीरीअलपर्चेज (कार्य अज्ञात) | 89200.00 |
| | | योग | 617400.00 |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त व्ययों से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गयाएवं उक्त धनराशि का उल्लेख कैशबुक में नहीं किया गया । भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार  व्यय की पुष्टि नही की जा सकी । धनराशि रू.617400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमातीबरइन देवी  एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कौशल कुमारसे किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -48

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रु. 52000.00 का आहरण प्रसाशनिक व्यय के रूप में किया गया है परंतुप्रसाशनिक व्यय के रूप में क्या कार्य किया गया , /किन वस्तुओ की खरीद की गई अज्ञात रहा । व्यय से सम्बन्धित कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे कार्य होने की पुष्टि नहीं हुई, तथा भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान

प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी./टी.टी./आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नही की जा सकी ।कुल धनराशि रू.52000.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज सहितग्रामप्रधानश्रीमातीबरइन देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कौशल कुमारसे किया जानाअपेक्षित है ।

नाम संस्था - सकरामऊ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -मऊआईमा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -49

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा रु.881427.00 का व्यय किया गया है |परंतु व्यय से सम्बन्धित कैशबुक , बैंक पास बुक /स्टैट्मेन्ट, कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विलवाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डरपत्रावली, स्टाकरजिस्टर,परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीकिये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली/अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्धमैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 881427.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमतीकुसुम देवी एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री कौशल कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ई ग्रामस्वराज से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कराए गएकार्यो का विवरण निम्न प्रकार है -

| क्र. | दिनांक | कराए गए कार्य का विवरण | धनराशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-08-2019 | राम सुंदर के घर से भाई लाल के घर तक खड़ंजा निर्माण | 132321 | |
| 2 | 05-08-2019 | ज्ञान चंद के घर से प्राथमिक विद्यालय तक खड़ंजा निर्माण | 197997 | |
| 3 | 15-07-2019 | भजन के खेत से दीना नाथ के घर तक खड़ंजा निर्माण | 143657 | |
| 4 | 04-08-2019 | डस्टबिनक्रय | 72500 | |
| 6 | 30-04-2019 | अन्य व्यय | 19900 | |
| 7 | 10-07-2019 | ह्यूमपाइप क्रय | 11282 | |
| 8 | 20-04-2019 | नन्हे पटेलके घर से पदुमपासी के घर तक खड़ंजा निर्माण | 182707 | |
| 9 | 15-07-2019 | हैंडपंपरिबोर | 82000 | |
| 11 | 15-07-2019 | जग लाल के घर से ब्रिज लाल के घर तक खड़ंजा निर्माण | 39063 | |
| | | योग | **881427** | |

आपत्तियों का विस्तृत विवरण

1-ग्राम पंचायत का नाम - बांकाजलालपुर 2-लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

3-विकास खंड - मऊ आईमा 4-जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर- 50 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया की रु.180000.00 दिनांक 17-3-2020 को श्री केशव प्रसाद को हैंड पंप रिबोर के लिए भुगतान किया गया है | भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल वाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न होने के कारण धनराशि रू. 180000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमेरा एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र पाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 51 निम्न लिखित धनराशियाँ श्री केशव प्रसाद को वियरर चेक के द्वारा भुगतान की गई है -

| क्र. | दिनांक | चेक संख्या | आहरित धनराशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-08-2019 | 014958 | 130094 | नहर की पुलिया से सुंदरी करे पुरवा तक खड़ंजा मरम्मत सामग्री |
| 2 | 07-08-2019 | 014960 | 168441 | रोड से श्याम लाल के घर तक खड़ंजा मरम्मत सामग्री |
| 3 | 07-08-2019 | 014959 | 108415 | बड़का पुरवा रोड से बहराईचा के घर तक खड़ंजा मरम्मत सामग्री |
| | | | 406950.00 | |

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया उपरोक्त रु 406950.00 का भुगतान सामग्री हेतु किया गया है किसी प्रकार की मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है जिससे कार्य होना संदिग्ध रहा, एवं भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल वाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 406950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमेरा एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र पाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर- 52 ग्राम पंचायत की आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 05-08-2019 रु 162500.00 का भुगतान आर्यन इण्टरप्राइज को सोखता गड्ढा निर्माण सामग्री हेतु किया गया है, उक्त में किसी प्रकार की सामग्री का भुगतान नहीं किया गया है | ग्राम पंचायत में किसी भी प्रकार से सोखता गड्ढा निर्माण की पुष्टि नहीं की जा सकी | भुगतान से सम्बन्धित कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल वाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के कारण धनराशि रू. 162500.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुमेरा एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री वीरेंद्र पाल से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

आपत्तियों का विस्तृत विवरण

1- ग्राम पंचायत का नाम - सराय केशों उर्फ बागी

2- लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

3- विकास खंड - मऊ आईमा 4- जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर- 53 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा रु.1050046.00 का व्यय किया गया है | परंतु व्यय से सम्बन्धित कैशबुक , बैंक पास बुक /स्टैट्मेन्ट, कार्य पत्रावली, एस्टीमेट, कार्य स्वीकृति, कार्य प्रस्ताव, कार्य से सम्बन्धित विल वाउचर , मस्टररोल, एम.बी., टेण्डर पत्रावली, स्टाकरजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये गये, जिससे भुगतान प्राप्त व्यक्ति की पहचान एवं व्ययों की पुष्टि नही की जा सकी | टी.डी.एस. की कटौती न कर भुगतान प्राप्त व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुंचाया गया एवं जी.एस.टी. एवं आयकर की राजकीय क्षति पहुचायी गयी। पंचायत राज नियमावली / अधिनियम की धारा 198, 204, 205, 209, 210 एवं नियम 256(1) एवं ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल अध्याय 8 के नियम 7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि न के

कारण धनराशि रू. 1050046.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शहबाज़ बानो एवं ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री कौशल कुमार से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

ई ग्रामस्वराज से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कराए गए कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है -

| क्र. | दिनांक | कराए गए कार्य का विवरण | धनराशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7-6-2019 | प्रसाशनिक व्यय | 39636 | कार्य का विवरण नहीं दिया गया |
| 2 | 23-03-2020 | प्रा. वि. नजरपुर में टाइल्स का कार्य | 57056 | |
| 3 | 20-6-2019 | हैंड पंप रिबोर | 32900 | |
| 4 | 19-03-2020 | हैंड पंप मरम्मत | 15600 | |
| 5 | 08-08-2019 | हैंड पंप मरम्मत | 195300 | |
| 6 | 21-03-2020 | प्लास्टिक संग्रह केंद्र | 55600 | |
| 7 | 28-03-2020 | अन्य व्यय | 42000 | |
| 8 | 23-03-2020 | प्रधान मानदेय | 42000 | |
| 9 | 17-07-2019 | हैंड पंप रिबोर | 16500 | |
| 10 | 23-03-2020 | प्रा. वि. नजरपुर में इंटरलॉकिंग का कार्य | 293441 | |
| 11 | 23-03-2020 | राजाराम के घर से मुन्ना लाल के घर तक इंटरलॉकिंग | 231513 | |
| 12 | | शौचालय मरम्मत | 28500 | |
| | | योग | 1050046 | |

नाम संस्था - यरना लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -बहादुरपुर जनपद - प्रयागराज

ग्राम पंचायत यरना विकासखण्ड-बहादुरपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

प्रस्तर -54

दिनांक 07-07-2019 को रूपया 30000.00 का आहरण प्रधान द्वारा कोषवही में दर्शित है, किन्तु यह धनराशि किस मद पर व्यय किया गया है, इसके बारे में कैशबुक में कोई विवरण नहीं दिया गया है। इसका व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसका व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। व्यय प्रमाणक के अभाव में रूपया 30000.00 को अपहरण मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अरूण यादव से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

प्रस्तर -55

| आ0क्र0स0 | दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 2 | 21-05-2019 | रिबोर बाबादीन कोटेदार के घर के पास | 30000-00 |
| 3 | 24-12-2019 | रिबोर बाबादीन कोटेदार के घर के पास | 32193-00 |
| 4 | 24-12-2019 | रिबोर बाबादीन कोटेदार के घर के पास | 31783-00 |
| | | योग | 93976-00 |

उपर्युक्त हैण्ड पम्प रिबोर से सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जबकि कैशबुक पर लिखे विवरण से स्पष्ट है कि दिनांक 21-05-19 एवं 24-12-2019 को दो बार एक ही रिबोर के नाम पर भुगतान किया गया है, किन्तु रिबोर से सम्बन्धित पत्रावली जैसे हैण्ड पम्प के अनुप्रयोग की सूचना, रिबोर का प्रार्थना-पत्र, तकनीकी निरीक्षण की रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा कार्यपूर्ती से सम्बन्धित प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः इसे अपहरण मानते हुए धनराशि रूपया 93976.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अरूण

यादव से  50:50 के अनुपात में वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(मू0आ0सं0-02)

प्रस्तर -56

| आक्र0स0 | दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 5 | 07-12-2019 | खडन्जा निर्माण सामग्री भूपेन्द्र के मशीन से राम बहादुर के घर तक | 74130-00 |
| 6 | 07-12-2019 | खडन्जा मरम्मत सामग्री टावर से हीरालाल के खेत तक | 78015-00 |
| 7 | 24-12-2019 | खडन्जा निर्माण सामग्री पन्ना लाल के घर से पुदुला के घर तक | 45516-00 |
| 8 | 27-01-2020 | खडन्जा निर्माण सामग्री राजू के घर से बाबादीन के घर तक | 116252-00 |
| | | योग | 313913-00 |

उपर्युक्त विवरण के अनुसार विभिन्न तिथियों पर सामग्री का क्रय किया जाना कोषवही में दर्ज है, किन्तु इन सभी के सापेक्ष वर्ष के दौरान कोई भी मजदूरी खारीज नहीं की गयी है और न ही इसके सापेक्ष कार्य योजना, व्यय प्रमाणक, तकनीकी एवं प्रशासनिकृति, एम0बी0 पुस्तिका, कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अभाव में सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपर्युक्त समस्त धनराशि रूपया 313913.00 को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती राजकुमारी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अरूण यादव से  50:50 के अनुपात में  किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-03

नाम संस्था - सहसों          लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड -बहादुरपुर          जनपद - प्रयागराज

ग्राम पंचायत सहसों विकासखण्ड-बहादुरपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः

प्रस्तर -57

दिनांक 03-03-2020 को हलीम के घर से कलीम के आॅफिस तक इण्टर लाॅकिग एवं भूमिगत नाली का भुगतान रूपया 192250.00 सामग्री हेतु यूनिक इण्टर प्राईजेज एवं रूपया 53280.00 का व्यय मजदूरी पर किया गया किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्य योजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावली, व्यय प्रमाणक एवं चरणबद्व ढंग से फोटो, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त धनराषि (192250.00 + 53280.00) की ब्याज सहित वसूली अपहरण मानते हुए प्रधान श्रीमती ममता गुप्ता एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री राजकुमार सिंह से  50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

प्रस्तर -58

दिनांक 03-03-2020 को प्रेम धोबी के घर के हनीफ मास्टर के घर तक व्यय सामग्री का भुगतान रूपया 295841.00 का यूनिक इण्टर प्राईजेज एवं रूपया  76045.00 का व्यय मजदूरी पर कोषवही में दर्शित है, किन्तु उक्त के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक एवं चरणबद्व फोटोग्राफ, कार्ययोजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावली, कार्यपूती प्रमाण पत्र के अभाव में उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उक्त धनराषि (295841.00 + 76045.00) का अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती ममता गुप्ता एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री राजकुमार सिंह से  50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-02)

नाम संस्था - रामपुर/बलरामपुर    लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड -बहादुरपुर          जनपद - प्रयागराज

ग्राम पंचायत रामपुर/बलरामपुर विकासखण्ड-बहादुरपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

**प्रस्तर -59**

दिनांक 11-04-2019 को चेक संख्या 669971 द्वारा धनराशि रूपया 10000.00 का भुगतान विजय कुमार को स्टेशनरी हेतु किया गया है, किन्तु इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसे फर्जी व्यय मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रमेश चन्द्र केसरवानी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अखिलेश यादव द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

**प्रस्तर -60**

दिनांक 16-04-2019 को पू0मा0वि0 में इण्टर लाॅकिंग पर क्रय सामग्री हेतु रूपया 122716.00 का भुगतान सिंह टेªडिंग कं0 को किया गया है एवं 16-04-2019 को रूपया 18700.00 का भुगतान मजदूरी हेतु श्याम बहादुर को किया गया है, किन्तु इनके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई फोटो चरणबद्व ढंग से प्रस्तुत किया गया। कार्ययोजना, तकनीकि एवं वित्तीय स्वीकृति, व्यय प्रमाणक के अभाव में संबंधित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अतः रूपया 122716.00 + 18700.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रमेश चन्द्र केसरवानी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अखिलेश यादव द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-02)

**प्रस्तर -61**

दिनांक 24-07-2019 को शंकर केसरवानी के घर से शंकरदयाल के घर तक इण्टर लाॅकिंग पर क्रय सामग्री का भुगतान रूपया 70394.00 का किया गया तथा दिनांक 03-08-2019 को मजदूरी का भुगतान रूपया 9100.00 श्री मुकेश केसरवानी को किया गया है, परन्तु इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक एवं चरणबद्व ढंग से फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे काम संदिग्ध प्रतीत होता है। कार्ययोजना, तकनीकि एवं वित्तीय स्वीकृति पुस्तिका एवं व्यय प्रमाणक के अभाव में संबंधित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अतः रूपया 70394.00+9100.00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री रमेश चन्द्र केसरवानी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री अखिलेश यादव द्वारा 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-03)

ग्राम पंचायत डुडुही लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -बहादुरपुर जनपद - प्रयागराज

ग्राम पंचायत डुडुही विकासखण्ड-बहादुरपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

प्रस्तर -62

दिनांक 13-05-2019 को कैमरा क्रय हेतु रूपया 28450.00 का भुगतान मधुर मेहरोत्रा एण्ड कं0 को किया गया, किंतु इसके सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही कैमरा क्रय पर आहरित धनराशि तुलनात्मक रूप में काफी अधिक है। अतः उक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए प्रधान श्री राम मूरत एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्विवेदी से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

प्रस्तर -63

दिनांक 06-06-2019 को हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री रूपया 18240.00 का भुगतान माॅ मसूरियन हार्ड वेयर एवं दिनांक 21-06-2019 को हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री रूपया 18240.00 का भुगतान माॅ मसूरियन हार्ड वेयर को किया गया है, किन्तु आलोच्य वर्ष के दौरान हैण्ड पम्प मजदूरी पर कोई व्यय का भुगतान नहीं किया गया है और न ही कोई व्यय प्रमाणक इसके सापेक्ष प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त व्यय मनगढंत एवं फर्जी प्रतीत होते है। अतः उक्त धनराशि (18240.00+18240.00) की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री राम मूरत एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्विवेदी से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-02)

प्रस्तर -64

| क्र0स0 | दिनांक | कोषवही में दर्ज विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 07—03—2020 | इण्टर लाॅकिग सामग्री पर व्यय चन्द्रिका के घर से केशव के घर तक। | 204971-00 |
| 2 | 07—03—2020 | इण्टर लाॅकिग मजदूरी पर व्यय चन्द्रिका के घर से केशव के घर तक। | 37650-00 |
| 3 | 07—03—2020 | इण्टर लाॅकिग सामग्री पर व्यय केशव के घर से हीरा के घर तक। | 204971-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 07—03—2020 | इण्टर लॉकिंग मजदूरी पर व्यय केशव के घर से हीरा के घर तक। | 37650-00 |
| | | योग | 485242-00 |

उक्त दोनों प्रोजेक्ट के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई व्यय प्रमाणक एवं चरणबद्व फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे उक्त व्यय संदिग्ध प्रतीत होते है। कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पुस्तिका एवं व्यय प्रमाणक के अभाव में उक्त समस्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती है। अतः उक्त धनराशि 485242.00 को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राम मूरत एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्विवेदी से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-03)

नाम संस्था- महेशपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -बहादुरपुर जनपद - प्रयागराज

ग्राम पंचायत महेशपुर विकासखण्ड-बहादुरपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

प्रस्तर -65-

दिनांक 04-04-2019 को खडन्जा मरम्मत मनराम के घर से नन्हे के घर तक सामग्री का भुगतान सिंह टे॰डिग कं0 को रूपया 71400.00 का किया गया है, किन्तु आलोच्य वर्ष में इसके सापेक्ष कोई भी मजदूरी खारिज नहीं की गयी है। अतः सम्बन्धित व्यय अवैध है। इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक, कार्य योजना तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0 पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अभाव में सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः व्यय धनराशि 71400.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्विवेदी से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-01)

प्रस्तर -66

दिनांक 04-04-2019 को ह्यूम पाईप नाली मनराम के घर से नन्हे के घर तक के लिए सामग्री का भुगतान सिंह टे॰डिग कं0 को रूपया 116700.00 का किया गया है, किन्तु आलोच्य वर्ष में इसके सापेक्ष कोई भी मजदूरी व्यय नहीं की गयी है न ही इसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक, कार्य योजना तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, एम0बी0 पुस्तिका आदि प्रस्तुत किया गया है। इसके कारण सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः व्यय धनराशि रूपया 116700.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्विवेदी से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-02)

प्रस्तर -67-

दिनांक 29-05-2019 को रूपया 12500.00 एवं दिनांक 01-07-2019 को रूपया 5000.00 का भुगतान हैण्ड पम्प मजदूरी के रूप में श्री राजेन्द्र को किया गया है, किन्तु आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्प सामग्री पर कोई व्यय नहीं किया गया है और न ही इसके सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त व्यय रूपया (12500.00 + 5000.00) फर्जी एवं मनगढत प्रतीत होता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्विवेदी से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-03)

प्रस्तर -68

| क्रम | दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 17—03—2020 | रिबोर पर व्यय | 31873-00 |
| 2 | 17—03—2020 | रिबोर पर व्यय | 31973-00 |
| 3 | 17—03—2020 | रिबोर पर व्यय | 32073-00 |
| 4 | 18—03—2020 | रिबोर पर व्यय | 32373-00 |
| | | योग | 128292-00 |

उपर्युक्त हैण्ड पम्प रिबोर के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही हैण्ड पम्प किन स्थानों पर रिबोर हुआ इसकी सूची दी गयी। रिबोर से सम्बन्धित पत्रावली जैसे- हैण्ड पम्प के अनुप्रयोग की सूचना, रिबोर का प्रार्थना-पत्र, तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के

कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः उक्त धनराशि रूपया 128292.00 को अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शिव देवी एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्रीमती प्रियंका द्विवेदी से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मू0आ0सं0-04)

नाम संस्था- पहाडपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड -बहादुरपुर जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -69

ग्राम पंचायत पहाडपुर विकास खण्ड- बहादुरपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः-

| क्र0 स0 | उत्तरदायी व्यक्ति | धनराशि | लेखा परीक्षा में निम्नलिखित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहें विवरण निम्नवत् है- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | क्रम | दिनांक | विवरण | धनराशि |
| 01 | श्रीमती शोभा देवी, ग्राम प्रधान एवं श्री अखिलेश यादव, ग्राम विकास अधिकारी | 515869 (रूपये पाॅच लाख पन्द्रह हजार आठ सौ उनहत्तर मात्र।) | 1 | 18-12-19 | रिबोर संतोष इंजी0 स्टोर राम सजीवन के घर के पास | 32178 |
| | | | 2 | 18-12-19 | रिबोर संतोष इंजी0 स्टोर भगेलू के घर के पास | 33278 |
| | | | 3 | 18-12-19 | रिबोर संतोष इंजी0 स्टोर सोहन लाल के घर के पास | 31778 |
| | | | 4 | 18-12-19 | रिबोर संतोष इंजी0 स्टोर राम केदार के घर के पास | 31478 |
| | | | 5 | 18-12-19 | रिबोर संतोष इंजी0 स्टोर धमेन्द्र के घर के पास | 32078 |
| | | | 6 | 18-12-19 | रिबोर संतोष इंजी0 स्टोर बलराम के घर के पास | 32178 |
| | | | 7 | 18-12-19 | रिबोर संतोष इंजी0 स्टोर सुनील के घर के पास | 32278 |
| | | | 8 | 18-12-19 | रिबोर संतोष इंजी0 स्टोर रामबाबू के घर के पास | 31578 |
| | | | 9 | 20-03-20 | 05 नग सोकफिट सामग्री का भुगतान | 105279 |
| | | | 10 | 20-03-20 | 05 नग सोकफिट मजदूरी पर व्यय | 21910 |
| | | | 11 | 06-01-20 | 05 नग स्ट्रीट लाईट क्रय | 23000 |
| | | | 12 | 06-01-20 | 05 नग स्ट्रीट लाईट क्रय | 23000 |
| | | | 13 | 14-08-19 | 07 नग ह्यूम पाईप क्रय | 16856 |
| | | | 14 | 31-12-19 | प्रधान मानदेय (अप्रैल 2018 से नवम्बर 2019 तक, 20 माह का भुगतान) | 70000 |
| | | | योग | | | **515869** |
| | | | (रूपया पाॅच लाख पन्द्रह हजार आठ सौ उनहत्तर मात्र।) | | | |

| क्रम | दिनांक | कोषवही में दर्ज विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18—12.2019 | रिबोर राम सजीवन के घर के पास, संतोष इंजी0 स्टोर | 32178-00 |
| 2 | 18—12.2019 | रिबोर भगेलू के घर के पास, संतोष इंजी0 स्टोर | 32278-00 |
| 3 | 18—12.2019 | रिबोर सोहन लाल के घर के पास, संतोष इंजी0 स्टोर | 31778-00 |
| 4 | 18—12.2019 | रिबोर राम केदार के घर के पास, संतोष इंजी0 स्टोर | 31478-00 |
| 5 | 18—12.2019 | रिबोर धर्मेन्द्र के घर के पास, संतोष इंजी0 स्टोर | 32078-00 |
| 6 | 18—12.2019 | रिबोर बलराम के घर के पास, संतोष इंजी0 स्टोर | 32178-00 |
| 7 | 18—12.2019 | रिबोर सुनील के घर के पास, संतोष इंजी0 स्टोर | 32278-00 |
| 8 | 18—12.2019 | रिबोर रामबाबू के घर के पास, संतोष इंजी0 स्टोर | 31578-00 |
| | | योग | 255824-00 |

उपर्युक्त हैण्ड पम्प रिबोर के सम्बन्ध में कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। रिबोर से सम्बन्धित कोई पत्रावली जैसे- हैण्ड पम्पके अनुपयोग की सूचना, रिबोर का प्रार्थना-पत्र, तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः उक्त समस्त धनराशि (रूपया 255824.00) को अपहरण मानते हुए प्रधान श्रीमती शोभा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेश यादव से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना चाहिए।
**(मूल आपत्ति संख्या-01)**

**प्रस्तर -70**

दिनांक 20-03-2020 को 05 नग सोकफिट पर क्रय सामग्रीका भुगतान रूपया 105279.00 तथा 21910.00 का व्यय मजदूरी पर किया जाना कोषवही में दर्शित है। यह सोकफिट किन स्थलों पर बने है, कोषवही में स्थलवार विवरण दर्ज नहीं है। इससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी जैसे कार्यवाही पंजी, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति पत्रावली, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र आदि। व्यय प्रमाणकों की अनुपस्थिति में आहरित कुल धनराशि (105279.00 + 21910.00) के अपहरण मानते हुए प्रधान श्रीमती शोभा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेश यादव से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
**(मूल आपत्ति संख्या-02)**

**प्रस्तर -71**

दिनांक 06-01-2020 को कुल 10 नग स्ट्रीट लाईट का भुगतान (23000.00+ 23000=46000.00) कोषवही में दर्शित है, किन्तु इसके सम्बन्ध में कोई भी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। व्यय प्रमाणक के अभव में सम्बन्धित व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है न ही ग्राम प्रचायत और उत्तर प्रदेश कार्पोरेशन के मध्य विद्युत कनेक्शन संबंधी पत्रावली प्रस्तुत की गयी। अतः उक्त धनराशि 46000.00 को अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शोभा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेश यादव से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-03)

प्रस्तर -72- दिनांक 14-08-2019 को 07 नग क्रय पाईप पर भुगतान रूपया 16856.00 कोषवही में दर्ज है किन्तु इनको किन स्थानों पर लगाया गया, इसका कोई विवरण कोषवही में दर्ज नहीं है न ही इसके सापेक्ष आलोच्य वर्ष में मजदूरी पर व्यय संबंधी मस्टर रोल प्रस्तुत किया गया। सम्बन्धित कार्य की कोई पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न होने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकती। अतः इसे अपहरण मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली 50:50 के अनुपात में प्रधान श्रीमती शोभा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेश यादव से किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या-04)

प्रस्तर -73- दिनांक 31-12-2019 को रूपया 70000.00 का भुगतान प्रधान मानदेय पर किया गया, किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान मानदेय भुगतान पंलिका प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्षो में दिये गये मानदेय और बकाया मानदेय की पुष्टि नहीं किया जा सका। इस सन्दर्भ में मानदेय दिये जाने में दुहराव की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रूपया 70000.00 का आहरण अवैध है, जिसकी ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती शोभा देवी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अखिलेश यादव से किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या-05)

नाम संस्था- देवरिया लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड -बहादुरपुर जनपद - प्रयागराज

ग्राम पंचायत देवरिया विकासखण्ड-बहादुरपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका विवरण निम्नवत् हैः-

प्रस्तर -74

दिनांक 11-07-2019 एवं 09-07-2019 को क्रमशः अनारो देवी के घर के सामने कूप मरम्मत पर क्रय सामग्री रूपया 39988.00 एवं रूपया 8404.00 का भुगतान मजदूरी पर व्यय कोषवही में दर्शित है, किन्तु उसके सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्यवाही पंजी, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0 पुस्तिका तथा मस्टर रोल के अभाव में सम्बन्धित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः उपर्युक्त धनराशि को अपहरण मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री उदय नारायण एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री बाल कृष्ण पाठक से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-01)

प्रस्तर -75

दिनांक 30-07-2019 को नाली निर्माण मानिक चन्द्र के घर से पक्की सडक तक सामग्री के क्रय का भुगतान श्री इण्टर प्राईजेज को रूपया 65000.00 का किया गया है किन्तु वर्ष के दौरान उसके सापेक्ष कोई भी मजदूरी खारिज नहीं की गयी है। अतः सम्बन्धित व्यय अवैध है और इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक कार्ययोजना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति, एम0बी0 पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस व्यय को अपहरण मानते हुए रूपया 65000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री उदय नारायण एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री बाल कृष्ण पाठक से 50:50 के अनुपात में किया जाना अपेक्षित है।

(मू0आ0सं0-02)

नाम संस्था- सिंधुवार लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - जसरा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -76

ग्राम पंचायत सिंधुवार की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019- 20 के। कोष बही में हैण्डपम्प मरम्मत एवं हैंडपंप रिबोर कार्यों में रुपया 266558.00 व्यय किया गया जो इस प्रकार है।

| दिनांक | रुपया | भुगतानप्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 10/04/2019 | 47500.00 | सामग्री भुगतान अज्ञात को |
| 27/05/2019 | 4200.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| 27/05/2019 | 5000.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| 04/07/2019 | 25000.00 | सामग्री भुगतान अज्ञात को |
| 04/07/2019 | 10200.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| 19/07/2019 | 19073.00 | सामग्री भुगतान अज्ञात को |
| 07/08/2019 | 12000.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| 28/08/2019 | 8000.00 | भुगतान अज्ञात को |
| 09/12/2019 | 31046.00 | सामग्री भुगतान साहिल इंटरप्राइजेज को |
| 09/12/2019 | 13200.00 | मजदूरी भुगतान दुर्गेश कुमार यादव को |
| 24/02/2020 | 5400.00 | मजदूरी भुगतान दुर्गेश कुमार यादव को |
| 07/03/2020 | 23856.00 | सामग्री भुगतान साहिल इंटरप्राइजेज को |
| योग | 204475.00 | |

लेकिन हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में व्यय किए गए इन धनराशि की पुष्टि में एक भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए यथा- हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों की पुष्टि में ग्रामसभा में स्थापित/ स्थानांतरित हैंडपंपों की सूची। मरम्मत कराए गए हैंडपंपों का विवरण। मरम्मत योग्य हैंडपंपों को स्वीकृति, प्रस्ताव संख्या के क्रमांक और दिनांक तथा व्यय स्वीकृत की पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर में। कराए गए हैंडपंपों में प्रयोग सामानों के नाम, संख्या की पुष्टि हेतु हैंडपंप मरम्मत सामग्री स्टाक रजिस्टर , डिस्पोजल सामग्री, स्टाक पंजिका । हैण्डपम्प सामग्री क्रय हुए आमंत्रित कोटेशन / टेंडर पत्रावली। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में व्यय किए गए इन धनराशि रुपया 204475.00रुपए की पुष्टि नहीं होती

हैंडपंप रिबोर कार्य

| | | |
|---|---|---|
| 16/03/2020 | 48547.00 | सामग्री भुगतान साहिल इंटरप्राइजेज को |
| 16/03/2020 | 13536.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **62083.00** | |

इस प्रकार ग्राम पंचायत सिंधुवार में रिबोर संबंधी इन व्यय की पुष्टि  हेतु ग्राम पंचायत की कार्यवाही रजिस्टर, ग्राम सभा की जल प्रबंधन समिति की रिपोर्ट, जेई  एम। की तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट, कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी  Pद  P के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण पत्रावली, रिबोर हेतु आमंत्रित कोटेशन टेंडर पत्रावली त्रिस्तरीय फोटोग्राफ कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, वाउचर एवं मास्टर रोल जैसे महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार हैंडपंप रिबोर कार्य कार्यों में व्यय किए गए इन धनराशि रुपया 62083.00 की पुष्टि नहीं होती ।

इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि रुपया  266558.00व्यय की पुष्टि नहीं होती है
उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर   रुपया  266558.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर -77**

ग्राम पंचायत सिंधुवार के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित डब्ल्यूबीएम कार्यों काविवरण निम्न है

(ए ) सिंधुवार में रामचंद्र यादव के घर से पंच राज के घर तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 01/07/2019 | 142000.00 | सामग्री भुगतान अज्ञात को |
| 01/07/2019 | 20020.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **162020.00** | |

(ब) सिंधुवार के किशोरी यादव के घर से रामचंद्र के घर तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 01/07/2019 | 137000.00 | सामग्री भुगतान अज्ञात को |
| 01/07/2019 | 19292.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **156292.00** | |

(स ) सिंधुवार में लाल जी के घर से नरोत्तम के घर तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 18/12/2019 | 132337.00 | सामग्री भुगतान साहिल इंटरप्राइजेज को |
| 20/12/2019 | 28200.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **160537.00** | |

(द ) सिंधुवार मेंनरोत्तम के घर से भैया लाल यादव के घर तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 18/12/2019 | 69313.00 | सामग्री भुगतान साहिल इंटरप्राइजेज को |
| 20/12/2019 | 12626.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **81939.00.** | |

3.

ग्राम पंचायत सिंधुवार के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित इंटरलॉकिंग कार्यों काविवरण निम्न है

(अ )सिंधुवार में शिव बहादुर के घर से फूलचंद के घर तक  इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 29/07/2019 | 79296.00 | सामग्री भुगतान अज्ञात को |
| 13/08/2019 | 25000.00 | सामग्री भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **104296.00** | |

(ब ) सिंधुवार में शिव बरन यादव के घर से काली रोड तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 20/12/2019 | 146163.00 | सामग्री भुगतान साहिल इंटरप्राइजेज को |
| 20/12/2019 | 22560.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **168723.00** | |

4.

ग्राम पंचायत सिंधुवार के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित नाली निर्माण कार्यों काविवरण निम्न है

(अ )सिंधुवार में काली रोड से श्यामलाल आदि के घर तक ढक्कन दार पक्की नाली का निर्माण कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 12/07/2019 | 30000.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| 12/07/2019 | 100000.00 | सामग्री भुगतान अज्ञात को |
| 13/08/2019 | 55000.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **185000.00** | |

(ब ) सिंधुवार में राम अभिलाष के घर से भोला चमार के घर तक नाली निर्माण कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 08/01/2020 | 174539.00 | सामग्री भुगतान साहिल इंटरप्राइजेज को |
| 08/01/2020 | 21600.00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **196139.00** | |

इस प्रकार उपरोक्त क्रमांक 2,3एवं 4 में कराए गए विभिन्न कार्यों पर रुपया 1214946.00व्यय किया गया लेकिन उपरोक्त  कार्यों से संबंधित एक भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया यथा वाउचर एवं मास्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृत का क्रमांक एवं दिनांक, स्वीकृत कार्य योजना पर, संपत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री स्टाक रजिस्टर, स्टीमेट, एमबी बुक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आमंत्रित कोटेशन टेंडर पत्रावली, निर्माण पूर्व, मध्य निर्माण, कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि।

इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि व्यय की पुष्टि नहीं होती है

उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि  कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर   रुपया एक 1214946.00का अपहरण  तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव  एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया  जिसकी ब्याज  सहित  वसूली  तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव  श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी  तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकांत  से  बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -78

प्रधान मानदेय भुगतान नवंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक रुपया 28000.00 किया गया लेकिन प्रधान मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस मानदेय भुगतान की पुष्टि नहीं होती है  और छह महीने से ज्यादा मानदेय का भुगतान करने के लिए एडीओ पंचायत की पूर्व अनुमति जरूरी है जो की नहीं लिया गया। प्रधान मानदेय रुपया 28000.00 का अनियमित भुगतान किया गया जो कि आपत्तिजनक रहा।

ग्राम पंचायत सिंधुवार के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित निविदा प्रकाशन हेतु भुगतान

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 03/12/19 | 3000.00 | भुगतान ज्ञानेंद्र पाठक को |
| 28/01/2020 | 4200.00 | भुगतान ज्ञानेंद्र पाठक को |

**योग 7200.00**

निविदा प्रकाशन का भुगतान व्यक्ति विशेष ज्ञानेंद्र पाठक को कर अनियमित भुगतान किया गया निविदा प्रकाशन की छाया प्रति भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार निविदा प्रकाशन का अवास्तविक व्यय दर्शा कर धन का अपहरण कर लिया गया । इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि व्यय की पुष्टि नहीं होती है ।

उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया 7200.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -79

ग्राम पंचायत सिंधुवार के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित प्रशासनिक मद हेतु भुगतान

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 23/04/2019 | 19990.00 | भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **19990.00** | |

प्रशासनिक मद में किन कार्यो हेतु किस को भुगतान किया गया यह अज्ञात रहा। इसके संबंध में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रुपया 19990.00 का अवास्तविक प्रशासनिक व्यय दर्शा कर धन का अपहरण कर लिया गया।

उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया 19990.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमाकांत से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

अभिलेख प्राप्त हेतु किए गए पत्राचार का दिनांक

1. 18/12/2020
2. 07/01/2021

नाम सस्था- अमरोहा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - जसरा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -80 ग्राम पंचायत अमरोहा की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019- 20 के। कोष बही में हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में रुपया 1,06,928.00 व्यय किया गया जो इस प्रकार है।

| दिनांक | रुपया | भुगतानप्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 02/07/2019 | 1500.00 | मजदूरी सतीश कुमार को |
| 02/07/2019 | 22919.00 | सामग्री न्यू अंशिका ट्रेडर को |
| 03/07/2019 | 37507.00 | सामग्री प्रियाएसोसिएट्स को |
| 18/07/2019 | 10000.00 | मजदूरी सतीश कुमार को |
| 13/02/2020 | 35000.00 | सामग्री भुगतान अज्ञात को |
| **योग** | **106926.00** | |

लेकिन हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में व्यय किए गए इन धनराशि की पुष्टि में एक भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए यथा- हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों की पुष्टि में ग्रामसभा में स्थापित/ स्थानांतरित हैंडपंपों की सूची। मरम्मत कराए गए हैंडपंपों का विवरण। मरम्मत योग्य हैंडपंपों को स्वीकृति, प्रस्ताव संख्या के क्रमांक और दिनांक तथा व्यय स्वीकृत की पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर में। कराए गए हैंडपंपों में प्रयोग सामानों के नाम, संख्या की पुष्टि हेतु हैंडपंप मरम्मत सामग्री स्टाक रजिस्टर , डिस्पोजल सामग्री, स्टाक पंजिका । हैण्डपम्प सामग्री क्रय हुए आमंत्रित कोटेशन / टेंडर पत्रावली। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में व्यय किए गए इन धनराशि रुपया 1,06,928रुपए की पुष्टि नहीं होती

इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि रुपया 106926.00 व्यय की पुष्टि नहीं होती है

उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया 106926.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव मिश्रा एवं श्री राजेंद्र मौर्य तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा बेगम से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -81

ग्राम पंचायत अमरोहा के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित डब्ल्यूबीएम कार्यो काविवरण निम्न है

6. अमरोहा में पक्की पुलिया से मुख्य मार्ग दयाराम शुक्ला के ट्यूबवेल तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 02/07/2019 | 40040.00 | मजदूरी भुगतान |
| 02/07/2019 | 150000.00 | सामग्री भुगतान न्यू अंशिका ट्रेडर को |
| 02/07/2019 | 28835.00 | सामग्री भुगतान न्यू अंशिका ट्रेडर को |
| **योग** | **218875.00** | |

7. अमरोहा के अशोक कुमार सिंह. के खेत से दयाराम शुक्ला के ट्यूबवेल तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 02/07/2019 | 100000.00 | सामग्री भुगतान न्यू अंशिका ट्रेडर को |
| 02/07/2019 | 77682.00 | सामग्री भुगतान न्यू अंशिका ट्रेडर को |
| 03/07/2019 | 40040.00 | मजदूरी भुगतान |
| **योग** | **217722.00** | |

3. अमरोहा में सुकुल राम मौर्या के खेत से रेलवे लाइन तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 03/07/2019 | 50453.00 | सामग्री प्रियाएसोसिएट्स को |
| 31/07/2019 | 10920.00 | मजदूरी भुगतान |
| **योग** | **61373.00** | |

8. छोटा पाल के घर से चिनिया बादाम के घर तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 07/02/2020 | 4000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07/02/2020 | 4000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07/02/2020 | 6400.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07/02/2020 | 6400.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07/02/2020 | 4000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 07/02/2020 | 4000.00 | मजदूरी भुगतान |
| 20/01/2020 | 180980.00 | सामग्री भुगतान न्यू अंशिका ट्रेडर को |
| योग | 209780.00 | |

5. राकेश मौर्या के घर से राजन के घर तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 21/01/2020 | 161650.00 | सामग्री भुगतान न्यू अंशिका ट्रेडर को |
| 21/01/2020 | 5600.00 | मजदूरी भुगतान |
| 21/01/2020 | 3750.00 | मजदूरी भुगतान |
| 21/01/2020 | 3750.00 | मजदूरी भुगतान |
| 21/01/2020 | 5600.00 | मजदूरी भुगतान |
| 05/02/2020 | 5600.00 | मजदूरी भुगतान |
| 05/02/2020 | 3750.00 | मजदूरी भुगतान |
| 05/02/2020 | 3750.00 | मजदूरी भुगतान |
| योग | 193450.00 | |

9. ओवरब्रिज से डिग्री कॉलेज मैन गेट तक डब्ल्यूबीएम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 21/01/2020 | 207900.00 | सामग्री भुगतान न्यू अंशिका ट्रेडर को |
| 12/03/2020 | 32200.00 | मजदूरी भुगतान |
| योग | 240100.00 | |

इस प्रकार उपरोक्त डब्ल्यूबीएम कार्यों पर रुपया ₹11,41,300 व्यय किया गया लेकिन उपरोक्त डब्ल्यूबीएम कार्यों से संबंधित एक भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया यथा वाउचर एवं मास्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृत का क्रमांक एवं दिनांक, स्वीकृत कार्य योजना पर, संपत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री स्टाक रजिस्टर, स्टीमेट, एमबी बुक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आमंत्रित कोटेशन टेंडर पत्रावली, निर्माण पूर्व, मध्य निर्माण, कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि।

इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि व्यय की पुष्टि नहीं होती है

उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया एक 11,41,300 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव मिश्रा एवं श्री राजेंद्र मौर्य तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा बेगम से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 82

ग्राम पंचायत अमरोहा के कोष वहीं वर्ष 2019 20 में प्राथमिक विद्यालय अमरोहा में विभिन्न तिथियों में पुताई कार्य करना दिखाया गया है जो इस प्रकार है

| | | | |
|---|---|---|---|
| 03/04/2019 | 18000.00 | | भुगतान मेसर्स कुशवाहा इंटरप्राइजेस को |
| 05/04/2019 | 50000.00 | | भुगतान प्रयाग चित्रकूट इंटर प्राइजेज को |
| 03/07/2019 | 22000.00 | | भुगतान प्रियाएसोसिएट्स को |
| योग | | 90000.00 | |

प्राथमिक विद्यालय अमरोहा में बरामदा निर्म्माण पर व्यय

| | | |
|---|---|---|
| 01/08/2019 | 20000.00 | सामग्री प्रियाएसोसिएट्स को |
| 01/08/2019 | 2874.00 | मजदूरी भुगतान |
| योग | 22874.00 | |

लेकिन इन व्यय की पुष्टि में एक भी अभिलेखी साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया यथा वाउचर एवं मास्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृत का क्रमांक एवं दिनांक, स्वीकृत कार्य योजना , संपत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री स्टाक रजिस्टर, स्टीमेट, एमबी बुक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आमंत्रित कोटेशन टेंडर पत्रावली, निर्माण पूर्व, मध्य निर्माण, कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि रुपया 112874.00व्यय की पुष्टि नहीं होती है

उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया 112874.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव मिश्रा एवं श्री राजेंद्र मौर्य तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा बेगम से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रधान मानदेय भुगतान मई 2018 से जनवरी 2020 तक रुपया 73500 लेकिन प्रधान मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस मानदेय भुगतान की पुष्टि नहीं होती है कोषबही से यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रधान का मानदेय किन किन महीनों का बाकी है और छह महीने से ज्यादा मानदेय का भुगतान करने के लिए एडीओ पंचायत की पूर्व अनुमति जरूरी है जो की नहीं लिया गया।

नाम संस्था- पचखरा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - जसरा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -83

ग्राम पंचायत पचखरा की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019- 20 के। कोष बही में हैण्डपम्प मरम्मत एवं हैंडपंप रिबोर कार्यों में रुपया 125947.00 व्यय किया गया जो इस प्रकार है।

| दिनांक | रुपया | भुगतानप्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 01/07/2019 | 6500.00 | मजदूरी भुगतान सागर कुमार को |
| 01/07/2019 | 16486.00 | सामग्री भुगतान विजय इंटरप्राइजेज को |
| 01/07/2019 | 15800.00 | सामग्री भुगतान प्रिया एसोसिएट्स को |
| 04/07/2019 | 3000.00 | मजदूरी भुगतान विकास कुमार को |
| 04/07/2019 | 5000.00 | मजदूरी भुगतान सागर कुमार को |
| 15/11/2019 | 7559.00 | सामग्री भुगतान प्रिया एसोसिएट्स को |
| 23/01/2020 | 40350.00 | सामग्री भुगतान प्रिया एसोसिएट्स को |
| योग | 94695.00 | |
| हैंडपंप रिबोर कार्य | | |
| 02/08/2019 | 31252.00 | भुगतान अज्ञात को |

लेकिन हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में व्यय किए गए इन धनराशि की पुष्टि में एक भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए यथा- हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों की पुष्टि में ग्रामसभा में स्थापित/ स्थानांतरित हैंडपंपों की सूची। मरम्मत कराए गए हैंडपंपों का विवरण। मरम्मत योग्य हैंडपंपों को स्वीकृति, प्रस्ताव संख्या के क्रमांक और दिनांक तथा व्यय स्वीकृत की पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर में। कराए गए हैंडपंपों में प्रयोग सामानों के नाम, संख्या की पुष्टि हेतु हैंडपंप मरम्मत सामग्री स्टाक रजिस्टर , डिस्पोजल सामग्री, स्टाक पंजिका । हैण्डपम्प सामग्री क्रय हुए आमंत्रित कोटेशन / टेंडर पत्रावली। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में व्यय किए गए इन धनराशि रुपया 125947.00.00 रुपए की पुष्टि नहीं होती

इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि रुपया 125947.00.00व्यय की पुष्टि नहीं होती है

उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया 125947.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव मिश्रा एवं श्री राजेंद्र मौर्य तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उपेंद्र कुमार से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -84

ग्राम पंचायत पचखरा के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित इंटरलॉकिंग कार्यों काविवरण निम्न है

1. पचखरा में स्कूल के सामने से सूबेदार सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 22/07/2019 | 154248.00 | सामग्री क्रय न्यू यूनाइटेड इंटरप्राइजेज |
| 02/08/2019 | 7680.00 | सामग्री क्रय न्यू यूनाइटेड इंटरप्राइजेज |
| 02/08/2019 | 4000.00 | उक्त कार्य पर मिस्त्री भुगतान सागर कुमार को |
| योग | 165928.00 | |

2. पचखरा के बाबूलाल दुबे के घर से शंकर जी के मंदिर तक इंटरलॉकिंग सामग्री कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 12/02/2020 | 188436.00 | सामग्री क्रय भुगतान अज्ञात को |
| 21/02/2020 | 30000.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| योग | 218436.00 | |

3. पचखरा में रईस अली के घर से असलम मोहम्मद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 05/03/2020 | 92910.00 | सामग्री क्रय भुगतान अज्ञात को |
| 05/03/2020 | 16800.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| योग | 109710.00 | |

4. प्राइमरी पाठशाला पचोखरा के रसोईघर में टाइल्स एवं ग्रेनाइट पत्थर कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 08/04/2019 | 52000.00 | भुगतान प्रिया एसोसिएट को |
| 29/06/2019 | 23400.00 | भुगतान प्रिया एसोसिएट को |
| योग | 75400.00 | |

5. प्राइमरी पाठशाला के कक्ष संख्या दो एवं पांच में टाइल्स लगाने का कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 01/07/2019 | 128006.00 | भुगतान न्यू अंशिका ट्रेडर्स को |
| 01/07/2019 | 66246.00 | भुगतान न्यू अंशिका ट्रेडर्स को |
| योग | 194252.00 | |

6.ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत प्राइमरी विद्यालय पचोखरा में लाइब्रेरी में बुक का भुगतान

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 04/07/2019 | 10000.00 | भुगतान प्रिया एसोसिएट को |
| योग | 10000.00 | |

7. प्लास्टिक संग्रह केंद्र

16/11/2019 63100.00 भुगतान अज्ञात को

इस प्रकार उपरोक्त कार्यो पर रुपया ₹836826.00व्यय किया गया लेकिन उपरोक्त कार्यो से संबंधित एक भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया यथा वाउचर एवं मास्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृत का क्रमांक एवं दिनांक, स्वीकृत कार्य योजना पर, संपत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री स्टाक रजिस्टर, स्टीमेट, एमबी बुक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आमंत्रित कोटेशन टेंडर पत्रावली, निर्माण पूर्व, मध्य निर्माण, कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि।

इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि व्यय की पुष्टि नहीं होती है

उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया एक 836826.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव मिश्रा एवं श्री राजेंद्र मौर्य तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उपेंद्र कुमार से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -85

प्रधान मानदेय भुगतान नवंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक रुपया 49000.00 किया गया लेकिन प्रधान मानदेय रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे इस मानदेय भुगतान की पुष्टि नहीं होती है और छह महीने से ज्यादा मानदेय का भुगतान करने के लिए एडीओ पंचायत की पूर्व अनुमति जरूरी है जो की नहीं लिया गया। प्रधान मानदेय रुपया 49000 का अनियमित भुगतान किया गया जो कि आपत्तिजनक रहा। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है |

अभिलेख प्राप्त हेतु किए गए पत्राचार का दिनांक

1. 25/09/2020
2. 30/10/2020

ग्राम पंचायत - जसरा विकास खण्ड - जसरा जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -86

ग्राम पंचायत जसरा के वितीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में विभिन्न कार्यो पर रु. 3157500.00 किया गया इन से संबंधित एक भी बिल वाउचर मास्टर रोल एवं अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया जिसका विवरण निम्न है

1- ग्राम पंचायत जसरा की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वितीय वर्ष 2019-20 के कोश वही मे हंद पंप मरम्मत कार्यों मे रुपया - 232938.00 व्यव किया गया है, जो इस प्रकार है -

| दिनांक | | |
|---|---|---|
| 10/04/2010 | 20150.00 | सामग्रीभुगतान मैसर्स गीता देवी |
| 10/04/2019 | 4200.00 | मजदूरी भुगतान पुष्पा देवीको |
| 20/04/2019 | 25400.00 | सामग्रीभुगतान मैसर्स गीता देवी को |
| 20/04/2019 | 22945.00 | |
| 10/05/2019 | 5000.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अ |

| | | |
|---|---|---|
| 20/05/2019 | 5700.00 | मजदूरी भुगतान पुष्पा देवी को |
| 10/06/2019 | 19400 00 | सामग्रीत मैसर्स गीता देवी को |
| 10/06/2019 | 10400.00 | मजदूरी भुगतान पुष्पा देवी को |
| 04/07/2019 | 26824.00 | सामान मैसर्स गीता देवी को |
| 04/07/2019 | 5000.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात कोमैसर्स लाल साहब को |
| 06/08/2019 | 21000.00 | मैसर्स गीता देवी को |
| 19/10/2019 | 19223.00 | |
| 17/03/2020 | 18536.00 | गीत मैसर्स गीता देवी को |
| 17/03/2020 | 19560 00 | सामग्री भुतान मैसर्स गीता देवी को |
| 17/03/2020 | 9600,00 | मजदूरी भुगतान अज्ञात को |
| योग | 232938.00 | |

2. ग्राम पंचायत जसरा के वितीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित डब्ल्यूबीएम कार्यो पर रुपया 200324.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न है

1.शंकर लाल के टयूबेल से टिकरी सरहद का डब्ल्यू बी यम कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्त करता |
|---|---|---|
| 24/10/2019 | 165380.00 | रतनलाल |
| 28/10/2019 | 34580.00 | मजदूरी पुर भुगतान अज्ञात को |
| 28/10/2019 | 364.00 | भुगतान अज्ञात करे |
| योग | 200324.00 | |

3. ग्राम पंचायत जसद के वितीय वर्ष 2019-20 के कोही में इंटरलॉकिन कार्यो पर रुपया 1328897.00 किया गया जिसका विवरण निम्न है

1 ग्राम पंचायत जसरा के रमेश के घर से रमेश साहू के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 24/10/2019 | 109974.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| योग | 109974,00 | |

4. ग्राम पंचायत जसरा के राकेश केसरवानी के घर से प्राथमिक विद्यालय तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 17/01/2020 | 159707.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 17/01/2020 | 42162.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 21/01/2020 | 31910.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अमित कुमार को |
| योग | 343753.00 | |

5. ग्राम पंचायत जसरा के बाबा रोड से हनुमान मंदिर से पिंटू लाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 18/01/2020 | 170939.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 20/01/2020 | 16918.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अजय कुमार को |
| योग | 187857.00 | |

6. ग्राम पंचायत जसरा के काशी विद्यालय के गेट से धनंजय के घर तक इंटरलॉकिंग

| कार्य | दिनांक | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 20/01/2020 | 132888.00 | सामग्री क्रय भुगतान मेसर्स गीता एंटरप्राइजेज को |
| 21/01/2020 | 18920.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अमित कुमार को |
| योग | 151808.00 | |

7. ग्राम पंचायत जसरा के सरजू प्रसाद के घर से शिव बिहारी के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 27/01/2020 | 170578.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 27/01/2020 | 29036.00 | मजदूरी व्यव भुगतान अज्ञात को |
| 28/01/2020 | 47614.00 | सामग्री भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| योग | 247228.00 | |

8. ग्राम पंचायत जसरा के दादा रोड से सरजू प्रसाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 28/01/2020 | 174129.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 28/01/2020 | 20520.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अमित कुमार को |
| योग | 194649.00 | |

9. ग्राम पंचायत जसरा के ललन सिंह के घर से सरजू प्रसाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 26/02/2020 | 178570.00 | सामग्रीय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 26/02/2020 | 25032.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञातको |
| योग | 200602.00 | |

10. ग्राम पंचायत जसरा के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित नाली निर्माण कार्यों पर रुपया 1066725.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न है

1. ग्राम पंचायत जसरा के दुर्गा के घर से शिव बाबू के दुकान तक पक्की नाली निर्माण कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान कर्ता |
|---|---|---|
| 01/07/2019 | 120000.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 01/07/2019 | 24376.00 | मजदूरी भुगतान पुष्पा देवीको |
| योग | 144376.00 | |

11. ग्रामपंचायत जसरा के बटन के दुकान से खटंगिया गली तक की नाली निर्माण कार्य

| दिनांक | भुगतान प्राप्तकर्ता | |
|---|---|---|
| 01/07/2019 | 80000.00 | सामग्रीयन मैसर्स लाल साहब को |

12. ग्राम पंचायत जतरा के लालचंद के घर से गोकुल के घर तक पक्की नाली निर्माण

| कार्य | दिनांक | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 14/08/2019 | 59675.00 | सामग्री क्रय भुगतान अज्ञात को |
| 14/08/2019 | 13608.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| योग | 73283.00 | |

13. ग्राम पंचायत जसरा के मनोज हरिजन के घर से विश्वनाथ के प्लाट तक अंडरग्राउंड नाली

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 16/10/2019 | 36315.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 28/10/2019 | 3200.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| 28/10/2019 | 1456.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| 28/10/2019 | 1456.00 | मजदूरी व्यव भुगतान अज्ञात को |
| 28/10/2019 | 182.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| 28/10/2019 | 1456.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| 28/10/2019 | 1456.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| योग | 45521.00 | |

14. ग्राम पंचायत जरूरा के राकेश केसरवानी के घर से प्राथमिक विद्यालय तक पक्की नाली निर्माण कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 21/01/2020 | 96199.00 | सामग्री क्रय भुगतान अज्ञात को |
| 21/01/2020 | 30018.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अजय कुमार को |
| योग | 126217 00 | |

15. ग्राम पंचायत जसरा के रेरा रोड से तालाब तक अंडरग्राउंड नाली

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 27/01/2020 | 63084.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 20/01/2020 | 9296.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| योग | 72380.00 | |

16. ग्राम पंचायत जसरा के कमलेश के घर से शिव बिहारी के घर तक नाली निर्माण

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 27/01/2020 | 135706.00 | सामग्री क्रम भुगतान अज्ञात को |
| 28/01/2020 | 37476.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| योग | 173182.00 | |

17. ग्राम पंचायत जसरा के ललन के घर से सरजू प्रसाद के घर तक पक्की नाली निर्माण कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 26/02/2020 | 85470.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 26/02/2020 | 17828.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अमित कुमार को |
| योग | 103298.00 | |

18. ग्राम पंचायत जसरा के राजू के घर से मादा रोड तक अंडरग्राउंड नाली निर्माण कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 21/03/2020 | 125899.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 21/03/2020 | 78909.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स लाल साहब को |
| 21/03/2020 | 23660.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अमित कुमार को |
| 21/03/2020 | 20000.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अजय कुमार को |
| योग | 248468.00 | |

19. ग्राम पंचायत जसरा के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित शौचालय निर्माण कार्य आंगनवाड़ी केंद्र पर रुपया 47214.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न है।

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 01/07/2019 | 41538.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स गीता देवी को |
| 01/07/2019 | 5676.00 | मजदूरी व्यय भुगतान पुष्पा देवी को |
| योग | 47214.00 | |

20. ग्राम पंचायत जसरा के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित टाइल्स निर्माण कार्य पीएस जसरा सेकंड पर रुपया 181037.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न है।

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 01/07/2019 | 82600.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स गीता देवी को |
| 01/07/2019 | 80609.00 | सामग्री क्रय भुगतान मैसर्स गीता देवी को |
| 01/07/2019 | 17828.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| योग | 181037.00 | |

21. ग्राम पंचायत जसरा के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में प्रशासनिक व्यय पर रुपया 100455.00 व्यय किया गया जिसका विवरण निम्न है।

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 27/02/2020 | 25000.00 | भुगतान अज्ञात को |
| 09/04/2019 | 7000.00 | भुगतान अज्ञात को |
| 16/05/2019 | 5077.00 | निविदां कोटेशन सहारा इंडिया कम्युनिकेशन |
| 19/01/2020 | 11878.00 | निविदा कोटेशन सहारा इंडिया कम्युनिकेशन |
| 20/05/2019 | 26500.00 | लोकसभा चुनाव पर प्रशासनिक व्यय |
| 21/03/2020 | 25000.00 | स्टेशनरी एवं फोटो कॉपी क्रय का भुगतान मैसर्स गीता देवी को |
| योग | 100455.00 | |

इस प्रकार ग्राम पंचायत जसरा के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित उपरोक्त विभिन्न कार्यों पर रुपया ₹3157590.00 व्यय किया गया लेकिन उपरोक्त कार्यों से संबंधित एक भी अभिलेख, वाउचर एवं मास्टर रोल आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198204205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि व्यय की पुष्टि नहीं होती है। उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया एक 3157590.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव मिश्रा एवं श्री संजीव श्रीवास्तव तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर 87.

ग्राम पंचायत चित्तौरी की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019- 20 के। कोष बही में हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में रुपया 58065.00व्यय किया गया जो इस प्रकार है।

| दिनांक | रुपया | भुगतानप्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 06/04/2019 | 12000.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| 12/07/2019 | 15000.00 | मे.समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को |
| 15/07/2019 | 31065.00 | मे.समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को |
| योग | 58065.00 | |

लेकिन हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में व्यय किए गए इन धनराशि की पुष्टि में एक भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए यथा- हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों की पुष्टि में ग्रामसभा में स्थापित/ स्थानांतरित हैंडपंपों की सूची। मरम्मत कराए गए हैंडपंपों का विवरण। मरम्मत योग्य हैंडपंपों को स्वीकृति, प्रस्ताव संख्या के क्रमांक और दिनांक तथा व्यय स्वीकृत की पुष्टि हेतु कार्यवाही रजिस्टर में। कराए गए हैंडपंपों में प्रयोग सामानों के नाम, संख्या की पुष्टि हेतु हैंडपंप मरम्मत सामग्री स्टाक रजिस्टर , डिस्पोजल सामग्री, स्टाक पंजिका । हैण्डपम्प सामग्री क्रय हुए आमंत्रित कोटेशन / टेंडर पत्रावली। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत कार्यों में व्यय किए गए इन धनराशि रुपया 58065.00रुपए की पुष्टि नहीं होती
इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि रुपया 58065.00व्यय की पुष्टि नहीं होती है
उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया 58065.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान द्वारा कर लिया गया जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजीव मिश्रा एवं श्री राजेंद्र मौर्य तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नजमा बेगम से बराबर बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर -88
ग्राम पंचायत चित्तौरी के वित्तीय वर्ष 2019-20 के कोषबही में अंकित इंटरलॉकिंग कार्यों काविवरण निम्न है
(अ ) चित्तौरी में अमर सिंह के खेत से लाल जी के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 25/04/2019 | 70000.00 | सामग्री भुगतान समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को |
| योग | 70000.00 | |

(ब ) ग्राम पंचायत चित्तौरी में केवला के खेत से श्रीधर के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 12/07/2019 | 146774.00 | सामग्री भुगतान समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को |
| 15/07/2019 | 23830.00 | मजदूरी भुगतान मान सिंह |
| 14/08/2019 | 10000.00 | सामग्री भुगतान समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को |
| योग | 180604.00 | |

(स )ग्राम पंचायत चित्तौरी में रामबली के खेत से कमलेश के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 12/07/2019 | 146774.00 | सामग्री भुगतान समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को |
| 15/07/2019 | 23830.00 | मजदूरी भुगतान मान सिंह |

14/08/2019 22000.00 सामग्री भुगतान समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को
योग 192604.00

(द )ग्राम पंचायत चित्तौरी में प्राथमिक विद्यालय छोटी चित्तौरी में शौचालय निर्माण कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 03/07/2019 | 46000.00 | सामग्री भुगतान समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को |
| 04/07/2019 | 19104.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| योग | 65104.00 | |

(य) ग्राम पंचायत चित्तौरी में प्राथमिक विद्यालय छोटी चित्तौरी में बाउंड्री वाल निर्माण कार्य

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 04/07/2019 | 66436.00 | सामग्री भुगतान समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को |
| 04/07/2019 | 15280.00 | मजदूरी व्यय भुगतान अज्ञात को |
| योग | 81716.00 | |

(फ) ग्राम पंचायत चित्तौरी प्रशासनिक मद में कैमरा खरीद हेतु भुगतान

| दिनांक | रुपया | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|
| 03/07/2019 | 19990.00 | भुगतान समर बहादुर कंस्ट्रक्शंस को |
| योग | 19990.00 | |

इस प्रकार उपरोक्त कार्यों पर रुपया ₹610018.00 व्यय किया गया लेकिन उपरोक्त कार्यों से संबंधित एक भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया यथा वाउचर एवं मास्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृत का क्रमांक एवं दिनांक, स्वीकृत कार्य योजना पर, संपत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री स्टाक रजिस्टर, स्टीमेट, एमबी बुक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आमंत्रित कोटेशन टेंडर पत्रावली, निर्माण पूर्व, मध्य निर्माण, कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि।
इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि रुपया ₹610018.00व्यय की पुष्टि नहीं होती है
उक्त तथ्यों से इस स्पष्ट है कि कोष बही में अवास्तविक व्यय दर्शाकर रुपया 610018.00का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अंशुमान सिंह एवं श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी द्वारा कर लिया गया जिसकी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अंशुमान सिंह एवं श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।
प्रस्तर -89
ग्राम पंचायत चितौरी के बैंक खाता संख्या 35 2201 0000 1763 से वित्तीय वर्ष 2019-20 में विभिन्न तिथियों में धन का आहरण कर लिया गया लेकिन कराए गए कार्यों का अंकन कोष बही में नहीं किया गया यथा –

| दिनांक | रुपया | पीईएमएस |
|---|---|---|
| 19/02/2020 | 59203.00 | आर 022001220831 |
| 20/02/2020 | 20000.00 | आर 022001271356 |
| 20/02/2020 | 40210.00 | आर 022001271409 |
| 20/02/2020 | 17000.00 | आर 022001245743 |
| 20/02/2020 | 30000.00 | आर 022001252868 |
| 20/02/2020 | 10800.00 | आर 022001285750 |
| 20/02/2020 | 215678.00 | आर 022001237210 |
| 20/02/2020 | 18000.00 | आर 022001238057 |
| 20/02/2020 | 75788.00 | आर 022001238097 |
| योग | 486679.00 | |

इस प्रकार उपरोक्त धनराशि रुपया 486679.00 का अंकन कोष बही में न करके सीधे धन का अपहरण कर लिया गया है इन व्यय की पुष्टि में एक भी अभिलेखी साक्ष्य लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया यथा वाउचर एवं मास्टर रोल, कार्यवाही रजिस्टर, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृत का क्रमांक एवं दिनांक, स्वीकृत कार्य योजना , संपत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, सामग्री स्टाक रजिस्टर, स्टीमेट, एमबी बुक,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आमंत्रित कोटेशन टेंडर पत्रावली, निर्माण पूर्व, मध्य निर्माण, कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ आदि

इस प्रकार पंचायती राज नियमावली अधिनियम 1947 की धारा 198 204 205 209-210 एवं नियम 256 एक तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम 7 व 8 के अनुसार उक्त धनराशि रुपया 486679.00व्यय की पुष्टि नहीं होती है। रुपया 486679.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अंशुमान सिंह एवं श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी तथा ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी द्वारा कर लिया गया जिसकी तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अंशुमान सिंह एवं श्रीमती प्रतिभा द्विवेदी तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी से बराबर बराबर ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- लखरावा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -90

आलोच्य वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत **लखरावा** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय पासबुक में दर्शाया गया है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी धनराशि रु0 **1200915.00** बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान **श्रीमती गीता देवी** व ग्राम पंचायत सचिव **श्री बृजेश कुमार** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | 506702/29 डी आई एच ए यू पी | 41600.00 |
| 2 | मनीष चन्द्रा | 4186.00 |
| 3 | सादल्लू करछना | 61994.00 |
| 4 | 02/459 करछना | 19500.00 |
| 5 | विशाल शुक्ला करछना | 9828.00 |
| 6 | ओम देव ट्रेडर्स कौआ | 105408.00 |
| 7 | अरुश इण्टर प्राइजेज करछना | 246782.00 |
| 8 | 01/13189 करछना | 28000.00 |
| 9 | 486405/543 कौआ | 36075.00 |
| 10 | पीएफएमएस से भुगतान (01 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक) | 647542.00 |
| **योग -** | **बारह लाख नौ सौ पन्द्रह मात्र** | **1200915.00** |

नाम संस्था- भुन्डा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर -91

आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट / ई - ग्राम स्वराज के अनुसार राज्य वित्त/14/15वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत **भुन्डा** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की

जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 **3025350.00** बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रुप से ग्राम प्रधान **श्री रामलाल** व ग्राम पंचायत सचिव **श्री महेश कुमार** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

**कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्म प्रकार है-----**

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | पक्की रोड से हरिशंकर के घर तक खड़जा निर्माण पर व्यय | 133350.00 |
| 2 | दीपक के घर से संदीप के घर तक नाली निर्माण पर व्यय | 153500.00 |
| 3 | प्रधान का मानदेय | 42000.00 |
| 4 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 464368.00 |
| 5 | आगन वाड़ी केन्द्र पर व्यय | 163000.00 |
| 6 | खम्भा निर्माण पक्की रोड से राधे के घर तक | 145000.00 |
| 7 | पक्की रोड ने ननकू के घर तक खड़जा निर्माण पर व्यय | 106896.00 |
| 8 | भुवंर के घर से अनीत के घर तक खड़जा निर्माण पर व्यय | 132930.00 |
| 9 | हैण्ड पम्प मरम्त पर व्यय | 92550.00 |
| 10 | छोटू के चक्की से अवी के घर तक खड़जा निर्माण पर व्यय | 165868.00 |
| 11 | कुशवाहा बस्ती सुभाष के घर से पांचू के घर तक इण्टर लाकिंग पर व्यय | 147916.00 |
| 12 | माता प्रसाद के घर से पाचू के घर तक नाली निर्माण पर व्यय | 147697.00 |
| 13 | प्रा0 वि0 भुन्डा में शौचालय निर्माण एव मरम्मत पर व्यय | 102302.00 |
| 14 | पक्की सड़क से नारायण के घर तक इण्टर लाकिंग पर व्यय | 165339.00 |
| 15 | चन्दौली सड़क से नारायण के घर तक इण्टर लाकिंग पर व्यय | 165832.00 |
| 16 | प्रा0 वि0 भुन्ड़ा भुवाल पुर से टाइल्स क्रय पर व्यय | 470970.00 |
| 17 | पूर्व मा0 वि0 में टाइल्स क्रय पर व्यय | 225832.00 |
| **योग -** | **(तीस लाख पच्चीस हजार तीन सौ पच्चास मात्र)** | **3025350.00** |

नाम संस्था- भगेसर देहली लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

**आपत्ति का विस्तृत विवरण**

प्रस्तर -92 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट / ई - ग्राम स्वराज के अनुसार राज्च वित्त/14/15वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत **भगेसर देहली** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 **3282845.00** बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रुप से ग्राम प्रधान **श्रीमती प्रियंका** व ग्राम पंचायत सचिव **श्री महेश कुमार** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

- **कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्म प्रकार है-----**

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | वाल पैंटिंग की सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय | 1094969.00 |
| 2 | हैण्ड पम्प मरम्पत पर व्यय | 115252.00 |
| 3 | प्रा0 वि0 में इण्टर लाकिंग पर व्यय | 256772.00 |
| 4 | पुर्व मा0 वि0 में मरम्मत कार्य पर व्यय | 40700.00 |
| 5 | प्रा0 वि0 में मरम्त कार्य पर व्यय | 149328.00 |
| 6 | देल्ही पक्की सड़क से प्यारे लाल के घर तक खड़जा मरम्मत पर वायय | 86225.00 |
| 7 | प्रा0 वि0 म् मरम्मत कार्य की सामग्री पर व्यय | 242844.00 |
| 8 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 421955.00 |
| 9 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 102000.00 |
| 10 | प्रा0 वि0 धोलीपुर मे मरम्त कार्य एवं रंगाई धुलाई पर व्यय | 423092.00 |
| 11 | हैण्ड पम्प रिबोर की मजदूरी पर व्यय | 245858.00 |
| 12 | प्रा0 वि0 भगेरस धोलीपुर में मरम्त कार्य पर व्यय | 103850.00 |
| **योग -** | **(बत्तीस लाख बयासी हजार आठ सौ पैतालिस मात्र)** | **3282845.00** |

नाम संस्था- भटेरवा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

**आपत्ति का विस्तृत विवरण**

प्रस्तर -93 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट / ई - ग्राम स्वराज के अनुसार राज्च वित्त/14/15वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत **भटेरवा** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 **1426527.00** बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रुप से ग्राम प्रधान **श्री फूल चन्द** व ग्राम पंचायत सचिव **श्री बृजेश कुमार** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

- **कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्म प्रकार है-----**

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | खड़जा निर्माण पर व्यय | 715000.00 |
| 2 | प्रधान का मानदेय | 42000.00 |
| 3 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 257101.00 |
| 4 | खड़जा निर्माण पर् व्यय | 120000.00 |
| 5 | शिवांगी कन्ट्रकसन का भुगतान | 10000.00 |
| 6 | प्रा0 वि0 भटेरवा में टाइल्स निर्माण पर व्यय | 187110.00 |
| 7 | प्रा0 वि0 भटेरवा में टाईल्स लगाने की मजदूरी पर व्यय | 15544.00 |
| 8 | प्रा0 वि0 भटेरवा में रनिग वाटर पाइप क्रय पर व्यय | 39542.00 |
| 9 | हैण्ड पम्प मरम्त पर व्यय | 36482.00 |
| 10 | प्रा0 वि0 भटेरवा में किचेन शेड निर्माण पर मजदूरी व्यय | 3748.00 |
| **योग -** | **(चौदह लाख छब्बीस हजार पाँच सौ स्ताइस मात्र)** | **1426527.00** |

नाम संस्था- भरहा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

**आपत्ति का विस्तृत विवरण**

प्रस्तर -94 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट / ई - ग्राम स्वराज के अनुसार राज्च वित्त/14/15वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत **भरहा** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 **2055845.00** बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रुप से ग्राम प्रधान **श्री लालपुष्प राज सिंह** व ग्राम पंचायत सचिव **श्री महेश कुमार** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

- **कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्म प्रकार है-----**

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | स्ट्रीट लाइट पर व्यय | 7950.00 |
| 2 | फोटो स्टेट मशीन पर व्यय | 3550.00 |
| 3 | प्रधान का मानदेय | 73500.00 |
| 4 | प्रा0 वि0 भरहा मे बाउन्ड्री निर्माण पर व्यय मजदूरी | 269365.00 |
| 5 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 114950.00 |
| 6 | आगनबाड़ी में शौचालय निर्माण पर व्यय | 106000.00 |
| 7 | आगनबाड़ी में खिड़की दर वाजे निर्माण पर व्यय | 159500.00 |
| 8 | प्रा0 वि0 भरहा में बाऊन्ड्री निर्माण पर व्यय | 266364.00 |
| 9 | आगनबाड़ी केन्द्र निर्माण पर व्यय | 140000.00 |
| 10 | हैण्ड पम्प मरम्त पर व्यय | 87450.00 |
| 11 | प्रा0 वि0 में मरम्त एवं निर्माण पर व्यय | 315108.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 12 | दैनिक जागरण न्यूज पर व्यय | 12960.00 |
| 13 | प्रा0 वि0 में हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 51747.00 |
| 14 | प्रा0 वि0 धारी में टाइल्स निर्माण पर व्यय | 447401.00 |
| **योग -** | **बीस लाख पच्चपन हजार आठ सौ पैतालीस मात्र** | **2055845.00** |

नाम संस्था- डांडो लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर -95 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट / ई - ग्राम स्वराज के अनुसार राज्च वित्त/14/15वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत **डांडो** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 **1394298.00**बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रुप से ग्राम प्रधान **श्री मिथिलेश कुमार** व ग्राम पंचायत सचिव **नेहा राय** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

**कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्म प्रकार है-----**

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प रिबोरपर व्यय | 342890.00 |
| 2 | खड़जा निर्माण पर व्यय | 273925.00 |
| 3 | कैमर क्रय पर व्यय | 19999.00 |
| 4 | प्रा0 वि0 रोकरी प्रथम डाडो में इन्टर लाकिंग पर व्यय | 155225.00 |
| 5 | प्रा0 वि रोकड़ी प्रथम डाडो में शौचालय निर्माण पर व्यय | 180829.00 |
| 6 | प्रा0 वि0 रोकड़ी प्रथम डाडो में इण्टर लाकिग पर व्यय | 30000.00 |
| 7 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 99600.00 |
| 8 | पक्की नाली निर्माण पर व्यय | 226263.00 |
| 9 | पक्की नाली निर्माण पर मजदूरी पर व्यय | 15716.00 |
| 10 | प्रा0 वि0 रोकड़ी प्रथम में बाउन्ड्री मरम्मत पर व्यय | 26331.00 |
| 11 | प्रा0 वि0 रोकड़ी प्रथम में रनिग वाटर एवं बाश बेसिन पर व्यय | 23520.00 |

| योग - | (तेरह लाख चौरान्बे हजार दो सौ अन्ठान्बे मात्र) | 1394298.00 |
|---|---|---|

नाम संस्था- पूराघीसन लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

**आपत्ति का विस्तृत विवरण**

प्रस्तर -96 आलोच्य वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत **पूराघीसन** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय पासबुक में दर्शाया गया है दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा की गयी धनराशि रु0 **883903.00** बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली **ग्राम प्रधान श्रीमती सुष्मा देवी** व ग्राम पंचायत **सचिव श्री महेश कुमार** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | 02/259 करछना | 125000.00 |
| 2 | 067402/7381 नैनी | 15000.00 |
| 3 | प्रशान्त कान्ट्रेकटर नैनी | 30000.00 |
| 4 | अरुश इण्टर प्राइजेज | 284000.00 |
| 5 | पी एफ एम एस से भुगतान ( 1 जनवरी 2020 से 13 मार्च 2020 तक) | 429903.00 |
| **योग -** | **( आठ लाख तिरासी हजार नौ सौ तीन मात्र)** | **883903.00** |

नाम संस्था- **तरौल** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

**आपत्ति का विस्तृत विवरण**

प्रस्तर -97 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट / ई - ग्राम स्वराज के अनुसार राज्च वित्त/14/15वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत **तरौल** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति

प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 **1407334.00** बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रुप से ग्राम प्रधान **श्री रमेश चन्द्र** व ग्राम पंचायत सचिव **श्री महेश कुमार** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

- **कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्म प्रकार है-----**

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 31496.00 |
| 2 | हैण्ड पम्प मरम्त पर व्यय | 48624.00 |
| 3 | ग्रा0 प0 तरौल में इण्टर लाकिंग पर व्यय | 597000.00 |
| 4 | प्रधान का मानदेय | 126000.00 |
| 5 | पुर्व मा0 वि0 में कायाकल्प पर व्यय | 41467.00 |
| 6 | पुर्व मा0 वि0 में शौचालय निर्माण पर व्यय | 32318.00 |
| 7 | पुर्व मा0 वि0 कपूर का पूरा में टाइल्स निर्माण पर व्यय | 206972.00 |
| 8 | पुर्व मा0 वि0 समर सेबुल एवं पाइप पर व्यय | 17173.00 |
| 9 | पुर्व मा0 वि0 में इण्टर लाकिंग पर व्यय | 168401.00 |
| 10 | प्रा0 वि0 में टाइल्स पर व्यय | 137883.00 |
| **योग -** | **(चौदह लाख सात हजार तीन सौ चाऊतीस)** | **1407334.00** |

नाम संस्था- नीबी लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

आपत्ति का विस्तृत विवरण

प्रस्तर -98 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट / ई - ग्राम स्वराज के अनुसार राज्च वित्त/14/15वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत **नीबी** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 **1195878.00** बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रुप से ग्राम प्रधान **श्री अवधेश कुमार** व ग्राम पंचायत सचिव **श्री अमित कुमार** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

- **कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्म प्रकार है-----**

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | आगनबाड़ी केन्द्र निर्माण पर व्यय | 224000.00 |
| 2 | प्रधान का मानदेय | 77000.00 |
| 3 | हैण्ड पम्प मरम्त पर व्यय | 88500.00 |
| 4 | काली रोड से तेदुई रोड तक खड़जा निर्माण पर व्यय | 100000.00 |
| 5 | कच्ची रोड से अर्जुन के घर तक खड़जा निर्माण पर वय्य | 125500.00 |
| 6 | गुप्ता बस्ती से कच्ची रोड तक खड़जा निर्माण पर व्यय | 67000.00 |
| 7 | सहनक दीन के घर से नाला तक नाली निर्माण पर ब्यय | 74000.00 |
| 8 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 190894.00 |
| 9 | पूर्व मा0 वि0 नीबी में टाइल्स कार्य पर व्यय | 248984.00 |
| **योग -** | **(ग्यारह लाख पन्चानबे हजार आठ सौ अठहतर मात्र)** | **1195878.00** |

नाम संस्था- करेहा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - करछना जनपद - प्रयागराज

**आपत्ति का विस्तृत विवरण**

प्रस्तर -99 आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट / ई - ग्राम स्वराज के अनुसार राज्च वित्त/14/15वा वित्त आयोग मद से ग्राम पंचायत **करेहा** द्वारा निम्न विवरणनुसार अनुदान की धनराशि का व्यय दर्शाया गया है। दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी बिल/ वाउचर लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में व्यवस्था दी गई है कि यदि दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में कोई बिल / वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो व्यय दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए सम्बन्धित धनराशि का ब्याज सहित वसूली नियमानुसार की जायेगी। उल्लेखनीय है कि किये गये व्यय के सापेक्ष कैश बुक स्वीकृत कार्ययोजना, स्वीकृत इस्टीमेंट, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0 बी0 मानदेय रजिस्टर, सामग्री क्रय की पुष्टि में टेण्डर / कूटेशन, स्टॉक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा दौरान उपलब्ध नहीं कराई गयी।

उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय की गयी धनराशि रु0 **2497654.00** बिना बिल/ वाउचर एवं उपरोक्त अपेक्षित अभिलेखों के व्यय करके धनराशि का अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रुप से ग्राम प्रधान **मूसा मंसूर** व ग्राम पंचायत सचिव **हुमा परवीन** से करते हुए प्रधान व सचिव के विरूद्ध प्रशासनिक व वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाया जाना अपेक्षित है।

- **कराये गये कार्य एवं उस पर किये गये व्यय का विविरण निम्म प्रकार है-----**

| **क्रम सं0** | **विवरण** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | मस्जिद से रेहान के घर तक नाली निर्माण पर व्यय | 12546.00 |
| 2 | हैंण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 89000.00 |
| 3 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 89700.00 |
| 4 | बुद्धु के घर से चबुतरा तक इन्टर लाकिंग पर व्यय | 168900.00 |
| 5 | कलीम के घर से क्यूम के घर तक इन्टर लाकिंग पर व्यय | 120918.00 |
| 6 | बाबू के घर से पप्पू के घर तक नाली निर्माण पर व्यय | 297047.00 |
| 7 | क्यूम के घर से बुधु के घर तक अन्डर गाउण्ड नाली निर्माण पर व्यय | 162941.00 |
| 8 | ग्राम पंचायत करेहा में इन्टर लाकिग पर व्यय | 436993.00 |
| 9 | बनिया के खेत से दारा के घर तक खड़जा निर्माण पर व्यय | 143150.00 |
| 10 | ग्राम पंचायत करेहा में इन्टर लाकिंग पर व्यय | 394287.00 |
| 11 | पक्की नाली निर्माण पर व्यय | 43464.00 |
| 12 | खड़जा निर्माण पर व्यय | 128275.00 |
| 13 | गोशाला में हैण्ड पम्प रिवोर पर व्यय | 29800.00 |
| 14 | प्रधान का मानदेय | 24500.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 15 | पूर्व मा0 वि0 करेहा में इण्टर लाकिंग पर व्यय | 356133.00 |
| **योग -** | **(चौबीस लाख सन्तानबे हजार छः सौ चौवन मात्र)** | **2497654.00** |

नाम संस्था- सराय अभयचन्द्र उर्फ चंदौकी लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -100 ग्राम पंचायत सराय अभयचन्द्र उर्फ चंदौकी के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रिवासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹253733.00 के आधार पर संपन्न की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए | इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0 एम0बी0, केशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्रामियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्रामि व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का विस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा “।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 253733.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती संगीता देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं० /वि० अधिकारी श्री रवि वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- **आटा** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत आटा**

प्रस्तर -101 ग्राम पंचायत आटा के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित बाय धनराशि ₹865455.00 आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया...

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, केशबुक, पासबुक,बिल /वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति

प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा “।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 865455.00 (रु. आठ लाख पैसठ हजार चार सौ पचपन) गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से व आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री लाल प्रताप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- **अतरौरा** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत अतरौरा**

प्रस्तर -102

ग्राम पंचायत अतरौरा के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹2519456.66के आधार पर संपन्न की गई है |ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए | इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल /वाउचर , सस्टररोल, कार्यपूर्तिप्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियॉजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकदकिया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा “।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 2519456.66 (पचीस लाख उन्नीस हजार चार सौ छप्पन रु., छियासठ पैसे) गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री सुरेश कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री गिरिजाशंकर मिश्रा से किया अपेक्षित है।

नाम संस्था- **तिसौरा** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत तिसौरा**

प्रस्तर -103
ग्राम पंचायत तिसौरा के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹501019.00के आधार पर संपत्रकीगई है ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए| इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकदकिया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा "।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 501019.00 (रू. पांच लाख एक हजार उन्नीस) गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मीना देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं० नि० अधिकारी श्री रवि वर्मा से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- **बारो** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत बारो**

प्रस्तर -104
ग्राम पंचायत स रो के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹1649732.38 आधार पर संपन की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित प्रस्तुत नहीं किया गया.
ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल /वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।
उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 1649732.38 ( सोलह लाख उनचास हजार सात सौ बत्तीस रु., अड़तीस पैसे) गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती

साधना देवी से व आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं०/वि० अधिकारी 1. श्री राजेश सिंह, 2. श्री अविनाश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- **भमईहुसामगंज** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज
**ग्राम पंचायत भमईहुसामगंज**
प्रस्तर -105
ग्राम पंचायत भमईहुसामगंज के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹3314364.00 के आधार पर संपन्न की गई है |ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकदकिया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा" ।
उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि र3314364.00 (रु. तैंतीस लाख चौदह हजार तीन गी चीमठ) गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मीना देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री विनोद कुमार एवं श्री रामसूरत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- **चकरालीपुर** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज
**ग्राम पंचायत चकरालीपुर**
प्रस्तर -106
ग्राम पंचायत चकरालीपुर के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 1078642.00 आधार पर संपन्न की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित - सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का विस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकदकिया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाता रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा "।
उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 1078642.00 (रु. दस लाख अठहत्तर हजार छह सी बयालीस) गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री लक्ष्मन से व आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं० /वि० अधिकारी श्री सुभाषचंद्र वैश्य एवं श्री शिवपूजन गरीज से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- **चिलौडा** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत चिलौडा**

प्रस्तर -107

ग्राम पंचायत चिलौडा के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹2047457.00 आधार पर संपन्न की गई है ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक,बिल /वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षो में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों केसत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 2047457.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती सुशीला देवी से व आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री लाल प्रताप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ढेलहा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत ढेलहा**

प्रस्तर -108

ग्राम पंचायत ढेलहा के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹1291185.00 आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए। इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्षकोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।
ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली

व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच नहीं की जा सकी पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा "। द्वारा

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 1291185.00 (रु. बारह लाख एकानवे हजार एक सौ पचासी) गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री जीतलाल मे व आधी धनराशि नत्कालीन ग्राम पंचायत सचिन या ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री अवधेश कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- खंसार लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत खंसार**

प्रस्तर -109

ग्राम पंचायत खंसार के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹1247771.00 आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए | इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, , बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों केसत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ०प्र० द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है। तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा "

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 1247771.00 (रु. बारह लाख मैंतालीस हजार सात सौ इकहत्तर) गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रितु देवी से व आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं० /वि० अधिकारी श्री गिरिजाशंकर मिश्रा एवं श्री रामसूरत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- कुतुबपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत कुतुबपुर**

प्रस्तर -110

ग्राम पंचायत कुतुबपुर के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹847543.00 आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए | इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, , बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों केसत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है। तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा "।
उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 847543.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती रितु देवी से व आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं० /वि० अधिकारी श्री गिरिजाशंकर मिश्रा एवं श्री रामसूरत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- **लिलहट** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत लिलहट**

प्रस्तर -111

ग्राम पंचायत लिलहट के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹1533871.00 आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए | इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.
ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0 एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियोंजैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।
उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 1533871.00 (रु. पंद्रह लाख तैंतीस हजार आठ सौ इकहत्तर) गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मोहिनी से व आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं० /वि० अधिकारी श्री अवधेश कुमार एवं श्री रामसूरत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- **नरई** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत नरई**

प्रस्तर -112

ग्राम पंचायत नरई के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹. 972910.00 आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए | इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0 एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्कस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्रातियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षों में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकदकिया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो। उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों केसत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा "।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0972910.00 (रु नौ लाख बहत्तर हजार नौ सौ दस) गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती दुर्गावती से व आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री लाल प्रताप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- **पाली** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - फूलपुर जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत पाली**

प्रस्तर -113

ग्राम पंचायत पाली के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासाफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि ₹828532.00 आधार पर संपन्न की गई है |ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए | इस क्रम में वर्तमान ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से मौखिक और लिखित रूप में पत्राचार किया गया लेकिन व्यय धनराशी के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासाफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव, स्टीमेट, वर्क आई0डी0 एम0बी0, कैशबुक, पासबुक बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्षस, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, शिवासाफ्ट के 8 प्रपत्र प्रातियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्रामि व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग ब्याज सहित वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका जिससे विगत वर्षो में किये गए कार्यों की पुनरावृत्ति न हो उसकी पुष्टि की जा सके तथा चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकदकिया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअलके अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं करायाजाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा "।

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु. 828532.00 (रु. आठ लाख अठाइस हजार पांच सौ बत्तीस) गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी ब्याज सहित वसूली आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री अमरनाथ से व आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव या ग्राम पं०/वि० अधिकारी श्री राजेश सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- झारी लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज

नाम संस्था- ग्राम पंचायत झारी

प्रस्तर -114 ग्राम पंचायत झारी विकासखण्ड-प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः-

| क्र0 स0 | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 1- श्रीमती मंजू देवी ग्राम प्रधान<br>22. श्री शिव बहादुर यादव ग्राम विकास अधिकारी | 12750 | 1-दि0 10-04-19 को चेक संख्या 191 के द्वारा रूपया 12750.00 का आहरण गाॅधी इण्टर प्राईजेज के नाम से किया गया है। कोषवही में विवरण दर्ज नहीं किया गया है।व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।अतः आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी, जो कि धन का अपहरण सिद्व हुआ, जिसे श्री शिव बहादुर यादव (ग्रा0पं0वि0अ0) एवं श्रीमती मंजू देवी (ग्राम प्रधान) से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। |
| 02 | 03 | 1- श्रीमती मंजू देवी ग्राम प्रधान<br>23. श्री शिव बहादुर यादव ग्राम विकास अधिकारी | 172750 | 1-दि0 01-07-19 को चेक संख्या 274 से रू0 34500, चेक संख्या 276 से रू0 34600 एवं चेक संख्या 277 से रू0 34700.00, तथा चेक संख्या 278 से रू0 34450.00 कुज योग रू0 172750.00 का आहरण करते हुए हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय दर्शित किया गया है। कोषवही में आहरित धन के सापेक्ष व्यय पक्ष में केवल हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय अंकित किया गया है। यह रिबोर पंचायत में किन स्थलों पर करवाया गया है स्पष्ट नहीं हो पाया। रिबोर से सम्बन्धित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, तकनीकी जाॅच एवं स्वीकृतितथा वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं है। अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशि मनमानी रूप से कृष्णा इन्टर प्राईजेज को भुगतान किया गया है। स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति तथा कार्य पूर्ती प्रमाण पत्र के अभाव में धनराशि के उपयोग की स्थिति संदिग्ध है। स्थलीय सत्यापन किया जाना चाहिए सम्बन्धित पत्रावली के अभाव में धन का आहरण निज हित में किया गया स्पष्ट है कि जो कि अपहरण है। अतः इसे श्री शिव बहादुर यादव (ग्रा0पं0वि0अ0) एवं श्रीमती मंजू देवी (ग्राम प्रधान) से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 04 | 24. श्रीमती निर्मला देवी ग्राम प्रधान<br>25. श्री राजबहादुर ग्राम विकास अधिकारी | 38250 | 26. दिनांक 04-07-18 को चेक संख्या 168 के द्वारा रूपया 38250.00 का आहरण शिव बहादुर के नाम से किया गया है। इसके खर्च का विवरण व्यय पक्ष में अंकित नहीं किया गया है और इस धनराशि का उपयोग किस कार्य के लिए किया गया है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया यगा है। कोषवही में अंकिन न होने, व्यय प्रमाणक के अभाव, स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी, एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के पूर्ण न होने के कारण स्पष्ट है कि धनराशि को निजीहित में प्रयुक्त कर लिया गया है जो कि अपहरण है। अतः रूपयंे 38250.00 की ब्याज सहित वसूली श्री शिव बहादुर यादव (ग्रा0पं0वि0अ0) एवं श्रीमती मंजू देवी (ग्राम प्रधान) से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए। |
| | | योग | 223750 | (रूपया दो लाख तेईस हजार सात सौ पचास मात्र।) |

नाम संस्था- नेवादा बेला लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज

नाम संस्था- ग्राम पंचायत नेवादा बेला

प्रस्तर -115 ग्राम पंचायत नेवादा बेला विकासखण्ड-प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः-

| क्र0 स0 | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 27. श्री राम ग्राम प्रधान<br>28. श्री शिवा कान्त त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी (50:50 के अनुपात में) | 39000 | दि0 22-07-2019 को चेक संख्या 352 के द्वारा रू019500.00 एवं दिनांक 13-08-19 को चेक संख्या 81 के द्वारा रूपया 19500.00 का भुगतान हैण्ड पम्प रिबोर की सामग्री क्रय वास्ते किया गया हैै यह रिबोर किन-किन स्थानों पर किये गये। इनके खराब होने, पंचायत की स्वीकृति, प्रशासनिक एवं तकनीकी वित्तीय स्वीकृति, क्रय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति रजि0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी अधूरा रहा, जिससे व्यय पंजी की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार आहरित कुल धनराशि रू0 39000.00 को अपहरण मानते हुए ब्याज के साथ 50:50 के अनुपात में प्रधान श्री |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | राम एवं ग्रा0पं0वि0अ0 श्री शिवाकान्त त्रिपाठी से वसूल किया जाना चाहिए। (मू0आ0सं0)-2 |
| 02 | 03 | 29. श्री राम ग्राम प्रधान<br>30. श्री शिवा कान्त त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी (50:50 के अनुपात में) | 130000 | 1-दि0 01-01-19 को चेक संख्या 354के द्वारा रू0 130000.00 का भुगातन में0 विवेक टे॰डर्स को स्ट्रीट लाईट क्रय वास्ते किया गया दर्शित है, लेकिन इनके उपभोग स्थल, क्रय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अधूरे रूप में प्रस्तुत है, जिससे धन के निजी हित में उपयोग की बात स्पष्ट होती है, जो कि अपहरण है। इसे ब्याज के साथ 50:50 के अनुपात में प्रधान श्री राम एवं ग्रा0पं0वि0अ0 श्री शिवाकान्त त्रिपाठी से वसूल किया जाना चाहिए। (मू0आ0सं0)-3 |
| 03 | 04 | 31. श्री राम ग्राम प्रधान<br>32. श्री शिवा कान्त त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी (50:50 के अनुपात में) | 158570 | 33. दिनांक 01-07-19 को चेक संख्या 353 के द्वारा रू0 100000.00 ईट क्रय पटेल ईट उद्योग से एवं दि0 13-08-19 को क्रमशः चैक संख्या 79 से रूप0 17770.00 एवं चेक सं0 80 से 40800.00 का भुगतान खडन्जा मरम्मत की मजदूरी पर व्यय दर्शित किया गया है। खडन्जा मरम्मत का स्थल, इसके मरम्मत की पंचायत का प्रस्ताव, वित्तीय स्वीकृति संबंधी पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है। ईट क्रय का व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, पूर्ण रूप से नहीं भरे गये। खडन्जा मरम्मत की मजदूरी के रूप में 58570.00(रू0 17770$रू0 40800) के सापेक्ष मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः दर्शित खडन्जा मरम्मत का क्रियान्वयन संदिग्ध है, और इस कार्य पर दर्शित कुल रू0 158570.00 को निजीहित में उपयोजित किया गया स्पष्ट होता है, जो कि अपहरण है। अतः इस आहरित रूपया 158570.00 की ब्याज सहित वसूली ब्याज के साथ प्रधान श्री राम एवं ग्रा0पं0वि0अ0 श्री शिवाकान्त त्रिपाठी से वसूल किया जाना चाहिए। (मू0आ0सं0)-4 |
| | | योग | 327570 | (रूपया दो लाख तेईस हजार सात सौ पचास मात्र।) |

नाम संस्था- बेलाखास लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज

नाम संस्था- ग्राम पंचायत बेलाखास

प्रस्तर -116

ग्राम पंचायत नेवादा बेला विकासखण्ड-प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः

| क्र0 स0 | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 34. श्री सुरेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान<br>35. श्री शिवा कान्त त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी (50:50 के अनुपात में) | 67300 | 1-दि0 02-04-19 को चेक संख्या 790 के द्वारा रू0 33800.00 यादव मशीनरी स्टोर को एवं दि0 02-07-19 को चेक संख्या 580 के द्वारा 33500.00 का भुगतान यादव मशीनरी स्टोर को किया गया है। जो कोषवही के व्यय पक्ष में हैण्ड पम्प रिबोर की सामग्री एवं मजदूरी पर व्यय दर्शित है। ये रिबोर ग्राम पंचायत में किन स्थलों पर करवाये गये है स्पष्ट नहीं हो सका। क्रय किये गये सामग्री की सूची एवं मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। हैण्ड पम्प के पानी न देने, पंचायत द्वारा पुष्टि तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा अन्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। अतः स्पष्ट है कि किया गया भुगतान बिना कार्य करवाये ही किया गया है, जो कि अपहरण है। अतः आहरित धनराशि रूपया 67300.00(रू0 33800$रू0 33500.00) को ब्याज के साथ प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार एवं ग्रा0पं0वि0अ0 श्री शिवाकान्त त्रिपाठी से 50:50 के अनुपात में वसूल किया जाना चाहिए। (मू0आ0सं0) |
| 02 | 03 | 36. श्री सुरेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान<br>37. श्री शिवा कान्त त्रिपाठी ग्राम विकास | 66700 | 1-दि0 31-07-19 को चेक संख्या 638 से आहरित रूपया 33400.00 एंव दि0 18-07-19 को चेक संख्या 603 के द्वारा आहरित रू0 33300.00 का भुगातन इन्दू इण्टर प्राईजेज को किया गया है। व्यय पक्ष में 02 नग हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय दर्शित है। हैण्ड पम्प रिबोर किन स्थलों पर करवाया गया एवं उनके खराब होने, पंचायत का प्रस्ताव, स्वीकृति एवं प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति की पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अधिकारी (50:50 के अनुपात में) | | की गयी। अतः स्पष्ट है कि भुगतान बिना कार्य के किया गया है, जो कि गलत है और यह धन का अपहरण है। अतः आहरित धनराशि रू0 66700.00(रू033400$रू0 33300) को ब्याज के साथ प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार एवं ग्रा0पं0वि0अ0 श्री शिवाकान्त त्रिपाठी से 50:50 के अनुपात में वसूल किया जाना चाहिए। (मू0आ0सं0) |
| 03 | 04 | 38. श्री सुरेन्द्र कुमार ग्राम प्रधान<br>39. श्री शिवा कान्त त्रिपाठी ग्राम विकास अधिकारी (50:50 के अनुपात में) | 133350 | 40. दिनांक 19-11-19 को पी0एफ0 एम0एस0 के द्वारा आई0डी0 सं0 -थ्ै -6/19-20/च्ध्26 से हिन्दुस्तान ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है। यह भुगतान किन कार्य के लिए और कौन सी सामग्री क्रय करने के लिए किया गया है स्पष्ट नहीं हो पाया। व्यय प्रमाणक की हार्ड कॉपी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी। स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी, कार्य पूर्ती प्रमाण एवं पत्रावली पूर्ण नहीं प्रस्तुत की गयी। अतः किया गया भुगतान संदिग्ध है और धनराशि को प्रधान एवं कर्मचार द्वारा फर्म से मिलकर निजीहित में उपयोग कर लिया गया है, जो कि अपहरण है। अतः आहरित धनराशि रूपया 133350.00 को ब्याज के साथ प्रधान श्री सुरेन्द्र कुमार एवं ग्रा0पं0वि0अ0 श्री शिवाकान्त त्रिपाठी से 50:50 के अनुपात में वसूल किया जाना चाहिए। (मू0आ0सं0) |
| | | योग | 267350 | (रूपया दो लाख सडसठ हजार तीन सौ पचास मात्र।) |

नाम संस्था- खानपुर डाडी लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -117

ग्राम पंचायत खानपुर डाडी विकासखण्ड प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० स० | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 1- श्रीमती गीता देवी ग्राम प्रधान 12- श्री | 93307.00 | विभिन्न बैंको से आहरित कुल रुपया 93307.00 का आहरण करते हुए कोषवहीं के व्यय पक्ष में कोई भी अंकन नहीं किया |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | अरूण कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी | | गया है। इसके साथ-साथ सम्बन्धित व्ययों के सापेक्ष व्यय प्रमाण भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। |
| 02 | 04 | 41. श्रीमती गीता देवी ग्राम प्रधान 2- श्री अरुण कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी | 104000.00 | लेखा परीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि दिनांक 19-12-18 को आहरित रूपया 25000.00 दिनांक 20-12-18 को आहरित रूपया 24000.00 दिनांक 21-12-18 को आहरित रूपया 55000.00 किसी जर्जर भवन के ध्वस्तीकरण पर खर्च कोषवही में दर्ज है। यह जर्जर भवन किस प्रकार का है, और क्यों ध्वस्तीकरण कराया गया। तथा इसके लिए विभागीय अधिकारियों की सूचना एवं स्वीकृति ली गयी है अथवा नहीं, इससे सम्बन्धित प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। ग्राम पंचायत की कार्यवाही पंजी में भी ऐसी कोई सूचना दर्ज नहीं मिली है। अतः आहरित धनराशि \| रुपया 104000.00 (रूपये एक लाख चार हजार मात्र) का स्पष्ट रूप से अपहरण किया गया है। अतः इसे 50:50 के अनुपात में प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं सचिव श्री अरुण कुमार यादव से ब्याज के साथ वसूल किया जाना चाहिए। |
| 03 | 05 | 42. श्रीमती गीता देवी ग्राम प्रधान 2- श्री अरुण कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी | 483000 | 43. विभिन्न पैको से आहरित धनराशि रूपया 483000.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। रूपया 239900.00 कोई भी अंकन कोषवही में सम्मिलित नहीं है। अतः व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी है। |
| 04 | 06 | 1- श्रीमती गीता देवी ग्राम प्रधान 2- श्री अरूण कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी | 65000 | 44. दिनांक 22-06-18 को आहरित रूपया 65000.00 मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान किया गया है और कोषवहीं में भी मौर्या ट्रेडर्स को भुगतान व्यय पक्ष में अंकित है। यह किस कार्य पर व्यय किया गया है, स्पष्ट नहीं हो सका। व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं है |
| | | योग | 745307 | (रूपया सात लाख पैतालीस हजार तीन सौ सात मात्र ।) |

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं आहरणों के सापेक्ष व्यय प्रमाणक स्टॉक पंजी में अंकन न होना, वार्षिक कार्य योजना में कार्य का नाम अंकित न होना, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली न होना तथा कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जाना यह सिद्ध करता है कि आहरित धन को निजीहित में उपयोग कर लिया गया है, जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गये धन का अपहरण सिद्ध होता है। अतः इसे 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ प्रधान श्रीमती गीता देवी एवं तत्कालीन कर्मचारी श्री अरुण कुमार यादव से वसूल किया जाना चाहिए

नाम संस्था- जंघई लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -118

ग्राम पंचायत जंघई विकासखण्ड प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० स० | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 45. श्रीमती प्रीती जायसवाल ग्रान प्रधान 2- श्री रामबाबू ग्राम विकास अधिकारी 50:50 के अनुपात में। | 322300 | दिनांक 21-07-18 को रू० 118800.00<br>दिनांक 21-07-18 को रू 149040.00<br>दिनाँक 21-07-18 को रू0 417602.00<br>दिनाँक 21-07-18 को रू 12700.00<br><br>योग – 322300.00<br>यह धनराशि श्री गुलाब चन्द्र के खेत से राजेन्द्र चमार के खेत तक खढन्जा निर्माण पर व्यय दर्शित व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं है। अतः यह धन का अपहरण है और प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए। श्रीमती प्रीती जायसवाल ग्रान प्रधान 2- श्री रामबाबू ग्राम विकास अधिकारी 50:50 के अनुपात में। |
| 02 | 03 | 46. श्रीमती प्रीती जायसवाल ग्रान प्रधान 2- श्री रामबाबू ग्राम विकास अधिकारी 50:50 के अनुपात में। | | दिनाँक 04-01-18 को आहरित रुपया 218400.00 स्ट्रीट लाईट क्रय पर व्यय दर्शित है। उपभोग स्थल, व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा वार्षिक कार्य योजना में अंकित नहीं है। अतः यह अपहरण है और । प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए। श्रीमती प्रीती जायसवाल ग्रान प्रधान 2- श्री रामबाबू ग्राम विकास अधिकारी 50:50 के अनुपात में। |
| | | योग | 540700 | (रूपया पाँच लाख चालीस हजार सात सो मात्र ।) |

नाम संस्था- चनेथू लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज
प्रस्तर -119

ग्राम पंचायत चनेथू विकासखण्ड प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० स० | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 47. श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान<br>48. श्री रामबाबू ग्राम विकास अधिकारी | 187000 | 1-दिनाँक 02-09-19 को विभिन्न चेको से आहरित कर प्राथमिक विद्यालय से आपरेशन कायाकल्प पर सामग्री क्रय जे०पी० इण्टरप्राईजेज से दर्शित है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं है। इसके सापेक्ष मजदूरी व्यय । नहीं दर्शित है। अतः कार्य भी अधूरा है। प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं सचिव रामबाबू से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 49. श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान<br>50. श्री रामबाबू ग्राम विकास अधिकारी | 309347 | 1-दिनाँक 02-09-19 को विभिन्न चेको से आहरित रूपया 309347.00 पूर्व मा०वि० चनेथू के आपरेशन कायाकल्प पर सामग्री क्रय किया जाना जे०पी० इण्टरप्राईजेज से कोषवही में दर्शित है। इसके भी सापेक्ष मजदूरी का व्यय नहीं किया गया है। अतः व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं होने के कारण। आहरित धनराशि का अपहरण हुआ है। प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं सचिव रामबाबू से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। |
| 03 | 04 | 51. श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान<br>12- श्री रामबाबू ग्राम विकास अधिकारी | 240388 | 52. दिनाँक 02-09-19 को विभिन्न चेको से रूपया 240388.00 का अपहरण किया गया है कोषही में इसे ग्राम पंचायत में हैण्डपंप रिबोर पर व्यय दर्शित है। इससे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली लगाये जाने के स्थल एवं व्यय प्रमाणक के प्रस्तुत न होने के कारण व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी और आहरित धनराशि को प्रधान सचिव एवं फर्म द्वारा निजी हित में उपयोग कर लिया गया है, जो कि अपहरण है और ब्याज सहित वसूली के योग्य है। प्रधान श्रीमती सावित्री देवो एवं सचिव रामबाबू से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। |
| 04 | 05 | 53. श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान<br>2- श्री रामबाबू ग्राम विकास अधिकारी | 184083 | 54. दिनाँक 02-09-19 को आहरित रूपया 184083.00 जे0पी0 इण्टरप्राईजेज को भुगतान की गयी है। कोषवही में इसे पिचरोड से श्रीकान्त तिवारी के घर तक इण्टरलॉकिंग पर खर्च करना दर्शित है। पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः व्यय की पुष्टि नहीं हो सका। पुष्टि के अभाव में रूपया 184083.00 को अपहरण समझा गया। इस प्रकार अपहृत धनराशि को वसूल किया जाना चाहिए। प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं सचिव रामबाबू से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। |
| 05 | 6 | 55. श्रीमती सावित्री देवी ग्राम प्रधान<br>2- श्री रामबाबू ग्राम विकास अधिकारी | 352443 | दिनाँक 02-09-19 को विभिन्न चेको से आहरित रूपया 352443.00 जे०पी० इण्टर प्राईजेज को भुगतान किया गया है। कोषवही में इसे मेन इण्टरलॉकिंग से प्रेम नाराण के घर तक इण्टर लॉकिंग पर खर्च करना दर्शाया गया है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं होने के कारण पुष्टि सम्भव नहीं है। अतः आहरण को अपहरण मानते हुए वसूल किया जाना चाहिए। प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं सचिव रामबाबू से 50:50 के अनुपात में ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। |

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विवरणों से स्पष्ट है कि दिनांक 02-09-19 को आहरित रूपया 1273261.00 से कोई भी कार्य ग्राम पंचायत में नहीं किया गया हैं कुछ सामग्री प्रा० विद्यालय में रखी मिली है, जो कि टाईल्स के रूप में है। आहरित धनराशि का व्यय प्रमाणक

तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति समबन्धी पत्रावली, स्टाक पंजी, परिसम्पत्ति पंजी वार्षिक कार्य योजना, कार्यवाही पंजी. सार्वजनिक निर्माण कार्य सम्बन्धी पंजी एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः व्यय की पुष्टि नहीं हो पायी और आहरित सम्पूर्ण धनराशि 1273261.00 का अपहरण या निजीहित में उपभेग कर लिया गया है, जो एक गम्भीर विततीय प्रकरण है। इसे प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं तत्कालीन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रामबाबू से 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना चाहिए। यह तथ्य प्रकाश में आया है कि ग्राम पंचायत के खाते पर रोक लगी हुयी थी, जिसमे षडयन्त्र के तहत प्रधान कर्मचारी एवं जे०पी० इण्टरप्राईजेज ने अपहरण किया है। बैंक की भी भूमिका संदिग्ध है। आवश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- बगदहा हवसाबाद लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -120

ग्राम पंचायत बगदहाहवसाबाद विकासखण्ड-प्रतापपुर जनपद-प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रका में आये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

| क्र० स० | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 1- श्रीमती निर्मला देवी ग्राम प्रधान 2- श्री राजबहादुर ग्राम विकास अधिकारी | 240000 | 1- दि० 28-05-18 को रू० 120000.00 दि0 24-07-18 को रू० 70000.00, दि० 30-07-18 को रू० \| 50000.00, कुल योग रू० 240000.00 पटेल ईंट उद्योग को ईट क्रय का भुगतान किया गया है, लेकिन व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया है। |
| 02 | 03 | 1- श्रीमती निर्मला देवी ग्राम प्रधान 2- श्री राजबहादुर ग्राम विकास अधिकारी | 63250 | 1-दि0 04-07-18 को रू0 4800.00 दि० 07-08-18 एवं दि० 12-07-18 को रू० 9750.00 कुल योग रू० \|63250.00 का मजदूरी का मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। |
| 03 | 04 | 1- श्रीमती निर्मला देवी ग्राम प्रधान 2- श्री राजबहादुर ग्राम विकास अधिकारी | 23800 | 56. दिनांक 15-02-19 को रू० चैक संख्या 324 से रू० 23800.00 का अपहरण किया गया है, लेकिन व्यय पक्ष में इसको खारिज नहीं किया गया है। इसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः यह धन का अपहरण है। इस प्रकार कुल धनराशि रू० 327050.00 को अपहरण मानते हुए श्री राजबहादुर ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाए। |
| | | योग | 327050.00 | (रूपया तीन लाख सत्ताईस हजार पचास मात्र ।) |

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं आहरित धनराशि रूपया 327050.00 या तीन लाख सत्ताईस हजार पचास मात्र) को व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी में अंकित न होना, कार्य योजना, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना तथा तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति की पत्रावली प्रस्तुत नहीं किया जाना यह सिद्ध करता है कि धन को निजीहित में उपयोग कर लिया गया है, जो धन का अपहरण हैं। अस्तु इसे 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजबहादुर एवं प्रधान श्रीमती निर्मला देवी से वसूल किया जाना अपेक्षित है। ।

नाम संस्था- शहाबपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -121

ग्राम पंचायत शहाबपुर विकासखण्ड प्रतापपुर जनपद - प्रयागराज की उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई है, जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है-

| क्र० स० | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03 | 57. श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम प्रधान 2-श्री शिवबहादुर यादव ग्राम विकास अधिकारी 50.50 के अनुपात में | 563178 | 58. दिनांक 10-08-18 को रू० 10500.00 ऑलमारी क्रय पर खर्च प्रमाणक प्रस्तुत नही ।<br>59. दिनांक 19-09-18 को रूपया 18000.00 खर्च पटेल ईट उद्योग को भुगतान प्रमाणक नहीं।<br>60. दिनाँक 06-10-18 को रूपया 107500.00 स्ट्रीट लाईट पर खर्च प्रमाणक प्रस्तुत नहीं।<br>4 दिनांक 26-10-18 को रुपया [67500.00 ईंट क्रय खडन्जा निर्माण जमाजुद्दीन के घर से शकील अहमद के घर तक ईंट क्रय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं।<br>5-दिनांक 28-12-18 को रूपया 78300.00 से हयूम पाईप क्रय कृष्णा इण्टर प्राईजेज से व्यय प्रमाणक एवं उपभोग स्थल स्पष्ट नहीं है।<br>61. दिनांक 25-02-19 को रूपया 30000.00 एस0एन0ब्रिक फिल्ड को भुगतान नन्दलाल के घर के पास नाली निर्माण सामग्री क्रय / व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं।<br>62. दिनाँक 26-02-19 को आहरित रूपया 133650.00 सनलाईट इण्टर प्राईजेज को हयूम पाईप वास्ते भुगतान, लेकिन कोषतही में रूपगा 109850.00 ह्यूम पाईप क्रय तथा 23800.00 मजदूरी पर व्यय दर्शित है। फर्म के नाम से चेक मजदूरी पर किस प्रकार खर्च किया गया । व्यय प्रमाणक एवं मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं ।<br>63. दिनांक 26-02-19 को आहरित रूपया 117728.00 सनलाईट इण्टर प्राईजेज के भुगतान / कोषवही में रूपया 75000.00 ईंट क्रय पर रूपया 13928.00 मिट्टी कार्य एवं रूपया \| 28800.00 मजदूरी पर दर्शित है। फर्म के नाम से सोलर लाईट लगाने वाली संस्था को भुगतान कर अलग उपयोग दर्शित है। व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं है। |
| 02 | 04 | 64. श्रीमती शकुन्तला देवी ग्राम प्रधान 2-श्री शिवबहादुर यादव ग्राम विकास अधिकारी | 50500 | दिनांक 25-06-18 को आहरित रूपया 21000.00, दिनांक 16-10-18 को 5000.00 राकेश के नाम से चेक कटा है। बकाया मानदेय पर खर्च दर्शित है। कोषवही में मानदेय कब से कब तक कर दिया गया है एवं बकाया मानदये दिए जाने का भी स्पष्ट नहीं हो सका। मानदेय पंजी प्रस्तुत नहीं रहा। अतः व्यय की पुष्टि न की जा सकी। |

50.50 के
अनुपात में

योग 613678 (रूपया छः लाख तेरह हजार छः सौ अठहत्तर मात्र ।)

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं विवरणों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक, स्टॉक पंजी में अंकित न होना, परिसम्पत्ति पंजी में अंकित न होना, कार्यपूर्ति प्रमाण कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाना वार्षिक कार्य योजना एवं कार्यवाही पंजी से पुष्टि न होना विधिक रूप से एकदम गलत है, जिससे व्ययों की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रमाणकों के अभाव में आहरित धनराशि रूपया (563178+ 50500) 613678.00 (रूपया छः लाख तेरह हाजर छः सौ अठहत्तर) का अपहरण प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी एवं सचिव श्री शिवबहादुर यादव द्वारा किया गया है, जिसे 50:50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है |

नाम संस्था- बड़गांव लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - सैदाबाद जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -122

ग्राम पंचायत बड़गांव वि०ख० सैदाबाद जनपद प्रयागराज के अनुपलब्ध अभिलेखों के कारण प्रिया साफ्ट के जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है -

| क. सं. | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | हिन्छ लाल ग्राम प्रधान150 प्रतिशत संजय शर्मा ग्रा०प०अ० / ग्रा०वि०अ० 50 | 14500.00<br>11750.00<br>16750.00<br>7574.00<br>5675.00<br>28138.00<br>19208.00<br>18000.00<br>121595.00 | सन्निहित धनराशि 121595.00 रू० से ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर इण्टर लाकिंग कार्य हेतु सामग्री व मजदूरी भुगतान किया गया है किन्तु उक्त कार्य सम्बन्धी कोई भी व्यय प्रमाणक नहीं दिया गया। |
| 2 | | | 10000.00<br>32000.00<br>32700.00<br>32700.00<br>27866.00<br>3000.00<br>32700.00<br>170966.00 | प्रतिशत सन्निहित धनराशि रू0 170966.00 का व्यय हैण्ड पम्प रिबोर व मरम्मत कार्य हेतु किया गया है किन्तु व्यय सम्बन्धी प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। |
| 3 | | | 18000.00<br>21000.00<br>39000.00 | सन्निहित धनराशि रू0 39000.00 में रू० प्रा०वि० नहरपुर में मिट्टी फिलिंग का कार्य व रू० 21000.00 किस मद में व्यय किया गया है इसकी कोई जानकारी ही नहीं है किसी भी प्रकार का प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। |
| 4 | | | 31080.00<br>175607.00 | प्रा०वि० व पू०मा०वि० में टाइल्स के कार्य हेतु रू० 206687.00 व्यय किया गया किन्तु प्रमाणक अप्राप्त रहे। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 206687.00 | रू0 49761.00 का व्यय खड़न्जा कार्य में किया गया है किन्तु प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। |
| 5 | | 27011.00<br>22750.00<br>49761.00 | रू0 120000.00 का भुगतान सीमेन्टेड बेंच हेतु किया गया किन्तु इसका कोई व्यय प्रमाणक नहीं |
| 6 | | 120000.00 | रू० सात लाख आठ हजार नौ मात्र |
| | | 708009.00 | |

उपरोक्त तथ्यों एवं विवरणों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में ग्राम स्वराज पोर्टल (प्रिया साफ्ट) के विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 708009.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा प्रधान द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया जा सका जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव प्रमाणकों के अभाव में आहरित धनराशि रू0 708009.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्री हिन्छलाल व सचिव श्री संजय शर्मा द्वारा किया गया जिससे 50 50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू० आ० सं०-1 )

ग्राम पंचायत -पयागीपुर विकास खण्ड - सैदाबाद जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -123

वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यो सम्बन्धित आपत्तियों का विस्तृत विवरण :-

| क्र. सं. | कार्य विवरण | दिनांक | धनराशि | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | प्रा०वि० में टाइल्स का कार्य | 01.05.19<br>01.05.19 | 82500.00<br>25000.00 | प्रधान- श्रीमती मीरा देवी<br>सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | \| ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार रु० 107500.00 प्रा०वि० पयागीपुर में टाइल्स पर व्यय इस व्यय से संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। |
| 2 | प्रा०वि० में इन्टर लाकिंग कार्य | 01.05.19<br>01.05.19<br>01.05.19 | 90000.00<br>42500.00<br>5460.00 | प्रधान- श्रीमती मीरा देवी<br>सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | रु० 137960.00 ग्राम स्वराज पोर्टल के अनुसार प्रा०वि० पयागीपुर में इन्टर लाकिंग कार्य पर व्यय संबंधित सारे अभिलेख अनुपलब्ध रहे। |
| 3 | प्रधान का मानदेय | 01.05.2019<br>04.08.2019<br>02.02.2020 | 7000.00<br>14000.00<br>21000.00 | प्रधान- श्रीमती मीरा देवी<br>सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | ग्राम स्वरोज पोर्टल पर रू0 42000.00 मानदेय प्रधान को दिया गया किन्तु पोर्टल पर प्रधान का नाम इत्यादि की कोई सूचना नहीं दी गयी है। |
| 4 | हैण्ड पम्प रिपेयर | 01.05.2019<br>01.05.2019<br>01.07.2019<br>01.07.2019 | 8500.00<br>29780.00<br>25000.00<br>25000.00 | प्रधान- श्रीमती मीरा देवी<br>सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | हैण्ड पम्प रिपेयर पर रू० 88280.00 व्यय दिखाया गया किन्तु व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | हैण्ड पम्प रिबोर | 05.09.2019<br>09.03.2020 | 160000.00<br>22000.00 | प्रधान- श्रीमती मीरा देवी सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | हैण्ड पम्प रिबोर पर रु० 182000.00 व्यय दिखाया गया किन्तु व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। |
| 6 | टेन्डर विज्ञापन | 21.06.2019<br>01.07.2019 | 3000.00<br>3000.00 | प्रधान- श्रीमती मीरा देवी सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | टेन्डर विज्ञापन पर रु० 3000.00 व प्रिया साफ्ट फिडिंग पर रु० 3000 व्यय दिखाया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। |
| 7 | हयूम पाइप | 02.07.2019 | 309481.00 | प्रधान- श्रीमती मीरा देवी सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | हयूम पाइप सम्बन्धित न तो कार्य स्थल का विवरण और न ही कोई अभिलेख उपलब्ध कराया गया। |
| 8 | प्रा०वि० में इन्टर लाकिंग कार्य | 17.07.2019<br>03.08.2019<br>03.08.2019 | 26936.00<br>58900.00<br>1638.00 | प्रधान श्रीमती गीत देवी सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | प्रा०वि० पयागीपुर में इन्टर लाकिंग कार्य पर रु० 87474.00 का व्यय दर्शाया गया. किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया गया। |
| 9 | खड़न्जा रिपेयर | 03.08.2019<br>03.08.2019<br>04.08.2019 | 18564.00<br>13000.00<br>5600.00 | प्रधान श्रीमती गीत देवी सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | छोटेलाल के घर से सुकुरु के घर तक खड़ रिपेयर सम्बन्धी ग्रा.पं० के सारे अभिलेख अनुपलब्ध रहे। |
| 10 | इन्टरलाकिंग कार्य | 05.08.2019 | 137850.00<br>35000.00 | प्रधान श्रीमती गीत देवी सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | ठाकुर के घर से रमेश के घर इन्टरलाकिंग कार्य पर 173750.00 का दर्शाया गया लेखा परीक्षा के दौरान \| अभिलेख अनुपलब्ध रहे। |
| 11 | मटेरियल पर भुगतान | 09.03.2020 | 52600.00 | प्रधान श्रीमती गीत देवी सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | पोर्टल पर मटेरियल पर भुगतान रु० 52600 का दर्शाया गया किन्तु मटेरियल किस कार के लिये व कौन सा भटेरियल है उसकी य पोर्टल पर नहीं है न ही इससे सम्बन्धित व अभिलेख की उपलब्धता है। |
| 12 | विजय सरोज के चहार दिवारी निर्माण कार्य में | 09.03.2020 | 14700.00 | प्रधान श्रीमती गीत देवी सचिव- श्री सर्वेश मिश्रा | चहार दिवारी की स्थल व पहचान नहीं दश गया है विजय सरोज को रु० 14700.00 भुगतान किस कार्य के लिये किया गया संदिग्ध है। |
| | | | 1238909.00 | | |

व्यय की गयी कुल धनराशि रू0 1238909.00 (बारह लाख अड़तीस हजार नौ सौ नौ मात्र) की पुष्टि कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमो, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिये लेखा परीक्षक मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में वि प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रू0 1238909.00 को अपहरण निर्धारित वि जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी सर्वेश मिश्रा से मय ब्याज बराबर रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- मनीपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - सैदाबाद जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -124

ग्राम पंचायत मनीपुर, वि०ख० सैदाबाद जनपद प्रयागराज के अनुपलब्ध अभिलेखों के कारण प्रिया साफ्ट के जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

| क. सं. | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | श्री सुभाषचन्द्र ग्रा.पं. प्रधान50% श्री संजय शर्मा ग्रा.वि.अ. 50% | 50000.00 | ग्रा.पं. मनीपुर प्रा.वि. में बाउन्ड्रीवाल के सम्बन्ध में व्यय किया गया किन्तु किसी भी प्रकार का अभिलेख व प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। |
| 2 | | | 1999.00 | विडियो कैमरा क्रय किया गया किन्तु इससे क्रय सम्बन्धी आदेश, प्रमाणक व अभिलेख अप्रस्तुत रहे। |
| 3 | | | 50000.00 | प्रशासनिक व्यय के नाम पर भुगतान किन्तु न तो अभिलेख न ही प्रशासनिक व्यय विवरण सभी प्रमाणक मिले। |
| 4 | | | 5000.00 | प्रा.वि. में टाइल्स का कार्य हेतु भुगतान किन्तु न ही वांछित अभिलेख, ही प्रमाणक प्राप्त हुआ। |
| | | | 31762.00<br>76826.00<br>158598.00 | प्रा.वि. में इन्टरलाकिंग हेतु भुगतान किसी भी प्रकार का अभिलेख व व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। |
| 5 | | | 79005.00 | खड़न्जा निर्माण कार्य में सामग्री व मजदूरी हेतु व्यय, किन्तु इससे निर्माण सम्बन्धी00 अभिलेख व व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। |
| | | | 31230.00<br>170975.00<br>36240. 00<br>40001.00<br>279446.00 | स्कूल गेट के निर्माण में भुगतान, किन्तु अभिलेख व व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। |
| | | | 26000.00 | नल मरम्मत में भुगतान इस सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। |
| | | | 51300.00 | डस्टविन क्रय सम्बन्धित आदेश, अभिलेख व व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। |
| | | | 18000.00 | नाली निर्माण सामग्री व मजदूरी भुगतान, अभिलेख व व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। |
| | | | 84158.00 | रू० दस लाख उन्यासी हजार पांच सी छिहत्तर मात्र । |

47784.00
54305.00
186247.00

1079576.00

उपरोक्त तथ्यों एवं विवरणों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में ग्राम स्वराज पोर्टल (प्रिया साफ्ट) के विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 1079576.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित ग्राम पंचायत मनीपुर द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया जा सका जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव प्रमाणकों के अभाव में आहरित धनराशि रू० 1079576.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्री सुभाषचन्द्र व सचिव श्री संजय शर्मा द्वारा किया गया जिससे 50 50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है (मू०आ०सं० 1)

ग्राम पंचायत - सराय स्माइल विकास खण्ड - सैदाबाद जनपद - प्रयागराज

वर्ष 2019-20 में कराये गये कार्यो सम्बन्धित आपत्तियों का विस्तृत विवरण :-

प्रस्तर -125

| क्र. सं. | कार्य विवरण | दिनांक | धनराशि | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित धनराशि प्रा०वि० में बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु प्रकाश एण्ड ब्रदर्स को | 02.05.2019<br>02.05.2019<br>06.05.2019<br>13.05.2019<br>14.05.2019<br>16.05.2019<br>16.05.2019<br>16.05.2019<br>16.05.2019<br>16.05.2019<br>16.05.2019<br>16.05.2019<br>23.05.2019<br>23.05.2019<br>14.06.2019<br>19.06.2019 | 60000.00<br>80262.00<br>31000.00<br>68769.00<br>43410.00<br>108384.00<br>108598.00<br>92000.00<br>92000.00<br>54499.00<br>68796.00<br>68796.00<br>68796.00<br>32000.00<br>46000,00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | ग्राम स्वराज पोर्टल पर स्कूल में बाउन्ड्रीवाल निर्माण हेतु रु० 1023295.00 व्यय दिखाया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान सम्बन्धित। कार्य के सभी अभिलेख अनुपलब्ध रहे. ब्याज सहित वसूली अपेक्षित। |
| 2 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित धनराशि इन्टरलाकिंग कार्य हेतु प्रकाश एण्ड ब्रदर्स को भुगतान | 17.05.2019<br>23.05.2019 | 50898.00<br>106442.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | ग्राम स्वराज पोर्टल पर रु० 157340.00 इन्टरलाकिंग कार्य पर व्यय दिखाया गया किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान कार्य सम्बन्धित सभी अभिलेख अनुपलब्ध रहे। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित |
| 3 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित धनराशि प्रधान मानदेय | 23.05.2019<br>08.03.2020 | 35000.00<br>38500.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | ग्राम स्वराज पोर्टल पर मानदेय भुगतान रु० 73500.00 दर्शाया गया है किन्तु प्रधान कौन व्यक्ति है सही व्यक्ति को भुगतान हुआ है इससे सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित । |
| 4 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित धनराशि हैण्ड पम्प रिबोर | 23.05.2019<br>23.05.2019<br>23.05.2019<br>23.05.2019<br>23.05.2019<br>19.06.2019 | 95100.00<br>75375.00<br>30324.00<br>47190.00<br>31900.00<br>63800.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | पोर्टल पर हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय रु० 343689.00 का व्यय दर्शाया गया है। यह नियमानुसार कराया गया है अथवा नहींए। अभिलेख की अनुपलब्धता पर पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित धनराशि हैण्ड पम्प मरम्मत | 23.05.2019 | 31800.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | मरम्मत पर व्यय रू0 31800.00 दर्शाया गया है। अभिलेख की उपलब्धता नहीं करवायी गयी। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित |
| 6 | स्कूल गेट निर्माण | 19.06.2019<br>16.07.2019<br>16.07.2019 | 10703.00<br>15076.00<br>25661.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | स्कूल गेट निर्माण पर पोर्टल पर रु० 51440.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान सारे अभिलेख अप्रस्तुत रहे। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित । |
| 7 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित धनराशि गेट निर्माण | 19.07.2019<br>19.07.2019 | 39584.00<br>23117.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | गेट निर्माण पर पोर्टल पर रु0 54701.00 व्यय दर्शाया गया है किन्तु लेखा परीक्षा के दौरान संबंधित सचिव द्वारा कोई भी अभिलेख। उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित। |
| 8 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित धनराशि सीमेन्टेड बैच का भुगतान | 19.03.2020 | 240000.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | सीमेन्टेड बेन्च के क्रय से सम्बन्धित सभी अभिलेख अनुपलब्ध रहे। |
| 9 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित। धनराशि डस्टविन हेतु भुगतान | 19.03.2020 | 240000.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | डस्टविन के क्रय से संबंधित सभी अभिलेख अनुपलब्ध रहे। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित। |
| 10 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित धनराशि प्रा०वि० में टाइल्स | 21.03.2020 | 84974.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय | प्रा०वि० सराय इस्माइल में टाइल्स पर व्यय रु० 84974.00 दर्शाया गया किन्तु लेखा। परीक्षा में अभिलेख अनुपलब्ध रहे। अतः ब्याज सहित वसूली अपेक्षित। |
| 11 | कालम संख्या 04 में उल्लिखित धनराशि फैसीलेटर का भुगतान | 21.03.2020 | 2500.00 | ग्राम प्रधान – श्री कृष्णकान्त ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय<br>2311239.00 | फॅसीलेटर से संबंधित कोई भी पहचान नहीं दर्शाया गया। अतः भुगतान संदिग्ध ब्याज सहित वसूली अपेक्षित । |

की गयी कुल धनराशि रू0 2311239.00 ( तेइस लाख ग्यारह हजार दो सौ उनतालीस मात्र) की पुष्टि – कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमो, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र खा परीक्षा में उपलब्ध नहीं किया गया। इसलिये लेखा परीक्षक मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में हित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रू0 2311239.00 को अपहरण निर्धारित या जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान प्रधान श्रीमती मीरा देवी एवं ग्राम पंचायत / ग्राम विकास अधिकारी श्री सर्वेश मिश्रा से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- सिठौली लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - सैदाबाद जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -126

ग्राम पंचायत सिठौली, वि०ख० सैदाबाद जनपद प्रयागराज के अनुपलब्ध अभिलेखों के कारण प्रिया साफ्ट के जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये है जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है

| क. सं. | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | | श्री रमेश चन्द्र यादव ग्रा.पं. प्रधान सिठौली50% श्री संजय शर्मा ग्रा.वि.अ. 50% | 7000.00<br>1000.00<br>22932.00<br>14660.00<br>16000.00<br>22000.00<br>10500.00<br>9000.00<br>16000,00<br>24570.00<br>9900.00<br>32000.00<br>185562.00 | ग्रा.पं. सिठौली में विभिन्न स्थानों पर खडन्जा निर्माण हेतु सामग्री एवं मजदूरी का काल्पनिक भुगतान किसी भी प्रकार का अभिलेख व व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा। |
| | | | 10000.00<br>16136.00<br>10000.00<br>10000.00<br>14000.00<br>10000.00<br>10000.00<br>73920.00<br>16136.00<br>15000.00<br>98560.00<br>25000.00<br>73920.00<br>73920.00<br>5000.00<br>17304.00<br>17304,00<br>98560.00<br>24640.00<br>98560.00<br>24640.00<br>24640.00<br>98560.00<br>12320.00<br>14784.00<br>98560.00<br>98560.00<br>31500.00<br>10000.00<br>98560.00<br>1230084.00 | ग्रा.पं. के विभिन्न स्थानों पर काल्पनिक इन्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री व मजदूरी का भुगतान किन्तु इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख नहीं प्राप्त व व्यय का प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा। |
| | | | 9800.00<br>10000.00<br>26600.00 | सबमर्सिबल पम्प, हैण्ड पम्प मरम्मत, हैण्ड पम्प रिबोर हेतु व्यय किन्तु न तो कोई अभिलेख 26600 मिले न ही कोई व्यय प्रमाणक प्राप्त हुआ। |

3000.00
31700.00
31700.00
26866.00
5000.00
65400.00
32700.00
10500.00
284964.00

प्रा.वि. के विभिन्न कमरो में टाइल्स का कार्य, मजदूरी व सामग्री में व्यय किन्तु प्रमाणक अप्रस्तुत रहे।

10000.00
4000.00
50400.00
5000.00
8684.00
162864.00
11402.00
104257.00
7240.00
363847.00

सोख्ता गड्ढा में व्यय, किन्तु लाभार्थियों की न तो कोई सूची न ही अभिलेख प्रस्तुत हुआ व्यय अप्रमाणक भी प्रस्तुत रहा।

15000.00
6826.00
6826.00
28652.00

पक्की नाली निर्माण कार्य हेतु सामग्री मजदूरी का भुगतान किन्तु सम्बन्धित अभिलेखों के साथ-साथ व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहे।

5000.00
50400.00
39193.00
28110.00
74875.00
20000.00
17000.00
17000.00
50000.00
301578.00

ग्रा.पं. में बउन्ड्रीवाल का निर्माण हेतु सामग्री मजदूरी भुगतान समस्त सम्बन्धित अभिलेख अप्रस्तुत रहे व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा।

डस्टविन क्रय, लेखा परीक्षा में किसी भी प्रकार का अभिलेख अनुपलब्ध व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा।

28714.00
34000.00
22196.00
28000.00
45864,00
158774.00

लाइट क्रय लेखा परीक्षा में लाइट क्रय जी.ओ. व अन्य अभिलेख अप्रस्तुत रहा. व्यय प्रमाणक भी अप्रस्तुत रहा।

24000.00

सीमेन्टेड बेंच का क्रय सम्बन्धित अभिलेख व व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहा।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 183000.00 | रु० बत्तीस लाख चौसठ हजार चार सौ तिरसठ मात्र) |
| | | | 180000.00<br>108000.00<br>288000.00 | |
| | | | 3264463.00 | |

उपरोक्त तथ्यों एवं विवरणों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में ग्राम स्वराज पोर्टल (प्रिया साफ्ट) के विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 3264463.00.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित ग्राम पंचायत सिठौली द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया जा सका जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव प्रमाणकों के अभाव में आहरित धनराशि रू0 3264463.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्री सुभाषचन्द्र व सचिव श्री संजय शर्मा द्वारा किया गया जिससे 50 50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 1)

नाम संस्था- रसूलपुर मवैया लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - सैदाबाद जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -127

ग्राम पंचायत रसूलपुर मवैया, वि०ख० सैदाबाद जनपद प्रयागराज के अनुपलब्ध अभिलेखों के कारण प्रिया साफ्ट के जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा सम्पन्न की गई जिसमें निम्नलिखित अपहरण प्रकाश में आये हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है-

| क. सं. | मूल आपत्ति संख्या | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | सन्निहित धनराशि | आपत्ति का विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | | श्रीमती गीता देवी ग्रा.पं. प्रधान सिठौली 50% श्री संजय शर्मा ग्रा.वि.अ. 50% | 28011.00<br>20550.00<br>41194.00<br>12500.00<br>13200.00<br>29700.00<br>32500.00<br>36964.00<br>24500.00<br>28500.00<br>75500.00<br>21500.00<br>404619.00 | हैण्ड पम्प रिबोर, मरम्मत, मजदूरी सम्बन्धी भुगतान रू० 404619.00 हुआ. जिससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहे। |
| | | | 41602.00<br>44857.00<br>86459.00 | रू० 86459.00 विद्यालय में मिट्टी फिलिंग का कार्य प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। |
| | | | 31029.00<br>34423.00<br>140174.00<br>80000.00<br>69500.00<br>37655.00<br>392781.00 | रू0 392781.00 का व्यय बाउन्ड्रीवाल के सामग्री व मजदूरी भुगतान, आवश्यक व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। |
| | | | | स्कूल में लाईट स्टेशनरी इत्यादि पर खर्च अन्डरग्राउंड नाली निर्माण पर |

| | |
|---|---|
| 88895.00<br>4208.00<br>166266.00<br>259369.00 | व्यय किन्तु किसी भी प्रकार का अभिलेख व व्यय प्रमाणक अप्रस्तुत रहे। |
| 1143228.00 | (रू० ग्यारह लाख तिरालीस हजार दो सौ अट्ठाइस मात्र) |

उपरोक्त तथ्यों एवं विवरणों के सापेक्ष लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध अपेक्षित अभिलेखों के अभाव में ग्राम स्वराज पोर्टल (प्रिया साफ्ट) के विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में रू0 1143228.00 का व्यय किया गया जिससे सम्बन्धित ग्राम पंचायत रसूलपुर मवैया द्वारा कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं करवाया जा सका जिससे खर्च की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतएव प्रमाणकों के अभाव में आहरित धनराशि रू० 1143228.00 का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती गीता देवी व सचिव श्री संजय शर्मा द्वारा किया गया जिससे 50 : 50 के अनुपात में ब्याज के साथ वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मू०आ०सं० 1)

अधिभार प्रतिवेदन वर्ष 2019.20

विकास खण्ड - सोरांव

ग्राम पंचायत - गोहरी

प्रस्तर -128

अधिभार में सन्निहित आपत्ति का विस्तृत विवरण :-

आलोच्य वर्ष 2019–20 में ग्राम पंचायत गोहरी में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि आहरित की गयी है-

| क्र० | दिनांक | चेक संख्या | धनराषि |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.04.2019 | 118419 | 2100.00 |
| 2 | 05.04.2019 | 118420 | 86533.00 |
| 3 | 08.04.2019 | 118427 | 19740.00 |
| 4 | 23.05.2019 | 118434 | 3000.00 |
| 5 | 23.05.2019 | 118435 | 2000.00 |
| 6 | 23.05.2019 | 118433 | 2000.00 |
| 7 | 27.05.2019 | 118436 | 5000.00 |
| 8 | 07.06.2019 | 118437 | 4000.00 |
| 9 | 18.06.2019 | 118440 | 2000.00 |
| 10 | 18.06.2019 | 118438 | 2000.00 |
| 11 | 18.06.2019 | 118439 | 2000.00 |
| 12 | 20.06.2019 | 118441 | 2000.00 |
| 13 | 04.07.2019 | 462083 | 5094.00 |
| 14 | 04.07.2019 | 462076 | 8478.00 |
| 15 | 05.07.2019 | 462084 | 4033.00 |
| 16 | 04.07.2019 | 462089 | 104457.00 |
| 17 | 02.07.2019 | 462096 | 76602.00 |
| 18 | 25.07.2019 | 462105 | 31648.00 |
| 19 | 25.07.2019 | 462107 | 33155.00 |
| 20 | 25.07.2019 | 462104 | 5604.00 |
| 21 | 25.07.2019 | 462106 | 7714.00 |
| 22 | 25.07.2019 | 462103 | 68521.00 |
| 23 | 29.07.2019 | 462112 | 142961.00 |
| 24 | 29.07.2019 | 462113 | 68521दृ00 |
| 25 | 30.07.2019 | 462101 | 2000.00 |
| 26 | 01.08.2019 | 462115 | 68521.00 |
| 27 | 01.08.2019 | 462114 | 142961.00 |
| 28 | 05.08.2019 | 462120 | 134400.00 |
| 29 | 09.08.2019 | 462097 | 2860.00 |
| 30 | 13.08.2019 | 462128 | 5352.0 |

| | | | योग | 1045255.00 |
|---|---|---|---|---|

उक्त आहरित धनराशि से ग्राम पंचायत में क्या कार्य कराया गयाए कहां कराया गयाए कहीं कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उक्त समस्त धनराशि को अपहरण मानते हुए सन्निहित धनराशि श्री राम अभिलाष एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चमेला देवी से ब्याज सहित वसूल की जानी अपेक्षित है।

**विकास खण्ड** - सोरांव **ग्राम पंचायत -** सरायलाल खातून उर्फ शिवगढ़

**अधिभार में सन्निहित आपत्ति का विस्तृत विवरण :-**

प्रस्तर -129

आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 28.02.2022 को रू0 77840.00 व्यय कर ग्राम पंचायत के लिए लैपटाप कय किया गया है तथा दिनांक 28.02.22 को रू0 21999.00 व्यय कर ग्राम पंचायत में फोटो कापी हेतु प्रिन्टर कय का भुगतान किया गया है। ग्राम पंचायत हेतु लैपटाप व प्रिन्टर किस शासनादेश या नियम के अनुसार तथा किस कार्यवाही प्रस्ताव कके अनुसार किया गया । लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति पंजी० भी प्रस्तुत् नहीं कि गयी। अतः उक्त अनियमित व्यय रू0 99839.00 को दुर्विनियोग मानते हुए धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान अंजली केसरवानी से रू0 49920.00 तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र सिंह से रू0 49920.00 से किया जाना अपेक्षित है। विभागीय अधिकारियो का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। (मूल आपत्ति क0 15)

**विकास खण्ड** - सोरांव **ग्राम पंचायत** - यूसुफपुर

**अधिभार में सन्निहित आपत्ति का विस्तृत विवरण :-**

**प्रस्तर**-130

आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार आहरण किया गया है किन्तु इसके सापेक्ष व्यय तथा व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे :-

| क्र0 | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 22.04.2019 | 92703.00 |
| 2 | 23.04.2019 | 12990.00 |
| 3 | 04.07.2019 | 118795.00 |
| 4 | 04.07.2019 | 68096.00 |
| 5 | 06.07.2019 | 15070.00 |
| 6 | 12.07.2019 | 2100.00 |
| 7 | 16.07.2019 | 64241.00 |
| 8 | 16.07.2019 | 37800.00 |
| 9 | 16.07.2019 | 162178.00 |
| 10 | 16.07.2019 | 25858.00 |
| 11 | 16.07.2019 | 25858.00 |
| 12 | 16.07.2019 | 16128.00 |
| 13 | 16.07.2019 | 149759.00 |
| 14 | 16.07.2019 | 34200.00 |
| 15 | 06.08.2019 | 2600.00 |
| 16 | 11.02.2019 | 3000.00 |
| | योग | 977426.00 |

अतः धनराशि रू0 977426.00 ;नौ लाख सतहत्तर हजार चार सौ छब्बीस मात्र) की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री प्रदीप कुमार (रू0 488713.00) तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री राम अभिलाष से (रू0 488713.00 बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है ।

विकास खण्ड -सोरांव ग्राम पंचायत - भदरी

**प्रस्तर** -131

65ए आलोच्य वर्ष ग्राम पंचायत भदरी में निम्नलिखित विवरण के अनुसार हैण्डपम्प रीबोर पर व्यय किया गया है:-

| दिनांक | धनराशि | मद |
|---|---|---|
| 25.10.2019 | 34596.00 | 01 नग इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रीबोर |
| 19.03.2020 | 108011.00 | 03 नग हैण्डपम्प रीबोर |

उक्त रिबोर के लिए मांग पत्र परिसम्पत्ति पंजी जी.पी.एस. सूची सक्षम अधिकार प्राप्त तकनीकी समिति की प्राथमिकता सूचीत्र व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे। अतः उक्त व्यय की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मूलनारायण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम शिरोमणि तिवारी से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है। आपत्ति क्रमांक 15

दिनांक 19.11.2019 को रू0 38990.00 कार्यालय व्यवस्था हेतु व्यय दर्शाया गया है किन्तु इस व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, क्रय की गयी सामग्री की सूची तथा परिसम्पत्ति पंजी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी है अतः धनराशि रू0 38990.00 की आधी आधी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मूलनारायण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम शिरोमणि तिवारी से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है। आपत्ति क्रमांक 16

(ख)दिनांक 05.02.2020 को रू0 2000.00 का व्यय गणतंत्र दिवस हेतु विज्ञापन पर किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा विज्ञापन हेतु व्यय किया जाना नियम विरूद्ध रहा। अतः धनराशि रू0 2000.00 की आधी आधी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मूलनारायण एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम शिरोमणि तिवारी से बराबर बराबर मात्रा में की जानी अपेक्षित है। आपत्ति क्रमांक 17

विकास खण्ड- सोरांव ग्राम पंचायत दृ 0+परशुराम

अधिभार में सन्निहित आपत्ति का विस्तृत विवरण -

प्रस्तर -132

आलोच्य वर्ष 2019-20 में दिनांक 05.07.20199 को चेक संख्या 5267 से रू0 21000.00 प्रधान के मानदेय हेतु भुगतान किया गया है। यह मानदेय रू0 3500.00 की दर से 06 माह का होता है किन्तु लेखा परीक्षा में मानदेय पंजी तथा मानदेय की अवधि का विवरण प्रसतुत नहीं किया गया कि किस अवधि का मानदेय दिया गया। अतः उक्त अनियमित व्यय रू0 21000.00 को अपहरण मानते हुए रू0 21000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र मौर्य से रू0 10500.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी सुश्री अन्नपूर्णा शुक्ला से रू0 10500.00 आधी आधी मात्रा में किया अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति सं0- 06

प्रस्तर 133

आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित निर्माण कार्य पर व्यय किये गये हैं:-

| दिनांक | धनराशि | मद |
|---|---|---|
| 05.03.2020 | 91748.00 | व्यय बाबत चैरसिया के घर से लल्लन के घर तक खड़ंजा निर्माण हेतु एस.बी.इण्टरप्राइजेज को भुगतान |
| 05.03.2020 | 23464.00 | व्यय बाबत मजदूरी भुगतान |
| 16.03.2020 | 38696.00 | व्यय बाबत वासुदेव के घर से मेन सड़क तक नाली निर्माण हेतु सामग्री मजदूरी एस.के. इण्टरप्राइजेज को भुगतान |
| 16.03.2020 | 132000.00 | व्यय बाबत नाली हेतु सामग्री क्रय |

उक्त व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक, एम.बी. बुक, कार्यवाही प्रस्ताव संख्या, श्रमिक चिटठा, परिसम्पत्ति पंजी आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। अतः उक्त व्यय रू0 285908.00 को अपहरण मानते हुए रू 285908.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश चन्द्र मौर्य से रू0 142954.00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम शिरोमणि तिवारी से रू0 142954.00 आधी आधी मात्रा में किया अपेक्षित है ।

मूल आपत्ति सं0- 07

नाम संस्था- **घोघापुर** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - चाका जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -134

ग्राम पंचायत- घोघापुर की वितीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 2099216.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमवी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल / अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 2099216.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2099216.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1049608.00 ग्राम प्रधान श्री जटाशंकर से एवं रुपया 1049608.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री रवि शंकर पाण्डेय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

(सामान्य आपत्ति संख्या )

नाम संस्था- **मडौका उपरहार** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - चाका जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -135

ग्राम पंचायत मडौका उपरहार की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 1913253.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल / अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1913253.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर-४ (+) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार यदि दर्शाने गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ डी. पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1913253.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा मयुंक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 956626.50 ग्राम प्रधान श्री बालराज से एव रुपया 956626.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री रोहित भारतीय से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 1)

नाम संस्था- **ददरी तालुका नैनी ददरी** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - चाका जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -136

ग्राम पंचायत ददरी तालुका नैनी ददरी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम(1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 1414748.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाय गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल / अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 1414748.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ डी. पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा

सकेगा। उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 1414748.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 707374.00 ग्राम प्रधान श्री सुधीर तिवारी से एवं रुपया 707374.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री कमल सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 1)

नाम संस्था- **चक बबुरा अलिमाबाद** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - चाका जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -137

ग्राम पंचायत चक बबुरा अलिमाबाद की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 3418675.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाय गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल / अनयूज्ड बैंक, बैक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय तकनीकी प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 3418675.00 का अपहरण कर लिया गया प्रतीत होता है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-57 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ डी. पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 3418675.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1709337.50 ग्राम प्रधान श्रीमति अफरोज जहाँ से एव रुपया 1709337.50 ग्राम पंचायत श्री सचिव कमल सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 1)

नाम संस्था- **हथिगन** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - चाका जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -138

ग्राम पंचायत- हथिगन की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि 1- प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 7196991.00 धनराशि आह्नित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वितीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 7196991.00 का अपहरण कर लिया गया ।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ डी. पी. आर. ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखा परीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 7196991.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 3598495.50 ग्राम प्रधान श्रीमती प्रीती से एवं रुपया 3598495.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री अनिल कुमार से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

(सामान्य आपत्ति संख्या- 1)

नाम संस्था- चक अभयराम लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - चाका जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -139

ग्राम पंचायत- चक अभयराम की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 2553568.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय - अनुसार ग्रामनि पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वितीय/ तकनीकी/ प्रशासनि स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप प्रमाणकविहीन रहा प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 2553568.00 का अपहरण लिया गया ।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दि विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ डी. पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया ज सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2553568.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एक संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1276784.00 ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार से एवं रुपया 1276784.00 ग्राम पंचायत सचिव सुश्री नेहा कामले से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |

(सामान्य आपत्ति संख्या- 1)

नाम संस्था- **चाका** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - चाका जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत चाका**
प्रस्तर -140
ग्राम पंचायत चाका की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 7509519.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 7509519.00 का अपहरण कर लिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है। तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ डी. पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 7509519.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 3754759.50 ग्राम प्रधान श्री शिवाकांत से एवं रुपया 3754759.50 ग्राम पंचायत सचिव श्री रविशंकर सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 1)

नाम संस्था- **महेवा** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - चाका जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत- महेवा**
प्रस्तर -141

ग्राम पंचायत- महेवा की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 5945250.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है । परन्तु दर्शाये गए व्यय = अनुसार ग्रामनिि पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, वै समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनि स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 5945250.00 का अपहरण कर लिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दि विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ डी. पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया ज सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 5945250.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 2972625.00 ग्राम प्रधान श्री कल्याण कुमार से एवं रुपया 2972625.00 ग्राम पंचायत सचिव श्री रविशंकर सिंह से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 1)

नाम संस्था- **चकराना तिवारी** लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - चाका जनपद - प्रयागराज

**ग्राम पंचायत- चकराना तिवारी**
प्रस्तर -142
ग्राम पंचायत- चकराना तिवारी की वित्तीय वर्ष- 2019-20 प्रियासॉफ्ट फीडिंग / ई ग्राम स्वराज फीडिंग के अनुसार ग्रामनिधि प्रथम (1) के राज्य वित्त से संबन्धित बैंक खाते से रुपया 2185729.00 धनराशि आह्नित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गए व्यय की पुष्टि में कोषवही, बैंकस्टेटमेंट, वाउचर, फाइल, एमबी बुक, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, चेकबुक काउंटर फाइल /अनयूज्ड चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, कार्यवाही रजिस्टर, अचल सम्पत्ति रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, वित्तीय/ तकनीकी/ प्रशासनिक स्वीकृति आदि कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा में बार-बार मांगे जाने के बाद भी पस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा | प्रमाणकविहीन व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की दुरभिसन्धि से रुपया 2185729.00 का अपहरण कर लिया गया है।

उक्त के सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि पंचायतराज नियमावली के अध्याय-13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1)(क) में विनिर्दिस्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के प्रस्तर- 8 (क) पृष्ठ-36-37 पर उल्लिखित प्राविधानो के अनुसार- यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान तथा संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी । ब्याज सहित वसूली के साथ-साथ डी.पी.आर.ओ. द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उक्त नियमों का उल्लंघन करके लेखापरीक्षा वर्ष में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रुपया 2185729.00 का अपहरण ग्राम प्रधान एवं संम्बधित ग्राम पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से कर लिया गया है।

अतः समान रूप से रुपया 1092864.50 ग्राम प्रधान श्री राजकुमार तिवारी से एवं रुपया 1092864.50 ग्राम पंचायत सचिव सुश्री नेहा कामले से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(सामान्य आपत्ति संख्या- 1)

नाम संस्था- कोसफरा कला लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - कोराव जनपद - प्रयागराज
प्रस्तर -143

| उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | कसं | दिनांक | वाउचर पी एफ एम एस | धनराशि (रुपये) | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| प्रतिभा सिंह (प्रधान | 1 | 3-4-2019 | 425 | 30800.00 | हैन्डपम्प मरम्मत की सामग्री पूनम इंटरप्राइजेज को भुगतान |
| | 2 | 3-4-2019 | 426 | 9000.00 | हैन्डपम्प मरम्मतकी मजदूरी विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| राजीवमिश्रा (सचिव | 3 | 6-4-2019 | 428 | 5000.00 | प्रशासनिक कार्य हेतु सामग्री विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| | 4 | 10-4-2019 | 429 | 15400.00 | हैन्डपम्प मरम्मत की सामग्री पूनम इंटरप्राइजेज को भुगतान |
| | 5 | 10-4-2019 | 470 | 5000.00 | प्रशासनिक कार्य हेतु सामग्री विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| | 6 | 2-7-2019 | 433 | 30800.00 | हैन्डपम्प मरम्मत की सामग्री पूनम इंटरप्राइजेज को भुगतान |
| | 7 | 2-7-2019 | 435 | 5000.00 | डॉ अंबेडकर जयंती पर व्यय विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| | 8 | 2-7-2019 | 434 | 10000.00 | हैन्डपम्प मरम्मतकी मजदूरी विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| | 9 | 5-7-2019 | 346 | 41664.00 | ह्यूम पाइप पर गंगे नमामि ट्रेडर्स को भुगतान |
| | 10 | 8-7-2019 | 347 | 8736.00 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| | 11 | 12-7-2019 | 398 | 159910.00 | जीत लाल के घर से बुलबुल के घर तक इंटरलकिनग कार्य सामग्री पूनम इंटरप्राइजेज को भुगतान |
| | 12 | 19-7-2019 | 398 | 10123.00 | उपरोक्त कार्य हेतु विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| | 13 | 19-7-2019 | 349 | 20560.00 | उपरोक्त कार्य हेतु विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| | 14 | 23-7-2019 | 353 | 22598.00 | मेन रोड से मोती लाल के घर के सामने मंदिर तक इंटर लॉकिंग की मजदूरी |
| | 15 | 23-7-2019 | 352 | 177017.00 | मेन रोड से मोती लाल के घर के सामने मंदिर तक इंटर लॉकिंग की सामग्री पूनम इंटरप्राइजेज को |
| | 16 | 23-7-2019 | 356 | 126364.0 | मेन रोड से बबलू के घर तक इंटर लॉकिंग की सामग्री पूनम इंटरप्राइजेज को |
| | 17 | 23-7-2019 | 354 | 16198.00 | उपरोक्त कार्य हेतु विनोद कुमार सिंह को भुगतान |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | 1-8-2019 | 355 | 121315.00 | मेन रोड से बुढ़ाई मैया तक इंटर लॉकिंग की सामग्री पूनम इंटरप्राइजेज को भुगतान |
| | 19 | 10-8-2019 | 357 | 21540.00 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| | 20 | 2-8-2019 | 358 | 20832.00 | ह्यूम पाइप पर गंगे नमामि ट्रेडर्स को भुगतान |
| | 21 | 30-8-2019 | 26 | 15800.00 | हैन्डपम्प मरम्मत की सामग्री पूनम इंटरप्राइजेज को भुगतान |
| | 22 | 30-8-2019 | 406 | 4884.00 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी विनोद कुमार सिंह को भुगतान |
| | 23 | 13-3-2020 | 41 | 33960.00 | हैन्डपम्प मरम्मत की सामग्री पूनम इंटरप्राइजेज को भुगतान |
| | | | योग | 912501.00 | |

उपरोक धनराशि को अनधिकृत रूप से आहरित कर व्यय के रूप मे दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं रहा व्यय धनराशियों से संबंधित कार्य पत्रावली, व्यय वाउचर, परिसंपत्ति रजिस्टर निर्माण कार्य पत्रावली कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर/कोटेशन, फर्म का ग्राम सभा मे रजि० नंबर एमबी ब OOK, स्टिमेट, आदि लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज नियमावली अधिनियम 1947 के नियम- 198,204,205,209, एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः धनराशि रुपया = 912501.00 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड - 8 (क) के तहत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिभासिंह एवं सचिव श्री राजीव मिश्रा से बराबर- बराबर की जानी अपेक्षित है (मूल आपत्ति संख्या 01)

टिप्पणी-ग्राम पंचायत कोसफरा कला मे पूनम इंटर प्राइजेज द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गई है किन्तु लेखा परीक्षा मे उक्त फर्म से संबंधित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया अतः उपरोक्त फर्म की जांच भी अपेक्षित है साथ ही विनोद कुमार सिंह नामक व्यक्ति को भी ग्राम निधि की धनराशि ट्रांसफर की गई है जांच अपेक्षित है /

नाम संस्था- बैदवार कला लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - कोराव जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -144

| उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | कसं | दिनांक | धनराशि (रुपये) | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| कामता प्रसाद (प्रधान) \| | 1 | 18-4-2019 | 34600.00 | अज्ञात व्यक्ति को हैन्डपम्प मरम्मत पर भुगतान |
| | 2 | 25-4-2019 | 60000.00 | हैन्डपम्प रिबोर कार्य पाल बस्ती में भुगतान |
| | 3 | 30-4-2019 | 60000.00 | हैन्डपम्प रिबोर कार्य पाल बस्ती में भुगतान |
| | 4 | 7-5-2019 | 120500.00 | संतोष घरवार के घर के सामने हैन्डपम्प रिबोर पर भुगतान |
| | 5 | 7-5-2019 | 110000.00 | अज्ञात व्यक्ति को हैन्डपम्प मरम्मत पर भुगतान |
| राजीव मिश्र (सचिव)) | 6 | 7-5-2019 | 35000.00 | अज्ञात व्यक्ति को हैन्डपम्प मरम्मत पर भुगतान |
| | 7 | 8-5-2019 | 105000.00 | कमला पाल के दर वाजे पर हैन्डपम्प रिबोर कार्य |
| | 8 | 3-7-2019 | 25700.00 | अज्ञात व्यक्ति को डैन्डपम्प मरम्मत मजदूरी |
| | 9 | 10-7-2019 | 35000.00 | अज्ञात व्यक्ति को हैन्डपम्प सामग्री पर भुगतान |
| | 10 | 3-8-2019 | 150000.00 | अज्ञात व्यक्ति को प्रा वि मे शौचालय निर्माण हेतु सामग्री पर भुगतान |
| | 11 | 6-8-2019 | 125000.00 | हरिजन बस्ती मे रिबोर व समरसेबुल कार्य पर अज्ञात व्यक्ति को भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 12 | 8-8-2019 | 37867.00 | शौचालय अवशेष सामग्री पर अज्ञात को भुगतान |
| | 13 | 8-8-2019 | 39067.00 | अज्ञात व्यक्ति को हैन्डपम्प मरम्मत पर भुगतान |
| | 14 | 8-8-2019 | 177036.00 | अज्ञात व्यक्ति को प्रा वि मे शौचालय निर्माण हेतु सामग्री पर भुगतान |
| | 15 | 8-8-2019 | 89882.00 | कोलान बस्ती मे रिबोर कार्य पर अज्ञात को भुगतान |
| | 16 | 8-8-2019 | 68358.00 | धरकर बस्ती मे हैन्डपम्प मरम्मत पर अज्ञात भुगतान |
| | 17 | 8-8-2019 | 24424.00 | अज्ञात व्यक्ति को हैन्डपम्प मरम्मत पर भुगतान |
| | 18 | 8-8-2019 | 65200.00 | हरिजन बस्ती मे अज्ञात व्यक्ति को हैन्डपम्प मरम्मत पर भुगतान |
| | 19 | 9-8-2019 | 23451.00 | अज्ञात व्यक्ति को हैन्डपम्प मरम्मत पर भुगतान |
| | 20 | 17-3-2020 | 159420.00 | राम आसरे कुरवाहा के घर से डब्ल्यू बी एम कार्य पर अज्ञात को भुगतान |
| | 21 | 17-3-2020 | 120024.00 | या व बैदवार कला में टाइला कार्य पर अज्ञात को भुगतान |
| | 22 | 27-3-2020 | 85901.00 | रिबोर कार्य पर अज्ञात को भुगतान |
| | | योग | 1616430.00 | |

उपरोक्त धनराशि को अनधिकृत रूप से आहरित कर व्यय के रूप मे दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं रहा व्यय धनराशियों से संबंधित कार्य पत्रावली, व्यय वाउचर परिसंपत्ति रजिस्टर, निर्माण कार्य पत्रावली कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर कोटेशन, कर्म का ग्राम सभा मे रजि० नंबर एमबी बुक , स्टिमेट आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यापक की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज नियमावली अधिनियम 1947 के नियम 198,204,205,209, एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः धनराशि रुपया 1616430.00 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड - 8 (क) के तहत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कामता प्रसाद एवं सचिव श्री राजीव मिश्रा से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है मूल आपत्ति संख्या -01)

नाम संस्था- बढ़वारी कला लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
विकास खंड - कोराव जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -145

| उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | कसं | दिनांक | धनराशि (रुपये) | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| कामता प्रसाद (प्रधान) \| राजीव मिश्र (सचिव)) | 1 | 03-04-2019 | 42000.00 | अज्ञात को प्रशासनिक व्यय पर भुगतान |
| | 2 | 03-04-2019 | 35500.00 | अज्ञात को हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय |
| | 3 | 5-4-2019 | 4000.00 | अज्ञात को हैन्डपम्प मरम्मत की मजदूरी |
| | 4 | 5-4-2019 | 3000.00 | अज्ञात को हैन्डपम्प मरम्मत की मजदूरी |
| | 5 | 9-4-2019 | 15150.00 | अज्ञात को हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय |
| | 6 | 7-6-2019 | 15000.00 | अज्ञात को हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय |
| | 7 | 2-7-2019 | 320000.00 | ग्राम पंचायत बढ़वारी मे गौशाला सामग्री हेतु अज्ञात को भुगतान |
| | 8 | 3-7-2019 | 30800.00 | अज्ञात को हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय |
| | 9 | 4-7-2019 | 300000.00 | ग्राम पंचायत बढ़वारी मे गौशाला सामग्री हेतु अज्ञात को भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 10 | 6-7-2019 | 20000.00 | गौशाला निर्माण हेतु मजदूरी |
| | 11 | 12-7-2019 | 90000.00 | गौशाला स्थल पर रिपोर पर अज्ञात को भुगतान |
| | 12 | 15-7-2019 | 100000.00 | मा वि मे माडल शौचालय हेतु सामग्री पर अज्ञात को भुगतान |
| | 13 | 16-7-2019 | 32500.00 | मा वि मे माडल शौचालय हेतु मजदूरी पर अज्ञात को भुगतान |
| | 14 | 26-7-2019 | 30000.00 | अज्ञात को हैन्डपम्प सामग्री पर व्यय |
| | 15 | 19-7-2019 | 452299.00 | डब्ल्यू बी एम कार्य बढ़वारी ग्राम पंचायत में व्यय अज्ञात को |
| | 16 | 23-3-2019 | 95713.00 | पप्पू तिवारी के घर के पास पम्प रिबोरे पर अज्ञात को भुगतान |
| | | योग | **1585962.00** | |

उपरोक्त धनराशि को अनरूप से आहरित कर के रूप में दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं रहा धनराशियों से संबंधित कार्यालयबार परिसंपति रजिस्टर निर्माणकार्ययोजना कार्यवाही रजिस्टर मूर्ति प्रमाणपत्र उपभोग प्रमाणपत्र टेंडरकोटेशन का ग्रामसभा नंबर एमडी बुक परीक्षा में न रहने से की पुष्टि नहीं की जा सकी राजनियम 1947 के नियम - 198,204,205,209 एवं 210 के कार्याध रुपया 158596200 की एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड के तहत यह प्रधान श्री हरीशचंद एवं सचिव श्री राजीव कुमार से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

नाम संस्था- नीबी लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

विकास खंड - कोराव जनपद - प्रयागराज

प्रस्तर -146

| उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | कसं | वाउचर पी एफ एम एस | धनराशि (रुपये) | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| देवी (प्रधान)<br><br>राकेश कुमार सचिव | 1 | 4 वां एस एफ सी /2019-20/पी /1 | 18900.00 | हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 2 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /3 | 20200.00 | निर्वाचन स्थल पर सोलर लैम्प हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 3 | 4 वां एस एफ सी /2019-20/पी /2 | 5000.00 | हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 4 | 4 वां एस एफ सी /2019-20/पी /3 | 22800.00 | हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 5 | 4 वां एस एफ सी /2019-20/पी /4 | 24600.00 | हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 6 | 4 वां एस एफ सी /2019-20/पी /5 | 5000.00 | हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु प्रधान सुशील देवी को भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 7 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /4 | 91423.00 | प्राइमरी स्कूल मे टाइल्स, ईट, फर्स की मरम्मत हेतु |
| | 8 | एफ एफ सी /2019-20/पी /5 | 25704.00 | सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 9 | 4 वां एस एफ सी /2019- 20/पी /12 | 90440.00 | अज्ञात सप्लायर को धूम पाइप खरीद पर भुगतान |
| | 10 | | | |
| | 11 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /8 | 72170.00 | तालाब के पास चबूतरा निर्माण कार्य हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 12 | 4 वां एस एफ सी /2019- 20/पी /6 | 20132.00 | हेन्ड पम्प मरम्मत हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 13 | एफ एल सी /2019- 20/पी /10 | 152000.00 | कोराव संपर्क मार्ग से लालजी भारतीय के घर तक इंटरलाकिन्ग हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 14 | एफ एल सी /2019- 20/पी /9 | 30000.00 | कोराव संपर्क मार्ग से लालजी भारतीय के घर तक इंटरलाकिन्ग हेतु प्रधान सुशीला देवी को भुगतान |
| | 15 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /1 | 3500.00 | टेंडर प्रकाशन हेतु शशि कान्त को भुगतान |
| | 16 | एफ टी सी /2019- 20/पी /7 | 16310.00 | चबूतरा निर्माण कार्य हेतु प्रधान सुशीला देवी को भुगतान |
| | 17 | 4 वां एस एफ सी /2019- 20/पी /7 | 30110.00 | हैन्ड पम्प मरम्मत हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 18 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /11 | 37450.00 | कोराव संपर्क मार्ग से लालजी भारतीय के घर तक इंटरलाकिन्ग हेतु प्रधान सुशीला देवी को भुगतान |
| | 19 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /12 | 203500.00 | कोराव संपर्क मार्ग से लालजी भारतीय के घर तक इंटरलाकिन्ग हेतु सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | 20 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /13 | 60115.00 | डैन्डपम्प रिबोर हेतु साई इंटर प्राइजेज को भुगतान |
| | 21 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /14 | 59552.00 | हैन्डपम्प रिबोर हेतु साई इंटर प्राइजेज को भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 22 | एफ एल सी /2019- 20/पी /15 | 54466.00 | हिन्डपम्प रिबोर हेतु साई इंटर प्राइजेज को भुगतान |
| | 23 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /16 | 41358.00 | नीबी के लोहरान बस्ती मे पुलिया निर्माण पर |
| | 24 | एफ एफ सी /2019- 20/पी /18 | 59552.00 | हैन्डपम्प रिबोर हेतु साई इंटर प्राइजेज को भुगतान सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान |
| | | योग | **1149418.00** | |

उपरोक्त धनराशि को अनधिकृत रूप से आहरित कर व्यय के रूप में दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं रहा व्यय धनराशियों से संबंधित कार्य पत्रावली, व्यय वाउचर, परिसंपत्ति रजिस्टर निर्माण कार्य पत्रावली कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर/कोटेशन फर्म का ग्राम सभा मे रजि० नंबर एमबी ब OOK, स्टिमेट, आदि लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज नियमावली अधिनियम 1947 के नियम 198,204,205,209, एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः धनराशि रुपया -1149418.00 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड-8(क) के तहत ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं सचिव श्री राकेश कुमार से बराबर बराबर की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या -01)

ग्राम पंचायत - तरांव विकास खण्ड - कोराव जनपद - प्रयागराज

2018-19

प्रस्तर - 147

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत से निम्न लिखित तिथियों में आहरित धनराशि को कैश बुक व्यय में दर्शित किया गया है जो निम्न प्रकार है।

| क्र. | आरदायी कर्मचारी/अधिकारी का नाम | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सुमन देवी (प्रधान), 2156208.00 श्री राजीव चित 2156208.00 | 05-04-2018 | 314 | 54000.00 | राजेन्द्र के खेत से प्रकाश के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय |
| 2 | | 19-04-2018 | 311 | 18758.00 | सफाई किट पर व्यय |
| | | 05-05-2018 | 313 | 39525.00 | प्रकाश शुक्ला के खेत से कमलेश मिश्रा के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय |
| | | 25-05-2018 | 335 | 81391.00 | यादव बस्ती में पुलिया निर्माण सामग्री क्रय पर व्यय |
| 5 | | 02-06-2018 | 337 | 164500.00 | हैंडपम्प रिबोर पेमेंट |
| 6 | | 07-06-2018 | 340 | 60000.00 | हैन्ड पम्प मरम्मत और सामग्री पर व्यय |
| 7 | | 29-06-2018 | 318 | 160700.00 | राकांत उर्फ मुख्तार शुक्ला के खेत से एक तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय |
| 8 | | 30-03-2018 | 344 | 86075.00 | हयूम पाइप पर व्यय |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 30-08-2018 | 319 | 151000.00 | प्रा वि तरांव में बाउंड्री वाल निर्माण सामग्री |
| 10 | | 30-08-2018 | 317 | 198700.00 | प्रावि तव(प्रथम) इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय |
| 11 | | 31-08-2018 | 242 | 100000.00 | प्रावि (प्रथम) बाउंड्री वाल निर्माण सामग्री प्रा वि तव(प्रथम) में बाउंड्री वाल निर्माण सामग्री |
| 12 | | 31-08-2018 | 243 | 150000.00 | प्रा वि तव(प्रथम) में बाउंड्री वाल निर्माण सामग्री |
| 13 | | 31-08-2018 | 244 | 94500.00 | प्रा वि तव(प्रथम) में बाउंड्री वाल निर्माण सामग्री |
| 14 | | 31-08-2018 | 325 | 300000.00 | प्रा वि तराव में मॉडल शौचालय निर्माण सामग्री |
| 15 | | 01-09-2018 | 322 | 186967.00 | राजेन्द्र के घर से पश्चिम तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री कन्य पर व्यय |
| 16 | | 01-09-2018 | 245 | 64416.00 | ह्यूम पाइप पर व्यय |
| 17 | | 10-09-2018 | 330 | 182400.00 | प्रावि तरांव(प्रथम) में पक्की सड़क के बगल मे पाइप पर व्यय |
| 18 | | 11-01-2019 | 394 | 196600.00 | वितरांव के धांगड़ में मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय |
| 19 | | 11-01-2019 | 395 | 129400.00 | प्रावि प्रथम मे गेट निर्माण एवं रंगाई मोटाई पर व्यय |
| 20 | | 23-01-2019 | 247 | 26000.00 | इस्टबिन पर व्यय |
| 21 | | 20-02-2019 | 326 | 184000.00 | मॉडल टायलेट निर्माण कार्य |
| 22 | | 20-02-2019 | 401 | 31500.00 | हैन्डपम्प मरम्मत मजदूरी |
| 23 | | 20-02-2019 | 403 | 191125.00 | महर से प्रकाश शुक्ला के खेत से इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय |
| 24 | | 15-03-2019 | 404 | 30800.00 | मरम्मत कार्य |
| 25 | | 16-03-2019 | 246 | 29400.00 | प्राइमरी स्कूल अस्वारी के प्रांगण में मिट्टी पटै कार्य पर व्यय |
| 26 | | 28-03-2019 | 320 | 7650 | फोटो स्टेशनरी एवं निविदा पर व्यय |
| 27 | | 28-03-2019 | 402 | 86350.00 | ग्राम पंचायत तरांव आगनबाड़ी केंद्र(प्रथम) का भवन मरम्मत कार्य पर व्यय |
| 28 | | 28-03-2019 | 241 | 1359.00 | बैनक चार्ज |
| 29 | | 28-03-2019 | 281 | 168450.00 | त्रिवेणी के खेत से मिथिलेश के खेत तक |
| 30 | | 28-03-2019 | 391 | 168450.00 | इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रम पर व्यय |
| 31 | | 28-03-2019 | 378 | 248500.00 | त्रिवेणी के खेत से मिथिलेश के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय |
| 32 | | 28-03-2019 | 398 | 166650.00 | प्रावि तरांव के प्रांगड़ में इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय |
| 33 | | 28-03-2019 | 248 | 166650.00 | प्रावि तरांव के प्रांगड़ में इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय |
| 34 | | 28-03-2019 | 249 | 166650.00 | प्रा वि तरांव के प्रांगड़ में इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय पर व्यय |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | | 18-09-2018 | 310 | 36750.00 | प्रा वि तरांव में फर्स मरम्मत कार्य व सामग्री |
| 36 | | 01-09-2018 | 328 | 21000.00 | प्रधान मानदेय |
| 37 | | 05-11-2018 | 239 | 61600.00 | हैन्डपम्प मरम्मत सामग्री |
| | योग = | | | 4312416.00 | |

उपरोक्त धनराशि को अनधिकृत रूप से आहरित कर व्यय के रूप में दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं है व्यय धनराशियों से संबंधित कोई भी अभिलेख यथा कार्य पत्रावली, व्ययवाउचर, मस्टररोल प्रधान मानदेय रजिस्टर, परिसंपति रजिस्टर, निर्माण कार्य पत्रावली कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र एम बी बुक, स्टिमेट, टेंडर/ कोटेशनपत्रावली, हैन्डपम्प लाभार्थी का प्रार्थना पत्र, फर्म का ग्राम सभा मे रजिस्टेसनकी तिथि का प्रमाण जी एस टी जमा रसीद आदि लेखा परीक्षा ने अप्राप्त रहने से रथ की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज नियमावली अधिनियम 1947 के नियम-198,204,205,209 एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः रुपये – 4312416.00 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अद्याय 8 के खण्ड 8 (क ) के तहत संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी और तत्कालीन ग्राम सचिव से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है /

(मूल आपति संख्या-24)

ग्राम पंचायत - बरहा विकास खण्ड - कोराव जनपद - प्रयागराज

2018-19

प्रस्तर - 148 आपत्ति संख्या आलोक्य वर्ष में ग्राम पंचायत-बरहा में राज्य विकेंद्र दिन के खाता संख्या-211301000 2593 बैंक ऑफ़ बरौटा निम्न लिखित तिथियों में आहरित धनराशि को कैश बुक में के रूप में दर्शित किया गया है जो निम्न प्रकार है।

| क्र. | आरदायी कर्मचारी/अधिकारी का नाम | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीमती कुसुम देवी देवी (प्रधान), 672286.00 श्री राकेश कुमार (सचिव), 672266.00 | 11-05-2018 | 34 | 76355.00 | प्राइमरी स्कूल में इंटर लॉकिंग कार्य पर व्यय |
| 2 | | 11-05-2018 | 35 | 70723.00 | छोटे लाल के घर हैन्डपम्प रिबोर पर व्यय |
| 3 | | 11-05-2018 | 36 | 53835.00 | रमाशंकर के घर के पास हैंड पंप रिबोर पर व्यय |
| 4 | | 11-05-2018 | 37 | 87500.00 | हयूम पाइप पर व्यय |
| 5 | | 26-07-2018 | 55 | 130902.00 | पी डब्ल्यू डीरोड से निषाद वस्ती तक इंटरलॉकिंग |
| 6 | | 26-07-2018 | 56 | 96354.00 | पी डब्ल्यू डीरोड से निषाद बस्ती तक इंटरलॉकिंग |
| 7 | | 11-05-2018 | 57 | 18006.00 | रमा शंकर के घर के पास हैन्डपम्प रिबोरे पर व्यय |
| 8 | | 25-09-2018 | 59 | 45439.00 | पक्की सड़क से बालेश्वर के घर तक इंटरलॉकिंग |
| 9 | | 30-01-2019 | 60 | 155237.00 | पक्की सड़क से बालेश्वर के घर तक इंटरलॉकिंग |
| 10 | | 12-02-2019 | 52 | 108859.00 | पी डब्ल्यू ओ रोड से सुरेन्द्र के घर तक डब्ल्यू बी एम कार्य |
| 11 | | 15-02-2019 | 53 | 154952.00 | पक्की सड़क से प्रभाकांत के घर तक इंटरलॉकिंग |
| 12 | | 15-02-2019 | 38 | 6730 00 | स्टेशनरी एवं टैंडर प्रकाशन पर व्यय |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | | 08-03-2019 | 39 | 18400.00 | स्ट्रीट लाइट पर व्यय |
| 14 | | 11-03-2019 | 50 | 14485.00 | काल राइटिंग पर व्यय |
| 15 | | 11-03-2019 | 51 | 33425 00 | पी डब्ल्यू डी रोड से महरानी चौक तक डब्ल्यू बी एम कार्य |
| 16 | | 22-03-2019 | 33 | 70320 00 | हैन्डपम्प रिपेयर, सामग्री और मजदूरी पर व्यय |
| 17 | | 22-03-2019 | 75 | 42800.00 | आशीष के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण कार्य |
| 18 | | 22-03-2019 | 84 | 52000.00 | डस्टबिन क्रय |
| 19 | | 22-03-2019 | 58 | 108200.00 | प्राइमरी स्कूल बरहा मे रगाई पोटाई कार्य |
| | योग = | | | 1344532.00 | |

उपरोक्त धनराशि को अनधिकृत रूप से आहरित कर व्यय के रूप में दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं है व्यय धनराशियों से संबंधित कोई भी अभिलेख यथा कार्य पत्रावती, व्ययवाउचर, मस्टररोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर परिसंपति रजिस्टर निर्माण कार्य पत्रावती, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र. एम बी बुक, स्टिमेट, टेंडर/कोटेशनपत्रावली है उपम्प लाभार्थी का प्रार्थना पत्र, फर्म का ग्राम सभा मे रजिस्टेसनकी तिथि का प्रमाण जी एस टी जमा रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज नियमावली अधिनियम 1947 के नियम-198,204,205,209, एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः रुपये 1344532.00 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अयाय 8 के खण्ड 8 (क ) के तहत संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती कुसुम देवी और तत्कालीन ग्राम सचिव से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है

(मूल आपत्ति संख्या-24)

ग्राम पंचायत - बढ़वारी कला विकास खण्ड - कोराव जनपद - प्रयागराज

2018-19

प्रस्तर - 149

बदवारीला आपति संख्या आलोक्य वर्ष मे ग्राम पंचायत में राज्य वित्त केंद्र वित्त के खाता संख्या-2113010008450 बैंक ऑफ बरी से निम्न लिखित तिथियों में आहरित धनराशि को कैश बुक में व्यय के रूप में दर्शित किया गया है जो निम्न प्रकार है ।

| क्र. | आरदायी कर्मचारी/अधिकारी का नाम | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हरीशचंद (प्रधान) श्री राजीव मिश्रा (सचिव) | 18-04-2018 | 193 | 83976.00 | पास बस्ती में हैन्ड पम्प रिबोर |
| 2 | | 18-04-2018 | 233 | 83976.00 | राम आसरे के घर पर हेन्ड पम्प रिबोर |
| 3 | | 20-05-2018 | 253 | 57200.00 | प्र वि बड़वारी मे हैन्डवास सामग्री एवं मजदूरी |
| 4 | | 20-05-2018 | 202 | 57200.00 | बढ़वारी के मिशिरपुर प्रा वि में हैन्डवाश सामग्री एवं मजदूरी |
| 5 | | 20-05-2018 | 212 | 28500.00 | बढ़वारी के मिशिरपुर प्रा वि में हैन्डवाश सामग्री एवं मजदूरी |
| 6 | | 18-08-2018 | 199 | 139700.00 | महादेव रोड से लखपट्टी के घर तक मिट्टी भराई पर व्यय |
| 7 | | 18-08-2018 | 215 | 139700.00 | मंगला के घर से कालूराम के घर तक मिट्टी भराई पर व्यय |
| 8 | | 21-08-2018 | 187 | 29250.00 | चबूतरा निर्माण कार्य |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | | 11-09-2018 | 210 | 115050.00 | बेलन नहर से रामधारी के घर तक जी एस बी कार्य |
| 10 | | 10-01-2019 | 208 | 56150.00 | वैदवार माइनर महादेव रोड पर आरसीसी पुलिया निर्माण |
| 11 | | 02-02-2019 | 203 | 199500.00 | हयम पाइप पर व्यय |
| 12 | | 02-02-2019 | 223 | 151550,00 | प्रावि महादेव के पूरा से कलुराम के चक तक 65ब कार्य |
| 13 | | 12-02-2019 | 222 | 79350.00 | मिश्रापुर रोड से राजेन्द्र चमार के घर तक जी 58 कार्य |
| 14 | | 12-02-2019 | 217 | 189200.00 | जी एस बी कार्य |
| 15 | | 19-03-2019 | 230 | 28046 00 | स्टेशनरी व्यय |
| 16 | | 19-03-2019 | 221 | 112800.00 | जी एस बी कार्य |
| 17 | | 19-03-2019 | 206 | 125000 00 | पूमावि मिशिरपुर में शौचालय निर्माण |
| 18 | | 19-03-2019 | 209 | 267225 | शौचालय निर्माण |
| 19 | | 19-03-2019 | 226 | 150425 | जी 53 कार्य |
| 20 | | 19-03-2019 | 194 | 93700.00 | नन्द लाल की दुकान से राजेन्द्र के घर तक पत्थर खड़ंजा निर्माण |
| 21 | | 19-03-2019 | 214 | 177000.00 | प्रावि महादेव से शौचालय निर्माण कार्य |
| 22 | | 19-03-2019 | 213 | 231310.00 | हैन्डपम्प मरम्मत सामग्री |
| | योग = | | | 2595908.00 | |

उपरोक्त धनराशि को अनधिकृत रूप से आहरित कर व्यय के रूप में दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं है व्यय धनराशियों से संबंधित कोई भी अभिलेख यथा कार्य पत्रावली, व्ययवाउचरमस्टररोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, परिसंपति रजिस्टर, निर्माण कार्य पावली. कार्य योजना कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र उपभोग प्रमाणपत्र एम बी बुक. स्टिमेट, टेडर/कोटेशनपाली हैन्डपम्प लाभार्थी का प्रार्थना पत्र फर्म का ग्राम सभा मे रजिस्टेसनकी तिथि का प्रमाण जी एस टी जमा रसीद आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज नियमावली अधिनियम 1947 के नियम 198,204,205,209, एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः रुपये=2595908.00 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क ) के तहत संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान श्रीहरीशचंद्र और तत्कालीन ग्राम सचिव से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है /

(मूल आपति संख्या-24)

ग्राम पंचायत - सीकी कला विकास खण्ड - कोराव जनपद - प्रयागराज

2018-19

प्रस्तर - 150

आपति संख्या आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में राज्य विदित के खाता संख्या-11673217406 बैंक ऑफ़ बरौदा से निम्न लिखित तिथियों में आहरित धनराशि को कैश बुक में व्यय के रूप में दर्शित किया गया है जो निम्न प्रकार है

| क्र. | आरदायी कर्मचारी/अधिकारी का नाम | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री राजेश्वरी प्रसाद (धान) श्री अरविन्द कुमार(सचिव) | 16-05-2018 | 28566 | 10000.00 | प्रधान द्वारा स्टेशनरी और फोटो पर व्यय |
| 2 | | 20-06-2018 | 138 | 27120.00 | सबमरसीबल कार्य पर व्यय |
| 3 | | 03-07-2018 | 147 | 40700.00 | हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 4 | | 03-07-2018 | 28531 | 36400.00 | हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 5 | | 03-07-2018 | 142 | 40700.00 | बलराम के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर कार्य |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | | 05-07-2018 | 153 | 55600.00 | हीरा लाल के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर कार्य |
| 7 | | 05-07-2018 | 156 | 60500.00 | कन्हैया लाल के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर कार्य |
| 8 | | 05-07-2018 | 158 | 9000.00 | बड़े कूप से पृथ्वी राम के घर तक नाली निर्माण |
| 9 | | 12-07-2018 | 28536 | 86200.00 | प्राइमरी स्कूल हदही मे शौचालय निर्माण कार्य |
| 10 | | 18-07-2018 | 154 | 87575 00 | हीरा लाल के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर कार्य |
| 11 | | 18-07-2018 | 155 | 20632.00 | हीरा लाल के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर कार्य |
| 12 | | 20-07-2018 | 28542 | 44800.00 | 2 नग सोलर लाइट |
| 13 | | 20-07-2018 | 28537 | 149204.0 | प्राइमरी स्कूल हदही में इंटरलॉकिंग कार्य सामग्री |
| 14 | | 20-07-2018 | 28538 | 18050.00 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी |
| 15 | | 26-07-2018 | 140 | 38700.00 | कन्हैया साल सब मरसीयल कार्य पर व्यय |
| 16 | | 03-08-2018 | 148 | 41300.00 | हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 17 | | 03-08-2018 | 143 | 41300.00 | बलराम के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर कार्य |
| 18 | | 04-08-2018 | 149 | 10000.00 | हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 19 | | 04-08-2018 | 144 | 10000.00 | बलराम के घर के पास हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 20 | | 06-08-2018 | 28544 | 79050.00 | संपर्क मार्ग पर जी एस बी भराई कार्य सामग्री एवं मजदूरी |
| 21 | | 06-08-2018 | 28560 | 48023.00 | कन्हैया लाल के घर के पास हैन्डपम्प रिपेयर कार्य |
| 22 | | 29-8-2018 | 150 | 3900.00 | हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 23 | | 29-8-2018 | 145 | 3900.00 | बलराम के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर कार्य |
| 24 | | 23-10-2018 | 28545 | 100820.00 | पचई तड़ाव के घर के पास कूप मरम्मत सामग्री |
| 25 | | 23-10-2018 | 28532 | 187480.0 | भुवर पाल के घर से नहर तक नाली निर्माण प्रथम भाग एवं दद्वितीय भार पर सामग्री भुगतान |
| 26 | | 29-10-2018 | 28549 | 53620.00 | पपई साड़ाव के घर के पास कूप मरम्मत सामग्री |
| 27 | | 29-10-2018 | 28547 | 21150.00 | ताड़ाव के घर के पास कूप मरम्मत सामग्री |
| 28 | | 01-11-2018 | 28533 | 43750.00 | भुवर पाल के घर से नहर तक नाली निर्माण प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग पर सामग्री भुगतान |
| 29 | | 05-11-2018 | 151 | 20000.00 | हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 30 | | 13-11-2018 | 28534 | 65136.00 | भुवरपाल केयर सेनहरतक नालीनिर्माणप्रथम एवं द्वितीय पर सामग्री |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | | 17-11-2018 | 28530 | 17500.00 | भुवर पाल के घर से नहर तक माली निर्माण मजदूरी |
| 32 | | 05-07-2018 | 28541 | 30300.00 | हयूम पाइप क्रय |
| 33 | | 03-12-2018 | 28535 | 65750.00 | भुवर पाल के घर से नहर तक नाली निर्माण प्रथम भाग एवं दवितीय भाग |
| 34 | | 31-12-2018 | 28645 | 71214.00 | पर मजदूरी का भुगतान भुवर पाल के घर से नहर तक नाली निर्माण प्रथम भाग एवं दवितीय भाग |
| 35 | | 31-12-2018 | 159 | 34054.00 | पर मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान भुवर पाल के घर से नहर तक नाली निर्माण प्रथम भाग एवं ददवितीय भाग पर सामग्री का भुगतान |
| 36 | | 24-01-2019 | 28667 | 16000.00 | हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 37 | | 29-01-2019 | 28568 | 20000.00 | हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 38 | | 29-01-2019 | 160 | 13575.00 | भुवर पाल के घर से नहर तक माली निर्माण मजदूरी |
| 39 | | 08-02-2019 | 28546 | 93000.00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल में टाइल्स निर्माण कार्य |
| 40 | | 08-02-2019 | 28548 | 93000,00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल में टाइल्स निर्माण कार्य |
| 41 | | 03-02-2019 | 28551 | 31000.00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल में टाइल्स निर्माण कार्य |
| 42 | | 21-02-2019 | 28550 | 93000.00 | प्राइमरी स्कूल अमकथा में टाइला निर्माण कार्य |
| 43 | | 21-02-2019 | 28552 | 31000.00 | जूनियर स्कूल सिकी में टाइल्स निर्माण मजदूरी |
| 44 | | 21-02-2019 | 28553 | 21000.00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल में टाइल्स निर्माण कार्य मजदूरी |
| 45 | | 21-02-2019 | 28554 | 56640.00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल में टाइल्स निर्माण कार्य सामग्री |
| 46 | | 22-02-2019 | 152 | 25000.00 | सभी हैन्डपम्प मरम्मत मजदूरी |
| 47 | | 02-03-2019 | 28555 | 72000.00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल सिकी मे शौचालय निर्माण सामग्री |
| 48 | | 02-03-2019 | 28555 | 21419.00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल सिकी मे शौचालय निर्माण मजदूरी |
| 49 | | 02-03-2019 | 28558 | 28500.00 | प्राइमरी स्कूल तिकी में हैन्डपम्प रिपेयर सामग्री |
| 50 | | 13-03-2019 | 28543 | 13885.00 | नारा लेखन पर व्यय |
| 51 | | 25-03-2019 | 28559 | 25500.00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल सिकी मे बाउंड्री वाल निर्माण मजदूरी |
| 52 | | 25-03-2019 | 28561 | 29000.00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल सिकी में बाउंड्री बाल निर्माण मजदूरी |
| 53 | | 25-03-2019 | 28562 | 129000 0 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल सिकी मे बाउंड्री वाल निर्माण सामग्री |
| 54 | | 25-03-2019 | 28563 | 145000.0 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल सिकी मे बाउंड्री वाल निर्माण सामग्री |
| 55 | | 29-03-2019 | 28564 | 25125.00 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल सिकी मे मिट्टी भराई |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | | 29-03-2019 | 157 | 29120.00 | बड़े कूप से पृथ्वी राम के घर तक नाली निर्माण सामग्री |
| 57 | | 29-03-2019 | 28539 | 184166.0 | प्राइमरी स्कूल हदही मे फर्स रिपेयर एवं टाइल्स सामग्री |
| 58 | | 29-03-2019 | 28540 | 28550.00 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी |
| 59 | | 29-03-2019 | 141 | 86408.00 | 3 नग सब मरसीबल क्रय |
| 60 | | 29-03-2019 | 146 | 8930.00 | बलराम के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर कार्य |
| 61 | | 30-03-2019 | 28557 | 169540.0 | प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल अमकछा सिकी में शौचालय निर्माण सामग्री |
| | योग = | | | 3162186.00 | |

उपरोक्त धनराशि को अनधिकृत रूप से आहरित कर व्यय के रूप में दर्शित किया गया है जिसका कोई पहचान उपलब्ध नहीं है व्यय धनराशियों संबंधित कोई भी अभिलेख यथा कार्य पत्रावली, व्ययवाउचर, मस्टररोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर परिसंपति रजिस्टर, निर्माण कार्य पत्रावली, कार्य योजना, कार्यवाही रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र उपभोग प्रमाणपत्र, एम बी बुक स्टिमेट, टैंडर कोटेशनपत्रावली, हैन्डपम्प लाभार्थी का प्रार्थना पत्र फर्म का ग्राम सभा मे रजिस्टेसनकी तिथि का प्रमाण जी एस टी जमा रसीद आदि लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी जिससे ग्राम पंचायत राज नियमावली अधिनियम 1947 के नियम-198,204, 205,209, एवं 210 के विपरीत कार्य किया गया अतः 3162186.00 की ब्याज सहित वसूली वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड (क ) के तहत संयुक्त रूप से ग्राम प्रधान राजेश्वरी प्रसाद और तत्कालीन ग्राम सचिव से बराबर बराबर ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

(मूल आपति संख्या-24

नाम संस्था- ग्राम पंचायत - बेरूई लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -151

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत बेरूई में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09-04-2019/ 000350 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 12000-00 |
| 2 | 02-05-2019/ 000351 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 14000-00 |
| 3 | 11-06-2019/ 000352 | हैण्ड पम्प रिबोर | 7500-00 |
| 4 | 29-06-2019/ 000348 | हैण्ड पम्प रिबोर | 91800-00 |
| 5 | 02-07-2019/ 000357 | हैण्ड पम्प रिबोर अरूण सिंह | 35000-00 |
| 6 | 02-07-2019/ 000355 | ब्रजमोहन के घर से रामराज के घर तक इण्टर लॉकिग | 136387-00 |
| 7 | 02-07-2019/ 000356 | ब्रजमोहन के घर से रामराज के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 34000-00 |
| 8 | 02-07-2019/ 000311 | हरीलाल के घर से प्यारेलाल के घर तक इण्टर लॉकिग | 169030-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 02-07-2019/ 000354 | हरीलाल के घर से प्यारेलाल के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 43500-00 |
| 10 | 16-07-2019/ 000358 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 29500-00 |
| 11 | 16-07-2019/ 000353 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 32000-00 |
| 12 | 03-08-2019/ 000366 | स्ट्रीट लाईट | 249100-00 |
| 13 | 08-08-2019/ 000370 | संदीप के घर से बेरूई प्रा0विद्यालय तक इण्टर लॉकिग | 173539-00 |
| 14 | 08-08-2019/ 000371 | संदीप के घर से बेरूई प्रा0विद्यालय तक इण्टर लॉकिग | 24489-00 |
| 15 | 08-08-2019/ 000372 | संदीप के घर से बेरूई प्रा0विद्यालय तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 51214-00 |
| 16 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /12 | रोशन लाल के घर से हैण्ड पम्प तक इण्टर लॉकिग | 165424-00 |
| 17 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /13 | रोशन लाल के घर से हैण्ड पम्प तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 40331-00 |
| 18 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /14 | संदीप के घर से बेरूई प्रा0विद्यालय तक इण्टर लॉकिग | 57255-00 |
| 19 | 01-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /15 | रोशन लाल के घर से हैण्ड पम्प तक इण्टर लॉकिग | 165424-00 |
| 20 | 01-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /16 | रोशन लाल के घर से हैण्ड पम्प तक इण्टर लॉकिग | 40331-00 |
| 21 | 01-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /17 | संदीप के घर से बेरूई प्रा0विद्यालय तक इण्टर लॉकिग | 57255-00 |
| 22 | 17-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /12 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 10500-00 |
| 23 | 17-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /18 | 06 नग हैण्ड पम्प रिबोर | 198000-00 |
| 24 | 19-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /13 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 36724-00 |
| 25 | 19-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /19 | हैण्ड पम्प रिबोर | 99000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | 19-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /14 | ह्यूम पाईप | 19662-00 |
| 27 | 14-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /15 | वीरेन्द्र कुमार के घर से मेवालाल के घर तक खडन्जा मरम्मत | 35997-00 |
| 28 | 14-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /16 | वीरेन्द्र कुमार के घर से मेवालाल के घर तक खडन्जा मरम्मत मजदूरी | 50900-00 |
| 29 | 14-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /20 | सन्तलाल के घर से भोलानाथ के घर तक खडन्जा मरम्मत | 187425-00 |
| 30 | 14-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /21 | सन्तलाल के घर से भोलानाथ के घर तक खडन्जा मरम्मत मजदूरी | 60195-00 |
| | योग | 2327482-00(तेईस लाख सताईस हजार चार सौ बयासी मात्र) | |

ग्राम पंचायत बेरूई की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 134724-00 | -- | 134724-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 431300-00 | -- | 431300-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | 223422-00 | 111095-00 | 334517-00 |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 948803-00 | 209376-00 | 1158179-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | -- | -- | -- |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 268762-00 | -- | 268762-00 |
| | योग | 2007011-00 | 320471-00 | 2327482-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 2327482-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 2007011-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 320471-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 2327482-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री हरीश प्रताप सिंह से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत भवानापुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020
विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -152 वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत भवानापुर में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-2019/ 000138 | संगम के घर से देवी चौरा तक मिट्टी कार्य | 28100-00 |
| 2 | 05-04-2019/ 000139 | हैण्ड पम्प मरम्मत ग्राम पंचायत में | 5000-00 |
| 3 | 12-04-2019/ 000140 | प्राथमिक विद्यालय भवानापुर में हैण्ड पम्प रिबोर | 33642-00 |
| 4 | 18-04-2019/ 000141 | हैण्ड पम्प मरम्मत ग्राम पंचायत में | 9000-00 |
| 5 | 18-05-2019/ 000142 | लालजी के घर से रामजी के घर तक सोलिंग निर्माण सामग्री | 12000-00 |
| 6 | 28-05-2019/ 000143 | उपरोक्त कार्य | 10200-00 |
| 7 | 28-05-2019/ 000145 | ह्यूम पाईप क्रय | 13966-00 |
| 8 | 28-05-2019/ 000146 | ह्यूम पाईप क्रय | 21140-00 |
| 9 | 29-05-2019/ 000144 | लालजी के घर से रामजी के घर तक सोलिंग निर्माण सामग्री | 98795-00 |
| 10 | 27-06-2019/ 000149 | हैण्ड पम्प मरम्मत ग्राम पंचायत में | 14600-00 |
| 11 | 13-08-2019/ 000241 | ग्राम पंचायत में शोकफिट निर्माण | 10800-00 |
| 12 | 13-08-2019/ 000242 | उपरोक्त कार्य | 47018-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 23-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /9 | अरविन्द कुमार पटेल के घर से मोती लाल के घर तक इण्टर लॉकिग | 173679-00 |
| 14 | 25-12-2019 एफ एफ सी /2019-20/पी /10 | उपरोक्त कार्य | 173679-00 |
| 15 | 25-12-2019 एफ एफ सी /2019-20/पी /11 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी | 39950-00 |
| 16 | 01-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /12 | सिंगलदीप मस्जिद एवं प्रा0 विद्यालय सिंगलदीप में हैण्ड पम्प रिबोर | 62442-00 |
| 17 | 22-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /13 | प्रा0 विद्यालय भवानापुर में टाईल्स का कार्य | 75818-00 |
| 18 | 22-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /14 | प्रा0 विद्यालय भवानापुर में टाईल्स का कार्य की मजदूरी | 20350-00 |
| 19 | 22-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /15 | प्रा0 विद्यालय भवानापुर में टाईल्स का कार्य | 67619-00 |
| 20 | 22-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /16 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी | 16650-00 |
| 21 | 05-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /17 | प्रा0 विद्यालय सिंगलदीप में बाउण्ड्रीवाल निर्माण सामग्री | 96619-00 |
| 22 | 05-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /18 | उपरोक्त निर्माण की मजदूरी | 34700-00 |
| | योग | 1065767-00(रूपया दस लाख पैसठ हजार सात सौ सडसठ मात्र) | |

ग्राम पंचायत भवानापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 28600-00 | -- | 28600-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 96084-00 | -- | 96084-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | 28100-00 | -- | 28100-00 |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 468353-00 | 39950-00 | 508303-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 240056-00 | 71700-00 | 311756-00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | अन्य विविध खर्च | 92924-00 | -- | 92924-00 |
| | योग | 954117-00 | 111650-00 | 1065767-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 1065767-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 954117-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 111650-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1065767-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रानी देवी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री हरीश प्रताप सिंह से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -153 वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-05-2019/ 000212 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 19900-00 |
| 2 | 04-05-2019/ 000411 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 60498-00 |
| 3 | 01-06-2019/ 000215 | हैण्ड पम्प रिबोर मजदूरी | 9000-00 |
| 4 | 29-06-2019/ 000214 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 20200-00 |
| 5 | 30-06-2019/ 000397 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 15855-00 |
| 6 | 02-07-2019/ 000203 | प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण | 19170-00 |
| 7 | 02-07-2019/ 000197, 000198 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 63120-00 |
| 8 | 02-07-2019/ 000202 | उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण | 21750-00 |
| 9 | 03-07-2019/ 000204 | उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण | 60000-00 |
| 10 | 08-07-2019/ 000210 | वसीम नेता के घर से मछली बाजार तक नाली निर्माण मजदूरी | 23450-00 |
| 11 | 08-07-2019/ 000209 | वसीम नेता के घर से मछली बाजार तक नाली निर्माण सामग्री | 85660-00 |
| 12 | 08-07-2019/ 000289 | करनाईपुर रोड से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 99000-00 |
| 13 | 08-07-2019/ 000290 | करनाईपुर रोड से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 11880-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | 08-07-2019/ 000291 | करनाईपुर रोड से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 35330-00 |
| 15 | 08-07-2019/ 000293 | करनाईपुर रोड से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 13770-00 |
| 16 | 08-07-2019/ 000287 | करनाईपुर रोड से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 99000-00 |
| 17 | 08-07-2019/ 000208 | करनाईपुर रोड से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 11880-00 |
| 18 | 08-07-2019/ 000292 | करनाईपुर रोड से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 18390-00 |
| 19 | 08-07-2019/ 000295 | करनाईपुर रोड से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 14190-00 |
| 20 | 08-07-2019/ 000205 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 31500-00 |
| 21 | 08-07-2019/ 000206 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 31500-00 |
| 22 | 08-07-2019/ 000294 | उच्च प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण | 33000-00 |
| 23 | 09-07-2019/ 000296 | वसीम नेता के घर से मछली बाजार तक नाली निर्माण मजदूरी | 7000-00 |
| 24 | 11-07-2019/ 000298 | पक्की रोड से इण्टर लॉकिग तक नाली निर्माण सामग्री | 16850-00 |
| 25 | 11-07-2019/ 000297 | प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण सामग्री | 78190-00 |
| 26 | 12-07-2019/ 000419 | पक्की सडक से इण्टर लॉकिग तक नाली निर्माण सामग्री | 7000-00 |
| 27 | 12-07-2019/ 000349 | पक्की सडक से इण्टर लॉकिग तक नाली निर्माण मजदूरी | 10500-00 |
| 28 | 12-07-2019/ 000211 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 12000-00 |
| 29 | 12-07-2019/ 000300 | प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण की मजदूरी | 33300-00 |
| 30 | 29-07-2019/ 000393 | करनाईपुर सडक से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 24800-00 |
| 31 | 29-07-2019/ 000392 | करनाईपुर सडक से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 24800-00 |
| 32 | 29-07-2019/ 000398 | करनाईपुर सडक से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 25650-00 |
| 33 | 29-07-2019/ 000396 | करनाईपुर सडक से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 52000-00 |
| 34 | 30-07-2019/ 000395 | करनाईपुर सडक से बाबा कमालशाह मस्जिद तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 14900-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 35 | 14-08-2019/ 000218 | सोकफिट निर्माण | 32000-00 |
| 36 | 15-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /39 | सुलेमान के घर से सागीर के घर तक खडन्जा निर्माण सामग्री | 72500-00 |
| 37 | 15-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /40 | सुलेमान के घर से सागीर के घर तक खडन्जा निर्माण सामग्री | 6000-00 |
| 38 | 15-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /41 | मायाराम के घर से सीताराम के घर तक खडन्जा निर्माण मरम्मत | 72500-00 |
| 39 | 15-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /42 | मायाराम के घर से सीताराम के घर तक खडन्जा निर्माण मरम्मत | 22000-00 |
| 40 | 15-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /43 | ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प रिबोर | 32300-00 |
| 41 | 15-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /44 | ग्राम पंचायत में हैण्ड पम्प मरम्मत | 48504-00 |
| 42 | 16-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /45 | ह्यूम पाईप क्रय | 66885-00 |
| 43 | 16-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /46 | रामकुमार के महरानी चौरा तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 143528-00 |
| 44 | 16-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /47 से एफ एफ सी /2019-20/पी /49 | प्रा0विद्यायल फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर में टाईल्स कार्य | 247625-00 |
| 45 | 21-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /50 से एफ एफ सी /2019-20/पी /51 | ग्राम पंचायत में शोकफिट निर्माण | 65270-00 |
| 46 | 23-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /52 से एफ एफ सी /2019-20/पी /53 | ग्राम पंचायत में शोकफिट निर्माण | 65270-00 |
| 47 | 27-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /63 | रामकुमार के महरानी चौरा तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 53930-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 48 | 27-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /64 से एफ एफ सी /2019-20/पी /65 | रामकुमार के महरानी चौरा तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 44000-00 |
| 49 | 27-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /66 | सुलेमान के घर से सागीर के घर तक खडन्जा निर्माण मजदूरी | 10100-00 |
| 50 | 27-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /67 | मायाराम के घर से सीताराम के घर तक खडन्जा निर्माण मजदूरी | 36250-00 |
| 51 | 27-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /68 | प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र | 54800-00 |
| 52 | 06-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /69 | प्लास्टिक संग्रहण केन्द्र | 42000-00 |
| 53 | 17-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /5 | इण्टरलॉकिग के साथ नाली निर्माण सामग्री | 91236-00 |
| 54 | 17-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /6 से एफ एफ सी /2019-20/पी /7 | जलशक्ति रेन वाटर हारवेस्टिग | 81650-00 |
| 55 | 05-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /70 | नाली कवर निर्माण | 49225-00 |
| 56 | 18-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /8 | रामकुमार के गेट से पक्की रोड तक इण्टर लॉकिग एवं नाली निर्माण | 27250-00 |
| 57 | 19-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /11 | दीपचन्द्र के घर से मछली बाजार तक खडन्जा निर्माण | 110480-00 |
| 58 | 19-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /12 | दीपचन्द्र के घर से मछली बाजार तक खडन्जा निर्माण मजदूरी | 24550-00 |
| 59 | 19-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /13 | दीपचन्द्र के घर से मछली बाजार तक खडन्जा निर्माण सामग्री | 15600-00 |
| | योग | 2593574-00(रूपया पच्चीस लाख तिरानबे हजार पॉच सौ चौहत्तर मात्र) | |

ग्राम पंचायत फाजिलाबाद उर्फ कालूपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 303077-00 | -- | 303077-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 32300-00 | 9000-00 | 41300-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | 430903-00 | 111850-00 | 542753-00 |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 686284-00 | 116250-00 | 802534-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 459735-00 | 33300-00 | 493035-00 |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 407875-00 | -- | 407875-00 |
| | योग | 2320174-00 | 273400-00 | 2593574-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 2593574-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 2320174-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 273400-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 2593574-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शकुन्तला देवी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी पूजा सिंह से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत यासीनपुर उर्फ करनाईपुर   लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020
विकास खण्ड- बहरिया   जनपद- प्रयागराज
प्रस्तर -154
वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत यासीनपुर उर्फ करनाईपुर में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11-04-2019/ 000189 | जू0 स्कूल में हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री | 32290-00 |
| 2 | 23-04-2019/ 000190 | कैमरा खरीद | 20000-00 |
| 3 | 23-04-2019/ 000191 | शोभनाथ यादव के घर से शिव कुमार के घर तक मिट्टी कार्य | 32000-00 |
| 4 | 29-05-2019/ 000192 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 15000-00 |
| 5 | 02-07-2019/ 000193 | हैण्ड पम्प रिबोर | 58400-00 |
| 6 | 02-07-2019/ 000194 | ह्यूम पाईप | 95000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 31-07-2019/ 000226 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 10000-00 |
| 8 | 31-07-2019/ 000227 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 20000-00 |
| 9 | 31-07-2019/ 000228 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 20000-00 |
| 10 | 03-08-2019/ 000229, 000230, 000231, 000232 | समर बहादुर के घर से धर्मपाल यादव के घर तक इण्टर लॉकिग | 226465-00 |
| 11 | 03-08-2019/ 000238 से 000240 | प्रा0विद्यालय करनाईपुर में इण्टर लॉकिग | 71280-00 |
| 12 | 03-08-2019/ 000212, 000213 | सफाई किट | 30000-00 |
| 13 | 03-08-2019/ 000233 से 000235 | सी0सी0रोड से मस्जिद तक इण्टर लॉकिग | 74690-00 |
| 14 | 03-08-2019/ 000237 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी | 3500-00 |
| 15 | 05-08-2019/ 000236 | प्रा0विद्यालय करनाईपुर में इण्टर लॉकिग की मजदूरी | 14650-00 |
| 16 | 05-08-2019/ 000237 | सी0सी0रोड से मस्जिद तक इण्टर लॉकिग की मजदूरी | 15350-00 |
| 17 | 05-08-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /24 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 19950-00 |
| 18 | 20-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /25 | दूधनाथ रामअधार छोटेलाल के घर एवं जू0हा0स्कूल में रिबोर | 120353-00 |
| 19 | 30-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /26 | प्लास्टिक संग्रह केन्द्र | 69500-00 |
| 20 | 30-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /27 | महरानीदीन गुप्ता के घर से छोटेलाल गुप्ता के घर तक इण्टर लॉकिग | 159300-00 |
| 21 | 04-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /28 | महरानीदीन गुप्ता के घर से छोटेलाल गुप्ता के घर तक इण्टर लॉकिग की मजदूरी | 33600-00 |
| 22 | 05-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /29 | 44 नग स्ट्रीट लाईट | 198000-00 |
| 23 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /2 | पक्की सडक से राम सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण | 49531-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 24 | 17-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /4 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 19900-00 |
| 25 | 19-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /30 | प्रा0वि0 करनाईपुर में टाईल्स कार्य | 222000-00 |
| 26 | 22-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /31 | बाउण्ड्रीवाल निर्माण | 49325-00 |
| 27 | 22-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /32 | शौचालय मरम्मत एवं टाईल्स कार्य | 63750-00 |
| | योग | 1743834-00(रूपया सत्रह लाख तिरालीस हजार आठ सौ चौतीस मात्र) | |

ग्राम पंचायत यासीनपुर उर्फ करनाईपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 104850-00 | -- | 104850-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 211043-00 | -- | 211043-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | 81531-00 | -- | 81531-00 |
| 4 | इण्टर लॉकिंग पर व्यय | 460455-00 | 52450-00 | 512905-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 406355-00 | 14650-00 | 421005-00 |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 412500-00 | -- | 412500-00 |
| | योग | 1676734-00 | 67100-00 | 1743834-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 1743834-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 1676734-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 67100-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1743834-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री रवि मौर्या से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत माधोपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -155

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत माधोपुर में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18-04-2019/ 000227 | हैण्ड पम्प रिबोर | 29500-00 |
| 2 | 18-04-2019/ 000226 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 31500-00 |
| 3 | 20-04-2019/ 000215 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 1750-00 |
| 4 | 29-06-2019/ 000228, 000229 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 39500-00 |
| 5 | 08-07-2019/ 000237 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 5000-00 |
| 6 | 08-07-2019/ 000234, 000236 | गुरू नारायण के खेत से जू0हा0 स्कूल तक खडन्जा निर्माण एवं मजदूरी | 128288-00 |
| 7 | 08-07-2019/ 000231, 000233 | खण्ड विकास मार्ग से तुलसीराम के घर तक खडन्जा निर्माण एवं मजदूरी | 122871-00 |
| 8 | 08-07-2019/ 000235 | गुरू नारायण के खेत से जू0हा0 स्कूल तक खडन्जा निर्माण एवं मजदूरी | 22800-00 |
| 9 | 09-07-2019/ 000232 | खण्ड विकास मार्ग से तुलसीराम के घर तक खडन्जा निर्माण एवं मजदूरी | 22000-00 |
| 10 | 24-07-2019/ 000242 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 19800-00 |
| 11 | 24-07-2019/ 000241 | हैण्ड पम्प रिबोर | 30700-00 |
| 12 | 24-07-2019/ 000240 | गुरू नारायण के खेत से जू0हा0 स्कूल तक खडन्जा निर्माण एवं मजदूरी | 7500-00 |
| 13 | 24-07-2019/ 000239 | खण्ड विकास मार्ग से तुलसीराम के घर तक खडन्जा निर्माण एवं मजदूरी | 7200-00 |
| 14 | 02-08-2019/ 000244 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 5000-00 |
| 15 | 02-08-2019/ 000247 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 30500-00 |
| 16 | 13-08-2019/ 000246 000248 000249 000250 | हैण्ड पम्प रिबोर | 123070-00 |
| 17 | 16-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /27 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 34245-00 |
| 18 | 17-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /28 से 29 | जू0हा0 प्रागण कमलानगर में इण्टर लॉकिग सामग्री एवं मजदूरी | 143102-00 |
| 19 | 01-01-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /30 से 31 | जू0हा0 कमलानगर में सबमर्सिबल एवं पेयजल सामग्री | 91566-00 |
| 20 | 04-01-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /32 | जू0हा0 कमलानगर में शौचालय निर्माण सामग्री एव मजदूरी | 162660-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | 04-01-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /33 | जू0हा0 कमलानगर में शौचालय निर्माण सामग्री एव मजदूरी | 34150-00 |
| 22 | 22-01-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /3 | जू0हा0 कमलानगर में टाईल्स सामग्री | 150000-00 |
| 23 | 26-01-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /38 | जू0हा0 कमलानगर में टाईल्स सामग्री | 46067-00 |
| 24 | 26-01-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /37 | जू0हा0 कमलानगर में टाईल्स मजदूरी | 52200-00 |
| 25 | 22-01-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /34 | सफाई किट की खरीद | 28000-00 |
| 26 | 18-02-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /40 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 10500-00 |
| | योग | 1379469-00(रूपया तेरह लाख उन्यासी हजार चार सौ उनहत्तर मात्र) | |

ग्राम पंचायत माधोपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 177795-00 | -- | 177795-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 183270-00 | -- | 183270-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | 295959-00 | 14700-00 | 310659-00 |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | -- | -- | -- |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 593395-00 | 86350-00 | 679745-00 |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 28000-00 | -- | 28000-00 |
| | योग | 1278419-00 | 101050-00 | 1379469-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 1379469-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 1278419-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 101050-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1379469-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती ममता देवी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री हरीश प्रताप सिंह से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत नरी

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -156

वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत नरी में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 06-05-2019/ 000274 | हैण्ड पम्प मरम्मत की मजदूरी | 5000-00 |
| 2 | 29-06-2019/ 000271, 000212 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान | 49300-00 |
| 3 | 02-07-2019/ 000275 | बृजलाल के हैण्ड पम्प रिबोर की सामग्री का भुगतान | 31500-00 |
| 4 | 02-07-2019/ 000276 | हरिश्चन्द्र के हैण्ड पम्प रिबोर की सामग्री का भुगतान | 31700-00 |
| 5 | 02-07-2019/ 000277 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान | 24500-00 |
| 6 | 03-07-2019/ 000280 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान | 10000-00 |
| 7 | 03-07-2019/ 000278 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान | 25900-00 |
| 8 | 03-07-2019/ 000281 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 5000-00 |
| 9 | 04-07-2019/ 000273, 000279 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 10000-00 |
| 10 | 08-07-2019/ 000282 | सफाई किट | 18994-00 |
| 11 | 08-07-2019/ 000283 | प्रा0 विद्यालय पर हैण्ड पम्प रिबोर | 30400-00 |
| 12 | 08-07-2019/ 000284 | संदीप मिश्रा के घर हैण्ड पम्प रिबोर | 31500-00 |
| 13 | 16-07-2019/ 000285 | एजेन्सी को अग्रिम भुगतान (अशोक मिश्रा एवं विजय प्रकाश का हैण्ड पम्प रिबोर एवं ह्यूम पाईप क्रय) | 99000-00 |
| 14 | 24-10-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /17 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान | 40890-00 |
| 15 | 30-10-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /18 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान | 40890-00 |
| 16 | 20-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /19 | ह्यूम पाईप क्रय | 62000-00 |
| 17 | 03-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /20 | प्रसिद् नरायन, दिलीप कुमार एवं प्राथमिक विद्यालय पर हैण्ड पम्प रिबोर | 92895-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 | 07-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /3 | सोकफिट निर्माण जटाशंकर के घर | 20000-00 |
| 19 | 15-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /21 | रमाकान्त के घर से पसियान बस्ती तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 169783-00 |
| 20 | 15-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /22 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी | 41336-00 |
| 21 | 15-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /23 | छोटेलाल के घर से ननकू के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 133635-00 |
| 22 | 30-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /24 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी | 37975-00 |
| 23 | 02-03-2020/ | हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री प्रा0विद्यालय, बृजलाल एवं शिव बहादुर | 51000-00 |
| | योग | 1063198-00(रूपया दस लाख तिरसठ हजार एक सौ अनठानबे मात्र) | |

ग्राम पंचायत नरी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 191480-00 | 20000-00 | 211480-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 367995-00 | -- | 367995-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | -- | -- | -- |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 303418-00 | 79311-00 | 382729-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | -- | -- | -- |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 100994-00 | -- | 100994-00 |
| | योग | 963887-00 | 99311-00 | 1063198-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 1063198-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 963887-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 99311-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1063198-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुड्डी देवी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री हरीश प्रताप सिंह से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत बडौरा    लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- बहरिया    जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -157    वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत बडौरा में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 23-04-2019/ 000293 | कैमरा क्रय | 20000-00 |
| 2 | 06-05-2019/ 000294 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 5000-00 |
| 3 | 01-06-2019/ 000295 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 33510-00 |
| 4 | 04-06-2019/ 000296 | हैण्ड पम्प रिबोर | 99885-00 |
| 5 | 28-06-2019/ 000298 | हैण्ड पम्प रिबोर | 35380-00 |
| 6 | 28-06-2019/ 000300 | ब्लाक रोड से भूइयारानी चबुतरा तक खडन्जा सामग्री एवं मजदूरी | 63465-00 |
| 7 | 28-06-2019/ 000333 | प्रा0विद्यालय बडौरा में शौचालय मरम्मत | 11910-00 |
| 8 | 28-06-2019/ 000299 | ब्लाक रोड से भूइयारानी चबुतरा तक खडन्जा सामग्री एवं मजदूरी | 9000-00 |
| 9 | 28-06-2019/ 000331 | ब्लाक रोड से भूइयारानी चबुतरा तक खडन्जा सामग्री एवं मजदूरी | 11830-00 |
| 10 | 28-06-2019/ 000332 | प्रा0विद्यालय बरोडा में शौचालय मरम्मत | 10600-00 |
| 11 | 01-07-2019/ 000334 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 18500-00 |
| 12 | 30-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /7 | हैण्ड पम्प रिबोर 03 नग | 95090-00 |
| 13 | 30-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /8 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 58690-00 |
| 14 | 15-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /9 | ब्लाक रोड से रमाशंकर के घर तक खडन्जा सामग्री | 204900-00 |
| 15 | 15-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /10 | ब्लाक रोड से रमाशंकर के घर तक खडन्जा मिट्टी कार्य | 4800-00 |
| 16 | 15-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /11 | ब्लाक रोड से रमाशंकर के घर तक खडन्जा मजदूरी | 40000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17 | 17-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /12 | ह्यूम पाईप क्रय | 105300-00 |
| 18 | 26-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /13 +14 | ब्लाक रोड से ज्ञानचन्द्र के घर तक खडन्जा सामग्री | 206040-00 |
| 19 | 26-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /15 | ब्लाक रोड से ज्ञानचन्द्र के घर तक खडन्जा मजदूरी | 43750-00 |
| 20 | 15-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /16 से 18 | प्रा0विद्यालय बडौरा मे शोकफिट निर्माण | 16488-00 |
| 21 | 15-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /19 से 21 | जू0हा0स्कूल बडौरा मे शोकफिट निर्माण | 16488-00 |
| 22 | 15-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /22 से 23 | नन्हे लाल के घर से मुसहर बस्ती तक खडन्जा सामग्री | 117127-00 |
| 23 | 15-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /24 | नन्हे लाल के घर से मुसहर बस्ती तक खडन्जा मजदूरी | 24350-00 |
| 24 | 18-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /25 | खडन्जा मार्ग से नाला तक खडन्जा सामग्री | 70163-00 |
| 25 | 18-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /26 | खडन्जा मार्ग से नाला तक खडन्जा मिट्टी कार्य एवं मजदूरी | 24400-00 |
| 26 | 18-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /27 | प्रा0विद्यालय झलिया में चारदीवारी निर्माण सामग्री | 45247-00 |
| 27 | 18-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /28 | प्रा0विद्यालय झलिया में चारदीवारी निर्माण सामग्री | 18620-00 |
| 28 | 18-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /29 | प्रा0विद्यालय झलिया में चारदीवारी निर्माण मजदूरी | 48700-00 |
| 29 | 18-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /30 | प्रा0विद्यालय झलिया में चारदीवारी निर्माण सामग्री | 33903-00 |
| 30 | 26-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /31 | ब्लाक रोड से राजनाथ के दर वाजे तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 54457-00 |
| 31 | 26-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /32 | ब्लाक रोड से राजनाथ के दर वाजे तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 52729-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 32 | 26-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /33 | ब्लाक रोड से राजनाथ के दर वाजे तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 22500-00 |
| 33 | 26-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /34 | ब्लाक रोड से रामसिंह के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 100596-00 |
| 34 | 26-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /35 | ब्लाक रोड से रामसिंह के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 22000-00 |
| | योग | 1745418-00(रूपया सत्रह लाख पैतालीस हजार चार सौ अठ्ठारह मात्र) | |

ग्राम पंचायत बडौरा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 115700-00 | -- | 115700-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 230355-00 | -- | 230355-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | 687325-00 | 132500-00 | 819825-00 |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 207782-00 | 44500-00 | 252282-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 153256-00 | 48700-00 | 201956-00 |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 125300-00 | -- | 125300-00 |
| | योग | 1519718-00 | 225700-00 | 1745418-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 1745418-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 1519718-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 225700-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1745418-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री हरीश प्रताप सिंह से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत छाता लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -158 वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत छाता में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-04-2019/ 000436 | पक्की रोड से पृथ्वीपाल के खेत तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 5233-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 02-04-2019/ 000437 | राकेश के खेत से बनवारी के खेत तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 52247-00 |
| 3 | 02-04-2019/ 000439 | पक्की रोड से सीताराम के खेत तक खडन्जा मरम्मत सामग्री | 26803-00 |
| 4 | 02-04-2019/ 000444 | पक्की रोड से लालबहादुर के घर तक खडन्जा मरम्मत सामग्री | 55951-00 |
| 5 | 02-04-2019/ 000442 | पक्की रोड से एस0सी0 बस्ती तक तक खडन्जा मरम्मत सामग्री | 67969-00 |
| 6 | 02-04-2019/ 000541 | प्रा0विद्यालय से नई बस्ती में टाईल्स सामग्री | 65500-00 |
| 7 | 02-04-2019/ 000543 | हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री | 50500-00 |
| 8 | 02-04-2019/ 000542 | गोवंश आश्रय स्थल निर्माण | 55000-00 |
| 9 | 02-04-2019/ 000405 | गोवंश आश्रय स्थल निर्माण | 31200-00 |
| 10 | 06-04-2019/ 000527 | इण्टर लॉकिग सडक से राम सिंह के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 53900-00 |
| 11 | 09-04-2019/ 000526 | गोवंश आश्रय स्थल मजदूरी | 48500-00 |
| 12 | 12-04-2019/ 000529 | गोवंश आश्रय स्थल सामग्री | 33553-00 |
| 13 | 12-04-2019/ 000528 | गोवंश आश्रय स्थल मजदूरी | 30625-00 |
| 14 | 20-04-2019/ 000532 | गोवंश आश्रय स्थल मजदूरी | 30625-00 |
| 15 | 22-04-2019/ 000537 | गोवंश आश्रय स्थल मजदूरी | 36209-00 |
| 16 | 22-04-2019/ 000538 | गोवंश आश्रय स्थल सामग्री | 21000-00 |
| 17 | 22-04-2019/ 000539 | गोवंश आश्रय स्थल सामग्री | 35320-00 |
| 18 | 22-04-2019/ 000534 000535 | गोवंश आश्रय स्थल सामग्री | 133000-00 |
| 19 | 24-04-2019/ 000530 | गोवंश आश्रय स्थल सामग्री | 20800-00 |
| 20 | 20-04-2019/ 000540 | गोवंश आश्रय स्थल सामग्री | 92500-00 |
| 21 | 01-05-2019/ 000536 | गोवंश आश्रय स्थल सामग्री | 41600-00 |
| 22 | 02-05-2019/ 000496 000503 | गोवंश आश्रय स्थल मजदूरी | 47700-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 03-05-2019/ 000498 | कमलेश के घर से भरत लाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 21990-00 |
| 24 | 03-05-2019/ 000500 | कमलेश के घर से भरत लाल के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 10500-00 |
| 25 | 03-05-2019/ 000502 | कमलेश के घर से भरत लाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 123200-00 |
| 26 | 03-05-2019/ 000499 | गोवंश आश्रय स्थल निर्माण सामग्री | 17490-00 |
| 27 | 04-05-2019/ 000501 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 37240-00 |
| 28 | 08-05-2019/ 000507 | गोवंश आश्रय स्थल निर्माण सामग्री | 17490-00 |
| 29 | 08-05-2019/ 000504 000505 | गोवंश आश्रय स्थल निर्माण मजदूरी | 44000-00 |
| 30 | 08-05-2019/ 000497 | कमलेश के घर से भरत लाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 31200-00 |
| 31 | 15-05-2019/ 000508 | कमलेश के घर से भरत लाल के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 15000-00 |
| 32 | 29-05-2019/ 000510 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 48600-00 |
| 33 | 29-05-2019/ 000557 | हैण्ड पम्प रिबोर | 36260-00 |
| 34 | 30-05-2019/ 000558 | हैण्ड पम्प रिबोर | 48500-00 |
| 35 | 31-05-2019/ 000556 | ह्यूम पाईप क्रय | 34600-00 |
| 36 | 31-05-2019/ 000506 | गोवंश आश्रय स्थल निर्माण सामग्री | 20800-00 |
| 37 | 04-06-2019/ 000509 000559 000560 | गोवंश आश्रय स्थल निर्माण मजदूरी | 25000-00 |
| 38 | 06-06-2019/ 000561 | कमलेश के घर से अमृतलाल के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 15000-00 |
| 39 | 07-06-2019/ 000562 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 31600-00 |
| 40 | 10-06-2019/ 000563 | कमलेश के घर से अमृतलाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 126000-00 |
| 41 | 18-06-2019/ 000564 | भरत लाल के घर से भोला के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 31200-00 |
| 42 | 20-06-2019/ 000565 | भरत लाल के घर से भोला के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 80500-00 |
| 43 | 25-06-2019/ 000567 | भरत लाल के घर से भोला के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 24500-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | 25-06-2019/ 000566 | इण्टर लॉकिग रोड से राम सिंह के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 25500-00 |
| 45 | 27-06-2019/ 000568 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 51500-00 |
| 46 | 28-06-2019/ 000569 | गोवंश आश्रय स्थल निर्माण सामग्री | 78500-00 |
| 47 | 03-07-2019/ 000570 | इण्टर लॉकिग रोड से राम सिंह के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 15000-00 |
| 48 | 01-08-2019/ 000511 से 000513 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 61800-00 |
| 49 | 07-08-2019/ 000517 | पक्की रोड से राम सिंह के घर तक खडन्जा निर्माण | 13250-00 |
| 50 | 07-08-2019/ 000516 | पक्की रोड से राम सिंह के घर तक खडन्जा मजदूरी | 10000-00 |
| 51 | 07-08-2019/ 000519 | खडन्जा मार्ग से चिराग अली के घर तक खडन्जा निर्माण मजदूरी | 29500-00 |
| 52 | 08-08-2019/ 000514 | ह्यूम पाईप क्रय | 71000-00 |
| 53 | 08-08-2019/ 000523 | काली चौरा से ज्ञानसिंह के घर तक खडन्जा निर्माण मजदूरी | 35950-00 |
| 54 | 08-08-2019/ 000524 | छाता खास में बारादरी मन्दिर में टाईल्स कार्य | 14155-00 |
| 55 | 08-08-2019/ 000572 | छाता खास में बारादरी मन्दिर में टाईल्स कार्य | 22850-00 |
| 56 | 08-08-2019/ 000521 | छाता खास में बारादरी मन्दिर में टाईल्स कार्य | 66000-00 |
| 57 | 09-08-2019/ 000571 | खडन्जा मजदूरी | 12450-00 |
| 58 | 13-08-2019/ 000522 | काली चौरा से ज्ञानसिंह के घर तक खडन्जा सामग्री | 95917-00 |
| 59 | 13-08-2019/ 000515 | पक्की रोड से राम सिंह के घर तक खडन्जा सामग्री | 51955-00 |
| 60 | 13-08-2019/ 000518 | खडन्जा मार्ग से चिराग अली के घर तक खडन्जा सामग्री | 67941-00 |
| 61 | 13-08-2019/ 000525 | छाता खास में बारादरी मन्दिर में टाईल्स कार्य | 9327-00 |
| 62 | 13-08-2019/ 000520 | कटभार बार्डर तक खडन्जा सामग्री | 28775-00 |
| 63 | 31-10-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /60 | हैण्ड पम्प सामग्री | 58100-00 |
| 64 | 07-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /61 | ब्लाक रोड से काली मॉ चौरा तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 167705-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 65 | 10-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /62 | ब्लाक रोड से काली मॉ चौरा तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 167705-00 |
| 66 | 22-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /64 | ब्लाक रोड से काली मॉ चौरा तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 43850-00 |
| 67 | 23-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /65 | ब्लाक रोड से काली मॉ चौरा तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 43850-00 |
| 68 | 22-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /63 | प्लास्टिक संग्रह केन्द्र सामग्री | 191800-00 |
| 69 | 23-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /66 | प्लास्टिक संग्रह केन्द्र सामग्री | 191800-00 |
| 70 | 26-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /67 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 59590-00 |
| 71 | 18-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /68 | सफाई किट क्रय | 36000-00 |
| 72 | 07-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /69 | ब्लाक रोड से बनवारी के घर तक खडन्जा सामग्री | 147073-00 |
| 73 | 07-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /70 | ब्लाक रोड से बनवारी के घर तक खडन्जा मिट्टी | 18000-00 |
| 74 | 07-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /71 | ब्लाक रोड से बनवारी के घर तक खडन्जा मजदूरी | 34800-00 |
| 75 | 21-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /72 | राम सिंह के घर से विनोद विश्वकर्मा के घर तक खडन्जा | 55200-00 |
| 76 | 21-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /73 | राम सिंह के घर से विनोद विश्वकर्मा के घर तक मजदूरी | 82050-00 |
| 77 | 21-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /74 | राम सिंह के घर से विनोद विश्वकर्मा के घर तक खडन्जा | 132300-00 |
| 78 | 21-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /75 | राम सिंह के घर से विनोद विश्वकर्मा के घर तक खडन्जा | 226012-00 |
| 79 | 22-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /76 | हैण्ड पम्प रिबोर 06 नग | 199944-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 80 | 23-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /77 | अशोक सिंह के घर से विश्वकर्मा तालाब तक नाली निर्माण | 30147-00 |
| 81 | 23-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /78 | अशोक सिंह के घर से विश्वकर्मा तालाब तक नाली निर्माण | 54366-00 |
| 82 | 23-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /79 | अशोक सिंह के घर से विश्वकर्मा तालाब तक नाली निर्माण मजदूरी | 30150-00 |
| 83 | 05-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /80 | ब्लाक रोड से हरीलाल के घर तक खडन्जा निर्माण | 205065-00 |
| 84 | 05-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /81 | ब्लाक रोड से हरीलाल के घर तक खडन्जा निर्माण | 34933-00 |
| 85 | 05-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /82 | ब्लाक रोड से हरीलाल के घर तक खडन्जा मिट्टी कार्य | 37200-00 |
| 86 | 05-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /83 | ब्लाक रोड से हरीलाल के घर तक खडन्जा मजदूरी | 52950-00 |
| 87 | 13-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /87 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 59590-00 |
| 88 | 28-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /88 | सन्तलाल के घर से जीतलाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 287875-00 |
| 89 | 28-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /89 | सन्तलाल के घर से जीतलाल के घर तक इण्टर लॉकिग मिट्टी कार्य मजदूरी | 70092-00 |
| 90 | 28-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /90 | ब्लाक रोड से सन्तलाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 199440-00 |
| 91 | 28-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /91 | ब्लाक रोड से सन्तलाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 154689-00 |
| 92 | 28-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /92 | ब्लाक रोड से सन्तलाल के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 86120-00 |
| | योग | 5796171-00 (रूपया सत्तावन लाख छियानबे हजार एक सौ इकहत्तर मात्र।) | |

ग्राम पंचायत छाता की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 408020-00 | -- | 408020-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 335204-00 | -- | 335204-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | 1348857-00 | 287850-00 | 1636707-00 |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 1502884-00 | 349412-00 | 1852296-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 65500-00 | -- | 65500-00 |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 1235785-00 | 262659-00 | 1498444-00 |
| | योग | 4896250-00 | 899921-00 | 5796171-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 5796171-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 4896250-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 899921-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 5796171-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फूला देवी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री हरीश प्रताप सिंह से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020 ग्राम पंचायत दामोदर पुर उर्फ तिवारीपुर
विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज
प्रस्तर -159
वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत दामोदर पुर उर्फ तिवारीपुर में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-04-2019/ 000157 | जू0हा0 तिवारीपुर में मरम्मत कार्य | 36400-00 |
| 2 | 02-04-2019/ 000159 | जू0हा0 तिवारीपुर में इंटर लॉकिग मजदूरी | 34000-00 |
| 3 | 14-04-2019/ 000162 | प्रा0विद्यालय तिवारीपुर में शौचालय निर्माण की मजदूरी | 34000-00 |
| 4 | 08-05-2019/ 000163 | प्रा0विद्यालय तिवारीपुर में शौचालय निर्माण की मजदूरी | 32500-00 |
| 5 | 27-05-2019/ 000164 | जू0हा0 तिवारीपुर में मरम्मत एवं मजदूरी | 17000-00 |
| 6 | 29-05-2019/ 000165 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 15000-00 |
| 7 | 12-06-2019/ 000121 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 5000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 14-06-2019/ 000126 | ब्लाक रोड से भुल्लू यादव के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 35700-00 |
| 9 | 15-06-2019/ 000125 | ब्लाक रोड से भुल्लू यादव के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 117477-00 |
| 10 | 28-06-2019/ 000128 | ब्लाक रोड से देवी शरण के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 100674-00 |
| 11 | 28-06-2019/ 000127 | दीनानाथ के घर से नन्दलाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 105360-00 |
| 12 | 01-07-2019/ 000132 | ब्लाक रोड से देवी शरण के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 22500-00 |
| 13 | 01-07-2019/ 000134 | ब्लाक रोड से भुल्लू यादव के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 26639-00 |
| 14 | 01-07-2019/ 000131 | दीनानाथ यादव के घर से नन्दलाल यादव के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 39000-00 |
| 15 | 01-07-2019/ 000130 | दीनानाथ यादव के घर से नन्दलाल यादव के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 28881-00 |
| 16 | 02-07-2019/ 000129 | दीनानाथ यादव के घर से नन्दलाल यादव के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 18594-00 |
| 17 | 03-07-2019/ 000135 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 19500-00 |
| 18 | 24-10-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /15 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 112500-00 |
| 19 | 30-10-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /16 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 112500-00 |
| 20 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /17 | हैण्ड पम्प रिबोर | 96500-00 |
| 21 | 28-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /18 | प्रा0विद्यालय दामोदर पुर में चहारदिवारी निर्माण सामग्री | 125983-00 |
| 22 | 01-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /19 | प्रा0विद्यालय दामोदर पुर में चहारदिवारी निर्माण मजदूरी | 38598-00 |
| 23 | 03-03-2020/ 4 वां एस एफ सी /2019-20/ P/5 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 12600-00 |
| 24 | 03-03-2020/ 4 वां एस एफ सी /2019-20/ P/6 | हैण्ड पम्प मजदूरी | 3800-00 |
| 25 | 07-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /20 | प्रा0विद्यालय दामोदर पुर में टाईल्स कार्य सामग्री | 186004-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | 07-03-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /21 | प्रा0विद्यालय दामोदर पुर में टाईल्स कार्य सामग्री | 47014-00 |
| | योग | 1423724-00(रूपया चौदह लाख तेईस हजार सात सौ चौबीस मात्र) | |

ग्राम पंचायत दामोदर पुर उर्फ तिवारीपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 277100-00 | 3800-00 | 280900-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 96500-00 | -- | 96500-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | -- | -- | -- |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 397625-00 | 97200-00 | 494825-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 348387-00 | 203112-00 | 551499-00 |
| 6 | अन्य विविध खर्च | -- | -- | -- |
| | योग | 1119612-00 | 304112-00 | 1423724-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 1423724-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 1119612-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 304112-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1423724-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र दूबे से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020 ग्राम पंचायत हसनपुरमय चकमंसूर

विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -160

वितीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत हसनपुरमय चकमंसूर में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-04-2019/ 000319 | कैमरा क्रय | 17500-00 |
| 2 | 17-04-2019/ 000320 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 29568-00 |
| 3 | 10-07-2019/ 000323 | छोटेलाल के घर से राम चन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिग | 118272-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 10-07-2019/ 000324 | छोटेलाल के घर से राम चन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 47150-00 |
| 5 | 15-07-2019/ 000322, 000321 | छोटेलाल के घर से राम चन्द्र के घर तक इण्टर लॉकिग | 63359-00 |
| 6 | 16-07-2019/ 000318 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 49600-00 |
| 7 | 25-07-2019/ 000249 | फोटो स्टेट आलमारी आदि पर व्यय | 49500-00 |
| 8 | 25-07-2019/ 000330 | हैण्ड पम्प रिबोर | 150405-00 |
| 9 | 25-07-2019/ 000250 | जे0पी0ट्रेडर्स हाईमस्ट निर्माण | 71000-00 |
| 10 | 25-07-2019/ 000245 | शोकफिट निर्माण | 32490-00 |
| 11 | 25-07-2019/ 000326 000327 000328 | पंचायत भवन निर्माण सामग्री | 92593-00 |
| 12 | 25-07-2019/ 000329 | पंचायत भवन निर्माण मजदूरी | 24550-00 |
| 13 | 26-07-2019/ 000252 | शोकफिट निर्माण | 11907-00 |
| 14 | 26-07-2019/ 000253 | ह्यूम पाईप क्रय | 49500-00 |
| 15 | 24-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /15 | प्लास्टिक संग्रह केन्द्र 04 नग | 54800-00 |
| 16 | 24-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /16 | हाईमस्ट का भुगतान | 90000-00 |
| 17 | 24-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /17 | स्ट्रीट लाईट का भुगतान 06 नग | 25500-00 |
| 18 | 07-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /18 | इण्टर लॉकिग रोड से कब्रिस्तान तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 156096-00 |
| 19 | 07-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /19 | इण्टर लॉकिग रोड से कब्रिस्तान तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 37150-00 |
| 20 | 07-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /20 | इण्टर लॉकिग रोड से कब्रिस्तान तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 49450-00 |
| 21 | 26-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /21 एफ एफ | इण्टर लॉकिग रोड से ट्यूबवेल तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 168030-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | सी /2019-20/पी /22 | | |
| 22 | 26-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /23 | इण्टर लॉकिग रोड से ट्यूबवेल तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 40000-00 |
| | योग | 1428420-00 (रूपया चौदह लाख अठ्ठाईस हजार चार सौ बीस मात्र।) | |

ग्राम पंचायत हसनपुरमय चकमंसूर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 79168-00 | -- | 79168-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 150405-00 | -- | 150405-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | -- | -- | -- |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 542907-00 | 136600-00 | 679507-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | -- | -- | -- |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 494790-00 | 24550-00 | 519340-00 |
| | योग | 1267270-00 | 161150-00 | 1428420-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 1428420-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 1267270-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 161150-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1428420-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री हरीश प्रताप सिंह से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020 ग्राम पंचायत हेतापट्टी

विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -161 वित्तीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत हेतापट्टी में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 07-05-2019/ 000136 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 36500-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 29-06-2019/ 000151 | गोवंश के लिए रोड निर्माण की मजदूरी | 19500-00 |
| 3 | 29-06-2019/ 000137 | गोवंश के लिए रोड निर्माण की सामग्री | 40000-00 |
| 4 | 29-06-2019/ 000139 | गोवंश के लिए रोड निर्माण की मजदूरी | 11500-00 |
| 5 | 08-07-2019/ 000140 | प्रा0 विद्यालय में मिट्टी कार्य | 37500-00 |
| 6 | 20-07-2019/ 000143 | गोवंश आश्रय स्थल की बाउण्ड्रीवाल सामग्री | 84000-00 |
| 7 | 20-07-2019/ 000142 | गोवंश आश्रय स्थल की बाउण्ड्रीवाल सामग्री | 84600-00 |
| 8 | 20-07-2019/ 000144 | गोवंश आश्रय स्थल की शेड निर्माण | 54600-00 |
| 9 | 20-07-2019/ 000146 | गोवंश आश्रय स्थल की शेड निर्माण की मजदूरी | 49950-00 |
| 10 | 20-07-2019/ 000147 | पूर्णवासी लाल के घर से तूफानी के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 49560-00 |
| 11 | 24-07-2019/ 000141 | गोवंश स्थल पर सबमर्सिबल की बोरिंग | 54500-00 |
| 12 | 24-07-2019/ 000145 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 18650-00 |
| 13 | 25-07-2019/ 000142 | गोवंश स्थल की बाउण्ड्रीवाल निर्माण की मजदूरी | 41658-00 |
| 14 | 25-07-2019/ 000148 | मुमताज अहमद के घर से सालिग गुप्ता के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 188493-00 |
| 15 | 25-07-2019/ 000153 | मुमताज अहमद के घर से सालिग गुप्ता के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 48558-00 |
| 16 | 25-07-2019/ 000154 | पूर्णवासी लाल के घर से तूफानी के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 20050-00 |
| 17 | 21-02-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /14 | ऑगनवाडी केन्द्र की मरम्मत सामग्री एवं मजदूरी | 144770-00 |
| | योग | 984389-00(रूपया नौ लाख चौरासी हजार तीन सौ नवासी मात्र) | |

ग्राम पंचायत हेतापट्टी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 55150-00 | -- | 55150-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | -- | -- | -- |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | -- | -- | -- |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 238053-00 | 68608-00 | 306661-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 37500-00 | -- | 37500-00 |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 407970-00 | 177108-00 | 585078-00 |
| | योग | 738673-00 | 245716-00 | 984389-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 984389-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 738673-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 245716-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 984389-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मधु सिंह एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री रवि कुमार मौर्या से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020 ग्राम पंचायत मथुरा उर्फ पारनडीह विकास खण्ड- बहरिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -162 वितीय वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत मथुरा उर्फ पारनडीह में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 18-04-2019/ 000236 | हरिजन बस्ती में खडन्जा मरम्मत सामग्री | 25920-00 |
| 2 | 18-04-2019/ 000235 | हरिजन बस्ती में खडन्जा मरम्मत सामग्री मजदूरी | 17000-00 |
| 3 | 29-06-2019/ 000233 | हैण्ड पम्प रिबोर | 33500-00 |
| 4 | 02-07-2019/ 000239 | हरिजन बस्ती में खडन्जा सामग्री | 105000-00 |
| 5 | 02-07-2019/ 000240 | हरिजन बस्ती में खडन्जा सामग्री | 42006-00 |
| 6 | 12-07-2019/ 000286 | विष्णुदत्त के घर से आद्या प्रसाद के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 179222-00 |
| 7 | 24-07-2019/ 000302 | विष्णुदत्त के घर से आद्या प्रसाद के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 46800-00 |
| 8 | 29-07-2019/ 000303 | शोकफिट निर्माण प्रा0विद्यालय एवं जू0 विद्यालय सामग्री | 28012-00 |
| 9 | 30-07-2019/ 000304 | शोकफिट निर्माण प्रा0विद्यालय एवं जू0 विद्यालय मजदूरी | 6000-00 |
| 10 | 02-08-2019/ 000306 | हैण्ड पम्प मजदूरी | 5000-00 |
| 11 | 02-08-2019/ 000305 | हैण्ड पम्प सामग्री | 15000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 03-08-2019/ 000307 | हैण्ड पम्प सामग्री | 15000-00 |
| 13 | 08-08-2019/ 000308 | सदाशिव के घर से संतलाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 159986-00 |
| 14 | 14-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /12 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 25930-00 |
| 15 | 26-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /13 | हैण्ड पम्प रिबोर (मौजीलाल, मो0 यासीन, बफाती) | 102552-00 |
| 16 | 28-11-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /14 | ह्यूम पाईप क्रय | 21000-00 |
| 17 | 02-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /15 | मौजीलाल के घर से प्रभु हरिजन के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 127954-00 |
| 18 | 05-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /16 | ब्लाक रोड से इण्टर लॉकिग रोड तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 120247-00 |
| 19 | 15-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /18 | मौजीलाल के घर से प्रभु हरिजन के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 27121-00 |
| 20 | 15-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /17 | ब्लाक रोड से इण्टर लॉकिग रोड तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 26248-00 |
| 21 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /04 | सदाशिव के घर से संतलाल के घर तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 36000-00 |
| 22 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /19 | जू0हा0 पारनडीह में चहारदीवारी निर्माण सामग्री | 97618-00 |
| 23 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /20 | जू0हा0 पारनडीह में चहारदीवारी निर्माण मजदूरी | 25600-00 |
| 24 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /21 | सत्यनारायन के घर से बसन्तलाल गुप्ता के घर तक नाली निर्माण | 39500-00 |
| 25 | 26-12-2019/ एफ एफ सी /2019-20/पी /22 | सत्यनारायन के घर से बसन्तलाल गुप्ता के घर तक नाली निर्माण मजदूरी | 16093-00 |
| 26 | 20-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /06 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 25000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 27 | 20-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /07 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 12000-00 |
| 28 | 20-01-2020/ एफ एफ सी /2019-20/पी /23 | ह्यूम पाईप क्रय | 22000-00 |
| | योग | 1403309-00(रूपया चौदह लाख तीन हजार तीन सौ नौ मात्र) | |

ग्राम पंचायत मथुरा उर्फ पारनडीह की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 स0 | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 80930-00 | 17000-00 | 97930-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 136052-00 | -- | 136052-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | 212426-00 | 33093-00 | 245519-00 |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 587409-00 | 136169-00 | 723578-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 125630-00 | 31600-00 | 157230-00 |
| 6 | अन्य विविध खर्च | 43000-00 | -- | 43000-00 |
| | योग | 1185447-00 | 217862-00 | 1403309-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 1403309-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 1185447-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 217862-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1403309-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री आनन्द प्रकाश एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार दूबे से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत बदौआ लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- माण्डा जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -163

ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषवही प्रथम में प्रिया साफ्ट पर किया गया व्यय का विवरण निम्नवत् है-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 09-04-2019/ 762494 | ग्राम सभा में कार्यालय हेतु ऑलमारी कुर्सी इत्यादी का क्रय यादव आयरन स्टोर से | 10000-00 |
| 2 | 25-04-2019/ 762495 | लोकसभा चुनाव में एक अदद कैमरा का क्रय | 19000-00 |
| 3 | 05-06-2019/ 762496 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री का क्रय यादव आयरन स्टोर से मजदूरी | 15100-00 |
| 4 | 05-06-2019/ 762497 | हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी व्यय | 4900-00 |
| 5 | 24-06-2019/ 762498 | प्रा0विद्यालय/पू0मा0विद्यालय के परिसर में रंगाई पुताई का भुगतान यादव आयरन स्टोर | 50000-00 |
| 6 | 29-06-2019/ 762499 | अमरजीत विश्वकर्मा के घर के सामने हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री का भुगतान कृष्णा इण्टर प्राईजेज | 88000-00 |
| 7 | 29-06-2019/ 762500 | ग्राम सभा में 10 अदद कूप का सफाई कार्य | 10000-00 |
| 8 | 29-06-2019/ 762501 | उपरोक्त कार्य की मजदूरी भुगतान | 58240-00 |
| 9 | 29-06-2019/ 762502 | हैण्ड पम्प सामग्री क्रय कुशलपुर इंजीनियरिंग को | 15100-00 |
| 10 | 29-06-2019/ 762503 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 4900-00 |
| 11 | 29-06-2019/ 762504 | ग्राम सभा में टैंकर द्वारा जलापूर्ति | 10000-00 |
| 12 | 29-06-2019/ 762505 | जलापूर्ति हेतु बोरिंग मशीन मालिक को भुगतान | 4900-00 |
| 13 | 01-07-2019/ 762506 | ग्राम प्रधान लाल बहादूर को माह- अप्रैल 2019 से जून 2019 तक मानदेय भुगतान | 10500-00 |
| 14 | 04-07-2019/ 762507 | ग्राम सभा में टैंकर द्वारा जलापूर्ति हेतु किराये का भुगतान रविशंकर पाण्डेय को | 30000-00 |
| 15 | 04-07-2019/ 762508 | जलापूर्ति हेतु बोरिंग मशीन मालिक अजय कुमार को भुगतान | 15000-00 |
| 16 | 07-03-2020/ | पूर्व मा0विद्यालय बदौआ में टाईल्स का भुगतान | 139500-00 |
| 17 | 07-03-2020/ | ग्राम प्रधान मानदेय भुगतान अप्रैल 2018 से जनवरी 2020 तक ( 22 माह) | 77000-00 |
| 18 | 07-03-2020/ | प्रा0विद्यालय बदौआ में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण सामग्री | 155361-00 |
| 19 | 07-03-2020/ | प्रा0विद्यालय बदौआ में इण्टर लॉकिग सामग्री क्रय | 101200-00 |
| 20 | 07-03-2020/ | पूर्व मा0विद्यालय बदौआ में टाईल्स का मजदूरी | 35932-00 |
| 21 | 07-03-2020/ | प्रा0विद्यालय बदौआ में इण्टर लॉकिग मजदूरी | 14419-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | 07-03-2020/ | प्रा0विद्यालय बदौआ में बाउण्ड्रीवाल मजदूरी | 43639-00 |
| | योग | 912691-00 (रूपया नौ लाख बारह हजार छः सौ इक्यानबे मात्र।) | |

कोषवही प्रथम वर्ष 2019-20 के अनुसार ग्राम पंचायत बदौआ मे कुल व्यय रूपया 912691-00(रूपया नौ लाख बारह हजार छः सौ इक्यानबे मात्र) है। जिसमें मजदूरी एवं सामग्री व्यय सम्मिलित है। रूपया 912691-00(रूपया नौ लाख बारह हजार छः सौ इक्यानबे मात्र)व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक यथा कैशमेमों, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत बदौआ द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 912691-00 (रूपया नौ लाख बारह हजार छः सौ इक्यानबे मात्र) को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लाल बहादूर एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री बलवन्त चौहान से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत बेदौली लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- माण्डा जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -164

ग्राम पंचायत बेदौली की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गयी। व्यय का विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र | कार्य का स्थलीय विवरण | सामग्री व्यय (रूपया) | मजदूरी व्यय (रूपया) | योग (रूपया) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 19600-00 | -- | 19600-00 |
| 2 | हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 440153-00 | -- | 440153-00 |
| 3 | खडन्जा एवं नाली निर्माण पर व्यय | -- | -- | -- |
| 4 | इण्टर लॉकिग पर व्यय | 149502-00 | 33108-00 | 182610-00 |
| 5 | प्रा0वि0 एवं पूर्व मा0 विद्यालय में कायाकल्प | 1478314-00 | 401325-00 | 1879639-00 |
| 6 | अन्य विविध खर्च | -- | -- | -- |
| | योग | 2087569-00 | 434433-00 | 2522002-00 |

व्यय की गयी कुल धनराशि रूपया 2522002-00 में से सामग्री पर व्यय रूपया 2087569-00 एवं मजदूरी पर व्यय रूपया 434433-00 किया गया है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, सप्लाई आदेश, बिल इनवाईस, मस्टर रोल, कार्यपूर्ती प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त व लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 2522002-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लालमणि एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री बलवन्त चौहान से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत भौसरा नरोत्तम लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020 विकास खण्ड- माण्डा जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -165

ग्राम पंचायत भौसरा नरोत्तम वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषवही प्रथम की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट के आधार पर की गयी। प्रिया साफ्ट पर व्यय का विवरण निम्न है-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-04-2019/ 055799 | प्राथमिक विद्यालय में टाईल्स हेतु भुगतान | 13500-00 |
| 2 | 02-04-2019/ अज्ञात | निकासी | 37214-93 |
| 3 | 03-04-2019/ 055802 | प्राथमिक विद्यालय में टाईल्स कार्य हेतु भुगतान | 5000-00 |
| 4 | 03-04-2019/ 055805 | प्राथमिक विद्यालय में टाईल्स कार्य हेतु भुगतान | 65000-00 |
| 5 | 03-04-2019/ 055804 | प्राथमिक विद्यालय में टाईल्स कार्य हेतु भुगतान | 20000-00 |
| 6 | 03-04-2019/ 055801 | प्राथमिक विद्यालय में टाईल्स कार्य हेतु भुगतान | 27808-00 |
| 7 | 08-05-2019/ 055807 | स्टेशनरी फोटोकॉपी पर व्यय | 3500-00 |
| 8 | 08-05-2019/ 055809 | लोकसभा चुनाव हेतु कैमरा क्रय | 12500-00 |
| 9 | 07-06-2019/ 055811 | धर्मेश बिन्द कूप जगत निर्माण हेतु व्यय | 25000-00 |
| 10 | 19-06-2019/ 055812 | धर्मेश बिन्द कूप जगत निर्माण हेतु व्यय | 151900-00 |
| 11 | 31-07-2019/ 055814 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु भुगतान | 17950-00 |
| 12 | 31-07-2019/ 055816 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु भुगतान | 2600-00 |
| 13 | 05-08-2019/ 055817 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु भुगतान | 17000-00 |
| 14 | 14-08-2019/ 055791 | कूप जगत निर्माण हेतु व्यय | 219000-00 |
| 15 | 14-08-2019/ 0550820 | कूप जगत निर्माण हेतु व्यय | 55000-00 |
| 16 | 25-01-2020/ | ग्राम पंचायत वृक्षरोपण व्यय | 14100-00 |
| 17 | 25-01-2020/ | ग्राम पंचायत वृक्षरोपण व्यय | 10000-00 |
| 18 | 25-01-2020/ | काली सडक से डेरा तक मिट्टी पिटाई व्यय | 33250-00 |
| 19 | 25-01-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 54950-00 |
| 20 | 25-01-2020/ | सकरी में काली सडक से दीवान के चक तक मिट्टी पटाई कार्य पर व्यय | 14350-00 |
| 21 | 25-01-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 25450-00 |
| 22 | 25-01-2020/ | लाल बहादुर के चक से दशरथ के घर तक मिट्टी पटाई पर व्यय | 9300-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | 25-01-2020/ | उपरोक्त कार्य पर व्यय | 16600-00 |
| 24 | 25-01-2020/ | भौसरा नरोत्तम में प्रा0वि0 फचकरा से राम प्यारे के घर तक खडन्जा सामग्री पर व्यय | 148000-00 |
| 25 | 25-01-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 32400-00 |
| 26 | 18-02-2020/ | संजय पाठक के घर से विजय कुमार के घर तक नाली निर्माण पर व्यय | 125675-00 |
| 27 | 18-02-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 87962-00 |
| 28 | 18-02-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 77000-00 |
| 29 | 23-02-2020/ | काली सडक से विनोद मिश्रा के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री पर व्यय | 146000-00 |
| 30 | 23-02-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 19000-00 |
| 31 | 04-03-2020/ | रामदास बिन्द के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर | 42750-00 |
| 32 | 04-03-2020/ | मंगला के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर | 43000-00 |
| 33 | 04-03-2020/ | भलरोपुर में काली सडक से मायालाल गुप्ता के घर तक पहाड मासी पटाई सामग्री क्रय पर व्यय | 75000-00 |
| 34 | 04-03-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 9800-00 |
| 35 | 04-03-2020/ | प्रशासनिक मद | 10000-00 |
| 36 | 16-03-2020/ | कचकरा में रामलाल के घर से गोपीचन्द्र के घर तक मासी पटाई कार्य का भुगतान | 78000-00 |
| | योग | 1745559-93 (रूपया सत्रह लाख पैतालीस हजार पॉच सौ उनसठ एवं तिरानबे पैसे मात्र।) | |

ग्राम पंचायत भौसरा नरोत्तम की वर्ष 2019-20 में कुल व्यय रूपया 1745559-93 (रूपया सत्रह लाख पैतालीस हजार पॉच सौ उनसठ एवं तिरानबे पैसे मात्र) है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक यथा कैशमेमों, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक, वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत भौसरा नरोत्तम द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1745559-93 (रूपया सत्रह लाख पैतालीस हजार पॉच सौ उनसठ एवं तिरानबे पैसे मात्र) को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र प्रताप एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री मुरारी लाल से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत भवानीपुर लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020
विकास खण्ड- माण्डा जनपद- प्रयागराज
प्रस्तर -166 ग्राम पंचायत भवानीपुर वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध व्यय का विवरण निम्नवत् है-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-04-2019/ 000340 | मुन्नालाल से रामजीयावन सामग्री | 40000-00 |
| 2 | 24-04-2019/ 000343 | मुन्नालाल से रामजीयावन सामग्री | 153500-00 |
| 3 | 24-04-2019/ 000342 | मुन्नालाल से रामजीयावन मजदूरी | 45900-00 |
| 4 | 29-04-2019/ 000344 | देवरी स्कूल में टाईल्स | 145253-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 29-04-2019/ 000346 | प्रा0स्कूल देवरी में टाईल्स मजदूरी | 39644-00 |
| 6 | 29-04-2019/ 000365 | तीर्थराज से बालकृष्ण निर्माण | 133315-00 |
| 7 | 29-04-2019/ 000368 | रामसिंह से देवेन्द्र शुक्ला इण्टर लॉकिग | 145800-00 |
| 8 | 01-05-2019/ 000347 | जूनियर हाईस्कूल देवरी में जलापूर्ति | 117218-00 |
| 9 | 01-05-2019/ 000348 | जूनियर हाईस्कूल देवरी में जलापूर्ति | 18158-00 |
| 10 | 02-05-2019/ 000270 | जिला पंचायत रोड से शेषमणि तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 139768-00 |
| 11 | 02-05-2019/ 000350 | जिला पंचायत रोड से शेषमणि तक इण्टर लॉकिग | 22598-00 |
| 12 | 28-05-2019/ 000351 | कैमरा खरीद | 19152-00 |
| 13 | 14-06-2019/ 000352 | हैण्ड पम्प मरम्मत | 4500-00 |
| 14 | 20-06-2019/ 000353 | हैण्ड पम्प फाउण्डेशन | 28768-00 |
| 15 | 20-06-2019/ 000354 | हैण्ड पम्प फाउण्डेशन मजदूरी | 9898-00 |
| 16 | 29-06-2019/ 000355 | शेषनाथ यादव कूपजगत मरम्मत | 61500-00 |
| 17 | 29-06-2019/ 000356 | सिद्नाथ को मरम्मत मजदूरी | 24490-00 |
| 18 | 29-06-2019/ 000357 | मदन से रामसिंह इण्टलॉकिग सामग्री | 145800-00 |
| 19 | 29-06-2019/ 000358 | मदन से रामसिंह इण्टलॉकिग मजदूरी | 19342-00 |
| 20 | 30-06-2019/ 000360 | महारानी चौरा निर्माण सामग्री | 55000-00 |
| 21 | 30-06-2019/ 000361 | महारानी चौरा निर्माण मजदूरी | 20960-00 |
| 22 | 30-06-2019/ 000361 | गोविन्द से मदल नाली निर्माण | 91595-00 |
| 23 | 30-06-2019/ 000363 | महारानी चौरा निर्माण सामग्री | 41720-00 |
| 24 | 30-06-2019/ 000364 | महारानी चौरा निर्माण मजदूरी | 39774-00 |
| 25 | 30-06-2019/ 000366 | महारानी चौरा निर्माण | 39774-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 26 | 19-01-2020/ | प्रधान का मानदेय | 11000-00 |
| | योग | 1614427-00 (रूपया सोलह लाख चौदह हजार चार सौ सत्ताईस मात्र।) | |

कोषवही प्रथम प्रिया साफ्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 ग्राम पंचायत भवानीपुर में कुल व्यय रूपया 1614427-00 (रूपया सोलह लाख चौदह हजार चार सौ सत्ताईस मात्र) व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक यथा कैशमेमों, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक, वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत भवानीपुर द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1614427-00 (रूपया सोलह लाख चौदह हजार चार सौ सत्ताईस मात्र) को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा शुक्ला एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार शुक्ला से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत चकडीहा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020
विकास खण्ड- माण्डा जनपद- प्रयागराज
प्रस्तर -167
ग्राम पंचायत चकडीहा कोषवही प्रथम की प्रिया साफ्ट पर वितीय वर्ष 2019-20 का व्यय का विवरण निम्न है-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 11-06-2019/ 004766 | प्राथमिक विद्यालय चकडीहा में बाउण्ड्रीवाल मजदूरी | 5000-00 |
| 2 | 12-06-2019/ 004768 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 10000-00 |
| 3 | 19-06-2019/ 004765 | प्राथमिक विद्यालय चकडीहा में बाउण्ड्रीवाल सामग्री क्रय | 49100-00 |
| 4 | 06-07-2019/ 004772 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 20000-00 |
| 5 | 06-07-2019/ 004770 | हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री क्रय | 50000-00 |
| 6 | 06-07-2019/ 004773 | राजाराम के घर से सीताराम के कूप तक इण्टर लॉकिग सामग्री एवं नाली निर्माण | 100000-00 |
| 7 | 08-07-2019/ 004775 | हैण्ड पम्प रिबोर कार्य | 87600-00 |
| 8 | 08-07-2019/ 004769 | राजाराम के घर से सीताराम के कूप तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 12400-00 |
| 9 | 12-07-2019/ 004776 | हैण्ड पम्प रिबोर कार्य | 150000-00 |
| 10 | 16-07-2019/ 004779 | राजाराम के घर से सीताराम के कूप तक इण्टर लॉकिग मजदूरी | 20000-00 |
| 11 | 17-07-2019/ 004778 | राजाराम के घर से सीताराम के कूप तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 20000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | 17-07-2019/ 004781 | हैण्ड पम्प रिबोर कार्य | 50000-00 |
| | योग | 574100-00 (रूपया पॉच लाख चौहत्तर हजार एक सौ मात्र।) | |

ग्राम पंचायत चकडीहा की में वर्ष 2019-20 में सामग्री क्रय एवं मजदूरी पर सकल व्यय रूपया 574100-00 (रूपया पॉच लाख चौहत्तर हजार एक सौ मात्र।) है। इस व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक यथा कैशमेमों, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत चकडीहा द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 574100-00(रूपया पॉच लाख चौहत्तर हजार एक सौ मात्र) को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार शुक्ला से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत धनावल लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- माण्डा जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -168

ग्राम पंचायत धनावल वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषवही प्रथम में प्रिया साफ्ट पर दर्शाया गया व्यय विवरण निम्न है-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 02-04-2019/ 328086 | प्रधान का मानदेय | 10500-00 |
| 2 | 05-04-2019/ 328087 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 15100-00 |
| 3 | 05-04-2019/ 328088 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 4900-00 |
| 4 | 27-05-2019/ 328089 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 15100-00 |
| 5 | 27-05-2019/ 328090 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 4900-00 |
| 6 | 29-06-2019/ 328093 | अखिलेश के घर से मन्दिर तक नाली निर्माण सामग्री क्रय | 58300-00 |
| 7 | 29-06-2019/ 328096 | अखिलेश के घर से मन्दिर तक नाली निर्माण सामग्री क्रय मजदूरी | 18340-00 |
| 8 | 29-06-2019/ 328091 | प्राथमिक विद्यालय यादवपुर में शौचालय निर्माण सामग्री क्रय | 22500-00 |
| 9 | 29-06-2019/ 328092 | उपरोक्त पर मजदूरी | 7496-00 |
| 10 | 29-06-2019/ 328095 | प्राथमिक विद्यालय यादवपुर में शौचालय निर्माण सामग्री क्रय | 73705-00 |
| 11 | 29-06-2019/ 328094 | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 18340-00 |
| 12 | 01-07-2019/ 328100 | पिचरोड से राममूर्ति पाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 175000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 01-07-2019/ 328097 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 15100-00 |
| 14 | 01-07-2019/ 328098 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 4900-00 |
| 15 | 01-07-2019/ 328099 | प्रधान का मानदेय | 10500-00 |
| 16 | 14-08-2019/ 328081 | प्राथमिक विद्यालय धनावल में वृक्षारोपण क्रय एवं मजदूरी | 100000-00 |
| 17 | 14-08-2019/ 328080 | प्राथमिक विद्यालय यादवपुर में रंगाई व्यय सामग्री एवं मजदूरी | 90000-00 |
| 18 | 14-08-2019/ 328078 | रंगाई व्यय | 7610-00 |
| 19 | 17-02-2020/ | प्राथमिक विद्यालय पुरेपुर में शौचालय एवं रंगाई कार्य व्यय | 23200-00 |
| 20 | 17-02-2020/ | प्राथमिक विद्यालय पुरेपुर में बाउण्ड्रीवाल हेतु सामग्री क्रय | 352200-00 |
| 21 | 17-02-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 38400-00 |
| 22 | 17-02-2020/ | प्राथमिक विद्यालय पुरेपुर में शौचालय एवं रंगाई व्यय श्रमांश | 13900-00 |
| 23 | 17-02-2020/ | प्राथमिक विद्यालय पुरेपुर में टाईल्स सामग्री पर व्यय | 103000-00 |
| 24 | 17-02-2020/ | उपरोक्त पर मजदूरी | 57200-00 |
| 25 | 08-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 60000-00 |
| 26 | 08-03-2020/ | प्रशासनिक एवं नारा लेखन व्यय | 22000-00 |
| 27 | 08-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी | 40000-00 |
| | योग | 1362191-00 (रूपया तेरह लाख बासठ हजार एक सौ इक्यानबे मात्र।) | |

ग्राम पंचायत धनावल द्वारा वर्ष 2019-20 में विकास कर्यो हेतु व्यय रूपया 1362191-00(रूपया तेरह लाख बासठ हजार एक सौ इक्यानबे मात्र) प्रिया साफ्ट पर दर्शित है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक यथा कैशमेमों, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत धनावल द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1362191-00(रूपया तेरह लाख बासठ हजार एक सौ इक्यानबे मात्र) को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रामकली एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री खेमराज से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत कनेवरा वित्तीय वर्ष 2019-20 में की लेखा परीक्षा प्रिया साफ्ट के आधार पर की गयी। प्रिया साफ्ट अनुसार में कराये गये कार्यो का विवरण-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-06-2019/ 474501 | प्राथमिक एवं उच्च मा0 विद्यालय में शौचालय मरम्मत व्यय | 38568-00 |
| 2 | 01-06-2019/ 474502 | प्राथमिक विद्यालय में रंगाई मजदूरी | 15864-00 |
| 3 | 01-06-2019/ 474503 | प्राथमिक विद्यालय में मजदूरी | 17556-00 |
| 4 | 01-06-2019/ 272947 | अलीरोड से जय नारायण के घर तक स्टोन डस्ट का भुगतान | 53883-00 |
| 5 | 03-06-2019/ 272958 | स्टेशनरी व्यय | 1700-00 |
| 6 | 03-06-2019/ 272950 | प्राथमिक विद्यालय में समरशेबुल भुगतान | 22374-00 |
| 7 | 25-06-2019/ 272951 | प्रा0विद्यालय कनेवरा में शौचालय हेतु सामग्री क्रय | 153940-00 |
| 8 | 25-06-2019/ 272949 | प्राथमिक एवं उच्च मा0 विद्यालय में हैण्ड पम्प सामग्री क्रय भुगतान | 60735-00 |
| 9 | 25-06-2019/ 272953 | प्राथमिक एवं उच्च मा0 विद्यालय में टाईल्स क्रय भुगतान | 53425-00 |
| 10 | 26-06-2019/ 272959 | 08 नग साईन बोर्ड निर्माण पर व्यय | 26880-00 |
| 11 | 26-06-2019/ 272955 | प्राथमिक विद्यालय में पुताई सामग्री पर व्यय | 55282-00 |
| 12 | 14-08-2019/ 320964 | ह्यूम पाईप क्रय | 47300-00 |
| 13 | 14-08-2019/ 320962 | प्रदीप तिवारी के घर से पोखरा तक जल निकासी हेतु ह्यूम पाईप क्रय | 33500-00 |
| 14 | 14-08-2019/ 320970 | कृष्ण वली के घर से तालाब तक जल निकासी हेतु ह्यूम पाईप क्रय | 127100-00 |
| 15 | 14-08-2019/ 320965 | उपरोक्त पर मजदूरी | 20720-00 |
| 16 | 14-08-2019/ 320963 | मनोज तिवारी एवं मुन्ना पाण्डेय के घर रिबोर भुगतान | 49100-00 |
| 17 | 14-08-2019/ 320966 | उपरोक्त पर मजदूरी | 35884-00 |
| | योग | 813812-00 (रूपया आठ लाख तेरह हजार आठ सौ बारह मात्र।) | |

ग्राम पंचायत कनेवरा की वर्ष 2019-20 में कुल व्यय रूपया 813812-00 है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक यथा कैशमेमों, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि

प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत कनेवरा द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 813812-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री लाल बिहारी एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार शुक्ला से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत कोसडा खुर्द लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020
विकास खण्ड- माण्डा जनपद- प्रयागराज
प्रस्तर -170
ग्राम पंचायत कोसडा खुर्द वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया साफ्ट पर उपलब्ध व्यय का विवरण निम्नवत् है-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 05-04-2019/ 280577 | हैण्ड पम्प मरम्मत का भुगतान | 45000-00 |
| 2 | 17-04-2019/ 280579 | स्टेशनरी व्यय सामग्री | 5000-00 |
| 3 | 06-05-2019/ 280583 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 4900-00 |
| 4 | 06-05-2019/ 280580 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 15100-00 |
| 5 | 11-06-2019/ 280584 | हिंगलाल के घर के सामने फाउण्डेशन एवं स्नान घर पर व्यय | 4800-00 |
| 6 | 20-06-2019/ 280585 | पानी टैंकर मरम्मत पर व्यय | 5000-00 |
| 7 | 29-06-2019/ 280588 | हिंगलाल के घर के सामने फाउण्डेशन एवं स्नान घर पर व्यय | 15500-00 |
| 8 | 29-06-2019/ 280587 | पक्की सडक से नाली तक इण्टरलॉकिग भुगतान | 14992-00 |
| 9 | 29-06-2019/ 280589 | भगौती एवं लालबहादूर उर्फ पागल के घर के सामने हैण्ड पम्प रिबोर | 88000-00 |
| 10 | 29-06-2019/ 280593 | कोसडा खुर्द में हरिजन बस्ती में कल्लू जायसवाल के घर तक इण्टर लॉकिग | 89500-00 |
| 11 | 29-06-2019/ 280593 | उपरोक्त पर व्यय | 11390-00 |
| 12 | 29-06-2019/ 280595 | पूरा पाण्डेय में जीत नारायण हरिजन के घर के सामने हैण्ड पम्प रिबोर का कार्य | 88000-00 |
| 13 | 29-06-2019/ 280590 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 15100-00 |
| 14 | 29-06-2019/ 280591 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 4900-00 |
| 15 | 29-06-2019/ 280597 | ग्राम सभा मे टैंकर द्वारा जलापूर्ति कार्य का भुगतान | 15000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 29-06-2019/ 280592 | ग्राम सभा मे आलमारी क्रय | 10000-00 |
| 17 | 29-06-2019/ 280580 | पक्की सडक से नाली तक इण्ट लॉकिग भुगतान | 106700-00 |
| 18 | 29-06-2019/ 280596 | ग्राम सभा में जलापूर्ति टैकर द्वारा | 45000-00 |
| 19 | 01-07-2019/ 280598 | कोसडा खुर्द में हरिजन बस्ती से कल्लू जायसवाल के घर इण्टर लॉकिग | 39000-00 |
| 20 | 01-07-2019/ 280599 | उपरोक्त पर मजदूरी | 5000-00 |
| | योग | 627882-00 (रूपया छः लाख सत्ताईस हजार आठ सौ बयासी मात्र।) | |

ग्राम पंचायत कोसडा खुर्द वर्ष 2019-20 में कुल व्यय रूपया 627882-00 (रूपया छः लाख सत्ताईस हजार आठ सौ बयासी मात्र।) है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक यथा कैशमेमों, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत कोसडा खुर्द द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 627882-00 (रूपया छः लाख सत्ताईस हजार आठ सौ बयासी मात्र।) को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री बृजेन्द्र कुमार शुक्ला से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत पचेडा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- माण्डा जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -171 ग्राम पंचायत पचेडा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषवही प्रथम में प्रिया साफ्ट पर दर्शाया गया व्यय विवरण निम्न है-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 20-04-2019/ 225290 | प्राथमिक विद्यालय पचेडा में टाईल्स सामग्री क्रय पर व्यय | 22268-00 |
| 2 | 20-04-2019/ 225289 | उपरोक्त पर श्रमांश | 7650-00 |
| 3 | 24-04-2019/ 265291 | प्रधान का मानदेय | 10500-00 |
| 4 | 29-04-2019/ 265294 | हैण्डपम्प फाउण्डेशन सामग्री पर व्यय | 76720-00 |
| 5 | 29-04-2019/ 265295 | उपरोक्त पर श्रमांश | 28202-00 |
| 6 | 02-05-2019/ 265296 | प्राथमिक विद्यालय पचेडा में दर वाजा पर व्यय | 22880-00 |
| 7 | 02-05-2019/ 265297 | उपरोक्त पर श्रमांश | 5276-00 |
| 8 | 02-05-2019/ 265298 | प्राथमिक विद्यालय पूरालक्षन में सामग्री पर व्यय | 39652-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | 02-05-2019/ 265300 | उपरोक्त पर श्रमांश | 21612-00 |
| 10 | 29-05-2019/ 265302 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 10000-00 |
| 11 | 28-06-2019/ 265303 | राजमणी के घर से साधू के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय | 107689-00 |
| 12 | 28-06-2019/ 265304 | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 10844-00 |
| 13 | 29-06-2019/ 265312 | प्राथमिक विद्यालय पचेडा में हैण्ड पम्प चबूतरा सोख्ता नाली हेतु सामग्री | 19365-00 |
| 14 | 29-06-2019/ 265313 | उपरोक्त कार्य पर श्रमांश | 4730-00 |
| 15 | 29-06-2019/ 265305 | रामजी कोल के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 88000-00 |
| 16 | 29-06-2019/ 265306 | शशि कोल के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 88000-00 |
| 17 | 29-06-2019/ 265307 | फूलचन्द्र के घर के पास हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय | 88000-00 |
| 18 | 29-06-2019/ 265308 | दयाशंकर के घर से पुष्पराज के घर तक इण्टर लॉकिग | 133817-00 |
| 19 | 29-06-2019/ 265309 | उपरोक्त कार्य पर श्रमांश | 15720-00 |
| 20 | 29-06-2019/ 265311 | शिवराम सिंह के घर से रघुराज सिंह के घर तक इण्टर लॉकिग पर व्यय | 15720-00 |
| 21 | 29-06-2019/ 265310 | उपरोक्त कार्य पर व्यय | 131654-00 |
| 22 | 01-07-2019/ 265314 | प्रधान का मानदेय | 10500-00 |
| 23 | 05-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 19953-00 |
| 24 | 05-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 19953-00 |
| 25 | 05-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 19953-00 |
| 26 | 09-03-2020/ | प्रधान मानदेय 07 माह | 24500-00 |
| 27 | 09-03-2020/ | प्रशासनिक व्यय | 22000-00 |
| 28 | 09-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय | 19953-00 |
| 29 | 09-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय | 19953-00 |
| 30 | 09-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय | 19953-00 |
| 31 | 09-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय | 37000-00 |
| 32 | 09-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय | 63000-00 |
| 33 | 15-03-2020/ | प्रा0विद्यालय छाईकरन में इण्टर लॉकिग | 178265-00 |

| | | |
|---|---|---|
| | योग | 1403282-00 (रूपया चौदह लाख तीन हजार दो सौ बयासी मात्र।) |

ग्राम पंचायत पचेडा की वर्ष 2019-20 में कुल व्यय रूपया 1403282-00 (रूपया चौदह लाख तीन हजार दो सौ बयासी मात्र) है। इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक यथा कैशमेमों, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत पचेडा द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1403282-00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री साधू एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री खेमराज से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

नाम संस्था- ग्राम पंचायत सिरावल लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-2020

विकास खण्ड- माण्डा जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -172

ग्राम पंचायत सिरावल द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषवही प्रथम में प्रिया साफ्ट पर किया गया व्यय का विवरण निम्नवत् है-

| क्र0 स0 | दिनांक/चेक संख्या | कार्य का विवरण | व्यय धनराशि (रूपया) |
|---|---|---|---|
| 1 | 22-04-2019/ 486124 | प्रशासनिक व्यय | 5000-00 |
| 2 | 14-05-2019/ 486125 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 45000-00 |
| 3 | 18-06-2019/ 486126 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी व्यय | 9932-00 |
| 4 | 25-06-2019/ 486127 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 14720-00 |
| 5 | 28-06-2019/ 486128 | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी व्यय | 15280-00 |
| 6 | 28-06-2019/ 486131 | प्रा0विद्यालय चैनपुर में रंगाई व्यय | 51700-00 |
| 7 | 28-06-2019/ 486129 | प्रधान का मानदेय | 3500-00 |
| 8 | 28-06-2019/ 486130 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 50000-00 |
| 9 | 01-07-2019/ 486131 | बुद्र के घर से श्रीकान्त के घर तक भक्सी सामग्री क्रय | 130000-00 |
| 10 | 01-07-2019/ 486133 | उपरोक्त पर श्रमांश | 19838-00 |
| 11 | 05-07-2019/ 486134 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 27000-00 |
| 12 | 06-07-2019/ 486135 | हरिजन बस्ती में खडन्जा मरम्मत सामग्री क्रय | 35000-00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13 | 06-07-2019/ 486138 | उपरोक्त कार्य पर श्रमांश | 14868-00 |
| 14 | 09-07-2019/ 486139 | पंचायत भवन में मरम्मत एवं पौधरोपण पर व्यय | 52000-00 |
| 15 | 09-07-2019/ 486137 | काली रोड से मोती लाल के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री व्यय | 185000-00 |
| 16 | 09-07-2019/ 357736 | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 20000-00 |
| 17 | 31-01-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय 05 नग | 85000-00 |
| 18 | 31-01-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी व्यय | 15000-00 |
| 19 | 31-01-2020/ | पक्की सडक से प्रेम सागर के घर तक इण्टर लॉकिग सामग्री | 150000-00 |
| 20 | 31-01-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 25000-00 |
| 21 | 31-01-2020/ | पू0मा0विद्यालय सिरावल में टाईल्स क्रय भुगतान | 149800-00 |
| 22 | 31-01-2020/ | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 40200-00 |
| 23 | 31-01-2020/ | प्रा0 विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल निर्माण सामग्री क्रय भुगतान | 140000-00 |
| 24 | 31-01-2020/ | उपरोक्त कार्य पर श्रमांश | 42000-00 |
| 25 | 31-01-2020/ | पू0मा0विद्यालय में टाईल्स पर मजदूरी भुगतान | 9000-00 |
| 26 | 18-02-2020/ | प्रधान का मानदेय 08 माह | 28000-00 |
| 27 | 18-02-2020/ | पू0मा0विद्यालय में टाईल्स कार्य पर मजदूरी भुगतान | 130000-00 |
| 28 | 18-02-2020/ | उपरोक्त कार्य पर श्रमांश | 15000-00 |
| 29 | 18-02-2020/ | प्रा0 विद्यालय छेनुपुर में टाईल्स पर भुगतान | 142500-00 |
| 30 | 18-02-2020/ | उपरोक्त कार्य पर श्रमांश | 12500-00 |
| 31 | 08-03-2020/ | हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी एवं सामग्री भुगतान | 100000-00 |
| 32 | 08-03-2020/ | प्रशासनिक एवं नारा लेखन पर व्यय | 22000-00 |
| | योग | 1784838-00 (रूपया सत्रह लाख चौरासी हजार आठ सौ अडतीस मात्र।) | |

ग्राम पंचायत सिरावल द्वारा वर्ष 2019-20 में कोषवही प्रथम द्वारा प्रिया साफ्ट पर किये गए व्यय रूपया 1784838-00 (रूपया सत्रह लाख चौरासी हजार आठ सौ अडतीस मात्र) के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक यथा कैशमेमों, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टीमेट, मेजरमेण्ट बुक, वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया। इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय 8 की धारा(8क) में विहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सिरावल द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपया 1784838-00 (रूपया सत्रह लाख चौरासी हजार आठ सौ अडतीस मात्र) को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री कृपाशंकर सिंह एवं ग्राम पंचा0विकास अधिकारी श्री खेमराज से बराबर रूप से किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत अकौरिया वर्ष 2019-20 विकास खण्ड शंकरगढ जनपद प्रयागराज

प्रस्तर -173

आलोच्य वर्ष 2019-20 में पशु आश्रय स्थल / गौशाला निर्माण हेतु **रूपया 802628.00** का भुगतान श्री भोला सिंह एवं अनुराग इण्टर प्राईजेज किया गया है। पंचायती राज नियमावली/अधिनियम 1947 की धारा 198, 204, 205, 209 एवं नियम 256(1) तथा ग्राम

पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राजकरन सिंह (रूपया 401314-00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री हरिभान सिंह (रूपया 401314-00) से वसूली की जानी अपेक्षित है।

| क्र0 स0 | दिनांक | वाऊचर संख्या | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 01-05-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /1 | 36200-00 | पशु आश्रय स्थल में तारवाडी एवं गेट निर्माण की सामग्री हेतु भुगतान श्री भोला सिंह |
| 02 | 11-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /5 | 116956-00 | पशु आश्रय स्थल में चारा गोदाम निर्माण हेतु सामग्री एवं मजदूरी हेतु भुगतान श्री भोला सिंह |
| 03 | 11-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /6 | 28000-00 | पशु आश्रय स्थल में चारा गोदाम निर्माण हेतु सामग्री एवं मजदूरी हेतु भुगतान श्री भोला सिंह |
| 04 | 24-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /8 | 149000-00 | पशु आश्रय स्थल में चारा गोदाम निर्माण हेतु सामग्री एवं मजदूरी हेतु भुगतान श्री भोला सिंह |
| 05 | 13-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /2 | 30000-00 | गौशाला में गौपालक कक्ष (ऑफिस) के निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान श्री भोला सिंह |
| 06 | 19-12-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /12 | 133145-0 | गौशाला में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान अनुराग इण्टर प्राईजेज |
| 07 | 26-12-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /15 | 91501-00 | गौशाला में टीन शेड निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान अनुराग इण्टर प्राईजेज |
| 08 | 26-12-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /17 | 156726-00 | गौशाला में गौपालक कमरा के निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान अनुराग इण्टर प्राईजेज |
| 09 | 25712-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /19 | 61100-00 | गौशाला में बाउन्ड्रीवॉल निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान अनुराग इण्टर प्राईजेज |
| योग | 802628-00 (रूपया आठ लाख दो हजार छः सौ अठ्ठाईस मात्र) | | | |

ग्राम पंचायत बेमरा विकास खण्ड शंकरगढ जनपद प्रयागराज में आलोच्य वर्ष 2019-20

प्रस्तर -174

आलोच्य वर्ष 2019-20 में पशु आश्रय स्थल / गौशाला निर्माण हेतु **रूपया 175793.00** का भुगतान स्वयं और लक्ष्मी बोरवेल को किया गया है। पंचायती राज नियमावली/अधिनियम 1947 की धारा 198, 204, 205, 209 एवं नियम 256(1) तथा ग्राम पंचायत वित्त एवं

लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री भानू प्रताप सिंह(रूपया 87796-50) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री राम सेवक (रूपया 87796-50) से वसूली की जानी अपेक्षित है।

| उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | क्र0 स0 | दिनांक | वाऊचर संख्या | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| श्री भानू प्रताप सिंह (ग्राम प्रधान) एवं श्री राम सेवक (सचिव) | 01 | 08-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /1 | 33000-00 | गौशाला में हैण्ड पम्प निर्माण का भुगतान |
| | 02 | 08-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /1 | 33000-00 | गौशाला में हैण्ड पम्प निर्माण का भुगतान लक्ष्मी बोरवेल |
| | 03 | 11-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /6 | 73960-00 | गौशाला में तार बाडी एवं बल्ली का भुगतान |
| | 04 | 18-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी / | 35833-00 | गौशाला में तार बाडी एवं बल्ली का भुगतान |
| | **योग** | **175793-00 (रूपया एक लाख पचहत्तर हजार नौ सौ तिरानबे मात्र)** | | | |

ग्राम पंचायत टिकरोही कलॉ विकास खण्ड शंकरगढ जनपद प्रयागराज

प्रस्तर -175

आलोच्य वर्ष 2019-20 में पशु आश्रय स्थल / गौशाला निर्माण हेतु **रूपया 386305.00** का भुगतान महाकाली इण्टर प्राईजेज और डी0के0 कन्सट्रक्सन को किया गया है। पंचायती राज नियमावली/अधिनियम 1947 की धारा 198, 204, 205, 209 एवं नियम 256(1) तथा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री शिव सजीवन (रूपया 193152-50) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री हरिभान सिंह (रूपया 193152-50) से वसूली की जानी अपेक्षित है।

| उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | क्र. | दिनांक | वाऊचर संख्या | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| श्री शिव सजीवन (ग्राम प्रधान) एवं श्री हरिभान सिंह (सचिव) | 01 | 01-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /1 | 45600-00 | पशु आश्रय स्थल हेतु सामग्री क्रय का भुगतान डी0के0 कन्सट्रक्सन |
| | 02 | 16-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /4 | 116956-00 | चारा गोदाम निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान महाकाली इण्टर प्राईजेज |
| | 03 | 31-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /7 | 119720-00 | चारा गोदाम निर्माण हेतु सामग्री क्रय का भुगतान महाकाली इण्टर प्राईजेज |
| | 04 | 09-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /2 | 104029-00 | गौ पालक कक्ष (ऑफिस) निर्माण हेतु भुगतान डी0के0 कन्सट्रक्सन |
| | **योग** | **386305-00 (रूपया तीन लाख छियासी हजार तीन सौ पॉच मात्र)** | | | |

प्रस्तर -176

आलोच्य वर्ष 2019-20 में खडन्जा निर्माण एवं हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी एवं सामग्री तथा हैण्ड पम्प रिबोर हेतु **रूपया 1119640.00** का भुगतान फर्म एवं अन्य को किया गया है। पंचायती राज नियमावली/अधिनियम 1947 की धारा 198, 204, 205, 209 एवं नियम 256(1) तथा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रधान एवं सचिव की मिलीभगत से धन का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/ प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती देवी (रूपया 559820-00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री अजय श्रीवास्तव (रूपया 559820-00) से वसूली की जानी अपेक्षित है।

| उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | क्र. | दिनांक | वाऊचर संख्या | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रीमती कलावती देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री अजय | 01 | 09-04-2019 | एफ एफ सी /2019-20 | 112000-00 | पिन्टू के घर से पी0डबल्यू0डी0 रोड तक इण्टरलॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान |
| | 02 | 03-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /1 | 106000-00 | रामआधार के खेत से रामआधार के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रीवास्तव (सचिव) | 03 | 04-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /2 | 28000-00 | रामआधार के खेत से रामआधार के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान |
| | 04 | 04-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20 | 30000-00 | पिन्टू के घर से पी0डबल्यू0डी0 रोड तक इण्टरलॉकिग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान |
| | 05 | 23-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /6 | 30000-00 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री का भुगतान |
| | 06 | 29-07-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /5 | 105000-00 | 05 नग हैण्ड पम्प रिबोर हेतु सामग्री का भुगतान |
| | 07 | 01-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /5 | 45000-0 | 05 नग हैण्ड पम्प रिबोर हेतु मजदूरी का भुगतान |
| | 08 | 03-08-2020 | एफ एफ सी /2019-20/पी /4 | 141120-00 | कृष्णा जी के खेत से प्रेम चन्द्र के खेत तक इण्टर लॉकिग कार्य का भुगतान |
| | 09 | 13-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /5 | 21000-00 | 01 नग हैण्ड पम्प रिबोर हेतु सामग्री का भुगतान मजदूरी का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन |
| | 10 | 19-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /3 | 75000-00 | जॉन मोहम्मद के घर से कृष्णा जी के खेत तक इण्टर लॉकिग कार्य की सामग्री का भुगतान |
| | 11 | 23-12-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /8 | 214110-00 | गुप्ता के बाग से बुलबुल के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य की सामग्री का भुगतान भारती इण्टर प्राईजेज |
| | 12 | 26-12-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /9 | 212410-00 | गुप्ता के बाग से बुलबुल के घर तक इण्टर लॉकिग कार्य की सामग्री का भुगतान भारती इण्टर प्राईजेज |
| | **योग** | **1119640-00 (रूपया ग्यारह लाख उन्नीस हजार छः सौ चालीस मात्र)** | | | |

ग्राम पंचायत विगहना विकास खण्ड उरूवा जनपद प्रयागराज

प्रस्तर -177

आलोच्य वर्ष 2019-20 में खडन्जा निर्माण एवं हैण्ड पम्प मरम्मत हेतु मजदूरी एवं सामग्री तथा हैण्ड पम्प रिबोर हेतु **रूपया 621510.00** का भुगतान फर्म एवं स्वयं (प्रधान श्रीमती गीता देवी) को किया गया है। पंचायती राज नियमावली/अधिनियम 1947 की धारा 198, 204, 205, 209 एवं नियम 256(1) तथा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार उपरोक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त विवरण में क्रमांक 01 से क्रमांक 03 तक दर्शित जो धनराशि व्यय की गयी है वह सामग्री हेतु ही व्यय की गयी है, मजदूरी का उल्लेख कैशबुक में नहीं है। बिना मजदूरी भुगतान के सामग्री क्रय के आधार पर खडन्जा निर्माण कैसे सम्भव है? इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रधान एवं सचिव की मिलीभगत से धन का अपहरण किया गया है।

उपरोक्त भुगतान सम्बन्धी समस्त कार्य पत्रावली यथा- कार्य योजना, कार्यवाही रजि0, अनुमानित व्यय प्राक्कलन, वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति, कोटेशन/टेण्डर माप पुस्तिका, व्यय प्रमाणक, कैश मेमो, बिल वाउचर्स, मस्टर रोल, स्टॉक बुक, डेड स्टॉक, रजिस्टर स्थलवार फोटोग्राफी, लाभार्थी सूची व कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र आदि बार-बार मॉगे जाने के उपरान्त भी लेखा परीक्षा में जॉच समीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध करायें परन्तु दोनों अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहें। अतः व्यय प्रमाणकों के अभाव में अध्याय-8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार बिना व्यय प्रमाणकों के व्यय की गई सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी सम्पूर्ण धनराशि मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी (रूपया 310755-00) एवं ग्रा0वि0अधि0 श्री अजय श्रीवास्तव (रूपया 310755-00) से वसूली की जानी अपेक्षित है।

| **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** | **क्र0** | **दिनांक** | **वाऊचर संख्या** | **धनराशि** | **कार्य विवरण** |
|---|---|---|---|---|---|
| श्रीमती गीता देवी (ग्राम प्रधान) एवं श्री अजय श्रीवास्तव (सचिव) | 01 | 03-04-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /1 | 105000-00 | डिग्री कॉलेज विगहना से राजमणि पासी के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय |
| | 02 | 27-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /2 | 150000-00 | श्यामलाल पासी के घर से कन्हैयालाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान |
| | 03 | 27-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /2 | 90000-00 | श्यामलाल पासी के घर से कन्हैयालाल के घर तक खडन्जा निर्माण कार्य हेतु सामग्री का भुगतान |
| | 04 | 08-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /3 | 10000-00 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान श्रीमती गीता देवी |
| | 05 | 13-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /3 | 10000-00 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री का भुगतान श्रीमती गीता देवी |
| | 06 | 14-08-2019 | एफ एफ सी /2019-20/पी /3 | 25000-0 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य हेतु सामग्री का भुगतान श्रीमती गीता देवी |
| | 07 | 01-01-2020 | 4 वां एस एफ सी /2019-20/पी /1 | 33510-00 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री एव मजदूरी का भुगतान कार्तिक कन्सट्रक्शन |
| | 08 | 07-03-2020 | एफ एफ सी /2019-20/पी /5 | 198000-00 | हैण्ड पम्प रिबोर सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान संगम स्टील ट्रेडिग कम्पनी |
| | **योग** | **621510-00 (रूपया छः लाख इक्कीस हजार पॉच सौ दस मात्र)** | | | |

उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रदत्त जानकारी के आधार पर वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी, जिसमें निम्नलिखित अपहरण, दुरुपयोग एवं गंभीर अनियमितताओं के प्रकरण प्रकाश में आये

प्रस्तर -178 आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में इण्टरलाकिंग कृत कार्यों से सम्बन्धित कोषवही में दर्शित व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक अनुपलब्ध रहा, जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र.सं. | दिनांक | कृत कार्य का विवरण | वाउचर नं० | चेक नं० | धनराशि | योग (धनराशि) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2019 | रामजीत यादव के घर से बुदुल भारतीया 3 के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश न्स० को ईट हेतु भुगतान | 3 | 294 | 92100 | 177590.00 |
| 2 | 01.05.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 4 | 295 | 35741 | |
| 3 | 01.05.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 5 | 296 | 49749 | |
| 4 | 05.05.2019 | दिलीप के घर से रोशन लाल भारतीय 7 के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु ईट के लिए कैलाश कन्स० को भुगतान | 7 | 298 | 61289 | 135288.00 |
| 5 | 05.05.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 8 | 299 | 43802 | |
| 6 | 05.05.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 9 | 300 | 30197 | |
| 7 | 10.05.2019 | नहर से लेकर हर्ष कुमार श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश कन्स० को भुगतान | 11 | 332 | 76947 | 188759.00 |
| 8 | 10.05.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 12 | 333 | 75324 | |
| 9 | 10.05.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 13 | 334 | 36488 | |
| 10 | 15.05.2019 | हर्ष कुमार श्रीवास्तव के घर से केसरी लाल के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश कन्स० को भुगतान | 15 | 336 | 76947 | 188046.00 |
| 11 | 15.05.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 16 | 337 | 36488 | |
| 12 | 15.05.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 17 | 338 | 74611 | |
| 13 | 25.05.2019 | पक्की सड़क से मंगला के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश कन्स० को भुगतान | 33 | 369 | 1128 | 167938.00 |
| 14 | 08.06.2019 | उपरोक्तानुसार ईट हेतु भुगतान | 46 | 307 | 108192 | |
| 15 | 08.06.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 47 | 309 | 45957 | |
| 16 | 22.06.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 77 | 349 | 12661 | |
| 17 | 25.05.2019 | रामेश्वर तिवारी के घर से सूर्यबली के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश कन्स० को भुगतान | 34 | 369 | 23872 | 191952.00 |
| 18 | 10.06.2019 | उपरोक्तानुसार ईट हेतु भुगतान | 49 | 311 | 105840 | |
| 19 | 10.06.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 50 | 312 | 17472 | |
| 20 | 10.06.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 51 | 313 | 44768 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 06.06.2019 | पक्की सड़क से हीरामणि मिश्रा के खेत तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश कन्स० को भुगतान | 42 | 303 | 94080 | 150239.00 |
| 22 | 06.06.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 43 | 304 | 9609 | |
| 23 | 06.06.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 44 | 305 | 46550 | |
| 24 | 13.06.2019 | राजमणि तिवारी के घर से श्रीकान्त तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश कन्स० को भुगतान | 53 | 315 | 108192 | 178051.00 |
| 25 | 13.06.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 54 | 316 | 17472 | |
| 26 | 13.06.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 55 | 317 | 45957 | |
| 27 | 20.06.2019 | उपरोक्तानुसार अवशेष सामग्री हेतु भुगतान | 59 | 328 | 5126 | |
| 28 | 20.06.2019 | उपरोक्तानुसार अवशेष सामग्री हेतु भुगतान | 73 | 346 | 1304 | |
| 29 | 15.06.2019 | जल निगम से अखिलेश मिश्रा के घरतक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश कन्स० को भुगतान | 57 | 319 | 91728 | 88211.00 |
| 30 | 15.06.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 58 | 320 | 34944 | |
| 31 | 15.06.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 59 | 321 | 45879 | |
| 32 | 18.06.2019 | उपरोक्तानुसार अवशेष सामग्री हेतु भुगतान | 64 | 325 | 15660 | |
| 33 | 18.06.2019 | पक्की सड़क से रामजतन के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश कन्स० को भुगतान | 61 | 323 | 91728 | 5.00137692 |
| 34 | 18.06.2019 | उपरोक्तानुसार लाल ईट हेतु भुगतान | 62 | 324 | 17472 | |
| 35 | 18.06.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 63 | 325 | 28492 | |
| | माह मई 2019 तथा माह जून 20196 | माह मई 2019 तथा माह जून 2019 में इण्टरलाकिंग से सम्बन्धित कार्य पर कैलाश कन्स्ट्रशन को सामग्री हेतु कल भुगतान जिसका कोई भी व्यय प्रमाणिक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं है | | | | 17,03,766.00 |

नियम पंचायतीराज नियमावली / अधि०/1947 की धारा 198, 204, 205, 209 नियम 256 (1) तथा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

आलोच्य वर्ष 2019-20 के कोषबही में उपरोक्त दर्शित कार्य इण्टरलाकिंग हेतु सामग्री क्रय के लिए कैलाश कन्स्ट्रशन को कल रूपये 1703766.00 का भुगतान कराया गया, जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नी रहा। अतः उपरोक्त कुल व्यय जों कि केवल दो माह मई 2019 व जून 2019 में ही भुगतान किया दर्शाया गया है, फर्जी प्रतीत होता है। अंततः यह स्पष्ट है कि कोष-बही में इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री हेतु कुल व्यय ₹ 1703766.00 दर्शाकर ग्राम वेकास अधिकारी श्री राज कपूर गौतम एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा तिवारी द्वारा राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर किया जाना चाहिए।

प्रस्तर -179. आलोच्य वर्ष 2019-20 के कोष-बही में इण्टरलाकिंग निर्माण से सम्बन्धित मजदूरी भुगतान (श्रमांश) किया गया एवं नाली निर्माण जिसका मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा जो निम्न्वत है

| | दिनांक | कृत कार्य का विवरण | वाउचर नं० | चेक नं० | व्यय धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2019 | रामजीत यादव के घर से बुटकल भारतीय जो घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 6 | 297 | 40575.00 |
| 2 | 05.05.2019 | दिलीप के घर से रोशन लाल भारतीया के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु कैलाशनाथ को मजदूरी भुगतान | 10 | 331 | 34600.00 |
| 3 | 10.05.2019 | नहर से लेकर हर्ष कुमार श्रीवास्तव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य हेतु कैलाशनाथ को मजदूरी भुगतान | 14 | 335 | 48875.00 |
| 4 | 15.05.2019 | हर्ष कुमार श्रीवास्तव के घर से केसरी लाल के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 18 | 339 | 47775.00 |
| 5 | 16.05.2019 | दिलीप के घर से रोशन लाल भारतीया के घर तक नाली निर्माण (द आर अ inअ जी य) हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 23 | 344 | 30325.00 |
| 6 | 20.05.2019 | रामजीत के घर से बुदुल भारतीया के घर तक नाली निर्माण (द आर अ inअ जी य) हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 27 | 363 | 24025.00 |
| 7 | 25.05.2019 | रदेवनाथ मिश्र के घर से तालाब एक नली निर्माण (द आर अ inअ जी य) हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 35 | 369 | 25000.00 |
| 8 | 06.06.2019 | पक्की सड़क से हीरामनि मिश्र के खेत तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 45 | 306 | 20000.00 |
| 9 | 08.06.2019 | पक्की सड़क से मंगला प्यास के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 48 | 310 | 23000.00 |
| 10 | 10.06.2019 | रामेश्वर तिवारी के घर से सूर्यबली तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 52 | 314 | 22000.00 |
| 11 | 18.06.2019 | उपरोक्त कार्य हेतु पुनः कैलाशनाथ को मजदूरी भुगतान | 66 | 326 | 3000.00 |
| 12 | 13.06.2019 | राजमनी तिवारी के घर से श्रीकान्त तिवारी के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 56 | 318 | 22000.00 |
| 13 | 15.06.2019 | जल निगम से अखिलेश मिश्रा के घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 60 | 322 | 22000.00 |
| 14 | 18.06.2019 | पक्की सड़क से रामजतन के घर से घर तक इण्टरलाकिंग हेतु कैलाश को मजदूरी भुगतान | 65 | 326 | 17000.00 |
| | | कुल मजदूरी से रामजतन (बिना मस्टर रोल) श्री कैलाश नाथ तिवारी के द्वारा | | योग | 380175.00 |

नियम पंचायतीराज नियमावली/अधि0/1947 की धारा 198, 204, 205, 209 नियम 256 (1) तथा ग्राम पंचाच्त वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
मस्टर रोल अनुपलब्ध रहने के चलते उपरोक्त मजदूरी व्यय ₹ 3,80,175.00 (तीन लाख अस्सी हजार एक सौ पचहत्तर) फजी प्रतीत होता है।

अतः यह स्पष्ट है कि कोष-बही में फर्जी व्यय कुल ₹ 3,80,175.00 दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा तिवारी तथा ग्राम पं० अधिकारी श्री राजकपूर गौतम द्वारा राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 180. आलोच्य वर्ष की कोषबही में नाली निर्माण से सम्बन्धित सामग्री-व्यय दर्शाया गया, जिसका कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसकाविवरण निम्नवत है-

| | दिनांक | कृत कार्य का विवरण | वाउचर नं० | चेक | व्यय धनराशि | योग (धनराशि ) |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.2019 | दिलीप के घर से रोशन लाल भारतीया के घर तक भूमिगत नाली हेतु ह्यूम पाइप हेतु कैलाश कन्सट्रक्शन को भुगतान | 20 | 341 | 92902 | 127690.00 |
| 2 | 18.05.2019 | उपरोक्तानुसार सामग्री हेतु भुगतान | 21 | 342 | 17011 | |
| 3 | 18.05.2019 | उपरोक्तानुसार सामग्री हेतु भुगतान | 22 | 343 | 17777 | |
| 4 | 20.05.2019 | रामजीत के घर से बुदुल भारतीया के घर तक भूमिगत नाली हेतु ह्यूम पाइप हेतु कैलाश कन्सट्रक्शन को भुगतान | 24 | 345 | 73100 | 109879. 00 |
| 5 | 20.05.2019 | उपरोक्तानुसार ईट हेतु भुगतान | 25 | 361 | 12754 | |
| 6 | 20.05.2019 | उपरोक्तानुसार अन्य सामग्री हेतु भुगतान | 26 | 363 | 24025 | |
| 7 | 22.06.2019 | देवनाथ मिश्र के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण हेतु सामग्री के लिए कैलाश कन्सट्रक्शन को भुगतान | 75 | 348 | 67929 | 87882.00 |
| 8 | 22.06.2019 | उपरोक्तानुसार अवशेष सामग्री हेतु भुगतान | 76 | 349 | 19953 | |
| 9 | 25.06.2019 | माताजन के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण हेतु ईट के लिए कैलाश कन्स्ट्रक्शन को भुगतान | 78 | 351 | 46592 | 372043.00 |
| | | बिना व्यय प्रमाणक के सामग्री क्रय हेतु नाली निर्माण से सम्बन्धित कुल व्यय का योग | | | | |
| कुल योग रूपया तीन लाख बहत्तर हजार तैतालिस मात्र | | | | | | |

नियम- पंचायतीराज नियमावली/अधि0/1947 की धारा 198, 204, 205, 209 नियम 256 (1) तथा ग्राम पंचायत वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के नियम-7 एवं 8 के अनुसार व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

आलोच्य वर्ष में नाली निर्माण (ड्रेनेज) से सम्बन्धित भुगतान कुल ₹3,72,043.00 कैलाश कन्स्ट्रक्शन को किया गया जिसका कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। अतः कोषबही दर्शाया गया। उक्त व्यय फर्जी प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि कोषबही में फर्जी व्यय कुल रु० 3,72,043.00 दर्शाकर ग्राम प्रधान श्रीमी रेखा तिवारी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राज कुमार गौतम द्वारा राजकीय अनुदान का अपहरण किया गया है. जिसकी ब्याज सहित वसूली बराबर-बराबर किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत - खिजिराह        विकास खंड - धनुपूर    जनपद- प्रयागराज

**प्रस्तर-181**

**आलोच्य वर्ष में निम्न राशि का आहरण कर काल्पनिक व्यय दर्शाया गया-**

| **क्र० सं०** | **उत्तरदायी व्यक्ति का नाम** | **आपत्ति का विवरण** | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **ग्राम प्रधान श्री छोटे लाल एवं सचिव श्री संदीप पटेल व्यक्तिगत रूप से आधे आधे धनराशि के** | **क्र० सं०** | **दिनांक** | **आहरित धनरासि** | **कार्य** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **उत्तर दायी है।** | | | | |
| | | | **25.4.19** | 12000-00 | **राज इण्टर प्राइजेज के खाते में हैण्डपम्प मजदूरी का भुगतान** |
| | | | **25.4.19** | 25000 | **राज इण्टर प्राइजेज के खाते मे हैण्डपम्प सामग्री का भुगतान** |
| | | | **16.2.20** | 19900 | **बुद्धा इण्टर प्राइजेज को हैण्डपम्प समग्री एवं मजदूरी का भुगतान** |
| | | | 20-2-2020 | 19500 | **बुद्धा इण्टर प्राइजेज को हैण्डपम्प समग्री एवं मजदूरी का भुगतान** |
| | | | **26.2.20** | 19800 | **बुद्धा इण्टर प्राइजेज को हैण्डपम्प समग्री एवं मजदूरी का भुगतान** |
| | | | **26.2.20** | 41500 | **बुद्धा इण्टर प्राइजेज को घूम पाईप का भुगतान** |
| | | | | **137700** | |

**उपरोक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। एम.बी. बुक, कार्ययोजना पत्रावली, सामग्री स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यशीट प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र कोटेशन फाइल निविदा पत्रावली रुपपत्र 7. प्रिया साफ्ट की हार्डकापी, पंचायत कर सूची, मांग व वलूली रजिस्टर, ग्राण्ट रजिस्टर, निरीक्षण पत्रावलियों, आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे स्पष्ट है कि कार्य पूर्णतः काल्पनिक रहा। वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु (क) के प्रावधान के अनुसार व्यय की गयी धनरा को गबन मानते हुये व्यय की गयी धनराशि रु० 137700 की आधा आधा अंश ग्राम प्रधान छोटेलाल और ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप पटेल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।**

**(मूल आपति संख्या-01)**

ग्राम पंचायत मखदूमपुर विकास खंड - धनुपूर जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-182

| क्र० सं० | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम प्रधान श्री विरंजन एवं सचिव श्री नवीन कुमार सिंह व्यक्ति गत रूप से आधे आधे धनराशि के उत्तर दायी है। | क्र० सं० | दिनांक | आहरित धनरासि | कार्य |
| | | 1 | 22.4.19 | 24549-00 | विश्वनाथ भुगतान प्रसाद को भुगतान |
| | | 2 | 1.5.19 | 21000 | विरंजन मोहीद के खाते में भुगतान |
| | | 3 | 23.7.19 | 5000 | भोलानाथ को भुगतान |
| | | 4 | 23.7.19 | 14481 | केशरवानी ट्रेडर्स को भुगतान |
| | | 5 | 25.7.19 | 68032-00 | गुप्ता ट्रेडर्स को भुगतान |
| | | 6 | 31.7.19 | 214896-00 | संतोष इन्जिनियर भुगतान को |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 7 | 22-7-19 | 47350 | विरंजन मोहीद को भुगतान |
| | | | | 395303 | |

**उपरोक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया। एम.वी. युक, कार्ययोजना पत्रावली, सामग्री स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर. कार्यवाही पंजिका, परिसम्पति रजिस्टर, कार्यशीट प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र कोटेशन फाइल। निविदा पत्रावली रुपपत्र 7 प्रिया साफ्ट की हार्डकापी, पंचायत कर सूची, मांग व वलूली रजिस्टर, ग्राण्ट रजिस्टर, निरीक्षण पत्रावलियाँ, आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे स्पष्ट है कि कार्य पूर्णतः काल्पनिक रहावित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु (क) के प्रावधान के अनुसार व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुये व्यय की गयी धनराशि रू0 395303 की आधा आधा अंश ग्राम प्रधान श्री विरंजन और ग्राम विकास अधिकारी श्री नवीन कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।**

ग्राम पंचायत- मवैया हिन्दुवानी वि०ख०-धनपुर- जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर-183

| क्र० सं० | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम प्रधान श्री क्र० राम कृष्ण एवं सं० सचिव श्री नवीन \| कुमार सिंह व्यक्ति गत रूप से आधे आधे धनराशि के उत्तर दायी है। | क्र० सं० | दिनांक | आहरित धनरासि | कार्य |
| | | 1 | 10.5.19 | 49000-00 | राज इण्टर प्राइजेज का भुगता |
| | | 2 | 27.5.19 | 49000-00 | राज इण्टर प्राइजेज का भुगता |
| | | 3 | 15 7.19 | 49000-00 | बुद्धा इण्टर प्राइजेज का भुगतान |
| | | 4 | 16.7.19 | 98000-00 | बुद्धा इण्टर प्राइजेज का भुगतान |
| | | 5 | 16.7.19 | 21000-00 | राम कृपाल के खाते में भुगतान |
| | | 6 | 29.7.19 | 49000-00 | राज इण्टर प्राइजेज को भुगतान |
| | | 7 | 9.8.19 | 39346-00 | राज इण्टर प्राइजेज को भुगतान |
| | | 8 | 9.8.19 | 49000-00 | राज इण्टर प्राइजेज को भुगतान |
| | | 9 | 13.8.19 | 30000-00 | राज इण्टर प्राइजेज को भुगतान |
| | | | | 433346-00 | |

**उपरोक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया। एम.वी.वुक, कार्ययोजना पत्रावली, सामग्री स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यशीट प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र कोटेशन फाइल। निविदा पत्रावली रुपपत्र -7, प्रिया साफ्ट की हार्डकापी, पंचायत कर सूची, मांग व वलूली रजिस्टर, ग्राण्ट रजिस्टर, निरीक्षण पत्रावलियाँ, आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे स्पष्ट है कि कार्य पूर्णतः काल्पनिक रहा। वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु (8क) के प्रावधान के अनुसार व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुये व्यय की गयी धनराशि रू0 433346 की आधा- आधा अंश ग्राम प्रधान श्री राम कृष्ण और ग्राम विकास अधिकारी श्री नवीन कुमार सिंह से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।**

**(मूल आपत्ति संख्या-01)**

ग्राम पंचायत चतुर पट्टी वि०ख० धनूपुर- जनपद- प्रयागराज
प्रस्तर - 184

| क्र० सं० | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी एवं सचिव श्री संदीप | क्र० सं० | दिनांक | | कार्य |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | पटेल व्यक्तिगत रुप से आधे आधे धनराशि के उत्तर दायी है। | | | आहरित धनरासि | |
| | | 1 | 3.6.19 | 64500 | सनलाइटइण्टर प्राइजेजको स्ट्रीटलाइट भुगतान |
| | | 2 | 3.6.19 | 19950 | राज इण्टर प्राइजेज को हैण्डपम्प मरम्मत एवं मजदूरी का भुगतान |
| | | 3 | 26.7.19 | 19950 | राज इण्टर प्राइजेज को हैण्डपम्प मरम्मत एवं मजदूरी का भुगतान |
| | | 4 | 5.8.19 | 95000 | सनलाइय इण्टर प्राइजेज को डस्टविन का भुगतान |
| | | 5 | 13.8.19 | 35000 | सनलाइय इण्टर प्राइजेज को सोखता कार्य समग्री का भुगतान |
| | | 6 | 6.1.20 | 14068 | जेनम इण्टर प्राइजेज को सोख्ता कार्य समग्री का भुगतान |
| | | 7 | 6.1.20 | 19575 | शिव हार्डवेयर को हैण्डपम्प मरम्मत का भुगतान |
| | | | | 288043 | |

योग उपरोक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल प्रस्तुत नही किया गया। एम.वी. वुक, कार्ययोजना पत्रावली, सामग्री स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका, परिसम्पति रजिस्टर, कार्यशीट प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाण पत्र कोटेशन फाइल। निविदा पत्रावली रुपपत्र -7, प्रिया साफ्ट की हार्डकापी, पंचायत कर सूची, मांग व वलूली रजिस्टर, ग्राण्ट रजिस्टर, निरीक्षण पत्रावलियाँ, आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा जिससे स्पष्ट है कि कार्य पूर्णतः काल्पनिक रहा। वित्तीय एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दु (8क) के प्रावधान के अनुसार व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुये व्यय की गयी धनराशि रु० 288043 की आधा- आधा अंश ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी और ग्राम विकास अधिकारी श्री संदीप पटेल से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

**(मूल आपति संख्या-01)**

ग्राम पंचायत फरीदपुर वि०ख० धनूपुर- जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर - 185

**दिनांक 19-07-2019 को आहरित रुपए49300.00 सुशील कुमार के खाते में भुगतान कोश यही मे दर्शित किया गया है , लेकिन इसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गयाऔर पुरे वित्तीय वर्ष मे मजदूरी पर खर्च नहीं दिखाया गया है, ना ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति एवं एमबी बैंक प्रस्तुत किया गया । कार्य की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशि का अपने निजी हित में उपयोग कर लिया गया है जो सरकारी धन का अपहरण है लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या-36 के पैरा -7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उप्लब्ध कराये परंतु दोनो अभिलेख उप्लब्ध कराने में असफल रहे अत: पैरा 8(क)* मे दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्रा.वि.अधि. श्री अखिलेन्द्र प्रताप से समान रूप से की जानी चाहिये।**

प्रस्तर - 186

**दिनांक 09-07-2019 को आहरित रुपए42100-00 सुशील कुमार के खाते में भुगतान कोश वही मे दर्शित किया गया है , लेकिन इसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, और पुरे वित्तीय वर्ष मे मजदूरी पर खर्च नहीं दिखाया गया है, ना ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति एवं एमबी बुक प्रस्तुत किया गयाकार्य की कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया | अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशि का अपने निजी हित में उपयोग कर लिया गया है जो सरकारी धन का अपहरण है लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा -7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उप्लब्ध कराये परंतु दोनो अभिलेख उप्लब्ध कराने में असफल रहे अत पैरा 8(क) मे दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते**

**हुए, इसकी ब्याज सहित ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राकेश कुमार व ग्रा.वि.अधि. श्री अखिलेन्द्र प्रताप से समान रूप से की जानी चाहिये।**

प्रस्तर - 187

**पंक 19-07-2019 को आहरित रुपए 256809.00राज इंटरप्राइजेज के खाते में भुगतान कोश वही मे दर्शित किया गया लेकिन इसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया, और पुरे वित्तीय वर्ष मे मजदूरी पर खर्च नहीं दिखाया है, ना ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति एवं एमबी बैंक प्रस्तुत किया गया कार्य की कार्य पूर्ति प्रमाण वस्तुत नहीं किया गया |अतः स्पष्ट है कि आहरित धनराशि का अपने निजी हित में उपयोग कर लिया गया है जो सरकारी धन का अपहरण है लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार साय व ग्राम प्रधान दानों का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये परंतु दोनो अभिलेख उप्लब्ध कराने में असफल रहे अतः पैरा 8(क) मे दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी प्याज सहित ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री राकेश कुमार व प्रा. विअधि श्री अखिलेन्द्र प्रताप से समान रूप से की जानी चाहिये।**

ग्राम पंचायत जगदीशपुर वि०ख० धनूपुर- जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर - 188

**दिनांक 17/05/2019, 28/01/2020 18/01/2020 को आहरित रुपए 129583.00 से ग्राम पंचायत जगदीशपुर में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत किए जाने का विवरण कोष वही में दर्शित किया गया हैलेकिन इससे संबंधित मजदूरी का मास्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया हैंडपंप पर उक्त खर्च किया जाना गंभीर वित्तीय अनियमितता की ओर इशारा करता है अतः आहरित कुल धनराशि रुपए 129583.00 का अपहरण सिद्ध हुआ लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या- 36 के पैरा -7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनो का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उप्लब्ध कराये परंतु दोनो अभिलेख उप्लब्ध कराने में असफल रहे अतपैरा 8(क)* मे दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए. इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री लालता प्रसाद व ग्रा.वि.अधि. श्री संदीप कुमार से समान रूप से की जानी चाहिये।**

प्रस्तर - 189

**दि० 24/04/2019 आहरित 47126.00 से ग्राम पंचायत मे संतलाल यादव के घर से खेत तक नाली निर्माण कार्य कराया जाना दर्शित किया गया है, यह नाली किसलिए बनवाई गयी और पंचायत के प्रोग्राम मे ली गयी की नहीं से सम्बधित पत्रावली लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयी तकनीकी एवम वित्तीय स्वीकृति तथाकार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न होने के कारणकार्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः आहरित धनराशि को निजी हित में प्रयोग कर लिया गया जो की धन का अपहरण है लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह सयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उप्लब्ध कराये परंतु दोनो अभिलेख उप्लब्ध कराने में असफल रहे अत पैरा 8(क)* में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री लालता प्रसाद व ग्रा. . अधि संदीप कुमारसे ब्याज के साथ समान रूप से की जानी चाहिये**

प्रस्तर - 190

**दिनांक 29/01/2020 को आहरित रुपए 205774.00 सेग्राम पंचायत जगदीशपुरमे सुभाष के घर से टूबेल की नाली तक इंटरलाकिंग निर्माण करवाया गया दर्शित है; लेकिन इसके तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आहरित धनराशि की की पुष्टि न की जा सके इस कार्य के सापेछ मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस अपहरण मानते हुए धन राशि का वसूला का जाना चाहिए लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या-38 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनो का यह सत होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उप्लब्ध कराये परंतु दोनो अभिलेख उप्लब्ध करने में असफल रहे अंतः पैरा (क) में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन प्रधान श्री लालता प्रसाद व ग्रा.वि.अधि. श्री संदीप कुमार से समान रूप से की जानी चाहिये**

प्रस्तर - 191

**दिनांक 11-06-2019, 12-06-2019 को आहरित रुपए 164609.00 सेग्राम पंचायत जगदीशपुर मे सरजू के घर से राजाराम के घर तक खरंजा निर्माण करवाया गया दर्शित है लेकिन इसके तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आहरित धनराशि की की पुष्टि न की जा सके, इस कार्य के सापेछ मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गयाअतः इसे अपहरण मानते हुए धन राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए। लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा -7 के अनुसार सचिय व ग्राम प्रधान दोनों का यह सयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उप्लब्ध कराये पस्तु दोनो अभिलेख उप्लब्ध कराने में असफल रहे अत पैरा 8(क) मे दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि**

**को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली  तत्कालीन प्रधान श्री लालता प्रसाद व ग्रा वि.अधि. श्री संदीप कुमार से समान रूप से की जानी चाहिये।**

ग्राम पंचायत अढ़नी  वि०ख० धनूपुर-  जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर - 192

**दिनांक 17-07-2019 को आहरित रुपए 73342.00 सेग्राम पंचायत अपनी मे जीतलाल यादव के घर से सभाजीत दुबे के घर तक खरजा निर्माण करवाया गया दर्शित हैलेकिन इसके तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आहरित धनराशि की की पुष्टि न की जा सके. इस कार्य के सापेछ मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गयाअतः इसे अपहरण मानते हुए धन राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए"लेखा मैनुअल पृठ संख्या 36 के पैरा 7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनो का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उप्लब्ध कराये परंतु दोनो अभिलेख उप्लब्ध कराने में असफल रहे अंत पैरा 8(क) में दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए इसकी ब्याज सहित वसूली  तत्कालीन प्रधान श्री मती सोना देवी व ग्रा.वि.अधि. श्री संदीप पटेल से समान रूप से की जानी चाहिये**

प्रस्तर - 193 **– दिनांक 17-07-2019 को आहरित रुपए 14225.00 सेग्राम पंचायत अदनी मे जीतलाल यादव के घर से सभाजीत दुबे के घर तक खरंजा निर्माण करवाया गया मजदूरी दर्शित हैलेकिन इसके तकनीकी स्वीकृति प्रशासनिक स्वीकृति व्यय प्रमाणक कार्य पूर्ण प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे आहरित धनराशि का की पुष्टि न की जा सके, इस कार्य के सापेछ मस्टर रोल भी प्रस्तुत नहीं किया गयाअतः इस अपहरण मानते हुए धन राशि की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या-36 के पैरा -7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनों का यह सयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उप्लब्ध कराये परंतु दोनो अभिलेख उपलब्ध कराने में असफल रहे अतः पैरा 8(क)* मे दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली  तत्कालीन प्रधान श्री मती सोना देवी व ग्रा.वि.अधि. श्री संदीप पटेल से समान रूप से की जानी चाहिये**

प्रस्तर - 194

**दिनांक 13-12-2019,31-12-2019,23-03-2019 को आहरित रुपए 196540.00 से ग्राम पंचायत वरना में विभिन्न स्थानों पर हैंडपंप मरम्मत किए जाने का विवरणकोष वही में दर्शित किया गया है लेकिन इससे संबंधित व्यय प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया हैडपपख़राब होने, जल प्रबंधन समिति द्वारा पुष्टि मरम्मत पूर्ण होने एवम जे इद्वारा ऍम बी आदि से सम्बधित पत्रावली लेखा परीछा मे प्रस्तुत नहीं किया गयाइस प्रकार आहरित कुल धनराशि रुपए 18678 का अपहरण सिद्ध हुआ लेखा मैनुअल पृष्ठ संख्या 36 के पैरा-7 के अनुसार सचिव व ग्राम प्रधान दोनो का यह संयुक्त दायित्व होगा कि लेखा दल को समस्त अभिलेख उप्लब्ध कराये परंतु दोनो अभिलेख उप्लब्ध कराने मे असफल रहे अत: पैरा (क) मे दी गई व्यवस्थानुसार सम्पूर्ण धनराशि को गबन मानते हुए, इसकी ब्याज सहित वसूली  तत्कालीन प्रधान श्रीमती सोना देवी व ग्रा.वि.अधि. श्री संदीप पटेल से समान रूप से की जानी चाहिये**

ग्राम पंचायत  -  तेन्दुआ खुर्द  विकास खण्ड -  मेजा  जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर 195- -  ग्राम पंचायत तेन्दुआ खुर्द की वर्ष 2019-20 का प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय का विवरण-

| क्र० | दिनांक | चेक संख्या /वाऊचर संख्या | व्यय की गयी धनराशि का विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 05-07-19 | 454254/1 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 59203.00 |
| 02 | 05-07-19 | 454255/2 | रामजी के घर के पास रिबोर पर व्यय | 73818.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 08-07-19 | 454257/3 | सामग्री पर व्यय | 78713.00 |
| 04 | 08-08-19 | 454256/1 | हयूप पाईप क्रय | 57250.00 |
| 05 | 10-08-19 | 454259/2 | प्रधान मानदेय | 31500.00 |
| 06 | 13-08-19 | 454258/4 | सामग्री पर व्यय | 48871.00 |
| 07 | 26-11-19 | 5 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 16083.00 |
| 08 | 26-11-19 | 6 | खडन्जा निर्माण सामग्री पर व्यय | 115521.00 |
| 09 | 03-12-19 | 7 | खडन्जा निर्माण सामग्री पर व्यय | 138839.00 |
| 10 | 03-12-19 | 8 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 15612.00 |
| 11 | 23-01-20 | 9 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 21448.00 |
| 12 | 23-01-20 | 10 | खडन्जा निर्माण सामग्री पर व्यय | 25350.00 |
| 13 | 23-01-20 | 11 | खडन्जा निर्माण सामग्री पर व्यय | 38771.00 |
| 14 | 14-03-20 | 12 | सामग्री पर व्यय | 160852.00 |
| 15 | 14-03-20 | 13 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री पर व्यय | 21448.00 |
| 16 | 14-03-20 | 14 | जूनियर स्कूल की बाउन्ड्रीवाल निर्माण सामग्री पर व्यय | 181283.00 |
| 17 | 14-03-20 | 15 | मजदूरी पर व्यय | 14800.00 |
| 18 | 14-03-20 | 16 | मजदूरी पर व्यय | 4074.00 |
| 19 | 14-03-20 | 17 | मजदूरी पर व्यय | 4074.00 |
| 20 | 14-03-20 | 19 | गिट्टी रोड से जियाराम के घर तक खडन्जा निर्माण पर व्यय | 23600.00 |
| 21 | 14-03-20 | 18 | मजदूरी पर व्यय | 12800.00 |
| 22 | 31-03-20 | 20 | डॉगल पर व्यय | 1708.00 |
| | | | योग | 1145618.00 |

ग्राम पंचायत तेन्दुआ खुर्द में वर्ष 2019-20 में कुल व्यय 1145618.00 किया गया है। इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी व्यय प्रमाणक, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल, मीजरमेण्ट बुक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदि अप्रस्तुत रहे, इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की प्रस्तर 8 (क) में निहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत तेन्दुआ खुर्द द्वारा व्यय कुल धनराशि रूपये 1145618.00 को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती गुलाब कली एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारीश्री सुधीर जयशेखर से बराबर-बराबर (572809.00 + 572809.0 572809.00) किया जाना चाहिए।

ग्राम पंचायत- ममौली- विकास खण्ड - मेजा जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -196- ग्राम पंचायत ममौली की वर्ष 2019-20 का प्रिया साफ्ट पर दर्शित व्यय का विवरण-

| क्र० | दिनांक | चेक संख्या/वाऊचर संख्या | व्यय की गयी धनराशि का विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 08-08-19 | 981024/1 | हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री | 39686.00 |
| 02 | 08-08-19 | 981027/5 | इण्टर लॉकिग मजदूरी पर व्यय | 30090.00 |
| 03 | 09-08-19 | 981026/4 | इण्टर लॉकिग सामग्री | 217587.00 |
| 04 | 14-08-19 | 981022/1 | अज्ञात | 75268.00 |
| 05 | 14-08-19 | 981025/3 | प्राईमरी स्कूल में सॉकफिट निर्माण। | 28108.00 |
| 06 | 14-08-19 | 981023/2 | नाली निर्माण में मजदूरी व्यय। | 21210.00 |
| 07 | 23-10-19 | 6 | कूप जगत निर्माण सामग्री पर व्यय | 42000.00 |
| 08 | 02-12-19 | 7 | इण्टर लॉकिग सामग्री पर व्यय | 76767.00 |
| 09 | 02-12-19 | 8 | इण्टर लॉकिग सामग्री पर व्यय। | 130678.00 |
| 10 | 06-01-20 | 2 | हैण्ड पम्प सामग्री। | 16083.00 |
| 11 | 06-01-20 | 9 | प्राईमरी स्कूल में टाईल्स पर व्यय। | 168369.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 24-01-20 | 10 | इण्टर लॉकिग सामग्री | 151852.00 |
| 13 | 05-03-20 | 11 | मजदूरी पर व्यय। | 26052.00 |
| 14 | 05-03-20 | 12 | मजदूरी पर व्यय | 26052.00 |
| 15 | 05-03-20 | 13 | मजदूरी पर व्यय। | 12662.00 |
| 16 | 05-03-20 | 14 | मजदूरी पर व्यय। | 30018.00 |
| 17 | 31-03-20 | 3 | प्राईमरी स्कूल बाउन्ड्रीवॉल निर्माण सामग्री। | 100802.00 |
| 18 | 31-03-20 | 4 | स्टेशनरी पर व्यय। | 5123.00 |
| | | | योग | 1195407.00 |

ग्राम पंचायत ममौली में वर्ष 2019-20 में कुल व्यय 1195407.00 है इस व्यय के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक यथा व्यय प्रमाणक, बिल इनवाईस, क्रय आदेश, मस्टर रोल, स्टेटमेन्ट, मीजरमेण्ट बुक, वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है इसलिए लेखा परीक्षक द्वारा पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 द्वारा जारी वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में निहित प्राविधानों के अनुसार ग्राम पंचायत ममौली द्वारा व्यय कुल धनराशि रुपये 1195407.00 को गबन निर्धारित किया जाता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती फुलवन्ती एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुधीर जयशेखर से बराबर-बराबर किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत- किहुनी विकास खण्ड - हँडिया जनपद- प्रयागराज

प्रस्तर -197

| क्र० सं० | उत्तरदायी व्यक्ति का नाम | आपत्ति का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | प्रधान श्री नन्द लाल एवं सचिव श्री राजेश मिश्रा | आलोच्य वर्ष में निम्नराशि का आहरण कर काल्पनिक व्यय दर्शायागया | | | |
| | | क्र० सं० | दिनांक | आहरित धनराशि | कार्य |
| | | 1 | 3.8.19 | 170000.00 | गंगा चबूतरे के लिए सामग्री कय |
| | | 2 | 6.8.19 | 32000.00 | हैण्डपम्प रिबोर के लिए सामग्री कय |
| | | 3 | 30.1.19 | 55600.00 | हैण्डपम्प मरम्मत के लिए सामग्री कय हेतु आर के इण्टरप्राइजेज को भुगतान |
| | | 4 | 16.1.20 | 13832.00 | हैण्डपम्प रिबोर की मजदूरी का भुगतान |
| | | | योग | 271432.00 | |

उपरोक्त आहरित धनराशि के सापेक्ष व्यय प्रमाणक/मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया। एम०बी०बुक कार्ययोजना पत्रावली सामग्री स्टाक रजिस्टर, डेड स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही पंजिका, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपभोग प्रमाण पत्र कोटेशन फाइल/निविदा पत्रावली रूप्रार्थना पत्रत्र प्रिया साफ्ट की हार्डकापी पंचायत कर सूची, मांग व ब्याज सहित वसूली रजिस्टर ग्रान्ट रजिस्टर, निरीक्षण पत्रावलियां आदि लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा, जिससे स्पष्ट है कि कार्यपूर्णतः काल्पनिक रहा। वित्तीय एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु (ठक) के प्रावधान के अनुसार व्यय की गयी धनराशि के वाउचर उपलब्ध न कराये जाने पर सम्पूर्ण पर सम्पूर्ण व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए व्यय की गयी धनराशि रु0 271432 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री नन्दलाल और ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेश मिश्रा से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है। (मूल आठ सं० 1, 2)

कार्य का नाम गंगा चबूतरे का निर्माण

66. गंगा चबूतरे के लिए सामग्री पर दिनांक 3.8.2021 को रु0 170000/- व्यय किया गया, जिसके संदर्भ में एम०वी० कय रजिस्टर, व्यय प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मस्टर रोल आदि ले०प० में अप्राप्त रहा। इस प्रकार रु० 170000/- का काल्पनिक व्यय दर्शाकर ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त सम्बन्धित व्यक्तियों से आयी अधि० की जानकारी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या)

67. कार्य का नाम हैण्डपम्प मरम्मत रीवोट एवं मजदूरी उक्त कार्य के लिए रु0 101432 का भुगतान आर०के० इण्टरप्राईज को किया गया। उक्त कार्य के संदर्भ में व्यय प्रमाणक, कार्य योजना, एमवी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा। अतः ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा रु0101432/- का काल्पनिक व्यय दर्शाकर अपहरण किया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली उक्त आबी० अधि० व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या 2)

# जनपद- मुजफ्फरनगर मण्डल - सहारनपुर

# ग्राम पंचायतो के वर्ष 2019-20 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की गम्भीर आपत्तिया/प्रस्तरों का विवरण

**1.ग्राम पंचायत- कैथोडा विकासखण्ड- जानसठ वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-01**

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता प्रथम में रू0 11619950.00 धनराशि प्राप्त हुई, जिसके सापेक्ष रू0 11101418.00 व्यय किये गये, जिसके संदर्भ में कैशबुक, निर्माण कार्य रजिस्टर व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, कार्यवाही रजि0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार कर लेखा परीक्षा पर उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा जांच पर केवल बैंक का स्टेटमेन्ट हो प्राप्त कराया गया।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड (क) के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित सचिव श्री सत्येन्द्र वर्मा व प्रधान श्रीमती शकीला से की जानी अपेक्षित हैं।

**2.ग्राम पंचायत- निजामपुर विकासखण्ड- जानसठ वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-02**

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में दिनांक 04.07.19 को रू0 1900.00 चैके संख्या 694556 द्वारा डी.पी.आर.ओ. को पी.एल.ए. भुगतान किया जाना कोषांकित हैं। चूंकि पी.एल.ए. का भुगतान पंचायत कर का 10 प्रतिशत किया जाता हैं। जबकि उक्त वर्ष में पंचायत कर की कोई वसूली कोषांकित नहीं हैं। अतः भुगतान अनियमित हैं जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान तेजपाल सिंह एवं सचिव श्री संजय से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-03**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में नल मरम्मत एवं रिबोर हेतु कुल धनराशि रू0 298775.00 व्यय की जानी कोषांकित हैं। ग्राम पंचायत में कुल कितने हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर किये गये, कार्यवाही पंजिका के अभाव में पुष्टि न हो सकी। उक्त के सम्बन्ध में ग्राम सभा का प्रस्ताव भी अपुष्ट रहा। नल मरम्मत एवं रिबोर सम्बन्धी मजदूरी का अलग-अलग विवरण कोषांकित नहीं किया गया हैं। नल मरम्मत एवं रिबोर हेतु मजदूरी सम्बन्धी मस्टर रोल एवं सामग्री क्रय सम्बन्धी बिल वाउचर लेखा परीक्षा जांच पर अनुपलब्ध रहे।

अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-6 के खण्ड-8 (क) के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री संजय व प्रधान श्री तेजपाल सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-04**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रू0 121600.00 स्ट्रीट लाईट स्थापित करने हेतु व्यय किया जाना कोषांकित हैं। उक्त क्रय के सम्बन्ध में लेखा मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं शासनादेश सं0 ए-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में तीन फर्मो से अलग-अलग कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये हैं, न ही खरीद वाउचर लेखा परीक्षा पर उपलब्ध कराये गयें।

अतः ग्राम पंचायतों मे वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए समस्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री संजय व प्रधान श्री तेजपाल सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

**3.ग्राम पंचायत- नगला खेप्पड विकासखण्ड- जानसठ वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-05**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रू0 1900.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को पी0एल0ए0 मद का भुगतान किया जाना कोषांकित हैं। चूकि पी0एल0ए0 का भुगतान पंचायत कर का 10 प्रतिशत किया जाता हैं। जबकि वर्ष 2019-20 में कोई पंचायत कर की वसूली कोषांकित नहीं हैं। अतः भुगतान अनियमित हैं, जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री विरेन्द्र पाली एवं सचिव श्री ओमकुमार से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-06**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट फिडिंग का रू0 10000.00 का भुगतान किया जाना कोषांकित हैं। उक्त से सम्बन्धित कोई व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री ओमकुमार व प्रधान श्री विरेन्द्र पाली से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-07**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रू0 146272.00 द्वारा प्रा0धि0 एवं जू0हा0 स्कूल में पेटिंग कार्य कराया जाना कोषांकित हैं। परन्तु उक्त से सम्बन्धित मस्टर रोल एवं व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच में प्रस्तुत नहीं किये गये।

अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री ओमकुमार व प्रधान श्री विरेन्द्र पाली से की जानी अपेक्षित हैं।

**4.ग्राम पंचायत- नगला खेप्पड विकासखण्ड- जानसठ वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-08**

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में दिनांक 07.12.2018 को चैक सं0 99778.00 द्वारा रूपये 2300.00 जिला पंचायत राज अधिकारी को पी.एल.ए. मद का भुगतान किया गया। जबकि उक्त वर्ष में कोई पंचायत कर की वसूली कोषांकित नहीं हैं। अतः भुगतान अनियमित हैं, जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री विरेन्द्र पाल एवं सचिव श्री सुखबीर सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-09**

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में 58500.00 स्ट्रीट लाईट हेतु व्यय किया जाना कोषांकित हैं। उक्त क्रम में सम्बन्ध में लेखा मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं शासनादेश सं0 ए-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में तीन फर्मो से अलग अलग कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये, न ही खरीद वाउचर लेखा परीक्षा पर उलब्ध कराये गये। अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव सुखबीर सिंह श्री व प्रधान विरेन्द्र पाल से की जानी अपेक्षित हैं।

**5.ग्राम पंचायत- खेडी सूडियान विकासखण्ड- शाहपुर वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-10**

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता संख्या 6446000100003998 से अंकन रू0 2413090.40 का आहरण किया गया हैं। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्य के ग्राम सभा के प्रस्ताव व कार्ययोजना व स्टीमेंट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें। तथा उक्त धनराशि के व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये। तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर जे0ई0 व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं कराये गये हैं। जिसके कारण कराये गये कार्यो की पुष्टि लेखा परीक्षा मे नहीं होती हैं। अतः अंकन रू0 2413090.40 का अपहरण किया गया हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति संजना व ग्राम पंचायत सचिव श्री मितेन्द्र कुमार से की जानी अपेक्षित हैं।

**6.ग्राम पंचायत- अलियारपुर देह विकासखण्ड- शाहपुर वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-11**

आलोच्य वर्ष में अंकन रू0 833739.00 की निर्माण सामग्री व अन्य सामग्री क्रय की गई हैं। जिसके प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। तथा किसी भी निर्माण कार्य का स्टीमेंट व ग्राम सभा का प्रस्ताव भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। तथा निर्माण रजिस्टर व स्टांक रजिस्टर भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अंकन रू0 833739.00 का अपहरण किया गया हैं। अतः अंकन रू0 833739.00 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्री यामीन व श्री प्रमोद कुमार सचिव से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-12**

आलोच्य वर्ष में अंकन रू0 180007.00 की निर्माण की मजदूरी पर व्यय किया गया हैं। जिसका कोई भी मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। अतः अंकन रू0 180007.00 का अपहरण किया गया हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से श्री यामीन ग्राम प्रधान व श्री प्रमोद कुमार सचिव से की जानी अपेक्षित हैं।

**7.ग्राम पंचायत- आखलौर विकासखण्ड- चरथावल वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-13**

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में दिनांक 10.05.2018 को रू0 1900.00 चेक संख्या 16750.00 द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी की पी.एल.ए. मद का भुगतान किया गया। जबकि उक्त वर्ष में पंचायत कर की कोई वसूली कोषांकित नहीं है। नियमानुसार पंचायत कर, पी.एल.ए. मद को अनुसार रू0 19000.00 वसूल किया जाना चाहिए था। अतः भुगतान अनियमित हैं, जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से प्रधान श्री विजय सिंह एवं सचिव श्री अनंगपाल से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-14**

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में दिनांक 08.01.2019 को रू0 150000.00 कोषबही में प्रा0वि0 हेतु वाटर कूलर क्रय किये जाने हेतु व्यय दर्शित हैं। जबकि निर्माण रजिस्टर में उक्त धनराशि वाटर कूलर एवं सबमर्सिबल के लिए व्यय किया जाना दर्शित हैं। इस प्रकार आहरित धनराशि किस मद में व्यय की गयी। स्पष्ट न हो सका। लेखा परीक्षा में उक्त से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण पुष्टि न हो सकी।

अतः ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8 (क) के नियम सं0 256 के अन्तर्गत गबन की श्रेणी में आता हैं। इसलिए उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री मोहसीन व प्रधान श्री विजय सिंह से अपेक्षित हैं।

**8.ग्राम पंचायत- सादपुर विकासखण्ड- चरथावल वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-15**

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में दिनांक 18.05.2018 को रू0 1900.00 चैक सं0 677999.00 द्वारा डी.पी.आर.ओ. को पी.एल.ए. मद का भुगतान किया गया। जबकि उक्त वर्ष में पंचायत कर की कोई वसूली कोषांकित नहीं हैं। नियमानुसार पंचायत कर, पी.एल.ए. मद के अनुसार रू0 19000.00 वसूल किया जाना चाहिए था। अतः भुगतान अनियमित हैं, जिसकी वसूली समान रूप से प्रधान श्री साजिद एवं सचिव श्री अनंगपाल से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-16**

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में दिनांक 22.03.2019 को ग्राम पंचायत के लिए फोटो स्टेट मशीन रूपये 10550.00 द्वारा क्रय किया जाना दर्शित हैं। उसके पश्चात दिनांक 26.03.2019 को फोटो स्टेट हेतु रू0 5100.00 व्यय किया जाना कोषांकित हैं। जब फोटोस्टेट मशीन क्रय की गयी तो फिर अलग से रू0 5100.00 फोटो स्टेट हेतु व्यय किया जाना गम्भीर अनियमितता हैं। अतः उक्त धनराशि प्रधान श्री साजिद एवं सचिव श्री मोहसिन से ब्याज सहित समान रूप से वसूल की जानी अपेक्षित हैं।

**9.ग्राम पंचायत- दाहखेड़ी विकासखण्ड- जानसठ वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-17**

ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 के अनुसार व्यय के समस्त अपेक्षित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। परन्तु वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अग्रलिखित अभिलेख अप्राप्त पाये गये, 1. अनुदान रजि0 2. कोटेशन/निविदा पत्रावली 3. कार्यवाही पुस्तिकाएं 4. वार्षिक बजट 5. अचल संपत्ति 6. सार्वजनिक निर्माण रजि0 7. स्टांक रजि0 8. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र/साथ ही कैशबुक में राज्य वित एवं 14 वे वित का पृथक-पृथक अंकन नहीं किया गया। उक्त के अभाव में समस्त व्यय रू0 2667132.80 अपुष्ट एवं अप्रमाणित रहा। जो कि गम्भीर आपत्तिजनक एवं अनियमित हैं। पुष्टि के अभाव में समस्त व्यय को अनियमित मानते हुए रू0 2667132.80 की संयुक्त वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती मुर्शीदा तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयवीर एवं श्री प्रिंस से की जानी अपेक्षित हैं।

**10.ग्राम पंचायत- जानसठ देहात विकासखण्ड- जानसठ वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-18**

रा0वि0 बैंक खाता से दिनांक 05.17.2018 को चैक सं0 924112 द्वारा अंकित इन्टर प्राइज को भुगतान रू0 58350.00 के संबंध में निम्नलिखित आपत्तियों के आधार पर अपहरित धनराशि रू0 58350.00 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री मौ0 जावेद तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेश कुमार से संयुक्त रूप वसूल किया जाना अपेक्षित हैं। विवरण निम्नवत् हैं-

1- उक्त निकासी धनराशि का अंकन रा0वि0 कैशबुक में नहीं किया गया।

2- प्रमाणक अनुपस्थिति पाया गया।

3- भुगतान की पुष्टि में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

**11.ग्राम पंचायत- सोहजनी जाटान विकासखण्ड- बघरा वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-19**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 02.07.2019 को कुल रू0 10000.00 की धनराशि हैण्डपम्प रिबोर पर व्यय कोषांकित की गयी हैं। हैण्डपम्प रिबोर से पूर्व विभागीय स्वीकृति तथा पानी गुणवत्त सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। साथ ही उपरोक्त व्यय से संबंधित बिल, वाउचर , माप पुस्तिका, आंकलन पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र आदि महत्वपूर्ण अभिलेख प्रस्तुत न होने के कारण किया गया व्यय अपुष्ट रहा हैं। ग्राम पंचायत में कुल कितने हैण्डपम्प हैं तथा कौन-कौन से हैण्डपम्प की मरम्मत की गई हैं अस्पष्ट रहा हैं। अतः अकंन रू0 10000.00 की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व ग्राम सचिव श्री राजकुमार से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-20**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में कुल रू0 4200.00 का व्यय दिनांक 26-11-2019 को कोषाकिंत किया गया हैं किन्तु उक्त व्यय से संबंधित बिल, वाउचर , मास्टर रोल, माप पुस्तिका लेखा परीक्षा जांच पर अनुपलब्ध होने के कारण उक्त व्यय अपुष्ट रहा हैं। ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी पहले से नियुक्त हैं अतः उक्त भुगतान अनियमित हैं। अतः अंकन रू0 4200.00 की वसूली मय ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व ग्राम सचिव श्री राजकुमार से की जानी अपेक्षित हैं।

**12.ग्राम पंचायत- सैदपुर खुर्द विकासखण्ड- बघरा वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-21**

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 15.05.2019 को हैण्डपम्प रिबोर /मरम्मत हेतु कुल रू0 1944.00 की धनराशि व्यय की गयी हैं, किन्तु लेखा परीक्षा जांच पर उपरोक्त व्यय से संबंधित कोई बिल, वाउचर , माप पुस्तिका, आंकलन पुस्तिका, पानी की गुणवत्ता प्रमाण-पत्र आदि अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण किया गया व्यय अपुष्ट रहा हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से तत्काली ग्राम प्रधान श्री अहसान अली(भूरा) व ग्राम सचिव श्री अरविन्द कुमार से नियमानुसार की जानी अपेक्षित हैं।

**13.ग्राम पंचायत- सिम्भालकी विकासखण्ड- पुरकाजी वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-22**

दिनांक 29.9.18 को चेक संख्या 779958 से रू0 1900.00 पी.एल.ए. भुगतान जि0प0राज अधिकारी मु0नगर को दिया गया जबकि पंचायतकर की वसूली शून्य रही हैं। अतः भुगतान अनियमित हैं जिससे वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री विनोद कुमार व प्रधान श्री रोकी कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-23**

दिनांक 13.3.19 को शक्ति इण्टरप्राईजेज से रू0 102000.00 मूल्य की टाईल्स क्रय की गयी जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह पुष्टि नहीं हो सकी कि सम्बन्धित फर्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत हैं अथवा नहीं और उक्त सामग्री क्रय पर कितना राजस्व दिया गया। अतः लेखा मैनुअल के नियम संख्या (256) (क) से (5) बिना प्रमाणक के गबन मानते हुए रू0 102000.00 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव विनोद कुमार व प्रधान रोकी कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-24**

दिनांक 13.3.19 को कोषबही के व्यय पक्ष में वाउचर संख्या क्रमशः 30, 40, 41, 42, 43 क्रमशः रू0 13000, रू0 15600, रू0 73500, रू0 24150, रू0 12600 मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित कोषांकित हैं। जिसकी पुष्टि मे मस्टररोल लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहे हैं। अतः लेखा मैनुअल के नियम संख्या (256) (क) से (5) के अन्तर्गत समस्त धनराशि उपरोक्तानुसार कुल रूप्ये 138850.00 को गबन मानते हुए उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव विनोद कुमार व प्रधान रोकी कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर-25**

दिनांक 18.02.19 को चैक संख्या 779975 से रू0 21945.00 लाईट मरम्मत पर व्यय कोषांकित हैं। कार्यवाही पंजिका के अभाव में उक्त कार्य के स्थान की पुष्टि नहीं हो सकी साथ ही यह भी पुष्ट न हो सका कि मरम्मत कार्य के दौरान क्या सामग्री क्रय की गयी कितनी पुरानी सामग्री प्राप्त हुई। व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः लेखा मैनुअल के नियम संख्या (250) के अन्तर्गत गबन की श्रेणी में आता हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव विनोद कुमार व प्रधान रोकी कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**14.ग्राम पंचायत- कुरालसी विकासखण्ड- बुढ़ाना वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-26**

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचात के वर्ष 2019-20 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही हैं। किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकडो से मालूम हुआ हैं कि वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की आय रू0 2130449.00 की धनराशि प्राप्त हुई हैं और अंकन रू0 2058793.00 व्यय की धनराशि पंचायत द्वारा व्यय की गयी हैं। चूंकि कार्य में व्यय धनराशि रू0 2058793.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्तीय के अध्याय 8 बिन्दू 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि करायी जाये। अन्यथा अभिलेख के अभाव में व्यय अंकन रू0 2058793.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमति संतोष देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन से वसूली जानी अपेक्षित है।

**15.ग्राम पंचायत- लोई विकासखण्ड- बुढ़ाना वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-27**

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचात के वर्ष 2019-20 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही हैं। किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकडो से मालूम हुआ हैं कि वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की आय रू0 2147407.00 की धनराशि प्राप्त हुई हैं और अंकन रू0 2169076.00 व्यय की धनराशि पंचायत द्वारा व्यय की गयी हैं। चूंकि कार्य में व्यय धनराशि रू0 2169076.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्तीय के अध्याय 8 बिन्दू 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि करायी जाये। अन्यथा अभिलेख के अभाव में व्यय अंकन रू0 2169076.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्री दिलशाद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन से वसूली जानी अपेक्षित है।

**16.ग्राम पंचायत- मौ0पुर रायसिंह विकासखण्ड- बुढ़ाना वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-28**

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचात के वर्ष 2019-20 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही हैं। किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकडो से मालूम हुआ हैं कि वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की आय रू0 4123377.00 की धनराशि प्राप्त हुई हैं और अंकन रू0 2436749.00 व्यय की धनराशि पंचायत द्वारा व्यय की गयी हैं। चूंकि कार्य में व्यय धनराशि रू0 2436749.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्तीय के अध्याय 8 बिन्दू 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि करायी जाये। अन्यथा अभिलेख के अभाव में व्यय अंकन रू0 2436749.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सुमन देवी तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल आर्य व श्री विकास तोमर से वसूली जानी अपेक्षित है।

**17.ग्राम पंचायत- जोगिया खेड़ा विकासखण्ड- बुढ़ाना वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-29**

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचात के वर्ष 2019-20 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही हैं। किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकडो से मालूम हुआ हैं कि वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की आय रू0 2632779.00 की धनराशि प्राप्त हुई हैं और अंकन रू0 2006900.00 व्यय की धनराशि पंचायत द्वारा व्यय की गयी हैं। चूंकि कार्य में व्यय धनराशि रू0 2006900.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्तीय के अध्याय 8 बिन्दू 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि करायी जाये। अन्यथा अभिलेख के अभाव में व्यय अंकन रू0 2006900.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती फरमीना तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन से वसूली जानी अपेक्षित है।

**18.ग्राम पंचायत- विज्ञाना विकासखण्ड- बुढ़ाना वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-30**

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचात के वर्ष 2019-20 के अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण पंचायत की आय-व्यय की जानकारी पंचायत स्तर पर शून्य रही हैं। किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकडो से मालूम हुआ हैं कि वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत की आय रू0 2049726.00 की धनराशि प्राप्त हुई हैं और अंकन रू0 1987328.00 व्यय की धनराशि पंचायत द्वारा व्यय की गयी हैं। चूंकि कार्य में व्यय धनराशि रू0 1987328.00 के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये जिस कारण उक्त समस्त व्यय अपुष्ट एवं अप्रमाणित हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्तीय के अध्याय 8 बिन्दू 8 (क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः व्यय प्रमाणक सहित समस्त अभिलेख जैसे कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना कि कार्यवाही पुस्तिका प्रस्ताव पुस्तिका कैश बुक बैंक पास बुक निर्माण रजिस्टर स्टांक रजि0 कार्य योजना आदि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर जांच एवं पुष्टि करायी जाये। अन्यथा अभिलेख के अभाव में व्यय अंकन रू0 1987328.00 को अपहरण मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती शबिया बानो तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर्यन से वसूली जानी अपेक्षित है।

**19.ग्राम पंचायत- कुरालसी विकासखण्ड- बुढ़ाना वर्ष 2017-2018**

**प्रस्तर-31**

आलोच्य वर्ष में ग्राम निधि खाता संख्या 0566000100693482 से अंकन रू0 2436956.35 का आहरण किया गया हैं। जिसके सापेक्ष कराये गये कार्य की कार्ययोजना व स्टीमेंट लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे तथा उक्त धनराशि के व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र पर जे0ई0 व खण्ड विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं कराये गयें। जिसके कारण कराये गये कार्यो की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं होती हैं। अतः अंकन रू0 2436956.35 का अपहरण किया गया हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्रीमती सन्तोष देवी व ग्राम प्रधान पंचायत सचिव श्री आर्यन से की जानी अपेक्षित हैं।

**20.ग्राम पंचायत- तिस्सा विकासखण्ड- मोरना वर्ष 2017-2018**

**प्रस्तर-32**

दिनांक 27.04.17 को प्रधान द्वारा चैक सं0 645089, 90, 92 से रू0 162500, 162500 की एल0ई0डी0 लाईट क्रय करनी दर्शायी गयी हैं। उक्त से सम्बन्धित निम्न आपत्तियां रही हैं-

1- भुगतान की पुष्टि में वैट सहित फर्म के बिल (टिन) सहित नहीं थें। कैश बुक में आय पक्ष में अली अदनाना अंकित हैं।

2- खरीदारी से पूर्व कम से कम 3 फर्मो हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन नहीं दिया गया, न ही टेन्डर लिये गय। जो गंभीर अनियमितता रही हैं।

3- एल0ई0डी0 की संख्या अंकित नहीं है।

4- एल0ई0डी0 लगाने की मजदूरी नहीं दी गयी। 31.03.18 तक

5- यदि अलि अदनान से एल0ई0डी0 क्रय की गयी है तो उसका विद्युत विभाग का पंजीकरण प्रमाण पत्र होना चाहिए था।

6- बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त चैंकों के सामने टू ट्रांसफर चेक अंकित हैं, न कि अली अदनान/फर्म का नाम

7- गांव में प्रधान के नाम बिजली कनेक्शन नहीं है तो एल0ई0डी0 कैसी जलेगी/ स्पष्ट है कि बिजली चोरी की जा रही हैं।

8- गांव में कुल कितने खंबे हैं, पूर्व से कितने खंभो पर लाईट लगी हैं तथा वर्ष में कितने और खंभों पर लाईट की आवश्यकता भी, अज्ञात रही।

9- उक्त कार्य की स्वीकृति कार्य योजना, स्टीमेट एवं एम.बी0 तैयार नहीं करायी गयी हैं। अवर अभियंता/जिला पंचायत द्वारा।

उपरोक्तानुसार दर्शाये गये कार्य एवं भुगतान की पुष्टि नहीं होती हैं। अतः उक्त के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रधान श्री शाहनजर एवं ग्राम प्रधान पंचायत अधिकारी श्री सुरजीत सिंह से रू0 650000 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-33**

माह मई 17 की कैशबुक के आय पक्ष की जांच में पाया गया कि 15 आहरण की प्रविष्टयों का योग 824500 रू0 दर्शाया गया हैं तथा इतना ही योग व्यय पक्ष का भी हैं परन्तु आय पक्ष का योग 874500 रू0 होता हैं।

दिनांक 16.05.17 को चैक सं0 645103 से 107 तक प्रति चैक 50000 रू0 आहरण हुआ हैं, परन्तु व्यय पक्ष चार चैंको की एक साथ 200000 रू0 प्रविष्टी कर दी गयी हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि चेक सं0 645107 से बैंक के अनुसार 40000 रू0 आहरण किये गये हैं, जबकि कैश बुक में 50000 रू0 आय प्रविष्टी की गई हैं। इस प्रकार 10000 रू0 से आय एवं व्यय फर्जी रूप से अधिक दर्शाये गये हैं। व्यय पक्ष में ( चार चैंको से 2 लाख की 10000 टाईल्स) दो लाख की इंटरलांकिंग टाईल्स क्रय करनी दर्शायी हैं। जबकि चेक 5 दिये गये हैं। पुष्टि में फर्म के वैट सहित बिल भी न थे।

सबसे गंभीर तथ्य यह हैं कि चेक सं0 645106 जो 50000 रू0 का आदिल के नाम काटा गया हैं को छोड़कर अन्य चारों चेक मनव्वर को दिये गये हैं। जिनका भुगतान उसके द्वारा लिया गया हैं।

यदि चैक इंटर लांकिंग टाईल्स क्रय फर्म को दिये जाते, तो बैंक स्टेटमेन्ट में फर्म का नाम अंकित होता। उपरोक्तानुसार पांच चैंको की धनराशि जो वास्तविक रूप में आहरिज हुई हैं, 240000 रू0 हैं। इस धनराशि से इण्टरलाकिंग टाईल्स क्रय करने की पुष्टि नहीं होती है। बल्कि आदिल एवं मनव्वर को आहरण दर्शाकर स्वयं ही धन प्राप्त कर लिया गया हैं।

यह भी महत्वपूर्ण हैं कि उक्त दर्शायी गयी इंटरलांकिग टाईल्स का 31.3.18 तक भी उपभोग नहीं किया गया हैं। श्री सुरजीत सिंह ग्रा0पं0वि0अ0 का स्थानान्तरण होने के बाद आये ग्रा0प0अ0 श्री सुशील कुमार बेनीवाल द्वारा स्वयं सामग्री क्रय करके कार्य कराये गये हैं न कि पूर्व में क्रय की सामग्री चार्ज में प्रापत करके। मजदूरी पर कोई भगतान नहीं। स्पष्ट हैं कि प्रधान श्री शाहनजर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरजीत सिंह द्वारा 240000 की फर्जी सामग्री क्रय दर्शा कर अपहरण किया गया हैं। इसके लिए टेन्डर भी नहीं लिये गयें। अतः प्रधान श्री शाहनजर एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री सुरजीत सिंह से 240000 रू0 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-34**

दिनांक 03.05.17 को चेक सं0 645097 से 50000 तथा 05.05.17 को चेक सं0 645088 से 60000 रू0 का भुगतान एम0एस0ट्रेडर्स को सामग्री (सीमेन्ट, रेत, रोड़ी आदि) क्रय (एक साथ 110000) करने हेतु कैश बुक में अंकित है। इससे संबंधित निम्न आपत्तियां रही हैं -

1- पुष्टि में बिल/प्रमाणक अप्राप्त रहे। वैट दी गयी अथवा नहीं।

2- 31.03.08 तक उपभोग नहीं तथा अगले ग्रा0प0अधि0 को चार्ज में नहीं दी गयी। स्थानान्तरण मई माह से 16.05.17 के बाद

3- कितनी- कितनी सामग्री क्रय की अज्ञात रही।

4- मजदूरी पर कोई भुगतान नहीं। स्वीकृत कार्य योजना, स्टीमेट एवं एम0बी0 नहीं।

उपरोक्त से स्पष्ट हैं कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा काल्पनिक रूप से सामग्री क्रय दर्शाकर सरकारी धनराशि का अपहरण किया गया हैं। अतः प्रधान श्री शाहनजर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरजीत सिंह से 110000 रू0 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-35**

दिनांक 15.05.17 को प्रधान द्वारा चैक सं0 645101, 02 से 138000-138000 रू0 इंटरलांकिग टाईल्स करने हेतु लक्ष्मी कांटेक्टर को कुल 276000 रू0 का भुगतान दर्शाया गया हैं। इससे सम्बन्धित निम्न आपत्तियां रही हैं -

1- इस कार्य हेतु अखबार में विज्ञापन नहीं दिया गया, न ही टेन्डर लिये गये।

2- फर्म के वैट सहित बिल प्रस्तुत नहीं किये गये जिन पर टिन नं0 अंकित हो।

3- टाईल्स उपभोग की पुष्टि में मजदूरो को भुगतान नहीं किया गया। 31.3.18 तक उपभोग नहीं।

4- 17.5.17 के बाद गाम पंचायत अधि0 के स्थानान्तरण होने के कारण नये गाम पंचायत अधि0 को टाईल्स चार्ज में नहीं दी गई। बल्कि उनके द्वारा स्वयं क्रय कर कार्य कराये गये।

5- उक्त की पुष्टि में स्वीकृत कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0 नहीं हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट हैं कि प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधि0 द्वारा काल्पनिक खरीदारी दर्शाकर 276000 रू0 का अपहरण किया गया हैं। अतः प्रधान श्री शाहनजर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरजीत सिंह से 276000 रू0 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**21.ग्राम पंचायत- खेड़ी फिरोजाबाद विकासखण्ड- मोरना वर्ष 2017-2018**

**प्रस्तर-36**

ग्राम निधि कैश बुक प्रथम दिनांक 10/26.10ः.17 द्वारा प्रा0पा0 व जूनियर हाई स्कूल खेडी फिरोजाबाद हेतु क्रय का विवरण निम्नवत् है:-

| क्र0 सं0 | प्रमाणक सं0/तिथि | चेक सं0 | विवरण | मात्रा (नग) | दर (रू0/प्रतिनग) | मूल्य रू0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/26.10.07 | 527279 | सीलिग फैन | 15 नग | 2840/नग | 42600 |
| | | | | | | 42600 |

उपरोक्त के संबंध में निम्नलिखित आपत्तिया पाई गई-

1-उक्त क्रय का बजट शिक्षा विभाग से संबन्धित स्कूलों का प्राप्त होता हैं। जबकि ग्रा0प0 को शिक्षा विभाग से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

2- उक्त क्रय का प्रामाणक अनुपस्थिति पाया गया।

3- उक्त क्रय के अन्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया:-

1- क्रय हेतु कोटेशन/टेन्डर।

2- संबंधित स्कूल का अनुरोध पत्र।

3- सीलिंग फेन लगाने के उपरान्त संबंधित स्कूल का पुष्टि प्रमाण पत्र।

ऊपरलिखित तथ्यों के आधार पर संबंधित स्कूलों हेतु पंखा क्रय कर धन का दुरूपयोग किया गया हैं। अतः प्रधान श्रीमती हसीबा तथा तत्कालीन गाम पंचायत अधिकारी श्री दिनेश कुमार से रू0 42600.00 संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित हैं।

**22.ग्राम पंचायत- भांयगी विकासखण्ड- खतौली वर्ष 2018-2019**

**प्रस्तर-37**

दिनांक 25-04-2018 को चेक संख्या 10004586 के द्वारा रूपयें 32000.00 का आहरण करके कोषबही व्यय पक्ष के अन्तर्गत किसको एवं किस सम्बन्ध में ब्यौरे सहित स्तम्भ में अंकित न करके रूपये 32000.00 का कोषांकन किया गया हैं से स्पष्ट हैं कि

कोषांकित राशि रूपये 32000.00 का भुगतान किसको एवं किस सम्बन्ध में ब्यौरे सहित किया गया का उल्लेख न किये जाने के कारण लेखा परीक्षा द्वारा इस राशि का प्रमाणीकरण नहीं किया जा सका तथा एक 32000.00 की वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुरूचि शर्मा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजवीर सिंह से की गयी अपेक्षित हैं। वसूली की कार्यवाही हेतु विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप आकृष्ट किया जाता हैं।

**प्रस्तर-38**

दिनांक 25-04-2018 को चेक संख्या 10004587 के द्वारा रूपयें 18000.00 का आहरण करके दिनांक 25.04.2018 को माह 01.04.2018 से माह 31.08.2018 तक 5 माह का रूपये 3500.00 से रूपये 17500.00 के स्थान पर रू0 18000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान मानदेय कोषांकित किया गया हैं कोषांकित भुगतान रू0 500 अधिक रहा हैं। का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजबीर सिंह का होने के कारण रू0 500.00 की वसूली श्री राजबीर सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी से तातारीख ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

यहां पर यह भी विशेश रूप से उल्लेखित हैं कि माह अप्रैल 2018 में दिनांक 25.04.2018 को मात्र अप्रैल 2018 का मानदेय रू0 3500 का भुगतान न करके माह मई 2018 से माह अगस्त 2018 तक का 4 माह का भुगतान रू0 3500.00 की दर से रू0 14000.00 का अग्रिम मानदेय भुगतान किया जाना अनियमित रहा हैं, के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राजबीर सिंह वस्तु स्थिति स्पष्ट कराना सुनिश्चित करें। विभागीय अधिकारियों का ध्यान भी समुचित कार्यवाही हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाना हैं।

**23.ग्राम पंचायत- खतौली ग्रामीण विकासखण्ड- खतौली वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-39**

पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 51/2018/1701/33-3-2018-40/ 2018 दिनांक 30.6.2018 की गाईड लाईन के अुनसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट स्थापना का कार्य कराया गया हैं जिस पर रू0 471200.00 का व्यय हुआ हैं। लेखा नियमानुसार एल.ई.डी. लाईट क्रय करने से पूर्व तीन पृथक-पृथक फर्मो से कुटेशन प्राप्त कर तथा निम्न दर वाली कुटेशन को स्वीकृत कर प्रमाणकांे सहित लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तु न किये जाने के कारण व्यय की गयी राशि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकी। साथ ही ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के मध्य विद्युत कनैक्शन तथा बिल भुगतान सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने वाली पत्रावली लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत नहीं की गयी। फोटो एवं स्थापना प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया । अतः उक्त धनराशि दुर्विनियोग मानते हुए ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान व सचिव से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-40**

लेखा परीक्षा वर्ष में हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत पर रू0 352468.00 का व्यय कोषांकित किया गया जिसमें सामान क्रय रू0 148616.00 तथा हैण्ड पम्प रिबोर/हैण्ड पम्प मरम्मत पर रू0 203852.00 दर्शित हैं। लेखा नियमानुसार सामान क्रय करने से पूर्व तीन पृथक-पृथक फर्मो की कुटेशन प्राप्त कर निम्न दर वाली कुटेशन को स्वीकृत कर प्रमाणकों सहित तथा मजदूरी से सम्बन्धित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी राशि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित न की जा सकी। यह भी अवगत नहीं कराया गया कि ग्राम पंचायत के कुल कितने हैण्ड पम्प किस-किस स्थल पर स्थित हैं। तकनीकी अधिकारी से जांचोपरान्त यह भी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया कि ग्राम पंचायत में स्थित कुल हैण्ड पम्पों में से किनते हैण्ड पम्प किस किस कमी के कारण मरम्मत योग्य हैं तथा कितने हैण्ड पम्पों की मरम्मत करायी गयी। हैण्ड पम्प रिबोर कराने से पूर्व विभागीय स्वीकृति भी लेखा परीक्षा जांच पर अनुपलब्ध रही पारिज प्रस्ताव विषयक कार्यवाही पंजिका भी अनुपलब्ध रही है कन्डम पार्ट को स्टांक पंजिका में दर्शाकर लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कण्डम पार्ट में से बिक्री योग्य सामान की बिक्री फलस्वरूप कोई राशि कोषबही में कोषांकित नहीं की गयी। उक्त कार्य विकास खण्ड तकनीकी श्रमिकों द्वारा ही कराया जाना चाहिए था। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम व सचिव श्री नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-41**

लेखा परीक्षा वर्ष में स्कूल फर्नीचर रू0 560000.00 क्रय कोषांकित किया गया हैं। लेखा नियमानुसार फर्नीचर क्रय करने से पूर्व तीन पृथक-पृथक फार्म से कुटेशन प्राप्त कर तथा निम्न दर वाला कुटेशन को स्वीकृत कर प्रमाणकों सहित लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका। साथ ही सम्बन्धित स्कूल प्रधानाचार्य से फर्नीचर प्राप्ति की पुष्टि में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तु कर फर्नीचर प्राप्ति की पुष्टि भी नहीं करायी गयी जो अति आपश्यक थी। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम व सचिव श्री नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-42**

लेखा परीक्षा वर्ष में रेहड़ा क्रय रू0 14500.00 कोषांकित किया गया हैं। रेहड़ा क्रय करने की पुष्टि में ग्राम पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मी का मांग सम्बन्धी प्रार्थन पत्र तथा रेहड़ा क्रय करने से पूर्व तीन पृथक-पृथक फर्मो से कुटेशन प्राप्त कर निम्न दर वाली

कुटेशन को स्वीकृत कर प्रमाणक सहित लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी राशि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित न की जा सकी। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम व सचिव श्री नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-43**

दिनांक 27.04.2018 को पेन्टर बोर्ड बनवायी का व्यय रू0 12000.00 कोषांकित किया गया। व्यय राशि की पुष्टि में बोर्ड बनवायी की संख्या, परिमाप, दर सहित प्रमाणक तौल पृथक-पृथक फर्मो की कुटेशन सहित निम्न दर वाली कुटेशन स्वीकृत कर प्रमाणक के साथ लेखा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी राशि को लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित नही की जा सकी। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम व सचिव श्री नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-44**

दिनांक 30-03-2019 को 2 व्हील चेयर चुनाव हेतु रू0 14000.00 का कोषांकन किया गया है। व्हील चेयर क्रय करने से पूर्व प्रस्ताव कार्यवाही पंजिका में पारित किया गया अथवा नहीं की पुष्टि में कार्यवाही पंजिका एव क्रय राशि की पुष्टि में स्वीकृत कुटेशन सहित प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किय जाने के कारण क्रय राशि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकी। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम व सचिव श्री नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-45**

लेखा परीक्षा वर्ष में दिनांक 10.10.2018 को रू0 20000.00 एवं दिनांक 19.12.2018 को रू0 21000.00 तथा दिनांक 12.02.2019 को रू0 20000.00 अर्थात कुल रू0 61000.00 एल.ई.डी. लाइटों की मरम्मत हेतु भुगतान कोषांकित किया गया, के सम्बन्ध में स्पष्ट करें कि ग्राम पंचायत में कुल कितनी एल.ई.डी. लाई किस-किस दिनांक को किस-किस दर से किस-किस फर्म से क्रय की गयी थी। क्रय फलस्वरूप् किस-किस दिनांक को किस-किस स्थल पर एल.ई.डी. लाईट स्थापित की गयी थी। एल.ई.डी. लाईट की गारन्टी अवधि क्या थी? में से कितनी लाईट खराब होने पर तकनिकी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया कि जांचोपर्रान्त एल.ई.डी. लाईटो में क्या-क्या कमियां पायी गयी तथा कितनी लाईट मरम्मत योग्य पायी गयी? से सम्बन्धित स्तम्भवार पंजिका तैयार कर लेखा परीक्षा जांच पट प्रस्तुत न किये जाने तथा मरम्मत सामान क्या-क्या प्रयुक्त किया गया कण्डम पार्ट को स्टांक पंजिका में दर्शाकर लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी राशि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित न की जा सकी। मरम्मत का कार्य विकास खण्ड द्वारा तकनीकी श्रमिकों द्वारा ही कराया जाना चाहिए था। अतः उक्त व्यय को दुर्विनियोग मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती अनीसा बेगम व सचिव श्री नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**24.ग्राम पंचायत- शेखपुरा विकासखण्ड- खतौली वर्ष 2018-2019**

**प्रस्तर-46**

पंचायत राज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0 51/2018/1701/33-3-2018-40/ 2018 दिनांक 30.6.2018 की गाईड लाईन के अुनसार आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के विभिन्न स्थानों पर एल.ई.डी. लाईट स्थापना का कार्य कराया गया हैं जिस पर रू0 225000.00 का व्यय कोषांकित किया गया हैं। लेखा नियमानुसार एल.ई.डी. लाईट क्रय करने से पूर्व तीन पृथक-पृथक फर्मों से कुटेशन प्राप्त कर तथा निम्न दर वाली कुटेशन को स्वीकृत कर प्रमाणको सहित लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी राशि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकी। साथ ही ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा ग्राम पंचायत और उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन के मध्य विद्युत कनैक्शन तथा बिल भुगतान सम्बन्धी औपचारिकतायें पूर्ण किये जाने वाली पत्रावली लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत नहीं की गयी फोटो एवं स्थापना प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती सुदेश व सचिव श्री मो0 नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-47**

लेखा परीक्षा वर्ष में हैण्ड पम्प रिबोर/मरम्मत पर रू0 234356.00 का व्यय कोषांकित किया गया जिसमें सामान क्रय रू0 183965.00 तथा हैण्ड पम्प रिबोर मजदूरी/हैण्ड पम्प मरम्मत पर रू0 50400.00 दर्शित हैं। लेखा नियमानुसार सामान क्रय करने से पूर्व तीन पृथक-पृथक फर्मो की कुटेशन प्राप्त कर निम्न दर वाली कुटेशन को स्वीकृत कर प्रमाणकों सहित तथा मजदूरी से सम्बन्धित प्रमाणकों को लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी राशि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित न की जा सकी। यह भी अवगत नहीं कराया गया कि ग्राम पंचायत के कुल कितने हैण्ड पम्प किस-किस स्थल पर स्थ्ति हैं। तकनीकी अधिकारी से जांचोपरान्त यह भी प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया कि ग्राम पंचायत में स्थित कुल हैण्ड पम्पों में से किनते हैण्ड पम्प किस किस कमी के कारण मरम्मत योग्य हैं तथा कितने हैण्ड पम्पों की मरम्मत करायी गयी। हैण्ड पम्प रिबोर कराने से पूर्व विभागीय स्वीकृति भी लेखा परीक्षा जांच पर अनुपलब्ध रही पारिज प्रस्ताव विषयक कार्यवाही पंजिका भी अनुपलब्ध रही है कन्डम पार्ट को स्टांक पंजिका

में दर्शाकर लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत नहीं किया गया तथा कण्डम पार्ट में से बिक्री योग्य सामान की बिक्री फलस्वरूप कोई राशि कोषबही में कोषांकित नहीं की गयी। उक्त कार्य विकास खण्ड तकनीकी श्रमिकों द्वारा ही कराया जाना चाहिए था। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती सुदेश व सचिव श्री मो0 नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-48**

लेखा परीक्षा वर्ष में स्कूल फर्नीचर रू0 331500.00 क्रय कोषांकित किया गया हैं। लेखा नियमानुसार फर्नीचर क्रय करने से पूर्व तीन पृथक-पृथक फार्म से कुटेशन प्राप्त कर तथा निम्न दर वाला कुटेशन को स्वीकृत कर प्रमाणकों सहित लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका। साथ ही सम्बन्धित स्कूल प्रधानाचार्य से फर्नीचर प्राप्ति की पुष्टि में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत कर फर्नीचर प्राप्ति की पुष्टि भी नहीं करायी गयी जो अति आपश्यक थी। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती सुदेश व सचिव श्री मो0 नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-49**

लेखा परीक्षा वर्ष में रेहड़ा क्रय रू0 4500.00 कोषांकित किया गया हैं। रेहड़ा क्रय करने की पुष्टि में ग्राम पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मी का मांग सम्बन्धी प्रार्थन पत्र तथा रेहड़ा क्रय करने से पूर्व तीन पृथक-पृथक फर्मो से कुटेशन प्राप्त कर निम्न दर वाली कुटेशन को स्वीकृत कर प्रमाणक सहित लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण व्यय की गयी राशि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित न की जा सकी। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती सुदेश व सचिव श्री मो0 नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-50**

लेखा परीक्षा वर्ष में कोषबही में किये गये उल्लेखानुसार रू0 2435417.00 का व्यय शमशान हेतु कोषांकि किया गया हैं से सम्बन्धित प्रमाणक लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये के कारण व्यय की गयी राशि लेखा परीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं की जा सकी। के सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाये कि शमशान घाट के व्यय हेतु कितनी धनराशि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई थी तथा शमशान घाट में कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही पंजिका में प्रस्ताव पारित कराया गया अथवा नहीं कि पुष्टि कार्यवाही पंजिका लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत नहीं की गयी के अभाव में जांच एवं पुष्टि न की जा सकी। कराये गये कार्य की सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति एवं माप पुस्तिका भी लेखा परीक्षा जांच पर प्रस्तुत न किये जाने के कारण उक्त की जांच एवं पुष्टि न की जा सकी। जो अति आवश्यक थी। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 (क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती सुदेश व सचिव श्री मो0 नसीम से की जानी अपेक्षित हैं।

**25.ग्राम पंचायत- निजामपुर विकासखण्ड- जानसठ वर्ष 2018-2019**

**प्रस्तर-51**

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में दिनांक 29.10.2018 को रू0 1900.00चेक संख्या 098681 द्वारा डी0पीआर0ओ0 को पी0एल0ए0 भुगतान किया जाना कोषांकित हैं। जबकि उक्त वर्ष में पंचायत कर की काई वसूली कोषांकित नहीं हैं। अतः भुगतान अनियमित है जिसकी ब्याज सहित वसूली समान रूप से प्रधान श्री तेजपाल एवं सचिव श्री पुनित से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-52**

आलोच्य वर्ष 2018-19 में माह अप्रैल 2018 में 31 जुलाई 2018 तक बैंक के ग्राम निधि खाता प्रथम में रू0 113806.00 आहरित किय गयें परन्तु उक्त से सम्बन्धित कैशबुक, निर्माण रजि0, स्टांक रजि0, कार्यवाही रजि0 आदि महत्तवपूर्ण अभिलेख तैयार कर लेखा परीक्षा पर उपलब्ध नहीं कराये गये।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री तेजपाल सिंह व तत्कालीन सचिव से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-53**

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में रू0 226500.00 स्ट्रीट लाईट हेतु व्यय किया जाना कोषांकित हैं। उक्त क्रय के सम्बन्ध लेखा मैनुअल के अध्याय 7(4) एवं शासनादेश सं0 ए-864/दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में तीन फर्मों से अलग-अलग कोटेशन प्राप्त नहीं किये गये हैं, न ही खरीद वाउचर लेखा परीक्षा पर उलब्ध कराये गये।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सम्बन्धित सचिव एवं प्रधान श्री तेजपाल सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

**26.ग्राम पंचायत- ताजपुर विकासखण्ड- पुरकाजी वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-54**

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम निधि खाता-प्रथत में रू0 1810606.00 धनराशि प्राप्त हुई , जिसके सापेक्ष रू0 1549559.00 व्यय किये गये। जिसके संदर्भ में कैशबुक, निर्माण कार्य रजि0, स्टाक रजि0, कार्यवाही रजि0 आदि महत्वपूर्ण अभिलेख तैयार कर लेखा परीक्षा पर उपलब्ध नहीं कराये गये। लेखा परीक्षा जांच पर केवल बैंक का स्टेटमेन्ट ही प्राप्त कराया गया।

अतः ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) के अन्तर्गत उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सम्बन्धित सचिव श्री अमर एवं प्रधान श्री सोरन से की जानी अपेक्षित हैं।

**27.ग्राम पंचायत- लकडसंघा विकासखण्ड- चरथावल वर्ष 2018-19**

**प्रस्तर-55**

लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 में दिनांक 22.06.18 को चेक सं0 184269 द्वारा रू0 1900.00 एवं दिनांक 29.09.18 को चैक संख्या 184289 द्वारा रू0 1600.00 कुल रू0 3500.00 जि0पं0रा0अधि0 को पी0एल0ए0 भुगतान किया गया। जबकि उक्त वर्ष में पंचायत कर की कोई वसूली कोषांकित नहीं हैं। नियमानुसार पंचायत कर पी0एल0ए0 मद अनुसार कुल अंकन रु० 3500.00 वसूल किया जाना चाहिए था। अतः भुगतान अनियमित हैं, जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री बबलू कुमार एवं सचिव श्री प्रेम व श्री अनुरोध से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-56**

दिनांक 04.05.18 को पंचायत घर निर्माण कार्य में रू0 68000.00 का भुगतान मिट्टी डलवायी हेतु किया गया। मिट्टी डलवायी या उठवायी पर कोई रायल्टी का भुगतान नहीं किया गया जो कि किया जाना अपेक्षित था। अतः उक्त भुगतान अनियमित भुगतान की श्रेणी में आता हैं। उक्त मिट्टी डलवायी पर कितनी रायल्टी का भुगतान किया गया और रायल्टी से प्राप्त धनराशि किस मद में जमा की गयी। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री बबलू कुमार एवं सचिव श्री प्रेम व श्री अनुरोध से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-57**

पंचायत घर में निर्माण कार्य मे मजदूरी रू0 108400.00 का भुगतान किया गया। मजदूरी से सम्बन्धित मस्टररोल अप्राप्त रहा जिससे मजदूरी के लिए किये गये वास्तविक भुगतान की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री बबलू कुमार एवं सचिव श्री प्रेम व श्री अनुरोध से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-58**

पंचायत घर में निर्माण कार्य हेतु रू0 430782.00 टाईल्स क्रय की गयी। सामग्री की धनराशि पर कितना भुगतान जी0एस0टी0 का किया गया और किसी दुकान/फर्म से यह सामग्री क्रय की गयी, वह पंजीकृत थी या नहीं, पुष्टि न हो सकी। साथ ही व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहा हैं। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री बबलू कुमार एवं सचिव श्री प्रेम व श्री अनुरोध से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-59**

लेखा परीक्षा वर्ष रू0 94500.00 ईंट रोड़ा एवं 50440.00 द्वारा कौरसैण्ड क्रय किया गया। कुल धनराशि 144940.00 की सामग्री पर कितना जी0एस0टी0 भुगतान किया गया और किस दुकान/फर्म में से यह सामग्री क्रय की गयी। यह पंजीकृत थी या नहीं, पुष्टि न हो सकी। अतः उक्त धनराशि दुर्विनियोग के अन्तर्गत आती हैं। साथ ही व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहा हैं। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अन्तर्गत गबन मानते हुए वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री बबलू कुमार एवं सचिव श्री प्रेम व श्री अनुरोध से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-60**

दिनांक 05.06.2018 को चैक सं0 184270 से रू0 5008.00 का भुगतान सुक्का को किया गया हैं। जिसे कैश बुक में न लेकर धन का अपहरण किया गया हैं जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री बबलू कुमार एवं सचिव श्री प्रेम व श्री अनुरोध से की जानी अपेक्षित हैं।

**28.ग्राम पंचायत- चरथावल देहात विकासखण्ड- चरथावल वर्ष 2018-2019**

**प्रस्तर-61**

दिनांक 01.06.2018 को कोषबही अनुसार माह मई 2018 के व्यय पक्ष में नकद अवशेष रू0 20500.00 था जिसे माह जून 2018 के आय पक्ष में गत माह मे अवशेष धन के रूप् में कोषांकित किया गया और माह जून 2018 के व्यय पक्ष में दिनांक 01.06.2018 को ही प्रधान का मानदेय माह अप्रैल 2018 से जून 2018 तक माह का मानेदय कोषांकित किया गया। इसी प्रकार दिनांक 28.01.19 को चैक सं0 699851 द्वारा प्रधान का माह अप्रैल 2018 से माह मार्च 2019 का मानदेय कुल रू0 42000.00 मात्र कोषांकित किया गया हैं। इस प्रकार प्रधान को तीन माह का अधिक मानदेय रू0 10500.00 अधिक भुगतान अनियमित रहा हैं। जिसकी वसूली प्रधान श्री शाहजहां से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-62**

दिनांक 10.05.2018 को कोषबही के आय पक्ष से रू0 100000.00 निकासी मद दिनांक 10.05.2018 के व्यय पक्ष में नाले की सिल्ट सफाई, कूडा उठवाई का मस्टर रोल भुगतान दर्शित हैं। व्यय प्रमाणक से सापेक्ष ये मस्टररोल लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नहीं किया गया ना ही उक्त कार्य को निर्माण कार्य रजि0 में दिखाया गया उक्त धनराशि का भुगतान चैक संख्या 444869 द्वारा सतीश को दिया गया। जिससे स्पष्ट होता हैं कि उक्त कार्य फर्जी कोषांकित हैं और उक्त धनराशि का अपहरण किया गया जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्री शाहजहा व सचिव श्री प्रेम सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-63**

दिनांक 10.05.2018 को चैक संख्या 444868 से रू0 100000.00 सतीश द्वारा आहरित किये गये जिसे विभिन्न कार्यो पर व्यय दर्शित हैं। जबकि रू0 10500.00 प्रधान जी का मानदेय किये आपत्ति संख्या-25

1- अलवालपुर से दलीपपुर, नाला खुदाई एवं सफाई कार्य मस्टररोल पर भुगतान रू0 49600.00।

2- वर्ष 2018-19 व 2019-20 कार्य योजना व प्रिया सोफ्ट फीडिंग -रू0 6320.00

3- वर्ष 2018-19 व 19-20 कार्य योजना व वाल पेन्टिंग भुगतान-रू0 6320.00

4- मजरा अलवालपुर एवं चरथावल देहात के रास्तो पर सफाई कार्य का भुगतान- रू0 23200.00

5- पंचायत सचिव एवं अन्य अधिकारियों के माबाईल नम्बर बोर्ड लिखवाई-1080.00

उक्त आपत्ति में क्रम संख्या-1 का मस्टररोल, 2 का व्यय प्रमाणक, 3 का व्यय प्रमाणक, 4 का मस्टररोल भुगतान, 5 का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहा हैं। साथ ही उक्त कराये गये कार्यो का निर्माण रजि0 भी तैयार नहीं किया गया हैं। जिससे उक्त सभी कार्य प्रमाणिक नहीं होते हैं। अतः उक्त धनराशि की वसूली सचिव श्री प्रेम सिंह व ग्राम प्रधान श्री शाहजहा से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-64**

दिनांक 22.06.2018 को चेक संख्या 444874 रू0 1900.00 का भुगतान जिला पंचायत राज अधिकारी, मु0नगर को कोषांकित हैं जबकि माह अप्रैल 2018 से माह जून 2018 तक पंचायत कर की वसूली शून्य रही हैं। इस प्रकार ग्राम निधि खाते से किया गया उक्त भुगतान अनियमित हैं। जिसका उत्तरदायित्व सचिव श्री प्रेम सिंह व ग्राम प्रधान श्री शाहजहा का है, जिनसे ब्याज सहित समान रूप से वसूली की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-65**

दिनांक 02.06.18 को 34 घनमीटर ईंट रोडा रू0 950.00 की दर से 32300.00 व 13625.00 ईंट 5.00 रू0 की दर से 68125.00 कुल रू0 100425.00 की सामग्री क्रय की गयी आ0सं0 16 के द्वारा जिसको व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह भी पुष्टि न हो सकी कि सामग्री रजिस्टर्ड फर्म से की गयी या नहीं और उस पर कितना वैट का भुगतान किया गया केवल बैंक पास बुक में उक्त भुगतान किसान ब्रिक्स सप्लायर्स के नाम दर्शित हैं। वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्री शाहजहा व सचिव श्री प्रेम सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-66**

दिनांक 02.06.18 को कोषबही के व्यय पक्ष में निम्न सामग्री क्रय कोषांकित हैं।

1- 130 बैग सीमेन्ट दर 307.00 = 39910.00

2- 20 घनमीटर कोरसेन्ड दर 1700.00 = 34000.00

3- 5 घनमीटर पत्थर रोड़ी दर 1880.00 = 9450.00

4- 7.65 घनमीटर रेत दर 1000.00 = 7640.00

कुल= 91000.00

जिसका वा0सं0 17 के द्वारा क्रय दर्शित हैं। परन्तु वाउचर लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत नहीं किया गया। जो वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय 8(ख) के अन्तर्गत गबन की श्रेणी में आता है, जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्री शाहजहा व सचिव श्री प्रेम सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-67**

दिनांक 06.06.18 को वा0सं0 19 के द्वारा राजा इन्टरप्राईजेज से सामुदायिक केन्द्र हेतु ब्रिक्स फिटिंग, वालपुट्टी, समोसम, पेन्टिंग आदि का भुगतान रू0 65320.00 कोषांकित किया गया परन्तु व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहा हैं जो गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री प्रेम सिंह व प्रधान श्री शाहजहा से वसूली की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-68**

नोटः- आपत्ति संख्या 25, 26, 27, 29, 30, 31 ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लिखा मैन्युअल के अध्याय-8 के खण्ड 8(ख) नियम संख्या 256 के अन्तर्गत गबन की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उक्त आपत्तियों में लिखित धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से ग्राम प्रधान श्री शाहजहा व सचिव प्रेम सिंह से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-69**

दिनांक 28.09.18 को चेक संख्या 788833 से जि0पं0रा0अधि0 को रू0 1600.00 का अनियमित भुगतान किया गया जबकि पंचायत कर की वसूली शून्य रही हैं। अतः उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री अनुरोध व प्रधान श्री शाहजहा से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-70**

दिनांक 09.10.18 को चेक संख्या 770490 द्वारा रू0 100000.00 लक्ष्मी एण्टरप्राइजेज से बैंच क्रय की गयी। जिसमें लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4) एवं शासनादेश सं0- ए-864-दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार तीन अलग-अलग फर्मो से कुटेशन प्राप्त की जानी चाहिए थी जो नही की न ही खरीद वाउचर लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत किया गया। अतः उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री अनुरोध व प्रधान श्री शाहजहा से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-71**

दिनांक 10.10.2018 को सोलर लाईट मरम्मत का भुगतान रू0 190000.00 एवं रू0 133000.00 का भुगतान क्रमशः चैक सं0 770487 एवं 770488 से किया गया। क्या मरम्मत कार्य कराया गया लेखा परीक्षा पर कार्यवाही पंजिका के अभाव में प्रयुक्त रहा मरम्मत कार्य में क्या नयी सामग्री प्रयुक्त हुई और कोई यदि पुरानी सामग्री प्राप्त हुई स्टॉक रजि0 के अभाव में अपुष्ट रहा। न ही कोई बिल वाउचर इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8(क) के अन्तर्गत गबन की श्रेणी में आता हैं। अतः उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री अनुरोध व प्रधान श्री शाहजहा से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-72**

दिनांक 24.12.2018 को चेक सं0 699812 द्वारा हैण्डपम्प मजदूरी का भुगतान रू0 4800.00 किया गया जिसका व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा पर अप्राप्त रहा। अतः उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री अनुरोध व प्रधान श्री शाहजहा से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-73**

दिनांक 18.12.2018 को चेक सं0 699806 द्वारा रू0 189000.00 की बैच उनका भुगतान किया गया ग्रेड इंडिया एन्टरप्राईजेज को जिसमें मैनुअल के अध्याय-7(4) एवं शासनादेश सं0- ए-864-दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार तीन अलग-अलग फर्मो से कुटेशन नहीं ली गयी अतः कुटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया न ही खरीद वाउचर लेखा परीक्षा पर पस्तुत किया हैं। अतः लेखा मैनुअल अध्याय-8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री अनुरोध व प्रधान श्री शाहजहा से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-74**

दिनांक 24.12.2018 को चेक सं0 699807 द्वारा ग्रेट इंण्डिया एण्टरप्राईजेज को रू0 18900.00 बैच क्रय भुगतान कोषांकित हैं। उक्त सामग्री क्रय के सम्बन्ध में लेखा मैनुअल के अध्याय-8(ख) एवं शासनादेश सं0- ए-864-दस-08-15(1)/86 दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में तीन अलग-अलग फर्मो से कुटेशन प्राप्त नहीं किये गये न ही खरीद वाउचर लेखा परीक्षा पर प्रस्तुत किया गया। अतः लेखा मैनुअल के नियम संख्या 256 लेखा मैनुअल अध्याय-8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री अनुरोध व प्रधान श्री शाहजहा से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-75**

दिनांक 14.02.2019 को अलावलपुर बस स्टैण्ड पर यात्रा शेड निर्माण पर व्यय धन चैक सं0 699875 एवं दलीपुरा बस स्टैण्ड पर यात्री शेड निर्माण पर व्यय धन चेक सं0 699876 क्रमशः 116500.00 व 116500 रू0 कोषांकित हैं। यात्री शेड के निर्माण में कोई सामग्री न तो क्रय की गयी न ही निर्माण रजि0 में किसी सामग्री के क्रय व निर्गत का लेखांकन हैं। यह कैसे सम्भव है कि यात्री शेड में किसी सामग्री का इस्तेमाल हुआ हो। भुगतान विदान को किया गया, कोई प्रमाण भी प्रस्तुत नहीं किया गया न ही कोई फोटो गार्ड फाईल में यात्री शेड का चस्पा किया गया ऐसी स्थिति में उक्त कार्य अपुष्ट रहने से वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री अनुरोध व प्रधान श्री शाहजहा से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-76**

दि0 19.09.18 को 6690 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 136476/-

दि0 19.09.18 को 7860 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 158244/-

दि0 21.09.18 को 4225 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 86190/-

दि0 21.09.18 को 2440 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 49776/-

दि0 24.09.18 को 5080 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 103632/-

दि0 24.09.18 को 4635 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 94554/-

दि0 24.09.18 को 6025 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 123114/-

दि0 24.09.18 को 4520 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 92208/-

दि0 24.09.18 को 6600 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 134640/-

दि0 25.09.18 को 7070 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 144228/-

दि0 25.09.18 को 7890 इण्टरलाकिंग दर 20/-- 160956/-

कुल योग - 12884008/-

उपरोक्त क्रय सामग्री के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि सामग्री वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत फर्म से खरीदी गयी और उक्त सामग्री पर कितना वेट का भुगतान किया गया। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री अनुरोध व प्रधान श्री शाहजहा से की जानी अपेक्षित हैं।

दि0 26.09.18 को 4770 इण्टरलाकिंग दर 20.4/-- 97308/-

दि0 28.09.18 को 2050 इण्टरलाकिंग दर 20.4/-- 418220/-

दि0 01.10.18 को 1400 इण्टरलाकिंग दर 20.4/-- 28500/-

दि0 01.10.18 को 3215 इण्टरलाकिंग दर 20.4/-- 65586/-

दि0 06.10.18 को 6660 इण्टरलाकिंग दर 20.4/-- 130278/-

दि0 16.10.18 को 5800 इण्टरलाकिंग दर 20.4/-- 114300/-

दि0 16.10.18 को 8000 कलर टाईल्स 900 नग टाईल - 176200/-

दि0 05.11.18 को 6588 नग इण्टरलाकिंग टाईल्स दर 203 - 134395/-

दि0 05.11.18 का 65883 इण्टरलाकिंग टाईल्स दर 20.4/-- 102163/-

दि0 05.11.18 को 4770 इण्टरलाकिंग टाईल्स दर 20.4/-- 128520/-

योग- 1019130/-

उपरोक्त क्रय सामग्री के सापेक्ष व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह स्पष्ट न हो सका कि सामग्री वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत फर्म से खरीदी गयी और उक्त सामग्री पर कितना वेट का भुगतान किया गया। अतः वित्त एवं लेखा मैनुअल अध्याय-8(क) के अन्तर्गत गबन मानते हुए उक्त धन की वसूली ब्याज सहित समान रूप से सचिव श्री अनुरोध व प्रधान श्री शाहजहा से की जानी अपेक्षित हैं।

**29.ग्राम पंचायत- दूधली विकासखण्ड- चरथावल वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-77**

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय किया गया, किन्तु हैण्डपम्प मजदूरी का भुगतान बिना प्रमाणक हैण्ड पम्प खराबी का पूर्ण विवरण समक्ष अधिकारी की स्वीकृति आदि के अभाव में भुगतान संदिग्ध हैं। जिसका विवरण निम्न हैः-

| क्र0सं0 | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.06.2019 | 50482 | 6800.00 |
| 2 | 22.10.2019 | एन0ई0एफ0टी0 | 20560.00 |
| 3 | 12.02.2020 | एन0ई0एफ0टी0 | 12190.00 |
| 4 | 10.02.2020 | एन0ई0एफ0टी0 | 4000.00 |
| 5 | 12.02.2020 | एन0ई0एफ0टी0 | 10000.00 |
| | | योग | 53550.00 |

1-इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान बिना प्रमाणक समक्ष अधिकारी की स्वीकृति सम्बन्धी आदेश हैण्डपम्प खराबी की रिपोर्ट आदि के अभाव में रूपये 53550.00 हैण्डपम्प मजदूरी का फर्जी भुगतान किय हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती मधु एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीन से रू0 53550.00 की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-78**

ग्राम पंचायत द्वारा कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र पर कार्य की नाप तौल का विवरण मजदूर का विवरण अंकित किए बिना, तैयार किए गए हैं। इसके साथ ही निर्माण रजि0, कार्य योजना बजट के अभाव में निर्माण कार्य का भुगतान फर्जी किया गया हैं।

| क्र0 | निर्माण कार्य | कार्य प्रारम्भ......से.......तक | सामग्री पर व्यय | श्रमांश पर व्यय | योग | मजदूरी |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | अन्तेष्टी स्थल | 02.03.19 से 16.04.19 | 759431 | 170280 | 929711 | कुशल अकुशल अंकित नहीं |
| 2 | अन्तेष्टी स्थल | 24.04.19 से 30.03.20 | 41703 | 117103 | 534133 | कुशल अकुशल अंकित नहीं |
| 3 | शमशान घाट पर चार दीवारी | 20.01.20 से 30.04.20 | 42112 | 40950 | 183062 | कुशल अकुशल अंकित नहीं |
| 4 | अन्तेष्टी स्थल में इन्टरलाकिग व दीवार निर्माण | 20.02.20 से 02.03.20 | 964587 | 214470 | 1179057 | कुशल अकुशल अंकित नहीं |
| | | | 2283160 | 542803 | 2825963 | |

इस प्रकार रू0 2825963.00 के निर्माण कार्य कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र बिना नाप तौल के मजदूरी का विवरण का विवरण निर्माण रजि0, कार्य योजना, बजट के व्यय करके धन का दुरूपयोग किया हैं। अतः इसका दायित्व श्रीमति मधु प्रधान व श्री प्रवीन ग्राम पंचायत अधिकारी का हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से प्रधान श्रीमती मधु एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रवीन से की जानी अपेक्षित हैं।

**30.ग्राम पंचायत- कयामपुर विकासखण्ड- चरथावल वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-79**

ग्राम पंचायत द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत की मजदूरी का भुगतान बिना प्रमाणक हैण्डपम्प खराबी की रिपोर्ट तथा समक्ष अधिकारी की स्वीकृति के अभाव में हैण्डपम्प मरम्मत पर किया व्यय संदिग्ध हैं। जिसका विवरण निम्न हैं:-

| क्रं0सं0 | दिनांक | चैक संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 10.05.2019 | 433660 | 4800.00 |
| 2 | 10.05.2019 | 433659 | 8620.00 |
| 3 | 26.01.2020 | एन0ई0एफ0टी0 | 14608.00 |
| | | योग | 28028.00 |

इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत की धनराशि रू0 28028.00 बिना प्रमाणक सक्षम अधिकारी को स्वीकृति सम्बन्धी आदेश , हैण्डपम्प खराबी की रिपोर्ट आदि का काल्पनिक भुगतान करके धन का अपहरण किया गया हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित समान रूप से श्री जमशेद अली प्रधान एवं श्री प्रवीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-80**

दिनांक 22.11.19 को ग्राम में लाइटो की मरम्मत हेतु एस0एम0 कन्ट्रेक्अर को भुगतान रू0 84623.00 का भुगतान एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किया गया, किन्तु उक्त के बिना प्रमाणक बिना कोटेशन के अभाव में उक्त धन रू0 84623.00 काल्पनिक किया गया हैं। जिसकी वसूली श्री जमशेद अली प्रधान एवं श्री प्रवीन ग्राम पंचायत अधि0 से रू0 84623.00 की वसूली ब्याज सहित समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-81**

शिव ट्यूबवैल स्टोर को भुगतान दिनांक 10.03.2020 को रू0 39900.00 एवं दिनांक 11.03.2020 में रू0 39900.00 कुल रू0 79800.00 को रिबोर स्थापित कराने का व्यय बिना प्रमाणक बिना कोटेशन के किया गया हैं। जिस कारण व्यय संदिग्ध हैं। अतः उक्त की वसूली रू0 79900.00 ब्याज सहित समान रूप से श्री जमशेद अली प्रधान एवं श्री प्रवीन ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं।

**31.ग्राम पंचायत- शेरनगर विकासखण्ड- सदर, मु0नगर वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-82**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पर निम्न अपहरण एवं दुरूपयोग प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

1- ग्राम पंचायत शेरनगर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा जांच में पाया गया कि माह जुलाई 2019 में ग्राम निधि-1 खाते से रू0 2001232.70 का अपहरण किया गया। जबकि कैशबुक में रू0 1941931.70 का व्यय किया गया ही दर्शाया गया। अन्तर रू0 59301.00 का रहा, जिसमें से रू0 33901.00 का आहरण चैक सं0 262449 दि0 17.07.19 द्वारा किया गया किन्तु इस धनराशि का कोषांकन कैशबुक में नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त रू0 25400.00 का लेखा आय पक्ष में किया गया हैं। किन्तु इस धनराशि को व्यय नहीं किया गया और ना ही इसे माह के अन्तिम शेष में भी नहीं पकड़ा गया। इस प्रकार रू0 33901.00 व रू0 25400.00 कुल रू.

59301.00 का सीधे गबन किया गया हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान चैधरी शाहबुद्दीन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक कुमार से समान रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**प्रस्तर-83**

ग्राम शेंरनगर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करते समय आय एवं व्यय के सापेक्ष केवल बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराया गया हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में रू0 8725088.00 का व्यय/आहरण (बैंक चार्जेज को छोड़कर) किया गया हैं।

उक्त के व्यय आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टांक रजि0, कार्यवाही पंजिका, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय-8 बिन्दु 8(क) के अुनसार गबन की श्रेणी में आता हैं

पुष्टि के अभाव में समस्त देय/आहरित धनराशि रू0 8725088.00 को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान चौ0 शाहबुद्दीन एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**32.ग्राम पंचायत- बिलासपुर विकासखण्ड- सदर, मु0नगर वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-84**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पर निम्न अपहरण एवं दुरूपयोग प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

1-ग्राम पंचायत बिलासपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करते समय आय एवं व्यय के सापेक्ष केवल बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराया गया हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में रू0 6102475.00 का व्यय/आहरण (बैंक चार्जेज को छोड़कर) किया गया हैं।

उक्त के व्यय आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टांक रजि0, कार्यवाही पंजिका, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय-8 बिन्दु 8(क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं

पुष्टि के अभाव में समस्त देय/आहरित धनराशि रू0 6102475.00 को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्रपाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**33.ग्राम पंचायत- दतियाना विकासखण्ड- सदर, मु0नगर वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-85**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पर निम्न अपहरण एवं दुरूपयोग प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

1-ग्राम पंचायत दतियाना की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करते समय आय एवं व्यय के सापेक्ष केवल बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराया गया हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में रू0 16859182.00 का व्यय/आहरण (बैंक चार्जेज को छोड़कर) किया गया हैं।

उक्त के व्यय आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टांक रजि0, कार्यवाही पंजिका, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय-8 बिन्दु 8(क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं

पुष्टि के अभाव में समस्त देय/आहरित धनराशि रू0 16859182.00 को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आलोक कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**34.ग्राम पंचायत- गढ़ी दुर्गनपुर विकासखण्ड- सदर, मु0नगर वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-86**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पर निम्न अपहरण एवं दुरूपयोग प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

1-ग्राम पंचायत गढ़ी दुर्गनपुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करते समय आय एवं व्यय के सापेक्ष केवल बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराया गया हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में रू0 585758.00 का व्यय/आहरण (बैंक चार्जेज को छोड़कर) किया गया हैं।

उक्त के व्यय आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टांक रजि0, कार्यवाही पंजिका, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय-8 बिन्दु 8(क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं

पुष्टि के अभाव में समस्त देय/आहरित धनराशि रू0 585758.00 को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शहनाज एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेम सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**35.ग्राम पंचायत- लच्छेड़ा विकासखण्ड- सदर, मु0नगर वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-87**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पर निम्न अपहरण एवं दुरूपयोग प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

1-ग्राम पंचायत लन्छेड़ा की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करते समय आय एवं व्यय के सापेक्ष केवल बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराया गया हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में रू0 6063078.00 का व्यय/आहरण (बैंक चार्जेज को छोड़कर) किया गया हैं।

उक्त के व्यय आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टांक रजि0, कार्यवाही पंजिका, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय-8 बिन्दु 8(क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं

पुष्टि के अभाव में समस्त देय/आहरित धनराशि रू0 6063078.00 को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री देवेन्द्र सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेम सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**36.ग्राम पंचायत- मोलाहेड़ी विकासखण्ड- सदर, मु0नगर वर्ष 2019-20**

**प्रस्तर-88**

ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा पर निम्न अपहरण एवं दुरूपयोग प्रकरण प्रकाश में आये, जिसके प्रति विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान समुचित कार्यवाही कर वसूली हेतु विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता हैं।

1-ग्राम पंचायत मालाहेड़ी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा करते समय आय एवं व्यय के सापेक्ष केवल बैंक पासबुक/बैंक स्टेटमेन्ट एवं कैशबुक ही उपलब्ध कराया गया हैं। जिसके अनुसार वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में रू0 2369210.00 का व्यय/आहरण (बैंक चार्जेज को छोड़कर) किया गया हैं।

उक्त के व्यय आहरण की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे व्यय प्रमाणक सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टांक रजि0, कार्यवाही पंजिका, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त हैं। जो पंचायत लेखा मैनुअल वित्त के अध्याय-8 बिन्दु 8(क) के अनुसार गबन की श्रेणी में आता हैं

पुष्टि के अभाव में समस्त देय/आहरित धनराशि रू0 2369210.00 को अपहरण मानते हुए इसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रमन सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रेम सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

**37.ग्राम पंचायत- राठौर विकासखण्ड- जानसठ वर्ष 2013-14**

**प्रस्तर-89**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष रजिस्टर अपूर्ण, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाॅक पंजिका, अनुदान पंजिका अप्राप्त, क्रय सामग्री का नगद भुगतान, निरीक्षण पंजिका, अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण आर्थिक क्षति की सम्भावना होने के कारण उक्त धनराशि अंकन रू0 786536.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुए अंकन रू0 786536.00 की ब्याज सहित वसूली मनमोहन सिंह, ग्राम प्रधान व ओम कुमार, ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं।(आ0सं0-01)

**38.ग्राम पंचायत- कितास विकासखण्ड- शाहपुर वर्ष 2013-14**

**प्रस्तर-90**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष रजिस्टर अपूर्ण, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाॅक पंजिका, अनुदान पंजिका अप्राप्त, क्रय सामग्री का नगद भुगतान, निरीक्षण पंजिका, अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण आर्थिक क्षति की सम्भावना होने के कारण उक्त धनराशि अंकन रू0 1073033.70 को गम्भीर अनियमितता मानते हुए अंकन रू0 1073033.70 की ब्याज सहित वसूली श्री धनश्याम सिंह, ग्राम प्रधान व श्री राजीव कुमार, ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं।(आ0सं0-01)

**39.ग्राम पंचायत- गुनियाजुड्डी विकासखण्ड- चरथावल वर्ष 2013-14**

**प्रस्तर-91**

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायते द्वारा की गयी पुनरावलोकन/समीक्षा उपरान्त की गयी टिप्पणी के अन्तर्गत श्री विशम्बर सिंह प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री मोहन उक्त के लिये उत्तरदायी हैं।

- क्रय सामग्री पर वैट का भुगतान नहीं किया गया हैं। (आपत्ति संख्या-17)

- क्रय सामग्री का लेखांकन स्टोर पंजिका बनाकर नहीं किया गया हैं।(आपत्ति संख्या-15, 19)

- प्राप्त अनुदान रजिस्टर, अनुदान प्राप्ति का आदेश अनुपलब्ध रहा।(आपत्ति संख्या-2)

- आलोच्य वर्ष में छात्रवृत्ति संबंधी, मिड डे मिल संबंधी तथा मनरेगा से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा में सुलभ नहीं कराया गया।

- लेखा परीक्षा में वांछित कई महत्वपूर्ण अभिलेख यथा भण्डार रजिस्टर, निरीक्षण पुस्तिका, सार्वजनिक कार्यवाही रजिस्टर, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, आय-व्यय बजट, एजेन्डा बुक का सूची, खाता अचल सम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये।(आपत्ति संख्या-4,5,10,13,14,16)

उपर्युक्त कमियों तथा अभिलेख/सूचना प्रस्तुत न रहने की दशा में तेरहवा वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग आयोग के अन्तर्गत कराये गये समस्त कार्यो में कुल व्यय रूपये 703874.70 को अप्रमाणित/अपुष्टित रहने की दशा में इसे गम्भीर अनियमितता का प्रकरण मानते हुए संबंधित सचिव श्री मोहन एवं ग्राम प्रधान श्री विशम्बर को सामान रूप से उत्तरदायी हैं। ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**40.ग्राम पंचायत- सैदपुर खुर्द विकासखण्ड- बघरा वर्ष 2013-14**

**प्रस्तर-92**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष रजिस्टर अपूर्ण, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, अनुदान पंजिका अप्राप्त, क्रय सामग्री का नगद भुगतान, निरीक्षण पंजिका, अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण आर्थिक क्षति की सम्भावना होने के कारण उक्त धनराशि अंकन रू0 1517015.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुए अंकन रू0 1517015.00 की ब्याज सहित वसूली श्री अहसान अली, ग्राम प्रधान व श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं। (आ0सं0-01)

**41.ग्राम पंचायत- कासमपुर विकासखण्ड- पुरकाजी वर्ष 2013-14**

**प्रस्तर-93**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष रजिस्टर अपूर्ण, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, क्रय सामग्री पर वेट व्यापार कर विभाग रजिस्ट्रेशन नं0 का अभाव, छात्रवृत्ति, मिड-डे-मिल व मनरेगा सम्बन्धी अभिलेख अप्राप्त, अनुदान रजि0, अचल सम्पदा रजि0, भण्डार रजि0, निरीक्षण रजि0, लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण आर्थिक क्षति की सम्भावना होने के कारण उक्त धनराशि अंकन रू0 313420.70 को गम्भीर अनियमितता मानते हुए अंकन रू0 313420.70 की ब्याज सहित वसूली श्री सुभाषचन्द, प्रधान व श्री रमेश, सचिव से की जानी अपेक्षित हैं। (आ0सं0-19, 25, 04, 14, 18, 13, 2, 3)

**42.ग्राम पंचायत- रहमतपुर विकासखण्ड- मोरना वर्ष 2013-2014**

**प्रस्तर-94**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष रजिस्टर अपूर्ण, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, अनुदान पंजिका अप्राप्त, क्रय सामग्री का नगद भुगतान, निरीक्षण पंजिका, अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण आर्थिक क्षति की सम्भावना होने के कारण उक्त धनराशि अंकन रू0 1164839.70 को गम्भीर अनियमितता मानते हुए अंकन रू0 1164839.70 की ब्याज सहित वसूली श्री विमलेश, ग्राम प्रधान व श्री विजय पाल सिंह, ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं। (आ0सं0-01)

**43.ग्राम पंचायत- गालिबपुर विकासखण्ड- खतौली वर्ष 2013-2014**

**प्रस्तर-95**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष रजिस्टर अपूर्ण, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, अनुदान पंजिका अप्राप्त, क्रय सामग्री का नगद भुगतान, निरीक्षण पंजिका, अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण आर्थिक क्षति की सम्भावना होने के कारण उक्त धनराशि अंकन रू0 1544970.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुए अंकन रू0

1544970.00 की ब्याज सहित  वसूली श्री नसीम खातून ग्राम प्रधान व श्री सतेन्द्र कुमार ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं। (आ0सं0-01)

**44.ग्राम पंचायत- नसीरपुर विकासखण्ड- सदर वर्ष 2013-2014**

**प्रस्तर-96**

ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा परीक्षा हेतु लेखा मैनुअल, पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के अध्याय-8 नियम-8(क) के अंतर्गत दर्शाये व्यय के सम्बन्ध में बैंक से आहरित धनराशि के सापेक्ष रजिस्टर अपूर्ण, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक पंजिका, अनुदान पंजिका अप्राप्त, क्रय सामग्री का नगद भुगतान, निरीक्षण पंजिका, अचल सम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कराये जाने के कारण आर्थिक क्षति की सम्भावना होने के कारण उक्त धनराशि अंकन रू0 828616.00 को गम्भीर अनियमितता मानते हुए अंकन रू0 828616.00 की ब्याज सहित  वसूली श्री सुभाष चन्द्र ग्राम प्रधान व श्री सुभाष चन्द्र ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं। (आ0सं0-01)

**ग्राम पंचायतो के वर्ष 2019-20 के अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की**

**- गम्भीर आपत्तियॉ/प्रस्तरों का विवरण -**

**जनपद-सहारनपुर**

1. ग्राम पंचायत-सिंहखेड़ा विकासखण्ड-नकुड़

प्रस्तर-01

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक में दिनांक 22.7.19 मे चेक सं0 961919 द्वारा रू0 23600.00 प्राप्त किये जाने अंकित है जबकि बैंक से रू0 23660.00 का आहरण किया गया हैं। इस प्रकार से रू0 60.00 कम दर्शाकर पंचायत कोष को हानि पहुंचाई गयी हैं। जिसकी वसूली, ब्याज सहित, तत्कालीन पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री गुलशन से की जानी अपेक्षित हैं।   (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर-02

ग्राम निधि प्रथम कैश बुक अनुसार माह जुलाई-19 में रू0 463347.50 के सापेक्ष रू0 465507.50 का व्यय किया गया हैं। इस प्रकार रू0 2160.00 का व्यय अधिक कर अगले माह प्रधान जी के पास शेष नकद धनराशि को (-) 2160.0 दर्शा कर इस धनराशि को समायोजन कर समाप्त कर दिया गया। जबकि उक्त धनराशि के लेन देन का कोई प्रमाण दृष्टिगत नहीं हैं। अतः रू0 2160.00 से पंचायत कोष को हानि पहुंचाई गयी हैं। जिसकी वसूली, ब्याज सहित, तत्कालीन पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री गुलशन से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 02)

2. ग्राम पंचायत- इस्लामनगर विकासखण्ड-नकुड़

प्रस्तर-03

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत में आय व्यय के सापेक्ष माह अप्रैल से जून 2019 तक की बैंक स्टेट मेंट ही उपलब्ध कराई गई हैं। बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार इस अवधि में ग्राम निधि खाता सं0 1336002100000765 से रू0 590006.50 का आहरण किया गया है किन्तु उपरोक्त आहरण/व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कि कैश बुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टॉक रजि0, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टर रोल, प्रसाशनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, मानदेय रजि0 आदि लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। जिस कारण इनके कार्यकाल का समस्त व्यय अपुष्ट रहा हैं। ग्राम पंचायत लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8(क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुये इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाए अथवा अन्यथा की स्थिति में रू0 590006.50 की वसूली, ब्याज सहित, ग्राम पंचायत सचिव श्री राजकुमार एवं ग्राम प्रधान श्रीमती तलत सुल्ताना से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

3. ग्राम पंचायत- झबीरण विकासखण्ड-नकुड़

प्रस्तर-04

वर्ष आलोच्य में ग्राम निधि प्रथम में से श्री राजकुमार पंचायत सचिव द्वारा अपने कार्यकाल में रू0 356055.00 का व्यय एवं तत्पश्चात् श्री जितेन्द्र कुमार पंचायत सचिव द्वारा अपने कार्यकाल में रू0 1887417.00 का व्यय,कैश बुक अनुसार किया जाना दर्शित हैं। किन्तु व्यय की पुष्टि में ग्राम पंचायत प्रस्ताव, कार्य योजना, एस्टीमेट, निर्माण रजि0, कार्यपूर्ति रजि0, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति, व्यय प्रमाणक, मानदेय रजि0 आदि लेखा परीक्षा जांच में उपलब्ध नहीं कराया गया हैं। जिस कारण इनके कार्यकाल का समस्त व्यय अपुष्ट रहा हैं। ग्राम पंचायत लेखा मैन्नुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार यदि दर्शाए गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से की जायेगी। अतः व्यय प्रमाणक एवं अन्य समस्त अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कर पुष्टि कराई जाए अथवा अन्यथा की स्थिति में रू0 356055.00 की वसूली, ब्याज सहित, पंचायत सचिव श्री राजकुमार एवं ग्राम प्रधान श्री चन्दरवीर से एवं रू0 1887417.00 की वसूली, ब्याज सहित, पंचायत सचिव श्री जितेन्द्र कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री चन्दरवीर से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

4. ग्राम पंचायत- मोहड़ा विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-05

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 1688000.00 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1688000.00 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री दीपक/विकास एवं प्रधान श्री मनोज द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

5. ग्राम पंचायत- बिलासपुर विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-06

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 1763086.55 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1763086.55 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री दीपक/श्री विकास एवं प्रधान श्री अरविन्द द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

6. ग्राम पंचायत- ईसापुर विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-07

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 554000.80 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा

यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 554000.80 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री दीपक/श्री विकास एवं प्रधान श्री प्रवीन द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

7. ग्राम पंचायत- कलालहटी विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-08

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 638501.50 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 638501.50 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री दीपक/श्री विकास एवं प्रधान श्री प्रवीन द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

8. ग्राम पंचायत- बीनपुर विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-09

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 614070.80 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 614070.80 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री दीपक/श्री विकास एवं प्रधान श्री राजीव द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

9. ग्राम पंचायत- दूधला विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-10

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 1645141.90 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए।

यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1645141.90 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री दीपक/श्री विकास एवं प्रधान श्रीमती कुन्तेश द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

10. ग्राम पंचायत- मछरोली विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-11

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 770066.80 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।
1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 770066.80 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री दीपक/श्री विकास एवं प्रधान श्रीमती ममता द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

11. ग्राम पंचायत- जेहरा विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-12

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 2111070.80 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।
1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 2111070.80 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री दीपक/श्री विकास एवं प्रधान श्री मुनेश द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

12. ग्राम पंचायत- रोशनपुर विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-13

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत रोशनपुर के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही। रिकार्ड प्राप्ति के लिए खण्ड विकास अधिकारी को अनेक पत्र भी लिखे गए जिसकी प्रतिलिपि ससमय सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पश्चात् भी रिकार्ड की उपलब्धता शून्य रही किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि 2019-20 में ग्राम पंचायत को रूपये 822337.00 प्राप्ति एवं 541708.00 का व्यय ब्याज सहित किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कैशबुक:-

1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 541708.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री कीरत सिंह एवं प्रधान श्री समेदीन से पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण की जानी अपेक्षित हैं यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर सचिव एवं प्रधान द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

13. ग्राम पंचायत- बसी विकासखण्ड-गंगोह
प्रस्तर-14

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 2352865.80 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।
1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 2352865.80 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री योगेन्द्र एवं प्रधान श्री गुलशन द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

14. ग्राम पंचायत- कुण्डाकला विकासखण्ड-गंगोह
प्रस्तर-15

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 4939788.00 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।
1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 4939788.00 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री योगेन्द्र एवं प्रधान श्री समीम द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

15. ग्राम पंचायत- सुखेड़ी विकासखण्ड-गंगोह
प्रस्तर-16

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 1409350.00 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1409350.00 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री योगेश मोहन/श्री विनोद सैनी एवं प्रधान श्रीमती रमन देवी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

16. ग्राम पंचायत- हलवाना विकासखण्ड-गंगोह
प्रस्तर-17

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 1060774.00 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।
1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1060774.00 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री योगेश मोहन/श्री विनोद सैनी एवं प्रधान श्रीमती जमई फात्मा द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

17. ग्राम पंचायत- नयीमाजरा विकासखण्ड-गंगोह
प्रस्तर-18

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 1120140.70 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।
1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1120140.70 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री योगेश मोहन/श्री विनोद सैनी एवं प्रधान श्री गुरदीप द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

18. ग्राम पंचायत- चकवाली विकासखण्ड-गंगोह
प्रस्तर-19

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत चकवाली के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही। रिकार्ड प्राप्ति के लिए खण्ड विकास अधिकारी को अनेक पत्र भी लिखे गए जिसकी प्रतिलिपि ससमय सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पश्चात् भी रिकार्ड की उपलब्धता शून्य रही किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि 2019-20 में ग्राम पंचायत को रूपये 2352398.00 प्राप्ति एवं 1858628.00 का व्यय ब्याज सहित किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कैशबुक
1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1858628.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री योगेश मोहन/श्री विनोद सैनी एवं प्रधान श्री शादीराम से पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण की जानी अपेक्षित हैं यहा

यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर सचिव एवं प्रधान द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

19. ग्राम पंचायत- ढायकी विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-20

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत ढायकी के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही। रिकार्ड प्राप्ति के लिए खण्ड विकास अधिकारी को अनेक पत्र भी लिखे गए जिसकी प्रतिलिपि ससमय सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पश्चात् भी रिकार्ड की उपलब्धता शून्य रही किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि 2019-20 में ग्राम पंचायत को रूपये 6582519.00 प्राप्ति एवं 6063988.00 का व्यय ब्याज सहित किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कैशबुक

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 6063988.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री योगेश मोहन/श्री विनोद सैनी एवं प्रधान श्रीमती रोशनी से पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण की जानी अपेक्षित हैं यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर सचिव एवं प्रधान द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

20. ग्राम पंचायत- डबकोला विकासखण्ड-गंगोह

प्रस्तर-21

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 2661443.16 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 2661443.16 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री योगेन्द्र एवं प्रधान श्री दीपक द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

21. ग्राम पंचायत-इमलिया विकासखण्ड-देवबन्द

प्रस्तर-22

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 1917814.80 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1917814.80 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री अवनीश एवं प्रधान श्री फरमान द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

22. ग्राम पंचायत-सांपला खत्री विकासखण्ड-देवबन्द

प्रस्तर-23

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सांपला खत्री के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही। रिकार्ड प्राप्ति के लिए खण्ड विकास अधिकारी को अनेक पत्र भी लिखे गए जिसकी प्रतिलिपि ससमय सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पश्चात् भी रिकार्ड की उपलब्धता शून्य रही किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि 2019-20 में ग्राम पंचायत को रूपये 3550438.32 प्राप्ति एवं 3252462.00 का व्यय ब्याज सहित किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कैशबुक

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 3252462.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री जाहिद अली एवं प्रधान श्री आबिद से पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण की जानी अपेक्षित हैं यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर सचिव एवं प्रधान द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

23. ग्राम पंचायत-भायला खुर्द विकासखण्ड-देवबन्द

प्रस्तर-24

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत भायला खुर्द के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही। रिकार्ड प्राप्ति के लिए खण्ड विकास अधिकारी को अनेक पत्र भी लिखे गए जिसकी प्रतिलिपि ससमय सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पश्चात् भी रिकार्ड की उपलब्धता शून्य रही किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि 2019-20 में ग्राम पंचायत को रूपये 3166497.50 प्राप्ति एवं 2327403.00 का व्यय ब्याज सहित किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कैशबुक

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 2327403.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री जाहिद अली एवं प्रधान श्रीमती पूनम देवी से पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण की जानी अपेक्षित हैं यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर सचिव एवं प्रधान द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

24. ग्राम पंचायत-सापला बक्काल विकासखण्ड-देवबन्द

प्रस्तर-25

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत सापला बक्काल के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही। रिकार्ड प्राप्ति के लिए खण्ड विकास अधिकारी को अनेक पत्र भी लिखे गए जिसकी प्रतिलिपि ससमय सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पश्चात् भी रिकार्ड की उपलब्धता शून्य रही किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि 2019-20 में ग्राम पंचायत को रूपये 2720869.81 प्राप्ति एवं 2500192.00 का व्यय ब्याज सहित किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कैशबुक

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 2500192.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री जाहिद अली एवं प्रधान श्रीमती तरन्नुम से पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण की जानी अपेक्षित हैं यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर सचिव एवं प्रधान द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

25. ग्राम पंचायत-बडेडी मजबता विकासखण्ड-देवबन्द

प्रस्तर-26

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत बडेडी मजबता के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही। रिकार्ड प्राप्ति के लिए खण्ड विकास अधिकारी को अनेक पत्र भी लिखे गए जिसकी प्रतिलिपि ससमय सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पश्चात् भी रिकार्ड की उपलब्धता शून्य रही किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि 2019-20 में ग्राम पंचायत को रूपये 1589710.00 प्राप्ति एवं 1001260.00 का व्यय ब्याज सहित किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कैशबुक

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1001260.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री जाहिद अली एवं प्रधान श्री नरसिंह से पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण की जानी अपेक्षित हैं यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर सचिव एवं प्रधान द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

26. ग्राम पंचायत-फुलासअकबरपुर विकासखण्ड-देवबन्द

प्रस्तर-27

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत फुलासअकबरपुर के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही। रिकार्ड प्राप्ति के लिए खण्ड विकास अधिकारी को अनेक पत्र भी लिखे गए जिसकी प्रतिलिपि ससमय सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पश्चात् भी रिकार्ड की उपलब्धता शून्य रही किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि 2019-20 में ग्राम पंचायत को रूपये 3620859.09 प्राप्ति एवं 3002832.00 का व्यय ब्याज सहित किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कैशबुक

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 3002832.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री जाहिद अली एवं प्रधान श्रीमती शाईस्ता परवीन से पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण की जानी अपेक्षित हैं यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर सचिव एवं प्रधान द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

27. ग्राम पंचायत- साखनकला विकासखण्ड-देवबन्द

प्रस्तर-28

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 3114045.03 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।

3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 3114045.03 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री अवनीश एवं प्रधान श्रीमती ममता द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

28. ग्राम पंचायत- अम्बेहटाशेख विकासखण्ड-देवबन्द

प्रस्तर-29

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 5102662.00 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं

किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।

1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 5102662.00 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री अवनीश एवं प्रधान श्रीमती चांदनी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

29. ग्राम पंचायत- थामना विकासखण्ड-देवबन्द
प्रस्तर-30

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 1836378.00 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।
1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 1836378.00 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री अवनीश एवं प्रधान श्रीमती सीता देवी द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

30. ग्राम पंचायत-घलौली विकासखण्ड-देवबन्द
प्रस्तर-31

आलोच्य वर्ष में ग्राम सचिव एवं प्रधान द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक स्टेटमेन्ट के आधार पर अंकन रूपये 2495740.70 का ब्याज सहित व्यय किया गया। जिसके सापेक्ष अन्य कोई भी रिकार्ड जैसे प्रमाणक, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कैशबुक आदि प्रस्तुत नहीं किये गये। सचिव से कई बार अभिलेख मांगे गए परन्तु उनके द्वारा ऑडिट मे सहयोग नहीं करते हुए अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अपुष्ट व्यय की जांच में निम्न अभिलेख प्रस्तुत कियें।
1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।
2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 2495740.70 की वसूली ब्याज सहित की कार्य सम्बन्धित सचिव श्री अवनीश एवं प्रधान श्रीमती पूजा द्वारा पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण उत्तरदायी ठहराते हुए की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

31. ग्राम पंचायत-भायला कलां विकासखण्ड-देवबन्द
प्रस्तर-32

लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत भायला कलां के समस्त अभिलेख अप्राप्त रहने के कारण ग्राम पंचायत की आय एवं व्यय की जानकारी शून्य रही। रिकार्ड प्राप्ति के लिए खण्ड विकास अधिकारी को अनेक पत्र भी लिखे गए जिसकी प्रतिलिपि ससमय सम्बन्धित उच्चाधिकारियों को प्रेषित करने के पश्चात् भी रिकार्ड की उपलब्धता शून्य रही किन्तु प्रिया सॉफ्ट पर उपलब्ध आंकड़ो से ज्ञात हुआ कि 2019-20 में ग्राम पंचायत को रूपये 3501392.00 प्राप्ति एवं 2432664.00 का व्यय ब्याज सहित किया गया। व्यय की पुष्टि में वांछित अभिलेख जैसे कैशबुक

1.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित प्रमाणित कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

2.व्यय की पुष्टि में बिल/बाउचर/मस्टररोल/आदि प्रस्तुत नहीं किए गए।
3.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित प्राजेक्ट रिर्पोट सामग्री क्रय कोटेशन माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत नहीं की गयी।

अतः अंकन रू0 2432664.00 की वसूली ब्याज सहित सम्बन्धित सचिव श्री जाहिद अली एवं प्रधान श्रीमती सुनिता से पंचायत राज नियमावली के नियम संख्या 151, 154, 207 व 209 का पालन नहीं करने के कारण की जानी अपेक्षित हैं यहा यह भी उल्लेखनीय है कि वसूली/अधिभार की कार्यवाही होने पर सचिव एवं प्रधान द्वारा फर्जी अभिलेख तैयार किए जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः वसूली की कार्यवाही ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

32. ग्राम पंचायत-फैजाबाद विकासखण्ड-सढौली कदीम
प्रस्तर-33

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 4686843.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 4686843.80 की पुष्टि न की जा सकी उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि कोगबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 4686843.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सावॅला बेगम तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमर तोमर से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

33. ग्राम पंचायत-कासमपुर मु0 पाडली विकासखण्ड-सढौली कदीम
प्रस्तर-34

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 3501533.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 3501533.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 3501533.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती गुर देवी तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अमर सिंह तोमर से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

34. ग्राम पंचायत-रोगला हथौली विकासखण्ड-सढौली कदीम
प्रस्तर-35

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 1368929.00 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 1368929.00 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये

व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 1368929.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जसवीर तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री संदीप से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या 03)

35. ग्राम पंचायत-हरिपुर विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-36

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 1531085.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 1531085.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 1531085.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री संदीप से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या 03)

36. ग्राम पंचायत-नादराना विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-37

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 1142240.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 1142240.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 1142240.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री इस्लाम तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री आलोक कश्यप से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

(आपत्ति संख्या 03)

37. ग्राम पंचायत-महमूदपुर माजरा विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-38

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 2427075.00 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली

अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 2427075.00 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 2427075.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती मोमिना तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री प्रदीप कांबोज से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

38. ग्राम पंचायत-रायपुर विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-39

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 3695412.00 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 3695412.00 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 3695412.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सनाज तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री प्रदीप कांबोज से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

39. ग्राम पंचायत-दबकौरा विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-40

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 2987730.10 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 2987730.10 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 2987730.10 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती रफिजा तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री संदीप से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

40. ग्राम पंचायत-खेड़ी मुस्तकम विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-41

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 2090847.00 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 2090847.00 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि

कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 2090847.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री फूलचन्द तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री प्रदीप पुंडीर से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

41. ग्राम पंचायत-टोडरपुर विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-42

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 2675947.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 2675947.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 2675947.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती नुसरत तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री संदीप से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

42. ग्राम पंचायत-लतीफपुर भूड़ विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-43

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की कैशबुक/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 1231017.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 1231017.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 1231017.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री प्रदीप तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री विकास कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

43. ग्राम पंचायत-चकखिरजपुर विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-44

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 1657769.00 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 1657769.00 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये

व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 1657769.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कुलदीप तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री भवर सिंह से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

44. ग्राम पंचायत-मिर्जापुर पोल विकासखण्ड-सढौली कदीम अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 की आपत्तियॉ-

प्रस्तर-45

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 7004882.91 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 7004882.91 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 7004882.91 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती अदीबा तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री विजय कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

45. ग्राम पंचायत-अब्दुल्लापुर मुस्त0 विकासखण्ड-सढौली कदीम

प्रस्तर-46

वर्ष आलोच्य में ग्रामनिधि-1 से दिनांक 20.04.19 को चेक सं0 94209 से रूपये 13200.00 आहरित कर कैशबुक में रूपये 12300.00 का अंकन किया गया हैं। अंतर रूपये 900.00 कम अंकन कर व्यय न करके सीधे अपहरण कर लिया गया हैं। जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्रामप्रधान श्री ललतेश तथा ग्रामपंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 05)

प्रस्तर-47

वर्ष आलोच्य में माह जनवरी-20 में आय पक्ष का योग रूपये 453671.00 है। जबकि कैशबुक में रूपया 413671.00 का अंकन किया गया हैं। अंतर रू0 40000.00 कम अंकन दर्शाकर, व्यय न करके सीधे अपहरण कर लिया गया हैं। उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्रामप्रधान श्री ललतेश तथा ग्रामपंचायत अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 06)

46. ग्राम पंचायत-लुण्ढाली विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-48

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की कैशबुक /बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 505458.00 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 505458.00 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 505458.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती पिंकी देवी तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री राजकुमार एवं श्री विनोद डोभाल से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

47. ग्राम पंचायत-मुगल माजरा विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-49

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 5718079.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 5718079.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 5718079.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री इकबाल तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सीताराम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

48. ग्राम पंचायत-संदलहेड़ी विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-50

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 2042152.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 2042152.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 2042152.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कुशलपाल तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सीताराम से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

49. ग्राम पंचायत-माटकी झरोली विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-51

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 613133.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 613133.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 613133.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विनय कुमार तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुनील कटारिया से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

50. ग्राम पंचायत-लखनौती खुर्द विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-52

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 6792804.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 6792804.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 6792804.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुशील कुमार तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुनील कटारिया से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

51. ग्राम पंचायत-घुन्ना विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-53

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 966098.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 966098.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 966098.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती विनोद कुमारी तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुनील कटारिया से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

52. ग्राम पंचायत-धानाखंडी विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-54

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की बैंक स्टेटमेन्ट/बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। बैंक स्टेटमेन्ट के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 4218127.80 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, कैशबुक, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 4218127.80 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 4218127.80 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती साहिस्ता तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री सुनील कटारिया से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

53. ग्राम पंचायत-बहेड़ी गुज्जर विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-55

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद केवल ग्राम निधि-1 की कैशबुक /बैंक पासबुक ही उपलब्ध करायी गयी है। कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि-1 से रू0 453729.00 (बैंक जार्च सहित) आहरित कर व्यय किया गया हैं। लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव, कार्ययोजना, एस्टीमेट, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, मानदेय पंजिका कोटेशन टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 453729.00 की पुष्टि न की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि न होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 453729.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री आजाद सिंह तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री इस्लामउद्दीन से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

प्रस्तर-56

वर्ष आलोच्य में कैशबुक में दि0 30.10.19 को परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि रूपये 2228486.00 निदेशक पंचायती राज को वापिस की गई दर्शित है लेकिन परफॉर्मेंस ग्रांट से सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहने के कारण वापिस की गई धनराशि रूपये 2228486.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जाए। पुष्टि नहीं होने की दशा में उक्त धनराशि को दूरूपयोग मानते हुए वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री आजाद सिंह तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री इस्लामउद्दीन से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 04)

54. ग्राम पंचायत-सुल्तानपुर विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-57

वर्ष आलोच्य की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट (ऑनलाईन) पर दर्शित आय एवं व्यय के आधार पर सम्पन्न की गई हैं। ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखापरीक्षा में ग्रामनिधि-1 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट (ऑनलाईन) के अनुसार ग्रामनिधि-1 की आय रूपये 1863540.00 एवं व्यय रूपये 843360.00 दर्शित हैं।

ग्रामनिधि-1 से रूपये 843360.00 आहरित कर व्यय किया गया है लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-हस्तलिखित कैशबुक, कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव सं0, कार्ययोजना, एस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृत, वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृत, वर्क आई0डी0, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 843360.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 843360.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सोना तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अजय कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट (ऑनलाईन) पर दर्शित व्यय रूपये 843360.00 का विवरण निम्नलिखित हैः- (आपत्ति संख्या 03)

| क्रमसं0 | दिनांक | बॉउचर संख्या | व्यय मद का विवरण | व्यय धनराशि (रू में) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15.07.19 | एफएफसी2019-20/ पी / 1 | सी सी कार्य | 193878.00 |
| 02 | 08.08.19 | एफएफसी 2019-20 / पी /2 | सी सी कार्य | 169032.00 |
| 03 | 20.08.19 | एफएफसी 2019-20/ पी / 3 | सी सी कार्य | 192990.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 04 | 20.08.19 | एफएफसी 2019-20/ पी /4 | सी सी कार्य | 194100.00 |
| 05 | 17.02.20 | एफएफसी 2019-20/ पी /5 | हैन्डपंप मरम्मत | 2500.00 |
| 06 | 15.03.20 | एफएफसी 2019-20/ पी /6 | स्कूल बैंच पर व्यय | 90860.00 |
| | | | योग | 843360.00 |

55. ग्राम पंचायत-हौजखेड़ी विकासखण्ड-पुंवारका
प्रस्तर-58

वर्ष आलोच्य की ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट (ऑनलाईन) पर दर्शित आय एवं व्यय के आधार पर सम्पन्न की गई हैं। ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-7 के अनुसार ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वें सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये, परन्तु वर्ष आलोच्य की लेखा परीक्षा हेतु बार-बार मौखिक तथा लिखित रूप से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखापरीक्षा में ग्रामनिधि-1 से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया हैं। ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट (ऑनलाईन) के अनुसार ग्रामनिधि-1 की आय रूपये 2431966.00 एवं व्यय रूपये 2045008.00 दर्शित हैं।

ग्रामनिधि-1 से रूपये 2045008.00 आहरित कर व्यय किया गया है लेकिन व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख जैसे-हस्तलिखित कैशबुक, कार्यवाही रजिस्टर, प्रस्ताव सं0, कार्ययोजना, एस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृत, वितीय प्रशासनिक स्वीकृत, वर्क आई0डी0, स्टाक रजि0, निमार्ण रजि0, व्यय प्रमाणक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली अप्राप्त रहने के कारण व्यय धनराशि रू0 2045008.00 की पुष्टि नहीं की जा सकी। उक्त समस्त अभिलेख प्रस्तुत कर जॉच एवं पुष्टि कराई जानी अपेक्षित हैं। पुष्टि नहीं होने की दशा में ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रू0 2045008.00 की व्यय की पुष्टि नहीं होने पर उक्त धनराशि की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री तजल्लुम तथा ग्रा0पं0 अधिकारी श्री अजय कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं।

ई ग्रामस्वराज/प्रियासॉफ्ट (ऑनलाईन) पर दर्शित व्यय रूपये 2045008.00 का विवरण निम्नलिखित हैंः-

| क्रमसं0 | दिनांक | बॉउचर संख्या | व्यय मद का विवरण | व्यय धनराशि (रू में) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 12.07.19 | एफएफसी2019-20/पी/3 | वाल पेंटिंग | 197251.00 |
| 02 | 02.08.19 | एफएफसी2019-20/पी /6 | सी सी कार्य | 246821.00 |
| 03 | 15.08.19 | एफएफसी2019-20/पी/1 | प्रियासॉफ्ट भुकतान | 201000.00 |
| 04 | 15.08.19 | एफएफसी2019-20/पी/2 | सी सी कार्य | 205000.00 |
| 05 | 20.08.19 | एफएफसी2019-20/पी/5 | सी सी कार्य | 246582.00 |
| 06 | 25.08.19 | एफएफसी2019-20/पी/4 | सफाई कार्य | 155500.00 |
| 07 | 26.08.19 | एफएफसी2019-20/पी/7 | सी सी कार्य | 346524.00 |
| 08 | 15.02.20 | एफएफसी2019-20/पी/8 | हैन्डपंप मरम्मत | 22500.00 |
| 09 | 21.03.20 | एफएफसी2019-20/पी/9 | हैन्डपंप रिबोर, सामान, मजदूरी | 128315.00 |
| 10 | 21.03.20 | एफएफसी2019-20/पी/10 | हैन्डपंप रिबोर, सामान, मजदूरी | 125270.00 |
| 11 | 21.03.20 | एफएफसी2019-20/पी/11 | हैन्डपंप रिबोर, सामान, मजदूरी | 170245.00 |
| | | | योग | 2045008.00 |

(आपत्ति संख्या 03)

56. ग्राम पंचायत-मोहिद्दीनपुर विकासखण्ड-पुंवारका अधिभार लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 की आपत्तियॉ-
प्रस्तर-59

वर्ष आलोच्य में ग्रामनिधि-1 खाता सं0 87312210033997 से दिनांक 31.03.20 को चेक सं0 आर032002284621 से रूपये 10000.00 का भुगतान किया गया है, लेकिन उक्त भुगतान का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है और नहीं भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है, जिस कारण भुगतान की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रूपये 10000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्रामप्रधान श्री शकील अहमद एवं ग्रामपंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

57. ग्राम पंचायत-संभालकी शेख विकासखण्ड-पुंवारका

प्रस्तर-60

वर्ष आलोच्य में ग्रामनिधि-1 खाता सं0 87312210033978 से दिनांक 31.03.20 को चेक सं0 आर032002237991 से रूपये 10000.00 का भुगतान किया गया है, लेकिन उक्त भुगतान का अंकन कैशबुक में नहीं किया गया है और नहीं भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक उपलब्ध कराया गया है, जिस कारण भुगतान की गई धनराशि की पुष्टि नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 के बिन्दु-8क के अनुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सैक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी।

अतः रूपये 10000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्रामप्रधान श्री नेकीराम एवं ग्रामपंचायत अधिकारी श्री वीरेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 03)

58. ग्राम पंचायत-शेखपुरा कदीम विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-61

वर्ष 2019-20 में सचिव व ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि 1 से रू0 17216150.00 आहरण किया हैं। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः ग्राम प्रधान श्री नसीम से रू0 8608075.00 व सचिव श्री सलिम अहमद से रू0 8608075.00 कुल रू0 17216150.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

59. ग्राम पंचायत-नल्हेडा गुर्जर विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-62

वर्ष 2019-20 में सचिव व ग्राम प्रधान ने ग्राम निधि 1 से रू0 4154621.39 आहरण किया हैं। उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे। अतः पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहने से व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः ग्राम प्रधान श्री विरेन्द्र सिंह से रू0 2077310.70 व सचिव श्री अजय देव से रू0 2077310.70 कुल रू0 4154621.39 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

60. ग्राम पंचायत-मडकी विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-63

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 1435263.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार से रू0 717631.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्रा0वि0अधिकारी श्री बालेश सैनी से रू0 717631.50 कुल रू0 1435263.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

61. ग्राम पंचायत-रूपड़ी जुनारदार विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-64

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 750235.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि

अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री बिरम सिंह से रू0 375117.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अधिकारी श्री कुशलपाल से रू0 375117.50 कुल रू0 750235.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

62. ग्राम पंचायत-उमाही विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-65

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 4220480.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मुर्सरत जहाॅ से रू0 2110240.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अधिकारी श्री अनिल कीर्तज से रू0 2110240.00 कुल रू0 4220480.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

63. ग्राम पंचायत-शरबतपुर विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-66

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 639612.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती अंजना से रू0 319806.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अधिकारी श्री कुशलपाल से रू0 319806.00 कुल रू0 639612.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

64. ग्राम पंचायत-बड़ूली विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-67

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 545110.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी से रू0 272555.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अधिकारी श्री कुशलपाल से रू0 272555.00 कुल रू0 545110.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

65. ग्राम पंचायत-आभा विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-68

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 1402156.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार से रू0 701078.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्रा0वि0अधिकारी श्री कुशलपाल से रू0 701078.00 कुल रू0 1402156.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

66. ग्राम पंचायत-माल्ली विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-69

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 1691340.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री गिरधारी से रू0 845670.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/

ग्रा0वि0अधिकारी श्री अनिल कीर्तज से रू0 845670.00 कुल रू0 1691340.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

67. ग्राम पंचायत-भारापुर विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-70

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 1749756.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री मेघपाल सिंह से रू0 874878.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्रा0वि0अधिकारी श्री अनिल कीर्तज से रू0 874878.00 कुल रू0 1749756.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

68. ग्राम पंचायत-लाखनौर विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-71

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 2300484.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री शोक्की से रू0 1150242.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्रा0वि0अधिकारी श्री अनिल कीर्तज से रू0 1150242.00 कुल रू0 2300484.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

69. ग्राम पंचायत-बेलड़ा जुनारदार विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-72

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 2716688.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती गजाला प्रवीन से रू0 1358344.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्रा0वि0अधिकारी श्री अनिल कीर्तज से रू0 1358344.00 कुल रू0 2716688.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

70. ग्राम पंचायत-सीडकी विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-73

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 1306146.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्री विकास त्यागी से रू0 653073.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/ ग्रा0वि0अधिकारी श्री अनिल कीर्तज से रू0 653073.00 कुल रू0 1306146.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

71. ग्राम पंचायत-कोटा विकासखण्ड-बलियाखेड़ी

प्रस्तर-74

वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत द्वारा प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की धनराशि रू0 4057798.00 के सम्बन्ध में कैशबुक, पासबुक, व्यय प्रमाणक, सार्वजनिक निर्माण रजि0, स्टाक रजि0, कार्ययोजना, कार्यवाही पुस्तिका, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र आदि अप्राप्त रहे। उपरोक्त अभिलेखों के अभाव में प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः प्रिया साफ्ट पर उल्लेखित व्यय धनराशि को अपहरण/दुरूपयोग मानते हुए ग्राम प्रधान श्रीमती कुन्ता देवी से रू0 2028899.00 व ग्राम पंचायत अधिकारी/

ग्रा0वि0अधिकारी श्री अनिल कीर्तज से रू0 2028899.00 कुल रू0 4057798.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

72. ग्राम पंचायत-ईस्माइलपुर गुर्जर विकासखण्ड-नागल

प्रस्तर-75

आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर व उच्चीकरण कर कुल रू0 1164000.00 का व्यय किया गया हैं। रिबोर कराने से पूर्व विभागीय स्वीकृति ली गयी अथवा नहीं लेखा परीक्षा में ज्ञात न हो सका तथा ग्राम पंचायत में कुल किनते हैण्डपम्प है और कौन-कौन से हैण्डपम्प की मरम्मत की गई हैं। अस्पष्ट रहा। हैण्डपम्प के अधिकांश व्यय नकद ही किये गये है कण्डम पार्ट को स्टांक पंजिका में नहीं दर्शाया गया हैं। स्टॉक पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी हैं। विकास खण्ड द्वारा रजिस्टर्ड तकनीकी श्रमिको द्वारा ही कार्य कराना चाहिए। अतः अंकन रू0 1164000.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती संतोष देवी व श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

73. ग्राम पंचायत-बोहडपुर विकासखण्ड-नागल

प्रस्तर-76

दि0 25.07.19, 29.07.19 व 30.07.19 को बा0सं0 28,29,30 के द्वारा ग्राम पंचायत बोहडपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में नाला सफाई व कूड़ा निस्तारण जे0सी0बी0 मशीन द्वारा सफाई निर्माण पर रू0 66400.00 व्यय स्वच्छता मजदूरी पर रू0 44954.00 व्यय स्वच्छता जागरूगता वाल पेंटिंग पर रू0 16000.00 कुल रू0 127354.00 का व्यय किया जाना दर्शित हैं। जिसकी विभागीय स्वीकृतिल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं। अतः अंकन रू0 127354.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व श्री गिरीश सैनी ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं।
(आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर-77

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में कैशबुक व निर्माण रजि0 के अनुसार माता से मैन सड़क तक मिटटी कार्य पर अंकन रू0 131358.00 का व्यय कराया गया हैं। निर्माण कार्य रजि0 में माप अंकित नहीं की गयी है और न ही निर्माण कार्य रजि0 पर प्रधान/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। तथा उक्त कार्य का स्टीमेट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया है अतः उक्त मिटटी कार्य की पुष्टि नहीं होती है पुष्टि के आभाव में उक्त व्यय संदिग्ध प्रतीत होता है । अतः अंकन रू0 131358.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार व श्री गिरीश सैनी ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 02)

74. ग्राम पंचायत-कौरवा फरीदपुर विकासखण्ड-नागल

प्रस्तर-78

दि0 23.03.20 को ग्राम पंचायत में सी0सी0 निर्माण कार्य ईशम सिंह के मकान से समय सिंह के घर तक किया जाना दर्शित है उक्त कार्य पर रू0 149619.00 का व्यय किया गया हैं। निर्माण कार्य रजि0 उक्त कार्य में अत्याधिक मात्रा में कटिंग/अपरलेखन किया गया है तथा बाद में फलूड लगाकर सही किया गया है जो लेखा नियमों के विपरीत है उक्त व्यय संदिग्ध प्रतीत होता हैं। अतः अंकन रू0 149619.00 की वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री सुखवीर सिंह व प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 01)

प्रस्तर-79

दि0 05.07.19 के बा0न0 के द्वारा ग्राम पंचायत से ग्राम प्रधान को मानदेय रू0 42000.00 का भुगतान माह 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक किया गया हैं। यह भुगतान विगत वर्ष किस कारण नहीं किया गया, लेखा परीक्षा में ज्ञात न हो सका। ग्राम प्रधान जी का मानदेय रजि0 भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा। उक्त भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता हैं। अतः अंकन रू0 42000.00 की वसूली ब्याज सहित श्री प्रमोद कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी से की जानी अपेक्षित हैं। (आपत्ति संख्या 02)

**ग्राम पंचायत जनपद शामली**

**प्रस्तर-1** - ग्राम पंचायत इस्लामपुर घसौली विकास खण्ड- कॉधला में दिनांक 12.12.2019 को रू0 42000 का भुगतान प्रधान श्रीमती राधिका का मानदेय का दिया जाना दर्शित है जहां यह भी उल्लेखनीय है कि माह जोलाई 2019 में मानदेय को रू0 14000 का भुगतान प्रधान को किया गया है। अतः दिसम्बर 2019 तक प्रधान को कुल मानदेय रु0 42000 व 14000 कुल रु0 56000 का भुगतान कर दिया गया है। जबकि अप्रैल 2019 से दिसम्बर 2019 तक 9 माह का मानदेय रु0 3500 प्रतिमाह से रु0 31500 ही होता है। अतः इस प्रकार रु0 24500 का अधिक भुगतान कर दिया गया है। रु0 24500 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राधिका से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति स0 1)

**प्रस्तर 2**- ग्राम पंचायत गंगेरु विकास खण्ड- कॉधला में दिनांक 13.7.2019 को रू0 23065 का भुगतान दीवार पर विज्ञापन लिखाई का अज्ञात को दिया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में भुगतान की पुष्टि में कोई पुष्टि पत्र/बिल/मास्टररोल उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में उक्त किया गया भुगतान अप्रमाणित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रीना तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुशील मलिक से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 1)

**प्रस्तर 3**- ग्राम पंचायत गन्दराऊ विकास खण्ड- कैराना में दिनांक 29.7.2019 को कैशबुक अनुसार प्र0स018 के द्वारा रू0 4777 का व्यय गौशाला में एल0ई0डी0 पर किया जाना दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त व्यय की पुष्टि में कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव में उक्त किया गया व्यय अप्रमाणित रहा। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री अरशद तथा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0 1)

**प्रस्तर 4**- ग्राम पंचायत बुटराडी विकास खण्ड- शामली में लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा जॉच में पाया गया कि पंचायत घर के जीर्णोधार पर किये गया व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक /मास्टररोल आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे। जिस कारण किया गया व्यय अप्रमाणिक/अपुष्ट रहा। जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0स0 | दिनांक | फर्म का नाम एवं विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2.20 | जय प्रकाश भट्टा से सामग्री क्रय | 140286 |
| 2 | 18.2.20 | भारत ट्रेडर्स से सामग्री क्रय | 354855 |
| 3 | 18.2.20 | किसान ट्रेडर्स सामग्री क्रय | 214519 |
| 4 | 19.2.20 | प्रधान करनवीर सिंह | 240000 |
| 5 | 24.2.20 | दीपक कुमार को मजदूरी भुगतान | 160000 |
| 6 | 24.2.20 | तेजपाल को मजदुरी भुगतान | 24800 |

उपरोक्त ग्राम पंचायत में दर्शित व्यय, व्यय प्रमाणक विहीन एवं नियमों की अनदेखी कर किया गया है। इस प्रकार किया गया व्यय ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 में उल्लेखित है कि ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व होगा कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त प्रमाणक एवं नियमों में आपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये एंव खण्ड 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गया व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक उपलब्ध नहीं काराया जाता है तो दर्शाये गयी राशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। उपरोक्त वर्णित प्रावधानो के अनुसार व्यय प्रमाणक, सम्बन्धित पत्रावलीयॉ, मस्टररोल, मापपुस्तिकाए, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, तकनिकि रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं एस्टिमेट आदि में आंकलित किया जाता है। जो उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत अधिभार योग्य है। अतः व्यय की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री करनवीर तथा ग्राम पंचायत सचिव रवि मलिक से बराबर भाग में किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति सं0- 1)

**प्रस्तर- 5**- ग्राम पंचायत बुटराडी विकास खण्ड- शामली में वर्ष 2019-20 में सफाई कार्य पर दिनांक 18.2.20 को अंकन रु 38000.00 व्यय दर्शित है जिसका भुगतान ग्राम प्रधान श्री करनवीर सिंह के खाते मे हस्तानान्तरण हुआ है। जबकि हर ग्राम में सफाई कर्मचारी नियुक्त किये गये है, फिर भी ग्राम प्रधान द्वारा सफाई कार्य कर किये गये व्यय की धनराशि को सीधे अपने खाते

में हस्तानान्तरित किया जो गबन की श्रेणी में आता है। जिससे सम्बन्धित कोई भी पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, विभागीय स्वीकृति आदि लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहे, चुकिं ग्राम निधि से धनराशि का आहरण ग्राम प्रधान तथा ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ही होता है। इस प्रकार दर्शित धनराशि रु0 38000 लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8(क) के अन्तर्गत अपहरण है। तथा अधिभार के योग्य है। जिसके लिये ग्राम पंचायत अधिकारी श्री रवि मलिक एवं ग्राम प्रधान श्री करनवीर उत्तरदायी है। अतः उक्त धनराशि रु0 38000 की वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से संयुक्त रुप सें रु0 19000 ग्राम प्रधान श्री करनवीर तथा रु0 19000 ग्राम पंचायत सचिव रवि मलिक से अध्यावधि ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति स0 2)

# प्रारूप- 4

## जनपद - चंदौली मंडल- वाराणसी

## ग्राम पंचायत

1-ग्राम पंचायत- मन्नापुर विकास खण्ड- नियमताबाद वर्ष-2019-20

प्रस्तर -1

राज्य वित्त कोषबही में निम्न विवरण के अनुसार को प्रशासनिक मद में रु0 61500.00 भुगतान दर्शित है। जिस पर निम्न आपत्तियां है-

| दिनांक | मद | भुगतान जिसे किया गया | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 30.05.2019 | प्रशासनिक व्यय | अज्ञात चेक सं0 199030 | 20000 |
| 18.12.2019 | प्रशासनिक व्यय | श्याम कंस्ट्रक्शन | 21500 |
| 03.03.2020 | प्रशासनिक व्यय | एस0पी0 इण्टरप्राइजेज | 20000 |
| **योग** | | | **61500** |

अ- क्रय हेतु कोटेशन नही लिया गया है न ही फर्म को क्रय आदेश निर्गत है।

आ- क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

इ- क्रय की गयी सामग्री की प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर में दर्ज नही किया गया है और न ही इसे उपयोग हेतु निर्गत किया गया है।

ई- प्रशासनिक व्यय मद में क्रय की सामग्री की आवश्यकता या मांग पत्र सम्बन्धी विवरण उपलब्ध नही रहा।

उ- श्याम कंस्ट्रक्शन व एस0पी0 इण्टरप्राइजेज जैसे बिल्डिंग मैटिरियल फर्मों से क्या सामग्री क्रय की गयी इसका कोई उल्लेख नही है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 - ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण के बिन्दु 8 में स्पष्ट रुप से अंकित है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त के अभाव में लेखा परीक्षा में प्रशासनिक व्यय पर दर्शित व्यय अपहरण की श्रेणी में है जिसके प्रति तत्कालीन प्रधान श्री अरविन्द कुमार सिंह एवं सचिव श्री संजय शर्मा उत्तरदायी रहे जिनसे संयुक्त रुप से रु0 61500.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

2-ग्राम पंचायत- बखरा

विकास खण्ड- नियमताबाद

वर्ष-2019-20

प्रस्तर -2

ग्राम पंचायत - बखरा , क्षेत्र पंचायत - नियंताबाद , जनपद -चंदौली की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा मे निम्न गंभीर प्रकरण उद्घाटित किये गए जिसके प्रति विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है -

वर्ष 2019-20 की कोषबही मे ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्य हेतु रु 436024.00 की निर्माण कार्य सामग्री (इंटरलॉकिंग ईंट ,सिमेन्ट ,मोरंग ,बालू ,ह्यूम पाइप ,टाइल्स इत्यादि ) निम्न विवरण के अनुसार क्रय दर्शित है -

| दिनांक | दर्शित निर्माण कार्यों का नाम | भुगतान की गयी राशि |
|---|---|---|
| 26.06.2019 | प्रा0 स्कूल मे फर्श ,छत मरमत्त ,टाइल्स कार्य पर सामग्री | 59500 |
| 28.02.2020 | 2-लालजी के मकान से नाली तक साइड वाल व इंटरलॉकिंग कार्य | 203858 |
| 28.02.2020 | पंचम के मकान से रामजी के खेत तक इंटरलॉकिंग कार्य | 172666 |
| | योग | 436024 |

उक्त क्रय पर निम्न आपत्तियां हैं -

(अ) क्रय संबंधी कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा जिसके अभाव मे सम्पूर्ण धनराशि अपहरण की श्रेणी मे आती है ।

(आ) स्टॉक रजिस्टर मे किसी भी सामग्री की प्रविष्टि दर्ज नहीं है ।

(इ) क्रमांक 2 व 3 पर अंकित कार्य वर्ष पर्यन्त कराया ही नहीं गया क्यूँ कि इन कार्यों पर मजदूरी की देनदारी दर्शित नहीं है लेखा परीक्षा मे पृच्छा किये जाने पर कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला क्यूँकि अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 मे भी लेखा परीक्षा की तिथि तक इन कार्यों पर कोई मजदूरी भुगतान दर्शित नहीं है अर्थात क्रय की गयी दर्शित सामग्री का उपयोग प्रमाणित नहीं किया जा सका और न ही यह स्टॉक मे अवशेष है यह भुगतान टेन्डर आमंत्रण एवं वित्तीय नियमों के पालन किये बिना ही किया गया है

(ई) भुगतान की गयी राशि की स्वीकृति ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य समिति द्वारा नहीं लिया गया है ।

(उ) किसी भी कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति नहीं ली गयी है।

(ऊ) क्रमांक 1 पर अंकित भुगतान की गयी धनराशि कोषबही मे सामग्री क्रय दर्शित है जबकि ई -ग्राम स्वराज पोर्टल पर मजदूरी भुगतान दर्शित है जो भुगतान को संदिग्ध बनाता है बैंक स्टेटमेंट के अनुसार यह भुगतान चेक सं0 100203.00 द्वारा सी टी एस क्लीरिंग से दर्शित है जो किसी फर्म या दुकान को भुगतान किये जाने की पुष्टि नहीं करता है किसी भी कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं रहा यह भुगतान कोटेशन आमंत्रण एवं वित्तीय नियमों के पालन किये बिना ही किया गया है।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक मे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य कराया ही नहीं गया और सामग्री क्रय पर भुगतान दर्शित कर रु0 436024.00 के राजकीय अनुदान की क्षति की गयी जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री राजेश्वर पाल संयुक्त रूप उत्तरदायी रहे ,जिनसे धनराशि की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है ।

प्रस्तर -3

वर्ष 2019-20 की कोषबही के अनुसार हैन्डपम्प मरम्मत पर व्यय दिनांक 03.04.2019 को रु 12500.00 दर्शित है जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा हैन्डपम्प मरम्मत योग्य होने एवं ठीक कराए जाने का कोई तकनीकी रिपोर्ट अनुपलब्ध रहा हैन्डपम्प मे निकाले गए खराब पार्ट्स की स्टॉक रजिस्टर मे प्रविष्टि दर्ज नहीं है कितने हैन्डपम्प और कहाँ -कहाँ मरम्मत किये गए इसका भी कोई लेखा उपलब्ध नहीं रहा ई - ग्राम स्वराज पोर्टल पर व्यय का उल्लेख नही रहा।

उपरोक्त न्यूनताओ के कारण हैन्डपम्प मरम्मत पर दर्शित व्यय रु 12500.00 पुष्ट नहीं होता है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री राजेश्वर पाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे, जिनसे धनराशि की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है ।

प्रस्तर -4

वर्ष 2019-20 की कोषबही मे ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों पर निम्न विवरण के अनुसार रु0 66950.00 मजदूरी भुगतान दर्शित है -

| दिनांक | कार्य जिन पर मजदूरी भुगतान दर्शित है | भुगतान की गयी धनराशि |
|---|---|---|
| 26.06.2019 | प्रा0 स्कूल मे फर्श ,छत मरम्मत ,टाइल्स कार्य पर मजदूरी | 12800 |
| 26.06.2019 | प्रदीप की बाउंड्री से महादेव के मकान तक इंटरलॉकिंग व सीवर कार्य | 26250 |
| 26.06.2019 | साहुपुरी पिच रोड से शिवमुरत महादेव के मकान तक इंटरलॉकिंग कार्य | 27900 |
| | योग | 66950 |

उपरोक्त मजदूरी भुगतान पर निम्न आपत्तियां हैं -

(अ) मजदूरी भुगतान संबंधी कोई मस्टर रोल अथवा प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा जिसके अभाव मे सम्पूर्ण धनराशि अपहरण की श्रेणी मे आता है ।

(आ) भुगतान की गयी धनराशि की स्वीकृति ग्राम पंचायत के निर्माण कार्य समिति द्वारा नहीं लिया गया है ।

(इ) किसी भी कार्य की कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं रहा ।

(ई) किसी भी कार्य की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति संबंधी कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं रहा ।

उपरोक्त आपत्तियों के आलोक मे स्पष्ट है की ग्राम पंचायत द्वारा कोई कार्य कराया ही नहीं गया और मजदूरी पर भुगतान दर्शित केर रु 66950.00 के राजकीय अनुदान की क्षति की गयी जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर एवं पंचायत सचिव श्री राजेश्वर पाल संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे जिनसे धनराशि की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर -5

वर्ष 2019-20 की कोशबही के अनुसार प्रशासनिक व्यय टेन्डर,फोटोस्टेट,फोटोग्राफ व पेपर आदि पर व्यय दिनांक 28.02.2020 को रु 21000.00 दर्शित है जिसका प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा कोटेशन आमंत्रण एवं वित्तीय नियमों के पालन किये बिना ही भुगतान किया गया है अवलोकनीय है कि टेन्डर,फोटोस्टैट,फोटोग्राफ व पेपर आदि एक फर्म से क्रय नहीं हो सकते फिर भी एक ही फर्म को भुगतान दर्शित पर राजकीय अनुदान की क्षति की गयी और धनराशि का गबन केर लिया गया क्यूँकि टेन्डर की प्रक्रिया का पालन अभिलेखों से पुष्टि नहीं होता है इस क्षति के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर,एवं पंचायत सचिव श्री राजेश्वर पाल संयुक्त रूप उत्तरदायी रहे जिनसे धनराशि की वसूली ब्याज सहित अपेक्षित है।

**3**-ग्राम पंचायत- रोहणा

विकास खण्ड- नियमताबाद

वर्ष-2019-20

प्रस्तर-**6**

ग्राम पंचायत की कोष बही में धरमू के घर से कालेश्याम के मकान तक इण्टरलाकिंग कार्य पर मैटिरियल क्रय मद में दिनांक 18.03.2021 को रु0 216000.00 व्यय दर्शित किया गया है जिसका प्रमाणक उपलब्ध नही रहा। इसके अतिरिक्त क्रय सामग्री का स्टाक लेखा नही रखा गया है। स्टीमेट, एम0बी0, परिसम्पत्ति पंजिका भी उपलब्ध नही रहा। इन कारणों से क्रय की पुष्टि नही होती है। इस कार्य हेतु टेण्डर आमन्त्रित नही किया गया है। इस कार्य पर वर्ष पर्यन्त मजदूरी भुगतान नही किया गया है।

पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 ''ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण'' के विन्दु 8 में स्पष्ट रुप से अंकित है ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।

उपरोक्त न्यूनताओं एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव में स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 216000.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर0बी0 यादव द्वारा किया गया है। जिनसे रु0 216000.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**4**-ग्राम पंचायत- महदीउर

विकास खण्ड- नियमताबाद

वर्ष-2019-20

प्रस्तर -7

ग्राम पंचायत कि कोषबही मे दुर्गा मंदिर से नहर के पुल तक खड़ंजा कार्य पर निम्नानुसार रु0 276390.00 व्यय दर्शित किया गया है -

| दिनांक | मद | धनराशि |
|---|---|---|
| 23.01.2020 | सामग्री क्रय | 232000 |
| 28.01.2020 | मजदूरी | 44390 |
| योग | - | 276390 |

उक्त रु0 250000.00 से अधिक के कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति नहीं ली गयी है । प्रमाणक भी उपलब्ध नहीं रहा । इसके अतिरिक्त क्रय सामग्री का स्टॉक लेखा नहीं रखा गया है। स्टीमेट ,एम0 बी0, परिसंपत्ति पंजिका भी उपलब्ध नहीं रहा। इन

कारणों से क्रय  की पुष्टि नहीं होती है । इस कार्य हेतु टेन्डर आमंत्रित नहीं किया गया है । इन कारणों से कार्य कि पुष्टि नहीं होती है ।

पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण” के बिन्दु 8 मे स्पष्ट रूप से अंकित है “ यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर  उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि कि वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटेरी ग्राम पंचायत से की जाएगी । वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय मे चलाया जा सकेगा । “

उपरोक्त न्यूनताओ एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव मे स्पष्ट है की दर्शित व्यय रु0 276390.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुभावती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर0बी0 यादव द्वारा किया गया है । जिनसे रु0 276390.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**5**-ग्राम पंचायत- हसनपुर
विकास खण्ड- नियमताबाद
वर्ष-2019-20
प्रस्तर-**8**

**ग्राम पंचायत की कोष बही में निम्न विवरण के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है जिसका प्रमाणक उपलब्ध नही रहा-**

| दिनांक | मद | धनराशि |
|---|---|---|
| **23.02.21** | हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री | **19390** |
| **23.02.21** | हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी | **19390** |
| | | **38780** |

ग्राम पंचायत में विभिन्न स्थलों पर में हैण्डपम्प मरम्मत एवं रिबोर हेतु व्यय की या गया है किन्तु उक्त कार्य से सम्बन्धित प्रमाणक व पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया है। स्टाक रिजस्टर नही रखा गया है। हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर से प्राप्त खराब सामग्री का विवरण अप्राप्त रहा। हैण्डपम्प खराब होने अथवा मरम्मत/रिबोर के बाद ठीक होने का कोई तकनीकी रिपोर्ट उपलब्ध नही रहा। जल प्रबन्धन समिति/निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति भी नही रही इसलिये हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर कराये जाने की पुष्टि किसी भी स्तर से न की जा सकी।

पंचायत राज विभाग उ0 प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 “ग्राम पंचायतों के अभिलेखों का संप्रेक्षण” के विन्दु 8 में स्पष्ट रुप से अंकित है “यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सेक्रेटरी ग्राम पंचायत से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। “

उपरोक्त न्यूनताओं एवं निर्धारित व्यवस्था के परिपालन के अभाव में स्पष्ट है कि दर्शित व्यय रु0 38780.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आर**0**बी**0** यादव द्वारा किया गया है। जिनसे रु0 38780.00 की वसूली ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**6**-ग्राम पंचायत- खास
विकास खण्ड- शहाबगंज
वर्ष-2019-20
प्रस्तर-**9**

हैन्डपम्प के मरम्मत/ रिबोर पर निम्नांकित विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है -

| क्र 0संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| .1 | 2019-07-29 | 75000.00 | विंध्यवासिनी इंटरप्राइजेज को |
| .2 | 2019-07-29 | 84750.00 | विंध्यवासिनी इंटरप्राइजेज को |
| .3 | 2020-03-07 | 49000.00 | --------------- |
| | योग | 208750.00 | |

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत हैं -

क- हैन्डपम्प कौन कौन से खराब है, इससे संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं है, कौन कौन से हैन्डपम्प खराब है, जिन्हे रिबोर किये जाने कि आवश्यकता है, से संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं है, या हैन्डपम्प कि आवश्यकता के संबंध मे जांच रिपोर्ट नहीं है ।

ख- हैन्डपम्प खराब होने कि पुष्टि मे जल प्रबंधन समिति कि संस्तुति / सत्यापन रिपोर्ट नहीं है ।

ग- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध है ।

घ- भुगतान प्रमाणक " पैड एण्ड कैंसिल्ड " नहीं है ।

ङ- स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही ।

च- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान मे लेते हुये दर्शित व्यय रु0 208750.00 लेखा परीक्षा मे अनियमित आकलित की जाती है, जिसके लिये ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा देवी एवं सचिव श्री जैनेन्द्र कुमार राव उत्तरदायी हैं, आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

**7**-ग्राम पंचायत- सारिंगपुर
विकास खण्ड- शहाबगंज
वर्ष-2019-20
<u>प्रस्तर-**10**</u>

**1-** हैण्डपम्पों के मरम्मत/रिबोर पर निम्नांकित विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है -

| क्र 0संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| .1 | 2019-04-24 | 5000.00 | ---------------- |
| .2 | 2019-05-14 | 30000.00 | ---------------- |
| .3 | 2019-05-24 | 30000.00 | --------------- |
| .4 | 2019-06-07 | 150000.00 | ---------------- |
| .5 | 2020-01-20 | 55980.00 | --------------- |
| .6 | 2020-02-20 | 17800.00 | --------------- |
| | योग== | 153780.00 | |

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत हैं -

क- हैन्डपम्प कौन कौन से खराब है, इससे संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं है, कौन कौन से हैन्डपम्प खराब है, जिन्हे रिबोर किये जाने कि आवश्यकता है, से संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं है, या हैन्डपम्प कि आवश्यकता के संबंध मे जांच रिपोर्ट नहीं है ।

ख- हैन्डपम्प खराब होने कि पुष्टि मे जल प्रबंधन समिति कि संस्तुति / सत्यापन रिपोर्ट नहीं है ।

ग- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध है ।

घ- भुगतान प्रमाणक " पैड एण्ड कैंसिल्ड " नहीं है ।

ङ- स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही ।

च- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान मे लेते हुये दर्शित व्यय रु0 153780.00 लेखा परीक्षा मे अनियमित आकलित की जाती है, जिसके लिये ग्राम प्रधान श्री गोपाल एवं सचिव श्री मुरली श्याम उत्तरदायी है, आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

**8**-ग्राम पंचायत- मसोई
विकास खण्ड- शहाबगंज
वर्ष-2019-20
<u>प्रस्तर-**11**</u>

ग्राम प्रधानों के मानदेय भुगतान से संबंधित पंजिका नहीं बनाया गया है । पंजिका के अभाव में मानदेय बकाया होने कि स्थिति अस्पष्ट रही । दिनांक 24.07.2019 को ग्राम प्रधान को मार्च 2017 से जून 2019 तक 28 माह के लिए कुल रु0 98000.00 मानदेय का भुगतान एक साथ किया गया है । प्रधान द्वारा मानदेय कि प्राप्ति एवं सचिव द्वारा मानदेय का भुगतान समय से नहीं किया जाना लेखा परीक्षा मत मे अनियमित है । इस प्रकार रु0 98000.00 की अनियमितता के लिए प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं सचिव श्री अयूब अहमद उत्तरदायी है । समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर-12

ग्रामनिधि प्रथम के कैशबुक में निम्नांकित विवरण के अनुसार हैन्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है:-

| **क्रम संख्या** | **दिनांक** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| (1) | 02-08-2019 | 23000.00 | ग्राम-पंचायत मसोई में हैन्ड पम्प रिबोर कार्य वास्ते सामग्री |
| (2) | 20-02-2020 | 39480.00 | उपरोक्त |
| (3) | 20-02-2020 | 50844.00 | उपरोक्त |
| (4) | 29-07-2019 | 20000.00 | हैन्ड पम्प मरम्मत पर सामग्री |
| | **योग:-** | **133324.00** | |

उपरोक्त दर्शित व्ययों पर आपत्तियाँ निम्नानुसार है:-

(क)-दर्शित कार्य का क्रय प्रमाणक नहीं है| कैशबुक में उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान नहीं दर्शाया गया है,एवं न ही मजदूरी का मस्टर रोल उपलब्ध है|

(ख)-हैन्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है|

(ग)-दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट,निरीक्षण रिपोर्ट,कार्य पूर्ति प्रमाण-पत्र एवं उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध है|

(च)-स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है,जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य सामग्री (स्क्रैप)के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही|

(छ)- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है|

(ज)-कार्य प्रभारी की नियुक्ति तथा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य के संतोषप्रद होने की रिपोर्ट नहीं है|

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दर्शित व्यय के पुष्टीकारक अभिलेख नहीं हैं|अतः दर्शित समस्त भुगतान रु०**133324.00** लेखापरीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी अद्यावधि ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं सचिव श्री अयूब अहमद से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर-13

ग्रामनिधि प्रथम के कैशबुक में निम्नांकित विवरण के अनुसार हैन्डपम्प रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है:-

| **क्रम संख्या** | **दिनांक** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|
| (1)- | 03-03-2020 | 69560.00 | प्रा० वि० गोविन्दपुर,सुदर्शन खरवार,सुरेन्द्र सिंह व अरुण सिंह के घर के पास हैन्ड पम्प कार्य पर मजदूरी| |

उपरोक्त दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नवत है:-

(क)-दर्शित कार्य के मजदूरी का मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है| उपरोक्त कार्य हेतु सामग्री क्रय नहीं किया गया है| बिना किसी सामग्री के रिबोर कार्य संभव नहीं है|

(ख)-हैन्ड पम्प खराब होने की पुष्टि में जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/सत्यापन रिपोर्ट नहीं है|

(ग)-दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट,निरीक्षण रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध है|

(च)-स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है,जिससे निष्प्रयोज्य सामग्री (स्क्रैप)के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही|

(छ)-कार्य प्रभारी की नियुक्ति तथा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य के संतोषप्रद होने की रिपोर्ट नहीं है|

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की दर्शित व्यय के पुष्टीकारक अभिलेख नहीं हैं|अतः दर्शित समस्त भुगतान रु०**69560.00** लेखापरीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी अद्यावधि ब्याज सहित वसूली प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं सचिव श्री अयूब अहमद से की जानी अपेक्षित है|

प्रस्तर-14

ग्राम-निधि प्रथम के कैशबुक में मसोई में बनारसी सिंह के घर से तालाब तक पक्की नाली निर्माण कार्य पर दिनांक 30-07-2019 को रु० 10150.00 मजदूरी भुगतान दर्शाया गया है| इस दर्शित व्यय पर आपत्तियां निम्नानुसार है:-

(क)-दर्शित कार्य के  मजदूरी का मस्टर रोल उपलब्ध नहीं है| उपरोक्त कार्य हेतु ईंट,सिमेन्ट, बालू इत्यादि सामग्री क्रय नहीं किया गया है| बिना सामग्री के पक्की नाली निर्माण कार्य संभव नहीं है|

(ख)-उपरोक्त कार्य हेतु निर्माण समिति की संस्तुति रिपोर्ट नहीं है|

(ग)-नाली निर्माण से पूर्व का,कार्य  करते हुए श्रमिकों का एवं कार्य सम्पन्न हो जाने  के पश्चात का फोटोग्राफ पत्रावली में संलग्न नहीं है|

(घ)-उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव,स्टीमेट,निर्माण समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाणक नहीं है|  (च)-दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट,निरीक्षण रिपोर्ट एवं  उपभोग प्रमाण-पत्र अनुपलब्ध है|  (छ)-कार्य प्रभारी की नियुक्ति तथा कार्य सम्पन्न होने के पश्चात कार्य के संतोषप्रद होने की रिपोर्ट नहीं है|

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है की दर्शित व्यय के पुष्टीकारक अभिलेख नहीं हैं|अतः दर्शित  भुगतान रु०**10150.00** लेखापरीक्षा में फर्जी आंकलित की जाती है,जिसकी अद्यावधि ब्याज सहित  वसूली प्रधान श्री ओम प्रकाश एवं सचिव श्री अयूब अहमद से की जानी अपेक्षित है|

**9-** ग्राम पंचायत - फतेहपुर कलाँ,

विकास क्षेत्र -चंदौली

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर-1**5**

कोषबही के अनुसार दिनांक 24.03.2020 को रु0 42300.00 प्रशासनिक मद पर भुगतान किया गया है  उपरोक्त दर्शित व्यय की पुष्टि मे संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा एवं कोषबही मे दर्शित प्रशासनिक व्यय का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है ।

उक्त तथ्यों के आधार पर रु0 42300.00 लेखा परीक्षा मे अपहृत आंकलित की जाती है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती चिंता देवी एवं सचिव श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है ।

**10-**ग्राम पंचायत - भलुआ भिलौड़ी

विकास क्षेत्र -चकिया

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -16

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा धन ग्राम पंचायत मे विकास कार्य हेतु एक निश्चित समय के अंतर्गत दिया जाता है। ग्राम पंचायत भलुआ भिलौड़ी द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार 44 कार्य योजनाए बनाई गई थी, किंतु ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा पूरे वर्ष कोई कार्य न कर विकास कार्य को बाधित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 मे प्रारम्भिक अवशेष रु0 3453036.69 तथा वर्ष प्राप्ति रु0 1024974.00 रहा।  अतः कुल अनुदान रु0 447810.69 प्राप्त हुआ जिसमे रु0 4319064.00 के परफार्मेन्स ग्रांट की धनराशि को अनियमित रूप से शासन को वापस कर दिया गया।

शेष धनराशि रु0 158946.69 को भी अनियमित रूप से रोके रख कर वित्तीय वर्ष 2019-20 मे कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश जैसवाल व सचिव श्री प्रदीप दोनों उत्तरदायी है। इनके विरूद्ध  विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 17

कोषबही मे परफार्मेन्स ग्रांट की शासन को वापसी के रूप मे रु0 4319064.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा मे बताया गया कि गत वर्षों मे अनियमित रूप से बैंक खाते मे प्राप्त परफार्मेन्स ग्रांट को शासन को वापस किया गया किन्तु इससे संबंधित कोई भी अभिलेख, आदेश या अन्य कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया जा सका । बिना किसी आदेश, निर्देश के रु0 4319064.00 शासन को वापस कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश जैसवाल व सचिव श्री प्रदीप दोनों उत्तरदायी है। इनके विरूद्ध  विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**11-**ग्राम पंचायत - गौरी

विकास क्षेत्र - चकिया

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -18

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा धन ग्राम पंचायत मे विकास कार्य हेतु एक निश्चित समय के अंतर्गत दिया जाता है। ग्राम पंचायत गौरी द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार 24 कार्य योजनाएं बनाई गई थी, किंतु ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा पूरे वर्ष कोई कार्य न कर विकास कार्य को बाधित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 मे प्रारम्भिक अवशेष रु0 1050446.92 तथा वर्ष में प्राप्ति रु0 1110576.00 रहा। अतः कुल अनुदान रु0 2161022.92 प्राप्त हुआ जिसमे रु0 1972613.00 के परफार्मेन्स ग्रांट की धनराशि को अनियमित रूप से शासन को वापस कर दिया गया।

शेष धनराशि रु0 188409.92 को भी अनियमित रूप से रोके रख कर वित्तीय वर्ष 2019-20 मे कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी व सचिव श्री वरुण सिंह दोनों उत्तरदायी है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 19

कोषबही मे परफार्मेन्स ग्रांट की शासन को वापसी के रूप मे रु0 1972613.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा मे बताया गया कि गत वर्षो मे अनियमित रूप से बैंक खाते मे प्राप्त परफार्मेन्स ग्रांट को शासन को वापस किया गया किन्तु इससे संबंधित कोई भी अभिलेख, आदेश या अन्य कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया जा सका । बिना किसी आदेश, निर्देश के रु0 1972613.00 शासन को वापस कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी व सचिव श्री वरुण सिंह दोनों उत्तरदायी है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**12-**ग्राम पंचायत - लालपुर

विकास क्षेत्र -चकिया

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -20

केंद्र या राज्य सरकार द्वारा धन ग्राम पंचायत मे विकास कार्य हेतु एक निश्चित समय के अंतर्गत दिया जाता है। ग्राम पंचायत लालपुर द्वारा ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर फीडिंग के अनुसार 21 कार्य योजनाए बनाई गई थी, किंतु ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम प्रधान द्वारा पूरे वर्ष कोई कार्य न कर विकास कार्य को बाधित किया गया।

वित्तीय वर्ष 2019-20 मे प्रारम्भिक अवशेष रु0 5345468.19 तथा वर्ष प्राप्ति रु0 1383652.00 रहा। अतः कुल अनुदान रु0 6729120.19 प्राप्त हुआ जिसमे रु0 6512371.00 के परफार्मेन्स ग्रांट की धनराशि को अनिमित रूप से शासन को वापस कर दिया गया।

शेष धनराशि रु0 216749.19 को भी अनियमित रूप से रोके रख कर वित्तीय वर्ष 2019-20 मे कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश द्विवेदी व सचिव श्री श्रीचन्द दोनों उत्तरदायी है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 21

कोशबही मे परफ़ॉर्मेंस ग्रांट की शासन को वापसी के रूप मे रु0 6512371.00 दर्शित है। लेखा परीक्षा मे बताया गया कि गत वर्षो मे अनियमित रूप से बैंक खाते मे प्राप्त परफार्मेन्स ग्रांट को शासन को वापस किया गया किन्तु इससे संबंधित कोई भी अभिलेख, आदेश या अन्य कोई प्रपत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया जा सका । बिना किसी आदेश, निर्देश के रु0 6512371.00 शासन को वापस कर गंभीर अनियमितता की गयी जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेश द्विवेदी व सचिव श्री श्रीचन्द दोनों उत्तरदायी है। इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**13-**ग्राम पंचायत - कुदरा

विकास क्षेत्र -चकिया

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -22

ग्राम पंचायत कुदरा मे राजेन्द्र दुबे के घर से प्राथमिक विद्यालय कुदरा मे खड़ंजा मरम्मत हेतु सामग्री पर रु0 65842.00 का भुगतान वी. के. इन्टरप्राइजेज को किया गया, इसी कार्य पर मजदूरी हेतु रु0 12740.00 का भुगतान किया, जिसमे बिन्दुवार आपत्तियां निम्नवत है-

1- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक विकास कार्य योजना लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रही।

2- रु0 20000 से ऊपर क्रय हेतु कोटेशन के प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रवधानित है, परंतु कोटेशन आमंत्रित किये बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है।
3- वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
4- क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक पंजिका मे करना अनिवार्य है, परंतु लेखा परीक्षा मे अद्यतन क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक पंजिका में कर प्रस्तुत नहीं किया गया।
5- सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर मे ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन कराए गए कार्यों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है जिससे इस बात कि पुष्टि हो लेखा परीक्षा मे संपादित कार्य नवीन और पहले नहीं कराया गया है, रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।
6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
7- बिल वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे कार्य की पुष्टि नहीं होती ।
8- मस्टररोल पर न तो कार्य प्रारंभ/ समाप्ति कि तिथि का अंकन और ना ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन था ।

इस प्रकार रु0 78582.00 का अपहरण किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार और ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी समान रूप से उत्तरदायी हैं ।

अतः तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार और ग्राम प्रधान श्रीमती अनीता देवी से रु0 78582.00 के अपहृत धन की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

**14-**ग्राम पंचायत - मैनपुर
विकास क्षेत्र -चकिया
वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -23

ग्राम पंचायत मैनपुर कि वित्तीय वर्ष 2019-20 मे हैन्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु रु0 60000.00 का भुगतान वी. के. इन्टरप्राइजेज को किया गया, जिसमे बिन्दुवार आपत्तियां निम्नवत है-

1- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक विकास कार्य योजना लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रही।
2- रु0 20000 से ऊपर क्रय हेतु कोटेशन के प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रावधानित है, परंतु कोटेशन आमंत्रित किये बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है।
3- वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
4- क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक पंजिका मे करना अनिवार्य है, परंतु लेखा परीक्षा मे अद्यतन क्रय सामग्री का अंकन कर प्रस्तुत नहीं किया गया।
5- सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर मे ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन कराए गए कार्यों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है जिससे इस बात कि पुष्टि हो लेखा परीक्षा मे संपादित कार्य नवीन और पहले नहीं कराया गया है, रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।
6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
7- लेखा परीक्षा में हैन्डपम्प मरम्मत के पुराने व निष्प्रयोज्य वस्तुओं कि सूची उपलब्ध नहीं कराई ।
8- व्यय प्रमाणक/ वाउचर पर फर्म का जी0एस0टी0 नंबर नहीं पाया गया।

अतः रु0 60000.00 का दुर्विनयोग किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार और ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा देवी समान रूप से उत्तरदायी है । जिनसे रु0 60000.00 की ब्याज सहित बराबर- बराबर वसूली अपेक्षित है ।

**15-**ग्राम पंचायत - मुडहुआ उत्तरी
विकास क्षेत्र -चकिया
वर्ष - 2019-2020
प्रस्तर -24

ग्राम पंचायत मुडहुआ उत्तरी के वित्तीय वर्ष 2019-20 मे हैन्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु रु0 98000.00 का भुगतान किया गया, जिसमे बिन्दुवार आपत्तियां निम्नवत है-

1- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक विकास कार्य योजना लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रही।
2- वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
3- क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक पंजिका मे करना अनिवार्य है, परंतु लेखा परीक्षा मे अद्यतन क्रय सामग्री का अंकन कर प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- रु0 20000 से लेकर 100000 तक की सामग्री क्रय के लिए कोटेशन अनिवार्य है, परंतु कोटेशन आमंत्रित किये बिना हैण्डपम्प मरम्मत का  कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया।
5- लेखा परीक्षा मे हैण्डपम्प मरम्मत के निष्प्रयोज्य वस्तुओ कि सूची उपलब्ध नहीं कराई ।
6- परिसंपत्ति रजिस्टर मे विगत वर्षों से अब तक कराए गए कार्यों का उल्लेख रहता है जिससे एक ही कार्य को बार-बार दिखाकर पैसा के अपहरण कि संभावना को न्यूनतम किया जा सके परंतु लेखा परीक्षा मे परिसंपत्ति रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराई गई ।
7- बिल/ वाउचर पर जी0एस0टी0 नंबर का अंकन नहीं पाया गया जो कि अस्वीकार है ।
8- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः रु0 98000.00 का अपहरण किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार और ग्राम प्रधान सचिव श्री सूर्य प्रकाश समान रूप से उत्तरदायी है, जिनसे रु0 98000.00 की ब्याज सहित बराबर- बराबर  वसूली अपेक्षित है ।

**16-**ग्राम पंचायत - मुजफ्फरपुर
विकास क्षेत्र -चकिया
<u>वर्ष - 2019-2020</u>

.

प्रस्तर -25

ग्राम पंचायत मुजफ्फरपुर के वितीय वर्ष 2019-20 मे राजकुमार के घर के पास  हैन्डपम्प रिबोर कार्य पर रुद्र इन्टरप्राइजेज को चेक संख्या 02606 दिनांक 21.06.2019 द्वारा रु0 225000.00 का भुगतान किया गया, जिससे संबंधित निम्नलिखित आपत्तिजनक विषय प्रकाश मे आए-

1- ग्राम पंचायत द्वारा किन स्थानों पर हैन्डपम्प रिबोर कराया जाना है इसकी कोई प्रमाणित प्रतीक्षा सूची लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयी ।
2- कार्य की वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति की पुष्टि हेतु कोई अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे ।
3- व्यय की गई सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
4- क्रय की गई सामग्री स्टॉक रजिस्टर मे दर्ज नहीं की गई ।
5- हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी भुगतान की पुष्टि में मस्टर रोल ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है तथा मजदूरी भुगतान का चेक किसके नाम से निर्गत हुआ इसका भी उल्लेख नहीं है इससे सन्निहित मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं होती।
6- सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर मे ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन कराए गए कार्यों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है जिससे इस बात कि पुष्टि हो कि लेखा परीक्षा वर्ष मे संपादित कार्य नवीन है और पहले नहीं कराया गया है, रजिस्टर अपूर्ण पाया गया ।
7- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस प्रकार रु0 225000.00 का अपहरण किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अशोक कुमार और ग्राम प्रधान श्री त्रिदेव समान रूप से उत्तरदायी हैं, जिनसे रु0 225000.00 की ब्याज सहित   वसूली अपेक्षित है ।

**17-**ग्राम पंचायत - पंचदेउरा
विकास क्षेत्र -सकलडीहा
<u>वर्ष - 2019-2020</u>
प्रस्तर -26
आलोच्य वर्ष मे राजू के घर से पूजन के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य पर पटिया पर मजदूरी भुगतान पर रु0 55244.00 का व्यय कैशबुक मे दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि मे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुछेद 8(क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 55244.00 का अपहरण किया गया है । अतः धनराशि रु0 27622.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री दुर्गेश सिंह एवं रु0 27622.00 कि वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती शीला से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित  है ।

**18-**ग्राम पंचायत - कटसिल
विकास क्षेत्र - सकलडीहा
<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -27

आलोच्य वर्ष मे सोलर लाइट पर रु0 235400.00 का व्यय कैशबुक मे दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि मे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुछेद 8(क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 235400.00 का अपहरण किया गया है । अतः धनराशि रु0 117700.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री दुर्गेश सिंह एवं रु0 117700.00 कि वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मंजू से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

**19-**ग्राम पंचायत - बरंगा

विकास क्षेत्र - सकलडीहा

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -28

2019-2020 वर्ष मे 10 नग सोलर लाइट की स्थापना पर भुगतान रु0 214000.00 का व्यय कैशबुक मे दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि मे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुछेद 8(क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 214000.00 का अपहरण किया गया है । अतः धनराशि रु0 107000.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री दुर्गेश सिंह एवं रु0 107000.00 कि वसूली ग्राम प्रधान श्री बुद्धिराम से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

**20-**ग्राम पंचायत - मधुबन

विकास क्षेत्र - सकलडीहा

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -29

2019-2020 वर्ष मे सोलर लाइट पर रु0 107000.00 का व्यय कैशबुक मे दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि मे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुछेद 8(क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 107000.00 का अपहरण किया गया है । अतः धनराशि रु0 53500.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री दुर्गेश सिंह एवं रु0 53500.00 कि वसूली ग्राम प्रधान श्री रमवती से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

**21-**ग्राम पंचायत - नरायनपुर

विकास क्षेत्र - सकलडीहा

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -30

2019-2020 वर्ष मे इन्टरलाकिंग पर भुगतान रु0 187904.00 का व्यय कैशबुक मे दर्शित किया गया है। जिसकी पुष्टि मे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक, स्टाक रजिस्टर, वित्तीय स्वीकृति संबंधी अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया ।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुछेद 8(क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रु0 187904.00 का अपहरण किया गया है । अतः धनराशि रु0 93952.00 की वसूली ग्राम पंचायत/ विकास अधिकारी श्री दुर्गेश सिंह एवं रु0 93952.00 कि वसूली ग्राम प्रधान श्री साहब राजभर से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।

**22-**ग्राम पंचायत - बुद्धपुर

विकास क्षेत्र - धानापुर

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -31

ग्राम पंचायत बुद्धपुर वित्तीय वर्ष 2019-20 मे दीना कहार के घर से राजेन्द्र के घर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य कराया गया जिसमे कुल 50385.00 का व्यय की या गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्रम संख्या | व्यय का प्रकार | फर्म का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | मिट्टी क्रय | राहुल इन्टरप्राइजेज | रु0 3661.00 |
| 2 | ईंट क्रय | मे0 खान ईंट भट्ठा | रु0 36960.00 |
| 3 | मजदूरी | | रु0 9764.00 |
| | | **कुल धनराशि** | **रु0 50385.00** |

उक्त निर्माण कार्य मे निम्नलिखित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश मे आए-

1- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक विकास कार्य योजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयी ।
2- रु0 20000 से ऊपर क्रय हेतु कोटेशन के प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रवधानिक है, परंतु कोटेशन आमंत्रित किये बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है।
3- वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
4- क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक पंजिका मे करना अनिवार्य है, परंतु लेखा परीक्षा मे अद्यतन क्रय सामग्री का अंकन कर प्रस्तुत नहीं किया गया।
5- मस्टररोल पर न तो कार्य प्रारंभ समाप्ति की तिथि का अंकन था और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित था ।
6- सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर मे ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन कराए गए कार्यों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है जिससे इस बात कि पुष्टि हो कि लेखा परीक्षा वर्ष मे संपादित कार्य नवीन है और पहले नहीं कराया गया है, रजिस्टर अपूर्ण पाया गया।
7- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः रु0 50385.00 के वित्तीय अनियमितता के लिए ग्राम सचिव श्री इंद्रजीत प्रसाद व ग्राम प्रधान श्रीमती कमली देवी समान रूप से उत्तरदायी है, विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**23-**ग्राम पंचायत - नौरंगाबाद

विकास क्षेत्र - धानापुर

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -32

ग्राम पंचायत नौरंगाबाद के वित्तीय वर्ष 2019-20 मे रामजीत के घर के पास कूप मरम्मत एवं जगत निर्माण कार्य पर कुल रु0 37024.00 व्यय की ये गए, जिसमे रु0 27600.00 सामग्री पर तथा रु0 9424.00 मजदूरी पर खर्च हुए।

उक्त निर्माण कार्य की पत्रावलियो की जांच के उपरांत निम्नलिखित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश मे आए-

1- रु0 20000 से ऊपर क्रय हेतु कोटेशन के प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रवधानिक है, परंतु कोटेशन आमंत्रित किये बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है।
2- ग्राम पंचायत कि सार्वजनिक निर्माण कार्य समिती कि स्वीकृति एवं भुगतान के अनुमोदन से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।
3- मस्टररोल कार्य प्रभारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं पाए गए।
4- क्रय सामग्री के विवरण का अंकन स्टॉक बुक मे नहीं किया गया ।
5- सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर जिसमे विगत वर्षों तथा वर्तमान तक के कराए गए विकास कार्यों के विवरण का अंकन किया जाता है, परंतु लेखा परीक्षा मे सार्वजनिक संपत्ति रजिस्टर को अद्यतन पूर्ण कर प्रस्तुत नहीं किया गया।
6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः रु0 37024.00 का अनियमित व्यय की या गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अस्थामह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी समान रूप से उत्तरदायी है, विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**24-**ग्राम पंचायत - नेगुरा

विकास क्षेत्र - धानापुर

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -33

लेखा परीक्षा मे निर्माण पत्रावालियों एवं कैशबुक इत्यादि के जाँचोपरांत ग्राम पंचायत नेगुरा में पाया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र पर हैन्डपम्प स्थापना के कार्य में सामग्री पर रु0 23760.00 एवं मजदूरी पर रु0 19944.00 का व्यय की या गया जिसमे निम्नलिखित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश मे आये-

1- ग्राम पंचायत की सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति एवं भुगतान के अनुमोदन से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।
2- कोटेशन प्रक्रिया जो कि रु0 20000.00 से लेकर रु0 100000.00 तक के व्यय हेतु अनिवार्यतः प्रवधानित है, का पालन नहीं किया गया ।
3- मजदूरी कि पुष्टि मे प्रस्तुत मस्टररोल पर कार्य के प्रारंभ होने तथा समाप्ति के दिनांक का अंकन नहीं पाया गया ।
4- प्रस्तुत मस्टररोल को सक्षम प्राधिकारी एवं कार्य प्रभारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं कराया गया ।
5- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः रु0 43704.00 का अनियमित व्यय की या गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री स्थामह एवं ग्राम प्रधान श्री दिलीप सिंह समान रूप से उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**25-**ग्राम पंचायत - सरया

विकास क्षेत्र - धानापुर

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -34

ग्राम पंचायत सराय की वित्तीय वर्ष 2019-20 मे हैन्डपम्प मरम्मत कार्य पर रु0 21764.00 खर्च किया गया जिसमे निम्न प्रकरण प्रकाश में आए-

1- वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
2- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक विकास कार्य योजना अप्राप्त रही।
3- व्यय प्रमाणक/ बिल वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए ।
4- मस्टररोल और व्यय प्रमाणकों के अभाव में सामग्री और मजदूरी पर अलग-अलग कितना व्यय की या गया इसकी जानकारी नहीं हो सकी ।
5- लेखा परीक्षा मे हैन्डपम्प मरम्मत मे निष्प्रयोज्य वस्तुओ की सूची उपलब्ध नहीं कराई गयी ।
6- ग्राम पंचायत की सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति एवं भुगतान के अनुमोदन से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।

अतः लेखा मैनुअल अध्याय-8(अ) एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका द्वारा निर्धारित प्रक्रिया व मानकों की अनदेखी कर रु0 21764.00 का अपहरण किया गया।

अतः तत्कालीन सचिव श्री स्थामह व ग्राम प्रधान सुदर्शन यादव से ब्याज समेत रु0 21764.00 की वसूली अपेक्षित है।

**26-**ग्राम पंचायत - शांतिपुर तोरवा

विकास क्षेत्र - धानापुर

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -35

ग्राम पंचायत शांतिपुर तोरवा मे वित्तीय वर्ष 2018-19 मे कराए गए कार्य के मजदूरी का भुगतान अप्रैल 2019 मे निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया गया है-

| क्रं सं | कार्य का विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | रवींद्र के घर से फरगान के घर तक नाली खड़ंजा कार्य | 16075.00 |
| 2 | भोला के घर से पाँचू के घर तक नाली खड़ंजा कार्य | 10925.00 |
| 3 | भोला के घर से पाँचू के घर तक नाली खड़ंजा कार्य | 23400.00 |
| 4 | संजय के घर से अंगद के घर तक नाली खड़ंजा कार्य | 15600.00 |
| | कुल धनराशि | 66000.00 |

बिन्दुवार आपत्तियां निम्नवत हैं -

1- उपरोक्त कार्य का ग्रामसभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
2- ग्राम पंचायत कि सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति कि स्वीकृति एवं भुगतान के अनुमोदन से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।
3- मजदूरी के भुगतान की पुष्टि के लिए मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।
4- वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति पत्र पर सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर नहीं पाए गए ।

5- तकनीकी स्वीकृति / प्राक्कलन भी प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6- सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर मे विगत वर्षो से अब तक कराए गए कार्यों का उल्लेख रहता है जिससे एक ही कार्य को बार-बार दिखा कर पैसा अपहरण की संभावना को न्यून किया जा सके, परंतु लेखा परीक्षा मे सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया जो कि आपत्तिजनक है ।

7- लेखा परीक्षा मे कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस प्रकार रु0 66000.00 का अपहरण किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव स्थामह व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी उत्तरदायी है ।

अतः रु0 66000.00 कि अपहृत धनराशि की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन सचिव स्थामह व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी से बराबर-बराबर से अपेक्षित है।

**27-**ग्राम पंचायत - महुजी

विकास क्षेत्र - धानापुर

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -36

ग्राम पंचायत महुजी के वित्तीय वर्ष 2019-20 मे विभिन्न जगहों पर हैन्डपम्प मरम्मत कार्य कराया गया, हैन्डपम्प मरम्मत कार्य हेतु नरेंद्र मशीनीरी ट्रैडर्स को रु0 98450.00 का भुगतान किया गया । निर्माण पत्रावलियां, कैशबुक इत्यादि के जाँचोपरांत निम्नलिखित कमिया प्रकाश मे आयी -

1- हैन्डपम्प मरम्मत कार्य में निष्प्रयोज्य वस्तुओ का कोई विवरण नहीं दिया गया ।

2- रु0 20000.00 से लेकर रु0 100000.00 के सामग्री क्रय मे कोटेशन के प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है ।

3- ग्राम पंचायत की सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति द्वारा कराए गए कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान के अनुमोदन संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गए।

4- लेखा परीक्षा मे माप पुस्तिका प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5- क्रय सामग्री के विवरण का अंकन कर स्टॉक रजिस्टर को लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

6- क्रय सामग्री से संबंधित बिल वाउचर पर जी०एस०टी० नंबर नहीं पाया गया जो स्वीकृत करने योग्य नहीं है ।

7- सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर, कराए गए कार्यों का विवरण अप्राप्त रहा जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि एक ही कार्य पुनः तो नहीं किया गया जो कि असंतोषजनक है ।

8- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा ।

अतः रु० 98450.00 का अपहरण किया गया, जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री विनय कुमार व ग्राम प्रधान श्रीमती सम्फूला देवी समान रूप से उत्तरदायी है । जिनसे अपहृत धनराशि रु० 98450.00 की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**28-**ग्राम पंचायत - पगही

विकास क्षेत्र - धानापुर

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -37

ग्राम पंचायत पगही में बचानू के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य में सामग्री पर रु० 32309.00 व्यय पाया गया तथा मिट्टी क्रय हेतु रु० 3417.00 का भुगतान दर्शित है। मजदूरी पर रु० 17395.00 का व्यय दर्शित है। अतः कुल व्यय रु० 53121.00 कूप जगत एवं स्नानागार निर्माण पर व्यय की या गया। जिसमे निम्नलिखित आपत्तिजनक प्रकरण प्रकाश मे आए-

1- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक विकास कार्य योजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

2- वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3- रु० 20000.00 से ऊपर के सामग्री क्रय हेतु व्यय पर कोटेशन के प्रक्रिया का पालन किया जाना अनिवार्य है, परंतु मनमाने तरीके से कार्य आदेश निर्गत कर आपूर्ति कराई गई जो कि नियम विरुद्ध है ।

4- ग्राम पंचायत की सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति द्वारा कराए गए कार्यों की स्वीकृति एवं भुगतान के अनुमोदन संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गए।

5- क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक बुक मे नहीं किया गया ।

6- सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर मे अद्यतन कार्यों का विवरण अंकित कर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया।

7- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

8- प्रस्तुत मस्टररोल पर सक्षम अधिकारी के नाम व हस्ताक्षर का अंकन नहीं पाया गया तथा कार्य की प्रारंभ व समाप्ति कि तिथि का भी अंकन नहीं पाया गया ।

अतः रु० 53121.00 के अनियमित व्यय के लिए तत्कालीन सचिव श्री स्थामह व ग्राम प्रधान श्री रमाकान्त यादव समान रूप से उत्तरदायी है, जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**29-**ग्राम पंचायत - विशुनपुर कला

विकास क्षेत्र - धानापुर

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -38

ग्राम पंचायत विशुनपुर कला मे, वित्तीय वर्ष 2019-20 मे फूलचंद्र राम के घर से पोखरी तक ढक्कनदार नाली, मिट्टी खड़ंजा निर्माण कार्य मे सामग्री हेतु रु० 73238.00 बाबा कीनाराम बिल्डिंग मैटेरियल को भुगतान किया गया तथा मजदूरी पर रु० 6370.00 का भुगतान दर्शित है।

बिन्दुवार आपत्तियां निम्नवत हैं -

1- उक्त दर्शित कार्य की स्वीकृति वित्तीय / तकनीकी किस स्तर से ली गई है या नहीं, इस संबंध मे स्थिति अज्ञात रही। इस कार्य का ग्राम सभा द्वारा पूर्व मे स्वीकृति और कार्य करने के बाद अनुमोदन के संबंध मे स्थिति अज्ञात रही।

2- कार्य की लंबाई व चौड़ाई का कोई उल्लेख नहीं है तथा कार्य का स्टीमेट व एम०बी0 भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

3- क्रय की गयी सामग्री के व्यय प्रमाणक यथा बिल वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4- क्रय सामग्री का अंकन कर स्टॉक पंजिका को लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं थे ।

6- लेखा परीक्षा मे कोटेशन प्रक्रिया की पुष्टि हेतु कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी ।

7- लेखा परीक्षा मे मजदूरी पर रु० 6370.00 के भुगतान की पुष्टि मे मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।

नियमों / उपनियमों की अनदेखी कर एवं तय प्रक्रिया का पालन न कर रु० 79608.00 का अपहरण किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अश्वनी कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती निर्मला देवी उत्तरदायी हैं। अतः अपहृत धनराशि रु० 79608.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से अपेक्षित है।

**30-**ग्राम पंचायत - बहेरी

विकास क्षेत्र - धानापुर

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -39

ग्राम पंचायत बहेरी मे वित्तीय वर्ष 2019-20 मे प्राथमिक विद्यालय बहेरी मे रंगाई, पुताई, घेराबंदी कार्य पर कार्यरत मजदूरी का भुगतान रु० 52020.00 चेक संख्या 10016211 दिनांक 10.04.2019 को किया गया। उक्त मजदूरी भुगतान मे अपहरण के निम्न प्रकरण प्रकाश मे आये -

1- लेखा परीक्षा मे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई ।

2- लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत माप पुस्तिका नहीं प्रस्तुत की गयी।

3- लेखा परीक्षा मे मजदूरी के भुगतान की पुष्टि मे मस्टररोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं थे ।

अतः मजदूरी पर किया गया भुगतान रु0 52020.00 अपहरण की श्रेणी मे आता है । इस अपहरण के लिए तत्कालीन सचिव श्री अश्वनी कुमार सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री राम त्यागी समान रूप से उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित रु0 52020.00 की बराबर-बराबर वसूली अपेक्षित है।

**31-**ग्राम पंचायत - अटौली

विकास क्षेत्र - धानापुर

<u>वर्ष - 2019-2020</u>

प्रस्तर -40

ग्राम पंचायत अटौली में वित्तीय वर्ष 2019-20 मुनीब के घर से अमित शर्मा के घर तक मिट्टी खड़ंजा कार्य संपादित किया गया । निर्माण पत्रावलियों एवं कैशबुक की लेखा परीक्षा की जांच मे उक्त कार्य पर रु0 74554.00 व्यय की या गया। जिसमे से मौर्या इन्टरप्राईजेज को रु0 8536.00 तथा जी माँ ईंट भट्टा को रु0 43312.00 का भुगतान किया है । उक्त कार्य मे मजदूरी पर रु0 22706.00 का व्यय दर्शित है।

बिन्दुवार आपत्तियां निम्नवत हैं -

1- लेखा परीक्षा मे ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई ।
2- ग्राम पंचायत की सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति द्वारा कराए गए कार्यों के प्रस्ताव की स्वीकृति एवं भुगतान के अनुमोदन संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
3- लेखा मैनुअल तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका द्वारा प्रवधानित कोटेशन प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया । अद्यतन नियमों के अनुसार रु0 20000.00 तक सामग्री क्रय हेतु कोटेशन अनिवार्य नहीं है, परन्तु रु0 20000.00 से 100000.00 तक की सामग्री क्रय हेतु कोटेशन अनिवार्य है। लेखा परीक्षा मे कोटेशन प्रक्रिया की पुष्टि हेतु कोई पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी ।
4- लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत माप पुस्तिका अपूर्ण पायी गयी । संबंधित सहायक अभियंता का नाम व हस्ताक्षत माप पुस्तिका पर नहीं पाया गया ।
5- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं था ।
6- लेखा परीक्षा मे मजदूरी के भुगतान कि पुष्टि मे मस्टर रोल प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः रु0 74554.00 का अनियमित व्यय की या गया, इस अनियमितता के लिए तत्कालीन सचिव श्री इंद्रजीत प्रसाद एवं ग्राम प्रसाद श्रीमती रामराजी देवी समान रूप से उत्तरदायी है।

**32-**ग्राम पंचायत - अवाजापुर

विकास क्षेत्र - धानापुर

वर्ष - 2019-2020

.

प्रस्तर -41

ग्राम पंचायत अवाजापुर, वित्तीय वर्ष 2019-20 मे बीन इन्टरप्राईजेज को हैन्डपम्प मरम्मत हेतु रु0 50000.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य मे अपहरण से संबंधित निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश मे आये -

1- ग्राम सभा द्वारा उक्त कार्य के प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख अप्राप्त रहे ।
2- प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के अभिलेख लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे।
3- क्रय की गयी सामग्री के व्यय प्रमाणक यथा बिल / वाउचर लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा । अतः उक्त व्यय अपहरण की श्रेणी मे आता है ।
4- क्रय की गयी सामग्री का अंकन कर स्टॉक बुक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहे ।
5- उक्त कार्य में खराब और निष्प्रयोज्य सामान की सूची अनुपलब्ध रही ।
6- उक्त भुगतान की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति से नहीं प्राप्त की गयी है ।

अतः वित्तीय हस्तपुस्तिका द्वारा निर्धारित प्रारूप और प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए रु0 50000.00 का अपहरण किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अश्वनी कुमार सिंह एवं प्रधान श्रीमती संगीत देवी उत्तरदायी हैं, जिनसे ब्याज सहित रु0 50000.00 बराबर-बराबर वसूली अपेक्षित है।

**33-**ग्राम पंचायत - माधोपुर

विकास क्षेत्र - धानापुर

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -42

ग्राम पंचायत माधोपुर मे वित्तीय वर्ष 2019-20 मे रामराज के घर से पोखरी तक ह्यूम पाइप निर्माण कार्य कराया गया जिसमे सामग्री पर सीमेंट / बालू इत्यादि के लिए आँचल स्टील को चेक संख्या 10015310 (यू0बी0आई0) रु0 13200.00 तथा ह्यूम पाइप इत्यादि हेतु रु0 72000.00, चेक संख्या 10015309 यस0बी0 कन्स्ट्रक्शन को भुगतान किया गया । उक्त कार्य पर मजदूरी रु0 20168.00 का भुगतान किया गया। आपत्तियां बिन्दुवार निम्नवत है -

1- ग्राम पंचायत की वर्ष 2019-20 की अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयी ।
2- वित्तीय / प्रशासनिक स्वीकृति तथा तकनीकी स्वीकृति से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किये गये ।
3- क्रय सामग्री का अंकन कर स्टॉक पंजिका लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4- सार्वजनिक निर्माण कार्य समिति द्वारा कार्य के प्रस्ताव की स्वीकृति एवं भुगतान हेतु अनुमोदन संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

5- सामग्री क्रय मे बीस हजार से एक लाख तक, कोटेशन तथा एक लाख से ऊपर टेंडर की प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है । परंतु कोटेशन, टेंडर से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किये गये ।

अतः नियमों / उपनियमों की अनदेखी कर एवं तय प्रक्रिया का पालन न कर रु0 105368.00 का अनियमित व्यय की या गया है जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अश्वनी सिंह एवं ग्राम प्रधान श्री प्रीतम सिंह उत्तरदायी है। बराबर-बराबर ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**34-**ग्राम पंचायत - धानापुर

विकास क्षेत्र - धानापुर

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -43

ग्राम पंचायत धानापुर के वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुसमी शिवमंदिर से कमला बिन्द के घर तक सीसी रोड एवं ह्यूम पाइप बिछाने के कार्य पर कुल रु0 175105.00 का व्यय सामग्री क्रय के मद मे किया गया है ।

लेखा परीक्षा मे निम्नलिखित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश मे आये -

1- ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहा।

2- रु0 100000 से ऊपर क्रय हेतु टेंडर के प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य रूप से प्रावधानित है, परंतु टेंडर आमंत्रित किये बिना कार्य आदेश निर्गत कर दिया गया जो कि अनियमित है।

3- वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति कि पुष्टि हेतु कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

4- क्रय सामग्री का अंकन कर स्टॉक पंजिका मे करना अनिवार्य है, परंतु लेखा परीक्षा मे अद्यतन क्रय सामग्री का अंकन कर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे स्टॉक क्रय कि पुष्टि नहीं होती है ।

5- सार्वजनिक परिसंपत्ति रजिस्टर मे ग्राम पंचायत द्वारा अद्यतन कराए गए कार्यों का विवरण अंकित करना अनिवार्य है जिससे इस बात कि पुष्टि हो कि लेखा परीक्षा मे संपादित कार्य नवीन है और पहले नहीं कराया गया है, रजिस्टर अपूर्ण पाया गया ।

6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किया गया ।

अतः रु0 175105.00 के अनियमितता के लिए ग्राम पंचायत सचिव श्री स्थामह व ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा देवी उत्तरदायी है। विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**35-**ग्राम पंचायत - खड़ान

विकास क्षेत्र - धानापुर

वर्ष - 2019-2020

.

प्रस्तर -44

ग्राम पंचायत खड़ान, वित्तीय वर्ष 2019-20 मे प्रधान इन्टरप्राईजेज को हैन्डपम्प रिबोर हेतु रु0 256000.00 का भुगतान किया गया। उक्त कार्य मे अपहरण से संबंधित निम्नलिखित प्रकरण प्रकाश मे आये -

1- ग्राम सभा द्वारा उक्त कार्य के प्रस्ताव से संबंधित अभिलेख अप्राप्त रहे ।

2- प्रशासनिक/ वित्तीय स्वीकृति के अभिलेख लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहे।

3- क्रय की गयी सामग्री के व्यय प्रमाणक यथा बिल / वाउचर लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा । अतः उक्त व्यय अपहरण कि श्रेणी मे आता है ।

4- क्रय की गयी सामग्री का अंकन स्टॉक बुक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहे ।

5- उक्त कार्य मे खराब और निसप्रयोज्य समान कि सूची अनुपलब्ध रही ।

6- उक्त भुगतान की स्वीकृति निर्माण कार्य समिति से नहीं प्राप्त कि गयी है ।

7- हैन्डपम्प रिबोर का कार्य किस स्थान पर हुआ, इसका कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका द्वारा निर्धारित प्रारूप और प्रक्रिया की अनदेखी करते हुए बिना बिल वाउचर के रु0 256000.00 का भुगतान दर्शित कर अपहरण किया गया जिसके प्रति तत्कालीन सचिव श्री अश्वनी कुमार सिंह एवं प्रधान श्री जुगल किशोर गौड़ उत्तरदायी हैं। अतः अपहरित धनराशि रु0 256000.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है।

**36-**ग्राम पंचायत - नेगुरा

विकास क्षेत्र - चन्दौली

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -45

ग्राम पंचायत - नेगुरा के बैंक स्टेटमेंट के अनुसार दिनांक 05.04.19 को रु0 170725.00 एवं दिनांक 06.04.19 को रु0 53110.00 कुल मजदूरी भुगतान किया गया है। उपरोक्त आहरित धनराशि का अंकन कोषबही मे नहीं किया गया है एवं नहीं लेखा परीक्षा मे मस्टररोल ही प्रस्तुत रहा जिससे यह ज्ञात ना हो सका कि उक्त धनराशि का भुगतान किस कार्य पर किया गया है।

कैशबुक मे उपरोक्त धनराशि का अंकन ना होना एवं लेखा परीक्षा मे मस्टररोल अनुपलब्ध रहने के कारण बिना कार्य कराए उक्त धनराशि रु0 223835.00 का भुगतान कर संस्था को क्षति पहुचाई गयी है। इस प्रकार उपरोक्त भुगतान लेखा परीक्षा मे अपहरण आकलित की जाती है । अतः रु0 223835.00 कि ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला सिंह एवं सचिव श्री राजेश्वर पाल से की जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर -46

ग्राम निधि प्रथान से दिनांक 15.11.19 को श्री अभय सिंह के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर कराया गया है जिस पर रु0 19689.00 सामग्री एवं रु0 18000.00 मजदूरी पर कुल रु0 37689.00 व्यय की या गया है जिसके संबंध मे आपत्तियां निम्नवत हैं :-

(क) हैन्डपम्प खराब होने कि पुष्टि मे लाभार्थी का प्रार्थना पत्र एवं जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं रहा ।

(ख) सामग्री क्रय का कोटेशन लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा ।

(ग) दर्शित कार्य का क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान का मस्टररोल लेखा परीक्षा मे अनुपलब्ध रहा ।

(घ) लेखा परीक्षा मे स्टाक पंजी एवं डेड स्टाक पंजी प्रस्तुत नहीं रहा जिससे क्रय सामग्री एवं निष्प्रयोज्य सामग्री कि पुष्टि नहीं की जा सकी ।

(ङ) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 37689.00 अपहरण है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला सिंह एवं सचिव श्री राजेश्वर पाल से की जानी अपेक्षित है।

**37-**ग्राम पंचायत - नादी निधौरा

विकास क्षेत्र - चहानियां

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -47

ग्राम निधि प्रथम की कोष बही के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर पर निम्न विवरणानुसार व्यय की या गया है-

| दिनांक | विवरण | वर्क आई0डी0 | व्यय धनराशि | फर्म का नाम | वाउचर नं0 व दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2019 | मजगर के घर के पास | 14656447 | 71150 | बाबा कीनाराम हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स | 102/ 11.01.2020 |
| 02.12.2019 | जोख के घर के पास | 14656447 | 71350 | बाबा कीनाराम हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स | 103/ 11.01.2020 |
| 26.01.2020 | वीरेंद्र के घर के पास | 14656447 | 69080 | बाबा कीनाराम हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स | 104/ 23.02.2020 |
| 26.01.2020 | माँ काली मंदिर पर | 14656447 | 70880 | बाबा कीनाराम हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स | 105/ 23.02.2020 |
| 26.01.2020 | सतीश के घर के पास | 14656447 | 72880 | बाबा कीनाराम हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स | 106/ 23.02.2020 |
| 26.01.2020 | रमेश के घर के पास | 14656447 | 70943 | बाबा कीनाराम हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स | 107/ 25.02.2020 |
| 26.01.2020 | घुर बटोर के घर के पास | 14656447 | 72878 | बाबा कीनाराम हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स | 108/ 25.02.2020 |
| योग - | | | **499161** | | |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत् है-

1. हैण्डपम्प रिबोर कराये जाने सम्बन्धी लाभार्थी के प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं रही।

2. शासनदेश संख्या 4430/33-1-99/यस0पी0आर0/99 दिनांक 24.07.1991 के तहत गठित जल प्रबन्धन समिति से अनुमोदन/संस्तुति प्राप्त की जानी चाहिए थी किन्तु उक्त समिति की अनुमोदन/संस्तुति पत्रावली में उपलब्ध न रही।

3. पंचायतराज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0- 51/201/1211/33-3-2017-46 /2015 दि0- 19.06.2017 के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची व मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहीं, साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के कारण गाइड लाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहा।

5. निष्प्रयोज्य सामग्री के स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहे।

6. एक ही कार्य आईडी पर किये गये कई अलग अलग कार्य नियमानुसार नहीं हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि व्यय के सापेक्ष नियमों का पालन न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ग्राम प्रधान श्रीमती विजय लक्ष्मी देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री नित्यानंद सिंह उत्तरदायी है जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**38-**ग्राम पंचायत - नैढ़ी

विकास क्षेत्र - चहानिया

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर -48

ग्राम निधि खाता प्रथम की कोष बही के अनुसार आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर दि0- 19.02.2020 को रू0 217893.00 व्यय की या गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर की जायेगी।''

इस प्रकार अपुष्ट एवं अप्रमाणित व्यय दर्शाकर रू0 217893.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नूरसबा बेगम व सचिव ग्राम पंचायत श्री नित्यानन्द सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

**39-**ग्राम पंचायत - बरईपुर

विकास क्षेत्र - चहानिया

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर-49

ग्राम निधि खाता प्रथम की कोष बही के अनुसार आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर दि0-17.02.2020 को रू0 20800.00 व्यय की या गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर की जायेगी।''

इस प्रकार अपुष्ट एवं अप्रमाणित व्यय दर्शाकर रू0 20800.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री हरिनारायण सचिव ग्राम पंचायत श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

**40-**ग्राम पंचायत - कांवर

विकास क्षेत्र - चहानिया

वर्ष - 2019-2020

प्रस्तर-50

ग्राम निधि खाता प्रथम की कोष बही के अनुसार आलोच्य वर्ष में श्री विक्रम के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर दि0- 15.11.2019 को रू0 27195.00 तथा दि0-23.01.2020 को रू0 72000.00 अथार्थ कुल रू0 99195.00 व्यय की या गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर की जायेगी।''

इस प्रकार अपुष्ट एवं अप्रमाणित व्यय दर्शाकर रू0 99195.00 का अपहरण किया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री धीरज सचिव ग्राम पंचायत श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

**41-**ग्राम पंचायत - **महुअर कला**
विकास क्षेत्र - चहानिया
वर्ष - 2019-2020
प्रस्तर-51

ग्राम निधि खाता प्रथम की कोष बही के अनुसार आलोच्य वर्ष में हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर दि0-02.02.2020 को रू0 71726.00 व्यय की या गया है, किन्तु लेखा परीक्षा में व्यय सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के कारण व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 8 (क) के अनुसार ''यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये जाते है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि को अपहरण मानते हुए सम्पूर्ण धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत से बराबर-बराबर की जायेगी।''

इस प्रकार अपुष्ट एवं अप्रमाणित व्यय दर्शाकर रू0 71726.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती शांति देवी व सचिव ग्राम पंचायत श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह से समान रूप से की जानी अपेक्षित है।

**42-**ग्राम पंचायत - सैफपुर
विकास क्षेत्र - चहानिया
वर्ष - 2019-2020
प्रस्तर -52

ग्राम निधि प्रथम की कोष बही के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर पर निम्न विवरणानुसार व्यय की या गया है-

| दिनांक | विवरण | वर्क आई0डी0 | व्यय धनराशि | फर्म का नाम | वाउचर नं0 व दिनांक |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2019 | ऋतुपाल के घर के पास | 14981061 | 35572 | बाबा कीनाराम हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स | 87/ 29.11.2019 |
| 28.11.2019 | नरायन विश्वकर्मा के घर पास | 14981061 | 35572 | बाबा कीनाराम हार्डवेयर एण्ड पेन्ट्स | 88/ 29.11.2019 |
| योग - | | | 71144 | | |

उक्त के सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत् है-
1. हैण्डपम्प रिबोर कराये जाने सम्बन्धी लाभार्थी का प्रार्थना पत्र पत्रावली में उपलब्ध नहीं रही।
2. शासनादेश संख्या 4430/33-1-99/यस0पी0आर0/99 दिनांक 24.07.1991 के तहत गठित जल प्रबन्धन समिति से अनुमोदन/संस्तुति प्राप्त की जानी चाहिए थी किन्तु उक्त समिति की अनुमोदन/संस्तुति पत्रावली में उपलब्ध न रही।
3. पंचायतराज अनुभाग-3 के शासनादेश सं0- 51/201/1211/33-3-2017-46 /2015 दि0- 19.06.2017 के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर के सम्बन्ध में जल निगम की प्रतीक्षा सूची व मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहीं, साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिलास्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के कारण गाइड लाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।
4. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न रहा।
5. निष्प्रयोज्य सामग्री का स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहे।
6. एक ही कार्य आईडी पर किये गये दो अलग अलग कार्य जो नियमानुसार नहीं हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि व्यय के सापेक्ष नियमों का पालन न कर वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिसके प्रति ग्राम प्रधान श्रीमती सुषमा देवी एवं सचिव ग्राम पंचायत श्री ज्ञानेन्द्र कुमार बिन्द उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**43-**ग्राम पंचायत- मुस्तफापुर

विकास खण्ड- चंदौली

वर्ष-2019-20

प्रस्तर-**53**

ग्रामपंचायत- - मुस्तफापुर, विकासक्षेत्र –चंदौली, जनपद- चंदौली के **वर्ष- 2019-2020** के लेखा परीक्षा में निम्नांकित अनियमितता के प्रकरण प्रकाश में आए जिनके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है-

कोषबही केअनुसार दिनांक 21/06/2019 को ₹5000.00, दिनांक 25/07/2019 को ₹5000.00 एवं दिनांक 23/12/2019 को ₹ 21600.00 प्रशासनिक मद पर भुगतान किया गया है।उपरोक्त दर्शित व्ययो की पुष्टि में संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा एवं कोषबही में दर्शित प्रशासनिक व्यय का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है। टेंडर /कोटेशन से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रुपए 31600.00 लेखा परीक्षा में अपहरण आकलित की जाती है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती देवी एवं सचिव श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**44**-ग्राम पंचायत- सिकरी

विकास खण्ड- चंदौली

वर्ष-2019-20

प्रस्तर-**54**

कोषबही के अनुसार प्रशासनिक कार्य से संबंधित सामग्री क्रय एवं पंचायत भवन के पीछे मिट्टी कार्य व समतलीकरण कार्य पर दिनांक **25.07.19** को चेक संख्या**544**द्वारा **₹ 42500.00** का भुगतान अरविंद इंडस्ट्रीज एंड इंटरप्राइजेज को किया गया है**।** मिट्टी कार्य एवं समतलीकरण का भुगतान उक्त फर्म को किया जाना औचित्यहीन है साथ ही व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित कार्य पर भुगतान रु.**42500.00** फर्जी आकलित की जाती है अर्थात उक्त धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती अर्चना चौहान एवं सचिव श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्ति से की जानी अपेक्षित है।

**45**-ग्राम पंचायत- धनेजा

विकास खण्ड- चंदौली

वर्ष-2019-20

प्रस्तर-**55**

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत ग्राम निधि प्रथम के कोषबहीं के अनुसार निम्न विवरण अनुसार शौचालय हेतु लाभार्थियों को भुगतान किया गया है-

| क्र.सं | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 18-07-19 | 000264 | 252000.00<br><br>**दर**6000.00<br>प्रति लाभार्थी | 42 |
| 02 | 18-07-19 | 000265 | 426000.00<br><br>**दर**6000.00<br>प्रति लाभार्थी | 71 |

उल्लेखनीय है कि खाता गलत होने के कारण दिनांक **18.07.19** को लाभार्थियों की धनराशि **₹150000.00** बैंक खाता में वापस हो गया है **।**इस प्रकार शौचालय हेतु लाभार्थियों को **₹528000.00** वास्तव में भुगतान किया गया है **।**ग्राम निधि खाता प्रथम से शौचालय हेतु लाभार्थियों को भुगतान किया जाना अनियमित है ।लेखा परीक्षा में लाभार्थियों की सूची भी प्रस्तुत नहीं की गई ,लाभार्थियों की सूची प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित रहा।

पुनः उल्लेखनीय है कि ग्राम निधि खाता **-6** से दिनांक **03.12.19** को **₹666000.00** ग्राम निधि खाता प्रथम में स्थानांतरित किया गया है जो लाभार्थियों को ग्राम निधि खाता प्रथम से किए गए भुगतान से**₹138000.00 (666000.00 (-) 528000.00 )** अधिक है**।** उक्त धनराशि **₹138000.00** ग्राम निधि खाता प्रथम से ग्राम निधि खाता **-6**में स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार शौचालय लाभार्थियों को ग्राम निधि प्रथम से रु.**528000.00** किया गया भुगतान लेखा परीक्षा में अनियमित आकलित की जाती है जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री अजय प्रताप सिंह एवं सचिव श्री राजेंद्र प्रसाद उत्तरदायी हैं ।उक्त के संबंध में उचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**46**-ग्राम पंचायत- भिखारीपुर
विकास खण्ड- चंदौली

वर्ष-2019-20

<u>प्रस्तर-**56**</u>

कोषबही के अनुसार दिनांक **21/01/2020** को **₹25000.00** एवं दिनांक **19.03.2020** को **₹ 25000.00** कुल प्रशासनिक मद पर भुगतान किया गया है ।उपरोक्त दर्शित व्ययो की पुष्टि में संबंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा एवं कोषबही में दर्शित प्रशासनिक व्यय का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है। टेंडर /कोटेशन से संबंधित पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर रुपए **50000.00** लेखा परीक्षा में अपहरण आकलित की जाती है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री विरेंद्र कुमार एवं सचिव श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**47**-ग्राम पंचायत- जसुरी

विकास खण्ड- चंदौली

वर्ष-2019-20

<u>प्रस्तर-**57**</u>

ग्राम निधि प्रथम के कोषबही के अनुसार निम्न विवरण अनुसार हैंडपंप रिबोर पर व्यय की या गया है:-

| दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|
| 25.10.19 | 19961.00 | सोमारु के घर के पास हैंडपंप रिबोर सामग्री |
| 25.10.19 | 19961.00 | गुड्डू सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर सामग्री |
| 25.10.19 | 19961.00 | नंदू राम के घर के पास हैंडपंप रिबोर सामग्री |
| 28.10.19 | 18192.00 | सोमारु के घर के पास हैंडपंप रिबोर मजदूरी |
| 28.10.19 | 18172.00 | गुड्डू सिंह के घर के पास हैंडपंप रिबोर मजदूरी |
| 28.10.19 | 18172.00 | नंदू राम के घर के पास हैंडपंप रिबोर मजदूरी |
| योग---114419.00 | | |

उपरोक्त दर्शित व्ययो पर आपत्तियां निम्नवतहैं :-

(क) हैंडपंप खराब होने की पुष्टि में लाभार्थी का प्रार्थना पत्र एवं जल प्रबंधन समिति की संस्तुति/ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत नहींर हा।

(ख) सामग्री क्रय का कोटेशन लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

(ख) दर्शित कार्य का क्रय प्रमाणक एवं मजदूरी भुगतान का मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

(घ) लेखा परीक्षा में स्टॉक पंजी एवं डेड स्टॉक पंजी प्रस्तुत ना रहा जिससे क्रय सामग्री एवं निष्प्रयोज्य सामग्री की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(च) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लिखा परीक्षा में प्रस्तुत ना रहा।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित भुगतान रुपए 114419.00 अपहरण आकलित की जाती है जिसकी वसूली ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती डिंपल सिंह एवं सचिव श्री अजय कुमार से की जानी अपेक्षित है।

**48**-ग्राम पंचायत- सिकठा
विकास खण्ड- बरहनी

वर्ष-2019-20

<u>प्रस्तर-**58**</u>

रोकड वही मे दिनांक 26.7.2019 को स्टेशनरी व फोटो स्टेट पर 10000.00 व्यय है। जिसके व्यय प्रमाणक प्राप्त नहीं है । उक्त भुगतान विक्रेता को न करके प्रधान श्री त्रिवेणी को किया गया है । इस प्रकार बिना प्रमाणक उक्त व्यय दर्शाकर प्रधान व

सचिव के द्वारा धन का अपहरण कर लिया गया है । जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री संतोष केसरी व प्रधान श्री त्रिवेणी से आधी.आधी किया जाना अपेक्षित है

प्रस्तर-**59**

दिनांक 26.7.2019 को पेड लगाने हेतु चकिया से लाये गये पेड का किराया भुगतान किया गया है । इसका आदेश व प्रमाणक प्राप्त नही है । 4000 .00 किराया गाडी वाले को न देकर प्रधान को दिया गया है । इस प्रकार बिना प्रमाणक के किराया के नाम पर प्रधान व सचिव द्वारा अपहरण किया गया है ।

वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैन्युअल के अध्याय की धारा 8 क में प्रावधान है कि यदि दर्शाए गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए इस धन राशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जाएगी । उक्त के आलोक मे अपहरण की गयी धनराशि 4000.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री संतोष केसरी व प्रधान श्री त्रिवेदी से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।

**49**-ग्राम पंचायत- औरयापट्टी गुलाब

विकास खण्ड- बरहनी

वर्ष-2019-20

प्रस्तर-**60**

प्राथमिक वि0 भद्खरी पर मिट्टी भराई कार्य पर निम्नानुसार व्यय दर्ज है

| दिनांक | सामग्री | दर | मूल्य |
|---|---|---|---|
| 27.6.2019 | मिटटी 344.44 घन मी | 299 | 99997 |
| 29.6.2019 | मिट्टी 367.68 घन मी | 299 | 109936 |
| 2 .7.20 19 | मिट्टी 208.88 घन मी | 299 | 62455 |
| 3.7.2019 | मिट्टी भराई 50 मानव दिवस | 182 | 9100 |
|  | योग |  | 281488 |

उक्त व्यय के पुष्टि में निम्न अभिलेख अप्राप्त रहे ..

कार्य का प्रस्ताव, कार्य योजना, स्टीमेट, प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति, कार्य कोड, बिल व वाउचर, मस्टररोल, एम बी कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र आदि।

पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी उ0 प्र0 पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 क के अनुसार -'' यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। ''

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित राशि रु0 281488.00 गबन की श्रेणी में आती है । जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमीला व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अनंत सिंह से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।

**50**-ग्राम पंचायत- बरठी कमरौर

विकास खण्ड- बरहनी

वर्ष-2019-20

प्रस्तर-**61**

प्रमाणक सं० 66 व 67 के द्वारा दिनांक 26.3.2020 को 246400 व 246400 कुल 492800 का 64 कूड़ेदान क्रय किया गया है। इस प्रकार कार्य योजना को टुकड़ो में विभाजित किया गया है ।

पंचायतराज अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31.07.2015 विभिन्न सोत्रों से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में के बिंदु 4 क में यह स्पष्ट 50 हजार की सीमा तक की कार्य योजना का अनुमोदन स्वयं ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा और कार्य योजना को टुकड़ो में विभाजित नही किया जायेगा बाद में पंचायतराज अनुभाग-1 के आदेश सं0 3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक 22.11.16 के बिन्दु 2ब के माध्यम से राज्य वित्त और केन्द्रीय वित्त आयोग के सन्दर्भ में यह सीमा बढ़ाकर 2 लाख कर दी गयी है। जबकि 2.5 से 5 लाख तक की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा की जानी है।

ग्राम पंचायत द्वारा 2.5 लाख से अधिक धनराशि की कार्य योजना हेतु सक्षम स्तर से वित्तीय और प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने से बचने के लिए कार्य को टुकड़ो में बांटते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसे प्लान बनाये गये ताकि इसे 2.5 लाख की सीमा के अन्दर रहे। क्योंकि उक्त क्रय हेतु तक्नीकी परीक्षण हेतु (2.5 लाख सेऊपर).अभियंता जिला पंचायत तथा वित्तीय प्रशासनिक स्वीकृति (2.5 से 5 लाख तक) हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी सक्षम अधिकारी थे । किन्तु इनसे स्वीकृति नहीं ली गयी । इस प्रकार कार्य को टुकड़ो में बांटकर शासनादेश का उल्लंघन करते हुए अनियमितता की गयी । इसके साथ ही कार्य की आईडी व टेडर भी लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार 492800 के व्यय में गंभीर अनियमितता की गयी । जिसके लिए सचिव श्री राम प्रकाश व प्रधान श्री संतोष उत्तरदायी है । इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

51 ग्राम पंचायत - गोपालपुर

विकास खंड- बरहनी

वर्ष 2019-20

प्रस्तर-**62**

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 09.02.2021 को लगाया गया फिर उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से ( कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।

घ- कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ध्यातव्य है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 1110404 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री इंदल कुमार व प्रधान श्रीमती मीरा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

52 ग्राम पंचायत - नूरी
विकास खंड- बरहनी
वर्ष 2019-20
<u>प्रस्तर-**63**</u>

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 25.02.2021 को लगाया गया फिर उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।
घ- कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।
5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थों के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।
6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ध्यातव्य है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त आदेश/निर्देश/नियमों के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 1743182 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री साहब सिंह  व प्रधान श्रीमती निर्मला से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

53 ग्राम पंचायत - खझरा
विकास खंड- बरहनी
वर्ष 2019-20
प्रस्तर-**64**

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेख परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।
2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 18.02.2021 को लगाया गया अनुस्मारक के तौर पर उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।
3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से ( कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

**क-** शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
**ख-** शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
**ग-** उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।
**घ-** कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया  को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।
5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम/आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 570003.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री संतोष केशरी व प्रधान श्री गामू से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

54 ग्राम पंचायत - तेंदुहान
विकास खंड- बरहनी
वर्ष 2019-20
<u>प्रस्तर-**65**</u>

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।
2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 09.03.2021 को लगाया गया अनुस्मारक के तौर पर उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।
3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।

घ- कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम/आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 2912980.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री इंदल कुमार व प्रधान श्री सदानंद से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

55 ग्राम पंचायत - इमिलिया
विकास खंड- बरहनी

वर्ष 2019-20

<u>प्रस्तर-**66**</u>

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेख परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 08.02.2021 को लगाया गया अनुस्मारक के तौर पर उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से ( कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।

घ- कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ध्यातव्य है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 2544182 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री इंदल कुमार व प्रधान श्री प्रभाष से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

56 ग्राम पंचायत - अमड़ा
विकास खंड- बरहनी
वर्ष 2019-20
<u>प्रस्तर-**67**</u>

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेख परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।
2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 24.11.2020 को लगाया गया उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।
3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम/आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 2391060.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री संतोष केशरी व प्रधान श्री प्रमोद से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

57 ग्राम पंचायत - कवरुआ
विकास खंड- बरहनी
वर्ष 2019-20
<u>प्रस्तर-**68**</u>

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेख परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 17.02.2021 को लगाया गया अनुस्मारक के तौर

पर उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।

घ- कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। उल्लेखनीय है कि पंचायत राज अनुभाग- 1 के शासनादेश सं0 06/2017/2325/33-1/2017, दि0 01 दिसम्बर 2017 ग्राम पंचायत सचिव/अधिकारियों के चार्ज/अभिलेख हस्तान्तरण के सम्बन्ध में जिसे जिला पंचायत राज अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है में स्पष्ट आदेश किया गया है कि ऐसे प्रकरण में एक सप्ताह के अन्दर अनुशासनिक कार्यवाही व दस दिन में विधिक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना है। वर्तमान सचिव श्री संतोष केशरी द्वारा मौखिक रुप से अवगत कराया गया कि उन्हे अभिलेख चार्ज में नही मिला है।

6- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

7- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम/आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 761939.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री अभय कुमार सिंह व प्रधान श्री गिरजा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी यथोचित कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

58 ग्राम पंचायत - डिग्घी
विकास खंड- बरहनी
वर्ष 2019-20
<u>प्रस्तर-**69**</u>

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेख परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।
2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 24.11.2020 को लगाया गया उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।
3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।
ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।
ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।
घ- कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ध्यातव्य है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 3163356.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री इंदल कुमार व प्रधान श्रीमती बबिता से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

59 ग्राम पंचायत - बरहनी
विकास खंड- बरहनी
वर्ष 2019-20
<u>प्रस्तर-**70**</u>

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेख परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 24.11.2020 को लगाया गया उसकी सूची

स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ध्यातव्य है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम/आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए

धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 2982232.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री अनन्त कुमार व प्रधान श्रीमती उषा से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

60 ग्राम पंचायत - बनसिंहपुर
विकास खंड- बरहनी
वर्ष 2019-20
प्रस्तर-**71**

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेख परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 24.11.2020 को लगाया गया उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।

घ- कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018,

दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम/आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 748563.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री राम प्रकाश राम व प्रधान श्री अशोक से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

61 ग्राम पंचायत - मरुई
विकास खंड- बरहनी
वर्ष 2019-20
<u>प्रस्तर-**72**</u>

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेख परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 24.11.2020 को लगाया गया उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।

घ- कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम/आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 1911503.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री अनन्त कुमार व प्रधान श्रीमती सुरसती से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**62- ग्राम पंचायत - खुरहट**
**विकास खंड- बरहनी**
**वर्ष 2019-20**

प्रस्तर-73

1- अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेख परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक मोबाईल फोन तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग की जाती रही लेकिन लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य पर अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया ।

2- ग्राम पंचायत के सचिव से मौखिक व लिखित रूप से पत्राचार किया गया और खंड विकास अधिकारी की साप्ताहिक बैठक मे मौखिक अवगत कराया गया। लेखा परीक्षा हेतु ऑन लाइन कार्यक्रम 24.11.2020 को लगाया गया उसकी सूची स0वि0अ0 पं0 को अलग से भी दी गयी लेकिन व्यय के सापेक्ष कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया ।

3- सहायक विकास अधिकारी पंचायत को दिनांक 29.12.2020, 12.01.2021, 04.02.2021, 22.03.2021 व 24.03.2021 को इस संबंध में पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट में यथास्थिति प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन उनके द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उल्लेखनीय है कि-

क- शासनादेश संख्या- ऑडिट 2953/2009-101(64)/2007, दिनांक 07.10.2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओ द्वारा किए जा रहे लेखों की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के संदर्भ में लेखा परीक्षा दल को सुसंगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के संबंध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है।

ख- शासनादेश संख्या- 1838/33-3-2015, दिनांक 31.7.2015 के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के संदर्भ में बिन्दु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्य योजना की प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जायेगी जिसकी जिम्मेदारी उसकी होगी लेकिन अपने कार्यालय में इसे उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग- उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 199 के अंतर्गत रोकड़बही / रूप पत्र संख्या-6 त्रैमासिक निरीक्षण सहायक विकास अधिकारी पंचायत द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। परंतु ऐसा न करके दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। अगर ऐसा किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग उपभोग धनराशि के संबंध मे संगत अभिलेख बनाये गये होते। लेकिन अभिलेख न प्रस्तुत किए जाने के कारण स्थिति विपरीत प्रतीत होती है।

घ- कार्य योजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की संपादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने का निर्देश है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची सहायक विकास अधिकारी पंचायत के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है। लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- खंड विकास अधिकारी जो कि विकास खंड के ग्राम पंचायतों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी अभिलेख की मांग की गयी व ऑन लाइन ऑडिट में भी सहयोग न करने की सूचना दी गयी। इस संबंध में दिनांक 23.03.2021, 24.3.2021 को पत्र (संलग्न) के माध्यम से व मौखिक भी फिर अवगत कराया गया। लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया । उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/ संप्रेक्षा/आ0रि0/08-09, दिनांक 15.01.2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओ से संबंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितिया को संप्रेक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है।

5- जिला पंचायत राज अधिकारी चंदौली को भी उपर्युक्त प्रकरण की सूचना दिनांक 12.01.2021 व 22.03.2021 को मिलकर व पत्र (संलग्न ) के माध्यम से दी गयी। किन्तु अभिलेख प्राप्त नहीं हो सका। जबकि पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायत राज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018, दिनांक 05.05.2017 में समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी व समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत को, समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले अधीनस्थ के वेतन रोकने का स्पष्ट आदेश है।

6- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल/ रेविन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0 (सि0रे0) दस-10(45)/12, दिनांक 04.05.2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिन्दु 3 के अनुसार लेखा परीक्षा दल को किए गए अनुरोध को पूरे तौर पर शीघ्रता से

कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। उक्त का अनुपालन न किए जाने पर विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष को जिम्मेदार बनाये जाने की बात है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के बिन्दु 13 के अनुसार संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया किया जायेगा और किसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने पर उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट करने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा।

उपर्युक्त नियम/आदेश/ निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी सचिव के विरुद्ध न तो कोई कार्यवाही की गयी न ही सचिव द्वारा अभिलेख ही उपलब्ध कराया गया। जिससे अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण अनियमितता व दुरुपयोग के प्रकरणों की व अभिलेखों की सत्यता की भी जांच नहीं की जा सकी।

लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रिया सॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि के संबंध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल/ वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान का मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टरी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के आठ प्रपत्र प्राप्तिया एवं भुगतान लेखा, समेकित सार पत्र, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, चल व अचल संपत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज लेखा मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8(क) के अनुसार " यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के अंतर्गत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सके। "

उक्त प्रावधान के आलोक में धनराशि रु0 2404031.00 की ब्याज सहित वसूली सचिव श्री अनन्त कुमार व प्रधान श्री रिंकू से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

साथ ही उ0प्र0पं0राज अधि0 1947 के द्वारा 14क के बिन्दु-1 "पनिशमेंट फॉर फेल्योर टू हैन्ड ओवर रिकार्ड" के तहत भी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

**63- ग्राम पंचायत - मझगावा**

**विकास खण्ड- नौगढ़**

**<u>वर्ष- 2019-20</u>**

**प्रस्तर -**74

हैन्ड पम्प के मरम्मत / रिबोर पर निम्नांकित विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है -

| क्रम संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 23.07.2019 | 90000.00 | बजरंग कनट्रक्शन और सप्लायर्स को |
| 2 | 24.07.2019 | 160000.00 | बजरंग कनट्रक्शन और सप्लायर्स को |
| 3 | 24.07.2019 | 160000.00 | बजरंग कनट्रक्शन और सप्लायर्स को |
| 4 | 25.07.2019 | 138000.00 | मे. सुनील केशरी को |
| 5 | 26.07.2019 | 142000.00 | मे. सुनील केशरी को |
| 6 | 02.08.2019 | 136500.00 | बजरंग कनट्रक्शन और सप्लायर्स को |
| 7 | 03.08.2019 | 140000.00 | मे. सुनील केशरी को |
| 8 | 04.08.2019 | 128000.00 | मे. सुनील केशरी को |
| 9 | 04.08.2019 | 139000.00 | मे. सुनील केशरी को |
| 10 | 10.02.2020 | 31000.00 | मे. सुनील केशरी को |
| 11 | 03.03.2020 | 180000.00 | मे. सुनील केशरी को |
| 12 | 03.03.2020 | 170000.00 | मे. सुनील केशरी को |
|  | योग=== | 1614500.00 |  |

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियाँ निम्नवत है -

क - हैन्डपम्प कौन-कौन से खराब है, इससे संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं है, या कौन-कौन से हैन्डपम्प खराब है, जिन्हे रिबोर किये जाने की आवश्यकता है, से संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं है, या हैन्डपम्प की आवश्यकता के संबंध मे जांच रिपोर्ट नहीं है ।

ख- हैन्डपम्प खराब होने की पुष्टि मे जल प्रबंधन समिति की संस्तुति / सत्यापन रिपोर्ट नहीं है ।
ग- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध है ।
घ- भुगतान प्रमाणक "पेड एण्ड कॅन्सऐल्ड" नहीं है ।
च- स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही।
छ- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुये दर्शित व्यय रु0 1614500.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आकलित की जाती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा देवी एवं सचिव श्री आशीष साहनी उत्तरदायी है, आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

**प्रस्तर -75**

कूप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय पर रु0 843500.00 भुगतान किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है :-

| क्र 0सं0 | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.2019 | 120000.00 | लालमनि/ सरजू के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य |
| 2 | 20.07.2019 | 115000.00 | होरोगैन पुत्र रामपति के घर के पास कूप जगत निर्माण |
| 3 | 23.07.2019 | 126000.00 | रामधनी/ रामधारी के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य |
| 4 | 25.07.2019 | 130000.00 | शिवपूजन/ रामधनी के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य |
| 5 | 01.08.2019 | 120000.00 | कमलेश/ झालर के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य |
| 6 | 01.08.2019 | 126000.00 | जोगिंदर/ बजरंगी के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य |
| 7 | 06.08.2019 | 106500.00 | रजमनि/ दुःखवन्ती के घर के पास कूप जगत निर्माण कार्य |
| | योग==== | 843500.00 | |

इस कार्य पर आपत्तियाँ निम्नवत है :-

क- कूप मरम्मत की आवश्यकता से संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं है ।
ख- दर्शित कार्य का निरीक्षण रिपोर्ट/ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
ग- कूप मरम्मत से पूर्व का, कूप मरम्मत करते श्रमिकों का एवं कार्य सम्पन्न हो जाने के पश्चात का फोटोग्राफी पत्रावली में संलग्न नहीं है ।
घ- क्रय प्रमाणक एवं मस्टररोल "पेड एण्ड कॅन्सल्ड" नहीं है ।
ङ- उपरोक्त कार्य का प्रस्ताव, स्टीमेट, निर्माण समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाण नहीं है।
च- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है ।
छ- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 843500.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आकलित की जाती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा देवी एवं सचिव श्री आशीष साहनी उत्तरदायी है, आवश्यक विभागीय कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ।

**प्रस्तर -76**

मे. सुनील केशरी को पंचायत सामग्री, सप्लाई सामग्री एवं स्टेशनरी व्यय का विभिन्न दिनांक को भुगतान किया गया है, विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 सं0 | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 03.08.2019 | 132000.00 | पंचायत सामग्री/ प्रशासनिक व्यय |
| 2 | 07.03.2020 | 42000.00 | सप्लाई सामग्री |
| 3 | 07.03.2020 | 46000.00 | स्टेशनरी व्यय |
| | योग | 220000.00 | |

जिसके सम्बन्ध में आपत्तियाँ निम्नवत है :-

क- खरीद सामग्री का अंकन डेड स्टॉक रजिस्टर पर नहीं किया गया है ।
ख- क्रय सामग्री का वर्षांत में किसी विभागीय अधिकारी से भौतिक सत्यापन का रिपोर्ट संलग्न नहीं है।

ग- सामग्री क्रय कि आवश्यकता का प्रस्ताव ग्राम पंचायत कि बैठक में स्वीकृत नहीं है ।

घ- उपरोक्त सामग्री विगत वर्ष में क्रय नहीं किया गया है, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।

ङ- उपरोक्त सामग्री क्रय से पूर्व किसी विभागीय अधिकारी की स्वीकृति नहीं ली गयी है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 220000.00 लेखा परीक्षा में दूरुपयोगित आकलित की जाती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती रूपा देवी एवं सचिव श्री आशीष साहनी उत्तरदायी है, ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

**64** ग्राम पंचायत- खखड़ा

विकास खण्ड -शहाबगंज

वर्ष-2019-20

प्रस्तर-**77**

ग्राम निधि प्रथम से निम्नलिखित विवरण के अनुसार टाइल्स कार्य पर भुगतान किया गया है -

| क्रं सं | दिनांक | धनराशि | व्यय का विवरण |
|---|---|---|---|
| **1** | **17.05.2019** | **84043.00** | खखड़ा में प्राथमिक विद्यालय 2 में टाइल्स कार्य हेतु सामग्री |
| **2** | **22.05.2019** | **88578.00** | खखड़ा में प्राथमिक विद्यालय 2 में टाइल्स कार्य कि मजदूरी |
| | योग | **172621.00** | |

उपरोक्त कार्य पर आपत्तियाँ निम्नवत है :-

अ- विद्यालय के कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई का विवरण अंकित नहीं है ।

आ- उपभोग प्रमाण पत्र, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं निरीक्षण प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा ।

इ- सामग्री क्रय प्रमाणक एवं मस्टर रोल को " भुगतान एवं निरस्त " नहीं किया गया है ।

ई- उपरोक्त कार्य का स्टीमेट, निर्माण समिति से स्वीकृति आदि का प्रमाणक नहीं है ।

उ- कार्य के तीन चरणों का फोटोग्राफ पत्रावली मे संलग्न नहीं है ।

ऊ- क्रय सामग्री का अंकन स्टॉक रजिस्टर पर नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर दर्शित व्यय रु0 172621.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आकलित की जाती है, जिसके लिए ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला सिंह एवं सचिव श्री अनिल कुमार सिंह जिम्मेदार है, समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

**65 ग्राम पंचायत -मलेवर**

**विकास खण्ड -नौगढ़**

**वर्ष-2019-20**

प्रस्तर-**78**

ग्राम निधि प्रथम के कैशबुक एवं बैंक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष का व्यय निम्नवत है :-

| क्रमांक | दिनांक | चेक नंबर | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **02.07.19** | **943705** | **190000** | मलेवर में टैंकर व ट्रैक्टर द्वारा पानी आपूर्ति |
| **2** | **02.07.19** | **943704** | **82500** | हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य |
| **3** | **02.07.19** | **943706** | **75000** | हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य |
| **4** | **03.07.19** | **943708** | **85000** | हैन्ड पम्प मरम्मत कार्य |
| **5** | **03.07.19** | **943709** | **20000** | मलेवर में टैंकर व ट्रैक्टर द्वारा पानी आपूर्ति |
| **6** | **23.07.19** | **943714** | **8000** | स्टेशनरी का सामान |
| | | योग :- | **460500** | |

उल्लेखनीय है कि संप्रेक्षण में कैशबुक व स्टेटमेंट के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं रहा । ऐसे में उपरोक्त दर्शित समस्त व्यय लेखा परीक्षा में अपहरित आकलित की जाती है।

अतः उपरोक्त धनराशि प्रधान श्रीमती किरन देवी एवं सचिव श्री आशीष कुमार साहनी से अद्यावधिक ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।

**66 ग्राम पंचायत - बसौली**

**विकास क्षेत्र - नौगढ़**

**वर्ष 2019-20**

प्रस्तर-79

ग्राम प्रधानों के मानदेय भुगतान से संबंधित पंजिका नहीं बनाया गया है । कैशबुक मे दिनांक 10.2.2020 को 23 माह हेतु रु0 80500.00 मानदेय प्रधान को भुगतान दर्शित है । कैशबुक मे मानदेय किस किस माह हेतु भुगतान किया गया है, स्पष्ट नहीं किया गया है । मानदेय का भुगतान समय से नहीं करके एवं एक साथ 23 माह के मानदेय का भुगतान करके लेखा परीक्षा मत मे अनियमित कार्य किया गया है, जिसके लिए प्रधान श्रीमती प्रियंका देवी एवं सचिव श्री आशीष साहनी जिम्मेदार है । पंजिका के अभाव मे मानदेय बकाया होने की स्थिति अस्पष्ट रही । मानदेय पंजिका बनाकर आलोच्य वर्ष के साथ पूर्व के वर्ष के बकाया मानदेय का जो भुगतान किया गया है , की पुष्टि कराई जानी अपेक्षित है। साथ ही उत्तरदायी व्यक्तियों प्रधान श्रीमती प्रियंका देवी एवं सचिव श्री आशीष कुमार साहनी के विरुद्ध समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

प्रस्तर - 80

ग्राम -निधि प्रथम से हैन्डपम्प मरम्मत पर निम्नांकित विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है -

| क्रम संख्या | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| (1) | 12.04.2019 | 19250.00 | हैन्डपम्प मरम्मत की मजदूरी |
| (2) | 15.04.2019 | 201000.00 | हैन्डपम्प मरम्मत कार्य 55 नग |
| | योग - | 220250.00 | |

उपरोक्त व्यय पर आपत्तीय निमन्वत है -

क- हैन्डपम्प कौन कौन से खराब है , इससे संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं है ।

ख- हैन्डपम्प खराब होने की पुष्टि मे जल प्रबंधन समिति की संस्तुति /सत्यापन रिपोर्ट नहीं है ।

ग- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाणपत्र अनुपलब्ध है

घ- भुगतान प्रमाणक ''भुगतान एवं निरस्त '' नहीं है

ङ- स्टाक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही ।

च- सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान मे लेते हुए दर्शित व्यय रु0 220250.00 लेखा परीक्षा में अनियमित आकलित की जाती है , जिसके लिए प्रधान श्रीमती प्रियंका देवी एवं सचिव श्री आशीष कुमार साहनी उत्तरदायी है । समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

**67- ग्राम पंचायत- मूसाखाड़**

**विकास क्षेत्र - शहाबगंज**

**वर्ष 2019-20**

प्रस्तर-**81**

(1)- हैन्डपम्प के मरम्मत पर निम्नांकित विवरण के अनुसार व्यय दर्शाया गया है -

| क्रम संख्या | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| (1)- | 18.07.2019 | 76250.00 |
| (2) | 17.02.2020 | 59900.00 |
| | | योग – 136150.00 |

उपरोक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत हैं -

(क ) - हैन्डपम्प कौन कौन से खराब है , संबंधित जांच रिपोर्ट नहीं है ।

(ख ) - हैन्डपम्प खराब होने की पुष्टि मे जल प्रबंधन समिति की संस्तुति /सत्यापन रिपोर्ट नहीं है

(ग ) - दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाणपत्र अनुपलब्ध है ।

(घ ) - भुगतान प्रमाणक ''भुगतान एवं निरस्त '' नहीं है ।

(च ) - स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है ,जिससे सामग्री क्रय एवं निष्प्रयोज्य सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं रही ।

(छ) - सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं है ।

उपरोक्त तथ्यों को संज्ञान मे लेते हुए दर्शित व्यय रु0 136150.00 लेखा परीक्षा मे अनियमित आकलित की जाती है , जिसके लिए प्रधान श्री बसंत कुमार एवं सचिव श्री जेनेन्द्र कुमार राव उत्तरदायी है । समुचित विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है ।

**68 ग्राम पंचायत- पचपरा**

**विकास क्षेत्र - शहाबगंज**

**वर्ष 2019-20**

प्रस्तर-82

ग्रामप्रधानों के मानदेय भुगतान से संबंधित पंजिका नहीं बनाया गया है । कैशबुक मे निम्नांकित विवरण के अनुसार मानदेय भुगतान दर्शित है ।

| क्रम संख्या | दिनांक | चेक न0 | धनराशि | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-07-2019 | 12001275 | 52500. 00 | माह जुलाई 2017 से जून 2018 |
| 2 | 23-07-2019 | 12001273 | 52500.00 | माह जुलाई 2018 से जून 2019 |

उपरोक्त भुगतान के संबंध मे आपत्तियां निम्नानुसार है -

(क) क्रम संख्या 1 पर प्रधान के मानदेय के धनराशि की गणना करने पर रु० 42000.00 (12 माह दर3500.00) आता है । इस प्रकार रु० 10500.00 मानदेय अधिक भुगतानित है । इसी प्रकार क्रम संख्या 2 पर भी प्रधान को रु० 10500.00 मानदेय का भुगतान अधिक किया गया है

(ख) पंजिका के अभाव मे मानदेय बकाया होने की स्थिति अस्पष्ट है ,जिसकी पुष्टि किसी विभागीय अधिकारी से भी प्राप्त नहीं है ।

बकाया मानदेय की पुष्टि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) से करायी जानी अपेक्षित है । बकाया मानदेय अपुष्ट रहने की दशा मे रु० 42000.00 (लेखा परीक्षा मे अनुमानित ) एवं उपरोक्त दर्शित विवरण के अनुसार प्रधान को अधिक भुगतान की गई मानदेय की धनराशि रु० 21000.00 (2*10500.00 =21000.00) कुल रु० 63000.00 प्रधान श्री आनंद कुमार सिंह से अद्यावधिक ब्याज सहित बैंक जमा कराया जाना अपेक्षित है । मानदेय के उपरोक्त वर्णित बकाया रहने के पुष्ट होने की स्थिति मे अत्यधिक भुगतान की गई मानदेय की धनराशि रु० 21000.00 प्रधान श्री आनंद कुमार सिंह से तातारीख ब्याज सहित बैंक जमा कराया जाना अपेक्षित है ।

उल्लेखनीय है कि प्रधान को अधिक मानदेय भुगतान करने हेतु सचिव श्री अनिल कुमार सिंह भी उत्तरदायी है । अतः सचिव श्री सिंह से इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृति नहीं की जाने की अपेक्षा की जाती है ।

**69 ग्राम पंचायत- पौनी**

**विकास खंड- बरहनी**

**2019 - 20**

प्रस्तर-83

"पौनी के हरचरना मे रामाग्या के घर से मोहन के घर तक सीसी रोड एवम केसी ड्रेन निर्माण" पर रोकड़ वही में निम्नानुसार व्यय दर्शाया गया है-

अ - 06.04.19 को सामग्री क्रय -

1- सीमेंट 200दर 332.80 = 66560
2- फाइन सैन्ड 100 दर 943 = 9430
3- कोर्स सैन्ड 10 दर 1728 = 17280
4- गिट्टी 11- 42 दर 2714 = 30993.88
5- बी/ बी 9-95 दर 1102.50 = 10969.87

**योग - 135232**

ब - 06.04.19 को सामग्री क्रय -

1- गिट्टी 5.58 दर 2714 = 23286.12
2- बी/ बी 15-80 दर 1102.50 = 17423.91 **योग- 40710**

स- 07.06.19 को सामग्री क्रय -

1- सीमेंट 115दर 332.80 = 38272
2- फाइन सैन्ड 5.4 दर 943 = 5092.20
3- कोर्स सैन्ड 6.6 दर 1728 = 11404.80
4- गिट्टी 3.90 दर 2714 = 10584.60
5- पॉलिथीन 90.291 दर 54 = 14142.60 **योग= 79496**

द- 07.06.19 मजदूरी पर व्यय 90- मिस्त्री मानव दिवस दर 350 = 31500
272 श्रमिक मानव दिवस दर 175 = 47600 **योग 79100**

य- 20.06.2019 को मिट्टी 70-202दर 105= **21283.50**

र- 09.07.19 को ईंट क्रय 7900 नग दर 5.775 = **45622**

इस प्रकार कुल 45622+ 21283 + 79100 + 79496 + 40710 + 135232 = **401443** व्यय की या गया है जिस पर निम्न आपत्तियाँ है -

1- रोकड़ बही मे प्रदत विवरण क्रमांक **ब (1)** पर 58.5 दर 2714 = 15144.12 होगा न कि 23286.12।
इसी प्रकार स (5) पर पॉलिथीन 90.291 दर 54 = 15762.60 होगा न कि 14142.60 ।
2- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, स्टीमेट प्रस्तुत नहीं किया गया ।
3- कार्य की प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति व कार्य का कोड प्रस्तुत नहीं किया गया ।
4- कार्य का बिल, वाउचर , चालान ( नियम 204) व नियम 202 के अनुपालन मे स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया ।
5- क्रय के वित्तीय औचित्य हेतु कोटेशन/ टेन्डर प्रस्तुत नहीं किया गया ।
(वित्तीय नियम संग्रह खंड-1 एवं शा0सं0-ए-1-864/दस दिनांक 23.09.2008 के अनुसार)
6- मजदूरी का मस्टर रोल (नियम 210 रूप पत्र-22) प्राप्त नहीं है।
7- भुगतान पूर्व की गयी एम0बी0 ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी। निर्माण कार्य समिति की स्वीकृति प्रस्तुत नहीं किया गयी।
8- कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ( नियम 209) एवं परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रमाणक व अन्य अभिलेखों के अभाव में दर्शित व्यय की पुष्टि नहीं होती है।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 क में प्रावधान है कि “ यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध मे कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।“ उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित राशि रु0 401443.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती राज कुमारी व ग्राम पंचायत सचिव श्री अभय सिंह से आधी-आधी किया जाना अपेक्षित है।

**70-ग्राम पंचायत- काजीपुर**
**विकास खण्ड- बरहनी**

**वर्ष-2019-20**

<u>प्रस्तर-**84**</u>

1. नरेश के घर के पास हंड पम्प रीबोर-

| दिनांक | विवरण (रोकडवही मे) | धनराशि |
|---|---|---|
| 24.12.19 | मजदूरी का भुगतान उत्सव ईंट उद्योग़ प्रीतमपुर को | 3065 |
| 27.12.19 | रीबोर पर मास्टर इन्टरप्राइजेज को | 4997 |
| 27.12.19 | नरेश के घर के पास हैन्ड पम्प रीबोर कार्य पर उत्सव इन्टरप्राइजेज व हार्ड्वेयर को | 12161 |
| | योग | 20223 |

2. सुबास के घर के पास हंड पम्प रीबोर-

| दिनांक | विवरण (रोकडवही मे) | धनराशि |
|---|---|---|
| 24.12.19 | सुबास के घर के पास हैन्ड पम्प रीबोर उत्सव इन्टरप्राइजेज व हार्ड्वेयर को | 11361 |
| 27.12.19 | रीबोर पर मास्टर इन्टरप्राइजेज को | 4997 |
| 27.12.19 | सुबास के घर के पास हैन्ड पम्प रीबोर उत्सव ईंट उद्योग को | 3065 |
| | योग | 19423 |

3. अम्बेडकर पार्क के पास हैन्ड पम्प रीबोर-

| दिनांक | विवरण (रोकडवही मे) | धनराशि |
|---|---|---|
| 20.03.2020 | अंबेडकर पार्क के पास हैन्ड पम्प रिबोर मजदूरी का भुगतान | 27659 |
| 20.03.2020 | अंबेडकर पार्क के पास हैन्ड पम्प रिबोर मजदूरी का भुगतान मास्टर इन्टरप्राइजेज को | 11881 |
| 20.03.2020 | अंबेडकर पार्क के पास हैन्ड पम्प रिबोर मजदूरी का भुगतान उत्सव इन्टरप्राइजेज व हार्डवेयर को | 11731 |
| | योग | 51271 |

4. बबलू के घर के पास हैन्डपम्प रिबोर

| दिनांक | विवरण (रोकडवही मे) | धनराशि |
|---|---|---|
| 20.03.2020 | बबलू के घर के पास हैन्ड पम्प रिबोर कार्य का भुगतान | 18326 |
| 20.03.2020 | बबलू के घर के पास हैन्ड पम्प रिबोर कार्य कि मजदूरी का भुगतान उत्सव इन्टरप्राइजेज व हार्डवेयर को | 3544 |
| 20.03.2020 | बबलू के घर के पास हैन्ड पम्प रिबोर कार्य की मजदूरी का भुगतान | 22798 |
| | योग | 44668 |

5. जूनियर हाइस्कूल के पास हैन्ड पम्प रीबोर-

| दिनांक | विवरण (रोकडवही मे) | धनराशि |
|---|---|---|
| 20.03.2020 | जूनियर हाइस्कूल के पास हंड पम्प रीबोर की मजदूरी का भुगतान | 21899 |
| 20.03.2020 | जूनियर हाइस्कूल के पास हंड पम्प रीबोर की मजदूरी का भुगतान मास्टर इन्टरप्राइजेज को | 3543 |
| 20.03.2020 | जूनियर हाइस्कूल के पास हंड पम्प रीबोर की मजदूरी का भुगतान उत्सव इन्टरप्राइजेज व हार्डवेयर को | 4550 |
| 20.03.2020 | जूनियर हाइस्कूल के पास हंड पम्प रीबोर की मजदूरी का भुगतान उत्सव ईंट उद्योग को | 4200 |
| | योग | 34192 |

उपर्युक्त 5 रीबोर पर कुल 20223+19423+51271+44668+34192 = 169777 व्यय की या गया है जिस पर निम्न आपत्तियां हैं -

1- रोकड़ बही मे प्रदत्त कई विवरण भ्रामक है जैसे मजदूरी फर्म को दी गई है और सारे विवरण मजदूरी के ही है सामग्री का विवरण नहीं है । पासबुक मे भी फर्म का नाम दर्ज नहीं है ।
2- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना, जांच रिपोर्ट, स्टीमेट प्रस्तुत नहीं किया गया।
3- कार्य की प्रशासनिक, वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति व कार्य का कोड प्रस्तुत नहीं किया गया ।
4- कार्य का बिल/ वाउचर / चालान व नियम २०२ के अनुपालन में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
5- क्रय के वित्तीय औचित्य हेतु कोटेशन/ टेन्डर प्रस्तुत नहीं किया गया।
6- मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त नहीं है ।
7- भुगतान पूर्व की गयी एम०बी० ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी ।
8- कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं की गयी ।
9- पंचायत राज अनुभाग-३ के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्क हैन्डपम्प रिबोर कि गाइड्लाइन के अनुसार हैन्डपम्प रिबोर के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रही।

अनुश्रवण का तकनीकी कार्य जेई एम0आई0/आर0ई0डी0/मंडी परिषद/ जिला पंचायत डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा। साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु जीपीडीपी के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन कि स्थिति अज्ञात रही। विकेंद्रीकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश संख्या 4430/33-1-99/यस0पी0/आर.99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबंधन समिति का कार्य पीने के पानी से संबंधित योजनाओ एवं नलकूप संबंधी गतिविधियों की निगरानी/ अनुमोदन में कार्यवाही रजिस्टर भी अप्राप्त रहा।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 (क) के अनुसार " यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जाएगी। "

उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय धनराशि रु0 169777.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित वसूली सचिव श्री अरविन्द कुमार सिंह व प्रधान श्री सत्येन्द्र से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर-**85**</u>

खरखोली सचिवालय से चारदीवारी व इन्टरलॉकिंग कार्य पर निम्नानुसार व्यय है-

| दिनांक | रोकड़ वही में दर्ज विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 17.12.2019 | मजदूरी | 521 |
| 17.12.2019 | खरखोली में सचिवालय में चारदीवारी व इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी मास्टर इन्टरप्राइजेज को भुगतान | 38883 |
| 17.12.2019 | खरखोली में सचिवालय में चारदीवारी व इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी | 12524 |
| 13.01.2020 | खरखोली में सचिवालय में चारदीवारी व इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी | 50568 |
| 22.01.2020 | खरखोली में सचिवालय में चारदीवारी व इन्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी | 113133 |
| 22.01.2020/ 29.01.2020 | सचिवालय में फर्श मरमत्त व खिड़की दरवाजा व रंगाई कार्य पर मास्टर इन्टरप्राइजेज को | 88152 |
| | योग | 303781 |

उपर्युक्त व्यय पर निम्न आपतिया दर्ज की गयी-

1- रोकड़ बही मे प्रदत्त कई विवरण भ्रामक है जैसे मजदूरी फर्म को दी गई है और समस्त विवरण मजदूरी के ही है सामग्री का विवरण नहीं है । कार्य के नाम में भी अंतर है पासबुक मे भी फर्म का नाम दर्ज नहीं है ।
2- कार्यवाही पुस्तिका, कार्य योजना व स्टीमेट प्रस्तुत नहीं किया गया।
3- कार्य की प्रशासनिक, वितीय व तकनीकी स्वीकृति व कार्य का कोड प्रस्तुत नहीं किया गया ।
4- कार्य का बिल/ वाउचर / चालान व नियम 202 के अनुपालन में स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया।
5- क्रय के वितीय औचित्य हेतु कोटेशन/ टेन्डर प्रस्तुत नहीं किया गया।
6- मजदूरी का मस्टर रोल प्राप्त नहीं है ।
7- भुगतान पूर्व की गयी एम०बी० ऑडिट में प्रस्तुत नहीं की गयी ।
8- कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र व परिसंपत्ति पंजिका प्रस्तुत नहीं किया गया ।

पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी उत्तर प्रदेश पंचायती राज मैनुअल के प्रावधान अध्याय 8 (क) के अनुसार " यदि दर्शाये गए व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली प्रधान व सचिव से की जाएगी। "

उक्त प्रावधान के आलोक में व्यय धनराशि रु0 303781.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी ब्याज सहित व वसूली सचिव श्री अरविन्द कुमार सिंह व प्रधान श्री सत्येन्द्र से आधी-आधी की जानी अपेक्षित है।

**प्रारूप - 4**

जनपद - गाजीपुर (ग्राम पंचायत संबंधी)

**<u>आपत्तियाँ</u>**

प्रस्तर - 1

1. **ग्राम पंचायत - अरजानीपुर, विकास खंड - मुहम्मदाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखापरीक्षा में शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

आलोच्य वर्ष में चौदहवे वित्त आयोग मद से रूपये 144288.00 भिन्न भिन्न जगहों पर जल निकासी कार्य हेतु ह्यूम पाइप खरीद हेतु अखिलेश इन्टरप्राइजेज को दिनांक 19.07.2019 को चेक नंबर- 048323 से भुगतान किया गया है। उपर्युक्त ह्यूम पाइप पर भुगतान के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रूपये / कुछ भी व्यय नही किया गया है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप का उपभोग किया गया है यह भी अस्पष्ट रहा दुसरे शब्दों में कोषबही मे कार्य स्थान का स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है. स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। एस्टीमेट, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,व्यय प्रमाणक आदि प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए। ह्यूम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईंट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है. जैसा कि भूमिगत नाली निर्माण के सन्दर्भ में किया जाता है। कच्ची सड़क या संपर्क मार्ग से जल निकासी हेतु अलग से ह्यूम पाइप खरीद के बजाये कार्य के एस्टीमेट में ही इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और निर्धारित दुरी पर मानक के अनुसार इसकी स्थापना की जानी चाहिए ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाद में निर्मित कार्य में तोड़ फोड़ कर इसे स्थापित किया जाये इस प्रकार स्थापित भौतिक संपत्ति के तोड़ फोड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। नियमानुसार उचित कार्यवाही अपेक्षित है। स्पष्ट है कि कोषबही मे दर्शित उपरोक्त व्यय धनराशि रुपया 144288.00 का ग्राम निधि से काल्पनिक व्यय के रूप मे आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7 के बिन्दु 8क और ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 मे निहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि मे से रुपये 72144.00 ग्राम प्रधान श्री राकेश कुमार एवं रुपया 72144.00 ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्रीमती नीतू सिंह से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 2

2- **ग्राम पंचायत - हैन्सी, विकास खंड - मुहम्मदाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है। आलोच्य वर्ष में चौदहवे वित्त आयोग मद से रूपये 145125.00 भिन्न भिन्न जगहों पर जल निकासी कार्य हेतु ह्यूम पाइप खरीद हेतु अखिलेश इन्टरप्राइजेज को दिनांक 26.7.2019 को चेक संख्या- 1008296 से भुगतान किया गया है।

उपर्युक्त ह्यूम पाइप पर भुगतान के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रूपये | कुछ भी व्यय नही किया गया है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप का उपभोग किया गया है यह भी अस्पष्ट रहा दुसरे शब्दों में कार्य स्थान का स्पष्ट विवरण को अंकित नहीं किया गया है. स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। एस्टीमेट , माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र,व्यय प्रमाणक आदि प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए। ह्यूम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईंट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है. जैसा कि भूमिगत नाली निर्माण के सन्दर्भ में किया जाता है। कच्ची सड़क या संपर्क मार्ग से जल निकासी हेतु अलग से ह्यूम पाइप खरीद के बजाये कार्य के एस्टीमेट में ही इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और निर्धारित दुरी पर मानक के अनुसार इसकी स्थापना की जानी चाहिए ऐसे में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बाद में निर्मित कार्य में तोड़ फोड़ कर इसे स्थापित किया जाये इस प्रकार स्थापित भौतिक संपत्ति के तोड़ फोड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट है कि कोषबही मे दर्शित उपरोक्त व्यय धनराशि का ग्राम निधि से काल्पनिक व्यय के रूप मे आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7 के बिन्दु 8क और ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 मे निहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि मे से रुपये 72562.50/- ग्राम प्रधान श्री वीरेंद्र से एवं रुपया 72562.50/- ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री अजय राय से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 3

3- **ग्राम पंचायत - भाला, विकास खंड - मुहम्मदाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में अधोलिखित विवरण के अनुसार ग्राम निधि प्रथम से भुगतान किए गए है।ग्राम निधि की कोशबही के अनुसार निम्न विवरण है -

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद मे दिनांक 27.6.2019 को चेक संख्या 1923 से रुपये 7000.00 सफाई उपकरण ठेला और अन्य सामग्री पर भुगतान श्री संत कुमार जायसवाल को किया गया है। उपरोक्त भुगतान अपुष्ट रहे। इस भुगतान के संबंध मे लेखा परीक्षा मे कोई स्पष्ट विबरण कोष बही मे अंकित नहीं किया गया है और इसके संबंध मे कोई मूल प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। भुगतान सामग्री क्रय हेतु किया गया है जो की नियमानुसार फर्म को अकाउंट पेई किया जाना था लेकिन ऐसा न कर सचिव के द्वारा स्वयं आहरित किया गया है इस संबंध में कोई शासनदेश लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। अतः सम्पूर्ण भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। प्रथम दृष्ट्या भुगतान गबन की संभावना से युक्त प्रतीत होते है नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित है।

चौदहवे वित्त आयोग मद मे दिनांक 12.7.2019 को चेक संख्या-1926 से रुपये 8000.00 ग्राम प्रधान सुरेन्द्र प्रताप सिंह को भुगतान आकस्मिक व्यय हेतु उपरोक्त भुगतान के संदर्भ मे कोषबही मे कोई स्पष्ट विवरण अंकित नहीं किया गया है और इस संबंध मे कोई मूल व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। भुगतान प्रधान को किया गया है अतः भुगतान की पुष्टि नहीं की जा सकी। स्पष्ट है कि कोषबही मे दर्शित उपरोक्त व्यय धनराशि रुपया 15000.00 का ग्राम निधि से काल्पनिक व्यय के रूप मे आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के पैरा 7 के बिन्दु 8क और ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम संख्या 256 मे निहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि मे से रुपये 7500.00 ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र एवं रुपया 7500.00 ग्राम पंचायत्/विकास अधिकारी श्री संत कुमार जायसवाल से वसूली ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 4

4- **ग्राम पंचायत - चकमुकरी बरेजी, विकास खंड - मुहम्मदाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा मे निम्नलिखित अपहरण/दुर्विनयोग/गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश मे आए है जिस ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। आलोच्य वर्ष मे ग्राम निधि प्रथम मे चतुर्थ राज्य वित्त मद मे दुहरे भुगतान के प्रकरण प्रकाश मे आए है। वृक्षारोपण पर दिनांक 14.8.19 को चेक संख्या 12012787 से ऐरो इन्टरप्राइजेज को रुपये 33000.00 का भुगतान किया गया है। पुनः दिनांक 14.1.20 को पी0एफ0एम0एस0 से रुपये 24325.00 का भुगतान इसी फर्म को किया गया है।

दिनांक 14.01.20 को पी एम एफ एस के माध्यम से भुगतान किए गए धनराशि की पुष्टि मे कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहे। लेखा परीक्षा मे प्रमाणक मांगे जाने पर संस्था के सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा प्रदत्त मौखिक जानकारी के अनुसार यह भुगतान गलती से दुबारा कर दिया गया है और धनराशि वापस लेने के प्रयास किए जा रहे है लेकिन इसे लेखा परीक्षा की तिथि तक फर्म द्वारा वापस नहीं कराई गई है। उक्त धनराशि हेतु उत्तरदायी मे सचिव श्रीमती रानी कुशवाहा और ग्राम प्रधान श्रीमती आशा से आधा-आधा, प्रत्येक से रुपया 12162.50/- वसूली ब्याज सहित कराई जानी अपेक्षित है।

प्रस्तर - 5

5- **ग्राम पंचायत - सहेड़ी, विकास खंड - करंडा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20** की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में दिनांक 06.04.2018, 03.07.2018 एवं 16.10. 2018 क्रमशः रु0 50000.00, 60000.00 एवं रु0 100000.00 सचिव द्वारा स्वयं अपने नाम से आहरण किया गया है। जो नियमानुसार सही नहीं है एवं प्रधान द्वारा भी स्वयं दिनांक 31. 01.2018 से 25.03.2019 तक विभिन्न तिथियों में रु0 824810.00 का आहरण किया गया है। आहरण की गयी धनराशि कुल रु0 1034810.00 के सापेक्ष बार-बार कहने एवं लिखित रुप से देने के उपरान्त भी नियमविरुद्ध आहरण के सम्बन्ध में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि मात्र बैंक से आहरण कर मात्र काल्पनिक कैशबुक लिखकर धन का अपहरण कर लिया गया है। सचिव श्री कोमल यादव ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री अमरनाथ यादव द्वारा आहरण कर धन का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण अनिवार्य रुप से किया जाना है। और इसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान लेखा परीक्षा कार्य कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा, एवं साथ-साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जयेगी, एवं उ०प्र०प०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश सं0- 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 9 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 1034810.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ यादव एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कोमल यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 6

6- **ग्राम पंचायत - सोनहरिया, विकास खंड - करंडा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20** की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में विभिन्न तिथियों में पूरे वर्ष में 227405.00 रु0 अपने नाम से सचिव श्री सतीश कुमार ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्री रंगनाथ दूबे द्वारा आहरण कर धन का अपहरण कर लिया गया है। आहरण के धनराशि के सापेक्ष उनके

द्वारा कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग किए गये लेकिन उनके द्वारा उक्त तथ्यों के बाद भी कोई अभिलेख एवं कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण अनिवार्य रुप से किया जाना है। और इसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान लेखा परीक्षा कार्य कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा, एवं साथ-साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जयेगी, एवं उ०प्र०प०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश सं0- 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 7

7- **ग्राम पंचायत - ढेलवा, विकास खंड - करंडा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20** की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2018 तक कुल 2259150.00 रु0 व्यय दर्शित की गयी है उक्त वर्ष के कैशबुक में किसी भी पृष्ठ पर माह के अन्त में कहीं भी व्यय का योग नहीं किया गया है। व्यय की धनराशि रु0 2259150.00 के सापेक्ष बार-बार कहने एवं लिखित रुप से देने के उपरान्त भी व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का काल्पनिक रुप से कैशबुक में दर्शित कर अपहरण कर लिया गया है। सचिव श्री प्रदीप कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान श्री योगेन्द द्वारा आहरण कर धन का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण अनिवार्य रुप से किया जाना है और इसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान लेखा परीक्षा कार्य कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा, एवं साथ-साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जयेगी, एवं उ0प्र0प0रा0 अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश सं0- 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 9 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 2259150.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 8

8- **ग्राम पंचायत - सराय मोहम्मद, विकास खंड - करंडा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20** की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में कैश बुक में निम्नलिखित तिथियों में हैंड पम्प रीबोर पर धनराशि खर्च की गयी है लेकिन रीबोर होने के बाद निकाले गये सामान का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है और न ही कोई स्टॉक रजिस्टर बनाया गया है और न ही यह दर्शित है कि हैंड पम्प रीबोर किन-किन स्थानों का हुआ है और उक्त धनराशि के व्यय का कोई प्रमाणक है। इससे स्पष्ट है कि मात्र काल्पनिक रुप से रीबोर पर व्यय कैश बुक में दर्शित कर धन का अपहरण किया गया है।

| दिनाक | हैंड पम्प रीबोर | धनराशि |
|---|---|---|
| 20.04.2018 | 4 अदद | 114628 |
| 08.08.2018 | हैंड पम्प मरम्मत सामग्री | 15000 |
| 11.01.2019 | हैंड पम्प मरम्मत मजदूरी | 65000 |
| 18.01.2019 | हैंड पम्प रीबोर | 35000 |
| 28.03.2019 | हैंड पम्प रीबोर | 73000 |
| 29.03.2019 | हैंड पम्प रीबोर मजदूरी | 73000 |

| | | |
|---|---|---|
| | योग - | 372628.00 |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण अनिवार्य रुप से किया जाना है। और इसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान लेखा परीक्षा कार्य कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा, एवं साथ-साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जयेगी, एवं उ०प्र०प०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश सं0- 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 9 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 372628.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री श्रीप्रकाश यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 9

9- **ग्राम पंचायत - सौरम, विकास खंड - करंडा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20** में क्रमशः रु0 993626.00 एवं रु० 3592121.00 व्यय किया गया है। व्यय की धनराशि रु0 4585747.00 के सापेक्ष बार-बार कहने एवं लिखित रुप से देने के उपरान्त भी व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि मात्र बैंक से आहरण कर मात्र काल्पनिक कैशबुक लिखकर धन का अपहरण कर लिया गया है। सचिव श्री उधम सिंह एवं कोमल यादव ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती सीमा जायसवाल द्वारा आहरण कर धन का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण अनिवार्य रुप से किया जाना है। और इसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान लेखा परीक्षा कार्य कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा, एवं साथ-साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जायेगी, एवं उ0प्र0प0रा0 अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश सं0- 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 9 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 4585747.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सीमा जायसवाल एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उधम सिंह एवं श्री कोमल यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 10

10- **ग्राम पंचायत - गोशन्देपुर, विकास खंड - करंडा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20** की लेखा परीक्षा में वर्ष 2018-19 में दिनांक 01.04.2018 से 31.12.2018 तक बैंक से कुल 2034812.00 रु0 आहरित कर कैशबुक में विभिन्न तिथियों व्यय दर्शित है लेकिन अगस्त 2018 में केवल मात्र कैशबुक में आय पक्ष में 126188.00 रु0 आय दर्शित है तथा व्यय पक्ष में कोई अंकन नहीं है। व्यय की धनराशि रु0 2034812.00 के सापेक्ष बार-बार कहने एवं लिखित रुप से देने के उपरान्त भी व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का काल्पनिक रुप से कैशबुक में दर्शित कर अपहरण कर लिया गया है। सचिव श्री उधम सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान श्रीमती सावित्री देवी द्वारा आहरण कर धन का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण अनिवार्य रुप से किया जाना है। और इसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा

भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान लेखा परीक्षा कार्य कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा, एवं साथ-साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जयेगी, एवं उ०प्र०प०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश सं0- 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 9 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 2084888.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सचिव उत्तरदायी हैं, जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सावित्री देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उधम सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 11

11- **ग्राम पंचायत - कुसुम्ही कला, विकास खंड - करंडा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20** की लेखा परीक्षा में वर्ष 2019-20 में दिनांक 06.10.2019 से 30.03.2020 तक बैंक से कुल 1756329.00 रु0 आहरित किया गया है। लेकिन कैशबुक में कहीं भी आय एवं व्यय पक्ष में उक्त धनराशि अंकित नहीं है। व्यय की धनराशि रु0 1756329.00 के सापेक्ष बार-बार कहने एवं लिखित रुप से देने के उपरान्त भी व्यय की पुष्टि हेतु कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा के समक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि उक्त धनराशि मात्र बैंक से आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। सचिव श्री कोमल यादव ग्राम पंचायत अधिकारी एवं प्रधान परशुराम बिन्द द्वारा आहरण कर धन का अपहरण कर लिया गया है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण अनिवार्य रुप से किया जाना है। और इसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान लेखा परीक्षा कार्य कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा, एवं साथ-साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जयेगी, एवं उ0प्र0प0रा0 अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश सं0- 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 9 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 1756329.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सचिव उत्तरदायी हैं, जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान परशुराम बिन्द एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री कोमल यादव से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 12**

12- **ग्राम पंचायत - मुड़वल, विकास खंड - करंडा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2018-19 से 2019-20** में विभिन्न तिथियों में पूरे वर्ष में क्रमश: 891270.00 रु0 एवं 236842.00 रु0 कुल 1128112.00 रु0 सचिव श्री प्रदीप कुमार यादव ग्राम विकास अधिकारी एवं प्रधान श्री करुणानिधि द्वारा आहरण कर धन का अपहरण कर लिया गया है। आहरण के धनराशि के सापेक्ष उनके द्वारा कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग किए गये लेकिन उनके द्वारा उक्त तथ्यों के बाद भी कोई अभिलेख एवं कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के बिन्दु 7 अध्याय के बिन्दु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का सर्वेक्षण अनिवार्य रुप से किया जाना है। और इसी ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान लेखा परीक्षा कार्य कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा, एवं साथ-साथ ग्राम प्रधान एवं सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जयेगी, एवं उ०प्र०प०रा० अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिन्दु पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश सं0- 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत राज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्राविधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 9 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा। उक्त प्राविधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय धनराशि रु0 1128112.00 गबन की श्रेणी में आती है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम सचिव उत्तरदायी हैं, जिसकी वसूली अद्‌यतन ब्याज सहित तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री करुणानिधि एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार यादव से किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तर - 13

**13- ग्राम पंचायत - सुखडेहरा, विकास खंड - भावरकोल, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्रा०पं0 सुखडेहरा में कुल धनराशि रू0 3236738.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख/ व्यय प्रमाणक, वर्क आई0डी0, कार्यवाही रजि0, एम0बी0 स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद अभिलेख अप्राप्त) जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्द-7 का उल्लंघन है। बिन्दु-7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 3236738.00 का अपहरण ग्रा०पं0 सचिव श्री मयंकधर राय एवं ग्राम प्रधान श्री गिरीश राय द्वारा किया गया है। जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि प्रधान श्री गिरीश राय एवं ग्रा०पं0अधि0 श्री मयंकधर राय से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 14

**14- ग्राम पंचायत - गोड़उर, विकास खंड - भावरकोल, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्रा०पं0 गोड़उर में कुल धनराशि रू0 1230927.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक, वर्क आई0डी0, कार्यवाही रजि0, एम0बी0 स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद अभिलेख अप्राप्त) जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्द-7 का उल्लंघन है। बिन्दु-7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 1230927.00 का अपहरण ग्रा०पं0 सचिव श्री मयंकधर राय एवं ग्रा०पं0 श्रीमती मन्तु देवी ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि प्रधान श्रीमती मन्तु देवी एवं ग्रा०पं0अधि0 श्री मयंकधर राय से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 15

**15- ग्राम पंचायत - रेवसड़ा, विकास खंड - भावरकोल, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्रा०पं0 रेवसड़ा में कुल धनराशि रू0 1037896.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक, वर्क आई0डी0, कार्यवाही रजि0, एम0बी0 स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद अभिलेख अप्राप्त) जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्द-7 का उल्लंघन है। बिन्दु-7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 1037896.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री अखिलेश मिश्र एवं श्री अनिल राय ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि प्रधान श्री अनिल राय एवं ग्रा०पं0अधि0 श्री अखिलेश मिश्र से समान रूप से ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 16

**16- ग्राम पंचायत - मिश्रौलिया, विकास खंड - भावरकोल, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्रा०पं0 मिश्रौलिया में प्रिया साफ्ट/ई0ग्रा0 स्वरोज में दर्शित कुल धनराशि रू0 420708.00 व्यय किया गया है जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी0, कार्यवाही रजि०, निर्माण कार्य रजि0, स्टीमेट, एम0बी0 कोषवही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद अभिलेख अप्राप्त) जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्द-7 का उल्लंघन है। बिन्दु-7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर  तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 420708.00 का अपहरण ग्रा०पं0 सचिव श्री भोला चौरसिया एवं ग्रा०पं0 श्रीमती अनुराधा मिश्रा द्वारा किया गया है। जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि प्रधान श्रीमती अनुराधा एवं ग्रा०पं0अधि0 श्री भोला चौरसिया से समान रूप से ब्याज सहित वसूली  अपेक्षित है।

प्रस्तर - 17

**17- ग्राम पंचायत - महेशपुर-2, विकास खंड - भावरकोल, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्रा०पं0 महेशपुर-2 में कुल धनराशि रू0 1269146.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक, वर्क आई0डी0, कार्यवाही रजि0, एम0बी0 स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद अभिलेख अप्राप्त) जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्द-7 का उल्लंघन है। बिन्दु-7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर  तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 1269146.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री शोभनाथ शुक्ल व प्रमोद कुमार एवं श्री भृगुनाथ ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि प्रधान भृगुनाथ एवं ग्रा०पं0अधि0 श्री शोभनाथ शुक्ला व प्रमोद कुमार से समान रूप से ब्याज सहित वसूली  अपेक्षित है।

प्रस्तर - 18

**18- ग्राम पंचायत - टोडरपुर, विकास खंड - भावरकोल, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्रा०पं0 टोडरपुर में कुल धनराशि रू0 631434.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक, वर्क आई0डी0, कार्यवाही रजि0, एम0बी0 स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद अभिलेख अप्राप्त) जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्द-7 का उल्लंघन है। बिन्दु-7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर  तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 631434.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद यादव एवं श्री जय प्रकाश सिंह यादव ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि प्रधान श्री जय प्रकाश सिंह एवं ग्रा०पं0अधि0 श्री प्रमोद यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली  अपेक्षित है।

प्रस्तर - 19

**19- ग्राम पंचायत - बलुआत पेशाहपुर, विकास खंड - भावरकोल, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा के अनुसार ग्रा०पं0 बलुआत पेशाहपुर में कुल धनराशि रू0 875772.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख/व्यय प्रमाणक, वर्क आई0डी0, कार्यवाही रजि0, एम0बी0 स्टीमेट आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद अभिलेख अप्राप्त) जिससे व्यय की गयी धनराशि की पुष्टि न हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्द-7 का उल्लंघन है। बिन्दु-7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर  तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 875772.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रमोद यादव एवं श्रीमती उषा देवी ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्रा०पं0अधि0 श्री प्रमोद यादव से समान रूप से ब्याज सहित वसूली  अपेक्षित है।

प्रस्तर - 20

**20- ग्राम पंचायत - धरम्मरपुर, विकास खंड - सैदपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** के कोषबही में दिनांक 31.07.2019 प्रमाणक संख्या-11 के द्वारा मेसर्स श्री साई ट्रेडर्स को रूपया 44,000/- सोलर लाइट के मद में भुगतान दर्शित किया गया। किन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कार्य की समीक्षा में निम्न न्यूनताए/ कमिया प्रकाश में आई-

(क) व्यय प्रमाणक के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि कुल कितनी सोलर लाईटें किस दर से क्रय की गई है।

(ख) ग्राम पंचायत में कुल कितनी और किन किन स्थानों पर सोलर लाईट लगाई गई है। इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।

(ग) किन किन स्थानों पर सोलर लाईट लगाई जानी है,इससे सम्बन्धित कोई रिपोर्ट एवं सम्बन्धित समिति की संस्तुति तथा कार्यवाही पुस्तिका में अनुमोदन की स्थिति का ज्ञान कार्यवाही पुस्तिका एवं सम्बन्धित प्रपत्र के अभाव में नहीं हो सका।

(घ) क्रय सोलर लाईटों से सम्बन्धित स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं की गई।

(ड) लगाये गये सोलर लाईटों के सुचारू रूप से संतोषप्रद कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रदत्त रिपोर्ट के निमित्त सम्बन्धित समिति की संस्तुति देखने को नहीं मिली।

उपरोक्त न्यूनताओं के दृष्टिगत सोलर लाइट क्रय मद में दर्शित धनराशि रूपया 44,000.00 पूर्णतया अपुष्टित एवं अप्रमाणित रही। जिसके लिए श्रीमती दुर्गावती, प्रधान एवं श्री शैलेन्द्र गौतम सचिव का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व है । उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 21

**21-** **ग्राम पंचायत - अलायचक, विकास खंड - सैदपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में निम्न विवरण के अनुसार ग्राम पंचायत में विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प मरम्मत/रिबोर पर रूपया 191356.00 व्यय दर्शित कर कैशबुक में प्रमाणक विहिन लेखा पारित किया गया है। विवरण निम्नवत् है -

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | प्रमाणक संख्या/दिनाक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी व सामग्री क्रय | 1/03.04.19 | 25300 |
| 2 | हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी | 6/26.07.19 | 10000 |
| 3 | हैंडपम्प मरम्मत सामग्री क्रय | 7/26.07.19 | 22300 |
| 4 | हैंडपम्प रिबोर मजदूरी | 8/26.07.19 | 18808 |
| 5 | हैंडपम्प रिबोर सामग्री क्रय | 9/26.07.19 | 14700 |
| 6 | हैंडपम्प रिबोर मजदूरी | 10/26.07.19 | 18808 |
| 7 | हैंडपम्प रिबोर सामग्री क्रय | 11/26.07.19 | 14700 |
| 8 | हैंडपम्प रिबोर कार्य | 17/17.02.20 | 33273 |
| 9 | हैंडपम्प मरम्मत कार्य | 18/17.02.20 | 33467 |
| | | योग - | 191356.00 |

उक्त व्यय की पुष्टि में न तो हैण्डपम्प रजिस्टर बनाया गया है और न ही उन स्थानों का स्पष्ट अंकन ही किया गया है। जिससे यह ज्ञात हो सके कि किन किन स्थानों पर मरम्मत की कितनी धनराशि व्यय की गई। खराब हैण्डपम्पों का विवरण एवं अनुमानित लागत/पार्ट्स के विवरण के साथ कार्यवाही पुस्तिका में इसकी परिचर्या एवं स्वीकृति प्रदान की गई है अथवा नहीं कार्यवाही पंजिका के अभाव में यह अपुष्टित रहा। मरम्मत में लगने वाले पार्ट्स का क्रयादेश, क्रय वाउचर्स , स्टॉक आमद, एवं मरम्मत के पश्चात वर्क हैण्डओवर, कार्यप्रभारी की नियुक्ति, पुराने सामान का स्टॉक रजिस्टर भी नहीं रखा गया है। जलप्रबंधन समिति से हैण्ड पम्प मरम्मत व व्यय की धनराशि की पुष्टि नहीं कराई गई है। उपरोक्त स्थिति में न तो हैण्डपम्पों के खराब होने की पुष्टि हो रही है न ही सामान क्रय एवं मरम्मत की ही पुष्टि हो रही है तथा यह भी स्पष्ट नहीं हो सका कि अब तक कितने हैण्डपम्प किन किन स्थानों पर लगाये गये थे। अतः उक्त व्यय पूर्णतया संदिग्ध एवं अपुष्टि रहा। जिसके लिए प्रधान,श्रीमती सीमा एवं सचिव श्री शैलेन्द्र गौतम संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 22

**22-ग्राम पंचायत - मठसरैया , विकास खंड - सैदपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में कैशबुक निर्धारित प्रारूप परतैयार नहीं किया गया है। सचिव द्वारा लेखा परीक्षा में आधा-अधूरा मात्र 2 पृष्ठों का अपूर्ण कैशबुक एवं बैंक पासबुक/स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउण्ट के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जबकि अभिलेखों की उपलब्धता हेतु पत्र भी निर्गत किये गये थे। स्टेटमेन्ट ऑफ एकाउन्ट की समीक्षा से निम्न स्थिति प्रकाश में आई।

| प्रा0 शेष | प्राप्त | व्यय | अंतिम शेष |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16146.44 | 955169.00 | 324910.00 | 646405.44 |

उपरोक्तानुसार वर्ष आलोच्य में दर्शित व्यय की धनराशि रू0 324910.00 परियोजनाओं के विवरण, बिल/वाउचर की अनुपलब्धता की स्थिति में पूर्णतया अपुष्टि एवं अप्रमाणित रही। साथ ही वर्षान्त 31.03.2020 को रूपया 646405.44 राजकीय धन रोक रखकर न केवल राजकीय धन का दुरूपयोग किया गया है तथा विकास कार्य को भी बाधित किया गया है।

उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 27 तथा उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के अनुच्छेद 8 (क) के अंतर्गत बिना विवरण एवं व्यय प्रमाणक के भुगतान कर धनराशि रूपया 324910.00 का अपहरण एवं अंतिम शेष धनराशि रूपया 646405.44 रोक रखकर दुरूपयोग किया गया है। जिसका दायित्व ग्रा0वि0अ0 श्री उधम सिंह एवं प्रधान श्रीमती आशा खरवार का संयुक्त रूप से रहा। उक्त अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है तथा दुरूपयोगित धनराशि के संबंध में उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

प्रस्तर - 23

**23-ग्राम पंचायत - लौलहा , विकास खंड - सैदपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में रूपये 391386.00 व्यय की अपुष्टित धनराशि का विवरण निम्नवत् है:-

1. परियोजनाओ पर व्यय

| क्रमांक | कार्य | मद | |
|---|---|---|---|
| | | सामग्री | श्रमांश |
| 1 | सीता मौर्या के खेत से गोल तक खड़न्जा मरम्मत कार्य। | 28917 | - |
| 2 | धर्मू धर्मु के घर से शिवमंदिर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य। | 52221 | - |
| 3 | रामारामाश्रय राजभर के घर से मुन्नीराम राजभर के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य। | 48569 | - |
| 4 | सिया राम के घर से सीता मौर्या के खेत तक खड़ंजा मरम्मत कार्य। | 41929 | - |
| | योग- | 171636.00 | |

2-हैंडपंप मरम्मत पर व्यय रु0 20000.00

1- स्ट्रीट लाईट पर व्यय रू0 199750.00

उपरोक्त दर्शित व्ययों की प्रस्तरवार समीक्षा में निम्न न्यूनतायें/कमिया प्रकाश में आयी -

उपरोक्तानुसार दर्शित 4 परियोजनाओं के मरम्मत/निर्माण कार्य मद में कुल रूपया 171636.00 का व्यय सामग्री मद में/ईंट क्रय मेसर्स शिव ईंट भट्टा को निम्नानुसार भुगतान दर्शित है:-

| क्र0 | प्रमाणक संख्या | दिनाक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 02.04.2019 | 28917 |
| 2 | 07 | 03.03.2020 | 52221 |
| 3 | 10 | 03.03.2020 | 48569 |
| 4 | 11 | 04.03.2020 | 41929 |
| | | योग - | 171636.00 |

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि मात्र सामग्री/ईंट क्रय में व्यय दर्शित है जबकि कोई मजदूरी भुगतान/व्यय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य/मरम्मत स्वतः संदिग्ध हो जाता है। फर्जी कार्य दर्शित करने की स्थिति प्रकाश में आ रही है। साथ ही व्यय वाउचर भी अप्राप्त रहे। अतः इसके लिए ग्राम प्रधान व सचिव का क्रमशः श्री बिन्दू (प्रधान) व श्री संतोष पाण्डेय सचिव का संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व है । उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**हैण्डपम्प मरम्मत**

2. दिनांक 24.05.2019 को प्रमाणक संख्या-02 से मेसर्स जीवन पेन्ट्स एण्ड हार्डवेयर सैदपुर को रूपया 20,000/- का भुगतान हैण्डपम्प मरम्मत मद में प्रमाणक विहिन दर्शित किया गया हैं। इस सम्बन्ध में निम्न न्यूनतायें/ कमियाँ प्रकाश में आयी-

क. ग्राम पंचायत में किन किन स्थानों पर कुल कितने हैण्डपम्प लगाये गये हैं। इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख. किन किन स्थानों पर हैण्ड पम्प खराब हो चुके हैं तथा उनका मरम्मत किया
जाना है से सम्बन्धित कोई रिपोर्ट देखने को नहीं मिली।
ग. हैण्डपम्प मरम्मत हेतु कोटेशन आमंत्रण एवं न्यूनतम दर निर्धारण संबंधी अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।
घ. मरम्मत तथा मरम्मत के पश्चात् सुचारू रूप से कार्य करने के निमित्त जल
समिति संस्तुति/रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
ड़ मरम्मत कार्य हेतु कार्य प्रभारी की नियुक्ति एवं कार्यादेश लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
च. मरम्मत कार्य हेतु प्रस्ताव एवं उसका अनुमोदन से सम्बन्धित कार्यवाही पुस्तिका के अभाव में स्वीकृति संबंधित संदर्भ भी ज्ञात नहीं हो सका।
छ. बदले गये सामानों तथा क्रय सामानों से सम्बन्धित स्टॉक पंजी देखने का नहीं मिली।
उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत मरम्मत कार्य पूर्णतया अपुष्टित एवं अप्रमाणित रहा। अतः उक्त हेतु ग्राम प्रधान श्री बिन्दू एवं सचिव श्री संतोष पाण्डेय का संयुक्त रूप उत्तरदायित्व है । उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**3. स्ट्रीट लाईट** :
दिनांक 03.12.2019 को व्यय प्रमाणक संख्या-04 के द्वारा मेसर्स केजीएस इण्टरप्राइजेज सैदपुर को रूपया 199750.00 स्ट्रीट लाईट के मद में भुगतान दर्शित किया गया है किन्तु लेखा परीक्षा में इससे सम्बन्धित व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कार्य की समीक्षा में निम्न न्यूनताएं/कमियाँ प्रकाश में आई-
क. व्यय प्रमाणक के अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि कुल कितनी स्ट्रीट लाईट किस दर से क्रय की गई है।
ख. ग्राम पंचायत में कुल कितनी और किन किन स्थानों पर स्ट्रीट लाईट लगाई गई है इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं रहा।
ग. किन किन स्थानों पर स्ट्रीट लाईट लगायी जानी है इससे सम्बन्धित कोई रिपोर्ट एवं सम्बन्धित समिति की संस्तुति तथा
कार्यवाही पुस्तिका में अनुमोदन की स्थिति का ज्ञान कार्यवाही पुस्तिका एवं सम्बन्धित प्रपत्र के अभाव में नहीं हो सका।
घ. क्रय स्ट्रीट लाईट से सम्बन्धित स्टॉक पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गई।
ड़ लगाये गये स्ट्रीट लाईटों के सुचारू रूप से संतोषप्रद कार्य सम्पादन सम्बन्धी प्रदत्त रिपोर्ट के निमित्त सम्बन्धित समिति की संस्तुति देखने को नहीं मिली।
उपरोक्त न्यूनताओं/कमियों के दृष्टिगत स्ट्रीट लाईट क्रय मद में दर्शित धनराशि 199750/- पूर्णतया अपुष्टित एवं अप्रमाणित रही। उक्त हेतु श्री बिन्दू प्रधान व श्री सन्तोष पाण्डेय सचिव संयुक्त रूप उत्तरदायी हैं अतः उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।
प्रस्तर - 24

**24-ग्राम पंचायत - कोटिसा, विकास खंड - सैदपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की परीक्षा अभिलेखों की उपलब्धता के निमित्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को बार बार पत्र निर्गत (सात पत्र)करने के उपरान्त भी निर्धारित कोई अभिलेख एवं व्यय वाउचर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। ई ग्राम स्वराज पोर्टल के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष आलोच्य में रू. 755827.00 व्यय दर्शित है। मूल अभिलेख लेखापरीक्षा में प्रस्तुत न करने की स्थिति में दर्शित व्यय की धनराशि रूपया 755827.00 पूर्णतया अपुष्टित पाई गई। अतः जिसका उत्तरदायित्व सचिव श्री उधम सिंह एवं प्रधान श्री गुलाब यादव का संयुक्त रूप से रहा। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 25

**25-ग्राम पंचायत -शेखपुर, विकास खंड - बिरनो, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित कुल धनराशि रू0 1840540.26 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद, दिनांक 15.03.2021 व 24.03.2021 कों अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।
जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 1840540.26 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव बिन्दु खरवार एवं ग्राम प्रधान श्री मोहन द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है, उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 26

**26-ग्राम पंचायत - तांती, विकास खंड - बिरनो, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित कुल धनराशि रू0 1191094.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद, दिनांक 15.03.2021 व 24.03.2021 कों अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 1191094.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश चन्द्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती मीना द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है, उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 27

**27-ग्राम पंचायत - बिरनो, विकास खंड - बिरनो, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित कुल धनराशि रू0 3525836.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद, दिनांक 15.03.2021 व 24.03.2021 कों अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 3525836.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश चन्द्र एवं ग्राम प्रधान श्री मुरलीधर द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है, उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 28

**28-ग्राम पंचायत - गहलीबसारीखपुर, विकास खंड - बिरनो, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में प्रिया सॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज में दर्शित कुल धनराशि रू0 2182354.00 व्यय किया गया है। जिसकी पुष्टि में वांछित अभिलेख, व्यय पत्रावली, वर्क आई0डी, कार्यवाही रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, स्टीमेट, एम0बी0, कोषबही, बैंक स्टेटमेन्ट आदि लेखा परीक्षा में अभिलेख अप्रस्तुत रहा। (बार-बार पत्राचार के बाद, दिनांक 15.03.2021 व 24.03.2021 कों अन्तिम रूप से पत्राचार किया गया) जिससे व्यय की गई धनराशि की पुष्टि नहीं हो सकी।

जो कि पंचायती राज विभाग उ0प्र0 द्वारा निर्गत ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के बिन्दू 7 का उल्लंघन है। बिन्दू 7 में अंकित है कि ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त उत्तरदायित्व है कि वे सम्प्रेक्षण हेतु सम्प्रेक्षण दल को व्यय के समस्त वाउचर तथा नियमो में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराये।

अतः व्यय धनराशि रू0 2182354.00 का अपहरण ग्राम पंचायत सचिव श्री रमेश चन्द्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती चन्द्रावती द्वारा किया गया है, जिसके लिए दोनों समान रूप से उत्तरदायी है, उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 29**

**29-ग्राम पंचायत - टिसौरी, विकास खंड - मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्राम पंचायत टिसौरी के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक , पासबुक , बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन

समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु० 933581.32 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती सुनील व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री /श्रीमती रितेश चन्द्र राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी | एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 30**

**30-ग्राम पंचायत - सिंगेरा, विकास खंड - मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है 11 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्राम पंचायत सिंगेरा के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक पासबुक बिल / वाउचर मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डिरेक्टिव ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तति. प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा

जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 2372869.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसका वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री / श्रीमती सुखिया व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री श्रीमती रितेश चन्द्र राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी | एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत । राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है | अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 31**

**31-ग्राम पंचायत - पृथ्वीपुर, विकास खंड - मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्राम पंचायत पृथ्वीपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 436790.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री / श्रीमती ज्योति व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री/ श्रीमती गोपाल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी । एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है|

**प्रस्तर - 32**

**32-ग्राम पंचायत - बसवारी, विकास खंड - मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्राम पंचायत बसवारी के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1718954.96 गबन की श्रेणी में आती है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी /सचिव उत्तरदायी है जिसका वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री / श्रीमती लालमुनी व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री /श्रीमती रितेश चन्द्र राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक

विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी । एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 33**

**33-ग्राम पंचायत - नरवर, विकास खंड - मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्राम पंचायत नरवर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 2924347.00 गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी /पंचायत सचिव उत्तरदायी है जिसका वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री / श्रीमती राम बचन व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री /श्रीमती गोपाल सिह से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है|

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी । एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 34**

**34-ग्राम पंचायत - अबिसहन, विकास खंड - मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है |1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्राम पंचायत अबिसहन के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा|

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1366872.01 गबन की श्रेणी में आता है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी /पंचायत सचिव उत्तरदायी है जिसका वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री / श्रीमती हरिकांत व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री/श्रीमती गोपाल सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी । एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के

धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है|

**प्रस्तर - 35**

**35-ग्राम पंचायत - चवर, विकास खंड - मरदह, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया ग्राम पंचायत चॅवर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समि प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि 50 1105145.00 गबन की श्रेणी में आता है । जिसका वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री /श्रीमती अरविन्द व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री /श्रीमती रितेश चन्द्र राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन । सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान का है|

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी | एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है|

**प्रस्तर -36**

**36-ग्राम पंचायत - चलनी, विकास खंड - जखनिया, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में राज्यवित्त/14वाँ वित की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 288780.00 की स्ट्रीट/सोलर लाइट क्रय कैशबुक में दर्शित है, जिसका व्यय वाउचर प्रस्तुत किया गया, परन्तु इसकी क्रय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह स्पष्ट

नहीं हो सका कि क्रय से पूर्व टेण्डर किया गया था अथवा नहीं एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से क्रय की अनुमति ली गयी थी या नहीं। शासनादेश सं0 ए-1/864दस-15(1) दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर दो के अनुसार रुपया एक लाख से अधिक की सामग्री का क्रय टेण्डर आमंत्रित करते हुए किया जायेगा किन्तु यहाँ पर क्रय से पूर्व इस शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री फैज अहमद एवं ग्राम प्रधान श्री दयाशंकर द्वारा रु0 288780.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है, विवरण निम्नांकित है-

| दिनाक | धनराशि | क्रय की गई सामग्री |
|---|---|---|
| 17.12.2019 | 90000 | स्ट्रीट लाइट |
| 17.12.2019 | 198780 | सोलर लाइट |
| **योग -** | **288780.00** | |

अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 37**

**37-ग्राम पंचायत - खेताबपुर, विकास खंड - जखनिया, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में राज्यवित्त/14वाँ वित्त ग्राम निधि प्रथम की कैश बुक में दिनांक 12.07.2019 को रु0 27801.00 हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री क्रय एवं रु0 4676.00 मजदूरी देय दर्शित है। जबकि बैंक पासबुक के अनुसार रु0 27801.00 श्री लालजी यादव एवं रु0 4676.00 श्री सुभाषचन्द यादव को नकद दिया गया है। पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार रु0 2000.00 से अधिक के क्रय का भुगतान रजिस्टर्ड फर्म को एकाउण्ट-पेयी चेक द्वारा किया जाना चाहिए। लेखा परीक्षा में हैण्डपम्प मरम्मत की कार्य पत्रावली व्यय वाउचर एवं कहाँ पर हैण्डपम्प मरम्मत कराया गया है, इसका प्रमाण अप्रस्तुत रहा। अतः दिनांक 12.07.2019 को नकद आहरित रु0 32477.00 = (27801 + 4676) के व्यय की पुष्टि नहीं होती है, जिसे काल्पनिक रूप से कैशबुक में व्यय दर्शित कर अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम विकास अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह से रु0 16239.00 एवं ग्राम प्रधान श्री रामविलास से रु0 16239.00 करते हुए विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 38**

**38-ग्राम पंचायत - जौहरपुर, विकास खंड - जखनिया, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में राज्यवित्त/14वाँ वित्त की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 297760.00 की सोलर लाइट क्रय कैशबुक में दर्शित है, जिसका व्यय वाउचर प्रस्तुत किया गया, परन्तु इसकी क्रय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्रय से पूर्व टेण्डर किया गया था अथवा नहीं एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से क्रय की अनुमति ली गयी थी या नहीं। शासनादेश सं0 ए-1/864दस-15(1) दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर दो के अनुसार रुपया एक लाख से अधिक की सामग्री का क्रय टेण्डर आमंत्रित करते हुए किया जायेगा किन्तु यहाँ पर क्रय से पूर्व इस शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री रामबली राम एवं ग्राम प्रधान श्री ऋषिकान्त द्वारा रु0 297760.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है, अतः सम्बंधित उत्तरदायी विभागीय अधिकारियो /कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्नांकित है-

| दिनाक | धनराशि | क्रय की गई सामग्री |
|---|---|---|
| 10.07.2019 | 107500 | सोलर लाइट |
| 16.03.2020 | 190260 | सोलर लाइट |
| योग | 297760 | |

**प्रस्तर - 39**

**39-ग्राम पंचायत - राजापुर, विकास खंड - जखनिया, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में राज्यवित्त/14वाँ वित्त मद की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि 17.07.2019 को रु0 252000.00 की स्ट्रीट लाइट एवं दिनांक 29.07.2019 को रु0 92000.00 की सोलर लाइट क्रय कैशबुक में दर्शित है, जिसका व्यय वाउचर प्रस्तुत किया गया, परन्तु इसकी क्रय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्रय से पूर्व टेण्डर किया गया था अथवा नहीं एवं यह ग्राम पंचायत में कहाँ-कहाँ पर लगायी गयी है। शासनादेश सं0 ए-1/864दस-15(1) दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर दो के अनुसार रुपया एक लाख से अधिक के क्रय का टेण्डर किया जाना चाहिए तथा रु0 250000.00 से अधिक के कार्य की अनुमति जिला पंचायत राज अधिकारी, गाजीपुर से ली जानी चाहिए थी। इसका पालन नहीं किया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल यादव एवं ग्राम प्रधान श्रीमती राधिका देवी द्वारा कुल रु0 344000.00 (252000+92000) की वित्तीय

अनियमितता की गयी है। अतः सम्बंधित उत्तरदायी विभागीय अधिकारियो/कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही वसूली अपेक्षित है

**प्रस्तर - 40**

**ग्राम पंचायत - ओड़ासन, विकास खंड - जखनिया, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में राज्यवित्त/14वाँ वित्त की लेखा परीक्षा करते समय प्रकाश में आया कि विभिन्न तिथियों में कुल रु0 640100.00 की स्ट्रीट/सोलरलाइट क्रय कैशबुक में दर्शित है, जिसका व्यय वाउचर प्रस्तुत किया गया, परन्तु इसकी क्रय पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्रय से पूर्व टेण्डर किया गया था अथवा नहीं एवं जिला पंचायत राज अधिकारी से क्रय की अनुमति ली गयी थी या नहीं। शासनादेश सं0 ए-1/864दस-15(1) दिनांक 23.09.2008 के प्रस्तर दो के अनुसार रुपया एक लाख से अधिक की सामग्री का क्रय निविदा आमंत्रित करते हुए किया जायेगा किन्तु यहाँ पर इस शासनादेश का पालन नहीं किया गया है। अतः ग्राम विकास अधिकारी श्री रामबली राम एवं ग्राम प्रधान श्री विनोद सिंह द्वारा रु0 640100.00 की वित्तीय अनियमितता की गयी है, अतः सम्बंधित उत्तरदायी विभागीय अधिकारियो /कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है , विवरण निम्नांकित है-

| दिनाक | धनराशि | क्रय की गई सामग्री |
|---|---|---|
| 20.06.19 | 161000 | स्ट्रीट लाइट |
| 05.07.19 | 236500 | सोलर लाइट |
| 26.07.19 | 27600 | स्ट्रीट लाइट |
| 13.03.19 | 215000 | सोलर लाइट |
| योग- | 640100 | |

**प्रस्तर - 41**

**ग्राम पंचायत - बरुइन, विकास खंड - जमानिया, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 सं0 | दिनाक | कार्य का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 02.04.19 | महेन्द्र से मुन्ना के घर तक सी.सी. निर्माण कार्य का अवशेष सामग्री भुगतान | 139858 |
| 2 | 02.04.19 | श्यामनरायन से कैलाश के घर तक सी.सी. निर्माण कार्य का अवशेष सामग्री भुगतान | 15468 |
| 3 | 02.04.19 | बेचूं से तारकेश्वर के घर होते हुए कब्रिस्तान तक सी.सी. निर्माण कार्य का अवशेष सामग्री भुगतान | 157674 |
| 4 | 02.04.19 | हरिहर बनवासी के घर से मेनरोड तक सी.सी. निर्माण कार्य का अवशेष सामग्री भुगतान | 95297 |
| 5 | 02.04.19 | अम्बेडकर पार्क में इंटरलाकिंग का अवशेष मैटिरियल भुगतान | 66218 |
| 6 | 02.04.19 | पप्पू प्रजापति के घर से शोभनाथ के घर होते हुए मुन्ना के घर तक नाली/खड़न्जा का अवशेष भुगतान | 80795 |
| | | योग | 555310 |

1.कार्य प्रारम्भ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

2.कार्य से सम्बन्धित-एम0बी0 एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा। स्टॉक , सम्पति, सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, अप्राप्त रहा।

3. पंचायतीराज शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 चौदहवें वित्त की गाईडलाइन के बिन्दु-2 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिन्दु-1 के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

4.पंचायत अनुभाग के शासनादेश सं.-3-2016/3038/33-1-2026 दिनांक 22.01.2016 के बिन्दु-2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग मे दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए था परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं 3 अधिनियम

की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रूपया 555310.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्रामप्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से किया जाता अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 42**

**ग्राम पंचायत - देवैथा, विकास खंड - जमानिया, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0 सं0 | दिनाक | कार्य का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.06.19 | हेंड पम्प मजदूरी | 20000 |
| 2 | 06.07.19 | पलटूराम से शिवमुनि तक नाली निर्माण मजदूरी | 39660 |
| 3 | 09.07.19 | कूरमरम्मत, नाली निर्माण, ढक्कनदार नाली हेतु मजदूरी | 49000 |
| 4 | 01.07.19 | मुस्लिमरजा के दरवाजे से मोती शाह के दरवाजे तक खड़ंजा कार्य भुगतान | 96202 |
| 5 | 01.07.19 | नहर से बेचन के बगीचा से उमापासी के मकान तक मिट्टी/खड़ंजा कार्य का भुगतान | 39876 |
| 6 | 24.07.19 | अशरफ के घर होते हुए अंकित के घर तक मिट्टी/खड़ंजा कार्य का भुगतान | 108817 |
| 7 | 25.07.19 | शिवकुमार से रामप्रवेश के घर तक तथा खलील से रामअवतार मिट्टी/खड़ंजा नाली हेतु मजदूरी | 75604 |
| 8 | 26.07.19 | हाजी इफ्तेखार के मकान से अब्दुलदेश खान के घर तक मिट्टी/खड़ंजा कार्य | 71137 |
| | | योग | 500296 |

1- पंचायत अनुभाग के शासनादेश सं.-3-2016/3038/33-1-2026 दि.22.01.2016 के बिन्दु-2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग मे दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए था परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

2- कार्य प्रारम्भ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

3- कार्य से सम्बन्धित-एम0बी0 एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

4- श्रमिकों को भुगतानित मजदूरों की मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।

5- पंचायतीराज शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 चौदहवें वित्त की गाईडलाइन के बिन्दु-2 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिन्दु-1 के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

6- स्टॉक , सम्पत्ति, सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, अप्राप्त रहा।

उपरोक्त कराये गये कार्यो की मजदूरी कुल धनराशि रू0 500296.00 सीधे मजदूरों के खाते में न कर एक व्यक्ति श्री असलम खाँ द्वारा किया गया है। जो नियमों के विपरीत है। जिसके लिए ग्रा0वि0अ0/ ग्रा०पं0अ0एवं प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। जिसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 43**

**43-ग्राम पंचायत - शिकारपुर, विकास खंड - देवकली, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में गंभीर प्रकरण प्रकाश में आए जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

ग्राम पंचायत शिकारपुर मुन्ना यादव के घर से कुराह सरहद तक मिट्टी खड़न्जा कार्य हेतु निम्न विवरण के अनुसार व्यय कैश बुक में दर्शित है।

1. 10.07.2019 शिववचन ईंट भट्टा द्वारा ईंट क्रय हेतु भुगतान रू. 67205.00

2. 15.07.2019 उक्त कार्य पर मजदूरी हेतु भुगतान श्रीरामरतन बिंद रू. 30394.00

कुल रु0 97599.00

उपरोक्त किये गये व्यय पर निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिसका विवरण इस प्रकार है:-

1. पंचायत अनुभाग के शासनादेश सं.-3-2016/3038/33-1-2026 दि.22.01.2016 के बिन्दु-2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग मे दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी सेप्राप्त होना चाहिए हाना चाहिए था परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. कार्य प्रारम्भ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3. कार्य से सम्बन्धित-एम0बी0 एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा।
4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरों की मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।
5. पंचायतीराज शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 चौदहवें वित्त की गाईडलाइन के बिन्दु-2 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिन्दु-1 के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी पंचायत को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।
6. स्टॉक , सम्पत्ति, सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्य की अनुशंसा रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं वित्त एवं लेखाप्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं 3 अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रूपया 97599.00 की वसूली ग्रामप्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी/पंचाअधि0 से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 44**

**44-ग्राम पंचायत - धरीकला, विकास खंड - देवकली, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में पाया गया कि दिनांक 20.07.2019 को विनायक इण्टरप्राइजेज द्वारा रू0 1,26,000.00 स्ट्रीट लाईट रूपया 4200.00 की दर से 30 पीस क्रय की गयी। किये गये व्यय पर निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1.स्ट्रीट लाईट किन स्थानों पर लगाया गया है उल्लेख नहीं है।

2.पंचायतीराज शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 चौदहवें वित्त की गाईडलाइन के बिन्दु-2 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिन्दु-1 के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

3.स्टॉक , सम्पत्ति, सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, अप्राप्त रहा।

4.पंचायत अनुभाग के शासनादेश सं.-3-2016/3038/33-1-2026 दि.22.01.2016 के बिन्दु-2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग मे दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए या परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी। 5.उपरोक्त क्रय से सम्बन्धित टेण्डर एवं क्रय प्रक्रिया रजि0/प्रपत्र लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा।

इस प्रकार शासनादेश संख्या-33/2017/45वि० (अति0ऊ0 स्तो0वि0 2017)दिनांक 29.08.2017 के अनुसार नेडा या उसके द्वारा स्थापित नियम एवं मानक के अनुसार नहीं किया गया है। इस प्रकार रू0 126000.00 के क्रय में वित्तीय अनियमितता है। जिसके लिए ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी एवं ग्रामप्रधान संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 45**

**45-ग्राम पंचायत धनईपुर, विकास खंड - देवकली, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में गंभीर प्रकरण प्रकाश में पाया गया। प्रभू के घर से शिवसहाय के घर तक मिट्टी/खड़न्जा मरम्मत कार्य हेतु व्यय -

दिनांक 18.03.2020 को रूपया 105992.00 अभिषेक ईंट भट्ठा

दिनांक 18.03.2020 को रूपया 64050.00 मजदूरी पर व्यय

योग - 170042.00

उपरोक्त किये गये व्यय पर निम्न कमियाँ प्रकाश में आयी। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पंचायत अनुभाग के शासनादेश सं.-3-2016/3038/33-1-2026 दि.22.01.2016 के बिन्दु-2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग मे दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए या परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. कार्य प्रारम्भ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3. कार्य से सम्बन्धित-एम0बी0 एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा।
4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरों की मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।

5. पंचायतीराज शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 चौदहवें वित्त की गाईडलाइन के बिन्दु-2 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिन्दु-1 के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

6. स्टॉक , सम्पत्ति, सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं वित्त एवं लेखाप्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं 3 अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रूपया 170042.00 की वसूली ग्रामप्रधान/ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 46**

**46. ग्राम पंचायत - जमीनमुडरमा, विकास खंड - देवकली, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में गंभीर प्रकरण प्रकाश में आयें। जिसका विवरण निम्न प्रकार है: ग्राम पंचायत जमीन मुडरमा यू०पी०एस०स्कूल से बृजमोहन के खेत तक मिट्टी खड़न्जा कार्य हेतु निम्न विवरण के अनुसार व्यय कैश बुक में दर्शित है-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.07.19 | अशोक ईंट भट्ठा को भुगतान | 162042 |
| 2 | 18.07.19 | उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान श्रीमती यशोदा को | 66488 |
| | | योग | 228530 |

कमियाँ प्रकाश में आयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

1. पंचायत अनुभाग के शासनादेश सं.-3-2016/3038/33-1-2026 दि.22.01.2016 के बिन्दु-2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग मे दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए या परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।
2. कार्य प्रारम्भ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3. कार्य से सम्बन्धित-एम०वी० एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा।
4. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरों की मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।
5. पंचायतीराज शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 चौदहवें वित्त की गाईडलाइन के बिन्दु-2 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिन्दु-1 के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।
6. स्टॉक , सम्पत्ति, सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्रामपंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं 3 अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है। गबन की अतः उक्त धनराशि रूपया 228530.00 की वसूली ग्रामप्रधान/ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 47**

**47. ग्राम पंचायत - शिवदासीचक, विकास खंड - देवकली, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में गंभीर प्रकरण प्रकाश में आये। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

ग्राम पंचायत शिवदासीचक अजय यादव के घर से अमरनाथ यादव के घर तक खड़न्जा/नाली निर्माण हेतु निम्न विवरणानुसार कैश बुक में व्यय अंकित है।

1. 23.03.2020 प्रशांत बिल्डिंग मैटेरियल रू. 14341.00
2. 24.03.2020 रामनगीना ईंट भट्ठा रू. 60684.00
3. 24.03.2020 मजदूरी पर व्य रू. 22290.00

योग-रू. 97315.00

1. कार्य प्रारम्भ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
2. कार्य से सम्बन्धित-एम0बी0 एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।
3. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरों की मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।
4. स्टॉक , सम्पत्ति, सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, अप्राप्त रहा।

5. पंचायतीराज शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक 18.02.2016 चौदहवें वित्त की गाईडलाइन के बिन्दु-2 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिन्दु-1 के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।
6. पंचायत अनुभाग के शासनादेश सं.-3-2016/3038/33-1-2026 दि.22.01.2016 के बिन्दु-2ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग मे दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए या परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नहीं की गयी।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं वित्त एवं लेखाप्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं 3 अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रूपया 97315.00 की वसूली ग्रामप्रधान/ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 48**

**48. ग्राम पंचायत - गोड़सरा, विकास खंड - भदौरा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है । 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत गोड़सरा के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 496689.95 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान /ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव उत्तरदायी है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्रीमती हुमुलवरा व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री/श्रीमती अजय प्रकाश से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया |

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ

साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 49**

**49. ग्राम पंचायत - अमौरा, विकास खंड - भदौरा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट | प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट। साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत अमौरा के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड सहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 2105366.40 गबन की श्रेणी में आती है। उक्त के लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान /ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सचिव उत्तरदायी है जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्रीमती परमहंस व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री/श्रीमती विमलेश प्रजापति से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है|

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है|

**प्रस्तर - 50**

**50. ग्राम पंचायत - बहुअरा, विकास खंड - भदौरा, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की

इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत बहुअरा के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1581311.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्रीमती तौकीर व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री/श्रीमती रमाकांत सिंह से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान राशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 51**

**51. ग्राम पंचायत - बहरार, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक एवं कार्य पत्रावली के अनुसार निम्न विवरण के अनुसार श्रमांश (मजदूरी) भुगतान शीर्ष में रू0 71890.00 व्यय दर्शाया गया है।

1. राम अवतार के घर से बदन के घर तक सी0सी0 रोड- रू0 55692.00
2. राम केवल के घर से पीच रोड तक मिट्टी एवं खड़ंजा- रू0 16198.00

योग- 71890.00

लेखा परीक्षा में प्रस्तुत मस्टर रोल से श्रमांश की धनराशि को श्रमिकों को भुगतान किए जाने की पुष्टि नहीं होती है। ग्राम निधि-1 के बैंक पासबुक/स्टेट मेंट से स्पष्ट होता है कि श्रमांश की धनराशि मजदूरों को भुगतान न कर ग्राम प्रधान श्रीमती तेतरी देवी द्वारा अपने व्यक्तिगत खाता सं0 432002010980918 में स्थानान्तरित कर रू0 71890.00 का अपहरण कर लिया गया है। अतः रू0

71890.00 की मयब्याज वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती तेतरी देवी व तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी / पंचायत सचिव से करायी जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 52**

**52. ग्राम पंचायत - फत्तेपुर, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि-I (चतुर्थ राज्य वित्त/14 वाँ वित्त) खाता से निम्नांकित विवरण के अनुसार रू0 564733.00 आहरित किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख (यथा-निर्माण कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 इत्यादि) लेखा परीक्षा में बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप में माँगे जाने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराये गयें अभिलेखों के माँग संबंधी लिखित पत्राचार की प्रति भी संलग्न है।

| क्रमांक | दिनाक | वा0सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.07.19 | 1 | 135000 | स्ट्रीटलाईट्स |
| 2 | 24.07.19 | 2 | 23000 | हैण्डपम्प रिबोर मजदूरी 2 नग |
| 3 | 25.07.19 | 8 | 30000 | हैण्डपम्प रिबोर सामग्री |
| 4 | 24.07.19 | 3 | 17500 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 5 | 24.07.19 | 4 | 17500 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 6 | 24.07.19 | 5 | 17500 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 7 | 24.07.19 | 6 | 26500 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 8 | 25.07.19 | 7 | 133320 | ह्यूमपाइप क्रय |
| 9 | 26.07.19 | 9 | 135000 | डस्टविन क्रय |
| 10 | 30.07.19 | 13 | 29413 | हैण्डपम्प रिबोर |
| - | - | योग | 564733 | |

इससे स्पष्ट है कि उक्त आहृत धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। कैशबुक में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर प्रधान एवं सचिव की आपसी मिली भगत से अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 282366.50 ग्राम प्रधान श्री पारस से व रू0 282366.50 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी अंजली वर्मा से मयब्याज वसूली करायी जानी अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 53**

**53. ग्राम पंचायत - महेशपुरकला, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-I (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) खाता से निम्नांकित विवरणानुसार रू0 158978.00 आहरित किया गया है।

| क्रमांक | दिनाक | वा0सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.05.19 | 2 | 50000 | हैण्डपम्प रिबोर |
| 2 | 29.06.19 | 4 | 47000 | हैण्डपम्प रिबोर |
| 3 | 31.07.19 | 14 | 32130 | ईंट क्रय हेतु सद्‌गुरू ब्रिक्स फील्ड को |
| 4 | 07.08.19 | 19 | 29848 | मजदूरी |
| | | योग - | 158978 | |

उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख (निर्माण कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, हैण्डपम्प खराब होने संबंधी आवेदन पत्र, रिबोर/मरम्मत उपरान्त जल प्रबन्ध समिति का प्रमाणपत्र आदि) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। उपरोक्त समस्त आहरण बैंक पासबुक के अनुसार प्रधान के नाम आहरित है तथा प्रधान द्वारा इसका नकद भुगतान अंकित किया गया है। लेखा मैन्युअल के अध्याय-5 पैरा-5 के अनुसार नकद भुगतान रू0 2000त्र से अधिक नहीं किया जा सकता है।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। कैशबुक में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर प्रधान एवं सचिव की आपसी मिली भगत से अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 79489.00 ग्राम प्रधान श्री योगेन्द्र से व रू0 79489.00 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री चन्द्रिका से मयब्याज वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 54**

**54. ग्राम पंचायत - मूसल्लहपुर, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-। (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) खाता से निम्नांकित विवरणानुसार रू0 172622.00 आहरित किया गया है।

| क्रमांक | दिनाक | वा0सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.19 | 5 | 43625 | 14 ह्यूम पाइप भूमिगत नाली हेतु |
| 2 | 29.07.19 | 7 | 95997 | 33 ह्यूम पाइप |
| 3 | 14.08.19 | 9 | 33000 | 500 पौध क्रय |
| - | - | योग - | 172622 | |

उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख (निर्माण कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0, भौतिक निरीक्षण आख्या आदि ) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। कैशबुक पर भूमिगत नाली का परिचय भी अंकित नहीं किया गया है। पौध क्रय का आदेश भी अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं रहा।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। कैशबुक में आहरित धनराशि का काल्पनिक भुगतान दर्शाकर प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 86311.00 ग्राम प्रधान श्रीमती जयन्ती देवी व रू0 86311.00 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री चन्द्रिका प्रसाद से मयब्याज वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 55**

**55. ग्राम पंचायत - बरार, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-। - (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) खाता से निम्नांकित विवरणानुसार रू0 160341त्र00 आहरित किया गया है।

| क्रमांक | दिनाक | वा0सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.07.19 | 3 | 20500 | हैण्डपम्प की मरम्मत |
| 2 | 22.07.19 | 9 | 43635 | जल निकासी हेतु ह्यूमपाईप |
| 3 | 29.07.19 | 13 | 40038 | भूमिगत नाली हेतु ह्यूमपाईप |
| 4 | 14.08.19 | 17 | 23168 | हैण्डपम्प रिबोर |
| 5 | 14.08.19 | 18 | 33000 | पौध क्रय |
| - | - | योग - | 160341 | |

उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख (निर्माण कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 भौतिक निरीक्षण रिपोर्ट, पौध क्रय का आदेश, हैण्डपम्प खराब होने का आवेदन पत्र एवं मरम्मत/रिबोर उपरान्त जल प्रबन्धन समिति का प्रमाण पत्र आदि ) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। क्रमांक 1 एवं 4 पर अंकित धनराशि प्रधान के नाम आहरित है तथा नकद रूप में संबंधित फर्म को भुगतान दर्शाया गया है। जबकि लेखा मैन्युअल के अध्याय-5 पैरा-5 के अनुसार नकद भुगतान रू0 2000.00 से अधिक नहीं किया जा सकता है।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। कैशबुक में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 80170.00 ग्रा0 प्रधान श्रीमती शाहिदा बानो एवं रू0 80170.50 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री चन्द्रिका प्रसाद से मयब्याज वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 56**

**56. ग्राम पंचायत - सिउरीडीह, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-। (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) खाता से निम्नांकित विवरणानुसार रू0 45871.00 आहरित किया गया है।

| क्रमांक | दिनाक | वा0सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.05.19 | 1 | 25000 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 2 | 19.06.19 | 3 | 14000 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 3 | 30.07.19 | 11 | 6871 | हैण्डपम्प मरम्मत |
| - | - | योग - | 45871 | |

उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख ( वाउचर पत्रावली, कार्यवाही पंजी, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमााण पत्र, एम0बी0 हैण्डपम्प खराब होने सम्बन्धी आवेदन पत्र रिबोर/मरम्मत उपरान्त जल प्रबन्धन समिति का प्रमाण पत्र आदि ) लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। बैंक पासबुक के अनुसार उपरोक्त धनराशियाँ प्रधान के नाम आहरित है तथा प्रधान द्वारा इसका नकद भुगतान कैशबुक में अंकित किया गया है। लेखा मैन्युअल के अध्याय-5 पैरा-5 के अनुसार नकद भुगतान रू0 2000.00 से अधिक नहीं किया जा सकता है।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। कैशबुक में काल्पनिक भुगतान दर्शाकर प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 22935.50 ग्रा0 प्रधान श्रीमती नगेसरी से व रू0 22935.50 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री चन्द्रिका प्रसाद से मयब्याज वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 57**

**57. ग्राम पंचायत - रामगढ़, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-। (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) से रू0 2823211.00 आहरित किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँग किए जाने के बाद भी कोषवही, व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख ( निर्माण कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि) अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराये गये। (अभिलेखों के माँग संबंधी लिखित पत्राचार की कतिपय प्रतियाँ संलग्न हैं) प्रिया सॉफ्ट पोर्टल पर भी आहरित सम्पूर्ण धनराशि का विवरण न देकर मात्र रू0 1197119.00 का ही विवरण अपलोड किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक भुगतान के रूप में धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 1411605.50 ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला देवी व रू0 1411605.50 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री रामदयाल शर्मा से मयब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 58**

**58. ग्राम पंचायत - सवना, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-। (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) से रू0 1066945त्र00 आहरित किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँग किए जाने के बाद भी कोषवही, व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख ( निर्माण कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि) अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराये गये। (अभिलेखों के माँग संबंधी लिखित पत्राचार की कतिपय प्रतियाँ संलग्न हैं) प्रिया सॉफ्ट पोर्टल पर भी आहरित सम्पूर्ण धनराशि का विवरण न देकर मात्र रू0 4,81,171.00 का ही विवरण अपलोड किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक भुगतान के रूप में धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 5,33,472.50 ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती देवी व रू0 5,33,472.50 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री रामदयाल शर्मा से मयब्याज वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 59**

**59. ग्राम पंचायत - शाहपुर सुरवत, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-। (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) से रू0 1782211.00 आहरित किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँग किए जाने के बाद भी कोषवही, व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख (निर्माण

कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजि0, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि) अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराये गये। (लिखित पत्राचार की कतिपय प्रतियाँ संलग्न हैं) प्रिया सॉफ्ट पोर्टल पर भी आहरित सम्पूर्ण धनराशि का विवरण न देकर मात्र रू0 12,88,805.00 का ही विवरण अपलोड किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक भुगतान के रूप में धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 891105.50 ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती देवी व रू0 891105.50 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री रामदयाल शर्मा से मयब्याज वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 60**

**60. ग्राम पंचायत - मुहम्मदपुर तड़वा, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-I (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) से रू0 897092.00 आहरित किया गया है। उक्त आहरित धनराशि में से रू0 38500 ग्राम प्रधान को मानदेय रूप में दिया गया है। शेष रू0 858592.00 के व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँग किए जाने के बाद भी व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख (निर्माण कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि) अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराये गये। (अभिलेखों के माँग संबंधी लिखित पत्राचार की कतिपय प्रतियाँ संलग्न हैं) प्रिया सॉफ्ट पोर्टल पर भी आहरित सम्पूर्ण धनराशि का विवरण न देकर मात्र रू0 113460.00 का ही विवरण अपलोड किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक भुगतान के रूप में धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 429296.00 ग्राम प्रधान श्रीमती लीलावती देवी व रू0 429296.00 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री रामदयाल शर्मा से मयब्याज वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 61**

**61. ग्राम पंचायत - जगदीशपुर दहेन्दु, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-I (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) से रू0 1172840.00 वित्तीय वर्ष 2018-19 में तथा रू0 2068090 वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस प्रकार कुल रू0 3240930.00 आहरित किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँग किए जाने के बाद भी कोषवही, व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख (निर्माण कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि) अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराये गये। (अभिलेखों के माँग संबंधी लिखित पत्राचार की कतिपय प्रतियाँ संलग्न हैं) प्रिया सॉफ्ट पोर्टल पर भी आहरित सम्पूर्ण धनराशि का विवरण न देकर मात्र रू0 10,46,288 का ही विवरण अपलोड किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक भुगतान के रूप में धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 586420 ग्राम प्रधान स्व0 महेन्द्र यादव से रू0 1034045.00 ग्राम प्रधान श्रीनाथ राम से व रू0 1620465.00 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री रामदयाल शर्मा से मयब्याज वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 62**

**62. ग्राम पंचायत - शाहपुर रेंगा, विकास खंड - कासिमाबाद, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार ग्राम निधि खाता-I (4जी राज्य/14 वाँ वित्त) से रू0 1085031 वित्तीय वर्ष 2018-19 में तथा रू0 426897 वित्तीय वर्ष 2019-20 में इस प्रकार कुल रू0 15,11,928 आहरित किया गया है। उक्त आहरित धनराशि के व्यय की पुष्टि में बार-बार मौखिक एवं लिखित रूप से माँग किए जाने के बाद भी कोषवही, व्यय प्रमाणक व अन्य पूरक अभिलेख (निर्माण कार्य पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, कार्यवाही पंजी, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, एम0बी0 आदि) अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं कराये गये। (अभिलेखों के माँग संबंधी लिखित पत्राचार की कतिपय प्रतियाँ संलग्न हैं) प्रिया सॉफ्ट पोर्टल पर भी आहरित सम्पूर्ण धनराशि का विवरण न देकर मात्र रू0 33000 का ही विवरण अपलोड किया गया है।

इससे स्पष्ट है कि आहरित धनराशि के सापेक्ष वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है। ग्राम प्रधान एवं सचिव द्वारा आपसी मिली भगत से काल्पनिक भुगतान के रूप में धनराशि का आहरण कर अपहरण कर लिया गया है। अतः लेखा मैन्युअल के अध्याय-8 पैरा-7, 8क व 8ख/उ0प्र0पं0रा0 नियमावली 1947 के नियम सं0 256 में विहित व्यवस्थानुसार दर्शित व्यय को गबन

मानते हुए उपरोक्त धनराशि में से रू0 755964 ग्राम प्रधान श्री नरेन्द्र व रू0 755964 ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री रामदयाल शर्मा से मयब्याज वसूली कराया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 63**

**63. ग्राम पंचायत - बढ़नपुर, विकास खंड - मनिहारी, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 31.07.2019 को रू० 59860.00 व दिनांक 01.01.2020 को रू० 108975.00 सब रू० 168835.00 का ह्यूम पाइप बिना निविदा आमंत्रित किये क्रय किया गया है। लेखा मैनुअल अध्याय 7 के पैरा 3ब शासनादेश सं० 5038/ग-3337/47 पंचायत राज अनुभाग 3 दिनांक 11.07.1976 यथासंशोधित शासनादेश सं० ए-1-864(1) दस 2008 - 15(1) 86 दिनाक 23.09.2008 के अनुसार रू० 1 लाख से अधिक मूल्य के क्रय पर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिए। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू० 168835.00 की ह्यूम पाइप बिना निविदा आमंत्रित किये क्रय कर वित्तीय अनियमितता की गयी है जिसके लिये प्रधान श्रीमती चन्द्रावती देवी व सचिव श्री अश्वनी कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 64**

**64. ग्राम पंचायत - समोगर, विकास खंड - मनिहारी, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 30.04.2019 का चेक सं० 10018041 से प्रधान श्रीमती कमली देवी द्वारा स्वयं अपने नाम रू० 30000 आहरित कर कैश-बुक में फर्जी तरीके से हैण्डपम्प मरम्मत किया जाना दर्शित है।

1- कैश-बुक में हैण्डपम्प मरम्मत पर कितने रूपये की सामग्री क्रय की गयी एवं कितनी धनराशि मजदूरी पर व्यय की गयी इसका कोई अंकन नहीं है।

2- सामग्री का भुगतान लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के पैरा 5 के अनुरूप रजिस्टर्ड फर्म को एकाउण्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जाना चाहिये था जबकि ऐसा नहीं किया गया है।

3- क्रय सामग्री का कोई प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

4- लेखा परीक्षा में कार्यवाही पंजिका उपलब्ध न होने से हैण्डपम्प मरम्मत हेतु पारित प्रस्ताव की जानकारी न हो सकी।

5- हैण्डपम्प के लाभार्थियों द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने एवं उसकी मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

6- हैण्डपम्प मरम्मतोरान्त ग्राम सभा की जल प्रबंधन समिति का मरम्मत सम्बन्धी पुष्टि प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

7- हैण्डपम्प मरम्मत के बाद निकला स्क्रैप स्टॉक रजि0 में अंकित नहीं है।

अत: रू0 30000.00 खाते से आहरित कर धनराशि का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली प्रधान श्रीमती केवली देवी से रू० 15000.00 व सचिव श्री गोपाल सिंह से रू० 15000.00 मयब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 65**

**65. ग्राम पंचायत - खतीरपुर, विकास खंड - मनिहारी, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 31-07 2019 को चेक सं० 12013678.00 से प्रधान श्रीमती विमला देवी के नाम रू. 54800.00 आहरित करके "बबलू सिंह के खेत से टूनटून के खेत तक' नाली निर्माण कार्य पर सामग्री का नकद भुगतान किया गया है लेखा मैनुअल के अध्याय 5 पैरा 5 के अनुसार रू0 2000 से अधिक का भुगतान रजि० फर्म को एकाउण्टपेयी चेक के माध्यम से कियाजाना चाहिए। जबकि ऐसा न कर प्रधान द्वारा नकद भुगतान कर सामग्रीक्रय कर रू0 54000 की वित्तीय अनियमितता की गयी है। जिस प्रति सचिव श्री अश्वनी कुमार एवं प्रधान श्रीमती विमला देवी उत्तरदायी हैं। आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 66**

**66. ग्राम पंचायत - मनिहारी खास, विकास खंड - मनिहारी, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट और ई-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर सम्पन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक बार-बार मांग के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये।

क- ग्राम पंचायत के सचिव/प्रधान से मौखिक एवं लिखित रूप में (कापी संलग्न) पत्राचार किया गया, कार्यक्रम लगाया गया लेकिन व्यय धनराशि के सापेक्षकोईभी अभिलेख लेखापरीक्षा में उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं किया गया।

ख. ग्रामपंचायत के द्वारा ई-ग्राम स्वराज पर अंकित व्यय धनराशि के पुष्टि में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीटमेन्ट, वर्क आई.डी., कैशबुक, बिल वाउचर , मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, प्रधान मानदेय रजि०, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र, चल अचल सम्पत्ति पंजिका, प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा, समेकितसार, बैंक समाधान विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका आदि उपलब्ध नहीं रहे जिससे दर्शित कियेगये व्यय की पुष्टि न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंधन मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि 'यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई अभिलेख, व्यय वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूलीग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी।

ग. उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त एवं चौदहवॉ वित्त में व्यय धनराशि रू0 1491277.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि प्रधान श्रीमती सरस्वती देवी व सचिव श्री अवनीन्द्र कुमार से किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 67**

**67. ग्राम पंचायत - हरौली, विकास खंड - मनिहारी, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा में प्रकाश में आया कि दिनांक 26.12.2019 को रू. 176100 की स्ट्रीट लाइट व दिनांक 28.01.2020 को रू. 188600 की 40 अदद व 4 अदद सोलर लाईट रूद्र इंटरप्राइजेज से क्रय की गयी है। इस पर निम्न आपत्तियाँ है।

(क) लेखा मैनुअल अध्याय 7 पैरा 3ब शासनादेश संख्या 5038/ग-3337/47 पंचायत राज अनुभाग 3 दिनांक 11.07.1976 यथा संशोधित शासनादेश संख्या ए-1-864 (1) दस 2008 15(1)86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार रू० 1 लाख से अधिक मूल्य के क्रय पर निविदा आमंत्रित की जानी चाहिये। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू० 364700 की स्ट्रीट लाइट व सोलर लाईट बिना निविदा आमंत्रित कियेक्रय कर वितीय अनियमितता की गई है जिसके लिए प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी व सचिव श्री अश्वनी कुमार उत्तरदायी हैं। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

(ख)इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि स्ट्रीट लाईट कहाँ-कहाँ लगवाईगयी उसके लाभार्थियों की कोई सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी।

(ग) वर्ष में कराये गये प्रत्येक कार्य की एक ही आई.डी. होनी चाहिये जबकि स्ट्रीट लाइट क्रय के लिये दो आई.डी क्रमश: 15624331 व 15624404 से क्रय कर अनियमितता की गई है।

**प्रस्तर - 68**

**68. ग्राम पंचायत - तिलवा, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट | प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत तिलवाँ के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1408405.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती रामचन्द्र व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री/श्रीमती अशोक कुमार राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 69**

**69. ग्राम पंचायत - गोपालपुर, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत गोपाल पुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्य 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1501230.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती राजवती व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री अशोक कुमार राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत

को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 70**

**70. ग्राम पंचायत - परमानन्दपुर, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत परमानन्दपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0. एम0बी0. कैशबुक. पासबुक, बिल / वाउचर . मस्टररोल रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 527829.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती राजाराम व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री/श्रीमति सुरेश प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 71**

**71. ग्राम पंचायत - टौंगा, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत टौंगा के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय । धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 966115.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती पवन कुमार खरवार व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री/श्रीमती सुरेश प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं । उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क | पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 72**

**72. ग्राम पंचायत - दुल्लहपुर, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत दुल्हापुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1100368.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती तेतरी देवी व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री सुरेश प्रसाद से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध मानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 73**

**73. ग्राम पंचायत - वीरउपुर, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत विरउपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 715355.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम दयाल राजभर व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री अशोक कुमार राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचार उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा अधिनियम 1947 के धारा 14-क 1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 74**

**74. ग्राम पंचायत - नसीरपुर, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत नसीरपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 623453.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गंगा सागर व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री अशोक कुमार राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 75**

**75. ग्राम पंचायत - साधोपुर उर्फ रामपुर, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत साधोपुर उर्फ रामपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशी का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1653862.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश राय व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री अशोक कुमार राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के -1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 76**

**76. ग्राम पंचायत - रमवल, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत रमवल के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 2005027.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री एकराम व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जान भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं । उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 77**

**77. ग्राम पंचायत - असाव, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत असांव के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1301197.40 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू सिंह व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है|

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही उ०प्र०पं०रा अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 78**

**78. ग्राम पंचायत - सुगवलिया, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत सुगवलिया के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 478054.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महंगी राम /मंहगू व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है|

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा अधिनियम 1947 के धारा 14-क | पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है|

**प्रस्तर - 79**

**79. ग्राम पंचायत - सोनबल, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत सोनबल के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि “यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 4306776.40 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री प्रवीण श्रीवास्तव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान राशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया । (घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 80**

**80. ग्राम पंचायत - पकड़ी, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत पकडी के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को

भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1391006.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता देवी व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री पुनीत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम मे तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के 1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है|

**प्रस्तर - 81**

**81. ग्राम पंचायत - डेढ़गावा, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है । 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत डेढगांवा के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 2612828.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रतिमा राय व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्रीमति नीत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया। जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नि र कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 82**

**82. ग्राम पंचायत - बवाड़ा मुस्तहकम, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत बवाड़ा मुस्तहकम के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग 30प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 561167.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुसाफिर राम व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री आनंद प्रकाश से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया। जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अन जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 83**

**83. ग्राम पंचायत - बडौरा, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है । 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत बड़ौरा के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 221258.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री आनंद प्रकाश से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख . नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है|

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 84**

**84. ग्राम पंचायत - पठखोलिया, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत पठखोलिया के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 905801.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री लाल चंद व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री आनंद प्रकाश से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अन ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क

के 1-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि  और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 85**

**85. ग्राम पंचायत - उधरनपुर, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा  व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत उधरन पुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा नुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की  मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा  व्यय दर्शित धनराशि रु0 853209.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बेचू राम व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री - पुनीत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध  विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल  के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा  ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि  और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 86**

**86. ग्राम पंचायत -** कालूपुर**, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्ययं धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा  व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च

2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत कालूपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1391203.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मनोज व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री पुनीत यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया |

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 87**

**87. ग्राम पंचायत - कल्याणपुर, विकास खंड - रेवतीपुर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत कल्याणपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर . मस्टररोल. कार्यपति रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा

हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1090860.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती ममता व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री अशोक कुमार राय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है ।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 88**

**88. ग्राम पंचायत - चक फरीद, विकास खंड - सादात, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है |1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत चक फरीद के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भूगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा  व्यय दर्शित धनराशि रु0 1556550.39 गबन की श्रेणी में आती हैं। जिस वसूली अद्यतन  ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमेश कुमार सिंह व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री राधेश्याम यादव से किया जाना अपेक्षित है।
(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध  अनुशासनात्मक  कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा  अपने पद के अनुरूप  अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।
(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा  ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।
(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध  विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |
ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल  के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा  ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा  प्राप्त होने वाला अनुदान  ऑडिट कराने तक अवमुक्त  नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध  नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि  और पंचायत राज अनुभाग  एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 89**

**89. ग्राम पंचायत - रायपुर, विकास खंड - सादात, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।
ग्राम पंचायत रायपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।
पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की  मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।
(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1922819.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री/श्रीमती नेहा सिंह व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री/श्रीमति राधेश्याम यादव से किया जाना अपेक्षित है।
(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया। अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है|

**प्रस्तर - 90**

**90. ग्राम पंचायत - दलीप राय पट्टी, विकास खंड - सादात, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत दलीप राय पट्टी के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबूक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भूगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो। अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 970123.79 गबन की श्रेणी में आती है। जिस वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री इंद्रजीत सिंह व तत्कालीन ग्राम पं0 सचिव श्री अनिल वर्मा एवं श्री राधेश्याम यादव से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत। क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंद-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 91**

**91. ग्राम पंचायत - हेतिमपुर, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प न नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्ष के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत हेतिमपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति के प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 3921779.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती संजू देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री त्रिवेणी उपाध्याय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 92**

**92. ग्राम पंचायत - छावनी लाइन, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/प्रियासॉफ्ट/ ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की

इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के देत कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत छावनी लाइन के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्य ण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति के प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 6257918.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला कशवाहा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री त्रिवेणी उपाध्याय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया |

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 93**

**93. ग्राम पंचायत - हुसेनपुर, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत हुसेनपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित

सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 2131053.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री त्रिवेणी उपाध्याय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्यौंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 94**

**94. ग्राम पंचायत - नगवानखुर्द उर्फ कटैला, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट /ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत नगवानखुर्द उर्फ कटैला के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित/ व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्य पर्ति प्र माण-पत्र, प्मानेदय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए

इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1622141.17 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती माया देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री राजनाथ पाल से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित । समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है|

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 95**

**95. ग्राम पंचायत - जल्लापुर, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/ प्रियासॉफ्ट/ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार-बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत जल्लापुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना. स्टीमेट. वर्क आई0डी0. एम0बी0. कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र. प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स. विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा. समेकित सार. बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण. स्टॉक पंजिका. मांग व वसूली अवशेष पंजिका. अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ-साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1067208.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नंदलाल व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष चंद्र से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के

द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरुद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 96**

**96. ग्राम पंचायत - नेवादा, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत नेवादा के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना. स्टीमेट. वर्क आई0डी0. एम0बी0. कैशबुक, पासबुक. बिल / वाउचर , मस्टररोल. कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र. प्रधान मानदेय रजिस्टर. डायरेक्टी ऑफ वर्क्स. विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तति. प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा. समेकित सार. बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण. स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका. अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वस मूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1631407.50 गबन की श्रेणी में आती है। गबन के जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लालसा देवी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष चंद से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव /प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंद 7 अध्याय के बिंद 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध निय कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 97**

**97. ग्राम पंचायत - औरंगाबाद, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत औरंगाबाद के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति के; प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग। व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा |

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1124074.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश चारासया व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री बैजनाथ तिवारी से किया जाना अपेक्षित है। (ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पंरा अधिनियम 1947 के धारा

14-क के पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |

**प्रस्तर - 98**

**98. ग्राम पंचायत - चौकिया खास, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट | प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत चौकिया खास के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम अवध यादव व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सजय कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 99**

**99. ग्राम पंचायत - रसूलपुर टी शेखपुर, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की

मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत रसूलपुर टी शेखपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार र्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 697022.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मोहम्मद बैसवा व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सजय कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 100**

**100. ग्राम पंचायत - सुभाखरपुर, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत सुभाखरपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित| व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति

को भुगतान किया  जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ धिकारी द्वारा  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की  मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा  व्यय दर्शित धनराशि रु0 1382399.50 गबन की  श्रेणी म आता है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री दिलीप व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सुभाष चद्र से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध  अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा  अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए  भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना  रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल  के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा  ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान  ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि  और पंचायत राज अनुभाग  एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 101**

**101. ग्राम पंचायत - फतेहउल्लापुर, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये न नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफ़ोन से बार-बार अभिलेख प्रस्तत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा  कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत फतेहउल्लापुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति  प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति के प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया  जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की  मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 3955879.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शिव कुमारी व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सजय कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं न अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का युक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है।

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 102**

**102. ग्राम पंचायत - खिजिरपुर, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत खिजिरपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 178345.82 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अभय कुमार गुप्ता व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री सजय कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत. लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के बिंदु-1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 103**

**103. ग्राम पंचायत - तलवल, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट/प्रियासॉफ्ट /ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत तलवल के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा|

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 1975774.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री गुड्डू बिन्द व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय कशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क वे पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 104**

**104. ग्राम पंचायत - डिलिया, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट /ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत डिलिया के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित। व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 2701107.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अनिल कुमार व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है। अतः उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों से उक्त राशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 105**

**105. ग्राम पंचायत - अगस्ता सलामतपुर, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है ।1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत अगस्ता सलामतपुर के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 व भुगतान लेखा, समेकित सार. बैंक समाधान विवरण प्राप्ति व भुगतान योग विवरण. स्टॉक पंजिका. मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा ।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 6257918.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री प्रमोद व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय कुशवाहा से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योंकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। यदि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था।

(ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पंरा अधिनियम 1947 के धारा 14-क पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर - 106**

**106. ग्राम पंचायत - सकरा, विकास खंड - सदर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** की लेखा परीक्षा बैंक स्टेटमेंट / प्रियासॉफ्ट / ई ग्राम स्वराज की साइट पर अंकित व्यय धनराशि के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक उपलब्ध बार - बार मांग के प्रस्तत नहीं किये गए है 11 अप्रैल तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारीयों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया।

ग्राम पंचायत सकरा के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यव कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल /वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्टी ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग व वसूली अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो, और अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8 (क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ - साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन की मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

(क) उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पं0 द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 4400166.00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता सिंह व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री त्रिवेणी उपाध्याय से किया जाना अपेक्षित है।

(ख) उक्त के क्रम में तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना भी अपेक्षित है क्यों कि प्रथम दृष्टी से वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत उतने ही दोषी है जितने कि तत्कालीन सहायक विकास अधिकारी पंचायत क्योकि इन अधिकारियों के द्वारा अपने पद के अनुरूप अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं क विकास अधिकारी पंचायत ने अपने भौतिक निरीक्षण सम्बन्धी दायित्व का निर्वहन सही से किया होता तो इस गबन को रोका जा सकता था। (ग) वर्तमान सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने यह जानते हुए भी की तात्कालिक ग्राम पंचायत सचिव / प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत की धनराशि का अपहरण किया गया है इसलिए आज भी ग्राम पंचायत में उस समय के कोई भी अभिलेख नही है के क्रम में कोई भी विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही न तो किया गया और न ही शासन को अवगत कराया गया ।

(घ) गबन की धनराशि में जिनकी भी संलिप्तता है उनके विरूद्ध विधिक व प्रशासनिक कार्यवाही के साथ-साथ पंचायत लेखा मैनुअल के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराया जाना अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत के अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध करने का संयुक्त दायित्व ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का है |

ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध मैनुअल के अध्याय 8 के बिंदु 7 अध्याय के बिंदु 13 के अनुसार ग्राम पंचायत का संप्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रति वर्ष किया जाना है और किसी ग्राम पंचायत के द्वारा ऐसा करने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार तथा भारत सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाला अनुदान ऑडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जायेगा और साथ साथ ग्राम प्रधान और सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। एवं उ०प्र०पं०रा०अधिनियम 1947 के धारा 14-क के 1 पनिशमेंट फॉर फैल्यर टू हैन्डोवर रेकॉर्ड्स इत्यादि और पंचायत राज अनुभाग एक के शासनादेश संख्या 06/2017/2325/33-1-2017 1988/17 01 दिसम्बर 2017 के तहत यथोचित कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है ।

**प्रस्तर - 107**

**107. ग्राम पंचायत - बीबीपुर, विकास खंड - बाराचवर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में ग्राम पंचायत के कैशबुक/प्रिया सॉफ्ट के अनुसार कुल रू0 578548.00 का व्यय भुगतान विभिन्न मदों में किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई वाउचर, पत्रावली एवं रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किय गये है। जैसे कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण समितियों का रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख बार-बार मांगे जाने जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां एवं रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर या तो तैयार नहीं किये गये है या तो जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये है जब कि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा -27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क, 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई पत्रावली एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) से की जाय तथा धारा 409 के साथ पंचायत राज अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड सहित के धारा के अन्तर्गत गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में चलाया जाय। अतः ग्राम पंचायत की रू0 578548.00 का निम्नांकित मदो में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम प्रधान ज्ञान्ती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शिशिर सिंह द्वारा अपहरण (गबन) किया गया है। जिसकी सब्याज वसूली दोनों से समान रूप से अपेक्षित है। विवरण -

| क्रमांक | वाउचर | दिनांक | धनराशि | मद व्यय | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11.05.19 | 31500 | प्रधान मानदेय | विवरणहीन |
| 2 | 2 | 21.05.19 | 15000 | अभिलेख रखरखाव | विवरणहीन |
| 3 | 3 | 21.06.19 | 1708 | डोगल | विवरणहीन |
| 4 | 4 | 20.07.19 | 4783 | ईंट क्रय | गिरीजा यादव के घर से लल्लन के घर तक नाली एवं इन्टर लाकिंग |
| 5 | 5 | 21.07.19 | 41730 | मजदूरी | |
| 6 | 6 | 21.07.19 | 55498 | सामग्री | |
| 7 | 7 | 24.07.19 | 149929 | ई0 ईंट क्रय | |
| 8 | 8 | 24.07.19 | 76143 | ईंट टुकड़ी क्रय | |
| 9 | 9 | 26.07.19 | 5495 | विज्ञापन | टेण्डर का |
| 10 | 10 | 03.08.19 | 3885 | विज्ञापन | टेण्डर का |
| 11 | 11 | 20.08.19 | 5000 | पौध क्रय | विवरणहीन |
| 12 | 12 | 28.08.19 | 39804 | सामग्री | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 13 | 13 | 28.01.20 | 11200 | मजदूरी | |
| 14 | 14 | 28.07.20 | 31500 | प्रधान मानदेय | अप्रैल19/दिसम्बर19 |
| 15 | 11/1 | 31.12.20 | 16800 | सफाई कीट | विवरणहीन |
| 16 | 15 | 07.02.20 | 9316 | सामग्री | सीता राम के घर से कुदन गड़ही तक नाली निर्माण |
| 17 | 16 | 07.02.20 | 14613 | ईंट क्रय | |
| 18 | 17 | 07.02.20 | 6090 | मजदूरी | |
| 19 | 18 | 07.02.20 | 11502 | ईंट क्रय | ईश्वर यादव के घर से माता भाई स्थान तक खड़जा निर्माण |
| 20 | 19 | 07.02.20 | 4004 | मजदूरी | |
| | | योग - | 578548.00 | | |

**प्रस्तर - 108**

**108. ग्राम पंचायत - सद्दोपुर, विकास खंड - बाराचवर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में ग्राम पंचायत के कैशबुक/प्रिया शाफट के अनुसार कुल रू0 1341666.00 का व्यय भुगतान विभिन्न मदों में किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई वाउचर, पत्रावली एवं रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किय गये है। जैसे कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण समितियों का रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख बार-बार मांगे जाने जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां एवं रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर या तो तैयार नहीं किये गये है या तो जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये है, जब कि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा -27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क, 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई

पत्रावली एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) से की जाय तथा धारा 409 के साथ पंचायत राज अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड सहित के धारा के अन्तर्गत गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में चलाया जाय। अतः ग्राम पंचायत की रू0 1341666.00 का निम्नांकित मदो में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम प्रधान रामेश्वर तिवारी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी सुनिल कुमार द्वारा अपहरण (गबन) किया गया है। जिसकी सब्याज वसूली दोनों से समान रूप से अपेक्षित है। विवरण - (सा0 आ0 क्र0 - 12)

| क्रमांक | वाउचर | दिनांक | धनराशि | मद व्यय | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06-07-19 | 53580 | सामग्री | सामग्री श्री राम के दरवाजे से अशोक के घर तक नाली निर्माण |
| 2 | 2 | 19-07-19 | 43290 | मजदूरी | |
| 3 | 12 | 26-07-19 | 85755 | ईंट क्रय | |
| 4 | 3 | 24-07-19 | 18816 | मजदूरी | मजदूरी श्याम जी के घर से राजनरायन के घर तक इण्टरलाकिंग |
| 5 | 4 | 24-07-19 | 33420 | सामग्री | |
| 6 | 5 | 24-7-19 | 152403 | ईंट क्रय | |
| 7 | 6 | 27-07-19 | 19371 | ईंट क्रय | |
| 8 | 7 | 24-07-19 | 79198 | ईंट क्रय | ईंट क्रय गनेश के घर से हरेदर के खेत तक नाली निर्माण |
| 9 | 8 | 24-07-19 | 59248 | सामग्री | |
| 10 | 9 | 24-07-19 | 41848 | मजदूरी | |
| 11 | 10 | 24-07-19 | 6000 | स्टेशनरी/प्रिया सॉफ्ट | - |
| 12 | 11 | 25-07-19 | 3885 | विज्ञापन | टेन्डर |
| 13 | 13 | 29-07-19 | 1708 | डोंगल | - |
| 14 | 14 | 30-12-19 | 31500 | प्रधान का मानदेय | अप्रैल 19/दिसम्बर 19 |
| 15 | 15 | 13-01-20 | 22863 | ईंट क्रय | के खेत से अशोक के घर तक खण्डजा निर्माण |
| 16 | 16 | 13-01-20 | 6006 | मजदूरी | |
| 17 | 17 | 13-01-20 | 54332 | ईंट क्रय | ईंट क्रय बबलू तिवारी के घर से सिद्ध नाथ के घर तक इण्टरलाकिंग |
| 18 | 18 | 13-01-20 | 11772 | ईंट + गिट्टी | |
| 19 | 19 | 13-01-20 | 14835 | सामग्री | |
| 20 | 20 | 13-01-20 | 10220 | इन्टरलॉकिंग | |
| 21 | 21 | 28-01-20 | 71669 | ईंट + गिट्टी | जगदीश के घर से गड़ही तक नाली निर्माण |
| 22 | 22 | 28-01-20 | 54535 | सामग्री | |
| 23 | 23 | 28-01-20 | 32174 | मजदूरी | |
| 24 | 24 | 27-03-20 | 110668 | ईंट + गिट्टी | पिचरोड से नाली की पुलिया तक सीसी रोड |
| 25 | 25 | 27-03-20 | 244336 | सामग्री | |
| 26 | 26 | 27-03-20 | 78134 | मजदूरी | |
| | | **योग -** | **1341666** | | |

**प्रस्तर - 109**

**109. ग्राम पंचायत - कमसड़ी, विकास खंड - बाराचवर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में ग्राम पंचायत के कैशबुक/प्रिया शाफट के अनुसार कुल रू0 1595375.00 का व्यय भुगतान विभिन्न मदों में किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई वाउचर, पत्रावली एवं रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किय गये है। जैसे कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण समितियों का रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख बार-बार मांगे जाने जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां एवं रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर या तो तैयार नहीं किये गये है या तो जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये है, जब कि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा -27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क, 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई पत्रावली एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) से की जाय तथा धारा 409 के साथ पंचायत राज अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड सहित के धारा के अन्तर्गत गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में चलाया जाय। अतः ग्राम पंचायत की रू0 1595375.00 का निम्नांकित मदो में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम प्रधान चतुरी राम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल वर्मा द्वारा अपहरण (गबन) किया गया है। जिसकी सब्याज वसूली दोनों से समान रूप से अपेक्षित है। विवरण - (सा0 आ0 क्र0 - 12)

| क्रमांक | वाउचर | दिनांक | धनराशि | मद व्यय | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 23-07-19 | 32380 | सामग्री | 12 हैण्ड पम्प मरम्मत |
| 2 | 2 | 29-07-19 | 10752 | मजदूरी | |
| 3 | 3 | 29-07-19 | 33292 | मजदूरी | विजय के दरवाजे से घनश्याम के दरवाजे तक इण्टर लाकिंग |
| 4 | 6 | 29-07-19 | 162435 | ई0 ईंट क्रय | |
| 5 | 7 | 29-07-19 | 29054 | सामग्री | |
| 6 | 10 | 29-07-19 | 20900 | ईंट क्रय | |
| 7 | 4 | 29-07-19 | 29072 | मजदूरी | राजहंस के घर से पिन्टू के घर तक इण्टर लाकिंग |
| 8 | 5 | 29-07-19 | 147030 | ई0 ईंट क्रय | |
| 9 | 8 | 29-07-19 | 34822 | सामग्री | |
| 10 | 11 | 29-07-19 | 32479 | ईंट क्रय | |
| 11 | 9 | 29-07-19 | 1708 | डोंगल | विवरणहीन |
| 12 | 12 | 01-08-19 | 5000 | बिना विवरण | विवरणहीन |
| 13 | 13 | 13-08-19 | 84918 | सामग्री | मेन रोड से घनश्याम के घर तक इण्टर लाकिंग |
| 14 | 14 | 13-08-19 | 59220 | मजदूरी | |
| 15 | 15 | 13-08-19 | 195000 | ई0 ईंट क्रय | |
| 16 | 16 | 13-08-19 | 111604 | ईंट क्रय | |
| 17 | 17 | 16-01-20 | 33568 | सामग्री | संजू के घर से मुख्तार के घर तक इन्टर लाकिंग |
| 18 | 18 | 16-01-20 | 43760 | ईंट क्रय | |
| 19 | 19 | 16-01-20 | 120454 | ई0 ईंट क्रय | |
| 20 | 20 | 16-01-20 | 27370 | मजदूरी | |
| 21 | 21 | 16-01-20 | 7168 | मजदूरी | जय प्रकाश के घर से श्रीराम के घर तक इण्टर लाकिंग |
| 22 | 22 | 16-01-20 | 5316 | ईंट क्रय | |
| 23 | 23 | 16-01-20 | 7950 | सामग्री | |
| 24 | 24 | 16-01-20 | 31885 | ई0 ईंट क्रय | |
| 25 | 25 | 03-03-20 | 16942 | सामग्री | रविन्द्र के घर से रविदास मन्दिर तक इण्टर लाकिंग |
| 26 | 27 | 03-03-20 | 18002 | ईंट क्रय | |
| 27 | 26 | 03-03-20 | 12544 | मजदूरी | |
| 28 | 28 | 03-03-20 | 51817 | ई0 ईंट क्रय | |
| 29 | 29 | 24-03-20 | 20958 | मजदूरी | परवीन के घर से देवसी के घर तक इण्टर लाकिंग |
| 30 | 31 | 24-03-20 | 119707 | ई0 ईंट क्रय | |
| 31 | 32 | 24-03-20 | 24383 | सामग्री | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 33 | 24-03-20 | 18385 | ईंट क्रय | |
| 33 | 30 | 24-03-20 | 45500 | प्रधान मानदेय | जनवरी 19 से जनवरी 20 तक |
| | | **योग -** | **1595375** | | |

**प्रस्तर - 110**

**110. ग्राम पंचायत - हरीदासपुर, विकास खंड - बाराचवर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में ग्राम पंचायत के कैशबुक/प्रिया शाफट के अनुसार कुल रू0 1305819.66 का व्यय भुगतान विभिन्न मदों में किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई वाउचर, पत्रावली एवं रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किय गये है। जैसे कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण समितियों का रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख बार-बार मांगे जाने जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां एवं रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर या तो तैयार नहीं किये गये है या तो जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये है, जब कि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा -27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क, 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई पत्रावली एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) से की जाय तथा धारा 409 के साथ पंचायत राज अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड सहित के धारा के अन्तर्गत गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में चलाया जाय। अतः ग्राम पंचायत की रू0 1305819.66 का निम्नांकित मदो में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम प्रधान अम्बुज कुमार राय एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शिशिर सिंह द्वारा अपहरण (गबन) किया गया है। जिसकी सब्याज वसूली दोनों से समान रूप से अपेक्षित है। विवरण - (सा0 आ0 क्र0 - 12)

| क्रमांक | वाउचर | दिनांक | धनराशि | मद व्यय | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02-04-19 | 15000 | प्रशासनिक व्यय | विवरणहीन |
| 2 | 2 | 29-06-19 | 1708 | डोंगल | विवरणहीन |
| 3 | 3 | 26-07-19 | 13454 | मजदूरी | मटरशाह के दूकान से त्रिलोकी राय के घर तक नाली निर्माण |
| 4 | 4 | 26-07-19 | 36810 | ईंट क्रय | |
| 5 | 5 | 26-07-19 | 24415 | सामग्री | |
| 6 | 6 | 26-07-19 | 9688 | मजदूरी | मेन रोड से मटर शाह की दूकान तक नाली निर्माण |
| 7 | 7 | 26-07-19 | 26737 | ईंट क्रय | |
| 8 | 8 | 26-07-19 | 17635 | सामग्री | |
| 9 | 9 | 26-07-19 | 80000 | सामग्री | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 10 | 10 | 26-07-19 | 20000 | मजदूरी | |
| 11 | 11 | 26-07-19 | 21806 | सामग्री | बब्वन राय के घर से विरदा राजभर के घर तक नाली खडंजा |
| 12 | 12 | 26-07-19 | 68760 | ईंट क्रय | |
| 13 | 13 | 26-07-19 | 30356 | मजदूरी | |
| 14 | 14 | 26-07-19 | 15418 | सामग्री | शंकर दयाल के घर से भृगुनाथ के घर से भृगुनाथ के घर तक |
| 15 | 15 | 26-07-19 | 49028 | ईंट क्रय | |
| 16 | 16 | 26-07-19 | 21503 | मजदूरी | |
| 17 | 17 | 26-07-19 | 72821 | ईंट क्रय | नहर से शिववचन के धर तक नाली + खडंजा |
| 18 | 18 | 26-07-19 | 22908 | सामग्री | |
| 19 | 19 | 26-07-19 | 33057 | मजदूरी | विरदा राजभर के घर से शंकर दयाल शर्मा के घर तक नाली + खडण्जा |
| 20 | 20 | 26-07-19 | 21806 | सामग्री | |
| 21 | 21 | 26-07-19 | 30356 | मजदूरी | |
| 22 | 23 | 26-07-19 | 68760 | ईंट क्रय | |
| 23 | 22 | 01-08-19 | 5495 | विज्ञापन | टेण्डर का |
| 24 | 24 | 03-08-19 | 3885 | विज्ञापन | |
| 25 | 25 | 20-08-19 | 6000 | पौध क्रय | - |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 31-08-19 | 14000 | मानदेय प्रधान | अप्रैल 19/जुलाई 19 |
| 27 | 27 | 06-02-20 | 21000 | मानदेय प्रधान | अगस्त 19/जनवरी 20 |
| 28 | 28 | 07-02-20 | 39804 | सामग्री | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 29 | 29 | 07-02-20 | 11200 | मजदूरी | |
| 30 | 30 | 03-03-20 | 12909 | सामग्री | राधेश्याम के घर से गड़ही तक नाली निर्माण |
| 31 | 31 | 03-03-20 | 32651 | ईंट क्रय | |
| 32 | 32 | 03-03-20 | 14501 | मजदूरी | |
| 33 | 33 | 03-03-20 | 112974 | ईंट क्रय | मेनरोड से राधेश्याम के घर तक |
| 34 | 34 | 03-03-20 | 48230 | मजदूरी | |
| 35 | 35 | 03-03-20 | 1000 | पंचायत कर | डीपी आर ओ गाजीपुर |
| 36 | 36 | 24-03-20 | 29386 | सामग्री | उदय शंकर के घर से भुवाल राय के घर तक नाली + खडण्जा |
| 37 | 37 | 24-03-20 | 85097 | ईंट क्रय | |
| 38 | 38 | 24-03-20 | 60462 | मजदूरी | |
| 39 | 39 | 24-03-20 | 7917 | मजदूरी | विवरणहीन |
| 40 | 40 | 24-03-20 | 43205 | ईंट क्रय | |
| 41 | 41 | 24-03-20 | 5426 | सामग्री | |
| 42 | 42 | 24-03-20 | 22163 | ईंट क्रय | राधेश्याम में घर से सीताराम के घर तक नाली + खडण्जा |
| 43 | 43 | 24-03-20 | 8264 | सामग्री | |
| 44 | 44 | 24-03-20 | 18191 | मजदूरी | |
| 45 | - | - | 33.66 | सीसी चार्ज | - |
| | | **योग-** | **1305819-66** | | |

**प्रस्तर - 111**

**111. ग्राम पंचायत - माटा, विकास खंड - बाराचवर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में ग्राम पंचायत के कैशबुक/प्रिया शाफट के अनुसार कुल रू0 1366874.00 का व्यय भुगतान विभिन्न मदों में किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई वाउचर, पत्रावली एवं रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किय गये है। जैसे कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण समितियों का रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख बार-बार मांगे जाने जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां एवं रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर या तो तैयार नहीं किये गये है या तो जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये है, जब कि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा -27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क, 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई पत्रावली एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली म एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) से की जाय तथा धारा 409 के साथ पंचायत राज अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड सहित के धारा के अन्तर्गत गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में चलाया जाय। अतः ग्राम पंचायत की रू0 1366874.00 का निम्नांकित मदो में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम प्रधान राघवेन्दर सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शिशिर सिंह द्वारा अपहरण (गबन) किया गया है। जिसकी सब्याज वसूली दोनों से समान रूप से अपेक्षित है। विवरण - (सा0 आ0 क्र0 - 12)

| क्रमांक | वाउचर | दिनांक | धनराशि | मद व्यय | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21-06-19 | 1708 | डोगल व्यय | - |
| 2 | 2 | 05-07-19 | 10500 | मानदेय प्रधान | अप्रैल 19/जून 19 |
| 3 | 3 | 05-07-19 | 20000 | मजदूरी | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 4 | 4 | 09-07-19 | 80000 | सामग्री | |
| 5 | 5 | 25-07-19 | 26694 | मिट्टी क्रय | पिच रोड से श्याम नरायण के खेत तक खडण्जा मरम्मत |
| 6 | 6 | 25-07-19 | 68068 | मजदूरी | |
| 7 | 7 | 25-07-19 | 144105 | ईंट क्रय | |
| 8 | 8 | 25-07-19 | 62800 | मजदूरी | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 26-07-19 | 158600 | ईंट क्रय | राजनरायन के खेत से सत्यनरायन के घर तक खडण्जा मरम्मत |
| 10 | 10 | 26-07-19 | 105700 | सोलर लाईट | विवरणहीन |
| 11 | 11 | 30-07-19 | 37800 | स्ट्रीट लाईट | विवरणहीन |
| 12 | 12 | 02-08-19 | 5495 | विज्ञापन | विवरणहीन |
| 13 | 13 | 21-08-19 | 3885 | टेन्डर | विवरणहीन |
| 14 | 14 | 20-01-20 | 14000 | पौध क्रय | विवरणहीन |
| 15 | 15 | 20-0120 | 24500 | मानदेय प्रधान | जुलाई 19/जनवरी 20 |
| 16 | 16 | 05-02-20 | 16800 | सफाई किट | विवरणहीन |
| 17 | 17 | 05-02-20 | 40279 | सामग्री | दिनेश के घर से आर सीसी रोड तक |
| 18 | 18 | 06-02-20 | 6133 | ईंट क्रय | |
| 19 | 19 | 06-02-20 | 10052 | मजदूरी | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 20 | 20 | 12-03-20 | 49677 | सामग्री | |
| 21 | 21 | 12-03-20 | 26559 | ईंट क्रय | ओम प्रकाश के घर से श्रीपत के घर तक नाली + सीसी रोड |
| 22 | 23 | 12-03-20 | 26012 | मजदूरी | |
| 23 | 25 | 12-03-20 | 81429 | सामग्री | |
| 24 | 27 | 12-03-20 | 13496 | ह्यूम पाइप | |
| 25 | 22 | 12-03-20 | 24973 | ईंट क्रय | मुख्तार के घर से सामने महेश के घर तक नाली + सीसी रोड |
| 26 | 26 | 12-03-20 | 72124 | सामग्री | |
| 27 | 28 | 12-03-20 | 13496 | ह्यूम पाइप | |
| 28 | 24 | 12-03-20 | 23478 | मजदूरी | |
| 29 | 29 | 23-03-20 | 31108 | मजदूरी | सीसी रोड |
| 30 | 31 | 23-03-20 | 9426 | ईंट क्रय | मरम्मत |
| 31 | 32 | 23-03-20 | 126529 | सामग्री | विवरणहीन |
| 32 | 33 | 23-03-20 | 30448 | ह्यूम पाइप | |
| 33 | 30 | 23-03-20 | 1000 | सा0भ0निधि | पंचायत कर |
| | | **योग -** | **1366874-00** | | |

**प्रस्तर - 112**

**112. ग्राम पंचायत - कादीपुर, विकास खंड - बाराचवर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में ग्राम पंचायत के कैशबुक/प्रिया शाफट के अनुसार कुल रू0 730363.00 का व्यय भुगतान विभिन्न मदों में किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई वाउचर, पत्रावली एवं रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किय गये है। जैसे कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण समितियों का रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख बार-बार मांगे जाने जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां एवं रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर या तो तैयार नहीं किये गये है या तो जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये है, जब कि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा -27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क, 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई पत्रावली एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) से की जाय तथा धारा 409 के साथ पंचायत राज अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड सहित के धारा के अन्तर्गत गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में चलाया जाय। अतः ग्राम पंचायत की रू0 730363.00 का निम्नांकित मदो में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम प्रधान जानकी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शिशिर सिंह द्वारा अपहरण (गबन) किया गया है। जिसकी सब्याज वसूली दोनों से समान रूप से अपेक्षित है। विवरण - (सा0 आ0 क्र0 - 12)

| क्रमांक | वाउचर | दिनांक | धनराशि | मद व्यय | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02-04-19 | 32078 | ईंट क्रय | विवरणहीन |
| 2 | 2 | 10-04-19 | 17500 | मानदेय प्रधान | नवम्बर 18/मार्च 19 |
| 3 | 3 | 22-04-19 | 8300 | स्टेशनरी | अभिलेख रख रखाव |
| 4 | 4 | 21-06-19 | 1708 | डोगल व्यय | अभिलेख रख रखाव |
| 5 | 5 | 25-07-19 | 33010 | सामग्री | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 6 | 6 | 25-07-19 | 8960 | मजदूरी | |
| 7 | 7 | 25-07-19 | 50372 | मजदूरी | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 8 | 8 | 25-07-19 | 42852 | सामग्री | |
| 9 | 9 | 25-07-19 | 26053 | सामग्री | राम आधार के घर से लक्ष्मी के घर तक इण्टर लाकिंग |
| 10 | 10 | 26-07-19 | 28148 | ईंट क्रय | |
| 11 | 11 | 26-07-19 | 21033 | ईंट क्रय | |
| 12 | 12 | 26-07-19 | 42861 | ई0 ईंट क्रय | |
| 13 | 13 | 30-07-19 | 12558 | मजदूरी | |
| 14 | 20 | 20-08-19 | 14222 | सामग्री | |
| 15 | 14 | 30-07-19 | 31651 | ईंट क्रय | मुसाफिर के घर से दिनेश के घर तक इण्टर लाकिंग |
| 16 | 15 | 30-07-19 | 76830 | ई0 ईंट क्रय | |
| 17 | 16 | 30-07-19 | 20830 | मजदूरी | |
| 18 | 21 | 20-08-19 | 25020 | सामग्री | |
| 19 | 17 | 20-07-19 | 5495 | विज्ञापन | टेण्डर |
| 20 | 18 | 20-07-1 | 3885 | विज्ञापन | टेण्डर |
| 21 | 19 | 09-08-19 | 10172 | मजदूरी | सोमारू के घर से रविशंकर के घर तक ढक्कनदार नाली |
| 22 | 22 | 16-01-20 | 31500 | मानदेय प्रधान | अप्रैल 19/दिसम्बर 19 |
| 23 | 23 | 16-01-20 | 38460 | सामग्री | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 24 | 24 | 16-01-20 | 12544 | मजदूरी | |
| 25 | 25 | 16-01-20 | 46575 | सामग्री | हैण्डपम्प रिबोर |
| 26 | 26 | 16-01-20 | 54124 | मजदूरी | |
| 27 | 27 | 22-01-20 | 33600 | सफाई किट | विवरणहीन |
| 28 | - | - | 16-83 | सीसी चार्ज | |
| | | **योग -** | **730363-00** | | |

**प्रस्तर - 113**

**113. ग्राम पंचायत - लखनौली, विकास खंड - बाराचवर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में ग्राम पंचायत के कैशबुक/प्रिया शाफट के अनुसार कुल रू0 1207691.00 का व्यय भुगतान विभिन्न मदों में किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई वाउचर, पत्रावली एवं रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किय गये है। जैसे कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण समितियों का रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख बार-बार मा ॅगे जाने जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां एवं रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर या तो तैयार नहीं किये गये है या तो जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये है, जब कि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा -27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क, 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई पत्रावली एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) से की जाय तथा धारा 409 के साथ पंचायत राज अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड सहित के धारा के अन्तर्गत गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में चलाया जाय। अतः ग्राम पंचायत की रू0 1207691.00 का निम्नांकित मदो में

काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम प्रधान लालमुनी देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शिशिर सिंह द्वारा अपहरण (गबन) किया गया है। जिसकी सब्याज वसूली दोनों से समान रूप से अपेक्षित है। विवरण - (सा0 आ0 क्र0 - 12)

| क्रमांक | वाउचर | दिनांक | धनराशि | मद व्यय | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29-07-19 | 16000 | सामग्री | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 2 | 2 | 29-07-19 | 4000 | मजदूरी | |
| 3 | 3 | 06-08-19 | 28376 | सामग्री | हैण्डपम्प रिबोर |
| 4 | 4 | 09-08-19 | 32732 | मजदूरी | |
| 5 | 5 | 07-08-19 | 1708 | डोंगल | पारस के घर से दुर्गा मा के स्थान तक इण्टर लाकिंग |
| 6 | 6 | 14-08-19 | 47580 | ई0 ईंट क्रय | |
| 7 | 7 | 14-08-19 | 13411 | सामग्री | |
| 8 | 8 | 14-08-19 | 14413 | ईंट क्रय | अरमनाथ गुप्ता के घर से विरेन्दर के घर तक इण्टर लाकिंग |
| 9 | 9 | 14-08-19 | 22522 | ईंट क्रय | |
| 10 | 10 | 14-08-19 | 94545 | सामग्री | |
| 11 | 11 | 14-08-19 | 29918 | मजदूरी | |
| 12 | 12 | 14-08-19 | 105700 | 5 सोलर लाईट | विवरणहीन |
| 13 | 13 | 14-08-19 | 108727 | 20 ह्यूम पाईप | विवरणहीन |
| 14 | 14 | 14-08-19 | 86000 | 20 स्ट्रीट लाइट | विवरणहीन |
| 15 | 15 | 22-01-20 | 66890 | हैण्ड पम्प रिबोर | विवरणहीन |
| 16 | 16 | 22-01-20 | 16800 | सफाई कीट | विवरणहीन |
| 17 | 17 | 22-01-20 | 21000 | प्रधान मानदेय | अप्रैल 19/सितम्बर 19 |
| 18 | 18 | 22-01-20 | 39804 | सामग्री | हैण्ड पम्प मरम्मत |
| 19 | 19 | 22-01-20 | 11200 | मजदूरी | |
| 20 | 20 | 21-01-20 | 18074 | मजदूरी | रमाशंकर के घर से विपुल के घर तक सीसी रोड |
| 21 | 21 | 21-01-20 | 12793 | ईंट क्रय | |
| 22 | 22 | 21-01-20 | 53924 | सामग्री | |
| 23 | 23 | 21-03-20 | 83032 | ईंट क्रय | कृष्ण मोहन के घर से शिवमंगल के घर तक सीसी रोड |
| 24 | 24 | 21-03-20 | 200904 | सामग्री | |
| 25 | 25 | 21-03-20 | 67264 | मजदूरी | |
| 26 | 26 | 21-03-20 | 1960 | मजदूरी | पारस के घर से परमात्मा के घर तक नाली निर्माण |
| 27 | 27 | 21-03-20 | 3167 | सामग्री | |
| 28 | 28 | 21-03-20 | 4247 | ईंट क्रय | |
| 29 | 29 | 21-03-20 | 1000 | भा0 निधि | पंचायत कर |
| | | **योग -** | **1207691** | | |

**प्रस्तर - 114**

**114. ग्राम पंचायत - बाकी खुर्द, विकास खंड - बाराचवर, जनपद - गाजीपुर के वर्ष 2019-20** में ग्राम पंचायत के कैशबुक/प्रिया शाफट के अनुसार कुल रू0 2011101.00 का व्यय भुगतान विभिन्न मदों में किया गया दर्शित है। परन्तु उक्त दर्शित व्ययों की पुष्टि में कोई वाउचर, पत्रावली एवं रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किय गये है। जैसे कार्यवाही रजिस्टर, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, सृजित परिसम्पत्ति रजिस्टर, धरोहर रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, मानदेय रजिस्टर, निर्माण समितियों का रजिस्टर, कार्यपूर्ति प्रमाण इत्यादि महत्वपूर्ण अभिलेख बार-बार मांगे जाने जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये है। इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त समस्त पत्रावलियां एवं रजिस्टर ग्राम पंचायत स्तर पर या तो तैयार नहीं किये गये है या तो जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किये गये है, जब कि उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा -27 तथा उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के अनुच्छेद 8 क, 8 ख के अन्तर्गत यदि दर्शाये गये व्ययों के सम्बन्ध में कोई

पत्रावली एवं प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये जाते है तो व्यय की गयी धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव) से की जाय तथा धारा 409 के साथ पंचायत राज अधिनियम द्वारा भारतीय दण्ड सहित के धारा के अन्तर्गत गबन का मुकदमा सक्षम न्यायालय में चलाया जाय। अतः ग्राम पंचायत की रू0 2011101.00 का निम्नांकित मदो में काल्पनिक व्यय दर्शित कर ग्राम प्रधान कलावती देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी शिशिर सिंह द्वारा अपहरण (गबन) किया गया है। जिसकी सब्याज वसूली दोनों से समान रूप से अपेक्षित है। विवरण - (सा0 आ0 क्र0 - 12)

| क्रमांक | वाउचर | दिनांक | धनराशि | मद व्यय | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 22-04-19 | 15000 | स्टेशनरी क्रय | - |
| 2 | 12 | 06-06-19 | 10500 | मानदेय प्रधान | अप्रैल 19/जून 19 |
| 3 | 13 | 21-06-19 | 1708 | डोगल | - |
| 4 | 14 | 16-07-19 | 45450 | सामग्री | हैण्ड पम्प मरम्मत |
| 5 | 15 | 18-07-19 | 11987 | मजदूरी | हैण्ड पम्प मरम्मत |
| 6 | 16 | 24-07-19 | 27300 | मजदूरी | मेन इन्टरलाकिंग से अजय राम के घर तक मिट्टी + खडण्जा कार्य |
| 7 | 7 | 21-07-19 | 69856 | ईंट क्रय | |
| 8 | 8 | 24-07-19 | 45000 | मजदूरी | हैण्ड पम्प रिबोर |
| 9 | 9 | 24-07-19 | 42000 | सामग्री | हैण्ड पम्प रिबोर |
| 10 | 10 | 24-07-19 | 172000 | स्ट्रीट लाईट क्रय | विवरणहीन |
| 11 | 11 | 24-07-19 | 195709 | 9 सोलर लाइट | विवरणहीन |
| 12 | 12 | 25-07-19 | 3885 | विज्ञापन | टेण्डर व्यय |
| 13 | 13 | 25-07-19 | 5495 | विज्ञापन | टेण्डर व्यय |
| 14 | 14 | 26-07-19 | 22456 | मजदूरी | मेन इण्टर लाकिंग से पारस चैहान के घर तक इन्टर लाकिंग |
| 15 | 19 | 26-07-19 | 36634 | सामग्री | |
| 16 | 20 | 26-07-19 | 139711 | इन्टर लाकिंग ईंट क्रय | |
| 17 | 15 | 26-07-19 | 24822 | मजदूरी | इन्टर लाकिंग - विवरणहीन |
| 18 | 16 | 26-07-19 | 28544 | ईंट क्रय | |
| 19 | 17 | 26-07-19 | 30767 | ईंट क्रय | |
| 20 | 18 | 26-07-19 | 34972 | सामग्री | |
| 21 | 20 | 26-07-19 | 154743 | ई0 ईंट क्रय | |
| 22 | 22 | 20-08-19 | 5000 | पौध क्रय | - |
| 23 | 23 | 28-01-20 | 39804 | सामग्री | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 24 | 24 | 28-01-20 | 11200 | मजदूरी | |
| 25 | 25 | 28-01-20 | 77625 | सामग्री | हैण्डपम्प मरम्मत |
| 26 | 26 | 28-01-20 | 89376 | मजदूरी | |
| 27 | 27 | 28-01-20 | 32172 | मजदूरी | लालचन्द्र के घर से रामनरायन के घर तक नाली निर्माण |
| 28 | 28 | 28-01-20 | 57951 | सामग्री | |
| 29 | 29 | 28-01-20 | 787156 | ईंट क्रय | |
| 30 | 30 | 05-02-20 | 21000 | मानदेय प्रधान | अगस्त 19/जनवरी 20 |
| 31 | 31 | 17-02-20 | 41790 | मजदूरी | मेन सीसी रोड से हरि किशुन राजभर के घर तक नाली एवं इन्टर |
| 32 | 32 | 17-02-20 | 70554 | सामग्री | |
| 33 | 33 | 17-02-20 | 92452 | गिट्टी + ईंट क्रय | |
| 34 | 34 | 20-02-20 | 9464 | मजदूरी | रामधार के घर से महेन्दर के घर तक खडण्जा मरम्मत |
| 35 | 35 | 20-02-20 | 24398 | ईंट क्रय | |
| 36 | 36 | 20-02-20 | 22204 | मजदूरी | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 37 | 20-02-20 | 37913 | ईंट क्रय | रंगलाल के घर से मेन गड़ही तक खडण्जा निर्माण |
| 38 | 38 | 20-02-20 | 33600 | सामग्री | विवरणहीन |
| 39 | 39 | 12-03-20 | 63357 | ईंट क्रय | चन्द्रभान यादव के दरवाजे पर सोख्ता गड्ढा |
| 40 | 40 | 12-03-20 | 61186 | सामग्री | |
| 41 | 41 | 12-03-20 | 24360 | मजदूरी | |
| | | **योग -** | **2011101** | | |

## प्रारूप-4

## ग्राम पंचायत - बाहरपुरकला जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20

**प्रस्तर-1**

ग्राम पंचायत- **बाहरपुरकला** विकासखण्ड- **सुजानगंज** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष **2019-20** में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल **रु0 28095=00** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नांकित है:-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **कार्य का नाम/नाम** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 15-06-2019 | हैण्डपम्प रिबोर कमलेश के घर के पास के लिए मजदूरी का भुगतान | 12027810 | 15675=00 |
| 02 | 18-06-2019 | हैण्डपम्प रिबोर के लिए आलोक मशीनरी स्टोर्स से क्रय समान का भुगतान | 12027809 | 12420=00 |
| | | योग | | **28095=00** |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशिरु0 **28095=00** के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र,मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेशसंख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरांत परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015 दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि रु0 **28095=00** ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशिरु0 **28095=00**की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री **राम बहादुर** एवं पंचायत सचिव श्री **राकेशमणि तिवारी** से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(2)**

**ग्राम पंचायत -अचकारी जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-2**

ग्राम पंचायत -**अचकारी** विकासखण्ड **सुजानगंज** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा ावर्ष-**2019-20** में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल **रु0 30595=00** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है: -

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **कार्य का नाम/नाम** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|
| 01 | 19-03-2020 | प्रा०वि० अचकारी में इण्डिया मार्को 2 हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु सामग्री सहित मजदूरी भुगतान | **30595=00** |
| | | योग | **30595=00** |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशिरु0 **30595=00** के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र,मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेशसंख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंप्रांत परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशिरु0 **30595=00** ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है

तथाअधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशिरु0 **30595=00** की वसूली तत्कालीनग्रामप्रधान **पुष्पा देवी** एवं पंचायत सचिव**श्री राना सिंह** से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(3)**

**ग्राम पंचायत - सरायभोगी जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-3**

ग्राम पंचायत **सरायभोगी** विकासखण्ड **सुजानगंज** जनपद-**जौनपुर** के लेखा परीक्षा वर्ष **2019-20** में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 20000 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **कार्य का नाम** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 03-05-2019 | हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय | | 20000/- |
| | | योग | | 20000/- |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु 20000 के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरांत परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि रु 20000 ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रु 20000 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान रविकांत एवं तत्कालीन पंचायत सचिव विनय कुमार जायसवाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(4)**

**ग्राम पंचायत - सुजानगंज जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-4**

ग्राम पंचायत-**सुजानगंज** विकासखण्ड-**सुजानगंज** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षावर्ष- **2019-20** में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल **रु0 62520=00**का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **कार्य का नाम/नाम** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01 | 03-01-2020 | हैण्डपम्प रिबोर पर सामग्री पर भुगतान | **62520=00** |
| | | योग | **62520=00** |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशिरु0 **62520=00** के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र,मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेशसंख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरांत परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशिरु0 **62520=00** ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथाअधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशिरु0 **62520=00** की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती **आशा** एवं पंचायत सचिव **श्री संजय कुमार त्रिपाठी** से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(5)**

**ग्राम पंचायत - बारीगांव जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-5**

ग्राम पंचायत **बारीगांव,** विकासखण्ड **बरसठी,** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा ा वर्ष **2019-20** में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान इंटरलाकिंग कार्य पर कुल **रू0 187682.00 )एक लाख सत्तासी हजार छः सौ बयासी मात्र)** भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **फर्म का नाम/नाम** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.04.2019 | पिच रोड से विनोद के घर तक इंटरलाकिंग कार्य | - | 44310.00 |
| 2 | 07.04.2019 | पिच रोड से विनोद के घर तक इंटरलाकिंग कार्य | - | 112035.00 |
| 3 | 30.05.2019 | पिच रोड से विनोद के घर तक इंटरलाकिंग कार्य | - | 31337.00 |
| | | | | |
| **योग** | | | | **187682.00** |

**धनराशि शब्दों में- एक लाख सत्तासी हजार छः सौ बयासी मात्र**

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि **187682.00** में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल वाउचर / मस्टर रोल अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि इंटरलाकिंग कार्य हेतु किया गया उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा0प0 के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि **187682.00 (एक लाख सत्तासी हजार छः सौ बयासी मात्र)** की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(6)**

**ग्राम पंचायत - रसूलहाँ जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-6**

ग्राम पंचायत- **रसूलहाँ** विकासखण्ड- **बरसठी,** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष **2019-20** में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल **रु0 19975.00 (रु0- उन्नीस हजार नौ सौ पचहत्तर)** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **फर्म का नाम/नाम** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.06.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान | 12010459 | 19975.00 |
| **योग** | | | | **19975.00** |

**धनराशि शब्दों में- उन्नीस हजार नौ सौ पचहत्तर**

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरांत परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि **19975.00 (रु0- उन्नीस हजार नौ सौ पचहत्तर)** की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कमला देवी एवं पंचायत सचिव श्री अरुण पटेल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(7)**

**ग्राम पंचायत - आदमपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-7**

ग्राम पंचायत **आदमपुर,** विकासखण्ड **बरसठी,** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष **2019-20** में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रू0 137287.00 (एक लाख सैंतीस हजार दो सौ सत्तासी मात्र ) भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **फर्म का नाम/नाम** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2019 | ह्यूम पाइप क्रय | 119502 | 137287.00 |
| **योग** | | | | **137287.00** |

**धनराशि शब्दों में- एक लाख सैंतीस हजार दो सौ सत्तासी मात्र**

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि **137287.00** में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है

(घ) ह्यून पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा0प0 के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि **137287.00 (एक लाख सैंतीस हजार दो सौ सत्तासी मात्र)** की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सूर्यमणि एवं पंचायत सचिव श्री प्रदीप कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(8)**

**ग्राम पंचायत -गोपालपुर( गोहका) जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-8**

ग्राम पंचायत- **गोपालपुर (गोहका)** विकासखण्ड- **बरसठी,** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष **2019-20** में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल **रु0 19000/- (रु0- उन्नीस हजार मात्र)** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **फर्म का नाम/नाम** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17.11.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत पर व्यय | 068276 | 19000.00 |
| **योग** | | | | **19000.00** |

**धनराशि शब्दों में- उन्नीस हजार मात्र**

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या 1134/38-5-11-56सम्/2010दिनांक-29.06.2021 के बिन्दु (1) एवं (3) के अनुसार नये इण्डियामार्का 2 हैण्ड पम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। तथा ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरांत परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि **19000.00 (रु0- उन्नीस हजार मात्र)** की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला देवी एवं पंचायत सचिव श्री अतुल कुमार मिश्रा से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(9)**

**ग्राम पंचायत -** दखन **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-9**

ग्राम पंचायत दखन विकासखण्ड धर्मापुर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रू0 126675.00 ¼ एक लाख छब्बीस हजार छः सौ पचहत्तर रुपया मात्र ½ भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1- | 28-01-2020 | आर0एन0 इन्टर प्राइजेज | अज्ञात | 126675.00 |
| | | | योग- | 126675.00 |

**धनराशि शब्दों में-**¼ एक लाख छब्बीस हजार छः सौ पचहत्तर रुपया मात्र ½

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 126675.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है

(घ) ह्यून पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्‌देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

(झ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा0प0 के वित्त एवं लेखा प्रबनध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि 126675.00 ¼ एक लाख छब्बीस हजार छः सौ पचहत्तर रुपया मात्र ½ की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री हरीशचन्द एवं पंचायत सचिव श्री प्रमोद कुमार सिंह से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(10)**

**ग्राम पंचायत -** तरसंड **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-10**

**ग्राम पंचायत- तरसंड  विकास खंड-धर्मापुर** जनपद जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष -2019-20 मे कोषवही के अनुसार हैन्डपंप मरम्मत कार्य पर कुल रु0 20000.00 ¼रू0 बीस हजार मात्र ½ का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है -

| क्रमांक | दिनांक | फर्म का नाम @नाम | चेक संख्या | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1- | 06-05-2019 | उमेश | 12017654 | 20000.00 |
| | | | योग- | 20000.00 |

कोषवही मे दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित लेखा परीक्षा आपत्तियाँ पायी गई है -अ&

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे-

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1)कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबंधन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5)कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6)हैन्डपंप खराबी से समबंधित शिकायत पत्र मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजिस्टर

(8) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहे ।

(ग) डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरांत खराब पार्ट का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी ।

(घ) हैन्डपंप मरम्मत कार्य स्थल का उल्लेख कैशबुक मे दर्ज नहीं किया गया है

(ड़) हैन्डपंप मरम्मत पश्चात अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैन्डपंप मरम्मत होने का प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा

(च) ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या- 1134/38-5-11-56 सम/2010 दिनांक-29-06-2021 के बिन्दु(1) एवं(3) के अनुसार नये इंडियमार्का-2 हैन्ड पम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किए जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा तथा ग्राम सभा की खुली बैठक मे अनुमोदनोंपरांत परिसंपत्ति रजिस्टर दर्ज किया जायेगा लेखा परीक्षा मे परिसंपत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किए जाने के कारण इसकी पुस्ति नहीं की जा सकी

(छ) शासनादेश संख्या -आर0जी0एस0ए0 /197/2019-4/379/2015 दिनांक-02-05-2019 के बिन्दु -(3) कार्य स्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खंड-7 खंड-8क ,8ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है अतः उक्त धनराशि 20000.00 ¼बीस हजार मात्र ½ की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जयप्रकाश सिंह एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिंह से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

**(11)**

**ग्राम पंचायत - मकरा जनपद- जौनपुर  वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-11**

ग्राम पंचायत **मकरा** विकासखण्ड -**जलालपुर** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20 में कोषवाही के अनुसार वर्ष के दौरान कुल रु0 786300.00 भुगतान /व्यय किया गया है। जिसका जिसका विवरण निम्नवत–

| क्रम सं0 | दिनांक | कार्य का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 01-07-2019 | हैंन्डपम्प रिबोर | 113500.00 |
| 2 | 01-07-201 | हैन्ड पम्प रिबोर | 50000.00 |
| 3 | 31-12-2019 | ईंट हेतु भुगतान | 519750.00 |
| 4 | 31-03-2019 | खड़ंजा निर्माण हेतु भुगतान | 103050.00 |
| | | योग- | 786300.00 |

(सात लाख छियासी हजार तीन सौ रु0 मात्र)

कोषवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 786300.00 निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर /मस्टररोल अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतनीत राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर।

(2) कार्ययोजना

(3) स्टाक रजिस्टर

(4) कोटेशन/टेंडर पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ।

(7) उपभोग प्रमाण पत्र।

(8) निर्माण कार्य समिति संस्तुति।

(9) सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य रजिस्टर ।

(10) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य का भुगतान धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8, 8ख, एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु0 786300.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जंग बहादुर सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उदय शंकर सिंह संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(12)**

**ग्राम पंचायत -करदहा जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-12**

ग्राम पंचायत **करदहा** विकासखण्ड **जलालपुर** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20 में कोषवाही के अनुसार वर्ष के दौरान कुल रु0 636000.00 भुगतान /व्यय किया गया है। जिसका जिसका विवरण निम्नवत–

| क्रम सं0 | दिनांक | कार्य का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 12-07-2019 | मेन्टीनेंस कार्य | 15000.00 |
| 2 | 25-02-2020 | मैटेरियाल हेतु भुगतान | 43500.00 |
| 3 | 31-03-2020 | ईंट हेतु भुगतान | 577500.00 |
| | | योग- | 636000.00 |

(छः लाख छत्तीस हजार रु0 मात्र)

कोषवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 636000.00 निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर /मस्टररोल अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतनीत राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर।

(2) कार्ययोजना

(3) स्टाक रजिस्टर

(4) कोटेशन/टेंडर पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ।

(7) उपभोग प्रमाण पत्र।

(8) निर्माण कार्य समिति संस्तुति।

(9) सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य रजिस्टर ।

(10) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य का भुगतान धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8, 8ख, एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु0 636000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उदय शंकर सिंह संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(13)**

**ग्राम पंचायत -लहंगपुर     जनपद- जौनपुर     वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-13**

ग्राम पंचायत **लहंगपुर** विकासखण्ड **जलालपुर** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20 में कोषवाही के अनुसार वर्ष के दौरान कुल रु0 754745.00 भुगतान /व्यय किया गया है। जिसका जिसका विवरण निम्नवत–

| क्रम सं0 | दिनांक | कार्य का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.03.2020 | ईंट हेतु भुगतान | 420000.00 |
| 2 | 24.03.2020 | मैटेरियाल हेतु भुगतान | 40000.00 |
| 3 | 17.02.2020 | पिच रोड़ से गिरि बस्ती माइनर तक खड़जा निर्माण कार्य | 130295.00 |
| 4 | 17.02.2020 | रेलवे प्लेट फॉर्म खड़जा से अलगू यादव के घर तक खड़जा निर्माण कार्य | 74850.00 |
| 5 | 17.02.2020 | मैटेरियाल हेतु भुगतान | 89600.00 |
| | | योग- | 754745.00 |

(सात लाख चौवन हजार सात सौ पैतालीस रु0 मात्र)

कोषवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 754745.00 निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर /मस्टररोल अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतनीत राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर।

(2) कार्ययोजना

(3) स्टाक रजिस्टर

(4) कोटेशन/टेंडर पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ।

(7) उपभोग प्रमाण पत्र।

(8) निर्माण कार्य समिति संस्तुति।

(9) सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य रजिस्टर ।

(10) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य का भुगतान धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8, 8ख, एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु0 754745.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रिया विश्वकर्मा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उदय शंकर सिंह संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(14)**

**ग्राम पंचायत -रामपुर सोइरी     जनपद- जौनपुर     वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-14**

ग्राम पंचायत **रामपुर सोइरी** विकासखण्ड **जलालपुर** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20 में कोषवाही के अनुसार वर्ष के दौरान कुल रु0 2235120.00 भुगतान /व्यय किया गया है। जिसका जिसका विवरण निम्नवत–

| क्रम सं0 | दिनांक | कार्य का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 12.07.2019 | रिबोर | 250000.00 |
| 2 | | ईंट हेतु भुगतान | 284995.00 |
| 3 | 25.02.2020 | मजदूरी भुगतान | 404250.00 |
| 4 | 25.02.2020 | ईंट हेतु भुगतान | 49800.00 |
| 5 | 25.02.2020 | मजदूरी भुगतान | 4500.00 |
| 6 | 25.02.2020 | मजदूरी भुगतान | 63400.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | 25.02.2020 | - | 8500.00 |
| 8 | 16.02.2020 | मैटेरियाल भुगतान | 1169675.00 |
| | | योग- | 2235120.00 |

(बाईस लाख पैंतीस हजार एक सौ बीस रु0 मात्र)

कोषवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 2235120.00 निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर /मस्टररोल अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतनीत राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर।

(2) कार्ययोजना

(3) स्टाक रजिस्टर

(4) कोटेशन/टेंडर पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ।

(7) उपभोग प्रमाण पत्र।

(8) निर्माण कार्य समिति संस्तुति।

(9) सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य रजिस्टर ।

(10) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य का भुगतान धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8, 8ख, एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु0 2235120.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत श्रीमती मीना देवी सचिव श्री उदय शंकर सिंह संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(15)**

**ग्राम पंचायत -असबरनपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-15**

ग्राम पंचायत **असबरनपुर** विकासखण्ड **जलालपुर** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20 में कोषवाही के अनुसार वर्ष के दौरान कुल रु0 1793500.00 भुगतान /व्यय किया गया है। जिसका जिसका विवरण निम्नवत–

| क्रम सं0 | दिनांक | कार्य का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2019 | हैन्डपम्प मरम्मत | 65000.00 |
| 2 | 01-04-2019 | हैन्डपम्प मरम्मत | 200000.00 |
| 3 | 24.02.2020 | मैटेरियाल हेतु | 27000.00 |
| 4 | 24.02.2020 | ईट हेतु भुगतान | 346500.00 |
| 5 | 31.03.2020 | मजदूरी भुगतान | 1155000.00 |
| | | योग- | 1793500.00 |

(रु0 सत्रह लाख तिरानवे हजार पाँच सौ मात्र)

कोषवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 1793500.00 निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर /मस्टररोल अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर।

(2) कार्ययोजना

(3) स्टाक रजिस्टर

(4) कोटेशन/टेंडर पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ।

(7) उपभोग प्रमाण पत्र।

(8) निर्माण कार्य समिति संस्तुति।

(9) सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य रजिस्टर ।

(10) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य का भुगतान धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8, 8ख, एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु0 1793500.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अशोक कुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उदय शंकर सिंह संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(16)**

**ग्राम पंचायत -काकोरी जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-16**

ग्राम पंचायत **काकोरी** विकासखण्ड **जलालपुर** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20 में कोषवही के अनुसार वर्ष के दौरान कुल रु0 1430153.00 भुगतान /व्यय किया गया है। जिसका जिसका विवरण निम्नवत–

| क्रम सं0 | दिनांक | कार्य का नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2020 | प्रभात के घर से प्रदीप के घर तक खड़ंजा निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान । | 109908.00 |
| 2 | 25.02.2020 | उदल के घर से राधेश्याम के घर तक खड़ंजा निर्माण हेतु मजदूरी का भुगतान | 72845.00 |
| 3 | 31.03.2020 | उपरोक्त कार्य हेतु ईंट क्रय का भुगतान | 1247400.00 |
| | | योग- | 1430153.00 |

(रु0 चौदह लाख तीस हजार एक सौ तिरपन मात्र)

कोषवही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि रु0 1430153.00 निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी :-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर /मस्टररोल अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर।

(2) कार्ययोजना

(3) स्टाक रजिस्टर

(4) कोटेशन/टेंडर पत्रावली

(5) स्टीमेट एवं एम0बी0

(6) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र ।

(7) उपभोग प्रमाण पत्र।

(8) निर्माण कार्य समिति संस्तुति।

(9) सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर कार्य रजिस्टर ।

(10) त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य का भुगतान धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध केतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 8, 8ख, एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियम 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु0 1430153.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंजुलता पांडे एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री उदय शंकर सिंह संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(17)**

**ग्राम पंचायत -कुम्भ जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-17**

1- ग्राम पंचायत **कुम्भ** विकासखण्ड **मड़ियाहूँ** जनपद-जौनपुर के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के निधि प्रथम से खाता संख्या 8733 यूबीआई दिनांक 28-10-2019 को रु0 9800-00 एवं दिनांक 20-01-2020 को रु0 17600-00 का आहरण कर कुल रु० 27400-00 कैश बुक में प्रशासनिक मद पर व्यय दर्शित है | लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बंधित निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है-

1- उक्त भुगतान किस संस्था /फर्म को किया गया है, इसका उल्लेख कैशबुक में नहीं किया गया है |

2- लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर,बिल /वाउचर एवं कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किया गया है |

3- उक्त धनराशि में क्या – क्या ख़रीदा गया है इसका उल्लेख कैशबुक में दर्शित नहीं है |

4- प्रशासनिक समिति से संस्तुति प्रमाण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा |

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है |

अतः उक्त धनराशि 27400-00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार एवं सचिव श्री प्रमोद कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है ।

**(18)**

**ग्राम पंचायत -कल्यानपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-18**

ग्राम पंचायत **कल्यानपुर** विकासखण्ड **मड़ियाहूँ** जनपद-जौनपुर के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के निधि प्रथम से खाता संख्या 8725 यूबीआई दिनांक 21-09-2019 को क्रमशः रु0 24500-00 एवं 24500-00 का आहरण कर कुल रु० 49000-00 हैंडपंप मरम्मत पर व्यय कि कैश बुक में दर्शित है | लेखा परीक्षा में उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है-

1. उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी |
2. लेखा परीक्षा में जल प्रबंधन समिति द्वारा सस्तुति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा |
3. हैंडपंप मरम्मत से सम्बंधित प्रस्ताव एवं कार्यवाही पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे उक्त हैंडपंप मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित होने की पुष्टि नहीं की जा सकी |
4. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा, जिससे प्रयुक्त पार्ट्स, अप्रयुक्त तथा निष्प्रयोज्य पार्ट्स की पुष्टि नहीं की जा सकी |
5. हैंडपंप खराबी से सम्बंधित शिकायत पत्र तथा मरम्मत हेतु मांग पत्र और तकनीकी रिपोर्ट अप्रस्तुत रही |
6. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जो कि उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 का उलंघन है | इससे उपरोक्त हैंडपंप मरम्मत कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि नहीं होती है |
7. हैंडपंप मरम्मत के पश्चात् लाभार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा |
8. कार्य योजना, स्टीमेट, एम0बी0 और मजदूरी भुगतान से सम्बंधित अभिलेख भी प्रस्तुत नहीं किया गया |
9. उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाण पत्र यथा - त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, टेंडर /कोटेशन पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा |
10. ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -1134/38-5-11-56एम /2010 दिनांक 29-06-2021 के बिंदु (1)एवं (3) के अनुसार नए इंडिया मार्का-2 हैंडपंप और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रखा –रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा |ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा | किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी |

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है |

अतः उक्त धनराशि 49000-00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री मिठाई लाल यादव एवं सचिव श्री कृष्ण मोहन यादव संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है |

**(19)**

**ग्राम पंचायत -रईया जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-19**

ग्राम पंचायत **रईया** विकासखण्ड **मड़ियाहूँ** जनपद-जौनपुर के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के निधि प्रथम से खाता संख्या 7118 यूबीआई दिनांक 30-7-2019 को रु0 94650-00 का आहरण कर ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय कैश बुक में दर्शित है | बैंक स्टेटमेंट में ए0 एस0 इंटर प्राइजेज को भुगतान दर्शित है | लेखा परीक्षा में उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है-

1. लेखा परीक्षा में प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा |
2. ह्यूम पाईप लगवाने का उदेश्य एवं स्थान का विवरण भी कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है |

3. निर्माण कार्य समिति की सस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी |
4. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा, जिससे ख़रीदे गए ह्यूम पाईप, प्रयुक्त एवं अवशेष तथा अप्रयुक्त ह्यूम पाईप की पुष्टि नहीं की जा सकी |
5. लेखा परीक्षा के समय एम0बी0, स्टीमेट, कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, उपभोग प्रमाणपत्र और परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किये गए |
6. त्रिस्तरीय फोटोग्राफी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा |
7. ह्यूम पाईप लगवाने से सम्बंधित मजदूरी का भुगतान कोष बही  में दर्शित नहीं है |मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है |
8. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जो कि उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 का उलंघन है | इससे उक्त दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं होती है |
9. ह्यूम पाईप कितने एम०एम० की है एवं उसकी संख्या का अंकन कोष बही  में नहीं किया गया है |
10. ह्यूम पाईप लगवानेके पश्चात् अगल –बगल निवासरत ग्रामीण /किसानो से ह्यूम पाईप लगवाने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा |
11. ह्यूम पाईप के स्थापना में बालू , ईंट ,गिट्टी ,सीमेंट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से उक्त कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है | परन्तु कैशबुक में उपरोक्त के विषय में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है |

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ह्यूम पाईप क्रय एवं लगवाने हेतु दर्शित उपरोक्त भुगतान ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-7 (4) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-218-क के आधार पर वित्तीय अनियमितता है ,जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री मती लालमनी देवी  एवं सचिव श्री राजेंद्र प्रसाद यादव  संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**(20)**

**ग्राम पंचायत -रजमलपुर        जनपद- जौनपुर      वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-20**

ग्राम पंचायत **रजमलपुर** विकासखण्ड **मड़ियाहूँ**  जनपद-जौनपुर के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के निधि प्रथम से खाता संख्या 8735 यूबीआई दिनांक 31-5-2019 को रु0 81000-00 हैंडपंप रिबोर पर व्यय कैश बुक में दर्शित है | बैंक स्टेटमेंट में ट्रांसफर दर्शित है | लेखा परीक्षा में उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है-

1. लेखा परीक्षा में जल प्रबंधन  समिति द्वारा सस्तुति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा |
2. हैंडपंप रिबोर से सम्बंधित प्रस्ताव एवं कार्यवाही पुस्तिका प्रस्तुत नहीं की गयी, जिससे उक्त हैंडपंप रिबोर कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित होने की पुष्टि नहीं की जा सकी |
3. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर अप्रस्तुत रहा, जिससे प्रयुक्त पार्ट्स, अप्रयुक्त तथा निष्प्रयोज्य पार्ट्स की पुष्टि नहीं की जा सकी |
4. हैंडपंप खराबी से सम्बंधित शिकायत पत्र तथा रिबोर हेतु मांग पत्र और तकनीकी रिपोर्ट अप्रस्तुत रही |
5. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जो कि उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 का उलंघन है | इससे उपरोक्त हैंडपंप रिबोर कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि नहीं होती है |
6. हैंडपंप रिबोर के पश्चात् लाभार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा |
7. कार्ययोजना, स्टीमेट, वित्तीय स्वीकृति और एम0बी0 भी प्रस्तुत नहीं किया गया |
8. उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाण पत्र यथा - त्रिस्तरीय फोटोग्राफी, टेंडर /कोटेशन पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा |
9. ग्राम विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या -1134/38-5-11-56एम /2010 दिनांक 29-06-2021 के बिंदु (1)एवं (3) के अनुसार नए इंडिया मार्का-2 हैंडपंप और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख –रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तांतरित किया जायेगा |ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसंपत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा | किन्तु लेखा परीक्षा में परिसंपत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी |

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि हैंडपंप रिबोर कार्य हेतु दर्शित उक्त भुगतान ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-7 (4) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-218-क के आधार पर वित्तीय

अनियमितता है ,जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री गुरुदीन एवं सचिव श्री राजेंद्र प्रसाद यादव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**(21)**

**ग्राम पंचायत -ददरा जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-21**

ग्राम पंचायत **ददरा** विकासखण्ड **मड़ियाहूँ** जनपद-जौनपुर के आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के निधि प्रथम से खाता संख्या 3454 यूबीआई दिनांक 10-06-2019 को रु0 26240-00 एवं 34000.00 का आहरण कर कुल रु 60240.00 ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय कि कैश बुक में दर्शित है | बैंक स्टेटमेंट में अमन इंटर प्राइजेज को भुगतान दिया जाना दर्शित है | लेखा परीक्षा में उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी है-

1. लेखा परीक्षा में प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा |
2. ह्यूम पाईप लगवाने का उदेश्य एवं स्थान का विवरण भी कैशबुक में अंकित नहीं किया गया है |
3. निर्माण कार्य समिति की सस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी |
4. लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा, जिससे ख़रीदे गए ह्यूम पाईप, प्रयुक्त एवं अवशेष तथा अप्रयुक्त ह्यूम पाईप की पुष्टि नहीं की जा सकी |
5. लेखा परीक्षा के समय एम0बी0, स्टीमेट, कार्ययोजना, वित्तीय स्वीकृति, कोटेशन पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, उपभोग प्रमाणपत्र और परिसंपत्ति रजिस्टर नहीं प्रस्तुत किये गए |
6. त्रिस्तरीय फोटोग्राफी लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा |
7. ह्यूम पाईप लगवाने से सम्बंधित मजदूरी का भुगतान कोष बही में दर्शित नहीं है |मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है |
8. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जो कि उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 का उलंघन है | इससे उक्त दर्शित कार्य की पुष्टि नहीं होती है |
9. ह्यूम पाईप कितने एम०एम० की है एवं उसकी संख्या का अंकन कोष बही में नहीं किया गया है |
10. ह्यूम पाईप लगवाने के पश्चात् अगल –बगल निवासरत ग्रामीण /किसानो से ह्यूम पाईप लगवाने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा |
11. ह्यूम पाईप के स्थापना में बालू , ईंट ,गिट्टी ,सीमेंट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से उक्त कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है | परन्तु कैशबुक में उपरोक्त के विषय में कोई विवरण अंकित नहीं किया गया है |

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ह्यूम पाईप क्रय एवं लगवाने हेतु दर्शित उपरोक्त भुगतान ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-7 (4) एवं उ०प्र० पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम-218-क के आधार पर वित्तीय अनियमितता है ,जिसके लिए तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री दलसिंगार एवं ग्राम पंचायत /ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव संयुक्त रूप से उत्तरदायी है । उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध आवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

**(22)**

**ग्राम पंचायत -जमालपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-22**

1- ग्राम पंचायत **जमालपुर** विकासखण्ड **मछलीशहर** जनपद-जौनपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के निधि प्रथम से खाता संख्या 674124 दिनांक 06-04-2019 को मिट्टी पटाई पर रू0 26400.00 कैश बुक में व्यय दर्शित है।लेखा परीक्षा में बिल/एम0बी0 के अलावा कार्य वाही रजिस्टर, निर्माण समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र, ए0डी0ओ0 पंचायत द्वारा स्थल निरीक्षण प्रमाण पत्र तथा प्रा0पा0 के प्रधानाचार्य द्वारा मिट्टी पटाई हेतु आवेदन व पटाई के पश्चात प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही रहा, जिससे उ0प्र0 पंचायतराज नियमावली 1947 के अनुसार वित्तीय अनियमितता दर्शित होता है।जिसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री बांकेलाल यादव और ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री प्रदीप कुमार सिंह समान रूप से उत्तरदायी है।जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**(23)**

**ग्राम पंचायत -रशूलपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-23**

1- ग्राम पंचायत **रशूलपुर** विकासखण्ड **मछलीशहर** जनपद-जौनपुर आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत के निधि प्रथम से खाता संख्या 674119 दिनांक 20-3-2020 को रू0 5000.00 कैश बुक में बैंक द्वारा गलत ढंग से आहरित दर्शित है उक्त धनराशि से सम्बन्धित संस्था द्वारा कोई बिल/वाउचर स्टीमेट, कार्यवाही रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। बैंक स्टेट मेंट

में उक्त दिनांक को डोंगल द्वारा आहरण दर्शित है। इस प्रकार धनराशि को बैंक से गलत ढंग से आहरित दर्शित कर अपहरण किया गया है। जिसे उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसके लिए तत्कालीन प्रधान श्री बालगोबिन्द और ग्रा0पं0/वि0 अधिकारी श्री विनोद कुमार समान रूप से उत्तरदायी है।जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित समान रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**(24)**

**ग्राम पंचायत -** बैरमा **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-24**

ग्राम पंचायत-बैरमा, वि०ख० महराजगंज की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित हुए जिस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है-

1- लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20, ई-कैशबुक एवं ऑनलाइन पेमेन्ट के अनुसार कार्य नाम- प्रा०पा० में डेन्टिंग-पेंटिंग, टाईल्स आदि कार्य पर दिनांक 15.02.2020 को वा०सं० पी/12 पर 13403.00/-रु० सुदामा इण्टर प्राईजेज को तथा वा०सं० पी/12 पर 48000.00/-रु० त्रिमूर्ति मार्वल को भुगतान किया गया है। उक्त फर्म से किस प्रकार की सामग्री क्रय की गई, के सापेक्ष बिल-वाउचर लेखा-परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नही होती है। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उलंघन)

- उक्त कार्य पर किसी भी प्रकार के श्रमांश का भुगतान वर्ष के दौरान नही किया गया है, जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नही होती है।
- उक्त क्रय के सापेक्ष स्टाक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे, सामग्री के क्रय किये जाने एवं उसके स्टाक में होने की पुष्टि नही होती है।
- उक्त कार्य से सम्बन्धित एवं व्यय के सापेक्ष अन्य पुष्टि प्रमाणक यथा-कार्यवाही रजि०, स्टीमेट, एम०बी०, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति, परिसम्पत्ति रजि० आदि ले०प० में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे उक्त व्यय से किसी भी कार्य के कराये जाने एवं मैटेरियल के उपभोग किये जाने की पुष्टि नही होती। (शासनादेश सं०-51/2017/1211 /33-3-2017-46/2015 दि० 19 जून 2017 का उल्लंघन)

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य हेतु कुल व्यय रू०-61403.00 का काल्पनिक कार्य दर्शाकर सुनियोजित तरीके से उपरोक्त फार्मों को भुगतान कर ग्राम पं०/वि०अधि० श्री विजय भान यादव या तत्कालीन पंचायत सचिव तथा ग्राम प्रधान-श्री कृपा शंकर द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ता-तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०12)**

**प्रस्तर-25**

- ¼2½ लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20, ई-कैशबुक एवं ऑनलाइन पेमेन्ट के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर दिनांक 04.03.2020 को वा०सं०-पी/14 पर 63000.00/-रु० बाला जी इण्टर प्राईजेज को तथा दि० 04.03.2020 को वा०सं० पी/15 पर 63000.00 रू0 सलामत इलेक्ट्रिकल एण्ड हार्डवेयर को भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान के सापेक्ष बिल-वाउचर्स ले०प० में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नही होती है। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)
- ई-कैशबुक एवं ऑनलाइन पेमेन्ट के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के स्थल का उल्लेख नहीं किया गया और न ही उक्त कार्य की पत्रावली ले०प० में प्रस्तुत की गई जिससे रिबोर कार्य की पुष्टि नही होती है।
- उपरोक्त हैण्ड पम्प रिबोर कार्य के सापेक्ष, जल निगम की प्रतीक्षा सूची/ग्रामपंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के आधार पर खराब हैण्ड पम्पों के कार्य-योजना मे सम्मिलित किये जाने की सूची, कार्यवाही रजि०, स्टीमेन्ट, एम०बी०, कोटेशन प्रक्रिया, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्टाक रजि०, निष्प्रयोज्य सामग्रियो का डेड स्टाक रजि० जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, उपभोग, प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नही होती है। (शासना देश सं०-51/2017/1211/33-3-17-2017-46/2015 दिनांक- 14 जून 2017 का उल्लंघन)
- हैण्ड पम्प रिबोर कार्य के सापेक्ष लाभार्थियों का शिकायत-पत्र पेय-जल की व्यवस्था का प्रमाण-पत्र (संतुष्टि-पत्र) ले०प० में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे किसी स्थल पर रिबोर-कार्य की पुष्टि नही होती।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प कार्य हेतु व्यय रूपया-126000.00 (कार्य स्थल-अज्ञात) ई-कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, जिसे ग्राम प्रधान-श्री कृपाशंकर एवं ग्रा०पं०अधि०/ग्रा०वि० अधि० द्वारा सुनियोजित तरीके से बालाजी इण्टर प्राईजेज एवं सलामत इलेक्ट्रिकल्स एण्ड हार्डवेयर को भुगतान कर रू०-126000.00 का अपहरण कर लिया गया। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों (ग्रामप्रधान श्री कृपाशंकर एवं ततकालीन पंचायत सचिव श्री चंद्रप्रकाश सिंह ) से ता-तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०13)**

**(25)**

**ग्राम पंचायत -** डालूपुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-26**

ग्राम पंचायत- डालूपुर, वि०ख० महराजगंज की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान कोषवही के अनुसार हैन्ड पम्प रिबोर निम्न गम्भीर प्रकरण उदघाटित हुए जिस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है-

कोषवही में दर्शित समस्त हैण्ड पम्प रिबोर कार्य (07 नग) एवं अज्ञात कार्य पर कुल व्यय धनराशि- 238589.00 रु० के सापेक्ष बिल-वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे रिबोर कार्य कराये जाने की पुष्टि नही होती। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

उक्त हैण्ड पम्प रिबोर कार्य के सापेक्ष, जल निगम की प्रतीक्षा सूची/ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के आधार पर खराब हैण्ड पम्पों के कार्य-योजना में सम्मिलित किये जाने की सूची कार्यवाही रजि० स्टीमेट, एम०बी०, वर्क आई०डी०, टेण्डर/कोटेशन, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, जिला स्तरीय समिति की निरीक्षण-पंजिका, स्टाक रजि०, निष्प्रयोज्य सामग्रियों का डेड स्टाक रजि०, जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति, उपभोग प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति रजि०, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। (शासनादेश सं०-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19 जून 2017 का उल्लंघन)

-पासबुक के अनुसार एवं डोंगल भुगतान के अनुसार उपरोक्त भुगतान महिन्द्रा मशीनरी को किया गया है, परन्तु ऑनलाइन पेमेन्ट के अनुसार ग्राम पंचायत डालूपुर, वर्ष-2019-20 में चैदहवां वित्त आयोग से हैण्डपम्प रिबोर कार्य हेतु दिनांक 17.12.2019 को केस रिकॉर्ड - 17170976] वा०सं० एफएफसी/2019-20/पी/3 से रु० 220500.00 महिन्द्रा मशीनरी को भुगतान, इसी प्रकार दिनांक 17.12.2019 को केस रिकॉर्ड 17170976, वा०सं०& एफएफसी/2019-20/पी4 से रु०94500.00 महिन्द्रा मशीनरी को भुगतान, यही धनराशि दुबारा दि०-01.01.20 को महिन्द्रा मशीनरी को डोंगल

के माध्यम से भुगतान किया गया है। जिसका आहरण पासबुक में दर्शित नही है और न ही व्यय का विवरण कैश बुक में है। अतः डोंगल से फर्म को किया गया भुगतान अपने आप में संदिग्ध स्थिति को दर्शाता है तथा बिना बिल-वाउचर एवं स्टाक रजिस्टर के फर्म से क्रय की पुष्टि नही होती है।

- कोष-बही एवं ई-कैशबुक में रिबोर स्थल का उल्लेख नहीं किया गया है, इसी प्रकार तालिका में दर्शित क्र०सं०- 2 व 3 में किसी कार्य का उल्लेख न कर सिर्फ महिन्द्रा मशीनरी को भुगतान लिख दिया गया है, जिससे किसी कार्य की पुष्टि नही होती है और न ही उक्त भुगतान के सापेक्ष ले०प० में किसी कार्य की पत्रावली प्रस्तुत की गई। अतः बिना किसी कार्य के, बिना उद्देश्य के किया गया भुगतान (8290.16255=24545.00) पूर्णतया फर्जी है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि हैण्ड पम्प रिबोर कार्य हेतु व्यय एवं अज्ञात व्यय हेतु कुल धनराशि - 238589.00 रु० कोष-बही में काल्पनिक रुप से दर्शाया गया है, जिसे ग्राम प्रधान श्री वीरेन्द्र बहादुर एवं ग्रा०पं० अधि० श्री विजय भान यादव द्वारा संयुक्त रुप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से तातारिख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०-12)**

**प्रस्तर-27**

कोष-बही के अनुसार दिनांक 23.03.2020 को प्रा०वि० डालूपुर में कैम्पस एवं बाहर मिट्टी भराई कार्य पर 95400.00 व्यय दर्शित रहा, जिसके सापेक्ष बिल वाउचर कार्यवाही रजि०, एस्टीमेट, एम०बी०, कोटेशन प्रक्रिया, त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ, कार्यमूर्ति प्रमाण-पत्र, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।

-मिट्टी भराई का कार्य रजि० ठेकेदार के माध्यम से किया गया अथवा लेबर के माध्यम से किया गया की स्थिति अज्ञात रहा। लेबर की दशा में मस्टर रोल प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

-मिट्टी भराई का भुगतान रू०-95400.00 रजि० ठेकेदार/फर्म का न कर ग्राम प्रधान-वीरेन्द्र बहादुर पुत्र देवराज के नामें रहा, जिससे रजि० ठेकेदार को भुगतान किये जाने की पुष्टि नही होती।

-एक ही वर्क आई०डी० पर (17170973) पर फागिग मशीन, मानदेय एवं मिट्टी कार्य पर भुगतान किया गया है।

अतः उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रा०वि० डालूपुर में मिट्टी पटाई कार्य पर 95400.00 रु० व्यय के सापेक्ष ले०प० में बिल वाउचर एवं व्यय पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने तथा भुगतान रजि० फर्म/ठेकदार को नही किये जाने से उक्त कार्य, एवं भुगतान पुष्टि नही होती है जिससे स्पष्ट है कि कोष-बही में दर्ज मिट्टी पटाई कार्य काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, जिसे ग्राम प्रधान श्री बीरेन्द्र बहादुर एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय भान यादव द्वारा अपहरण कर लिया गया, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ता-तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा०आ०सं०13)**

**(26)**

**ग्राम पंचायत -** कठार **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-28**

ग्राम पंचायत- कठार, वि०ख० महराजगंज की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान कोषवही के अनुसार निम्न गम्भीर प्रकरण उद्घाटित हुए जिस सम्बन्ध में कार्यवाही अपेक्षित है-

कोष-बही के अनुसार दिनांक 22.07.2019 को कार्य नाम-अमर बहादुर के घर से बबुरा बार्डर तक खड़न्जा मरम्मत पर ईंट क्रय-14500×5.775=83737.00 रू0 तथा इसहाक के घर से ओम प्रकाश के घर तक ख0म0 पर ईंट क्रय 6712×5.775=38763.00 रू0 कुल - 122500.00 रू0 व्यय दर्शित रहा, जिसके सापेक्ष बिल-वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नहीं होती है। (वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

- पासबुक के अनुसार उक्त क्रय का भुगतान दिनांक 20.07.2019 को नेफ्ट के माध्यम से सिंडीकेट बैंक 000019355954 को 122500.00 रू0 किया गया, जिससे किसी फर्म को भुगतान की पुष्टि नही होती है।
- उक्त ईंट क्रय एवं कार्य के सापेक्ष श्रमांश हेतु किसी प्रकार का भुगतान वर्ष के दौरान नहीं किया गया, जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।
- उक्त कार्य के सापेक्ष कार्य पत्रावली-यथा-कार्यवाही रजि0 स्टीमेट, वर्क आई0डी0 एम0बी0, टेण्डर/कोटेशन पत्रावली, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्टाक रजि0, निष्प्रयोज्य सामग्रियों का डेड स्टाक रजि0, परिसम्पत्ति रजि0 उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है। (शासनादेश सं0 - 51/2017/1211/33.03.2017-46/2015 दि0 19 जून 2017 का उल्लंघन)

अतः उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्या हेतु कुल व्यय धनराशि - 122500.00 रू0 कोष बही में काल्पनिक रूप से दर्शाया गया है, जिसे ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र बहादुर एवं ग्रा0 पं0/वि0अधि0 श्री प्रदीप कुमार या तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ता-तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0अ0सं0-12)**

**प्रस्तर-29**

1- कोष-बही के अनुसार ह्यूम पाईप क्रय पर दिनांक 21.07.2019 को 65750.00 रू0 व्यय तथा दिनांक 13.01.2020 को 77600.00 रू0 व्यय दर्शित रहा, जिसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोई बिल वाउचर प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नही होती है। (वित्त एवं लेखा हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

- पासबुक के अनुसार दिनांक 29.07.2019 को 65750.00 का भुगतान गंगा इण्टर प्राइजेज को तथा इसी प्रकार ऑनलाइन भुगतान के अनुसार 13.01.2020 को 77600.00 का भुगतान ''गंगा इण्टर प्राईजेज'' को 14वां वि0 आ0 से किया गया, परन्तु फर्म से प्राप्त भुगतान प्राप्ति रसीद ले0पं0 में प्रस्तुत नहीं किया गया।
- उपर्युक्त दोनो दिनांको में ह्यूम पाईप क्रय पर कुल-143350.00 रू0 से कितने नग और कितने एम0एम0 की पाईप क्रय किया गया की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही कराया गया।
- ह्यूम पाईप क्रय का उद्देश्य एवं अधिष्ठापन स्थल की पुष्टि लेखा परीक्षा में नही कराया गया।
- ह्यूम पाईप अधिष्ठापन हेतु वर्ष के दौरान कोई श्रमांश व्यय नहीं किया गया।
- उक्त व्यय के सापेक्ष - कार्यवाही रजि0, स्टीमेट, एम0बी0, कोटेशन/टेण्डर पत्रावली, स्टाक रजि0, कार्यपूर्ति/उपभोग प्रमाण-पत्र, परिसम्पत्ति रजि0 लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ह्यूम पाईप के क्रय एवं उपभोग की पुष्टि नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दोनो दिनांकों में ह्यूम पाईप क्रय पर कुल व्यय-143350.00 रू0 कोष-बही में काल्पनिक व्यय दर्शाकर तथा सुनियोजित तरीके से फर्म को भुगतान कर ग्राम प्रधान श्री धीरेन्द्र बहादुर एवं ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री प्रदीप कुमार/तत्कालीन पंचायत सचिव द्वारा संयुक्त रूप से अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली, उत्तरदायी व्यक्तियों से ता-तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**(सा०आ०सं०13)**

**(27)**

**ग्राम पंचायत -** भटौली **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-30**

ग्राम पंचायत- भटौली, वि०ख० महराजगंज की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा के दौरान
निम्नलिखित कार्यो एवं व्ययों के सापेक्ष-1986400.00 रु० के गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये। कार्यवाही अपेक्षित है।

उपरोक्त समस्त कार्यों का भुगतान पंचायत सचिव एवं ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से चेक द्वारा किया गया है, जबकि भुगतान डोंगल द्वारा किये जाने के निर्देश थे।

**ऐसे कार्य जिस पर श्रमांश का भुगतान नही किया गया (1019900.00रु०)**

| क्र० सं० | दिनांक | कार्य का नाम | कोष-बही के अनुसार भुगतानित धनराशि | कैश बुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता | पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.04.2019 | पिचरोड़ से जगदेव तेली के घर होते हुये अरविन्द सिंह के घर तक ख०नि०(ईंटक्रय) | 125400.00 | महिन्द्रा ईंट | T.R. |
| 2. | 08.04.2019 | ओम प्रकाश के घर से रामानन्द बहादुर के घर तक ख०नि० (ईंटक्रय) 92111.00 एवं<br>पिचरोड़ से संतोष विश्वकर्मा के घर तक ख०नि० (ईंटक्रय) 78889.00 | 171000.00 | महिन्द्रा ईंट | T.R. |
| 3. | 08.04.2019 | ननकू के घर (बास के कोठ) से अनिल के घर तक ख०नि० (ईंटक्रय) | 114000.00 | महिन्द्रा ईंट | T.R. |
| 4. | 01.04.2019 | -पिचरोड़ से भारत बिन्द के घर तक ख०नि० हेतु (ईंटक्रय)-94420.00<br>-पिचरोड़ से धरवारपुर नहर से रघुनाथ सरोज के घर तक ख०नि० हेतु ईंटक्रम (131960.00)<br>-पिचरोड़ से दुःखई गौतम के घर तक ख०नि० हेतु (ईंटक्रम)-36430.00<br>-टावर पिचरोड़ से हरिजन बस्ती तक ख०म० पर (ईंटक्रय)- (61880+55310) =117190.00 | 380000.00 | महिन्द्रा ईंट | T.R. |
| 5. | 01.08.2019 | सरोज बस्ती में इण्टर लाकिंग | 229500.00 | महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कं0 | महालक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन कं0 |
| | | **योग-** | **1019900.00** | | |

-उपरोक्त कार्यों पर ईंटक्रय के सापेक्ष किसी भी प्रकार के श्रमांश का भुगतान नही किया गया। अतः स्पष्ट है कि बिना श्रमांश के किसी कार्य के कराये जाने की पुष्टि नही होती है।

-स्टाक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किये जाने से ईंटक्रय एवं उसके स्टाक में होने की पुष्टि नही होती है

-उपरोक्त कार्यों पर ईंटक्रय के सापेक्ष बिल-वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे किसी भी प्रकार के सामग्री क्रय की पुष्टि नही होती है (वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उलंघन)

-उपरोक्त किसी भी कार्य की वर्क आई०डी० जनरेट का प्रमाणक ले०प० में प्रस्तुत नही किया गया।

-पासबुक के अनुसार ट्रांसफर की पुष्टि नही कराया गया कि ट्रांसफर फर्म को किया गया है। अथवा किसी व्यक्ति को।

-भुगतान के सापेक्ष फर्म से प्राप्त भुगतान प्राप्ति रसीद ले०प० में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे ईंटक्रय की पुष्टि नही होती है।

-उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष पत्रावली यथा-कार्यवाही रजि०, स्टीमेट, एम०बी०, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजि०, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे किसी भी कार्य के कराये जाने की पुष्टि नही होती है।

-उपरोक्त समस्त भुगतान 100,000.00 रु० से ऊपर का है, परन्तु ले०प० में टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया।

- ऑनलाइन फीडिंग ई-कैश-बुक एवं कोष-बही के कार्यों एवं भुगतान में कोई ताल-मेल नही है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कोष-बही में काल्पनिक कार्य व व्यय दर्शाकर सुनियोजित तरीके से फर्म को ट्रांसफर कर उत्तरदायी व्यक्तियों ग्रामप्रधान श्री राम अवध एवं पंचायत सचिव आकाश सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ता-तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0अ0सं0-12)**

**प्रस्तर-31**

**(2) ऐसे कार्य जिस पर सम्पूर्ण भुगतान फर्म को अथवा ट्रांसफर किया गया, परन्तु उसी धनराशि के अंतर्गत कोष-बही में फर्जी श्रमांश दर्शाया गया (626000.00 रु०)**

| क्र० सं० | दिनांक | कार्य का नाम | कोष-बही के अनुसार भुगतानित धनराशि | कैश बुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता | पासबुक के अनुसार भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.04.2019 | पिचरोड़ से संतोष, गुलाब सिंह के आम के पेड़ तक ख०नि०(ईंटक्रय-100485+श्रम-26515.00) | 127000.00 | महिन्द्रा ईंट | टी0 आर0 |
| 2. | 01.08.2019 | -पिचरोड़ से फूलचन्द यादव के आम के पेड़ तक ख०नि०(ईंटक्रय-125606+श्रम-33124) | 399000.00 | महिन्द्रा ईंट | महिन्द्रा ईंट |
| 3. | 01.08.2019 | -रंजन हरिजन के घर से राम बचन राकेश के घर तक ख०नि० (ईंटक्रय-125606+श्रम-33124) | 100,000.00 | विशाल विल्डिंग मटै० | विशाल विल्डिंग मटै० |
| | | **योग-** | **626000.00** | | |

-तालिका में दर्शित उपरोक्त कार्यों पर सम्पूर्ण भुगतान-महिन्द्रा ईंट को अथवा विशाल बिल्डिंग मैटेरियल को किया गया है, उसी धनराशि से उपरोक्त कार्यों पर श्रमांश का भुगतान किया गया है। प्रश्न यह कि जब सम्पूर्ण धनराशि फर्म को भुगतान कर दी गई तो, श्रमांश का भुगतान कैसे किया गया? क्या फर्म को भुगतान के पश्चात् धनराशि वापस ले लिया गया है। ऐसे स्थिति में फर्म के संदिग्ध होने से इनकार नही किया जा सकता है।

-स्टाक रजि० ले०प० में प्रस्तुत न किये जाने से ईंट क्रय एवं बिल्डिंग मैटेरियल क्रय की पुष्टि नही एवं उसके स्टाक में होने की पुष्टि नही होती है।

उपरोक्त कार्यों पर ईंटक्रय के सापेक्ष बिल-वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया जिससे किसी भी प्रकार के सामग्री क्रय की पुष्टि नही होती है (वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उलंघन)

उपरोक्त किसी भी कार्य की वर्क आई०डी० जनरेट का प्रमाणक ले०प० में प्रस्तुत नही किया गया।

पासबुक के अनुसार टी0आर0 की पुष्टि नही कराया गया टी0आर0 (ट्रांसफर) फर्म को किया गया है। अथवा किसी व्यक्ति को।

भुगतान के सापेक्ष फर्म से प्राप्त भुगतान प्राप्ति रसीद ले०प० में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे ईंट क्रय की पुष्टि नही होती है।

-उपरोक्त कार्यों के सापेक्ष पत्रावली यथा-कार्यवाही रजि०, स्टीमेट, एम०बी०, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, परिसम्पत्ति रजि०, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे किसी भी कार्य के कराये जाने की पुष्टि नही होती है।

-उपरोक्त समस्त भुगतान 100,000.00 रु० से ऊपर का है, परन्तु ले०प० में टेण्डर पत्रावली प्रस्तुत नही किया गया।

-ऑनलाइन फीडिंग ई-कैश बुक एवं कोष-बही के कार्यों एवं भुगतान में कोई ताल-मेल नही है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कोष-बही में काल्पनिक कार्य व व्यय दर्शाकर सुनियोजित तरीके से फर्म को ट्रांसफर कर उत्तरदायी व्यक्तियों ग्रामप्रधान- श्री राम अवध एवं पंचायत सचिव आकाश सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ता-तारीख ब्याज सहित किया जाना उपेक्षित है। **(सा0अ0सं0-13)**

**प्रस्तर-32**

**(3) 07 नग हैण्ड पम्प रिबोर (220500.00 रु०)**

-ले०प० वर्ष-2019-20, कोष-बही के अनुसार दि०-01.08.2019 को 07 नग हैण्ड पम्प रिबोर कार्य पर रु०-220500.00 व्यय दर्शित रहा, जिसके सापेक्ष बिल-वाउचर ले०प० में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे रिबोर कार्य कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।
(वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

-उक्त हैण्ड पम्प रिबोर कार्य के सापेक्ष, जल निगम की प्रतीक्षा सूची अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण के आधार पर खराब हैण्ड पम्पों के कार्य-योजना में सम्मिलित किये जाने की सूची, लाभार्थी द्वारा शिकायती-पत्र, कार्यवाही रजि०, स्टीमेट, एम०बी०, वर्क आई०डी० टेण्डर प्रक्रिया की पत्रावली, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, स्टाक रजि०, निष्प्रयोज्य सामग्रियों का डेड-स्टाक रजि०, जल प्रबंधन समिति की संस्तुति, परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया, जिससे कार्य के कराये जाने की पुष्टि नहीं होती है।
(शा०सं०-51/2017/1211/33.3.2017-46/2015 दि० 19 जून 2017 का उल्लंघन)

-कोष-बही एवं पासबुक के अनुसार उक्त रिबोर कार्य का भुगतान-220500.00 रु० वेजस इंफ्रास्टक्चर को किया गया है, परन्तु कोष-बही में न तो रिबोर स्थल का उल्लेख किया गया है और न ही उक्त रिबोर कार्य की पत्रावली ले०प० में प्रस्तुत किया गया है, जिससे किन स्थलों पर रिबोर कार्य कराया गया और कितने नग रिबोर किया गया की पुष्टि नहीं होती है।
- ई-कैश बुक के अनुसार दि०-30.07.2019 को 283500.00 रू० हैण्ड पम्प रिबोर पर व्यय दर्शाया गया है, जिसका कोई ताल-मेल नही है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि कोष-बही में काल्पनिक हैण्ड पम्प रिबोर कार्य दर्शाकर, सुनियोजित तरीके से फर्म को ट्रांसफर कर उत्तरदायी व्यक्तियों-ग्राम प्रधान-श्री राम अवध एवं पंचायत सचिव- आकाश सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ता-तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।**(सा0अ0सं0-14)**

**प्रस्तर-33**

- ले०प० वर्ष- 2019-20, कोष-बही के अनुसार दि०-01.08.2019 को 120,000.00 रु० ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय दर्शित रहा, जिसके सापेक्ष ले०प० में कोई बिल-वाउचर प्रस्तुत नही किया गया, जिससे उक्त क्रय की पुष्टि नहीं होती है। ( वित्त एवं लेखा मैनुबल के अध्याय-8 के खण्ड-8(क) का उल्लंघन)

-पासबुक के अनुसार दि०-01.08.2019 को रु०-120,000.00 का भुगतान बाला जी इ०प्रा० को किया गया है, परन्तु फर्म द्वारा भुगतान प्राप्ति रसीद ले०प० में प्रस्तुत नही किया गया।

-उक्त धनराशि से ह्यूम पाईप कितने नग और कितने एम०एम० की पाईप क्रय किया गया की पुष्टि नही कराया गया।

-उक्त ह्यूम पाईप किस उद्देश्य से क्रय किया गया और किन-किन स्थलों पर अधिष्ठापित किया गया कि पुष्टि लेखा परीक्षा में नही करया गया।

-उक्त ह्यूम पाईप अधिष्ठापन हेतु वर्ष के दौरान कोई श्रमांश व्यय नही किया गया।

-टेण्डर प्रक्रिया कि पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया।

-ई-कैश बुक के अनुसार दिनांक 20.07.2019 को 64925.00 रु० ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय दर्शाया गया है जिसका कोष-बही से कोई ताल-मेल नही है।

-उक्त व्यय के सापेक्ष कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट, एम०बी०, स्टाक रजि०, कार्यपूर्ति, उपभोग प्रमाण पत्र, परिसम्पत्ती रजि०, लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिससे ह्यूम पाईप क्रय एवं उसके उपभोग की पुष्टि नही होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि दिनांक 01.08.2019 को ह्यूम पाईप क्रय पर व्यय रु०-120,000.00 कोष-बही में काल्पनिक व्यय दर्शा कर तथा सुनियोजित तरीको से फर्म को भुगतान कर ग्राम प्रधान श्री रामअवध एवं पंचायत सचिव श्री आकाश सिंह द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जिसकी वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से ता-तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है। **(सा0अ0सं0-15)**

**(28)**

**ग्राम पंचायत - केवटली कला जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-34**

ग्राम पंचायत केवटली कला विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 27748.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 21-03-2020 | 27748.00 |
| | योग | 27748.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-

(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनाक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।

(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(द)-विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव मे पुष्टि नही की जा सकी।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11 सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है। 12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 27748.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती सरिता पाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-35**

ग्राम पंचायत केवटली कला विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 66741.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 21-03-2020 | 27741.00 |
| 02 | 21-03-2020 | 19400.00 |
| 03 | 21-03-2020 | 19500.00 |
| | योग | 66741.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपतियां पायी गयी-

(अ)-हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नही हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नही की जांच नही की जा सकी।

(ब)-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिनाक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों

सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

(स)-शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्य योजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है कि धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नही किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11-सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 66741.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती सरिता पाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-36**

ग्राम पंचायत केवटली कला विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 मे निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित कर कैशबुक मे प्रविष्टि नहीं की गई है -

| दिनांक | धनराशि |
|---|---|
| 24.03.2020 | 11131.00 |
| 24.03.2020 | 16260.00 |
| 27.03.2020 | 18118.00 |
| 27.03.2020 | 42707.00 |
| 27.03.2020 | 57154.00 |
| 30.03.2020 | 25000.00 |
| 31.03.2020 | 33678.00 |
| 31.03.2020 | 10562.00 |
| 31.03.2020 | 41228.00 |
| 31.03.2020 | 60632.00 |
| 31.03.2020 | 156089.00 |
| योग- | 472559.00 |

उपयुक्त आहरित कुल धनराशि रु0 472559.00 की कैशबुक मे न तो प्रविष्टि की गई है ,सम्बन्धित व्यय पत्रावली मे उक्त आहरण के सापेक्ष व्यय प्रमाणक संलग्न था और न ही । ऐसी दशा मे काल्पनिक रूप से अज्ञात तीसरे पक्ष से दुरभी संधि करके धनराशि का अपहरण किया गया है।

अतः उक्त धनराशि 472559-00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती उषा देवी एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती सरिता पाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(29)**

**ग्राम पंचायत - बेलावां जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-37**

ग्राम पंचायत **बेलावां** विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प रिबोर पर कुल रु 27620.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 29-10-2019 | 14980 |
| 02 | 29-10-2019 | 15670 |
| 03 | 29-10-2019 | 13360 |
| 04 | 29-10-2019 | 13610 |
| | योग | 57620.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-

(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।

(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(द)-विक्रेन्द्रीय कृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव मे पुष्टि नही की जा सकी।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के् नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री  की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर  लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 57620.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-38**

ग्राम पंचायत बेलावां विकासखण्ड बक्शा  निम्न विवरणानुसार धनराशि रु 384066.00 नामे श्याम बिहारी मेठ आहरित किया गया है -

| दिनांक | धनराशि | कार्य जिस पर धनराशि आहरित |
|---|---|---|
| 29.10.2019 | 14980.00 | हैन्डपम्प रिबोर पर मजदूरी |
| 29.10.2019 | 15670.00 | हैन्डपम्प रिबोर पर मजदूरी |
| 29.10.2019 | 13366.00 | हैन्डपम्प रिबोर पर मजदूरी |
| 29.10.2019 | 15610.00 | हैन्डपम्प रिबोर पर मजदूरी |
| 19.11.2019 | 4786.00 | सोख्ता निर्माण पर मजदूरी |
| 19.11.2019 | 6684.00 | सोख्ता निर्माण पर मजदूरी |
| 19.11.2019 | 35616.00 | खंडजा निर्माण पर मजदूरी |
| 17.12.2019 | 43904.00 | खंडजा निर्माण पर मजदूरी |
| 17.12.2019 | 14980.00 | हैन्डपम्प रिबोर पर मजदूरी |
| 17.12.2019 | 15405.00 | सोख्ता निर्माण पर मजदूरी |
| 17.12.2019 | 15405.00 | हैन्डपम्प रिबोर पर मजदूरी |
| 17.12.2019 | 26880.00 | खंडजा निर्माण पर मजदूरी |
| 17.12.2019 | 37408.00 | मजदूरी |
| 30.12.2019 | 21728.00 | खंडजा निर्माण पर मजदूरी |
| 30.12.2019 | 42560.00 | मजदूरी |
| 30.12.2019 | 17472.00 | मजदूरी |
| 02.01.2020 | 15230.00 | सोख्ता निर्माण पर मजदूरी |
| 02.01.2020 | 9254.00 | इन्टर लॉकिंग  निर्माण पर मजदूरी |
| 02.01.2020 | 17128.00 | इन्टर लॉकिंग  निर्माण पर मजदूरी |
| योग- | 384066.00 | |

उपरोक्त आहरण के सापेक्ष  कैशबुक मे भिन्न-भिन्न कार्यों ं पर द्वारा अंतरण धनराशि का भुगतान श्री श्यामबिहारी मेठ को किया गया है जबकि मजदूरी से सम्बन्धित कुल धनराशि रुपया 384066.00  नाम एवं कार्य दिवस के अनुसार पुष्टि नहीं होती है। तथा व्यक्ति विशेष श्री श्यामबिहारी मेठ द्वारा हैन्डपम्प रिबोर,मरम्मत,खड़ंजा निर्माण मजदूरी सोख्ता निर्माण मजदूरी इत्यादि कार्य पर  ,धनराशि को प्राप्त करने का औचित्य नहीं है । लेखा परीक्षा मे इनके भुगतान सम्बन्धित मस्टररोल अप्राप्त रहा ऐसी स्थिति  से  स्पष्ट होता है की श्री श्याम बिहारी मेठ नामक व्यक्ति विशेष से दुरभि संधि करके उपरोक्त धनराशि 384066.00  का अपहरण किया गया है।

अतः उक्त धनराशि 384066.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(30)**

**ग्राम पंचायत - सहोदरपुर  जनपद- जौनपुर  वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-39**

ग्राम पंचायत सहोदरपुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 352482.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 28-05-2019 | 15730.00 |
| 02 | 29-05-2019 | 15200.00 |
| 03 | 31-05-2019 | 11038.00 |
| 04 | 31-05-2019 | 11038.00 |
| 05 | 25-07-2019 | 10838.00 |
| 06 | 26-07-2019 | 15730.00 |
| 07 | 06-12-2019 | 26768.00 |
| 08 | 06-12-2019 | 26935.00 |
| 09 | 06-12-2019 | 26805.00 |
| 10 | 06-12-2019 | 26833.00 |
| 11 | 23-12-2019 | 29863.00 |
| 12 | 23-12-2019 | 26503.00 |
| 13 | 27-03-2020 | 27391.00 |
| 14 | 27-03-2020 | 27191.00 |
| 15 | 27-03-2020 | 27391.00 |
| 16 | 27-03-2020 | 27228.00 |
| | योग | 352482.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-

(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।

(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(द)-विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव मे पुष्टि नही की जा सकी।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11 सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 352482.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमापति एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-40**

ग्राम पंचायत सहोदरपुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 44904.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 05-06-2019 | 10800.00 |
| 02 | 18-07-2019 | 12400.00 |
| 03 | 25-07-2019 | 21704.00 |
| | योग | 44904.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी-

(अ)-हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नही हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नही की जांच नही की जा सकी।

(ब)-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिंनाक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना है लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

(स)-शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नही किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 44904.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमापति एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-41**

ग्राम पंचायत सहोदरपुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 20-2019मे निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित कर कैशबुक डस्टबिन क्रय पर धनराशि रु 249000.00 0भुगतान दर्शित है-

| **दिनांक** | **धनराशि** | **कार्य जिस पर धनराशि आहरित** |
|---|---|---|
| 2020-03-27 | 52200.00 | गंगोत्री इंटर प्राइजेज |
| 2020-03-27 | 92800.00 | गंगोत्री इंटर प्राइजेज |
| 2020-03-27 | 17000.00 | रुद्र इंटर प्राइजेज |
| 2020-03-27 | 87000.00 | गंगोत्री इंटर प्राइजेज |
| योग- | 249000.00 | |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां पायी गयी है -:

1 सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

2 डस्टबिन क्रय से सम्बन्धित प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित रहा हो प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण अज्ञात रही।

3- डस्टबिन क्रय कर किन & किन चिन्हित स्थानो पर रखा गया है। इसका अंकन न तो कैशबुक में किया गया है और न ही इससे सम्बन्धित अन्य कोई प्रपत्र उपलब्ध हुआ।

4- जिस फर्म से क्रय किया जा रहा है उसको कई बार डोंगल द्वारा भुगतान दर्शित है जब एक ही फर्म से क्रय किया जाना था तो किन कारणों से कई बार डोंगल लगाया गया,उदेश्य अज्ञात एवं संदिग्ध रहा ऐसी दशा मे पंचायत को हानि की संभावना है ।

5- डेड स्टाक रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर लेख परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा

उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट होता है की नियम विरुद्ध ढंग से डस्टबीन क्रय कर अनियमित भुगतान किया गया है । अनियमित भुगतान की धनराशि रु 249000.00 की वसूली ततारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री रमापति एवं सचिव श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(31)**

**ग्राम पंचायत - सुजियामऊ जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-42**

ग्राम पंचायत सुजियामऊ विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 320999.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 01 | 30-10-2019 | 27001.00 |
| 02 | 30-10-2019 | 26736.00 |
| 03 | 19-11-2019 | 24886.00 |
| 04 | 19-11-2019 | 25043.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 05 | 19-11-2019 | 27001.00 |
| 06 | 02-12-2019 | 27001.00 |
| 07 | 09-01-2020 | 26736.00 |
| 08 | 24-01-2020 | 29586.00 |
| 09 | 20-03-2020 | 26870.00 |
| 10 | 20-03-2020 | 27033.00 |
| 11 | 07-03-2020 | 26738.00 |
| 12 | 07-03-2020 | 26368.00 |
| | योग | 320999.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-

(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।

(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(द)-विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नही की जा सकी।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 320999.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री फूलचंद पाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-43**

ग्राम पंचायत सुजियामऊ विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 35700.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 28-01-2020 | 17820.00 |
| 02 | 23-03-2020 | 17880.00 |
| | योग | 35700.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी-

(अ)-हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नही हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नही की जांच नही की जा सकी।

(ब)-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिंनाक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना है लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

(स)-शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नही किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री  की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर  लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 35700.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर  एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री फूलचंद पाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-44**

ग्राम पंचायत **सुजियामऊ** विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष  2019-20 निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित कर कैशबुक डस्टबिन क्रय पर धनराशि  रु 34000.00

| दिनांक | धनराशि |
|---|---|
| 2020-02-20 | 34000.00.00 |
| योग- | 34000.00 |

उक्त भुगतान  के सापेक्ष निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां  पायी गयी है  –:

1 सामग्री  की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

2 डस्टबिन क्रय से सम्बन्धित प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित रहा हो प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण अज्ञात रही।

3- डस्टबिन क्रय कर किन & किन चिन्हित स्थानो पर रखा गया है। इसका अंकन न तो कैशबुक में किया गया है और न ही इससे सम्बन्धित अन्य कोई प्रपत्र उपलब्ध हुआ।

4- डेड स्टाक रजिस्टर एवं स्टाक रजिस्टर लेख परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा

उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट होता है की नियम विरुद्ध ढंग से डस्टबीन क्रय कर अनियमित भुगतान  किया गया है । अनियमित भुगतान की धनराशि रु 34000.00की वसूली  ततारीख ब्याज सहित  ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर  एवं सचिव फूलचंद पाल से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(32)**

**ग्राम पंचायत - ग़ढाबाघराय    जनपद- जौनपुर    वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-45**

ग्राम पंचायत- गढ़ाबाघराय  विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 160245.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण  निम्नवत  है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 20-07-2019 | 26768.00 |
| 02 | 21-10-2019 | 26768.00 |
| 03 | 21-10-2019 | 26303.00 |
| 04 | 27-12-2019 | 26768.00 |
| 05 | 07-03-2020 | 26870.00 |
| 06 | 07-03-2020 | 26768.00 |
| | योग | 160245.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-

(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक  19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।

(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न  रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(द)-विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव मेे पुष्टि नही की जा सकी।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 160245.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजबहादुर एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-46**

ग्राम पंचायत गढ़ाबाघराय विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 39575.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 01 | 15-02-2020 | 19745.00 |
| 02 | 15-02-2020 | 19830.00 |
| | योग | 39575.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी-

(अ)-हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नही हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नही की जांच नही की जा सकी।

(ब)-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिनाक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों

सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना है लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

(स)-शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नही किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 39575.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजबहादुर एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-47**

पंचायत गढ़ाबाघराय विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में निम्न विवरणानुसार धनराशि आहरित कर डस्टबिन क्रय पर भुगतान दर्शित है-

| दिनांक | धनराशि |
|---|---|
| 2020-02-20 | 42000.00.00 |
| योग- | 42000.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां पायी गयी है -:

1 सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

2 डस्टबिन क्रय से सम्बन्धित प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा पारित रहा हो, प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहने के कारण अज्ञात रही।

3- डस्टबिन क्रय कर किन & किन चिन्हित स्थानो पर रखा गया है। इसका अंकन न तो कैशबुक में किया गया है और न ही इससे सम्बन्धित अन्य कोई प्रपत्र उपलब्ध हुआ।

4- स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेख परीक्षा मे अप्रस्तुत रहा

उपरोक्त बिन्दुओ से स्पष्ट होता है की नियम विरुद्ध ढंग से डस्टबीन क्रय कर अनियमित भुगतान किया गया है । अनियमित भुगतान की धनराशि रु 42000.00.00 0की वसूली तत्समय ग्राम प्रधान श्री राजबहादुर एवं सचिव श्री सुनील कुमार यादव से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(33)**

**ग्राम पंचायत -** कटहरी **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-48**

ग्राम पंचायत कटहरी विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष.2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 163952.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 22-01-20 | 26303.00 |
| 2 | 22-01-20 | 28818.00 |
| 3 | 17-03-20 | 28125.00 |
| 4 | 27-03-20 | 27068.00 |
| 5 | 27-03-20 | 26870.00 |
| 6 | 27-03-20 | 26768.00 |
| | योग | 163952.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-

(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।

(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(द)-विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नही की जा सकी।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 163952.00की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा यादव एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है

**प्रस्तर-49**

ग्राम पंचायत कटहरी विकासखण्ड. बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 59145 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 16-03-20 | 19645.00 |
| 2 | 23-03-20 | 19870.00 |
| 3 | 26-03-20 | 19630.00 |
| | योग | 59145.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी-

(अ)-हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नही हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है या नही की जांच नही की जा सकी।

(ब)-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2 और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

(स)-शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नही किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वितीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री  की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर  लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 59145.00 वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेखा यादव    एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(34)**

**ग्राम पंचायत - बसारतपुर    जनपद- जौनपुर   वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-50**

ग्राम पंचायत बसारतपुर  विकासखण्ड बक्शा  जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष.2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 147846.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण  निम्नवत  है

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | 27-03-20 | 17438.00 |
| 2 | 27-03-20 | 19460.00 |
| 3 | 27-03-20 | 19195.00 |
| 4 | 27-03-20 | 17438.00 |
| 5 | 27-03-20 | 11038.00 |
| 6 | 27-03-20 | 10968.00 |
| 7 | 27-03-20 | 11038.00 |
| 8 | 27-03-20 | 11038.00 |
| 9 | 27-03-20 | 19195.00 |
| 10 | 27-03-20 | 11038.00 |
| | योग | 147846.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-

(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक  19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।

(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न  रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(द)-विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक  29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन  /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु  ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित  किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में  पुष्टि नही की जा सकी।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक  रजिस्टर एवं डेड स्टाक  रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।
6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।
10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।
11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।
12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 147846.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री फूलचंद पाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-51**

ग्राम पंचायत बसारतपुर विकासखण्ड. बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 32250.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **धनराशि** |
|---|---|---|
| 1 | 10-06-19 | 17600.00 |
| 2 | 15-01-20 | 14650.00 |
| | योग | 32250.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी-
(अ)-हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नही हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नही की जांच नही की जा सकी।
(ब)-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिंनाक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।
(स)-शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है कि धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नही किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।
1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।
2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।
6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।
7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।
8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।
9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।
10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।
11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।
12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 32250.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती नीलम एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री फूलचंद पाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(35)**

**ग्राम पंचायत -** गोरीयापुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-52**

ग्राम पंचायत गोरीयापुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 27391.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 07-02-20 | 11131.00 |
| 2 | 07-02-20 | 16260.00 |
| | योग | 27391.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-
(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक- 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।
(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।
(द)-विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक- 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।
(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नही की जा सकी।
1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।
2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।
3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 27391.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री अमरनाथ एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्रीमती सरिता पाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(36)**

**ग्राम पंचायत -** रसवदिया **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-53**

ग्राम पंचायत रसवदिया विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष.2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 124923.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 29-05-19 | 14000.00 |
| 2 | 01-06-19 | 15000.00 |
| 3 | 29-10-19 | 13125.00 |
| 4 | 30-10-19 | 15010.00 |
| 5 | 10-12-19 | 29588.00 |
| 6 | 22-01-20 | 38200.00 |
| | योग | 124923.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-

(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्गदर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।

(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(द)-विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नही की जा सकी।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 124923.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-54**

ग्राम पंचायत रसवदिया विकासखण्ड. बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 40525.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 26-07-19 | 21000.00 |
| 2 | 29-10-19 | 19525.00 |
| | योग | 40525.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी-

(अ)-हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नही हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है नही की जांच नही की जा सकी।

(ब)-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिंनाक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

(स)-शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है कि धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नही किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11 सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 40525.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती चम्पा देवी एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(37)**

**ग्राम पंचायत -** बिरसादपुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-55**

ग्राम पंचायत बिरसादपुर विकासखण्ड बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 229292.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 24.07.2019 | 14655 |
| 2 | 26.07.2019 | 13471 |
| 3 | 31.07.2019 | 15670 |
| 4 | 31.07.2019 | 14571 |
| 5 | 10.02.2020 | 29453 |
| 6 | 10.02.2020 | 29586 |
| 7 | 10.02.2020 | 29586 |
| 8 | 10.02.2020 | 26346 |
| 9 | 20.02.2020 | 26346 |
| 10 | 20.02.2020 | 29608 |
| | योग | 229292 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी है-

(अ)-पंचायत राज अनुभाग 03 के शासनादेश सं0 51/2017/1211/33-3-2017-46 /2015 दिनांक- 19.06.2017 के इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैण्डपम्प रिवोर के संदर्भ में जलनिगम की प्रतीक्षा सूची और जल निगम की मार्ग दर्शिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रही।

(ब)-तकनीकी अनुश्रवण का कार्य जे0ई0एम0आई0 /आर0ई0डी0 /मंडी परिषद /जिला पंचायत /डी0एम0 के द्वारा नामित अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(स)-साथ ही कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित किए जाने हेतु जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की पत्रावली प्रस्तुत न रहने के कारण गाइडलाइन के पालन की स्थिति अज्ञात रही।

(द)-विक्रेन्द्रीयकृत शासन के लिए जुलाई 99 में शासनादेश सं0 4430/33-1-99 /एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 1999 के तहत 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी/अनुमोदन /संस्तुति करना है। लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इस बात की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों से सीमित है।

(य)-ग्राम्य विकास अनुभाग-06 के शासनादेश सं0-1134/38-5-11-56एम02010 दिनांक 29.06.2011 के बिन्दु 01 के अनुसार नए इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाइप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था के द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख - रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। इसके बाद बिन्दु 03 के अनुसार ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। लेकिन परिसम्पत्ति रजिस्टर के अभाव में पुष्टि नही की जा सकी।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंधन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 229292.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती करुणा एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-56**

ग्राम पंचायत रसवदिया विकासखण्ड. बक्शा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 59961.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 27.03.2020 | 19987 |
| 2 | 27.03.2020 | 19987 |
| | 27.03.2020 | 19987 |
| | योग | 59961.00 |

उक्त भुगतान के सापेक्ष निम्नलिखित आडिट आपत्तियां पायी गयी-

(अ)-हैण्डपम्प मरम्मत के संदर्भ में स्थल की सूची और हैण्डपम्प के लाभार्थियों के द्वारा हैण्डपम्प के खराब होने की सूचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया। जिसके अभाव में यह जानकारी नही हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प खराब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। उपर्युक्त के अभाव में पंचायत राज अनुभाग 03 के आदेश सं0-27-2017/662/33-3-2017-46/2015 दिनांक 12.04.2017 के अनुसार अस्थायी खराबी के तीन दिन के अन्दर दूर कर दिया जाना अनिवार्य है। अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के निर्देश हैं का पालन किया गया है या नही, की जांच नही की जा सकी।

(ब)-पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 2और विकेन्द्रीकरण शासन के लिए शा0नं0-4430/33-1-99/एस0पी0आर0 /99 दिनांक 29 जुलाई 99 के तहत गठित 6 समितियों में जल प्रबन्धन समिति का कार्य पीने के पानी से सम्बन्धित योजनाओं एवं नलकूपों सम्बन्धी गतिविधियों की निगरानी /अनुमोदन संस्तुति करना, लेकिन कार्यवाही रजिस्टर प्रस्तुत न होने के कारण इस बात की संभावना से इंकार नही किया जा सकता है कि ये सिर्फ कागजों में ही सीमित है।

(स)-शा0सं0 -आर0जी0एस0ए /197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जी0पी0डी0पी0 के अन्तर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिन्दु 02 में स्पष्ट निर्देश है धनराशि 20000.00 या इससे कम लागत के कई हैण्डपम्प की एक ग्रुप आई0डी0 बनाकर कार्य सम्पादित किया जाना है, परन्तु ग्राम पंचायत के द्वारा इससे अधिक ग्रुप आई0डी0 विकसित की जा रही है और स्थान का स्पष्ट विवरण नही किया जा रहा है। स्पष्ट है कि बिना कार्यस्थल के निर्धारण किये जाने से कार्य की होने की सम्भावना संदिग्ध होने की सम्भावना से इंकार नही किया जा सकता है।

1 -सार्वजनिक निर्माण रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0 नियमावली 1947 के नियम 207 और पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 05 के बिन्दु 08 का उल्लंघन है।

2 -परिसम्पत्ति रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 की धारा 34 और नियमावली के नियम 136 तथा ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा मैनुअल के अध्याय 6 के बिन्दु 02 का उल्लंघन है।

3 -मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

4 -स्टाक रजिस्टर एवं डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0 पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय 07 के प्रस्तर 07 और उ0प्र0पं0नि0 1947 के नियम 02 का उल्लंघन है।

5--कोषवही का निरीक्षण न होने पर उ0प्र0रा0नि0 1947 के नियम 199 का उल्लंघन है।

6-प्राक्कलन पंजिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0प0नि01947 के नियम 152 का उल्लंघन है।

7-माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प्र0पं0अधि0 1947 के नियमावली के नियम 63 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 नियम 422 का उल्लंघन है।

8-प्रिया साफ्ट के 8 डाटा पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके शासनादेश सं0 1/शा0/188/10-1/205/2010 दिनांक 19.01.11 का उल्लंघन है।

9-कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके उ0प0 पं0 नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है।

10-उपभोग प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करके सामान्य नियम 2005 के नियम 212(2) का उल्लंघन है।

11- सामग्री की खरीद में कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/दस/08-15(1)/86 दिनांक-23.12.2008(निविदा के सम्बन्ध में)तथा लेखा मैनुअल के अध्याय-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में )के विपरीत है।

12-टी0डी0एस0/जी0एस0टी/आयकर कटौती कोषागार में जमा धनराशि का विवरण लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

13-सामग्री क्रय से सम्बन्धित बिल वाउचर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

अतः उक्त धनराशि 59961.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती करुणा एवं ग्राम विकास/ पंचायत अधिकारी श्री धर्मेन्द्र कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(38)**

**ग्राम पंचायत -** शहाबुद्दीनपुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-57**

ग्राम पंचायत शहाबुद्दीनपुर विकास खण्ड केराकत जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 192156=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **फर्म का नाम/नाम** | **चेक सं0** | **धनराशि** | **विवरण** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-05-19 | प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 17950=00 | मरम्मत |
| 2 | 06-06-19 | सारनाथ यादव | | 19500=00 | मरम्मत |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19-06-19 | सारनाथ यादव | | 18700=00 | मरम्मत |
| 4 | 30-07-19 | प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 19500=00 | मरम्मत |
| 5 | 17-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – संतोष हार्डवेयर | | 19500=00 | मरम्मत |
| 6 | 17-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – संतोष हार्डवेयर | | 19500=00 | मरम्मत |
| 7 | 28-01-20 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 19070=00 | - |
| 8 | 28-01-20 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 19215=00 | - |
| 9 | 28-01-20 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 19230=00 | - |
| 10 | 20-02-20 | प्रिया सॉफ्ट – संतोष हार्डवेयर | | 19991=00 | - |
| योग | | | | 192156=00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(10) मस्टररोल अप्राप्त रहा

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो अधिभार के योग्य है ।

अतः उक्त धनराशि रु192156=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सारनाथ यादव एवं ग्राम विकास/पंचायत सचिव श्री रमेश गौतम से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-58**

ग्राम पंचायत शहाबुद्दीनपुर विकासखण्ड केराकत जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 252727=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-04-19 | सारनाथ यादव | | 17915=00 | रिबोर सामग्री | |
| 2 | 04-04-19 | प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 17915=00 | रिबोर सामग्री | |
| 3 | 06-04-19 | सारनाथ यादव | | 21000=00 | उपरोक्त कार्य पर व्यय | |
| 4 | 10-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 32811=00 | रिबोर | |
| 5 | 10-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 32591=00 | रिबोर | |
| 6 | 10-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 32812=00 | रिबोर | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 32811=00 | रिबोर | |
| 8 | 07-03-20 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 15396=00 | रिबोर सामग्री | |
| 9 | 07-03-20 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 16665=00 | रिबोर सामग्री | |
| 10 | 07-03-20 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 15396=00 | रिबोर सामग्री | |
| 11 | 07-03-20 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 17415=00 | रिबोर सामग्री | |
| | योग | | | 252727=00 | | |

धनराशि शब्दों में-

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु252727=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सारनाथ यादव एवं ग्राम विकास/पंचायत सचिव श्री रमेश गौतम से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(39)**

**ग्राम पंचायत -** सेनापुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-59**

ग्राम पंचायत सेनापुर विकासखण्ड- केराकत जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 102436=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-04-19 | रमेश कुमार/ प्रिया सॉफ्ट प्रकाश मशीनरी स्टोर | 10003943 | 14000=00 | मरम्मत |
| 2 | 06-05-19 | रमेश कुमार | 10003945 | 5000=00 | मरम्मत मजदूरी |
| 3 | 20-05-19 | नेशनल हार्डवेयर | 10003946 | 10000=00 | मरम्मत सामग्री |
| 4 | 02-12-19 | प्रियासॉफ्ट आर०के० मशीनरी एंड स्टील्स | | 16600=00 | मरम्मत |
| 5 | 07-12-19 | प्रियासॉफ्ट आर०के० मशीनरी एंड स्टील्स | | 17860=00 | मरम्मत |
| 6 | 17-12-19 | प्रियासॉफ्ट प्रकाश कृषि मशीनरी स्टोर | | 19600=00 | मरम्मत |
| 7 | 08-01-20 | प्रियासॉफ्ट प्रकाश कृषि मशीनरी स्टोर | | 19376=00 | मरम्मत |
| | | योग | | 102436=00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
(10) मस्टररोल अप्राप्त रहा

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु102436=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम विकास/पंचायत सचिव मो0 आशिफ अंसारी से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-60**

ग्राम पंचायत सेनापुर विकासखण्ड केराकत जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 130367=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-07-19 | रमेश कुमार / कैशबुक राजेश | 10003954 | 17565=00 | रिबोर मजदूरी |
| 2 | 20-07-19 | बचऊ हार्डवेयर | 10003955 | 15127=00 | रिबोर सामग्री |
| 3 | 17-12-19 | प्रिया सॉफ्ट नेशनल हार्डवेयर एंड बिल्डिंग मटेरियल | | 32053=00 | रिबोर मजदूरी, सामग्री |
| 4 | 08-01-20 | प्रिया सॉफ्ट नेशनल हार्डवेयर एंड बिल्डिंग मटेरियल | | 15396=00 | रिबोर सामग्री |
| 5 | 08-01-20 | प्रियासॉफ्ट रमेश कुमार | | 17415=00 | रिबोर मजदूरी, |
| 6 | 08-01-20 | प्रियासॉफ्ट रमेश कुमार | | 17415=00 | रिबोर मजदूरी, |
| 7 | 08-01-20 | प्रिया सॉफ्ट नेशनल हार्डवेयर एंड बिल्डिंग मटेरियल | | 15396=00 | रिबोर सामग्री |
| | योग | | | 130367=00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
(10)मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु 130367=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार एवं ग्राम विकास/पंचायत सचिव मो0 आशिफ अंसारी से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(40)**

**ग्राम पंचायत - घुड़दौड़ जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-61**

ग्राम पंचायत **घुड़दौड़** विकासखण्ड **केराकत** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार लौटू के घर से गुलाब के घर होते हुए रंजन के घर तक खड़ंजा मरम्मत पर कुल रु **74893.00** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23-07-19 | पुनीत कुमार सिंह (पासबुक) (कैशबुक नामधारी ईंट) | 10009070 | 58695.00 | ईंट क्रय |
| 2 | 23-07-19 | पुनीत कुमार सिंह | 10009071 | 16198.00 | मजदूरी |
| | योग | | | 74893.00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
(1) स्टाक रजिस्टर
(2) स्टीमेट एवं एम0बी0
(3) कार्ययोजना एवं कार्यवाही रजिस्टर
(4) निर्माण समिति की अनुशंशा रिपोर्ट
(5) मजदूरी की पुष्टि मे मस्टर रोल अप्रस्तुत रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु 74893=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री पुनीत कुमार सिंह एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री सौरभ दुबे से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(41)**

**ग्राम पंचायत -** पूरनपुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-62**

ग्राम पंचायत पूरनपुर विकासखण्ड केराकत जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 52980=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-05-19 | मुन्ना यादव | | 19750=00 | मरम्मत |
| 2 | 28-05-19 | मुन्ना यादव | | 11700=00 | मरम्मत |
| 3 | 20-06-19 | मुन्ना यादव | | 9100=00 | मरम्मत |
| 4 | 25-07-19 | मुन्ना यादव | | 9750=00 | मरम्मत |
| 5 | 27-02-20 | प्रिया सॉफ्ट – पहलवान आयरन स्टोर | | 2680=00 | मरम्मत |
| | योग | | | 52980=00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(10) मस्टररोल अप्राप्त रहा

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च)शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु 52980=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुन्ना यादव एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री हरीहर लाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(42)**

**ग्राम पंचायत -** भैरोभानपुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-63**

ग्राम पंचायत भैरोभानपुर विकासखण्ड केराकत जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 269758.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-19 | बालगोबिंद | | 19250.00 | मरम्मत |
| 2 | 08-05-19 | बालगोबिंद | | 19500.00 | मरम्मत |
| 3 | 27-05-19 | बालगोबिंद | | 19000.00 | मरम्मत |
| 4 | 10-06-19 | बालगोबिंद | | 17500.00 | मरम्मत |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 24-06-19 | बालगोबिंद | | 18750.00 | मरम्मत |
| 6 | 08-07-19 | बालगोबिंद | | 19500.00 | मरम्मत |
| 7 | 15-07-19 | बालगोबिंद | | 19500.00 | मरम्मत |
| 8 | 07-12-19 | संतोष हार्डवेयर | | 19500.00 | मरम्मत |
| 9 | 28-01-20 | प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 19430.00 | मरम्मत |
| 10 | 28-01-20 | प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 19450.00 | मरम्मत |
| 11 | 28-01-20 | प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 19440.00 | मरम्मत |
| 12 | 28-01-20 | प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 19070.00 | मरम्मत |
| 13 | 20-02-20 | संतोष हार्डवेयर | | 19991.00 | मरम्मत |
| 14 | 07-03-20 | संतोष हार्डवेयर | | 19877.00 | मरम्मत |
| | | योग | | 269758.00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
(10) मस्टररोल अप्राप्त रहा

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु 269758=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बालगोविंद एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री रमेश गौतम से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-64**

ग्राम पंचायत भैरोभानपुर विकासखण्ड केराकत जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 220262=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-07-19 | बालगोबिंद | | 30572=00 | रिबोर |
| 2 | 23-07-19 | प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 34834=00 | रिबोर |
| 3 | 07-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 30475=00 | रिबोर |
| 4 | 07-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 30200=00 | रिबोर |
| 5 | 07-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 31365=00 | रिबोर सामग्री |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 07-12-19 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 30405=00 | रिबोर सामग्री |
| 7 | 16-03-20 | प्रिया सॉफ्ट – प्रदीप मशीनरी स्टोर | | 32411=00 | रिबोर सामग्री |
| | योग | | | 220262=00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(10) मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु 220262=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बालगोविंद एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री रमेश गौतम से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(43)**

**ग्राम पंचायत - भैंसा जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-65**

ग्राम पंचायत भैंसा विकास खण्ड केराकत जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 167550=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-19 | रमेश कुमार यादव/ कैशबुक संतोष हार्डवेयर | | 17500=00 | मरम्मत |
| 2 | 15-04-19 | रामजीत / कैशबुक संतोष हार्डवेयर | | 19800=00 | मरम्मत |
| 3 | 10-05-19 | रामजीत | | 14000=00 | मरम्मत |
| 4 | 22-05-19 | रमेश कुमार यादव | | 19500=00 | मरम्मत |
| 5 | 30-07-19 | रमेश कुमार यादव | | 19700=00 | मरम्मत |
| 6 | 12-12-20 | प्रियासॉफ्ट संतोष हार्डवेयर स्टोर | | 39000=00 | मरम्मत |
| 7 | 18-03-20 | प्रियासॉफ्ट संतोष हार्डवेयर स्टोर | | 19050=00 | मरम्मत |
| 8 | 18-03-20 | प्रियासॉफ्ट संतोष हार्डवेयर स्टोर | | 19000=00 | मरम्मत |
| योग | | | | 167550=00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
(10) मस्टररोल अप्राप्त रहा
(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु 167550=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजीत यादव एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अरुण यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-66**

ग्राम पंचायत भैंसा विकासखण्ड केराकत जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 216300=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-05-19 | रमेश कुमार यादव | | 34830=00 | रिबोर |
| 2 | 07-06-19 | रमेश कुमार यादव | | 17415=00 | रिबोर मजदूरी |
| 3 | 25-02-20 | प्रिया सॉफ्ट प्रकाश कृषि मशीनरी स्टोर | | 164055=00 | रिबोर |
| | योग | | | 216300=00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-
(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
(10)मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।

अतः उक्त धनराशि रु 216300=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री बालगोविंद एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री रमेश गौतम से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(44)**

**ग्राम पंचायत - कबीरुद्दीनपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-67**

ग्राम पंचायत **कबीरुद्दीनपुर** विकास खण्ड **खुटहन** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रू 83250=00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र.सं. | दिनांक | फर्म का नाम/नाम | चेक सं0 | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31/07/2019 | ---------------- | नकद | 83250.00 | ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय |
| योग | | | | 83250.00 | |

**धनराशि शब्दों में- तिरासी हजार दो सौ पचास रूपये मात्र**

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 83250=00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(छ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ज) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा0प0 के वित्त एवं लेखा प्रबनध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो अधिभार योग्य है ।

अतः उक्त धनराशि 83250=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती गीता एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उगेश कुमार पाठक से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(45)**

**ग्राम पंचायत - मीरापुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-68**

ग्राम पंचायत मीरापुर विकास खण्ड **खुटहन** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 से 2019-20 में कोषबही के अनुसार मरम्मत कार्य पर पर कुल रू 118399=00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **चेक सं0** | **धनराशि** | **फर्म का नाम/नाम** | **विवरण** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.06.2018 | 21051850 | 20750 | चन्द्र शेखर | हैन्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| 2 | 30.06.2018 | 21051849 | 27224 | शुभाष | हैन्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| 3 | 04.12.2018 | 21051858 | 27500 | उमेश पाठक | हैन्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| 4 | 20.02.2019 | 10010104 | 20000 | प्रधान हार्ड वेयर | हैन्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| 5 | 21.02.2019 | 10010106 | 22925 | माल्ती देवी | हैन्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| योग | | | 118399.00 | | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 118399.00=00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रिबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियो से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि118399.00=00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मालती देवी एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री संतोष कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(46)**

**ग्राम पंचायत - गुलालपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-69**

ग्राम पंचायत गुलालपुर विकास खण्ड **खुटहन** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2018-19 से 2019-20 में कोषबही के अनुसार मरम्मत कार्य पर पर कुल रू 159850.00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **चेक सं0** | **धनराशि** | **फर्म का नाम/नाम** | **विवरण** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-08-2018 | 10006298 | 31850.00 | उमेश पाठक | हैन्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| 2 | 02-03-2019 | 10011985 | 60000.00 | लालबहादुर यदाव | हैन्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| 3 | 29-03-2019 | 10011988 | 68000.00 | लालबहादुर यदाव | हैन्ड पम्प मरम्मत पर व्यय |
| योग | | | 159850.00 | | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 159850.00 में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रिबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियो से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 159850-00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री उगेश कुमार पाठक से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

(47)

**ग्राम पंचायत - लोहता जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-70**

ग्राम पंचायत **लोहता** विकास खण्ड **करंजाकला** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा दिनांक 03.02.2020 को रू0 14000.00 एवं रू0 21000.00 कुल रू0 35000.00 का भुगतान प्रधान मानदेय के रूप में किया गया है। लेकिन यह मानदेय कब से कब तक का भुगतान है समयावधि नहीं दर्शाया गया है, प्रधान द्वारा प्राप्ति रसीद नही ली गयी है तथा मानदेय रजिस्टर नही बनाया गया है, पूर्व में कब किस अवधि तक भुगतान हुआ है कोई जानकारी लेखा परीक्षा में नही उपलब्ध करायी गयी। बिना रसीद के भुगतान ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 198 के विपरीत है। जिसका सम्पूर्ण दायित्व ग्राम प्रधान श्री हरिशचन्द्र एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री संतोष कुमार का बराबर-बराबर है। तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

**प्रस्तर-71**

वर्ष 2019-20 में निम्न तिथियों में बैंक से धन आहरित करके हैण्डपम्प रिबोर कराया गया है।

| क्र०म० | दिनांक | धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|
| | 15.11.19 | 125000.00 | अमित हार्ड वेयरको सामग्री हेतु |
| | 25.11.19 | 23000.00 | अमित हार्ड वेयरको सामग्री हेतु |
| | 25.11.19 | 23000.00 | अमित हार्ड वेयरको सामग्री हेतु |
| | 25.11.19 | 17959.00 | अमित हार्ड वेयरको सामग्री हेतु |
| | | 206918=00 | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रिबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
(10)डेड स्टाक रजिस्टर ।

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियो से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 206918.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री हरिश्चन्द्र एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री संतोष कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(48)**

**ग्राम पंचायत -भदेठी जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-72**

**1-**ग्राम पंचायत **भदेठी** विकास खण्ड **करंजाकला** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा ा वर्ष 2019-20 में निम्न निर्माण कार्यों पर बैंक से धन आहरण करके भुगतान किया जाना दर्शित है।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | बैंक सं धन आहरण का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | दिनांक | चेक नं0 | धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता |
| | नाली निर्माण मुन्नीलाल के घर से गढ़ढा तक। | 02.04.2019 | 12007089 | 61700.00 | खाता सं0 10150003 |
| | | 02.05.2019 | 12007099 | 33800.00 | खाता सं0 10150003 |
| | | 07.05.2019 | 12007097 | 59700.00 | खाता सं0 10150003 |
| | | 07-05–2019 | 12007100 | 59700.00 | खाता सं0 10150003 |
| 2 | नाली निर्माण गढ़ढा से नाला तक | 05.04.19 | 12007090 | 102300.00 | खाता सं0 10150027 |
| 3 | नाली निर्माण दुबई के घर से नाला तक | 07.05.19 | 12007096 | 105900.00 | खाता सं0 1015001 |
| | | 21.05.19 | 12009923 | 42385.00 | राजेन्द्र कुमार यादव |
| | | 27.05.19 | 12009921 | 105900.00 | ओसामा एण्ड बद्रर्स |
| 4 | नाली मरम्मत जुल्फकार के चक से भुलई के चक तक | 02.02.20 | -- | 54862.00 | - |
| | | 28.02.20 | | 47056.00 | |
| | | | योग- | 673303.00 | |

1.उक्त व्ययों की पुष्टि में खरीद सामग्री का बिल/कैशमेमों नही प्रस्तुत किया गया जो लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।

2.निर्माण मे लगे श्रमिकों का मस्टररोल नही बनाया गया हैं जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत है।

3.मजदूरी का भुगतान बैंक खातों मे न किया जाना पूर्णतयः गलत है । जबकि सभी मजदूरो के खाते बैंक में खुले हुए है।

4.निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन किये ही किया गया है जो लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/10/08-15(1)/86 दिनांक-23 दिसम्बर 2008(निविदा के सम्बन्ध में )तथा लेखा मैनुअल के अध्याय’-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में) के विपरीत है।

5.उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति (प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा निर्माण समिति) आदेश एम0बी0,स्टीमेट एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहे।

6.सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर नही रखा गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

7.निर्माण सामग्री का स्टाक रजिस्टर नही रखा गया है।

8.निर्माण कार्यो से सम्बन्धित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ अनुपलब्ध रहा एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही करते हुए रुपया 673307.00 धन का अपहरण किया गया हैं। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्रीमती नुजहत एवं ग्राम पंचाचय अधिकारी श्री संतोष कुमार की बराबर-बराबर है। अतः ग्राम प्रधान श्रीमती नुजहत एवं पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**(49)**

**ग्राम पंचायत -जमुहाई जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-73**

ग्राम पंचायत **जमुहाई** विकास खण्ड **करंजाकला** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा ा वर्ष-2019-20 दिनांक 06.04.2019 को चेक सं0 12010259 द्वारा रू0 42000.00 का आहरण करके प्रधान मानदेय दिखाया गया है। लेकिन यह मानदेय कब से कब तक का भुगतान है समयावधि नहीं दर्शाया गया है, प्रधान द्वारा प्राप्ति रसीद नही ली गयी है तथा मानदेय रजिस्टर नही बनाया गया है, पूर्व में कब किस अवधि तक भुगतान हुआ है कोई जानकारी लेखा परीक्षा में नही उपलब्ध करायी गयी। बिना रसीद के भुगतान ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) एवं उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 198 के विपरीत है। जिसका सम्पूर्ण दायित्व ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्रा0पं0वि0अधि0 श्री श्री संतोष कुमार का बराबर-बराबर है। तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है ।

**प्रस्तर-74**

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | बैंक सं धन आहरण का विवरण | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | दिनांक | चेक नं0 | धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता |
| 1 | इण्टरलांकिंग राम आसरे विन्द के घर से राजेन्द्र के घर तक | 11.04.19 | 12012308 | 45962.00 | अमित हार्डवेयर एण्ड पेंट |
| | | 12.04.19 | 12012307 | 33128.00 | वैष्णवी बिल्डिंग मैटेरियल |
| | | 12.04.19 | 12012306 | 95319.00 | वैष्णवी बिल्डिंग मैटेरियल |
| | | | 12012309 | 21042.00 | श्री सुरेश बिन्द (प्रधानपति) |
| 2 | नाली निर्माण विनोद के घर से सूरज के घर तक | 12.04.19 | 12012302 | 11424.00 | श्री सुरेश बिन्द (प्रधानपति) |
| 3 | नाली निर्माण आजाद बिन्द के घर से अमर के घर तक | 12.04.19 | 12012305 | 16020.00 | श्री सुरेश बिन्द (प्रधानपति) |
| | | 15.04.19 | 12012304 | 36813.00 | खाता सं0 10150030 |
| | | 15.04.19 | 12010256 | 45962.00 | खाता सं0 10150030 |
| 4 | नाली निर्माण राजेन्द्र के घर से पोखर तक | 12.04.19 | 12012314 | 31682.00 | वैष्णवी बिल्डिंग मैटेरियल |
| | | 15.04.19 | 12012313 | 56182.00 | खाता सं0 10150030 |
| | | 15.04.19 | 12012315 | 19038.00 | श्री सुरेश बिन्द (प्रधानपति) |
| 5 | नाली निर्माण धर्मेन्द्र के घर से राजेश के घर तक | 12.04.19 | 12012310 | 54651.00 | वैष्णवी बिल्डिंग मैटेरियल |
| | | 15.04.19 | 12012311 | 81150.00 | खाता सं0 10150030 |
| | | 15.04.19 | 12012312 | 27608.00 | श्री सुरेश बिन्द (प्रधानपति) |
| 6 | खण्डजा मरम्मत राजेन्द्र बिन्द के घर से मिलन बिन्द के घर तक | 15.04.19 | 12012303 | 45462.00 | खाता सं0 10150030 |
| 7 | खण्डजा निर्माण विनोद सिंह के घर से प्रदीप के घर तक | 15.04.19 | 12012301 | 42290.00 | खाता सं0 10150030 |
| | | | • योग | 663733.00 | |

1.उक्त व्ययों की पुष्टि में खरीद सामग्री का बिल/कैशमेमों नही प्रस्तुत किया गया जो लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-8क के विपरीत है।

2.निर्माण मे लगे श्रमिकों का मस्टररोल नही बनाया गया हैं जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत है।

3.मजदूरी का भुगतान बैंक खातों मे न किया जाना पूर्णतयः गलत है । जबकि सभी मजदूरो के खाते बैंक में खुले हुए है।

4.निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया का पालन किये ही किया गया है जो लेखा मैनुअल के अध्याय-7 के खण्ड-5(1) एवं शासनादेश संख्या ए-1-864/10/08-15(1)/86 दिनांक-23 दिसम्बर 2008(निविदा के सम्बन्ध में )तथा लेखा मैनुअल के अध्याय'-7(4)(कोटेशन के सम्बन्ध में) के विपरीत है।

5.उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति (प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा निर्माण समिति) आदेश एम0बी0,स्टीमेट एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहे।

6.सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर नही रखा गया है, जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।

7.निर्माण सामग्री का स्टाक रजिस्टर नही रखा गया है।

8.निर्माण कार्यों से सम्बन्धित त्रिस्तरीय फोटोग्राफ अनुपलब्ध रहा एवं अचल सम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा।

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही करते हुए धन 663733.00 का अपहरण किया गया हैं। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्राम पंचाचय अधिकारी श्री संतोष कुमार की बराबर-बराबर है। तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर-75**

वर्ष-2019-20 निम्न तिथियों मे बैंक से धन आहरित करके हैन्डपम्प रिबोर कराया गया है ।

| क्रम संख्या | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 18.03.2020 | 17493.00 |
| 2 | 18.03.2020 | 20474.00 |
| 3 | 18.03.2020 | 18012.00 |
| 4 | 18.03.2020 | 18384.00 |
| 5 | 18.03.2020 | 17495.00 |
| 6 | 18.03.2020 | 21261.00 |
| 7 | 26.03.2020 | 19285.00 |
| 8 | 26.03.2020 | 19354.00 |
| | योग | 151758.00 |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, रिबोर हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(10)डेड स्टाक रजिस्टर ।

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियो से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 151758.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती उर्मिला एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री संतोष कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(50)**

**ग्राम पंचायत -आरा जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-76**

ग्राम पंचायत **आरा** विकास खण्ड **करंजाकला** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा ा वर्ष 2019-20 में प्राइमरी स्कूल के फर्श पर टाइल्स लगवाने में निम्नलिखित व्यय किया गया है-

| क्र.स | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 13-02-20 | 141141=00 |
| 2 | 13-02-20 | 15206=00 |
| 3 | 24-02-20 | 10000=00 |
| 4 | 25-02-20 | 31400=00 |
| | योग | 197747=00 |

1. उक्त व्ययों की पुष्टि में खरीद सामग्री का बिल/ कैशमेमो नहीं प्रस्तुत किया गया जो लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के विपरीत हैं
2. निर्माण में लगे श्रमिकों का मस्टर रोल नहीं बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत हैं
3. मजदूरी का भुगतान बैंक खातों में नहीं किया गया है जबकि सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुले हुए हैं
4. निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेंडर प्रक्रिया का पालन किए ही किया गया है जो लेखा मैनुअल अध्याय 7 के खंड 5 (1 ) एवं शासनादेश संख्या ए-1- 864/ दस/08 -15 (1)86 दिनांक 23 दिसंबर 2008 (निविदा के संबंध में) तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 (4) कोटेशन के संबंध में के विपरीत है
5. उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति (प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा निर्माण समिति) आदेश एम०बी० स्टीमेट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत रहे
6. सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर नहीं रखा गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है
7. निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया है
8. त्रिस्तरीय फोटोग्राफ एवं परिसंपत्ति रजिस्टर प्राप्त रहा

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही करते हुए धन 197747=00 का अपहरण किया गया है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार की बराबर बराबर है।तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है|

**प्रस्तर-77**

वर्ष 2019-20 में जूनियर हाई स्कूल में टाइल्स का कार्य निम्न तिथियों में कराया गया है

| क्र.स | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | 13-02-20 | 29810=00 |
| 2 | 13-02-20 | 164374=00 |
| 3 | 25-02-20 | 36816=00 |
| | योग | 231000=00 |

1. उक्त व्ययों की पुष्टि में खरीद सामग्री का बिल/ कैशमेमो नहीं प्रस्तुत किया गया जो लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के विपरीत हैं
2. निर्माण में लगे श्रमिकों का मस्टर रोल नहीं बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत हैं
3. मजदूरी का भुगतान बैंक खातों में नहीं किया गया है जबकि सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुले हुए हैं
4. निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेंडर प्रक्रिया का पालन किए ही किया गया है जो लेखा मैनुअल अध्याय 7 के खंड 5 (1 ) एवं शासनादेश संख्या ए-1- 864/ दस/08 -15 (1)86 दिनांक 23 दिसंबर 2008 (निविदा के संबंध में) तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 (4) कोटेशन के संबंध में के विपरीत है
5. उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति (प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा निर्माण समिति) आदेश एम०बी० स्टीमेट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहे
6. सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर नहीं रखा गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है
7. निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया है

8. त्रिस्तरीय फोटोग्राफ एवं परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही करते हुए धन 231000=00 का अपहरण किया गया है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार की बराबर बराबर है।तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है|

**प्रस्तर-78**

वर्ष 2019-20 में निम्न निर्माण कार्यों पर बैंक से धन आहरण करके भुगतान किया गया है|

| क्र०स० | कार्य का नाम | | |
|---|---|---|---|
| 1 | मुख्य सड़क से रमेश के घर तक इंटरलाकिंग कार्य | 17-02-20 | 16837=00 |
| | | 17-02-20 | 132932=00 |
| | | 17-02-20 | 17977=00 |
| 2 | मुख्य सड़क से डीहबाबा के घर तक इंटरलाकिंग कार्य | 17-02-20 | 132434=00 |
| | | 17-02-20 | 37153=00 |
| | | 17-02-20 | 18726=00 |
| | | योग | 356059=00 |

1- उक्त व्ययों की पुष्टि में खरीद सामग्री का बिल/ कैशमेमो नहीं प्रस्तुत किया गया जो लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खंड 8 (क) के विपरीत हैं

2- निर्माण में लगे श्रमिकों का मस्टर रोल नहीं बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत हैं

3- मजदूरी का भुगतान बैंक खातों में नहीं किया गया है जबकि सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुले हुए हैं

4- निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन टेंडर प्रक्रिया का पालन किए ही किया गया है जो लेखा मैनुअल अध्याय 7 के खंड 5 (1 ) एवं शासनादेश संख्या ए-1- 864/ दस/08 -15 (1)86 दिनांक 23 दिसंबर 2008 (निविदा के संबंध में) तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7 (4) कोटेशन के संबंध में के विपरीत है

5- उक्त निर्माण कार्यों की स्वीकृति (प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा निर्माण समिति) आदेश एम०बी० स्टीमेट एवं कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत रहे

6- सार्वजनिक निर्माण कार्यों का रजिस्टर नहीं रखा गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है

7- निर्माण सामग्री का स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा गया है

8- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ एवं परिसंपत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा

9- समस्त भुगतान मस्टररोल एवं सामग्री का एक ही दिन किया गया है।कार्य एवं व्यय सामग्री कब आई कोई विवरण दर्ज नहीं है |

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्यों में घोर लापरवाही करते हुए धन 356059=00 का अपहरण किया गया है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्रीमती गायत्री देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार की बराबर बराबर है। तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है|

**(51)**

**ग्राम पंचायत - जंगीपुर खुर्द जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-79**

**1-**ग्राम पंचायत **जंगीपुर खुर्द** विकास खण्ड **करंजाकला** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा ा वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत बैशबुक एवं पासबुक के अनुसार दिनांक 16.01.20 से 23.03.20 तक धन का आहरण करके सामग्री, खरीद एवं श्रमिक भुगतान दर्शाया गया है।

| क्र0सं0 | दिनांक | धनराशि | मद |
|---|---|---|---|
| 1 | 16.01.20 | 156893.00 | सामग्री |
| 2 | 16.01.20 | 172385.00 | ,, |
| 3 | 16.01.20 | 24953.00 | ,, |
| 4 | 24.01.20 | 13868.00 | श्रमिक |
| 5 | 24.01.20 | 13868.00 | ,, |
| 6 | 24.01.20 | 13650.00 | ,, |
| 7 | 24.01.20 | 13868.00 | ,, |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | 24.01.20 | 13650.00 | '' |
| 9 | 24.01.20 | 13868.00 | '' |
| 10 | 24.01.20 | 13650.00 | '' |
| 11 | 24.01.20 | 13868.00 | '' |
| 12 | 24.01.20 | 13650.00 | श्रमिक |
| 13 | 24.01.20 | 13650.00 | श्रमिक |
| 14 | 20.02.20 | 22568.00 | श्रमिक |
| 15 | 20.02.20 | 64680.00 | श्रमिक |
| 16 | 20.02.20 | 22568.00 | श्रमिक |
| 17 | 20.02.20 | 3307.00 | श्रमिक |
| 18 | 23.03.20 | 48500.00 | सामग्री |
| 19 | 23.03.20 | 21790.00 | सामग्री |
| 20 | 23.03.20 | 51500.00 | सामग्री |
| | योग- | 726734.00 | |

1- उक्त भुगतान का कोई विवरण कार्य का नाम, नाप इत्यादि नही अंकित है।

1. उक्त व्ययों की पुष्टि में खरीद सामग्री का बिल/कैशमेमों नही प्रस्तुत किया गया जो लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) के विपरीत है।
2. निर्माण में लगे श्रमिकों का मस्टररोल नही बनाया गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 210 के विपरीत है।
3. मजदूरी का भुगतान बैंक खातों में न किया जाना पूर्णतया गलत है। जबकि सभी मजदूरों के खाते बैंक में खुले हुए है।
4. निर्माण सामग्री की खरीद बिना कोटेशन /टेण्डर प्रक्रिया का पालन किये ही किया गया है। जो लेखा मैनुअल अध्याय 7 के खण्ड 5 (1) एवं शासनादेश सं0 ए-1-864/दस/-08-15 (1) /86 दिनांक 23 दिसम्बर 2008 (निविदा के सम्बन्ध में ) तथा लेखा मैनुअल के अध्याय 7(4) (कोटेशन के सम्बन्ध में) के विपरीत है।
5. उक्त निर्माण कार्यो की स्वीकृति (प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा निर्माण समिति) आदेश एम0बी0,स्टीमेट एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्रस्तुत रहे।
6. सार्वजनिक निर्माण कार्यो का रजिस्टर नही रखा गया है जो उत्तर प्रदेश पंचायत नियमावली 1947 के नियम 207 के विपरीत है।
7. निर्माण सामग्री का स्टाक रजिस्टर नही रखा गया है।
8. त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, अचल सम्पत्ति रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

इस प्रकार उक्त निर्माण कार्यो में घोर लापरवाही करते हुए धन 726734.00 का अपहरण किया गया हैं। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम प्रधान श्री रामफेर एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार की बराबर-बराबर है। तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर-80**

दिनांक 23.03.20 को रू0 42000.00 का अपहरण करके प्रधान मानदेय दिखाया गया है। लेकिन यह मानदेय कब से कब तक का भुगतान है समयावधि नहीं दर्शाया गया है, प्रधान द्वारा प्राप्ति रसीद नही ली गयी है तथा मानदेय रजिस्टर नही बनाया गया है, पूर्व में कब किस अवधि तक भुगतान हुआ है कोई जानकारी लेखा परीक्षा में नही उपलब्ध करायी गयी। बिना रसीद के भुगतान ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 (क) एवं उत्तर प्रदेश पश्चात नियमावली 1947 के नियम 198 के विपरीत है।जिसका सम्पूर्ण दायित्व ग्राम प्रधान श्री रामफेर एवं ग्रा0पं0/वि0अधि0 श्री संतोष कुमार की बराबर-बराबर है। तातारीख ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

**प्रस्तर-81**

वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित तिथियों में बैंक से धन आहरित करके हैण्डपम्प रिबोर कराया गया।

| क्र० स० | दिनांक | दिनांक |
|---|---|---|
| 1 | 02-04-19 | 18653 |
| 2 | 02-04-19 | 23732 |
| 3 | 29-05-19 | 47464 |
| 4 | 31-05-19 | 37306 |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | 22-07-19 | 25945 |
| 6 | 23-07-19 | 20276 |
| 7 | 09-10-19 | 17959 |
| 8 | 09-10-19 | 17859 |
| 9 | 18-10-19 | 28860 |
| 10 | 18-10-19 | 28860 |
| 11 | 11-11-19 | 42385 |
| 12 | 06-12-19 | 42380 |
| 13 | 06-12-19 | 41361 |
| 14 | 06-12-19 | 41821 |
| 15 | 17-12-19 | 46221 |
| | योग | 481182 |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियो से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 481182.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री रामफेर एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री संतोष कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(52)**

**ग्राम पंचायत - रंजीतपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-82**

ग्राम पंचायत **रंजीतपुर** विकासखण्ड **सिकरारा** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार **खड़ंजा मरम्मत** पर कुल रु **37128.00** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **फर्म का नाम/नाम** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **30-17-2019** | | **यू० बि० आइ० 07588** | **37128.0** |
| | **योग** | | | **37128.0** |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(1) इससे सम्बन्धित कार्यवाही रजि0,स्टाक रजिस्टर त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,स्टीमेट,एम0बी0,फर्म नाम, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र,उपभोग प्रमाण पत्र,सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर,संपत्ति रजिस्टर,निर्माण कार्य समिति की अनुसंशा रिपोर्ट अप्रस्तुत रहा।

(2) लेखा परीक्षा के दौरान मस्टररोल, मजदूरो कि संख्या आदि सम्बंधित अभिलेख अप्रस्तुत रहा ।

(3) सहायक विकास अधिकारी का त्रैमासिक निरीक्षण पुस्तिका / प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा के दौरान अप्रस्तुत रहा । लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि उक्त व्यय/ भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के तहत अपहरण/गम्भीर अनियमितता एवं दुर्विनियोग है। जो अधिभार के योग्य है ।

अतः उक्त धनराशि रु0 **37128.0** की वसूली तत्कालीन ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री उमेश श्रीवास्तव एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजन से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं ।

**(53)**

**ग्राम पंचायत - रामनगर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-83**

ग्राम पंचायत -**रामनगर** विकासखण्ड **सिकरारा** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष **2019-20** में कोषबही के अनुसार रु 10000.00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|
| 01 | 30-07-2019 | ----------------- | 10000.00 |
| | | योग | 10000.00 |

उक्त धनराशि को स्वयं निकाला गया है । जिसका सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ हैं :-

1. ग्राम पंचायत द्वारा उक्त धनराशि से कौन सा कार्य कराया गया है। कैशबुक में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है ।
2. उक्त धनराशि से सम्बंधित व्यय प्रमाणक , कार्यपूर्ति और स्टाक रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा ।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतान/व्यय धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो अधिभार योग्य है .

अतः उक्त धनराशि 10000.00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री संजय सिंह एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमित सिंह से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(54)**

**ग्राम पंचायत - बढौली अहिरान जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-84**

ग्राम पंचायत बढौली अहिरान विकासखण्ड सिकरारा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रु 19500=00 का व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|
| 01 | 22-07-2019 | 12011067 | 19500=00 |
| | | योग | 19500=00 |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
(10)मस्टररोल अप्राप्त रहा ।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।
(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।जो अधिभार के योग्य है। .. अतः उक्त धनराशि 19500=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती पूजा एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्रीमती कृतिका मिश्रा से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(55)**

**ग्राम पंचायत** - रीठी **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-85**

ग्राम पंचायत रीठी विकासखण्ड सिकरारा जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रु 37800=00 का व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **चेक सं0** | **धनराशि** |
|---|---|---|---|
| 01 | 27-02-2020 | - | 18500=00 |
| 02 | 27-02-2020 | - | 19300.00 |
| | | योग | 37800=00 |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-
(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-
(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
(10) मस्टररोल अप्राप्त रहा ।
(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।
(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 37800=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुरेन्द्र प्रताप एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री अमित सिंह से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(56)**

**ग्राम पंचायत -** अहन **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-86**

ग्राम पंचायत **अहन** विकासखण्ड **मुफ्तीगंज** जनपद-जौनपुर के आलोच्य वर्ष 2019-20 में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी-

1. विभिन्न स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | दिनांक | व्यय का विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 29.07.2019 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 19200.00 |
| 2. | 29.07.2019 | हैण्ड पम्प मरम्मत पर व्यय | 21500.00 |
| | | योग- | 40700.00 |

कोषवही में दर्शित उक्त धनराशि/व्यय के सापेक्ष निम्न आपत्तियां पाई गई है-

1-.लेखा परीक्षा में भुगतानित की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/वाउचर )
(क) सामग्री व मजदूरी दोनों राशियों अंकित हैं। जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि अलग-अलग होना चाहिए।
(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा कैशमेमों है।
2-.उक्त भुगतानित धनराशि/व्यय की पुष्टि अन्य प्रमाणक यथा -
(क) कार्यवाही रजिस्टर
(ख) कार्य योजना।
(ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(घ) इस्टीमेट एवं एम0बी0
(ड़) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र
(च) हैण्ड पम्प से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट
(छ) स्टाक रजिस्टर
(ज) कराये गये कार्य की आई0डी0 एवं मासिक प्रियासॉफ्ट फीडिंग लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
3.डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे मरम्म्त के उपरान्त खराब पार्ट्स का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नही किया जा सका।
4.श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
5.हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात अलग-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 खण्ड-8क,8-ख, वं उ0प्र0पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण हैं। जो अधिभार के योग्य हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 40700.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री कमलेश यादव एवं ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत अखिलेश कुमार से संयुक्त रूप से तातारिख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(57)**

**ग्राम पंचायत -** गद्दीपुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-87**

ग्राम पंचायत गद्दीपुर ,विकास खण्ड-मुफ्तीगंज,जौनपुर के वर्ष-2019-20 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी-

1.विभिन्न स्थानों पर हैण्ड पम्प मरम्मत पर काल्पनिक व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है-

| क्र0सं0 | दिनांक | व्यय का विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 04.03.2020 | प्रा0विद्यालय पर रिबोर एवं पलम्बर कार्य | 64382.00 |
| | | योग- | 64382.00 |

कोषवही में दर्शित उक्त धनराशि/व्यय के सापेक्ष निम्न आपत्तियां पाई गई है-

2.लेखा परीक्षा में भुगतानित की पुष्टि में प्रस्तुत प्रमाणक (बिल/वाउचर )

(क) सामग्री व मजदूरी दोनों राशियों अंकित हैं। जबकि सामग्री एवं श्रम के रूप में श्रमिकों को भुगतानित धनराशि अलग-अलग होना चाहिए।

(ख) किसी पंजीकृत फर्म का न होकर सादा छपा कैश मेमों है।

3.उक्त भुगतानित धनराशि/व्यय की पुष्टि अन्य प्रमाणक यथा -

(क) कार्यवाही रजिस्टर

(ख) कार्य योजना।

(ग) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(घ) इस्टीमेट एवं एम0बी0

(ड़) कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र एवं उपभोग प्रमाणपत्र

(च) हैण्ड पम्प से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा तकनीकी रिपोर्ट

(छ) स्टाक रजिस्टर

(ज) कराये गये कार्य की आई0डी0 एवं मासिक प्रियासॉफ्ट फीडिंग लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।

4.डेड स्टाक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा। जिससे मरम्म्त के उपरान्त खराब पार्ट्स का स्टाक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नही किया जा सका।

5.श्रमिकों को भुगतानित मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

6.हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात अलग-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 खण्ड-8क,8-ख, वं उ0प्र0पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण हैं। जो अधिभार के योग्य हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 64382.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती संजु देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत श्री सतेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(58)**

**ग्राम पंचायत - भोगीपट्टी जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-88**

ग्राम पंचायत- भोगीपट्टी,विकास खण्ड-मुफ्तीगंज,जौनपुर के वर्ष-2019-20 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी-

1-सीताराम के घर से रामफेर के घर तक मिट्टी/खडन्जा मरम्मत कार्य का विवरण निम्न प्रकार हैः-

| क्र0सं0 | दिनांक | व्यय का विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 22.07.2019 | मजदूरी का भुगतान अभयराज | 44954.00 |
| 2. | 24.07.2019 | ईंट क्रय का भुगतान कमलेश को | 63525.00 |
| | | योग- | 108479.00 |

1.पंचायत अनुभाग के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक-22.01.2016 के बिन्दु 2 ब के अनुसार राज्य वित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुसार वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए था परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी।

2. कार्य प्रारम्भ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

3. सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला बिल नही प्रस्तुत किया गया।

4. कार्य से सम्बन्धित एम0बी0 एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

5. श्रमिकों को मजदूरी की पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।

6. पंचायतराज अनुभाग के शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक-18.02.2016 चैदहवें वित्त की गाईडलाइन के बिन्दु-02 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिन्दु के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी पंचायत को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

7. स्टाक,सम्पत्ति रजिस्टर,सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा।

8. उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 खण्ड-8क,8-ख, वं उ0प्र0पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण हैं। जो अधिभार के योग्य हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 108479.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अभय राज एवं ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत सतेन्द्र कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(59)**

**ग्राम पंचायत -** रसूलपुर ओझनियां **जनपद- जौनपुर** **वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-89**

ग्राम पंचायत- रसूलपुर ओझनियां,विकास खण्ड-मुफ्तीगंज,जौनपुर के वर्ष-2019-20 लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कमियां प्रकाश में आयी-

1.प्रा0वि0 रसूलपुर ओझनियां में सुनील कुमार को मिटटी भराई हेतु प्रति ट्राली 450/- की दर से 177 ट्राली रू0 79650.00 का भुगतान एवं उपरोक्त कार्य पर मजदूरी 24206.00 का काल्पनिक दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र0सं0 | दिनांक | व्यय का विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 27.02.2020 | प्रा0वि0रसूलपुर ओझनियां में श्री सुनील कुमार को मिट्टी भराई हेतु प्रति ट्राली 450 की दर से 177 ट्राली रू0 79650.00 का भुगतान। | 79650.00 |
| 2. | 27.02.2020 | उपरोक्त कार्य पर मजदूरी | 24206.00 |
| | | योग- | 103856.00 |

2. पंचायत अनुभाग के शासनादेश संख्या-3-2016/3038/33-1-2016 दिनांक-22.01.2016 के बिन्दु 2 ब के अनुसार राज्यवित्त एवं केन्द्रीय वित्त आयोग में दिये गये निर्देशों के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त होना चाहिए था परन्तु उससे सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत नही की गयी।

3. कार्य प्रारम्भ मध्य एवं समाप्ति की फोटो भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

4. सामग्री के सापेक्ष जी0एस0टी0 वाला बिल नही प्रस्तुत किया गया।

5. कार्य से सम्बन्धित एम0बी0 एवं स्टीमेट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

6. श्रमिकों को भुगतानित मजदूरों की पुष्टि हेतु मस्टररोल अप्राप्त रहा।

7. पंचायतराज अनुभाग के शासनादेश संख्या-234-33-3-2016-2/2016 दिनांक-18.02.2016 चैदहवें वित्त की गाईडलाइन के बिन्दु-02 प्रशासनिक एवं तकनीकी मद बिन्दु के उपनियम-12 के अनुसार कार्य के स्थलीय निरीक्षण सत्यापन हेतु सहायक विकास अधिकारी पंचायत को अधिकृत किया गया है। लेखा परीक्षा में कार्य की सत्यापन रिपोर्ट अप्राप्त रही।

8. स्टाक,सम्पत्ति रजिस्टर,सार्वजनिक निर्माण कार्य, निर्माण कार्य समिति की अनुशंसा रिपोर्ट कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र अप्राप्त रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त व्यय/भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 खण्ड-8क,8-ख, वं उ0प्र0पंचायतराज नियमावली 1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण हैं। जो अधिभार के योग्य हैं। अतः उक्त धनराशि रू0 103856.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुरेश कुमार एवं ग्राम विकास अधिकारी/पंचायत श्री राज बहादुर पाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(60)**

**ग्राम पंचायत -** मानी खुर्द **जनपद- जौनपुर** **वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-90**

ग्राम पंचायत -मानी खुर्द विकास खण्ड -**शाहगंज** के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 300878-00 ) के आधार पर संपन्न की गई है। वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस

धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है। या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।

उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -

आय- 1337416-00 व्यय -300878-00

| क्र० सं० - योजना का नाम - | दिनांक - | धनराशि - | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|
| 14वाँ वित्त आयोग | | | |
| 1- | 02-04-19 | 89628-00 | मन्नन के घर से इलियास के घर तक इन्टर लॉकिंग |
| 2- ,, | | 152775-00 | मुख्तार के घर से इलियास के घर तक इन्टर लॉकिंग |
| 3- | 24-07-19 | 28700-00 | हैंड पम्प मरम्मत |
| 4- ,, | | 24525-00 | ,, ,, |
| 5- | 30-07-19 | 5250-00 | पेपर गज़ट का भुगतान |

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया-उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 300878-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री उदय भान से रुपए- 150439-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव /श्री अरविन्द से रुपए 150439 -00 किया जाना अपेक्षित है।

**(61)**

**ग्राम पंचायत - सोंगर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-91**

ग्राम पंचायत- सोंगर विकास खण्ड -**शाहगंज** के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि:राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 34300-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है।

**क्र० सं०- योजना का नाम - दिनांक - धनराशि - कार्य विवरण**

1- चतुर्थ राज्य वित्त 03-08-19 21000-00 मानदेय भुगतान

2- 18-04-19 13300-00 सफाई कर्मी किट

3- 14वाँ वित्त आयोग 03-08-19 27300-00 जुमई के दुकान से रमेश के घर तक खड़ंजा निर्माण

4- ,, 42400-00 हैंड पम्प मरम्मत

5- ,, ,, 28976-00 पाँचू के घर से जदुराई के घर तक नाली निर्माण

6- ,, ,, 59150-00 आफ़ताब के घर से छोटक पहलवान के घर तक खड़ंजा

7- ,, ,, 59150-00 केशव के घर से सलीम के घर होते मस्जिद तक खड़ंजा

8- ,, ,, 14196-00 मन्तू के घर से मिस्टर के घर तक खड़ंजा

9- ,, ,, 26880-00 प्रा० वि० में शौचालय निर्माण

10- ,, ,, 19656-00 जुमई के दुकान से रमेश के घर तक खड़ंजा निर्माण

11- ,, ,, 83920-00 प्रा० वि० में शौचालय निर्माण

12- ,, ,, 64678-00 पाँचू के घर से जदुराई के घर तक नाली निर्माण

13- ,, ,, 185640-00 आफ़ताब के घर से छोटक पहलवान के घर तक खड़ंजा

14- ,, ,, 185640-00 केशव के घर से सलीम के घर होते मस्जिद तक खड़ंजा

15- ,, ,, 60867-00 प्रा० वि० में शौचालय निर्माण

16- ,, ,, 43680-00 मन्तू के घर से मिस्टर के घर तक खड़ंजा

17- ,, ,, 68544-00 पाँचू के घर से जदुराई के घर तक नाली निर्माण

18- ,, ,, 71819-00 प्रा० वि० में शौचालय निर्माण

19- 293202-00 ईंट का भुगतान

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20- ,, | ,, | 109428-00 | नाली निर्माण हेतु भुगतान |
| 21- ,, | ,, | 170734-00 | ईंट का भुगतान |
| 22- ,, | ,, | 59314-00 | नाली निर्माण हेतु |
| 23- ,, | ,, | 78950-00 | नाली मरम्मत हेतु भुगतान |
| 24- ,, | ,, | 115781-00 | पक्की नाली निर्माण हेतु भुगतान |
| 25- ,, | ,, | 178815-00 | ईंट का भुगतान |
| 26- ,, | 25-06-19 | 25200-00 | हैंड पम्प मरम्मत |

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया -उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंद 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)- उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा" उक्त प्रावधान के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 34300-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती साविका से रुपए 17150-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से रुपए 17150-00 किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-92**

ग्राम पंचायत - सौंगर के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 2209420-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां पायी गयी -**

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 2209420-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती साविका से रुपए 1104710-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से रुपए 1104710-00 किया जाना अपेक्षित है।

**(62)**

**ग्राम पंचायत -** सरायख्वाजा **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-93**

ग्राम पंचायत - सरायख्वाजा विकास खण्ड -**शाहगंज** वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि:राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 167498-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है।

| क्र०सं० | योजना का नाम | दिनांक | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| चतुर्थ राज्यवित्त | | | | |
| 1- | | 11-07-19 | 24500-00 | हैंड पम्प मरम्मत कार्य |
| 2- | ,, | 12-01-20 | 35000-00 | मानदेय |
| 3- | ,, | 17-03-20 | 5998-00 | पेपर गज़ट का भुगतान |
| 4- | ,, | 17-07-19 | 17500-00 | हैंड पम्प मरम्मत |
| 5- | ,, | 25-02-20 | 60000-00 | डस्टबिन का भुगतान |
| 6- | ,, | 29-07-19 | 24500-00 | मानदेय |
| 14वाँ वित्त आयोग | | | | |
| 7- | | 11-12-19 | 175000-00 | बिल्डिंग मटेरियल का भुगतान |
| 8- | ,, | ,, | 191914-00 | ,, ,, |
| 9- | ,, | ,, | 60500-00 | हैंड पम्प रिबोर |
| 10- | ,, | 12-02-20 | 15600-00 | हैंड पम्प मरम्मत कार्य |
| 11- | ,, | 14-11-19 | 39309-00 | गंगादीन के घर से मिठाई के घरतक नाली निर्माण |
| 12- | | | | |
| 13- | ,, | ,, | 42109-00 | ,, ,, |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 14- | ,, | 16-01-20 | 73710-00 | ईंट का भुगतान |
| 15- | ,, | 17-07-19 | 115500-00 | ,, ,, |
| 16- | ,, | ,, | 64500-00 | हैंड पम्प रिबोर |
| 17- | ,, | 18-03-20 | 14500-00 | हैंड पम्प मरम्मत |
| 18- | ,, | ,, | 70500-00 | अकबाली शाह को भुगतान |
| 19- | ,, | 19-02-20 | 147582-00 | प्रा० वि० में शौचालय निर्माण |
| 20- | | 20-12-19 | 117500-00 | स्ट्रीट लाइट हेतु अकबालीशाह को भुगतान |
| 21- | ,, | 21-11-19 | 55000-00 | हैंड पम्प मरम्मत |
| 22- | ,, | 22-07-19 | 117500-00 | सोलर लाइट का भुगतान |
| 23- | ,, | ,, | 117500-00 | ईंट का भुगतान |
| 24- | ,, | 24-07-19 | 19680-00 | ह्यूम पाइप का भुगतान |
| 25- | ,, | 24-12-19 | 45000-00 | सोलर लाइट का भुगतान |
| 26- | ,, | ,, | 39500-00 | बिल्डिंग मटेरियल का भुगतान |
| 27- | ,, | 25-01-20 | 28500-00 | हैंड पम्प मरम्मत |
| 28- | ,, | 26-10-19 | 118755-00 | ईंट का भुगतान |
| 29- | ,, | 26-11-19 | 79500-00 | हैंड पम्प मरम्मत |
| 30- | ,, | 29-03-20 | 32500-00 | हैंड पम्प रिबोर |
| 31- | ,, | 29-07-19 | 15300-00 | मजदूरी का भुगतान |

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया.

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया -उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंद 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)- उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त निदेशक पंचायत,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा" उक्त प्रावधान के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 167498-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती वन्दना से रुपए 83749-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से रुपए 83749-00 किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-94**

ग्राम पंचायत - सरायख्वाजा विकास खण्ड -**शाहगंज** वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वां वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 1796959-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है।

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां पायी गयी -**

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आ0रि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 1796959-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती वन्दना से रुपए 898479-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से रुपए 898479-00 किया जाना अपेक्षित है।

**(63)**

**ग्राम पंचायत -** बरंगी **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-95**

**ग्राम पंचायत -** बरंगी विकास खण्ड -**शाहगंज** वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि:राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 158450 -00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है।

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1- | चतुर्थ राज्यवित्त | 11-01-20 | 28000-00 | मानदेय |
| 2- | ,, | 14-01-20 | 13300-00 | सफाई कर्मी किट |
| 3- | ,, | 16-03-20 | 13300-00 | ,, |
| 4- | ,, | 21-06-19 | 10500-00 | मानदेय |
| 5- | ,, | 22-07-19 | 31500-00 | हैंडपम्प मरम्मत एवं रिबोर कार्य |
| 6- | ,, | 24-01-20 | 13300-00 | सफाई कर्मी किट |

7- ,, 25-02-20 13300-00 ,, ,,

8- ,, 29-12-19 35250-00 हैंडपम्प रिबोर कार्य

14वाँ वित्त आयोग

9- 02-12-19 30483-00 पक्की सड़क से विनोद के घर तक इ० लॉकिंग

10- 71536-00 अब्दुल के घर से मस्जिद तक पक्की नाली निर्माण

11- ,, ,, 60298-00 ,, ,,

12- 59580-00 वेदप्रकाश के घर से दिलावर के घरतक नालीनिर्माण

13- ,, ,, 10683-00 प्यारेलाल के घर से पोखरी तक पक्की नाली

14- ,, 72341-00 ,, ,,

15- 168052-00शमशाद के घरसे शहनाज़ के घर तक इ० लॉकिंग

16- ,, ,, 19850-00 ,, ,,

17- 31185-00 ,, ,,

18- ,, ,, 42555-00 वेदप्रकाश के घर से दिलावर के घर तक नाली नि०

19- ,, 07-03-20 199919-0 मेन सड़क से राजन के घर तक इन्टर लॉकिंग

20- ,, 15-11-19 144627-00 पक्की सड़क से विनोद के घर तक इ० लॉकिंग

21- ,, 38703-00 ,, ,,

22- 19-12-19 426700-00 इन्टर लॉकिंग कार्य

23- ,, 210694-00 ,, ,,

24- 12-19 445356-00 सलीम के घर से मस्जिद तक इन्टर लॉकिंग

25- ,, 26-07-19 72044-00 मेन रोड से मुस्लिम बस्ती तक इन्टर लॉकिंग

26- ,, 14542-00 ,, ,,

27- ,, 41577-00 ,, ,,

28- 101850-00 ,, ,,

29- 40629-00 सलीम केघर से निसार के घर तक इ० लॉकिंग

30- ,, ,, 21968-00 ,, ,,

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया -उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंद 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)- उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 158450 -00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गयासुद्दीन से रुपए 79225 -00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से रुपए 79225-00 किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-96**

ग्राम पंचायत - बरंगी के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 2356618 -00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपतियां पायी गयी -**

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उतरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.
(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.
(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.
2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.
3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.
4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रू0 2356618 -00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री गयासुद्दीन से रुपए 1178309 -00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से रुपए 1178309 -00 किया जाना अपेक्षित है।

**(64)**

**ग्राम पंचायत - भादी जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-97**

ग्राम पंचायत- **भादी** विकास खण्ड -**शाहगंज** के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि:राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया - 200880-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है।

**व्यय का विवरण --**

| क्र० सं० | योजना का नाम | दिनांक | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1- | चतुर्थ राज्यवित्त | 18-02-1- | 100000-00 | हैंडपम्प रिबोर |
| 2- | ,, | ,, | 35000-00 | मानदेय |
| 3- | ,, | 23-01 20 | 40880-00 | हैंड पम्प मरम्मत |
| 4- | ,, | 29-06 19 | 25000-00 | ,, ,, |
| | 14वाँ वित्त आयोग | | | |
| 5- | | 01-06-19 | 57750-00 | आगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य |
| 6- | ,, | 03-05-19 | 36400-00 | प्रा० वि० में मरम्मत कार्य |
| 7- | ,, | 03-07-19 | 31090-00 | पंचायत भवन मरम्मत कार्य |
| 8- | ,, | ,, ,, | 92691-00 | रामफेर के घर से पक्की रोड तक नाली निर्माण |
| 9- | | | | |
| 10- | | ,, | 25325-00 | मगन के घर से नन्दलाल के घर तक ह्यूम पाइप |
| 11- | | 06-03-20 | 35000-00 | फॉगिंग मशीन क्रय |
| 12- | | ,, | 65600-00 | ह्यूम पाइप नाली निर्माण |
| 13- | | ,, | 196201-00 | बच्चुलाल केघर से राजपत के घर तक इ०लॉकिग |
| 14- | | ,, | 1216736-00 | राजपत के घर से पक्की रोड तक इन्टर लॉकिंग |
| 15- | | | 14400-00 | मेशन का भुगतान |
| 16- | | 09-04-19 | 24500-00 | अशोक के घर से पक्की सड़क तक खड़ंजा कार्य |
| 17- | | 09-05-19 | 31500-00 | प्रा० वि० में मरम्मत कार्य |
| 18- | | 09-07-19 | 57750-00 | पारस के घर से पक्की रोड तक खड़ंजा निर्माण |
| 19- | | 10-07-19 | 36400-00 | प्रा० वि० में मरम्मत कार्य |
| 20- | | 11-04-19 | 52960-00 | अशोक के घर से पक्की सड़क तक खड़ंजा |
| 21- | | 13-06-19 | 6880-00 | रामफेर के घर से पक्की रोड तक नाली निर्माण |
| 22- | | ,, | 13872-00 | संजय के घर से पीटर के घर तक इन्टर लॉकिंग |
| 23- | | 14-06-19 | 3564-00 | पारस के घर से पक्की रोड तक खड़ंजा कार्य |
| 24- | | ,, | 980-00 | अशोक के घर से पक्की सड़क तक खड़ंजा |
| 25- | | 16-04-19 | 57750-00 | ,, ,, |
| 26- | | 16-07-19 | 105000-00 | स्ट्रीट लाइट का भुगतान |
| 27- | | | 215000-00 | सोलर लाइट का भुगतान |
| 28- | | 17-06-19 | 147924-00 | संजय के घर से पीटर के घर तक इन्टर लॉकिंग |
| 29- | | 18-02-20 | 48825-00 | आँगन वाड़ी केंद्र का भुगतान |
| 30- | | | 25452-00 | एकल पेयजल योजना का भुगतान |
| 31- | | | 7000-00 | बोर्ड का भुगतान |
| 32- | | 18-04-19 | 24500-00 | ह्यूम पाइप का भुगतान |
| 33- | | 19-07-19 | 12087-00 | पारस के घर से पक्की रोड तक खरंजा कार्य |
| 34- | | | 40925-00 | अशोक के घर से पक्की सड़क तक खड़ंजा कार्य |
| 35- | | 20-05-19 | 26208-00 | प्रा० वि० में मरम्मत कार्य |
| 36- | | | 24 | ह्यूम पाइप लगवाई |
| 37- | | 23-01-2 | 66502-00 | ईंट का भुगतान |
| 38- | | 23-04-19 | 49200-00 | ह्यूम पाइप क्रय |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 39- | 24-02-20 | 42481-00 | नाली निर्माण |
| 40- | | 24082-00 | ,, ,, |
| 41- | | 222634-00 | इन्टर लॉकिंग कार्य |
| 42- | 30-04-19 | 36400-00 | पंचायत भवन मरम्मत कार्य |
| 43- | | 13300-00 | सफाई कर्मी किट |
| 44- | 30-06-19 | 80250-00 | आँगनवाड़ी केंद्र का निर्माण कार्य |
| 45- | | 76800-00 | सूर्या के चक से पक्की नाली तक ह्यूम पाइप |
| 46- | | 5925-00 | ललचंद के घर से नाली तक नाली निर्माण |
| 47- | | 15000-00 | पारस के घर से पक्की रोड तक खड़ंजा निर्माण |
| 48- | | 20000-00 | रामफेर के घर से पक्की रोड तक नाली निर्माण |
| 49- | | 50000-00 | ,, ,, |
| 50- | | 14129-00 | लालचंद के घर से नाली तक नाली |
| 51- | | 69313-00 | अशोक के घर से पक्की रोड तक इन्टर लॉकिंग |
| 52- | 30-07-19 | 11830-00 | मीत के घर से बृजेश के घर तक इन्टर लॉकिंग |
| 53- | | 101850-00 | |
| 54- | 31-07-19 | 13650-00 | सौरभ के घर से पिचरोड तक इन्टर लॉकिंग कार्य |

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया.

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया -उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंद 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)- उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आORि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त निदेशक पंचायत,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा।

उक्त प्रावधान के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 200880 -00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कुमारी से रुपए 100440 -00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव /श्री दीपक कुमार सिंह से रुपए - 100440-00 किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-98**

ग्राम पंचायत - भादी के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया- 2648116-00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां पायी गयी -**

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.
3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.
4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे।

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है।

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका,कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 2648116 -00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती कुमारी से रुपए 1324058-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव /श्री दीपक कुमार सिंह से रुपए - 1324058-00 किया जाना अपेक्षित है ।

**(65)**

**ग्राम पंचायत - हड़ही जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-99**

ग्राम पंचायत - **हड़ही** के विकास खण्ड **-शाहगंज** के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 928514 -00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -**

| क्र०सं० - | योजना का नाम - | दिनांक | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 14वाँ वित्त आयोग | | | | |
| 1- | | 04-01-20 | 24500-00 | मानदेय प्रधान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2- | | 04-06-19 | 138108-00 | इसरार केघर से ओमप्रकाश के चकतक इ०लॉकिंग |
| 3- | ,, | 10-02-20 | 24500-00 | मानदेय |
| 4- | ,, | 10-04-19 | 3500-00 | ,, |
| 5- | ,, | 13-03-20 | 6480-00 | दिशा सूचक बोर्ड |
| 6- | ,, | 15-02-20 | 134221-00 | इन्टर लॉकिंग |
| 7- | ,, | ,, | 227399-00 | इन्टर लॉकिंग |
| 8- | ,, | 16-04-19 | 8750-00 | कन्या प्रा० वि० में मरम्मत कार्य |
| 9- | ,, | 26-04-19 | 161532-00 | ,, ,, |
| 10- | ,, | 26-07-19 | 5250-00 | पेपर गज़ट का भुगतान |
| 11- | ,, | 30-05-19 | 52105-00 | कन्या प्रा० वि० में मरम्मत कार्य |
| 12- | ,, | ,, | 9625-00 | पिचरोड से केवटान बस्ती तक इन्टर लॉकिंग |
| 13- | ,, | ,, | 8600-00 | कन्या प्रा० वि० मे मरम्मत कार्य |
| 14- | ,, | ,, | 7000-00 | मानदेय |
| 15- | ,, | ,, | 32833-00 | पिचरोड से केवटान बस्ती तक इन्टर लॉकिंग |
| 16- | ,, | ,, | 55282-00 | इसरार केघर से ओमप्रकाश के चकतक इ०लॉ० |
| 17- | ,, | ,, | 28829-00 | पिचरोड से केवटान बस्ती तक इन्टर लॉकिंग |

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया।

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया-उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रू0 928514 -00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मांडवी से रुपए 464257 -00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द व श्री राधेश्याम से रुपए 464257 -00 किया जाना अपेक्षित है।

**(66)**

**ग्राम पंचायत -** अतरही **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-100**

ग्राम पंचायत- **अतरही** विकास खण्ड **-शाहगंज** के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि :राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 71862-00 ) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है।

**व्यय का विवरण निम्नवत है-**

क्र० संख्या - योजना का नाम दिनांक धनराशि कार्य विवरण

चतुर्थ राज्य वित्त

1- 00-23754 20-01-18 रामनारायण का हैंड पम्प रिबोर

2- ,, ,, 00-24054सोमारु यादव का हैंड पंप रिबोर

3- ,, ,, 00-24054 साहब लाल का हैंड पम्प रिबोर

14वाँ वित्त आयोग

4- 00-5250 19-08-01पेपर गज़ट

5- ,, 19-04-04 00-197996प्रा-वि -कंदरापुर के प्रांगण में ई-लॉ-

6- ,, 00-7000 20-01-07 साइन बोर्ड

7- ,, 00-204977 20-01-09पिचरोड से अभिमन्यु के घरतक ई-लॉ-

8- ,, ,, 00-21000मानदेय

9- ,, 20-03-16 00-9000 प्रशासनिक मद

10- ,, ,, ,, 00-8100

11- ,, 00-11700 ,, ,,

12- ,, 00-7000 20-03-18मानदेय

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 13- | ,, | 00-11850 | 19-04-24 | हैंड पम्प मरम्मत |
| 14- | ,, | 00-3500 | 19-06-26 | मानदेय |
| 15- | ,, | 00-204977 | 20-01-22 | इन्टर लॉकिंग |
| 16- | ,, | 00-7000 | ,, | दिशा सूचक बोर्ड |
| 17- | ,, | 00-21000 | ,, | मानदेय |
| 18- | ,, | 00-220224 | 20-02-22 | इन्टर लॉकिंग |
| 19- | ,, | 00-230955 | ,, | प्रा -वि -में टाइल्स निर्माण |
| 20- | ,, | 00-181500 | ,, | प्रा-वि-कन्दरा मे टाइल्स व शौचा० |
| 21- | ,, | 20-01-30 | 00-7500 | मिस्त्री को भुगतान |
| 22- | | 19-07-30 | 00-10500 | मानदेय |

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया.

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया -उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंद 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)- उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त नदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा

धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा" उक्त प्रावधान के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 71862-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री बासदेव से रुपए 35931-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द एवं श्री राधेश्याम से रुपए 35931-00 किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-101**

ग्राम पंचायत - अतरही के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 1371029-00 ) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां पायी गयी -**

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक

पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित्त धनराशि रू01371029-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री बासदेव से रुपए 685514-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द एवं श्री राधेश्याम से रुपए 685514-00 किया जाना अपेक्षित है।

**(67)**

**ग्राम पंचायत -** उड़ली **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-102**

ग्राम पंचायत - उड़ली विकास खण्ड -**शाहगंज** के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 805267 -00) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है।

| क्र० सं० - | योजना का नाम - | दिनांक - | धनराशि - | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 14वाँ वित्त आयोग | | | | |
| 1- | | 02-03-20 | 6480-00 | दिशा सूचक बोर्ड का भुगतान |
| 2- | ,, | 10-02-20 | 24500-00 | मानदेय प्रधान |
| | ,, | 10-06-19 | 7000-00 | ,, |
| 3- | ,, | 22-04-19 | 10500-00 | ,, |
| 4- | ,, | ,, | 17350-00 | जू० हा० स्कूल में टाइल्स लगाने का कार्य |
| 5- | ,, | ,, | 22850-00 | प्रा० वि० मनिया में कक्षाओं को जोड़ने हेतु इ० लॉकिंग |
| 6- | ,, | ,, | 22850-00 | प्रा० वि० उड़ली में कक्षाओं को जोड़ने हेतु इ० लॉकिंग |
| 7- | ,, | ,, | 22850-00 | जू० हा० स्कूल में टाइल्स लगाने का कार्य |
| 8- | ,, | ,, | 9975-00 | प्रा० वि० मनिया में टाइल्स लगाने का कार्य |
| 9- | ,, | ,, | 225558-00 | प्रा० वि० मनिया में कक्षाओं को जोड़ने हेतु इ० लॉकिंग |
| 10- | ,, | ,, | 209796-00 | जू० हा० स्कूल में टाइल्स का भुगतान |

11- ,, ,, 225558-00 प्रा० वि० उड़ली में कक्षाओं को जोड़ने हेतु इ०लॉकिंग

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया.

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया-उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 --805267-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती लाली से रुपए -- 402633-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अरविन्द /राधेश्याम से रुपए 402633 -00 किया जाना अपेक्षित है।

**(68)**

**ग्राम पंचायत -** मखमेलपुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-103**

ग्राम पंचायत- **मखमेलपुर** विकास खण्ड -**शाहगंज** के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि:राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 13300-00 ) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है।

क्र०सं० - योजना का नाम - दिनांक - धनराशि - कार्य विवरण

चतुर्थ राज्य वित्त

1- 14-01-20 13300-00 सफाई कर्मी किट

14वाँ वित्त आयोग

2- 18-03-20 125502-00 पंचायत भवन मरम्मत हेतु सामग्री क्रय

3- ,, 24-01-20 154407-00 प्रा० वि० में टाइल्स लगाने का कार्य

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया.

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया -उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंद 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)- उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित

अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 13300-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजकुमार से रुपए 6650-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामकृष्ण यादव से रुपए 6650-00 किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-104**

ग्राम पंचायत -मखमेलपुर के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 279909-00 ) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां पायी गयी -**

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आ0रि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0279909-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री राजकुमार से रुपए 139954-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामकृष्ण यादव से रुपए 139954-00 किया जाना अपेक्षित है।

**(69)**

**ग्राम पंचायत -** ताखा पूरब **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-105**

ग्राम पंचायत **ताखा पूरब** विकास खण्ड -**शाहगंज** के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया है कि राज्य वित्त /14वाँ वित्त आयोग मद से माह अप्रैल 2019 से माह अगस्त 2019 तक कुल रुपये 2037233-00 खाता संख्या 0082288 से आहरण किया गया है । परन्तु कोष बही के व्यय पक्ष में मदवार विवरण अंकित न कर उक्त धनराशि का अपहरण कर लिया गया है ।

ग्राम पंचायत के द्वारा उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, प्राप्ति व

भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 2037233 -00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री मूलचन्द से रुपए 1018616 -00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय यादव से रुपए 1018616 -00 किया जाना अपेक्षित है।

**(70)**

**ग्राम पंचायत -** मेहरावाँ **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-106**

ग्राम पंचायत- मेहरावाँ विकास खण्ड -**शाहगंज** के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि:राज्य वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 101769-00 ) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार माँग के बावजूद प्रस्तुत नहीं किए गए है।

| क्र०सं० | योजना का नाम | दिनांक | धनराशि | कार्य विवरण |
|---|---|---|---|---|
| | चतुर्थ राज्यवित्त | | | |
| 1- | | 03-03-20 | 27664-00 | ईंट का भुगतान |
| 2- | ,, | ,, | 29805-00 | सामग्री का भुगतान |
| 3- | ,, | 14-01-20 | 13300-00 | सफाई कर्मी किट |
| 4- | ,, | 21-01-20 | 21000-00 | मानदेय प्रधान |
| | 14वाँ वित्त आयोग | | | |
| 5- | | 14-12-19 | 9944-00 | बि० मैटेरियल का भुगतान |
| 6- | ,, | ,, | 10059-00 | ईंट का भुगतान |
| 7- | ,, | ,, | 27300-00 | ईंट का भुगतान |
| 8- | ,, | 15-11-19 | 8951-00 | प्रा० वि० में शौचालय मरम्मत कार्य |
| 9- | ,, | ,, | 50164-00 | ,, ,, |
| 10- | ,, | ,, | 235000-00 | 10 अदद सोलर लाइट का भुगतान |

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां प्रकाश मे लायी जाती है -**

1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक लगातार जिला लेखा परीक्षा अधिकारी के अनुमोदित कार्यक्रम और मौखिक तथा टेलीफोनिक वार्ता तथा लिखित रूप से बार-बार ग्राम पंचायत के सचिव / प्रधान से अभिलेख प्रस्तुत करने की मांग के बावजूद लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वर्तमान सक्षम अधिकारियों के द्वारा कोई भी वास्तविक और ठोस कदम नहीं उठाया गया गया.

सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को इस सम्बन्ध में कई पत्र के माध्यम से (कॉपी संलग्न) ऑडिट के यथास्थिति और प्रगति की सूचना दी गयी लेकिन आप के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया -उल्लेखनीय है कि

(अ)- शासनादेश संख्या- ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दल को संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.

(ब)- शासनादेश संख्या-1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंद 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.

(स)- उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है.

अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.

(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.

2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.

3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.

4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि0/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरुद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित / व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नही है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा" उक्त प्रावधान के आलोक मे ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रु0 101769-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री इंद्रराज से रुपए 50885-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामकृष्ण यादव से रुपए 50885-00 किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-107**

ग्राम पंचायत - मेहरावाँ के वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा प्रियासॉफ्ट पर अंकित व्यय धनराशि 14 वित्त आयोग से प्राप्त (रुपया 341418-00 ) के आधार पर संपन्न की गई है. वास्तव में ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी अभिलेख और प्रमाणक व्यय की गयी धनराशि सापेक्ष उपलब्ध ही नहीं है या बार बार मांग के प्रस्तुत नहीं किये गए है

**उक्त व्यय की गई धनराशि के संदर्भ मे निम्नलिखित ऑडिट आपत्तियां पायी गयी -**

(अ)- शासनादेश संख्या - ऑडिट-2953/2009-101(64)/2007 दिनांक 7अक्टूबर 2009 के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओ द्वारा किये जा रहे लेखो की ऑडिट हेतु ग्राम पंचायत के सन्दर्भ में लेखा परीक्षा दलको संगत अभिलेख उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को नोडल अधिकारी नामित कर व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी बनाया गया है.
(ब)- शासनादेश संख्या -1838/33-3-2015-03/2015 दिनांक 31 जुलाई 2015 के माध्यम से विभिन्न सोत्रों के माध्यम से उपलब्ध होने वाली धनराशि के उपभोग के सन्दर्भ में बिंदु 4घ में स्पष्ट निर्देश है कि प्रत्येक कार्ययोजना की एक प्रति सहायक विकास अधिकारी पंचायत के कार्यालय में रखी जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी इनकी ही होगी, लेकिन अपने कार्यालय से इसे उपलब्ध नहीं कराया गया.
(स)-उ०प्र०पं०रा०नि० 1947 के नियम 199 के अन्तर्गत आम रोकड़बही (रूप पत्र संख्या-6) का तीन माह में एक बार नियत प्राधिकारी एडीओ(पं) के द्वारा निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित किया गया है परंतु ऐसा न कर अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है. अगर किया गया होता तो कार्ययोजना के अनुसार उपभोग धनराशि के सम्बन्ध में संगत अभिलेख बनाये गए होते लेकिन अभिलेख प्रस्तुत न होने से वस्तुस्थिति इसके विपरीत प्रतीत होती है.
(द) कार्ययोजना में शामिल कराये जाने वाले प्रत्येक कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना निर्धारित प्रारूप पर कार्य पूर्ण हो जाने की सम्पादित तिथि सहित विस्तृत प्राक्कलन सहायक विकास अधिकारी पंचायत को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश है, कार्य पूर्ण हो जाने के बाद सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा निर्गत उपभोग प्रमाण पत्र और कृत कार्य की प्रगति की सूची आप के माध्यम से जिला पंचायत राज अधिकारी को भेजी जाती है लेकिन इसको भी ऑडिट हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया.
2- खंड विकास अधिकारी जो की विकासखंड के ग्राम पंचायत के भौतिक और वित्तीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करते है को भी इस सम्बन्ध में ऑडिट की प्रगति और सहयोग न किये जाने की सूचना दी गयी और प्रत्येक मीटिंग में मौखिक रूप से अवगत कराया गया. लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए. उल्लेखनीय है कि आयुक्त ग्राम विकास के द्वारा समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रेषित पत्रांक 269/संप्रेक्षा /आOरि0/08-09 दिनांक 15 जनवरी 2009 के माध्यम से समस्त खंड विकास अधिकारी सहित सम्बंधित अधिकारियों को समस्त योजनाओं से सम्बंधित संगत अभिलेख मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें को संप्रेक्षा कार्य संपन्न कराये जाने हेतु उपलब्ध कराये जाने के कड़े निर्देश दिए गए है.
3- पंचायत राज समिति के निर्देश के क्रम में निदेशक पंचायतराज के द्वारा समस्त जिलाधिकारी को प्रेषित पत्रांक संख्या 1/शा0/140/2016-1/272/2018 लखनऊ दिनांक 5 मई 2017 में जिसे समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त मंडलीय उप निदेशक पंचायत, समस्त मुख्य विकास अधिकारी को प्रतिलिपि किया गया है, में मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के समक्ष समस्त अभिलेख के साथ उपस्थित होकर ऑडिट न कराये जाने वाले समस्त अधीनस्थों के वेतन रोकने के स्पष्ट आदेश दिए गए है.
4- वित्त ऑडिट प्रकोष्ठ (सिविल / रेवन्यू) के पत्रांक वि0आ0प्र0(सि०/रे) दस-10(45)/12 दिनांक 4 मई 2012 में मुख्य सचिव के द्वारा प्रेषित अपने पत्र के बिंदु 3 के अनुसर लेखा परीक्षा दल के किये गए अनुरोध को यथासंभव पूरे तौर पर शीघ्रता से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए उक्त का अनुपालन न किए जाने की दशा में विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष जिम्मेदार माने जायेंगे. और अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर गंभीरता से लिए जायेंगे.

उपर्युक्त आदेश / निर्देश के बाद भी किसी भी सक्षम अधिकारी के द्वारा वर्तमान सचिव ग्राम पंचायत के विरूद्ध अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने पर कोई कार्यवाही नही की गयी। इसका तात्पर्य यह है कि ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान द्वारा धनराशि का वित्तीय नियमों और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग और चौदहवे वित्त आयोग गाइडलाइन के पालन किये बिना आहरण कर अपहरण किया गया है.

ग्राम पंचायत के द्वारा प्रियासॉफ्ट पर उक्त अंकित /व्यय धनराशि के सम्बन्ध में कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्क आई0डी0, एम0बी0, कैशबुक, पासबुक, बिल / वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों जैसे- नियोजन समिति व निर्माण समिति की संस्तुति, प्रियासॉफ्ट के 8 प्रपत्र - प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैंक समाधान विवरण, प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टॉक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख नहीं है। किसी भी कार्य का त्रिस्तरीय फोटोग्राफ नहीं है जिससे दर्शित किये गये व्यय की पुष्टि न की जा सकी। सम्भव है कि बैंक खाते से धनराशि का आहरण नकद किया गया हो या जिस व्यक्ति को भुगतान किया जाना रहा हो उसको न करके किसी अन्य को किया गया हो।

अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण, अनियमितता व दुरूपयोग के प्रकरणों की और अभिलेखों के सत्यता की जांच न की जा सकी। पंचायतीराज विभाग उ0प्र0 द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाए गये व्यय के संबंध में कोई वाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत से की जायेगी और वसूली के साथ साथ जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 09 के अन्तर्गत गबन का मुकदमा भी चलाया जा सकेगा"

उक्त प्रावधान के आलोक में ग्राम पंचायत द्वारा व्यय दर्शित धनराशि रू0 341418-00 गबन की श्रेणी में आती है। जिसकी वसूली अद्यतन ब्याज सहित आधी-आधी धनराशि तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्री इंद्रराज से रुपए 170709-00 व तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री रामकृष्ण यादव से रुपए 170709-00 किया जाना अपेक्षित है।

**(71)**

**ग्राम पंचायत - नवापुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-108**

**1-** ग्राम पंचायत नवापुर विकास खण्ड-रामनगर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में में निधि-खाता संख्या -4078 से दिनांक 31.07.2019 को रू0 45000.00 का भुगतान ''के0के0 इण्टरप्राइजेज''के नाम से 12 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय कोषवही में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तिया पायी गयी हैः-

1- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।
2- जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
3- हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं कार्यवाही पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी, जिससे उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित होने की पुष्टि नही की जा सकी।
4- स्टाक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे प्रयुक्त पार्ट्स, अप्रयुक्त तथा निष्प्रयोज्य पार्ट्स की पुष्टि नही की जा सकी।
5- हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा मरम्मत हेतु मांग पत्र और तकनीकी रिपोर्ट अप्रस्तुत रही।
6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत रहा, जो कि उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन दर्शाता है। इससे उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि नही होती है।
7- हैण्डपम्प मरम्मत के पश्चात लाभार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
8- कार्ययोजना, स्टीमेट और एम0बी0 भी प्रस्तुत नही किया गया।
9- उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाण पत्र यथा- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
10- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1134/38-5-11-56एम/2010 दिनांक 29.06.2021 के बिन्दू (1) एंव (3) के अनुसार नये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि रू0 45000.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री सन्त प्रसाद एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्रीमती विष्णुप्रिया सिंह से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(72)**

**ग्राम पंचायत** - सादुल्लापुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-109**

ग्राम पंचायत- सादुल्लापुर विकास खण्ड -रामनगर की लेखा परीक्षा में वर्ष 2019-20 में निधि -1 खाता संख्या -4088 से दिनांक 11.04.2019 को रू0 11646.00 का भुगतान ''किसान मशीनरी स्टोर के नाम से 04 नग हैण्डपम्प मरम्मत हेतु व्यय कोषवही में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तिया पायी गयी हैः-

1- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।
2- जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
3- हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं कार्यवाही पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी, जिससे उक्त चारों हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित होने की पुष्टि नही की जा सकी।

4- स्टाक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे प्रयुक्त पार्ट्स, अप्रयुक्त तथा निष्प्रयोज्य पार्ट्स की पुष्टि नही की जा सकी।
5- हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा मरम्मत हेतु मॉग पत्र और तकनीकी रिपोर्ट अप्रस्तुत रही।
6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत रहा, जो कि उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली1947 के नियम 209 का उल्लंघन दर्शाता है। इससे उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि नही होती है।
7- हैण्डपम्प मरम्मत के पश्चात लाभार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
8- कार्ययोजना, स्टीमेट और एम0बी0 भी प्रस्तुत नही किया गया।
9- उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाण पत्र यथा-त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,टेण्डर /कोटेशन पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
10- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1134/38-5-11-56एम/2010 दिनांक 29.06.2021 के बिन्दू (1) एंव (3) के अनुसार नये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि रू0 11646.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्री सुधीर एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्रीमती विष्णुप्रिया सिंह से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(73)**

**ग्राम पंचायत - छत्तीसाकला जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-110**

ग्राम पंचायत-छत्तीसाकला, विकास खण्ड -रामनगर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में में निधि -1 खाता संख्या -4092 से दिनांक 16.01.2020 को रू0 33836.00 साहब लाल के घर के पास इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर व्यय, और रू0 33391.00 बिन्द बस्ती में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर व्यय कोषवही में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी हैं -

1- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।
2- जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
3- हैण्डपम्प-रिबोर से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं कार्यवाही पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी, जिससे उक्त दोनों हैण्डपम्प रिबोर कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित होने की पुष्टि नही की जा सकी।
4- स्टाक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे प्रयुक्त पार्ट्स, अप्रयुक्त तथा निष्प्रयोज्य पार्ट्स की पुष्टि नही की जा सकी।
5- हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा रिबोर हेतु मांग पत्र और तकनीकी रिपोर्ट अप्रस्तुत रही।
6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत रहा,जो कि उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन दर्शाता है। इससे उपरोक्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि नही होती है।
7- हैण्डपम्प-रिबोर के पश्चात लाभार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
8- कार्ययोजना, स्टीमेट और एम0बी0 भी प्रस्तुत नही किया गया।
9- उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाण पत्र यथा- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,टेण्डर/कोटेशन पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
10- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1134/38-5-11-56एम/2010 दिनांक 29.06.2021 के बिन्दू (1) एंव (3) के अनुसार नये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 67227.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्रीमती निर्जला देवी एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री अरबिन्द सिंह से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(74)**

**ग्राम पंचायत -** शेषपुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-111**

ग्राम पंचायत-शेषपुर, विकास खण्ड -रामनगर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि -1 खाता संख्या -3390 से दिनांक 22.07.2019 को रू0 46000.00 का आहरण कर कैशबुक में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर व्यय दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तिया पायी गयी हैः-

1- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिससे व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।
2- जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
3- हैण्डपम्प मरम्मत से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं कार्यवाही पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी, जिससे उक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित होने की पुष्टि नही की जा सकी।
4- स्टाक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे प्रयुक्त पार्ट्स, अप्रयुक्त तथा निष्प्रयोज्य पार्ट्स की पुष्टि नही की जा सकी।
5- हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा मरम्मत हेतु मांग पत्र और तकनीकी रिपोर्ट अप्रस्तुत रही।
6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत रहा,जो कि उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली1947 के नियम 209 का उल्लंघन दर्शाता है। इससे उपरोक्त हैण्डपम्प मरम्मत कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि नही होती है।
7- हैण्डपम्प मरम्मत के पश्चात लाभार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
8- कार्ययोजना, स्टीमेट और एम0बी0 भी प्रस्तुत नही किया गया।
9- उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाण पत्र यथा- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, टेण्डर /कोटेशन पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
10- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1134/38-5-11-56एम/2010 दिनांक 29.06.2021 के बिन्दू (1) एंव (3) के अनुसार नये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाए कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि रू0 46000.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान सुश्री साईका रसीद एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री अरूण कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(75)**

**ग्राम पंचायत -** छंगापुर नं0-1 **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-112**

ग्राम पंचायत-छंगापुर नं0-1, विकासखण्ड -रामनगर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि -1 खाता संख्या -9919 से दिनांक 30.03.2020 को रू0 16940.00 ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय कैशबुक में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय से सम्बन्धित निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी हैः-

1- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष ह्यूम पाइप क्रय का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
2- प्रस्ताव एवं कार्यवाही रजिस्टर अप्रस्तुत रहा।
3- ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान का विवरण भी कैशबुक में अंकित नही किया गया है। कैशबुक में सिर्फ ह्यूम पाइप शब्द लिखा गया है।
4- निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गयी।

5- लेखा परीक्षा में स्टाक रजिस्टर अप्राप्त रहा, जिससे खरीदे गये ह्यूमपाइप, प्रयुक्त एवं अवशेष तथा अप्रयुक्त ह्यूम पाइप की पुष्टि नही की जा सकी।
6- लेखा परीक्षा के समय एम0बी0, स्टीमेट, कार्ययोजना, कोटेशन पत्रावली, सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर, उपभोग प्रमाण पत्र और परिसम्पत्ति रजिस्टर नही प्रस्तुत किये गये।
7- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
8- ह्यूम पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषवही में दर्शित नही है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
9- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जो कि उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन है। इससे उक्त दर्शित कार्य की पुष्टि नही होती है।
10- ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं उसकी संख्या का अंकन कोषवही में नही किया गया
11- ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों /किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
12- ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट, गिट्टी, सीमेंट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से उक्त कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है। परन्तु कैशबुक में उपरोक्त के विषय में कोई विवरण अंकित नही किया गया है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु दर्शित उक्त भुगतान ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 16940.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्रीमती मन्जू देवी एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री अरूण कुमार यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(76)**

**ग्राम पंचायत** -उसरांव **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-113**

ग्राम पंचायत-उसरांव, विकास खण्ड -रामनगर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निधि-1 खाता संख्या -4076 दिनांक 22.01.2020 को रू0 46096.00 का भुगतान ''फर्म अजय कुमार, अनिल कुमार आयरन स्टोर'को 4 नग हैण्डपम्प रिबोर हेतु 11524.00 रू0 प्रति नग की दर से कोषवही में दर्शित है। लेखा परीक्षा में उक्त दर्शित व्यय के सम्बन्ध में निम्नलिखित आपत्तियां पायी गयी हैः-

1- उक्त दर्शित व्यय के सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे, जिसमें व्यय की पुष्टि नही की जा सकी।
2- जल प्रबन्धन समिति द्वारा संस्तुति प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।
3- हैण्डपम्प-रिबोर से सम्बन्धित प्रस्ताव एवं कार्यवाही पुस्तिका प्रस्तुत नही की गयी, जिससे उक्त चारों हैण्डपम्प रिबोर कार्य के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित होने की पुष्टि नही की जा सकी।
4- स्टाक रजिस्टर, लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा, जिससे प्रयुक्त पार्ट्स, अप्रयुक्त तथा निष्प्रयोज्य पार्ट्स की पुष्टि नही की जा सकी।
5- हैण्डपम्प खराबी से सम्बन्धित शिकायत पत्र तथा रिबोर हेतु मांग पत्र और तकनीकी रिपोर्ट अप्रस्तुत रही।
6- कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में नही प्रस्तुत रहा,जो कि उ0प्र0 पंचायत राज नियमावली 1947 के नियम 209 का उल्लंघन दर्शाता है। इससे उपरोक्त हैण्डपम्प रिबोर कार्य के पूर्ण होने की पुष्टि नही होती है।
7- हैण्डपम्प-रिबोर के पश्चात लाभार्थियों के द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
8- कार्ययोजना, स्टीमेट और एम0बी0 भी प्रस्तुत नही किया गया।
9- उक्त भुगतान दर्शित धनराशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाण पत्र यथा- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ,टेण्डर /कोटेशन पत्रावली भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
10- ग्राम्य विकास विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-1134/38-5-11-56एम/2010 दिनांक 29.06.2021 के बिन्दू (1) एंव (3) के अनुसार नये इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प और एकल ग्राम पाईप पेयजल योजनाएं कार्यकारी संस्था द्वारा अधिष्ठापित किये जाने के बाद रख-रखाव हेतु ग्राम पंचायत को हस्तान्तरित किया जायेगा। ग्राम सभा की खुली बैठक में अनुमोदनोंपरान्त परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। किन्तु लेखा परीक्षा में परिसम्पत्ति रजिस्टर प्रस्तुत न किये जाने के कारण इसकी पुष्टि नही की जा सकी।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्धन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7, खण्ड-8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली-1947 के नियम-204 एवं 205 के विपरीत तथा नियम-256 एवं अधिनियम की धारा-27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 46096.00 की वसूली तत्कालीन कार्यरत ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी एवं ग्रा0वि0/पं0 अधिकारी श्री अरबिन्द सिंह से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(77)**

**ग्राम पंचायत** -कुशहां **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-114**

ग्राम पंचायत- कुशहां, विकास खण्ड -बदलापुर की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा कैशबुक मे ह्यूम पाइप क्रय पर व्यय/भुगतान निम्नानुसार दर्शित हैं।

| दिनांक | -वाउचर संख्या | धनराशि | विवरणविवरण |
|---|---|---|---|
| 31.03.2020 | अंकित नही | 74550.00 | ग्राम पंचायत में विभिन्न् स्थानों पर जल निकासी हेतु 20 नग ह्यूम पाइप 3727.5x20 का भुगतान न्यू प्रकाश ट्रेडर्स को। |

1. ह्यूम पाइप क्रय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा है।
2. ह्यूम पाइप का प्रयोग किन-किन स्थानों पर किया गया, अंकन नही किया गया है।
3. ह्यूम पाइप को स्थापित करने पर मजदूरी भुगतान भी नही किया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्ति से स्पष्ट हैं कि ह्यूम पाइप क्रय काल्पनिक रूप से दर्शित कर तथा न्यू प्रकाश ट्रेडर्स नामक फर्म से दुरभि संधि करके रूपया-74550.00 का अपहरण किया गया हैं। अपहरित धनराशि के लिए उत्तरदायी प्रधान श्री चंचल सिंह एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवनीश कुमार से तातारीख ब्याज सहित बराबर-बराबर वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(78)**

**ग्राम पंचायत - अहमदपुर गरियाँव जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-115**

ग्राम पंचायत अहमदपुर गरियाँव विकास खंड-मुंगराबादशपुर वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आयें हैं । जिसके सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है ।

ग्राम पंचायत अहमदपुर गरियाँव वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा दिनाँक 25-04-2019 को गेट निर्माण पे 17100 रु0,दिनाँक 04-05-2019 को खड़न्जा मरम्मत पर 1000रु0 एवं दिनाँक 13-06-2019 को खड़न्जा निर्माण पर 3000रु0 कुल व्यय 57100रु0 किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक,मस्टररोल,मापपुस्तिका,स्टाक रजिस्टर एवं मांग पत्र आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । जो पंचायत राज अधिनियम के नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्रीमती लालती एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुनील कुमार से बराबर-बराबर की जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

**(79)**

**ग्राम पंचायत - छनेहता जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-116**

ग्राम पंचायत छनेहता विकास खंड-मुंगराबादशपुर वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आयें हैं। जिसके सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत छनेहता वर्ष 2019-20 में कुल 1328585 रु0 अनुदान प्राप्त हुआ वित्तीय वर्ष में अनुदान का उपभोग शून्य रहा। ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष में कोई विकास कार्य नहीं किया गया। जबकि सामान्य वित्तीय नियम 2005 के नियम 212 (5) के अनुसार स्थानीय निकायों द्वारा राज्य सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र किया जाना अनिवार्य है। तभी उनको केन्द्रीय अनुदान राज्य सरकार के माध्यम से प्राप्त हो। जिसके लिए ग्राम प्रधान श्री विनोद एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह उत्तरदायी है । जिसके सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

**(80)**

**ग्राम पंचायत - बाभनपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-117**

ग्राम पंचायत बाभनपुर विकास खंड-मुंगराबादशपुर वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आयें हैं । जिसके सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है ।

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत बाभनपुर में ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान द्वारा डोंगेल क्रय पर 7204 रु0 का भुगतान किया गया है । जिसकी पुष्टि हेतु व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । यह पंचायत राज अधिनयम के नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है । जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री कलाकान्त एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री योगेन्द्र सिंह से बराबर-बराबर किया जाना आपेक्षित है।

**(81)**

**ग्राम पंचायत - भसोट जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-118**

ग्राम पंचायत भसोट विकास खंड-मुंगराबादशपुर वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश मे आयें है । जिसके सम्बंध में आवश्क कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भसोट वर्ष 2019-20 में दो नग हैण्डपम्प के रिबोर पर दिनाँक 11-06-2019 को सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान रु0 57000 शंकर इण्टरप्राइजेज को किया गया है। जिसकी पुष्टि में व्यय प्रकरण,मस्टररोल,मापपुस्तिका, स्टाक रजिस्टर एवं मांग पत्र आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जो पंचायत राज अधिनियम के नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है । अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेन्द्र नाथ से बराबर-बराबर की जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है ।

**(82)**

**ग्राम पंचायत** - सेमरिया **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-119**

ग्राम पंचायत सेमरिया विकास खंड-मुंगराबादशपुर वर्ष- 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न की लेखा परीक्षा में निम्न गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आयें है। जिसके सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही की जानी आपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भसोट वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत अधिकारी एंव ग्राम पंचायत द्वरा दिनाँक 17-12-2019 को पाँच नग हैण्डपम्प रिबोर पर मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान 142500रु0 एम0 एस0 पवन इण्टरप्राइजेज को दिया गया है । जिसकी पुष्टि में व्यय प्रमाणक, मस्टररोल, मापपुस्तिका,स्टाक रजिस्टर एवं मांग पत्र आदि जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया । जो पंचायत राज अधिनियम के नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है। अतः उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी । जिसकी वसूली तातारीख ब्याज सहित ग्राम प्रधान श्री राधेकांत एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उदयराज भारती से बराबर-बराबर की जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही आपेक्षित है।

**(83)**

**ग्राम पंचायत - मुगौना जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-120**

ग्राम पंचायत **मुगौना** विकासखण्ड **रामपुर** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार **खरंजा मरम्मत** पर कुल रु **484927=00** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है.

| क्र.सं. | दिनांक | मद | फर्म का नाम/नाम | धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-04-19 | 14 वां वित्त | सरैया पक्की सड़क से रामधनी के घर तक खरंजा निर्माण | 97972=00 |
| 2 | 11-04-19 | 14 वां वित्त | सरैया बन से मुगौना यादव पाही बस्ती तक खरंजा मरम्मत | 189000=00 |
| 3 | 11-04-19 | 14 वां वित्त | मुगौना खरंजा से मुलायम यादव के घर तक खरंजा निर्माण | 99480=00 |
| 4 | 11-04-19 | 14 वां वित्त | मुगौना पक्की सड़क से कैलाश यादव के घर तक खरंजा निर्माण | 98475=00 |
| | योग | | | 484927=00 |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर ,मस्टर रोल अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) स्टीमेट एवं एम0बी0

(4) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र

(5) निर्माण समिति की अनुशंशा रिपोर्ट

(6) स्टॉक रजि0 एवं क्रय आदेश

(7) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(8) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(9) अचल संपत्ति रजिस्टर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्य का रजिस्टर आदि अप्रस्तुत रहे

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे सड़क मरम्मत के पश्चात ख़राब ईट का उपयोग कहाँ किया गया अज्ञात रहा |

(घ) सड़क मरम्मत कार्य का स्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया हैं

प्रमाणक विहीन भुगतान के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के खण्ड 8 क के दृष्टिगत स्पष्ट हैं कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से व्यय दर्शाकर कुल रु. 484927=00 का अपहरण किया गया हैं | जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री सुशांत कुमार शुक्ला एवं तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री नागेन्द्र से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित हैं |

**(84)**

**ग्राम पंचायत - अडियार जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-121**

ग्राम पंचायत अडियार विकासखण्ड रामपुर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत** पर कुल रु **38474** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **चेक सं0** | **धनराशि** | **कार्य का नाम** | **मद** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-04-19 | 014250 | 38474 | **हैण्डपम्प मरम्मत** | चतुर्थ राज्य वित |
| | योग | | | | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना

(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट

(4) स्टीमेट एवं एम0बी0

(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र

(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट

(7) स्टॉक रजि0

(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ

(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली

(10) मस्टर रोल अप्राप्त रहा

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि Rs. 38474 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-122**

ग्राम पंचायत अडियार विकासखण्ड रामपुर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार हैन्ड पम्प रिबोर कार्य पर कुल रु0 450000=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | चेक सं0 | धनराशि | कार्य का नाम | मद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-07-19 | अज्ञात | 450000=00 | **विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प रिबोर** | 14 वां वित्त |
| | योग | | 450000=00 | | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डपम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) पंचायती राज विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक-19.06.2017 द्वारा जारी हैण्डपम्प रिबोर की गाईड लाइन के अनुसार हैण्ड पम्प रिबोर के सन्दर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची मार्गदर्शिका तथा तकनीकी अनुश्रवण रिपोर्ट लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि रु0 450000=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(85)**

**ग्राम पंचायत - हरिहरपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-123**

ग्राम पंचायत **हरिहरपुर** विकासखण्ड **रामपुर** जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार **हैण्डपम्प मरम्मत** पर कुल रु **89095=00** का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| क्र.सं. | दिनांक | चेक सं0 | धनराशि | कार्य का नाम | मद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **17-06-19** | 01680 | **52150=00** | **हैण्डपम्प मरम्मत** | 14 वां वित्त |
| 2 | **25-12-19** | पी0एम0एफ0एस 0 | **24500=00** | | |
| 3 | **29-01-20** | पी0एम0एफ0एस 0 | **12445=00** | **हैण्डपम्प मरम्मत** | 14 वां वित्त |
| | योग | | **89095=00** | | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। अतः उक्त धनराशि Rs. 89095=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जीरा देवी एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह से संयुक्त रूप से तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-124**

ग्राम पंचायत हरिहरपुर विकासखण्ड रामपुर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 167396=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है

| **क्र.सं.** | **दिनांक** | **चेक सं0** | **धनराशि** | **कार्य का नाम** | **मद** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17-01-19 | पी0एम0एफ0एस0 | 167396=00 | **हैण्डपम्प रिबोर** | 14 वां वित्त |
| | योग | | 167396=00 | | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। . अतः उक्त धनराशि रु0 167396=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती जीरा देवी एवं ग्राम विकास/पंचायत अधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह से संयुक्त रूप से तारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(86)**

**ग्राम पंचायत - मुरकटिया जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-125**

ग्राम पंचायत मुरकटिया विकासखण्ड रामपुर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार रिबोर कार्य पर कुल रु0 393740=00 का भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र.सं. | दिनांक | चेक सं0 | धनराशि | कार्य का नाम | मद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-04-19 | 004888 | 181901=00 | **हैण्डपम्प रिबोर** | 14 वां वित्त |
| 2 | 03-07-19 | 04889 | 211839=00 | **हैण्डपम्प रिबोर** | 14 वां वित्त |
| | | योग | 393740=00 | | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि के सापेक्ष निम्नलिखित ले0प0 आपत्तियाँ पायी गयी हैं-

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(4) स्टीमेट एवं एम0बी0
(5) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र
(6) हैण्डमम्प खराबी से संबंधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मांग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट
(7) स्टॉक रजि0
(8) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ
(9) टेण्डर/कोटेशन पत्रावली
(10) लेखा परीक्षा में मस्टररोल अप्राप्त रहा ।

(ग) डेड स्टॉक रजि0 ले0प0 में अप्रस्तुत रहा जिससे रिबोर के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात् प्राप्त आय की पुष्टि नहीं की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प रिबोर कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नहीं किया गया है।

(ङ) हैण्डपम्प रिबोर पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प रिबोर होने का प्रमाणक ले0प0 में अप्राप्त रहा।

(च) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा०प० के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायतीराज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है। जो अधिभार योग्य है

अतः उक्त धनराशि रु0 393740=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश एवं ग्राम पंचायत /विक्स अधिकारी श्री जय प्रकाश यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**प्रस्तर-126**

ग्राम पंचायत मुरकटिया विकास- खण्ड रामपुर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रू0 258200=00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र.सं. | दिनांक | चेक सं0 | धनराशि | कार्य का नाम | मद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-07-19 | 004891 | 66000=00 | ह्यूम पाइप क्रय | 14 वां वित्त |
| 2 | 23-01-20 | पी0एफ0एम0एस0 | 192200=00 | ह्यूम पाइप क्रय | 14 वां वित्त |
| | | योग | 258200=00 | | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि 258200=00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर
(2) कार्ययोजना
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर
(10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ आदि लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है

(घ) ह्यून पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।

(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।

(छ) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा0प0 के वित्त एवं लेखा प्रबनध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि रू0 258200=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजेश एवं ग्राम पंचायत /विक्स अधिकारी श्री जय प्रकाश यादव से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(87)**

**ग्राम पंचायत - कमरुद्दीनपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-127**

ग्राम पंचायत कमरुद्दीनपुर विकास- खण्ड रामपुर जनपद-जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार वर्ष के दौरान ह्यूम पाइप क्रय पर कुल रू0 92000=00 भुगतान/व्यय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है-

| क्र.सं. | दिनांक | चेक सं0 | धनराशि | कार्य का नाम | मद |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-11-19 | पी0एफ0एम0एस0 | 92000=00 | - | 14 वां वित्त |
| | | योग | 92000=00 | | |

कोषबही में दर्शित उक्त भुगतानित राशि में निम्नलिखित आपत्तियाँ पाई गई हैं-

(क) उक्त व्यय के सापेक्ष बिल/वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा-

(1) कार्यवाही रजिस्टर

(2) कार्ययोजना
(3) स्टॉक रजिस्टर
(4) कोटेशन पत्रावली
(5) स्टीमेट एवं एम0बी0
(6) कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र
(7) उपभोग प्रमाण-पत्र
(8) निर्माण कार्य समिति की संस्तुति रिपोर्ट
(9) निर्माण कार्य रजिस्टर
(10) त्रिस्तरीय फोटो ग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
(11) मस्टर रोल लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहे।

(ग) ह्यूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषबही में नहीं किया गया है
(घ) ह्यून पाइप लगवाने से सम्बन्धित मजदूरी का भुगतान कोषबही में दर्शित नहीं है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
(ङ) ह्यूम पाइप लगवाने का उद्देश्य एवं स्थान भी कोषबही में दर्शित नहीं किया गया।
(च) ह्यूम पाइप लगवाने के पश्चात् अगल-बगल निवासरत ग्रामीणों/किसानों से ह्यूम पाइप लगवाने या पुष्टि का प्रमाणक ले0प0 में अप्रस्तुत रहा।
(ज) ह्यूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट, गिट्टी, सीमेन्ट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।
(झ) शासनादेश संख्या-आर0जी0एस0ए0/197/2019-4/379/2015दिनांक-2 मई 2019 के बिन्दु-(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से स्पष्ट है कि ह्यूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त भुगतानित धनराशि ग्रा0प0 के वित्त एवं लेखा प्रबनध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7, खण्ड 8क, 8ख एवं उ0प्र0 पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम 256 एवं अधिनियम की धारा 27 के अनुसार अपहरण है।जो अधिभार के योग्य है।

अतः उक्त धनराशि रू0 92000=00 की वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान मो0 गुलाम सरवर एवं ग्राम पंचायतविकास अधिकारी श्री ब्रमहानंद से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(88)**

**ग्राम पंचायत - जंगीपुर खुर्द जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-128**

ग्राम पंचायत–जंगीपुर खुर्द विकास खण्ड–सुइथाकला जनपद जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019–20 में कोषवही के अनुसार ह्यूम पाइप पर रू0 148619.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। जिसका निम्नवत है।

| क्र0सं0 | दिनांक | धनराशि | प्रमाणक सं0 |
|---|---|---|---|
| 1 | 30.12.2019 | 30635.00 | 7 |
| 2 | 27.02.2020 | 85184.00 | 12 |
| 3 | 26.03.2020 | 32800.00 | 14 |
| | योग– | 148619.00 | |

कोषवही में दर्शित उक्त भुगतान राशि रू0 148619.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नवत आपत्तियां पायी गयी है–
(क) उक्त व्यय सापेक्षबिल / वाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा–
1– कार्यवाही रजिस्टर।
2– कार्ययोजना।
3– स्टॉक रजिस्टर।
4– कोटेशन पत्रावली।
5– स्टीमेट एवं एम0बी0।

6– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।
7– उपभोग प्रमाण पत्र।
8– निर्माण कार्य समिति की संस्तुति।
9– सार्वजनिक फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
10- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
11– मस्टररोल लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा।

(ग) हयूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषवही में नही किया गया है।

(घ) हृयूम पाइप लगवाने से संबंधित मजदूरी का भुगातान कोषवही में दर्शत नही है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) हयूम पाइप लगवाने के उद्देश्य एवं स्थान की कोषवही में दर्शित नही किया गया है।

(च) हयूम लगवाने के पश्चात अगल–बगल निवासरत ग्रामीणों /किसानों से हयूम पाइप लगवाने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) हयूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट,गिट्टी, सीमेंट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ज) शासनादेश सं0– आर0जी0एस0-ए0 /197 /2019-4 /379/2015 दिनांक–02 मई 2019 के बिन्दू –(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि हयूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त् भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7, खण्ड–8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 148619.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती बदामा देवी एवं ग्रा0वि0 /प्र0 अधिकारी श्री जय शंकर दयाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(89)**

**ग्राम पंचायत -** समोधपुर **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-129**

ग्राम पंचायत– समोधपुर विकास खण्ड–सुइथाकला जनपद जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैः–

ग्राम पंचायत समोधपुर के ग्राम निधि प्रथम खाता सं0–3112050782 (सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया सुइथाकला) से दिनांक 17.02.2020 को रू0 128500.00 का आहरण हयूम पाइप क्रय पर कैशबुक से मेसर्स अजीज इण्टरप्राइजेज को भुगतान देय दर्शित हैं। जबकि स्टेटेमेंट में अन्तरण दर्शित है। इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नवत आपत्तियां पायी गयी हैः–

(क) उक्त व्यय सापेक्षबिल / वाउचर अप्रस्तुत रहे।
(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा–
1– कार्यवाही रजिस्टर।
2– कार्ययोजना।
3– स्टॉक रजिस्टर।
4– कोटेशन पत्रावली।
5– स्टीमेट एवं एम0बी0।
6– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।
7– उपभोग प्रमाण पत्र।
8– निर्माण कार्य समिति की संस्तुति।
9– सार्वजनिक फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
10- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।
11– मस्टररोल लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा।

(ग) हयूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषवही में नही किया गया है।

(घ) हयूम पाइप लगवाने से संबंधित मजदूरी का भुगातान कोषवही में दर्शित नही है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) हयूम पाइप लगवाने के उद्देश्य एवं स्थान को कोषवही में दर्शित नही किया गया है।

(च) हयूम लगवाने के पश्चात अगल–बगल निवासरत ग्रामीणों /किसानों से हयूम पाइप लगवाने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) हयूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट,गिट्टी, सीमेंट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ज) शासनादेश सं0– आर0जी0एस0-ए0 /197 /2019-4 /379/2015 दिनांक–02 मई 2019 के बिन्दू –(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि हयूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त् भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7, खण्ड–8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 128500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनारा देवी एवं ग्रा0वि0 /प्र0 अधिकारी श्री राम बहादुर से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(90)**

**ग्राम पंचायत - जहरूद्दीनपुर जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-130**

ग्राम पंचायत– जहरूद्दीनपुर विकास खण्ड–सुइथाकला जनपद जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019–20 में निम्नलिखित गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैः–

ग्राम पंचायत जहरूद्दीनपुर के ग्राम निधि प्रथम खाता सं0–6113 (सी0बी0आई0) से दिनांक 06.02.2020 को रू0 168336.00 का आहरण हयूम पाइप क्रय पर कैशबुक में व्यय दर्शित है। स्टेटमेंट में राज गौरव इण्टर प्राइजेज को देय दर्शित है। इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नवत आपत्तियां पायी गयी हैः–

(क) उक्त व्यय सापेक्षबिल / वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा–

1– कार्यवाही रजिस्टर।

2– कार्ययोजना।

3– स्टॉक रजिस्टर।

4– कोटेशन पत्रावली।

5– स्टीमेट एवं एम0बी0।

6– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।

7– उपभोग प्रमाण पत्र।

8– निर्माण कार्य समिति की संस्तुति।

9- सार्वजनिक फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

10- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

11– मस्टररोल लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा।

(ग) हयूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषवही में नही किया गया है।

(घ) हयूम पाइप लगवाने से संबंधित मजदूरी का भुगतान कोषवही में दर्शित नही है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य के होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) हयूम पाइप लगवाने के उद्देश्य एवं स्थान की कोषवही में दर्शित नही किया गया है।

(च) हयूम लगवाने के पश्चात अगल–बगल निवासरत ग्रामीणों /किसानों से हयूम पाइप लगवाने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) हयूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट,गिट्टी, सीमेंट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ज) शासनादेश सं0– आर0जी0एस0-ए0 /197 /2019-4 /379/2015 दिनांक–02 मई 2019 के बिन्दू –(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि हयूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त् भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7, खण्ड–8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 168336.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मनोरमा भारती एवं ग्रा0वि0 /प्र0 अधिकारी श्री जय शंकर दयाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्ष्ति है।

**(91)**

**ग्राम पंचायत -** भरारी **जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-131**

ग्राम पंचायत– भरारी विकास खण्ड–सुइथाकला जनपद जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019–20 में कोषवही के अनुसार हयूम पम्प पर रू0 65600.00 का भुगतान / व्यय किया गया। इसके सापेक्ष निम्नलिखित गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित हैः–

ग्राम पंचायत भरारी के ग्राम निधि प्रथम खाता सं0–3111387139 (सेंट्रल बैंक आफ इंडिया सुइथाकला) से दिनांक 20.03.2020 को रू0 65600.00 का आहरण हयूम पाइप क्रय पर कैशबुक में राज गौरव इण्टरप्राइजेज को भुगतान दर्शित है।जबकि स्टेटमेंट अन्तरण दर्शित इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नवत आपत्तियां पायी गयी हैः–

(क) उक्त व्यय सापेक्षबिल / वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा–

1– कार्यवाही रजिस्टर।

2– कार्ययोजना।

3– स्टॉक रजिस्टर।

4– कोटेशन पत्रावली।

5– स्टीमेट एवं एम0बी0।

6– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र।

7– उपभोग प्रमाण पत्र।

8– निर्माण कार्य समिति की संस्तुति।

9– सार्वजनिक फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

10- त्रिस्तरीय फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

11– मस्टररोल लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा।

(ग) हयूम पाइप कितने एम0एम0 की है एवं संख्या का अंकन कोषवही में नही किया गया है।

(घ) ह्यूम पाइप लगवाने से संबंधित मजदूरी का भुगतान कोषवही में दर्शित नही है। मजदूरी के अभाव में किसी भी कार्य को होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ड) हयूम पाइप लगवाने के उद्देश्य एवं स्थान क़ो कोषवही में दर्शित नही किया गया है।

(च) हयूम लगवाने के पश्चात अगल–बगल निवासरत ग्रामीणों /किसानों से हयूम पाइप लगवाने की पुष्टि का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(छ) हयूम पाइप के स्थापना में बालू, ईंट,गिट्टी, सीमेंट इत्यादि निर्माण सामग्री का प्रयोग न होने से कार्य होने की सम्भावना संदिग्ध प्रतीत होती है।

(ज) शासनादेश सं0– आर0जी0एस0-ए0 /197 /2019-4 /379/2015 दिनांक–02 मई 2019 के बिन्दू –(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आतित्यों से यह स्पष्ट है कि हयूम पाइप क्रय एवं लगवाने हेतु किया गया उक्त् भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7, खण्ड–8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 65600.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सतीश एवं ग्रा0वि0 /प्र0 अधिकारी श्री जय शंकर दयाल से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्ष्ति है।

**(92)**

**ग्राम पंचायत - बासूपुर खुर्द जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-132**

ग्राम पंचायत–बासूपुर खुर्द विकास खण्ड–सुइथाकला जनपद जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019–20 में कोषवही के अनुसार हैण्डपम्प पर रू0 170770.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। जिसका निम्नवत है।

| क्र0सं0 | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 22.05.2019 | 45500.00 |
| 2 | 20.02.2020 | 19990.00 |
| 3 | 20.02.2020 | 20000.00 |
| | 26.02.2020 | 85280.00 |
| | योग– | 170770.00 |

कोषवही में दर्शित उक्त भुगतान राशि रू0 170770.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नवत आपत्तियां पायी गयी है–

(क) भुगतानित धनराशि की पुष्टि हेतु बिल / वाउचर अप्रस्तुत रहे।

(ख) उक्त भुगतानित राशि की पुष्टि हेतु अन्य प्रमाणक यथा–

1– कार्यवाही रजिस्टर।

2– कार्ययोजना।

3– जल प्रबन्धन समिति की संस्तुति रिपोर्ट।

4– स्टीमेट एवं एम0बी0।

5– कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र एवं उपभोग प्रमाण पत्र।

6– हैण्डपम्प खराबी से संबधित शिकायत पत्र, मरम्मत हेतु मॉग पत्र पंजिका एवं तकनीकी रिपोर्ट।

7– स्टॉक रजिस्टर।

8– त्रिस्तरीय फोटोग्राफ।

9– टेण्डर / कोटेशन पत्रावली

10- सार्वजनिक फोटोग्राफ लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहे।

11– मस्टररोल लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहा।

(ग) डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। जिसमें मरम्मत के उपरान्त खराब पार्ट का स्टॉक एवं नीलामी के पश्चात प्राप्त आय की पुष्टि नही की जा सकी।

(घ) हैण्डपम्प मरम्मत कार्यस्थल का उल्लेख कैशबुक में दर्ज नही किया गया है।

(ड) हैण्डपम्प मरम्मत पश्चात अगल–बगल निवासरत ग्रामीणों से हैण्डपम्प मरम्मत होने का प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा

(च) शासनादेश सं0– आर0जी0एस0-ए0 /197 /2019-4 /379/2015 दिनांक–02 मई 2019 के बिन्दू –(3) में कार्यस्थल विहीन एवं कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

उपरोक्त आपत्तियाँ से यह स्पष्ट है कि उक्त् भुगतानित धनराशि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7, खण्ड–8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 170770.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री अवधेश वर्मा एवं ग्रा0वि0 /प्र0 अधिकारी श्री ओम प्रकाश भारती से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

**(93)**

**ग्राम पंचायत - भगासा जनपद- जौनपुर वर्ष- 2019-20**

**प्रस्तर-133**

ग्राम पंचायत–भगासा विकास खण्ड–सुइथाकला जनपद जौनपुर के लेखा परीक्षा वर्ष 2019–20 में कोषवही के अनुसार खडण्जा निर्माण पर रू0 100000.00 का भुगतान / व्यय किया गया है। गम्भीर प्रकरण प्रकाश में आये। जिसके संबंध में आवश्यक कार्यवाह अपेक्षित है।

(1) ग्राम पंचायत भगासा के ग्राम निधि प्रथम खाता सं0–428902010012492( यू0बी0आई0 पट्टीनरेन्द्रपुर) से दिनांक 01.06.2019 को रू0 100000.00 का आहरण चेक संख्या 10012512 द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राम बहादुर द्वारा स्वयं के नाम का चेक काटकर किया गया है। जबकि कैशबुक के अनुसार भुगतान का विवरण निम्ननाकिंत पांया गया।

| क्र0सं0 | प्रमाण पत्र सं0 | दिनांक | धनराशि(रू0में) | विवरण |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | 01.06.2019 | 85700.00 | बाबा ब्रिक फील्ड को मेन रोड से हरिजन बस्ती तक खडण्जा निर्माण हेतु ंटट मूल्य का भुगतान |
| 2 | 03 | 01.06.2019 | 14300.00 | उपरोक्त कार्य हेतु मजदूरी भुगतान |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | योग– | 100000.00 | |

इसके सापेक्ष लेखा परीक्षा में निम्नवत आपत्तियां पायी गयी–

(1) ईंट मूल्य एवं मजदूरी के भुगतान का आहरण स्वयं किया गया है। जबकि ईंट का भुगतान बाबा ब्रिक फील्ड के नाम एवं मजदूरों का भुगतान श्रमिकों के खाते में होना था।

(2) उपरोक्त भुगतान संबंधी प्रमाणक, कार्यवाही रजिस्टर, स्टीमेट एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, स्टॉक रजिस्टर, परिसम्पत्ति रजिस्टर, कार्य स्थल की फोटो, आई0डी0 संख्या निर्माण कार्य समिति की अनुशंशा रिपोर्ट इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा।

उपरोक्त आपत्तियों से यह स्पष्ट है कि खडण्जा निर्माण के सापेक्ष आहरित धनराशि रू0 100000.00 को दुरभिसंधि करके अपहृत किया गया है। इस संदर्भ में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय–8 के खण्ड–7, खण्ड–8 क, 8 ख एवं उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली–1947 के नियम–204 एवं 205 के विपरीत है तथा नियम–256 एवं अधिनियम की धारा–27 के अनुसार यह अपहरण है, जो अधिभार योग्य है।

अतः उक्त धनराशि 100000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती किरन सिंह एवं ग्रा0वि0 /प्र0 अधिकारी श्री राम बहादुर से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।

## <u>प्रारूप - 4</u>

## <u>जनपद - वाराणसी</u> <u>मंडल - वाराणसी</u>

1- ग्राम पंचायत - रतनपुर विकास खण्ड- पिण्डरा लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - 1</u>

होरी के खेत से रामाधीन के खेत तक खडण्जा निर्माण कार्य कराया गया है। जिसपर सामग्री मद में रु 94132.00 का भुगतान सिंह ईंट उद्योग टडवा खर्ग सेनपुर थानागद्दी जौनपुर बिल सं0 203से किया गया हे। कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र के अनुसार कार्य समाप्ति तिथि 17.07.19 अंकित है। एम0बी0 के अनुसार श्रमांश पर रू021195.00 का भुगतान अंकन किया गया है लेकिन कार्य पर मजदूरी का भुगतान नही किया गया है बिना मजदूरी के खड़ण्जा कार्य सम्भव नही है स्टाक रजिस्टर को लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार सामग्री क्रय का रु 94132.00 अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 47066.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-2

प्राथमिक व पूर्व मा0 विद्यालय में टाइल्स निर्माण कार्य कराया गया है जिस पर मे0 पंकज इण्टरप्राइजेज से इनवायस नं0 75 दिनांक 04.07.19 से रु 151400.00 तथा इनवायस नं0 84 दिनांक 10.07.19 से रु 98175.00 का भुगतान किया है। इस प्रकार टाइल्स क्रय पर कुल रू0 249575.00 का भुगतान किया गया है उक्त सामग्री के उपभोग हेतु बालू, सीमेण्ट व मजदूरी पर कोई भी धनराशि व्यय नही की गयी है । बिना मजदूरी, सीमेण्ट के कार्य कराया जाना सम्भव नही है । लेखा परीक्षा में क्रय सामग्री का स्टाक रजिस्टर भी अप्राप्त रहा। इस प्रकार कुल रु 249575.00 का अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राकेश एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 124787.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

2- ग्राम पंचायत - मरूई

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **3**</u>

कमलेश के खेत से वनसती देवी के स्थान तक मिट्टी कार्य दिनांक 25.08.19 से 31.08.19 तक मस्टर रोल 01 व 02 द्वारा कार्य करना दर्शित किया गया है -

| | | |
|---|---|---|
| महेन्द्र पुत्र बरसाती | 1x380 | = 380 |
| रेगंई पुत्र रामबरन | 1x182 | = 182 |
| सत्तूराम पुत्र अंगन | 1x182 | = 182 |
| त्रिलोकी पुत्र साबूलाल | 1x182 | = 182 |
| फौजदार पुत्र बीरा | 1x182 | = 182 |
| | **योग** | **= 1108** |

इन्ही श्रमिकों को मस्टर रोल सं0 02 में दिनांक 31.08.19 को पुनः कार्यरत दर्शाकर **रु0 1108.00** का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेंद्र एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 554.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -4

करिया के घर से पश्चिम खडण्जा तक खडण्जा निर्माण मस्टर रोल 1 व 2 द्वारा 22.06.19 से 05.07.19 तक कार्य करना दिखाया गया है-

शिवमूरत पुत्र छांगुर 6X380 = 2280
जगदीश पुत्र होरी लाल 6X380 = 2280
कल्लू पुत्र कुमार 7X182 = 1274
राममूरत पुत्र होरी लाल 7X182 = 1274
रामसूरत पुत्र होरी लाल 7X182 = 1274
उदय पुत्र होरीलाल 7X182 = 1274
शिवपूजा पुत्र छतिराज 7X182 = 1274
अखिलेश पुत्र शिवमूरत 7X182 = 1274
धर्मेन्द्र पुत्र मेवा 7X182 = 1274
**योग = 13478**

पुनः इन्ही मजदूरो को भूसी के मशीन से संजय के खेत तक खडन्जा कार्य पर कार्यरत दर्शाया गया है | पुनः करिया के घर प0 खडण्जा तक खडण्जा निर्माण कार्य पर मस्टर रोल सं0 1 में कार्य करना दर्शाया गया है -

शिवमूरत पुत्र छांगुर 380 x5 = 1900
जगदीश पुत्र होरीलाल 380 x5 = 1900
कल्लू पुत्र कुमार 182x7 = 1274
राममूरत पुत्र होरीलाल 182x7 = 1274
रामसूरत पुत्र होरीलाल 182x7 = 1274
उदय पुत्र होरीलाल 182x7 = 1274
शिवपूजा पुत्र छतिराज 182x1 = 182
**योग= 9078**

इस प्रकार एक ही श्रमिकों को दो जगहों पर एक ही तिथि में कार्यरत दर्शाकर रु0 (13478.00+9078.00)कुल रू0 22556.00 का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है|

जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेंद्र एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 11278.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-5

राजकुमार की दुकान से नकछेद यादव के घर तक खडण्जा मरम्मत कार्य 03.10.19 से 09.10.19 तक कराया गया है । जिस पर निम्न श्रमिकों ने कार्य किया है

महेन्द्र प्रसाद पुत्र बरसाती 4X380 = 1520
पंचम प्रसादपुत्र रामप्रसाद 4X380 = 1520
रंगई पुत्र रामबरन 4X182 = 728
लालचंद्र पुत्र घरभरन 2X182 = 364
सन्तू राम पुत्र अंगन 4X182 = 728
बांके पुत्र गुद्दर 3X182 = 546
रामकुमार पुत्र चुन्नी लाल 4X182 = 728
त्रिलोकी पुत्र साबूलाल 4X182 = 728
फौजदार पुत्र बीरा 4X182 = 728
**योग-7590.00**

इन्हीं मजदूरों को बृजेश गुप्ता के घर से मेन रोड तक खडण्जा मरम्मत कार्य पर दिनांक 04.10.19 से 07.10.19 तक कार्यरत दर्शाकर रू0 7590.00 का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेंद्र एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 3795.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-6 प्रमोद मिश्रा के खेत से दक्षिण चैाराहा तक मिट्टी व खडण्जा कार्य पर दिनांक 07.11.19 से 15.11.19 तक निम्न श्रमिकों को कार्य करना दिखाया गया है।

महेन्द्र पुत्र बरसाती 7 x 380=2660

पंचम प्रसाद पुत्र राम प्रसाद 6 x 380=2280

फौजदार पुत्र बीरा 7 x 182=1274

रंगई पुत्र रामबरन 4 x 182=728

सतूराम पुत्र अंगन 7 x 182=1274

बांकेलाल पुत्र गुद्दर 6 x 182=1092

राजकुमार पुत्र चुन्नी लाल6 x 182=1092

त्रिलोकी पुत्र साबूलाल 6 x 182 =1092

मूलचंद पुत्र सुमेर 4 x 182=728

**योग = 12220.00**

इन्हीं मजदूरों को मुन्ना के घर से सरवन के घर तक खडण्जा मरम्मत कार्य पर दिनांक 09.11.19 से 15.11.19 तक कार्यरत दर्शाकर **रु 12220.00** का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है| जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री महेंद्र एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 6110.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

3- ग्राम पंचायत - जगदीशपुर

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **7**

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 1859172.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 1859172.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 929586.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 352299.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 1506873.00 |
| | योग | **1859172-00** |

4- ग्राम पंचायत - पिण्डराई

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **8**

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 2269712.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 2269712.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मधुकर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिहर सिंह द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 1134856.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 48414.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 2221298.00 |
| | योग | 2269712.00 |

5- ग्राम पंचायत - महगाँव

विकास खण्ड- पिण्डरा
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
प्रस्तर - **9**
वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 2817520.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 2817520.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती उषा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री गोविन्द गिरी द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 1408760.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 326416.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 2491104.00 |
| | योग | 2817520.00 |

6- ग्राम पंचायत - खरगपुर
विकास खण्ड- पिण्डरा
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
प्रस्तर - 1**0**
रामू के चक से नाद नदी तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण कार्य पर दिनांक01.07.2019से 07.07.2019 तक 17 मजदूरों को कार्य करते हुए दर्शित किया गया है। 17 मजदूरों का सापेक्ष केवल 11 मजदूरों का नाम मस्टर रोल पर अंकित किया गया है। शेष 6 मजदूरों के नाम अंकित नहीं किया गया है। सम्पूर्ण मजदूरों के पिता का नाम व पता भी अंकित नहीं है और 9 मजदूरों द्वारा मस्टर रोल पर धनराशि प्राप्तकर्ता के रूप में हस्ताक्षर/अंगूठा निशान भी नहीं लगाया गया है ।
अवध नारायन के घर से राम आसरे के चक तक खडण्जा मरम्मत कार्य पर उन्हीं मजदूरों को इसी अवधि (01.07.19 से 07.07.19 तक) में कार्यरत दर्शाया गया है। 14 मजदूरों के सापेक्ष केवल 8 मजदूरों का नाम मस्टर रोल पर अंकित है शेष 7 मजदूरों का नाम अंकित नहीं है। सम्पूर्ण मजदूरों के पिता का नाम व पूरा पता अंकित नहीं है तथा केवल 8 मजदूरों द्वारा धनराशि प्राप्त किया गया है । शेष मजदूरों का अंगूठा निशान / हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
अवध नारायन के घर से राम आसरे के चक तक खडण्जा मरम्मत पर मस्टर रोल 2 पर 01.07.19 से 07.07.19 तक कार्यरत दर्शाया गया है। जिस पर 16 मजदूरों ने कार्य किया है। मस्टररोल पर मात्र 8 मजदूरों के नाम अंकित है। शेष मजदूरों का नाम अंकित नहीं है। सम्पूर्ण मजदूरों का पिता का नाम व पूरा पता अंकित नहीं है। मस्टररोल पर केवल 8 मजदूरों ने धनराशि प्राप्त किया है। शेष का अंगूठा निशान/हस्ताक्षर अंकित नहीं है।
इन्हीं मजदूरों को दोनों कार्यों पर समान तिथि में कार्यरत दर्शाया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण धनराशि ₹24510+19222+23156= 66888.00 का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविंद गिरि उत्तरदायी है|अतः प्रत्येक से रुपया 33444.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-11

पक्की सड़क से बच्चालाल के बाउण्डी वाल तक पक्की नाली निर्माण पर दिनांक 15.07.19 से 03.08.19 तक कार्य कराया गया है। जिसपर 3 मस्टररोल प्रयुक्त हुआ है। किसी भी मस्टररोल पर धनराशि प्राप्तकर्ता श्रमिकों का हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं है।
मस्टररोल 01 पर 02 मजदूर - 10 मानव दिवस X 182 = 1820
मस्टररोल 02 पर 04 मजदूर - 2 मिस्त्री 42 मानव दिवस = 5096+5320 = 10416
मस्टररोल 03 पर 06 मजदूर - 40 मानव दिवस = 6370+1900 = 8270
**योग = 20506**

इस प्रकार कुल रु **20506.00** का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविंद गिरि उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 10253.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |
प्रस्तर -12
शंकर जी के मन्दिर से कांता चौहान के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य दि0 14.07.19 से 21.07.19 तक मस्टररोल पर दिखाया गया है। जिस पर रु 9394.00 व्यय किया गया है। मस्टररोल पर श्रमिक के पिता का नाम तथा पता अंकित नहीं किया गया है। साथ ही तीन मजदूरों राम बालक, संतोष व विनोद को 14.07.19 से 21.07.19 तक पक्की सड़क से बच्चा लाल की बाउण्डी वाल तक

पक्की नाली निर्माण पर कार्यरत दर्शाया गया है। इस प्रकार रु 9394.00 का अपहरण कर लिया गया है| जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविंद गिरि उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 4697.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -13

नंदलाल के घर से रामू के चक तक ह्यूम पाइप नाली निर्माण पर 01.07.19 से 14.07.19 तक दो मस्टररोल पर कार्य करते हुए दर्शाया गया है। मस्टररोल सं0 01 पर 09 मजदूरों के सापेक्ष मात्र 8 मजदूरों के नाम अंकित है जबकि मस्टररोल सं0 2 पर 12 के सापेक्ष 8 मजदूरों का नाम अंकित है। मस्टररोल पर मजदूरों के पिता का नाम व पता अंकित नहीं है। मस्टररोल सं0 1 पर 1 मजदूर द्वारा धनराशि प्राप्त नहीं किया गया है। जबकि मस्टररोल सं0 2 पर 4 मजदूरों ने धनराशि प्राप्त नहीं किया गया है। मस्टररोल सं0 1 के 8 मजदूर जिनका नाम अंकित है यही मजदूर अवध नारायन के घर से राम आसरे के घर तक खडण्जा मरम्मत पर 01.07.19 से 07.07.19 तक कार्यरत दर्शाये गये है।

मस्टररोल सं0 1 पर व्यय रु 11990.00

मस्टररोल सं0 2 पर व्यय रु 18060.00

**योग = 30050.00**

इस प्रकार रु 30050.00 का अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविन्द गिरि उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 15025.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-14

दीपक सिंह के घर से खडण्जा तक खडण्जा निर्माण कार्य कराया गया है जिसपर ओम ईंट उद्योग बांसवारी थाना गद्दी जौनपुर से 10210 ईंट की दर रु 5.355 से क्रय कर रु 54674.00 का भुगतान किया गया है। प्रमाणक पर जी.एस.टी सं0 हाथ से लिखकर अंकित है । जी0एस0टी पोर्टल पर भी उक्त फर्म का पंजीकरण दर्शित नही हो रहा है । इस प्रकार कूट रचित प्रमाणक प्रस्तुत कर रु 54674.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविन्द गिरि उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 27337.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-15

खडण्जा से दूधनाथ के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य पर बिल सं0 30/दिनांक 14.01.20 से रु 21634.00 का ईंट क्रय का भुगतान किया गया है। किन्तु पत्रावली में संलग्न मस्टररोल जिस पर रु 5324.00 का भुगतान किया गया है पर भुगतान प्राप्तकर्ता मजदूरों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान अंकित नहीं है जिससे कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है । इस प्रकार रु 21634+5324 = 26958 का अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री गोविन्द गिरि उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 13479.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

7- ग्राम पंचायत - बाबतपुर

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 16

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 1798931.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 1798931.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती इंदू व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिहर सिंह द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 899465.50 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 45800.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 1753131.00 |
| | योग | 1798931.00 |

8- ग्राम पंचायत - कोरी
विकास खण्ड- पिण्डरा
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - 17</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 1566800.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 1566800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजनाथ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 783400.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 207940.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 1358860.00 |
| | योग | 1566800.00 |

9- ग्राम पंचायत - पिण्डरा
विकास खण्ड- पिण्डरा
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - 18</u>

राम नरेश के घर से भैयालाल पटेल के घर तक मिट्टी खडण्जा कार्य करना मस्टररोल 1 में 15.08.19 से 17.08.19 तक बिन्दु, गीता व पल्टू को कार्य करना दर्शाया गया है । मस्टररोल 3 में बिन्दु, गीता व पल्टू को पुनः 15-08-2019 से 17-08-2019 तक उसी स्थान पर कार्य करते हुए दर्शाकर 182 रु प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से3 दिन का कुल रु **1638.00** का अपहरण कर लिया गया है।

पुनःउसी कार्य पर मस्टररोल 02 से दिनांक 22.08.19 से 28.08.19 तक और मस्टररोल सं0 4 में पुनः दिनाँक22-08-219 से 28-08-2019 तक पल्टू, बिन्दू व गीता को कार्य करते हुए दर्शाकर प्रत्येक मजदूर को 7 दिवस कार्यरत दर्शाकर दोहरा भुगतान कर रु **3822.00** कादोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार कुल रू0 5460.00 (1638.00+3822.00 ) का अपहरण कर लिया गया है| जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 2730.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-19

रामनरेश के घर से भैयालाल के घर तक मिट्टी व खडण्जा कार्य में मस्टर रोल 3 व 4 में दिनांक 15.08.19 से 28.08.19 तक रामबली, चन्द्रबली, बिन्दु, गीता व पल्टू को कार्य करते दिखाया गया है।

पुनः इन्हीं मजदूरों को पिण्टू पाण्डेय के घर से खडण्जा तक इण्टरलाकिंग कार्य पर 19.08.19 से लेकर 28.08.19 तक रामबली को 10 दिन चन्द्रबली को 04 दिन बिन्दु को 10 दिन पल्टू को 03 दिन गीता 03 को दिन कार्यरत दिखाया गया है। इस प्रकार एक ही मजदूरों को एक ही तिथि में दो जगह कार्य करते दिखा कर दोहरा भुगतान दिखाकर रू0 8232.00 का अपहरण किया गया है गया है| जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 4116.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है | जिसका विवरण निम्न है -

| | |
|---|---|
| रामबली | 380 x 10= 3800 |
| चन्द्रबली | 380 x 4 = 1520 |
| बिन्दू | 182 x 10= 1820 |
| पल्टू | 182 x 3 = 546 |
| गीता | 182 x 3 = 546 |
| | **योग = 8232.00** |

**प्रस्तर -20**

खुशिहाल के घर से काशी के घर तक खडण्जा मरम्मत कार्य पर मस्टर रोल 3 व 4 पर दिनांक 01.12.19 से 07.12.19 तक निम्न श्रमिकों को कार्य करते हुए दिखाया गया है |

बिन्दु पत्नी रामबली (7 X182)
गीता पत्नी पल्टू (7 X182)
लालचंद पुत्र रामदेव (7 X182)
फूलचन्द पुत्र रामदेव (7 X182)
पल्टू पुत्र देवराज (7 X182)

**योग = 1274 X 5 = 6370**

इन्ही श्रमिकों को इसी कार्य पर मस्टररोल सं0 01 व 02 में 08.12.19 से 14.12.19 तक कार्यरत दर्शाया गया है विवरण निम्नवत है -

रामबली पुत्र लालचंद 7 X 182 = 1274
चन्द्रबली 7 X 182 = 1274
बिन्दु पत्नी रामबली 7 X 182 = 1274
गीता पत्नी पल्टू 7 X 182 = 1274
लालचंद पुत्र रामदेव 7 X 182 = 1274
फूलचन्द्र पुत्र रामदेव 7 X 182 = 1274
पल्टू पुत्र देवराज 7 X 182 = 1274

**योग = 6370**

इस प्रकार एक ही श्रमिक को दो बार कार्यरत दर्शाकर दोहरा भुगतान कर **₹ 6370.00** का अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 3185.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

**प्रस्तर -21**

मेनरोड से नौशाद खां के खेत तक इण्टरलाकिंग कार्य दिनाँक 01.12.19 से 21.12.19 तक कार्य दिखाया गया है मस्टररोल सं0 2 खुशिहाल के घर से काशी के घर तक खडण्जा मरम्मत कार्य पर 08.12.19 से 14.12.19 तक हुआ है जिस पर

रामबली पुत्र लालचंद 7 X 380 = 2660
चंद्रबली 4 X 380= 1520
बिन्दू पत्नी रामबली 7 X 182 = 1274
गीता पत्नी पल्टू 7 X 182 = 1274
लालचंद पुत्र रामदेव 7 X 182 = 1274
फूलचंद पुत्र रामदेव 7 X 182 = 1274
पल्टू पुत्र देवराज 7 X 182 = 1274

**योग = 10550**

इस प्रकार एक ही अवधि में एक श्रमिक को दो कार्यों पर कार्यरत दर्शाकर रू0 10550.00 का अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 5275.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -22

पिण्डरा में एस.एल.डब्लू.एम. पिट निर्माण कार्य पर दिनांक 01.01.2020 से 07.01.2020 तक कार्य करना दिखाकर रु 7656.00 का भुगतान किया गया है। पुनः इन्हीं मजदूरों में से निम्न को विजय के घर से छोटे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य 01.01.2020 से 07.01.2020 तक कार्य करते दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्न है

बिन्दू पत्नी रामबली 7 X 182 = 1274
गीता पत्नी पल्टू 7 X 182 = 1274
लालचंद पुत्र रामदेव 7 X 182 = 1274
फूलचंद पुत्र रामदेव 1 X 182 = 182

**योग = 4004.00**

इस प्रकार एक ही अवधि में एक श्रमिक को दो कार्यों पर कार्यरत दर्शाकरहै ₹ 4004.00 का अपहरण कर लिया गया | जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 2002.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

**प्रस्तर-23**

गुड्डू के मकान से भरत सेठ के दुकान तक भूमिगत पाइप लाइन कार्य पर 01.07.19 से 07.07.19 तक मस्टर रोल सं0 2 तथा कन्या पू0 मा0 वि0 में सुन्दरीकरण कार्य पर मस्टर रोल सं0 04 द्वारा 27.06.19 से 03.07.19 तक कार्य पर निम्न श्रमिकों कार्यकरते हुए दिखाया गया है

रामबली पुत्र लालचंद 1 से 3 तक
3 x 380 = 1140

चंदबली पुत्र लालचंद 1 से 3 तक
3 x 380 = 1140

बिन्दू पत्नी रामबली 1 से 3 तक
3 x 182 = 546

गीता पत्नी पल्टू 1 से 3 तक
3 x 182 = 546

लालचंद पुत्र रामदेव 01.07.2019को
1 x 182 = 182

**योग = 3554.00**

रामबली पुत्र लालचंद मस्टररोल सं0 3 चंद्रबली पुत्र लालचंद मस्टररोल सं0 3 पर कन्या पू0 मा0वि0 पर दिनाँक 04/07/2019 से 10/07/2019 तक कार्यरत दर्शाया गया है

इन्ही मजदूरों को गुड्डू के मकान से भरत सेठ के दुकान तक भूमिगत नाली निर्माण पर मस्टर रोल 2 व 3 में 04.07.19 से 10.07.19 तक कार्य करते हुए दिखाकर

रामबली पुत्र लालचंद 7 x 380 = 2660
चंद्रबली 1 x 380 = 380

**योग = 3040.00**

इस प्रकार एक ही श्रमिक को एक ही तिथि मे दो जगहों पर कार्यरत दर्शाकर रू0 6594.00 (3554.00+3040.00) का दोहरा भुगतान दिका कर अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 3297.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -24

नन्हकू पासी के मकान से श्यामा प्रजापति के मकान तक खडण्जा निर्माण कार्य मस्टर रोल सं0 1 से 15.07.19 से 21.07.19 तक मस्टर रोल रो0 3 22.07.19 से 28.07.19 तक मस्टर रोल2 29.07.19 से 04.08.19 तक निम्न श्रमिकों कार्य करते हुए दिखाया गया है। विवरण निम्न प्रकार है -

रामबली पुत्र लालचंद 7 x 380 = 2660
चंद्रबली पुत्र लालचंद 7 x 380 = 2660
बिन्दू पत्नी रामबली 7 x 182 = 1274
गीता पत्नी पल्टू 7 x 182 = 1274
लालचंद पुत्र रामदेव 7 x 182 = 1274
फूलचंद पुत्र रामदेव 7 x 182 = 1274
पल्टू पुत्र देवराज 7 x 182 = 1274
कलावती पुत्र श्याम जी 7 x 182 = 1274

**योग =12964**

इन्हीं मजदूरों को गुड्डू के मकान से भरत के दुकान तक भूमिगत नाली निर्माण पर 22.07.19 से 28.07.19 तक कार्य करते हुए दिखाकर रू0 **12964.00** का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 6482.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-25 गुड्डू के मकान से भरत के दुकान तक भूमिगत पाइप नाली निर्माण कार्य दिनांक 15.07.19 से 21.07.19 तक म0रो0 सं0 05 द्वारा करते हुए

रामबली पुत्र लालचंद 2 x 380 = 760
पल्टू पुत्र देवराज 4 x 182 = 728
लालचंद पुत्र रामदेव 4 x 182 = 728
गीता पत्नी पल्टू 4 x 182 = 728
कलावती पत्नी श्यामजी 4 x 182 = 728
बिन्दू पत्नी रामबली 4 x 182 = 728
फूलचंद पुत्र रामदेव 3 x 182 = 546

**योग = 4946.00**

इन्हीं मजदूरों को 15.07.19 से 21.07.19 तक नन्हकू पासी के घर से श्याम प्रजापति के मकान तक खडण्जा निर्माण कार्य दिखाकर रू0 **4946.00** का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 2473.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

**प्रस्तर -26**

नन्हकू पासी के मकान से श्याम प्रजापति के मकान तक खडण्जा निर्माण कार्य म0रो0 2 पर 29.07.19 से 04.08.19 तक निम्न श्रमिकों को कार्य करते हुए दर्शाया गया है

पल्टू पुत्र देवराज 7 x 182 = 1274.00
लालचंद पुत्र रामदेव 7 x 182 = 1274.00
गीता पत्नी पल्टू 7 x 182 = 1274.00
कलावती पत्नी श्यामजी 7 x 182= 1274.00
बिन्दू पत्नी रामबली 7 x 182 = 1274.00
फूलचंद पुत्र रामदेव7 x 182 = 1274.00

**योग-7644.00**

इन्हीं मजदूरों को गुड्डू के मकान से भरत की दुकान तक भूमिगत पाइप लाइन पर म0रो0 6 पर 29.07.19 से 04.08.19 तक कार्यरत दर्शित कर रु **7644.00** का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 3822.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -27

तहसील परिसर में एस.डी.एम. कोर्ट के पास इण्टरलाकिंग कार्य पर दिनांक 07.10.19 से 13.10.19 कार्य करते हुए दर्शित किया गया है। जिसपर

बिन्दू पत्नी रामबली 7 x 182 = 1274
गीता पत्नीपल्टू 7 x 182 = 1274
लालचंद पुत्र रामदेव 7 x 182 = 1274
फूलचंद पुत्र रामदेव 7 x 182 = 1274
पल्टू पुत्र देवराज 7 x 182 = 1274
कलावती पत्नी श्यामजीत4 x 182 = 728

योग = **7098**

इन्हीं मजदूरों को प्रहलाद के मकान से पटेल की दुकान तक भूमिगत पाइप लाइन निर्माण पर म0रो0 1 व 2 में जो दिनांक 05.10.19 से 11.10.19 व दिनांक 12.10.19 से 18.10.19 तक कार्य करते हुए दर्शित किया गया है। इस प्रकार **रु 7098.00** का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 3549.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -28

ग्रा0पं0 पिण्डरा में सोख्ता निर्माण कार्य दिनांक 25.07.19 से 31.07.19 तक करना दर्शित किया गया है। जिस पर निम्न श्रमिकों को कार्यरत दर्शाया गया है

रामबली पुत्र लालचंद 7 X 380 = 2660
चंदबली पुत्र लालचंद 2 X 380 = 760
बिन्दू पत्नी रामबली 7 X 182 = 1274
गीता पत्नी पल्टू 7 X 182 = 1274
पल्टू पुत्र देवराज 6 X 182 = 1066

इन्हीं मजदूरों को गुड्डू के मकान से भरत की दुकान तक भूमिगत पाइप लाइन के म0रो0 सं0 04 व 03 में दिनांक 25.07.19 से 31.07.19 तक कार्यरत दर्शित कर रु **7056.00** का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 3528.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

**प्रस्तर -29**

पिण्डरा तहसील में रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर रु **16740.00** मजदूरी पर व्यय किया गया है। मस्टररोल पर दिनांक अंकित न कर रु 16740.00 का अपहरण कर लिया गया है | जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 8370.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -30

पिण्डरा बाजार में नाली सफाई कार्य पर रु **51874.00** मजदूरी पर भुगतान किया गया है। सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के बावजूद भी सफाई कार्य पर पृथक से भुगतान कर उक्त धनराशि का दुर्विनियोग किया गया है। अतःआवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

10- ग्राम पंचायत - राजपुर

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **31**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 2134498.64 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 2134498.64 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री प्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 1067249.32 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 357532.64 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 1776966.00 |
| | योग | 2134498.64 |

11- ग्राम पंचायत - रामपुर

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **32**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 5101359.85 चतुर्थ राज्यवित्त. चौदहवा राज्य वित्त. तृतीय वित्त. निजी स्रोत व अंतेष्ठी स्थल का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 5101359.85 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सियालाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री

अमित वर्मा द्वारा किया गया है।प्रत्येक से रूपया 2550679.93 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 990617.70 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 2985876.00 |
| 3 | तृतीय राज्यवित्त | 1540.00 |
| 4 | निजी स्रोत | 12347.40 |
| 5 | अंतेष्ठी स्थल | 1110978.75 |
| | योग | 5101359.85 |

12- ग्राम पंचायत - करखियाँव

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **33**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 6022604.23 चतुर्थ राज्यवित्त. चौदहवा राज्य वित. तृतीय राज्यवित्त व तेरहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 6022604.23 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती बबीता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 3011302.12 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित | 1079664.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 4938480.23 |
| 3 | तृतीय राज्यवित्त | 2590.00 |
| 4 | तेरहवा राज्य वित्त | 1870.00 |
| | योग | 6022604.23 |

13- ग्राम पंचायत - रोह

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **34**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 2368925.16 चतुर्थ राज्यवित. चौदहवा राज्य वित. तृतीय राज्यवित. तेरहवा वित्त व द्वितीय राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 2368925.16 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री लालबहादुर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 1184462.58 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 640638.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 1717276.16 |
| 3 | तेरहवा राज्य वित्त | 2138.00 |
| 4 | तृतीय राज्यवित्त | 8574.00 |
| 5 | द्वितीय राज्य वित्त | 299.00 |
| | योग | 2368925.16 |

14- ग्राम पंचायत - टिकरी खुर्द
विकास खण्ड- पिण्डरा
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **35**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 1882864.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 1882864.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री ओमप्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नितिन कुमार द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 941432.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 74305.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 1808559.00 |
| | योग | 1882864.00 |

15- ग्राम पंचायत - फूलपुर
विकास खण्ड- पिण्डरा
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **36**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 4158084.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 4158084.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती सीता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय शर्मा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 2079042.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 1383317.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 2774767.00 |
| | योग | 4158084.00 |

16- ग्राम पंचायत - नेवादा
विकास खण्ड- पिण्डरा
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **37**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 990859.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 990859.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सुखराम व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री हरिहर सिंह द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 495429.50 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 53115.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 937744.00 |
| | योग | 990859.00 |

17- ग्राम पंचायत - बरवा
विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **38**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 2067963.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 2067963.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री रवीन्द्र व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नितिन कुमार द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 1033981.50 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 348112.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 1719851.00 |
| | योग | 2067963.00 |

18- ग्राम पंचायत - बसन्तपुर

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **39**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 2223834.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 2223834.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रीता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेंद्र मिश्रा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 1111917.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 211302.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 2012532.00 |
| | योग | 2223834.00 |

19- ग्राम पंचायत - बढ़ौना

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **40**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 1329414.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 1329414.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री प्रदीप कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विरेंद्र मिश्रा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 664707.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 88692.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 1240722.00 |
| | योग | 1329414.00 |

20- ग्राम पंचायत - कटौना

विकास खण्ड- पिण्डरा

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **41**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 680870.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 680870.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री अनिल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सुरेश सिंह द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 340435.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 118873.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 561997.00 |
| | योग | 680870.00 |

21- ग्राम पंचायत - शाहपुर (गड़खरा)
विकास खण्ड- पिण्डरा
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **42**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 576800.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 576800.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री इंद्र प्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल कुमार द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 288400.00 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 50707.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 526093.00 |
| | योग | 576800.00 |

22- ग्राम पंचायत - सुरही
विकास खण्ड- पिण्डरा
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **43**</u>

वर्ष **2019-20** में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रूपया 2329242.70 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवा राज्य वित्त का व्यय दर्शित है। उक्त् व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक. कार्यवाही रजिस्टर. नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव. मस्टररोल. एम0बी0. कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. उपभोग प्रमाण पत्र. स्टाक बुक. अचल-चल सम्पत्ति का रजिस्टर. परिसंपत्ति रजिस्टर. पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर. कोटेशन व निविदा आदि से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रूपया 2329242.70 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रूपया 1164621.35 की सब्याज सहित वसूली अपेक्षित है। व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है -

| | | |
|---|---|---|
| 1 | चतुर्थ राज्यवित्त | 485699.00 |
| 2 | चौदहवा राज्य वित्त | 1843543.70 |
| | योग | 2329242.70 |

23- ग्राम पंचायत - भेड़हा
विकास खण्ड- आराजी लाईन
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **44**</u>

ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा में प्राप्त पत्रावलियों में पाया गया कि वर्ष के दौरान दिनांक 31-07-2019 को रू0 17500 (मार्च 19 से जुलाई 19 तक 3500x5) प्रधान मानदेय आहरण किया गया था। पुनः अंतिम माह मार्च 2020 में प्रधान मानदेय 12 माह का रू0 42000.00 का आहरण दर्शित है।

वित्तीय वर्ष में जून. जुलाई तक प्रधान मानदेय का आहरण हो चुका था तो शेष 8 माह का मानदेय दिया जाना था किन्तु सचिव द्वारा 12 माह का मानदेय का आहरण कर लिया गया। 5 माह का अतिरिक्त रू 17500.00 का अपहरण ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा किया गया है। प्रत्येक से 8750.00 रू की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - **45**

ग्राम पंचायत को लेखा परीक्षा के कैशबुक एवं पासबुक में जांच पर पाया गया कि दिनांक 31-12-2019 की ह्यूम पाइप का क्रय किया गया जिसका विवरण निम्न है -

| दिनांक | धनराशि | कैशबुक में दर्शित विवरण |
|---|---|---|
| 31.12.2019 | 58292.00 | विभिन्न स्थानों पर जल निकास हेतु ह्यूम पाइप का भुगतान (स्नेहा बिल्डिंग मैटेरियल) |

लेखा परीक्षा में ह्यूम पाइप से सम्बन्धित वाउचर . स्टाक रजिस्टर और ह्यूम पाइप कहां उपायोग किया गया है. से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न कर रू 58292.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गीता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल राम द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 29146.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

24- ग्राम पंचायत - बेरुका

विकास खण्ड- आराजी लाईन

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **46**

कैशबुक के अनुसार निधि प्रथम से ग्राम पंचायत में नाली निर्माण हेतु सामग्री एवं मजदूरी का भुगतान दर्शाया गया है। जिसका विवरण निम्न है -

| दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|
| 29.11.2019 | 49723.00 | अशोक सिंह के घर से तालाब तक नाली निर्माण की सामग्री (स्नेहा बिल्डिंग मैटेरियल) |
| 12.12.2019 | 9600.00 | अशोक सिंह के खेत से नाली कार्य की मजदूरी |
| योग | 59323.00 | |

उपर्युक्त व्यय पर आपत्तियां निम्नवत् है -

क- सामग्री क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टर रोल उपलब्ध नहीं कराया गया ।

ख- उक्त् कार्य का प्रस्ताव स्टीमेट निर्माण समिति से स्वीकृति आदि से सम्बन्धित अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

ग- दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट निरीक्षण प्रमाण पत्र कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र धन उपभोग सार्वजनिक निर्माण कार्य रजिस्टर परिसम्पत्ति पंजिका आदि जैसे पुष्टिकारक अभिलेख उपलब्ध नहीं रहे।

उपर्युक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान श्री अनिल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री राहुल राम द्वारा रू0 59323.00 का आहरण किया गया है। प्रत्येक से रू0 29661.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

25- ग्राम पंचायत - मेंहदीगंज

विकास खण्ड- आराजी लाईन

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **47**

ग्राम पंचायत मेंहदीगंज विकास क्षेत्र - आराजी लाइन के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में निम्नलिखित अपहरण एवं दुरूपयोग के प्रकरण प्रकाश में आए है जिसके निराकरण हेतु उच्च विभागीय अधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रू 106000.00 आंगनबाड़ी केन्द्र पर जल प्रबंध हेतु अधिशासी अभियंता को भुगतान किया गया।

लेखा परीक्षा के दौरान कार्यवाही पुस्तिका कार्ययोजना बैंक स्टेटमेंट वर्क आई0डी0 एम0बी0 बिल/वाउचर मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र विभिन्न समितियों के अन्तर्गत जल प्रबंधक समिति की संस्तुति आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार रू 106000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती बीना शर्मा व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दीपक शर्मा द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 53000.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - **48**

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत के राज्य वित्त एवं चौदहवां वित्त से खाते में विभिन्न उद्देश्यों के प्रतिपूर्ति हेतु रू 5373072.00 का अनुदान प्राप्त हुआ। वित्तीय वर्ष 2019-20 के आरम्भ में दिनांक 01.04.2019 को ग्राम पंचायत के खाते में रू 5217214.76 प्रा0 अवशेष के साथ कुल रू 10590286.76 की अनुदानित धनराशि खाते में पायी गयी जिसमें उपभोग स्वरूप केवल मात्र रू 107987.20 दर्शित रहा।

उक्त के सम्बन्ध में मुख्य आपत्ति यह है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में खातों में प्राप्त विभिन्न उद्देश्यों हेतु अनुदान का पूर्ण उपभोग नहीं किया गया और न ही वित्तीय वर्ष 31.03.2020 के अन्त में अवशेष धनराशि रू 10482299.56 को सम्बन्धित विभाग को वापस किया गया। वर्ष 2019-20 की अवशेष धनराशि रू 10482299.56 का उपयोग न कर गम्भीर अनियमितता दर्शित रहा इसके लिए तत्कालीन सचिव व प्रधान उत्तरदायी है। अतःआवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

26- ग्राम पंचायत - लक्षापुर

विकास खण्ड- आराजी लाईन

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **49**

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रू **1197599.00** का व्यय किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान व्यय प्रमाणक मस्टररोल कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र निर्माण समिति की संस्तुति स्टाक पंजिका चल-अचल सम्पत्ति रजिस्टर आदि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रू **1197599.00** का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती प्रमिला व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नंदलाल द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 598799.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

27- ग्राम पंचायत - डंगहरिया

विकास खण्ड- आराजी लाईन

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **50**

ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट के अनुसार रू 652297.00 का व्यय किया गया है। ग्राम पंचायत के लेखा परीक्षा के दौरान कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, स्टीमेट, वर्कआई0डी0, एम०बी०, कैशबुक, पासबुक, बिल/वाउचर , मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, निर्माण समिति की संस्तुति, प्रिया सॉफ्ट के 8 प्रपत्र-प्राप्तियां व भुगतान लेखा, समेकित सार, बैक समाधान विवरण प्राप्ति व भुगतान योग विवरण, स्टाक पंजिका, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, अचल सम्पत्ति पंजिका व चल सम्पत्ति पंजिका आदि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। किसी भी कार्य की त्रिस्तरीय फोटोग्राफ भी नहीं है।

इस प्रकार रू **652297.00** का अपहरण ग्राम प्रधान श्री जीउत व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री नंदलाल प्रसाद द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू **652297.00** का आधा-आधा सब्याज वसूली अपेक्षित है।

28- ग्राम पंचायत - रसुलहां

विकास खण्ड- बड़ागाँव

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **51**

ग्राम पंचायत रसुलहां वर्ष - 2019-20 की लेखा परीक्षा में रू 1950898.00 का व्यय दर्शित है। बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोषबही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रू 1950898.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार व ग्राम पंचायत सचिव श्री मु0 इस्लाम फरीदी द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 975449.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किये गये व्यय (रू) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत | | 38330.00 | ------ | 38330.00 |
| 2 | गिरीस के खेत से कोईलार बार्डर तक खड़ंजा निर्माण | 14वा वित्त | 122777.00 | 23200.00 | 145977.00 |
| 3 | प्यारे के खेत से खरपत के खेत तक खड़ंजा निर्माण | 14वा वित्त | 88085.00 | 16684.00 | 104769.00 |
| 4 | ग्राम प्रधान मानदेय भुगतान | च0रा0वि0 | | 17500.00 | 17500.00 |
| 5 | डोंगल हेतु भुगतान | | 3408.00 | | 3408.00 |
| 6 | प्राथमिक स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्य | 14वा वित्त | 48268.00 | 14176.00 | 62444.00 |
| 7 | शिवराज, सत्यनारायण व चंद्रबली के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर | 14वा वित्त | 104580.00 | ------- | 104580.00 |
| 8 | सोख्ता गड्ढा निर्माण | 14वा वित्त | 47718.00 | 10996.00 | 58714.00 |
| 9 | बासदेव के खेत से महेश प्रसाद के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14वा वित्त | 378225.00 | 47274.00 | 425499.00 |
| 10 | हरी के घर से लाला जी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14वा वित्त | 245838.00 | 30100.00 | 275938.00 |
| 11 | राजेश कारखाने से श्यामरथी के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14वा वित्त | 336577.00 | 42768.00 | 379345.00 |
| 12 | सम्पत के घर से मान सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 14वा वित्त | 155260.00 | 19176.00 | 174436.00 |
| 13 | पिच रोड से विक्रमा के घर तक खडंजा निर्माण | 14वा वित्त | 159958.00 | ------- | 159958.00 |
| | योग | | | | 1950898.00 |

29- ग्राम पंचायत - मधुमखियां
विकास खण्ड- बड़ागाँव
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **52**

ग्राम पंचायत मधुमखियां वर्ष - 2019-20 की लेखा परीक्षा में रू 916776.00 का व्यय दर्शित है। बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोषबही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रू 916776.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजेंद्र शुक्ला व ग्राम पंचायत सचिव श्री मु0 इस्लाम फरीदी द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 458388.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किये गये व्यय (रू) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1 | विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत | च0रा0वि0 | 14150.00 | 5600.00 | 19750.00 |
| 2 | विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत | 14वा वित्त | 72552.00 | 5600.00 | 78152.00 |
| 3 | प्रशासनिक व्यय | च0रा0वि0 | 3255.00 | ------ | 3255.00 |
| 4 | गोवंश आश्रय स्थल पर चारों तरफ खुदाई का कार्य | 14वा वित्त | ------ | 195832.00 | 195832.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | अनेई कपसेठी पिच रोड से गोवंश आश्रय स्थल मधुमखियां तक खडंजा निर्माण | 14वा वित्त | 113809.00 | 27880.00 | 141689.00 |
| 6 | ग्राम पंचायत में जल निकासी हेतु स्पून पाइप कार्य | 14वा वित्त | 80364.00 | ------ | 80364.00 |
| 7 | फूलचंद के घर से भगेलू के खेत तक खडंजा मरम्मत कार्य | 14वा वित्त | 61327.00 | 35840.00 | 97167.00 |
| 8 | स्वच्छता कार्य हेतु डस्टबिन क्रय | 14वा वित्त | 91200.00 | ------ | 91200.00 |
| 9 | पिंटू व सुबाष के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर | 14वा वित्त | 70350.00 | ------ | 70350.00 |
| 10 | प्राथमिक विद्यालय में समरसिबल व टंकी निर्माण | 14वा वित्त | 134977.00 | 4040.00 | 139017.00 |
| | योग | | | | 916776.00 |

30- ग्राम पंचायत - ताड़ी
विकास खण्ड- बड़ागाँव
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **53**</u>

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कोषबही में विभिन्न स्थानों पर पानी निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय हेतु दिनांक 20.02.2020 को कुल रू 88374.00 का भुगतान किया गया है। उक्त दर्शित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां है -

**1-** उक्त ह्यूम पाइप क्रय किस स्थान पर लगाने के लिए किया गया है। इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है।

**2-** उक्त दर्शित कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गई है। यह कार्य ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व में स्वीकृति है और न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है।

**3-** उक्त कार्य का इस्टीमेट व एम**0**बी**0** भी तैयार नहीं कराया गया है तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा फोटोग्राफ भी उपलब्ध नहीं रहा।

**4-** क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है तथा क्रय की गई सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

**5-** उक्त निर्माण कार्य हेतु श्रमांश भुगतान का कोई विवरण नहीं है। कोई मस्टररोल भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

इस प्रकार रू 88374.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राम जियावन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 44187.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर - **54**</u>

प्रत्येक ग्राम प्रधान को एक निश्चित धनराशि रू 3500.00(दिसम्बर 2016 से) मासिक मानदेय के रूप में प्रदान की जाती है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में कुल रू 49000.00 प्रधान मानदेय दिया गया है। उक्त भुगतान पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां है-

1. मानदेय रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मानदेय किस-किस महीने का दिया गया है तथा एक ही महीने का मानदेय कितनी बार दिया गया है।

2- निर्धारित मानदेय के हिसाब से एक वितीय वर्ष में कुल मानदेय रू 42000.00 दिया जाना चाहिए जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम प्रधान मानदेय के रूप में रू 49000.00 दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू 7000.00 मानदेय का अधिक भुगतान कर अपहरण ग्राम प्रधान श्री राम जियावन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा किया गया है। सब्याज वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर - **55**</u>

आलोच्य वर्ष में रू 10895.00 का आहरण दिनांक 29.07.2019 को खाता संख्या 427202010001407 से किया गया है। कोषबही के आय व व्यय पक्ष में उक्त धनराशि का उल्लेख नहीं किया गया है। अवशेष में भी यह धनराशि अंकित नहीं किया गया है। इस प्रकार रू 10895.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राम जियावन एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विजय कुमार द्वारा किया गया है। रू 5447.50 की वसूली प्रत्येक से सब्याज किया जाना अपेक्षित है।

31- ग्राम पंचायत - नयापुर
विकास खण्ड- सेवापुरी

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **56**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में कैशबुक एवं पासबुक की जांच में पाया गया कि भिन्न-भिन्न तिथियों में हैण्डपम्प रिबोर पर धनराशि व्यय दर्शित है -

| क्र0 सं0 | दिनांक | धनराशि (रू में) | कैशबुक में दर्शित विवरण |
|---|---|---|---|
| 1 | 09.12.2019 | 39096.00 | दुर्गेश पटेल के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर (मजदूरी व सामग्री का भुगतान) |
| 2 | 09.12.2019 | 39396.00 | मुनीब हाशमी के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर (मजदूरी व सामग्री का भुगतान) |
| 3 | 09.12.2019 | 39385.00 | रामराज पटेल के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर (मजदूरी व सामग्री का भुगतान) |
| 4 | 30.12.2019 | 38607.00 | चौरा माता मंदिर के पास हैण्डपम्प रिबोर (मजदूरी व सामग्री का भुगतान) |
| | योग | 156484.00 | |

उपरोक्त व्यय की गई धनराशि रू 156484.00 का कोई व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः धनराशि रू 156484.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री आदर्श दुबे द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 78242.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

32- ग्राम पंचायत - इसरवार

विकास खण्ड- सेवापुरी

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **57**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कैशबुक में आलोच्य वर्ष में विभिन्न स्थानों पर पानी निकासी हेतु ह्यूम पाइप क्रय हेतु दिनांक 07.03.2020 को कुल रू 111600.00 का भुगतान किया गया है। उक्त दर्शित व्यय पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां है।

1. उक्त ह्यूम पाइप क्रय किस स्थान पर लगाने के लिए किया गया है इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है।
2. उक्त दर्शित कार्य की स्वीकृति वित्तीय/तकनीकी किसी स्तर से नहीं ली गई है। यह कार्य ग्राम सभा द्वारा न तो पूर्व स्वीकृति है और न ही कार्य कराने के बाद अनुमोदन लिया गया है।
3. उक्त कार्य का इस्टीमेट व एम0बी0 भी तैयार नहीं कराया गया है तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र तथा फोटोग्राफ भी उपलब्ध नहीं रहा।
4. उक्त कार्य में सामग्री क्रय हेतु कोई निविदा/कोटेशन आमंत्रित नहीं है और न ही कोई क्रय आदेश किसी फर्म को निर्गत है।
5. क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं है तथा क्रय की गई सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।
6. उक्त निर्माण कार्य हेतु श्रमांश भुगतान का कोई विवरण नहीं है।

इस प्रकार धनराशि (रू 111600.00) का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक पाल द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 55800.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - **58**

प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान को एक निश्चित धनराशि रू 3500.00(दिसंबर 2016 से) मासिक मानदेय के रूप में प्रदान की जाती है। लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष में कुल रू प्रधान मानदेय दिया गया है। उक्त भुगतान पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां है -

1. मानदेय रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि मानदेय किस-किस महीने का दिया गया है तथा एक ही महीने का मानदेय कितनी बार दिया गया है।
2. निर्धारित मानदेय के हिसाब से एक वित्तीय वर्ष में कुल मानदेय रू 42000.00 दिया जाना चाहिए जबकि लेखा परीक्षा वर्ष में ग्राम प्रधान मानदेय के रूप में रू 84000.00 दिया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि रू 42000.00 का अधिक भुगतान कर अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती मुन्नी एवं ग्राम प्रचायत सचिव श्री अशोक पाल द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 21000.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

33- ग्राम पंचायत - मनियारीपुर

विकास खण्ड- सेवापुरी

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **59**

ग्राम पंचायत मनियारीपुर वर्ष - 2019-20 की लेखा परीक्षा में रू 1116447.00 का व्यय दर्शित है। बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोषबही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्ययोजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रू 1116447.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर व ग्राम पंचायत सचिव श्री अमन कश्यप द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 558223.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किये गये व्यय (रू) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1 | विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत | च0रा0वि0 | 59400.00 | ------ | 59400.00 |
| 2 | विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत | 14वा वित्त | 38900.00 | ------ | 38900.00 |
| 3 | कमल, भाईलाल के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य | 14वा वित्त | 76754.00 | ------ | 76754.00 |
| 4 | पी0वी0 मनियारीपुर में बाउण्डरीवाल निर्माण कार्य | 14वा वित्त | 398366.00 | 195832.00 | 529042.00 |
| 5 | ग्राम सभा में शोकपिट निर्माण कार्य | 14वा वित्त | 55981.00 | ------ | 55981.00 |
| 6 | बलिराम के घर से बलीचरण के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य | 14वा वित्त | 180785.00 | ------ | 180785.00 |
| 7 | बब्बू सिंह के घर से कमला सिंह के घर तक खडंजा मरम्मत | 14वा वित्त | 67421.00 | ------ | 67421.00 |
| 8 | हरिहर के घर से जग्गन पटेल के घर तक खडंजा मरम्मत कार्य | 14वा वित्त | 58364.00 | ------ | 58364.00 |
| 9 | ग्राम सभा में स्टेशनरी खर्च | च0रा0वि0 | 14800.00 | ------ | 14800.00 |
| 10 | प्रधान मानदेय | च0रा0वि0 | 35000.00 | ------ | 35000.00 |
| | योग | | | | 1116447.00 |

34- ग्राम पंचायत - सिरिहिरा

विकास खण्ड- सेवापुरी

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **60**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि कोषबही में वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राम सभा में विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में कुल रू 117700.00 (19500+19500+19900+ 19500+19900+19400) का व्यय दर्शाया गया है। उक्त दर्शित व्यय धनराशि पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियां है -

1- कैशबुक के अनुसार उक्त समस्त भुगतान किसी फर्म को किया गया है परन्तु किसको किया गया है इस सम्बन्ध में स्थिति अज्ञात रही। क्रय सामग्री की पुष्टि में कोई प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया तथा क्रय की गयी सामग्री स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं है।

**2-** इसमें श्रमांश हेतु अलग भुगतान नहीं दर्शित है तथा श्रमांश भुगतान की पुष्टि में कोई मस्टररोल भी संस्था के पास उपलब्ध नहीं है।

**3-** कार्य की वित्तीय व तकनीकी स्वीकृति किसी भी सक्षम अधिकारी से नहीं लिया गया है। इससे संबंधित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं किया गया। हैण्डपम्प खराब की सूची, कार्यवाही में प्रस्ताव, इस्टीमेट, अनुमानित धनराशि क्रय सामानों की सूची आदि अभिलेख लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्घ् नहीं कराया गया। इस प्रकार रू 117700.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला व ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक पाल द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 58850.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 61

आलोच्य वर्ष के कोषबही में अंकित कार्य पिच रोड से सिंचाई विभाग नाली तक चकरोड पर खडंजा मरम्मत कार्य हेतु रू 35980.00 का व्यय दर्शित है। उक्त भुगतान के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक व मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, आदि अभिलेख भी लेखा परीक्षा के दौरान उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रू 35980.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती विमला व ग्राम पंचायत/ग्राम विकास अधिकारी श्री अशोक पाल द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 17990.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

35- ग्राम पंचायत - राखी नेवादा
विकास खण्ड- सेवापुरी
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 62

आलोच्य वर्ष 2019-20 में रू 70000.00 प्रा0वि0 लच्छीपुर में बाउण्डीवाल मरम्मत कार्य पर व्यय किया गया है। उक्त व्यय के सापेक्ष भुगतान किसको किया गया है स्पष्ट नहीं है। श्रमांश पर कोई भी धनराशि व्यय नहीं किया गया है। कार्य आरम्भ तिथि का अंकन भी नहीं किया गया है। उक्त व्यय से सम्बन्धित इस्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, फोटोग्राफी, व्यय प्रमाणक आदि महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रू 70000.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री विजय कुमार व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शाहिद खान द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 35000.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

36- ग्राम पंचायत - मढ़वा
विकास खण्ड- हरहुआ
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - 63

ग्राम पंचायत- मढ़वा, विकास खण्ड- हरहुआ, जनपद- वाराणसी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय की इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक सम्बन्धित अभिलेख यथा इस्टीमेट, एम0वी0, कार्य आदेश, क्रय आदेश, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय धनराशि रू0 2441257.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ज्ञानचन्द व तात्कालिन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री प्रमोद पाठक द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू0 1220628.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | किये गये व्यय (रू) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1 | प्राइमरी स्कूल मड़वा में बाउंड्री वाल और गेट निर्माण हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 143484.00 | 44250.00 | 187734.00 |
| 2 | टेण्डर प्रकाशन | ------ | 6671.00 | 6671.00 |
| 3 | वृक्षारोपण महाकुम्भ में पौधा ढुलाई हेतु भाड़ा | ------ | 2002.00 | 2002.00 |
| 4 | प्रधान का मानदेय (फरवरी 19 से दिसम्बर 19 तक) | ------ | 38500.00 | 38500.00 |
| 5 | प्राइमरी स्कूल मढवा में मिट्टी भराई और इन्टरलाकिंग हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 180433.00 | 50168.00 | 230601.00 |
| 6 | सीवर सफाई हेतु टुल्लू पम्प क्रय | 18225.00 | ------ | 18225.00 |
| 7 | हनुमान पाण्डेय के घर से सिद्ध विनायक स्कूल तक खडंजा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 109022.00 | 26362.00 | 135384.00 |
| 8 | राजेन्द्र पटेल के घर से रामजी की दुकान तक खडंजा मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 141324.00 | 87234.00 | 228558.00 |
| 9 | जवाहिर के घर से राजकुमार के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 191456.00 | 25088.00 | 216544.00 |
| 10 | बैजनाथ विश्वकर्मा के घर से बीरबल पटेल के घर तक खडंजा मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 57232.00 | 12446.00 | 69678.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 11 | बचाऊ जायसवाल के घर से डीह बाबा मस्जिद तक इन्टरलाकिंग कार्य की मजदूरी | ------ | 24724.00 | 24724.00 |
| 12 | विनोद मिस्त्री के घर से महेश विश्वकर्मा के घर तक खडंजा मरम्मत | 141449.00 | 61740.00 | 203189.00 |
| 13 | कन्हैया के घर से घुरहु के घर तक इन्टरलाकिंग हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 157931.00 | 23072.00 | 181003.00 |
| 14 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री | 37500.00 | ----- | 37500.00 |
| 15 | बाबू लाल के घर से नन्दलाल के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 96869.00 | 11452.00 | 108321.00 |
| 16 | मुन्ना चैबे के घर से सजीवन के घर तक खडंजा हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 184590.00 | 46438.00 | 231028.00 |
| 17 | पंकज सिंह के घर से खडंजा तक खडंजा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 55225.00 | 12908.00 | 68133.00 |
| 18 | हनुमान पाण्डेय के घर से पुलिया तक खडंजा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 171546.00 | 40978.00 | 212524.00 |
| 19 | संतोष त्रिपाठी के घर से छन्नू ठेकेदार के घर तक इन्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 226294.00 | 14644.00 | 240938.00 |
| | योग | | | 2441257.00 |

37- ग्राम पंचायत - वाजिदपुर
विकास खण्ड- हरहुआ
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **64**</u>

ग्राम पंचायत वाजिदपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोषबही की जांच के दौरान पाया गया कि दिनांक 14.01.2020 को निधि प्रथम खाता संख्या 017766 U.B.I शाखा हरहुआ से रु0 94337.00 व रु0 105740.00 आय पक्ष में आहरण दर्शित है। उक्त आहरण के सापेक्ष कोषबही व्यय पक्ष में दिनांक 14.01.2020 को रु0 94337.00 पंचवटी निर्माण हेतु ईशान सेनेटरी को सामग्री (सीमेन्ट बालू) क्रय का व पुन: दिनांक 14.01.2020 को ही रु0 105740.00 पंचवटी अन्तर्गत खड़ंजा हेतु सालिग्राम ईंट भट्ठा को ईंट क्रय का भुगतान दर्शित है जो सम्बन्धित फर्मो को नहीं किया गया है। उक्त दोनों भुगतानो के नीचे अंकित है कि प्रधानो द्वारा कार्य नहीं कराया गया है। उक्त दोनों आहरित धनराशि (रु0 94337.00+105740.00= 200077.00) रु0 200077.00 को दिनांक 31.01.2020 के कैशबुक पर प्रधान के पास नगद अवशेष दर्शित किया गया है। जो दिनांक 31.03.2020 तक कैशबुक पर ज्यों का त्यों प्रधान के पास अवशेष दर्शित है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त दोनों कार्यो पर किया गया व्यय पूर्णतया काल्पनिक व आहरित धन का अपहरण है। अत: दिनांक 31.03.2020 को कैशबुक पर दर्शित अवशेष धनराशि रु0 200077.00 की सब्याज वसूली तत्कालीन प्रधान श्री लालमन यादव व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सीताराम से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है ।

38- ग्राम पंचायत - अटेसुआ
विकास खण्ड- हरहुआ
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **65**</u>

ग्राम पंचायत- अटेसुआ, विकास खंड- हरहुआ, जनपद- वाराणसी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय कि इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक संबंधित

अभिलेख यथा इस्टीमेट, एम0वी0, कार्य आदेश, क्रय आदेश, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय धनराशि रु0 1732356.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती दुर्गावती व तात्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अनिल श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रु0 866178.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र 0 सं0 | कार्य का नाम | किये गये व्यय | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1. | बैजनाथ के पाही से बहादुर के घर तक खड़ंजा कार्य हेतु ईंट सामग्री एवं मजदूरी | 56414 | 42900 | 99314 |
| 2. | रामबली पटेल के घर से सियाराम के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ईंट सामग्री एवं मजदूरी | 79933 | 27350 | 107283 |
| 3. | शिवनारायण वर्मा के घर से सेवा के घर इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ईंट सामग्री एवं मजदूरी | 114648 | 23600 | 138248 |
| 4. | राजेश पटेल के घर से मुन्नालाल के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 56997 | 18100 | 75097 |
| 5. | राम जतन पटेल के खेत से बलराम के घर तक खड़ंजा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 133205 | 23735 | 156940 |
| 6. | उपेंद्र पटेल के घर से सिलवंत के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य हेतु ईंट मजदूरी | 16850 | 7840 | 24690 |
| 7. | एम०बी०एच० स्कूल से शिव कुमार पटेल के कुआं तक खड़ंजा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 160545 | 28235 | 188780 |
| 8. | राधे के घर से श्याम लाल राजभर के घर तक खड़ंजा कार्य हेतु मजदूरी | - | 15000 | 15000 |
| 9. | श्यामा यादव के घर से जवाहिर यादव के घर तक इंटरलॉकिंग हेतु ईंट सामग्री एवं मजदूरी | 88163 | 34800 | 122963 |
| 10. | प्राइमरी स्कूल के फर्श हेतु टाइल्स, पत्थर एवं मजदूरी | 83386 | 40000 | 123386 |
| 11. | शोकपिट निर्माण कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 295772 | 73852 | 369624 |
| 12. | हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 177530 | 86156 | 263686 |
| 13. | प्रधान का डिजिटल हस्ताक्षर कार्य हेतु | - | 1704 | 1704 |
| 14. | प्रिया सॉफ्ट एवं अन्य कार्य हेतु | - | 3000 | 3000 |
| 15. | टेंडर प्रकाशन | - | 4141 | 4141 |
| 16. | प्रधान का मानदेय (फरवरी 19 से दिसंबर 19 तक) | - | 38500 | 38500 |
| | | **योग** | | **1732356.00** |

39- ग्राम पंचायत - मोहनपुर

विकास खण्ड- हरहुआ

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **66**</u>

कैशबुक में निम्नांकित विवरण के अनुसार हैंडपंपों के मरम्मत पर व्यय दर्शाया गया है : -

| क्र0 सं0 | दिनांक | धनराशि | विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | 23.07.2019 | 4200.00 | हैंडपंप मरम्मत की मजदूरी |
| 2. | 24.07.2019 | 15000.00 | हैंडपंप मरम्मत की सामग्री क्रय |
| 3. | 20.01.2020 | 15000.00 | हैंडपंप मरम्मत की सामग्री क्रय |
| 4. | 20.01.2020 | 4200.00 | हैंडपंप मरम्मत की मजदूरी |
| | **योग** | **38400.00** | |

उपर्युक्त दर्शित व्ययो पर आपत्तियां निम्नवत है:-

(क) उक्त क्रय का प्रमाणक एवं मजदूरी का मस्टररोल नहीं है।

(ख) हैंडपंप खराब होने की पुष्टि के संदर्भ में लाभार्थियों का आवेदन पत्र जल प्रबंधन समिति की संतुष्टि/ सत्यापन रिपोर्ट लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

(ग) हैंडपंप कौन-कौन से खराब है, इससे संबंधित जांच रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

(घ) सामग्री क्रय से पूर्व कोटेशन आमंत्रित नहीं किया गया है।

(ड़) दर्शित कार्य का भौतिक सत्यापन रिपोर्ट एवं उपभोग प्रमाण पत्र अनुपलब्ध रहा।

(च) कार्य संपन्न होने के पश्चात कार्य संतोषप्रद होने की रिपोर्ट नहीं है।

(छ) स्टॉक रजिस्टर नहीं बनाया गया है, जिससे क्रय सामग्री एवं अप्रयोज्य सामग्री के अंकन की भी पुष्टि नहीं की जा सकी।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर रु0 38400.00 का व्यय दर्शाकर अपहरण ग्राम प्रधान श्री संजय व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मिथिलेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रु0 19200.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

40- ग्राम पंचायत - पूरबपुर
विकास खण्ड- हरहुआ
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **67**</u>

ग्राम पंचायत- पूरबपुर, विकास खंड- हरहुआ, जनपद- वाराणसी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर संपन्न की गई है। ग्राम पंचायत के द्वारा व्यय कि इस धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक संबंधित अभिलेख यथा इस्टीमेट, एम0वी0, कार्य आदेश, क्रय आदेश, व्यय प्रमाणक, मस्टररोल व कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र इत्यादि लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।

इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा दर्शित व्यय धनराशि रु0 2420359.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री मुन्ना व तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मिथिलेश श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रु0 1210179.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है:-

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | किये गये व्यय | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1. | वॉल पेंटिंग और स्वच्छता स्लोगन कार्य | - | 10000.00 | 10000.00 |
| 2. | सतीश के घर से रमेश विश्वकर्मा के घर तक जल निकासी हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 35385.00 | 28635.00 | 64020.00 |
| 3. | मुनीब के घर से विनय के चक तक खड़ंजा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 203851.00 | 52240.00 | 256091.00 |
| 4. | रूपचंद के चक से प्रदीप यादव के चक तक खड़ंजा हेतु मिट्टी क्रय | 6080.00 | - | 6080.00 |
| 5. | फौजदार के घर से हरिशंकर पटेल के घर तक खड़जा कार्य हेतु मिट्टी क्रय | 7600.00 | - | 7600.00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. | राजाराम के घर वंशराज विश्वकर्मा के घर तक जल निकासी सामग्री एवं मजदूरी | 20798 | 16738.00 | 37536.00 |
| 7. | पक्की सड़क से मनीष के घर तक खड़जा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 108378.00 | 28200.00 | 136578.00 |
| 8. | बच्चा कोहार के घर से देवलाल के घर तक खड़जा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 89365.00 | 22924.00 | 112289.00 |
| 9. | हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 30600.00 | 8400.00 | 39000.00 |
| 10. | डस्टबिन क्रय एवं मिक्सिंग वर्क | 177000.00 | - | 177000.00 |
| 11. | हैंडपंप रिबोर (64400 x 7 + 64300 x 3 = 643700) | 643700.00 | - | 643700.00 |
| 12. | प्राइमरी स्कूल खानपट्टी का बाउंड्री वॉल गेट मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 30216.00 | 11660.00 | 41876.00 |
| 13. | टेंडर प्रकाशन हेतु | - | 2171.00 | 2171.00 |
| 14. | पक्की सड़क से दीना के घर तक खरंजा मरम्मत मिट्टी एवं सामग्री एवं मजदूरी | 157340.00 | 87330.00 | 244670.00 |
| 15. | संग्राम के घर से चौरा माता मंदिर तक खड़ंजा मरम्मत हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 234860.00 | 83290.00 | 318150.00 |
| 16. | प्रधान का मानदेय | - | 56000.00 | 56000.00 |
| 17. | खड़ंजा से गद्दारों के घर तक खरंजा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 30004.00 | 12080.00 | 42084.00 |
| 18. | पक्की सड़क से रघुनाथ प्रजापति के घर तक खड़ंजा कार्य हेतु सामग्री एवं मजदूरी | 14332.00 | 35197.00 | 49529.00 |
| 19. | सी०सी०रोड से मरी माता मंदिर तक खड़ंजा कार्य हेतु सामग्री | 175985.00 | - | 175985.00 |
| | | **योग** | | **2420359.00** |

41- ग्राम पंचायत - पुआरी कला
विकास खण्ड- हरहुआ
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **68**</u>

लेखा परीक्षा में मजदूरी, मिट्टी क्रय व हैण्डपंप मरम्मत आदि पर मजदूरी का भुगतान किया गया है, जो कोषबही में दर्शित है:-

| क्र0 सं0 | दिनांक | चेक संख्या | धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता | उद्देश्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.04.19 | 12040662 | 23940.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | मेन पिच रोड से राज नारायण के घर तक खडंजा हेतु मिट्टी क्रय |
| 2. | 16.04.19 | 12040670 | 78870.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | नामवर सिंह के मकान से नारायण वाल तक खड़ंजा हेतु मजदूरी |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 16.04.19 | 12040667 | 38530.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | मेन खड़ंजा से भैया लाल के घर तक खड़ंजा हेतु मजदूरी |
| 4. | 16.04.19 | 12040668 | 21280.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | नामवर सिंह के मकान से नारायण वाल तक खड़ंजा हेतु मिट्टी क्रय |
| 5. | 16.04.19 | 12040665 | 13680.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | मेन खड़ंजा से भैया लाल के घर तक खड़ंजा हेतु मिट्टी क्रय |
| 6. | 01.05.19 | 12040676 | 25944.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | मदन मोहन के घर से गोपाल चौबे के घर तक इंटरलाकिंग हेतु मजदूरी |
| 7. | 01.05.19 | 12040673 | 23870.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | नागेंद्र मिश्रा के घर से पिच रोड तक इंटरलाकिंग हेतु मजदूरी |
| 8. | 02.07.19 | 12043364 | 23180.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | राम सागर के खेत से अर्जुन के घर तक खडंजा मरम्मत हेतु मिट्टी क्रय |
| 9. | 02.07.19 | 12043365 | 67920.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | राम सागर के खेत से अर्जुन के घर तक खडंजा मरम्मत हेतु मजदूरी |
| 10. | 05.07.19 | 12043376 | 23955.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | केशव पांडे के घर लाल जी के घर तक इंटरलाकिंग हेतु मजदूरी |
| 11. | 05.07.19 | 12043373 | 15600.00 | श्री त्रिभुवन मिश्रा | हैंडपंप मरम्मत की मजदूरी |
| | | योग | 356769.00 | | |

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि मस्टररोल मजदूरी का भुगतान, मिट्टी क्रय का भुगतान व हैंड पंप मरम्मत मजदूरी का भुगतान संबंधित मजदूरों मिस्त्री को ना कर श्री त्रिभुवन मिश्रा को किया गया है जो अपहरण का द्योतक है। अतः किए गए कुल भुगतान रु0 356769.00 की सब्याज वसूली तत्कालीन प्रधान श्रीमती सरोज व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री मिथिलेश श्रीवास्तव (प्रत्येक से रु0 178389.50 की सब्याज) से की जानी अपेक्षित है ।

42- ग्राम पंचायत - ताला

विकास खण्ड- चोलापुर

लेखा परीक्षा वर्ष 2017-18 से 2019-20

<u>प्रस्तर - **69**</u>

आलोच्य वर्ष **2019-20** की लेखा परीक्षा मे ग्राम निधि प्रथम की कोषबही / और बैंक पासबुक के अनुसार कुल रुपया **482126.00 का उपभोग दर्शित** रहा। कोषबही पर प्रधान के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान कोषबही के अलावा कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत- निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रुपये 482126.00 का अपहरण सचिव और प्रधान के द्वारा किया गया है जिसकी वसूली प्रत्येक से आधा आधा मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

| क्र. | कार्य का नाम | बा0नं0 | वर्क आई0 डी0 | दिनांक | चेक नं0 | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मद चतुर्थ राज्य वित** (एस.एफ.सी)+ **वित्त आयोग** (एफ.एफ.सी) | | | | | | |
| 1 | स्कूल रंगाई पुताई पर व्यय | | 20672393 | 8.4.19 | 95641 | 85900 | अदर्स |
| 2 | निविदा सूचना | | 20672394 | 8.4.19 | 95630 | 4141 | एजेन्सी |
| 3 | निविदा सूचना | | 20672394 | 19.8.19 | 140840 | 3500 | इम्प्लाई |
| 4 | डस्टबिन | | 20593243 | 30.7.19 | 140841 | 177000 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | शौचालय प्रचार का गोविंद पेंटर को | | 20593255 | 5.10.19 | 95643 | 10500 | अदर्स |
| 6 | स्कूल मे समरसेबल पम्प और टंक | | 20593242 | 9.10.19 | 95649 | 60000 | एजेन्सी |
| 7 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | | 20593250 | 31.10.19 | 95646 | 16500 | सिटीजन |
| 8 | टाइल्स प्राथमिक विद्यालय और पंचायत भ0 | | 20593246 | 31.10.19 | 95650 | 60000 | एजेन्सी |
| 9 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | | 20593225 | 31.10.19 | 95647 | 16350 | सिटीजन |
| 10 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | | 20593226 | 31.10.19 | 95648 | 15650 | एजेन्सी |
| 11 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | | 20593248 | 31.10.19 | 95644 | 16210 | एजेन्सी |
| 12 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | | 20593228 | 31.10.19 | 95645 | 16350 | एजेन्सी |
| 13 | फ़ोटो स्टेट | | 14858243 | 16.2.20 | PFMS | 25 | एजेन्सी |
| | | | | | **योग** | **482126.00** | |

<u>प्रस्तर - **70**</u>

आलोच्य वर्ष **2018-19** मे कुल उपभोग / व्यय (चतुर्थ राज्य वित्त आयोग / 4 एस.एफ.सी मद मे रुपया 681194.00 और 14 एफ.सी मद मे रुपया 2020029.00) रुपया **2701223.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा मे कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत- निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रुपये **2701223.00** का अपहरण सचिव और प्रधान के द्वारा किया गया है जिसकी वसूली प्रत्येक से आधा आधा मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मद वित्त आयोग (एफ.एफ.सी) | | | | | 18-19 | |
| | पंचायत भवन खिड़की दरवाजा मरम्मत | 1 | 14854244 | 3.4.18 | 140810 | 51900 | एजेन्सी |
| | " | 2 | " | 25.6.18 | 140823 | 12500 | एजेन्सी |
| | खड़ंजा नि0 विजय यादव के घर से घूमती.. | 3 | 14858248 | 25.6.18 | 140811 | 75193 | एजेन्सी |
| | " | 4 | " | " | 140812 | 13470 | एजेन्सी |
| | ख0नि0 कमला पिच से सुशीला के घर तक.. | 5 | 14858250 | " | 140813 | 30167 | एजेन्सी |
| | " | 6 | " | " | 140814 | 5345 | एजेन्सी |
| | ख0नि0 खड़ं0 से कंचन के घर तक.ईंट कार्य | 7 | 14858254 | " | 140819 | 27030 | एजेन्सी |
| | " | 8 | " | " | 140820 | 5005 | एजेन्सी |
| | ख0नि0 लालू के घर से नथु के घर तक.. | 9 | 14858252 | " | 140817 | 22384 | एजेन्सी |
| | " | 10 | " | 25.6.18 | 140818 | 4140 | एजेन्सी |
| | खड़ंजा पिच रोड से पाँचू के घर तक | 11 | 14858253 | " | 140815 | 91674 | एजेन्सी |
| | " | 12 | " | " | 140816 | 16560 | एजेन्सी |
| | नाली ओमप्रकाश से विक्रम सिंह के मशीन | 13 | 14858211 | 10.1.19 | 140825 | 218716 | एजेन्सी |
| | " | 26 | " | 19.3.19 | 95636 | 20000 | एजेन्सी |
| | सीवरलाइन माया सिंह के घर से रामजी कूप | 14 | 14858212 | 8.2.19 | 140839 | 40000 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मजदूरी | 15 | 14858233 | 25.6.18 | 140821 | 19800 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मजदूरी और सामग्री | 19 | 14858258 | 1.2.19 | 140819 | 19800 | एजेन्सी |
| | " | 16 | 14858234 | 25.6.18 | 140819 | 19800 | एजेन्सी |
| | " | 17 | 14858236 | 5.2.19 | 140833 | 19800 | एजेन्सी |
| | " | 18 | 14858235 | " | 140830 | 19800 | एजेन्सी |
| | " | 20 | 14858259 | " | 140831 | 19800 | एजेन्सी |
| | " | 21 | 14858260 | " | 140832 | 19800 | एजेन्सी |
| | " | 22 | 14858261 | " | 140834 | 19800 | एजेन्सी |
| " | " | 23 | 14858262 | 11.2.19 | 140835 | 19800 | एजेन्सी |
| | " | 24 | 14858263 | 11.2.19 | 140836 | 19800 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | " | 25 | 14858264 | 11.2.19 | 140837 | 19800 | एजेन्सी |
| | ख0नि0 पिच रोड से प्राथ0 विद्यालय तक. | 31 | 14858242 | 5.3.19 | 95606 | 36635 | एजेन्सी |
| | " | 32 | " | 5.3.19 | 95605 | 100149 | एजेन्सी |
| | " | 33 | " | 19.3.19 | 95635 | 19235 | एजेन्सी |
| | ख0नि0बदरी भगत मशीन से अंबेडकर मं0 | 34 | 14858245 | 5.3.19 | 95614 | 53550 | एजेन्सी |
| | ख0नि0 अतिथि नाले से राजा के पाही तक | 35 | 14858247 | 5.3.19 | 95603 | 193283 | एजेन्सी |
| | " | 36 | " | 19.3.19 | 95632 | 37245 | एजेन्सी |
| | खड़ंजा दिनेश सिंह के घर से पिच रोड तक | 30 | 14858238 | 26.2.19 | 95633 | 4320 | एजेन्सी |
| | " | 29 | " | " | 95601 | 22785 | एजेन्सी |
| | खड़ंजा दीना नाथ के घर से तिलकू यादव.. | 27 | 14854246 | 26.2.19 | 95602 | 67580 | एजेन्सी |
| | " | 28 | " | 19.3.19 | 95631 | 19615 | एजेन्सी |
| | ख0नि0 पिच रोड से श्रीनाथ सिंह के घर तक | 40 | 14858221 | 18.3.19 | 95638 | 124600 | एजेन्सी |
| | ख0नि0 शिवनाथ के घर से शिव मंदिर तक. | 41 | 14858239 | 18.3.19 | 95639 | 125900 | एजेन्सी |
| | टाइल्स प्रथमिक विद्यालय | 42 | 14858224 | 19.3.19 | 95620 | 10770 | एजेन्सी |
| | " | 43 | " | 18.3.19 | 95618 | 37913 | एजेन्सी |
| | " | 44 | " | 19.3.19 | 95619 | 14565 | एजेन्सी |
| | नाली माया सिंह के घर से राम जी के घर.. | 48 | 14858241 | 22.3.19 | 16694 | 29335 | अदर्स |
| | " | 49 | " | " | 16711 | 200982 | एजेन्सी |
| | " | 50 | " | " | 16720 | 69683 | एजेन्सी |
| | | योग | | | | **2020029.00** | |
| | **मद चतुर्थ राज्य वित्त** (एस.एफ.सी) | | | | | | |
| | राजपूत बस्ती खलियान बउन्ड्री वाल निर्माण | 1 | 14858228 | 22.1.19 | 140826 | 145500 | एजेन्सी |
| | " | 2 | " | 1.2.19 | 140828 | 57700 | एजेन्सी |
| | " | 5 | " | 5.3.19 | 95604 | 82959 | एजेन्सी |
| | " | 6 | " | 19.3.19 | 95637 | 50050 | एजेन्सी |
| | खड़ंजा निर्माण प्राथ0 जूनियर विद्यालय मे | 3 | 14858225 | 1.2.19 | 140827 | 149940 | एजेन्सी |
| | " | 7 | " | 5.3.19 | 95607 | 44440 | एजेन्सी |
| | " | 8 | " | 19.3.19 | 95634 | 22855 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मजदूरी और सामग्री | 4 | 14858265 | 11.2.19 | 140838 | 16750 | एजेन्सी |
| | खड़ंजा श्रीनाथ के घरसे भैयालाल के घरतक | 9 | 14858220 | 29.3.19 | 95640 | 101000 | एजेन्सी |
| | साफ सफाई | 10 | 14858257 | 19.3.19 | 95621 | 10000 | एजेन्सी |
| | | योग | | | | **681194.00** | |
| | | सम्पूर्ण योग (4राज्य वित्त + 14fc) | | | | **2701223.00** | |

प्रस्तर - **71**

- आलोच्य वर्ष **2017-18** ग्राम निधि प्रथम मे उपभोग / व्यय रुपया **843934.00** दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा मे कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत- निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रुपये **843934.00** का अपहरण सचिव और प्रधान के द्वारा किया गया है प्रत्येक से रुपया 421967.00 मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है-

| | कार्य का नाम | बा0नं0 | वर्क आई0 डी0 | दिनांक | चेक नं0 | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मद चतुर्थ राज्य वित्त (एस.एफ.सी) | | | | | | |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 1 | 4417018 | 7.4.17 | 140770 | 16530 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर मजदूरी | 2 | " | " | 140768 | 3440 | अदर्स |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 3 | 4417020 | " | 140767 | 16540 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | हैंडपंप रिपेयर मजदूरी | 4 | " | " | 140769 | 3440 | अदर्स |
| | टेंडर 2 साल | 5 | 4417023 | 15.6.17 | 140780 | 7000 | अदर्स |
| | सामग्री दरी चटाई | 6 | " | " | 140779 | 5000 | एजेन्सी |
| | फ़ोटो स्टेट | 7 | " | " | 140776 | 5315 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 8 | 4417019 | " | 140762 | 15620 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयरमजदूरी | 9 | " | 22.6.17 | 140791 | 3440 | अदर्स |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 10 | 4417021 | 15.6.17 | 140790 | 16540 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर मजदूरी | 11 | 4417021 | 22.6.17 | 140789 | 3440 | अदर्स |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 12 | 4417022 | 22.6.17 | 140788 | 16545 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर मजदूरी | 13 | " | " | 140787 | 3440 | अदर्स |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 14 | 13102086 | 22.6.17 | 140786 | 16538 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर मजदूरी | 15 | " | " | 140785 | 3440 | अदर्स |
| | प्रधान का मानदेय | 16 | 4417024 | 28.6.17 | 140801 | 21000 | अदर्स |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 17 | 13102087 | 22.6.17 | 140774 | 16535 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर मजदूरी | 18 | 13102087 | 28.6.17 | 140802 | 3440 | अदर्स |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री और मजदूरी | 19 | 13102088 | 28.6.17 | 140797 | 17080 | एजेन्सी |
| | " | 20 | 13102089 | 29.6.17 | 140803 | 16535 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री और मजदूरी | 21 | 13102090 | 29.7.17 | कैश | 19980 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री और मजदूरी | 22 | 13102091 | 29.7.17 | कैश | 16586 | एजेन्सी |
| | प्रधान का मानदेय | 23 | 4417024 | 15.9.17 | 140805 | 7000 | अदर्स |
| | स्वच्छता स्लोगन | 24 | 4417016 | 25.9.17 | 140806 | 5000 | अदर्स |
| | | योग | | | | **259424.00** | |
| | **वित्त आयोग (एफ.एफ.सी)** | | | | | | |
| | भूमि0 नाली बदरी भगत से छेदी केघर तक | 1 | 13102085 | 7.4.17 | 140764 | 58450 | एजेन्सी |
| | " | 2 | " | " | 140765 | 8000 | अदर्स |
| | बाउंडरी वाल प्रा0 स्कूल से जूनियर स्कूल | 3 | 13102083 | 15.6.17 | 140778 | 30000 | अदर्स |
| | " | 4 | " | " | 140777 | 35300 | एजेन्सी |
| | " | 5 | " | " | 140773 | 35600 | एजेन्सी |
| | " | 6 | " | " | 140775 | 25200 | एजेन्सी |
| | " | 7 | " | 28.6.17 | 140800 | 27900 | अदर्स |
| | " | 8 | " | 17.8.17 | 140798 | 55250 | एजेन्सी |
| | " | 9 | " | 28.7.17 | 140792 | 9620 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 10 | 4417007 | 15.6.17 | 140781 | 17760 | एजेन्सी |
| | जगह जगह जल निकासी हेतु एच.पी. | 11 | 13102082 | 15.6.17 | 140772 | 129450 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 12 | 4417008 | 22.6.17 | 140783 | 16540 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप रिपेयर मजदूरी | 13 | " | " | 140784 | 3440 | अदर्स |
| | पं0भ0 स्कूल टॉयलेट और स्कूल मैन्टेनेन्स | 14 | 13102084 | 25.1.18 | 140808 | 60000 | एजेन्सी |
| | " | 15 | | 25.1.18 | 140809 | 72000 | एजेन्सी |
| | | योग | | | | **584510.00** | |
| | सम्पूर्ण योग | | | | 843934.00 | | |

43- ग्राम पंचायत - चौबेपुर
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष 2019-20

प्रस्तर - **72**

क) आलोच्य वर्ष मे ग्राम निधि प्रथम से धनराशि रुपये 161610.00का भुगतान चेक के माध्यम से विभिन्न तिथियों मे मजदूरी पर किया गया है। बैंक स्टेटमेंट मे यह “स्वयं को भुगतान” अंकित पाया गया है। इस प्रकार रुपये 161610.00का आहरण कर गंभीर अनियमितता के लिए प्रधान श्रीमती निर्मला जायसवाल और सचिव श्री ओम प्रकाश यादव उत्तरदायी है। प्रत्येक से आधा आधा मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

| क्र. | **आन लाइन बा0नं0** | दिनांक | **धनराशि** | **वेन्डर** | **चेक** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4एस.एफ.सी /2019-20/ पी /5 | 25.06.19 | 5550.00 | कैश चेक पेड टू सेल्फ | 26440 |
| 2 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /2 | 20.07.19 | 25578.00 | कैश चेक पेड टू सेल्फ | 26442 |
| 3 | 4एस.एफ.सी /2019-20/ पी /8 | 8.08.19 | 2750.00 | कैश चेक पेड टू सेल्फ | 26447 |
| 4 | 4एस.एफ.सी /2019-20/ पी /9 | 8.08.19 | 2750.00 | कैश चेक पेड टू सेल्फ | 26448 |
| 5 | 4एस.एफ.सी /2019-20/ पी /16 | 8.08.19 | 5712.00 | कैश चेक पेड टू सेल्फ | 26444 |
| 6 | 4एस.एफ.सी /2019-20/ पी /12 | 13.8.19 | 31436.00 | कैश चेक पेड टू सेल्फ | 26452 |
| 7 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /11 | 14.8.19 | 41211.00 | कैश चेक पेड टू सेल्फ | 26463 |
| 8 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /7 | 14.8.19 | 42623.00 | कैश चेक पेड टू सेल्फ | 26460 |
| 9 | 4एस.एफ.सी /2019-20/ पी /17 | 14.8.19 | 4000.00 | कैश चेक पेड टू सेल्फ | 26464 |
| | | योग | **161610.00** | | |

ख) ग्राम निधि प्रथम से रुपये 186415.00का भुगतान पी.एफ.एम.एस के माध्यम से विभिन्न तिथियों मे किसी राकेश सोनकर मेठ को किया गया है।यह न तो मजदूर है न ही कर्मचारी है। इस प्रकार रुपये 186415.00का आहरण कर गंभीर अनियमितता के लिए प्रधान श्रीमती निर्मला जायसवाल और सचिव श्री ओम प्रकाश यादव उत्तरदायी है। प्रत्येक से आधा आधा मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

| क्र. | **आन लाइन बा0नं0** | दिनांक | **धनराशि** | **वेन्डर** | **चेक** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /30 | 1/3/2020 | 9790.00 | राकेश सोनकर मेठ ~ सिटीजन | पी.एफ.एम.एस |
| 2 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /32 | 1/3/2020 | 22936.00 | राकेश सोनकर मेठ ~ सिटीजन | पी.एफ.एम.एस |
| 3 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /34 | 1/3/2020 | 7012.00 | राकेश सोनकर मेठ ~ सिटीजन | पी.एफ.एम.एस |
| 4 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /36 | 1/3/2020 | 3158.00 | राकेश सोनकर मेठ ~ सिटीजन | पी.एफ.एम.एस |
| 5 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /22 | 11/12/2019 | 24525.00 | राकेश सोनकर मेठ ~ सिटीजन | पी.एफ.एम.एस |
| 6 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /24 | 19/12/2019 | 9370.00 | राकेश सोनकर मेठ ~ सिटीजन | पी.एफ.एम.एस |
| 7 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /26 | 28/12/2019 | 45629.00 | राकेश सोनकर मेठ ~ सिटीजन | पी.एफ.एम.एस |
| 8 | एफ.एफ.सी /2019-20/ पी /28 | 28/12/2019 | 26045.00 | राकेश सोनकर मेठ ~ सिटीजन | पी.एफ.एम.एस |
| 9 | 4एस.एफ.सी /2019-20/ पी /22 | 29/03/2020 | 37950.00 | राकेश सोनकर मेठ ~ सिटीजन | पी.एफ.एम.एस |
| | | योग | **186415.00** | | |

44- ग्राम पंचायत - कटारी

विकास खण्ड- चोलापुर

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **73**

1- **ग्राम** पंचायत मे अधोलिखित भुगतान किए गए है

| | मद | दिनांक | वर्क आई० डी० | सामग्री | मजदूरी | वाउचर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हैंडपंप मरम्मत | 14.8.19 | 17721352 | 14800 | - | 3 |
| 2 | हैंडपंप मरम्मत | 14.8.19 | 17721353 | 15800 | - | 4 |
| 3 | हैंडपंप मरम्मत | 26.3.20 | 17721365 | 15100 | 3400 | 5ए ,बी |
| 4 | हैंडपंप मरम्मत | 26.3.20 | 17979241 | 15500 | 3400 | 6ए ,बी |
| 5 | हैंडपंप मरम्मत | 27.3.20 | 17721376 | 15700 | 3400 | 7ए ,बी |
| 6 | हैंडपंप मरम्मत | 27.3.20 | 17979239 | 15900 | 3400 | 8ए ,बी |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | हैंडपंप मरम्मत | 27.3.20 | 17721355 | 15924 | - | 9e |
| | | | योग | 122324.00 | | |

अ- उपरोक्त हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया .जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया।

आ- कतिपय मामलों मे मजदूरी पर कोई भी धनराशि का उपभोग नहीं किया गया है। जिसके बिना कार्य का संभव नहीं है।

इ- मरम्मत के उपरांत डेड स्टाक की स्थिति भी डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अज्ञात रही। इस्टिमेट ,माप पुस्तिका ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,त्रिस्तरीय फ़ोटो और वाउचर भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहे।

इस प्रकार रुपये 122324.00के अपहरण के लिए तत्कालीन सचिव श्री मनोज कुमार त्रिपाठी और ग्राम प्रधान श्री प्यारेलाल उत्तरदायी है। प्रत्येक .से रुपया 61162.00 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर - **74**</u>

1- ग्राम पंचायत मे अधोलिखित विवरण के अनुसार भुगतान किए गए है-

वर्क 1779243दिनांक 13.8.19 को रु -/102850.00 श्री राम इन्टर प्राइजेज को ह्यूम पाइप पर वर्क 1779243दिनांक 13.8.19को रु -/96214.00बनारस ह्यूम पाइप को ह्यूम पाइप पर आलोच्य वर्ष में रूपये 199064.00 ह्युम पाइप पर जल निकासी कार्य हेतु व्यय किये गए है लेकिन इस ह्युम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर शून्य रूपये /कुछ भी व्यय नही किया गया है .मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य का पूर्ण होना संभव नहीं है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप का उपभोग किया गया है यह भी अस्पष्ट रहा। स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। ह्युम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईंट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। जैसा कि भूमिगत नाली निर्माण के सन्दर्भ में किया जाता है। कच्ची सड़क या संपर्क मार्ग से जल निकासी हेतु अलग से ह्युम पाइप खरीद के बजाये कार्य के एस्टीमेट में ही इसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए और निर्धारित दुरी पर मानक के अनुसार इसकी स्थापना की जानी चाहिए। धनराशि रुपये 199064.00के अपहरण के लिए तत्कालीन **प्रधान** और तत्कालीन ग्राम पंचायत **सचिव** उत्तरदायी हैं। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा आधा मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

45- ग्राम पंचायत - भिदुर
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **75**</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज / प्रियासॉफ्ट के वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा विवरण (प्रारूप -1) पर प्रारम्भिक अवशेष रुपया 228141.00 और वर्ष मे प्राप्त अनुदान / आय रुपया 2068457.00के सापेक्ष वर्षांत अवशेष रुपया 1474763.98रहा एवं वर्ष मे उपभोग / व्यय रुपया **821834.02 (ई ग्राम स्वराज पर मदवार विवरण के अनुसार रुपये 1026326.00)** दर्शित रहा। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत- निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। सक्षम अधिकारियों से पत्राचार के बाद भी ग्राम पंचायत के द्वारा रुपये **1026326.00 व्यय के सापेक्ष** कोई भी महत्वपूर्ण अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपलब्ध न करा कर उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्रीमती अनीता देवी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर कर लिया गया हैं। प्रत्येक से इस संबंध में नियमानुसार आधा आधा मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

| क्रम | कार्य का नाम | वा०न | वर्क आईडी | दिनांक | चेक न० | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मद चतुर्थ राज्य वित्त (एस.एफ.सी)** | | | | | | |
| | आगनबाड़ी निर्माण सामग्री | 1 | 20967902 | 31.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 14175 | एजेंसी |
| | आगनबाड़ी निर्माण पेंटिंग | 2 | 20967904 | 31.3.20 | " | 50000 | एजेंसी |
| | फीडिंग, फ़ोटो स्टेट,स्टैशनरी sbm ऑडिट | 3 | " | " | " | 24531 | एजेंसी |
| | | योग | | | | **88706.00** | |
| | **मद वित्त आयोग** (एफ.एफ.सी) | | | | | | |
| | इंटरलॉकिंग प्राईमरी स्कूल मजदूरी | 1 | 19266271 | 26.7.19 | 24052 | **16800.00** | **अन्य** |
| | इंटरलॉकिंग प्राईमरी स्कूल ईंट | 2 | " | 26.7.19 | 24048 | **72800.00** | **अन्य** |
| | इंटरलॉकिंग प्राईमरी स्कूल सामग्री | 3 | " | 29.7.19 | 24050 | **35340.00** | **एजेंसी** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| इंटरलॉकिंग प्राईमरी स्कूल ईंट | 4 | " | " | 24051 | **33470.00** | **एजेंसी** |
| " | 5 | " | " | 24055 | **49500.00** | **एजेंसी** |
| " | 6 | " | 30.7.19 | 56346 | **56346.00** | **एजेंसी** |
| इंटरलॉकिंग प्राईमरी स्कूल | 8 | " | " | 24058 | **16550.00** | **अन्य** |
| इंटरलॉकिंग प्राईमरी स्कूल मजदूरी | 7 | " | " | 24056 | **16800.00** | **अन्य** |
| इंटरलॉकिंग प्राईमरी स्कूल ईंट | 15 | 19266288 | 5.9.19 | 90678 | **100032.00** | **एजेंसी** |
| हैंड पंप रिबोर राजन | 9 | 19266272 | 8.4.19 | 24044 | **21210.00** | **इम्प्लाई** |
| हैंडपंप मरम्मतमजदूरी | 10 | 19266290 | 26.7.19 | 24053 | **15600.00** | **इम्प्लाई** |
| पंचायत भवन गेट निर्माण | 11 | 19266273 | 30.7.19 | 24054 | **12300.00** | एजेंसी |
| टाइल्स प्राईमरी स्कूल | 12 | 19266277 | 9.8.19 | 24060 | **122600.00** | **एजेंसी** |
| टाइल्स प्राईमरी स्कूल | 13 | " | " | 24059 | **121400.00** | **एजेंसी** |
| सोखता निर्माण | 14 | 19266278 | 9.8.19 | 24057 | **30600.00** | **अन्य** |
| नाली रामसूरत के घर से नाला तक .. म0 | 18 | 20967901 | 5.3.20 | पी.एफ.एम.एस | **31430.00** | **सिटिज़न** |
| नाली रामसूरत के घर से नाला तक .सा0 | 19 | " | " | " | **68856.00** | **एजेंसी** |
| सामग्री का भुगतान | 16 | 19266272 | 15.2.20 | पी.एफ.एम.एस | **100.00** | **एजेंसी** |
| नाली रामसूरत के घर से नाला तक ..सा0 | 19 | 20967901 | 13.3.20 | पी.एफ.एम.एस | **68856.00** | **एजेंसी** |
| नाली रामसूरत के घर से नाला तक .. म0 | 20 | " | 13.3.20 | पी.एफ.एम.एस | **31430.00** | **सिटिज़न** |
| हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 21 | 19266299 | 31.3.29 | " | **15600.00** | एजेंसी |
| | योग | | | | **937620.00** | |
| | | **सम्पूर्ण योग** | | **1026326.00** | | |

46- ग्राम पंचायत - देईपुर

विकास खण्ड- चोलापुर

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **76**</u>

शासनादेश संख्या आर.जी.एस.ए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है।

आलोच्य वर्ष में कोषबही मे अंकित वाउचर संख्या 20 के अनुसार बाबा बालक दास इन्टर प्राइजेज को दिनांक 14.8.19 को चेक संख्या 162490 से रूपये **95688.00** जल निकासी हेतु ह्युम पाइप क्रय पर व्यय किये गए है लेकिन इस ह्युम पाइप की स्थापना के सन्दर्भ में मजदूरी पर कुछ भी व्यय नही किया गया है। मजदूर के अभाव में किसी भी कार्य के होने की प्रासंगिकता के संदिग्ध होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। किन स्थानों पर या किन किन कार्यो में इस ह्यूम पाइप का उपभोग किया गया है यह भी अस्पष्ट रहा। स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया। साथ ही व्यय प्रमाणक, एस्टीमेट, माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं कर धनराशि का अपहरण रुपये 47844.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मदीना बेगम और रुपये 47844.00 का सचिव श्री ओम प्रकाश यादव के द्वारा किया गया है। अतः प्रत्येक से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

<u>प्रस्तर - **77**</u>

अधोलिखित विवरण के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर भुगतान किए गए है जिनके संबंध मे अधोलिखित आपत्तियाँ पाई गई-

1- दिनांक 14.8.19 को चेक संख्या 162485 रुपये 18600.00 हैंडपंप मरम्मत माँ काली हार्डवेयर
2- दिनांक 14.8.19 को चेक संख्या 162485 रुपये 18600.00 हैंडपंप मरम्मत माँ काली हार्डवेयर
3- दिनांक 14.8.19 को चेक संख्या 162486 रुपये 19500.00 हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी का माँकाली हार्डवेयर
4- दिनांक 17.02.20 को चेक संख्या / पी.एफ.एम.एस 40436 रुपये 19500.00 हैंडपंप मरम्मत चंदन हार्डवेयर
5- दिनांक 17.02.20 को चेक संख्या / पी.एफ.एम.एस 16701 रुपये 18900.00 हैंडपंप मरम्मत चंदन हार्डवेयर

सम्पूर्ण योग **95900.00**

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत के द्वारा उपर्युक्त विवरण के अनुसार रुपये 95900.00 हैंडपंप मरम्मत पर दर्शित है। उक्त व्यय के संदर्भ मे हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रार्थना प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। कार्यवाही का प्रस्ताव ,अनुमानित व्यय ,संबंधित समिति का प्रस्ताव , डेड स्टाक रजिस्टर, मजदूरी भुगतान का मस्टर रोल, क्रय सामानों का कोटेशन, उपभोग प्रमाण पत्र, व्यय प्रमाणक/वाउचर आदि लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराकर धनराशि का अपहरण किया गया है। रुपये 47950.00 ग्राम प्रधान श्रीमती मदीना बेगम और रुपये 47950.00 के लिये सचिव श्री ओम प्रकाश यादव उत्तरदायी है। प्रत्येक से रुपये47950.00 का मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है।

47- ग्राम पंचायत - राजवारी
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **78**

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष मे उपभोग / व्यय 4राज्य वित्त /चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद मे रुपया **328840.00** दर्शित है। इस उपभोग धनराशि की पुष्टि मे कोई वाउचर / मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली / व्यय प्रमाणक - कैशबुक, पासबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, वर्क आई0डी0, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / वाउचर , मस्टररोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोषबही, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली- प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि आनलाइन दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी। इस प्रकार रुपया 328840.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन प्रधान श्री जगरनाथ और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी हैं। इस संबंध में नियमानुसार आधा आधा मय ब्याज आवश्यक वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।विवरण निम्न है-

| क्र. | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक नं. | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मद चतुर्थ राज्य वित्त(एस.एफ.सी)** | | | | | | |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 1 | 19523286 | 8.4.19 | 572700 | 3450 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मतसामग्री | 2 | " | " | 572694 | 16300 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 3 | 19523349 | " | 572695 | 3450 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मतसामग्री | 4 | " | 9.4.19 | 572697 | 16200 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 5 | 19523350 | " | 572699 | 3450 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मतसामग्री | 6 | " | " | 572691 | 16200 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 7 | 19523302 | | 572693 | 3450 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मतसामग्री | 8 | " | " | 572692 | 15900 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 9 | 19523303 | " | 572690 | 3450 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मतसामग्री | 10 | " | 9.4.19 | 572698 | 16300 | एजेन्सी |
| | प्रधान मानदेय | 11 | 19397378 | 11.4.19 | 572701 | 38500 | इम्पलाई |
| | हैंडपंप मरम्मतसामग्री | 12 | 19523298 | 22.4.19 | 572705 | 16900 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 13 | 19397376 | 29.7.19 | 581164 | 3720 | इम्पलाई |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 14 | " | 1.8.19 | 581163 | 16280 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मरम्मतसामग्री | 15 | 19523301 | 12.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 16300 | एजेन्सी |
| | " | 16 | 19523300 | 12.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 16200 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 19 | 19523301 | 18.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 2150 | सिटीजन |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 20 | 19523300 | " | पी.एफ.एम.एस | 2150 | सिटीजन |
| | गंगा यात्रा | 21 | 20762838 | 26.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 30700 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | गंगा यात्रा | 22 | 20762838 | 26.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 32500 | एजेन्सी |
| | एस.बी.एम सीए ऑडिट फ़ोटो | 23 | 20762838 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 13290 | एजेन्सी |
| | प्रधान मानदेय | 24 | 20762838 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 42000 | सिटीजन |
| | | योग | | | | **328840.00** | |

<u>प्रस्तर - **79**</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष मे उपभोग / व्यय 14 एफ.सी / चौदहवे वित्त आयोग मद मे रुपया **3893251.00** दर्शित है। इस उपभोग धनराशि की पुष्टि मे कोई वाउचर / मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली / व्यय प्रमाणक - कैशबुक, पासबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, वर्क आई0डी0, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / वाउचर , मस्टररोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोषबही, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली- प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि आनलाइन दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी। इस प्रकार रुपया **3893251.00** के अपहरण के लिए तत्कालीन प्रधान श्री जगरनाथ और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी हैं। इस संबंध में नियमानुसार आधा आधा मय ब्याज आवश्यक वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।विवरण निम्न है-

| | **मद वित्त आयोग (एफ.एफ.सी)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भूमिगत नाली नरेंद्र के घर से मैन नाला | 1 | 19523297 | 4.4.19 | 4.4.19 | 133268.00 | एजेन्सी |
| | नाली छोटेलाल के घर से गोविंद के घर -- | 2 | 19523264 | 5.4.19 | 572666 | 112480.00 | अदर्स |
| | नाली किशोरी के घर से लड्डू के मशीन | 3 | 19523317 | " | 572665 | 96390.00 | अदर्स |
| | साफ सफाई का भुगतान | 7 | 19523278 | 6.4.19 | 572664 | 74800.00 | अदर्स |
| | " | 8 | " | " | 572661 | 78500.00 | अदर्स |
| | " | 9 | " | " | 572663 | 75500.00 | अदर्स |
| | " | 5 | 19523278 | 6.4.19 | 572662 | 69700.00 | अदर्स |
| | " | 10 | 19523278 | 6.4.19 | 572660 | 72200.00 | अदर्स |
| | खड़ंजा निर्माण पिच रोड से इंटर0 तक | 11 | 19523306 | 11.4.19 | 572703 | 165000.00 | एजेन्सी |
| | " | 12 | " | 3.8.19 | 581158 | 35200.00 | एजेन्सी |
| | खड़ंजा मरम्मत सुरेश पांडे के घर तक ईंट | 13 | 19523331 | 15.4.19 | 572704 | 148000.00 | एजेन्सी |
| | हैंड पंप मरम्मत सामग्री | 15 | 19523273 | 1.8.19 | 581167 | 16280.00 | एजेन्सी |
| | हैंड पंप मरम्मत मजदूरी | 16 | 19523274 | 29.7.19 | 581166 | 3720.00 | इम्पलाई |
| | हैंड पंप मरम्मत सामग्री | 17 | " | 1.8.19 | 581165 | 16280.00 | एजेन्सी |
| | डस्टबिन | 18 | 19523313 | 13.8.19 | 581175 | 177000.00 | एजेन्सी |
| | डस्टबिन | 19 | 19523314 | 13.8.19 | 581176 | 177000.00 | एजेन्सी |
| | नाली बीज बिहारी से पिच रोड तक पाइप | 20 | 19523269 | 13.8.19 | 581173 | 177000.00 | एजेन्सी |
| | नाली शिवमुरत के खेत से निठुरी के खेत.. | 21 | 19523270 | " | 581174 | 177000.00 | एजेन्सी |
| | नाली छाइबर के घर सेजोखन के घरपाइप | 22 | 19523271 | " | 581178 | 177000.00 | एजेन्सी |
| | " मजदूरी | 23 | " | 14.5.19 | 581178 | 38500.00 | इम्पलाई |
| | नाली संतोष के घर से पोखरी तक | 24 | 19523272 | " | 581177 | 177000.00 | एजेन्सी |
| | सोलर लाइट | 25 | 19523316 | " | 581179 | 218000.00 | एजेन्सी |
| | नाली घनश्याम के घर से मैन नाला | 26 | 19523305 | 6.4.19 | 572667 | 40820.00 | अदर्स |
| | | | | | | | |
| | इंटरलॉकिंग मैन रोड से हरिजन बस्ती ईंट | 28 | 19523329 | 5.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 206972.00 | एजेन्सी |
| | हैंड पंप मरम्मत सामग्री | 29 | 19523342 | 12.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 16354.00 | एजेन्सी |
| | " मजदूरी | 58 | " | 18.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 2150.00 | सिटीजन |
| | हैंड पंप मरम्मत सामग्री | 30 | 19523343 | 12.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 14680.00 | एजेन्सी |
| | " मजदूरी | 60 | " | 18.2.20 | " | 2150.00 | सिटीजन |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इंटरलॉकिंग प्राथमिक विद्यालय दुर्गाव | 31 | 19523338 | 15.1.10 | पी.एफ.एम.एस | 74812.00 | एजेन्सी |
| | इंटरलॉकिंग प्राथमिक विद्यालय राजवारी | 32 | 19523337 | 15.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 93515.00 | एजेन्सी |
| | इंटरलॉकिंग संजीव के घर से मैन रोड ईंट | 33 | 19533334 | 16.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 93515.00 | एजेन्सी |
| | इंटरलॉकिंग हरिजन बस्ती ईंट | 34 | 19523329 | 21.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 46758.00 | एजेन्सी |
| | नाली काली माता से मेन नाला पाइप | 35 | 20514174 | 21.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 122272.00 | एजेन्सी |
| | इंटरलॉकिंगयादव बस्ती महुवर मे | 36 | 20524180 | 21.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 177679.00 | एजेन्सी |
| | नाली विजय के घर से मेन पोखरी .. | 37 | 20524175 | 23.1.20 | पी.एफ.एम.एस | 105450.00 | एजेन्सी |
| | नाली काली माता से मेन नाला पाइप | 38 | 20514174 | 7.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 52634.00 | एजेन्सी |
| | नाली विजय के घर से मेन पोखरी .. | 39 | 20524175 | 7.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 70180.00 | एजेन्सी |
| | हैंड पंप मरम्मत सामग्री | 50 | 19523345 | 18.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 17350.00 | एजेन्सी |
| | " मजदूरी | 51 | " | " | " | 2150.00 | सिटीजन |
| | हैंड पंप मरम्मत सामग्री | 52 | 19523347 | " | " | 15700.00 | एजेन्सी |
| | " मजदूरी | 53 | " | " | " | 2150.00 | सिटीजन |
| | हैंड पंप मरम्मत सामग्री | 54 | 19523265 | " | " | 15800.00 | एजेन्सी |
| | " मजदूरी | 55 | " | " | " | 2150.00 | सिटीजन |
| | हैंड पंप मरम्मत सामग्री | 56 | 19523266 | " | " | 13700.00 | एजेन्सी |
| | " मजदूरी | 57 | " | " | " | 2150.00 | सिटीजन |
| | खड़ंजा मेन रोड से जनार्दन के घर से | 60 | 20524177 | 19.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 21420.00 | एजेन्सी |
| | " | 61 | " | " | " | 10052.00 | सिटीजन |
| | खड़ंजा जयशंकर यादव के इंटरलॉकिंग-- | 62 | 20524173 | " | " | 108700.00 | एजेन्सी |
| | " | 63 | " | " | " | 23048.00 | सिटीजन |
| | ख0म0 पिच रोड से श्यामजी के घर तक | 64 | 20762836 | 20.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 34055.00 | एजेन्सी |
| | खड़ंजा मरम्मत रामवातार से राजू के घर | 65 | 20762837 | 20.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 55012.00 | एजेन्सी |
| | खड़ंजा मरम्मत मुन्ना के घर से जोगेंदर | 66 | 20762835 | 20.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 34055.00 | एजेन्सी |
| | | **योग** | | | | **3893251.00** | |

प्रस्तर - **80**

1- आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष मे उपभोग / व्यय अन्य मद मे रुपया **118120.00** दर्शित है। इस उपभोग धनराशि की पुष्टि मे कोई वाउचर / मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली / व्यय प्रमाणक - कैशबुक, पासबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, वर्क आई0डी0, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / वाउचर , मस्टररोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोषबही, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली- प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि आनलाइन दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी। इस प्रकार रुपया **118120.00** के अपहरण के लिए तत्कालीन प्रधान श्री जगरनाथ और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी हैं। इस संबंध में नियमानुसार आधा आधा मय ब्याज आवश्यक वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

| | **मद अन्य मद (ओ.डब्लू.एन)** | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक नं. | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 1 | 19523304 | 10.6.19 | 581151 | 3440.00 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 3 | 19523287 | 10.6.19 | 581157 | 3440.00 | अदर्स |
| | " | 5 | 19523288 | 10.6.19 | 581149 | 3440.00 | अदर्स |
| | " | 7 | 19523289 | " | 581153 | 3440.00 | अदर्स |
| | " | 9 | 19523290 | " | 581155 | 3440.00 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 10 | " | 15.7.10 | 581155 | 15650.00 | एजेन्सी |
| | " | 2 | 19523304 | " | 581152 | 15300.00 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | " | 4 | 19523287 | " | 581156 | 15300.00 | एजेन्सी |
| | " | 6 | 19523288 | " | 581150 | 15350.00 | एजेन्सी |
| | " | 8 | 19523289 | " | 581154 | 15600.00 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 11 | 19523291 | 29.7.19 | 581170 | 3720.00 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 12 | " | " | 581169 | 16280.00 | एजेन्सी |
| | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 17 | 19523344 | 29.7.19 | 581168 | 3720.00 | इम्पलाई |
| | | **योग** | | | | **118120.00** | |

48- ग्राम पंचायत - डुडुआ
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
प्रस्तर - 81

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज / प्रियासॉफ्ट के वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा विवरण (प्रारूप -1) पर वर्ष मे उपभोग / व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 4एस.एफ.सी मद मे रुपया **606884.00** और 14 वित्त आयोग मद मे रुपया **1256300.00** और अन्त्येष्टि स्थल का विकास मद मे रुपया **1681300.00** और अन्य मद मे **46000.00** दर्शित है। दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखापरीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रुपया 3590484.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन प्रधान मिस रुक्मिणी और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार कुल धनराशि का आधा आधा प्रधान से रुपया 1795242.00 और सचिव से रुपया 1795242.00 मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

| **मद चतुर्थ राज्य वित्त (एस.एफ.सी)** | | | | वर्ष 2019-20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक नं. | धनराशि | भुगतान |
| इंटरलॉकिंग पंचायत भवन से नंदू के हैंडपंप | 1 | 19466673 | 3.4.19 | 374635 | 140000.00 | एजेंसी |
| इंटरलॉकिंग पंचायत भवन से नंदू के हैंडपंप | 2 | 19466673 | 4.5.19 | 32072 | 30000.00 | अदर्स |
| इंटरलॉकिंग पंचायत भवन से नंदू के हैंडपंप | 3 | 19466673 | 16.5.19 | 32078 | 15062.00 | अदर्स |
| इंटरलॉकिंग पंचायत भवन से नंदू के हैंडपंप | 4 | 19466673 | 20.5.19 | 32077 | 20000.00 | अदर्स |
| इंटरलॉकिंग पंचायत भवन से नंदू के हैंडपंप | 5 | 19466673 | 30.5.19 | 32076 | 13650.00 | अदर्स |
| इंटरलॉकिंगपिच रोड से स्कूल तक .. | 6 | 19466672 | 3.4.19 | 374632 | 143000.00 | एजेंसी |
| डस्टबीन | 7 | 19466700 | 13.8.19 | 32091 | 177000.00 | एजेंसी |
| डस्टबीन | 8 | 1966701 | 25.10.19 | 32099 | 36000.00 | एजेंसी |
| टेंडर का भुगतान | 9 | 1966667 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 11782.00 | एजेंसी |
| फ़ोटो स्टेट, एसबीएम फ़ोटो और ऑडिट | 10 | 19466667 | 28.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20390.00 | एजेंसी |
| | | योग | | | 606884.00 | |
| **मद वित्त आयोग (एफ.एफ.सी)** | | | | | | |
| खड़ंजा कार्य पिच रोड से शंकर मंदिर तक | 1 | 19466674 | 3.4.19 | 374631 | 121600.00 | अदर्स |
| भूमिगत नाली सनद के दुकान से काशी के.. | 2 | 19466670 | 3.4.29 | 374637 | 125000.00 | एजेंसी |
| भूमिगत नाली सनद के दुकान से काशी के.. | 3 | 19466670 | 24.7.19 | 32073 | 55200.00 | अदर्स |
| खड़ंजा मरम्मत लालजी के घर से लालता.... | 4 | 19466669 | 5.4.19 | 374638 | 145000.00 | एजेंसी |
| इंटरलॉकिंग इस्माइल के घर से वकील के घर.. | 6 | 19466711 | 5.4.19 | 374639 | 105000.00 | एजेंसी |
| खड़ंजा मरम्मत लालजी के घर से लालता.... | 7 | 19466669 | 13.6.19 | 32082 | 41000.00 | एजेंसी |
| इंटरलॉकिंग इस्माइल के घर से वकील के घर.. | 8 | 19466711 | 13.6.19 | 32081 | 40000.00 | अदर्स |
| खड़ंजा मरम्मत मुन्नी के घर से सभाजित के ... | 9 | 19466710 | 10.5.19 | 32075 | 125000.00 | एजेंसी |
| खड़ंजा मरम्मत सुरेन्द्र के घर से ननहकू .... | 10 | 19466714 | 20.7.19 | 32074 | 75000.00 | एजेंसी |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| भूमिगत नाली वीरेंद्र के घर से नगीना के घर .. | 11 | 19466717 | 8,8,19 | 32088 | 115000.00 | एजेंसी |
| खड़ंजा निर्माण अशोक के घर से रामधनी के.. | 13 | 19466715 | 8.8.19 | 32087 | 121000.00 | अदर्स |
| भूमिगत नाली वीरेंद्र के घर से नगीना के घर .. | 12 | 19466717 | 21.8.19 | 32093 | 45000.00 | अदर्स |
| डस्टबिन कार्य | 16 | 19466699 | 25.10.19 | 32098 | 45000.00 | एजेंसी |
| हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 17 | 19466692 | 16.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 19500.00 | एजेंसी |
| हैंडपंप मरम्मत सामग्री + मजदूरी | 18 | 19466691 | 16.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 19500.00 | एजेंसी |
| हैंडपंप मरम्मत सामग्री + मजदूरी | 19 | 19466690 | 16.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 19500.00 | एजेंसी |
| हैंडपंप मरम्मत सामग्री + मजदूरी | 20 | 19466689 | 16.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 19500.00 | एजेंसी |
| हैंडपंप मरम्मत सामग्री + मजदूरी | 21 | 19466688 | 16.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 19500.00 | एजेंसी |
| | | योग | | | **1256300.00** | |
| **मद अन्य मद (ओन रिसोर्स)** | | | | | | |
| रिबोर सामग्री और मजदूरी | 1 | 19466694 | 25.10.19 | 32097 | **46000.00** | इम्प्लॉई |
| **मद अन्त्येष्टि स्थल** | | | | | | |
| इंटरलॉकिंग पिच रोड से आशोक के घर तक | 1 | 19466671 | 3.4.19 | 374634 | 140000.00 | एजेंसी |
| इंटरलॉकिंग पिच रोड से आशोक के घर तक | 2 | 19466671 | 16.4.19 | 32071 | 35000.00 | एजेंसी |
| इंटरलॉकिंग पिच रोड से आशोक के घर तक | 3 | 19466671 | 6.8.19 | 32086 | 20200.00 | अदर्स |
| इंटरलॉकिंग पिच रोड से आशोक के घर तक | 4 | 19466671 | 17.8.19 | 32092 | 26000.00 | अदर्स |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री ईट | 5 | 19466720 | 13.6.19 | 32083 | 81000.00 | अदर्स |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री ईट | 6 | 19466720 | 13.6.19 | 32079 | 81000.00 | अदर्स |
| अन्त्येष्टि स्थल मजदूरी | 7 | | 29.6.19 | 32085 | 10000.00 | अदर्स |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री | 8 | 19466720 | 8.8.19 | 32090 | 115500.00 | अदर्स |
| ग्राम पंचायत मे सोलर लाइट का भुगतान | 9 | 19466720 | 25.10.19 | 32096 | 218000.00 | एजेंसी |
| स्वकच्छता कार्यक्रम का भुगतान | 10 | 19466720 | 25.10.19 | 32095 | 50000.00 | इम्प्लॉई |
| सामग्री का भुगतान | 11 | 19466720 | 15.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 100.00 | एजेंसी |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री | 13 | 19466720 | 27.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 90850.00 | एजेंसी |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री | 14 | 19466720 | 27.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 98480.00 | एजेंसी |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री | 15 | 19466720 | 27.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 95470.00 | एजेंसी |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री | 16 | 19466720 | 27.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 102800.00 | एजेंसी |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री | 17 | 19466720 | 27.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 96900.00 | एजेंसी |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री | 18 | | 29.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 78150.00 | एजेंसी |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री | 19 | | 29.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 90500.00 | एजेंसी |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री और मजदूरी | 20 | | 29.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 91350.00 | एजेंसी |
| अन्त्येष्टि स्थल सामग्री | 21 | | 29.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 160000.00 | एजेंसी |
| | | योग | | | 1681300.00 | |
| | **सम्पूर्ण योग** | | | **3590484.00** | | |

49- ग्राम पंचायत - हथियर कला
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
प्रस्तर - **82**
आलोच्य वर्ष में रूपये 123125.00 भिन्न भिन्न जगहों पर जल निकासी कार्य हेतु ह्युम पाइप खरीद हेतु बाबा बालक दास इन्टरप्राइजेज को दिनांक 12.12.2019 को पी.एफ.एम.एस से भुगतान किया गया है।

किन स्थानों पर या किन किन कार्यों में इस ह्यूम पाइप का उपभोग किया गया है यह अस्पष्ट रहा स्थान की पुष्टि हेतु त्रिस्तरीय फोटो के साथ एस्टीमेट (इस्टीमेट), माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, व्यय प्रमाणक आदि प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराए गए। ह्युम पाइप की स्थापना में बालू सीमेंट ईंट गिट्टी आदि सामग्री का कुछ भी प्रयोग नहीं किया गया है। स्पष्ट है कार्य हेतु सामग्री का पर धनराशि का उपभोग कर अपहरण किया गया है जिसके लिए तात्कालिक सचिव श्री मनोज कुमार त्रिपाठी और ग्राम प्रधान श्री रमेश यादव उत्तरदायी है। नियमानुसार रुपये 123125.00 का आधा आधा सचिव और प्रधान से वसूली मय ब्याज सहित अपेक्षित है।

प्रस्तर - **83**

आलोच्य वर्ष मे अधोलिखित विवरण के अनुसार भुगतान हैंडपंप मरम्मत हेतु किए गए है।

1) दिनांक 30.12.2019 रुपये 15100.00 हैंडपंप मरम्मत सामग्री पर भुगतान

2) दिनांक 30.12.2019 को रुपये 14525.00 हैंडपंप मरम्मत सामग्री पर भुगतान

इस हैंडपंप मरम्मत सामग्री हेतु रुपये 29625.00 मे0 सूर्या इलेक्ट्रानिक्स एण्ड हार्डवेयर को सामग्री मद पर व्यय किए गए है। इस भुगतान के संबंध मे लेखा परीक्षा मे अधोलिखित आपत्तियाँ पाई गई-

**हैंडपंप मरम्मत** के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। मरम्मत के उपरांत डेड स्टाक की स्थिति भी डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अज्ञात रही। संगत समिति संबंधी अनुमोदन और सामग्री भुगतान के व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं ।इस प्रकार रुपये 29625.00 का अपहरण कर लिया गया है जिसके लिए तात्कालिक सचिव श्री मनोज कुमार त्रिपाठी और ग्राम प्रधान श्री रमेश यादव उत्तरदायी है नियमानुसार रुपये 29625.00 का आधा आधा सचिव और प्रधान से वसूली मय ब्याज अपेक्षित है।

50- ग्राम पंचायत - ढाका

विकास खण्ड- चोलापुर

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **84**

आलोच्य वर्ष 20-2019की लेखा परीक्षा मे निम्नलिखित अपहरण/दुर्विनयोग/गंभीर अनियमितता के प्रकरण प्रकाश मे आए है जिस ओर विभागीय उच्च अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

**ग्राम** पंचायत मे अधोलिखित भुगतान **हैंडपंप मरम्मत** के सन्दर्भ में किए गए है

| | मद | दिनांक | धनराशि | भुगतान | वाउचर |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री<br>हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 24.03.20<br>24.03.20 | 14500-<br>5500- | मानसी पाइप स्टोर<br>देव नारायण प्रसाद | 1<br>2 |
| 2 | हैंडपंप मरम्मत<br>सामग्री और मजदूरी | 7.3.20 | 20000- | अखिलेश कन्स्. | 3 |
| 3 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री<br>हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 27.1.20<br>10.2.20 | 17000-<br>3000- | मानसी पाइप स्टोर<br>देव नारायण प्रसाद | 4<br>5 |
| 4 | हैंडपंप मरम्मत<br>सामग्री और मजदूरी | 14.12.19 | 19900. | मानसी पाइप स्टोर | 6 |
| 5 | हैंडपंप मरम्मत | 31.07.20 | 19873. | मानसी पाइप स्टोर | 7,8 |
| | | योग | 99773.00 | | |

अ- उपर्युक्त विवरण को देखने से यह स्पष्ट है कि कतिपय मामलों मे मजदूरी और सामग्री का भुगतान अलग अलग किया गया है तो कतिपय मामलों मे फर्म को ही भुगतान कर दिया गया है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि एक ही प्रकार के मामलों मे वितीय नियमों के आधार पर भुगतान न कर मनमर्जी से किया गया है।

आ- उपरोक्त हैंडपंप मरम्मत के सन्दर्भ में हैंडपंप के लाभार्थियों के द्वारा हैंडपंप के ख़राब होने की सुचना एवं उसके मरम्मत की मांग सम्बन्धी कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया .जिसके अभाव मे यह जानकारी न हो सकी कि किन स्थलों के हैण्डपम्प ख़राब थे जिन पर उपर्युक्त धनराशि का व्यय सामग्री खरीद के लिए किया गया। मरम्मत के उपरांत डेड स्टाक की स्थिति भी डेड स्टाक रजिस्टर प्रस्तुत न रहने के कारण अज्ञात रही। इस्टिमेट ,माप पुस्तिका, समिति का प्रस्ताव ,कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ,त्रिस्तरीय फ़ोटो और व्यय प्रमाणक / वाउचर ,मजूदरी भुगतान का मस्टररोल उपभोग प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराकर धनराशि का

अपहरण किया गया है। इसके लिए ग्राम प्रधान श्री सत्यनारायण सिंह और ग्राम पंचायत सचिव श्री संजय सिंह यादव उत्तरदायी है। प्रत्येक से रुपये 99773.00 का आधा आधा मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है।

51- ग्राम पंचायत - गरथौली
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **85**</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज / प्रियासॉफ्ट के वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा विवरण (प्रारूप -1) पर वर्ष मे उपभोग / व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 4एस.एफ.सी मद मे रुपया 109655.00 और 14 वित्त आयोग मद मे रुपया 1515470.00 और अन्त्येष्टि स्थल का विकास मद मे रुपया 2179535.00 दर्शित है। दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखापरीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत- निर्माण कार्य पत्रावली/मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रुपया 3804660.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन प्रधान श्री दिनेश यादव और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से आधा आधा प्रधान से रुपया 1902330.00 और सचिव से रुपया 1902330.00 मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

| **मद चतुर्थ राज्य वित्त (एस.एफ.सी)** | | | | वर्ष 2019-20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक नं. | धनराशि | भुगतान |
| बचचेलाल के घर से कूप जगत तक निर्माण | 1 | 19188352 | 16.8.19 | 15788 | 34200 | अदर्स |
| बचचेलाल के घर से कूप जगत तक निर्माण | 2 | 19188352 | 17.8.19 | 15789 | 45200 | अदर्स |
| एसबीएम के ऑडिट का सीएको भुगतान | 3 | 19188349 | 23.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 9440 | एजेंसी |
| फ़ोटो स्टेट एसबीएम फ़ोटो, फीडिंग,टेडर | 4 | 19188349 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20815 | एजेंसी |
| | | योग | | | **109655.00** | |
| **मद अंत्येस्ठि स्थल (अंत्येस्ठि स्थल का विकास)** | | | | | | |
| खड़ंजा निर्माण पिच रोड से अजाव सरहद तक.. | 1 | 19188361 | 7.5.19 | 15769 | 150000 | एजेंसी |
| खड़ंजा निर्माण पिच रोड से अजाव सरहद तक.. | 2 | " | 23.7.19 | 15782 | 34200 | अदर्स |
| खड़ंजा निर्माण पिच रोड से अजाव सरहद तक.. | 3 | " | 25.7.19 | 15783 | 77000 | एजेंसी |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे ईंट | 4 | 19188343 | 2.4.19 | 15764 | 114000 | अदर्स |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 5 | " | 2.4.19 | 15765 | 110000 | एजेंसी |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 6 | " | 8.4.19 | 15766 | 120000 | अदर्स |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे मजदूरी | 8 | " | 23.4.19 | 15767 | 80600 | अदर्स |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 9 | " | 13.5.19 | 15773 | 110000 | अदर्स |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे ईंट | 10 | " | 4.6.19 | 15774 | 176955 | एजेंसी |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 11 | " | 5.7.19 | 15778 | 115700 | अदर्स |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 12 | " | 23.7.19 | 15781 | 49200 | अदर्स |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 13 | " | 2.8.19 | 15779 | 49100 | एजेंसी |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 14 | " | 2.9.19 | 15792 | 55700 | अदर्स |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे मजदूरी | 15 | " | 23.4.19 | 15768 | 60400 | अदर्स |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे अवशेष भुगतान | 16 | " | 11.12.19 | पी.एफ.एम.एस | 190000 | एजेंसी |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 17 | " | 9.3.19 | पी.एफ.एम.एस | 165970 | एजेंसी |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 18 | " | 9.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 117890 | एजेंसी |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 19 | " | 9.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 124860 | एजेंसी |
| अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे पेंटिंग सामग्री | 20 | " | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 30010 | एजेंसी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे पेंटिंग सामग्री | 21 | " | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 27950 | एजेंसी |
| | अंत्येस्ठी स्थल के विकास मे सामग्री | 22 | " | 28.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 220000 | एजेंसी |
| | | योग | | | | **2179535.00** | |
| | **मद वित्त आयोग (एफ.एफ.सी)** | | | | | | |
| | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक नं. | धनराशि | भुगतान |
| | खड़ंजा मरम्मत पिच रोड से कैलाश यादव .. | 1 | 19188334 | 3.5.19 | 15771 | 55700 | अदर्स |
| | " | 2 | " | 7.5.19 | 15772 | 162800 | अदर्स |
| | खड़ंजा पिच रोड से प्राथमिक विद्या .. ईंट | 3 | 19188354 | 7.5.19 | 15770 | 150000 | एजेंसी |
| | खड़ंजा पिच रोड से प्राथमिक विद्या।। मजदूरी | 4 | " | 31.5.19 | 15776 | 70500 | अदर्स |
| | खड़ंजा मरम्मत कैलाश राम के घर से नाला.. | 5 | 19188353 | 31.5.19 | 15775 | 90700 | अदर्स |
| | " | 6 | " | 16.8.19 | 15787 | 34200 | अदर्स |
| | नाली निर्माण बच्चालाल के घर से नाली तक | 7 | 19188351 | 10.6.19 | 15777 | 47850 | अदर्स |
| | " | 8 | " | 1.8.19 | 15785 | 34200 | अदर्स |
| | " | 9 | " | 8.8.19 | 17786 | 67200 | एजेंसी |
| | नाली निर्माण हरिशंकर यादव के घर भृगु.. | 10 | 19188362 | 25.7.19 | 15784 | 77000 | एजेंसी |
| | नाली निर्माण हरिशंकर यादव के घर भृगु.. | 11 | 19188362 | 26.8.19 | 15791 | 34200 | अदर्स |
| | " | 12 | " | 2.9.19 | 15790 | 85700 | एजेंसी |
| | डस्टबिन कार्य | 13 | 19188363 | 17.8.19 | 15793 | 177000 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी | 14 | 19188317 | 23.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 19400 | एजेंसी |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी | 15 | 19188333 | 23.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 19500 | एजेंसी |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी | 16 | 19188346 | 23.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 19400 | एजेंसी |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी | 17 | 19188316 | 23.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 19500 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री रामदुलार | 18 | 19188325 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20355 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री पप्पू चौबे | 19 | 19188325 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20200 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री निर्मल मौर्य | 20 | 19188325 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20540 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री कैलाश सिंह | 21 | 19188325 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20425 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री घनश्याम यादव | 22 | 19188324 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20715 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री मनोहर यादव | 23 | 19188324 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20820 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री प्राथमिक विद्यालय | 24 | 19188324 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20695 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री सकल नारायण यादव | 25 | 19188324 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20610 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री हीरालाल यादव | 26 | 19188324 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20200 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री पूर्व कन्या मा. विद्यालय | 27 | 19188324 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20820 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री पंचायत भवन | 28 | 19188323 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20640 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री पलटू यादव | 29 | 19188323 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 19945 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री रामजी यादव | 30 | 19188323 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20470 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर सामग्री मनोज यादव | 31 | 19188323 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20215 | एजेंसी |
| 32 | हैंडपंप रिबोर सामग्री मार्कन्डेय यादव | 32 | 19188323 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 20680 | एजेंसी |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री का | 33 | 19188318 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 15165 | एजेंसी |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री का | 34 | 19188355 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 15160 | एजेंसी |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी | 35 | 19188330 | 22.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 12965 | एजेंसी |
| | | योग | | | | **1515470.00** | |
| **सम्पूर्ण योग** | | | | | **3804660.00** | | |

52- ग्राम पंचायत - रूपचंदपुर

विकास खण्ड- चोलापुर

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

प्रस्तर - **86**

आलोच्य वर्ष 20-2019की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज / प्रियासॉफ्ट के वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा विवरण )प्रारूप (1- पर वर्ष मे उपभोग /व्यय4 **एस.एफ.सी** /चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद मे रुपया 247780.00 और 14वित्त आयोग मद मे रुपया 1340225.00 दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखापरीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर /व्यय प्रमाणक /मरम्मत -निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रुपया 1588005.00का अपहरण तत्कालीन प्रधान श्री जगरनाथ और ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर द्वारा किया गया हैं। नियमानुसार प्रत्येक से आधा आधा प्रधान से रुपया 794002.50 और सचिव से रुपया 794002.50मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है -

| | **मद चतुर्थ राज्य वित्त** | | | | वर्ष 2019-20 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक नं. | धनराशि | भुगतान |
| | डोंगल कार्य | 1 | 7354514 | 6.4.19 | 661242 | 1704 | अदर्स |
| | हैंडपंप रिबोर अरविन्द यादव के घर के पास | 2 | 17349390 | 30.7.19 | 163369 | 16760 | एम्प्लाई |
| | " | 3 | " | 30.7.19 | 163368 | 22204 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर मंगल s/० श्रीनाथ सामग्री | 4 | 17349395 | 21.8.19 | 163379 | 17348 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर मंगल s/० श्रीनाथ मजदूरी | 5 | " | 22.8.19 | 163378 | 21210 | एम्प्लाई |
| | स्टैशनरी का | 6 | 15408351 | 24.6.19 | 163359 | 7400 | अदर्स |
| | हैंडपंप रिबोर राजेन्द्र विश्वकर्मा मजदूरी | 7 | 17349389 | 30.7.19 | 163367 | 16760 | एम्प्लाई |
| | हैंडपंप रिबोर राजेन्द्र विश्वकर्मा सामग्री | 8 | " | " | 163366 | 22204 | एजेंसी |
| | मानदेय प्रधान | 9 | 15408350 | 25.7.19 | 163356 | 10500 | अदर्स |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी | 10 | 17349338 | 17.7.19 | 163361 | 15690 | एम्प्लाई |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी | 11 | 17349387 | 17.7.19 | 163364 | 15380 | एम्प्लाई |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी | 12 | 17349386 | 17.7.19 | 163363 | 4200 | एम्प्लाई |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री और मजदूरी | 13 | 17349396 | 17.7.19 | 163362 | 4200 | एम्प्लाई |
| | मानदेय प्रधान | 14 | 20730476 | 28.2.20 | पी एफ एम एस | 42000 | सिटीजन |
| | स्टैशनरी और फ़ोटो स्टेट | 15 | 20730477 | 28.2.20 | ,, | 10500 | एजेंसी |
| | एस ० बी ० एम ० के ऑडिट का सी ० ए ० को भुगतान | 16 | 20730477 | 3.3.20 | ,, | 4720 | एजेंसी |
| | सांसद कार्यक्रम मे टेंट हाउस और सामग्री | 17 | 20730477 | 3.3.20 | ,, | 15000 | सिटीजन |
| | | **योग** | | | | **247780.00** | |
| | **मद चौदहवें वित्त आयोग** | | | | | | |
| क्रम | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक नं. | धनराशि | भुगतान |
| | भूमिगत नाली पंकज चौबे पाइप | 1 | 13833686 | 6.4.19 | 163338 | 4205 | एजेंसी |
| | भूमिगत नाली पंकज चौबे ईंट | 2 | " | 8.4.19 | 163342 | 4620 | एजेंसी |
| | भूमिगत नाली पंकज चौबे मजदूरी | 3 | " | 9.4.19 | 163344 | 5245 | एम्प्लाई |
| | पंचायत भवन पैंट टाइल्स | 4 | 7354526 | 4.5.19 | 163347 | 12025 | अदर्स |
| | " | 5 | " | 4.5.19 | 163348 | 4994 | अदर्स |
| | " | 6 | " | 8.5.19 | 163349 | 10816 | अदर्स |
| | " | 7 | " | 3.6.19 | 163350 | 5300 | एजेंसी |
| | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 8 | 15408342 | 19.8.19 | 163370 | 15600 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर रमाशंकर सामग्री | 9 | 15408337 | 21.8.19 | 163375 | 17348 | एजेंसी |
| | हैंडपंप रिबोर रमाशंकर मजदूरी | 10 | " | 22.8.19 | 163372 | 21210 | एम्प्लाई |
| | हैंडपंप रिबोर श्यामलाल सामग्री | 11 | 15408336 | 21.8.19 | 163381 | 17348 | एजेंसी |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| हैंडपंप रिबोर श्यामलाल मजदूरी | 12 | " | 22.8.19 | 163380 | 21210 | एम्प्लाई |
| इंटरलॉकिंग प्राथमिक विद्यालय | 13 | 15985357 | 22.4.19 | 163345 | 92000 | एम्प्लाई |
| इंटरलॉकिंग प्राथमिक विद्यालय | 14 | 15985357 | 26.4.19 | 163346 | 92000 | एम्प्लाई |
| भूमिगत नाली अलगु से धर्मेन्द्र, मजदूरी | 15 | 15408368 | 4.4.19 | 163346 | 10130 | एम्प्लाई |
| भूमिगत नाली अलगु से धर्मेन्द्र,ईंट | 16 | " | 8.4.19 | 163341 | 6537 | एजेंसी |
| भूमिगत नाली अलगु से धर्मेन्द्र, सामग्री | 17 | " | 9.4.19 | 163340 | 8033 | एजेंसी |
| स्वचक्षता प्रचार चित्रकारी | 18 | 15408332 | 24.6.19 | 163358 | 10500 | एम्प्लाई |
| स्वचक्षता प्रचार चित्रकारी | 19 | 15408332 | 26.6.19 | 163360 | 3840 | एजेंसी |
| प्राथमिक वि. मे इंटरलॉकिंग मिट्टी टाइल्स | 21 | 15408363 | 20.5.19 | 163360 | 11385 | एम्प्लाई |
| " | 20 | " | 14.5.19 | 163351 | 92000 | एजेंसी |
| " | 22 | 15408363 | 20.5.19 | 163356 | 16000 | एजेंसी |
| " | 23 | " | 17.5.19 | 163353 | 17396 | एजेंसी |
| " | 24 | " | 20.5.19 | 163355 | 53885 | एजेंसी |
| " | 25 | " | 21.5.19 | 163357 | 44160 | एजेंसी |
| " | 26 | " | 23.5.19 | 163354 | 41815 | एजेंसी |
| हैंडपंप रिबोर वकील के घर के पास सामग्री | 27 | 18838501 | 21.8.19 | 163371 | 17348 | एजेंसी |
| हैंडपंप रिबोर वकील के घर के पास मजदूरी | 28 | " | 22.8.19 | 163390 | 29240 | एम्प्लाई |
| हैंडपंप रिबोर राजेन्द्र मजदूरी | 29 | 18838500 | 21.8.19 | 163373 | 17348 | एजेंसी |
| हैंडपंप रिबोर राजेन्द्र सामग्री | 30 | " | 22.8.19 | 163374 | 21210 | एम्प्लाई |
| हैंडपंप रिबोर लक्षमन सामग्री | 31 | 18838502 | 21.8.19 | 163374 | 17348 | एजेंसी |
| हैंडपंप रिबोर लक्षमन मजदूरी | 32 | " | 22.8.19 | 163376 | 21210 | एम्प्लाई |
| हैंडपंप रिबोर सोबरती मजदूरी | 33 | 18838503 | 21.8.19 | 163383 | 17348 | एजेंसी |
| हैंडपंप रिबोर सोबरती सामग्री | 34 | " | 22.8.19 | 163388 | 21210 | एजेंसी |
| हैंडपंप रिबोर पन्नालाल सामग्री | 35 | 18838504 | 21.8,19 | 163385 | 17348 | एजेंसी |
| हैंडपंप रिबोर पन्नालाल मजदूरी | 36 | " | 22.8.19 | 163386 | 21210 | एम्प्लाई |
| हैंडपंप रिबोर राजकुमार सामग्री | 37 | 18838505 | 21.8.19 | 163387 | 17348 | एजेंसी |
| हैंडपंप रिबोर राजकुमार मजदूरी | 38 | " | 22.8.19 | 163384 | 21210 | एम्प्लाई |
| हैंडपंप रिबोर रामबली मजदूरी | 39 | 18838506 | 22.8.19 | 163382 | 21210 | एम्प्लाई |
| हैंडपंप रिबोर रामबली सामग्री | 40 | " | 21.8.19 | 163389 | 17348 | एजेंसी |
| हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 41 | 15408343 | 19.1.20 | पी एफ एम एस | 15250 | एजेंसी |
| हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 42 | 15408345 | 19.1.20 | ,, | 15450 | एजेंसी |
| प्राथमिक विद्यालय मे टाइल्स / मरम्मत | 43 | 20730475 | 28.2.20 | ,, | 266638 | एजेंसी |
| पंचवटी मे बाउंड्री निर्माण सामग्री | 44 | 20730473 | 28.2.20 | ,, | 100949 | एजेंसी |
| पंचवटी निर्माण मजदूरी | 45 | 20730473 | 3.3.20 | ,, | 24400 | सिटीजन |
| | योग | | | | 1340225.00 | |
| | **सम्पूर्ण योग** | | | | **1588005.00** | |

53- ग्राम पंचायत - बबियाँव

विकास खण्ड- चोलापुर

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **87**</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा ई-ग्राम स्वराज / प्रियासॉफ्ट पर ऑनलाइन उपलब्ध आकड़ों के आधार पर सम्पन्न की गयी। प्रियासॉफ्ट पर ऑनलाइन दर्शित आंकड़ों ई ग्राम स्वराज के वार्षिक भुगतान और पेमेंट लेखा के अनुसार आलोच्य वर्ष 2019-20 का प्रारम्भिक अवशेष रु 1066481.20 था। वर्ष मे प्राप्त अनुदान / आय रु2304922.00 और वर्षांत अवशेष रु 1037496.20 रहा वर्ष मे उपभोग / व्यय रु**2333907.00** (आनलाइन मदवार फीडिंग के अनुसार चतुर्थ राज्यवित्त आयोग मद मे रु 55907.00 और चौदहवे वित्त

आयोग मद मे रु 2109968.00 के पेमेंट के अनुसार कुल रुपये **2765875.00** ) दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत- निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।इस संबंध मे संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रु 2765875.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती कविता यादव और ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर के द्वारा किया गया।अतः प्रत्येक से रु **2765875.00** का आधा आधा मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। **विवरण निम्न है-**

| क्रम | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक नं. | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **मद चतुर्थ राज्य वित्त (एस.एफ.सी)** | | | | | | |
| 2 | मानदेय प्रधान | 1 | 18886608 | 16.1.20 | पीएफएमएस | 21000 | सिटिज़न |
| 3 | फ़ोटो स्टेट. फीडिंग, और स्टैशनरी का | 2 | 21131638 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 27872 | एजेंसी |
| 4 | फ़ोटो स्टेट और स्टैशनरी का | 3 | " | 31.3.20 | पीएफएमएस | 7035 | सिटिज़न |
| | | योग | | | | **55907.00** | |
| | **मद वित्त आयोग (एफ.एफ.सी)** | | | | | | |
| 1 | खड़ंजा निर्माण पिच रोड से राम सेवक.. | 1 | 18886621 | 2.4.19 | 940446 | 25580.00 | इम्प्लॉई |
| 2 | खड़ंजा निर्माण रामलोचन से रामसेवक.. | 2 | 18886614 | " | 940447 | 25580.00 | इम्प्लॉई |
| 3 | खड़ंजा निर्माण खड़ंजा से संजय यादव.. | 3 | 18886615 | " | 940445 | 25580.00 | इम्प्लॉई |
| 4 | पंचायत भवन मे बाउंडरी निर्माण कार्य | 4 | 18886612 | " | 940442 | **25580.00** | " |
| 5 | " | 5 | " | 3.4.19 | 940444 | **25580.00** | " |
| 6 | हैंडपंप मरम्मत हेतु भुगतान | 6 | 18886613 | " | 940436 | **16550.00** | **एजेंसी** |
| 7 | ख0 नि0 कमना पिच रोड से लौटू के घर.. | 7 | 18886620 | " | 940443 | **25580.00** | **इम्प्लॉई** |
| 8 | पी.वी मे वाल पेंटिंग | 8 | 18886616 | " | 940432 | **10000.00** | **इम्प्लॉई** |
| 9 | खड़ंजा निर्माण पिच रोड से हरी वंश.. | 9 | 18886617 | 1.4.19 | 940440 | **62500.00** | **एजेंसी** |
| 10 | हैंडपंप मरम्मत हेतु सामग्री भुगतान | 11 | 20770213 | 5.3.20 | पीएफएमएस | **15500.00** | एजेंसी |
| 11 | " | 12 | 20770212 | " | " | **15600.00** | एजेंसी |
| 12 | " | 13 | 20770211 | 5.3.20 | पीएफएमएस | **15800.00** | **एजेंसी** |
| 13 | " | 14 | 20770210 | " | " | **15500.00** | **एजेंसी** |
| 14 | " | 15 | 20770209 | " | " | **15094.00** | **एजेंसी** |
| 15 | " | 16 | 20770213 | " | " | **15500.00** | **एजेंसी** |
| 16 | " | 17 | 20770213 | " | " | **15600.00** | **एजेंसी** |
| 17 | " | 18 | 20770211 | 13.3.20 | " | **15800.00** | **एजेंसी** |
| 18 | " | 19 | 20770210 | 13.3.20 | " | **15500.00** | **एजेंसी** |
| 19 | " | 20 | 20770209 | 13.3.20 | " | **15094.00** | **एजेंसी** |
| 20 | आगनबाड़ी केंद्र पर हैंडपंप अधिष्ठापन | 21 | 2070222 | 13.3.20 | " | **15924.00** | **एजेंसी** |
| 21 | आगनबाड़ी 2 केंद्र पर हैंडपंप अधिष्ठापन | 22 | 20770223 | " | " | **17155.00** | " |
| 22 | खड़ंजा निर्माण पिच रोड से तिलकधारी. | 23 | 21050807 | 31.3.20 | " | **3896.00** | " |
| 23 | ख0 नि0 पिच रोड से रामप्रसाद hp तक .. | 24 | 21050803 | " | " | **9135.00** | " |
| 24 | ख0 नि0 पिच रोड से फेरु के खेततक म0.. | 25 | 20770215 | " | " | **27922.00** | **सिटिज़न** |
| 25 | ख0 नि0 प्यारे चौहान से जंग बहादुर..म0 | 26 | 20770227 | " | " | **6824.00** | **सिटिज़न** |
| 26 | डस्टबिन का कार्य | 27 | 20770254 | " | " | **206500.00** | **एजेंसी** |
| 27 | सोकपीठ 5 नग सामग्री | 28 | 21050814 | " | " | **44400.00** | **एजेंसी** |
| 28 | सोकपीट 5 नग मजदूरी | 29 | " | " | " | **21500.00** | **सिटिज़न** |
| 29 | अदर एक्सपेन्डीचर | 30 | --- | " | चेक | **1959194.00** | **अन्य** |
| | | योग | | | | **2709968.00** | |
| | | **सम्पूर्ण योग** | | | | **2765875.00** | |

54- ग्राम पंचायत - उधोरामपुर

विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **88**</u>

**( क )** आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम के चतुर्थ वित्त आयोग मद के संबंध मे लेखा परीक्षा मे सहायक विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट का ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों से रैंडम मिलान किया गया । 31 मार्च 2020 तक वर्ष 2019-20 मे उपभोग / व्यय ₹ 220229.00 दर्शित रहा। जिसका विवरण अधोलिखित है।

| क्रम | मद | कार्य का नाम | मद | दिनांक | सामग्री | प्राप्त पक्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 एस.एफ.सी | डोंगल | | 6.4.19 | 1704 | |
| 2 | | टेंडर | | 17.4.19 | 3500 | |
| 3 | | प्रधान का मानदेय | | 24.12.19 | 7000 | ग्राम प्रधान |
| | | प्रधान का मानदेय | | 16.1.21 | 21000 | |
| 4 | | एस.बी.एम. ऑडिट फीस | | 28.12.19 | 9440 | बिसेन ऐजेंसी |
| 5 | | वृक्षारोपण भाड़ा | | 14.8.19 | 4800 | |
| 6 | | प्रियासाफ्ट फीडिंग /फ़ोटो कॉपी आदि | | 19.8.19 | 5000 | |
| 7 | | ग्राम पंचायत मे सेनेटरी कार्य का भुगतान | | 25.2.20 | 9000 | विजन |
| 8 | | आंगनबाड़ी केंद्र मरम्मत | सामग्री | 21/3/20 | 63098 | माँ बंसपट्टी देवी ईंट |
| | | | सामग्री | 21.3.20 | 13224 | माँ काली हार्डवेयर |
| | | | सामग्री | 23.3.20 | 27828 | |
| | | | मजदूरी | 21.3.20 | 11500 | सुनील यादव |
| | | | मजदूरी | 21.3.20 | 9700 | प्रताप यादव |
| 9 | | ओम प्रकाश के घर के हैंडपंप रिबोर | मजदूरी | 17.2.20 | 13225 | माँ काली हार्डवेयर |
| | | | सामग्री | 17.2.20 | 20210 | ओम प्रकाश गुप्ता |
| | | | | योग | 220229 | |

**(ख)** आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम के 14 वित्त आयोग मद के संबंध मे लेखा परीक्षा मे सहायक विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त बैंक स्टेटमेंट का ऑनलाइन ई ग्राम स्वराज पर उपलब्ध आकड़ों से रैंडम मिलान किया गया । 31 मार्च 2020 तक वर्ष 2019-20 मे उपभोग / व्यय ₹ 1379633.00 दर्शित रहा। जिसका विवरण अधोलिखित है।

| क्रम | मद | कार्य का नाम | मद | दिनांक | सामग्री | प्राप्त पक्ष |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14एफ.सी | हैंडपंप मरम्मत | सामग्री | 19.7.19 | 16562 | |
| | | हैंडपंप मरम्मत | मजदूरी | 19.7.19 | 3400 | |
| | | हैंडपंप मरम्मत | मजदूरी | 19.7.19 | 3400 | |
| | | हैंडपंप मरम्मत | मजदूरी | 19.7.19 | 3400 | |
| | | हैंडपंप मरम्मत | सामग्री | 19.7.19 | 16510 | |
| | | हैंडपंप मरम्मत | सामग्री | 19.7.19 | 16510 | |
| | | हैंडपंप मरम्मत | सामग्री | 13.8.19 | 16510 | |
| | | | मजदूरी | 13.8.19 | 3444 | |
| 2 | | भूमिगत नाली | एच.पी | 26.7.19 | 153850 | |
| | | वीरेंद्र यादव के घर से रतन लाल के घर तक | सामग्री | 9.8.19 | 30088 | |
| | | | ईंट | 9.8.19 | 32030 | |
| | | | मजदूरी | 9.8.19 | 30677 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | भूमिगत नाली | एच.पी | 29.7.19 | 47781 | |
| | | केशव सिंह के घर से नंदलाल के घर तक | सामग्री | 6.8.19 | 2341 | |
| | | | ईंट | 7.8.19 | 4229 | |
| | | | मजदूरी | 3.8.19 | 7194 | |
| 4 | | भूमिगत नाली | एच.पी | 29.7.19 | 21070 | |
| | | राजेश यादव के घर से रामपाल के घर तक | सामग्री | 6.8.19 | 1307 | |
| | | | ईंट | 7.8.19 | 2014 | |
| | | | मजदूरी | 3.8.19 | 3322 | |
| 5 | | पुलिया निर्माण | एच.पी | 29.7.19 | 27893 | |
| | | जगरनाथ यादव के घर के पास | सामग्री | 6.8.19 | 14184 | |
| | | | ईंट | 7.8.19 | 35641 | |
| | | | मजदूरी | 3.8.19 | 13628 | |
| 6 | | डस्टबिन क्रय का भुगतान | | 7.8.19 | 88500 | |
| 7 | | ग्राम पंचायत मे जल निकासी हेतु एच.पी क्रय | सामग्री | 14.8.19 | 86400 | |
| | | | मजदूरी | 14.8.19 | 5250 | |
| | | भिन्न भिन्न जगहों पर जल निकासी | सामग्री | 20.12.19 | 94186 | बनारस स्पन पाइप |
| | | | सामग्री | 20.12.19 | 10748 | अमन बिल्डिंग |
| | | | मजदूरी | 24.12.19 | 13508 | सुनील कुमार |
| 8 | | हैंडपंप रिबोर जोगेंदर के घर के पास | मजदूरी | 19.8.19 | 20210 | |
| | | | सामग्री | 19.8.19 | 14108 | |
| 9 | | मुसाफिर सिंह के घर से वीरेंद्र यादव के घर तक | सामग्री | 11.12.19 | 88625 | शुभम ब्रीक्स |
| | | खड़ंजा कार्य | मिट्टी | 24.12.19 | 20129 | प्रताप यादव |
| | | | मजदूरी | 17.12.19 | 30461 | प्रताप यादव |
| 10 | | भूमिगत नाली | सामग्री | 13.12.19 | 42529 | माँ काली हार्डवेयर |
| | | रघुनाथ यादव के घर से दिवाकर यादव | सामग्री | 17.12.19 | 111856 | बनारस स्पन पाइप |
| | | के घर तक | मजदूरी | 17.12.19 | 23171 | प्रताप यादव |
| 11 | | हैंड पंप मर .सामग्री और मजदूरी का भुगतान | 17.12.19 | 19340 | माँ काली हार्डवेयर | |
| | | हैंड पंप मर .सामग्री और मजदूरी का भुगतान | 17.12.19 | 18940 | माँ काली हार्डवेयर | |
| 12 | | हैंडपंप रिबोर रामसेवक सामग्री और मजदूरी | | 16.1.20 | 33435 | माँ काली हार्डवेयर |
| 13 | | चौ0 वि0 शोक पीठ निर्माण सामग्री +मजदूरी | 22.1.20 | 23514 | सुनील यादव | |
| | | चौ0 वि0 शोक पीठ निर्माण सामग्री +मजदूरी | 22.1.20 | 67270 | माँ बसंत पट्टी देवी | |
| | | चौ0 वि0 शोक पीठ निर्माण सामग्री +मजदूरी | 22.1.20 | 60468 | अमन बिल्डिंग | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योग | | 1379633 | |

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत के द्वारा उपभोग/व्यय (4एस.एफ.सी रू 220229.00 और 14 एफ.सी रू 1379633.00) कुल रू 1599862.00 दर्शित रहा। इस व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर /मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली/व्यय प्रमाणक/मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार रू 1599862.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन प्रधान श्रीमती पुष्पा और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री मनोज त्रिपाठी उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से रू 1599862.00 का आधा आधा मय ब्याज आवश्यक वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

55- ग्राम पंचायत - पिपरी (पियरी)
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **89**</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम की लेखा परीक्षा ऑनलाइन उपलब्ध आकड़ों और ऑफलाइन प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर सम्पन्न की गयी। चौदहवे वित्त आयोग मद मे वर्ष मे उपभोग/व्यय रुपया 440104.00 दर्शित रहा। इस दर्शित व्यय धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा मे कोई भी अभिलेख / व्यय प्रमाणक / मरम्मत- निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका विवरण निम्न है-

1) रुपये 1704.00 डोंगल पेमेंट पर भुगतान किया गया है। व्यय प्रमाणक के अभाव मे भुगतान अपुष्ट रहे।
2) कुल रुपये 68900.00 हैंडपंप मरम्मत (रुपये 55700.00 (15000.00+15500.00+ 15200.00+10000.00) सामग्री के सापेक्ष मजदूरी पर रुपये 13200.00 (4900.00+3800.00+ 4500.00) व्यय किए गए है।
3) रुपये118500.00 एलईडी लाइट पर भुगतान किया गया है। फाइल के अभाव मे सम्पूर्ण धनराशि अपुष्ट रही।
4) रुपये 109000.00 कोषबही के अनुसार सोलर लाइट पर (ऑनलाइन फीडिंग के अनुसार एलईडी लाइट पर ) व्यय किया गया है
5) रुपये 100000.00 दिनांक 12.12.2019 (माह दिसंबर) मे बाढ़ आने पर जेनरेटर व बिजली व्यवस्था पर भुगतान किया गया है।
6) रुपये 42000.00 मानदेय पर भुगतान किया गया है लेकिन मानदेय रजिस्टर के अभाव मे धनराशि अपुष्ट रही।

ग्राम पंचायत के तात्कालिक सचिव श्री नरेश सोनकर से मौखिक अनुरोध, टेलीफोनिक वार्ता और लिखित प्रयासों के बावजूद चार्ज न दिया जाना कह कर कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रुपया 440104.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत प्रधान श्रीमती मंजू यादव और ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रभु प्रकाश सुरेखा उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रत्येक से आधा आधा रुपये 220052.00 सचिव से और 220052.00 प्रधान से मय ब्याज वसूली किया जाना अपेक्षित है।

56- ग्राम पंचायत - बहादुरपुर
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **90**</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष मे उपभोग / व्यय 4 एस.एफ.सी / चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद मे रुपया 911381.00 और 14 वित्त आयोग मद मे रुपया 2081448 और अन्य मद मे रुपया 162804.00 दर्शित है। इस प्रकार कुल उपभोग / व्यय धनराशि रुपया 3155633.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर / मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली - कैशबुक, पासबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, वर्क आई0डी0, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / वाउचर , मस्टररोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोषबही, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली - मूल व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं किया गया। उक्त धनराशि का अपहरण तत्कालीन प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया गया है। धनराशि रुपये 3155633.00 की आधा आधा वसूली ग्राम प्रधान श्री नत्थु कनौजिया और सचिव श्री संजय सिंह यादव से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न है-

| | **मद चतुर्थ राज्य वित्त** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम | कार्य का नाम | वा० सं० | वर्क आई डी | दिनांक | चेक नंबर | धनराशि | भुगतान |
| 1 | बाउन्ड्री वाल प्राइमरी स्कूल बिरनाथपुर | 2 | 19034866 | 8.5.19 | कैश | 21576 | अदर्स |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | " | 1 | " | 10.4.19 | 25046 | 131616 | अदर्स |
| 3 | " | 3 | " | " | " | 41258 | अदर्स |
| 4 | डोंगल पेमेंट | 4 | 19034835 | 4.4.19 | 4973 | 1704 | अदर्स |
| 5 | डोंगल पेमेंट | 5 | 19034835 | 6.4.19 | 24976 | 1704 | अदर्स |
| 6 | स्टैशनेरी | 6 | " | 8.5.19 | कैश | 322 | अदर्स |
| 7 | हैंड पंप मरम्मत / ले + सा | 7 | 19034862 | 17.5.19 | 17461 | 19500 | एजेंसी |
| 8 | " | 8 | 19034879 | 17.5.19 | 17464 | 17500 | एजेंसी |
| 9 | " | 9 | 19034863 | 19.6.19 | 17465 | 10000 | एजेंसी |
| 10 | हैंड पंप मरम्मत / ले + सा | 10 | 19034864 | 19.6.19 | 17466 | 15000 | एजेंसी |
| 11 | खड़ंजा खड़ंजा मार्ग से बब्बू चौबे | 11 | 19034872 | 9.8.19 | 14605 | 7194 | अदर्स |
| 12 | " | 12 | " | " | 14606 | 29450 | अदर्स |
| 13 | भू0 ना0 मदन के होम से वाल तक hp | 14 | 19034846 | 10.8.19 | 17474 | 127960 | अदर्स |
| 14 | " | 15 | " | " | 117474 | 25468 | अदर्स |
| 15 | हैंडपंप रिबोर शामू यादव पास | 16 | 19034871 | 10.8.19 | 14607 | 12750 | एजेंसी |
| 16 | " | 17 | " | 14.8.19 | 14610 | 27205 | अदर्स |
| 17 | खड़ंजा श्रवन चौबे से चम्मन के घर | 19 | 17869274 | 12.8.19 | 17473 | 99279 | अदर्स |
| 18 | हैंड पंप मरम्मत | 20 | 19034839 | 13.8.19 | 14611 | 18900 | एजेंसी |
| 19 | हैंड पंप मरम्मत / ले + सा | 21 | 19034850 | " | 14609 | 13652 | एजेंसी |
| 20 | स्टैशनेरी और फ़ोटो स्टेट | 22 | 19034835 | 14.8.19 | कैश | 1048 | एजेंसी |
| 21 | मानदेय प्रधान | 24 | 19034836 | 14.8.19 | कैश | 3500 | अदर्स |
| 22 | हैंडपंप रिबोर रामनाथ के पास लेबर | 25 | 20986538 | 3.3.20 | पी एफ एमएस | 25985 | सिटीजन |
| 23 | हैंडपंप रिबोर रामनाथ के पास सामग्री | 26 | " | " | " | 23380 | एजेंसी |
| 24 | हैंडपंप रिबोर चेनरी देवी सामग्री | 27 | 20986539 | " | " | 23380 | एजेंसी |
| 25 | हैंडपंप रिबोर चेनरी देवी लेबर | 28 | " | " | " | 25985 | सिटीजन |
| 26 | मानदेय प्रधान | 29 | " | " | " | 21000 | सिटीजन |
| 27 | वाल जगत जीर्णोद्धार | 30 | 19034847 | " | " | 15400 | एम्प्लाई |
| 28 | " | 31 | " | " | " | 38800 | एजेंसी |
| 29 | गौशाला जे सी बी द्वारा कार्य | 32 | 19034835 | 6.3.20 | " | 30000 | एजेंसी |
| 30 | हैंडपंप रिबोर पंचायत भवन | 34 | 1903883 | 29.3.20 | ,, | 22813 | एजेंसी |
| 31 | " | 36 | " | 30.3.20 | ,, | 27052 | सिटीजन |
| 32 | कोरोना हेतु चुना ब्लीचिइंग | 35 | 20184379 | 29.3.20 | ,, | 12500 | एजेंसी |
| 33 | मिट्टी फैलवाइ लेबर | 37 | 20184375 | 31.3.10 | ,, | 18500 | एम्प्लाई |
| | | योग | | | | **911381.00** | |
| | **मद चौदहवें वित्त आयोग** | | | | | | |
| 1 | ख0डे0 नरोत्तम के होम से राजाराम केहोम | 3 | 13572338 | 10.4.19 | 25049 | 39038 | एजेंसी |
| 2 | " | 2 | " | " | 25048 | 20315 | अदर्स |
| 3 | " | 1 | " | 1.4.19 | 25050 | 10970 | अदर्स |
| 4 | ख0 डे0 कैलाश के होम से राजू के होम | 5 | 8372900 | 16.4.19 | 25036 | 2372 | अदर्स |
| 5 | " | 4 | " | 10.4.19 | 25047 | 34192 | एजेंसी |
| 6 | ख0 डे0 रमजान आली से तांमनाथ | 6 | 8373898 | 16.4.19 | 25051 | 90590 | अदर्स |
| 7 | " | 7 | " | 8.5.19 | कैश | 21576 | अदर्स |
| 8 | " | 8 | " | 9.5.19 | कैश | 5775 | एजेंसी |
| 9 | जगह जगह जल निकासी ह्यूम पाइप | 9 | 17468744 | 21.5.19 | 17463 | 111006 | अदर्स |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | " | 16 | 17468743 | 4.7.19 | 17471 | 142509 | अदर्स |
| 11 | भू0 ना0 मनोज उपा0 के घर से सीवर तक | 10 | 17468740 | 29.6.19 | 17468 | 127978 | अदर्स |
| 12 | भू0 ना0 मालतीपाल के घर से पप्पू के.. | 11 | 17468741 | 29.6.19 | 17469 | 127978 | अदर्स |
| 13 | भू0 ना0 मालतीपाल के घर से पप्पू के.. | 13 | 17468740 | 9.8.19 | 17475 | 25666 | अदर्स |
| 14 | " | 12 | 17468741 | 9.8.19 | 17840 | 42017 | अदर्स |
| 15 | हैंडपंप रिबोर चुलबुल के पास | 14 | 19443567 | 9.5.19 | 25055 | 13862 | एजेंसी |
| 16 | " | 15 | " | 8.5.19 | कैश | 26138 | अदर्स |
| 17 | भू0 ना0 तालुका पाल से खालील के.. | 17 | 19443566 | 29.6.19 | 17470 | 127978 | अदर्स |
| 18 | " | 19 | 19443566 | 9.8.19 | 17476 | 25468 | अदर्स |
| 19 | " | 18 | " | " | 17478 | 41950 | अदर्स |
| 20 | स्ट्रीट लाइट | 22 | 19034822 | 9.8.19 | कैश | 44000 | अदर्स |
| 21 | ख0म0 रेलवे लाइन से पिच रोड सामग्री | 23 | 17468750 | 9.6.19 | कैश | 100000 | अदर्स |
| 22 | ख0 डे0 श्रवण चौबे होम से चम्मन के | 28 | 19443565 | 12.8.19 | कैश | 53338 | अदर्स |
| 23 | " | 20 | " | 10.8.19 | 14603 | 41740 | अदर्स |
| 24 | डस्टबिन ट्राली | 29 | 20184376 | 20.12.19 | पी एफ एम एस | 90000 | एजेंसी |
| 25 | ख0 म0 एन.एच29 से भोला चौधरी के घर तक | 37 | 19034854 | 23.1.20 | ,, | 73003 | एजेंसी |
| 26 | " | 38 | " | " | ,, | 37854 | एम्प्लाई |
| 27 | खड़ंजा म0 अभिमन्यु के घर से सोमारू | 39 | 19034885 | 23.1.20 | ,, | 22993 | एजेंसी |
| 28 | " | 40 | " | " | ,, | 7376 | एम्प्लाई |
| 29 | हैंडपंप मरम्मत | 41 | 19034844 | 23.1.20 | ,, | 12000 | एजेंसी |
| 30 | हैंडपंप मरम्मत लेबर | 42 | " | | ,, | 7884 | एम्प्लाई |
| 31 | हैंडपंप मरम्मत | 43 | 19034890 | 23.1.20 | ,, | 19884 | एजेंसी |
| 32 | हैंडपंप मरम्मत लेबर | 47 | 19034851 | 13.2.20 | ,, | 3720 | एम्प्लाई |
| 33 | हैंडपंप मरम्मत | 46 | " | " | " | 16180 | एजेंसी |
| 34 | हैंडपंप रिबोर नूरजहां के पास | 49 | 19034830 | 13.2.20 | ,, | 27205 | एम्प्लाई |
| 35 | " | 48 | " | " | " | 13652 | एजेंसी |
| 36 | ख0 डे0 खड़ंजा मार्ग से अशोक के घर | 51 | 19034892 | 13.2.20 | ,, | 4234 | एम्प्लाई |
| 37 | " | 50 | " | " | " | 25299 | एजेंसी |
| 38 | हैंडपंप रिबोर राधेश्याम सामग्री | 57 | 20184377 | 13.2.20 | ,, | 13882 | एजेंसी |
| 39 | " मजदूरी | 56 | " | " | " | 27205 | एम्प्लाई |
| 40 | जल जमाव निस्तारण हेतु मिट्टी खरीद | 60 | 20710683 | 13.2.20 | ,, | 45000 | एम्प्लाई |
| 41 | " | 59 | " | " | " | 45000 | एम्प्लाई |
| 42 | " | 58 | " | " | " | 100000 | एजेंसी |
| 43 | हैंडपंप रिबोर खालील के पास लेबर | 62 | 19034829 | 13.2.20 | ,, | 27205 | एम्प्लाई |
| 44 | " | 61 | " | " | " | 13652 | एजेंसी |
| 45 | खड़ंजा म0/ साइड वाल रामलगन मौर्य | 64 | 20710686 | 15.2.20 | ,, | 53432 | एजेंसी |
| 46 | " | 54 | " | " | " | 16288 | एम्प्लाई |
| 47 | " | 25 | " | 13.2.20 | " | 17790 | एजेंसी |
| 48 | " | 53 | " | 13.2.20 | " | 4960 | एजेंसी |
| 49 | भू0 ना0 संजय मौर्य से हीरा मौर्य | 66 | 19034870 | 15.2.20 | ,, | 3350 | एजेंसी |
| 50 | " | 65 | " | " | " | 34602 | एजेंसी |
| 51 | " | 55 | " | 13.2.20 | " | 5524 | एम्प्लाई |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | " | 67 | 19034870 | 15.2.20 | ,, | 4718 | एजेंसी |
| 53 | स्वचक्षता अभियान चित्रकारी / नारा | 68 | 20710681 | 15.2.20 | ,, | 11100 | सिटीजन |
| 54 | स्वचक्षता अभि0 किट, चुना फिनोल आदि | 63 | " | 13.2.20 | " | 20000 | एम्प्लाई |
| | | **योग** | | | | **2081448.00** | |
| | **मद ओन रिसौर्स** | | | | | | |
| 1 | हैंडपंप रिपेयर सामग्री | 1 | 19034865 | 3.8.19 | 17477 | 12352 | अदर्स |
| 2 | हैंडपंप रिपेयर मजदूरी | 2 | " | " | कैश | 5952 | अदर्स |
| 3 | डस्टबिन खरीद | 3 | 19034859 | " | 14612 | 144500 | अदर्स |
| | | **योग** | | | | **162804.00** | |
| | **सम्पूर्ण योग** | | | | **3155633.00** | | |

57- ग्राम पंचायत - परानापट्टी
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - 91</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष मे उपभोग / व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद (4एस.एफ.सी) मे रुपया 247780.00 और 14 वित्त आयोग मद मे ₹ **161726.00 दर्शित है। इस प्रकार** वर्ष मे कुल उपभोग / व्यय ₹ **1981797.00** रहा। इस दर्शित कुल उपभोग धनराशि के सापेक्ष लेखापरीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रुपया **1981797.00** का अपहरण के लिए तत्कालीन प्रधान श्री कमला प्रसाद और ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी है| जिसकी प्रत्येक से आधा आधा प्रधान से रुपया 990898.50 और सचिव से रुपया 990898.50 की मय ब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है-

| क्रम | कार्य का नाम | वा०सं० | वर्क आई डी | दिनांक | चेक नंबर | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मद चतुर्थ राज्य वित्त (एस.एफ.सी)** | | | | | | |
| | डोंगल का पेमेंट | 1 | 20694671 | 4.4.19 | 705730 | 1704 | अदर्स |
| | पेंटिंग स्कूल मे मजदूरी पेमेंट | 2 | 20694670 | 18.4.19 | 705748 | 16600 | एजेंसी |
| | पेंटिंग स्कूल मे मजदूरी पेमेंट | 3 | " | 24.4.19 | 705749 | 50000 | इम्प्लॉई |
| | टेंडर हेतु शाहिद का भुगतान | 4 | 20563693 | 19.9.19 | 624945 | 3500 | अदर्स |
| | मानदेय प्रधान | 5 | 20563694 | 19.2.20 | पी.एफ.एम.एस | 35000 | सिटिज़न |
| | मानदेय प्रधान 10 माह | 6 | " | 19.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 35000 | सिटिज़न |
| | टेंडर 2 साल का | 7 | 20563693 | 19.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 8282 | एजेंसी |
| | प्रधान को फ़ोटो स्टेट और स्टैशनरी का | 8 | " | 19.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 2200 | एजेंसी |
| | एस.बी.एम. ऑडिट सी.ए को | 9 | " | 19.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 9440 | एजेंसी |
| | | योग | | | | **161726.00** | |
| क्र. | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक नं. | धनराशि | भुगतान |
| | **मद वित्त आयोग (एफ.एफ.सी)** | | | | | | |
| 1 | खड़ंजा निर्माण मनोज के घर से राजमुनी.. | 1 | 20563690 | 2.4.19 | 705741 | 98000 | एजेंसी |
| 2 | " | 2 | " | 1.5.19 | 705750 | 15000 | इम्प्लॉई |
| 3 | खड़ंजा पिच रोड से शंकर के घर तक ईंट | 3 | 20694672 | 2.4.19 | 705739 | 120000 | एजेंसी |
| 4 | " मजदूरी | 4 | " | 3.4.19 | 705738 | 25000 | इम्प्लॉई |
| 5 | " सामग्री | 5 | " | " | 705737 | 30000 | एजेंसी |
| 6 | खड़ंजा छोटे के घर से मायाशंकर .. ईंट | 6 | 20694673 | 2.4.19 | 705740 | 82000 | एजेंसी |
| 7 | खड़ंजा छोटे के घर से मायाशंकर .. मजूदरी | 7 | " | 5.4.19 | 705744 | 42000 | इम्प्लॉई |
| 8 | खड़ंजा जयकिशन के घर से माया के घर | 8 | 20694674 | 2.4.19 | 705721 | 82000 | एजेंसी |
| 9 | " | 9 | " | 5.4.19 | 705745 | 45550 | इम्प्लॉई |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | खड़ंजा निर्माण दिनेश नाविक | 10 | 20694669 | 15.7.19 | 705743 | 112000 | एजेंसी |
| 11 | " | 36 | " | 28.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 13510 | सिटिज़न |
| 12 | खड़ंजा निर्माण सुंदर के घर से पिच रोड तक | 11 | 20694668 | 15.7,19 | 705742 | 112000 | एजेंसी |
| 13 | खड़ंजा निर्माण ब्बलू के घर से सुंदर के घर तक | 12 | 20694667 | 18.7.19 | 705754 | 112000 | एजेंसी |
| 14 | खड़ंजा निर्माण पिच रोड से छेदी के ।। ईंट | 13 | 20694666 | 18.7.19 | 705753 | 113500 | एजेंसी |
| 15 | खड़ंजा पिच रोड से छेदी यादव | 38 | " | 28.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 28230 | सिटिज़न |
| 16 | इन्टरलॉकिंग प्रथिमक विद्यालय मे/ सामग्री | 14 | 20694665 | 26.7.19 | 624944 | 40000 | अदर्स |
| 17 | खड़ंजा मरम्मत पिच रोड से संतु मौर्य.. ईंट | 15 | 20694676 | 18.7.19 | 705751 | 113500 | एजेंसी |
| 18 | " मजदूरी | 16 | " | 9.8.19 | 624943 | 20000 | इम्प्लॉई |
| 19 | खड़ंजा मरम्मत पिच रोड से संतु के घर.. ईंट | 17 | 20694675 | 18.7.19 | 705752 | 112000 | एजेंसी |
| 20 | खड़ंजा मे सामग्री का | 18 | 20694673 | 5.4.19 | 705729 | 25530 | एजेंसी |
| 21 | हैंडपंप रिबोर फौजदार के घर / सामग्री | 19 | 20563683 | 19.3.20 | पी.एफ.एम.एस | 18629 | एजेंसी |
| 22 | हैंडपंप रिबोर फौजदार के घर / मजदूरी | 20 | " | " | " | 20778 | एजेंसी |
| 23 | हैंडपंप रिबोर मुसहर बस्ती / सामग्री | 21 | 20563683 | " | " | 17065 | एजेंसी |
| 24 | हैंडपंप रिबोर मुसहर बस्ती / मजदूरी | 22 | " | " | " | 20778 | एजेंसी |
| 25 | हैंडपंप रिबोर त्रिभुवन / सामग्री | 23 | " | " | " | 15924 | एजेंसी |
| 26 | हैंडपंप रिबोर त्रिभुवन / मजदूरी | 24 | " | " | " | 19865 | एजेंसी |
| 27 | हैंडपंप रिबोर बनारसी गुप्ता / सामग्री | 25 | " | " | " | 16084 | एजेंसी |
| 28 | हैंडपंप रिबोर बनारसी गुप्ता / मजदूरी | 26 | " | " | " | 20347 | एजेंसी |
| 29 | हैंडपंप रिबोर संतोष पुत्र तिलकधारी/m | 27 | " | " | " | 16161 | एजेंसी |
| 30 | " मजदूरी | 28 | " | " | " | 20456 | एजेंसी |
| 31 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 29 | 20563677 | " | " | 15864 | एजेंसी |
| 32 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 30 | " | " | " | 3020 | एजेंसी |
| 33 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 31 | 20563679 | " | " | 15174 | एजेंसी |
| 34 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 32 | " | " | " | 3060 | एजेंसी |
| 35 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 33 | 20563680 | " | " | 15788 | एजेंसी |
| 36 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 34 | " | " | " | 3040 | एजेंसी |
| 37 | खड़ंजा राजमुनी के घर से मनोज / मजदूरी | 35 | 20563690 | 7.3.20 | " | 16786 | सिटिज़न |
| 38 | खड़ंजा शंकर के मंदिर त्रिभुवन / मजदूरी | 37 | 20563712 | 28.3.19 | " | 12932 | सिटिज़न |
| 39 | डस्टबिन कार्य | 39 | 20563652 | 31.3.20 | " | 206500 | एजेंसी |
| | | | **योग** | | | **1820071.00** | |
| | | सम्पूर्ण योग | | | | **1981797.00** | |

58- ग्राम पंचायत

- अजगरा

विकास खण्ड- चोलापुर

लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **92**</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष मे व्यय चतुर्थ राज्य वित आयोग मद मे रुपया 1443202.00 दर्शित है। इस दर्शित धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक / वाउचर / मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली - कैशबुक, पासबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, वर्क आई0डी0, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल / वाउचर , मस्टररोल, , प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोषबही, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली - लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार रुपया 1443202.00 के अपहरण के लिए

तत्कालीन **प्रधान** शैत्या और तत्कालीन ग्राम पंचायत **सचिव** श्री प्रभु प्रकाश सुरेखा उत्तरदायी हैं। नियमानुसार इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा आधा मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न है-

| क्र. | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई.डी | दिनांक | चेक/ पी.एफ.एम.एस | धनराशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोनू स्टूडियो टॉयलेट एलबम | 2 | 17533947 | 2.7.19 | 263536 | 20000.00 | एम्प्लाई |
| 2 | डोंगल हेतु | 1 | 17533947 | 5.4.19 | 706296 | 1704.00 | एम्प्लाई |
| 3 | नाली निर्माण मजदूरी | 3 | 17533958 | 6.7.19 | 263541 | 15780.00 | एम्प्लाई |
| 4 | भूमिगत नाली ताड़क देव मंदिर से बरम | 4 | 17533958 | 9.8.19 | 263540 | 24500.00 | एजेंसी |
| 5 | भूमिगत नाली ताड़क देव मंदिर से बरम | 5 | 17533958 | 9.8.19 | 263552 | 78281.00 | एजेंसी |
| 6 | शौचालय रंगाई पुताई | 6 | 17533945 | 9.8.19 | 263544 | 11045.00 | एम्प्लाई |
| 7 | ग्राम प्रधान का मानदेय | 7 | 17533984 | 18.1.20 | पीएफएमएस | 14000.00 | सिटिज़न |
| 8 | डस्टबिन 42 नग | 8 | 21131359 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 247800.00 | एजेंसी |
| 9 | मानवीय भूल/ बैंक पी०एस० क्लोज़िंग मैनेज | 9 | 0 | 31.3.20 | चेक | 1030092.00 | अदर्स |
| | | | योग | | | **1443202.00** | |

<u>प्रस्तर - **93**</u>

आलोच्य वर्ष 20-2019की लेखा परीक्षा में प्रियासॉफ्ट पर 14 वित्त आयोग मद मे दर्शित कुल उपभोग /व्यय धनराशि रुपया 6873245.00 के सापेक्ष कोई भी वाउचर /मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली /मूल व्यय प्रमाणक - कैशबुक, पासबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, वर्क आई0डी0, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति , एम0बी0, बिल /वाउचर , मस्टररोल, , प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री ऑफ वर्क्स, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली व अवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका ,गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोषबही ,कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली- प्रस्तुत नहीं की गयी। इस प्रकार कुल रुपये 6873245.00 का अपहरण तत्कालीन **प्रधान** शैत्या और तत्कालीन ग्राम पंचायत **सचिव** श्री प्रभु प्रकाश सुरेखा द्वारा किया गया हैं। इस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान और सचिव से आधा आधा मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है। जिसका विवरण निम्न है -

| | **मद वित्त आयोग (एफ.एफ.सी)** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खड़ंजा कार्य लौटन यादव के घर से.. | 31 | 17533955 | 5.11.19 | पीएफएमएस | 33852.00 | एजेंसी |
| 2 | खड़ंजा कार्य लौटन यादव के घर से.. | 34 | 17533955 | 5.11.19 | पीएफएमएस | 5208.00 | सिटिज़न |
| 3 | खड़ंजा कार्य लौटन यादव के घर से.. | 37 | 17533955 | 5.11.19 | पीएफएमएस | 33852.00 | एजेंसी |
| 4 | खड़ंजा कार्य लौटन यादव के घर से.. | 38 | 17533955 | 5.11.19 | पीएफएमएस | 5208.00 | सिटिज़न |
| 5 | कूप ढक्कन निर्माण कार्य सामग्री | 32 | 17533953 | 5.11.19 | पीएफएमएस | 116943.00 | एजेंसी |
| 6 | कूप ढक्कन निर्माण कार्य मजदूरी | 33 | 17533953 | 5.11.19 | पीएफएमएस | 7028.00 | सिटिज़न |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | कूप ढक्कन निर्माण कार्य | 35 | 17533953 | 17.11.19 | पीएफएमएस | 116943.00 | एजेंसी |
| 8 | कूप जगत निर्माण कार्य मजदूरी | 36 | 17533953 | 17.11.19 | पीएफएमएस | 7028.00 | सिटिज़न |
| 9 | भूमिगत नाली अखिलेश के घर से.. | 10 | 17533957 | 9.8.19 | 263545 | 153692.00 | एजेंसी |
| 10 | नाली निर्माण अवधेश के घर से बस तक | 11 | 17534009 | 9.8.19 | 263542 | 15882.00 | एजेंसी |
| 11 | नाली निर्माण अवधेश के घर से बस तक | 8 | 17534009 | 9.8.19 | 263543 | 71614.00 | एजेंसी |
| 12 | हैंडपंप रिबोर | 12 | 17533994 | 9.8.19 | 263546 | 4900.00 | एम्प्लाई |
| 13 | हैंडपंप रिबोर | 13 | 17533994 | 9.8.19 | 263557 | 65000.00 | एम्प्लाई |
| 14 | हैंडपंप रिबोर | 14 | 17533993 | 9.8.19 | 263555 | 61000.00 | एम्प्लाई |
| 15 | भूमिगत नाली बिजन घर से राकेश .. | 15 | 17534006 | 9.8.19 | 263538 | 26502.00 | अदर्स |
| 16 | नाली निर्माण की मजदूरी | 16 | 17534006 | 9.8.19 | 263537 | 5600.00 | एम्प्लाई |
| 17 | हैंडपंप रिबोर | 17 | 17533993 | 9.8.19 | 263562 | 4900.00 | एम्प्लाई |
| 18 | हैंडपंप रिबोर | 18 | 17533990 | 9.8.19 | 263556 | 58000.00 | एम्प्लाई |
| 19 | हैंडपंप रिबोर | 19 | 17533990 | 9.8.19 | 263564 | 4900.00 | एम्प्लाई |
| 20 | नाली निर्माण जगदीश सिंह के घर से.. | 20 | 17534003 | 9.8.19 | 263550 | 22500.00 | एम्प्लाई |
| 21 | हैंडपंप रिबोर | 21 | 17533990 | 9.8.19 | 263563 | 4900.00 | एम्प्लाई |
| 22 | नाली निर्माण सुनील के घर से.. | 22 | 17533956 | 9.8.19 | 263553 | 10045.00 | अदर्स |
| 23 | नाली निर्माण सुनील के घर से समग्री .. | 5 | 17533956 | 9.8.19 | 262554 | 15882.00 | एजेंसी |
| 24 | नाली निर्माण सुनील के घर से. | 6 | 17533956 | 9.8.19 | 263551 | 71614.00 | एजेंसी |
| 25 | बिजली वाइ. प्राथमिक& मिडिल स्कूल | 23 | 17533960 | 9.8.19 | 263558 | 102603.00 | एजेंसी |
| 26 | बिजली वाइ. प्रा. & मिडिल स्कूल मजदूरी | 24 | 17533961 | 9.8.19 | 263559 | 45000.00 | एम्प्लाई |
| 27 | बिजली वाइ. प्रा. & मिडिल स्कूल मजदूरी | 25 | 17533961 | 9.8.19 | 263560 | 31400.00 | एजेंसी |
| 28 | लाइट पर खर्च | 26 | 17533951 | 9.8.19 | 263519 | 174400.00 | अदर्स |
| 29 | नाली निर्माण जगदीश सिंह के घर से.. | 7 | 17534003 | 9.8.19 | 263519 | 184903.00 | एजेंसी |
| 30 | नाली निर्माण जगदीश सिंह के घर से.. | 9 | 17534003 | 9.8.19 | 263549 | 28500.00 | एजेंसी |
| 31 | हैंडपंप रिबोर राजमन, पप्पू, मैना | 57 | 17533991 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 48512.00 | एजेंसी |
| 32 | हैंडपंप रिबोर राजमन, पप्पू, मैना मजदूरी | 58 | 17533991 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 70155.00 | सिटिज़न |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | भूमिगत नाली ओम प्रकाश सिंह .. | 59 | 20163861 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 159292.00 | एजेंसी |
| 34 | भूमिगत नाली ओम प्रकाश सिंह .. | 60 | 20163861 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 18670.00 | सिटिज़न |
| 35 | भूमिगत नाली लालबहादुर के घर से .. | 61 | 20163848 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 16370.00 | एजेंसी |
| 36 | भूमिगत नाली लालबहादुर के घर से .. | 61 | 20163848 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 40181.00 | एजेंसी |
| 37 | भूमिगत नाली लालबहादुर के घर से .. | 62 | 20163848 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 6990.00 | सिटिज़न |
| 38 | भूमिगत नाली सम्भू कोहार के घर से .. | 63 | 20163833 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 103797.00 | एजेंसी |
| 39 | भूमिगत नाली सम्भू कोहार के घर से .. | 63 | 20163833 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 29017.00 | एजेंसी |
| 40 | भूमिगत नाली सम्भू कोहार के घर से .. | 64 | 20163833 | 10.1.20 | पीएफएमएस | 15600.00 | सिटिज़न |
| 41 | इंटरलॉक0 छेदी के घर से कत्तल के घर.. | 66 | 17533998 | 12.2.20 | पीएफएमएस | 58000.00 | एजेंसी |
| 42 | इंटरलॉकिंग मंटू के घर से भोला घर.. | 67 | 17533999 | 12.2.20 | पीएफएमएस | 54593.00 | एजेंसी |
| 43 | इंटरलॉकिंग मेन रोड से हनुमान मदिर.. | 68 | 20163847 | 12.2.20 | पीएफएमएस | 158500.00 | एजेंसी |
| 44 | नाली निर्माण रामजीत यादव के घर .... | 69 | 20769200 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 219000.00 | एजेंसी |
| 45 | नाली निर्माण हरी के घर से रामविलास.. | 70 | 20769195 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 186000.00 | एजेंसी |
| 46 | नाली निर्माण बबलू यादव के घर से .. | 71 | 20769187 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 219000.00 | एजेंसी |
| 47 | नाली निर्माण रामसरे पांडे के घर से | 72 | 20769188 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 219000.00 | एजेंसी |
| 48 | नाली निर्माण मकसूदन के घर से.. | 73 | 20769189 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 219400.00 | एजेंसी |
| 49 | नाली निर्माण रामजीत पांडे घर से.. | 74 | 20769196 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 219425.00 | एजेंसी |
| 50 | नाली निर्माण रामसकल के घर से.. | 75 | 20769197 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 219600.00 | एजेंसी |
| 51 | सीसी रोड बंसराज गोंड के घर से.. | 76 | 20163829 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 298800.00 | एजेंसी |
| 52 | सीसी रोड बंसराज गोंड के घर से.. | 81 | 20163829 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 83438.00 | सिटिज़न |
| 53 | सीसी रोड विक्रम साहनी घर से .. | 77 | 20163828 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 291600.00 | एजेंसी |
| 54 | सीसी रोड विक्रम साहनी घर से .. | 80 | 20163828 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 82298.00 | सिटिज़न |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | नाली निर्माण ओम प्रकाश श्री के घर से.. | 78 | 20769199 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 166600.00 | एजेंसी |
| 56 | नाली निर्माण ओम प्रकाश श्री के घर से.. | 79 | 20769199 | 13.2.20 | पीएफएमएस | 19708.00 | एजेंसी |
| 57 | विभिन्न जगहों पर नाली निर्माण | 82 | 20163905 | 15.2.20 | पीएफएमएस | 175000.00 | एजेंसी |
| 58 | नाली निर्माण विक्रम साहनी घर से ओम. | 27 | 17533969 | 17.10.19 | पीएफएमएस | 173890.00 | एजेंसी |
| 59 | नाली निर्माण विक्रम साहनी घर से ओम. | 30 | 17533969 | 24.10.19 | पीएफएमएस | 32388.00 | सिटिज़न |
| 60 | गाड़ी क्रय | 65 | 20163827 | 18.1.20 | पीएफएमएस | 41700.00 | एजेंसी |
| 61 | नाली निर्माण कल्लू गोड के घरसे विक्रम | 28 | 17533970 | 18.10.19 | पीएफएमएस | 173890.00 | एजेंसी |
| 62 | नाली निर्माण कल्लू गोड के घरसे विक्रम | 29 | 17533970 | 23.10.19 | पीएफएमएस | 32388.00 | सिटिज़न |
| 63 | नाली निर्माण कल्लू के खेत से तालाब.. | 47 | 20163854 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 209468.00 | एजेंसी |
| 64 | नाली निर्माण कल्लू के खेत से तालाब.. | 48 | 20163854 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 29195.00 | सिटिज़न |
| 65 | भूमिगत नाली रामजी के घरसे जगदीश.. | 49 | 20163840 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 194243.00 | एजेंसी |
| 66 | भूमिगत नाली रामजी के घरसे जगदीश.. | 50 | 20163840 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 25054.00 | सिटिज़न |
| 67 | इंटरलॉकिंग मेन खड़ंजा से परमहंस के.. | 51 | 20163832 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 101035.00 | एजेंसी |
| 68 | इंटरलॉकिंग मेन खड़ंजा से परमहंस के.. | 52 | 20163832 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 12066.00 | सिटिज़न |
| 69 | इंटरलॉकिंग हलधर के घर से सुदर्शन के.. | 53 | 20163853 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 88591.00 | एजेंसी |
| 70 | इंटरलॉकिंग हलधर के घर से सुदर्शन के.. | 54 | 20163853 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 10778.00 | सिटिज़न |
| 71 | भूमिगत नाली ललनलोहार घर से मेन.. | 55 | 20163863 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 77461.00 | एजेंसी |
| 72 | भूमिगत नाली ललनलोहार घर से मेन.. | 56 | 20163863 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 11797.00 | सिटिज़न |
| 73 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 39 | 17533944 | 23.11.19 | पीएफएमएस | 12400.00 | एजेंसी |
| 74 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | 40 | 17533943 | 23.11.19 | पीएफएमएस | 13500.00 | एजेंसी |
| 75 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 43 | 17533943 | 23.11.19 | पीएफएमएस | 5000.00 | सिटिज़न |
| 76 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | 44 | 17533944 | 23.11.19 | पीएफएमएस | 6300.00 | सिटिज़न |
| 77 | हैंडपंप रिबोर आदि हिन्दू और पूर्व मा.. | 41 | 17533995 | 23.11.19 | पीएफएमएस | 31710.00 | एजेंसी |
| 78 | हैंडपंप रिबोर आदि हिन्दू और पूर्व मा.. | 42 | 17533995 | 23.11.19 | पीएफएमएस | 46770.00 | सिटिज़न |
| 79 | हैंडपंप रिबोर धनंजय, कमलेश आदि.. . | 45 | 17533992 | 23.11.19 | पीएफएमएस | 47872.00 | एजेंसी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | हैंडपंप रिबोर धनंजय, कमलेश आदि.. . | 46 | 17533992 | 23.11.19 | पीएफएमएस | 70155.00 | सिटिज़न |
| 81 | बाउंड्री कार्य पालि हाउस पर कतीलदार.. | 84 | 20163909 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 15607.00 | सिटिज़न |
| 82 | बाउंड्री कार्य पालि हाउस पर कतीलदार.. | 83 | 20163909 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 101040.00 | एजेंसी |
| 83 | भूमिगत नाली घनश्याम सिंह के घर से.. | 85 | 20163879 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 300469.00 | एजेंसी |
| 84 | भूमिगत नाली घनश्याम सिंह के घर से.. | 86 | 20163879 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 44000.00 | सिटिज़न |
| 85 | हैंडपंप रिबोर राजाराम के घर के पास.. | 87 | 20163831 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 15924.00 | एजेंसी |
| 86 | हैंडपंप रिबोर राजाराम के घर के पास.. | 88 | 20163831 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 23285.00 | सिटिज़न |
| 87 | हैंडपंप रिबोर श्यामलाल के घर के पास.. | 89 | 20163867 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 15924.00 | एजेंसी |
| 88 | हैंडपंप रिबोर श्यामलाल के घर के पास.. | 90 | 20163867 | 31.3.20 | पीएफएमएस | 21000.00 | सिटिज़न |
| | | योग | | | | **6873245.00** | |

59- ग्राम पंचायत - महमूदपुर
विकास खण्ड- चोलापुर
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20

<u>प्रस्तर - **94**</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन फ़ीड आकड़ों के सापेक्ष ऑफलाइन प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सम्पन्न की गई जिसमे निम्नलिखित ₹ 1047778.00 अपहरण/दुर्विनयोग/गंभीर अनियमितता के प्रकरण की ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

| क्रम | दिनांक /चेक | धनराशि | कार्य का नाम | सामग्री | मजदूरी |
|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>2 | 23445 / 2.4.19<br>23458 / 17.8.19 | 148739.00<br>32000.00 | प्राथमिक विद्यालय महमूदपुर मे इंटरलॉकिंग कार्य | ईंट -तारा कन्स्ट्रक्शन<br>सामग्री -अतुल बिल्डिंग | --<br>-- |
| 3 | 23435 /6.4.19 | 5713.00 | कन्हैया के घर से विवेक के घर तक भूमिगत नाली निर्माण | सामग्री -अतुल बिल्डिंग | --- |
| 4 | 23439 /6.4.19 | 129885.00 | हरीलाल के घर से सीसी रोड तक खड़ंजा कार्य | ईंट क्रय अभिषेक ईंट उद्योग | -- |
| 5<br>6 | 23422 /6.4.19<br>23431 /6.4.19 | 11550.00<br>5516.00 | लालचंद के घर से पिच रोड तक भूमिगत नाली निर्माण | ईंट क्रय अभिषेक ईंट<br>सामग्री क्रय | --<br>-- |
| 7<br>8 | 23426 /6.4.19<br>23427 /23.4.19 | 11550.00<br>5516.00 | पिच रोड से नाला तक भूमिगत नाली निर्माण | ईंट क्रय अभिषेक ईंट<br>सामग्री क्रय | --<br>--- |
| 9 | 23437 /15.4.19 | 149793.00 | पिच रोड से मोहन के घर तक खड़ंजा निर्माण | ईंट क्रय अभिषेक ईंट | -- |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 23423 /23.4.19 | 5516.00 | लोकनाथ के घर से प्रा .विद्यालय नाली निर्माण | सामग्री -अतुल बिल्डिंग | --- |
| 11 | 9.8.19 /23455 | 10000.00 | हैंडपंप मरम्मत | सामग्री to अर्पित | --- |
| 12 | 23456 /9.8.19 | 108000.00 | विभिन्न स्थान पर नाली निर्माण हेतु क्रय | शिव कंक्रीट उद्योग | --- |
| 13 | 23460 /17.8.19 | 105000.00 | पिच रोड से राजेश के घर तक खड़ंजा म हेतु ईंट क्रय | अभिषेक ईंट | --- |
| 14 | 87045 /17.8.19 | 107000.00 | हैंडपंप से बसुदेव के घर तक ख .म .कार्य | ईंट क्रय अभिषेक ईंट | -- |
| 15 | 23459 /17.8.19 | 104000.00 | पिच रोड से हेरा बस्ती तक खड़ंजा म हेतु ईंट क्रय | ईंट क्रय अभिषेक ईंट | -- |
| 16 | 87046 /17.8.19 | 108000.00 | खड़ंजा स प्रजापति बस्ती तक खड़ंजा मरम्मत | ईंट क्रय अभिषेक ईंट | -- |
| | योग | 1047778.00 | | | |

उपर्युक्त के संबंध मे अधोलिखित आपतियाँ रही-

1- आलोच्य वर्ष मे किसी भी कार्य पर मजदूरी मद मे कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है बिना मजदूरी के कार्य का होना संदिग्ध है।

2- मजदूरी पर भुगतान शून्य है यानि कार्य के लिए सामग्री आई फिर भी स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं रहा जो की अपेक्षित था जिससे इस बात की पुष्टि हो पाए की क्रय सामग्री अभी भी स्टाक मे है लेकिन इसे प्रस्तुत नहीं किया गया।

3- प्रस्तुत फाइल मे टेंडर और कोटेशन पत्रावली ,कार्यवाही रजिस्टर ,इस्टीमेट और माप पुस्तिका और कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र और त्रिस्तरीय फोटोग्राफ संलग्न कर प्रस्तुत नहीं रहे है इससे कार्य के प्रशासनिक और वित्तीय तथा तकनीकी स्वीकृति संबंधी पहलू की पुष्टि नहीं की जा सकी।

4- प्रस्तुत कोष बही पर प्रधान और सचिव के मुहर और हस्ताक्षर नहीं पाए गए है

5- शासनादेश संख्या आरजीएसए/197/2019-4/379/2015 लखनऊ दिनांक 2 मई 2019 जीपीडीपी के अंतर्गत तैयार कार्ययोजना को प्लान प्लस पर अपलोड की समीक्षा के बिंदु तीन में कार्य स्थल विहीन और कार्य विवरण विहीन कार्य को संदिग्ध प्रतीत माना गया है (बिन्दु 12 के संबंध मे)।

आलोच्य वर्ष मे ग्राम पंचायत के द्वारा ₹ 1047778.00 व्यय दर्शित है उक्त सामग्री से संबंधित वाउचर लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत रहे किन्तु स्टॉक रजिस्टर के अभाव मे संबंधित क्रय की पुष्टि नहीं हो सकी। पूरे वर्ष सामग्री तो क्रय की गई लेकिन श्रमांश मद मे कोई धनराशि व्यय दर्शित नहीं है। बिना मजदूरी के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार ₹1047778.00 का अपहरण कर लिया गया है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान सुशीला देवी और ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी हैं। इस संबंध में उपर्युक्त धनराशि का मय ब्याज आधा आधा वसूली की कार्यवाही अपेक्षित है।

60- ग्राम पंचायत - धराधर
विकास खण्ड- चिरईगांव
लेखा परीक्षा वर्ष - 2019-20
<u>प्रस्तर - **95**</u>

ग्राम पंचायत धराधर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा मे ₹ 901982.00 का व्यय दर्शित है। बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोषबही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, इस्टीमेट, एम0बी0, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रू 901982.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू देवी व ग्राम पंचायत सचिव श्री प्रभू प्रकाश सुरेका द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू 450991.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है -

| | कार्य का नाम | | किये गये व्यय (रू) | |
|---|---|---|---|---|

| क्र0 सं0 | | योजना का नाम | सामग्री | श्रमांश | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी | च0रा0 वि0 | ------ | 5000.00 | 5000.00 | |
| 2 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री | च0रा0 वि0 | 14500.00 | ------ | 14500.00 | |
| 3 | प्रशासनिक कार्य पर भुगतान | च0रा0 वि0 | ------ | ------ | 5000.00 | |
| 4 | प्रधान मानदेय (दिस. 2019 से मार्च 2020 तक) 4 माह का रेनू देवी को | च0रा0 वि0 | ------ | ------ | 14000.00 | |
| 5 | ग्राम पंचायत में एस.बी.एम. और एल.डी.बी. के शौचालय की फोटोग्राफी हेतु भुगतान अभी डिजिटल स्टूडियो को | च0रा0 वि0 | ------ | ------ | 8040.00 | |
| 6 | ग्राम पंचायत धराधर में हैण्डपम्प मरम्मत विभिन्न को भुगतान के.वी. मशीनरी को | च0रा0 वि0 | ------ | ------ | 19600.00 | |
| 7 | ग्राम पंचायत धराधर में हैण्डपम्प मरम्मत विभिन्न को भुगतान के.वी. मशीनरी को | च0रा0 वि0 | ------ | ------ | 19450.00 | |
| 8 | स्टेशनरी, फोटोस्टेट में डाटा इण्टी इत्यादि | च0रा0 वि0 | ------ | ------ | 3500.00 | |
| 9 | प्रशासनिक मद द्वारा ओ.डी.ए. बोर्ड हेतु भुगतान (विश्वकर्मा इण्टरप्राइजेज को) | च0रा0 वि0 | ------ | ------ | 5000.00 | |
| 10 | ग्राम प्रधान मानदेय (01 अप्रैल 2019 से नवम्बर 2019 तक) रेनू देवी को | च0रा0 वि0 | ------ | ------ | 28000.00 | |
| 11 | लोचन निषाद के घर से अशोक निषाद के घर तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वा वित्त | ------ | 7926.00 | 7926.00 | |
| 12 | लोचन निषाद के घर से अशोक निषाद के घर तक मिट्टी खडंजा निर्माण कार्य पर मिट्टी का भुगतान | 14वा वित्त | ------ | ------ | 33200.00 | |
| 13 | शंकर जी मन्दिर के पास हैण्डपम्प रिबोर पर मजदूरी | 14वा वित्त | ------ | 19748.00 | 19748.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | बच्चेलाल यादव के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य | 14वा वित्त | ------ | 19748.00 | 19748.00 | |
| 15 | पारसनाथ यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री | 14वा वित्त | 17743.00 | ------ | 17743.00 | |
| 16 | शंकर जी मन्दिर के पास हैण्डपम्प रिबोर पर सामग्री | 14वा वित्त | 17743.00 | ------ | 17743.00 | |
| 17 | ग्राम पंचायत धराधर में ठेलागाड़ी, सगड़ी और दर्जी का कार्य (रोहित इण्टरप्राइजेज) को | 14वा वित्त | ------ | ------ | 51300.00 | |
| 18 | बच्चालाल यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर का कार्य | 14वा वित्त | ------ | ------ | 17700.00 | |
| 19 | बैजू के घर से भरोसे निषाद के घर तक खडंजा निर्माण कार्य में ईंट का भुगतान श्याम मार्का ईंट भट्ठे को | 14वा वित्त | ------ | ------ | 36763.00 | |
| 20 | बैजू के घर से भरोसे निषाद के घर तक खडंजा निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान | 14वा वित्त | ------ | 8430.00 | 8430.00 | |
| 21 | सुबेदार निषाद के घर से कन्हैया निषाद के घर तक खडंजा निर्माण कार्य में मिट्टी और ईंट का भुगतान (श्याम मार्को ईंट भट्टे को) | 14वा वित्त | ------ | ------ | 62250.00 | |
| 22 | सुबेदार निषाद के घर से कन्हैया निषाद के घर तक खडंजा निर्माण कार्य में मिट्टी में लेबर मिस्त्री मजदूरी का भुगतान | 14वा वित्त | ------ | 16298.00 | 16298.00 | |
| 23 | लोचन निषाद के घर से लेकर अशोक निषाद के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु श्याम मार्का ईंट को भुगतान | 14वा वित्त | ------ | ------ | 33200.00 | |
| 24 | लोचन निषाद के घर से लेकर अशोक निषाद के घर तक खडंजा निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान | 14वा वित्त | ------ | 7804.00 | 7804.00 | |
| 25 | धरहरा पिच रोड से त्रिभुवन यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर ईंट का भुगतान बाबा कन्स्टकशन को | 14वा वित्त | ------ | ------ | 66759.00 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **26** | धरहरा पिच रोड से त्रिभुवन यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में श्याम मार्का ईंट का भुगतान | **14**वा वित्त | ------ | ------ | **27891.00** | |
| **27** | धरहरा पिच रोड से त्रिभुवन यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में सामग्री का भुगतान (कोमल इण्टरप्राइजेज को) | **14**वा वित्त | **10951.00** | ------ | **10951.00** | |
| **28** | धरहरा पिच रोड से त्रिभुवन यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य में मजदूरी का भुगतान (कोमल इण्टरप्राइजेज को) | **14**वा वित्त | ------ | **11936.00** | **11936.00** | |
| **29** | लोचन निषाद के घर से लेकर अशोक निषाद के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु प्रयुक्त ईंट का भुगतान | **14**वा वित्त | ------ | ------ | **33200.00** | |
| **30** | लोचन निषाद के घर से लेकर अशोक निषाद के घर तक खडंजा निर्माण कार्य में मजदूरी का भुगतान | **14**वा वित्त | ------ | **7804.00** | **7804.00** | |
| **31** | ग्राम पंचायत में अलग-अलग स्थानों पर डस्टबीन स्थापना कार्य | **14**वा वित्त | ------ | ------ | **175500.00** | |
| **32** | ग्राम पंचायत मे प्रकाश व्यवस्था हेतु स्टीट लाइट स्थापना कार्य | **14**वा वित्त | ------ | ------ | **76250.00** | |
| **33** | पारसनाथ यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर पर मजदूरी का भुगतान | **14**वा वित्त | ------ | **19748.00** | **19748.00** | |
| | योग | | | | **901982.00** | |

61- ग्राम पंचायत - महेशपुर
विकास खण्ड- काशी विद्यापीठ
लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20

<u>प्रस्तर - **96**</u>

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष में उपभोग/व्यय 4राज्य वित्त आयोग/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग, 14 वित्त आयोग मद और अन्य मद में 4114279.20 दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष आफलाइन लेखा परीक्षा में कोई भी वाउचर /मूल व्यय प्रमाणक/मरम्मत-निर्माण कार्य पत्रावली लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। विवरण निम्नवत है -

| मद | कार्य का नाम | बा**0** नं**0** | वर्क आईडी | दिनांक | चेक नं**0** | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | 9 | 14504983 | 02.04.19 | 48876 | 10755.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | परचेस आफ मैटेरियल फार टायलेट निर्माण वर्क इन प्राइमरी स्कूल दिस एमाउण्ट ट्रांसफर टू 4वित्त आयोग | | | 02.04.19 | | 63301.20 | |
| **4** | सफाई वर्क वैशाली ट्रांसपोर्ट पीछे टू सिन्धोरी पोखरा तक | 1 | 14505000 | 25.06.19 | 55122 | 28000 | |
| **4** | सेवर सफाई वर्क फार्म क्षगडू पान वाले टू सी.पी. सिंह हाउस तक | 2 | 14505001 | 25.06.19 | 55121 | 24000 | |
| **4** | लोक सभा निर्वाचन में आदर्श बूथ पर पेयजल टेण्ट चार्ज | 3 | 14504971 | 25.06.19 | | 6000 | |
| **14** | सेवर सफाई वर्क फार्म जी.टी. रोड टू ब्लाक रोड बाई रामधनी दुकान | 1 | 14504996 | 25.06.19 | 55123 | 14000 | |
| 14 | सेवर सफाई वर्क फार्म राकेश सिंह हाउस टू शिवदासपुर बार्डर | 2 | 14504991 | 25.06.19 | 55124 | 14000 | |
| **4** | सेवर सफाई वर्क फार्म इण्डस्टीयल स्टेट टू राजेश यादव और राम बालक | 4 | 14504990 | 05.07.19 | 55125 | 28000 | |
| **4** | सेवर वर्क फार्म पप्पू यादव हाउस टू सीता यादव हाउस तक | 5 | 14505006 | 05.07.19 | 55130 | 12000 | |
| **4** | सेवर वर्क राकेश सिंह हाउस टू शिवदासपुर बार्डर तक | 10 | 14504991 | 05.07.19 | 55134 | 95700 | एजेन्सी |
| **14** | सेवर वर्क राकेश सिंह हाउस टू शिवदासपुर बार्डर तक | 11 | 14504991 | 05.07.19 | 55137 | 7240 | एजेन्सी |
| **14** | सेवर वर्क गणेश हाउस टू अमरनाथ मुनीब हाउस तक | 12 | 14504925 | 05.07.19 | 55138 | 40800 | एजेन्सी |
| **14** | सेवर वर्क गणेश हाउस टू अमरनाथ मुनीब हाउस तक | 13 | 14504925 | 05.07.19 | 55140 | 32516 | एजेन्सी |
| **14** | मैटेरियल इण्टरलाकिंग वर्क ब्लाक रोड टू सतेश्वसर जायसवाल हाउस | 14 | 14505007 | 05.07.19 | 55103 | 46224 | एजेन्सी |
| **14** | मैटेरियल इण्टरलाकिंग ब्लाक रोड टू सतेश्वसर जायसवाल हाउस | 15 | 14505007 | 05.07.19 | 55101 | 84000 | एजेन्सी |
| **14** | मैटेरियल इण्टरलाकिंग ब्लाक रोड टू सतेश्वसर जायसवाल हाउस तक | 16 | 14505007 | 05.07.19 | 55102 | 50400 | एजेन्सी |
| **14** | लेबर इण्टरलाकिंग ब्लाक रोड टू सतेश्वसर जायसवाल हाउस तक | 3 | 14505007 | 05.07.19 | 55104 | 14994 | |
| **14** | लेबर भूमिगत सेवर राकेश सिंह हाउस टू शिवदासपुर सरहद | 4 | 14504991 | 05.07.19 | 55135 | 17136 | |
| **14** | लेबर भूमिगत सेवर गणेश हाउस टू अमरनाथ मुनीब हाउस | 5 | 14504925 | 05.07.19 | 55139 | 10360 | |
| **14** | लेबर सेवर वर्क फार्म जी.टी. रोड टू रामधनी शाप तक | 6 | 14504996 | 05.07.19 | 55131 | 14000 | |
| **14** | लेबर सेवर वर्क फार्म सिल्वर गोल्ड स्कूल टू इण्डस्टीज स्टेट तक | 7 | 14504994 | 05.07.19 | 55129 | 8000 | |
| **14** | लेबर सेवर वर्क फार्म संतलाल हाउस टू टीन धरावा तक | 8 | 14504993 | 05.07.19 | 55128 | 14000 | |
| **14** | लेबर फार हैण्डपम्प मेन्टनेन्स वर्क | 9 | 14504978 | 05.07.19 | 55133 | 3600 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | भूमिगत नाला वर्क फार्म राकेश सिंह हाउस टू शिवदासपुर सरहद तक | 17 | 14504991 | 06.07.19 | 55136 | 24200 | एजेन्सी |
| **4** | लेबर फार सेवर सफाई वर्क फार्म पंचायत भवन टू शीतला प्रसाद हाउस | 10 | 14504997 | 10.07.19 | 55108 | 12000 | परसन |
| **4** | लेवर सेवर सफाई फार्म अंशू हाउस टू ओमप्रकाश हाउस तक | 6 | 14504988 | 10.07.19 | 55110 | 12000 | परसन |
| **4** | लेबर फार सेवर वर्क फार्म क्षगड्ू पानवाले टू सी.पी. सिंह हाउस तक | 7 | 14505001 | 10.07.19 | 55111 | 16000 | परसन |
| **4** | लेबर फार सेवर सफाई वर्क वैशाली टांसपोर्ट बैक साइड | 8 | 14505000 | 10.07.19 | 55112 | 22000 | परसन |
| **14** | लेवर सेवर सफाई फार्म ब्लाक रोड टू चैहान बस्ती तक | 18 | 14504995 | 10.07.19 | 55109 | 10000 | परसन |
| **14** | लेवर नाला सफाई प्राइमरी स्कूल महेशपुर टू महेशपुर गेट तक | 19 | 14505002 | 10.07.19 | 55105 | 40000 | परसन |
| **14** | लेवर फार सेवर सफाई वर्क फार्म सिंधोरा पोखरी टू प्रजापति हाउस तक | 20 | 14505003 | 10.07.19 | 55106 | 12000 | परसन |
| **14** | लेवर सेवर सफाई वर्क फार्म जी**0**टी**0** रोड टू डा आलोक | 21 | 14504999 | 10.07.19 | 55107 | 14000 | परसन |
| **14** | लेवर सफाई सफाई वर्क फार्म प्राइमरी स्कूल महेशपुर गेट तक | 22 | 14505002 | 10.07.19 | 55113 | 18000 | परसन |
| **14** | इक्वीपमेंट फार हैण्डपम्प मेन्टनेन्स वर्क | 23 | 14504978 | 10.07.19 | 55132 | 15540 | एजेन्सी |
| **4** | प्रधान आफ मानदेय अप्रैल टू जुलाई | 11 | 14504981 | 14.08.19 | 48842 | 14000 | |
| **4** | सोख्ता गडढा निर्माण वर्क इन ग्राम पंचायत | 14 | 18834196 | 14.08.19 | 4971 | 8000 | |
| **4** | सोख्ता गडढा निर्माण वर्क इन ग्राम पंचायत | 15 | 18834196 | - | 4972 | 9447 | |
| **4** | स्टीट लाइट फीलिंग वर्क इन ग्राम पंचायत मा शारदा इण्टरप्राइजेज | 24 | 18834197 | 14.08.19 | 5024 | 97500 | |
| **4** | बीइंग रु पेड टू सैलरी पेमेण्ट आफ ग्राम प्रधान महीना आफ अगस्त नवम्बर **19** | 22 | 1459194 | 26.03.20 | पीएफएमएस | 14000 | विजय |
| **4** | बीइंग रु पेड टू सैलरी पेमेण्ट आफ ग्राम प्रधान महीना आफ दिसम्बर **19** टू मार्च **2020** | 23 | 14504971 | 26.03.20 | पीएफएमएस | 14000 | विजय |
| **4** | फार मैटेरियल्स चूना ब्लीचिंग पाउडर छिडाव इत्यादि वर्क | 24 | 21245958 | 31.03.20 | पीएफएमएस | 20500 | एजेन्सी |
| **14** | बीइंग एमाउण्ट पेड वेन्डर फार मैटेरियल वर्क आफ सीवर लाइन इन जी.पी. | 70 | 14504961 | **02.01.20** | पीएफएमएस | 166883 | एजेन्सी |
| **14** | बीइंग एमाउण्ट पेड वेन्डर फार मैटेरियल वर्क आफ सीवर लाइन इन जी.पी. | 71 | 14504961 | **02.01.20** | पीएफएमएस | 37900 | परसन |
| **4** | बीइंग एमाउण्ट पेड वेन्डर परफेक्ट मिशन | 20 | 14504971 | **08.01.20** | पीएफएमएस | 4198 | एजेन्सी |
| **4** | बीइंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर | 21 | 14504959 | **09.01.20** | पीएफएमएस | 52500 | एजेन्सी |
| **14** | नन्दलाल हाउस टू गुलाब विश्वकर्मा हाउस पेमेण्ट मैटेरियल पेमेण्ट | 25 | 14504973 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 37669 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | महेन्द्र हाउस टू नरेन्द्र हाउस सीवरेज वर्क हैड मैटेरियल | 26 | 14504973 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 43206 | एजेन्सी |
| **14** | महेन्द्र हाउस टू नरेन्द्र हाउस सीवरेज वर्क हैड मैटेरियल | 27 | 14504930 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 35154 | एजेन्सी |
| **14** | प्रजापति बस्ती वेल टू मित्तल पटेल सीवरेज डेवलोपमेन्ट वर्क हैड मैटेरियल पेमेण्ट | 28 | 14504928 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 14285 | एजेन्सी |
| **14** | हरिशचन्द्र हाउस टू प्यारेलाल हाउस पेमेण्ट मैटेरियल | 29 | 14504939 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 42583 | एजेन्सी |
| **14** | हरिशचन्द्र हाउस टू प्यारेलाल हाउस पेमेण्ट डेवलपमेण्ट इण्टरलाकिंग ब्रिक्स | 30 | 14504939 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 158760 | एजेन्सी |
| **14** | सुरेन्द्र, बाबुल हाउस टू कमलेश हाउस सीवरेज हैड मैटेरियल | 31 | 14504932 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 48565 | एजेन्सी |
| **14** | काशी हाउस टू भिटारी सरहद सीवरेज डेवलपमेण्ट वर्क हैड मैटेरियल पेमेण्ट | 32 | 14504931 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 32982 | एजेन्सी |
| **14** | काशी हाउस टू भिटारी सरहद सीवरेज डेवलपमेण्ट वर्क हैड मैटेरियल पेमेण्ट | 33 | 14504931 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 29992 | एजेन्सी |
| **14** | नन्दू साव हाउस टू छोटक हाउस पेमेण्ट रिपेयर वर्क हैड मैटेरियल पेमेण्ट | 34 | 14504954 | 28.11.19 | पीएफएमएस | 15041 | एजेन्सी |
| **14** | काशी हाउस टू भिटारी सरहद सीवरेज डेवलपमेण्ट वर्क हैड मैटेरियल ह्यूम पाईप पेमेण्ट | 35 | 14504931 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 74880 | एजेन्सी |
| **14** | सीवरेज डेवलपमेण्ट वर्क हैड लेवर पेमेण्ट | 36 | 14504931 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 31500 | परसन |
| **14** | नन्दू हाउस टू छोटक हाउस पेमेण्ट डेवलपमेण्ट वर्क हैड लेवर पेमेण्ट | 37 | 14504954 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 2450 | परसन |
| **14** | सुरेन्द्र व बाबुल हाउस टू कमलेश हाउस सीवरेज डेवलपमेण्ट वर्क हैड लेवर पेमेण्ट | 38 | 14504932 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 27650 | एजेन्सी |
| **14** | सुरेन्द्र व बाबुल हाउस टू कमलेश हाउस सीवरेज वर्क मैटेरियल | 39 | 14504932 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 8784 | एजेन्सी |
| **14** | हरिशचन्द्र हाउस टू प्यारेलाल हाउस पेमेण्ट वर्क लेवर | 40 | 14504939 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 19700 | परसन |
| **14** | नन्दलाल हाउस टू गुलाब हाउस पेमेण्ट डेवलपमेण्ट वर्क हैड लेवर पेमेण्ट | 41 | 14504973 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 3400 | परसन |
| **14** | महेन्द्र हाउस टू नरेन्द्र हाउस सीवरेज वर्क ह्यूम पाईप | 43 | 14504930 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 50499 | एजेन्सी |
| **14** | महेन्द्र हाउस टू नरेन्द्र हाउस सीवरेज वर्क लेवर | 44 | 14504930 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 16000 | परसन |
| **14** | प्रजापति बस्ती वेल टू मित्तल पटेल हाउस सीवरेज वर्क ह्यूम पाईप | 45 | 14504928 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 23050 | एजेन्सी |
| **14** | प्रजापति बस्ती वेल टू मित्तल पटेल हाउस सीवरेज वर्क लेवर | 46 | 14504928 | 05.12.19 | पीएफएमएस | 19950 | परसन |
| **14** | सुरेन्द्र हाउस टू कमलेश हाउस सीवरेज ह्यूम पाईप | 47 | 14504932 | 16.12.19 | पीएफएमएस | 79056 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 48 | 14504963 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 216181 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू लेवर फार वेजेस वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 49 | 14504963 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 24581 | परसन |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 50 | 14505021 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 221001 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू लेवर फार वेजेस वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 51 | 14505021 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 22354 | परसन |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 52 | 14505009 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 162923 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू लेवर फार वेजेस वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 53 | 14505009 | 19.12.19 | पीएफएमएस | 17411 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 56 | 14504967 | 20.12.19 | पीएफएमएस | 222462 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू लेवर आफ वेजेस वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 57 | 14504967 | 20.12.19 | पीएफएमएस | 21750 | परसन |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर आफ मैटेरियल वर्क आफ सीवरलाईन इन जी.पी | 58 | 14504934 | 20.12.19 | पीएफएमएस | 136834 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर आफ मैटेरियल वर्क आफ सीवरलाईन इन जी.पी | 59 | 14504934 | 20.12.19 | पीएफएमएस | 27000 | एजेन्सी |
| **4** | पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी. | 16 | 14504972 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 198450 | एजेन्सी |
| **4** | पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी. | 17 | 14504972 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 22500 | एजेन्सी |
| **4** | पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल वर्क आफ हैण्डपम्प इन जी.पी. | 18 | 14504974 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 19500 | एजेन्सी |
| **4** | पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल हैण्डपम्प रिपेयर | 19 | 14504975 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 16500 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर आफ मैटेरियल आफ सीवरलाईन इन जी.पी | 60 | 14505033 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 60072 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू लेवर फार वेजेस वर्क आफ सीवरलाईन इन जी.पी | 61 | 14505033 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 17250 | परसन |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 62 | 14505030 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 204218 | परसन |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू लेवर फार वेजेस वर्क आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 63 | 14505030 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 22900 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल आफ इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 64 | 14505028 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 202924 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू लेवर फार वेजेस वर्क आफ इण्टरलाकिंग | 65 | 14505028 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 21400 | परसन |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल इण्टरलाकिंग इन जी.पी | 66 | 14504941 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 150168 | एजेन्सी |
| **14** | बीड़ंग एमाउण्ट पेड टू वेन्डर फार मैटेरियल आफ इण्टरलाकिंग | 67 | 14504941 | 22.12.19 | पीएफएमएस | 17050 | एजेन्सी |
| | **सम्पूर्ण योग** | | | | 4114279.20 | | |

आलोच्य वर्ष में कुल व्यय धनराशि रुपया **4114279.20** की पुष्टि में कोई भी वाउचर /मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली - कैशबुक, पासबुक, कार्यवाही पुस्तिका, कार्ययोजना, वर्क आई0डी0, स्टीमेट, प्रशासनिक वित्तीय और तकनीकी अनुमति, एम0बी0, बिल/वाउचर , मस्टररोल, प्रधान मानदेय रजिस्टर, डायरेक्ट्री आफ वर्क्स, विभिन्न समितियों की यथानुसार संस्तुति, बैंक समाधान विवरण, मांग वसूली वअवशेष पंजिका, त्रिस्तरीय फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजिका, गत वर्ष की लेखा परीक्षित कोषबही, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, उपभोग प्रमाण पत्र, टेंडर कोटेशन पत्रावली- मूल व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं की गयी जो कि आनलाइन दर्शित व्यय धनराशि की पुष्टि हेतु अपेक्षित थी। ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय गबन की श्रेणी में आता है। जिसके लिए तत्कालीन प्रधान और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उत्तरदायी है। नियमानुसार इस धनराशि की आधा-आधा वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विजय से रु 2057139.60 एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री विजय कुमार से रु 2057139.60 की मय ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।

62 - ग्राम पंचायत-नयापुर
विकास खण्ड- सेवापुरी
वर्ष- 2018-19
प्रस्तर 97

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अपहरण /दुर्विनियोग/ अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में आया है । विभाग के उच्च अधिकारीयों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है । आपत्ति का विवरण निम्न प्रकार हैः-

1- ग्राम पंचायत नयापुर वर्ष 2018-19 की लेखा परक्षा में रू0 859305.00 का व्यय दर्शित है। बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोष बही , व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना इस्टीमेट, एम.बी., कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 859305.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रावती व ग्राम पंचायत सचिव श्री आदर्श दुबे द्वारा किया गया है । प्रत्येक से रू0 429652.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है विवरण निम्न प्रकार हैः-

| क्र 0 सं0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किए गए व्यय (रू0) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1. | हैन्ड पंप मरम्मत (जगह का नाम नही लिखा है ) | च0रा0वि0 | ---- | ---- | 19900.00 |
| 2. | हैन्ड पंप मरम्मत )जगह का नाम नही लिखा है ( | च0रा0वि0 | ---- | ---- | 19200.00 |
| 3. | हैन्ड पंप मरम्मत )जगह का नाम नही लिखा है ( | च0रा0वि0 | ---- | ---- | 19500.00 |
| 4. | प्रधान मानदेय | च0रा0वि0 | ---- | ---- | 24500.00 |
| 5. | बैक चार्ज | च0रा0वि0 | ---- | ---- | 505.00 |
| 6. | टेबल,कुर्सी, खरीद पर व्यय(फार्म का नाम नही) | च0रा0वि0 | 35000.00 | ---- | 35000.00 |
| 7. | बचानी के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | च0रा0वि0 | ---- | ---- | 37400.00 |
| 8. | रामखेलावन के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | च0रा0वि0 | ---- | ---- | 37200.00 |
| 9. | प्राइमरी स्कूल पर हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37900.00 |
| 10. | अरबिन्द के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37100.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | लालजी के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37500.00 |
| 12. | रामजी के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37600.00 |
| 13. | तेजबहादुर के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37500.00 |
| 14. | हरीनारायण के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 38000.00 |
| 15. | शिवशंकर के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37800.00 |
| 16. | राधेश्याम के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37500.00 |
| 17. | सोमबर पटेल के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37700.00 |
| 18. | श्याम सुन्दर के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37600.00 |
| 19. | राजेश पटेल के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37900.00 |
| 20. | प्रधान के घर से राजाराम पटेल के घर तक इन्टरलांकिंग कार्य | 14वां वित्त | 110000.00 | 25000.00 | 135000.00 |
| 21. | मेन रोड से माता प्रसाद के घर तक इन्टरलांकिंग कार्य | 14वां वित्त | ---- | 51000.00 | 51000.00 |
| 22. | ह्यूम पाइप खरीद | 14वां वित्त | 66000.00 | ---- | 66000.00 |
| | योग - | | | | 859305.00 |

63- ग्राम पंचायत- सिरीहरा
विकास खण्ड - सेवापुरी
वर्ष- 2018-19

प्रस्तर 98

वर्ष 2018-19 की लेखा परीक्षा में अपहरण /दुर्विनियोग/ अनियमितता का प्रकरण प्रकाश में आया है । विभाग के उच्च अधिकारीयों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है । आपत्ति का विवरण निम्न प्रकार हैः-

1- ग्राम पंचायत नयापुर वर्ष 2018-19 की लेखा परक्षा में रू0 1648242.00 का व्यय दर्शित है। बार-बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोष बही , व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना इस्टीमेट, एम.बी., कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 1648242.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती चंद्रावती व ग्राम पंचायत सचिव श्री आदर्श दुबे द्वारा किया गया है । प्रत्येक से रू0 824121.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है विवरण निम्न प्रकार हैः-

| क्र 0 सं0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किए गए व्यय (रू0) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1 | पंचम गुप्ता के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 38500.00 |
| 2 | जगह का नाम नही लिखा है हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37500.00 |
| 3 | बुनियादी शाला पर हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37450.00 |
| 4 | खादी ग्राम उघोग पर हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37600.00 |
| 5 | अमरनाथ के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37500.00 |
| 6 | कमला प्रसाद के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37700.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | शिव मंदिर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37400.00 |
| 8 | मोहन सेठ के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 36200.00 |
| 9 | पन्ना मिश्रा के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37500.00 |
| 10 | मोहन मिश्र के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 36700.00 |
| 11 | तिवारी गुरू के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 39600.00 |
| 12 | शयामा राजभर के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 37500.00 |
| 13 | राकेश सिंह के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 39500.00 |
| 14 | सोनू सिंह के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 39300.00 |
| 15 | धर्मेन्द्र मिश्रा के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 39700.00 |
| 16 | गुरूचरण के घर के पास हैन्डपंप रिबोर | 14वां वित्त | ---- | ---- | 39000.00 |
| 17 | डस्टबिन क्रय | 14वां वित्त | 98000.00 | ---- | 98000.00 |
| 18 | अमर देव के घर के सामने से रमा पति के दुकान तक खंडजा मरम्मत | 14वां वित्त | ---- | 41900.00 | 41900.00 |
| 19 | विजय सोनकर के घर से बनारसी के घर तक खंडजा मरम्मत | 14वां वित्त | 120000.00 | 20000.00 | 140000.00 |
| 20 | शिव मंदिर से मोहन यादव के घर तक खंडजा | 14वां वित्त | 139250.00 | 73274.00 | 212524.00 |
| 21 | मुनीब शर्मा के खेत से होते हुए सिचाई विभाग तक खंडजा मरम्मत | 14वां वित्त | 93000.00 | 35910.00 | 128910.00 |
| 22 | सामग्री खरीद (कार्य का नाम नही मालूम) | 14वां वित्त | 15235.00 | ---- | 15235.00 |
| 23 | हैन्ड पंप मरम्मत(जगह का नाम नही लिखा है) | च 0रा0 वि0 | ---- | ---- | 19500.00 |
| 24 | हैन्ड पंप मरम्मत(जगह का नाम नही लिखा है) | च 0रा0 वि0 | ---- | ---- | 19650.00 |
| 25 | हैन्ड पंप मरम्मत(जगह का नाम नही लिखा है) | च 0रा0 वि0 | ---- | ---- | 19500.00 |
| 26 | हैन्ड पंप मरम्मत(जगह का नाम नही लिखा है) | च 0रा0 वि0 | ---- | ---- | 19400.00 |
| 27 | हरिजन बस्ती से पिच रोड से फुलरात के घर तक खंडजा मरम्मत | च 0रा0 वि0 | 80000.00 | 99174.00 | 179174.00 |
| 28 | शौचालय निर्माण कार्य(बुनियादी शाला पर ) | च 0रा0 वि0 | 70000.00 | 20000.00 | 90000.00 |
| 29 | प्रधान मानदेय | च 0रा0 वि0 | ---- | ---- | 42000.00 |
| 30 | प्रशासनिक व्यय | च 0रा0 वि0 | ---- | ---- | 13799.00 |
| | योग - | | | | 1648242.00 |

64- ग्राम पंचायत- कोरी
विकास खण्ड - पिण्डरा
वर्ष- 2018-19
प्रस्तर 99
वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू0 1733818.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवाँ राजवित्त का व्यय दर्शित है । उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव, मस्टोरोल, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, स्टाक-बुक, अचल-चल संपत्ति का रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर, कोटेशन व निविदा आदि से संबन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 1733818.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री राजनाथ व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है । प्रत्येक से रू0 866909.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है । व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

1- चतुर्थ राजवित्त - 1357241.00
2- चौदहवां राजवित्त- 376577.00
योग ----- 1733818.00

65- ग्राम पंचायत- रोह
विकास खण्ड - पिण्डरा
वर्ष- 2018-19
प्रस्तर 100
वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू0 3011713.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवाँ राजवित्त का व्यय दर्शित है । उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव, मस्टोरोल, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, स्टाक-बुक, अचल-चल संपत्ति का रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर, कोटेशन व निविदा आदि से संबन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 3011713.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री लाल बहादुर व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है । प्रत्येक से रू0 1505856.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है । व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

1- चतुर्थ राज़्य वित्त - 469950.00
2- चौदहवां राज़्य वित्त- 2541763.00
योग ----- 3011713.00

66- ग्राम पंचायत- रामपुर
विकास खण्ड - पिण्डरा
वर्ष- 2018-19
प्रस्तर 101
वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू0 5560351.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवाँ राजवित्त का व्यय दर्शित है । उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव, मस्टोरोल, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, स्टाक-बुक, अचल-चल संपत्ति का रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर, कोटेशन व निविदा आदि से संबन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 5530351.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री सियालाल व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है । प्रत्येक से रू0 2780175.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है । व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

1- चतुर्थ राज़्य वित्त - 758674.00
2- चौदहवां राज़्य वित्त- 3503977.00
3- अंतेष्ठी स्थल 1297700.00

योग ---- 5560351.00

67- ग्राम पंचायत- राजपुर
विकास खण्ड - पिण्डरा
वर्ष- 2018-19

प्रस्तर 102

वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू0 5105629.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवाँ राज़्य वित्त का व्यय दर्शित है । उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव, मस्टोरोल, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, स्टाक-बुक, अचल-चल संपत्ति का रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर, कोटेशन व निविदा आदि से संबन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 5105629.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्री प्रकाश व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है । प्रत्येक से रू0 2552814.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है । व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

1- चतुर्थ राज़्य वित्त - 820347.00
2- चौदहवां राज़्य वित्त- 4285282.00
योग ----- 5105629.00

68- ग्राम पंचायत- जगदीशपुर
विकास खण्ड - पिण्डरा
वर्ष- 2018-19

प्रस्तर 103

वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू0 4877784.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवाँ राज़्य वित्त का व्यय दर्शित है । उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव, मस्टोरोल, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, स्टाक-बुक, अचल-चल संपत्ति का रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर, कोटेशन व निविदा आदि से संबन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 4877784.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती रीता देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है । प्रत्येक से रू0 2438892.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है । व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

1- चतुर्थ राज़्य वित्त - 807036.00
2- चौदहवां राज़्य वित्त- 4070748.00
योग ----- 4877784.00

69- ग्राम पंचायत- पिण्डरा
विकास खण्ड - पिण्डरा
वर्ष- 2018-19

प्रस्तर 104

वंशराज के घर से बाही तक भूमिगत पाइप लाइन निर्माण कार्य 23.02.19 से 01.03.19 तक कराया गया है जिस पर

विक्रमा राम पुत्र सेचन 7x340 = 2380
फुरसतम पुत्र महेन्द्र 6x340 = 2040

इन्हीं मजदूरों को बेलवा रोड से गुलाब हसीन के घर तक और लहरु के घर से खडण्जा कार्य पर कार्यरत दिखाकर (23.02.19 से 01.03.19 तक) **रु0 4420.00** अपहरण कर लिया गया है| जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 2210.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -105

अनिल के दरवाजे से घनश्याम पटेल के घर तक भमिगत नाला निर्माण तीन मस्टर रोल पर 23.02.19 से 01.03.19 तक कार्य करना दिखाया गया है। जिसपर

शिवचरन पुत्र रामदास 7 x 340= 2380
सचिन पुत्र अशोक 7 x 182= 1274
बुद्धिराम पुत्र सुदधू 7 x 182= 1274
असनरायन पुत्र उदयमौर्य 7 x 182= 1274
फूलचंद पुत्र राम देव 7 x 182= 1274
पप्पू पुत्र बचाऊ 7 x 182= 1274
देवराज पुत्र तक्की 7 x 182= 1274
धनराज पुत्र तक्की 7 x 182= 1274
संतलाल पुत्र बद्री 7 x 182= 1274
रामआसरे पुत्र लल्लायादव 7 x 182= 1274
**योग = 13846**

इन्हीं मजदूरों को वंशराज के घर से बाही तक भूमिगत पाइप लाइन निर्माण कार्य पर दिनांक 23.02.19 से 01.03.19 तक कार्यरत दर्शाकर रु0 **13846.00** का दोहरा बुगतान कर अपहरण कर लिया गया है| जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 6923.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -106

अनिल के दरवाजे से घनश्याम पटेल के घर तक भूमिगत नाली निर्माण 23.02.19 से 01.03.19 तक शिवचरनपुत्र रामदास को 7 x 175 = 1225

इसी मजदूर को बेलवा रोड से गुलाब हसीन के घर तक व लहरु के घर तक मिट्टी कार्य 23.02.19 से 01.03.19 तक कार्य करना दर्शाकर रु **1225.00** का दोहरा भुगतान कर अपहरण कर लिया गया । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 612.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर -107

29.08.2018 को कुर्सी, मेज, आलमारी इत्यादि का क्रय हेतु ₹35050.00 का भुगतान किया गया है। फर्म न्यू मॉडर्न फर्नीचर के वाउचर मानक प्रारूप न होने के साथ इस पर क्रमांक और बुकलेट नंबर के साथ जी0एस0टी0 नम्बर नहीं पाया गया। इस प्रकार फर्जी प्रमाणक प्रस्तुत कर ₹35050.00 का अपहरण कर लिया गया| जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 17525.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

प्रस्तर-108

18.03.2019 को डस्टबीन क्रय का भुगतान व्यय प्रमाणक की छाया प्रति लगाकर ₹ 80000.00 का अपहरण कर लिया गया है । जिसके लिये तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती छाया देवी एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अमित वर्मा उत्तरदायी है |अतः प्रत्येक से रुपया 40000.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है |

70- ग्राम पंचायत- सुरही
विकास खण्ड - पिण्डरा
वर्ष- 2018-19
प्रस्तर 109

वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायत द्वारा कुल रू0 2323464.00 चतुर्थ राज्यवित्त व चौदहवाँ राज़्य वित्त का व्यय दर्शित है । उक्त व्यय के सापेक्ष लेखा परीक्षा में कोषबही व्यय प्रमाणक कार्यवाही रजिस्टर नियोजन व निर्माण समिति का प्रस्ताव, मस्टोरोल, एम0 बी0, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र, स्टाक-बुक, अचल-चल संपत्ति का रजिस्टर, परिसंपत्ति रजिस्टर, पंचायत कर निर्धारण व वसूली रजिस्टर, कोटेशन व निविदा आदि से संबन्धित कोई भी अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 2323464.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती गुड़िया व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अमित वर्मा द्वारा किया गया है । प्रत्येक से रू0 1161732.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है । व्यय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

1- चतुर्थ राज़्य वित्त - 594194.00
2- चौदहवां राज़्य वित्त- 1729270.00
योग ----- 2323464.00

71- ग्राम पंचायत- गरथौली
विकास खण्ड - चोलापुर

वर्ष- 2018-19

प्रस्तर 110

आलोच्य वर्ष 2018-19 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज/ प्रियासॉफ्ट के वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा विवरण (प्रारूप-1) पर वर्ष में उपभोग / व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 4राज्य वित्त  मद में रू0 525860.00 और 14 वित्त आयोग मद में रू0 2922080.00 और अन्त्येष्टि स्थल मद में रू0 417650.00 दर्शित है । इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर/व्यय प्रमाणक/ मरम्मत- निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया । इस संबंध में संबन्धित अधिकारीयों से पत्राचार किया गया लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार कुल रू0 3865590.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी है । नियमानुसार प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा वसूली अपेक्षित है । विवरण निम्न है -

| | **मद चतुर्थ राज्य वित्त (एस.एफ.सी)** | | | | | | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र. | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आइडी | दिनांक | चे.न. | धनराशि | |
| 1 | प्राथमिक विद्यालय मे पेंटिंग का भुगतान | 1 | 17444654 | 14.12.18 | 7560 | 95750.00 | एजेंसी |
| 2 | प्राथमिक विद्यालय मे पेंटिंग का भुगतान | 2 | 17444646 | 18.12.18 | 13402 | 110000.00 | एजेंसी |
| 3 | नाली निर्माण कार्य वंशनारायण के घर से नाला तक | 3 | 17444645 | 20.3.19 | 15762 | 152460.00 | एजेंसी |
| 4 | नाली निर्माण कार्य वंशनारायण के घर से नाला तक | 4 | 17444645 | 20.3.19 | 15761 | 119650.00 | एजेंसी |
| 5 | नाली निर्माण कार्य वंशनारायण के घर से नाला तक | 5 | 17444645 | 26.3.19 | 13420 | 48000.00 | एजेंसी |
| | | | योग | | | **525860.00** | |
| | **मद वित्त आयोग (एफ.एफ.सी)** | | | | | | |
| 1 | प्राथमिक विद्यालय मे बाउन्ड्रीवाल मरम्मत | 1 | 17444650 | 3.4.18 | 2139 | 13150.00 | इम्प्लाई |
| 2 | प्राथमिक विद्यालय मे बाउन्ड्रीवाल मरम्मत | 2 | 17444650 | 3.4.18 | 7541 | 124600.00 | एजेंसी |
| 3 | प्राथमिक विद्यालय मे बाउन्ड्रीवाल मरम्मत | 3 | 17444650 | 17.10.18 | 7548 | 95000.00 | एजेंसी |
| | प्राथमिक विद्यालय मे बाउन्ड्रीवाल मरम्मत | 4 | 17444650 | 17.10.18 | 7549 | 21210.00 | एजेंसी |
| | ढक्कन नाली - बनारसी के घर से गुड्डू के घर | 5 | 17444651 | 28.6.18 | 7547 | 90550.00 | इम्प्लाई |
| | ढक्कन नाली - बनारसी के घर से गुड्डू के घर | 6 | 17444651 | 17.10.18 | 7552 | 190840.00 | एजेंसी |
| | ढक्कन नाली - बनारसी के घर से गुड्डू के घर | 7 | 17444651 | 5.11.18 | 7555 | 101000.00 | एजेंसी |
| | प्राथमिक विद्यालय मे टाइल्स निर्माण कार्य | 8 | 17444652 | 30.6.18 | 7546 | 65775.00 | एजेंसी |
| | प्राथमिक विद्यालय मे टाइल्स निर्माण कार्य | 9 | 17444652 | 30.6.18 | 7545 | 117545.00 | एजेंसी |
| | प्राथमिक विद्यालय मे टाइल्स निर्माण कार्य | 10 | 17444652 | 17.10.18 | 7550 | 21210.00 | इम्प्लाई |
| | ढक्कन नाली - मुन्ना  के घर से खरपत्तू के | 11 | 17444655 | 26.10.18 | 7551 | 190840.00 | एजेंसी |
| | ढक्कन नाली - मुन्ना  के घर से खरपत्तू के | 12 | 17444655 | 5.11.18 | 7554 | 101000.00 | एजेंसी |
| | ढक्कन नाली - मुन्ना  के घर से खरपत्तू के | 13 | 17444655 | 14.11.18 | 7559 | 55000.00 | इम्प्लाई |
| | ढक्कन नाली - मुन्ना  के घर से खरपत्तू के | 14 | 17444655 | 1.12.18 | 13401 | 25000.00 | इम्प्लाई |
| | ढक्कन नाली कार्य मटरू के घर से रामचन्दर के | 15 | 17444641 | 3.11.18 | 7553 | 115000.00 | इम्प्लाई |
| | ढक्कन नाली कार्य मटरू के घर से रामचन्दर के | 16 | 17444641 | 5.11.18 | 7557 | 102000.00 | एजेंसी |
| | खड़ंजा मिरमान नहर से मस्जिद तक | 17 | 17444653 | 5.11.18 | 7558 | 102000.00 | एजेंसी |
| | खड़ंजा मिरमान नहर से मस्जिद तक | 18 | 17444653 | 19.12.20 | 13404 | 90500.00 | एजेंसी |
| | खड़ंजा मिरमान नहर से मस्जिद तक | 19 | 17444653 | 14.1.19 | 13405 | 72200.00 | एजेंसी |
| | इन्टरलॉकिंग सुरेन्द्र के घर से मनोज के घर तक | 20 | 17444642 | 25.2.19 | 13412 | 125000.00 | एजेंसी |
| | इन्टरलॉकिंग सुरेन्द्र के घर से मनोज के घर तक | 21 | 17444642 | 25.2.19 | 13411 | 135000.00 | एजेंसी |
| | भूमिगत पाइप कार्य नवलदीप के घर से नाला तक | 22 | 17444643 | 16.3.19 | 13417 | 152460.00 | एजेंसी |
| | भूमिगत पाइप कार्य नवलदीप के घर से नाला तक | 23 | 17444643 | 16.3.19 | 13419 | 122450.00 | एजेंसी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भूमिगत पाइप कार्य नवलदीप के घर से नाला तक | 24 | 17444643 | 16.3.19 | 13418 | 122500.00 | एजेंसी |
| | भूमिगत नाला नथुनी के घर से नाला तक | 25 | 17444644 | 16.3.19 | 13416 | 152460.00 | एजेंसी |
| | भूमिगत नाला नथुनी के घर से नाला तक | 26 | 17444644 | 16.3.19 | 13415 | 124600.00 | एजेंसी |
| | भूमिगत नाला नथुनी के घर से नाला तक | 27 | 17444644 | 16.3.19 | 13414 | 143540.00 | एजेंसी |
| | भूमिगत नाला नथुनी के घर से नाला तक | 28 | 17444644 | 16.3.19 | 13410 | 149650.00 | एजेंसी |
| | | | योग | | | **2922080.00** | |
| | **मद अंत्येष्टी स्थल निर्माण** | | | | | | |
| | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 1 | 17444647 | 14.2.19 | 13406 | 110550.00 | एजेंसी |
| | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 2 | 17444647 | 22.2.19 | 13408 | 114000.00 | एजेंसी |
| | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 3 | 17444647 | 6.3.19 | 13409 | 68100.00 | इम्प्लाई |
| | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 4 | 17444647 | 26.3.19 | 15763 | 125000.00 | इम्प्लाई |
| | | | | | | **417650.00** | |
| | | | सम्पूर्ण योग | | 3865590.00 | | |

72- ग्राम पंचायत- परानापट्टी
विकास खण्ड - चोलापुर
वर्ष- 2018-19

प्रस्तर 111

आलोच्य वर्ष 2018-19 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज / प्रियासाफ्ट के वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा विवरण (प्रारूप-1) पर वर्ष में उपभोग/व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 4राज्य वित्त मद में रू0 526909.00 और 14 वित्त आयोग मद में रू0 1077114.00 दर्शित है । इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑनलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर/ व्यय प्रमाणक/ मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली/ मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया । इस संबंध में संबधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 1604023.00 के अपहरण के लिए तत्कालीन प्रधान श्री कमला प्रसाद और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी है । नियमानुसार प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा वसूली अपेक्षित है । विवरण निम्न है -

| क्र. | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आइडी | दिनांक | चे.न . | धनराशि | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | खडंजा निर्माण ईंट कार्य | 1 | 11394345 | 20.10.18 | 796436 | 102000.00 | एजेन्सी |
| 2 | खडंजा निर्माण ईंट कार्य | 2 | 11394345 | 20.10.18 | 766449 | 38440.00 | एजेन्सी |
| 3 | खडंजा निर्माण ईंट कार्य | 3 | 11394345 | 26.10.18 | 766440 | 168484.00 | एजेन्सी |
| 4 | खडंजा निर्माण ईंट कार्य | 4 | 11394346 | 18.03.19 | 705732 | 27650.00 | एजेन्सी |
| 5 | हैण्डपंप का मरम्मत | 5 | 15015791 | 27.02.19 | 705725 | 10000.00 | एजेन्सी |
| 6 | हैण्डपंप का मरम्मत | 6 | 15015783 | 15.10.18 | 796438 | 19028.00 | एजेन्सी |
| 7 | हैण्डपंप का मरम्मत | 7 | 15015781 | 17.10.18 | 796447 | 19028.00 | एजेन्सी |
| 8 | हैण्डपंप का मरम्मत | 8 | 15015784 | 2.11.18 | 705711 | 19028.00 | एजेन्सी |
| 9 | हैण्डपंप का मरम्मत | 9 | 15015792 | 17.10.18 | 796443 | 17348.00 | एजेन्सी |
| 10 | हैण्डपंप का मरम्मत मजदूरी | 10 | 15015792 | 17.10.18 | 796441 | 21210.00 | एजेन्सी |
| 11 | हैण्डपंप का मरम्मत | 11 | 15015786 | 2.11.18 | 705707 | 15960.00 | एजेन्सी |
| 12 | हैण्डपंप का मरम्मत | 12 | 15015787 | 2.11.18 | 705708 | 15350.00 | एजेन्सी |
| 13 | हैण्डपंप का मरम्मत | 13 | 15015786 | 2.11.18 | 705709 | 15275.00 | एजेन्सी |
| 14 | हैण्डपंप का मरम्मत मजदूरी | 14 | 15015794 | 2.11.18 | 705713 | 19080.00 | एजेन्सी |
| 15 | हैण्डपंप का मरम्मत | 15 | 15015782 | 2.11.18 | 696445 | 19028.00 | एजेन्सी |
| | | | | | योग- | 526909.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मद वित्त आयोग(एफ0एफ0सी0) | | | | | | |
| 1 | खडंजा निर्माण में मजदूरी | 1 | 15015788 | 1.6.18 | 624940 | 15000.00 | कर्मचारी |
| 2 | खडंजा निर्माण में ईंट कार्य | 2 | 15015788 | 10.9.18 | 624942 | 120000.00 | एजेन्सी |
| 3 | खडंजा निर्माण में मजदूरी | 3 | 15015788 | 18.3.19 | 705731 | 22500.00 | एजेन्सी |
| 4 | खडंजा निर्माण में ईंट कार्य | 4 | 15015789 | 4.9.18 | 624941 | 120000.00 | एजेन्सी |
| 5 | खडंजा निर्माण में ईंट कार्य | 5 | 15015789 | 17.10.18 | 796439 | 37630.00 | एजेन्सी |
| 6 | खडंजा निर्माण में ईंट कार्य | 6 | 15015790 | 2.11.18 | 705702 | 65000.00 | एजेन्सी |
| 7 | टाइल्स निर्माण में मजदूरी | 7 | 11394324 | 2.11.18 | 705710 | 33440.00 | एजेन्सी |
| 8 | दीवार पेन्टींग का कार्य | 8 | 11394326 | 2.11.18 | 705716 | 35000.00 | एजेन्सी |
| 9 | दीवार पेन्टींग का कार्य | 10 | 11394326 | 2.11.18 | 705717 | 35000.00 | एजेन्सी |
| 10 | दीवार पेन्टींग का कार्य | 11 | 11394326 | 6.3.19 | 705726 | 35425.00 | एजेन्सी |
| 11 | दीवार पेन्टींग का कार्य | 12 | 11394326 | 18.3.19 | 705733 | 14950.00 | एजेन्सी |
| 12 | इन्टरलाकिंग निर्माण का कार्य | 13 | 11394325 | 2.11.18 | 705703 | 6600.00 | एजेन्सी |
| 13 | हैण्डपंप मरम्मत की मजदूरी | 21 | 15015793 | 17.10.18 | 796444 | 17348.00 | एजेन्सी |
| 14 | हैण्डपंप मरमम्त | 23 | 15015793 | 17.10.18 | 796442 | 21210.00 | एजेन्सी |
| 15 | राधे मौर्या के घर से पम्मू के घर खडंजा | 25 | 11394348 | 2.11.18 | 705704 | 66000.00 | एजेन्सी |
| | घर खंडजा | 26 | 11394348 | 2.11.18 | 705718 | 20000.00 | एजेन्सी |
| 16 | प्राईमरी स्कूल में ईन्टरलाकिंग मजदूरी | 26 | 11394313 | 3.12.18 | 705701 | 9000.00 | एजेन्सी |
| 17 | प्राईमरी स्कूल में इन्टरलाकिंग गिट्टी कार्य | 36 | 11394313 | 3.12.18 | 705705 | 59500.00 | एजेन्सी |
| 18 | प्राइमरी स्कूल में इन्टरलाकिंग मजदूरी | 37 | 11394313 | 5.12.18 | 705712 | 21000.00 | एजेन्सी |
| 19 | प्राईमरी स्कूल में इन्टरलाकिंग ईंट कार्य | 38 | 11394313 | 5.12.18 | 705714 | 51000.00 | एजेन्सी |
| 20 | प्राईमरी स्कूल में इन्टरलाकिंग में सामग्री कार्य | 39 | 11394313 | 5.12.18 | 705715 | 68079.00 | एजेन्सी |
| 21 | प्राईमरी स्कूल में इन्टरलाकिंग सामग्री | 40 | 11394313 | 9.12.18 | 705719 | 92935.00 | एजेन्सी |
| 22 | प्राईमरी स्कूल में इटर सीमेन्ट ईंट कार्य | 41 | 11394313 | 4.12.18 | 705706 | 110597.00 | एजेन्सी |
| | | | | सम्पूर्ण योग- | | 1077114.00 | |

73- ग्राम

पंचायत- रूपचन्दपुर

विकास खण्ड - चोलापुर

वर्ष- 2018-19

प्रस्तर 112

आलोच्य वर्ष 2018-19 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा मे ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज / प्रियासॉफ्ट के वार्षिक प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा विवरण (प्रारूप -1) पर वर्ष मे उपभोग / व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद मे रुपया 330024.00 और 14 वित्त आयोग

मद मे रुपया 1362527.72 और अन्य मद मे रुपया 19850.00 दर्शित है। दर्शित है। इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखापरीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत- निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध मे संबंधित अधिकारियों से पत्राचार किया गया लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार रुपया 1712401.72 के अपहरण के लिए तत्कालीन प्रधान श्री दिनेश यादव और तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर उत्तरदायी हैं। नियमानुसार प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा आधा वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है

| क्र.सं. | कार्य का नाम | वाउचर नंबर | वर्क आई डी | दिनांक | चेक नंबर | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **मद चतुर्थ राज्य वित्त** | | | | | | |
| | ऑफिस कार्य हेतु कुर्सी ,मेज आदि क्रय | 1 | 7354514 | 4.4.18 | 661198 | 28950.00 | अदर्स |
| | टेंडर 2017-18 | 2 | 7254514 | 6.4.18 | 661211 | 3944.00 | एजेंसी |
| | हैंडपम्प रिबोर मजदूरी का भुगतान दयानंद को | 3 | 6543146 | 21.4.18 | 661214 | 10000.00 | एम्प्लाई |
| | 05 नग हैंडपम्प मरम्मत | 4 | 7354516 | 28.5.18 | 661229 | 12000.00 | एजेंसी |
| | जनहित कार्य मंदिर के होम से सीवर | 6 | 7354521 | 2.5.18 | 661217 | 11550.00 | अदर्स |
| | कार्य ईंट का भुगतान | | | | | | |
| | 08 नग हैंडपम्प मरम्मत की मजदूरी | 7 | 7354532 | 16.10.18 | 661230 | 4800.00 | एम्प्लाई |
| | 08 नग हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री | 8 | 7354532 | 6.11.18 | 661234 | 15150.00 | एजेंसी |
| | हैंडपम्प मरम्मत 05 नग | 9 | 7354517 | 17.10.18 | 661231 | 16550.00 | एजेंसी |
| | 05 नग हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी | 10 | 7354517 | 17.10.18 | 661232 | 3000.00 | एम्प्लाई |
| | 04 माह का ग्राम प्रधान मानदेय | 11 | 7354515 | 26.10.18 | 661233 | 14000.00 | अदर्स |
| | 04 माह का ग्राम प्रधान मानदेय | 12 | 7354515 | 6.11.18 | 661236 | 14000.00 | अदर्स |
| | फोटो स्टेट चार्ज | 13 | 7354514 | 15.11.18 | 661236 | 5200.00 | एजेंसी |
| | स्वच्छता अभियान वाल पेंटिंग | 14 | 1357729 | 1.12.18 | 661235 | 17175.00 | अदर्स |
| | स्वच्छता अभियान वाल पेंटिंग | 15 | 13577259 | 7.1.19 | 661240 | 2050.00 | अदर्स |
| | हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी | 16 | 7354518 | 10.1.19 | 661241 | 4200.00 | एम्प्लाई |
| | हैंडपम्प मरम्मत सामग्री | 17 | 7354518 | 5.2.19 | 661244 | 15580.00 | एजेंसी |
| | आंगनवाड़ी शौचालय सामग्री | 18 | 7354527 | 6.3.19 | 661250 | 19378.00 | अदर्स |
| | आंगनवाड़ी शौचालय मजदूरी | 19 | 7354527 | 18.3.19 | 163311 | 7323.00 | अदर्स |
| | हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी | 20 | 7354520 | 15.3.19 | 163318 | 4200.00 | एम्प्लाई |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | हैंडपम्प मरम्मत सामग्री | 21 | 7354520 | 15.3.19 | 163319 | 15730.00 | एजेंसी |
| | हैंडपम्प मरम्मत मजदूरी | 22 | 7354519 | 15.3.19 | 163316 | 3600.00 | एम्प्लाई |
| | हैंडपम्प मरम्मत सामग्री | 23 | 7354519 | 15.3.19 | 163317 | 16150.00 | एजेंसी |
| | 03 माह का ग्राम प्रधान मानदेय | 24 | 7354515 | 19.3.19 | 163321 | 10500.00 | अदर्स |
| | टेंडर 2018-19 का | 25 | 7354514 | 20.3.19 | 163315 | 4141.00 | एजेंसी |
| | अर्चना देवी के हैंडपम्प रिबोर की मजदूरी | 26 | 13577257 | 29.3.19 | 163334 | 13340.00 | एम्प्लाई |
| | अर्चना देवी के हैंडपम्प रिबोर की सामग्री | 27 | 13577257 | 29.3.19 | 163335 | 19999.00 | एजेंसी |
| | शिव मंदिर के पास हैंडपम्प रिबोर की मजदूरी | 28 | 7354547 | 29.3.19 | 163331 | 13340.00 | एम्प्लाई |
| | शिव मंदिर के पास हैंडपम्प रिबोर की सामग्री | 29 | 7354547 | 29.3.19 | 163330 | 19999.00 | एजेंसी |
| | आंगनवाड़ी शौचालय मजदूरी | 30 | 7354527 | 29.3.19 | 163328 | 4175.00 | एम्प्लाई |
| | | | योग | | | **330024.00** | |
| | **मद अन्य** | | | | | | |
| | हैंडपम्प मरम्मत की सामग्री | 1 | 7354531 | 30.3.19 | 163336 | 15650.00 | एजेंसी |
| | हैंडपम्प मरम्मत की मजदूरी | 2 | 7354531 | 30.3.19 | 163337 | 4200.00 | एम्प्लाई |
| | | | योग | | | **19850.00** | |
| | **मद चौदहवें वित्त आयोग** | | | | | | |
| | कूप जगत कार्य की सामग्री | 5 | 7354523 | 1.4.18 | 661206 | 15000.00 | अदर्स |
| | कूप जगत कार्य की मजदूरी | 6 | 7354523 | 21.4.18 | 661213 | 7000.00 | एम्प्लाई |
| | कूप जगत कार्य की सामग्री | 7 | 7354523 | 28.5.18 | 661219 | 11000.00 | अदर्स |
| | सीवर कार्य खिसिहाल के घर से श्यामलाल के घर तक | 12 | 13833689 | 17.4.18 | 661195 | 120158.84 | अदर्स |
| | सीवर कार्य खिसिहाल के घर से श्यामलाल के घर तक | 13 | 13833689 | 17.4.18 | 661210 | 15000.00 | एम्प्लाई |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सीवर कार्य खिसिहाल के घर से श्यामलाल के घर तक | 14 | 13833689 | 2.5.18 | 661216 | 8662.50 | अदर्स |
| | सीवर कार्य खिसिहाल के घर से श्यामलाल के घर तक | 15 | 13833689 | 28.5.18 | 661226 | 610.00 | एम्प्लाई |
| | जलनिकासी कार्य मनराज के घर से सीवर तक | 4 | 13833688 | 2.5.18 | 661224 | 1505.00 | एम्प्लाई |
| | जलनिकासी कार्य मनराज के घर से सीवर तक | 1 | 13833688 | 3.4.18 | 661208 | 15000.00 | एम्प्लाई |
| | मनराज के घर से सीवर तक ह्यूम पाइप | 2 | 13833688 | 4.4.18 | 661207 | 128264.70 | अदर्स |
| | मनराज के घर से सीवर तक सामग्री पर | 3 | 13833688 | 5.4.18 | 661205 | 20000.00 | अदर्स |
| | पंचायत भवन मरम्मत एवं टाइल्स कार्य | 24 | 7354526 | 5.2.19 | 661243 | 10220.00 | एम्प्लाई |
| | पंचायत भवन मरम्मत एवं टाइल्स कार्य | 25 | 7354526 | 15.2.19 | 661245 | 20700.00 | अदर्स |
| | पंचायत भवन मरम्मत एवं टाइल्स कार्य | 26 | 7354526 | 12.3.19 | 163314 | 10220.00 | एम्प्लाई |
| | पंचायत भवन मरम्मत एवं टाइल्स कार्य | 27 | 7354526 | 15.3.19 | 163313 | 20060.00 | अदर्स |
| | पंचायत भवन मरम्मत एवं टाइल्स कार्य | 29 | 7354526 | 30.3.19 | 163322 | 21548.00 | अदर्स |
| | पंचायत भवन मरम्मत एवं टाइल्स कार्य | 40 | 7354526 | 31.3.19 | 163333 | 90848.00 | अदर्स |
| | भूमिगत नाली पंकज के घर से पोखरी तक | 30 | 13833686 | 21.2.19 | 661246 | 8670.00 | एम्प्लाई |
| | भूमिगत नाली पंकज के घर से पोखरी तक | 31 | 13833686 | 25.2.19 | 661248 | 130497.00 | एजेंसी |
| | भूमिगत नाली अलगु के घर से धर्मेन्द्र के घर तक | 32 | 13833687 | 25.2.19 | 661247 | 123124.00 | एजेंसी |
| | भूमिगत नाली अलगु के घर से धर्मेन्द्र के घर तक की मजदूरी | 33 | 13833687 | 27.2.19 | 661249 | 8670.00 | एम्प्लाई |
| | स्वच्छता अभियान -05 नग डस्ट्बिन क्रय | 34 | 13577255 | 25.3.19 | 163320 | 29500.00 | अदर्स |
| | डस्ट्बिन क्रय | 35 | 13577255 | 27.3.19 | 163312 | 59000.00 | अदर्स |
| | डस्ट्बिन क्रय | 36 | 13577255 | 27.3.19 | 163319 | 29500.00 | अदर्स |
| | भूमिगत नाली लालचंद के घर से लुरखुर के घर तक | 9 | 7354522 | 7.4.18 | 661209 | 120158.84 | अदर्स |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | भूमिगत नाली लालचंद के घर से लुरखुर के घर तक | 10 | 7354522 | 12.4.18 | 661212 | 15000.00 | एम्प्लाई |
| | भूमिगत नाली लालचंद के घर से लुरखुर के घर तक | 11 | 7354522 | 28.5.18 | 661225 | 640.00 | एम्प्लाई |
| | इन्टरलाकिन्ग पिच रोड से रामसूरत के घर तक | 16 | 7354529 | 10.5.18 | 661220 | 107311.84 | अदर्स |
| | जलनिकासी कार्य रमाशंकर के घर से राजेन्द्र के घर तक | 17 | 7254544 | 21.5.18 | 661221 | 58718.00 | अदर्स |
| | जलनिकासी कार्य रमाशंकर के घर से राजेन्द्र के घर तक | 18 | 7254544 | 28.5.18 | 661227 | 5200.00 | एम्प्लाई |
| | जलनिकासी कार्य पिच रोड से राजेन्द्र के घर तक | 19 | 13577265 | 21.5.18 | 661223 | 34405.00 | अदर्स |
| | जलनिकासी कार्य पिच रोड से राजेन्द्र के घर तक | 20 | 13577265 | 28.5.18 | 661228 | 3975.00 | एम्प्लाई |
| | जलनिकासी कार्य लोकनाथ चौबे के घर से पोखरी तक | 21 | 13577256 | 21.5.18 | 661222 | 34405.00 | अदर्स |
| | हैंडपम्प रिबोर भोलेनाथ चौबे के घर के पास | 22 | 7354548 | 29.12.18 | 661239 | 14135.00 | एम्प्लाई |
| | हैंडपम्प रिबोर भोलेनाथ चौबे के घर के पास | 23 | 7354548 | 29.12.18 | 661238 | 19835.00 | एजेंसी |
| | हैंडपम्प रिबोर गोविन्द यादव के घर के पास | 37 | 13577254 | 29.3.19 | 163327 | 13340.00 | एम्प्लाई |
| | हैंडपम्प रिबोर गोविन्द यादव के घर के पास | 38 | 13577254 | 29.3.19 | 163326 | 18621.00 | एजेंसी |
| | प्राइमरी स्कूल के प्रांगण में इन्टरलाकिन्ग | 39 | 15985357 | 29.3.19 | 163323 | 12025.00 | एम्प्लाई |
| | | | योग | | | **1362527.72** | |
| **सम्पूर्ण योग** | | | | | | **1712401.72** | |

74- ग्राम

पंचायत- डुडुवा
विकास खण्ड - चोलापुर
वर्ष- 2018-19

प्रस्तर 113

आलोच्य वर्ष 2018-19 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज / प्रियासॉफ्ट के वार्षिक प्राप्तियां और भुगतान लेखा विवरण (प्रारूप-1) पर वर्ष में उपभोग/ व्यय चतुर्थ राज्य वित्त आयोग 4 एस0एफ0सी0 मद में रू0 543039.00 और 14 वित आयोग मद में रू0 3991568.00 और अन्त्येष्टि स्थल मद में रू0 1631000.00 दर्शित है । इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा के दौरान कोई भी वाउचर/ व्यय प्रमाणक/ मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली/ मूल

अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही कराया गया । इस संबंध में संबंन्धित अधिकारीयों से पत्राचार किया गया लेकिन महत्वपूर्ण अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया । इस प्रकार रू0 6165607.00 के अपहरण के लिए तकालीन प्रधान मिस रूक्मिणी और तकालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री अशोक राजभर है । नियमानुसार प्रधान और सचिव से मय ब्याज आधा वसूली अपेक्षित है । विवरण निम्न है-

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई0डी0 | दिनांक | चेक नं0 | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मद चतुर्थ राज्य वित्त(एस0एफ0सी0) | | | | | | |
| 1 | हैण्डपंप मरम्मत हेतु भुगतान | 1 | 10164689 | 27.8.18 | 374552 | 16120.00 | एजेन्सी |
| 2 | हैण्डपंप मरम्मत हेतु भुगतान | 2 | 10164690 | 7.8.18 | 374548 | 15495.00 | एजेन्सी |
| 3 | हैण्डपंप रीबोर लालजी के पास | 3 | 1064712 | 31.10.18 | 374588 | 21210.00 | कर्मचारी |
| 4 | हैण्डपंप रीबोर लालजी के पास | 4 | 1064712 | 31.10.18 | 374583 | 17348.00 | एजेन्सी |
| 5 | हैण्डपंप रीबोर मनखु के पास | 5 | 10164715 | 31.10.18 | 374592 | 21210.00 | कर्मचारी |
| 6 | हैण्डपंप रीबोर लालजी के पास | 6 | 10164715 | 31.10.18 | 374584 | 17348.00 | एजेन्सी |
| 7 | हैण्डपंप रीबोर श्यामधनी के पास | 7 | 10164714 | 31.10.18 | 374589 | 21210.00 | कर्मचारी |
| 8 | हैण्डपंप रीबोर श्यामधनी के पास | 8 | 10164714 | 31.1.18 | 374585 | 17348.00 | एजेन्सी |
| 9 | हैण्डपंप रीबोर बैजनाथ के पास | 9 | 10164713 | 31.10.18 | 374590 | 21210.00 | कर्मचारी |
| 10 | हैण्डपंप रीबोर बैजनाथ के पास | 10 | 10164713 | 31.10.18 | 374590 | 17348.00 | एजेन्सी |
| 11 | हैण्डपंप रीबोर प्राथमिक विद्यालय के पास | 11 | 10164710 | 31.10.18 | 374591 | 21210.00 | कर्मचारी |
| 12 | हैण्डपंप रीबोर प्राथमिक विद्यालय के पास | 12 | 10164710 | 31.10.18 | 374587 | 17348.00 | एजेन्सी |
| 13 | प्राथमिक विद्यालय में पेन्ट का कार्य | 13 | 10164702 | 31.10.18 | 374593 | 25000.00 | एजेन्सी |
| 14 | हैण्डपंप मरम्मत का कार्य | 14 | 10164691 | 6.11.18 | 374597 | 15200.00 | एजेन्सी |
| 15 | हैण्डपंप रीबोर शिवचरन के पास | 15 | 10164695 | 12.11.18 | 374608 | 21210.00 | कर्मचारी |
| 16 | हैण्डपंप रीबोर शिवचरन के पास | 16 | 10164695 | 19.11.18 | 374600 | 17348.00 | एजेन्सी |
| 17 | भुमिगत नाली ओमप्रकाश के घर से कन्चन | 20 | 11616576 | 23.10.18 | 374582 | 96460.00 | एजेन्सी |
| 18 | भुमिगत नाली ओमप्रकाश के घर से कन्चन | 21 | 11616576 | 6.11.18 | 374599 | 23250.00 | कर्मचारी |
| 19 | भुमिगत नाली ओमप्रकाश के घर से कन्चन | 22 | 11616576 | 6.11.18 | 374594 | 64260.00 | एजेन्सी |
| 20 | हैण्डपंप रीबोर सभजीत के पास | 17 | 10164711 | 12.2.19 | 374628 | 21210.00 | कर्मचारी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | हैण्डपंप रीबोर सभजीत के पास | 18 | 10164711 | 12.2.19 | 374627 | 17348.00 | एजेन्सी |
| 22 | हैण्डपंप रीबोर श्यामदेव के पास | 19 | 10164704 | 12.2.19 | 374629 | 17348.00 | एजेन्सी |
| | | | | योग- | | 543039.00 | |
| | मद अंत्येष्टी निर्माण हेतु भुगतान | | | | | | |
| | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | | | | | | |
| 1 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 1 | 17211339 | 29.3.19 | 374622 | 150400.00 | एजेन्सी |
| 2 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 2 | 17211339 | 19.3.19 | 374637 | 31500.00 | कर्मचारी |
| 3 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 3 | 17211339 | 8.1.19 | 374565 | 110000.00 | एजेन्सी |
| 4 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 4 | 17211339 | 12.2.19 | 374566 | 110000.00 | एजेन्सी |
| 5 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 5 | 17211339 | 15.1.19 | 374609 | 259500.00 | एजेन्सी |
| 6 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 6 | 17211339 | 2.2.19 | 374614 | 124900.00 | एजेन्सी |
| 7 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 7 | 17211339 | 5.2.19 | 374621 | 138000.00 | एजेन्सी |
| 8 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 8 | 17211339 | 5.2.19 | 374620 | 22000.00 | एजेन्सी |
| 9 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 9 | 17211339 | 7.2.19 | 374623 | 150400.00 | एजेन्सी |
| 10 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 10 | 17211339 | 12.2.19 | 374624 | 57000.00 | एजेन्सी |
| 11 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 11 | 17211339 | 18.2.19 | 374625 | 152400.00 | एजेन्सी |
| 12 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 12 | 17211339 | 28.2.19 | 374626 | 153600.00 | एजेन्सी |
| 13 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 13 | 17211339 | 2.3.19 | 374630 | 25900.00 | एजेन्सी |
| 14 | अंत्येष्टी स्थल निर्माण हेतु भुगतान | 14 | 17211339 | 16.3.19 | 374633 | 145400.00 | एजेन्सी |
| | | | | | योग- | 1631000.00 | |
| | मद वित्त आयोग)एफ0एफ0सी0( | | | | | | |
| 1 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 1 | 10164716 | 19.9.18 | 374567 | 122000 | एजेन्सी |
| 2 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 2 | 10164716 | 24.8.18 | 374590 | 14490 | कर्मचारी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 3 | 10164716 | 27.8.18 | 374542 | 22174 | एजेन्सी |
| 4 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 4 | 10164716 | 27.8.18 | 374545 | 32918 | एजेन्सी |
| 5 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 5 | 10164716 | 28.8.18 | 374551 | 115840 | एजेन्सी |
| 6 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 6 | 10164716 | 28.8.18 | 374554 | 36000 | कर्मचारी |
| 7 | खंडजा निर्माण संगठा के घर से तिलकधारी | 7 | 10164722 | 24.8.18 | 374543 | 46000 | कर्मचारी |
| 8 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 8 | 10164722 | 28.8.18 | 374553 | 115960 | एजेन्सी |
| 9 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 9 | 10164722 | 27.9.18 | 374575 | 39020 | कर्मचारी |
| 10 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 10 | 10164722 | 28.11.18 | 374504 | 112600 | एजेन्सी |
| 11 | खंडजा निर्माण रामविलास के घर से वनारसी | 11 | 10164721 | 24.8.18 | 374546 | 40710 | कर्मचारी |
| 12 | खंडजा निर्माण लालजी के घर से सुरेश के | 12 | 10164721 | 13.9.18 | 374563 | 122000 | एजेन्सी |
| 13 | खंडजा निर्माण लालजी के घर से सुरेश के | 13 | 10164721 | 16.10.18 | 374547 | 72765 | एजेन्सी |
| 14 | खंडजा निर्माण लालजी के घर से सुरेश के | 14 | 10164721 | 16.10.18 | 374576 | 10000 | एजेन्सी |
| 15 | खंडजा निर्माण लालजी के घर से सुरेश के | 15 | 10164706 | 1.9.18 | 374557 | 21210 | कर्मचारी |
| 16 | हैण्डपंप रीबोर जीतबहादुर के घर | 16 | 10164706 | 1.9.18 | 374558 | 17348 | एजेन्सी |
| 17 | हैण्डपंप रीबोर जीतबहादुर के घर | 17 | 10164707 | 1.9.18 | 374555 | 21210 | कर्मचारी |
| 18 | हैण्डपंप रीबोर मुलचन्द के घर | 18 | 10164707 | 1.9.18 | 374562 | 17348 | एजेन्सी |
| 19 | हैण्डपंप रीबोर मुलचन्द के घर | 19 | 10164708 | 1.9.18 | 374561 | 21210 | कर्मचारी |
| 20 | हैण्डपंप रीबोर जवाहीर के घर | 20 | 10164708 | 1.9.18 | 374560 | 17348 | एजेन्सी |
| 21 | हैण्डपंप रीबोर जवाहीर के घर | 21 | 10164709 | 1.9.18 | 374559 | 21210 | कर्मचारी |
| 22 | हैण्डपंप रीबोर अनिल के घर | 22 | 10164709 | 1.9.18 | 374556 | 17348 | एजेन्सी |
| 23 | हैण्डपंप रीबोर अनिल के घर | 23 | 10164717 | 1.9.18 | 374541 | 106837 | एजेन्सी |
| 24 | खंडजा निर्माण हरीराम के घर से शधुराम के | 24 | 10164717 | 19.9.18 | 374568 | 32070 | कर्मचारी |
| 25 | खंडजा निर्माण हरीराम के घर से शधुराम के | 25 | 10164717 | 19.9.18 | 374569 | 32070 | कर्मचारी |
| 26 | खंडजा निर्माण हरीराम के घर से शधुराम के | 26 | 10164720 | 1.9.18 | 374544 | 115500 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | खंडजा निर्माण विकम के घर से श्यामलाल के | 27 | 10164720 | 15.10.18 | 374564 | 122000 | एजेन्सी |
| 28 | खंडजा निर्माण विक्रम के घर से श्यामलाल के | 28 | 10164724 | 1.10.18 | 374572 | 105706 | एजेन्सी |
| 29 | प्राथमिक विद्यालय में बाउड्री वाल | 29 | 10164724 | 1.10.18 | 374573 | 167144 | एजेन्सी |
| 30 | प्राथमिक विद्यालय में बाउड्री वाल | 30 | 10164724 | 1.10.18 | 374571 | 33828 | एजेन्सी |
| 31 | प्राथमिक विद्यालय में बाउड्री वाल | 31 | 10164724 | 1.10.18 | 374574 | 47188 | एजेन्सी |
| 32 | प्राथमिक विद्यालय में बाउड्री वाल | 32 | 10164736 | 23.10.18 | 374577 | 134830 | एजेन्सी |
| 33 | भुमिगत नाली अम्बेडकर मूर्ति से विजय | 33 | 10164736 | 23.10.18 | 374578 | 23250 | कर्मचारी |
| 34 | भुमिगत नाली अम्बेडकर मूर्ति से विजय | 34 | 10164736 | 26.11.18 | 374602 | 40895 | कर्मचारी |
| 35 | भुमिगत नाली अम्बेडकर मूर्ति से विजय | 35 | 10164775 | 23.10.18 | 374581 | 134830 | एजेन्सी |
| 36 | भुमिगत नाली रामजनम यादव के घर से राजेश | 36 | 10166575 | 6.11.18 | 374598 | 23250 | कर्मचारी |
| 37 | भुमिगत नाली रामजनम यादव के घर से राजेश | 37 | 10166575 | 6.11.18 | 374546 | 64260 | एजेन्सी |
| 38 | भुमिगत नाली रामजनम यादव के घर से राजेश | 38 | 10166575 | 23.10.18 | 374580 | 111851 | एजेन्सी |
| 39 | भुमिगत नाली बाबूलाल के घर से महानारायण | 39 | 10166574 | 6.11.18 | 374595 | 21420 | कर्मचारी |
| 40 | भुमिगत नाली बाबू लाल के घर से महानारायण | 40 | 10166574 | 28.11.18 | 374603 | 112400 | एजेन्सी |
| 41 | खंडजा निर्माण अनिल के घर से पामजन के | 41 | 10164723 | 3.12.18 | 374607 | 121250 | एजेन्सी |
| 42 | खंडजा निर्माण लालजी के घर से पामजन के | 42 | 10164723 | 28.11.18 | 374606 | 102300 | एजेन्सी |
| 43 | खंडजा निर्माण मेन रोड से चुन्नु के | 43 | 10164739 | 4.12.18 | 374605 | 181450 | एजेन्सी |
| 44 | खंडजा निर्माण फकरूद्दीन के घर से वकल | 44 | 10164731 | 10.12.18 | 374608 | 19180 | कर्मचारी |
| 45 | खंडजा निर्माण फकरूद्दीन के घर से वकल | 45 | 10164731 | 28.12.18 | 374613 | 24900 | कर्मचारी |
| 46 | खंडजा निर्माण फकरूद्दीन के घर से वकल | 46 | 10164731 | 28.12.18 | 374612 | 118000 | एजेन्सी |
| 47 | खंडजा निर्माण फकरूद्दीन के घर से वकल | 47 | 10164718 | 28.12.18 | 374611 | 124000 | एजेन्सी |
| 48 | खंडजा निर्माण सुरेन्द्र के खेत से श्याम के | 48 | 10164716 | 28.12.18 | 374590 | 124000 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | खंडजा निर्माण सुरेन्द्र के खेत से श्याम के | 49 | 10164716 | 28.12.18 | 374610 | 124000 | एजेन्सी |
| 50 | खंडजा निर्माण सुरेन्द्र के खेत से श्याम के | 50 | 10164716 | 3.1.19 | 374619 | 99000 | कर्मचारी |
| 51 | खंडजा निर्माण सुरेन्द्र के खेत से श्याम के | 51 | 10164716 | 17.1.19 | 374617 | 30450 | एजेन्सी |
| 52 | खंडजा निर्माण पंचायत भवन से चुन्नु | 52 | 10164716 | 31.12.18 | 374616 | 215000 | एजेन्सी |
| 53 | खंडजा निर्माण पंचायत भवन से चुन्नु | 53 | 10164716 | 3.1.19 | 374618 | 96000 | एजेन्सी |
| 54 | खंडजा निर्माण पंचायत भवन से चुन्नु | 53 | 10164729 | 31.12.18 | 374615 | 250000 | एजेन्सी |
| | | | योग- | | | 3991568.00 | |
| | | सम्पूर्ण योग- | | | | 6165607.00 | |

75- ग्राम पंचायत- चांदपुर
विकास खण्ड - काशी विद्यापीठ

वर्ष- 2019-20

प्रस्तर 114

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष में उपभोग / व्यय 4 एस0एस0 सी0 चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद में रू0 645975.00 दर्शित है । इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में कोई भी वाउचर/ व्यय प्रमाणक / मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया । ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली रू0 322987.00 ग्राम प्रधान श्री राम दुलार और रू0 322987.00 सचिव श्री विजय कुमार से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है । विवरण निम्न है -

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई0डी0 | दिनांक | चेक नं0 | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मानदेय प्रधान | 20 | 15363229 | पी0एफ0एम0एस0 | 6.3.20 | 24500 | कर्मचारी |
| 2 | मानदेय प्रधान | 5 | 15363229 | 61001 | 6.8.19 | 14000.00 | अदर |
| 3 | हैडपंप मरम्मत | 10 | 14650264 | 54635 | 1.6.19 | 7700.00 | अदर |
| 4 | | | 15363200 | 54639 | 11.7.19 | 13700.00 | एजेन्सी |
| 5 | डी0एस0सी0 फार डिजीटल हस्ताक्षर | 9 | 15363158 | 61017 | 3.9.19 | 1704.00 | अदर |
| 6 | प्रशासनिक चार्ज | 6 | 15363158 | 61004 | 9.8.19 | 15000.00 | अदर |
| 7 | लोक सभा चुनाव में आदर्श बूथ | 1 | 15363158 | 54634 | 30.5.19 | 6000.00 | अदर |
| 8 | सीवर सफाई राकेश गुप्ता के घर से | 7 | 15363202 | 61015 | 14.8.19 | 12000.00 | अदर |
| 9 | | 18 | 15363202 | पी0एफ0एम0एस0 | 26.1.20 | 5188.00 | एजेन्सी |
| 10 | | 19 | 15363202 | पी0एफ0एम0एस0 | 26.1.20 | 17650.00 | एजेन्सी |
| 11 | इंटरलांकिंग कार्य | 11 | 15363148 | पी0एफ0एम0एस0 | 31.12.19 | 178695.00 | एजेन्सी |
| 12 | | 12 | | पी0एफ0एम0एस0 | 31.12.19 | 16900.00 | |
| 13 | इंटरलेंकिंग कार्य | 13 | 15363207 | पी0एफ0एम0एस0 | 31.12.19 | 130667.00 | एजेन्सी |
| 14 | | 14 | | पी0एफ0एम0एस0 | 31.12.19 | 25700.00 | |
| 15 | डस्टबिन क्रय | 2 | 15363125 | 54617 | 6.7.19 | 20000.00 | |
| 16 | चुना बलीचीग छिडकाव | 21 | 15363125 | पी0एफ0एम0एस0 | 29.3.20 | 35500.00 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | ए0एम0टी0 भुगतान वीरेन्द्र | 15 | 7257117 | पी0एफ0एम0एस0 | 8.1.20 | 4198.00 | एजेन्सी |
| 18 | इंटरलाकिंग कार्य | 16 | 15363137 | पी0एफ0एम0एस0 | 8.1.20 | 96973.00 | एजेन्सी |
| | | 17 | 15363137 | पी0एफ0एम0एस0 | 8.1.20 | 19900.00 | नागरिक |
| | | | | | योग- | 645975.00 | |

प्रस्तर-115 आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष में उपभोग / व्यय 14 एफ0सी0 / चौदहवे वित्त आयोग मद में रू0 4110922.00 दर्शित है । उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक / मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा मेंप्रस्तुत नही किया गया । ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली रू0 2055461.00 ग्राम प्रधान श्री राम दुलार और रू0 2055461.00 सचिव श्री विजय कुमार से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्न है -

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई0डी0 | चेक न० | दिनांक | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इन्टरलॉकिंग ग्राम पंचायत में | 67 | 15363150 | पी0एफ0 एम0एस | 4.1.20 | 178500.00 | एजेन्सी |
| | इन्टरलॉकिंग ग्राम पंचायत में | 68 | 15363150 | पी0एफ0 एम0एस | 4.1.20 | 37139.00 | एजेन्सी |
| | इन्टरलॉकिंग ग्राम पंचायत में | 69 | 15363150 | पी0एफ0 एम0एस | 4.1.20 | 21200.00 | नागरिक |
| | इ 0रवींद्र सिंह के घर से | 81 | 15363226 | पी0एफ0 एम0एस | 6.3.20 | 58520.00 | एजेन्सी |
| | | 82 | 15363226 | पी0एफ0 एम0एस | 6.3.20 | 5950.00 | नागरिक |
| | सीवर सफाई बाहर मोड से हरी राम | 35 | 15363199 | 54616 | 6.7.19 | 20000.00 | अदर |
| | पंचायत भवन सुन्दरिकरण | 17 | 15363221 | 61003 | 9.819 | 25480.00 | अदर |
| | | 18 | | 61002 | 9.8.19 | 19292.00 | अदर |
| | सी0 का0 अमित या के घर सेकपिल | 15 | 5363253 | 54619 | 11.7.19 | 6426.00 | अदर |
| | | 16 | 5363253 | 54618 | 11.7.19 | 14160.00 | एजेन्सी |
| | | 4 | 5363253 | 54602 | 27.6.19 | 37590.00 | एजेन्सी |
| | | 6 | 5363253 | 54603 | 27.6.19 | 16814.00 | |
| | | 11 | 5363253 | 54601 | 28.6.19 | 82320.00 | एजेन्सी |
| | | 12 | 5363253 | 546010 | 28.6.19 | 33000.00 | एजेन्सी |
| | इन्टरलॉ यशवशी के घर से अनिल | 19 | 1536255 | 61006 | 13.8.19 | 99750.00 | एजेन्सी |
| | | 20 | 1536255 | 61007 | 13.8.19 | 99750.00 | एजेन्सी |
| | | 22 | 1536255 | 61009 | 14.8.19 | 20384.00 | |
| | | 24 | 1536255 | 61008 | 14.8.19 | 34629.00 | एजेन्सी |
| | पंचायत भ0 के सामने सुन्दरिकरण | 21 | 15363120 | 610011 | 13.8.19 | 91000.00 | एजेन्सी |
| | | 25 | 15363120 | 610010 | 14.8.19 | 61665.00 | एजेन्सी |
| | | 26 | 15363120 | 610014 | 14.8.19 | 30576.00 | |
| | | 46 | 15363120 | पी0एफ0 एम0एस | 17.12.19 | 13464.00 | एजेन्सी |
| | ख0नि0संतोष यादव वीर यादव | 23 | 15363196 | 61005 | 14.7.19 | 98175.00 | एजेन्सी |
| | | 29 | 15363196 | 54653 | 14.7.19 | 20384.00 | |
| | | 45 | 15363196 | पी0एफ0 एम0एस | 17.12.19 | 47185.00 | एजेन्सी |
| | | 61 | 15363196 | पी0एफ0 एम0एस | 29.12.19 | 20250.00 | |
| | स्ट्रीट लाइट | 27 | 15363217 | 61013 | 14.8.19 | 97500.00 | एजेन्सी |
| | | 28 | | 61012 | 14.8.19 | 97500.00 | एजेन्सी |
| | हैडपंप मरम्मत | 79 | 20006520 | पी0एफ0 एम0एस | 15.2.20 | 19775.00 | एजेन्सी |
| | हैडपंप मरम्मत | 80 | 20006519 | पी0एफ0 एम0एस | 15.2.20 | 19575.00 | एजेन्सी |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इ0 भदोही मार्ग से पंचायत | 47 | 15363232 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 217822.00 | एजेन्सी |
| | | 48 | 15363232 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 217822.00 | |
| | डस्टबिन और ठेला गाड़ी क्रय | 49 | 15363159 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 67200.00 | एजेन्सी |
| | इन्टरलॉकिग कार्य पंचायत में | 50 | 15363220 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 94500.00 | एजेन्सी |
| | | 51 | 15363220 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 63000.00 | एजेन्सी |
| | | 52 | 15363220 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 42285.00 | एजेन्सी |
| | | 53 | 15363220 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 21750.00 | एजेन्सी |
| | हैडपंप रिबोर | 54 | 20006515 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 55200.00 | एजेन्सी |
| | हैडपंप रिबोर | 55 | 20006524 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 55200.00 | एजेन्सी |
| | हैडपंप रिबोर | 56 | 20006525 | पी0एफ0 एम0एस | 19.12.19 | 55200.00 | एजेन्सी |
| | सीवर निर्माण सुदंर पटेल के घर | 36 | 15363183 | पी0एफ0 एम0एस | 24.10.19 | 57399.00 | एजेन्सी |
| | | 37 | 15363183 | पी0एफ0 एम0एस | 24.10.19 | 52583.00 | एजेन्सी |
| | | 38 | 15363183 | पी0एफ0 एम0एस | 24.10.19 | 48546.00 | एजेन्सी |
| | | 58 | 15363183 | पी0एफ0 एम0एस | 29.12.19 | 24950.00 | नागरिक |
| | सी0नि0अजय मिश्रा के घर से | 39 | 15363244 | पी0एफ0 एम0एस | 24.10.19 | 47712.00 | एजेन्सी |
| | | 33 | 15363244 | 54609 | 27.6.19 | 59100.00 | अदर |
| | | 34 | 15363244 | 54604 | 27.6.19 | 84000.00 | अदर |
| | | 60 | 15363244 | पी0एफ0 एम0एस | 29.12.19 | 29250.00 | नागरिक |
| | सी0स0 अंश के घर से के के तिवारी | 40 | 15363146 | पी0एफ0 एम0एस | 24.10.19 | 30699.00 | एजेन्सी |
| | सीवर निर्माण शिवानंद के घर से | 41 | 19396715 | पी0एफ0 एम0एस | 24.10.19 | 20699.00 | एजेन्सी |
| | | 42 | 19396715 | पी0एफ0 एम0एस | 24.10.19 | 33883.00 | एजेन्सी |
| | | 62 | 19396715 | पी0एफ0 एम0एस | 29.12.19 | 9400.00 | नागरिक |
| | | | | पी0एफ0 एम0एस | | | |
| | डे0 का कपिलदेव के घर देवराज | 43 | 19396717 | पी0एफ0 एम0एस | 29.12.19 | 37536.00 | एजेन्सी |
| | | 64 | | पी0एफ0 एम0एस | 29.12.19 | 2400.00 | नागरिक |
| | डे0 का कपिलदेव घर से दीपक मौर्य | 44 | 19396716 | पी0एफ0 एम0एस | 24.10.19 | 29793.00 | एजेन्सी |
| | | 63 | | पी0एफ0 एम0एस | 24.12.19 | 2250.00 | नागरिक |
| | इंटेरलॉकिंग कार्य | 70 | 15363178 | पी0एफ0 एम0एस | 26.1.20 | 30030.00 | एजेन्सी |
| | | 71 | 15363178 | पी0एफ0 एम0एस | 26.1.20 | 19900.00 | |
| | | 72 | 15363178 | पी0एफ0 एम0एस | 26.1.20 | 138600.00 | |
| | इंचरलांकिंग कार्य | 73 | 15363145 | पी0एफ0 एम0एस | 26.1.20 | 103957.00 | |
| | | 74 | 15363145 | पी0एफ0 एम0एस | 26.1.20 | 15000.00 | |
| | सीवर रीपेयर | 75 | 15363186 | पी0एफ0 एम0एस | 26.1.20 | 4738.00 | |
| | | 76 | 15363186 | पी0एफ0 एम0एस | 26.1.20 | 13700.00 | |
| | स्ट्रीट लाइट रीपेयर एवं क्रय | 83 | 21220426 | पी0एफ0 एम0एस | 26.3.20 | 128700.00 | |
| | सीसी रोड रिपेयर | 77 | 15363228 | पी0एफ0 एम0एस | 27.1.20 | 142330.00 | |
| | | 78 | | पी0एफ0 एम0एस | 27.1.20 | 33400.00 | |
| | सी0 स0 का0 हरीराम 2 राजाराम | 1 | 15363243 | 54640 | 27.6.19 | 12000.00 | |
| | सी0ला0पा0 अंश केघर 2 कि0मी0 ति0 | 2 | 15363223 | 54608 | 27.6.19 | 99900.00 | |
| | | 59 | 15363223 | पी0एफ0 एम0एस | 29.12.19 | 19500.00 | |
| | सी0 और इंला0उदय पटेल 2 फुलचन्द | 3 | 15363235 | 54614 | 27.6.19 | 41752.00 | |
| | | 13 | | 54615 | 29.6.19 | 8400.00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | इंला0 का0 कमलेश वर्मा 2 शुक्ला जी | 30 | 15363187 | 54607 | 27.6.19 | 11088.00 | |
| | | 31 | | 54606 | 27.6.19 | 48381.00 | |
| | | 32 | | 54605 | 27.6.19 | 39900.00 | |
| | सीवर कार्य सोमरू यादव 2 बच्चा | 5 | 15363240 | 54637 | 27.6.19 | 32067.00 | |
| | | 10 | | 54636 | 28.6.19 | 54400.00 | |
| | | 14 | | 54638 | 29.6.19 | 15904.00 | |
| | सी0 कार्य महादेव यादव 2 चौबेजी | 7 | 15363246 | 54611 | 27.6.19 | 70290.00 | |
| | | 8 | | 54612 | 27.6.19 | 39600.00 | |
| | सीवर कार्य दशरथ यादव 2 राजेन्द्र | 9 | 15363175 | 54613 | 27.6.19 | 70290.00 | |
| | वाटर सप्लाई पंचायत भवन | 57 | 15363151 | पी0एफ0 एम0एस | 28.12.19 | 28500.00 | |
| | इंटेरलांकिंग कार्य | 65 | 15363157 | पी0एफ0 एम0एस | 30.12,19 | 179085.00 | |
| | | 66 | 15363157 | पी0एफ0 एम0एस | 30.12.19 | 17450.00 | |
| | | | | | योग- | 4110922.00 | |

76- ग्राम पंचायत- तारापुर
विकास खण्ड - काशी विद्यापीठ
वर्ष- 2019-20

प्रस्तर 116

आलोच्य 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही / और बैक स्टेटमेंट के अनुसार वर्ष में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग (4एस0एफ0सी0) मद में कुल रू0 42000.00 का भुगतान ग्राम प्रधान को मानदेय का अंकित है । इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष मानदेय रजिस्टर / वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया इसके अभाव में वर्तमान वर्ष में दिए गए मानदेय और पिछले वर्षो में दिए गए मानदेय के संबंध में इस बात की पुष्टि नही हो पाई की कही दुहरा भुगतान तो नही किया है और किन वर्षो के किन महीनों के मानदेय दिए गए है और किन वर्षो के किन महीनों के मानदेय बकाया है । नियमानुसार ऐसा प्रमाणक विहीन व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली रू0 21000.00 ग्राम प्रधान श्री सुनील कुमार सिंह से और रू0 21000.00 सचिव श्री अमन कुमार कश्यप से आधा आधा किया जाना अपेक्षित है और नियमानुसार विभागीय कार्यवाही भी कियी जाना अपेक्षित है । विवरण निम्नवत है -

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई0डी0 | दिनांक | चेक नं0 | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मानदेय प्रधान | 1 | 15363229 | 6.8.19 | 10018928 | 17500.00 | कर्मचारी |
| 2 | मानदेय प्रधान | 2 | 20453374 | 28.2.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 24500.00 | कर्मचारी |
| | | योग - | | | | 42000.00 | |

77- ग्राम पंचायत- अलाउद्दीनपुर
विकास खण्ड - काशी विद्यापीठ
वर्ष- 2019-20

प्रस्तर 117

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष में उपभोग / व्यय 4एस0एफ0सी0 / चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद में रू0 121600.00 दर्शित है । इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में कोई भी वाउचर /व्यय अपहरण / मरम्मत -निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । नियमानुसार व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली रू0 60800.00 ग्राम प्रधान श्री मती इंदु देवी और रू0 60800.00 सचिव श्री विजय कुमार से मय ब्याज आधा आधा किया जाना अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्न विवरण निम्न है -

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | बा.नं. | वर्क आई0डी0 | दिनांक | चेक नं0 | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मानदेय प्रधान | 1 | 15066454 | 10.6.19 | 47287 | 10500.00 | अदर |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | | 5 | 15066454 | 25.3.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 28000.00 | कर्मचारी |
| 3 | हैडपंप मरम्मत सामग्री प्लस मजदूरी | 3 | 15066487 | 24.3.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 19500.00 | एजेन्सी |
| 4 | हैडपंप मरम्मत सामग्री प्लस मजदूरी | 4 | 15066485 | 24.3.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 18600.00 | एजेन्सी |
| 5 | स्टेशनरी और फोटो स्टेट | 2 | 15066464 | 28.8.19 | 47276 | 24500.00 | अदर |
| 6 | चुना ब्लीचिग सामग्री और मजदूरी | 6 | 15066484 | 29.3.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 20500.00 | एजेन्सी |
| | | योग - | | | | 121600.00 | |

प्रस्तर - 118

आलोच्य वर्ष 2019-20 की ग्राम निधि प्रथम लेखा परीक्षा में ऑनलाइन ई-ग्राम स्वराज पर वर्ष में उपभोग / व्यय 14एफ0सी0/ चौदहवें वित्त आयोग मद में रू0 2910406.00 दर्शित है । इस दर्शित उपभोग धनराशि के सापेक्ष ऑफलाइन लेखा परीक्षा में कोई भी वाउचर / व्यय प्रमाणक /मरम्मत निर्माण कार्य पत्रावली / मूल अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही किया गया । नियमानुसार ऐसा व्यय अपहरण की श्रेणी में आता है जिसकी वसूली रू0 1455203.00 ग्राम प्रधान श्रीमती इंदु देवी से और रू0 1455203.00 सचिव श्री विजय कुमार से मय ब्याज किया जाना अपेक्षित है । जिसका विवरण निम्न है -

| क्र0सं0 | कार्य का नाम | बी.एन. | वर्क आई0डी0 | दिनांक | चेक नं0 | धनराशि | भुगतान |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | परफॉरमेंस ग्रांट की धनराशि ट्रासफर | 25 | एड.पार्ट | 1.4.19 | | 800000.00 | अदर |
| 2 | इन्टरलॉकिंग प्रा0 स्कूल के गेट से. | 5 | 15066470 | 4.6.19 | 45060 | 99293.00 | अदर |
| 3 | इन्टरलॉकिंग प्रा0 स्कूल के गेट से. | 6 | 15066470 | 4.6.19 | 22271 | 99120.00 | अदर |
| 4 | इन्टरलॉकिंग प्रा0 स्कूल के गेट से. | 16 | 15066470 | 10.6.19 | 47283 | 19992.00 | अदर |
| 5 | इन्टरलॉकिंग प्रा0 स्कूल के गेट से. | 12 | 15066470 | 12.6.19 | 47281 | 70623.00 | अदर |
| 6 | इन्टरलॉकिंग प्रा0 स्कूल के गेट से. | 13 | 15066470 | 26.6.19 | 47282 | 29988.00 | अदर |
| 7 | इन्टरलॉकिंग प्रा0 स्कूल के गेट से. | 3 | 15066470 | 29.5.19 | 45050 | 16032.00 | अदर |
| 8 | टाइल्स प्रायमरी स्कूल | 7 | 15066453 | 4.6.19 | 45059 | 45750.00 | अदर |
| | | 8 | 15066453 | 4.6.19 | 45056 | 37940.00 | एजेन्सी |
| | | 9 | 15066453 | 4.6.19 | 45054 | 53242.00 | एजेन्सी |
| | | 10 | 15066453 | 10.6.19 | 45053 | 75000.00 | एजेन्सी |
| | | 11 | 15066453 | 10.6.19 | 45058 | 61655.00 | अदर |
| | | 1 | 15066453 | 29.5.19 | 45051 | 18036.00 | अदर |
| | | 2 | 15066453 | 29.5.19 | 45052 | 16032.00 | अदर |
| | प्रियासाफ्ट एण्ड प्लानप्लस फीडिंग | 17 | 15066482 | 4.7.19 | 47286 | 3000.00 | अदर |
| | सेड्यूल वर्क पेमेन्ट 2 आपरेटर | 18 | 15066482 | 4.7.19 | 22269 | 7000.00 | अदर |
| | लोकसभा बूथ निर्माण | 14 | 15066482 | 26.6.19 | 47285 | 6000.00 | अदर |
| | पौधो खरीद | 15 | 15066482 | 10.6.19 | 47284 | 9000.00 | अदर |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | खंडजा हाकिममिश्रा के घर से भोला | 21 | 1506648 | 10.6.19 | 47292 | 44000.00 | फर्म |
| | | 19 | 1506648 | 10.7.19 | 47289 | 9996.00 | अदर |
| | बाही जोडाई भदोही मार्ग से तुलाचक | 22 | 16881573 | 10.6.9 | 88 | 27150.00 | एजेन्सी |
| | | 20 | | 10.7.19 | 73 | 9996.00 | अदर |
| | हैडपंप सोखता गड्ढा | 23 | 15066490 | 10.7.19 | 91 | 3220.00 | अदर |
| | | 24 | 15066490 | 10.7.19 | 90 | 15652.00 | एजेन्सी |
| | हैडपंप रिबोर गो बंश | 41 | 15066473 | 14.1.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 71870.00 | एजेन्सी |
| | हैडपंप रिबोर | 42 | 15066480 | 14.1.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 56500.00 | एजेन्सी |
| | खंडजा निर्माण शोभनाथ पटेल | 49 | 20549941 | 14.2.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 107100.00 | एजेन्सी |
| | | 50 | | 14.2.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 16500.00 | एजेन्सी |
| | | 51 | | 14.2.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 82810.00 | नागरिक |
| | | 62 | | 25.3.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 33736.00 | एजेन्सी |
| | | 63 | | 25.3.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 4592.00 | एजेन्सी |
| | खंडजा नि 0बाजार बाबा से बनकट | 52 | 20549923 | 14.2.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 96390.00 | एजेन्सी |
| | | 53 | 20549923 | 14.2.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 11000.00 | एजेन्सी |
| | | 54 | 20549923 | 14.2.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 23296.00 | नागरिक |
| | | 60 | 20549923 | 25.3.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 54883.00 | एजेन्सी |
| | | 61 | 20549923 | 25.3.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 30576.00 | एजेन्सी |
| | भूमि0 नाली कल्लू के घर से सोती | 26 | 15066462 | 14.8.19 | 47275 | 2184.00 | नागरिक |
| | | 27 | 15066462 | 14.8.19 | 47274 | 22552.00 | एजेन्सी |
| | हैड पंप मरम्मत | 28 | 15066462 | 14.8.19 | 47268 | 4200.00 | अदर |
| | | 29 | 15066462 | 20.8.19 | 47261 | 14850.00 | एजेन्सी |
| | | 30 | 15066462 | 14.8.19 | 47267 | 4900.00 | अदर |
| | | 31 | 15066462 | 14.8.19 | 47269 | 1500.00 | अदर |
| | | 32 | 15066462 | 20.8.19 | 47264 | 15080.00 | एजेन्सी |
| | | 33 | 15066462 | 20.8.19 | 47265 | 8270.00 | एजेन्सी |
| | प्राथ0 वि0 में मिट्टी भराई बागवानी | 34 | 16881572 | 14.8.19 | 47273 | 12740.00 | अदर |
| | | 35 | 16881572 | 14.8.19 | 47271 | 34616.00 | अदर |
| | | 36 | 16881572 | 14.8.19 | 47270 | 35565.00 | अदर |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 37 | 16881572 | 16.8.19 | 47272 | 11550.00 | एजेन्सी |
| | हैडपंप मरम्मत | 38 | 15066479 | 14.8.19 | 47266 | 4900.00 | अदर |
| | | 39 | 15066479 | 20.8.19 | 47263 | 14800.00 | एजेन्सी |
| | इन्टरलॉ0 भदोही मार्ग से पंचायत | 55 | 20549928 | 24.3.19 | पी0एफ0 एम0एस0 | 183750.00 | एजेन्सी |
| | | 56 | 20549928 | 24.3.19 | पी0एफ0 एम0एस0 | 39851.00 | एजेन्सी |
| | | 57 | 20549928 | 24.3.19 | पी0एफ0 एम0एस0 | 22500.00 | नागरिक |
| | हैडपंप रिबोर ललचंद | 58 | 20549919 | 24.3.19 | पी0एफ0 एम0एस0 | 55050.00 | एजेन्सी |
| | हैडपंप रिबोर कल्लू | 59 | 20549920 | 24.3.19 | पी0एफ0 एम0एस0 | 54500.00 | एजेन्सी |
| | खंडजा कार्य ग्राम पंचायत में | 43 | 20549931 | 26.1.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 30911.00 | एजेन्सी |
| | | 44 | 20549931 | 26.1.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 7500.00 | एजेन्सी |
| | कूप जगत निर्माण ग्राम पंचायत | 45 | 20549929 | 26.1.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 30707.00 | एजेन्सी |
| | | 46 | 20549929 | 26.1.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 8250.00 | एजेन्सी |
| | कूप जगत निर्माण ग्राम पंचा0 | 47 | 20549930 | 26.1.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 24910.00 | एजेन्सी |
| | | 48 | 20549930 | 26.1.20 | पी0एफ0 एम0एस0 | 6550.00 | एजेन्सी |
| | वाईरिग एवं प्लमिंग | 40 | 15066495 | 28.8.19 | 47377 | 24500.00 | अदर |
| | हैडपंप रिबोर पंचायत भवन | 4 | 15066486 | 29.5.19 | 45055 | 66750.00 | अदर |
| | | | योग- | | | 2910406.00 | |

78 -ग्राम पंचायत -कमौली
विकास खण्ड- चिरईगाँव
वर्ष-2019-20
प्रस्तर - 119

ग्राम पंचायत - कमौली के वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा में कोषबही एवं बैंक स्टेटमेंट की जाँच में पाया गया कि विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट लाइट की क्रय सामग्री पर रू0 595200.00 का व्यय दर्शित है-

| दिनांक | धनराशि | कैशबुक में दर्शित विवरण |
|---|---|---|
| 15.06.2019 | 198400.00 | बाबा इण्टरप्राइजेज से क्रय(स्ट्रीट लाइट का भुगतान) |
| 18.08.2019 | 198400.00 | बाबा इण्टरप्राइजेज से क्रय)स्ट्रीट लाइट का भुगतान( |
| 21.06.2019 | 198400.00 | बाबा इण्टरप्राइजेज से क्रय)स्ट्रीट लाइट का भुगतान( |

(क) आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत कमौली में विभिन्न स्थानों पर स्ट्रीट लाइट स्थापना का कार्य दर्शाया गया है.परन्तु क्रय पूर्व निविदा आंमत्रित नही किया गया है।

(ख) कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।

(ग) स्ट्रीट लाइट लगवाने के स्थानों का विवरण तथा छायाचित्र भी प्रस्तुत नही किया गया। अतः जानकारी नही हो पायी कि इसे 14वाँ वित्त आयोग की गाइड लाइन के अनुरूप सार्वजनिक सड़को पर ही लगवाया गया है.किसी को व्यकिगत लाभ नही पहुँचाया गया है।

(घ) बिजली विभाग का अनापत्ति प्रमाम प्रत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

(ङ) उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न सामग्री क्रय किया गया है .न ही मजदूरी का भुगतान किया गया है।

अतः समस्त धनराशि बैंक से आहरित ग्राम प्रधान ग्रा0पं0/ग्रा0 वि0 अ0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार अपहरण धनराशि रू0 595200.00.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान - श्रीमती पूनम देवी एवं ग्राम पंचायत सचिव - श्री पीयूष कुमार सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। प्रत्येक से रू0 297600.00 सब्याज वसूली अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत -कमौली
विकास खण्ड- चिरईगाँव
वर्ष-2019-20
प्रस्तर - 119 अ

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा कैशबुक एवं पासबुक की जांच में पाया गया है कि विभिन्न तिथियों में हैण्डपम्प रिबर पर धनराशि की व्यय विवरण निम्न प्रकार दर्शित है।-

| दिनांक | धनराशि | कैशबुक में दर्शित विवरण |
|---|---|---|
| 15.02.2020 | 35980.00 | सीमा पाण्डेय के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान। मे0 पटेल पाइप एण्ड हार्डवेयर |
| 15.02-2020 | 41740.00 | शिवप्रकाश सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान। मे0 पटेल पाइप एण्ड हार्डवेयर |
| 15.02.2020 | 41600.00 | शेर बहादुर सिंह के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान। मे0 पटेल पाइप एण्ड हार्डवेयर |
| योग | 119320.00 | |

<u>रू0 119320.00 का कोई व्यय प्रमाणक एवं अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः धनराशि रू0 119320.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन सचिव द्वारा की गयी है। प्रत्येक से रू0 59660.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।</u>

79 -ग्राम पंचायत -जयरामपुर
विकास खण्ड- चिरईगाँव
वर्ष-2019-20
प्रस्तर - 120

ग्राम पंचायत - जयरापुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में रू0 4616020.90 का व्यय दर्शित है। बार बार अभिलेख मांगे जाने पर भी कोषबही तथा व्यय प्रमाणक .पारित कार्य योजना .इस्टीमेट एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र. कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। इस प्रकार रू0 4616020.00 का अपहरण ग्राम प्रधान - श्रीमती रीता देवी ग्राम पंचायत सचिव - श्री मनोज कुमार यादव द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू0 2308705.15 का सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण इस प्रकार है।

| क्र0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किये गये व्यय (रू0) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य(10 नग) पर मजदूरी और सामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 19770.00 |
| 2 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य(10 नग) पर मजदूरी और सामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 18620.00 |
| 3 | प्रा0वि0 जयरापुर में गेट निर्माण कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 19774.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | कैलाश पटेल के घर से मुन्ना यादव के घर तक भूमिगत नाली कार्य पर ह्यूम पाइप का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 173199.00 |
| 5 | कैलाश पटेल के घर से मुन्ना यादव के घर तक भूमिगत नाली कार्य पर सामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | 27778.00 | | 27778.00 |
| 6 | प्रा0 वि0 मिट्टी कार्य हेतु भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 5443.00 |
| 7 | प्रा0वि0 जयरापुर में मरम्मत व पेंटिंग कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 13222.00 |
| 8 | प्रा0वि0 जयरापुर में मरम्मत व पेंटिंग कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 14875.00 |
| 9 | ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 124800.00 |
| 10 | ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 124800.00 |
| 11 | कैलाश पटेल के घर से मुन्ना यादव के घर तक भूमिगत नाली कार्य पर मजदूरी का भुगतान | च0रा0वि0 | - | 30134.00 | 30134.00 |
| 12 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर10 नग मजदूरी और सामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 19770.00 |
| 13 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य 10 नग पर मजदूरी और सामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 18620.00 |
| 14 | दुर्जन यादव के घर से रामजी .यादव के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 164659.00 |
| 15 | प्रा0 वि0 में मिट्टी का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 14875.00 |
| 16 | प्रा0वि0 जयरापुर में मरम्मत व पेंटिंग कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 20664.00 |
| 17 | प्राशासनिक मद | च0रा0वि0 | - | - | 7950.00 |
| 18 | चालान फीस | च0रा0वि0 | - | - | 600.00 |
| 19 | दुर्जन यादव के घर से रामजी ण्यादव के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 27839.00 |
| 20 | टेण्डर प्रकाशन हेतु भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 7478.00 |
| 21 | प्रा 0वि0 जयरामपुर में मरम्मत व पेंटिंग कार्य | च0रा0वि0 | | | 17500.00 |
| 22 | ग्राम प्रधान मानदेय | च0रा0वि0 | - | - | 10500.00 |
| 23 | स्ट्रीट लाइट हेतु भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 198250.00 |
| 24 | जूनियर विद्ययालय की बाउण्ड्री निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 318564.00 | - | 318564.00 |
| 25 | ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओ पर जल निकासी हेतु ह्यूम पाईप कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 216800.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | दिनेश के घर से पीच रोड़ तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सीमेंट .ईंट और सामग्री का भुगातान | 14वाँ वित्त | - | - | 436943.00 |
| 27 | दुधनाथ यादव के घर से पीच रोड़ तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सीमेंट .ईंट और सामग्री का भुगातान | 14वाँ वित्त | - | - | 452197.00 |
| 28 | जूनियर विद्ययालय की बाउण्ड्री निर्माण कार्य पर सीमेंट.ईंट .और सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 318564.00 | - | 318564.00 |
| 29 | जूनियर विद्ययालय की बाउण्ड्री निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 77966.00 | 77966.00 |
| 30 | प्रा0 वि0 प्रथम में इण्टरलाकिंग कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 4330.00 |
| 31 | प्रा0 वि0 प्रथम में इण्टरलाकिंग कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 7870.00 |
| 32 | जूनियर विद्ययालय की बाउण्ड्री निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 77966.00 | 77966.00 |
| 33 | ग्राम पंचायत में 38नग डस्टविन स्थापना कार्य का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 247000.00 |
| 34 | ग्राम पंचायत में 38नग डस्टविन स्थापना कार्य का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 247000.00 |
| 35 | ग्राम पंचायत में 38नग डस्टविन स्थापना कार्य का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 247000.00 |
| 36 | ग्राम पंचायत में कूड़ा गाडी की स्थापना कार्य का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 92000.00 |
| 37 | प्रा0 वि0 में पेंटिंग का कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 19707.00 |
| 38 | ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 124800.00 |
| 39 | ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 124800.00 |
| 40 | जूनियर विद्ययालय की बाउण्ड्री निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 31652.00 | 31652.00 |
| 41 | गोवंश आश्रम में भूसा .घर निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 144929.00 | - | 144929.00 |
| 42 | गोवंश आश्रम में भूसा .घर निर्माण कार्य फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 124929.00 |
| 43 | गोवंश आश्रम में भूसा .घर निर्माण कार्य मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 35976.00 | 35976.00 |
| 44 | प्रा0 वि0 प्रथम में इण्टरलाकिंग कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 22296.00 |
| 45 | प्रा0 वि0 प्रथम में इण्टरलाकिंग कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 4046.00 |
| 46 | स्ट्रीट लाइट हेतु भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 198250.00 |
| 47 | भूमिगत नाली निर्माण कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 136400.00 |
| 48 | प्रा0 वि0 में पेंटिंग का कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 4000.00 |
| 49 | प्रा0 वि0 में पेंटिंग का कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 21510.00 |
| | कुल | | | | 4616020.90 |

80 -ग्राम पंचायत - छितौनी

विकास खण्ड- चिरईगाँव
वर्ष-2019-20
प्रस्तर - 121
ग्राम पंचायत - छितौनी की लेखा परीक्षा में कोषबही एवं बैंक स्टेटमेंट की जाँच में पाया गया है कि विभिन्न तिथियों में स्ट्रीट लाईट की क्रय सामग्री पर धनराशि रू0 198250.00 का व्यय निम्न प्रकार दर्शित है।

| दिनांक | धनराशि | कैशबुक में दर्शित विवरण |
|---|---|---|
| 03.07.2019 | 198250.00 | वैष्णवी इण्टर प्राइजेज)स्ट्रीट लाईट का भुगतान( |
| योग | 198250.00 | |

(क) आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत छितौनी में स्ट्रीट लाईट स्थापना का कार्य दर्शाया गया है.परन्तु क्रय पूर्व निविदा आमंत्रित नहीं किया गया है।
(ख) कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा।
(ग) स्ट्रीट लाइट लगवाने के स्थानों का विवरण तथा छायाचित्र भी प्रस्तुत नही किया गया।
(घ) बिजली विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।
(ङ) उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न सामग्री क्रय किया गया है .और न ही मजदूरी का भुगतान किया गया है। अतः समस्त धनराशि बैंक से आहरित ग्राम प्रधान एवं ग्रा0 पं0/ग्रा0वि0 अ0 द्वारा अपहरण कर लिया गया है। इस प्रकार अपहरण धनराशि रू0 198250.00 के प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान –श्रीमती मंजू देवी एंव ग्राम पंचायत सचिव –श्री राम अवतार यादव संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। प्रत्येक से रू0 99125.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है।

प्रस्तर - 122

कोषबही के अनुसार दिनांक 02-07-2019 को चेक संख्या 95341 द्वारा रू0 10500.00 मानदेय प्रधान द्वारा आहरित किया गया है। उक्त धनराशि का भुगतान मार्च 2019 से मई 2019 तक कुल 03 माह का किया गया है जिसके सम्बन्ध में आपत्तियां इस प्रकार है।

(क) वित्तिय वर्ष 2018-19 का मानदेय सम्बन्धित वित्तिय वर्ष में नही किये जाने का कारण स्पष्ट नही हैं।मानदेय की धनराशि प्रधान के खाते में स्थानान्तरित नही किया गया है।
(ख) बकाया मानदेय धनराशि की पुष्टि विभागीय अधिकारी से प्राप्त नही है।
(ग) मानदेय पंजिका सम्प्रेक्षण में अनुपलब्ध रहा। जिससे बकाया मानदेय की वास्तविक स्थिति अस्पष्ट रही।

उपर्युक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि मानदेय का भुगतान अनियमित है। उक्त अनियमितता के लिए ग्राम प्रधान - श्रीमती मंजू देवी एंव ग्राम पंचायत सचिव - श्री राम अवतार यादव उत्तरदायी है। अतःआवश्यक विभागीय कार्यवाही अपेक्षित है।

81-ग्राम

पंचायत - व्यासपुर
विकास खण्ड- चिरईगाँव
वर्ष-2019-20
प्रस्तर - 123
ग्राम पंचायत- व्यासपुर के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में रू0 1424552.00 का व्यय दर्शित है। बार बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोषबही तथा व्यय प्रमाणक पारित कार्य योजना इस्टीमेट एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। इस प्रकार रू0 1424552.00 का अपहरण ग्राम प्रधान -श्रीमता सिम्पल तिवारी व ग्राम पंचायत सचिव - श्री कृपाशंकर गोड़ द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू0 712364.50 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न प्रकार है।

| क्र0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किये गये व्यय )रू0( | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1. | ग्राम पंचायत में सफाईकर्मी हेतु सामग्री क्रय किया। | च0रा0वि0 | 17250.00 | - | 17250.00 |
| 2. | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य और सामग्री भुगतान | च0रा0वि0 | 14920.00 | - | 14920.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य और सामग्री भुगतान | च0रा0वि0 | 4800.00 | - | 4800.00 |
| 4. | ग्राम प्रधान का मानदेय)मार्च 2019 से दिसम्बर 2019 तक( | च0रा0वि0 | - | - | 35000.00 |
| 5. | ग्राम पंचायतो में अलग अलग स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य तथा सामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | 15640.00 | - | 15640.00 |
| 6. | ग्राम पंचायतो में अलग अलग स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य तथा मजदूरी का भुगतान | च0रा0वि0 | - | 4200.00 | 4200.00 |
| 7. | गोकुलपुर में रामलखन के बगीचे से गिरधरपुर इण्टरलाकिंग मार्ग तक खड़जा मरम्मत कार्य | 14वाँ | - | - | 80384.00 |
| 8. | गोकुलपुर में रामलखन के बगीचे से गिरधरपुर इण्टरलाकिंग मार्ग तक खड़जा मरम्मत कार्य | 14वाँ | - | - | 109725.00 |
| 9. | सन्तोष.मंगला.हृदयनारायण कोट इमारी माता मन्दिर के पास रिबोर पर सामग्री पर भुगतान | 14वाँ | 84800.00 | - | 84800.00 |
| 10. | सन्तोष.मंगला.हृदयनारायण कोट इमारी माता मन्दिर के पास रिबोर पर फोटो व्यय काम पर भुगतान | 14वाँ | - | - | 300.00 |
| 11. | सन्तोष.मंगला.हृदयनारायण कोट इमारी माता मन्दिर के पास रिबोर पर मजदूरी पर भुगतान | 14वाँ | - | 74000.00 | 74000.00 |
| 12. | ग्राम पंचायतो में अलग अलग स्थानों पर जल जमाव हेतु सोकपीत निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ | - | - | 42561.00 |
| 13. | ग्राम पंचायतो में अलग अलग स्थानों पर जल जमाव हेतु सोकपीत निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ | 27839.00 | - | 27839.00 |
| 14. | ग्राम पंचायतो में अलग अलग स्थानों पर जल जमाव हेतु सोकपीत निर्माण कार्य पर मजदूरा का भुगतान | 14वाँ | - | 27495.00 | 27495.00 |
| 15. | प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुर परिसर में इण्टरलांकिग निर्माण कार्य पर सीमेंन्ट .ईंट का भुगतान | 14वाँ | - | - | 131461.00 |
| 16. | प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुर परिसर में इण्टरलांकिग निर्माण कार्य पर सीमेंन्ट .ईंट का भुगतान | 14वाँ | - | - | 14998.00 |
| 17. | प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुर परिसर में इण्टरलांकिग निर्माण कार्य पर सीमेंन्ट .सामग्री का भुगतान | 14वाँ | 16447.00 | - | 16447.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. | प्राथमिक विद्यालय गिरधरपुर परिसर में इण्टरलांकिग निर्माण कार्य पर सीमेंन्ट .मजदूरी का भुगतान | 14वाँ | - | 20706.00 | 20706.00 |
| 19. | ग्राम पंचायत मे प्रकाश व्यवस्था हेतु स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य | 14वाँ | - | - | 198250.00 |
| 20. | कम्प्यूटर पर टाईपिंग .फोटोस्टेट पर व्यय | 14वाँ | - | - | 3500.00 |
| 21. | प्रा0 वि0 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय झान्झूपुर परिसर में इण्टरलांकिंग कार्य पर सीमेंट ईंट का भुगतान | 14वाँ | - | - | 192965.00 |
| 22. | प्रा0 वि0 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय झान्झूपुर परिसर में इण्टरलांकिंग कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ | - | - | 21175.00 |
| 23. | प्रा0 वि0 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय झान्झूपुर परिसर में इण्टरलांकिंग कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ | 12701.00 | - | 12701.00 |
| 24. | प्रा0 वि0 और पूर्व माध्यमिक विद्यालय झान्झूपुर परिसर में इण्टरलांकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ | - | 22630.00 | 22630.00 |
| 25. | ग्राम पंचायत में शौचालय फोटो और एलबम दो सेट.शौचालय पर नामपटिका.पेटिंग .स्टेशनरी इत्यादि का भुगतान | 14वाँ | - | - | 20550.00 |
| 26. | प्रशासनिक मद का भुगतान | 14वाँ | - | - | 3500.00 |
| 27. | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी | 14वाँ | - | 6426.00 | 6426.00 |
| 28. | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी | 14वाँ | - | 5712.00 | 5712.00 |
| 29. | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ | | 98740.00 | 98740.00 |
| 30. | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ | 88715.00 | - | 88715.00 |
| 31. | हैण्डपम्प मरम्मत पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ | 13174.00 | - | 13174.00 |
| 32. | हैण्डपम्प मरम्मत पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ | 13988.00 | - | 13988.00 |
| | कुल | | | | 1424552.00 |

82 -ग्राम पंचायत - गोइठहां

विकास खण्ड- चिरईगाँव

वर्ष-2019-20

प्रस्तर - 124

ग्राम पंचायत - गोइठहां के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में रू0 1615990.00 का व्यय दर्शित है। बार बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोषबही. तथा व्यय प्रमाणक .पारित कार्य योजना .इस्टीमेट .एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित उपलब्ध नही कराया गया। इस प्रकार रू0 1615990.00 का अपहरण ग्राम प्रधान -श्री चतुरी प्रसाद व ग्राम

पंचायत सचिव - श्री राम अवतार यादव द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू0 808092.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

| क्रं0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किये गये व्यय (रू0) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1. | प्रशासनिक कार्य पर भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 4200.00 |
| 2. | ग्राम प्रधान का मानदेय 11 माह (फरवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक) | च0रा0वि0 | - | - | 38500.00 |
| 3. | ग्राम पंचायत में अलग-अलग स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य एन.ओ.एस पर मजदूरी और सामग्री | च0रा0वि0 | - | - | 19698.00 |
| 4. | कम्प्यूटर पर पेंटिंग फोटोस्टेट इत्यादि | च0रा0वि0 | - | - | 3500.00 |
| 5. | ग्राम पंचायत में अलग-अलग स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य एन.ओ.एस पर मजदूरी और सामग्री | च0रा0वि0 | - | - | 19698.00 |
| 6. | शौचालय .फोटो एलबम दो सेट .स्टेशनरी .फोटो स्टेट इत्यादि | च0रा0वि0 | - | - | 20500.00 |
| 7. | ग्राम प्रधान का मानदेय(जनवरी 2020 से फरवरी 2020) तक | च0रा0वि0 | - | - | 7000.00 |
| 8. | ग्राम पंचायत में प्रकास व्यवस्था हेतु 50 एन.ओ.एस स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 152500,00 |
| 9. | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री और मजदूरी | 14 वाँ राज | - | - | 19440.00 |
| 10. | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर सामग्री और मजदूरी | 14 वाँ राज | - | - | 18900.00 |
| 11. | विद्युत सबस्टेशन मुख्तार यादव के घर तक खड़न्जा कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14 वाँ राज | - | 8500.00 | 8500.00 |
| 12. | विद्युत सबस्टेशन मुख्तार यादव के घर तक खड़न्जा कार्य पर ईंट का भुगतान | 14 वाँ राज | - | - | 149283.00 |
| 13. | विद्युत सबस्टेशन मुख्तार यादव के घर तक खड़न्जा कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14 वाँ राज | - | 35188.00 | 35188.00 |
| 14. | मुन्ना लाल के दुकान से इण्टरलांकिग तक खड़न्जा कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14 वाँ राज | 117810.00 | - | 117810.00 |
| 15. | मुन्ना लाल के दुकान से इण्टरलांकिग तक खड़न्जा कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14 वाँ राज | - | 27780.00 | 27780.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. | प्रा0 वि0 व पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउण्ड्री वाल ऊची करने पर ईंट का भुगतान | 14 वाँ राज | - | - | 23100.00 |
| 17. | प्रा0 वि0 व पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउण्ड्री वाल ऊची करने और मरम्मत करने पर सामग्री का भुगतान | 14 वाँ राज | 22870.00 | - | 22870.00 |
| 18. | प्रा0 वि0 व पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउण्ड्री वाल ऊची करने और मरम्मत करने पर सामग्री का भुगतान | 14 वाँ राज | 86760.00 | - | 86760.00 |
| 19. | प्रा0 वि0 व पूर्व माध्यमिक विद्यालय की बाउण्ड्री वाल ऊची करने और मरम्मत करने पर सामग्री का भुगतान | 14 वाँ राज | - | 43836.00 | 43836.00 |
| 20. | प्यारे साव के घर से सुनीता सिंह के घर तक खड़न्जा कार्य पर ईंट का भुगतान | 14 वाँ राज | - | - | 107299.00 |
| 21. | प्यारे साव के घर से सुनीता सिंह के घर तक खड़न्जा कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14 वाँ राज | - | 25098.00 | 25098.00 |
| 22. | प्यारे साव के घर से सुनीता सिंह के घर तक खड़न्जा कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14 वाँ राज | - | 3700.00 | 3700.00 |
| 23. | प्रा0 वि0 परिसर में गेट से विद्यालय परिसर तक खंड़जा कार्य पर ईंट का भुगतान | 14 वाँ राज | - | - | 132825.00 |
| 24. | प्रा0 वि0 परिसर में गेट से विद्यालय परिसर तक खंड़जा कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14 वाँ राज | - | 33336.00 | 33336.00 |
| 25. | प्रा0 वि0 गोइठहां मे चाहरदीवारी ऊची करने के कार्य पर ईंट का भुगतान | 14 वाँ राज | - | - | 14160.00 |
| 26. | प्रा0 वि0 गोइठहां मे चाहरदीवारी ऊची करने के कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14 वाँ राज | 16456.00 | - | 16456.00 |
| 27. | प्रा0 वि0 गोइठहां मे चाहरदीवारी ऊची करने के कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14 वाँ राज | - | 20088.00 | 20088.00 |
| 28. | ग्राम पंचायत में डस्टविन और ठेला कार्य पर व्यय 22नग | 14 वाँ राज | - | - | 167200.00 |
| 29. | श्यामसुन्दर यादव के घर से सोयेपुर बार्डर तक खड़ंजा कार्य पर 24900नग ईंट का भुगतान | 14 वाँ राज | - | - | 143797.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | श्यामसुन्दर यादव के घर से सोयेपुर बार्डर तक खड़ंजा कार्य पर फोटो का भुगतान | 14 वाँ राज | - | - | 200.00 |
| 31. | श्यामसुन्दर यादव के घर से सोयेपुर बार्डर तक खड़ंजा कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14 वाँ राज | - | 38218.00 | 38218.00 |
| 32. | ग्राम पंचायत में प्रकाश व्यवस्था हेतु 31नग स्ट्रीट लाइट स्थापना कार्य का भुगतान | 14 वाँ राज | - | - | 94550.00 |
| | योग | | | | 1615990.00 |

83 -ग्राम पंचायत -

छाही

विकास खण्ड- चिरईगाँव

वर्ष-2019-20

प्रस्तर - 125

ग्राम पंचायत छाही के वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा में रू0 3893532.50 का व्यय दर्शित है। बार बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोषबही. तथा व्यय प्रमाणक .पारित कार्य योजना .इस्टीमेट .एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित उपलब्ध नही कराया गया। इस प्रकार रू0 3893532.50 का अपहरण ग्राम प्रधान –श्रीमती गीता देवी व ग्राम पंचायत सचिव - श्री मनोज कुमार यादव द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू0 1946810.00 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

| क्रं0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किये गये व्यय (रू0) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1 | ग्राम पंचायत में सेमी हाई मास्क स्थापना कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 224000.00 |
| 2 | भूमिगत नाली निर्माण कार्य (राकेश दीक्षित के घर से नाला तक) | च0रा0वि0 | - | - | 26936.00 |
| 3 | भूमिगत नाली निर्माण कार्य (राकेश दीक्षित के घर से नाला तक) | च0रा0वि0 | - | - | 29203.00 |
| 4 | हैण्डपम्प रिबोर कार्य (सेचू मास्टर के घर के पास) | च0रा0वि0 | - | - | 12000.00 |
| 5 | भूमिगत नाली निर्माण कार्य (महेन्द्र मास्टर के घर से सहायक नहर तक) | च0रा0वि0 | - | - | 155770.00 |
| 6 | भूमिगत नाली निर्माण कार्य )द्धारिका मौर्या के घर से पारस मौर्या के घर तक( | च0रा0वि0 | - | - | 139990.00 |
| 7 | खड़न्जा निर्माण हेतु भुगतान)लालु राजभर के घर से रामाश्रय यादव के मशीर तक ( | च0रा0वि0 | - | - | 38675.00 |
| 8 | भूमिगत नाली निर्माण कार्य (पारस मौर्या के मशीर से पुनवासी के घर तक) | च0रा0वि0 | - | - | 23842.00 |
| 9 | प्राशासनिक मद | च0रा0वि0 | - | - | 1000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | फोटो स्टेट व दिवाल लेखन कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 1000.00 |
| 11 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 5000.00 |
| 12 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 14700.00 |
| 13 | चालान फीस | च0रा0वि0 | - | - | 600.00 |
| 14 | प्रा0 वि0 में सुन्दीकरण एंव रंगाई पुताई हेतु सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 69576.00 |
| 15 | प्रा0 वि0 में सुन्दीकरण एंव रंगाई पुताई हेतु मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 128411.00 | 128411.00 |
| 16 | भूमिगत जल निकासी व ह्यूम पाइप)राकेश दीक्षित के घर से नाला तक( | 14वाँ वित्त | - | - | 139990.00 |
| 17 | भूमिगत जल निकासी व ह्यूम पाइप(राकेश दीक्षित के घर से नाला तक) | 14वाँ वित्त | - | - | 41996.00 |
| 18 | भूमिगत जल निकासी व ह्यूम पाइप कार्य पारस मौर्या के मशीन से पुनवासी के खेत तक | 14वाँ वित्त | - | - | 183185.00 |
| 19 | ग्राम पंचायत में डस्टवीन कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 114000.00 |
| 20 | राकेश दीक्षित के घर से नाला तक जल निकासी कार्य पर सामग्री भुगतान | 14वाँ वित्त | 11936.00 | - | 11936.00 |
| 21 | राकेश दीक्षित के घर से नाला तक जल निकासी कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 23500.00 | 23500.00 |
| 22 | पारस मौर्या के मशीन से पुनवासी के खेत तक जल निकासी कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 15011.00 | - | 15011.00 |
| 23 | स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 249690.00 |
| 24 | रामसूरत यादव.पप्पु यादव व जगदीश पाण्डेय दीनाराम के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 27606.00 | - | 27606.00 |
| 25 | रामसूरत यादव.पप्पु यादव व जगदीश पाण्डेय दीनाराम के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 52379.00 | - | 52379.00 |
| 26 | रामसूरत यादव.पप्पु यादव व जगदीश पाण्डेय दीनाराम के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 86996.00 | 86996.00 |
| 27 | रामनिरंजन मौर्या .सेचू मास्टर के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 13828.00 | - | 13828.00 |
| 28 | रामनिरंजन मौर्या .सेचू मास्टर के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 23075.00 | - | 23075.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | रामनिरंजन मौर्या .सेचू मास्टर के घर के पास  हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 43498.00 | 43498.00 |
| 30 | गोवंश आश्रम में बोंरिग और समरसेबुल का निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 80110.00 | - | 80110.00 |
| 31 | गोवंश आश्रम में बोंरिग और समरसेबुल का निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 72200.00 | 72200.00 |
| 32 | मुलर यादव के घर से हीरा यादव के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 137294.00 |
| 33 | मुलर यादव के घर से हीरा यादव के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 70028.00 | 70028.00 |
| 34 | भूषा के घर का निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 112570.00 | - | 11257.00 |
| 35 | भूषा के घर का निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 30521.00 |
| 36 | भूषा के घर का निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 36756.00 | 36756.00 |
| 37 | बाघावीर बाबा मन्दिर से फकीर के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 156901.00 |
| 38 | बाघावीर बाबा मन्दिर से फकीर के खेत तक खड़जा निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 41860.00 | 41860.00 |
| 39 | अजेय पाण्डेय के घर से विजय शंकर छोटे बिहारी पाण्डेय के जमीन तक भूमिगत जल निकासी कार्य पर सामग्री भुगतान | 14वाँ वित्त | 13186.00 | - | 13186.00 |
| 40 | अजेय पाण्डेय के घर से विजय शंकर छोटे बिहारी पाण्डेय के जमीन तक भूमिगत जल निकासी कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 9464.00 | 9464.00 |
| 41 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 12540.00 |
| 42 | हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 4800.00 |
| 43 | अजय पाण्डेय के फर्म पर ह्यूम पाइप का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 63085.00 |
| 44 | मूलर यादव के घर से हीरा यादव के घर तक खड़न्जा मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 5096.00 | 5096.00 |
| 45 | गोवंश आश्रम के पास खाई खुदाई का कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 148512.00 | 148512.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 134200.00 |
| 47 | जूनियर विद्यालय व प्रा 0वि0 में इलेक्ट्रानिक कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 17400.00 |
| 48 | जूनियर विद्यालय व प्रा 0वि0 में इलेक्ट्रानिक कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 22542.00 |
| 49 | भूमिगत जल निकासी कार्य )किशोरी यादव से होरी यादव के घर तक( | 14वाँ वित्त | - | - | 25466.00 |
| 50 | भूमिगत जल निकासी कार्य )किशोरी यादव से होरी यादव के घर तक( | 14वाँ वित्त | - | - | 37624.00 |
| 51 | भूमिगत जल निकासी कार्य )किशोरी यादव से होरी यादव के घर तक( | 14वाँ वित्त | - | - | 177499.00 |
| 52 | ट्रासफर टु 14वाँ वित्त (इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट ) | 14वाँ वित्त | - | - | 84445.00 |
| 53 | खंड़जा निर्माण कार्य(प्रा0 वि0 छाही में) | 14वाँ वित्त | - | - | 162450.00 |
| 54 | खंड़जा निर्माण कार्य(प्रा0 वि0 छाही में) | 14वाँ वित्त | - | - | 18983.00 |
| 55. | भूमिगत जल निकासी कार्य ( मुलर यादव के घर से मटरू यादव के घर तक) | | - | - | 36111.00 |
| 56. | खंड़जा निर्माण कार्य)प्रा0 वि0 व्यासपुर में( | | - | - | 17974.00 |
| 57. | खंड़जा निर्माण कार्य)प्रा0 वि0 व्यासपुर में( | | - | - | 52014.00 |
| 58. | खंड़जा निर्माण कार्य)प्रा0 वि0 व्यासपुर में( | | - | - | 162023.00 |
| 59. | खंड़जा निर्माण कार्य(प्रा0 वि0 व्यासपुर में) | | - | - | 52485.00 |
| | योग | | | | 3893532.50 |

84 -ग्राम पंचायत -

पनिहरी

विकास खण्ड- चिरईगाँव

वर्ष-2019-20

प्रस्तर - 126

ग्राम पंचायत छाही के वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा मेंरू0 2487099.00 का व्यय दर्शित है। बार बार अभिलेख मांगे जाने के बाद भी कोषबही. तथा व्यय प्रमाणक .पारित कार्य योजना .इस्टीमेट .एम0बी0 कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र .कार्यवाही निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित उपलब्ध नही कराया गया। इस प्रकार रू0 2487099.00 का अपहरण ग्राम प्रधान -श्रीमती गीता देवी व ग्राम पंचायत सचिव - श्री मनोज कुमार यादव द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू0 1243698.17 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न है।

| क्र0 | कार्य का नाम | योजना का नाम | किये गये व्यय (रू0) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1. | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य 10नग पर सामग्री और मजदूरी | च0रा0वि0 | - | - | 19600.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य 10नग पर सामग्री और मजदूरी | च0रा0वि0 | - | - | 19750.00 |
| 3. | ग्राम प्रधान का मानदेय )मार्च 2018 से अगस्त 2019 तक( | च0रा0वि0 | - | - | 21000.00 |
| 4. | ग्राम पंचायत में गंगा यात्रा नारा स्लोगन .रंगाई पुताई हेतु व्यय। | च0रा0वि0 | - | - | 10000.00 |
| 5. | कम्प्यूटर कार्य पर प्रिटिंग .फोटो स्टेट पर व्यय | च0रा0वि0 | - | - | 3500.00 |
| 6. | गंगा यात्रा में शिवशंकर बिल्डिग मैटेरियल को लोहे का बोर्ड साउण्ड .टेन्ट सामग्री पर भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 20000.00 |
| 7. | टेण्डर परसूयेसन न्यूज पेपर को भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 4141.00 |
| 8. | ग्राम प्रधान का मानदेय (सितम्बर 2019 से फरवरी 2019 तक) | च0रा0वि0 | - | - | 21000.00 |
| 9. | तुफानी यादव के घर से शंकर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | च0रा0वि0 | - | 20634.00 | 20634.00 |
| 10. | तुफानी यादव के घर से शंकर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सींमेंट ईंट का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 41177.00 |
| 11. | तुफानी यादव के घर से शंकर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर ईंट का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 413110.00 |
| 12. | तुफानी यादव के घर से शंकर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | 26481.00 | - | 26481.00 |
| 13. | तुफानी यादव के घर से शंकर यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर फोटो स्टेट का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 300.00 |
| 14. | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर 10नग सामग्री और मजदूरी | च0रा0वि0 | - | - | 19600.00 |
| 15. | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर 10नग सामग्री और मजदूरी | च0रा0वि0 | - | - | 19750.00 |
| 16. | रामराज प्रजाप्रति के घर से झलपू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 23232.00 | 23232.00 |
| 17. | रामराज प्रजाप्रति के घर से झलपू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 149705.00 | - | 149705.00 |
| 18. | रामराज प्रजाप्रति के घर से झलपू के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 17500.00 | - | 17500.00 |
| 19. | रामराज प्रजापति .दिलीप कुमार .कल्लू हरिजन के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी व सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 118200.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. | गंगा प्रजापति के घर से राचन्दर और जवाहिर के घर तक खड़न्जा मरम्मत पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 52820.00 | 52820.00 |
| 21. | गंगा प्रजापति के घर से राचन्दर और जवाहिर के घर तक खड़न्जा मरम्मत पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 1334.00 | - | 1334.00 |
| 22. | गंगा प्रजापति के घर से राचन्दर और जवाहिर के घर तक खड़न्जा मरम्मत पर ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 63987.00 |
| 23. | लल्लू पाल. बसन्त राजभर .करन विश्वकर्मा.दिलीप.राजेश के हैण्डपम्प के शोकपीट निर्माण कार्य पर मजदूरी | 14वाँ राज्य | - | 6745.00 | 6745.00 |
| 24. | लल्लू पाल .बसन्त राजभर .करन विश्वकर्मा.दिलीप.राजेश के हैण्डपम्प के शोकपीट निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 29444.00 | - | 29444.00 |
| 25. | लल्लू पाल .बसन्त राजभर .करन विश्वकर्मा.दिलीप.राजेश के हैण्डपम्प के शोकपीट निर्माण कार्य पर मिट्टी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 19062.00 |
| 26. | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी और सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 19240.00 |
| 27. | ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी और सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 19400.00 |
| 28. | गुलाब यादव.रमेश यादव .अमीर राजभर .बैजनाथ हरिजन के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 72800.00 | 72800.00 |
| 29. | गुलाब यादव.रमेश यादव .अमीर राजभर .बैजनाथ हरिजन के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 86400.00 | - | 86400.00 |
| 30. | ग्राम पंचायत में स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य | 14वाँ राज्य | - | - | 198250.00 |
| 31. | सुरेश यादव .शोभनाथ गौड़ .जगदीश पाल के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर सामग्री पर भुगतान | 14वाँ राज्य | 69600.00 | - | 69600.00 |
| 32. | सुरेश यादव .शोभनाथ गौड़ .जगदीश पाल के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी पर भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 36600.00 | 36600.00 |
| 33. | बच्चू सिंह के घर से ओमकार के घर तक खंडन्जा मरम्मत कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 29032.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34. | बच्चू सिंह के घर से ओमकार के घर तक खंडन्जा मरम्मत कार्य पर मिट्टी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 8269.00 |
| 35. | बच्चू सिंह के घर से ओमकार के घर तक खंडन्जा मरम्मत कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 300.00 |
| 36. | बच्चू सिंह के घर से ओमकार के घर तक खंडन्जा मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 21100.00 | 21100.00 |
| 37. | कैलास हरिजन के घर से जंगली के घर तक भूमिगत जल निकासी पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 11513.00 | - | 11513.00 |
| 38. | कैलास हरिजन के घर से जंगली के घर तक भूमिगत जल निकासी पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | 58185.00 | - | 58185.00 |
| 39. | कैलास हरिजन के घर से जंगली के घर तक भूमिगत जल निकासी पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 12600.00 | 12600.00 |
| 40. | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य पर मजदूरी एंव सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 19400.00 |
| 41. | प्रा0वि0 परिसर में ओमप्रकाश. शम्भू . मून्ना प्रजापति नथूनी यादव .शिवकुमार के हैण्डपम्प के पास सोख्ता निर्माण पर ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 66071.00 |
| 42. | प्रा0वि0 परिसर में ओमप्रकाश. शम्भू . मून्ना प्रजापति नथूनी यादव .शिवकुमार के हैण्डपम्प के पास सोख्ता निर्माण पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 43499.00 | - | 43499.00 |
| 43. | प्रा0वि0 परिसर में ओमप्रकाश. शम्भू . मून्ना प्रजापति नथूनी यादव .शिवकुमार के हैण्डपम्प के पास सोख्ता निर्माण पर फोटो का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 300.00 |
| 44. | प्रा0वि0 परिसर में ओमप्रकाश. शम्भू . मून्ना प्रजापति नथूनी यादव .शिवकुमार के हैण्डपम्प के पास सोख्ता निर्माण पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 27218.00 | 27218.00 |
| 45. | विनोद यादव के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 39900.00 |
| 46. | श्यामलाल के घर से लाल जी के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 140927.00 |
| 47. | श्यामलाल के घर से लाल जी के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 56464.00 | - | 56464.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 48. | श्यामलाल के घर से लाल जी के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 300.00 |
| 49. | श्यामलाल के घर से लाल जी के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 49972.00 | 49972.00 |
| 50. | विनोद विश्वकर्मा के घर से मनीषा विश्वकर्मा के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 61422.00 |
| 51. | विनोद विश्वकर्मा के घर से मनीषा विश्वकर्मा के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य पर मिट्टी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 19745.00 |
| 52. | विनोद विश्वकर्मा के घर से मनीषा विश्वकर्मा के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 34974.00 | 34974.00 |
| 53. | मधू पटेल के घर से राही के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य 2903 नग ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 16764.00 |
| 54. | मधू पटेल के घर से राही के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य 2903 नग मिट्टी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 3225.00 |
| 55. | मधू पटेल के घर से राही के घर तक खंड़न्जा निर्माण कार्य 2903 नग मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 6862.00 | 6862.00 |
| 56. | सर्वजीत के घर से लाल जी यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सीमेंट ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 131143.00 |
| 57. | सर्वजीत के घर से लाल जी यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सीमेंट ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 61222.00 |
| 58. | सर्वजीत के घर से लाल जी यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 30180.00 | - | 30180.00 |
| 59. | सर्वजीत के घर से लाल जी यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 300.00 |
| 60. | सर्वजीत के घर से लाल जी यादव के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 26040.00 | 26040.00 |
| 61. | गाजीपुर मुख्य मार्ग से रामदुलारे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सीमेंट ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 54604.00 |
| 62. | गाजीपुर मुख्य मार्ग से रामदुलारे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 45600.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63. | गाजीपुर मुख्य मार्ग से रामदुलारे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | 28870.00 | | 28870.00 |
| 64. | गाजीपुर मुख्य मार्ग से रामदुलारे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 300.00 |
| 65. | गाजीपुर मुख्य मार्ग से रामदुलारे के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | 28636.00 | 28636.00 |
| 66. | मुन्ना प्रजापति रामराज के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य पर मजदूरी और सामग्री का भुगतान | 14वाँ राज्य | - | - | 79800.00 |
| | योग | | | | 2487099.00 |

85- ग्रामपंचायत - नेवादा
विकास खण्ड-चिरईगाँव
वर्ष 2019-20
प्रस्तर-127

ग्राम पंचायत- नेवादा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में रू0 5684732.00 का व्यय दर्शित है। बार बार अभिलख माँगे जाने के बाद भी कोषबही .व्यय प्रमाणक. पारित कार्य योजना इस्टीमेट. एम0 बी0 कार्यपूर्ति निर्माण व नियोजन समिति से सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नही कराया गया। इस प्रकार रू0 5684732.00 का अपहरण ग्राम प्रधान श्रीमती माधुरी देवी व ग्राम पंचायत सचिव - श्री प्रभु प्रकाश सुरेका द्वारा किया गया है। प्रत्येक से रू0 2842366.30 की सब्याज वसूली अपेक्षित है। विवरण निम्न हैं।

| क्रं. | कार्य का नाम | योजना का नाम | किये गये व्यय (रू0) | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | सामग्री | श्रमांश | योग |
| 1. | प्रशासनिक मद | च0रा0वि0 | - | - | 4000.00 |
| 2. | टेण्डर प्रकाश कार्य हेतु भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 7478.00 |
| 3. | कूड़ा उठाने के लिए टाली स्थापना कार्य 2 नग का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 60000.00 |
| 4. | पिच रोड़ से सुरेन्द्र नारायण के खेत तक इण्टरलाँकिग कार्य पर ईंट और सामग्री पर व्यय | च0रा0वि0 | - | - | 448211.00 |
| 5. | पिच रोड़ से सुरेन्द्र नारायण के खेत तक इण्टरलाँकिग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 47484.00 |
| 6. | ग्राम पंचायत में ठंड के मौसम में लकड़ी वितरण हेतु भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 7150.00 |
| 7. | ग्राम प्रधान माधुरी देवी का मानदेय भुगतान कार्य | च0रा0वि0 | - | - | 31500.00 |
| 8. | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 5000.00 |
| 9. | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 14515.00 |
| 10. | कैलाश के घर से मिठाई के घर तक इण्टरलाँकिंग कार्य पर सीमेंट ईंट का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 72051.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. | कैलाश के घर से मिठाई के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर सीमेंट ईंट का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 77174.00 |
| 12. | कैलाश के घर से मिठाई के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर ईंट का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 18367.00 |
| 13. | कैलाश के घर से मिठाई के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर सामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | 8562.00 | - | 8562.00 |
| 14. | कैलाश के घर से मिठाई के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर फोटो का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 300.00 |
| 15. | कैलाश के घर से मिठाई के घर तक इण्टरलॉकिंग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | च0रा0वि0 | - | 19734.00 | 19734.00 |
| 16. | राधेश्याम के खेत से नरेन्द्र नारायण के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर सीमेंट ईंट का भुगतान | च0रा0वि0 | | - | 137762.00 |
| 17. | राधेश्याम के खेत से नरेन्द्र नारायण के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर ईंट का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 16545.00 |
| 18. | राधेश्याम के खेत से नरेन्द्र नारायण के घर तक इण्टरलॉकिग कार्यपरसामग्री का भुगतान | च0रा0वि0 | 7311.00 | - | 7311.00 |
| 19. | राधेश्याम के खेत से नरेन्द्र नारायण के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर फोटो स्टेट का भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 300.00 |
| 20. | राधेश्याम के खेत से नरेन्द्र नारायण के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | च0रा0वि0 | - | 12847.00 | 12847.00 |
| 21. | ग्राम प्रधान का मानदेय (माधुरी देवी का) जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक(3×3500) | च0रा0वि0 | - | - | 10500.00 |
| 22. | प्रशासनिक मद पर व्यय | च0रा0वि0 | - | - | 5000.00 |
| 23. | खंड़जा निर्माण हेतु भुगतान(नन्द लाल के खेत से बिहारी पाल के घर तक) | च0रा0वि0 | - | - | 16866.00 |
| 24. | खंड़जा निर्माण हेतु भुगतान(नन्द लाल के खेत से बिहारी पाल के घर तक) | च0रा0वि0 | - | - | 89500.00 |
| 25. | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु भुगतान | च0रा0वि0 | - | - | 14825.00 |
| 26. | रामबृक्ष राजभर के घर से राजेन्द्र मौर्या के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर सीमेंट.ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 130900.00 |
| 27. | रामबृक्ष राजभर के घर से राजेन्द्र मौर्या के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 8652.00 | - | 8652.00 |
| 28. | रामबृक्ष राजभर के घर से राजेन्द्र मौर्या के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 29. | रामबृक्ष राजभर के घर से राजेन्द्र मौर्या के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 25028.00 | 25028.00 |
| 30. | पिच रोड़ से रामवृक्ष के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर सामग्री ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 157080.00 |
| 31. | पिच रोड़ से रामवृक्ष के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 35227.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32. | पिच रोड़ से रामवृक्ष के घर तक इण्टरलॉंकिग निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 9318.00 | - | 9318.00 |
| 33. | पिच रोड़ से रामवृक्ष के घर तक इण्टरलॉंकिग निर्माण कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 34. | पिच रोड़ से रामवृक्ष के घर तक इण्टरलॉंकिग निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 28864.00 | 28864.00 |
| 35. | पिच रोड़ से पंचायत भवन तक खंड़न्जा मरम्मत कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 79695.00 |
| 36. | पिच रोड़ से पंचायत भवन तक खंड़न्जा मरम्मत कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 37. | पिच रोड़ से पंचायत भवन तक खंड़न्जा मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 53340.00 | 53340.00 |
| 38. | पिच रोड़ से पंचायत भवन तक खंड़न्जा मरम्मत कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 164587.00 |
| 39. | पुराने खड़न्जा से विजय के खेत तक खड़न्जा निर्माण कार्य फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 40. | पुराने खड़न्जा से विजय के खेत तक खड़न्जा निर्माम कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 31018.00 | 31018.00 |
| 41. | पिच रोड़ से आर0 ओ0 प्लान्ट तक इण्टरलॉंकिग कार्य पर सीमेंट.ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 156799.00 |
| 42. | पिच रोड़ से आर0 ओ0 प्लान्ट तक इण्टरलॉंकिग कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 30675.00 |
| 43. | पिच रोड़ से आर0 ओ0 प्लान्ट तक इण्टरलॉंकिग कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 106449.00 | - | 10649.00 |
| 44. | पिच रोड़ से आर0 ओ0 प्लान्ट तक इण्टरलॉंकिग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 28100.00 | 28100.00 |
| 45. | रामवृक्ष राजभर के घर से राजेन्द्र मौर्या के घर तक इण्टरलॉंकिग निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 34650.00 |
| 46. | रामवृक्ष राजभर के घर से राजेन्द्र मौर्या के घर तक इण्टरलॉंकिग कार्य पर सामग्री.ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 31790.00 |
| 47. | रामवृक्ष राजभर के घर से राजेन्द्र मौर्या के घर तक इण्टरलॉंकिग कार्य पर बालू का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 3864.00 |
| 48. | पंचायत भवन मरम्मत छत मजाई. रंगाई. पुताई. सुन्दरीकरण व पेंटिंग पर भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 3500.00 |
| 49. | स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर बाउन्ड्री मरम्मत कार्य पर भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 49815.00 |
| 50. | स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर बाउन्ड्री मरम्मत कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 24249.00 |
| 51. | स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर बाउन्ड्री मरम्मत कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 3000.00 | - | 3000.00 |
| 52. | स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर बाउन्ड्री मरम्मत कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 53. | स्वास्थ्य उपकेन्द्र पर बाउन्ड्री मरम्मत कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 19922.00 | 19922.00 |
| 54. | ग्राम पंचायत भवन में प्रकाश व्यवस्था हेतु 11 नग सोलर लाईट स्थापना कार्य पर भुगान | 14वाँ वित्त | - | - | 249700.00 |
| 55. | आर0 ओ0 प्लान्ट बाउन्ड्री निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 56844.00 | - | 56844.00 |
| 56. | आर0 ओ0 प्लान्ट बाउन्ड्री निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 37537.00 |
| 57. | आर0 ओ0 प्लान्ट बाउन्ड्री निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 27835.00 |
| 58. | आर0 ओ0 प्लान्ट बाउन्ड्री निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 34812.00 | 34812.00 |
| 59. | आर0 ओ0 प्लान्ट बाउन्ड्री निर्माण कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 60. | पंचायत भवन में सोलर लाईट स्थापना कार्य (11नग) | 14वाँ वित्त | - | - | 249700.00 |
| 61. | स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 198250.00 |
| 62. | रामवृक्ष के घर से पुराने खड़न्जा तक खड़न्जा निर्माण पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 20616.00 |
| 63. | रामवृक्ष के घर से पुराने खड़न्जा तक खड़न्जा निर्माण पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 64. | रामवृक्ष के घर से पुराने खड़न्जा तक खड़न्जा निर्माण पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 3624.00 | 3624.00 |
| 65. | आर0 ओ0 प्लान्ट पर बाउन्ड्री निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 56844.00 | - | 56844.00 |
| 66. | आर0 ओ0 प्लान्ट बाउन्ड्री निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 27835.00 |
| 67. | ग्राम पंचायत में स्वच्छता कार्य हेतु 38 नग डस्टविन स्थापना कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 247000.00 |
| 68. | ग्राम पंचायत में अलग अलग स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य 10 नग पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 14840.00 | - | 14840.00 |
| 69. | ग्राम पंचायत में अलग अलग स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य 10 नग पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 5000.00 | 5000.00 |
| 70. | जिला अधिकारी महोदय के आदेश सं0 नं0 8410 के क्रम में आई.सी. डी.एस. आंगनबाडी निर्माण कार्य हेतु ग्राम सभा नेवादा से खाता ट्रांसफर ग्राम पंचायत तातेपुर में किया। | 14वाँ वित्त | - | - | 200000.00 |
| 71. | ग्राम पंचायत नेवादा प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाई मास्क लाईट स्थापना कार्य 2 नग का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 224000.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72. | ग्राम पंचायत नेवादा प्रकाश व्यवस्था हेतु सेमी हाई मास्क लाईट स्थापना कार्य 2 नग का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 224000.00 |
| 73. | पुराने खड़न्जे से भरत के खेत तक खड़न्जा निर्माण कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 74. | पुराने खड़न्जे से भरत के खेत तक खड़न्जा निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 5436.00 | 5436.00 |
| 75. | पिच रोड़ से साधु शरत सिंह के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर सीमेंट.ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 127160.00 |
| 76. | पिच रोड़ से साधु शरत सिंह के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 24428.00 |
| 77. | पिच रोड़ से साधु शरत सिंह के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर सीमेंट.ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 31790.00 |
| 78. | पिच रोड़ से साधु शरत सिंह के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 8320.00 | - | 8320.00 |
| 79. | पिच रोड़ से साधु शरत सिंह के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 80. | पिच रोड़ से साधु शरत सिंह के घर तक इण्टरलॉकिग निर्माण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 24318.00 | 24318.00 |
| 81. | रामविलास के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर सीमेंट.ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 44393.00 |
| 82. | रामविलास के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 14482.00 |
| 83. | रामविलास के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 3328.00 | - | 3328.00 |
| 84. | रामविलास के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 85. | रामविलास के घर से राजेन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 9208.00 | 9208.00 |
| 86. | सोमारू के घर से सन्तु के घर तक इण्टरलॉकिग पर सीमेंट.ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 89760.00 |
| 87. | सोमारू के घर से सन्तु के घर तक इण्टरलॉकिग पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 18367.00 |
| 88. | सोमारू के घर से सन्तु के घर तक इण्टरलॉकिग पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 4326.00 | - | 4326.00 |
| 89. | सोमारू के घर से सन्तु के घर तक इण्टरलॉकिग पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 90. | सोमारू के घर से सन्तु के घर तक इण्टरलॉकिग पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 13506.00 | 13506.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91. | निरहू के घर से शारदा के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर सीमेंट.ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 71995.00 |
| 92. | निरहू के घर से शारदा के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 24762.00 |
| 93. | निरहू के घर से शारदा के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 5324.00 | - | 5324.00 |
| 94. | निरहू के घर से शारदा के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 95. | निरहू के घर से शारदा के घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 14302.00 | 14302.00 |
| 96. | पुराने खड़न्जा से भरत के खेत तक खड़न्जा कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 28875.00 |
| 97. | खड़न्जा निर्माण हेतु भुगतान (विद्या तिवारी के घर से मदन मोहन के घर तक) | 14वाँ वित्त | - | - | 9763.00 |
| 98. | खड़न्जा निर्माण हेतु भुगतान (विद्या तिवारी के घर से मदन मोहन के घर तक) | 14वाँ वित्त | - | - | 49953.00 |
| 99. | हैण्डपम्प रिबोर कार्य (प्रमोद तिवारी के घर पास) | 14वाँ वित्त | - | - | 20800.00 |
| 100. | हैण्डपम्प रिबोर कार्य (मुन्ना लाल राजभर के घर के पास) | 14वाँ वित्त | - | - | 20861.00 |
| 101. | हैण्डपम्प रिबोर कार्य (शंकर के घर के पास) | 14वाँ वित्त | - | - | 20861.00 |
| 102. | हैण्डपम्प रिबोर कार्य (प्रमोद तिवारी के घर के पास) | 14वाँ वित्त | - | - | 21500.00 |
| 103. | हैण्डपम्प रिबोर कार्य (मुन्ना लाल राजभर के घर के पास) | 14वाँ वित्त | - | - | 21987.00 |
| 104. | हैण्डपम्प रिबोर कार्य (शंकर के घर के पास) | 14वाँ वित्त | - | - | 21987.00 |
| 105. | ग्राम पंचायत नेवादा के प्रा 0 वि0 के कमरों में टाइल्स निर्मोम कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 4990.00 |
| 106. | पिच रोड़ से विजय कुमार . विनोद कुमार के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 84315.00 |
| 107. | पिच रोड़ से विजय कुमार . विनोद कुमार के घर तक खड़न्जा निर्माण कार्य | 14वाँ वित्त | - | 18286.00 | 18286.00 |
| 108. | स्ट्रीट लाईट हेतु भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 98897.00 |
| 109. | ग्राम पंचायत में एस.एल.डबल्यू.एम के तहत गड्ढा केन्द्र का निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 25410.00 |
| 110. | ग्राम पंचायत में एस.एल.डबल्यू .एम के तहत गड्ढा केन्द्र का निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 2995.00 | - | 2995.00 |
| 111. | ग्राम पंचायत में एस.एल.डबल्यू .एम के तहत गड्ढा केन्द्र का निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 112. | ग्राम पंचायत में एस.एल.डबल्यू.एम के तहत गड्ढा केन्द्र का निर्माण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 8026.00 | 8026.00 |
| 113. | राजकुमार के घर से अमरनाथ क घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर सीमेंट.ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 28050.00 |
| 114. | राजकुमार के घर से अमरनाथ क घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 5775.00 |
| 115. | राजकुमार के घर से अमरनाथ क घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 2530.00 | - | 2530.00 |
| 116. | राजकुमार के घर से अमरनाथ क घर तक इण्टरलॉकिग कार्य पर फोटो का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 300.00 |
| 117. | राजकुमार के घर से अमरनाथ क घर तक इण्टरलॉकिगकार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 5184.00 | 5184.00 |
| 118. | खड़न्जा निर्माण हेतु भुगतान सुरेन्द्र नारायण के घर से भूपेन्द्र नारायण के घर तक | 14वाँ वित्त | - | - | 6225.00 |
| 119. | इण्टरलॉकिग कार्य(प्रा0 वि0 के परिसर में) | 14वाँ वित्त | - | - | 5350.00 |
| 120. | इण्टरलॉकिग कार्य(प्रा0 वि0 के परिसर में) | 14वाँ वित्त | - | - | 3200.00 |
| 121. | इण्टरलॉकिग कार्य(प्रा0 वि0 के परिसर में) | 14वाँ वित्त | - | - | 5500.00 |
| 122. | खड़न्जा मरम्मत हेतु भुगतान लल्लन पाल के घर तक | 14वाँ वित्त | - | - | 5690.00 |
| 123. | ग्राम पंचायत नेवादा के प्रा0 वि0 के कमरों में टाइल्स निर्माण कार्य | 14वाँ वित्त | - | - | 95920.00 |
| 124. | खड़न्जा मरम्मत हेतु भुगतान हेतु लल्लन पाल के घर तक | 14वाँ वित्त | - | - | 30272.00 |
| 125. | पंचायतभवन मरम्मत.छत मजाई.रंगा.पुताई.सुन्दरीकरण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 81368.00 | - | 81368.00 |
| 126. | पंचायत भवन मरम्मत.छत मजाई.रंगाईपुताई.सुन्दरीकरण कार्य पर ईंट का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 8662.00 |
| 127. | पंचायत भवन मरम्मत.छत मजाई.रंगाईपुताई.सुन्दरीकरण कार्य पर सामग्री का भुगतान | 14वाँ वित्त | 3500.00 | - | 3500.00 |
| 128. | पंचायत भवन मरम्मत.छत मजाई.रंगाईपुताई.सुन्दरीकरण कार्य पर मजदूरी का भुगतान | 14वाँ वित्त | - | 28960.00 | 28960.00 |
| 129. | खड़न्जा निर्माण कार्य हेतु भुगतान सुरेन्द्र नारायण के घर से भूपेन्द्र नारायण के घर तक | 14वाँ वित्त | - | - | 38820.00 |
| 130. | खड़न्जा निर्माण हेतु भुगतान -शिवचन्द्र मौर्या के घर से रामलखन मौर्या के घर तक | 14वाँ वित्त | - | - | 28312.00 |
| 131. | खड़न्जा निर्माण हेतु भुगतान | 14वाँ वित्त | - | - | 170362.00 |
| | योग | | | | 5684732.00 |

# मण्डल का नाम - विंध्याचल धाम

# वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 प्रारूप -04

## जनपद - भदोही                    मण्डल का नाम विन्ध्याचल धाम

**ग्राम पंचायत से सम्बन्धित आपत्तियां**

**ग्राम पंचायत का नाम अरता विकास खण्ड डीघ जिला भदोही**

**प्रस्तर- 01**

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में देखा गया कि हैन्डपम्प रिबोर कार्य में कय सामग्री निम्नवत है

| दिनांक | आहरित धनराशि | चेक संख्या | फर्म जाहाँ से कय किया गया (कैश बुक एंव स्टेट मेन्ट) के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 22-07-2019 | 162500.00 | 12036602 | आर्दश बिल्डिगं मैटेरियल्स |
| 22-07-2019 | 162500.00 | 12036603 | आर्दश बिल्डिगं मैटेरियल्स |
| 22-07-2019 | 162500.00 | 12036604 | आर्दश बिल्डिगं मैटेरियल्स |
| 23-07-2019 | 78900.00 | 12036605 | आर्दश बिल्डिगं मैटेरियल्स |
| 22-07-2019 | 20000.00 | नकद मजदूरी | प्रधान द्वारा |
| योग | 586400.00 | | |

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है -:

1- सामग्री उक्त फर्म से क्रय किया गया रूपया 586400.00 जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।

2- एम० बी० कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।

3 – कार्यवाही रजिस्टर में क्रय के प्रस्ताव एंव अनुमोदन नही है

4- मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।

5 - ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है । तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एंव ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी ।

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर व्यय दर्शित धनराशि 566400.00 एंव मजदूरी 20000.00 नकद कैश के रूप में दिये जाने का काल्पनिक तौर पर व्यय कैश बुक में दर्शित कर रू० 586400.00 का अपहरण किया गया है । जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदायी है अतएव प्रधान श्रीमती इसरावती एंव ग्राम विकास अधिकारी श्री नितिश कुमार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -16)**

**ग्राम पंचायत का नाम बहुता चकडाही विकास खण्ड सुरियावॉ जिला भदोही**

**प्रस्तर- 02**

ग्राम पंचायत बहुता चकडाही विकास खण्ड सुरियावा जनपद-भदोही की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एवं बैंक स्टेटमेन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 – 19,54,808, 00 आहरण करके व्यय किया गया है।

उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया 19,54,808.00 उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि -संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है । स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 19,54,808.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे-आधे का

दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।

इस प्रकार रू0 19,54,808.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री भोलानाथ सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हर्षवर्द्धन से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -15)**

**ग्राम पंचायत का नाम चकचन्दा विकास खण्ड सुरियावॉ जिला भदोही**

**प्रस्तर- 03**

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में देखा गया कि हैण्डपम्प रिबोर कार्य एवं हैण्डपम्प मरम्मत सामग्री और मजदूरी भुगतान निम्नवत है।

| दिनांक | आहरित धनराशि | चेक संख्या | फर्म जाहाँ से कय किया गया (कैश बुक एंव स्टेट मेन्ट) के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 17.12.2019 | 29800 | सीधे भुगतान | आरूष इण्टरप्राइजेज |
| 17.12.2019 | 29800 | सीधे भुगतान | आरूष इण्टरप्राइजेज |
| 17.12.2019 | 29,750 | सीधे भुगतान | आरूष इण्टरप्राइजेज |
| 17.12.2019 | 29,300 | सीधे भुगतान | आरूष इण्टरप्राइजेज |
| 17.12.2019 | 29,200 | सीधे भुगतान | आरूष इण्टरप्राइजेज |
| 17.12.2019 | 55,000 | सीधे भुगतान | रूद्रा इण्टरप्राइजेज |
| 23.12.2019 | 15,280 | 1 नगद मजदूरी | प्रधान द्वारा |
| योग | 2,18,130 | | |

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है -:

1 - सामग्री उक्त फर्म से क्रय किया गया रूपया 2,18,130.00 जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।

2- एम० बी० एंव कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।

3 - कार्यवाही रजिस्टर में कय के प्रस्ताव एंव अनुमोदन नही है ।

4 – प्रधान द्वारा 15,280.00 आहरित धनराशि मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक (मस्टर परीक्षा में उपस्थित नही रहा। रोल) लेखा 5 ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है । तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एंव ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी ।

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर व्यय कैशबुक में दर्शित धनराशि 2,02,850.00 एंव मजदूरी 15,280.00 नकद कैश के रूप में दिये जाने का काल्पनिक तौर पर व्यय कैश बुक में दर्शित कर रू0 2,18,130.00 का अपहरण किया गया है ।

अतएव उत्तरदायी प्रधान श्रीमती नाजनीन बेगम एंव ग्राम विकास अधिकारी श्री हर्षवर्धन से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -16)**

**ग्राम पंचायत का नाम दानीपट्टी विकास खण्ड डीघ जिला भदोही**

**प्रस्तर- 04**

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में देखा गया कि हैन्डपम्प रिबोर कार्य में कय सामग्री एंव मजदूरी भुगतान निम्नवत है ।

| दिनांक | आहरित धनराशि | चेक संख्या | फर्म जाहाँ से कय किया गया (कैश बुक एंव स्टेट मेन्ट) के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 06-07-2019 | 162500.00 | 10005654 | शिवा शक्ति ट्रेडर्स |
| 06-07-2019 | 49500.00 | 10005655 | शिवा शक्ति ट्रेडर्स |
| 11-07-2019 | 162500.00 | 10007881 | शिवा शक्ति ट्रेडर्स |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11-07-2019 | 49500.00 | 10007882 | शिवा शक्ति ट्रेडर्स |
| 17-07-2019 | 162500.00 | 10005657 | शंकरा बिल्डिंग मैटेरियल्स |
| योग | 586400.00 | | |

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है -:

1- सामग्री उक्त फर्म से क्रय किया गया रूपया 586400.00 जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।

2 – एम० बी० एंव कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।

3 – कार्यवाही रजिस्टर में कय के प्रस्ताव एंव अनुमोदन नही है ।

4- मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।

5 - ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है । तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एंव ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर व्यय दर्शित धनराशि 586400.00 काल्पनिक तौर पर व्यय कैश बुक में दर्शित कर रू० 586400.00 का अपहरण किया गया है ।

अंतएंव प्रधान श्रीमती शिव कुमारी देवी एंव ग्राम विकास अधिकारी श्री नितिश कुमार से संयुक्त रूप से वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -10)**

**ग्राम पंचायत का नाम गोपालपुर किलिंजरा विकास खण्ड डीघ जिला भदोही**

**प्रस्तर-5**

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में देखा गया हैण्ड पम्प रिबोर कार्य में क्रय सामग्री एवं मजदूरी भुगतान निम्न लिखित है-

| दिनांक | आहरित धनराशि | चेक संख्या | फर्म जाहाँ से कय किया गया (कैश बुक एंव स्टेट मेन्ट) के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 05-07-2019 | 162500.00 | 10005381 | शिवा शक्ति ट्रेडर्स |
| 05-07-2019 | 162500.00 | 10005382 | शिवा शक्ति ट्रेडर्स |
| 17-07-2019 | 162500.00 | 10005387 | शिवा शक्ति ट्रेडर्स |
| 17-07-2019 | 39450.00 | 10005384 | शिवा शक्ति ट्रेडर्स |
| 17-07-2019 | 39450.00 | 10005383 | शिवा शक्ति ट्रेडर्स |
| 17-07-2019 | 20000.00 | नकद मजदूरी | प्रधान द्वारा |
| योग | 586400.00 | | |

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ

1- सामग्री उक्त फर्म से कय किया गया रूपया 586400.00 जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।

2- एम० बी० एंव कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।

3 – कार्यवाही रजिस्टर में कय के प्रस्ताव एंव अनुमोदन नही है ।

4- मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।

5- ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है । तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी ।

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर व्यय दर्शित धनराशि 566400.00 एंव मजदूरी 20000.00 नकद कैश के रूप में दिये जाने का काल्पनिक तौर पर व्यय कैश बुक में दर्शित कर रू0 586400.00 का अपहरण किया गया है । अतएव प्रधान श्री रविशंकर एंव ग्राम विकास अधिकारी श्री नितिश कुमार से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -16)**

**ग्राम पंचायत का नाम इटहरा विकास खण्ड डीघॅ जिला भदोही**

**प्रस्तर-06**

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में देखा गया कि हैन्डपम्प रिबोर कार्य में कय सामग्री एंव मजदूरी भुगतान निम्नवत है ।

| दिनांक | आहरित धनराशि | चेक संख्या | फर्म जहाँ से कय किया गया (कैश बुक एंव स्टेट मेन्ट) के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 26-07-2019 | 132000.00 | 669808 | शिवा इण्टर प्राइजेज |
| 26-07-2019 | 132000.00 | 669809 | शिवा इण्टर प्राइजेज |
| 26-07-2019 | 132000.00 | 669810 | शिवा इण्टर प्राइजेज |
| 26-07-2019 | 132000.00 | 669811 | शिवा इण्टर प्राइजेज |
| योग | 528000.00 | | |

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है

1- सामग्री उक्त फर्म से क्रय किया गया रूपया 528000.00 जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।

2 - एम० बी० एंव कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।

3 - कार्यवाही रजिस्टर में कय के प्रस्ताव एंव अनुमोदन नही है ।

4 - मजदूरी भुगतान सम्बन्धी मस्टर रोल अप्राप्त रहा ।

5- ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है । तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एंव ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी ।

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर व्यय दर्शित धनराशि 528000.00 काल्पनिक तौर पर व्यय कैश बुक में दर्शित कर रू० 528000.00 का अपहरण किया गया है ।

अत: प्रधान श्री अजित कुमार एंव ग्राम विकास अधिकारी श्री अरूण बिन्द से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -16)**

**ग्राम पंचायत का नाम जमुनीपुरी अठगवॉ विकास खण्ड सुरियावॉ जिला भदोही**

**प्रस्तर-07**

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में देखा गया कि रू0 - 3,80,000.00 का डस्टबिन क्रय किया गया जिसका विवरण निम्नवत है।

| दिनांक | आहरित धनराशि | चेक संख्या | फर्म जहाँ से क्रय किया गया ( कैश बुक एंव स्टेट मेन्ट) के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 19.06.2019 | 1,90,000.00 | 394674 | रूद्वा इण्टर प्राइजेज |
| 19.06.2019 | 1,90,000.00 | 394675 | रूद्वा इण्टर प्राइजेज |
| योग | 3,80,000.00 | | |

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है

1–भण्डार कय नियमो का पालन न करते हुए मनमाफिक कंपनियों से गैर प्रतिस्पर्धा दरों पर डस्टबिन क्रय की गयी है ।

2 – क्रय दरें न तो सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करायी गयी है और न ही क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति ली गयी है।

3 – क्रय सामग्रियों के व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहें ।

4 - डेड स्टाक रजिस्टर में उक्त मदो का अंकन नही किया गया है ।

5 – कार्यवाही रजिस्टर में कय के प्रस्ताव एवं अनुमोदन नही है ।

ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है। तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एंव ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी ।

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर से व्यय कैशबुक में दर्शित कर के धनराशि 3,80,000.00 का अपहरण किया गया है।

अतएव प्रधान श्रीमती कलावती देवी एंव ग्राम विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार सिंह से संयुक्त रूप से रू0 – 3,80,000.00 ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -16)**

**ग्राम पंचायत का नाम कैण्डा विकास खण्ड सुरियावॉ जिला भदोही**

**प्रस्तर-08**

1. ग्राम पंचायत कैड़ा विकास खण्ड सुरियावॉ जनपद - भदोही की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एवं बैंक स्टेटमेन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 - 1541786.00 आहरण करके व्यय किया गया है।

उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया 1541786.00 उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 15,4,1786.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे-आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।

इस प्रकार रू0 15,41,786.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री मती उर्मिला देवी सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रदीप बिन्द से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -15)**

**ग्राम पंचायत का नाम मैलोना विकास खण्ड डीघ जिला भदोही**

**प्रस्तर-09**

आलोच्य वर्ष में लेखा परीक्षा में देखा गया कि प्रा० विद्यालय मैलौना में टाइल्स निर्माण कार्य में कय सामग्री निम्नवत है ।

| दिनांक | आहरित धनराशि | चेक संख्या | फर्म जाहाँ से कय किया गया (कैश बुक एंव स्टेट मेन्ट) के अनुसार |
|---|---|---|---|
| 21-11-2019 | 199710.00 | सीधे भुगतान | मॉ भगवती इण्टर प्राइजेज |
| 24-11-2019 | 37940.00 | नगद मजदूरी | प्रधान द्वारा |
| योग | 237650.00 | | |

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है -:

1- सामग्री उक्त फर्म से क्रय किया गया रूपया 237650.00 जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा ।

2–एम0 बी0 एंव कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहा ।

3 – कार्यवाही रजिस्टर में कय के प्रस्ताव एंव अनुमोदन नही है ।

4–प्रधान द्वारा रू0–37940.00 आहरित करके मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित प्रमाणक मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

5 – ग्राम पंचायत में वित्त एंव लेखा प्रबन्धक हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय आठ के बिन्दु 8 (क) में दिये गये प्राविधानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में यदि कोई बाउचर उपलब्ध नही कराया जाता है । तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन मानते हुये धनराशि की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एंव ग्राम विकास अधिकारी से की जायेगी ।

उक्त से स्पष्ट है कि तकालिन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा काल्पिनिक तौर से व्यय कैश बुक में दर्शित करके धनराशि - 237650.00 का अपहरण किया गया है।

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा काल्पनिक तौर व्यय दर्शित धनराशि 199710.00 एंव मजदूरी 37940.00 नकद कैश के रूप में दिये जाने का काल्पनिक तौर पर व्यय कैश बुक में व्यय दर्शित कर रू० 237650.00 का अपहरण किया गया है।

अतएव उत्तरदायी प्रधान श्री लल्लू एंव ग्राम विकास अधिकारी श्री अरूण बिन्द से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -16)**

**ग्राम पंचायत का नाम महजूदा विकास खण्ड सुरियावॉ जिला भदोही**

**प्रस्तर-10**

1. ग्राम पंचायत महजुदा विकास खण्ड सुरियावॉ जनपद - भदोही की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एवं बैंक स्टेटमेन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0 – 19,92,390.00 आहरण करके व्यय किया गया है ।

उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया 19,92,390.00 उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 19,92,390.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे-आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।

इस प्रकार रू0 19,92,390.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्री जय प्रकाश यादव सचिव / ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रदीप बिन्द से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -15)**

**ग्राम पंचायत का नाम सराय छत्रशाह विकास खण्ड सुरियावॉ जिला भदोही**

**प्रस्तर-11**

ग्राम पंचायत सराय छत्रशाह विकास खण्ड सुरियावॉ जनपद - भदोही की लेखा परीक्षा हेतु प्रियासाफ्ट पर अपलोड की गयी सूचनाओं एवं बैंक स्टेटमेन्ट को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रू0–18,89,069. 00 आहरण करके व्यय किया गया है ।

उक्त धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टाक पंजीकरण, भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र कर कटौती आदि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नही रहा।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रूपया 18,89,069.00 उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एंव ग्राम पंचायत अधिकारी की दुरभि संधि से धनराशि का अपहरण किया गया है । ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नही कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अर्न्तगत आता है । स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रू0 18,89,069.00 को उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एंव 257 के अर्न्तगत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे-आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम प्रधान का विभागीय अभिलेखों के अनुसार ग्राम पंचायत को पहुचायी गयी हानि की पूर्ति अपेक्षित है ।

इस प्रकार रू0 18,89,069.00 बैंक द्वारा आहरण कर फर्जी भुगतान दर्शाकर राजकीय धन का अपहरण किया गया है। जिसके उत्तरदायी ग्राम प्रधान श्रीमती सविता देवी सचिव/ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री हर्षवर्द्धन से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल करने की कार्यवाही की जानी अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -15)**

**ग्राम पंचायत का नाम अहिनच्छ विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही**

**प्रस्तर-12**

ग्राम पंचायत अहिनच्छ हैंडपंप मरम्मत में निम्न वितरण अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर धन व्यय किया गया हैं

| दिनांक | भुगतान धनराशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|
| 06/02/20 | 36500-00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री |
| 18/03/20 | 12850-00 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी |
| योग | 49350-00 | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. सामग्री एवं मजदूरी से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2. कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3. हैंडपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।

4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

6. स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत कर संबंधित सामग्रियों के होने की पुष्टि भी नहीं करवाई गई है।

7. वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शा.सं.-ए-1-864/दस दिनांक 23/09/2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परंतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

8. उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई हैं जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैंडपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।

9. उक्त हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषाकिंत है। किंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है और ना ही हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंडियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है।

हैंडपंप में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट/स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 49350=00 का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शन करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान श्री रंग बहादुर और सचिव श्री राजनाथ से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**प्रस्तर-13**

ग्राम पंचायत अहिनच्छ हैंडपंप रिबोर निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | स्थान |
|---|---|---|---|
| 06/02/20 | 32500 | हैंडपंप रिबोर मटेरियल | अज्ञात |
| योग= | 32500 | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं1.

1-संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3-हैंडपंप रिबोर की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

5. ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोषांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्रियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीत/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से, स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवा के रुपया 32500=00 का वित्तीय अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री रामजी गुप्ता और सचिव श्री राघवेंद्र पांडे ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है **(सामान्य आपत्ति संख्या -13)**

**ग्राम पंचायत का नाम भिदिउदा विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही**

**प्रस्तर-14**

ग्राम पंचायत भिदीउरा निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/19 | 29200-00 | हैंडपंप रिबोर हैंडपंप रिबोर | परी इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 24/03/20 | 30500-00 | हैंडपंप रिबोर हैंडपंप रिबोर | पाठक बिल्डिंग मटेरियल | अज्ञात |
| योग= | 59700=00 | | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3. हैंडपंप रिबोर की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही।

5 ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोषांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्रियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों

में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीत/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से, स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रप की पुष्टि न करवा के रुपया 59700=00 का वित्तीय अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री महेंद्र पाठक और ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है **(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**प्रस्तर-15**

ग्राम पंचायत भिदीउरा निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/19 | 38900 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | परी इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 27/05/19 | 5425 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | | अज्ञात |
| 27/05/19 | 5040 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | सूर्यबली | अज्ञात |
| 11/07/19 | 35500 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | मां विंध्यवासिनी इलेव मशीन स्टोर्स | अज्ञात |
| 08/01/20 | 49400 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री व मजदूरी | मां विंध्यवासिनी इलेव मशीन स्टोर्स | अज्ञात |
| 24/03/20 | 4950 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | लक्ष्मी हार्डवेयर | अज्ञात |
| योग | 183765 | | | अज्ञात |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. सामग्री एवं मजदूरी से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
2. कार्य की एमबी अप्राप्त रही।
3. हैंडपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।
4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।
5. कार्य के सापेक्ष मजदूरी संबंधी व्यय प्रधान द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा।
6. वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शा.सं.-ए-1-864/दस दिनांक 23/09/2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परंतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नही किया गया है।

7- उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई हैं जबकि ग्राम पंचायत के वित्त प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैंडपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।

8. उक्त हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषाकिंत है। किंतु उक्त मद की क्रप सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है और ना ही हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंडियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है।

हैंडपंप में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट/स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 183765=00का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शन करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान श्रीमती और ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -13)**

**ग्राम पंचायत का नाम डुहिया विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही**

**प्रस्तर-16**

ग्राम पंचायत डुहिया में निम्न विवरण के अनुसार धन का आहरण कैश बुक में दर्शित है

| दिनांक | भुगतान धनराशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|
| 09/4/19 | 900 | नाली निर्माण सामग्री |
| 11/4/19 | 10000 | प्राथमिक विद्यालय शौचालय मरम्मत सामग्री |

| | | |
|---|---|---|
| 11/4/19 | 7000 | पूर्व माध्यमिक विद्यालय शौचालय मरम्मत सामग्री |
| 11/4/19 | 2400 | भावसिंहपुर पिच रोड से हनुमान मंदिर नाली निर्माण सामग्री क्र |
| 03/2/20 | 36500 | हैंड पंप मरम्मत हेतु सामग्री क्रय |
| 31/3/20 | 33461 | भावसिंहपुर पिच रोड से हनुमान मंदिर नाली निर्माण सामग्री क्रय |
| योग= | ₹90261 | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. सामग्री से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
2. कार्य की एमबी अप्राप्त रही।
4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही
5. उपर्युक्त कार्यों में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट/स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।
6. उपर्युक्त कार्य में सामग्री के सापेक्ष मजदूरी का कोई भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ है। बिना मजदूरी के केवल सामग्री से कोई भी निर्माण कार्य करवाना संभव नहीं है स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत कर संबंधित सामग्रियों के होने की पुष्टि भी नहीं करवाई गई है।

इस प्रकार व्यय प्रमाण प्रस्तुत ना करके एवं स्टॉक रजिस्टर में अंकन न होने से तथा आगणन शीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवा कर के क्रय स्टॉक मूल्य रुपया 90261=00 का अपहरण किया गया है जिसके लिए उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी उत्तरदाई रहे हैं। अतएव ग्राम प्रधान श्री सदानंद शुक्ला एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राघवेंद्र पांडे से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**ग्राम पंचायत का नाम हरिहरपुर विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही**

**प्रस्तर-17**

ग्राम पंचायत हरिहरपुर में निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 35000=00 | हैंडपंप रिबोर | जय अंबे इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 24/07/19 | 29900-00 | हैंडपंप रिबोर | जय अंबे इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 24/07/19 | 29950=00 | हैंडपंप रिबोर | जय अंबे इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 24/07/19 | 29975-00 | हैंडपंप रिबोर | जय अंबे इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| योग | 124825=00 | | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3. हैंडपंप रिबोर की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही।

5 ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोषांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्रियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीत/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से, स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवा के रुपया 124825=00 का वित्तीय अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री विरेंद्र तिवारी और व श्री ज्ञानेंद्र सिंह विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**प्रस्तर-18**

ग्राम पंचायत हरिहरपुर में निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/19 | 36400-00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | अन्नपूर्णा मशीनरी स्टोर्स | अज्ञात |
| 30/07/19 | 12672-00 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | प्रधान | अज्ञात |
| योग | 49072-00 | | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. सामग्री एवं मजदूरी से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3. हैंडपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।

4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

5. कार्य के सापेक्ष मजदूरी संबंधी व्यप प्रधान द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा।

6. वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शा.सं.-ए-1-864/दस दिनांक 23/09/2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परंतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

7-उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई हैं जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैंडपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।

आपत्तियों का पूर्ण विवरण

8. उक्त हैंडपंप । मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषाकिंत है। किंतु उक्त मद की क्रप सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है और ना ही हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंडियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया

हैंडपंप में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट/स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 49072=00 का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शन करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी तत्कालीन  प्रधान श्री वीरेंद्र तिवारीऔर सचिव श्री ज्ञानेंद्र सिंह से की जानी अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -13)**

**ग्राम पंचायत का नाम कठौता विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही**

**प्रस्तर-19**

ग्राम पंचायत कठौता में निम्न विवरण के अनुसार हैंडपंप रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/19 | 17300 | राजघर सिंह हैंडपंप रिबोर सामग्री | यूपी मशीनरी मार्ट | अज्ञात |
| 02/04/19 | 17300 | फूल चंद हैंडपंप रिबोर सामग्री | यूपी मशीनरी मार्ट | अज्ञात |
| 02/04/19 | 17300 | सुरेश हैंडपंप रिबोर सामग्री | यूपी मशीनरी मार्ट | अज्ञात |
| 02/04/19 | 17300 | देवेन्द्र हैंडपंप रिबोर सामग्री | यूपी मशीनरी मार्ट | अज्ञात |
| 02/04/19 | 17300 | पंकज हैंडपंप रिबोर सामग्री | यूपी मशीनरी मार्ट | अज्ञात |
| 02/04/19 | 17400 | भूपेश हैंडपंप रिबोर सामग्री | यूपी मशीनरी मार्ट | अज्ञात |
| योग | 104000=00 | | | |

उक्त विवरण

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। हैंडपंप रिबोर कार्य में सामग्री के सापेक्ष मजदूरी का कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ है जिससे कार्य के होने पर संदेह की स्थिति है।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3. हैंडपंप रिबोर की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही।

5. ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रप किया जाना कोषांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्रियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीत/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से,स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रप की पुष्टि न करवा के रुपया 104000=00 का वित्तीय अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री मिथिलेश और श्री ज्ञानेंद्र विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**प्रस्तर-20**

ग्राम पंचायत कठौता में निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/19 | 36000 | हैंडपंप मरम्मत कार्य | यूपी मशीनरी मार्ट | अज्ञात |
| 31/07/19 | 36000 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | यूपी मशीनरी मार्ट | अज्ञात |
| 31/07/19 | 12850 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | प्रधान | अज्ञात |
| 12/12/19 | 35500 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | यू.पी.पाइप एड फिटिंग स्टोर्स | अज्ञात |
| 12/12/19 | 13032 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | रविन्द्र, देवी, रतनेश | अज्ञात |
| 17/03/20 | 49500 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | जय अंबे इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| योग | 182882 | | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. सामग्री एवं मजदूरी से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3. हैंडपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।

4 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

5. कार्य के सापेक्ष मजदूरी संबंधी व्यय प्रधान द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा।

6. वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शा.सं.-ए-1-864/दस दिनांक 23/09/2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रप करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परंतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

7 उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई हैं जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैंडपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।

8. उक्त हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषाकिंत है। किंतु उक्त मद की क्रप सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है और ना ही हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का अंकन डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है।

9. हैंडपंप में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट/स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 182882=00 का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शन करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान श्री मिथिलेश और श्री ज्ञानेंद्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -13)**

**प्रस्तर-21**

ग्राम पंचायत कठौता में निम्न वितरण के अनुसार डस्टबिन स्थापना पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता |
|---|---|---|---|
| 02/04/19 | 198000-00 | डस्टबिन स्थापना। | राधा इंटरप्राइजेज |

1. सामग्री एवं मजदूरी से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3. डस्टबिन स्थापना की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।

4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

5. वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शा.सं.-ए-1-864/दस दिनांक 23/09/2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में 120000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। उसके अधिक धन राशि की स्थिति में टेंडर प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। परंतु टेंडर की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

6. डस्टबिन स्थापना में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट/स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रप सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार डस्टबिन स्थापना पर रुपया 198000.00का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शन करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान श्री मिथिलेश और श्री ज्ञानेंद्र सिंह ग्राम विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -14)**

**ग्राम पंचायत का नाम नन्दापुर विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही**

**प्रस्तर-22**

ग्राम पंचायत नंदापुर में निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम1 | स्थान |
|---|---|---|---|
| 7/01/20 | 26900-00 | डपंप रिबोर | (विशाल शर्मा के घर के पास) |
| 17/01/20 | 29950-00 | हैंडपंप रिबोर | (राकेश सिंह के घर के पास |
| 20/01/20 | 29900=00 | हैंडपंप रिबोर | (पंधारी के घर के पास) |
| 20/01/20 | 29950=00 | हैंडपंप रिबोर | (हरीनाथ के घर के पास) |
| योग = | 116700=00 | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं.

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3. हैंडपंप रिबोर की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही।

5. ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोषांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्रियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनसीट/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से, स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवा के रुपया 116700=00 का वित्तीय अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री मति मुनेश्वरा देवी और सचिव श्री धर्मराज ग्राम विकास अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**ग्राम पंचायत का नाम सरई मिश्रानी विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही**

**प्रस्तर-23**

ग्राम पंचायत सरई मिश्रानी में निम्न विवरण अनुसार अनधिकृत तौर पर धन का आहरण किया गया है

| दिनांक | भुगतान धनराशि | आहरण कर्ता |
|---|---|---|
| 19/07/19 | 15000-00 | रंजन कुमार यादव (ग्राम विकास अधिकारी) |
| 19/07/19 | 32250-00 | रंजन कुमार यादव (ग्राम विकास अधिकारी) |
| 19/07/19 | 27500=00 | रंजन कुमार यादव (ग्राम विकास अधिकारी) |
| 31/07/19. | 26500-00 | सेल्फ (आहरण कर्ता का नाम अज्ञात) |
| 31/07/19 | 31500-00 | सेल्फ (आहरण कर्ता का नाम अज्ञात) |
| योग | 132,750-00 | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. उपर्युक्त दिनांक ग्राम सभा के खाते से दिनांक 19-7-19 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के द्वारा स्वयं क्रमश: ₹15000, ₹32250 एवं ₹27500 का धन आहरित किया गया है। दिनांक 317 19 को सेल्फ के नाम से धन का आहरण किया गया है इसमें आहरण कर्ता का नाम स्पष्ट नहीं किया गया है।

2 ग्रामपंचायत वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के बिंदु 5 के अनुसार रुपया 2,000 से अधिक के भुगतान अकाउंट पर चेक के माध्यम से होना सुनिश्चित किया गया है। उपरोक्त आहरण ग्राम पंचायत नियमावली के अनुसार अनधिकृत आहरण है।

3. उक्त से संबंधित व्यय प्रमाणक, कार्य की एमबी, फोटो अप्राप्त रहे। कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे जिससे कार्य के पूर्ण और अपूर्ण होने की स्थिति भी अज्ञात रही। मजदूरी भुगतान से संबंधित मस्टररोल भी अप्राप्त रहा।

इस प्रकार व्यय प्रमाणको एवं अन्य पत्रों के अभाव में तथा अनधिकृत तौर पर धन का आहरण करके रुपया 132750=00 का उपभोग उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा अपने पक्ष में कर गबन किया गया है। इस प्रकार रुपया 132750=00 की ब्याज सहित वसूली प्रधान श्रीमती लीलावती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी है श्री रंजन यादव से किया जाना अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**ग्राम पंचायत का नाम थानीपुर विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही**

**प्रस्तर-24**

ग्राम पंचायतथानीपुर निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/19 | 29150-00 | हैंडपंप रिबोर | परी इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 14/10/19 | 29100=00 | हैंडपंप रिबोर | परी इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 14/10/19 | 29200-00 | हैंडपंप रिबोर | परी इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 28/10/19 | 28425-00 | हैंडपंप रिबोर | परी इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| योग | 115875=00 | | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां है

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
2. कार्य की एमबी अप्राप्त रही।
3. हैंडपंप रिबोर की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ।
4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही।
5. ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रप किया जाना कोषांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्रियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीत/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से, स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रप की पुष्टि न करवा के रुपया 115875=00 का वित्तीय अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्रीमती लालमणि देवी और ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है **(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**प्रस्तर-25**

ग्राम पंचायतथानीपुर निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/19 | 36400-00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | लक्ष्मी बिल्डिंग मैटेरियलस् | अज्ञात |
| 18/04/19 | 12600-00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | प्रधान | अज्ञात |
| 01/08/19 | 12600-00 | हैंडपंप मरम्मत | प्रधान | अज्ञात |
| 28/10/19 | 34560-00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री सामग्री | मौर्य इलेक्ट्रिक एंड मशीनरी स्टोर्स | अज्ञात |
| 19/03/20 | 28425-00 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | लक्ष्मी बिल्डिंग मैटेरियलस् | अज्ञात |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. सामग्री एवं मजदूरी से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।
2. कार्य की एमबी अप्राप्त रही।
3. हैंडपंप मरम्मत की स्थल सूची, लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।
4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।
5. कार्य के सापेक्ष मजदूरी संबंधी व्यय प्रधान द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा।
6. वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शा.सं.-ए-1-864/दस दिनांक 23/09/2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परंतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

7 उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई हैं जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैंडपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।

8. उक्त हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषाकिंत है। किंतु उक्त मद की क्रप सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है और ना ही हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंडियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है।

हैंडपंप में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट/स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 145610=00का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शन करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान श्रीमती लालमणि देवी और ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह से की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -13)**

**ग्राम पंचायत का नाम चकबसुही विकास खण्ड भदोही जिला भदोही**

**प्रस्तर-26**

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 2-7-2019 को कोषवही के अनुसार रु० 35900 से टैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री एवं दिनांक 20-12-2019 को रू0 35800 से टैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री ग्रुप कर व्यय दर्शित है किन्तु कुल रू0 71700=00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे व्यय की पुष्टि ज की जा सकी। अतः उक्त व्यय कोषवही में काल्पनिक रूप से दर्शित कर रू0 71700 = 00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से युक्त रूप से उत्तरदायी है। अत: 071700 =00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती नेहा मिश्रा एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अवध नारायण से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -07)**

**ग्राम पंचायत का नाम दलापुर विकास खण्ड भदोही जिला भदोही**

**प्रस्तर-27**

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 27-6-2019 कोषवही के अनुसार 20 128300 =०० (32200+ 32100+31900+32100) से हैण्डपम्प रिवोर सामग्री रूप कर व्यय दर्शित है किन्तु 60 128300=00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा मे व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त व्यय कोषवहीं में काल्पनिक रूप से दर्शित कर रय128300=00 का अपहरण किया गया है, जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अत: रू0 128300=00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सहनाज बेगम एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री दिलीप कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -05)**

**ग्राम पंचायत का नाम महबूबपुर विकास खण्ड भदोही जिला भदोही**

**प्रस्तर-28**

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 04.03.2020 को कोषवही के अनुसार रू0 119950.00 (29800+30100+30200+29850) से हैण्ड पम्प रिबोर कार्य सामग्री क्रय कर व्यय दर्शित है किन्तु रू0 119950.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहा, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त व्यय कोषवही में काल्पनिक रूप से व्यय दर्शित कर रू0 119950.00 का अपहरण किया गया है ,जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदयी है । अतः रू0 119950.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राधे श्याम एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जगदीश पाण्डेय से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -05)**

**ग्राम पंचायत का नाम दरीबपुर विकास खण्ड भदोही जिला भदोही**

**प्रस्तर-29**

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 28.01.2020 को कोषवही के अनुसार रू0 65000.00 (32500+32500) से हैण्ड पम्प रिबोर कार्य सामग्री क्रय कर व्यय दर्शित है किन्तु रू0 65000.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहा, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त व्यय कोषवही में काल्पनिक रूप से व्यय दर्शित कर रू0 65000.00 का अपहरण किया गया है ,जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदयी है । अतः रू0 65000.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री राकेश एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -05)**

**ग्राम पंचायत का नाम राघोपुर विकास खण्ड भदोही जिला भदोही**

**प्रस्तर-30**

वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि दिनांक 24.12.2019 को कोषवही के अनुसार रू0 34880.00 एवं दिनांक 26.12.2019 को रू0 34880 कुल धनराशि रू0 69760.00 से हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री क्रय कर व्यय दर्शित है किन्तु रू0 69760.00 के सापेक्ष लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नही रहा, जिससे व्यय की पुष्टि न की जा सकी। अतः उक्त व्यय कोषवही में काल्पनिक रूप से व्यय दर्शित कर रू0 69760.00 का अपहरण किया गया है ,जिसके लिए ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदयी है । अतः रू0 69760.00 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री श्याम नारायण एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -05)**

**ग्राम पंचायत का नाम चन्दापुर विकास खण्ड डीघ जिला भदोही**

**प्रस्तर-31**

कैशबुक में दर्शित विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा में देखा गया की दिनांक 25.10.2020 को रु 49400 हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय तथा मजदूरी हेतु व्यय किया गया है

उक्त के सम्बन्ध में निम्न अप्पत्तियां है

हैण्ड पंप सामग्री क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा

कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी

लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा

मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए । अतएव स्पष्ट है की उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु 49400 का व्यय मनमानी ढंग से केशबुक में काल्पनिक ढंग से दर्शा के उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण अपने पक्ष में किया गया। जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्रीमती विद्या देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री गोपाल मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है **(सामान्य आपत्ति संख्या -09)**

**ग्राम पंचायत का नाम मदनपुर विकास खण्ड डीघ जिला भदोही**

**प्रस्तर-32**

ऑनलाइन लेखा परीक्षा के दौरान ऑनलाइन (प्रियासॉफ्ट ) की सूचनाओं में केवल वर्ष 2019-20 की आय एवं व्यय मदवार दर्शित है जिसका विवरण निम्नवत है

| | |
|---|---|
| हैण्ड पंप बोर | 648300 |
| ग्राम पंचायत में सफाई | 2366 |
| एडवरटीजमेंट टेंडर | 3150 |
| स्टेशनरी | 634 |

योग 654450.00

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियाँ है

1 उक्त मदों पर दर्शित व्यय के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा

2 सभी कार्यों के एम.बी. अप्राप्त रहे

3- सभी कार्यों के कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त रहे

अतएव स्पष्ट है की उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु654450 का व्यय मनमानी ढंग से प्रिय सॉफ्ट पर दर्शा के उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण अपने पक्ष में किया गया |जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्री प्रेम शंकर पाण्डेय एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नितीश कुमार से किया जाना अपेक्षित है । **(सामान्य आपत्ति संख्या -09)**

**ग्राम पंचायत का नाम मरसडा विकास खण्ड डीघ जिला भदोही**

**प्रस्तर-33**

कैशबुकमें दर्शित विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा में देखा गया की दिनांक 20.2.2020 को रु 30800 व्यय हैण्डपम्प रीबोर हेतु सामग्री क्रय तथा मजदूरी हेतु किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में निम्न अप्पत्तियां है

1-हैण्ड पंप सामग्री क्रय से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा

2- कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी

3- लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा

4-मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए |अतएव स्पष्ट है की उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु 30800 का व्यय मनमानी ढंग से कैशबुक में दर्शाकर उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण अपने पक्ष में किया गया । जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्री सन्तोष दुबे तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र यादव से किया जाना अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -09)**

**ग्राम पंचायत का नाम शिव सेवक पटटी विकास खण्ड डीघ जिला भदोही**

**प्रस्तर-34**

प्रिय सॉफ्ट पर दर्शित विवरण के अनुसार लेखा परीक्षा में देखा गया की दिनांक 3.1.2020 को रु 29550 हैण्डपम्प बोर हेतु सामग्री क्रय तथा मजदूरी हेतु व्यय किया गया है । उक्त के सम्बन्ध में निम्न अप्पत्तियां है

1-हैण्ड पंप सामग्री से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा

2-कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गयी

3-लेखा परीक्षा में कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं रहा

4- मजदूरी भुगतान से सम्बन्धित मस्टर रोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

लेखा परीक्षा में उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई भी प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किये गए |अतएव स्पष्ट है की उक्त सम्पूर्ण धनराशि रु29550 का व्यय मनमानी ढंग से केशबुक पर दर्शा के उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा धन का अपहरण अपने पक्ष में किया गया |जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से प्रधान श्री विशम्भर नाथ मिश्र एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री नीरज मिश्रा से किया जाना अपेक्षित है ।**(सामान्य आपत्ति संख्या -09)**

**ग्राम पंचायत का नाम ख्योखर विकास खण्ड अभोली जिला भदोही**

**प्रस्तर-35**

लेखा-परीक्षा में देखा गया कि निम्न विवरणानुसार व्यय कैशबुक में दर्शित है।

| दिनांक | मद | धनराशि |
|---|---|---|
| 30.03.2020 | ग्राम पंचायत में हैण्ड पॅम्प सोकपीट निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय | 67000 |
| 30.03-2020 | ग्राम पंचायत में हैण्ड पॅम्प सोकपीट निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय पुनः सामग्री क्रय | 70700 |
| 30.03.2020 | ग्राम पंचायत में हैण्ड पॅम्प सोकपीट निर्माण कार्य हेतु ईट क्रय | 38800 |
| | योग । | 176500 |

उक्त के संदर्भमे निम्न आपतियों है

1 व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे अप्राप्त रहे ।

2- कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रहे ।

3-स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा।

4-कार्यपूर्ति भी अप्राप्त रही।

5-गड्ढे निर्माण का फोटो नहीं लिया गया, गड्ढे निर्माण में कितने मजदूरों ने कार्य किया, लेखा परीक्षा में मस्टररोल भी नहीं दिखाया गया। इस प्रकार विना व्यय-प्रमाणको एवं स्टॉक राजे० में अंकन कैशबुक में काल्पनिक व्यय दिखा कर रू0 176500 का अपहरण उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा किया है एतवं रू0 176500 की ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान श्री भुल्लन राम एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री राम शिरोमणि बिन्द से संयुक्त रूप से की जानी अपेक्षित है

**(सामान्य आपत्ति संख्या -10)**

**ग्राम पंचायत का नाम मउरामशाल विकास खण्ड अभोली जिला भदोही**

**प्रस्तर-36**

ग्राम पंचायत मऊरामशाला वर्ष 2019-20 निम्म विवरणानुसार ग्राम प्रधान श्रीमती मीनाक्षी द्वारा प्राइमरी स्कूल पोन्टिंग मजदूरी हेतु धनराशि व्यय किया गया है। -

| दिनांक | व्यय की धनराशि | बैंक से आहरित धनराशी |
|---|---|---|
| 10.4.2019 | 19730 | 19880 |
| 26.4.2019 | 19730 | 19830 |
| 07.5.2019 | 19912 | 19830 |
| 16.5.201 | 19912 | 19830 |
| 31.5.2019 | 19730 | 19830 |
| | 99014 | |

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ है।

1 व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

2 मस्टर रोल अप्राप्त रहे।

3-कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त रहा।

4- पैसा स्वयं ग्राम प्रधान द्वारा आहरित किया गया है तथा व्यय से सम्बंधित प्रमाणक प्रस्तुत नहीं रहा।

उक्त से स्पष्ट है कि धन आहरित करके प्रमाणक रहित व्यय दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है। ग्राम पंचायत में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8'क' में दिये गये प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बंध में यदि कोई वाऊचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हये धनराशि की वसुली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से की जाएगी | इस प्रकार 99014.00 की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीनाक्षी एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार गौतम से किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -10)**

**प्रस्तर-37**

ग्राम पंचायत मऊरामशाला लेखा परीक्षा में देखा गया कि निम्न निवरणानुसार मलिन बस्ती हेतु बाटर-कुलर पम्प क्रय किया गया है।

| दिनांक | मद | आहरित धनराशि | फर्म का नाम |
|---|---|---|---|
| 7.6.2019 | वाटर कूलर | 145000 | वैष्णवी इण्टरप्राइजेज |
| 23.7.2019 | वाटर कूलर | 145000 | वैष्णवी इण्टरप्राइजेज |
| 23.7.2019 | वाटर कूलर | 145000 | वैष्णवी इण्टरप्राइजेज |
| योग | | 435000 | |

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियाँ है।

1 व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे

2 टेण्डर बलावली अप्राप्त रही। ii

3 -कार्यपूर्ति भी अप्राप्त रही।

शासनादेश संख्या ए-1-864/ दस -08-15-1-86 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार निर्माण/मरम्मत कार्यो से सम्बंधित रु० 1 लाख से अधिक मूल्य की सामग्री क्रय हेतु टेण्डर आमांत्रित किया जाना अनिवार्य है। आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा रू0 435000/- वा वाटर कूलर पम्प क्रय किया गया है। परन्तु टेण्डर आमंत्रित न किये जाने से ग्राम पंचायत को सामग्री कप में न्यूनतम दर का लाभ मिलने की पुष्टि नही होती है। इस प्रकार विना व्यय प्रमाणको तथा टेण्डर प्रक्रिया का पालन किये बिना रु० 435000/= वैष्णवी इण्टरप्राइजेज को भुगतान करके अनियमितता बरती गयी है, उक्त हेतु उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मीनाक्षी तथा

पंचायत विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार गौतम संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है **(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**ग्राम पंचायत का नाम सदौपुर विकास खण्ड अभोली जिला भदोही**

**प्रस्तर-38**

ग्राम पंचायत सदौपुर वर्ष 2019-20 लेखा परीक्षा में देखा गया कि निम्न विवरणानुसार कैशबुक में व्यय दर्शाया गया है।

| दिनांक | मद | धनराशि |
|---|---|---|
| 13.01.2020 | कमलेश सिंह के यहाँ हैण्डवय रिबोर मैटेरियल मजदूरी | 29784.00 |

उक्त के सन्दर्भ में निम्न आपत्तियॉ है.

आलोय वर्ष में ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प रिवोर पर सामग्री कय एवं मजदूरी पर ब्यय किया जाना कोषांकित है किन्तु सामग्री क्रय एवं मद से सम्बंधित व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा मे प्रस्तुत नहीं किये गये है। क्रय सामग्री की प्रविष्टि न तो स्टाक पंजिका में किया गया है और न ही हैण्डपम्प से निकली डिस्पोजल सामग्रियों का इन्काज डिस्पोजल स्टॉक राज में किया गया है। हैण्डपम्प में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार न करवाये जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है इस प्रकार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके तथा स्टॉक रजि० में अंकन न होने से क० 29184=00 का अपहरण किया गया है। उक्त धन की ब्याज सहित वसूली तलालीन ग्राम प्रधान श्रीमती शामिला सिंह व ग्रा.पं. वि. अधि. श्री कैवारानाथव श्री संजय कुमार मौर्य से आधी-आधी धनराशि वसूल किया जाना अपेक्षित है '**(सामान्य आपत्ति संख्या -10)**

**ग्राम पंचायत का नाम सागरपुर विकास खण्ड अभोली जिला भदोही**

**प्रस्तर-39**

ग्राम पंचायत सागर पूर 2019-20 लेखा परीक्षा में देखा गया है कि निम्न विवरणानुसार व्ययकैशबुक में दर्शित है।

| दिनांक- | मद | धनराशि |
|---|---|---|
| 20.01.2020 | फूलचन्द के घर से सन्तलाल के घर तक इन्टरलाकिंग निर्माण हेतु ईट, सीमेण्ट, बालू क्रय | 90033 |

उक्त के संदर्भ में निम्नलिखित आपत्तिया है।

1 व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

2 कार्यपूर्ति राज अप्राप्त रहा।

3 कार्यवाही राज. अप्राप्त रहा।

4 स्टॉक जि० अप्राप्त रहा।

सामग्री का उपयोग इन्टरलाकिंग में कब किया गया, के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त न हो सकी तथा उक्त कार्य में कितने मजदूर, कब लगाये गये, जानकारी न हो सकी तथा मस्टर रोल अप्राप्त रहा।

इस प्रकार व्यय प्रमाणको रहित व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शित करके धन का अपहरण किया गया है। अतः उक्त धन की ब्याज सहित वसूली तत्कानिक ग्राम प्रधान श्रीमती फुलवादेवी तथा ग्रा.पं. वि. अधिकारी भी संतोष कुमार गौतम से आधी-आधी धनराखी वसुल किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -10)**

**ग्राम पंचायत का नाम सेमरा विकास खण्ड अभोली जिला भदोही**

**प्रस्तर-40**

ग्राम पंचायत सेमरा लेखा परीक्षा (प्रियासापर) में देखा गया है कि निम्न विवरणानुसार व्यय दर्शित किया गया है ।

| दिनॉक | मद | धनराशि |
|---|---|---|
| 19.06.2019 | जयमॉविंध्य को भुगतान ( शौचालय निर्माण) | 41634 |
| 19.06.2019 | राम ईंट उद्योग को भुगतान ( शौचालय निर्माण हेतु ) | 59484 |
| | | 10 111850 |

उक्त के संदर्भ में निम्न आपत्तियों है ।

1 व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहे।

2 कार्यवाही रजिस्टर अप्राप्त रही ।

3- स्टॉक रजिस्टर अप्राप्त रहा ।

4- सामग्री का उपयोग शौचालय निर्माण में कब किया गया। कितने मजदूर कार्य पर लगाये गये, जानकारी नहीं सकी, मस्टररोल अप्राप्त रहा |

5- कार्यपूर्ति भी अप्राप्त रही।

इस प्रकार व्यय प्रमाणक प्रस्तुत न करके तथा स्टॉक राजिस्टर में अंकन न करके कैशबुक में काल्पनिक व्यय दर्शित करके धन का अपहरण उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम पं.वि.अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा किया गया है। इस प्रकार 10 1118की वसुसी ग्रापं.वि अ. पत्नी संतोष कुमार गौतम व संजीव कुमार पाण्डेय तथा ग्राम प्रधान श्रीमती चन्दावती देवी से रूप से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित हैं।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -10)**

**ग्राम पंचायत का नाम अलुआ विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-41**

ग्राम पंचायत अलुआ विकास खंड औराई जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए | जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल क 1725971=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है ।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 1725971=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संदीप सिंह प्रधान श्री ओम प्रकाश से वसूल किया जाना आपेक्षित है। · **(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**ग्राम पंचायत का नाम बाबू सराय विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-42**

ग्राम पंचायत बाबू सराय ह्यूम पाइप से संबंधित निम्नलिखित व्यय हुआ है

| क्रम | दिनांक | भुगतान की राशि | भुगतान प्राप्तकर्ता | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| | 29-07-19 | 180000-00 | रिशी इन्टरप्राइजेज | |
| | 1-08-19 | 10000-00 | प्रधान | |
| | योग | 190000-00 | | |

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे "ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अंतर्गत आती है।
2. उपर्युक्त के संदर्भ में ह्यूम पाइप का प्रयोग किस कार्य के संदर्भ में किया गया है उसका विवरण स्पष्ट नहीं रहा बिना कार्यस्थल के संपूर्ण भुगतान संदिग्ध है।
3. उक्त के सापेक्ष टेन्डर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया |
4 .इस कार्य में गिट्टी बालू सीमेंट छड़ आदि पर कुछ भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।
5. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

6 कृत कार्य की त्रिस्तरीय फोटो भी उपलब्ध नहीं कराया गया।

7. कार्य की एमबी अप्राप्त रही। जिसके अनुसार प्रयुक्त सामग्री और लगाया गया
8. मजदूरी भुगतान हेतु प्रधान द्वारा स्वयं धन का आहरण रु. 10000=00 करके अनियमितता की गई । मजदूरों की पुष्टि की जा सके।

हयूम पाइप कार्य कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करके व्यय उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री आलमिन एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री मनोज कुमार द्वारा किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या - )**

**ग्राम पंचायत का नाम भभौरा विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-43**

ग्राम पंचायत भभौरा निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | भुगतान प्राप्तकर्ता | कार्य का नाम | बाउचर न |
|---|---|---|---|---|
| 24.11.19 | 31141=11 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैंडपंप रिबोर हैंडपंप | 472 |
| 24.11.19 | 31266=11 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैंडपंप रिबोर हैंडपंप | 469 |
| 25.11.19 | 31141=11 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैंडपंप रिबोर हैंडपंप | 476 |
| 26.11.19 | 31141=11 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैंडपंप रिबोर हैंडपंप | 486 |
| योग | 124689-44 | | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1. संबंधित व्यय प्रभाणक जो लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया उसमे टिन नं 098153062545 अंकित हैं। जिसको भदोही जनपद की टिन नं. सूची में जांच करने पर नहीं पाया गया।

अतः उक्त संस्था द्वारा टैक्स नहीं जमा किया जा रहा हैं। विदित हैं की 1 जुलाई 2017 से प्रदेश में जी.एस.टी. लागू हैं। अतः बॉउचर जी.स. टी. भुक्तानीत होना चाहिये अतः स्पष्ट हैं की फर्जी बिल प्रस्तुत करके उक्त धन का व्यय उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम सचिव द्वारा अपनी पक्ष में किया गया ।

2. कार्य की मेजरमेंट पुस्तिका अप्राप्त रही।

हैंडपंप खराबी के सापेक्ष एक भी प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे। जिससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि हैंडपंप खराब थे। 3. हैंडपंप रिबोर किस स्थान पर हुआ अज्ञात रहा बिना स्थल के चयन के कार्य कराया जाना असंभव है। स्थान के विवरण ना देने से स्पष्ट है की उक्त कार्य काल्पनिक रूप से कोष वही में दर्शाकर धन का व्यय अपने पक्ष में किया गया है।

4. हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में दर्शाकर डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।

5. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

7. ग्राम पंचायत अनुभाग तीन के शासनादेश संख्या 51/2017/1211/33-3-2017-46/2015 दिनांक 19.06.2017 के इंडिया मार्क हैंडपंप रिबोर की गाइडलाइन के अनुसार हैंडपंप रिबोर के संदर्भ में जल निगम की प्रतीक्षा सूची लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे।

8. अज्ञात हैंडपंप रिवोर रू 124689-44 दर्शाया गया है। इस प्रकार रु 124689=44 का हैंडपंप रिबोर कार्य को काल्पनिक रूप से दर्शा कर फर्जी व्ययप्रमाणक प्रस्तुत करके व्यय उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है अतः उक्त की संयुक्त रुप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती श्रीमती उमा देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील सिंह पटेल द्वारा किया जाना अपेक्षित हैं **(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**ग्राम पंचायत का नाम डभका विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-44**

के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचना को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु०2344489=00 आहरण करके व्यय किया गया उक्त धनराशि ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक' रसीद पक, स्टाक पंजी, भुगतान की पुष्टि में भाप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमापत्र कर कटौती रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रु 2344489=00 उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपने पक्ष में किया गया के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है। स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग दवारा उक्त व्यय धनराशि रु० 2344489=00 को पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 297 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे-आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुरेंदुचंद एवं प्रधान श्रीमती मनभावती देबी देवी द्वारा वसूल किया जाना आपेक्षित है ।**(सामान्य आपत्ति संख्या - )**

**ग्राम पंचायत का नाम गगैनी विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-45**

ह्यूम पाइप से संबंधित निम्नलिखित व्यय हुआ

| क्र. सं. | दिनाक | भुगतान की राशि | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|
| 1 | 29-07-19 | 90000-00 | रिशी इन्टरप्राइजेज |
| 2 | 29-07-19 | 8919-00 | प्रधान |
| | योग | 98919-00 | |

1 उपर्युक्त के संदर्भ में हयूमपाइप का प्रयोग किस कार्य के संदर्भ में किया गया है उसका विवरण स्पष्ट नहीं रहा बिना कार्यस्थल के संपूर्ण भुगतान संदिग्ध है। 2. प्रस्तुत व्यय प्रमाणक बाउचर न. 44 पर दिनाक अंकित नहीं थी। रिशी इन्टरप्राइजेज (जीएसटी न.09 एएसएफपीएम 5989।बी1जेडडी) नेट पर जांच करने पर इनवैलिड जीएसटी ज्ञात हुआ | अर्थात उक्त फर्म के द्वारा उक्त बिल पर टैक्स भुगतान नहीं किया गया |

4. उक्त के सापेक्ष कोटेशन अनुपालन की स्थति अज्ञात रही।

5. इस कार्य में गिट्टी बालू सीमेंट छड़ आदि पर कुछ भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।

6. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। कृत कार्य का त्रिस्तरीय फोटो अप्राप्त रहा।

7. कार्य की एमबी अप्राप्त रही। जिसके अनुसार प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि की जा सके।

अतः हयूम पाइप कार्य कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर फर्जी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत करके व्यय उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान श्री रामजीत एवं सचिव श्री विनोद कुमार कौशल द्वारा अपने पक्ष में किया गया अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। **सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**प्रस्तर-46**

ग्राम पंचायत में गगैनी आर. सी. सी. बेंच क्रय के सापेक्ष निम्न प्रकार व्यय किए गए हैं :

| क्रम सं. - | दिनांक | भुगतान | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|
| 1 | 4/12/19 | 187500 | रिशी इन्टरप्राइजेज |
| | -योग | 187500-00 | |

उक्त के सापेक्ष निम्न आपतिया हैं :1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे। "ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अंतर्गत आती है।" मदाहा भुगतान प्राप्तकर्ता 2. उक्त के सापेश टेन्डर अनुपालन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया | 3. उक्त कार्य में रु 187500=00 का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही। 4. संबंधित के फोटो अप्राप्त रहे। 5. बैच के लेखे डेड स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है की कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करके व्यय उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री रामजीत एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विनोद कुमार कौशल द्वारा किया जाना अपेक्षित है । अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**ग्राम पंचायत का नाम गोरीडीह विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-47**

निम्न वितरण के अनुसार हैन्डपंप रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया है -

| दिनांक | भुगतान की राशि | भुगतान प्राप्तकर्ता | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|
| 19-12-19 | 31266-00 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैन्डपंप रिबोर |
| 19-12-19 | 31391-00 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैन्डपंप रिबोर |
| 19-12-19 | 31391-00 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैन्डपंप रिबोर |
| 21-03-20 | 30110-00 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैन्डपंप रिबोर |
| 21-03-20 | 30115-00 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैन्डपंप रिबोर |
| 21-03-20 | 31120-00 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैन्डपंप रिबोर |
| 21-03-20 | 30126-00 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैन्डपंप रिबोर |
| 21-03-20 | 31141-00 | पूनम इन्टर प्राइजेज | हैन्डपंप रिबोर |
| | 246660-00 | | |

उक्त के सापेक्ष निम्न आपतिया हैं :

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अंतर्गत आती है।"

2. उक्त के सापेश टेन्डर अनुपालन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया|

3. उक्त कार्य में रु. 246660=00का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष सक्षम अधिकारी से ली गई वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

4. संबंधित के फोटो अप्राप्त रहे ।

5. कार्य की माप पुस्तिका अप्राप्त रही। हैन्डपंप खराबी के सापेक्ष एक भी प्रार्थनापत्र लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहे | जिससे इस बात की पुष्ट नहीं होती है की हैन्ड पंप खराब थे

6. हैन्ड पंप रिबोर किस स्थान पर हुआ अज्ञात रहा बिना स्थल के चयन के कार्य कराया जाना असंभव स्थान के है। स्थान के विवरण न देने से स्पष्ट है की उक्त कार्य काल्पनिक रूप से कोशबही में दर्शाकर फर्म को ट्रांसफर करते हुए धन का व्यय अपने पक्ष में किया गया|

7. हैन्ड पंप से निकली डिस्पोज़ल सामग्री, डिस्पोज़ल स्टॉक रजिस्टर में प्रस्तुत नहीं किया गया

8. कार्य पूर्ति प्रमाणपत्र लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा

अतः अज्ञात रिबोर रु. 246660=00 कोशवही में दर्शाया गया हैं । इस प्रकार रु 246660= 00 का हैन्ड पंप रिबोर कार्य को काल्पनिक रूप से दर्शा कर व्यय उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी सिंह एवं ग्राम विकास अधि. श्री सुनील पटेल द्वारा अपनी पक्ष में किया गया | अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील पटेल द्वारा किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**प्रस्तर-48**

ग्राम पंचायत गोरीडीह में डेस्क बेंच क्रय के सापेक्ष निम्न प्रकार व्यय किया गया ।

| क्रम सं | दिनांक | भुगतान | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|
| 1. | 03-02-20 | 199200-00 | माँ विंध्यावासिनी ट्रेडर्स |

उक्त के सापेक्ष निम्न आपतिया है।

1. प्रस्तुत व्यय प्रमाणक बाउचर नं 181 माँ विंध्यावासिनी ट्रैडर्स (जीएसटी नं 09 बीवाईएसपीएम 3216आर1जेड1) नेट पर जांच करने पर इन्वैलड जीएसटी ज्ञात हुआ| अर्थात उक्त फर्म द्वारा फर्म द्वारा उक्त बिल पर टैक्स भुगतान नहीं हुआ|

2. उक्त के सापेक्ष टेन्डर की स्थिति अज्ञात रही।

3.उक्त के फोटो अप्राप्त रहे ।

4. डेस्क बेंच के लेखे डेड स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर डेड स्टॉक रजिस्टर लेख परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया

अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती बेबी सिंह एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री सुनील पटेल द्वारा किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**ग्राम पंचायत का नाम खरगापुर विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-49**

ग्राम पंचायत खरगापुर विकासखंड औराई जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए |जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु1217192-00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 1217192=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री विनय कुमार एवं ग्राम प्रधान श्री अरुण कुमार से वसूल किया जाना आपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**ग्राम पंचायत का नाम कोइलरा विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-50**

ह्यूम पाइप से संबंधित निम्नलिखित व्यय हुआ

| क्र. सं. | दिनाक | भुगतान की राशि | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|
| 1 | 26-10-19 | 61000-00 | विजय ट्रेडर्स |
| | योग | 61000-00 | |

1 उपर्युक्त के संदर्भ में हयूमपाइप का प्रयोग किस कार्य के संदर्भ में किया गया है उसका विवरण स्पष्ट नहीं रहा बिना कार्यस्थल के संपूर्ण भुगतान संदिग्ध है।

2 उक्त के सापेक्ष कोटेशन अनुपालन की स्थति अज्ञात रही।

3 इस कार्य में गिट्टी बालू सीट 5 आदि पर कुछ भी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है।

4. कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा।

7. कार्य की एमबी अप्राप्त रही। जिसके अनुसार प्रयुक्त सामग्री की पुष्टि की जा सके। अतः हयूम पाइप कार्य कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करके व्यय उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री श्री मुकेश एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा श्री राम सूरत यादव किया जाना अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**प्रस्तर-51**

ग्राम पंचायत कोइलरा में आर। सी. सी. बेंच क्रय के सापेक्ष निम्न प्रकार व्यय किए गए हैं :

| क्रम सं. | दिनांक | भुगतान | भुगतान प्राप्तकर्ता |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/12/19 | 120000-00 | विजय ट्रेडर्स विजय |
| 2 | 2/12/19 | 120000-00 | विजय ट्रेडर्स विजय |
| 3 | 5/12/19 | 120000-00 | विजय ट्रेडर्स विजय |
| | योग | 360000-00 | |

उक्त के सापेक्ष निम्न आपतिया हैं :

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे

"ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अंतर्गत आती है।"

2. 3क्त के सापेश टेन्डर अनुपालन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया |

3. उक्त कार्य में रु. 360000=00 का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष सक्षम अधिकारी से ली गई वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

4. संबंधित के फोटो

5. बैच के लेखे डेड स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है की कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करके व्यय उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री द्वारा किया जाना अपेक्षित है ।अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री मुकेश एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री राम सूरत यादव द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**ग्राम पंचायत का नाम महदवॉ विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-52**

ग्राम पंचायत महदवाँ विकासखंड औराई जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए | जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु 635279 = 00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है। और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 635279=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री पुरेनद्रचंद्र प्रधान श्री सूर्यलाल से वसूल किया जाना आपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**ग्राम पंचायत का नाम महथुआ विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-53**

ग्राम पंचायत के अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये| प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल रु०3074110=00 आहरण करके व्यय किया गया|

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक' रसीद बुक, व्यय प्रमाणक, स्टाकपंजीका भुगतान की पुष्टि में नाम पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमापत्र, कर कटौती आदि नहीं रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है। 1

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि रु 3074110=00 उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरणकर व्यय अपने पक्ष में किया गया है। ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शायी गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है। स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०3074110=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे-आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीपुरेनद्रचंद्र एवं ग्राम प्रधान श्रीमती रीना देवी द्वारा वसूल किया जाना आपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या - )**

**ग्राम पंचायत का नाम बर्जीकला विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-54**

ग्राम पंचायत बर्जिकला विकासखंड औराई जनपद भदोही कि लेखा परीक्षा में अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए | जबकि उनके द्वारा प्रियासॉफ्ट पर अपलोड की गई सूचनाओं को देखने से स्पष्ट हुआ कि कुल क 1349991=00 आहरण करके व्यय किया गया।

उक्त धनराशि द्वारा ग्राम पंचायत के द्वारा वर्ष में किये गये व्यय के सापेक्ष न तो कैशबुक, रसीद बुक व्यय प्रमाणक (स्टाक पंजिका भुगतान की पुष्टि में माप पुस्तिका, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र कर कटौती आदि नहीं रखा गया है और न ही ग्राम पंचायत द्वारा तैयार की गई है। ।

अतः स्पष्ट है कि अभिलेखों के अभाव में वर्ष में व्यय धनराशि उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा धनराशि का अपहरण कर व्यय अपनी पक्ष में किया गया है।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैन्युल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय के परिपेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराने की दशा में दर्शाई गई धनराशि गबन के अन्तर्गत आता है।" स्पष्ट है कि लेखा परीक्षा विभाग द्वारा उक्त व्यय धनराशि रु०. 1349991=00 को उ०प्र० पंचायती राज नियमावली 1947 के नियम 256 एवं 257 के अन्तर्गत अधिभार की कार्यवाही संस्तुत की जाती है। अधिभारित धनराशि की ब्याज सहित वसूली के लिए आधे आधे का दायित्व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शशिभूषण मिश्र प्रधान श्री श्रीमती विमला देवी से वसूल किया जाना आपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**ग्राम पंचायत का नाम विक्रमपुर विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-55**

ग्राम पंचायत में निम्न प्रकार कोशवही में स्टेशनरी क्रय एवं प्रशासनिक मद में व्यय किया जाना दर्शित

| क्रम सं | दिनांक | धनराशि |
|---|---|---|
| 1. | 30-7-19 | 10000-00 |
| 2 | 13-1-20 | 15000 00 |
| | योग | 25000-00 |

उक्त के सापेक्ष निम्न आपतिया हैं

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अंतर्गत आती है।"

2 - क्या क्रय किया गया, कितनी नग क्रय किया गया, किस दर से क्रय किया गया, की जानकारी अप्राप्त रही श्री रमेश सिंह

3-उक्त से स्पष्ट हैं उक्त को काल्पनिक रूप से कोशवही में दर्शित कर व्यय उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी द्वारा अपने पक्ष में किया गया । अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश सिंह द्वारा किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**प्रस्तर-56**

ग्राम पंचायत विक्रमपुर में दिनांक 2-4-19 को राधा इन्टर प्राइजेज से डस्टबिन रु. 79200=00 के क्रय किए गए हैं : उक्त के सापेक्ष निम्न आपत्तिया हैं :

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अंतर्गत आती है।"

2-मेजरमेंट पुस्तिका अप्राप्त रही ।

3- उक्त के सापेक्ष कोटेशन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया |

4-डस्टूबिन स्थापना किन स्थानों पर हुई यह भी अज्ञात रहा ।

5- डस्टूबिन के लेखे डेड स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर डेड स्टॉक लेख परीक्षा उक्त के अभाव में स्पष्ट हैं ग्राम पंचायत में किसी प्रकार का डस्ट्बन स्थापित नहीं कराया गया हैं उक्त व्यय को कोशवही में कूटरचित तरीके से दर्शित करते हुए व्यय ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश सिंह एवं ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी द्वारा अपने पक्ष में किया गया। अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता देवी से 39600 = 00 एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री रमेश सिंह द्वारा रु.39600=00 किया जाना अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**ग्राम पंचायत का नाम दवनपुर विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-57**

ग्राम पंचायत में दिनांक 20-2-20 को माँ विध्यावासिनी ट्रेडर्स से रु.196800-00 केबेंच क्रय किया जाना कोशवही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष निम्न आपतिया है -

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8 (क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य मेंप्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अंतर्गत आती है।"

2. उक्त के सापेक्ष टेन्डर अनुपालन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

3. उक्त कार्य में रु 196800=00 का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष वितीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में
अप्राप्त रही।

4. संबंधित के फोटो अप्राप्त रहे ।

5. बैच के लेखे डेड स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं कियागया। अतः स्पष्ट है की कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करके व्ययउत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली :उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम दुबे एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री शशिभूषण मिश्र द्वारा किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारीद्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**ग्राम पंचायत का नाम कुरौना विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-58**

ग्राम पंचायत में दिनांक 10-12-19 को माँ रिशी इन्टरप्राइजेज से रु. 187500=00 के आर. सी. सी बेंच क्रय किया जाना कोशवही में दर्शित है। जिसके सापेक्ष निम्न आपतिया है :-

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अंतर्गत आती है।"

2. उक्त के सापेश टेन्डर अनुपालन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया|

3. उक्त कार्य में रु 187500=00 का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा मेंअप्राप्त रही।

4. संबंधित के फोटो अप्राप्त रहे ।

5. आर. सी. सी बैच के लेखे डेड स्टॉक रजिस्टर में अंकित कर डेड स्टॉक रजिस्टर लेखा परीक्षा मेंप्रस्तुत नहीं किया गया। अतः स्पष्ट है की कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय प्रमाणक नप्रस्तुत करके व्यय उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया है अतः उक्त की संयुक्तरूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री उमाशंकर एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री विनय कुमार द्वारा

किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**ग्राम पंचायत का नाम उदय करनपुर विकास खण्ड औराई जिला भदोही**

**प्रस्तर-59**

ग्राम पंचायत में दिनांक 5-2-20 को रोशनी बिल्डिंग मटीरीअल से हैन्डपम्प सामग्री रु. 36120=00 क्रय किया जाना एवं उक्त के सापेक्ष रु 11584=00 मजदूरी भुगतान कोशवही मे दर्शित हैं |

जिसके सापेक्ष निम्न आपत्तिया हैं

1. संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।

"ग्राम पंचायत के लेखा मैनुअल अध्याय 8 के प्रस्तर 8(क) के अनुसार व्यय धनराशि के परिप्रेक्ष्य में प्रमाणक उपलब्ध नहीं की दशा में धनराशि गबन के अंतर्गत आती है। "

2. उक्त के सापेश कोटेशन अनुपालन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।

3. उक्त कार्य में रु 47704=00 का व्यय किया गया जिसके सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।

4. संबंधित के फोटो अप्राप्त रहे ।

5. हैन्डपंप सामग्री की पुष्टि स्टॉक रजिस्टर द्वारा नहीं कराई गई |हैन्डपम्प खराबी के सापेक्ष किसी प्रकार के प्रार्थना पत्र लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहें। अतः स्पष्ट है की कोशवही में काल्पनिक रूप से दर्शाकर व्यय प्रमाणक न प्रस्तुत करके व्यय उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान एवं सचिव द्वारा अपने पक्ष में किया गया. है अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री विमलेश एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीमती गीता देवी द्वारा किया जाना अपेक्षित है |अतः उक्त की संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

**(सामान्य आपत्ति संख्या -11)**

**ग्राम पंचायत का नाम घरॉव विकास खण्ड ज्ञानपुर जिला भदोही**

**प्रस्तर-60**

निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप रिबोर पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 03-07-2019 | 90000-00 | सबरी पप्पू व विशाल का हैंडपंप रिबोर | जय अंबे इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 03-03-2019 | 90000-00 | विजय सोमदेव व मोहन का हैंडपंप रिबोर | जय अंबे इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 03-08-2019 | 89700-00 | अशोक राम सरवन व पत्रालाल हैंडपंप रिबो | परी इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| योग | 269700 | | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1 संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही।

3 हैंडपंप रिबोर की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ

4 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण होने की स्थिति अज्ञात रही।

5 ग्राम पंचायत द्वारा हैंडपंप रिबोर सामग्री क्रय किया जाना कोषांकित है परंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है नहीं हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंद्रियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है। हैंडपंपों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के आगणनशीत/स्टीमेट सक्षम तकनीकी अधिकारियों से तैयार न करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है। इस प्रकार व्यय प्रमाणक न होने से स्टॉक रजिस्टर में अंकन ना होने से और आगणन सीट तैयार कर क्रय की पुष्टि न करवा के रुपया 269700.00 का वित्तीय अपहरण किया गया है जिसके लिए प्रधान श्री विनोद कुमार और ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी रहे हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है **(सामान्य आपत्ति संख्या -12)**

**प्रस्तर-61**

ग्राम पंचायत घरॉव निम्न वितरण के अनुसार हैंडपंप मरम्मत पर ग्राम सभा द्वारा व्यय किया गया है

| दिनांक | भुगतान की राशि | कार्य का नाम | भुगतान प्राप्त कर्ता | स्थान |
|---|---|---|---|---|
| 18-07-19 | 12600 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | प्रधान | अज्ञात |
| 20-7-19 | 36000 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | आदर्श इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 02-1-2020 | 35450 | हैंडपंप मरम्मत सामग्री | आदर्श इंटरप्राइजेज | अज्ञात |
| 24-1-2020 | 3276 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | विजय | अज्ञात |
| 24-1-2020 | 3276 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | नन्हे लाल | अज्ञात |
| 24-1-2020 | 6480 | हैंडपंप मरम्मत मजदूरी | धर्मेंद्र | अज्ञात |
| योग | 97082-00 | | | |
| | | | | |

उक्त विवरण से संबंधित निम्नलिखित आपत्तियां हैं

1 सामग्री एवं मजदूरी से संबंधित व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे।

2 कार्य की एमबी अप्राप्त रही

3 हैंडपंप मरम्मत की स्थल सूची लाभार्थियों का विवरण अप्राप्त रहा।

4 कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा फलतः कार्य पूर्ण अपूर्ण की स्थिति अज्ञात रही।

5 कार्य के सापेक्ष मजदूरी संबंधी व्यय प्रधान द्वारा किया गया है और इसकी पुष्टि में मस्टररोल अप्राप्त रहा। व्यक्तियों को दी गई मजदूरी की दर भी अलग-अलग है जिसका स्पष्टीकरण अपेक्षित है

6 वित्तीय नियम संग्रह खंड 1 व शा.सं.-ए-1-864@ दस दिनांक 23-09-2008 के अनुसार निर्माण के लिए किसी भी प्रकार की सामग्री को क्रय करने में (20000 से अधिक और एक लाख तक) कोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए परंतु कोटेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

7 उक्त कार्यों पर व्यय की स्वीकृति के पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति नहीं ली गई हैं जबकि ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबंधन हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 5 के प्रस्तर 2 के अनुसार हैंडपंप मरम्मत के कार्यों पर व्यय से पूर्व जल प्रबंधन समिति की संस्तुति ली जानी अपेक्षित थी।

8 उक्त हैंडपंप मरम्मत सामग्री क्रय किया जाना कोषाकिंत है। किंतु उक्त मद की क्रय सामग्री की प्रविष्टि ना तो स्टॉक रजिस्टर में किया गया है और ना ही हैंडपंप से निकली डिस्पोजल सामग्री का इंडियाज डिस्पोजल स्टॉक रजिस्टर में किया गया है।

हैंडपंप में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों के आगणन सीट /स्टीमेट सक्षम अधिकारी से तैयार ना करवाए जाने के कारण क्रय सामग्रियों के औचित्य की पुष्टि नहीं होती है।

इस प्रकार हैंडपंप मरम्मत पर रुपया 97082-00 का व्यय कैशबुक में काल्पनिक रूप से दर्शन करके बिना व्यय प्रमाणकों एवं स्टॉक रजिस्टर आदि के अभाव में अपहरण का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है जिसकी ब्याज सहित वसूली संयुक्त रूप से उत्तरदायी तत्कालीन प्रधान श्री विनोद कुमार और ग्राम विकास अधिकारी श्री ज्ञानेंद्र सिंहसे की जानी अपेक्षित है। **(सामान्य आपत्ति संख्या - 13)**

**प्रारूप—4 ग्राम पंचायत**
**जनपद—मीरजापुर**
**मण्डल—विन्ध्याचलधाम**

1. **ग्राम पंचायत—सकरौड़ी          विकास खण्ड—जमालपुर**

**प्रस्तर—1 ग्राम पंचायत सकरौड़ी के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्प मरम्मत के कार्य कराये गये है जिसमें कुछ निष्प्रयोज्य सामग्री ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई जिसकी नीलामी ग्राम पंचायत द्वारा नही करायी गयी, नीलामी न कराये जाने के कारण इन निष्प्रयोज्य सामग्रियो का वास्तविक कुल मूल्य ज्ञात नही हो सका तथा इनके वास्तविक मूल्य का आंकलन भी नही कराया गया।**
**लेखा परीक्षा की दृष्टि से इन निष्प्रयोज्य सामग्रियो का अनुमानित मूल्य रु0 20,000.00 (बीस हजार रुपया) आंकलित किया जाता है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान रु0क्मणी देवी तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी श्री रामदूत से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—01)**

2. **ग्राम पंचायत—सुरहां          विकास खण्ड—जमालपुर**

**प्रस्तर—2 ग्राम पंचायत सुरहा के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में यह तथ्य प्रकाश में आया कि आलोच्य वर्ष में हैण्ड पम्प मरम्मत के कार्य कराये गये है जिसमें कुछ निष्प्रयोज्य सामग्री ग्राम पंचायत को प्राप्त हुई जिसकी नीलामी ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करायी गयी, नीलामी न कराये जाने के कारण इन निष्प्रयोज्य सामग्रियो का वास्तविक कुल मूल्य ज्ञात नही हो सका तथा इनके वास्तविक मूल्य का आंकलन भी नहीं कराया गया।**
**लेखा परीक्षा की दृष्टि से इन निष्प्रयोज्य सामग्रियो का अनुमानित मूल्य रु0 11,000.00 (ग्यारह हजार रुपया) आंकलित किया जाता है। जिसकी वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राम दुलार तथा तत्कालीन ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री शहनवाज हुसैन से संयुक्त रूप से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है**
**(मूल आपत्ति संख्या—02)**

3. **ग्राम पंचायत—जलालपुर          विकास खण्ड—जमालपुर**

**प्रस्तर—3 ग्राम पंचायत जलालपुर वर्ष 2019-20 के अभिलेखों / कैशबुक की जॉच में पाया गया कि दिनांक 01.01.2020 को 44 नग सोलर लाईट कुल रु0 197120.00 क्रय करना कैशबुक में दर्शित है जिसके सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक अप्राप्त रहे ।**
**लेखा मैनुअल के अध्याय - 8 के अनु० 8 (क) के अनुसार व्यय प्रमाण, विहीन वित्तीय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली प्रत्येक सम्बन्धित पक्षों से की जायेगी। इस प्रकार रु0 197120.00 का अपहरण है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी श्री अनिल कुमार से बराबर - बराबर किया जाना आवश्यक है। (मूल आपत्ति संख्या—01)। लेखापरीक्षा**

4. **ग्राम पंचायत—तेतरिया कला खुर्द          विकास खण्ड—जमालपुर**

**प्रस्तर—4 ग्राम पंचायत तेतेरिया कलॉ खुर्द के वर्ष 2019-20 के अभिलेखो की जाँच में निम्नांकित विवरणानुसार धनराशि कोष रजिस्टर से खारिज किया गया है किन्तु प्रमाणक लेखा परीक्षा पटल पर मांग के बावजूद भी प्रस्तुत नही किया गया है।**

| क्र० सं० | वा० सं० | दिनांक | धनराशि | कार्य का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02 | 25.04.2019 | 65000.00 | प्रा०वि० तेतरिया कला खुर्द में बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु सामग्री क्रय |
| 2. | 03 | 25.04.2019 | 42000.00 | प्रा०वि० तेतरिया कला खुर्द में बाउण्ड्री वाल निर्माण हेतु सामग्री क्रय |
| 3. | | 29.05.2019 | 21340.00 | उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान |
| 4. | | 29.05.2019 | 32045.00 | उक्त कार्य पर मजदूरी भुगतान |
| योग - | | | 160385.00 | |

अतः कुल रु0० 160385.00 प्रमाणक विहिन धनराशि कोष रजिस्टर से खारिज अपहरण किया गया है जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्री रामकेस व ग्राम पंचायत / विअधिकारी श्री अनिल कुमार से बराबर-बराबर भाग में ब्याज सहित किया जाना आवश्यक है । (मूल आपत्ति संख्या—02)

5. ग्राम पंचायत—पंवारी खुर्द विकास खण्ड—हलिया

प्रस्तर—5 आलोच्य वर्ष में कोष बही में निम्नविवरणानुसार भिन्न-भिन्न तिथियों में निर्माण सामग्री क्रय के सापेक्ष भुगतान खारिज किया गया है:

| दिनांक | कार्य का नाम | सामग्री का नाम / विवरण | फर्म का नाम जिसेभुगतान किया गया है | भुगतान का विवरण / मोड | भुगतानित धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2019 | पंवारी लिंक रोड से पन्ना के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री / अज्ञात | मेसर्स गुलबहार अली | पी० एफ. एम० एस० ( 14वें वित्त ) | 16000.00 |
| 11.01.2020 | सोनगढ़ा मेन रोड से पप्पु के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | इण्टरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री / अज्ञात | मेसर्स गुलबहार अली | पी0 एफ. एम० एस० (14वें वित्त) | 45544.00 |
| योग | | | | | 205544.00 |

उपरोक्तानुसार क्रय सामग्री का व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा जिससे क्रय सामग्री का विवरण अज्ञात रहा। साथ ही कोष बही के अनुसार दिनांक 31.3.2020 तक उपरोक्तानुसार दर्शित कार्यो पर मजदूरी पर व्यय शून्य है जिससे स्पष्ट है कि क्रय सामग्री का उपभोग दिनांक 31.3.2020 तक नहीं हुआ है और न हीं लेखा परीक्षा में उक्त सामग्री का स्टाक पूँजी हीं उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार उपरोक्तानुसार क्रय सामग्री जिसका कुल कीमत रु० 205544.00 होता है का तत्कालीन प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है जिसकी ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी ग्राम प्रधान हबीब अली व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री अरविन्द कुमार से की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—01)

6. ग्राम पंचायत—गजरिया विकास खण्ड—हलिया

प्रस्तर—6 आलोच्य वर्ष में कोष बही में चौदहवें वित्त योजनान्र्तगत निम्नविवरणानुसार हैण्डपम्प मरम्मत पर 300000.00 व्यय किया गया है :

| दिनांक | चेक सं० | फर्म का नाम जिसे भुगतान किया गया है | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 22.07.2019 | 02647 | मेसर्स नीर ( सामग्री क्रय) | 150000.00 |
| 23.07.2019 | 02648 | मेसर्स नील ( सामग्री क्रय) | 150000.00 |

योग 300000.00

हैण्डपम्प मरम्मत हेतु लाभार्थी का माँग पत्र एवं मरम्मत हेतु सामग्री मूल्य व मजदूरी का आगणन तथा माप पुस्तिका लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत रहा। साथ हीं हैण्डपम्प मरम्मत कहाँ कराया गया, विवरण अनुपलब्ध रहा। हैण्डपम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान भी नहीं किया गया है। इस प्रकार हैण्डपम्प मरम्मत पर किया गया व्यय रु0 300000.00 पूर्णतः अनियमित रहा जिस हेतु उत्तरदायी प्रधान अंजना देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिव शंकर सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित रहा।(मूल आपत्ति संख्या—06)

7. ग्राम पंचायत—खम्हरिया दमुआन विकास खण्ड—छानबे

प्रस्तर—7 दिनांक 26.06.2019 को चेक संख्या 061879 के द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रु० 19200.00 तथा दिनांक 24.03.2019 को पी एफ एम एस संख्या 8708 के द्वारा सामग्री क्रय का भुगतान रु० 19500.00 कुल रु० 19200+19500=38700.00

भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक / बिल वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, और न ही मरम्मत पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की रिपोर्ट ही प्रस्तुत रहा | इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय दर्शाकर रु० 38700.00 का अपहरण किया गया है | अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री धीरेन्द्र ( ग्राम प्रधान) एवं श्री प्रकाश चन्द्र दुबे (ग्राम पंचयत विकास अधिकारी) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |(मूल आपत्ति संख्या—03)

प्रस्तर—8 दिनांक 02.07.2019 को कोष पंजिका में अंकित हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान रु० 4344.00 एवं दिनांक 23.03.2020 को कोष पंजिका के अनुसार रु०4336.00भुगतानित है अतः कुल भुगतान रु० 4344+4336= 8680.00 किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक / मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया । इस प्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शाकर धनराशि रु० 8680.00 का अपहरण किया गया है |अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री धीरेन्द्र ( ग्राम प्रधान ) एवं श्री प्रकाश चन्द्र दुबे ( ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है | (मूल आपत्ति संख्या—04)

8. ग्राम पंचायत—सेमरी विकास खण्ड—छानबे

प्रस्तर—9 दिनांक 26.06.2019 को चेक संख्या 027577के द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत सामग्री का भुगतान रु० 19300.00 तथा दिनांक 21.12.2019 को पी एफ एम एस संख्या 4261 के द्वारा सामग्री क्रय का भुगतान रु० 19500.00 कुल रु० 19300+19500=38800.00 भुगतान किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमाणक / बिल वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही मरम्मत पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा हैण्ड पम्प खराब होने की रिपोर्ट ही प्रस्तुत रहा | इस प्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शाकर रु० 38800.00 का अपहरण किया गया है | अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री मनोज ( ग्राम प्रधान) एवं श्री प्रकाश चन्द्र दुबे ( ग्राम पंचयत विकास अधिकारी) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—03)

प्रस्तर—10 दिनांक 26.06.2019 को चेक संख्या 027579 के द्वारा हैण्ड पम्प मरम्मत मजदूरी का भुगतान रु० 4344.00 एवं दिनांक 26.12.2019 को कोष पंजिका के अनुसार रु० 3620.00भुगतानित है अ अतः कुल भुगतान रु० 4344+3620= 7964.00 किया गया है जिसकी पुष्टि हेतु कोई भी व्यय प्रमानाक / मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया | इस प्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शाकर धनराशि रु० 7964.00 का अपहरण किया गया है |अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री मनोज ( ग्राम प्रधान ) एवं श्री प्रकाश चन्द्र दुबे ( ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |(मूल आपत्ति संख्या—04)

9. ग्राम पंचायत—गौरा विकास खण्ड—छानबे

प्रस्तर—11 दिनांक 03.03.2020 को मेन रोड से शिवशंकर के घर तक इंटरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय रु० 1,74,771.00 संगीता ईंट उद्योग को भुगतान किया जाना कोषबही में अंकित है, किन्तु भुगतानित धनराशि के बिल वाउचर / प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही सम्बंधित कार्य का स्टॉक रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत किये गये | इस प्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शा कर रु० 1,74,771.00 का अपहरण किया गया है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती विद्या देवी ( ग्राम प्रधान ) तथा श्री सुरेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ) से संयुक्त रूप से उक्त धनराशि की ब्याज सहित वसूली की जानी चाहिए साथ ही विभागीय कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है |( (मूल आपत्ति संख्या—03)

प्रस्तर—12 दिनांक 07.03.2020 को नाली निर्माण एवं मरम्मत कार्य सिपाही के घर से गढ़ही तक सामग्री क्रय रु० 1,58,848.00 भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है, किन्तु भुगतानित धनराशि के बिल वाउचर / प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए और न ही सामग्री क्रय / कार्य का स्टॉक रजिस्टर, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत किये गये | इसप्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है|अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती विद्या देवी (ग्राम प्रधान) तथा श्री सुरेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाय, एवं विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—04)

प्रस्तर—13 दिनांक 24.03.2020 को प्राथमिक स्कूल शिवराजपुर ग्राम में बाउंड्री वाल निर्माण हेतु रु० 94048.00 का भुगतान कोषबही में दर्शित है, जिसका बिल वाउचर / प्रमाणक लेखा परीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही सम्बंधित कार्य का स्टॉकबुक, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत किये गये | इसप्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शाकर उक्त धन का अपहरण किया गया है | अंतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती विद्या देवी (ग्राम प्रधान ) एवं श्री सुरेश प्रताप सिंह ( ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाय, एवं विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—05)

**प्रस्तर—14** दिनांक 24.03.2020 को मेन रोड से खडंजा तक इंटरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय रु० 1,80,081.00 का भुगतान कोषबही में दर्शित है, जिसका कोई भी बिल वाउचर / प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए और न ही सम्बंधित कार्य का स्टॉकबुक, स्टीमेट, माप पुस्तिका आदि प्रस्तुत किये गए | इसप्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शाकर धन का अपहरण किया गया है | अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती विद्या देवी (ग्राम प्रधान) तथा श्री सुरेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से उक्त धनराशि ब्याज सहित वसूल किया जाय, साथ ही विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है | (मूल आपत्ति संख्या—06)

**10. ग्राम पंचायत—विजयपुर विकास खण्ड—छानबे**

**प्रस्तर—15** दिनांक 30.07.2019 को बडकू खटिक के घर से लालचंद के घर तक इंटरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय रु० 2,27,510.00 भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है, जिसका बिल वाउचर /प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही व्यय संबंधी अन्य पत्रावलियां जैसे- मस्टर रोल, स्टॉकबुक, स्टीमेट, माप पुस्तिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किये गये | इसप्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है। अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री मनोज कुमार ( ग्राम प्रधान) एवं श्री हरिशचंद बिन्द (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है साथ ही विभागीय कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—03)

**प्रस्तर—16** दिनांक 30.07.2019 को मेठ के घर से रोड तक इंटरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय रु० 2,25,010.00 भुगतान किया जाना कोषबही में दर्शित है, जिसका बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही व्यय संबंधी अन्य पत्रावलियां जैसे- मस्टर रोल, स्टॉकबुक, स्टीमेट, माप पुस्तिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किये गये | इसप्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है | अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री मनोज कुमार ( ग्राम प्रधान ) एवं श्री हरिशचंद बिन्द (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है साथ ही विभागीय कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—04)

**प्रस्तर—17** दिनांक 30.07.2019 को पांडेयपुर रोड से रामदेव के घर तक इंटरलाकिंग कार्य हेतु सामग्री क्रय रु० 2,24,810.00 भुगतान किया जाना दर्शित है, जिसका बिल वाउचर / व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गये और न ही व्यय संबंधी अन्य पत्रावलियां जैसे - मस्टर रोल, स्टॉकबुक, स्टीमेट, माप पुस्तिका, सार्वजनिक निर्माण पंजिका तथा कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत किये गये | इसप्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शा कर धन का अपहरण किया गया है | अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्री मनोज कुमार ( ग्राम प्रधान ) एवं श्री हरीशचंद बिन्द (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना चाहिए, साथ ही विभागीय कार्यवाही भी किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—05)

**11. ग्राम पंचायत—विजयपुर विकास खण्ड—छानबे**

**प्रस्तर—18** निम्नांकित तिथियों में होरीलाल मल्लाह के घर से जितेन्द्र के घर तक खडंजा निर्माण हेतु निम्न सामग्री क्रय एवं पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना कोषबही में अंकित है। जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर तथा मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इसप्रकार व्यय की पुष्टि न कराना धन का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है। जिसका विवरण निम्नवत है—

| दिनांक | क्रय सामग्री | धनराशि |
|---|---|---|
| 09.10.2019 | 22650 नग ईंट क्रय दर 6500/ | 147225.00 |
| 09.10.2019 | 62 बोरी दर 380/- बोरी | 23560.00 |
| 09.10.2019 | 1.50 घन मी दर 2050 / घन मी०मोटी बालू | 3075.00 |
| 09.10.2019 | 7.30 घन मी० दर 1990 / घन मीमहीन बालू | 14527.00 |
| 09.10.2019 | 15.40 घन मी • दर 700 / घन मी० लोकल बालू | 10780.00 |
| 09.10.2019 | 3 घन मी० दर 1590 / घन मी०स्टोन गिट्टी | 4770.00 |

**योग— 2,03,937.00**

**एवं दिनांक 11.12.2019 मस्टररोल (10.10.2019 से 20.10.2019) तक— 42064.00**

**योग— 2,46,001.00**

**अतः उक्त धनराशि रु० 2,46,01.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फुलपत्ती देवी तथा ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार विश्वकर्मा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—03)**

प्रस्तर—19 निम्नांकित तिथियों में होरीलाल मल्लाह के घर से जितेन्द्र के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु निम्न सामग्री क्रय एवं पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना कोषबही में अंकित है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर तथा मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया | इसप्रकार व्यय की पुष्टि न कराना धन का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है | जिसका विवरण निम्न्वत है—

| दिनांक | क्रय सामग्री | धनराशि |
|---|---|---|
| 09.10.2019 | 8270 नग ईंट क्रय दर 6500/ | 53755.00 |
| 09.10.2019 | 65 बोरी सीमेंट दर 380/ | 24700.00 |
| 09.10.2019 | 2.40 घन मी0 मोटी बालू दर 2050/ | 4920.00 |
| 09.10.2019 | 6.70 घन मी0 महीन बालू दर 1990/ | 13333.00 |
| 09.10.2019 | 4.70 घन मी0स्टोन गिट्टी दर 1590/ | 7473.00 |
| 09.10.2019 | 128 नग पटिया दर 200/ | 25600.00 |
| योग— | 129781.00 | |
| दिनांक 16.12.2019 मस्टररोल (10.10.2019 से 20.10.2019) तक | | 24370.00 |
| योग— | 154151.00 | |

अतः उक्त धनराशि रु० 1,54,151.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फुलपत्ती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार विश्वकर्म्मा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है |(मूल आपत्ति संख्या—04)

प्रस्तर—20 निम्नांकित तिथियों में पक्की सड़क से कालीचरण धोबी के घर तक खडंजा निर्माण कार्य हेतु निम्न सामग्री क्रय एवं पारिश्रमिक भुगतान किया जाना कोषबही में अंकित है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/बिल वाऊचर तथा मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया | इसप्रकार व्यय की पुष्टि न कराना धन का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है जिसका विवरण निम्नवत है—

| दिनांक | क्रय सामग्री | धनराशि |
|---|---|---|
| 24.12.2019 | 8416 नग ईंट क्रय दर 6500/- तथा ईंट गिट्टी 7x11100 | 62475.00 |
| 24.12.2019 | सीमेंट 14बोरी x384/- मोटी बालू 1.59x2050/-,महीन बालू 25x700 तथा बालू 20.40x1980/ | 26227.00 |
| 22.02.2020 | मस्टररोल (11.01.2020 से 16.01.2020) तक - | 19750.00 |
| योग- | 1,09,152.00 | |

अतः उक्त धनराशि रु० 1,09,152.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फुलपत्ती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार विश्वकर्मा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—05)

प्रस्तर—21 निम्नांकित तिथियों में ओंकार पासी के घर से रामदास के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं पारिश्रमिक भुगतान किया जाना कोषबही में अंकित है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर तथा मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया | इसप्रकार व्यय की पुष्टि न कराना धन का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है जिसका विवरण निम्नवत है—

| दिनांक | क्रय सामग्री | धनराशि |
|---|---|---|
| 29.02.2020 | 6280 नग ईंट क्रय दर 6250/नग तथा 4.90 घन मी० ईंट गिट्टी दर 1055 / घन मी० | 46651.00 |
| 29.02.2020 | 54 बोरी सीमेंट दर 300/ बोरी, मोटी बालू 6.20 घन मीटर 2030/, 2.0 घन मी० महीन बालू दर 1980 / घन मी०, पटिया 181 नग x330/= | 100791.00 |
| 05.03.2020 | पारिश्रमिक (06.01.2020 से 13.01.2020 ) तक मस्टररोल - | 24706.00 |
| योग— | 1,72,148.00 | |

अतः उक्त धनराशि रु० 1,72,148.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फुलपत्ती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार विस्श्वकर्मा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—06)

प्रस्तर—22 निम्नांकित तिथियों में मानिकचंद के घर से राधेश्याम के घर तक पक्की नाली निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं पारिश्रमिक भुगतान किया जाना कोषबही में अंकित है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर तथा मस्टररोल लेखा

परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, इसप्रकार व्यय की पुष्टि न कराना धन का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है जिसका विवरण निम्नवत है—

**दिनांक** **क्रय सामग्री** **धनराशि**

**29.02.2020** **78 बोरी सीमेंट दर 300/, , मोटी बालू 9.90 घन मी दर 2030 /**

**फ़ाईन बालू 2.0 घन मी दर 1980/, 178 नग पाटिया दर 330/** **116542.00**

**29.02.2020** **7.20 घन मी० ईंट गिट्टी दर 1055/ ईंट 10500 नग X 6250/** **76898.00**

**05.03.2020** **पारिश्रमिक ( 18.12.2019 से 28.12.2019 ) तक मस्टररोल -** **33584.00**

**योग—** **2,27,024.00**

अतः उक्त धनराशि रु० 2,27,024.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फुलपत्ती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार विश्वकर्मा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—07)

प्रस्तर—23 निम्नांकित तिथियों में नहर से इन्द्रमणि के घर तक इंटरलाकिंग खडंजा निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं पारिश्रमिक भुगतान किया जाना कोषबही में अंकित है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक / बिल वाउचर तथा मस्टररोल लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया, इसप्रकार व्यय की पुष्टि न कराना धन का अपहरण किया जाना 1 जिसका विवरण निम्नवत है—

**दिनांक** **क्रय सामग्री** **धनराशि**

**05.03.2020** **48 बोरी सीमेंट दर 275/बोरी, मोटी बालू 560 घन मी दर 2030/**

**फ़ाईन बालू 1.20 घन मी०दर 1980/वी० एस० वी० 32.70x1481,**

**लोकल बालू 20.80 घन मी ox 665/** **44612.00**

**05.03.2020** **15000 नग ईंट क्रय दर 6250/, ईंट गिट्टी 4.50 घन मी० दर 1055/** **252216.00**

**13.03.2020** **22 बोरी सीमेंट दर 275/, मोटी बालू, महीन बालू,लोकल बालू** **8298.00**

**880 नग ईंट क्रय** **20240.00**

**18.03.2020** **पारिश्रमिक (01.03.2020 से 11.03.2020) तक मस्टररोल** **42280.00**

**योग—** **3,67,646.00**

अतः उक्त धनराशि रु० 3,67,646.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फुलपत्ती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्रीदिलीप कुमार विश्वकर्मा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—08)

प्रस्तर—24 निम्नांकित तिथियों में ओंकार पासी के घर से रामआसरे के घर तक इंटरलाकिंग खडंजा निर्माण हेतु सामग्री क्रय एवं पारिश्रमिक भुगतान किया जाना कोषबही में अंकित है जिसकी पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक/बिल वाउचर तथा मस्टररोल लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया | इसप्रकार व्यय की पुस्ष्टि न करना धन का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है जिसका विवरण निम्नवत है—

**दिनांक** **क्रय सामग्री** **धनराशि**

**05.03.2020** **600 नग ईंट क्रय दर 6250/-, ईंट गिट्टी 3.90 घन मी० दर 1055** **43329.00**

**05.03.2020** **6000 नग ईंट क्रय हनुमत एजेंसी ऊँचडीह सुपन्था मीरजापुर 138000.00**

**05.03.2020** **42 बोरी सीमेंट दर 275/-, मोटी बालू 5.20घन मी० दर 2030/**

**फ़ाईन बालू 1.0 घन मी दर 1980/, पी०एस०पी०23.80 घन मी०**

**दर 1481/-,लोकल बालू 14.90 घन मी दर 665** **73738.00**

**13.03.2020** **80 नग ईंट क्रय दर 6250/, ईंट गिट्टी 1,0 घन मी० दर** **10551630.00**

**13.03.2020** **0.90 घन मी दर 230/, 5 बोरी सीमेंट दर 275/, फ़ाईन बालू**

**0. 20 घन मी दर 1980/** **400.00**

**13.03.2020** **80 नगईंट क्रय दर 19.50 / हनुमत सीमेंट एजेंसी ऊँचडीह** **1640.00**

**26.03.2020** **पारिश्रमिक (01.03.2020 से 11.03.2020 ) मस्टररोल-** **39660.00**

**योग—** **362001.00**

अतः उक्त धनराशि रु० 3,62,001.00 ग्राम प्रधान श्रीमती फुलपत्ती देवी एवं ग्राम विकास अधिकारी श्री दिलीप कुमार विश्वकर्मा से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—09)

12. ग्राम पंचायत—नरोइआ विकास खण्ड—छानबे

प्रस्तर—25 ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में हैंड पम्प मरम्मत पर व्यय दर्शित किया गया है किन्तु मरम्मत पूर्व किसी सक्षम तकनीकी अधिकारी की हैण्ड पम्प खराब होने की रिपोर्ट नहीं लगी थी और न ही भुगतान सम्बन्धी कोई व्यय प्रमाणक/ बिल वाउचर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत रहा, जिसका विवरण निम्न है—

1. दिनांक 02.07.2019को चेक संख्या 028236 द्वारा भुगतान— रु० 42160.00
2. दिनांक 21.07.2019 को पी एफ एम एस द्वारा एफ टी ओ संख्या 5989 द्वारा भुगतान— रु०10630.00
3. दिनांक 12.02.2020को पी एफ एम एसद्वारा एफ टी ओ संख्या 3117 द्वारा भुगतान— रु०61235.00

योग—रु0 114025.00

इस प्रकार प्रमाणक विहीन भुगतान दर्शाकर रु० 114025.00का अपहरण किया गया है | अतः उत्तरदायी व्यक्ति श्रीमती सुनीता (ग्राम प्रधान) एवं श्री सुरेश प्रताप सिंह (ग्राम पंचायत विकास अधिकारी) से ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—03)

13. ग्राम पंचायत—दुल्लहपुर विकास खण्ड—सिटी

प्रस्तर—26 ग्राम पंचायत दुल्लहपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 222892.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख यथा - वाउचर, फाइल ( पत्रावली), एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक कांउटर फाइल / अन यूज्ड चेक्स, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।
उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायज राज नियमावली के अध्याय—13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या—36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ—साथ डी पी आर ओ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबनं का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।
उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत दुल्लहपुर द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रुपया 222892.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री राजेश एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री सन्त कुमार से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—)

14. ग्राम पंचायत—अधवार विकास खण्ड—सिटी

प्रस्तर—27 ग्राम पंचायत अधवार की वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आयी है—
ग्राम पंचायत अधवार की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोष बही की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि प्रधान मानदेय के मद में रुपया 17500.00 व्यय किया गया, परन्तु इससे संबंधित व्यय प्रमाणक के रूप में प्रधान मानदेय पंजिका एवं तत्सम्बन्धी रसीदें अप्राप्त रहीं, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
अतः उपर्युक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती कलावती यादव एवं सचिव श्री संत कुमार से ब्याज सहित वसूली किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—)

15. ग्राम पंचायत—जिगनौड़ी विकास खण्ड—सिटी

प्रस्तर—28 ग्राम पंचायत जिगनौड़ी की वित्तीय वर्ष 2019-20 में कोषबही के अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया-992881.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख यथा - वाउचर, फाइल ( पत्रावली), एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक कांउटर फाइल / अन यूज्ड चेक्स, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार - बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा ।
उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायज राज नियमावली के अध्याय - 13 के नियम संख्या – 256(2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या - 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई

प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन मानते हुए उस धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बन्धित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी पी आर ओ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा ।
उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत जिगनौड़ी द्वारा वर्ष 2019 - 20 में व्यय की गई धनराशि रुपया 992881.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती अनार देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री कृष्ण शंकर पाण्डेय से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—)

16. ग्राम पंचायत—जिउती विकास खण्ड—सिटी

प्रस्तर—29 ग्राम पंचायत जिउती की वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आयी है—
ग्राम पंचायत जिउती की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में कोष बही की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि प्रधान मानदेय के मद में रुपया 42000.00 व्यय किया गया, परन्तु इससे संबंधित व्यय प्रमाणक के रूप में प्रधान मानदेय पंजिका एवं तत्सम्बन्धी रसीदें अप्राप्त रहीं, जिससे उक्त व्यय की पुष्टि नहीं की जा सकी।
अतः उपर्युक्त वित्तीय अनियमितता हेतु सम्बन्धित ग्राम प्रधान श्रीमती मन्नी देवी एवं सचिव श्री सौरभ कुमार यादव पर विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—)

17. ग्राम पंचायत—बहुती विकास खण्ड—पटेहरा कला

प्रस्तर—30 ग्राम पंचायत बहुती की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासाफ्ट फीडिंगके अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया – 4319131.00 धनराशी आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट वाउचर, फाइल, एमवी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र चेक बुक काउंटरफॉइल / अन यूज्ड चेक्स, बैंक समायोजन स्टेटमेंट वित्तीय / तकनिकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए | जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणकविहीन रहा ।

उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिद्रिष्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या—36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर ) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशी को गबन मानते हुए उस धनराशी की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ साथ डी पी आर ओ द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा ।
उक्त नियम के अलोक में ग्राम पंचायत बहुती द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रुपया – 4319131.00 गबन की श्रेणी में आता है । जिसकी वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम-पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—02)

18. ग्राम पंचायत—पटेहरा खुर्द विकास खण्ड—पटेहरा कला

प्रस्तर—31 ग्राम पंचायत पटेहरा खुर्द की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रियासाफ्ट फीडिंगके अनुसार ग्राम निधि प्रथम के बैंक खाते से रुपया 1647210.00 धनराशि आहरित करके व्यय दर्शया गया है। परन्तु दर्शाए गये व्यय की पुष्टि में कोषबही, बैंक स्टेटमेंट वाउचर, फाइल, एम0बी0 बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण " पत्र चेक बुक काउंटरफॉइल / अन यूज्ड चेक्स, बैंक समायोजन स्टेटमेंट वित्तीय / तकनीकी / प्रसाशानिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार-बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके परिणाम स्वरुप व्यय प्रमाणक विहीन रहा ।
उक्त के सम्बन्ध में उलेखनीय है की पंचायत राज नियमवली के अध्याय -13 के नियम संख्या 256 (2) के उपनियम ( 1 ) ( क ) में विनिद्रिस्ट विशिष्टियो के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ट संख्या 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गए व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक ( वाउचर ) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशी को गबन मानते हुए उस धनराशी की वसूली ग्राम प्रधान तथा सम्बंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी | वसूली के साथ साथ डी पी आर ओ द्वारा भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायलय में चलाया जा सकेगा द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई एवं ग्राम उक्त नियम के

अलोक में ग्राम पंचायत पटेहरा खुर्द धनराशी रुपया - 1647210 गवन की श्रेणी में आता है। जिसकी - वसूली ग्राम प्रधान वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी से संयुक्त रूप से ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—02)

19. ग्राम पंचायत—घरवासपुर विकास खण्ड—नारायनपुर

प्रस्तर—32 वर्ष 2019-20 ग्राम पंचायत घरवासपुर को गत शेष सहित कुल रु0 - 3167430.00 निधि-1 में प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष विकास कार्यों पर कुल व्यय मात्र रु0 351375.00 का रहा जो उक्त कुल आय का लगभग 11.09% ही है। कुल रुपया 2816055.00 को रोक कर विकास कार्य अवरुद्ध किया गया है। इस प्रकार विकास कार्यों के प्रति उदासीनता तथा कार्यशिथिलता कर अनियमितता की गयी है जिसका दायित्व तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जय नारायण सिंह एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दीपक यादव पर जाता है। इस कारण इन दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—12)

20. ग्राम पंचायत—रैपुरिया चुनार विकास खण्ड—नारायनपुर

प्रस्तर—33 वर्ष 2019-20 की हस्तलिखित कोष पंजिका के अनुसार ग्राम पंचायत की ब्याज समेत कुल आय रु04738840.00 है से जिसकी पुष्टि उपलब्ध बैंक स्टेटमेन्ट (निधि-1 के) से भी होती है जबकि आनलाइन विवरण के अनुसार वर्ष की कुल प्राप्त आय रु0 10145922.00 है। इस प्रकार इन दोनों मेंरु0 5407082.00 का अन्तर पाया गया जिसमें गम्भीर अनियमितता है। अतः इस गम्भीर अनियमितता हेतु ग्राम प्रधान श्री रमेश निषाद एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दिनेश कुमार गौतम के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—01)

21. ग्राम पंचायत—परशुरामपुर विकास खण्ड—नारायनपुर

प्रस्तर—34 वर्ष 2019-20 की कोष पंजिका (रूप पत्र-6) में आँगनबाड़ी केंद्र पर हैण्डपम्प /समर्सेबल स्थापना एवं जलापूर्ति के विरुद्ध रु० 63350.00 ( सामग्री, दिनांक 28.01.20, ट्रांजेक्शन संख्या 2296171 द्वारा ) + 50 9242.00 (श्रम, दिनांक 29.03.20, ट्रांजेक्शनसंख्या 56061, 14434,14975,31511,31549,32211, 32509, 69923एवं 70425 द्वारा ) + रु० 18492.00 ( श्रम, दिनांक 29.03.20, ट्रांजेक्शन संख्या 70131 द्वारा ) = कुल रु० 91084.00का भुगतान किया जाना दर्शित है | इस व्यय की जांच एवं पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये । इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय कोष पंजिका में अंकित कर उक्त धनराशि का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है | अतः उक्त धनराशि रु० 91084.00 (इक्यानबे हजार चौरासी मात्र) ग्राम प्रधान श्री सुधीर कुमार तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री प्रशांत कुमार सिंह से तातारीख ब्याज सहित वसूल कराया जाना अपेक्षित है और दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—16)

22. ग्राम पंचायत—भुड़कुड़ा विकास खण्ड—नारायनपुर

प्रस्तर—35 वर्ष 2019-20 की कोष पंजिका (रूप पत्र - 6) से विदित होता है कि दिनांक 19.12.2019 को रु० 124703.00 (एक लाख चौबीस हजार सात सौ तीन मात्र ) का भुगतान नवयुवक मंगल दल के भवन की मरम्मत के विरुद्ध प्रमाणक संख्या 15 से किया जाना व्यय पक्ष में दर्शित था | इस व्यय की जांच एवं पुष्टि में कोई भी प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट है कि प्रमाणक विहीन व्यय कोष पंजिका में अंकित कर उक्त धनराशि रु० 124703.00 का अपहरण किया गया है। जिसकी वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती पुष्पलता देवी तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री संतोष कुमार से संयुक्त रूप से तातारीख ब्याज सहितकराया जाना अपेक्षित है | साथ ही दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—17)

23. ग्राम पंचायत—खोराडीह विकास खण्ड—नारायनपुर

प्रस्तर—36 आनलाईन विवरण के अनुसार वर्ष 2019-20 में आय रु० 7330351.00 है जबकि हस्तलिखित कोष पंजिका के अनुसार यह रु0० 4704565.00 है जिसकी पुष्टि बैंक स्टेटमेंट (निधि-1) से होती है | इस प्रकार इन दोनों में 7330351-4704565 = कुल रु० 2625786.00 का वृहत् अंतर है | इस अंतर का कारण अज्ञात रहा | इस गंभीर अनियमितता का समाधान कराया जाना अपेक्षित है | अन्यथा स्थिति में इसके लिए उत्तरदायी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दीनानाथ सरोज एवं श्री कृष्णलाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति संख्या—17)

24. ग्राम पंचायत—गोरथरा विकास खण्ड—राजगढ़

प्रस्तर—37 वर्ष 2019-20 में गत शेष रु० 1095919.00 तथा वर्ष में प्राप्त रु० 2256208.00 ( ब्याज समेत ), इस प्रकार कुल रु० 3352127.00 ग्राम पंचायत को प्राप्त होना निधि-1 के बैंक स्टेटमेंट से विदित होता है | इसके सापेक्ष वर्ष में मात्र रु० 149411.00 का आहरण इसमें दर्शित रहा, जिसकी पुष्टि कोष पंजिका से भी होती है | इस आहरित धनराशि में से रु० 110911.00 हैण्ड पम्प सुधार ( मरम्मत) पर व्यय किये गये | शेष रु० 35000.00 ग्राम प्रधान के मानदेय पर व्यय किये गये । इसके अतिरिक्त वर्ष में और कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया | कुल आय के सापेक्ष विकास कार्य पर व्यय का प्रतिशत मात्र 3.31% रहा, जो नितांत असंतोषप्रद कहा जा सकता है तथा कार्यशिथिलता भी दर्शाता है | कुल 3206216.00 को रोक कर विकास कार्य अवरुद्ध किया गया है | अतः ग्राम प्रधान श्री रमेश कुमार सिंह तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री उदय के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—17)

25. ग्राम पंचायत—नौडिहा लालपुर विकास खण्ड—राजगढ़

प्रस्तर—38 वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि अजय के घर से शिवरक्षा के घर तक इंटरलाकिंग कार्य पर रु० 219360.00 (सामग्री, दिनांक 10.02.2020 को पी०एफ़० एम०एस० वाउचर संख्या एफ एफ सी/201920/पी/12 द्वारा) +27946.00 श्रम (दिनांक 05.03.2020 को पी०एफ० एम० एस० वाउचर संख्या एफ एफ सी /2019-20/पी/13 द्वारा) = 247306.00का कुल व्यय कोष पंजिका ( रूप पत्र 6 ) में अंकित है | इस व्यय की जांच एवं पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया | इस प्रकार प्रमाणक विहीन व्यय कोषपंजिका में दर्शा कर उक्त कुल धनराशि रु० 247306.00 (दो लाख सैतालिस हजार तीन सौ छः रूपये मात्र) का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है | अतः इस धनराशि रु० 247306.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मुनिया तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री दुर्गेश उपाध्याय से संयुक्त रूप से आतिथि मय ब्याज कराया जाना अपेक्षित है और दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—18)

26. ग्राम पंचायत—रामपुर सक्तेशगढ़ विकास खण्ड—राजगढ़

प्रस्तर—39 वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालय टेढ़िया में इंटरलाकिंग कार्य पर रु0 186712.00 ( सामग्री, दिनांक 12.07.2019 को चेक संख्या 006829 द्वारा) + रु0 11390.00(श्रम,दिनांक 12.07.2019 को चेक संख्या 006830 द्वारा ) = रु0 198102.00 का व्यय कोष पंजिका (रूप पत्र-6) में अंकित किया गया है इस कार्य पर किये गये व्यय की जांच एवं पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये | अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शा कर उक्त धनराशि रु0 198102.00 (एक लाख अनठानबे हजार एक सौ दो रुपये मात्र ) का अपहरण किया है, जिसकी वसूली आतिथि मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से कराया जाना अपेक्षित है और दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी किया जाना चाहिए।(मूल आपत्ति संख्या—19)

प्रस्तर—40 वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि प्राथमिक विद्यालय धुनिया में इंटरलाकिंग कार्य पर 186712.00 ( सामग्री, दिनांक 12-07-2019 को चेक संख्या 006831 द्वारा) + 11390.00 ( श्रम, दिनांक 12.07.2019 को चेक संख्या 006832 द्वारा ) 1 = 198102.00 का व्यय कोषपंजिका ( रूप पत्र6 ) में अंकित किया गया है | इस कार्य पर किये गये व्यय की जांच एवं पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये | अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शा कर उक्त धनराशि रु० 198102.00(एक लाख अनठानबे हजार एक सौ दो रूपये मात्र ) का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है, जिसकी वसूली आतिथि मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से कराया जाना अपेक्षित है और दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—20)

प्रस्तर—41 वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि खम्हाघाट आंगनबाड़ी केंद्र पर इंटरलाकिंग कार्य पर रु0 186712.00 ( सामग्री, दिनांक 12.07.2019 को चेक संख्या 006819 द्वारा) + 11390.00(श्रम,दिनांक 12.07.2019 को चेक संख्या 006820 द्वारा) = 198102.00 का व्यय कोषपंजिका (रूप पत्र - 6) में अंकित किया गया है | इस कार्य पर किये गये व्यय की जांच एवं पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये | अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शा कर उक्त धनराशि रु० 198102.00 (एक लाख अनठानबे हजार एक सौ दो रूपये मात्र ) का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है, जिसकी वसूली आतिथि मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से कराया जाना अपेक्षित है और दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—21)

प्रस्तर—42 वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि रामपुर सक्तेशगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र की बाउन्ड्री वाल निर्माण पर 152621.00 (सामग्री, दिनांक 3.08.2019को चेक संख्या 006833द्वारा) + 45850.00 (श्रम, दिनांक 03.08.2019 को चेक संख्या 006834 द्वारा) = 198471.00 का व्यय कोष पंजिका ( रूप पत्र - 6) में अंकित किया गया है | इस कार्य पर किये गये व्यय की जांच एवं पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये | अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शा कर उक्त धनराशि रु० 198471.00(एक लाख अनठानबे हजार चार सौ इकहत्तर रूपये मात्र ) का अपहरण किया जानासिद्ध होता है, जिसकी वसूली आतिथि मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से कराया जाना अपेक्षित है और दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—22)

प्रस्तर—43 वर्ष 2019-2020 की लेखा परीक्षा में पाया गया कि पहाड़ीपुरवा में मेन सड़क से पानी की टंकी तक खडंजा तथा नाली निर्माण पर 61855.00 ( सामग्री, दिनांक 02.04.2019 को चेक संख्या 006808 द्वारा) + 15050.00 ( श्रम, दिनांक 02.04.2019 को चेक संख्या 006809 द्वारा ) + 14350.00 ( श्रम, दिनांक 02.04.2019 को चेक संख्या 006811 द्वारा ) + 105742.00 ( सामग्री, दीनांक 02.04.2019 को चेक्क संख्या 005814 द्वारा )= 196997.00 कोष पंजिका ( रूप पत्र - 6 ) में अंकित किया गया है | इस कार्य पर किये गये व्यय की जांच एवं पुष्टि में कोई भी व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं कराये गये | अतः प्रमाणक विहीन व्यय दर्शा कर उक्त धनराशि रु० 196997.00 (एक लाख छानबे हजार नौ सौ सत्तानबे रूपये मात्र ) का अपहरण किया जाना सिद्ध होता है, जिसकी वसूली आतिथि मय ब्याज ग्राम प्रधान श्री श्याम लाल तथा ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री विजय प्रताप सिंह से संयुक्त रूप से कराया जाना अपेक्षित है और दोनों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी कराया जाना अपेक्षित है ।
(मूल आपत्ति संख्या—23)

27. ग्राम पंचायत—सीखड़ विकास खण्ड—सीखड़

प्रस्तर—44 आलोच्य वर्ष 2019-20 मेंराज्यवित / चौदहवॉं वित में सीखड में अन्तयेष्टि स्थल निर्माणकार्य कैश बुक में अतुल इण्टर प्राइजेज दिनांक 09.04.2019 को रु0. 104960.00 एवॅं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक 03.04.2019 को 410000.00 एवॅं त्रिमूत्रि ब्रिक्स फिल्ड को दिनॉक 03.05.2019 को रु0. 391868.00 एवं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक 16.05.2019 को रु0. 247762.00 एवं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनॉक 05.07.2019 को रु0. 198550.00 एवं में० सिंह ट्रेडर्स को दिनांक 06.07.2019 को रु0. 34000.00एवॅं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक16.09.2019 को रु0. 214055.00 एवॅं त्रिमूत्रि ब्रिक्स फिल्ड को दिनांक16.09.2019 को रु0.68759.00 एवं श्री राजेश कुमार सिंह को दिनांक16.09.2019 को रु0. 24800.00 एवं में० सिंह ट्रेडर्स को दिनांक16.09.2019 को रु0.139720.00 एवॅं श्री हितेश कुमार सिंह को दिनांक16.09.2019 को रु0. 40622.00 एवॅं श्री अजय कुमार सिंह को दिनांक16.09.2019 को रु0. 27332.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 1952428.00 एवॅं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 401990.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 2354418.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवॅं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी;(टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो कीहार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की मॉग दिनांक 18.06.2020, 22.10.2020, 04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉग किया गया था , अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 2354418.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8-क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 2354418.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0. 2354418.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0. 1177209.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0 1177209.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—14)

प्रस्तर—45 आलोच्य वर्ष 2019-20 राज्यवित / चौदहवॉ वित में विज्ञापन प्रकाशन में व्यय कार्य कैश बुक में अमर उजालाको दिनांक-05.04.2019 को 5539.00 एवं हिन्दुस्तान मिडिया को दिनांक 20.04.2019 को रु04613.00 एवं जनसंदेश टाइम्स को दिनांक-23.04.2019 को रु0 3750.00 अमर उजाला को दिनांक 30.07.2019 को रु0 4985.00 अर्थात कुल विज्ञापन पर में रु018887.00 में व्यय अंकित किया बुक कैश गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की मॉग दिनांक-18.06.2020, 22.10.2020, 04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉग किया गया थाअभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 18887.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 18887.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0. 18887.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0. 9443.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0. 9443.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—15)

प्रस्तर—46 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्य वित्त / चौदहवें वित्त में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कैश बुक में अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक24.06.2019रु0. 19500.00 एवं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक-08.07.2019 को रु0 19700.00 एवं फर्म का नाम अंकित नहीं मात्र सामग्री क्रय किया गया—दिनांक 31.12.2019 को रु018800.00 एवं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक 28.01.2020 को रु0. 28944.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 106894.00 एवं मजदूरी का अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक 04.10.2019 को रु0.1050000 एवं हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य में लगे मिस्त्री के मजदूरी का भुगतान दिनांक 31.12. 2019 को रु0.6000.00 इस प्रकार कुल मजदूरी में भुगतान 16500.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु. 123394.00 में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी., हैण्ड पम्प खराब होने के स्थान सूचना एवं हैम्प मरम्मत कराये गये स्थान का नाम कैश बुक में अकित नहीं है। प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रों की हार्ड कैश बुक कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 18.06.2020, 22.10.2020, 04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था. अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0.123394.00 उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णत: काल्पनिक है। के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 123394.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी |

अतः धनराशि रु0. 123394.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0 61697.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0 61697.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है । (मूल आपत्ति संख्या—16)

प्रस्तर—47 आलोच्य वर्ष 2019- 20 राज्यवित / चौदहवॉ वित में गिरेमियॉ के घर से राजेन्द्र बिन्द के घर तक इण्टरलांकिगं निर्माण कार्य कार्य कैश बुक में त्रिमूर्ति ब्रिक्स फिल्ड को दिनांक04.04.2019 को 3673.00 एवॅ त्रिमूर्ति ब्रिक्स फिल्ड को दिनांक04.04.2019 को रु03542.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु07215.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में श्रामिको के मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 7215.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 18.06.2020, 22.10.2020, 04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवॅ मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0. 7215.00 की सामग्री व्यय की गयी है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 7215.00 व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 7215.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से के उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0. 7215.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0 3607.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0. 3607.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—17)

प्रस्तर—48 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित/ चौदहवॉ वित में विजयराज के घर से दिनेश गुप्ता के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कार्य कैश बुक में त्रिमूर्ति ब्रिक्स फिल्ड को दिनांक04.04.2019 को 1902.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0.1902.00 एवॅ उपरोक्त निर्माण कार्य में श्रामिको के मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 1902.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा व्यय प्रमॉणक/मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी

स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका जी एस0टी; (टैक्स कटौती कटौती की पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020 22.10.2020,04.03.2021 एवॅ16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किर गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक् तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0. 1902.00 की सामग्री व्यय की गयी है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0.1902.00 के व्यय पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु ( 8क ) के प्राविधानुसार व्यय गयी धनराशि रु0.1902.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं । अतः धनराशि रु0. 1902.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0 951.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0951.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या—18)

प्रस्तर—49 आलोच्य वर्ष 2019-20 राज्यवित्त / चौदहवाँ वित में रामदत्त के घर से दिनेश के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में में० सिंह ट्रेडर्स को दिनांक 19.12.2019 को 222985.00 एवंत्रिमूर्ति विक्स फिल्ड को दिनांक19.12.2019 को रु015594.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0 238579.00 उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान 29375.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु. 367954.00कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रक/ दिनांक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी एस0टी, (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 18.06.2020 22.10.2020,04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 267954.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 267954.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0. संतोष कुमार से रु0.133977.00 267954.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0. 133977.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—19)

प्रस्तर—50 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित / बुक में अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांकअर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 137852.00 चौदहवॉ वित में विमला शंकर के घर से राजू के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश 20.12.2019 को 11582.00 एवं मे० सिंह ट्रेडर्स को दिनांक20.12.2019 को रु0. 126270.00 एवॅ उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 15000.00 अर्थात में उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 152852.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवॅ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका परिसम्पत्ति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठों प्रपत्रों की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020 22.10.2020,04.03.2021 एवॅ16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था . अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 152852.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवॅ कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवॅ लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 152852.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0152852.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजनासिंह से रु0. 76426.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार से रु0 76426.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—20)

प्रस्तर—51 वर्ष 2019-20 में राज्यवित / चौदहवाँ वित में देवी मोहनवाल के घर से अनवर के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में में० सिंह ट्रेडर्स को दिनांक18.01.2020 को रु0. 153364.00 एवं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक18.01.2020 को

रु0.14283.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 167647.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 19875.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 187522.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका परिसम्पति पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा। संतोष कुमार 8. आलोच्य

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020, 22.10.2020, 04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम एवं मौखिक माँग किया गया था । अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 187522.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा ग्राम पंचायत मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0.187522.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0. 187522.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0. 93761.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोषकुमार से रु0.93761.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—21)

प्रस्तर—52 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित / चौदहवॉ वित में मंशाराम तिवारी के घर से गुलाब सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में में० सिंह टेडर्स को दिनांक18.01.2020 को रु0. 110880.00 एवं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक18.01.2020 को रु0.9379.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 120259.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 14000.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 134259.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा ।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक-18.06.2020, 22.10.2020,04.03.2021 एवं 16.032021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 134259.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 134259.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं

अतः धनराशि रु0. 134259.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0 67129.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0 67129.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। । (मूल आपत्ति संख्या—22)

प्रस्तर—53 आलोच्य वर्ष 2019 20 में राज्यवित / चौदहवॉ वित में किशोरी धोबी के घर से मनोहर के घर तक नाली निर्माण एवं इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में में० सिंह ट्रेडर्स को दिनांक18.01.2020 को रु0. 104190.00 एवं त्रिमूर्ति ब्रिक्स फिल्ड को दिनाँक 18.01.2020 को रु0.19386.00 एवं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक18.01.2020 को रु0 25934.00 एवं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक 18.01.2020 को रु09649.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0 159159.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 23000.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 182159.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक/मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी एस0टी (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020, 22.10.2020, 04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 182159.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवॅ कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 182159.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 182159.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0. 91079.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0.91079.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—23)

प्रस्तर—54 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित / चौदहवॉ वित में ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह के दिनांक01.01.2019 से 31.12.2019 तक बारह माह के मानदेय रु042000.00 का भुगतान कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक सहित, कार्यवाही पत्रॉक / दिनॉक, मानदेय भुगतान पंजिका अप्राप्त रहा।
पुस्तिका वर्क आई0डी0 वित्तीय स्वीकृत उक्त अभिलेखों की मॉंगदिनांक18.06.2020 22.10.2020, 04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉंग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉंग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0.42000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु ( 8क ) के प्राविधानुसार व्यय ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से की गयी धनराशि रु0. 42000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंहउत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0. 42000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0. 21000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोषकुमार से रु0.21000.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—24)

प्रस्तर—55 आलोच्य वर्ष 2019-20 में में त्रिमूर्ति ब्रिक्स फिल्ड को दिनांक21.02.2020 राज्यवित / चौदहवॉ वित में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थल सीखड पर खण्डजा निर्माण कार्य कार्य कैश बुक को 67945.00 अर्थात कुल सामग्री क्रय में रु0. 67945.00 एवॅ उपरोक्त निर्माण कार्य में श्रामिको के मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 67945.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवॅ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका जी एस0टी (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की मॉंगदिनांक18.06.2020 22.10.2020,04.03.2021 एवॅ16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉंग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉंग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। व्यय की गयी है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 67945.00 इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0. 67945.00 की सामग्री के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 67945.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायीहैं।
अतः धनराशि रु0. 67945.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0. 33972.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0. 33972.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—25)

प्रस्तर—56 आलोच्य वर्ष 2019 - 20 में राज्यवित / चौदहवाँ वित में सुरेश मास्टर के घर से तिलकराज के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में में० सिंह ट्रेडर्स को दिनांक04.03.2020 को रु0 28221000 एवं त्रिमूर्ति ब्रिक्स फिल्ड को दिनांक 04.03.2020 को रु0 36276.00 एवं अतुल इण्टर प्राइजेज को दिनांक04.03.2020 को रु0.40674.00 अर्थात कुल सामग्री कप में रु0. 359160.00 एवें उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 40000.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 399160.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवॅ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी एस०टी (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा। उक्त अभिलेखों की मॉंग दिनांक 18.06.2020 22.10.2020,04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉंग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्ततिथियों के माध्यम से मॉंग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 399160.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 399160.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्रामपंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी है।
अतः धनराशि रु0. 399160.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0. 199580.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0.199580.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या—26)

**प्रस्तर—57** आलोच्य वर्ष 2019 20 में राज्यवित / चौदहवाँ वित में ग्राम पंचायत सीखड में गंगा चबुतरा निर्माण कार्य कैश बुक मे० सिंह को रु0.8940.00 एवं अतुल इण्टर टेडर्स को दिनांक04.03.2020 को रु0. 18308.00 एवं त्रिमूर्ति ब्रिक्स फिल्ड को दिनांक04.03.2020 प्राइजेज को दिनांक04.03.2020 को रु0.49980.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 77228.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 6750.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 83978.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, जी एस0टी, (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

**उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 18.06.2020, 22.10.2020, 04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था , अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 83978.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु ( 8क ) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 83978.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।**

**अतः धनराशि रु0. 83978.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती रंजना सिंह से रु0.41989.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0.41989.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

**(मूल आपत्ति संख्या—27)**

**28. ग्राम पंचायत—पड़ेरी विकास खण्ड—मझवां**

**प्रस्तर—58** आलोच्य वर्ष 2019- 20 में राज्यवित / चौदहवाँ वित में ग्राम प्रधान श्री सुभाष के मानदेय का भुगतान दिनांक02.07.19 को 14000.00 एवंदिनांक01.08.19 को रु0 3500.00 प्रधान का मानदेय भुगतान कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तुलेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक/दिनॉक, मानदेय भुगतान पंजिका अप्राप्त रहा।

**उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक24.07.2020, 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 17500.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 17500.00 की ग्राम प्रधान श्री सुभाष ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्त सेठ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।**

**अतः धनराशि रु0. 17500.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष से रु0. 8750.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्त सेठ से रु0. 8750.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

**(मूल आपत्ति संख्या—14)**

**प्रस्तर—59** आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित / चौदहवॉ वित में हैण्ड पम्प मरम्मत कार्य में कैश बुक में फर्म का नाम अंकित को दिनांक02.07.19 को रु0. 38000.00 फार्म का नाम अंकित नहीं को दिनांक06.07.2019 को रु0. 39000.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 77000.00 एवं उपरोक्त कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 8000.00 परन्तु श्रामिक का नाम कैश बुक में अंकित नही अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु. 85000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी., एवॅ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, जी0एस0टी, (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका अप्राप्त रहा।

**उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 24.07.2020 एवं 04.03.2021 के के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 85000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवॅ लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 85000.00 की ग्राम प्रधान श्री सुभाष ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्त सेठ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।**

**अतः धनराशि रु0 85000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष से रु0. 42500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्त सेठ से रु0. 42500.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**

(मूल आपत्ति संख्या—15)

प्रस्तर—60 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित / चौदहवाँ वित में हैण्ड पम्प रिबोर कार्य कैश बुक में फर्म का नाम अंकित नही को दिनांक15.07.19 को रु0. 30500.00 एवँ फर्म का नाम अंकित नही को दिनांक15.07.19 को 30500.00 एवँ फार्म का नाम अंकित नहीं को दिनांक03.08.19 को 7000.00 उपरोक्त कार्य में सामग्री कय 68000.00 किया गया एवँ उपरोक्त कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 39000.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 107000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु परीक्षा में व्यय प्रमॉणक/ मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवँ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक/दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी, (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक24.07.2020 एवँ 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 107000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवँ लेखा मैनुअल 8क बिन्दु ( 8क ) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 107000.00 की ग्राम प्रधान श्री सुभाष व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्त सेठ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0 107000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष से रु0. 53500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्तसेठ से रु0. 53500.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या—16)

प्रस्तर—61 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित / चौदहवॉ वित में ह स्टीट लाईट कय कार्य कैश बुक में फर्म का नाम अंकित नही को दिनांक03.08.19 को रु0. 40000.00 सामग्री क्रय किया गया एवं उपरोक्त सामग्री को लगवाने में श्रामिको के मजदूरी भुगतान नहीं किया गया। अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 40000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवँ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका उपरोक्त स्टीट लाईट किस किस के घर पास लगवाया गया का फोटो ग्राफ / सूची अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक24.07.2020 एवँ 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था , अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 40000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवँ लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0.40000.00 की ग्राम प्रधान श्री सुभाष व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्त सेठ संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0 40000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष से रु0. 20000.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्त से रु0. 20000.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या—17)

प्रस्तर—62 वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्य कैश बुक से बैंक स्टेटमेंट के अनुसार मुख्य कैश में रु0. 61000.00 कम व्यय अंकित हैं राज्य वित्त / चौदहवे वित्त के ग्राम पंचायत खाता संख्या 28460100011067 बैक आफ बडौदा शाखा कछुवाँ बाजार मीरजापुर से निम्नाकित तिथियो में निम्नांकित धनराशि अहरण किया गया है।

| क्रमांक | चेक संख्या | दिनॉक | धनराशि | |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 244 | 08-07-2019 | 30500.00 |
| | 2 | 248 | 15-07-2019 | 30500.00 |

उपरोक्त धनराशि विभिन्न फार्मो / व्यक्ति विशेष के नाम चेकों को निर्गत करके धनारशि रु0. 61000.00 का अहरण किया गया साथ ही साथ कैश बुक में उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय का कोई विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक / निर्माण पत्रावली, चेक प्रतिपर्ण / चेक निर्गत पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा । उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है जिससे बैंक से अहरित की गयी धनराशि रु0. 61000.00 जिससे 61000.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 61000.00 की ग्राम प्रधान श्री सुभाष ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्त सेठ संयुक्त रूपसे उत्तरदायी हैं।

**अतः धनराशि रु0 61000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्री सुभाष से रु0. 30500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री शिवाकान्त सेठ से रु0. 30500.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।**
**(मूल आपत्ति संख्या—18)**

**29. ग्राम पंचायत—रुदौली विकास खण्ड—मझवां**

**प्रस्तर—63** **आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित / चौदहवॉ वित्त में PS चुरामन में शौचालय निर्माण कार्य कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक27.05.19 को 35140.00 एवं न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक27.05.19 को रु025565.00 एव न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक28.05.19 को मजदूरी में कुल भुगतान 34060.00 लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल रु0.42340.00 अर्थात कुल सामग्री अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई कय में रु0. 103045.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिको के रु0 137105.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवॅ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।**
**उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया , अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 137105.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु 8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 137105.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।**
**अतः धनराशि रु0. 137105.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0. 68552.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0.68552.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—14)**

**प्रस्तर—64** **आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित / चौदहवॉ वित्त में पी एस महरछ में शौचालय निर्माण कार्य पर कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक27.05.19 को 35140.00 एवॅ न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक28.05.19 को रु0.42340.00 एवॅ न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक28.05.19 को रु0. 25565.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 103045.00 एवॅ उपरोक्त निर्माण कार्य कैश बुक में व्यय अंकित में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 34060.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 137105.00 किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवॅ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा। था , अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था।**
**उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया उपरोक्त तिथियों केमाध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 137105.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवॅ लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0.137105.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं ।अतः धनराशि रु0. 137105.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0. 68552.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्रीकृष्ण कुमार सिंह से रु0.68552.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—15)**

**प्रस्तर—65** **आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी के मानदेय का रु0 21000.00 भुगतान कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक/दिनॉक, मानदेय भुगतान पंजिका अप्राप्त रहा ।**
**उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020 22.10.2020,04.03.2021 के के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया उपरोक्त परन्तु उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय संयुक्त रूप से उत्तरदायी गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था " तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी व्यय की गयी धनराशि रु0. 21000.00 की गयी धनराशि रु0. 21000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंहहैं।**

अतः धनराशि रु0. 21000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0. 10500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमारसिंह से रु0. 10500.00 को ब्याज सहित  वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—16)

प्रस्तर—66 राज्यवित्त / चौदहवॉ वित में आलोच्य वर्ष 2019-20 में मंजनू के खेत से दया के खेत तक मिटटी व खडण्जा कार्य निर्माण कार्य परकैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक31.07.19 को रु0. 17581.00 एवॅ न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक31. 07.19 को रु0. 116584.00 एवं न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक31.07.19 को रु0. 18204.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 152369.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 19650.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 172019.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांकएम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी0एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या—1 से 4 तक की सूचनाओं को उपलब्ध कराने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मांग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्ति होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 172019.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 172019.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंहसंयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0 172019.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0. 86009.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 86009.50 को ब्याज सहित  वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—17)

प्रस्तर—67 आलोच्य वर्ष 2019- 20 में में राज्यवित / चौदहवाँ वित में दया के खेत से ब्रम्हचारी के खेततक मिट्टी व खडण्जा कार्य पर कैश बुक न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनाँक 11.06.19 को रु0. 13497.00 एवं न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक 12.06.19 को रु0 20961.00 एवं न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनाँक 12.06.19 को रु0. 134243.00 एवं न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक12.06.19 को रु0. 22420.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 191121.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान 35370.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 226491.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी, (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक 18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 226491.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 226491.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रु0 226491.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0 113245.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0. 113245.50 को ब्याज सहित  वसूल किया जाना अपेक्षित है। (मूल आपत्ति संख्या—18)

प्रस्तर—68 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में कन्हैया यादव के खेत से मलू के खेततक खडण्जा मरम्मत कार्य पर कैश बुक में फर्म का नाम अंकित नहीं को दिनांक01.05.19 को रु0. 4509.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 4509.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान 28530.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 33039.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 33039.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवॅ लेखा मैनुअल

8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 33039.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0 33039.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0. 16519.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0. 16519.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—19)

प्रस्तर—69 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में मंशा सिंह के खेत से गिरजा यादव के मशीन तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर कैश बुक में फर्म का नाम अंकित नहीं को दिनांक 18.04.19 को रु0 33770.00 एवं फर्म का नाम अंकित नहीं को दिनांक 01.05.2019 को रु0 17855.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु051625.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 9223.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु060848.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 60848.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु060848.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु030424.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु030424.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 30424.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—20)

प्रस्तर—70 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में स्टेशनरी व प्रशासनिक पर व्यय कार्य में राकेश आयरन स्टोर को दिनांक 06.05.19 को रु0 5000.00अर्थात कुल सामग्री कय में रु05000.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक,जी0एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका, प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रों की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020, 04.03.2021 एवं16-03-2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु05000.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु05000.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु05000.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु02500.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु02500.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—21)

प्रस्तर—71 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य में कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक 18.04.19 को रु0 30000.00 अर्थात कुल सामग्री क्रय में रु030000.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 10800.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 40800.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 40800.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु040800.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु040800.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु020400.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 20400.00 को ब्याज सहित  वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—22)

प्रस्तर—72  आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में पिचरोड़ से मंशा के घर तक मिट्टी व खण्डजा कार्य पर कैश बुक में उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय नहीं किया गया परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 11790.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु011790.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की मॉंग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉंग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉंग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 11790.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु011790.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु011790.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु05895.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु05895.00 को ब्याज सहित  वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—23)

प्रस्तर—73  आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में मग्गू यादव के घर से लालजी के घर तक खण्डजा मरम्मत कार्य पर कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक 23.01.20 को रु0 24551.00 एवं न्यू पी0पी0एस0 ईंट को दिनांक 23.01.2020 को रु0 146038.00 तथा न्यू कमलेश को दिनांक 26.02.20 को रु0 14209.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0184798.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 25950.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0210748.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की मॉंग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉंग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉंग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 210748.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0210748.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0 210748.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0105374.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 105374.00 को ब्याज सहित  वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—24)

प्रस्तर—74  आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में प्यारे भगत के घर से प्रेम शंकर के घर तक मिट्टी व खण्डजा कार्य पर कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक 26.02.20 को रु0 6502.00 एवं फर्म का नाम अंकित नहीं को दिनांक 23.01.2020 को रु0 11768.00 तथा न्यू पी0पी0एस0 ईंट को दिनांक 25.01.20 को रु0 69999.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु088269.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 19510.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0107779.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की मॉंग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉंग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉंग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 107779.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा

मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0107779.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0107779.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु053889.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 53889.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—25)

प्रस्तर—75 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में पेनटेड रोड से लौधर के घर तक मिट्टी व खण्डजा कार्य पर कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक 19.02.20 को रु0 8971.00 एवं दिलीप यादव को दिनांक 19.02.2020 को रु0 5201.00 तथा न्यू पी0पी0एस0 ईंट को दिनांकको रु0 53369.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु067541.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 10230.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु077771.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 77771.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु077771.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु077771.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु038885.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 38885.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—26)

प्रस्तर—76 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में पेन्टेड रोड से छेदी के घर तक मिट्टी व खण्डजा कार्य पर कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक 23.01.20 को रु0 12738.00 एवं दिलीप यादव को दिनांक 26.02.2020 को रु0 6963.00 तथा न्यू पी0पी0एस0 ईंट को दिनांक 23.01.20 को रु0 52302.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु072003.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 27710.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु099713.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 99713.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु099713.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु099713.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु049856.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 49856.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—27)

प्रस्तर—77 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में पेन्टेड रोड से पन्नर के घर तक मिट्टी व खण्डजा कार्य पर कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक 23.01.20 को रु0 51857.00 एवं दिलीप यादव को दिनांक 26.02.2020 को रु0 3318.00 तथा न्यू टी0पी0एस0 ईंट को दिनांक 23.01.20 को रु0 8719.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु063894.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 12370.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु076264.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम

से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 76264.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु076264.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु076264.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु038132.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 38132.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—28)

प्रस्तर—78 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में वाराणसी सम्पर्क मार्ग से सागर के घर तक मिट्टी व खण्डजा कार्य पर कैश बुक में उपरोक्त कार्य पर सामग्री क्रय नहीं किया गया परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 9590.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु09590.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 9590.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु09590.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु09590.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु04795.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु04795.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—29)

प्रस्तर—79 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में चुनार सम्पर्क मार्ग से सत्वन के घर तक मिट्टी व खण्डजा कार्य पर कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक 19.02.20 को रु06759.00 एवं दिलीप यादव को दिनांक 19.02.2020 को रु0 4015.00 तथा न्यू पी0पी0एस0 ईंट को दिनांक 19.02.20 को रु040214.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु050988.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 9530.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु060518.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु060518.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु060518.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु060518.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु030259.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु030259.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—30)

प्रस्तर—80 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में नन्दूपुर सम्पर्क मार्ग से बाडम यादव के घर तक मिट्टी व खण्डजा कार्य पर कैश बुक में श्री दिलीप को दिनांक 19.02.2020 को रु0 6264.00 एवं न्यू पी0पी0एस0 ईंट को दिनांक 19.02.20 को रु0 80740.00 एवं न्यू पी0पी0एस0 ईंट को दिनांक 19.02.20 को रु0 2450.00 तथा न्यू कमलेश मशीनरी सप्लाई को दिनांक 19.02.20 को रु045345.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0134799.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 19050.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0153849.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0153849.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0153849.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु076924.50 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु049856.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु076924.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—31)

प्रस्तर—81 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में चुनार मार्ग से सागर के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य पर कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी को दिनांक 26.02.20 को रु0 7881.00 एवं न्यू पी0पी0एस0 को दिनांक 26.02.2020 को रु0 46750.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु054631.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 5800.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु060431.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 60431.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु060431.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु060431.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु030215.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 30215.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—32)

प्रस्तर—82 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में ओम प्रकाश के घर से कन्हैया के घर तक नाली निर्माण कार्य में कैश बुक में न्यू पी0पी0एस0 को दिनांक 25.03.20 को रु0 53408.00 एवं न्यू कमलेश मशीनरी को दिनांक 25.03.20 को रु0 275927.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0329335.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 48490.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0377825.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 377825.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0377825.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0377825.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0188912.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 188912.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—33)

प्रस्तर—83 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में श्याम बहादुर के घर से नन्दलाल के घर तक नाली निर्माण कार्य में कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी को दिनांक 30.03.20 को रु0 277321.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0277321.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 55217.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0327538.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0

स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 327538.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0327538.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0327538.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0163719.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 163719.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—34)

प्रस्तर—84 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में तेजबहादुर पाल के घर से रामू पाल के घर तक खण्डजा निर्माण कार्य में कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी को दिनांक 30.03.20 को रु0 21042.00 न्यू पी0पी0एस0 को दिनांक 30.03.2020 को रु0 125172.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0146214.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 39453.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0185667.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 185667.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0185667.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0185667.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु092833.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु092833.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—35)

प्रस्तर—85 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में पेन्टेड रोड से मीता के घर तक खण्डजा कार्य कैश बुक में न्यू पी0पी0सी0 को दिनांक 10.03.20 को रु0 46769.00 न्यू कमलेश को दिनांक 10.03.2020 को रु0 22120.00 एवं दिलीप को दिनांक 10-03-2020 को रु0 3931.00 एवं दिलीप को दिनांक 10-03-2020 को रु0 3500.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु076320.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 17940.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु094260.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 94260.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु094260.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु094260.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु047130.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु047130.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—36)

प्रस्तर—86 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में पेन्टेड रोड से काशी के घर तक खण्डजा कार्य कैश बुक में श्री दिलीप को दिनांक 10.03.20 को रु0 10342.00 न्यू पी0पी0एस0 को दिनांक 10.03.2020 को रु0 110531.00 एवं न्यू कमलेश मशीनरी को दिनांक 10-03-2020 को रु0 15409.00 एवं न्यू कमलेश मशीनरी को दिनांक 30-03-2020 को रु0 49877.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0

186159.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगे श्रामिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु0 54950.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 241109.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनांक 18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0241109.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 241109.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0 241109.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0120554.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0 120554.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—37)

प्रस्तर—87 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित/ चौदहवॉ वित में राजेश के हैण्ड पम्प से नन्दलाल के घर तक नाली निर्माण कार्य कैश बुक में न्यू कमलेश मशीनरी को दिनांक 30.03.20 को रु0140791.00 न्यू पी०पी०एस०ा को दिनॉक 30.03.20 को रु023424.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0164215.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रामिको के मजदूरी में कुल भुगतान रु027870.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0192085.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक/दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी;(टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की मॉग दिनॉक 18.06.2020, 22.10.2020 एवं 04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉग किया गया था , अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0192085.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0192085.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0192085.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु096042.50 व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रू. 96042.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—38)

प्रस्तर—88 आलोच्य वर्ष 2019-20 राज्यवित / चौदहवॉ वित में में नत्थू यादव के घर से पिच रोड से सुड्डु हरजन के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य पर कैश बुक में न्यू पी०पी०एस० को दिनॉक 30.03.20 को रू 150778.00 न्यू कमलेश मशीनरी को दिनॉक 30.03.20 को रु024896.00, श्री दिलीप को दिनॉक 30.03.20 को रु023110.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0198784.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य मे मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0198784.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट/तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक/दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी, (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्डकापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की मॉग दिनॉक 18.06.2020,22.10.2020 एवं04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉग किया अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0198784.00 की सामग्री व्यय की गयी है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0198784.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी । एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0198784.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0198784.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रू. 99392.00 एवें कृष्ण कुमार सिंह से रु0 99392.00 को ब्याज सहित वसूल कियाजाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या—39)

**प्रस्तर—89** आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में नत्थू यादव के घर के पीछे मुन्नू के घर तक खडण्जा निर्माण कार्य पर कैश बुक उपरोक्त कार्य में सामग्री कय नहीं किया गया परन्तु उपरोक्त निर्माण कार्य में लगेश्रमिकों के मजदूरी में कुल भुगतान रु032700.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 32700.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक/दिनांक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठों प्रपत्रों की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

**उक्त अभिलेखों की मॉग दिनॉक 18.06.2020 22.10.2020 एवं04.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से मॉग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना सामग्री के रु032700.00 की मजदूरी व्यय की गयी है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु032700.00 के व्यय की पुष्टि नही हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु032700.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।**

**अतः धनराशि रु032700.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रू. 16350.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्णकुमार सिंह से रु016350.00 को ब्याजसहित जमा तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—40)**

**प्रस्तर—90** वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्य कैश बुक से बैंक स्टेटमेट के अनुसार मुख्य कैश बुक में रु0.542148.00 कम व्यय अंकित है। राज्य वित्त / चौदहवें वित्त के ग्राम पंचायत खाता संख्या 50047080718 इलाहाबाद बैंक शाखा अदलपुरा से निम्नांकित तिथियों में निम्नांकित धनराशि अहरण किया गया है—

| क्रमांक | चेक संख्या | दिनाँक | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 1. | 296381 | 18.04.19 | 51667.00 |
| 2. | 296384 | 18.04.19 | 53994.00 |
| 3. | 294398 | 18.04.19 | 43606.00 |
| 4. | 575222 | 12.06.19 | 67696.00 |
| 5. | 575224 | 12.06.19 | 75000.00 |
| 6. | 575223 | 12.06.19 | 2330.00 |
| 7. | 575225 | 12.06.19 | 20400.00 |
| 8. | 575226 | 06.07.19 | 64681.00 |
| 9. | 575228 | 06.07.19 | 64681.00 |
| 10. | 575229 | 06.07.19 | 2330.00 |
| 11. | 575227 | 06.07.19 | 2330.00 |
| 12. | 575232 | 31.07.19 | 10614.00 |
| 13. | 575235 | 31.07.19 | 70386.00 |
| 14. | 575237 | 31.07.19 | 10983.00 |
| 15. | टी.पी.एफ. | 19.02.20 | 1450.00 |
| योग— | 542148.00 | | |

**उपरोक्त धनराशि विभिन्न फर्मो / व्यक्ति विशेष के नाम चेकों को निर्गत करके धनारशि रु0. 542148.00 का अहरण किया गया साथ ही साथ कैश बुक में उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय का कोई विवरण भी अंकित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय प्रमाणक / निर्माण पत्रावली, चेक प्रतिपर्ण / चेक निर्गत पंजिका लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा । उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त आहरण की धनराशि का उपयोग विकास कार्य में न करके अन्य किया गया है। जिससे बैंक से आहरित की गयी धनराशि रु0 542148.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु ( 8क ) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 542148.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रु0 542148.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती आशा देवी से रु0. 271074.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री कृष्ण कुमार सिंह से रु0. 271074.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—41)**

**30. ग्राम पंचायत—गोरइयां विकास खण्ड—सीखड़**

**प्रस्तर—91** आलोच्य वर्ष 2019- 20 में राज्यवित / चौदहवॉं वित में विज्ञापन प्रकाशन में व्यय कार्य कैश बुक में अमर उजालाको दिनांक 30.07. 2019 को 5229.00 विज्ञापन पर व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनांक,जी0एस0टी0 (टैक्स कटौती) कटौती अप्राप्त रहा।

**उक्त अभिलेखों की मॉंग दिनांक 18.06.2020, 22.10.2020,04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक मॉंग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षाकिया था परंतु उपरोक्त तिथियों के**

माध्यम से माँग करने के उपरान्त उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक हैं। जिससे व्यय की गयी धनराशिरु0. 5229.00पुष्टि नहीं हो सकी है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार प्रमाणक विहीन व्यय की गयी धनराशि रु0. 5229.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रु0. 5229.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सुनिता से रु0. 2614.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार रु0. 2614.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—14)

प्रस्तर—92 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवाँ वित्त में हैण्डपम्प मरम्मत कार्य कैश बुक में श्री गजानन बिल्डिगं मैटेरियल को दिनांक 27.06.2019 को 15545.00एवं श्री गजानन बिल्डिगं मैटेरियल को दिनांक27.06.2019 को रु015960.00 एवं श्री गजानन बिल्डिगं मैटेरियल को दिनांक27.07.2019 को रु0 15980.0 अर्थात कुल सामग्री क्रय में रु0 47485.00 एवं मजदूरी कामिस्त्री मटरू को दिनांक01.08.2019 को रु012000.00 एव खराब सात नग हैण्ड पम्पो मरम्मत कार्य का भुगतान दिनांक17.02.2020 को रु014400. 00 कुल मजदूरी में भुगतान रु0 26400.00 अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 73885.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तुलेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0, हैण्ड पम्प खराब होने के स्थान सूचना एवं हैम्प मरम्मत कराये गये स्थान का नाम कैश बुक में अकित नहीं है। प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रों की हार्ड कापी अप्राप्त रहा। उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020 22.10.2020,04.03.2021 एवं16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 73885.00के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार प्रमाणक विहीन व्यय की गयी धनराशि रु0 73885.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

अतः धनराशि रु0 73885.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से रु0. 36942.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु036942.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—15)

प्रस्तर—93 आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित/ चौदहवाँ वित में गौरी शंकर के घर के पास रिबोर कार्य कैश बुक में श्री हनुमान इण्टर इजेज के बिल का भुगतान दिनांक02.08.2019 को 28243.00 एवॅ श्री हनुमान इण्टर पाइजेज के बिल का भुगतान दिनांक17.02. 2020 को रु0.22040.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0. 50283.00 एवॅ उपरोक्त निर्माण कार्य में श्रामिको के मजदूरी का भुगतान का कैश बुक में उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान नही किया गया है। अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0.50283.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक / मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवॅ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।

उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020, 22.10.2020,04.03.2021 एवॅ16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवॅ मौखिक माँग किया गया था . अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0.50283.00 की सामग्री व्यय की गयी है | जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0. 50283.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवॅ लेखा मैनुअल 8क बिन्दु ( 8क ) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 50283.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं। अतः धनराशि रु0. 50283.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से रु0. 25141.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0. 25141.50 सहित तिथि तक वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(मूल आपत्ति संख्या—16)

प्रस्तर—94 को ब्याज जमा आलोच्य वर्ष 2019-20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित्त में राधेश्याम पाठक के घर के पास रिबोर कार्य कैश बुक में श्री हनुमान इण्टर प्राइजेज के बिल का भुगतान दिनांक07.08.2019 को 28243.00 एवं श्री हनुमान इण्टरप्राइजेज के बिल का भुगतान दिनांक17.02.2020 को रु022040.00 अर्थात कुल सामग्री कय में रु0 50283.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में श्रामिकों के मजदूरी का भुगतान का कैश बुक में उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उपरोक्त कार्य में मजदूरी का भुगतान नही किया गया है। अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0 50283.00 कैश बुक में व्ययअंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक / मस्टर रोल सहित कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनंक, एम.बी. बुक, निविदा

की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका, जी0एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँग दिनॉक18.06.2020, 22.10.2020,04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँगकिया गया था साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओ को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परंतु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0 50283.00 की सामग्री व्यय की गयी है । जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 50283.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी । एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 50283.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता एवंग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0 50283.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से रु0. 25141.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0 25141.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या—17)

प्रस्तर—95 आलोच्य वर्ष 2019 - 20 में राज्यवित / चौदहवॉं वित में विनोद सिंह के घर से चर्तुभुज के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य कैश बुक में श्री गजानन बिल्डिगं मैटेरियल को दिनांक28.11.2019 को रु0 10094.00, न्यू शोभा इण्टरप्राइजेज को दिनांक28.11.2019 को रु0 152320.00 अर्थात कुल सामग्री क्रय में रु0 162414.00 एवं उपरोक्त निर्माण कार्य में श्रामिको के मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 162414.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमाणक/मास्टर रोल सहित, कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई डी. स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित एवं वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम. बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका जी एस0टी, (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका प्रियासाफट फीडिंग की आठों प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020, 22.10.2020,04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप सख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0 162414.00 की सामग्री व्यय की गयी है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0152414.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवं लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0 162414. 00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0. 162414.00 की वसूली प्रधान श्रीमती सरिता से रु0. 81207.00 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार सेरु0.81207.00 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या—18)

प्रस्तर—96 आलोच्य वर्ष 2019 - 20 में राज्यवित्त / चौदहवॉ वित में सलीम के घर से पी0डब्लू0डी0 रोड तक इण्टरलाकिग निर्माण कार्य कैश बुक में श्री फार्म का नाम अंकित नही है को दिनांक28.11.2019 को 1071.00 एवॅ न्यू शोभा इण्टरप्राइजेज को दिनांक28.11.2019 को रु0 21280.00 अर्थात कुल सामग्री क्रय में रु0. 22351.00 एवॅ उपरोक्त निर्माण कार्य में श्रामिकों के मजदूरी का भुगतान नहीं किया अर्थात उपरोक्त परियोजना में कुल रु0. 22351.00 कैश बुक में व्यय अंकित किया गया परन्तु लेखा परीक्षा में व्यय प्रमॉणक/मास्टर रोलसहित,कार्यवाही पुस्तिका वर्क आई0डी0 स्टीमेट / तकनीकी स्वीकृत सहित, एवॅ वित्तीय स्वीकृत पत्रॉक / दिनॉक, एम.बी. बुक, निविदा की पत्रावली, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र, परिसम्पति पंजिका जी एस0टी; (टैक्स कटौती ) कटौती की पंजिका प्रियासाफ्ट फीडिंग की आठो प्रपत्रो की हार्ड कापी अप्राप्त रहा।
उक्त अभिलेखों की माँगदिनांक18.06.2020 22.10.2020,04.03.2021 एवं 16.03.2021 के पत्र माध्यम से एवं मौखिक माँग किया गया था, अभिलेख के साथ ही साथ प्रारूप संख्या 01 से 04 तक की सूचनाओं को उपलब्ध करने की अपेक्षा किया था परन्तु उपरोक्त तिथियों के माध्यम से माँग करने के उपरान्त भी उक्त अभिलेख अप्राप्त होने से स्पष्ट है कि उपरोक्त भुगतान पूर्णतः काल्पनिक है। इसके अतिरिक्त बिना मजदूरी के रु0. 22351.00 की सामग्री व्यय की गयी है। जिससे व्यय की गयी धनराशि रु0 22351.00 के व्यय की पुष्टि नहीं हो सकी है। एवं कराये गये कार्य की पुष्टि नहीं होती है। वित्तीय एवॅ लेखा मैनुअल 8क बिन्दु (8क) के प्राविधानुसार व्यय की गयी धनराशि रु0. 22351.00 की ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता व ग्राम पंचायत अधिकारी श्री सन्तोष कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।
अतः धनराशि रु0. 22351.00 की वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती सरिता से रु0. 11175.50 एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संतोष कुमार से रु0.11175.50 को ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।
(मूल आपत्ति संख्या—19)

31. ग्राम पंचायत—ऊंटी विकास खण्ड—हलिया

प्रस्तर—97 ग्रामपंचायतऊँटीकेवर्ष2019-20 की लेखा परीक्षा में ई-ग्राम स्वराज पर उपलब्ध ऑनलाईन कैश बुक के अनुसार भिन्न-भिन्न योजनान्तर्गत कुल रु० 610800.00 का व्यय पाया गया। योजनावार व्यय का विवरण निम्नवत है—

| दिनांक | परियोजना / कार्य का नाम | चेक सं0 | व्यय धनराशि | भुगतान प्राप्तकर्ता | योजना का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2019 | ढ़केलु के घर खेताई के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य पर मजदूरी | नकद | 19950.00 | -- | 14वां वित्त |
| 27.06.2019 | ढ़केलु के घर खेताई के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 020019 | 220000.00 | मेसर्स जयनाथ विल्डिंग मेटेरियल | 14वां वित्त |
| 27.06.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु सामग्री क्रय | 020015 | 49000.00 | मेसर्स गुरुकृपा | 14वां वित्त |
| 28.06.2019 | ढ़केलु के घर खेताई के घर तक इण्टरलाकिंग कार्य | 020013 | 49000.00 | मेसर्स जयनाथ विल्डिंग मेटेरियल | 14वां वित्त |
| 06.07.2019 | प्रधान मानदेय 4 / 19 से 7/19 | नकद | 14000.00 | -- | 14वां वित्त |
| 06.07.2019 | हैण्डपम्प मरम्मत हेतु मजदूरी | नकद | 10850.00 | -- | 14वां वित्त |
| 03.03.2020 | प्रा० वि० में सोलर पम्प फिटिंग | एकाउण्टपेयी | 248000.00 | मेसर्स प्रयाग ट्रेडर्स | 14वां वित्त |
| योग | | | 610800.00 | | |

उपरोक्तानुसार दर्शित व्यय की पुष्टि में लेखा परीक्षा में अपेक्षित / आवश्यक ऑफलाईन मूल अभिलेख यथा –कोष बही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्ययोजना, स्टीमेट, एम० बी०, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया।उल्लेखनीय है कि ऑनलाईन कैश बुकं में दर्शित व्यय की पुष्टि हेतु वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन माँग पत्र प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजा गया था । लेखा परीक्षा में वांछित मूल अभिलेख उपलब्ध कराया जाना प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी का दायित्व था । व्यय की गयी समस्त धनराशि रु0 610800.00 के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक प्रस्तुत नहीं किया गया । अतः रु0 610800.00 का अपहरण किया गया है जिसकी वसूली उत्तरदायी प्रधान सुमित्रा देवी एवं ग्राम पंचायत अधिकारी श्री आलोक राव तथा कौशल कुमार गिरि से ब्याज सहित किया जाना अपेक्षित है।(मूल आपत्ति संख्या—)

32. ग्राम पंचायत—नेवढ़िया विकास खण्ड—लालगंज

प्रस्तर—98 ग्राम पंचायत नेवढ़िया की वित्तीय वर्ष 2019-20में कोष बही के अनुसार ग्राम पंचायत निधि प्रथमकेबैंकखातेसेरु0 2055590.00 आहरित कर व्यय दर्शाया गया है। परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोष बही, बैंक स्टेटमेंट के अलावा अन्य कोई भी अभिलेख यथा- वाउचर, (पत्रावली), एम० बी० बुक, मस्टर रोल, कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र चेक बुक काउण्टर फाइल / अप्रयुक्त चेक, बैंक समायोजन स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनीकी / प्रशासनिक स्वीकृति आदि अभिलेख बार बार माँगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किये गये। जिसके परिणामस्वरूप व्यय प्रमाणकविहीन रहा। उक्त के संबंध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय-13 के नियम सं० 256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों के अनुसार पंचायत राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतों में वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ सं0 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई प्रमाणक (बाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय को गबन मानते हुये उस धनराशि की : वसूली ग्राम प्रधान तथा संबंधित ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी। वसूली के साथ साथ डी पी आर ओ द्वारा भरतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत गबन का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।" उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत नेवढ़िया द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गयी धनराशि रु0 2055590.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री ललचंद्र एवं ग्राम पंचायत अधिकारी / ग्राम विकास अधिकारी श्री कैलाश बिन्द से ब्याज सहित की जानी अपेक्षित है ।(मूल आपत्ति संख्या—05)

33. ग्राम पंचायत—जमालपुर विकास खण्ड—जमालपुर

प्रस्तर—99 ग्राम पंचायत जमालपुर की वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रिया सॉफ्ट / एम.आई.एस. / ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं चौदहवें केन्द्रीय वित्त के बैंक खातों से रुपया रुपया - इक्कीस लाख एकतालीस हजार चार सौ तिरानबे ( 21.41,493.00)

**धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख यथा मुख्य कैश बुक, बाउचर, फाइल (पत्रावली). एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटर फॉइल/अन यूज्ड चेक्स, बैंक समायोजना स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रशासनिक स्वीकृति इत्यादि अभिलेख बार - बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा।**
**उक्त के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायत राज नियमावली के अध्याय -13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम ( 1 ) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टयों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या - 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर) उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन / अपहरण मानते हुए उस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत गबन / अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा।**
**उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत जमालपुर द्वारा वर्ष2019-20 में व्यय की गई धनराशि 2141493.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्री सोनू एवं ग्राम पं०अ० / ग्राम वि० अधिकारी श्री अनिल कुमार से अद्यावधि व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।(मूलआपत्तिसंख्या—01)**

**34. ग्राम पंचायत—बभनी विकास खण्ड—जमालपुर**

**प्रस्तर—100 ग्राम पंचायतबभनीकीवित्तीयवर्ष2019-20 में प्रिया सॉफ्ट / एम.आई.एस. / ई ग्राम स्वराज के अनुसार ग्राम निधि प्रथम एवं चौदहवें केन्द्रीय वित्त के बैंक खातों से रुपया रुपया-बारह लाख तिरसठ हजार एक सौ उनसठ (12,63,159.00) धनराशि आहरित करके व्यय दर्शाया गया है परन्तु दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई भी अभिलेख यथा मुख्य कैश बुक, बाउचर, फाइल ( पत्रावली). एमबी बुक, मस्टर रोल, कार्य पूर्ति प्रमाण पत्र, चेक बुक काउंटर फॉइल / अन यूज्ड चेक्स, बैंक समायोजना स्टेटमेंट, वित्तीय / तकनिकी / प्रशासनिक स्वीकृतिइत्यादि अभिलेख बार- बार मांगे जाने के बाद भी प्रस्तुत नही किये गये। जिसके परिणाम स्वरूप व्यय प्रमाणक विहीन रहा ।**
**उक्तकेसम्बन्धमेंउल्लेखनीयहैकिपंचायतराजनियमावलीकेअध्याय - 13 के नियम संख्या-256 (2) के उपनियम (1) (क) में विनिर्दिष्ट विशिष्टयों के अनुसार पंचायतराज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी ग्राम पंचायतो में वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु लेखा मैन्युअल के अध्याय 8 के प्रस्तर 8 क पृष्ठ संख्या - 36-37 पर उल्लिखित प्राविधानानुसार यदि दर्शाये गये व्यय के सम्बन्ध में कोई प्रमाणक (वाउचर ) उपलब्ध नही कराया जाता है तो दर्शायी गई व्यय धनराशि को गबन / अपहरण मानते हुए उस धनराशि की वसूली सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव से की जाएगी। वसूली के साथ-साथ डी०पी०आर०ओ० द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409 के तहत गबन / अपहरण का मुकदमा भी सक्षम न्यायालय में चलाया जा सकेगा। —**
**उक्त नियम के आलोक में ग्राम पंचायत बभनी द्वारा वर्ष 2019-20 में व्यय की गई धनराशि रुपया 12,63,159.00 गबन / अपहरण की श्रेणी में आता है। जिसकी संयुक्त वसूली ग्राम प्रधान श्रीमती मीना कुमारी एवं ग्राम पं० / वि० अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार से अद्यावधि व्याज सहित की जानी अपेक्षित है।**
**(मूल आपत्ति संख्या—01)**

# प्रारूप -4

# ग्राम पंचायत वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष-2019-20

## जनपद-सोनभद्र मण्डल-विन्ध्याचल मण्डल

## विकासखण्ड- नगवां (लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20)

**ग्राम पंचायत का नाम- पल्हारी**

**प्रस्तर संख्या-1**

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में रामसेवक के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर (कार्य आई०डी० 13667143) हेतु रू0 103467.00 व्यय अंकित पाया गया है, जिसका भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को दर्शित है। जबकि पत्रावली में पाया गया कि इसमें से रू0 86305.00 का भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को तथा रू0 17162.00 का भुगतान माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को चेक संख्या 16427/दिनांक 06.06.2019 के द्वारा किया गया है। माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को भुगतानित धनराशि की प्रविष्टि ई-ग्रामस्वराज पर नहीं की गई है। इस प्रकार अभिलेखों में मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ की गई हैं। उक्त के साथ ही एक ही कार्य हेतु दो फर्मों से

सामग्री क्रय किया जाना पूर्णतया अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिओम सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर संख्या-2

आलोच्य वर्ष में रामसुभग के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर ( कार्य आई०डी० 13667144) हेतु रू0 85623.00 व्यय अंकित है, जिसका भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को दर्शित है। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि यह संपूर्ण भुगतान मे0 बालाजी कंसट्रक्सन को इनवाइस संख्या 143/26.03.2019 के सापेक्ष किया गया है जबकि ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के अनुसार रू0 50179.00 का भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को तथा रू0 35444.0 का भुगतान माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को किया गया है। इसी के साथ पत्रावली में रू0 17680.00 का क्रमांक रहित इनवाईस दिनांक 30.04.2019 संलग्न है, जिसका भुगतान चेक संख्या 16429/दिनांक 06.06.2019 के द्वारा किया गया है। यह भुगतान किस कार्य हेतु किया गया है, स्पष्ट नहीं रहा तथा इस भुगतानित धनराशि की प्रविष्टि ई-ग्रामस्वराज पर नहीं की गई है। इस प्रकार अभिलेखों में मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ की गई हैं। उक्त के साथ ही एक ही कार्य हेतु दो फर्मों से सामग्री क्रय किया जाना पूर्णतया अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिओम सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-3)

प्रस्तर संख्या-3

आलोच्य वर्ष में अमरशाह के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर (कार्य आई०डी० 13667146) हेतु रू0 90721.00 व्यय अंकित है, जिसका भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को दर्शित है। जबकि पत्रावली की जाँच में पाया गया कि इसमें से रू0 74139.00 का भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को तथा रू0 16582.00 का भुगतान माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को क्रमांक रहित इनवाईस दिनांक 30.04.2019 के सापेक्ष चेक संख्या 16641/दिनांक 06.06.2019 के द्वारा किया गया है। माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को भुगतानित धनराशि की प्रविष्टि ई-ग्रामस्वराज पर नहीं की गई है। इस प्रकार अभिलेखों में मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ की गई हैं। उक्त के साथ ही एक ही कार्य हेतु दो फर्मों से सामग्री क्रय किया जाना पूर्णतया अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती प्रभावती एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्री हरिओम सिंह संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-4)

प्रस्तर संख्या-4

आलोच्य वर्ष में जियोधन के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर ( कार्य आई०डी० 13667147) हेतु रू0 99565.00 व्यय अंकित है, जिसका भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को दर्शित है। जबकि पत्रावली की जाँच में पाया गया कि इसमें से रू0 84141.00 का भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को तथा रू0 15424.00 का भुगतान माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को क्रमांक रहित इनवाईस दिनांक 30.04.2019 के सापेक्ष चेक संख्या 16641/दिनांक 06.06.2019 के द्वारा किया गया है। माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को भुगतानित धनराशि की प्रविष्टि ई-ग्रामस्वराज पर नहीं की गई है। इस प्रकार अभिलेखों में मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ की गई हैं। उक्त के साथ ही एक ही कार्य हेतु दो फर्मों से सामग्री क्रय किया जाना पूर्णतया अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-5)

प्रस्तर संख्या-5

आलोच्य वर्ष में रामदुलारे के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर ( कार्य आई०डी० 13667145) हेतु रू0 98368.00 व्यय अंकित है, जिसका भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को दर्शित है। जबकि पत्रावली की जाँच में पाया गया कि इसमें से रू0 80631.00 का भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को तथा रू0 17737.00 का भुगतान माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को क्रमांक रहित इनवाईस दिनांक 30.04.2019 के सापेक्ष चेक संख्या 16428/दिनांक 06.06.2019 के द्वारा किया गया है। माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को भुगतानित धनराशि की प्रविष्टि ई-ग्रामस्वराज पर नहीं की गई है। इस प्रकार अभिलेखों में मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ की गई हैं। उक्त के साथ ही एक ही कार्य हेतु दो फर्मों से सामग्री क्रय किया जाना पूर्णतया अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-6)

ग्राम पंचायत का नाम- बैजनाथ

प्रस्तर संख्या-6

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में गया पुत्र रामप्यारे के घर के पास कूप सफाई व जगत निर्माण (कार्य आई० डी० 18032002) हेतु सामग्री क्रय पर रू0 119645.00 व्यय दर्शित है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के अनुसार इसमें से रू0 94758.00 का भुगतान श्रीराम बिल्डिंग मैटेरियल को किया जाना दर्शित है, जबकि पत्रावली में उक्त भुगतान के सापेक्ष मे० विशाल

बिल्डिंग मैटेरियल का व्यय प्रमाणक, इनवाईस संख्या- 429/13.07.2019) मौजूद है तथा शेष रू0 24887.00 का भुगतान ई-ग्रामस्वराज के अनुसार ग्राम प्रधान को किया जाना दर्शित है, जबकि पत्रावली में उक्त भुगबतान के सापेक्ष मे० विशाल बिल्डिंग मैटेरियल का व्यय प्रमाणक (इनवाईस संख्या- 433/18.07.2019) मौजूद है, जिससे यह साबित होता है कि फर्म को नकद भुगतान किया गया है, जो नियमों के प्रतिकूल है। बैंक स्टेटमेंट से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त दोनों भुगतान किसको किया गया है। इस प्रकार अभिलेखों में मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ की गई हैं तथा उपरोक्त दोनों भुगतान पूर्णतया अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-2)

ग्राम पंचायत का नाम- मकरीबारी

प्रस्तर संख्या-7

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में रामप्रसाद के घर के पास पुलिया निर्माण (कार्य आई० डी० 9585299) हेतु ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के कुल व्यय/भुगतान रू0 160120.00 मे0 त्रिपाठी इंटरप्राईजेज को किया जाना अंकित है। जबकि पत्रावली में इस कार्य हेतु रू0 163800.00 का भुगतान किया गया है, जिसमें से रू0 30765.00 का भुगतान श्रमांश पर किया गया है एवं रू0 133035.00 का भुगतान सामग्री पर किया गया है, जिसके सापेक्ष व्यय प्रमाणक मे० विशाल बिल्डिंग मैटेरियल का (इनवाईस संख्या- 429/13.07.2019) रू0 14371.00 एवं (इनवाईस संख्या- 429/13.07.2019) रू0 118664.00 मौजूद है । इस प्रकार उक्त कार्य पर ई-ग्रामस्वराज के अनुसार भुगतान एवं पत्रावली के अनुसार भुगतान में रू0 1680.00 का अंतर पाया गया है। बैंक स्टेटमेंट से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त समस्त भुगतान किसको किया गया है। इस प्रकार अभिलेखों में मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ की गई हैं तथा उपरोक्त दोनों भुगतान पूर्णतया अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर संख्या-8

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में प्रशासनिक व्यय ( कार्य आई० डी० 182465823) हेतु ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के अनुसार इसमें से रू0 47829.00 का भुगतान चेक संख्या 009911/29.08.2019 के द्वारा ग्राम प्रधान को किया गया है। जबकि पत्रावली में इस व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक उपलब्ध नहीं रहा। बैंक स्टेटमेंट से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त भुगतान किसको किया गया है। इस प्रकार किसी विवरण व व्यय प्रमाणक के अनुपलब्धता से यह स्पष्ट है कि उक्त धनराशि का अपहरण किया गया है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-3)

ग्राम पंचायत का नाम- चेरूई

प्रस्तर संख्या-9

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में 99580.00 का टैंकर क्रय (कार्य आई डी- 18088387) हेतु भुगतान दर्शित है। ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के अनुसार उक्त भुगतान मे० श्रीराम बिल्डिंग मैटेरियल को किया गया है, जबकि कार्य से संबंधित पत्रावली में मे० कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, खुटहा घोरावल का बिल (संख्या-1037/दिनांक 02.04.2019) उपलब्ध रहा तथा बैंक स्टेटमेंट से भी वास्तविक भुगतान प्राप्तकर्ता की पुष्टि नहीं की जा सकी।

उक्त के साथ साथ पत्रावली की जाँच मे पाया गया कि टैंकर क्रय की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 05.04.2019 को प्रदान की गई है जबकि पत्रावली में उपलब्ध तीन कोटेशन पर दिनांक 02.04.2019 अंकित है। इस प्रकार वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुए बिना उक्त कार्य हेतु कोटेशन प्राप्त किया जाना क्रय नियमों के पूर्णतया प्रतिकूल है। उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त क्रय/भुगतान पूर्णतया अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर संख्या-10

आलोच्य वर्ष में त्रिभुवन के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर (कार्य आई०डी० 13621482) हेतु रू० 124107.00 व्यय अंकित है। पत्रावली की जाँच में पाया गया कि, इसमें से रू० 103467.00 का भुगतान मे० बालाजी बोरवेल को इनवाईस संख्या 255/29.03.2019 के सापेक्ष किया गया है एवं शेष रू० 20640.00 का भुगतान दुर्गा कंसट्रक्सन को क्रमांक व दिनांक रहित इनवाईस के सापेक्ष किया गया है। लेकिन ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उपरोक्त समस्त भुगतान ग्राम प्रधान को किया जाना दर्शित है। इस प्रकार

अभिलेखों में मनमाने ढंग से त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियाँ की गई हैं। उक्त के साथ ही एक ही कार्य हेतु दो फर्मों से सामग्री क्रय किया जाना पूर्णतया अनियमित है, जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-3)

विकासखण्ड- म्योरपुर (लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20)

ग्राम पंचायत का नाम- परसवार राजा

प्रस्तर संख्या-11

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/मिस्त्री पर निम्न व्यय रोकड़बही में दर्शित है-

| दिनांक | मद | सम्मिहित धनराशि |
|---|---|---|
| 28/02/2020 | हैण्डपम्प/लेबर/मिस्त्री का भुगतान | 14466.00 |
| 28/02/2020 | हैण्डपम्प/लेबर/मिस्त्री का भुगतान | 14772.00 |
| 28/02/2020 | हैण्डपम्प/लेबर/मिस्त्री का भुगतान | 14890.00 |
| योग- | | 44128.00 |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 44128.00 व्यय दर्शित है परंतु हैण्डपम्प मरम्मत की रसीद एवं मिस्त्री का भुगतान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है और किन हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई गई है, इसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। हैण्डपम्प मरम्मत के समय निकाली गई सामग्री- जी०आई० पाइप रॉड, सिलेण्डर लायनर इत्यादि का स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आलोच्य वर्ष में रोकड़बही प्रथम में उक्त की निकासी/बिक्री एवं कोई आय दर्शित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०/वि० अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शित कर उक्त धनराशि रू0 44128.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है ।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- पाटी

प्रस्तर संख्या-12

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/मिस्त्री पर निम्न व्यय रोकड़बही में दर्शित है-

| दिनांक | मद | सम्मिहित धनराशि |
|---|---|---|
| 16/11/2019 | हैण्डपम्प सामग्री/लेबर/मिस्त्री का भुगतान | 49800.00 |
| 16/11/2019 | हैण्डपम्प सामग्री /लेबर/मिस्त्री का भुगतान | 33990.00 |
| योग- | | 83790.00 |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 83790.00 व्यय दर्शित है परंतु हैण्डपम्प मरम्मत की रसीद एवं मिस्त्री का भुगतान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है और किन हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई गई है, इसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। हैण्डपम्प मरम्मत के समय निकाली गई सामग्री- जी०आई० पाइप रॉड, सिलेण्डर लायनर इत्यादि का स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आलोच्य वर्ष में रोकड़बही प्रथम में उक्त की निकासी/बिक्री एवं कोई आय दर्शित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०/वि० अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शित कर उक्त धनराशि रू0 83790.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- शिशवॉ

प्रस्तर संख्या-13

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/मिस्त्री पर निम्न व्यय रोकड़बही में दर्शित है-

| दिनांक | मद | सम्मिहित धनराशि |
|---|---|---|
| 20/06/2019 | हैण्डपम्प सामग्री/लेबर/मिस्त्री का भुगतान | 65450.00 |
| 25/06/2019 | हैण्डपम्प सामग्री /लेबर/मिस्त्री का भुगतान | 24500.00 |
| योग- | | 89950.00 |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 89950.00 व्यय दर्शित है परंतु हैण्डपम्प मरम्मत की रसीद एवं मिस्त्री का भुगतान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है और किन हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई गई है, इसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। हैण्डपम्प मरम्मत के समय निकाली गई सामग्री- जी०आई० पाइप रॉड, सिलेण्डर लायनर इत्यादि का स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आलोच्य वर्ष में रोकड़बही प्रथम में उक्त की निकासी/बिक्री एवं कोई आय दर्शित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०/वि० अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शित कर उक्त धनराशि रू0 89950.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- बलियरी

प्रस्तर संख्या-14

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/मिस्त्री पर निम्न व्यय रोकड़बही में दर्शित है-

| दिनांक | मद | सम्मिहित धनराशि |
|---|---|---|
| 25/05/2019 | हैण्डपम्प मरम्मत/मिस्त्री | 3500.00 |
| 29/05/2019 | हैण्डपम्प मरम्मत/मिस्त्री | 3500.00 |
| 29/05/2019 | हैण्डपम्प मरम्मत/मिस्त्री | 3500.00 |
| योग- | | 10500.00 |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत पर कुल रू0 10500.00 व्यय दर्शित है परंतु हैण्डपम्प मरम्मत की रसीद एवं मिस्त्री का भुगतान लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया है और किन हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई गई है, इसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। हैण्डपम्प मरम्मत के समय निकाली गई सामग्री- जी०आई० पाइप रॉड, सिलेण्डर लायनर इत्यादि का स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आलोच्य वर्ष में रोकड़बही प्रथम में उक्त की निकासी/बिक्री एवं कोई आय दर्शित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्रा०पं०/वि० अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शित कर उक्त धनराशि रू0 10500.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

विकासखण्ड- चोपन (लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20)

ग्राम पंचायत का नाम- खरौंधी

प्रस्तर संख्या-15

दिनांक 25.02.2020 को फोटोस्टेट एवं स्टेशनरी पर व्यय रू0 4734.00 एवं रू0 4060.00, कुल रू0 8794.00 दर्शित है परंतु लेखा परीक्षा में कैशमेमो/प्रमाणक अनुपलब्ध रहा। किसी भी प्रमाणक का लेखा परीक्षा में अप्राप्त होना अपहरण है, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- कोरट

प्रस्तर संख्या-16

दिनांक 29.07.2019 व दिनांक 20.07.2019 को क्रमश: चेक संख्या 029583 व 029584 द्वारा रू0 33000.00 श्री अनिल कुमार को व रू0 30000.00 श्री कमलेश कुमार को भुगतान किया गया। कोषबही (ग्राम निधि प्रथम) में दर्शित है परंतु मस्टर रोल लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा तथा संपूर्ण धनराशि रू0 33000.00 श्री अनिल कुमार को व रू0 30000.00 श्री कमलेश कुमार को चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया, जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी से की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- निगाई

प्रस्तर संख्या-17

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/सामग्री पर अधोलिखित व्यय कोषबही प्रथम/प्रियासॉफ्ट में दर्शित है:-

| दिनांक | मद | सम्मिहित धनराशि |
|---|---|---|
| 16.04.2019 | सामग्री | 17200.00 |

| | | |
|---|---|---|
| 16.04.2019 | सामग्री | 16592.00 |
| 23.04.2019 | मजदूरी | 12000.00 |
| योग | | 45792.00 |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत व सामग्री पर कुल रू० 45792.00 व्यय दर्शित है, परंतु हैण्डपम्प मरम्मत, सामग्री व्यय की रसीद एवं मजदूरी भुगतान का प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और किन हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई गई, इसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि रू० 45792.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

---

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- हर्रा

प्रस्तर संख्या-18

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/सामग्री पर निम्न व्यय रोकड़बही (ग्राम निधि प्रथम) में दर्शित है:-

| दिनांक | मद | सम्म्िाहित धनराशि |
|---|---|---|
| 15.04.2019 | सामग्री | 18800.00 |
| 15.04.2019 | सामग्री | 16592.00 |
| 18.04.2019 | मजदूरी | 7000.00 |
| 15.04.2019 | सामग्री | 17138.00 |
| योग- | | 59530.00 |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत व सामग्री पर कुल रू० 59530.00 व्यय दर्शित है, परंतु हैण्डपम्प सामग्री क्रय की रसीद एवं मजदूरी भुगतान का प्रमाणक-मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और किन हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई गई, इसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा। हैण्डपम्प मरम्मत के समय निकाली गयी सामग्री जैसे जी०आई० पाइप रॉड, सिलेण्डर लायनर, चेन पलंजर इत्यादि का स्टॉक रजि० लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आलोच्य वर्ष में रोकड़बही प्रथम में उक्त की निलामी/बिक्री से कोई आय दर्शित है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत/विकास अधिकारी द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि रू० 59530.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसे ब्याज सहित वसूल किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- कचनरवा

प्रस्तर संख्या-19

आलोच्य वर्ष 2019-20 में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत/सामग्री पर अध्धेलिखित व्यय कोषबही (ग्राम निधि प्रथम) में दर्शित है:-

| दिनांक | मद | सम्म्िाहित धनराशि |
|---|---|---|
| 18.04.2019 | हैण्डपम्प सामग्री | 16500.00 |
| 18.04.2019 | हैण्डपम्प सामग्री | 16500.00 |
| 26.04.2019 | मजदूरी | 3000.00 |
| 26.04.2019 | मजदूरी | 3000.00 |
| 26.04.2019 | मजदूरी | 3000.00 |
| 26.04.2019 | सामग्री | 16300.00 |
| 26.04.2019 | सामग्री | 16900.00 |
| 26.04.2019 | सामग्री | 16950.00 |
| योग- | | 92150.00 |

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत व सामग्री पर कुल रू० 92150.00 व्यय दर्शित है, परंतु हैण्डपम्प सामग्री क्रय की रसीद एवं मजदूरी भुगतान का प्रमाणक-मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया और किन हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाई गई, इसका कोई अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव द्वारा फर्जी व्यय दर्शाकर उक्त धनराशि रू० 92150.00 का अपहरण कर लिया गया है, जिसकी ब्याज सहित वसूली अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- कोटा

प्रस्तर संख्या-20

आलोच्य वर्ष 2019-20 में बार-बार कहने एवं पत्राचार करने के बावजूद ग्राम पंचायत कोटा का कैशबुक/बैंक स्टेटमेंट, व्यय प्रमाणक एवं स्टॉक रजिस्टर इत्यादि अन्य अभिलेख लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। अत: ई-ग्रामस्वराज के आधार पर ऑडिट किया गया, जिसके अनुसार वर्ष में कुल व्यय रू0 20889748.00 किया गया। पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबन्ध हेतु मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने पर 8(क) में प्रावधान है कि यदि दर्शाये गये व्यय की पुष्टि में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय की धनराशि गबन की श्रेणी में मानी जायेगी।

अत: ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिवों से वर्ष में व्यय किये गये रू0 20889748.00 की ब्याज सहित वसूली की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

विकासखण्ड- दुद्धी (लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20)

ग्राम पंचायत का नाम- टेढ़ा

प्रस्तर संख्या-21

वि०खं०-दुद्धी की ग्राम पंचायत टेढ़ा के ग्रामनिधि प्रथम की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ व्यय की गयी:-

| दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 20.03.2020 | ग्राम पंचायत में टैंकर से पानी वितरण पर व्यय का भुगतान | 150000.00 |

उपरोक्त दर्शित व्यय में निम्ननिखित कमियाँ लेखा परीक्षा में पायी गयी:-

1. व्यय धनराशि रू० 150000.00 के सापेक्ष व्यय बाउचर एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
2. पानी वितरण हेतु सक्षम अधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गयी। क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
3. ग्राम सभा की जलप्रबन्ध समिति से पानी वितरण हेतु अनुमोदन एवं भुगतान हेतु संस्तुति नहीं ली गई है।
4. बैंक स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है नहीं हो सका कि भुगतान किसको किया गया। जबकि ई-ग्रामस्वराज पर फीड बाउचर के अनुसार भुगतान मुख्तार अहमद एवं अब्दुल मसीद को किया गया दर्शित है।
5. जिस वाहन से पानी वितरण किया गसा उसका कोई भी विवरण उपलब्ध नही रहा। क्या वह वाहन कामर्शियल कार्य के लिए रजिस्टर्ड था। अगर था तो उसका विवरण एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जो नहीं कराया गया। कामर्शियल वाहन से ही पानी वितरण का कार्य अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए था।$
6. ड्राइवर की लॉगबुक की फोटो कॉपी तथा कहाँ-कहाँ पानी वितरण किया गया, कुल कितने फेरे (चक्कर) में पानी वितरण किया गया था, का विवरण भी उपलब्ध नहीं रहा।

उपरोक्त आधार पर अवधारित किया गया कि ग्राम पंचायत टेढ़ा में दिसम्बर महीने में जब आमतौर पर पानी की किल्लत कम रहती है, रू० 150000.00 का फर्जी तरीके से बिना वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के, बिना जलप्रबन्ध समिति से पानी वितरण हेतु अनुमोदन एवं संस्तुति लिए पानी वितरण पर व्यय धनराशि रू० 1,50,000.00 का भुगतान क्षतिपूर्ति योग्य है। क्योंकि पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहिन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएगा" के विपरीत तथा यह भी खण्ड-8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य होगा। इस प्रकार फर्जी तरीके से पानी वितरण पर व्यय धनराशि रू० 1,50,000.00 का भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री शाहजहाँ और ग्रा०पं०अधि० श्री अरशद खान द्वारा अपने पक्ष में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- जोरूखाड़

प्रस्तर संख्या-22

वि०खं०-दुद्धी की ग्राम पंचायत जोरूखाड़ के ग्रामनिधि प्रथम की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार निम्न विवरणानुसार डस्टबीन क्रय किया गया दर्शित है:-

| दिनांक | चेक नम्बर | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 05.04.2019 | 011244 | डस्टबीन क्रय का भुगतान सुमन इण्टरप्राइजेज को | 73000.00 |
| 25.04.2019 | 011253 | डस्टबीन क्रय का भुगतान सुमन इण्टरप्राइजेज को | 80300.00 |
| 07.05.2019 | 011254 | डस्टबीन क्रय का भुगतान एफ०ए० इण्टरप्राइजेज को | 69000.00 |
| 07.05.2019 | 011255 | डस्टबीन क्रय का भुगतान एफ०ए० इण्टरप्राइजेज को | 69000.00 |
| योग- | | | 291300.00 |

ग्राम पंचायत द्वारा डस्टबीन क्रय में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी:-

1. लेखा परीक्षा में बाउचर एवं पत्रावली अप्राप्त रही।
2. बिना टेण्डर के डस्टबीन क्रय किया गया। क्योंकि सुमन इण्टरप्राइजेज एवं एफ०ए० इण्टरप्राइजेज को भुगतान किया जाना दर्शित है। अर्थात डस्टबीन क्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित नहीं किया गया। टेण्डर पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही।
3. वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त नहीं की गयी। क्योंकि पत्रावली लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रही। तथा एक ही सामग्री क्रय करने के लिए एक ही तिथि को अलग-अलग भुगतरन किया गया। धनराशि रू० 291300.00 का भुगतान चार भागों में करके सक्षम अधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लेने से बचने का प्रयास मात्र है। क्योंकि रू० 250000.00 से उपर के प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति डी.पी.आर.ओ. द्वारा प्रदान की जाती है।
4. ग्राम सभा की निर्माण कार्य समिति से क्रय हेतु अनुमोदन एवं भुगतान हेतु संस्तुति नहीं ली गयी है। क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
5. कहाँ-कहाँ तथा किसको वितरित की गयी, इसकी लाभार्थी/परिवारों के हस्ताक्षर वाली सूची लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
6. सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट भी अप्राप्त रही।
7. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।

उपरोक्त आधार पर अवधारित किया गया कि फर्जी तरीके से बिना टेण्डर के, बिना वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति लिए तथा बिना निर्माण कार्य समिति से अनुमोदन एवं संस्तुति के डस्टबीन क्रय रू० 291300.00 का भुगतान क्षतिपूर्ति योग्य है। क्योंकि पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहिन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएगा" के विपरीत तथा यह भी खण्ड-8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य होगा। इस प्रकार फर्जी तरीके से सामाग्री भुगतान दर्शाकर धनराशि रू० 291300.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री उमेशचन्द्र तथा ग्राम प्रधान श्री बृजकिशोर द्वारा अपने पक्ष में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आया है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- डुमरा

प्रस्तर संख्या-23

वि०खं०-दुद्धी की ग्राम पंचायत डुमरा के ग्रामनिधि प्रथम की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ व्यय की गयी:-

| दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 03.12.2019 | ग्राम पंचायत में टैंकर से पानी वितरण पर व्यय का भुगतान | 87000.00 |

| | |
|---|---|
| योग- | 87000.00 |

उपरोक्त दर्शित व्यय में निम्ननिखित कमियाँ लेखा परीक्षा में पायी गयी:-

1. व्यय धनराशि रू० 87000.00 के सापेक्ष व्यय बाउचर एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
2. पानी वितरण हेतु सक्षम अधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गयी। क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
3. ग्राम सभा की जलप्रबन्ध समिति/भुगतान समिति से पानी वितरण हेतु संस्तुति एवं भुगतान हेतु अनुमोदन नहीं लिया गया है। क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
4. बैंक स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है नहीं हो सका कि भुगतान किसको किया गया। जबकि ई-ग्रामस्वराज पर फीड बाउचर के अनुसार भुगतान विद्यासागर जयप्रकाश को किया गया।
5. जिस वाहन/ट्रैक्टर से पानी वितरण किया गसा उसका कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नही रहा। क्या वह वाहन कामर्शियल कार्य के लिए रजिस्टर्ड था। अगर था तो उसका विवरण एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जो नहीं कराया गया।
6. ड्राइवर की लॉगबुक की फोटो कॉपी तथा कहाँ-कहाँ पानी वितरण किया गया, कुल कितने फेरे (चक्कर) में पानी वितरण किया गया था, का विवरण भी लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।

उपरोक्त आधार पर अवधारित किया गया कि ग्राम पंचायत डुमरा में दिसम्बर महीने में जब आमतौर पर पानी की किल्लत कम रहती है, रू० 87000.00 का फर्जी तरीके से बिना वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति के, बिना जलप्रबन्ध समिति/भुगतान समिति से पानी वितरण हेतु अनुमोदन एवं संस्तुति लिए पानी वितरण पर व्यय धनराशि रू० 87000.00 का भुगतान क्षतिपूर्ति योग्य है। क्योंकि पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहिन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएगा" के विपरीत तथा यह भी खण्ड-8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य होगा। इस प्रकार फर्जी तरीके से पानी वितरण पर व्यय धनराशि रू० 87000.00 का भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री ईश्वर प्रसाद और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री यशवन्त गौतम द्वारा अपने पक्ष में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-1)

विकासखण्ड- राबर्टसगंज (लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20)

ग्राम पंचायत का नाम- बट

प्रस्तर संख्या-24

वि०खं०- राबर्टसगंज की ग्राम पंचायत बट के ग्रामनिधि प्रथम की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ व्यय की गयी:-

| दिनांक | बा० नं० | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 24.05.2019 | 16 | ग्राम पंचायत भवन की पेंटिंग कार्य हेतु मजदूरी का भुगतान ग्राम प्रधान को चेक नं०-337220 | 61775.00 |
| 27.05.2019 | 17 | ग्राम पंचायत भवन की पेंटिंग कार्य हेतु सामग्री का भुगतान देव बिल्डिंग मैटेरियल को चेक नं-337219 | 79903.00 |
| | | योग- | 141678.00 |

उपरोक्त दर्शित व्यय में निम्ननिखित कमियाँ लेखा परीक्षा में पायी गयी:-

1. लेखा परीक्षा में मजदूरी भुगतान का मस्टररोल एवं सामग्री भुगतान का प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
2. मजदूरी भुगतान रू० 61775.00 का नकद भुगतान किया जाना दर्शित है। क्योंकि चेक नं०- 337220 से ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह को भुगतान किया जाना दर्शित है और प्रधान द्वारा मजदूरों को बांटा गया। परंतु लेखा परीक्षा में मजदूरों द्वारा मजदूरी का धनराशि की प्राप्ति संबंधी प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं रहा।

3. ग्राम पंचायत भवन की पेंटिंग हेतु ग्राम सभा की निर्माण कार्य समिति से अनुमोदन एवं भुगतान हेतु संस्तुति प्राप्त नहीं किया गया। क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
4. कार्य वास्तव में किया गया है कि नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए कार्य के प्रारम्भ, मध्य एवं कार्य की समाप्ति पर तीन फोटो लिया जाना चाहिए। परंतु लेखा परीक्षा में कोई भी फोटो प्रस्तुत नहीं किया गया।
5. सामग्री क्रय की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीखा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
6. कैशबुक में सामग्री का भुगतान मे० देव बिल्डिंग मैटेरियल को किया जाना दर्शित है। जबकि बैंक स्टेटमेंट के अनुसार यह भुगतान देव को किया गया दर्शित है अर्थात भुगतान फर्म को न करके व्यक्ति विशेष को किया गया है, जो आपत्तिजनक है क्योंकि सामग्री का भुगतान फर्म को किया जाना है।
7. सामग्री प्राप्ति की पुष्टि में स्टॉक रजिस्टर तथा सामग्री प्राप्ति का चालान लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
8. सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट लेखा में उपलब्ध नहीं होने से वास्तव में कार्य के होने की पुष्टि नहीं की जा सकी।
9. कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अप्राप्त रहा।
10. मस्टररोल, मजदूरों द्वारा नकद धनराशि की प्राप्ति की रसीद, सामग्री क्रय प्रमाणक का उपलब्ध न होना, निर्माण कार्य समिति से कार्य कराये जाने की संस्तुति एवं भुगतान का अनुमोदन नहीं कराया जाना, कार्य कराये जाने की प्रगति के पक्ष में फोटो का उपलब्ध न होना, वास्तव में कार्य नहीं होने की तरफ इंगित करता है।

उपरोक्त आधार पर अवधारित किया गया कि मजदूरी एवं सामग्री क्रय के रूप में धनराशि रू० 141678.00 का भुगतान क्षतिपूर्ति योग्य है। क्योंकि मजदूरी के रूप में धनराशि रू० 61775.00 का भुगतान ग्राम प्रधान श्री बहादुर सिंह को किया गया है और उनके द्वारा मजदूरों को नकद बांटा गया है और मजदूरों द्वारा मजदूरी से कोई प्राप्ति रसीद भी प्राप्त नहीं की गई है। व्यय प्रमाणक विहिन एवं वांछित अभिलेखें की अप्राप्तता के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएगा" के विपरीत तथा यह भी खण्ड-8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य होगा। इस प्रकार फर्जी तरीके से मजदूरी भुगतान रू० 61775.00 तथा सामग्री भुगतान रू० 79903.00 अर्थात कुल रू० 141678.00 का अपहरण तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी श्री चन्द्रदेव पाण्डेय तथा प्रधान श्री बहादुर सिंह द्वारा अपने पक्ष में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- मधुपुर

प्रस्तर संख्या-25

वि०खं०- राबर्टसगंज की ग्राम पंचायत मधुपुर के ग्रामनिधि प्रथम की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में प्रस्तुत कोषबही के अनुसार निम्न विवरणानुसार धनराशियाँ व्यय की गयी:-

| दिनांक | बा०नं० | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 14.08.2019 | 68 | ग्राम पंचायत में ह्यूमपाईप क्रय का भुगतान चेक नं०-025815 से माँ अम्बे इण्डस्ट्रीज को भुगतान | 105119.00 |
| | | योग- | 105119.00 |

उपरोक्त दर्शित व्यय में निम्ननिखित कमियाँ लेखा परीक्षा में पायी गयी:-

1. ह्यूमपाईप पर क्रय हेतु वयय धनराशि रू० 105119.00 के सापेक्ष व्यय बाउचर एवं पत्रावली लेखा में उपलब्ध नहीं रही।
2. बैंक स्टेटमेंट के अनुसार भुगतान किसको किया गया, यह स्पष्ट नहीं हो सका। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में चेक ट्रांसफर विड्राल दर्शित है।
3. ह्यूमपाईप क्रय हेतु सक्षम अधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं प्राप्त की गयी है। क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं है।
4. ह्यूमपाईप क्रय की अनुमति एवं भुगतान हेतु संस्तुति ग्रामसभा की निर्माण कार्य समिति से नहीं लिया गया है। क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा।
5. सत्यापन एवं निरीक्षण रिपोर्ट एवं कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र भी लेखा परीक्षा में अनुपलब्ध रहा।
6. ह्यूमपाईप लगाने में प्रयुक्त सामग्री जैसे बालू, सीमेंट तथा मजदूरी आदि का कोई भी विवरण लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं रहा अर्थात वास्तव में ह्यूमपाईप का लगाया जाना संदिग्ध रहा।

उपरोक्त आधार पर अवधारित किया गया कि फर्जी तरीके से ह्यूमपाईप क्रय दर्शाकर य० 105119.00 की धनराशि का अपहरण ग्राम पंचायत अधिकारी तथा ग्राम प्रधान द्वारा अपने पक्ष में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। क्योंकि वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के खण्ड-8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य होगा। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर संख्या-26

ग्रामनिधि प्रथम की वित्तीय वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्न धनराशियाँ कोषबही के अनुसार व्यय की गयी दर्शित है:-

| दिनांक | विवरण | धनराशि |
|---|---|---|
| 06.06.2019 | पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर भाड़ा का भुगतान चेक नं० 025788 द्वारा मनीष प्रताप को | 20000.00 |
| 13.06.2019 | पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर भाड़ा का भुगतान चेक नं० 025775 द्वारा रामलोचन को | 30000.00 |
| 18.06.2019 | पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर भाड़ा का भुगतान चेक नं० 025789 द्वारा रामलोचन को | 20000.00 |
| 19.06.2019 | पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर भाड़ा का भुगतान चेक नं० 025790 द्वारा मनीष प्रताप को | 20000.00 |
| 02.08.2019 | पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर भाड़ा का भुगतान चेक नं० 25809 द्वारा रामलोचन को | 118150.00 |
| 02.08.2019 | पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर भाड़ा का भुगतान चेक नं० 25810 द्वारा रामलोचन को | 9520.00 |
| 14.08.2019 | पेयजल आपूर्ति हेतु टैंकर भाड़ा का भुगतान चेक नं० 25825 द्वारा अखिलेश कुमार सिंह को | 151761.00 |
| योग- | | 369431.00 |

उपरोक्त दर्शित व्यय धनराशि में निम्न कमियाँ लेखा परीक्षा में पायी गयी:-

1. व्यय धनराशि रू० 369431.00 के सापेक्ष व्यय बाउचर एवं पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
2. पानी वितरण हेतु सक्षम अधिकारी से वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति नहीं प्राप्त नहीं की गयी है। क्योंकि इस आशय का कोई भी प्रपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं है। रू० 250000.00 से उपर के प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति डी.पी.आर.ओ. द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि ऐसा नहीं किया गया।
3. ग्राम सभा की जलप्रबन्ध समिति से पानी वितरण हेतु अनुमोदन एवं भुगतान हेतु संस्तुति नहीं ली गई है।
4. बैंक स्टेटमेंट से यह स्पष्ट है नहीं हो सका कि भुगतान किसको किया गया।
5. पानी वितरण हेतु अलग से टेण्डर आमंत्रित किया जाना चाहिए था जो कि नहीं किया गया क्योंकि पत्रावली लेखा परीक्षा में अप्राप्त रही।
6. जिस वाहन से पानी वितरण किया गया उसका कोई भी विवरण उपलब्ध नही रहा। क्या वह वाहन कामर्शियल कार्य के लिए रजिस्टर्ड था। अगर था तो उसका विवरण एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जो नहीं कराया गया। कामर्शियल वाहन से ही पानी वितरण का कार्य अनियम एवं शर्तों के अधीन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए था।
7. ड्राइवर की लॉगबुक की फोटो कॉपी तथा कहाँ-कहाँ पानी वितरण किया गया, कुल कितने फेरे (चक्कर) में पानी वितरण किया गया था, का विवरण भी उपलब्ध नहीं रहा।

उपरोक्त आधार पर अवधारित किया गया कि ग्राम पंचायत मधुपुर में बिना प्रकिया का पालन किये, बिना व्यय बाउचर एवं पत्रावली के रू० 369431.00 का फर्जी तरीके से जल वितरण आपूर्ति दर्शाकर धनराशि का अपहरण ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा अपने पक्ष में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। क्योंकि पत्रावली एवं व्यय प्रमाणक विहिन व्यय के संबंध में ग्राम पंचायत के वित्त एवं लेखा प्रबन्ध मैनुअल के अध्याय-8 के खण्ड-7 के अनुसार "ग्राम प्रधान तथा सचिव ग्राम पंचायत का यह संयुक्त दायित्व होगा कि संप्रेक्षण दल को व्यय के समस्त बाउचर तथा नियमों में अपेक्षित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराएगा" के विपरीत तथा यह भी खण्ड-8 के अनुसार "यदि दर्शाये गये व्यय के संदर्भ में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी धनराशि को गबन मानते हुए इस धनराशि की वसूली सेक्रेटरी ग्राम पंचायत तथा ग्राम प्रधान से संयुक्त रूप से की जाएगी।" के अंतर्गत अधिभार योग्य होगा।

इस प्रकार फर्जी तरीके से ह्यूमपाईप क्रय रूपया 109119.00 तथा पेयजल आपूर्ति पर व्यय रूपया 369431.00 कुल रूपया 474550.00 का भुगतान दर्शाकर धनराशि का अपहरण तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती मंशा देवी और ग्रा०पं०अधि० श्री नरेश

सिंह द्वारा अपने पक्ष में किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-2)

विकासखण्ड- चतरा (लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20)

ग्राम पंचायत का नाम- पिथौरी

प्रस्तर संख्या-27

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ग्राम पंचायत पिठौरी में राज्य वित्त आयोग द्वारा रू० 5500.00 तथा 14वॉं वित्त आयोग से रू० 34439.00 व्यय किया जाना दर्शित है। उक्त व्यय के समबन्ध में न तो सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृत पत्र और न ही यह धनराशि कहाँ और किस कार्य हेतु खर्च की गई, लेखा परीक्षा में अज्ञात रहा। प्रशासनिक मद में व्यय कुल रू० 39439.00 बिना व्यय प्रमाणक के व्यय किया जाना उ०प्र० पंचायती राज नियमावली वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय से संबंधित कोई बिल/बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित धनराशि गबन की श्रेणी में आयेगा।" जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर संख्या-28

लेखा परीक्षा में कूप मरम्मत कार्य हेतु मजदूरी रूपये 43008.00 मुन्ना के घर, पन्ना लाल के घर, गुलाब के घर, रामसूरत के घर के पास कूप मरम्मत हेतु व्यय दर्शित है1 उक्त धनराशि का भुगतान श्रमांश हेतु किया गया है जिसका कोई भी प्रमाणक/मस्टररोल लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं रहा। इस प्रकार उक्त धनराशि रूपया 43008.00 मजदूरी पर दर्शित व्यय का अपहरण किया गया है। जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से संयुक्त रूप से किया जाना अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-2)

ग्राम पंचायत का नाम- ढोढरी

प्रस्तर संख्या-29

आलोच्य वर्ष में निम्न विवरण के अनुसार रोकड़बही में दर्शित व ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर बाउचर/दर्शित व्यय के सापेक्ष बिल, मस्टररोल, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, स्टॉक रजिस्टर, भुगतान की रसीद, पूर्व में कार्य न कराए जाने का साक्ष्य, ग्राम पंचायत द्वारा कार्य का अनुमोदन, नहीं रहा। विवरण निम्नवत् है:-

| दिनांक | बाउचर | कार्य का विवरण | धनराशि |
|---|---|---|---|
| 06.04.2019 | 2 | ग्राम जयमोहरा में रामबिलास मुसहर के घर से पुलिया तक पक्की नाली निर्माण में मजदूरी | 55125.00 |
| 11.04.2019 | 5 | ग्राम जयमोहरा में रामबिलास मुसहर के घर से पुलिया तक पक्की नाली निर्माण में सामग्री पर व्यय | 147687.00 |
| योग- | | | 202812.00 |

अत: ग्राम पंचायत लेखा मैनुअल के अध्याय-8 के नियम 8(क) के अधीन उक्त कुल व्यय धनराशि रूपया 202812.00 गबन की श्रेणी में आता है। जिसकी ब्याज सहित वसूली ग्राम पधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से उ०प्र० पंचायत राज अधिनियम 1947 के नियम 256(1) के तहत अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- बगही

प्रस्तर संख्या-30

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर उपलब्ध बाउचर सं० पी/11, पी /12 के अनुसार भगवानदास विश्वकर्मा और सुरेश विश्वकर्मा के घर के पास कूप मरम्मत व जगत निर्माण कार्य हेतु क्रमश: रू० 117097.00 व रू० 111241.00 सामग्री क्रय हेतु व्यय दर्शित है किन्तु उक्त व्यय धनराशि के सापेक्ष कोई भी व्यय प्रमाणक न तो ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर और न ही भौतिक रूप से लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। व्यय प्रमाणक व अन्य अभिलेखों के अभाव में धनराशि का अपहरण कर लिया गया है। पंचायती राज के वित्त व लेखा मैनुअल के अध्याय की धारा 8 में प्रावधान है कि, "यदि दर्शाये गये व्यय के संबध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गई धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" उक्त के आलोक में प्रमाणक विहीन व्यय दर्शित धनराशि रू० 228338.00 गबन की श्रेणी में आती है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व पंचायत सचिव से अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- कूराकला

प्रस्तर संख्या-31

ग्राम पंचायत कूराकला की लेखा परीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 में शिवमंदिर से रामसूरत के घर तक इंटरलाकिंग खड़ंजा निर्माण हेतु सामग्री क्रय दिनांक 03.08.19, बाउचर नं० 11, धनराशि रू० 49609.00 तथा दिनांक 06.08.19, बाउचर नं० 14, धनराशि रू० 2847.00, मजदूरी पर व्यय दिनांक 02.08.19 धनराशि रू० 3675.00 बाउचर नं० 10 (धीरेन्द्र कुमार सिंह मे० बाबा कंसट्रक्सन आलोक) को किया गया है।

उपरोक्त दर्शित व्यय धनराशि में लेखा परीक्षा में निम्न आपत्तियाँ है:-

- एम०बी० पर किसी सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर तथा तिथि दर्शित नहीं है।
- क्रय की गयी सामग्री का प्रमाणक ग्राम पंचायत पर उपलब्ध नहीं रहा।
- दर्शित मजदूरी भुगतान के सापेक्ष कोई मस्टररोल उपलब्ध नहीं रहा। मजदूरी भुगतान प्रधान व ग्राम वि०/पं० अधिकारी के द्वारा कैश के माध्यम से किये गए हैं। जिससे मजदूरों को मजदूरी भुगतान की पुष्टि नहीं होती।
- उक्त कार्य का कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र, उपभोग प्रमाणपत्र भी उपलब्ध नहीं रहा।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि न तो कोई सामग्री क्रय किया गया, न ही कोई मजदूरी का भुगतान मजदूरों को किया गया। अत: समस्त धनराशि रू० 56131.00 का अपहरण किया गया है जिसके प्रति तत्कालीन ग्राम प्रधान एवं ग्राम पं०वि० अधिकारी संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। अपहरित धनराशि की ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर संख्या-32

आलोच्य वर्ष की लेखा परीक्षा में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में प्राथमिक वि० कूराकला में बाउंड्री निर्माण में मजदूरी पर व्यय रू० 28175.00 कैशबुक में दर्शित है जिसके सापेक्ष रू० 10675.00 का मस्टररोल उपलब्ध रहा। शेष मजदूरी भुगतान रू० 17500.00 का मस्टररोल उपलब्ध नहीं रहा। अत: रू० 17500.00 धनराशि का अपहरण कर लिया गया है है जिसके लिये तत्कालीन ग्राम पं०वि० अधिकारी एवं ग्राम प्रधान संयुक्त रूप से जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या-3)

विकासखण्ड- घोरावल (लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20)

ग्राम पंचायत का नाम- इनम

प्रस्तर संख्या-33

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में सफाई कर्मी किट क्रय हेतु रू० 10000.00 का भुगतान तथा प्रियासॉफ्ट हेतु रू० 6000.00 का भुगतान दर्शित है। इस संबंध में प्रस्तुत कैशबुक में उक्त भुगतानों से संबंधित पार्टी का कोई विवरण अंकित नहीं है, जबकि ई-ग्रामस्वराज के अनुसार रू० 10000.00 का भुगतान श्री महेन्द्र को तथा रू० 6000.00 का भुगतान अजय कम्प्यूटर को किया गया है। उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार रू० 6000.00 का भुगतान सेल्फ चेक से किया गया है तथा रू० 10000.00 के भुगतान के संबंध में स्थिति अज्ञात रही। उक्त व्ययों के संबंध में ये ज्ञात नहीं हो पाया सफाई कर्मी किट किस दर से तथा कितनी मात्रा में क्रय किया गया है तथा प्रियासॉफ्ट हेतु भुगतान किस नियम के अंतर्गत किया गया है। इसी के साथ उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इनकी पुष्टि हो सके।

ग्राम पंचायतों के संबंध में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय रू० 16000.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती सुशीला एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हेमन्त शुक्ला से की जानी अपेक्षित है

(आपत्ति संख्या

ग्राम पंचायत का नाम- भरौली

प्रस्तर संख्या-34

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में कुर्सी, मेज, दरी, अलमारी इत्यादि क्रय हेतु रू० 48262.00 का भुगतान किया गया है। प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार उक्त भुगतान अयाशी इण्टरप्राईजेज व नंदिनी इलेक्ट्रानिक्स को किया गया है, जबकि ई-ग्रामस्वराज के अनुसार उक्त भुगतान मे० अनिल सीमेंट एजेंसी को किया गया है तथा उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट से ये स्पष्ट

नहीं हो पाया कि उपरोक्त भुगतान किस पार्टी को किया गया है। इसी के साथ उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इसकी पुष्टि हो सके।

ग्राम पंचायतों के संबंध में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय रू० 48262.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जंगली प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कान्ति देवी से की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-2)

प्रस्तर संख्या-35

आलोच्य वर्ष में ग्राम पंचायत में हैण्डपम्प मरम्मत हेतु रू० 16500.00 का भुगतान दर्शित है। इस संबंध में प्रस्तुत कैशबुक के अनुसार यह भुगतान मे० माँ दुर्गा कंसट्रक्सन को किया गया है, जबकि ई-ग्रामस्वराज के अनुसार उक्त भुगतान मे० अनिल सीमेंट एजेंसी को किया गया है तथा उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट से ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उपरोक्त भुगतान किस पार्टी को किया गया है। इसी के साथ उक्त व्यय के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक भी लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे इसकी पुष्टि हो सके।

अत: स्पष्ट है कि उपरोक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय रू० 16500.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री जंगली प्रसाद एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कान्ति देवी से की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-3)

ग्राम पंचायत का नाम- डीबर

प्रस्तर संख्या-36

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में रू० 20000.00, रू० 12500.00 तथा 25000.00 (कुल रू० 57500.00) प्रशासनिक कार्य हेतु व्यय के लिए भुगतान किया गया है, जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ है:-

- उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक बिल/बाउचर इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे ये ज्ञात नहीं हो पाया कि क्या सामग्री क्रय की गई है तथा प्रस्तुत कैशबुक से स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये व्यय किस प्रयोजन से किए गए हैं।
- उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धनराशियाँ डेबिट हुई हैं परंतु इससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त धनराशियाँ किसको भुगतान की गई हैं तथा ई-ग्रामस्वराज पर भी यह अंकित नहीं है कि उक्त धनराशियाँ किसे भुगतान की गई हैं।

ग्राम पंचायतों के संबंध में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय रू० 57500.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती रेनू सिंह एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री हेमन्त शुक्ला से की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-2)

ग्राम पंचायत का नाम- गुरूवल

प्रस्तर संख्या-37

लेखा परीक्षा में पाया गया कि आलोच्य वर्ष में प्रशासनिक मद में व्यय हेतु कुल रू० 49607.00 (रू०8100.00+ रू०24638.00+ रू०6785.00+ रू०8084.00+ रू०2000.00) का भुगतान किया गया है, जिस पर लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ है:-

- उक्त व्ययों के सापेक्ष कोई व्यय प्रमाणक बिल/बाउचर इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया, तथा प्रस्तुत कैशबुक से स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये व्यय किस प्रयोजन से किए गए हैं।
- उपलब्ध बैंक स्टेटमेंट के अनुसार उक्त धनराशियाँ डेबिट हुई हैं परंतु इससे ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि उक्त धनराशियाँ किसको भुगतान की गई हैं।

ग्राम पंचायतों के संबंध में पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान तथा ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" इस प्रकार उक्त प्रावधान के आलोक में दर्शित व्यय रू० 49607.00 अपहरण की श्रेणी में आता है, जिसकी ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती अमरावती एवं ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती कान्ति देवी से की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-2)

ग्राम पंचायत का नाम- नौगवां नंदलाल

प्रस्तर संख्या-38

ग्राम पंचायत नौगवां नंदलाल, वि०ख० घोरावल, जनपद सोनभद्र के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध ऑनलाइन कैशबुक के अनुसार भिन्न-भिन्न योजनान्तर्गत कुल रू० 1465160.00 का व्यय पाया गया, जिसका योजनावार व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | योजना का नाम | किए गए व्यय (रू०) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सामाग्री | श्रम |
| 1 | लिंक रोड से राजेश के घर तक इण्टरलाकिंग खड़ंजा कार्य | 14वां वित्त | 245565.00 | - |
| 2 | प्रशासनिक व्यय | 14वां वित्त | 39958.00 | - |
| 3 | ग्राम पंचायत में पेय जलापूर्ति | 14वां वित्त | 131130.00 | - |
| 4 | हरिजन बस्ती में कैलाश के घर के समरसिबल व टंकी अधिष्ठापन | 14वां वित्त | 89280.00 | - |
| 5 | आदिवासी बस्ती में बाबूलाल कोल के घर के पास इण्टरलाकिंग खड़ंजा कार्य | 14वां वित्त | 100901.00 | - |
| 6 | सावित्रीबाई फुले विद्या मंदिर के पास कूप जगत निर्माण | 14वां वित्त | 139903.00 | 366 |
| 7 | बाबूलाल के घर के पास कूप जगत निर्माण | 14वां वित्त | 126935.00 | 345 |
| 8 | ग्राम पंचायत में पेय जलापूर्ति | 14वां वित्त | 112676.00 | - |
| 9 | हैण्डपम्प मरम्मत कार्य | 14वां वित्त | 33557.00 | 510 |
| 10 | छविनाथ के घर के पास कूप जगत निर्माण | 14वां वित्त | 83225.00 | - |
| 11 | हरिजनबस्ती में लखन के घर के पास चबूतरा निर्माण | 14वां वित्त | 61863.00 | - |
| 12 | जवाहिर व मोती के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर | 14वां वित्त | 188947.00 | - |
| 13 | ग्राम प्रधान मानदेय | 14वां वित्त | 35000.00 | - |

उपरोक्त दर्शित व्यय में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं:-

उपरोक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित/आवश्यक कोई भी अभिलेख यथा-कोषबही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या- 16012/1/2020-एफ०डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट ऑनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं०/ऑडिट ऑनलाइन/पी-43(एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा ऑनलाइन सम्पन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जाँच भौतिक रूप से किया जाना था।

उक्त के क्रम में उपरोक्त ग्राम पंचायत के ऑनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 15.02.2021 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था। इसके उपरान्त बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिकवार्ता के माध्यम से अभिलेखों की माँग के बावजूद वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस संबंध में पंचायती राज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलबध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" परंतु वर्तमान परिपेक्ष में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जाँच नहीं हो सकी व उनकेव र्तनाम उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी नहीं स्पष्ट हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित व्यय रू० 1465160.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री सुदामा एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं तथा इनके विरूद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-2)

ग्राम पंचायत का नाम- सिवद्वार

प्रस्तर संख्या-39

ग्राम पंचायत सिवद्वार, वि०ख० घोरावल, जनपद सोनभद्र के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध ऑनलाइन कैशबुक के अनुसार भिन्न-भिन्न योजनान्तर्गत कुल रू० 1889280.00 का व्यय पाया गया, जिसका योजनावार व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | योजना का नाम | किए गए व्यय (रू०) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सामाग्री | श्रम |
| 1 | ग्राम पंचायत में टैंकर क्रय | 14वां वित्त | 98600.00 | |
| 2 | प्रशासनिक व्यय | 14वां वित्त | 12500.00 | |
| 3 | ग्राम पंचायत में पेय जलापूर्ति | 14वां वित्त | 298260.00 | - |
| 4 | प्रदेश वैगा, भरत विश्वकर्मा व अमरेश गुप्ता के घर के पास समरसिबल व पानी टंकी अधिष्ठापन | च०रा०वि० | 166014.00 | - |
| 5 | शारदा पटेल, रमेश गुप्ता व राजेन्द्र के घर के पास समरसिबल व पानी टंकी अधिष्ठापन | 14वां वित्त | 166014.00 | - |
| 6 | प्रा०वि० मरौत, प्रा० वि० महादेवा तथा पेट्रोल पम्प के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य | 14वां वित्त | 311792.00 | - |
| 7 | बबलू गुप्ता व शिव भोला के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य | 14वां वित्त | 216845.00 | - |
| 8 | अमरनाथ विश्वकर्मा के कूप की सफाई व जगत निर्माण | 14वां वित्त | 81065.00 | - |
| 9 | विजय कुमार, पुत्र रामप्यारे के कूप की सफाई व जगत निर्माण | 14वां वित्त | 189433.00 | 594 |
| 10 | सामान्य लाभ निधि से संबंधित भुगतान | 14वां वित्त | 2000.00 | - |
| 11 | मेनरोड से रामबली के घर तक संपर्क मार्ग पर पुलिया निर्माण | च०रा०वि० | 43089.00 | 120 |
| 12 | विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत कार्य | 14वां वित्त | 83628.00 | 300 |
| 13 | प्रा०वि० सिवद्वार में शौचालय निर्माण कार्य | 14वां वित्त | 72780.00 | - |
| 14 | प्रा०वि० महादेवा में शौचालय निर्माण कार्य | 14वां वित्त | 72780.00 | |

उपरोक्त दर्शित व्यय में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं:-

उपरोक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित/आवश्यक कोई भी अभिलेख यथा-कोषबही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या- 16012/1/2020-एफ०डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट ऑनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं०/ऑडिट ऑनलाइन/पी-43(एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा ऑनलाइन संपन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जाँच भौतिक रूप से किया जाना था।

उक्त के क्रम में उपरोक्त ग्राम पंचायत के ऑनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 15.02.2021 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था। इसके उपरान्त बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिकवार्ता के माध्यम से अभिलेखों की माँग के बावजूद वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस संबंध में पंचायती राज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलबध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" परंतु वर्तमान परिपेक्ष में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जाँच नहीं हो सकी व उनके वर्तनाम उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी नहीं स्पष्ट हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित व्यय रू० 1889280.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री राजकुमार एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं तथा इनके विरूद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-2)

ग्राम पंचायत का नाम- देवगढ़

प्रस्तर संख्या-40

ग्राम पंचायत देवगढ़, वि०ख० घोरावल, जनपद सोनभद्र के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध ऑनलाइन कैशबुक के अनुसार भिन्न-भिन्न योजनान्तर्गत कुल रू० 1426402.00 का व्यय पाया गया, जिसका योजनावार व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | योजना का नाम | किए गए व्यय (रू०) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | सामाग्री | श्रमांश |
| 1 | ग्राम प्रधान मानदेय | 14वां वित्त | 21000.00 | - |
| 2 | ग्राम पंचायत में टैंकर क्रय | 14वां वित्त | 98300.00 | - |
| 3 | ग्राम पंचायत में पेय जलापूर्ति | 14वां वित्त | 190000.00 | - |
| 4 | प्रशासनिक व्यय | 14वां वित्त | 31500.00 | - |
| 5 | हरिश्चन्द्र, कमलेश व कैलाश के घर के पास हैण्डपम्प रिबोर कार्य | 14वां वित्त | 336472.00 | - |
| 6 | ओझा जी के घर के पास कूप जगत सफाई व निर्माण | 14वां वित्त | 139612.00 | - |
| 7 | ग्राम पंचायत में पेय जलापूर्ति | 14वां वित्त | 150700.00 | - |
| 8 | सुखदेव, रमाशंकर व अरविन्द के घर के पास एवं प्रा०वि० आहूना में समरसिबल व पानी टंकी अधिष्ठापन | 14वां वित्त | 192796.00 | - |
| 9 | अशोक के घर के पास कूप जगत सफाई व निर्माण | 14वां वित्त | 151862.00 | 34846 |
| 10 | विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत | च०रा०वि० | 79314.00 | - |

उपरोक्त दर्शित व्यय में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. उपरोक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित/आवश्यक कोई भी अभिलेख यथा-कोषबही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या- 16012/1/2020-एफ०डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट ऑनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं०/ऑडिट ऑनलाइन/पी-43(एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा ऑनलाइन संपन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जाँच भौतिक रूप से किया जाना था।

उक्त के क्रम में उपरोक्त ग्राम पंचायत के ऑनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 15.02.2021 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था। इसके उपरान्त बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिकवार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य की उपेक्षा की गई। इस संबंध में पंचायती राज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलबध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" परंतु वर्तमान परिपेक्ष में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जाँच नहीं हो सकी व उनके वर्तनाम उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी नहीं स्पष्ट हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित व्यय रू० 1426402.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्रीमती लाची एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं तथा इनके विरूद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-2)

ग्राम पंचायत का नाम- हिनौता

प्रस्तर संख्या-41

ग्राम पंचायत हिनौता, वि०ख० घोरावल, जनपद सोनभद्र के वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध ऑनलाइन कैशबुक के अनुसार भिन्न-भिन्न योजनान्तर्गत कुल रू० 2614269.00 का व्यय पाया गया, जिसका योजनावार व्यय का विवरण निम्नवत् है:-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | योजना का नाम | किए गए व्यय (रू०) |
|---|---|---|---|
| | | | सामाग्री |
| 1 | ग्राम पंचायत में टैंकर क्रय | 14वां वित्त | 197200.00 |
| 2 | प्रा०वि० हिनौती में शौचालय मरम्मत | 14वां वित्त | 53868.00 |
| 3 | प्रशासनिक व्यय | 14वां वित्त | 14500.00 |
| 4 | ग्राम पंचायत में पेय जलापूर्ति | 14वां वित्त | 217067.00 |
| 5 | विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत | च०रा०वि० | 99215.00 |
| 6 | ग्राम प्रधान को मानदेय भुगतान | च०रा०वि० | 31500.00 |
| 7 | कन्हैया के घर के पास समरसिबल व पानी टंकी अधिष्ठापन | च०रा०वि० | 52978.00 |
| 8 | अमर कोल, शांति, रामचंदर, शंकर, कल्लू, लाले व संधू के घर के पास समरसिबल व पानी टंकी अधिष्ठापन | 14वां वित्त | 368816.00 |
| 9 | श्याम सुंदर, कमला गिरी, बीरेन्द्र सिंह, बाल किशुन, रामनाथ यादव व शंकर चमार के कूप की सफाई व जगत निर्माण | 14वां वित्त | 801855.00 |
| 10 | पप्पू के बावली का मरम्मत व सफाई कार्य | 14वां वित्त | 201592.00 |
| 11 | अकाला बन्धी में दीवार व नाली निर्माण | 14वां वित्त | 197734.00 |
| 12 | विभिन्न स्थानों पर हैण्डपम्प मरम्मत | 14वां वित्त | 49286.00 |
| 13 | ग्राम पंचायत में समरसिबल मरम्मत | च०रा०वि० | 47992.00 |

उपरोक्त दर्शित व्यय में लेखा परीक्षा को निम्न आपत्तियाँ हैं:-

उपरोक्त ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा ई-ग्रामस्वराज पर उपलब्ध आकड़ों के आधार पर की गई है तथा वास्तव संस्था द्वारा लेखा परीक्षा हेतु वांछित/आवश्यक कोई भी अभिलेख यथा-कोषबही, व्यय प्रमाणक, पारित कार्य योजना, एस्टीमेट, एम०बी०, कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र इत्यादि अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए है। उल्लेखनीय है कि, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या- 16012/1/2020-एफ०डी०/दिनांक 24.09.2020, निदेशक पंचायती राज, उत्तर प्रदेश के आदेश पत्रांक 1/273/2020-1/475/2019-ऑडिट ऑनलाइन/दिनांक 24.09.2020 तथा मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ०प्र० के आदेश पत्रांक सी-223/ले०प०दो०/पं०/ऑडिट ऑनलाइन/पी-43(एक्स) दिनांक 02.11.2020 के अनुपालन के क्रम में ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा ऑनलाइन संपन्न की जानी थी तथा समस्त अभिलेखों की जाँच भौतिक रूप से किया जाना था।

उक्त के क्रम में उपरोक्त ग्राम पंचायत के ऑनलाइन ऑडिट हेतु इन्टीमेशन पत्र दिनांक 15.02.2021 को भेजा गया था और इन्टीमेशन पत्र स्वीकार किया गया था। इसके उपरान्त बारम्बार मौखिक तथा टेलीफोनिकवार्ता के माध्यम से अभिलेखों की मांग के बावजूद वर्षांत तक कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया तथा लेखा परीक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य का उपेक्षा की गई। इस संबंध में पंचायती राज विभाग, उ०प्र० द्वारा जारी वित्त एवं लेखा प्रबंध हेतु लेखा मैनुअल के अध्याय 8 के खण्ड 7 के अनुसार "ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव का यह संयुक्त दायित्व है कि वे संप्रेक्षा दल को लेखा परीक्षा हेतु वांछित समस्त अभिलेख उपलब्ध कराए" तथा इसी अध्याय की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के संबंध में कोई बाउचर उपलबध नहीं कराया जाता है तो दर्शायी गयी व्यय धनराशि को गबन मानते हुए इसकी वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव से की जायेगी।" परंतु वर्तमान परिपेक्ष में कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए इसलिए अभिलेखों के सत्यता की जाँच नहीं हो सकी व उनके वर्तनाम उपलब्धता/अनुपलब्धता की स्थिति अज्ञात रही तथा ये भी नहीं स्पष्ट हो पाया कि कुल दर्शित व्यय, वित्तीय नियमों का पालन करते हुए नियमानुसार किए गए हैं या नहीं। इस प्रकार उपरोक्त दर्शित व्यय रू० 2614269.00 अनियमित है जिसके लिए तत्कालीन ग्राम प्रधान श्री तपेश्वर एवं ग्राम पंचायत सचिव श्री अरूण कुमार संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं तथा इनके विरूद्ध आवश्यक/उचित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है
(आपत्ति संख्या-2)

विकासखण्ड- बभनी (लेखा परीक्षा वर्ष-2019-20)
ग्राम पंचायत का नाम- इकदिरी
प्रस्तर संख्या-42

ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक के अनुसार दिनांक 04.04.2019 को रू० 14875.00 चेक सं० 010897 तथा रू० 14875.00 चेक संख्या 010896 से श्री शिवपूजन प्रसाद को भुगतान दर्शित है। जिसका कोई

भी व्यय प्रमाणक ऑनलाइन या भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं रहा। चतुर्थ राज्य वित्त योजना से प्राथमिक विद्यालय इकदिरी में पंखा लाइट हेतु व्यय रू० 10000.00 चेक सं० 010898 से दिनांक 25.04.2019 को किया गया। उक्त व्यय का भी व्यय प्रमाणक ऑनलाइन या भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं रहा। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के वित्त और लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी।" भारतीय दंड संहिता के धारा 09 के अधीन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मुकदमा भी पंजीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार कुल धनराशि रू० 39750.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से कार्यकाल निर्धारित कर आधा-आधा की जानी अपेक्षित है।

(आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- बरवे

प्रस्तर संख्या-43

ग्राम पंचायत बरवे की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कूप जगत निर्माण और सफाई कार्य में निम्न कमियाँ पाई गई-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | धनराशि(रू०) | |
|---|---|---|---|
| | | सामग्री | श्रमांश |
| 1 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य विश्वनाथ पुत्र जगर नाथ के घर के पास | 90703.00 | 30115.00 |
| 2 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य अर्जुन पुत्र बाके शरण पुत्र नैन सिंह के घर के पास | 90703.00 | 29240.00 |
| 3 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई ननहकू पुत्र हरदेव के घर के पास | 73415.57 | 25155.00 |
| 4 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य चंदर पुत्र देव शाह के घर के पास | 90703.40 | 25215.00 |
| 5 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य विजय पुत्र कौशलेश के घर के पास | 93362.70 | 24430.00 |
| 6 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य राम स्वरूप पुत्र नधीर के घर के पास | 105936.00 | 32565.00 |
| 7 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य हरीदास पुत्र सुखदेव के घर के पास | 105936.00 | 28715.00 |
| 8 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य भगत पुत्र सुखदेव के घर के पास | 131546.00 | - |
| 9 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य कैलाश पुत्र हरिहर के घर के पास | 130281.00 | - |
| 10 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य इन्द्रदेव पुत्र लोचन के घर के पास | 73415.00 | 25505.00 |

उपरोक्त पर हुए व्यय रू० 1206941.67 में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष समस्त मस्टररोल तिथि विहीन रहे। मस्टर रोल क्रमांक, कार्यकाल अवधि, राशि का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में, भुगतानकर्ता का तिथियुक्त हस्ताक्षर, भुगतान हेतु शेष धनराशी, वर्क इंचार्ज का नाम और निरीक्षण अधिकारी का नाम अंकित नहीं रहा। मस्टररोल मजदूरी का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। अधिकांश सूचना अपूर्ण रहने से मजदूरी की पुष्टि नहीं होती है।
2. समस्त मस्टररोल अपूर्ण हैं, तिथिविहीन मस्टररोल में एक ही मजदूर का नाम अधिकांश कार्यों में शामिल है। जिससे उनकी उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है।
3. कुछ मजदूर एक मस्टररोल में अंगूठा लगाए हैं तो दूसरे में उसी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। सामान्यत: एक साक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर ही करता है।
4. सामग्री हेतु शंकर ट्रेडर्स चौना बभनी को समस्त भुगतान दर्शित है किन्तु बिल से कहीं भी जी०एस०टी० की कटौती नहीं की गई है और ना ही जमा की गई है।
5. किसी भी व्यय पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा। कार्य आरम्भ और समापन की फोटो भी नहीं लगी थी।

6. माप पुस्तिका अपूर्ण थी। वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के अध्याय 14 पैराग्राफ 434 से 439 तक में माप पुस्तिका भरे जाने का प्रावधान है, किन्तु उक्त का पालन नहीं किया गया।

अत: नियमों का पालन नहीं करते हुए रू० 1206941.67 का व्यय किया गया है। जिसके लिए पूर्ण रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार है। नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-1)

ग्राम पंचायत का नाम- बभनी

प्रस्तर संख्या-44

ग्राम पंचायत बभनी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कूप जगत निर्माण और सफाई कार्य में निम्न कमियाँ पाई गई-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | धनराशि(रू०) | |
|---|---|---|---|
| | | सामग्री | श्रमांश |
| 1 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य रामदास पुत्र श्यामपति के घर के पास | 94687.00 | - |
| 2 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य देवीशंकर पुत्र देवलाल के घर के पास(देवमटोला) | 115564.41 | 13286.00 |
| 3 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई शुभलाल पुत्र रामा के घर के पास | 140340.00 | 39260.00 |
| 4 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य राम बहादुर पुत्र रामकीसून के घर के पास | 115564.00 | 114354.00 |
| 5 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य रामधनी पुत्र रामस्वरूप के घर के पास | 115564.00 | 87236.00 |
| योग- | | 581791.41 | 254136.00 |

उपरोक्त पर हुए व्यय रू० 835855.41 में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 6 के अध्याय 14 पैराग्राफ 434 से 439 तक में माप पुस्तिका भरे जाने का प्रावधान है, किन्तु उक्त का पालन नहीं किया गया। माप पुस्तिका अपूर्ण और हस्ताक्षरित नहीं रही। अपलेखन युक्त माप पुस्तिका और अपठनीय अंकन से तथ्य स्पष्ट नहीं रहे।
2. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष समस्त मस्टररोल तिथि विहीन रहे। मस्टररोल क्रमांक, कार्यकाल अवधि, राशि का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में, भुगतानकर्ता का तिथियुक्त हस्ताक्षर, भुगतान हेतु शेष धनराशि, वर्क इंचार्ज का नाम और निरीक्षण अधिकारी का नाम अंकित नहीं रहा। मस्टररोल मजदूरी का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। अधिकांश सूचना अपूर्ण रहने से मजदूरी की पुष्टि नहीं होती है। समस्त मस्टररोल अपूर्ण हैं, तिथिविहीन मस्टररोल में एक ही मजदूर का नाम अधिकांश कार्यों में शामिल है। जिससे उनकी उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है।
3. कुछ मजदूर एक मस्टररोल में अंगूठा लगाए हैं तो दूसरे में उसी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। सामान्यत: एक साक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर ही करता है।
4. सामग्री हेतु गदधारी कंसट्रक्सन बभनी को समस्त भुगतान दर्शित है किन्तु बिल पेड एण्ड कैंसिल्ड नहीं किया गया है। जिससे दुबारा भुगतान की संभावना बनी रहती है।
5. किसी भी व्यय पत्रावली में कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र संलग्न नहीं रहा। कार्य आरम्भ और समापन की फोटो भी नहीं लगी थी।

अत: नियमों का पालन नहीं करते हुए रू० 835855.00 का व्यय किया गया है। जिसके लिए पूर्ण रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार है।नियम विरूद्ध कराये गये कार्यो पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है (आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर संख्या-45

ग्राम पंचायत में वर्ष 2019-20 में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक के अनुसार रू० 12227681.00 भुगतान दर्शित है। जिसके सापेक्ष रू० 835855.00 की व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहीं। इस प्रकार रू० 11391826.00 का व्यय प्रमाणक ऑनलाइन या भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं रहा। अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की जाँच न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के वित्त और लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी।" भारतीय दंड संहिता के धारा 09 के अधीन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मुकदमा भी पंजीकृत किया

जा सकेगा। इस प्रकार कुल धनराशि रू० 11391826.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से कार्यकाल निर्धारित कर आधा-आधा की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-2)

ग्राम पंचायत का नाम- घघरी

प्रस्तर संख्या-46

ग्राम पंचायत घघरी में वर्ष 2019-20 में ई-ग्रामस्वराज पोर्टल और बैंक स्टेटमेंट व कैशबुक के अनुसार रू० 4662542.00 भुगतान दर्शित है। जिसके सापेक्ष रू० 892961.00 की व्यय पत्रावलियाँ लेखा परीक्षा में उपलब्ध रहीं। इस प्रकार रू० 3769581.00 का व्यय प्रमाणक ऑनलाइन या भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं रहा। अभिलेखों के अभाव में उक्त व्यय की जाँच न की जा सकी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग के वित्त और लेखा मैनुअल के अध्याय 8 की धारा 8(क) में प्रावधान है कि "यदि दर्शाये गये व्यय के सापेक्ष कोई बाउचर उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दर्शित धनराशि को गबन मानते हुए धनराशि की वसूली ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से की जाएगी।" भारतीय दंड संहिता के धारा 09 के अधीन जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मुकदमा भी पंजीकृत किया जा सकेगा। इस प्रकार शेष धनराशि रू० 3769581.00 की ब्याज सहित वसूली तत्कालीन ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत अधिकारी से कार्यकाल निर्धारित कर आधा-आधा की जानी अपेक्षित है। (आपत्ति संख्या-1)

प्रस्तर संख्या-47

ग्राम पंचायत घघरी की वर्ष 2019-20 की लेखा परीक्षा में निम्नलिखित कूप जगत निर्माण और सफाई कार्य में निम्न कमियाँ पाई गई-

| क्र० सं० | कार्य का नाम | धनराशि(रू०) | |
|---|---|---|---|
| | | सामग्री | श्रमांश |
| 1 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य इनर के घर के पास | - | 24676.00 |
| 2 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य रामप्रसाद पुत्र नैन सिंह के घर के पास | - | 24146.00 |
| 3 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई सुरेश पुत्र आलिंचन्द्र के घर के पास | - | 23766.00 |
| 4 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य कृष्णा पुत्र छोटेलाल के घर के पास | - | 22310.00 |
| 5 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य राजेन्द्र पुत्र लक्ष्मण के घर के पास | - | 24906.00 |
| 6 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य राम बरण पुत्र रामलाल के घर के पास | - | 19168.00 |
| 7 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य जगधारी पुत्र रामचरण के घर के पास | - | 38444.00 |
| 8 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य हरिकीसून पुत्र सोवरण के घर के पास | - | 21764.00 |
| 9 | पेयजल कूप जगत निर्माण सफाई कार्य ओमप्रकाश पुत्र दलवीर के घर के पास | - | 27320.00 |
| योग- | | - | 226500.00 |

उपरोक्त पर व्यय रू० 226500.00 में निम्न आपत्तियाँ हैं:-

1. उपरोक्त व्यय के सापेक्ष समस्त मस्टररोल तिथि विहीन रहे। मस्टररोल क्रमांक, कार्यकाल अवधि, राशि का भुगतान नकद या वस्तु के रूप में, भुगतानकर्ता का तिथियुक्त हस्ताक्षर, भुगतान हेतु शेष धनराशी, वर्क इंचार्ज का नाम और निरीक्षण अधिकारी का नाम अंकित नहीं रहा। मस्टररोल मजदूरी का सबसे महत्वपूर्ण अभिलेख होता है। अधिकांश सूचना अपूर्ण रहने से मजदूरी की पुष्टि नहीं होती है। समस्त मस्टररोल अपूर्ण हैं, तिथिविहीन मस्टररोल में एक ही मजदूर का नाम अधिकांश कार्यों में शामिल है। जिससे उनकी उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होती है।
2. कुछ मजदूर एक मस्टररोल में अंगूठा लगाए हैं तो दूसरे में उसी के द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। सामान्यत: एक साक्षर व्यक्ति हस्ताक्षर ही करता है।

अत: नियमों का पालन नहीं करते हुए रू० 226500.00 का व्यय किया गया है। जिसके लिए पूर्ण रूप से ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत सचिव जिम्मेदार है। ब्याज सहित वसूली उत्तरदायी व्यक्तियों से की जानी अपेक्षित है___ (आपत्ति संख्या-2)

## अध्याय-5

## निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों/विशेष प्रतिवेदनों का अनुपालन, समीक्षा व नस्ति संग्रह का विवरण

### 5-1-जिला पंचायत-

जिला पंचायतों में मात्र 40 जिला पंचायतों की लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित संस्थाओं में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही। मात्र 27 सामान्य प्रतिवेदन तथा 02 विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। पंचायती राज विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। जिला पंचायतों का लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

### 5-2-क्षेत्र पंचायत-

मात्र 433 क्षेत्र पंचायतों के अभिलेख लेखा परीक्षा दल को प्राप्त हुए। लेखा परीक्षित क्षेत्र पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त शोचनीय रही, क्षेत्र पंचायत द्वारा शून्य सामान्य प्रतिवेदन और 2 विशेष प्रतिवेदन/अधिभार प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग ग्राम्य विकास विभाग द्वारा भी इस विर्षय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

### 5-3-ग्राम पंचायत-

ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नही रही, ग्राम पंचायत द्वारा शून्य सामान्य प्रतिवेदन तथा 34 ग्राम पंचायतों द्वारा विशेष प्रतिवेदन का अनुपालन लेखा परीक्षक के समक्ष समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा भी इस विषय पर कोई रूचि नहीं ली गयी, जोकि लेखा परीक्षा एवं उसके अनुपालन के प्रति संस्था एवं प्रशासनिक विभाग की उपेक्षा एवं उदासीनता को दर्शाता है। ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा प्रगति, सामान्य प्रतिवेदनों का निर्गमन व अनुपालन तथा विशेष प्रतिवेदनों का निर्गमन एवं अनुपालन की स्थिति परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से पंचायतीराज मंत्रालय भारत सरकार की अपेक्षानुसार ऑडिट ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन केवल ग्राम पंचायतों में ही इस वर्ष ऑडिट ऑनलाइन की प्रक्रिया शूरु हो पायी थी। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के अभिलेख ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड न होने के कारण ऑडिट ऑनलाइन की प्रक्रिया शूरु नहीं हो पायी। फलस्वरूप इन संस्थाओं की भी ऑडिट प्रगति विगत वर्षों की तरह असंतोषजनक रही है।

## अध्याय-6

## निष्कर्ष व सुझाव

### 6-1-निष्कर्ष

#### बाह्य सम्प्रेक्षण के प्रति उदासीनता-

निदेशक, सहकारी समितियां एवं पंचायत, लेखापरीक्षा उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 822 क्षेत्र पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान 433 क्षेत्र पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई गयी कि कुल क्षेत्र पंचायतों का 52 प्रतिशत है। जबकि प्रत्येक क्षेत्र पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किये जाने की व्यवस्था है। किसी क्षेत्र पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस क्षेत्र पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाना चाहिये और उ0प्र0 जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत (बजट तथा सामान्य लेखा) नियमावली 1965

के नियम संख्या- 174 के क्रम में कार्यकारी अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही भी की जानी चाहिये। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

इसी प्रकार मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा पूरे राज्य में कुल 58810 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान 56981 ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा कराई जा सकी जो कि कुल ग्राम पंचायतों का 96.88 प्रतिशत है। ग्राम सभाओं की जनपदवार प्रगति परिशिष्ट-3 में उल्लिखित है। लेखा परीक्षा न होने का मुख्य कारण ग्राम प्रधान व ग्राम्य विकास अधिकारी द्वारा अभिलेख न उपलब्ध कराना है। प्रशासनिक विभागों के निचले स्तर के अधिकारियों (विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर) द्वारा अभिलेखों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अपेक्षित सहयोग प्रदान नहीं किया गया। लेखा परीक्षा न कराने वाली ग्राम पंचायतों के विरूद्ध सामयिक व कड़ी कार्यवाही न किए जाने से इस प्रकार की अराजकता को बल मिला। अध्याय-8 के पैरा-3 में यह व्यवस्था दी गयी है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का सम्प्रेक्षण अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष किया जायेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा सम्प्रेक्षण कराने से मना करने की दशा में उस ग्राम पंचायत को राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले अनुदान आडिट कराने तक अवमुक्त नहीं किया जाएगा और साथ ही ग्राम प्रधान तथा ग्राम्य विकास अधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही भी की जाएगी। परन्तु व्यवहार में सम्पूर्ण राज्य में इस प्रकार का कोई उदाहरण प्राप्त नहीं हुआ।

**<u>निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न करना</u>**-त्रिस्तरीय पंचायती संस्थाओं की लेखा परीक्षा में अधिकांश संस्थाओं द्वारा निर्धारित अनेक अभिलेख प्रस्तुत न करने के कारण समग्र व वास्तविक मूल्यांकन सम्भव नहीं हो सका जिसका लेखा परीक्षा परिणामों पर विपरीत प्रभाव पड़ा तथा अधोलिखित विषयों पर स्पष्ट व सारगर्भित विवेचना नहीं की जा सकी।

कार्य की पंचायत , तकनीकी, सक्षम स्तर की स्वीकृति।

खर्च की गयी धनराशि के सापेक्ष सरकार की योजनाओं में सन्निहित उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुयी।

इच्छित लाभ लोगों तक पहुंचा है। विशिष्ट कार्यक्रमों/विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सेवाओं/कार्य में सुधार होने वाली त्रुटि के निवारण हेतु कार्यवाही की गयी है।

कार्यकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित जॉच न करने के फलस्वरूप कपटपूर्ण कार्य, अपहरण आदि सुसाध्य हुआ।

अकुशल वित्तीय प्रबंधन, कार्यक्रमों का अकुशल क्रियान्वयन, अपूर्ण कार्य व कमजोर अनुश्रवण के कारण अपेक्षित लाभों को प्राप्त नहीं किया जा सकना।

श्रमिकों के भुगतान में विलंब।

नियमों व नियमन का अनुपालन न करना।

असावधानी/नियंत्रण की कमी/पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय।

सतत व व्यापक अनियमितता,धोखे, अपहरण को चिन्हित करना।

अनुदान की धनराशि का उपयोग न करना। वापस न करना।

11-अभिलेखों के अंकन व रख रखाव का मूल्यांकन।

12- **महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित समस्त 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर नही रखे जा रहे है।**

इसी प्रकार ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न करने के कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों की लेखा परीक्षा में समग्र व वास्तविक मूल्यांकन संभव न हो सका जिसके परिणाम स्वरूप अधोलिखित तथ्यों का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका। ई- ग्राम स्वराज पर भी पर्याप्त अभिलेख नहीं रखे जा रहे हैं।

1-परियोजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया नियम अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत थी अथवा नहीं ?

2-किये गये व्यय से वित्तीय औचित्य के सिद्धान्त का पालन किया गया अथवा नहीं ?

3-न्यूनतम लागत में अधिकतम हित प्राप्त किया गया अथवा नहीं ?

4-न्यूनतम मूल्य में उच्च गुणवत्ता का क्रय किया गया अथवा नहीं ?
5- ग्राम पंचायत द्वारा प्रभावी ढ़ंग से योजना का अनुश्रवण करते हुए भौतिक लक्ष्य को समय से पूर्ण किया गया अथवा नहीं ?

**भौतिक उपलब्धियों का परीक्षण-**

परियोजनाओं के भौतिक लक्ष्य के पूर्ण होने व समय से पूर्ण होने के सम्बन्ध में स्थिति संदिग्ध रही। अधोलिखित तथ्यों के परिणाम स्वरूप का परीक्षण व मूल्यांकन नहीं किया जा सका।

1-लेखा परीक्षा में तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत न करने।

2-परियोजना के पूर्ण होने की स्थिति (कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र) प्रस्तुत न करने।

3-परियोजना में कृत कार्य वास्तविक अथवा अवास्तविक इस तथ्य की पुष्टि का कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत न करने के कारण।

4- लेखा परीक्षा में परियोजनाओं के भौतिक उपलब्धियों को परीक्षण के लिये सक्षम अधिकारियों (यथा जिला पंचायत का कोई पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी) द्वारा किये गये निरीक्षणों की रिपोर्ट लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं की गई। जिससे सक्षम अधिकारियों द्वारा उनके रिपोर्ट में इंगित कमियों एवं उसके निराकरण हेतु पंचायत स्तर पर की गयी कार्यवाही एवं उससे हुये सुधार का आंकलन लेखा परीक्षा में नहीं किया जा सका।

**अनुपालन -** जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन नगण्य रहा। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन कुल लेखा परीक्षित ग्राम पंचायतों केसापेक्ष अत्यन्त कम है। प्राप्त अनुपालन भी अत्यन्त सरसरी तौर पर मात्र औपचारिकता पूर्ति के लिए किये गये। जो लेखा परीक्षा के प्रति अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। सम्यक व समुचित अनुपालन की कार्यवाही का न होना लेखा परीक्षा के सम्पूर्ण उद्देश्य को खंडित कर देता है। अतः इस विषय पर पटल का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया जाता है।

**6-2-संस्तुतियां-**

पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक कठिनाई लेखा परीक्षा हेतु निर्धारित सभी अभिलेखों का प्रस्तुत न हो पाना रहा, जिससे लेखा परीक्षा की प्रगति एवं गुणवत्ता प्रभावित हुई। ग्राम पंचायत व क्षेत्र पंचायतों के कार्यकारी अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षार्थ अभिलेखों को प्रस्तुत करने में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। जिसके कारण प्रभावित प्रगति का अवलोकन परिशिष्ट-2 एवं 3 में किया जा सकता है। अधिनियम व नियमावलियों में निर्धारित सभी अभिलेखों को लेखा परीक्षार्थ न प्रस्तुत करने पर कोई दण्डात्मक विधान न होने के कारण प्रशासनिक प्रस्तर पर इस कार्य में निरन्तर शिथिलता बरती जा रही है। इस समस्या के निराकरण के लिए अधोलिखित संस्तुतियां की जाती है-

1-लेखा परीक्षा कार्य की गुणवत्ता के लिये सभी ग्राम पंचायत के अभिलेख निर्धारित प्रारूप पर लेखांकित होने चाहिये और लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत होने चाहिये जिससे लेखा परीक्षा में गहन व परिपूर्ण मूल्यांकन सम्भव हो सके।

2- सभी क्षेत्र पंचायतों व ग्राम पंचायतों के अभिलेख प्रतिवर्ष लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के समक्ष प्रस्तुत कराये जाने के प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जानी चाहिए।

3- निर्धारित अभिलेख प्रस्तुत न होने की दशा में संस्था के कार्यकारी अधिकारी यथा (क्षेत्र पंचायत की दशा में खण्ड विकास अधिकारी एवं ग्राम पंचायत की दशा में ग्राम्य विकास अधिकारी) के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाना चाहिए।

4-लेखा परीक्षा हेतु अभिलेख प्रस्तुत कराये जाने के लिये जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी/नोडल अधिकारी यथा (मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायती राज अधिकारी) का दायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

5-कराये गये कार्य को कम से कम 20 प्रतिशत का भौतिक परीक्षण लेखा परीक्षक के स्तर से भी किया जाना चाहिए। जिससे प्रस्तुत अभिलेख एवं कृत कार्य का सर्वागीण परीक्षण कर वस्तुस्थिति का स्पष्ट चिट्ठा प्रस्तुत किया जा सकता है।

6-पंचायती राज संस्थाओं के लेखा परीक्षा हेतु विभाग के लिये एक लेखा परीक्षा अधिनियम बनाया जाना चाहिए जिसमें लेखा परीक्षक के समक्ष निर्धारित अवधि में समस्त निर्धारित अभिलेखों को प्रस्तुत न कर पाने की दशा में यथोचित अर्थदण्ड एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधान होना चाहिए।

**7-महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्धारित सभी 08 प्रपत्र प्रिया सॉफ्ट पर रखे जाए जिससे पारदर्शिता बनी रहे।**

**अनुपालन-** पंचायती राज संस्थाओं में निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनुपालन की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। अनुपालन का न होना अपर्याप्त अनुश्रवण व कमजोर प्रतिक्रिया को प्रदर्शित करता है। इससे जहां लेखा परीक्षा का सम्पूर्ण उद्देश्य खण्डित होता है वहीं विकास कार्यों के लिये भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवंटित अरबों रूपये की धनराशि के उचित उपयोग पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विधान मण्डल व माननीय सदस्यों की समिति उपर्युक्त तथ्यों का संज्ञान लेते हुये अनुपालन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता के विषय में उचित कार्यवाही करना चाहें।

(बजरंगी सिंह)
निदेशक
सहकारी समितियॉ एवं पंचायत लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश

## त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020

## प्रारूप 1 जिला पंचायत

| प्रारूप-1 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष 2019-2020 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या | | | | | | | | | | | |
| क्र0 सं0 | नाम संस्था | वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं0 | | | वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं0 | | | वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं0 (3-4) | | | लेखा परीक्षा न होने का कारण |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 |
| | | चालू | बकाया | योग | चालू | बकाया | योग | चालू | बकाया | योग | |
| 1 | लखनऊ | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | अभिलेख अप्राप्त |
| 2 | रायबरेली | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 3 | उन्नाव | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 4 | हरदोई | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 5 | सीतापुर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 6 | लखीमपुर-खीरी | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 7 | गोरखपुर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 8 | देवरिया | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 9 | महाराजगंज | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | कुशीनगर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 11 | बस्ती | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 12 | संतकबीर नगर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 13 | सिद्धार्थनगर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 14 | अमरोहा(जे.पी. नगर) | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 15 | मुरादाबाद | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 16 | सम्भल | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | रामपुर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 18 | बिजनौर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 19 | अयोध्या | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
| 20 | बहराइच | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 21 | गोण्डा | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 22 | बलरामपुर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 23 | अमेठी | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 24 | श्रावस्ती | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 25 | सुल्तानपुर | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 26 | बाराबंकी | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 27 | अम्बेडकर नगर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 28 | आजमगढ़ | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 29 | बलिया | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 30 | मऊ | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 31 | बाँदा | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 32 | ललितपुर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 33 | हमीरपुर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 34 | जालौन | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 35 | चित्रकूट | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 36 | महोबा | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 37 | झांसी | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 38 | प्रतापगढ़ | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 39 | इलाहाबाद | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 40 | कौशाम्बी | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
| 41 | फतेहपुर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 42 | बुलन्दशहर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 43 | गौतमबुद्ध नगर | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 44 | गाजियाबाद | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 45 | हापुड़ | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
| 46 | मेरठ | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 4 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | बागपत | 1 | 6 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 48 | मुजफ्फर नगर | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 49 | सहारनपुर | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | शामली | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 51 | वाराणसी | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 52 | चन्दौली | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 53 | जौनपुर | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 54 | गाजीपुर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 55 | मीरजापुर | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 56 | सोनभद्र | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 57 | भदोही | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 58 | बरेली | 1 | 3 | 4 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | |
| 59 | पीलीभीत | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 60 | बदायूँ | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | |
| 61 | शाहजहाँपुर | 1 | 7 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
| 62 | आगरा | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 63 | फिरोजाबाद | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 64 | मथुरा | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 65 | अलीगढ़ | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 66 | एटा | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 67 | मैनपुरी | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 68 | हाथरस | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 69 | कासगंज | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 70 | कानपुर नगर | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | |
| 71 | औरैया | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 72 | कानपुर देहात | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | |
| 73 | फर्रुखाबाद | 1 | 7 | 8 | - | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 74 | कन्नौज | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 75 | इटावा | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |

**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020**

**प्रारूप 1 क्षेत्र पंचायत**

| प्रारूप-1 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष 2019-2020 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या | | | | | |
| क्र0 सं0 | नाम संस्था | वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं0 | वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं0 | वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं0 (3-4) | लेखा परीक्षा न होने का कारण |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | चालू | बकाया | योग | चालू | बकाया | योग | चालू | बकाया | योग | |
| 1 | लखनऊ | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | |
| 2 | रायबरेली | 18 | - | 18 | 17 | - | 17 | 1 | - | 1 | |
| 3 | उन्नाव | 16 | - | 16 | 0 | - | 0 | 16 | - | 16 | |
| 4 | हरदोई | 19 | - | 19 | 7 | - | 7 | 12 | - | 12 | |
| 5 | सीतापुर | 19 | - | 19 | 1 | - | 1 | 18 | - | 18 | |
| 6 | लखीमपुर-खीरी | 15 | - | 15 | 2 | - | 2 | 13 | - | 13 | |
| 7 | गोरखपुर | 20 | - | 20 | 9 | - | 9 | 11 | - | 11 | |
| 8 | देवरिया | 16 | 79 | 95 | 16 | 16 | 32 | 0 | 63 | 63 | |
| 9 | महाराजगंज | 12 | 23 | 35 | 7 | 3 | 10 | 5 | 20 | 25 | |
| 10 | कुशीनगर | 14 | - | - | 8 | - | 8 | 6 | - | 6 | |
| 11 | बस्ती | 14 | - | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | |
| 12 | संतकबीर नगर | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | |
| 13 | सिद्धार्थनगर | 14 | - | 14 | 10 | - | 10 | 4 | - | 4 | |
| 14 | अमरोहा(जे.पी. नगर) | 6 | 14 | 20 | 1 | - | 1 | 5 | 14 | 19 | |
| 15 | मुरादाबाद | 8 | 75 | 83 | 5 | - | 5 | 3 | 75 | 78 | |
| 16 | सम्भल | 8 | 97 | 105 | - | - | - | 8 | 97 | 105 | |
| 17 | रामपुर | 6 | 78 | 84 | - | 5 | 5 | 6 | 73 | 79 | |
| 18 | बिजनौर | 11 | - | 11 | 3 | - | 3 | 8 | - | 8 | |
| 19 | अयोध्या | 11 | 5 | 16 | 10 | 5 | 15 | 1 | - | 1 | |
| 20 | बहराइच | 14 | - | 14 | 10 | - | 10 | 4 | - | 4 | |
| 21 | गोण्डा | 16 | - | 16 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | |
| 22 | बलरामपुर | 9 | - | 9 | 5 | - | 5 | 4 | - | 4 | |
| 23 | अमेठी | 13 | 39 | 52 | 6 | 4 | 10 | 7 | 35 | 42 | |
| 24 | श्रावस्ती | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | |
| 25 | सुल्तानपुर | 14 | 9 | 23 | 7 | 7 | 14 | 7 | 2 | 9 | |
| 26 | बाराबंकी | 15 | 141 | 156 | 4 | - | 4 | 11 | 141 | 152 | |
| 27 | अम्बेडकर नगर | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 | - | - | - | |
| 28 | आजमगढ़ | 22 | 234 | 256 | 16 | 6 | 22 | 6 | 228 | 234 | |
| 29 | बलिया | 17 | - | 17 | 10 | - | 10 | 7 | - | 7 | |
| 30 | मऊ | 9 | 44 | 55 | 9 | 2 | 11 | - | 42 | 42 | |
| 31 | बाँदा | 8 | - | 8 | 3 | - | 3 | 5 | - | 5 | |
| 32 | ललितपुर | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | |
| 33 | हमीरपुर | 7 | - | 7 | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 | |
| 34 | जालौन | 9 | 144 | 153 | - | 3 | 3 | 9 | 141 | 144 | |
| 35 | चित्रकूट | 5 | - | 5 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | महोबा | 4 | - | 4 | - | - | - | 4 | - | 4 | |
| 37 | झांसी | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | |
| 38 | प्रतापगढ़ | 17 | 108 | 125 | - | - | - | 17 | 108 | 125 | |
| 39 | इलाहाबाद | 23 | - | 23 | 9 | - | 9 | 14 | - | 14 | |
| 40 | कौशाम्बी | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | |
| 41 | फतेहपुर | 13 | - | 13 | 13 | - | 13 | - | - | - | |
| 42 | बुलन्दशहर | 16 | - | 16 | - | - | - | 16 | - | 16 | |
| 43 | गौतमबुद्ध नगर | 3 | 25 | 28 | - | - | - | 3 | 25 | 28 | |
| 44 | गाजियाबाद | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | |
| 45 | हापुड़ | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | - | - | - | |
| 46 | मेरठ | 12 | 11 | 23 | 4 | - | 4 | 8 | 11 | 19 | |
| 47 | बागपत | 6 | 105 | 111 | - | - | - | 6 | 105 | 111 | |
| 48 | मुजफ्फर नगर | 9 | - | 9 | 4 | - | 4 | 5 | - | 5 | |
| 49 | सहारनपुर | 11 | 1 | 12 | - | 1 | 1 | 11 | - | 11 | |
| 50 | शामली | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | - | 5 | |
| 51 | वाराणसी | 8 | 16 | 24 | 8 | - | 8 | - | 16 | 16 | |
| 52 | चन्दौली | 9 | 8 | 17 | 9 | - | 9 | - | 8 | 8 | |
| 53 | जौनपुर | 21 | 4 | 25 | 21 | 4 | 25 | - | - | - | |
| 54 | गाजीपुर | 16 | 53 | 69 | 14 | - | 14 | 2 | 53 | 55 | |
| 55 | मीरजापुर | 12 | 51 | 63 | 11 | 10 | 21 | 01 | 41 | 42 | |
| 56 | सोनभद्र | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 | - | - | - | |
| 57 | भदोही | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | - | - | |
| 58 | बरेली | 15 | - | 15 | 2 | - | 2 | 13 | - | 13 | |
| 59 | पीलीभीत | 7 | 76 | 83 | 4 | 4 | 8 | 3 | 72 | 75 | |
| 60 | बदायूँ | 4 | 11 | 15 | 4 | - | 4 | 0 | 11 | 11 | |
| 61 | शाहजहाँपुर | 15 | 75 | 90 | - | - | - | 15 | 75 | 90 | |
| 62 | आगरा | 15 | - | 15 | 3 | - | 3 | 12 | - | 12 | |
| 63 | फिरोजाबाद | 9 | 0 | 9 | 5 | - | 5 | 4 | - | 4 | |
| 64 | मथुरा | 10 | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 10 | |
| 65 | अलीगढ़ | 12 | - | 12 | 10 | - | 10 | 2 | - | 2 | |
| 66 | एटा | 8 | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 67 | मैनपुरी | 9 | - | 9 | 4 | - | 4 | 5 | - | 5 | |
| 68 | हाथरस | 7 | - | 7 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | |
| 69 | कासगंज | 7 | - | 7 | 3 | - | 3 | 4 | - | 4 | |
| 70 | कानपुर नगर | 10 | 6 | 16 | 10 | 2 | 12 | - | 4 | 4 | |
| 71 | औरैया | 7 | 62 | 69 | 6 | 6 | 12 | 1 | 56 | 57 | |
| 72 | कानपुर देहात | 10 | 2 | 12 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 73 | फर्रुखाबाद | 7 | 13 | 20 | 7 | - | 7 | - | 13 | 13 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | कन्नौज | 8 | 74 | 82 | 3 | 6 | 9 | 5 | 68 | 73 | |
| 75 | इटावा | 8 | 109 | 117 | 3 | 10 | 13 | 5 | 99 | 104 | |

**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का वार्षिक प्रतिवेदन 2019-2020**

**प्रारूप 1 ग्राम पंचायत**

| प्रारूप-1<br>वर्ष 2019-2020 में लेखा परीक्षित संस्थाओं की संख्या | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र0 सं0 | नाम संस्था | वर्ष में लेखा परीक्षा योग संस्थाओं की सं0 | | | वर्ष में लेखा परीक्षित संस्थाओं की सं0 | | | वर्ष के अन्त में अवशेष संस्थाओं की सं0 (3-4) | | | लेखा परीक्षा न होने का कारण |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | 5 | | | 6 |
| | | चालू | बकाया | योग | चालू | बकाया | योग | चालू | बकाया | योग | |
| 1 | लखनऊ | 570 | - | 570 | 569 | - | 569 | 1 | - | 1 | |
| 2 | रायबरेली | 989 | - | 989 | 989 | - | 989 | - | - | - | |
| 3 | उन्नाव | 1044 | - | 1044 | 1044 | - | 1044 | - | - | - | |
| 4 | हरदोई | 1306 | - | 1306 | 1306 | - | 1306 | - | - | - | |
| 5 | सीतापुर | 1600 | - | 1600 | 1600 | - | 1600 | - | - | - | |
| 6 | लखीमपुर-खीरी | 1167 | - | 1167 | 1167 | - | 1167 | - | - | - | |
| 7 | गोरखपुर | 1352 | - | 1352 | 1140 | - | 1140 | 212 | - | 212 | |
| 8 | देवरिया | 1189 | 229 | 1418 | 655 | 70 | 655 | 534 | 159 | 693 | |
| 9 | महाराजगंज | 923 | 246 | 1169 | 923 | 246 | 923 | - | - | - | |
| 10 | कुशीनगर | 1049 | - | 1049 | 703 | - | 703 | 346 | - | 346 | |
| 11 | बस्ती | 1235 | - | 1235 | 1235 | - | 1235 | - | - | - | |
| 12 | संतकबीर नगर | 794 | - | 794 | 794 | - | 794 | - | - | - | |
| 13 | सिद्धार्थनगर | 1199 | - | 1199 | 1199 | - | 1199 | - | - | - | |
| 14 | अमरोहा(जे.पी. नगर) | 597 | 2928 | 3525 | 596 | - | 596 | 1 | 2928 | 2929 | |
| 15 | मुरादाबाद | 584 | 2118 | 2702 | 584 | - | 584 | - | 2118 | 2118 | |
| 16 | सम्भल | 556 | 1674 | 2230 | 556 | 41 | 597 | - | 1633 | 1633 | |
| 17 | रामपुर | 684 | 1146 | 1830 | 683 | - | 683 | 1 | 1146 | 1147 | |
| 18 | बिजनौर | 1123 | - | 1123 | 1123 | - | 1123 | - | - | - | |
| 19 | अयोध्या | 835 | 1051 | 1886 | 833 | - | 833 | 2 | 1051 | 1053 | |
| 20 | बहराइच | 1054 | - | 1054 | 1045 | - | 1045 | 9 | - | 9 | |
| 21 | गोण्डा | 1054 | - | 1054 | 1022 | - | 1022 | 32 | - | 32 | |
| 22 | बलरामपुर | 800 | - | 800 | 800 | - | 800 | - | - | - | |
| 23 | अमेठी | 682 | 16 | 698 | 682 | 16 | 698 | - | - | - | |
| 24 | श्रावस्ती | 397 | - | 397 | 396 | - | 396 | 1 | - | 1 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | सुल्तानपुर | 986 | 19 | 1005 | 986 | 19 | 1005 | - | - | - | |
| 26 | बाराबंकी | 1166 | 4538 | 5704 | 1166 | - | 1166 | - | 4538 | 4538 | |
| 27 | अम्बेडकर नगर | 927 | - | 927 | 927 | - | 927 | - | - | - | |
| 28 | आजमगढ़ | 1871 | 10297 | 12168 | 1871 | 582 | 2453 | - | 9715 | 9715 | |
| 29 | बलिया | 948 | - | 948 | 948 | - | 948 | - | - | - | |
| 30 | मऊ | 675 | 1092 | 1767 | 675 | - | 675 | - | 1042 | 1042 | |
| 31 | बाँदा | 469 | - | 469 | 469 | - | 469 | - | - | - | |
| 32 | ललितपुर | 415 | - | 415 | 415 | - | 415 | - | - | - | |
| 33 | हमीरपुर | 330 | - | 330 | 330 | - | 330 | - | - | - | |
| 34 | जालौन | 575 | 3526 | 4101 | 575 | - | 575 | - | 3526 | 3526 | |
| 35 | चित्रकूट | 331 | - | 331 | 331 | - | 331 | - | - | - | |
| 36 | महोबा | 273 | 488 | 761 | 204 | 488 | 692 | 69 | - | - | |
| 37 | झांसी | 496 | - | 496 | 496 | - | 496 | - | - | - | |
| 38 | प्रतापगढ़ | 1255 | 4250 | 5506 | 1156 | 360 | 1516 | 99 | 3820 | 3820 | |
| 39 | इलाहाबाद | 1540 | - | 1540 | 1540 | - | 1540 | - | - | - | |
| 40 | कौशाम्बी | 476 | - | 476 | 476 | - | 476 | - | - | - | |
| 41 | फतेहपुर | 840 | 2144 | 2984 | 840 | 10 | 850 | - | 2134 | 2134 | |
| 42 | बुलन्दशहर | 951 | - | 951 | 951 | - | 951 | - | - | - | |
| 43 | गौतमबुद्ध नगर | 86 | 65 | 151 | 86 | 65 | 151 | - | - | - | |
| 44 | गाजियाबाद | 161 | - | 161 | 161 | - | 161 | - | - | - | |
| 45 | हापुड़ | 273 | - | 273 | 273 | - | 273 | - | - | - | |
| 46 | मेरठ | 479 | 11 | 490 | 479 | 11 | 490 | - | - | - | |
| 47 | बागपत | 245 | 225 | 470 | 245 | 56 | 301 | - | 169 | 169 | |
| 48 | मुजफ्फर नगर | 498 | - | 498 | 498 | - | 498 | - | - | - | |
| 49 | सहारनपुर | 887 | - | 887 | 887 | - | 887 | - | - | - | |
| 50 | शामली | 230 | 11 | 241 | 230 | 11 | 241 | - | - | - | |
| 51 | वाराणसी | 760 | 1628 | 2388 | 760 | 17 | 777 | - | 1611 | 1611 | |
| 52 | चन्दौली | 734 | 2111 | 2845 | 734 | 1 | 735 | - | 2110 | 2110 | |
| 53 | जौनपुर | 1749 | 4821 | 6570 | 1749 | - | 1749 | - | 4821 | 4821 | |
| 54 | गाजीपुर | 1237 | 3317 | 4554 | 1237 | 81 | 1318 | - | 3236 | 3236 | |
| 55 | मीरजापुर | 809 | 83 | 892 | 809 | 5 | 814 | - | 78 | 78 | |
| 56 | सोनभद्र | 637 | - | 637 | 637 | - | 637 | - | - | - | |
| 57 | भदोही | 561 | 1954 | 2515 | 561 | 36 | 597 | - | 1918 | 1918 | |
| 58 | बरेली | 1193 | - | 1193 | 1166 | - | 1166 | 27 | - | 27 | |
| 59 | पीलीभीत | 721 | 5760 | 6481 | 552 | 24 | 576 | 169 | 5736 | 5905 | |
| 60 | बदायूँ | 302 | 753 | 1038 | 302 | - | 302 | - | 753 | 753 | |
| 61 | शाहजहाँपुर | 1077 | 3534 | 4611 | 1077 | - | 1077 | - | 3534 | 3534 | |
| 62 | आगरा | 695 | - | 695 | 695 | - | 695 | - | - | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | फिरोजाबाद | 569 | - | 569 | 569 | - | 569 | - | - | - | |
| 64 | मथुरा | 504 | - | 504 | 504 | - | 504 | - | - | - | |
| 65 | अलीगढ़ | 902 | - | 902 | 889 | - | 889 | 13 | - | 13 | |
| 66 | एटा | 575 | - | 575 | 575 | - | 575 | - | - | - | |
| 67 | मैनपुरी | 552 | - | 552 | 552 | - | 552 | - | - | - | |
| 68 | हाथरस | 474 | - | 474 | 474 | - | 474 | - | - | - | |
| 69 | कासगंज | 423 | - | 423 | 423 | - | 423 | - | - | - | |
| 70 | कानपुर नगर | 590 | 816 | 1406 | 580 | - | 580 | 10 | 816 | 826 | |
| 71 | औरैया | 477 | 3823 | 4300 | 477 | 36 | 513 | - | 3787 | 3787 | |
| 72 | कानपुर देहात | 640 | 1120 | 1760 | 640 | 136 | 776 | - | 984 | 984 | |
| 73 | फर्रुखाबाद | 600 | 7342 | 7942 | 600 | 1223 | 1823 | - | 6119 | 6119 | |
| 74 | कन्नौज | 504 | 6560 | 7064 | 504 | 2596 | 3100 | - | 3964 | 3964 | |
| 75 | इटावा | 471 | 3830 | 4301 | 471 | 236 | 707 | - | 3594 | 3594 | |

**प्रारूप 5 जिला पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2019-2020**

जिला पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरणः-

| क्र0 सं0 | जनपद | लेखापरीक्षा प्रगति | | | सामान्य प्रतिवेदन | | | विशेष प्रतिवेदन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल जिला पंचायत | लेखा परीक्षित | बकाया | कुल निर्गत | प्राप्त अनुपालन की सं. | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन | कुल निर्गत | प्राप्त अनुपालन की सं. | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं. |
| 1 | लखनऊ | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | रायबरेली | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | उन्नाव | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 4 | हरदोई | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 5 | सीतापुर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 6 | लखीमपुर-खीरी | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 7 | गोरखपुर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 8 | देवरिया | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 9 | महाराजगंज | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 10 | कुशीनगर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 11 | बस्ती | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 12 | संतकबीर नगर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 13 | सिद्धार्थनगर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 14 | अमरोहा(जे.पी. नगर) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | मुरादाबाद | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | सम्भल | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | रामपुर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 18 | बिजनौर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 19 | अयोध्या | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 20 | बहराइच | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 21 | गोण्डा | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 22 | बलरामपुर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 23 | अमेठी | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 24 | श्रावस्ती | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 25 | सुल्तानपुर | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | बाराबंकी | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 27 | अम्बेडकर नगर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 28 | आजमगढ़ | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 29 | बलिया | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 30 | मऊ | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 31 | बाँदा | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 32 | ललितपुर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 33 | हमीरपुर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 34 | जालौन | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 35 | चित्रकूट | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 36 | महोबा | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | झांसी | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 38 | प्रतापगढ़ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | इलाहाबाद | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 40 | कौशाम्बी | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 41 | फतेहपुर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 42 | बुलन्दशहर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 43 | गौतमबुद्ध नगर | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | गाजियाबाद | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | हापुड़ | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 46 | मेरठ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | बागपत | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | मुजफ्फर नगर | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | सहारनपुर | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | शामली | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | वाराणसी | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 52 | चन्दौली | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 53 | जौनपुर | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | गाजीपुर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 55 | मीरजापुर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 56 | सोनभद्र | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 57 | भदोही | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 58 | बरेली | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 59 | पीलीभीत | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 60 | बदायूँ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 61 | शाहजहाँपुर | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | आगरा | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 63 | फिरोजाबाद | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 64 | मथुरा | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 65 | अलीगढ़ | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | एटा | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | मैनपुरी | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 68 | हाथरस | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 69 | कासगंज | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 70 | कानपुर नगर | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 71 | औरैया | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 72 | कानपुर देहात | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 73 | फर्रुखाबाद | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 74 | कन्नौज | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 75 | इटावा | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |

**<u>प्रारूप 5 क्षेत्र पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2019-2020</u>**

<u>क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरणः-</u>

| क्र0 सं0 | जनपद | लेखापरीक्षा प्रगति | | | सामान्य प्रतिवेदन | | | विशेष प्रतिवेदन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल क्षेत्र पंचायत | लेखा परीक्षित | बकाया | कुल निर्गत | प्राप्त अनुपालन की सं. | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन | कुल निर्गत | प्राप्त अनुपालन की सं. | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन की सं. |
| 1 | लखनऊ | 8 | 8 | - | 8 | - | - | 5 | - | 5 |
| 2 | रायबरेली | 18 | 17 | 1 | 17 | - | 17 | 4 | - | 4 |
| 3 | उन्नाव | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | हरदोई | 19 | 7 | 12 | 7 | - | 7 | 1 | - | 1 |
| 5 | सीतापुर | 19 | 1 | 18 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 6 | लखीमपुर-खीरी | 15 | 2 | 13 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 7 | गोरखपुर | 20 | 9 | 11 | 9 | - | 9 | 2 | - | 2 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | देवरिया | 16 | 16 | - | 16 | - | 16 | 14 | 1 | 13 |
| 9 | महाराजगंज | 12 | 7 | 5 | 7 | - | 7 | 6 | - | 6 |
| 10 | कुशीनगर | 14 | 8 | 6 | 8 | - | 8 | 4 | - | 4 |
| 11 | बस्ती | 14 | 14 | - | 14 | - | 14 | 14 | - | 14 |
| 12 | संतकबीर नगर | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 |
| 13 | सिद्धार्थनगर | 14 | 10 | 4 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 14 | अमरोहा(जे.पी. नगर) | 6 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 15 | मुरादाबाद | 8 | 5 | 3 | 5 | - | 5 | 4 | - | 4 |
| 16 | सम्भल | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | रामपुर | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | बिजनौर | 11 | 4 | 7 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 19 | अयोध्या | 11 | 10 | 1 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 20 | बहराइच | 14 | 10 | 4 | 10 | - | 10 | 6 | - | 6 |
| 21 | गोण्डा | 16 | 8 | 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| 22 | बलरामपुर | 9 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| 23 | अमेठी | 13 | 6 | 7 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| 24 | श्रावस्ती | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 25 | सुल्तानपुर | 14 | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 1 | - | 1 |
| 26 | बाराबंकी | 15 | 4 | 11 | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 |
| 27 | अम्बेडकर नगर | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | 4 | - | 4 |
| 28 | आजमगढ़ | 22 | 16 | 6 | 16 | - | 16 | 16 | - | 16 |
| 29 | बलिया | 17 | 10 | 7 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 30 | मऊ | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | 7 | - | 7 |
| 31 | बाँदा | 8 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 32 | ललितपुर | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 |
| 33 | हमीरपुर | 7 | 6 | 1 | 6 | - | 6 | 1 | - | 1 |
| 34 | जालौन | 9 | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 35 | चित्रकूट | 5 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 |
| 36 | महोबा | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | झांसी | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| 38 | प्रतापगढ़ | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 39 | इलाहाबाद | 23 | 9 | 14 | 9 | - | 9 | 4 | - | 4 |
| 40 | कौशाम्बी | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 5 | - | 5 |
| 41 | फतेहपुर | 13 | 13 | - | 13 | - | 13 | - | - | - |
| 42 | बुलन्दशहर | 16 | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 43 | गौतमबुद्ध नगर | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 44 | गाजियाबाद | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | हापुड़ | 4 | 4 | - | 4 | - | 4 | 3 | - | 3 |
| 46 | मेरठ | 23 | 4 | 19 | 17 | - | 17 | 16 | - | 16 |
| 47 | बागपत | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | मुजफ्फर नगर | 9 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 |
| 49 | सहारनपुर | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | शामली | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | वाराणसी | 8 | 8 | - | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| 52 | चन्दौली | 9 | 9 | - | 9 | - | 9 | 9 | - | 9 |
| 53 | जौनपुर | 21 | 21 | - | 21 | - | 21 | 19 | - | 19 |
| 54 | गाजीपुर | 16 | 14 | 2 | 14 | - | 14 | 12 | - | 12 |
| 55 | मीरजापुर | 12 | 11 | 1 | 11 | - | 11 | 10 | - | 10 |
| 56 | सोनभद्र | 8 | 8 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 |
| 57 | भदोही | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | 5 | - | 5 |
| 58 | बरेली | 15 | 2 | 13 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 59 | पीलीभीत | 7 | 4 | 3 | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 |
| 60 | बदायूँ | 15 | 4 | 11 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 61 | शाहजहाँपुर | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | आगरा | 15 | 3 | 12 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 63 | फिरोजाबाद | 9 | 5 | 4 | 5 | - | 5 | 4 | - | 4 |
| 64 | मथुरा | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | अलीगढ़ | 12 | 10 | 2 | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| 66 | एटा | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 67 | मैनपुरी | 9 | 4 | 5 | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 |
| 68 | हाथरस | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 69 | कासगंज | 7 | 3 | 4 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 70 | कानपुर नगर | 15 | 8 | 7 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| 71 | औरैया | 7 | 6 | 1 | 6 | - | 6 | 5 | - | 5 |
| 72 | कानपुर देहात | 10 | 8 | 2 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| 73 | फर्रुखाबाद | 7 | 7 | - | 7 | - | 7 | 7 | - | 7 |
| 74 | कन्नौज | 8 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| 75 | इटावा | 8 | 3 | 5 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |

**प्रारूप 5 ग्राम पंचायत (वार्षिक प्रतिवेदन) 2019-2020**

ग्राम पंचायत की लेखा परीक्षा प्रगति निर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों एवं प्राप्त अनुपालनों का विवरणः-

| क्र0 सं 0 | जनपद | लेखापरीक्षा प्रगति | | | सामान्य प्रतिवेदन | | | विशेष प्रतिवेदन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | कुल ग्राम पंचाय | लेखा परीक्षित | बकाया | कुल निर्गत | प्राप्त अनुपालन | अनुपालन हेतु बकाया | कुल निर्गत | प्राप्त अनुपालन की | अनुपालन हेतु बकाया प्रतिवेदन |

| | | त | | | | की सं. | प्रतिवेदन | | सं. | की सं. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊ | 570 | 569 | 01 | 561 | - | 561 | 36 | - | 36 |
| 2 | रायबरेली | 989 | 989 | - | 989 | - | 989 | 55 | - | 55 |
| 3 | उन्नाव | 1044 | 1044 | - | 1044 | - | 1044 | 310 | - | 310 |
| 4 | हरदोई | 1306 | 1306 | - | 1306 | - | 1306 | 323 | - | 323 |
| 5 | सीतापुर | 1600 | 1600 | - | 1600 | - | 1600 | 372 | - | 372 |
| 6 | लखीमपुर-खीरी | 1167 | 1167 | - | 1167 | - | 1167 | 176 | - | 176 |
| 7 | गोरखपुर | 1352 | 1140 | 212 | 1140 | - | 1140 | 135 | - | 135 |
| 8 | देवरिया | 1189 | 655 | 534 | 655 | - | 655 | 23 | - | 23 |
| 9 | महाराजगंज | 923 | 923 | - | 923 | - | 923 | 81 | - | 81 |
| 10 | कुशीनगर | 1049 | 703 | 346 | 703 | - | 703 | 223 | - | 223 |
| 11 | बस्ती | 1235 | 1235 | - | 1235 | - | 1235 | 74 | - | 74 |
| 12 | संतकबीर नगर | 794 | 794 | - | 794 | - | 794 | 63 | - | 63 |
| 13 | सिद्धार्थनगर | 1199 | 1199 | - | 1199 | - | 1199 | 43 | - | 43 |
| 14 | अमरोहा(जे.पी.नगर) | 597 | 596 | 1 | 595 | - | 595 | 33 | - | 33 |
| 15 | मुरादाबाद | 584 | 584 | - | 584 | - | 584 | 25 | - | 25 |
| 16 | सम्भल | 556 | 556 | - | 556 | - | 556 | 47 | - | 47 |
| 17 | रामपुर | 684 | 683 | 1 | 683 | - | 683 | 73 | - | 73 |
| 18 | बिजनौर | 1123 | 1123 | - | 1123 | - | 1123 | 58 | - | 58 |
| 19 | अयोध्या | 835 | 833 | 2 | 833 | - | 833 | 75 | - | 75 |
| 20 | बहराइच | 1054 | 1045 | 9 | 1045 | - | 1045 | 66 | - | 66 |
| 21 | गोण्डा | 1054 | 1022 | 32 | 1022 | - | 1022 | 188 | - | 188 |
| 22 | बलरामपुर | 800 | 800 | - | 800 | - | 800 | 97 | - | 97 |
| 23 | अमेठी | 682 | 682 | - | 674 | - | 674 | 47 | - | 47 |
| 24 | श्रावस्ती | 397 | 396 | 1 | 396 | - | 396 | 11 | - | 11 |
| 25 | सुल्तानपुर | 986 | 986 | - | 986 | - | 986 | 57 | - | 57 |
| 26 | बाराबंकी | 1166 | 1166 | - | 1166 | - | 1166 | 124 | - | 124 |
| 27 | अम्बेडकर नगर | 927 | 927 | - | 927 | - | 927 | 250 | - | 250 |
| 28 | आजमगढ़ | 1871 | 1871 | - | 1871 | - | 1871 | 131 | - | 131 |
| 29 | बलिया | 948 | 948 | - | 948 | - | 948 | 204 | - | 204 |
| 30 | मऊ | 675 | 675 | - | 675 | - | 675 | 83 | - | 83 |
| 31 | बाँदा | 469 | 469 | - | 435 | - | 435 | 34 | - | 34 |
| 32 | ललितपुर | 415 | 415 | - | 415 | - | 415 | 28 | - | 28 |
| 33 | हमीरपुर | 330 | 330 | - | 330 | - | 330 | 36 | - | 36 |
| 34 | जालौन | 575 | 575 | - | 575 | - | 575 | 32 | 6 | 26 |
| 35 | चित्रकूट | 331 | 331 | - | 331 | - | 331 | 55 | - | 55 |
| 36 | महोबा | 273 | 204 | 69 | 204 | - | 204 | 50 | - | 50 |
| 37 | झांसी | 496 | 496 | - | 496 | - | 496 | 54 | - | 54 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | प्रतापगढ़ | 1255 | 1156 | 99 | 1156 | - | 1156 | 82 | - | 82 |
| 39 | इलाहाबाद | 1540 | 1540 | - | 1540 | - | 1540 | 140 | - | 140 |
| 40 | कौशाम्बी | 476 | 476 | - | 476 | - | 476 | 40 | - | 40 |
| 41 | फतेहपुर | 840 | 840 | - | 840 | - | 840 | 33 | 1 | 32 |
| 42 | बुलन्दशहर | 951 | 951 | - | 951 | - | 951 | 28 | - | 28 |
| 43 | गौतमबुद्ध नगर | 86 | 86 | - | 86 | - | 86 | 4 | - | 4 |
| 44 | गाजियाबाद | 161 | 161 | - | 161 | - | 161 | 5 | - | 5 |
| 45 | हापुड़ | 273 | 273 | - | 273 | - | 273 | 9 | - | 9 |
| 46 | मेरठ | 490 | 490 | - | 490 | - | 490 | 47 | - | 47 |
| 47 | बागपत | 245 | 245 | - | 245 | - | 245 | 6 | - | 6 |
| 48 | मुजफ्फर नगर | 498 | 498 | - | 498 | - | 498 | 36 | - | 36 |
| 49 | सहारनपुर | 887 | 887 | - | 799 | - | 799 | 74 | - | 74 |
| 50 | शामली | 230 | 230 | - | 230 | - | 230 | 4 | - | 4 |
| 51 | वाराणसी | 760 | 760 | - | 760 | - | 760 | 85 | 11 | 74 |
| 52 | चन्दौली | 734 | 734 | - | 734 | - | 734 | 70 | - | 70 |
| 53 | जौनपुर | 1749 | 1749 | - | 1749 | - | 1749 | 93 | - | 93 |
| 54 | गाजीपुर | 1237 | 1237 | - | 1237 | - | 1237 | 114 | - | 114 |
| 55 | मीरजापुर | 809 | 809 | - | 807 | - | 807 | - | 34 | 34 |
| 56 | सोनभद्र | 637 | 637 | - | 637 | - | 637 | 35 | - | 35 |
| 57 | भदोही | 561 | 561 | - | 381 | - | 381 | 48 | - | 48 |
| 58 | बरेली | 1193 | 1166 | 27 | 1166 | - | 1166 | 105 | - | 105 |
| 59 | पीलीभीत | 721 | 552 | 169 | 552 | - | 552 | 82 | - | 82 |
| 60 | बदायूँ | 302 | 302 | - | 302 | - | 302 | 33 | - | 33 |
| 61 | शाहजहाँपुर | 1077 | 1077 | - | 1077 | - | 1077 | 78 | - | 78 |
| 62 | आगरा | 695 | 695 | - | 695 | - | 695 | 119 | - | 119 |
| 63 | फिरोजाबाद | 569 | 569 | - | 569 | - | 569 | 334 | - | 334 |
| 64 | मथुरा | 504 | 504 | - | 504 | - | 504 | 122 | - | 122 |
| 65 | अलीगढ़ | 902 | 889 | 13 | 889 | - | 889 | 124 | - | 124 |
| 66 | एटा | 575 | 575 | - | 575 | - | 575 | 41 | - | 41 |
| 67 | मैनपुरी | 552 | 552 | - | 552 | - | 552 | 135 | - | 135 |
| 68 | हाथरस | 474 | 474 | - | 474 | - | 474 | 152 | - | 152 |
| 69 | कासगंज | 423 | 423 | - | 423 | - | 423 | 90 | - | 90 |
| 70 | कानपुर नगर | 1395 | 577 | 818 | 577 | - | 577 | 161 | - | 161 |
| 71 | औरैया | 477 | 477 | - | 477 | - | 477 | 57 | - | 57 |
| 72 | कानपुर देहात | 640 | 640 | - | 640 | - | 640 | 157 | - | 157 |
| 73 | फर्रुखाबाद | 600 | 600 | - | 600 | - | 600 | 166 | - | 166 |
| 74 | कन्नौज | 504 | 504 | - | 504 | - | 504 | 504 | - | 504 |
| 75 | इटावा | 471 | 471 | - | 471 | - | 471 | 137 | - | 137 |